उत्तर प्रदेश
2025

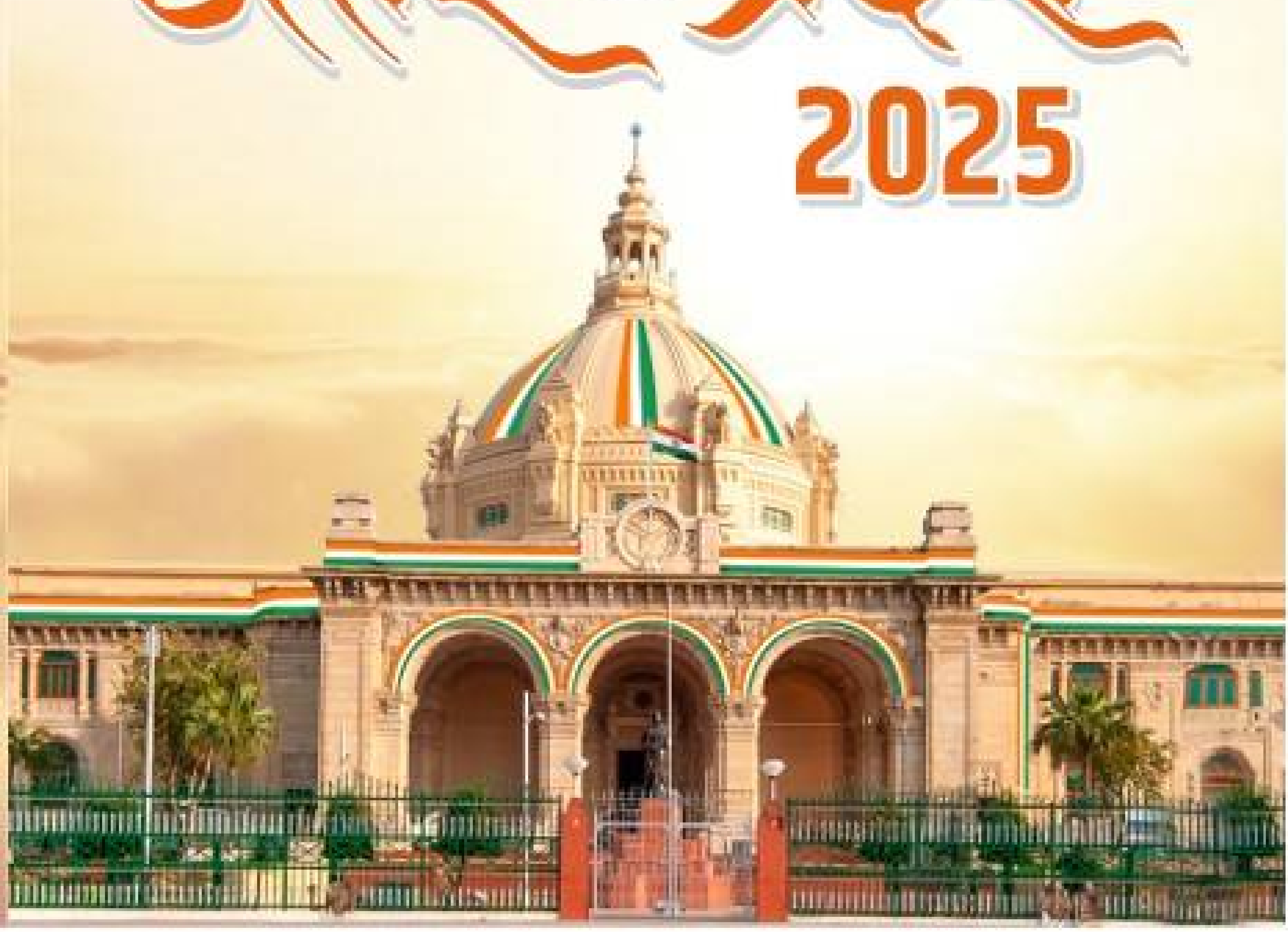

उत्तर प्रदेश-2025

(वर्ष 2024-2025 के तथ्यों पर आधारित)

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उ.प्र.
लखनऊ

संरक्षक :
संजय प्रसाद
अपर मुख्य सचिव, सूचना

प्रकाशक एवं स्वात्वाधिकारी :
विशाल सिंह
निदेशक, सूचना

प्रस्तुति एवं परिकल्पना :
अरविन्द कुमार मिश्र
अपर निदेशक, सूचना

सम्पादकीय सहयोग :
संजय कुमार सिंह, वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
अनुराग प्रसाद, उप निदेशक, सूचना
आत्रेय मिश्रा, सहायक निदेशक, सूचना
जितेन्द्र प्रताप सिंह, सहायक निदेशक, सूचना
चन्द्र विजय वर्मा, सहायक निदेशक, सूचना
अमित यादव, सहायक निदेशक, सूचना
शिव राम सिंह, शोध अधिकारी, सूचना
निधि वर्मा, सूचना अधिकारी, सूचना
अमित कुमार शुक्ला, सूचना अधिकारी, प्रभारी संदर्भ पुस्तकालय

विशेष सहयोग :
प्रो. एम.के.अग्रवाल (गैर सरकारी सदस्य)

ISBN	:	**978-93-94992-39-9**
संस्करण	:	**2025**
मूल्य	:	**रु. 450/-**
प्रकाशक	:	**भारत बुक सेन्टर** 17-अशोक मार्ग, लखनऊ फोन : (0522) 4041222
सर्वाधिकार	:	**सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ**
मुद्रक	:	**ए पी पी प्रेस, लखनऊ**

प्राक्कथन

संदर्भ ग्रन्थ 'वार्षिकी उत्तर प्रदेश' शृंखला की अगली कड़ी के रूप में वार्षिकी **'उत्तर प्रदेश–2025'** के हिन्दी संस्करण के प्रकाषन पर अत्यन्त प्रसन्नता एवं गर्व की अनुभूति हो रही है। यह संदर्भ ग्रन्थ उत्तर प्रदेष सरकार का एक महत्त्वपूर्ण प्रकाषन है। बुद्धि जीवियों, प्रतियोगी छात्र–छात्राओं, शोधकर्ताओं एवं प्रबुद्ध नागरिकों के लिए वार्षिकी अपनी संदर्भीय उपयोगिता तथा प्रासंगिकता सिद्ध कर चुकी है।

वार्षिकी में वित्तीय वर्ष **2024–2025** के प्रदेष सरकार के विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं तथा नीतियों की उपलब्धियों तथा वित्तीय वर्ष **2025–2026** की कार्ययोजनाओं के अतिरिक्त प्रदेष की भौगोलिक, ऐतिहासिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन आदि से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण सामग्री का समावेष किया गया है। प्रदेष की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति से सम्बन्धित प्रमाणिक आंकड़ों के साथ–साथ जनपदों की प्रमाणिक जानकारियों एवं राष्ट्रीय महत्त्व की संदर्भ सूचनाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य व इन्द्रधनुषी साझी संस्कृति देष–विदेष में आकर्षण का केंद्र रही है।

'**उत्तर प्रदेश–2025**' के माध्यम से प्रदेष की गौरवपूर्ण विरासत से परिचित कराने का सार्थक प्रयास किया गया है, साथ ही बहुआयामी, बहुरंगी और विविधताओं वाले इस विराट प्रदेष को देखने और जानने की कोषिष की है। इस स्थायी महत्त्व के प्रकाषन के माध्यम से हम शासन और जनता के बीच सेतु की अपनी भूमिका को और अधिक अर्थवत्ता प्रदान करने का विनम्र प्रयास कर रहे हैं। इसमें प्रदेष के प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, साहित्यकारों, संगीतज्ञों एवं कलाकारों, खिलाड़ियों, पद्म पुरस्कारों, परमवीर चक्र, अषोक चक्र एवं महावीर चक्र से सम्मानित विभूतियों के अतिरिक्त प्रदेष के पर्यटन एवं विकास सम्बन्धी चित्रों और ग्राफों के माध्यम से इसे और अधिक सारगर्भित एवं उपयोगी बनाने का प्रयास किया गया है। इस अंक में उत्तर प्रदेष जिन क्षेत्रों में देष में अग्रणी है, उसका भी विवरण प्रस्तुत किया गया है।

अपर मुख्य सचिव, सूचना **श्री संजय प्रसाद जी** के हम हृदय से आभारी हैं जिनके कुषल मार्गदर्षन से इस महत्त्वपूर्ण संदर्भ ग्रन्थ का प्रकाषन सफलतापूर्वक सम्पन्न हो सका।

मुझे पूरा विष्वास है कि वार्षिकी **'उत्तर प्रदेश–2025'** शोधकर्ताओं, प्रतियोगी परीक्षार्थियों, छात्र–छात्राओं, पत्रकारों एवं विषय विषेषज्ञों तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों को प्रमाणिक जानकारी देने में सहायक सिद्ध होगा। इसके सम्पादन एवं प्रकाषन कार्य में सम्पादक एवं सम्पादक मण्डल द्वारा पर्याप्त सजगता एवं सावधानी बरतने का हर सम्भव प्रयास किया गया है, फिर भी यदि कहीं कोई कमी रह गई हो, तो सुधी पाठकों के सहयोग से उसे भविष्य में परिपूर्ण बनाने का प्रयास किया जायेगा। आषा है कि पुस्तक की विषय वस्तु एवं इसमें संग्रहीत सूचनाएं ज्ञानवर्धक होंगी।

(विशाल सिंह)
सूचना निदेशक

आभार

सन्दर्भ ग्रन्थ **वार्षिकी उ.प्र.–2025** का सम्पादन एक वृहद, जटिल, श्रमसाध्य एवं पूर्ण कालिक कार्य है, जिसका प्रारंभ नये वित्तीय वर्ष के साथ हो जाता है। मार्च 2025 में बजट सामग्री उपलब्ध होने के बाद उसका अनुषीलन एवं सम्पादन **अपर मुख्य सचिव, सूचना** महोदय के निर्देषन व **निदेशक** एवं **अपर निदेशक** महोदय के मार्ग दर्शन में संपन्न किया गया है। संक्षिप्तीकरण/संपादन कार्य में षोध अधिकारी **श्री शिव राम सिंह** व **श्री अमित कुमार शुक्ला**, सूचना अधिकारी एवं विभागीय दृष्टिकोण के अनुसार **डॉ. दिनेश कुमार गर्ग,** सेवा निवृत्त उप निदेषक सूचना, वरिष्ठ पत्रकार **श्री प्रद्युम्न तिवारी** (पूर्व राज्य ब्यूरो प्रमुख, अमर उजाला), **श्री रतिभान त्रिपाठी**, राज्य ब्यूरो चीफ, देषबन्धु, **श्री सुरेन्द्र अग्निहोत्री**, वरिष्ठ पत्रकार, **प्रो. एम. के. अग्रवाल**, अर्थशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय एवं **श्री रवि मोहन त्रिवेदी**, पूर्व मुख्य उप संपादक, राष्ट्रीय स्वरुप ने श्रम साध्य सहयोग करते हुए इस महत्त्वपूर्ण संदर्भ ग्रन्थ के रूपायन में अपना अमूल्य योगदान किया है।

इस पुस्तक के प्रकाषन में सम्पादकीय सहयोग देने के लिए सम्पादक मण्डल के सदस्य एवं सामग्री संकलन में सहयोग के लिए सूचना ब्यूरो के अधिकारियों की भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रही है तथा सूचना ब्यूरो के समस्त अधिकारीगण प्रकाषन की सफलता में भागीदार हैं। इसके अलावा संदर्भ शाखा के मेरे समस्त सहयोगियों ने भी मुझे भरपूर सहयोग किया है। इसके लिए मैं सभी महानुभावों की हृदय से आभारी हूँ।

श्री अमित यादव
सहायक निदेशक, सूचना

प्रकाशकीय

यह हमारे लिए प्रसन्नता एवं गर्व की बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार के महत्त्वपूर्ण एवं प्रतिष्ठित प्रकाशन वार्षिकी **"उत्तर प्रदेश– 2025"** को प्रकाशित करने का अवसर हमें 22वीं बार दिया गया। उत्तर प्रदेश सूचना विभाग का यह सन्दर्भ ग्रन्थ, सन्दर्भीय उपयोगिता की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं उपयोगी प्रकाशन हो गया है। हम **सूचना निदेशक श्री विशाल सिंह** के हृदय से आभारी हैं कि उन्होंने इस प्रतिष्ठित पुस्तक को प्रकाशित करने के लिये हमें उपयुक्त पात्र समझा।

इस संदर्भ ग्रन्थ के प्रकाशन के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करने का जो अवसर उत्तर प्रदेश सरकार ने हमें दिया है, हम उसके लिए सरकार के पुनः हृदय से आभारी हैं। उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित इस महत्त्वपूर्ण संदर्भ ग्रन्थ के प्रकाशन में मुद्रण एवं प्रूफ सम्बन्धी त्रुटियाँ न रहने पायें इसके लिए विशेष प्रयास किया गया है। सन्दर्भ ग्रन्थ के प्रकाशन में तमाम सावधानियों के बावजूद मुद्रण एवं प्रूफ सम्बन्धी त्रुटियों का रह जाना स्वाभाविक है, अतः उन्हें बहुत महत्त्व न देकर संदर्भ ग्रन्थ की विषयवस्तु, उसका उद्देश्य, उसकी उपयोगिता एवं उसके संयोजन को महत्त्व देना ही समीचीन होगा।

वीरेन्द्र बाहरी
प्रकाशक

अनुक्रम

	उत्तर प्रदेश बजट– **2025–2026**	xi-xxxi
	उत्तर प्रदेश : एक नजर में	xxxii-xxxiii
	जिलों का क्षेत्रफल : जनसंख्या और मुख्यालय	xxxiv-xxxv
■	**प्रथम खण्ड : सामान्य**	
1.	उत्तर प्रदेश परिचय (भौगोलिक, प्राकृतिक एवं जनगणना)	1-8
2.	इतिहास	9-50
3.	संवैधानिक प्रणाली	51-56
4.	उ.प्र. नवनिर्मित दर्षनीय स्थल एवं विभूतियाँ	57-102
5.	प्रदेष के जनपदवार दर्षनीय स्थल	103-120
6.	हिन्दी साहित्य और उर्दू अदब	121-131
7.	हिन्दी और उर्दू पत्रकारिता	132-154
8.	सांस्कृतिक विरासत	155-181
9.	उत्तर प्रदेष और सिनेमा	182-187
10.	दर्षनीय स्थल और मेले	188-207
11.	अर्थ व्यवस्था/आर्थिक समीक्षा	208-240
12.	सामाजिक स्थिति	241-249
■	**द्वितीय खण्ड : वित्त एवं नियोजन**	
13.	नियोजन	250-259
14.	वित्त	260-269
■	**तृतीय खण्ड : कराधान**	
15.	राजस्व	270-278
16.	आबकारी	279-286
17.	संस्थागत वित्त	287-291
18.	राज्य कर	292-300
19.	स्टाम्प एवं निबन्धन	301-305
■	**चतुर्थ खण्ड : कृषि एवं ग्राम विकास**	
20.	कृषि	306-319
21.	ग्राम्य विकास	320-330
22.	पंचायती राज	331-334
23.	जल षक्ति (सिंचाई एवं जल संसाधन)श	335-342
24.	पषुधन	343-352
25.	दुग्ध विकास	353-358
26.	मत्स्य विकास	359-363
27.	सहकारिता	364-369
28.	नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति	370-381

29. उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण 382-387
30. परती भूमि विकास 388-390
31. ग्रामीण अभियंत्रण 391-392

■ **पंचम खण्ड : सार्वजनिक सेवाएँ**

32. बेसिक षिक्षा 393-399
33. माध्यमिक षिक्षा 400-406
34. उच्च षिक्षा 407-413
35. प्राविधिक षिक्षा 414-420
36. चिकित्सा षिक्षा एवं प्रषिक्षण 421-422
37. व्यावसायिक षिक्षा एवं कौषल विकास और उद्यम शीलता 423-429
38. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य 430-438
39. आयुष 439-444
40. परिवार कल्याण 445-452
41. नगर विकास 453-462
42. नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम 463-464
43. जल सम्पूर्ति 465-473
44. आवास एवं षहरी नियोजन 474-483
45. खाद्य एवं रसद तथा उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप 484-489
46. उ.प्र. राज्य भण्डारण निगम 490-491

■ **षष्ट खण्ड : लोक कल्याण**

47. समाज कल्याण 492-501
48. अनुसूचित जनजाति विकास 502-508
49. महिला कल्याण तथा बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार 509-519
50. अल्फसंख्यक कल्याण एवं वक्फ 520-524
51. पिछड़ा वर्ग कल्याण 525-528
52. दिव्यांगजन सषक्तिकरण 529-532
53. सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास 533-536
54. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण एवं राजनीतिक पेंषन 537-539
55. श्रमिक कल्याण एवं सेवायोजन 540-551
56. खेल 552-559
57. प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल एवं युवा कल्याण 560-564
58. उ.प्र. पुनर्गठन समन्वय 565

■ **सप्तम खण्ड : अवस्थापना विकास**

59. लोक निर्माण 566-575
60. राज्य सम्पत्ति 576-579
61. ऊर्जा 580-585
62. अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत 586-692

63. राज्य सड़क परिवहन 593-602
64. नागरिक उड्डयन 603-607

■ **अष्टम् खण्ड : औद्योगिक विकास**

65. औद्योगिक विकास 608-620
66. सूक्ष्म, लघु उद्योग एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन 621-630
67. सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो 631-632
68. भूतत्व एवं खनिकर्म 633-639
69. हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग 640-645
70. खादी एवं ग्रामोद्योग 646-652
71. रेषम विकास 653-657
72. मुद्रण एवं लेखन सामग्री 658-661
73. गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग 662-668
74. पर्यटन 669-676
75. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन 677-687
76. उत्तर प्रदेष प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 688-694
77. सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स 695-703
78. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 704-707

■ **नवम खण्ड : लोक प्रशासन**

79. कानून एवं व्यवस्था 708-710
80. कारागार प्रषासन एवं सुधार 711-719
81. न्याय प्रषासन 720-723
82. लोक आयुक्त 724-727
83. लोक सेवा प्रबन्धन 728
84. सामान्य प्रषासन एवं प्रषासनिक सुधार 729-731
85. होमगार्ड्स 732-735
86. सचिवालय प्रषासन 736-737
87. नियुक्ति एवं कार्मिक 738
88. अप्रवासी भारतीय प्रकोष्ठ 739-742
89. विधायी विभाग 743-745

■ **दशम खण्ड : विविध**

90. संस्कृति 746-758
91. राष्ट्रीय एकीकरण 759-761
92. भाषा 762-768
93. सूचना एवं प्रचार 769-792
94. उ.प्र. नागरिक सुरक्षा संगठन 793-796
95. धमार्थ कार्य 797-800
96. भारत सरकार के संस्थान, संगठन एवं कार्यालय 801

■ **एकादश खण्ड : जनपद एक नजर में**

97. उत्तर प्रदेश के जनपद : एक नजर में 802-836

■ **द्वादश खण्ड–परिशिष्ट**

98. भारत के राष्ट्रपति 837
99. भारत के उपराष्ट्रपति 838
100. भारत के प्रधानमंत्री 839
101. उत्तर प्रदेश का राज्यपाल 840
102. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 841-842
103. उत्तर प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष 843
104. उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सभापति 844
105. इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीष 845-846
106. उत्तर प्रदेश के समस्त विष्वविद्यालय 847-851
107. उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त 852
108. उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव 853-854
109. भारत के मुख्य न्यायाधीष 855-856
110. भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त 857
111. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष 858
112. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेष 859
113. राज्य निर्वाचन आयुक्त 860
114. राज्य मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य सूचना आयुक्त 860
115. कमाण्डर इन चीफ/चीफ ऑफ डिफेंस स्टाप (थल सेना, नौ सेना, वायु सेना) 861-863
116. केन्द्रीय मंत्रिमण्डल 864-866
117. उत्तर प्रदेष से लोक सभा के सदस्य 867
118. उत्तर प्रदेष से राज्य सभा के सदस्य 868
119. उत्तर प्रदेष मंत्रिमण्डल 869-870
120. उत्तर प्रदेष विधान सभा सदस्य 871-875
121. उत्तर प्रदेष से विधान परिषद के सदस्य 876-877
122. भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति 878-879
123. नोबेल पुरस्कार विजेता (भारतीय) 880-881
124. उत्तर प्रदेष में राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य 882
125. प्रमुख राष्ट्रीय पर्व एवं अन्तर्राष्ट्रीय दिवस 883
126. उत्तर प्रदेष विधानसभा की स्थायी समितियाँ 884
127. ज्ञानपीठ पुरस्कार से अलंकृत उत्तर प्रदेष के रचनाकार 885
128. यषभारती सम्मान 886-893
129. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 894-896
130. उत्तर प्रदेष सरकार से सम्बन्धित वेबसाइट्स 897-899

देश में अग्रणी...

आज उत्तर प्रदेश केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित 45 से अधिक योजनाओं के क्रियान्वयन में देश में प्रथम स्थान पर है तथा विभिन्न योजनाओं एवं क्षेत्रों में देश में अग्रणी है:-

- **प्रधानमंत्री जनधन योजना** में 9.50 करोड़ से अधिक खातों के साथ उत्तर प्रदेश को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।
- **प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना** में अब तक 06 करोड़ 52 लाख नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर है।
- **प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना** में अब तक 02 करोड़ 28 लाख नामांकन के साथ प्रदेश, देश में द्वितीय स्थान पर है।
- **प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी)** के अन्तर्गत आवास निर्माण में उत्तर प्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर है।
- **प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)** के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य एवं बी.एल.सी./ए.एच.पी. परियोजनाओं की जिओ टैगिंग में सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
- **अटल पेंशन योजना** के अन्तर्गत पंजीकरण करने में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है।
- **स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)** के अन्तर्गत सर्वाधिक शौचालय निर्माण के साथ उत्तर प्रदेश देश में प्रथम है।
- **स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण** के अन्तर्गत सिटीजन फीडबैक श्रेणी में प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।
- **डीबीटी से लाभार्थी तक** सीधा पैसा पहुँचाने में उत्तर प्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर है।
- 96 **लाख से अधिक** सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना कर उत्तर प्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर है।

उत्तर प्रदेश-2025

- **प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)** में आवास प्लस से लक्ष्य प्राप्त करने वाला देश का प्रथम राज्य।
- **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना** के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर है।
- **06 एक्सप्रेस-वे तथा 05 अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे** के निर्माण से उत्तर प्रदेश सड़क व एयर कनेक्टिविटी में सर्वश्रेष्ठ है।
- **प्रधानमंत्री उज्जवला योजना** में 01 करोड़ 85 लाख नि:शुल्क गैस कनेक्शन देकर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम है।
- **खाद्यान्न, आम, दूध, तिलहन, आलू, हरी मटर उत्पादन** में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है।
- **प्रदेश को गन्ना उत्पादन, चीनी उत्पादन तथा एथेनॉल उत्पादन एवं आपूर्ति** में देश का प्रथम स्थान है।
- **पी.एम. स्वनिधि योजना** के अन्तर्गत स्ट्रीट वेण्डर्स को सर्वाधिक ऋण देकर उत्तर प्रदेश, देश में प्रथम है।
- **एन.सी.आर.बी. के आंकड़ों के अनुसार महिला एवं बाल अपराध** संबंधी अभियोगों के निस्तारण में 99.42 प्रतिशत दर के साथ देश में प्रथम है।
- **वर्ष 2025 में अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम में 26 लाख से अधिक दीप प्रज्ज्वलित** कर प्रदेश ने पुन: गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में नाम दर्ज कराया।
- **फॉरेन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट (एफ.डी.आई.) एवं फॉर्च्यून-500 कम्पनियों** के लिए प्रदेश सरकार ने देश की पहली विशिष्ट निवेश प्रोत्साहन नीति घोषित की है।
- **ईज ऑफ डूईंग बिजनेस रैंक तथा लॉजिस्टिक्स की सुलभता रैकिंग** में राज्य में अचीवर्स श्रेणी प्राप्त की है।
- **भारतीय रिजर्व बैंक के एक अध्ययन के अनुसार** उत्तर प्रदेश प्राइवेट कॉरपोरेट निवेश को आकर्षित करने में देश में प्रथम स्थान पर है।
- **ई-प्रॉसीक्यूशन प्रणाली** के प्रभावी उपयोग में उत्तर प्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर है।
- उत्तर प्रदेश, देश में ऐसा प्रथम राज्य है, जहां **सोलर चरखे से उत्पादित खादी को मान्यता दी गयी है और सोलर चरखा बुनकरों को नि:शुल्क** उपलब्ध कराया जा रहा है।
- **भारतीय पर्यटकों के आवागमन** में उत्तर प्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर रहा है।
- **अमृत सरोवर** के निर्माण में उत्तर प्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर है।
- **ई-मार्केट प्लेस (जेम)** के अन्तर्गत सर्वाधिक सरकारी खरीद करने वाला उत्तर प्रदेश, देश का पहला राज्य बना।

●

उत्तर प्रदेश बजट

वित्तीय वर्ष 2025–2026

- **वर्ष 2025–2026 के बजट का कुल आकार 08 लाख 08 हजार 736 करोड़ 06 लाख रुपये (8,08,736.06 करोड़ रुपये) है, जो वित्तीय वर्ष 2024–2025 के बजट अनुमान 07 लाख 36 हजार 437 करोड़ 71 लाख रुपये (7,36,437.71 करोड़ रुपये) से 72 हजार. 298 करोड 35 लाख रुपये (72,298.35 करोड़ रुपये) 9.8 प्रतिशत अधिक है।**
- **बजट में राजस्व व्यय के लिये 05 लाख 83 हजार 174 करोड़ 57 लाख रुपये (5,83,174.57 करोड़ रुपये) के अनुमान तथा पूंजीगत व्यय के लिये 02 लाख 25 हजार 561 करोड़ 49 लाख रुपये (2,25,561.49 करोड़ रुपये) के अनुमान लिये गये हैं।**
- **कुल पूंजीगत व्यय में पूंजीगत परिव्यय के लिये 01 लाख 65 हजार 242 करोड़ 91 लाख रुपये (1,65,242.91 करोड रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है। उल्लेखनीय है कि पूंजीगत परिव्यय से परिसम्पत्तियों तथा रोजगार के अवसरों का सृजन होता है।**
- **बजट में कुल अनुमानित प्राप्तियाँ 07 लाख 79 हजार 242 करोड़ 65 लाख रुपये (7,79,242.65 करोड़ रुपये) हैं, जिसमें राजस्व प्राप्तियाँ 06 लाख 62 हजार 690 करोड़ 93 लाख रुपये (6,62,690.93 करोड़ रुपये) तथा पूंजी लेखे की प्राप्तियाँ 01 लाख 16 हजार 551 करोड़ 72 लाख रुपये (1,16,551.72 करोड़ रुपये) है।**
- **बजट में व्यय की नई मदों हेतु 28 हजार 478 करोड़ 34 लाख रुपये (28,478.34 करोड़ रुपये) का प्रावधान है।**

किसान

- **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना** के अन्तर्गत लगभग 03 करोड़ कृषकों को लगभग 79,500 करोड़ रुपये की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से हस्तांतरित।
- **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत** वित्तीय वर्ष 2024–2025 में लगभग 10 लाख बीमित कृषकों को लगभग 496 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान।
- **पी.एम.कुसुम योजना** के अन्तर्गत वर्ष 2024 में कृषकों के प्रक्षेत्रों पर विभिन्न क्षमता के कुल 22,089 सोलर पम्पों की स्थापना।
- कृषकों को दुर्घटनावष मृत्यु/दिव्यांगता की स्थिति में **मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना** 14 सितम्बर, 2019 से लागू की गई।
- कृषकों को गन्ना मूल्य भुगतान समय से सुनिष्चित कराने हेतु वर्ष 2017 से एस्क्रो

एकाउन्ट मैकेनिज्म प्रारम्भ। जिसके फलस्वरूप चीनी मिलों में गन्ना मूल्य मद की धनराषि के व्यावर्तन पर पूर्ण अंकुष लगा।

- वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष 2017 से अब तक लगभग 46 लाख गन्ना किसानों को लगभग 2,73,000 करोड़ रूपये का रिकार्ड गन्ना मूल्य भुगतान। यह भुगतान इसके पूर्व के 22 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य से 59,143 करोड़ रूपये अधिक है।
- औसत गन्ना उत्पादकता 72 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 85 टन प्रति हेक्टेयर बढ़ जाने से किसानों की आय में औसतन 370 रूपये प्रति कुन्तल की दर से 43,364 रूपये प्रति हेक्टेयर की वृद्धि।

महिला एवं बाल विकास

- **उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन** के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 96 लाख से अधिक परिवारों की महिलाओं को आच्छादित किया गया।
- **बी.सी.सखी योजना** के अन्तर्गत 39,556 बी.सी.सखी द्वारा कार्य करते हुये 31,103 करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय लेन–देन किया व 84.38 करोड़ रुपये का लाभांश अर्जित किया।
- **लखपति महिला योजना** के अन्तर्गत 31 लाख से अधिक दीदियों का चिन्हाँकन तथा 02 लाख से अधिक महिलाएं लखपति की श्रेणी में आ चुकी हैं।
- **प्रधानमंत्री उज्जवला योजना** के तहत अब तक लगभग 1.86 करोड़ लाभार्थियों को गैस कनेक्शन वितरित तथा लाभार्थियों को 02 निःशुल्क सिलिण्डर वितरित किये जा रहे।
- उत्तर प्रदेष में महिला स्वामित्व वाली प्रोड्यूसर कम्पनियों के गठन हेतु **महिला सामर्थ्य योजना** संचालित।
- बालिका षिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सह षिक्षा की व्यवस्था के साथ–साथ बालिका छात्रावास का निर्माण, बालिकाओं का सशक्तिकरण, मीना मंच, आत्म रक्षा प्रशिक्षण एवं संवेदीकरण आदि गतिविधियों का क्रियान्वयन।
- उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही मेधावी छात्राओं को पात्रता के आधार पर **स्कूटी** प्रदान किये जाने की नई योजना लायी जा रही।

युवा

- **स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना** के अन्तर्गत 49.86 लाख स्मार्ट फोन/टैबलेट वितरित किये गये। वित्तीय वर्ष 2025–2026 में इस योजना के तहत टैबलेट उपलबध कराये जायेंगे।
- प्रतियोगी छात्रों को अपने घर के समीप ही कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सभी जनपदों में **मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना** का सफल संचालन।
- **प्रधानमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना** के अंतर्गत सत्र 2024–25 में 54,833 अभ्यर्थियों को षिक्षुता प्रषिक्षण हेतु योजित किया गया।
- प्रदेष के षिक्षित एवं प्रषिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नये सूक्ष्म उद्योगों की

स्थापना हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये जाने के उद्देष्य से वर्ष 2024–2025 में **मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान** योजना प्रारम्भ। इस योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष 01 लाख नये सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना किये जाने का लक्ष्य।

- **इनोवेशन दिवस** के अवसर पर **यू0पी0 स्टार्टअप संवाद और एक्सपो** का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम तीन स्टार्टअप्स को क्रमषः 01 लाख, 75 हजार एवं 50 हजार का पुरस्कार तथा शेष 05 को 25–25 हजार रुपये का पुरस्कार प्रदान किया गया।
- प्रदेष में युवाओं को नवाचार से जोड़ने के लिए **इनोवेशन फण्ड** की स्थापना कार्य प्रारम्भ, जिससे प्रदेष में स्टार्टअप ईकोसिस्टम विकसित होगा।
- **पी0आर0डी0 स्वयं सेवकों के मानदेय में वृद्धि** प्रस्तावित तथा स्वयं सेवकों को लगभग 20 लाख अतिरिक्त रोजगार दिवस उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की जा रही है।
- ग्राम पंचायत स्तर पर गठित लगभग 80 हजार **युवक एवं महिला मंगल दलों** को प्रोत्साहन स्वरूप खेल सामग्री उपलब्ध करायी जा रही।

रोजगार

- मनरेगा योजनान्तर्गत विगत वित्तीय वर्ष 2024–2025 में 26 करोड़ मानव दिवस लक्ष्य के सापेक्ष 8 जनवरी, 2025 तक 27.40 करोड़ मानव दिवस सृजित तथा 3,13,076 परिवारों को 100 दिन का रोजगार प्रदान किया गया है। मानव दिवस सृजन एवं वित्तीय प्रगति में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान।
- मनरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–2025 में महिलाओं की सहभागिता 42 प्रतिषत है।
- **उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन** के अन्तर्गत विगत 6 वर्षों में 15.25 लाख युवाओं को निःशुल्क रोजगारपरक प्रशिक्षण प्रदान कर 5.71 लाख युवाओं को रोजगार / स्वरोजगार से जोड़कर सेवायोजित किया गया।
- **अप्रेन्टिस योजना** के अन्तर्गत अब तक 2,54,335 युवाओं को उद्योगों व एम.एस.एम.ई. से जोड़ा गया।
- **एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजनान्तर्गत** वर्ष 2024–2025 में 17 दिसम्बर, 2024 तक 1,838 लाभार्थियों को लाभान्वित कराते हुये लगभग 10,560 लाख रुपये की मार्जिन मनी वितरित तथा 34,500 रोजगार का सृजन।
- **निवेश मित्र** के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024–2025 में माह नवम्बर, 2024 तक कुल 6,62,672 उद्यम पंजीकृत, जिसमें 59,64,048 रोजगार के अवसर सृजित।
- वर्ष 2017 से दिसम्बर 2024 तक आरक्षी एवं समकक्ष, उप निरीक्षक एवं समकक्ष तथा लिपिक संवर्ग आदि के विभिन्न पदों पर कुल 1,56,206 भर्तियां। वर्तमान में अराजपत्रित श्रेणी के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के 92,919 पदों पर भर्ती हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन।
- लगभग 96 लाख एम.एस.एम.ई. इकाईयों की संख्या तथा 1.65 करोड़ लोगों को रोजगार

के अवसर उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश देश के सभी राज्यों में अग्रणी।

श्रमिक कल्याण

- **मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना** के अन्तर्गत माह सितम्बर, 2024 तक 6,22,974 लाभार्थी।
- **निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना** के अन्तर्गत माह सितम्बर, 2024 तक 41,453 लाभार्थी।
- **कन्या विवाह सहायता योजना** के अन्तर्गत पंजीकृत श्रमिक के कुल 02 बालिकाओं के स्वजातीय विवाह की स्थिति में 55,000 रूपये तथा अन्तर्जातीय विवाह की स्थिति में 61,000 रूपये की रकम दिये जाने का प्राविधान।
- **निर्माण कामगार गम्भीर बीमारी सहायता योजना** के अन्तर्गत गम्भीर बीमारियों का इलाज सरकारी अस्पतालों में कराने पर इलाज के व्यय की शत–प्रतिषत प्रतिपूर्ति।
- उत्तर प्रदेष भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को **प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना/मुख्यमंत्री जन–आरोग्य योजना** से आच्छादित कराये जाने की कार्यवाही प्रगति पर।
- **आवासीय विद्यालय योजना** प्रदेष के 12 जनपदों में संचालित, जिनमें प्रत्येक विद्यालय में 100–100 बालक एवं बालिकाओं को प्रवेष दिये जाने का प्रावधान।
- निर्माण श्रमिकों के बच्चों को निःषुल्क गुणवत्तापूर्ण एवं उद्देष्यपरक षिक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रदेष के प्रत्येक मण्डल में 360 बच्चों की क्षमता वाला एक–एक **अटल आवासीय विद्यालय** स्थापित है। इन विद्यालयों की क्षमता भविष्य में बढ़ाकर 1000 प्रति विद्यालय किया जायेगा।

वित्तीय समावेशन

- वर्ष 2024–2025 में **बैंकों द्वारा प्रदेश में ऋण वितरण** हेतु तैयार की गयी वार्षिक ऋण योजनान्तर्गत द्वितीय त्रैमास तक 2.50 लाख करोड़ रुपये का ऋण वितरित।
- वर्तमान में प्रदेश में बैंकों की 20,416 शाखायें, 4,00,932 बैंक मित्र एवं बी0सी0सखी तथा 18,747 ए0टी0एम0 सहित कुल 4,40,095 बैंकिंग केन्द्रों के माध्यम से बैंकिंग सुविधायें उपलब्ध।
- **प्रधानमंत्री जनधन योजना** के अन्तर्गत प्रदेश 9.57 करोड़ खातों के साथ देश में प्रथम स्थान पर।
- **प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजनान्तर्गत** अब तक प्रदेश में 6.52 करोड़ नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर।
- **प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजनान्तर्गत** अब तक प्रदेश में 2.28 करोड़ नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर।
- **अटल पेंशन योजनान्तर्गत** अब तक प्रदेश में 1.12 करोड़ नामांकन के साथ प्रदेश का उत्कृष्ट प्रदर्शन।

कानून व्यवस्था

- अभियोजन की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाते हुये अपराधियों को विभिन्न न्यायालयों से सजा दिलाई गई। वर्ष 2017 से दिसम्बर 2024 तक प्रदेष के चिन्हित 68 माफिया अपराधियों के विचाराधीन अभियोगों में प्रभावी पैरवी कर 73 अभियोगों में 31 माफिया अपराधियों को आजीवन कारावास व अर्थदण्ड की सजा से दण्डित कराया गया है, जिसमें 02 को फांसी की सजा।
- महिलाओं एवं नाबालिगों के विरूद्ध हुए अपराधों मे 27,425 अभियोगों, पॉस्को अधिनियम के 11,254 अभियोगों एवं दहेज हत्या की 3,775 अभियोगों में अभियुक्तों को सजा दिलायी गयी।
- साइबर अपराध में प्रयुक्त 13,83,232 मोबाइल नम्बर ब्लॉक कराये गये (देष में प्रथम स्थान)। वर्ष 2017 से दिनांक 31.12.2024 तक कुल पंजीकृत 77,210 अभियोगों के सापेक्ष में 66,475 अभियोगों का निस्तारण कर 43,202 अभियुक्तगणों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 320.89 करोड़ रुपये की धनराषि बरामद।
- अपराधों पर अंकुष लगाये जाने की प्रभावी कार्यवाही के तहत 20 मार्च, 2017 से 23 जनवरी, 2025 तक प्रदेष के विभिन्न जनपदों के दुर्दान्त अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही के दौरान कुल 221 अपराधी मुठभेड़ में मारे गये एवं 8022 घायल हुये।
- वर्ष 2017 के पष्चात 08 नये जनपद/मण्डल में विधि विज्ञान प्रयोगषालाओं की स्थापना की गयी। जनपद अयोध्या, बस्ती, बाँदा, आजमगढ़, मीरजापुर एवं सहारनपुर में 06 नयी विधि विज्ञान प्रयोगषालाओं की स्थापना का कार्य प्रगति पर।

कारागार प्रशासन

- प्रदेष की 74 कारागारों एवं जनपद न्यायालयों में संचालित वीडियो कान्फ्रेन्सिंग इकाईयों से बन्दियों की रिमाण्ड की कार्यवाही हो रही। कारागारों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु लगभग 4800 सी.सी.टी.वी. कैमरे स्थापित, जिनकी फीड प्राप्त किये जाने हेतु मुख्यालय में वीडियो वॉल स्थापित है। 24 कारागारों में 3जी क्षमता के 271 मोबाइल फोन जैमर स्थापित।

चिकित्सा शिक्षा

- वर्तमान में प्रदेश में 80 मेडिकल कालेज हैं, जिनमें 44 राज्य सरकार द्वारा संचालित हैं एवं 36 निजी क्षेत्र में है। प्रदेश में 02 एम्स एवं आई0एम0एस0, बी0एच0यू0, वाराणसी तथा जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, अलीगढ़ संचालित हैं। वर्ष 2024–2025 में 13 स्वाशासी चिकित्सा महाविद्यालय एवं पी0पी0पी0 मोड पर 03 जनपदों– महाराजगंज, सम्भल तथा शामली में नवीन मेडिकल कॉलेज स्थापित।
- वर्तमान में प्रदेश में राजकीय एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/चिकित्सा संस्थानों/विश्वविद्यालयों में एम0बी0बी0एस0 की 11,800 सीटें तथा पी0जी0 की 3971 सीटें उपलब्ध है। केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2025–2026 में यू0जी0/पी0जी0 हेतु कुल 10,000 सीटें जोड़े जाने की घोषणा की गई, जिसमें से 1500 सीटें उत्तर प्रदेश को प्राप्त होंगी। इस हेतु लगभग 2066 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।

- वर्ष 2017 में सरकारी मेडिकल कॉलेजों मे सुपर स्पेशियलिटी की कुल सीटों की संख्या 120 थी। शैक्षणिक सत्र 2024–2025 में सीटों की संख्या को बढ़ाकर 250 किया गया।
- जनपद बलिया तथा बलरामपुर में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु क्रमशः 27 करोड़ रुपये तथा 25 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

- आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनान्तर्गत 5.13 करोड़ लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाये गये। आयुष्मान कार्ड बनाने में पूरे देश में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है।
- प्राथमिक स्वास्थ्य इकाईयों को आयुष्मान आरोग्य मन्दिर के रूप में उच्चीकृत किया जा रहा। वर्तमान में कुल 22,681 आयुष्मान आरोग्य मन्दिर स्थापित।
- उपकेन्द्रों से टेलीकन्सलटेशन प्रारम्भ कर ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने की शुरूआत जुलाई, 2020 से की गयी।
- प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा पोषित पी0पी0पी0 मोड पर निःशुल्क डायलिसिस सेवाएं उपलब्ध।
- प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा पी0पी0पी0 मोड पर जनपदीय चिकित्सालयों में सी0टी0 स्कैन की निःशुल्क सेवा उपलब्ध।

आयुष

- प्रदेष के विभिन्न जनपदों में वर्तमान में 2110 आयुर्वेदिक, 254 यूनानी एवं 1585 होम्योपैथिक चिकित्सालयों के साथ ही 08 आयुर्वेदिक कालेज एवं उनसे सम्बद्ध चिकित्सालय, 02 यूनानी कालेज एवं उनसे सम्बद्ध चिकित्सालय तथा 09 होम्योपैथिक कालेज एवं उनसे सम्बद्ध चिकित्सालय संचालित।
- वित्तीय वर्ष 2025–2026 में महायोगी गुरू गोरखनाथ आयुष विष्वविद्यालय, गोरखपुर का निर्माण कार्य तथा जनपद अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना तथा जनपद वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज की स्थापना का लक्ष्य।

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास

- राज्य सरकार द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का सफलतम आयोजन, जिसमें लगभग 36 लाख करोड़ रुपये के निवेश के एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर। समिट के एक वर्ष के अन्दर ही 6.50 लाख करोड़ रुपये से अधिक निवेश से या तो वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ हो गया है अथवा संबंधित परियोजनायें निर्माणाधीन हैं, जो अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है।
- राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में **चार नये एक्सप्रेस–वे** के निर्माण का निर्णय।
- **आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस–वे से गंगा एक्सप्रेस–वे कौसिया, जनपद हरदोई वाया फर्रूखाबाद तक प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस–वे** का निर्माण कराया जायेगा, जिसके लिये 900 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- गंगा एक्सप्रेस–वे को प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चन्दौली होते हुये सोनभद्र से जोड़ने

के लिये **विन्ध्य एक्सप्रेस–वे** के निर्माण के लिये 50 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।

- मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने हेतु **गंगा एक्सप्रेस–वे विस्तारीकरण एक्सप्रेस–वे** का निर्माण प्रस्तावित, जिसके लिये 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- **बुन्देलखण्ड–रीवा एक्सप्रेस–वे** का निर्माण प्रस्तावित, जिसके लिये 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी।
- बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस–वे के साथ **डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना** हेतु लगभग 461 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित। इसके अन्तर्गत लगभग साढ़े नौ हजार करोड़ रुपये का निवेश अनुमानित।
- लखनऊ में **आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स सिटी** के विकास हेतु 5 करोड़ रूपये का बजट प्रस्तावित।
- साइबर सुरक्षा में **टेक्नोलॉजी ट्रान्सलेशन रिसर्च पार्क** की स्थापना हेतु 3 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

- प्रदेष के षिक्षित एवं प्रषिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नये सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये जाने के उद्देष्य से वर्ष 2024–2025 में **मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान** प्रारम्भ। योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2025–2026 के बजट में 1000 करोड़ रूपये का बजट प्रस्तावित।
- **मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना** हेतु 225 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग

- पीएम. मित्र योजना के अन्तर्गत **टेक्सटाइल पार्क की स्थापना** से सम्बन्धित व्यय हेतु 300 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- **उत्तर प्रदेश वस्त्र गारमेन्टिंग पालिसी, 2022** के क्रियान्वयन हेतु 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था करायी जा रही।
- **अटल बिहारी वाजपेयी पॉवरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना** हेतु 400 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।

खादी एवं ग्रामोद्योग

- **मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना** के अन्तर्गत वर्ष 2025–2026 में ब्याज उपादान मद में समुचित व्यवस्था प्रस्तावित, जिसके अन्तर्गत 800 लाभार्थियों को बैंक ऋण उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे 16,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा।
- **पं0 दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता योजना** हेतु 32 करोड़ रूपये का बजट प्रस्तावित।
- **उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड** के संचालन हेतु 11.50 करोड़ रूपये का बजट प्रस्तावित।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स

- उत्तर प्रदेष इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति–2017 के अन्तर्गत 23,203 करोड़ रूपये तथा उत्तर प्रदेष सूचना प्रौद्योगिकी नीति–2017 के अन्तर्गत 7,004 करोड़ रूपये का निवेष।
- प्रदेष सरकार की डाटा सेन्टर नीति के अन्तर्गत पूर्व लक्षित 03 डाटा सेन्टर पार्क्स के स्थान पर संषोधित नीति के अन्तर्गत प्रदेष में 30,000 करोड़ रूपये के अनुमानित निवेष से 08 डाटा सेन्टर पार्क्स की स्थापना तथा 900 मेगावॉट क्षमता का लक्ष्य।
- उ0प्र0 सेमीकण्डक्टर नीति, 2024 प्रख्यापित। सेमीकण्डक्टर इकाईयों के लिये डेडीकेटेड प्रावधान आरम्भ करने वाला उत्तर प्रदेष चौथा राज्य।
- राज्य में 8 स्टेट ऑफ आर्ट सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स के केन्द्रों की स्थापना के अन्तर्गत प्रथम सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स का केन्द्र मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में संजय गाँधी पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेज में तथा आई.आई.टी. कानपुर नोएडा परिसर में आर्टिफिषियल इन्टेलिजन्स के क्षेत्र में एवं आई.आई.टी. कानपुर परिसर में ड्रोन सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स स्थापित होकर क्रियाषील।

सड़क एवं सेतु

- प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर तक का प्रदेश सरकार के लक्ष्य के दृष्टिगत प्रदेश में नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के विकास हेतु मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण/निर्माण की योजना प्रारम्भ, जिसके लिये 200 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- प्रदेश में सेतुओं एवं रेल उपरिगामी/अधोगामी सेतुओं के निर्माण हेतु कुल 1450 करोड़ रूपये का बजट प्रस्तावित।
- राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण कार्यों हेतु 2900 करोड़ रुपये प्रस्तावित।
- **राज्य सड़क निधि** से सड़कों के अनुरक्षण हेतु 3000 करोड़ रुपये तथा निर्माण हेतु 2800 करोड़ रुपये प्रस्तावित।
- प्रदेश के ग्रामीण मार्गों एवं पुलियों के अनुरक्षण हेतु 2700 करोड़ रुपये का प्रस्ताव।
- कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सेतुओं के निर्माण के लिये 1600 करोड़ रुपये प्रस्तावित।
- शहरवासियों के आवागमन को सुगम बनाने के दृष्टिगत शहरों के बाईपास एवं रिंगरोड तथा चौराहों पर फ्लाईओवर आदि के निर्माण हेतु 1200 करोड़ रुपये प्रस्तावित।
- औद्योगिक/लॉजिस्टिक पार्क हेतु मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण/निर्माण कार्य हेतु 800 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- **मुख्यमंत्री ग्राम योजनान्तर्गत** ग्रामीण मार्गों के नवनिर्माण/पुनर्निर्माण/ मिसिंग लिंक के निर्माण हेतु नई योजना प्रारम्भ। इस योजना हेतु 200 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों के सुधार, रोड सेफ्टी कार्यों एवं सौन्दर्यीकरण हेतु 250 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग

- मध्य गंगा नहर परियोजन स्टेज–2, कनहर सिंचाई परियोजना, महाराजगंज में रोहिन नदी बैराज के पूर्ण होने पर 4.74 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचन क्षमता सृजित होगी, जिससे 6.77 लाख कृषक लाभान्वित होंगे।
- विभिन्न जनपदों में 6,600 राजकीय नलकूपों के आधुनिकीकरण, 2100 नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण तथा डार्क जोन में स्थित 569 असफल राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण का कार्य प्रगति पर। इससे लगभग 2.38 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता की पुनर्स्थापना होगी तथा लगभग 2.12 लाख कृषक परिवार लाभान्वित होंगे।
- नहरों एवं सरकारी नलकूपों से किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा हेतु 1300 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।
- प्रदेश के 1750 असफल नलकूपों के पुनर्निर्माण हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- डार्क जोन के असफल 569 नलकूपों के लिये लगभग 9 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- प्रदेश सरकार द्वारा 1551 बाढ़ परियोजनायें पूर्ण, जिससे 32.87 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सुरक्षित।

नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति

- प्रदेष में जल जीवन मिषन के अन्तर्गत प्रदेष के समस्त 2.67 करोड़ ग्रामीण परिवारों के लक्ष्य के सापेक्ष 2.34 करोड़ घरों में क्रियाषील गृह नल संयोजन उपलब्ध कराया गया।
- गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाये रखने एवं उसमें दूषित जल का उत्प्रवाह रोकने के लिये सीवरेज संबंधी कुल 67 परियोजनाएं स्वीकृत की गई, जिनकी कुल स्वीकृत लागत 14,823 करोड़ रूपये है। वर्तमान तक 39 परियोजनाएं पूर्ण कर संचालित तथा शेष परियोजनाएं निर्माणाधीन।
- जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाओं के लिये सामुदायिक अंशदान हेतु 4500 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिये 1100 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।

ऊर्जा

- वर्ष 2024–2025 में माह दिसम्बर तक औसत आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्र में 20 घण्टे 35 मिनट, तहसील मुख्यालय में 22 घण्टे 36 मिनट तथा जनपद मुख्यालय में 24 घण्टे रही। प्रदेश में 01 अप्रैल, 2022 से 31 दिसम्बर, 2024 तक कुल 1,87,873 निजी नलकूप कनेक्षन दिये गये।
- कृषि फीडरों के पृथक्कीकरण की योजना के अन्तर्गत 4,680 फीडर्स के लक्ष्य के सापेक्ष 3,817 कृषि फीडर्स का निर्माण।
- उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा वर्ष 2024–2025 में दिसम्बर माह तक 7140 मेगावॉट ताप विद्युत उत्पादन क्षमता व संयुक्त उपक्रम में चलित 1980 मेगावॉट ताप विद्युत उत्पादन क्षमता एवं 37,056 मिलियन यूनिट ताप विद्युत उत्पादन हुआ।
- गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने हेतु पम्प स्टोरेज जल विद्युत परियोजना की

स्थापना 3953 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित। यह परियोजना चार वर्षों में पूर्ण होगी। परियोजना हेतु 50 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।

- कोल इण्डिया लिमिटेड के साथ उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा संयुक्त उपक्रम के रूप में जनपद जालौन में 500 मेगावॉट की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना प्रस्तावित। परियोजना की लागत 2500 करोड़ रुपये अनुमानित। परियोजना हेतु 150 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- एन.टी.पी.सी. ग्रीन एनर्जी लिमिटेड तथा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा संयुक्त उपक्रम के माध्यम से तहसील गरौठा जनपद झाँसी में 200 मेगावॉट सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना प्रस्तावित, जिसकी अनुमानित लागत 500 करोड़ रुपये है। परियोजना हेतु 80 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत

- प्रदेष में सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये प्रख्यापित उत्तर प्रदेष सौर ऊर्जा नीति–2022 के अन्तर्गत आगामी 05 वर्षों में 22,000 मेगावॉट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य।
- अयोध्या शहर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रदेष के 16 नगर निगमों एवं नोएडा शहर को भी सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है।
- उत्तर प्रदेष राज्य जैव ऊर्जा नीति–2022 के अन्तर्गत कम्प्रेस्ड बायो–गैस, बायो–कोल, बायो–डीजल/बायो–एथेनॉल से सम्बन्धित 53 परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तथा 24 परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं।
- सौर ऊर्जा नीति–2022 के अन्तर्गत रोजगार सृजन एवं कौषल विकास हेतु वर्ष 2025–2026 में 3000 सूर्यमित्रों को कौषल विकास हेतु प्रषिक्षण दिया जायेगा।

आवास एवं शहरी नियोजन

- प्रधानमंत्री आवास योजना (षहरी) के अन्तर्गत लगभग 17 लाख आवास पूर्ण कर लाभार्थियों को आवंटित किये जा चुके हैं।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रीजनल रैपिड ट्रॉंजिट सिस्टम का दिल्ली–गाजियाबाद– मेरठ कॉरिडॉर संचालित है। सम्पूर्ण कॉरिडॉर का निर्माण कार्य जून, 2025 तक पूरा किये जाने का अनुमान है।
- आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों में टाउन शिप विकसित किये जाने हेतु मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना लागू है।
- प्रदेष की राजधानी लखनऊ के आस–पास के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुये स्टेट कैपिटल रीजन गठित किये जाने तथा अन्य रीजन्स के रीजनल प्लान तैयार किये जाने हेतु उत्तर प्रदेष स्टेट कैपिटल रीजन एवं अन्य रीजन विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2024 प्रख्यापित। स्टेट कैपिटल रीजन में 06 जिले क्रमषः लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली तथा उन्नाव सम्मिलित हैं।

नगर विकास

- अमृत योजना 2.0 के अन्तर्गत अब तक लगभग 39 लाख पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराये गये।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 हेतु 3150 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित। प्रधानमंत्री अवास योजना (शहरी) 2.0 हेतु लगभग 1732 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- वर्ष 2021 में प्रारम्भ की गयी अमृत 2.0 योजना हेतु 4100 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट स्कीम (अर्बन) के अन्तर्गत 800 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- प्रदेश के शहरों को बाढ़ की समस्या एवं जलभराव से मुक्ति हेतु अर्बन फ्लड एवं स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजना प्रारम्भ, जिसके लिये 1000 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित मलिन बस्ती विकास योजना हेतु 400 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- नगरीय सेवायें और अवस्थापना विकास की नई योजना हेतु 50 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- राज्य स्मार्ट सिटी योजना हेतु 400 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना हेतु 450 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।

नागरिक उड्डयन

- वर्ष 2017 के पूर्व प्रदेश में केवल 4 एयरपोर्ट क्रियाश्शील थे, जबकि वर्तमान में प्रदेश में 16 एयरपोर्ट क्रियाश्शाील हैं। प्रदेश में 04 अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट क्रियाशील हैं। जेवर एयरपोर्ट के शीघ्र ही संचालित होने के साथ प्रदेश में 05 अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो जायेंगे।
- वाराणसी, अलीगढ़ तथा श्रावस्ती एयरपोर्ट का विस्तार, गोरखपुर एयरपोर्ट पर नये टर्मिनल भवन का विकास, आगरा एयरपोर्ट पर नये सिविल एवं तत्संबंधी सुविधाओं का विकास तथा ललितपुर स्थित हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित किये जाने का निर्णय।

नियोजन

- जीरो पॉवर्टी– उत्तर प्रदेश अभियान हेतु 250 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- प्रदेश में विकास कार्यों हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत लगभग 2400 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- क्रिटिकल गैप्स योजना हेतु लगभग 152 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- प्रदेश के पूर्वांचल तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्रों में स्थित जनपदों के अन्तर्क्षेत्रीय विषमताओं एवं पिछड़ेपन को कम करने के उद्देश्य से क्रमशः 575 करोड़ रूपये तथा 425 करोड़ रुपये

का बजट प्रस्तावित।

ग्राम्य विकास

- महात्मा गाँधी नरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–2026 हेतु 34 करोड़ मानव दिवस का सृजन किये जाने का लक्ष्य अनुमानित, जिसके सापेक्ष 5372 करोड़ रूपये का बजट प्रस्तावित।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत 36 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कराया जा चुका है। योजना हेतु लगभग 4882 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु 1200 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़कों के अनुरक्षण कार्य हेतु 1088 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना हेतु 427 करोड़ रुपये का व्यय अनुमान प्रस्तावित। उक्त योजनान्तर्गत युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के उपरान्त नियोजित किया जा सकेगा।

पंचायती राज

- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) हेतु 2045 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना हेतु 454 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- ग्रामीण अन्त्येष्टि स्थलों के विकास हेतु लगभग 244 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपन जिम के निर्माण हेतु 125 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना अन्तर्गत 85 करोड़ रूपये का बजट प्रस्तावित।
- प्रदेश की प्रत्येक विधान सभा के ग्रामीण क्षेत्र में बारात तथा अन्य सामाजिक आयोजनों हेतु उत्सव भवन का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित।

कृषि

- प्रदेश में दलहनी एवं तिलहनी फसलों के क्षेत्राच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के उद्देश्य से निःशुल्क मिनी किट वितरण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा। उक्त दोनों योजनाओं हेतु 50 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- प्रदेश को प्रमाणित बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिये उत्तर प्रदेश बीज स्वावलम्बन नीति, 2024 के अन्तर्गत प्रदेश में सीड पार्क विकास परियोजना संचालित है, जिसके लिये 251 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- नेशनल मिशन आन नेचुरल फार्मिंग योजनान्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में प्राकृतिक खेती का कार्यक्रम संचालित किया जायेगा, जिसके लिय 124 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।

- पीएम. कुसुम योजनान्तर्गत कृषकों के प्रक्षेत्रों पर सोलर पम्पों की स्थापना कराने के लिये 509 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- कृषि क्षेत्र की क्षमता एवं कौशल विकास तथा उत्पादन वृद्धि की योजना के लिये 200 करोड़ रुपये एवं विश्व बैंक सहायतित यू.पी. एग्रीज परियोजना के लिये 200 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।

कृषि शिक्षा एवं अनुसन्धान

- कृषि शिक्षा, शोध एवं प्रसार कार्यों में गतिशीलता बनाये रखने तथा प्रभावी परिणाम कृषकों को उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रदेश में पाँच कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित।
- प्रदेश में 20 नये कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित तथा कुल 89 कृषि विज्ञान केन्द्र संचालित।
- जनपद कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों में शोध कार्यक्रम हेतु 25 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- प्रदेश में स्थापित कृषि विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में विभिन्न कार्यों हेतु लगभग 86 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण

- पर ड्राप मोर क्रॉप—माइक्रो इरीगेशन योजना हेतु 720 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- राष्ट्रीय औद्यानिक/ बागवानी मिशन योजना हेतु 650 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था हेतु 300 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग

- गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु 475 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- पिपराइच चीनी मिल में 60 के.एल.पी.डी. क्षमता की आसवानी की स्थापना हेतु 90 करोड़ रूपये तथा बन्द पड़ी छाता चीनी मिल पर 2000 टी.सी.डी. क्षमता की नई चीनी मिल एवं लॉजिस्टिक हब वेयर हाउसिंग काम्प्लेक्स की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।

दुग्ध विकास

- नन्द बाबा दुग्ध मिशन के अन्तर्गत 203 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजनान्तर्गत लगभग 107 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।

पशुधन

- प्रदेश में लगभग 12,50,000 गो—वंश, कुल 7713 गोआश्रय स्थलों में संरक्षित। मुख्यमंत्री निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना तथा पोषण मिशन अन्तर्गत 1,05,000 पशुपालकों

को 1,63,000 गो–वंश सुपुर्द किये गये। पालतू संरक्षित एवं छुट्टा गो–वंश की पहचान हेतु टैगिंग कराये जाने की योजना पर कार्य किया जायेगा।

- छुट्टा गोवंश के रख–रखाव हेतु 2000 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित। वृहद गो–संरक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिये 140 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- पशु चिकित्सालयों/पशु सेवा केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण हेतु 123 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।

मत्स्य

- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत पुरूष लाभार्थियों के लिये 195 करोड़ रुपये तथा महिला लाभार्थियों के लिये 115 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत एकीकृत एक्वा पार्क मार्केट के निर्माण हेत 190 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।

सहकारिता

- उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक और जिला सहकारी बैंकों को आधुनिक आई.टी.तकनीक से सुसम्पन्न करने हेतु टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, अपग्रेडेशन एवं साइबर सेक्योरिटी के प्रयोजनार्थ 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था से नई योजना लायी जा रही।
- पैक्स के माध्यम से कृषकों को कम ब्याज दर पर फसली ऋण वितरण हेतु ब्याज अनुदान के लिये 525 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- रासायनिक उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण योजनान्तर्गत 170 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।

खाद्य एवं रसद

- प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अन्तर्गत आच्छादित 3.60 करोड़ अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को लगभग 8 लाख मीट्रिक टन राशन का निःशुल्क वितरण प्रतिमाह किया जा रहा।
- वित्तीय वर्ष 2023–2024 में कुल 92.30 लाख मीट्रिक टन निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण। भारत सरकार द्वारा 01 जनवरी, 2024 से 05 वर्ष तक के लिये निःशुल्क खाद्यान्न वितरण कराये जाने के निर्णय के क्रम में प्रदेश में निःशुल्क खाद्यान्न वितरण कराया जा रहा।
- अधिनियम–2013 के अन्तर्गत त्रैमासिक आधार पर अन्त्योदय लाभार्थियों को 01 किलोग्राम प्रति परिवार/प्रतिकार्ड/प्रतिमाह की दर से प्रति त्रैमास लगभग 12,283 मीट्रिक टन चीनी का आवंटन किया जा रहा।
- अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण हेतु 200 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।

बेसिक शिक्षा

- बालिकाओं की षिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देष्य से 680 कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों का उच्चीकरण कक्षा–12 तक करते हुये कमजोर वर्ग की बालिकाओं को कक्षा–12 तक की निःषुल्क आवासीय षिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने की कार्यवाही

प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है।

- प्रदेष में प्री–प्राइमरी से कक्षा–12 तक की समेकित षिक्षा के लिये अत्याधुनिक अवस्थापना सुविधाओं के साथ उत्कृष्ट शैक्षणिक परिवेष उपलब्ध कराने हेतु नवीन 57 मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय स्वीकृत किये गये हैं जिनमें से वर्तमान वित्तीय वर्ष में 22 विद्यालयों के निर्माण की प्रक्रिया गतिमान है, जिसकी निर्माण इकाई लागत 25 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त प्रति विद्यालय 5 करोड़ रुपये की दर से फर्नीचर एवं उपकरण उपलब्ध कराये जायेंगे।
- बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिये 2000 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- पी0एम0–श्री योजनान्तर्गत चयनित विद्यालयों के बच्चों को स्मार्ट शिक्षा से जोड़े जाने हेतु 580 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- समग्र शिक्षा योजनान्तर्गत समस्त प्राथमिक विद्यालयों को राज्य निधि से स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित किये जाने हेतु 300 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- प्राथमिक विद्यालयों के छात्र–छात्राओं को स्कूल बैग हेतु 350 करोड़ रुपये, निःशुल्क यूनीफार्म हेतु 168 करोड़ रुपये तथा परिषदीय विद्यालयों एवं सहायता प्राप्त अशासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों के परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु लगभग 38 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।

माध्यमिक शिक्षा

- समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन हेतु 666 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण, विस्तार, विद्युतीकरण एवं भूमि/भवन क्रय हेतु 479 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के अन्तर्गत पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु 150 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- अत्याधुनिक डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना हेतु 80 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल, लखनऊ के निर्माण कार्य हेतु 25 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- राजकीय संस्कृत पाठशालाओं के निर्माण के लिये 13 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने के लिये 20 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- पूर्वांचल का प्रथम एवं प्रदेष के दूसरे सैनिक स्कूल जनपद गोरखपुर की स्थापना एवं संचालन।
- एन0सी0सी0 प्रषिक्षण अकादमी का जनपद गोरखपुर में निर्माण प्रारम्भ किया जा चुका है, जिसके लिये 20 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।

उच्च शिक्षा

- प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के संचालन हेतु 600 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- रानी लक्ष्मी बाई स्कूटी योजना के अन्तर्गत कालेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान किये जाने हेतु 400 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- मुख्यमंत्री षिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 100 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- विन्ध्यांचल धाम मण्डल में माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विष्वविद्यालय की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- प्रदेष के राज्य विष्वविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार हेतु 50 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- राजकीय महाविद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण किये जाने हेतु 52 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।

प्राविधिक शिक्षा

- प्रदेश में डिप्लोमा स्तरीय 184 संस्थाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा। 36 राजकीय पालीटेक्निक निर्माणाधीन हैं।
- राजकीय पालीटेक्निक कॉलेजों में 251 स्मार्ट क्लास रूम की स्थापना की जा चुकी है।
- राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेजों में नवीन टेक्नोलॉजी से सुसज्जित उन्नयन /सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेजों में स्मार्ट क्लास रूम, प्रयोगशालाओं के नवीनीकरण हेतु 10 करोड़ रुपये एवं प्रदेश में आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स शिक्षा हेतु सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना के लिये 1 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।

व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास

- वर्तमान में प्रदेष में 286 राजकीय औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थान संचालित हो रहे, जिनमें विभिन्न व्यवसायों की 1,90,064 सीटें युवाओं के प्रषिक्षण हेतु उपलब्ध।
- प्रदेष के विभिन्न राजकीय औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थानों में से 47 महिलाओं के प्रषिक्षण हेतु महिला शाखा संचालित कराई जा रही। प्रदेष में महिलाओं हेतु 12 औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थान स्वतंत्र रूप से संचालित हो रहे।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

- प्रदेश में विज्ञान पार्को, साइंस सिटी तथा नक्षत्रशालाओं की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- आगरा में साइंस सिटी की स्थापना हेतु 25 .करोड़ रुपये एवं वाराणसी में साइंस सिटी तथा नक्षत्रशाला की स्थापना हेतु 5 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।

खेल एवं युवा कल्याण

- प्रदेश स्तर पर एक खेल विश्वविद्यालय का निर्माण जनपद मेरठ में किया जा रहा, जिसके

लिये कुल 223 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।

- जनपद वाराणसी में पी0पी0पी0 मॉडल पर अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण तथा खेलो इण्डिया के अन्तर्गत वाराणसी के सिगरा स्टेडियम का व्यापक विकास कराया जा रहा।
- प्रदेश में पहली बार भारत सरकार के सहयोग से ''एक जनपद एक खेल'' योजनान्तर्गत 72 जनपदों में खेलो इण्डिया सेन्टर संचालित। वित्तीय वर्ष 2025–2026 में शेष 03 जनपदों में प्रशिक्षण के चयन आदि की कार्यवाही प्रस्तावित।

धर्मार्थ कार्य

- श्री बांके बिहारी जी महाराज मन्दिर मथुरा–वृन्दावन कॉरिडोर निर्माण हेतु भूमि क्रय के लिये 100 करोड़ रुपये तथा निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- जनपद मिर्जापुर के त्रिकोणीय क्षेत्र में माँ विन्ध्यवासिनी मन्दिर, माँ अष्टभुजा मन्दिर, माँ काली खोह मन्दिर के परिक्रमा पथ एवं जनसुविधा स्थलों के विकास हेतु भूमि क्रय के लिये 100 करोड़ रुपये तथा वृहद निर्माण हेतु 100 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- जनोपयोगी संरक्षित मन्दिरों के जीर्णोद्धार एवं पुनर्निर्माण हेतु 30 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान।
- जनपद सीतापुर के नैमिषारण्य में वेद विज्ञान केन्द्र की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।

पर्यटन

- वर्ष 2024 में जनवरी से दिसम्बर तक उत्तर प्रदेश में कुल 65 करोड़ से अधिक पर्यटक आये, जिनमें विदेशी पर्यटकों की संख्या 14 लाख है।
- मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास योजना के लिये 400 करोड़ रुपये, जिसमें अयोध्या क्षेत्र में पर्यटन अवस्थपना सुविधाओं के विकास के लिये 150 करोड़ रुपये, मथुरा के लिये 125 करोड़ रुपये तथा नैमिषारण्य के विकास हेतु 100 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- प्रदेश के प्रमुख राज्य/राष्ट्रीय राजमार्ग पर पर्यटकों की सुविधा हेतु वे–साईड एमेनिटीज के निर्माण हेतु 100 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- चित्रकूट क्षेत्र में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 50 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।

वन एवं पर्यावरण

- वर्ष 2021–2022 से वर्ष 2024–2025 तक प्रदेश में कुल 138.98 करोड़ पौधरोपण किया गया। वर्षाकाल–2025 में वृक्षारोपण हेतु 35 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य प्रस्तावित।
- जनपद गोरखपुर में उत्तर प्रदेश वानिकी एवं औद्यानिक विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने की नई योजना प्रस्तावित की गई, जिसके लिये लगभग 50 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।

महिला एवं बाल विकास

- निराश्रित महिला पेंशन योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों को देय पेंशन के भुगतान हेतु

2980 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।

- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजनान्तर्गत 700 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर नगर, झाँसी एवं आगरा में मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावासों के निर्माण की नई योजना प्रस्तावित, जिसके लिये 170 करोड़ रुपये का बजट व्यवस्था।
- कोविड के दौरान जिन बच्चों ने अपने माता–पिता को खोया, उनकी देखभाल और वित्तीय सहायता के लिये उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना हेतु 252 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले पोषाहार के लिये लगभग 4119 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- आगंनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय के भुगतान हेतु 971 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना हेतु 100 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।

समाज कल्याण

- वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजनान्तर्गत प्रति लाभार्थी 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही। इस हेतु लगभग 8105 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- सभी वर्गों की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान के लिये मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु 550 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- अनुसूचित जाति के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना हेतु 100 करोड़ रूपये तथा सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी योजना हेतु 50 करोड रुपये का बजट प्रस्तावित।
- वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिये आवासीय गृह संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता प्रदान किये जाने हेतु 60 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- अनुसूचित जाति पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु लगभग 968 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- सामान्य वर्ग पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत 900 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।

जनजाति विकास

- अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु लगभग 6 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।

पिछड़ा वर्ग कल्याण

- पिछड़ा वर्ग पूर्वदषम एवं दषमोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु 2825 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- पिछड़ा वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना हेतु 200 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।

- पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक एवं युवतियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिलाये जाने हेतु 35 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण

- दिव्यांग भरण–पोषण अनुदान योजनान्तर्गत 1424 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम श्रवण सहायक यंत्र आदि खरीदने के लिये आर्थिक सहायता की योजना हेतु 35 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- असहाय दिव्यांग व्यक्तियों को बीमारी के इलाज हेतु अनुदान योजना के लिये 10 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।

अल्पसंख्यक कल्याण

- अल्पसंख्यक समुदाय के विकास एवं उत्थान हेतु वित्तीय वर्ष 2025–2026 में 1998 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं को पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत 365 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।

न्याय

- उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ पीठ के लिये नये भवनों के निर्माण के लिये 150 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- प्रदेश के विभिन्न जनपदों में न्यायालयों की स्थापना हेतु 120 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- अधीनस्थ न्यायालयों की सुरक्षा हेतु सी.सी.टी.वी. एवं अन्य सुरक्षा उपकरणों के लिये 100 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तिगण तथा न्यायिक अधिकारियों के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु लगभग 352 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति को अनुदान हेतु 20 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- युवा अधिवक्ताओं के लिये कॉर्पस फण्ड हेतु 5 करोड़ रूपये तथा उनके लिये किताब एवं पत्रिका हेतु 10 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- अधिवक्ता चैम्बर के निर्माण एवं उनमें अन्य अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 20 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।

राजस्व

- कृषकों को दुर्घटनावष मृत्यु/दिव्यांगता की स्थिति में आर्थिक सहायता की मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना हेतु 1050 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- प्रदेश के राजस्व कार्मिकों को ऑनलाइन कार्यों हेतु लैपटाप/स्मार्ट फोन आदि उपलब्ध कराये जाने के लिये 24 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- प्रदेश में 08 मण्डलीय लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालयों/छात्रावासों का निर्माण कराया जाना

प्रस्तावित है।

परिवहन

- उत्तर प्रदेष राज्य सड़क परिवहन निगम के बस स्टेषनों, डिपो कार्यषाला आदि का निर्माण तथा बस बेड़ों में वृद्धि सम्बन्धी कार्यो हेतु 400 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
- मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो योजना हेतु मध्यम श्रेणी की इलेक्ट्रिक बसों के क्रय हेतु 100 करोड़ रुपये तथा चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।

राजकोषीय सेवायें

राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्द्धित कर

- राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 01 लाख 30 हजार 425 करोड़ रुपये (1,30,425 करोड़ रुपये) निर्धारित किया गया है।

आबकारी शुल्क

- आबकारी शुल्क से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 63 हजार करोड़ रुपये (63,000 करोड़ रुपये) निर्धारित किया गया है।

स्टाम्प एवं पंजीकरण

- स्टाम्प एवं पंजीकरण से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 38 हजार 150 करोड़ रुपये (38,150 करोड़ रुपये) निर्धारित किया गया है।

वाहन कर

- वाहन कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 14 हजार करोड़ रुपये (14,000 करोड़ रुपये) निर्धारित किया गया है।

वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान 2025–2026

- प्रस्तुत बजट का आकार 08 लाख 08 हजार 736 करोड 06 लाख रुपये (8,08,736.06 करोड़ रुपये) है।
- बजट में 28 हजार 478 करोड 34 लाख रुपये (28,478.34 करोड़ रुपये) की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं।

प्राप्तियाँ

- कुल प्राप्तियाँ 07 लाख 79 हजार 242 करोड़ 65 लाख रुपये (7,79,242.65 करोड़ रुपये) अनुमानित है।
- कुल प्राप्तियों में 06 लाख 62 हजार 690 करोड़ 93 लाख रुपये (6,62,690.93 करोड़ रुपये) की राजस्व प्राप्तियाँ तथा 01 लाख 16 हजार 551 करोड़ 72 लाख रुपये (1,16,551.72 करोड़ रुपये) की पूँजीगत प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं।
- राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंष 05 लाख 50 हजार 172 करोड़ 21 लाख रुपये (5,50,172.21 करोड़ रुपये) है। इसमें स्वयं का कर राजस्व 02 लाख 95 हजार करोड़ रुपये (2,95,000 करोड़ रुपये) तथा केन्द्रीय करों में राज्य का अंष 02 लाख 55 हजार 172 करोड़ 21 लाख रुपये (2,55,172.21 करोड़ रुपये) सम्मिलित है ।

व्यय

- कुल व्यय 08 लाख 08 हजार 736 करोड़ 06 लाख रुपये (8,08,736.06 करोड़ रुपये) अनुमानित है।
- कुल व्यय में 05 लाख 83 हजार 174 करोड़ 57 लाख रुपये (5,83,174.57 करोड़ रुपये) राजस्व लेखे का व्यय है तथा 02 लाख 25 हजार 561 करोड़ 49 लाख रुपये (2,25,561.49 करोड़ रुपये) पूँजी लेखे का व्यय है।

समेकित निधि

- समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पष्चात् 29 हजार 493 करोड़ 41 लाख रुपये (29,493.41 करोड़ रुपये) का घाटा अनुमानित है ।

लोक लेखा

- लोक लेखे से 09 हजार 500 करोड़ रुपये (9,500 करोड़ रुपये) की शुद्ध प्राप्तियाँ अनुमानित हैं ।

समस्त लेन–देन का शुद्ध परिणाम

- समस्त लेन–देन का शुद्ध परिणाम 19 हजार 993 करोड 41 लाख रुपये (19,993.41 करोड़ रुपये) ऋणात्मक अनुमानित है।

अन्तिम शेष

- प्रारम्भिक शेष 20 हजार 240 करोड़ 81 लाख रुपये (20,240.81 करोड़ रुपये) को हिसाब में लेते हुये अन्तिम शेष 247 करोड़ 40 लाख रुपये (247.40 करोड़ रुपये) अनुमानित है।

राजस्व बचत

- राजस्व बचत 79 हजार 516 करोड़ 36 लाख रुपये (79,516.36 करोड़ रुपये) अनुमानित है।

राजकोषीय घाटा

- राजकोषीय घाटा 91 हजार 399 करोड़ 80 लाख रुपये (91,399.80 करोड़ रुपये) अनुमानित है, जो वर्ष के लिये अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.97 प्रतिषत है।

●

उत्तर प्रदेश : एक नजर में

भौगोलिक विशेषताएँ

क्षेत्रफल	- **2,40,928** वर्ग किमी.
प्रमुख नदियाँ	- गंगा, यमुना, रामगंगा, राप्ती (अचिरावती), गोमती, घाघरा (सरयू), बेतवा और केन
राजधानी	- लखनऊ
सीमावर्ती प्रदेश/देश	- उत्तराखण्ड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखण्ड, बिहार और नेपाल

मौसम

ग्रीष्म	वर्षा	शीत
मार्च से जून तक	मध्य जून से सितम्बर तक	अक्टूबर से फरवरी तक

प्रमुख फसलें- धान, गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, उर्द, मूँग, अरहर, चना, गन्ना आदि।

प्रमुख फल- आम, अमरूद।

प्रमुख खनिज- चूना, पत्थर, डोलोमाइट, सिलिका सैन्ड, पाइरोफिलाइट, डायस्पोर, बाक्साइट तथा राक फास्फेट

प्रमुख उद्योग- सीमेन्ट, वनस्पति तेल, सूती कपड़ा, सूती धागा, चूड़ी व काँच उद्योग, चीनी, जूट एवं कालीन।

प्रमुख हस्तशिल्प- चिकन का काम, जरी का काम, लकड़ी के खिलौने व फर्नीचर, मिट्टी के खिलौने, कालीन, सिल्क तथा पीतल का काम।

प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल- पिपरहवा, कौशाम्बी, श्रावस्ती, सारनाथ (वाराणसी), कुशीनगर, चित्रकूट, लखनऊ, आगरा, झाँसी, मेरठ आदि।

प्रमुख धार्मिक तीर्थस्थल- काशी, प्रयाग, अयोध्या, मथुरा, नैमिषारण्य, शक्तिपीठ विन्ध्यवासिनी देवी मंदिर, देवीपाटन, देवाशरीफ, हस्तिनापुर, चित्रकूट, शाहजहाँपुर- "हनुमतधाम" आदि।

प्रमुख लोकगीत- बिरहा, चैती, कजरी, फाग, रसिया, आल्हा, पूरन भगत, भर्तृहरि।

प्रमुख लोकनृत्य- चरकुला, करमा, पंडव, पाईडण्डा, थारू, धोबिया, राई और शैरा आदि।

जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)

सकल जनसंख्या	-	**19,98,12,341**
जनसंख्या का घनत्व	-	**829** प्रति वर्ग किमी.
महिलाएँ	-	**9,53,31,831**
पुरुष	-	**10,44,80,510**
स्त्री-पुरुष अनुपात	-	**912:1000**
ग्रामीण	-	**15.53** करोड़
नगरीय	-	**4.45** करोड़
दशकीय वृद्धि (2001-11)	-	**20.23** प्रतिशत

*प्रशासनिक इकाइयाँ

मण्डल	(2024-25)	**18**
जनपद	-	**75**
तहसील	-	**351**
नगर एवं नगर समूह (2011)	-	**915**
सामुदायिक विकास खण्ड	-	**826**
ग्राम पंचायत (2024-25)	-	**57,694**
आबाद ग्राम (2011 की जनगणना के अनुसार)		**97,814**
कुल ग्राम		**1,06,774**
नगर पंचायत	(2022-23)	**545**
नगर निगम	(2022-23)	**17**
नगर पालिका परिषद	(2022-23)	**200**

साक्षरता (2011)

सकल	**67.7%**
पुरुष	**77.3%**
स्त्री	**57.2%**
ग्रामीण	**65.5%**
नगरीय	**75.1%**

कर्मकर कुल कर्मकारों में प्रतिशत (2011)

कृषक	**29.0%**
कृषि श्रमिक	**30.3%**
पारिवारिक उद्योग धन्धों में लगे कर्मकर	**5.9%**
अन्य कार्यों में लगे कर्मकर	**34.8%**

राज्य आय (2024-25 त्वरित अनुमान)

कुल सकल आय [प्रचलित भावों पर] **3024621** करोड़ रुपये।

प्रति व्यक्ति आय [प्रचलित भावों पर] **109844** रुपये।

औद्योगिक स्रोतानुसार राज्य आय का प्रतिशत अंश [प्रचलित अंश भावों पर]

प्राथमिक खण्ड 2024-25 (त्वरित अनुमान)	**25.8%**
माध्यमिक खण्ड 2024-25 (त्वरित अनुमान)	**27.2%**
तृतीयक खण्ड 2024-25 (त्वरित अनुमान)	**47.0%**

वानिकी

वनों के प्रकार : तराई के नम क्षेत्र वाले वन, विन्ध्य के शुष्क जलवायु के वन, बीहड़ व भाभर वन सामाजिक तथा पंचायती वन

वन्य जीव विहार (2019)	**26**
राष्ट्रीय उद्यान (2019)	**1**
प्राणि उद्यान (2019)	**4**
कुल वृक्षावरण एवं वनावरण	**22148** वर्ग किमी

प्रमुख वन्य जीव : बाघ, जंगली हाथी, गैंडा, बारहसिंगा, हिरन, सुइस (डाल्फिन), घड़ियाल, अजगर एवं **650** प्रजातियों के पक्षी।

कृषि

शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल (2024-25) 16,684 हजार हेक्टेयर
सकल बोया गया क्षेत्रफल (2024-25) 32,311 हजार हेक्टेयर

उत्पादन (हजार मी0 टन)

*अनन्तिम	(2024-25)	(2023-24)	(2022-23)
खाद्यान्न	73739	66840	62523
दालें	3081	3413	2979
तिलहन	3631	2301	2157
गन्ना	245635	249544	239436
आलू	24591	24361	24294

सिंचाई

शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल (2024-25)	149.61 लाख हेक्टेयर
सकल सिंचित क्षेत्रफल (2024-25)	276.09 लाख हेक्टेयर
कुल सृजित सिंचन क्षमता (2024-25)	384.56 लाख हेक्टेयर
सिंचन क्षमता कुल उपयोग (2024-25)	320.78 लाख हेक्टेयर
विभिन्न साधनों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण	
(क) नहर (2024-25)	12.0%
(ख) नलकूप (2024-25)	77.1%
(ग) तालाब, झील, पोखर आदि (2024-25)	0.2%
(घ) अन्य (2024-25)	10.7%

परिवहन एवं संचार

लोक निर्माण विभाग द्वारा संघृत पक्की सड़कें (2024-25)	284 हजार किमी.
कुल पंजीकृत मोटर गाड़ियाँ (2024-25)	49276 हजार
# राजकीय बसें (2023-24)	12015
कार्यरत टेलीफोन (2024-25)	81 हजार
डाकघर (2024-25)	17957
दूरदर्शन केन्द्र	3
आकाशवाणी केन्द्र	13

#अनुबन्धित बसें भी सम्मिलित हैं

शिक्षा (2024-25)

प्राथमिक विद्यालय (नर्सरी स्कूल सम्मिलित)	135658
उच्च प्राथमिक विद्यालय	90243
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	28786
महाविद्यालय	7752
विश्वविद्यालय	72
पालीटेक्निक	184
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	331
राजकीय इंजीनियरिंग कालेज	15
निजी क्षेत्र के इंजीनियरिंग कालेज	198
मेडिकल कालेज (राजकीय)	44
कृषि विश्वविद्यालय	4

R-Revised

सहकारिता (2024-25)

प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियाँ	7602
जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक	50
उ.प्र. राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम विकास बैंक (शाखाएँ)	323

संयुक्त स्कन्ध कम्पनियाँ तथा बैंकिंग

संयुक्त स्कन्ध कम्पनी	(2023-24)	(31.03.2025)
(क) कार्यरत कम्पनी कुल	135874	153868
(ख) अनुसूचित व्यावसायिक बैंक शाखाएँ (कार्यशील कार्यालय)	-	20016

उद्योग (2023-24)

31 मार्च को उद्योग निदेशालय में निबन्धित औद्योगिक इकाइयों की संख्या	1031834
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (2021-22) (2011-12=100)	125.73%
इच्छा पत्र की संख्या (2023-24) जारी किये गये	8237

विद्युत (2024-25)

अधिष्ठापित क्षमता	8255 मेगावाट
उत्पादन	3566 करोड़ कि.वा./घंटा
प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग	532 कि.वा./घंटा
विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या (2021-22)	97,814
राजस्व वसूली दक्षता	90 प्रतिशत

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

# जन्मदर (प्रति हजार जनसंख्या पर) (2020)	25.1 प्रति हजार
मृत्यु दर (प्रति हजार जनसंख्या पर) (2020)	6.5 प्रति हजार
एलोपैथिक चिकित्सालय एवं औषधालय (2024-25)	4968
आयुर्वेदिक औषधालय	2111
यूनानी चिकित्सालय एवं औषधालय (2024-25)	256
होम्योपैथिक चिकित्सालय एवं औषधालय (2024-25)	1585

परिवार कल्याण (2021-22)

अनुर्वरीकरण (हजार) पुरूष	2.92
(हजार) महिला	298.80
लूप निवेशन (हजार)	1453.78

जनप्रतिनिधि

उत्तर प्रदेश से लोक सभा सदस्य	80
उत्तर प्रदेश से राज्य सभा सदस्य	31
उत्तर प्रदेश के विधान सभा सदस्य	403
उत्तर प्रदेश के विधान परिषद सदस्य	100

स्रोत : साँख्यिकीय डायरी 2025, नियोजन विभाग (उ.प्र.)
*अनन्तिम

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और मुख्यालय

(2011 की जनगणना के अनुसार)

क्र.सं.	जिला	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)	जनसंख्या	मुख्यालय
1.	आगरा	4,041	44,18,797	आगरा
2.	अलीगढ़	3,650	36,73,889	अलीगढ़
3.	प्रयागराज	5,482	59,54,391	प्रयागराज
4.	आजमगढ़	4,054	46,13,913	आजमगढ़
5.	बहराइच	5,237	34,87,731	बहराइच
6.	बलिया	2,981	32,39,774	बलिया
7.	बांदा	4,408	17,99,410	बांदा
8.	बाराबंकी	4,402	32,60,699	बाराबंकी
9.	बरेली	4,120	44,48,359	बरेली
10.	बस्ती	2,688	24,64,464	बस्ती
11.	बिजनौर	4,561	36,82,713	बिजनौर
12.	बदायूँ	4,234	31,27,621	बदायूँ
13.	बुलंदशहर	4,512	34,99,171	बुलंदशहर
14.	देवरिया	2,540	31,00,946	देवरिया
15.	एटा	2,431	17,74,480	एटा
16.	इटावा	2,311	15,81,810	इटावा
17.	अयोध्या	2,341	24,70,996	अयोध्या
18.	अम्बेडकरनगर	2,350	23,97,888	अकबरपुर
19.	फतेहपुर	4,152	26,32,733	फतेहपुर
20.	फर्रुखाबाद	2,181	18,85,204	फतेहगढ़
21.	गाजियाबाद	910	33,43,334	गाजियाबाद
22.	गौतमबुद्ध नगर	1,282	16,48,115	नोएडा
23.	गाजीपुर	3,377	36,20,268	गाजीपुर
24.	गोंडा	4,003	34,33,919	गोंडा
25.	गोरखपुर	3,321	44,40,895	गोरखपुर
26.	हमीरपुर	4,021	11,04,285	हमीरपुर
27.	हरदोई	5,986	40,92,845	हरदोई
28.	जालौन	4,565	16,89,974	उरई
29.	जौनपुर	4,038	44,94,204	जौनपुर
30.	झांसी	5,024	19,98,603	झांसी
31.	कानपुर देहात	3,021	17,96,184	अकबरपुर माती
32.	कानपुर (नगर)	3,155	45,81,268	कानपुर
33.	लखीमपुर खीरी	7,680	40,21,243	खीरी
34.	ललितपुर	5,039	12,21,592	ललितपुर
35.	लखनऊ	2,528	45,89,838	लखनऊ
36.	मैनपुरी	2,760	18,68,529	मैनपुरी
37.	मथुरा	3,340	25,47,184	मथुरा

38.	मेरठ	2,559	34,43,689	मेरठ
39.	मिर्जापुर	4,405	24,96,970	मिर्जापुर
40.	मुरादाबाद	2,271	31,26,507	मुरादाबाद
41.	मुज़फ्फरनगर	2,796	28,29,865	मुजफ्फरनगर
42.	पीलीभीत	3,686	20,31,007	पीलीभीत
43.	प्रतापगढ़	3,717	32,09,141	प्रतापगढ़
44.	रायबरेली	4,043	29,03,507	रायबरेली
45.	रामपुर	2,367	23,35,819	रामपुर
46.	अमरोहा	2,249	18,40,221	अमरोहा
47.	सहारनपुर	3,689	34,66,382	सहारनपुर
48.	शाहजहांपुर	4,388	30,06,538	शाहजहांपुर
49.	सीतापुर	5,743	44,83,992	सीतापुर
50.	उन्नाव	4,558	31,08,367	उन्नाव
51.	सुल्तानपुर	2,673	24,31,491	सुल्तानपुर
52.	वाराणसी	1,535	36,76,841	वाराणसी
53.	मऊ	1,713	22,05,968	मऊ
54.	सिद्धार्थनगर	2,895	25,59,297	नवगढ़
55.	फिरोजाबाद	2,407	24,98,156	फिरोजाबाद
56.	सोनभद्र	6,905	18,62,559	राबर्ट्सगंज
57.	महाराजगंज	2,952	26,84,703	महाराजगंज
58.	संत रविदास नगर	1,015	15,78,213	भदोही
59.	महोबा	3,144	8,75,958	महोबा
60.	हाथरस	1,840	15,64,708	हाथरस
61.	कौशांबी	1,779	15,99,596	मंझनपुर
62.	कुशीनगर	2,905	35,64,544	पडरौना
63.	चंदौली	2,541	19,52,756	चंदौली
64.	बलरामपुर	3,349	21,48,665	बलरामपुर
65.	श्रावस्ती	1,640	11,17,361	श्रावस्ती
66.	चित्रकूट	3,216	9,91,730	चित्रकूट
67.	बागपत	1,321	13,03,048	बागपत
68.	कन्नौज	2,093	16,56,616	कन्नौज
69.	औरैय्या	2,016	13,79,545	औरैय्या
70.	संत कबीर नगर	1,646	17,15,183	खलीलाबाद
71.	कासगंज	1,955	14,36,719	कांशीराम नगर
72.	अमेठी	2,329	18,67,678	गौरीगंज
73.	शामली	1,212	13,13,647	शामली
74.	हापुड़	660	13,38,311	हापुड़
75.	संभल	2,453	21,99,774	सम्भल
		2,40,928	**19,98,12,341**	

स्रोतः सांख्यिकीय डायरी उ.प्र. 2025

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान के महत्वपूर्ण प्रकाशन

क्र.	पुस्तक का नाम	लेखक	मूल्य
1.	उर्दू हिन्दी शब्दकोश	मु.मु. मद्दाह	353=00
2.	हिन्दू धर्म कोश	डॉ. राजबली पाण्डेय	320=00
3.	भारतीय ज्योतिष	अनु. शिवनाथ झारखण्डी	300=00
4.	भारतीय ज्योतिष का इतिहास	डॉ. गोरख प्रसाद	70=00
5.	महाकवि खुसरो	अनु. अब्दुल सत्तार	100=00
6.	कबीर	डॉ. विश्वनाथ प्रसाद तिवारी	40=00
7.	रहीम	डॉ. भालचन्द्र तिवारी	135=00
8.	गोस्वामी तुलसीदास	डॉ. रामचन्द्र तिवारी	50=00
9.	संत रविदास	वीरेन्द्र पाण्डेय	45=00
10.	गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की लोकप्रिय कहानियाँ	अनु. माधवी बन्धोपाध्याय	115=00
11.	लक्ष्मीकांत वर्मा	डॉ. राजकुमार शर्मा	140=00
12.	विजय सिंह 'पथिक'	राजकुमार भाटी	77=00
13.	रमई काका	डॉ. रामबहादुर सिंह	85=00
14.	सुदामा पाण्डेय 'धूमिल'	डॉ. रमेश प्रताप सिंह	155=00
15.	मीराबाई	डॉ. सुधाकर अदीब	100=00
16.	जगदीश गुप्त	डॉ. हरिशंकर मिश्र	140=00
17.	ट्रामा उपचार बचाव एवं प्रबन्धन	डॉ. विनोद जैन	90=00
18.	नाथपंथ : साधना और साहित्य	प्र.स. डॉ. सदानन्दप्रसाद गप्त	376=00
19.	त्रिलोचन शास्त्री	डॉ. भारतेन्दु मिश्र	105=00
20.	घाघ और भड्डारी की कहावतें	डॉ. रमेश प्रताप सिंह	60=00
21.	हिन्दी में पटकथा लेखन	डॉ. जाकिर अली 'रजनीश'	150=00
22.	दृश्यकला कोश	डॉ. हृदय गुप्त	185=00
23.	भारतीय शैक्षिक विचारक	डॉ. रश्मि श्रीवास्तव	245=00
24.	प्राकृतिक चिकित्सा	डॉ. पी.डी. मिश्र एवं डॉ. बीना मिश्र	180=00
25.	ऑस्टियोपोरोसिस	प्रो. अजय सिंह	65=00
26.	भगवती प्रसाद सिंह : जीवन और साहित्य	डॉ. कृष्णचन्द्र लाल	180=00
27.	खर्राटे हैं खतरनाक	डॉ. सूर्यकान्त/डॉ. अभिषेक दुबे	82=00
28.	प्रेरक लघु कथाएँ	डॉ. ए.के अग्रवाल	165=00
29.	बालगीत साहित्य : इतिहास एवं समीक्षा	निरंकार देव सेवक	245=00
30.	और हमने कर दिखाया	प्रेमेन्द्र श्रीवास्तव	60=00
31.	स्वतंत्र दिल्ली	डॉ. सैयद अतहर अब्बास रिजवी	165=00
32.	मानव शरीर की अस्थियाँ	डॉ. विपिन चतुर्वेदी	310=00
33.	दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद	डॉ. शीतला प्रसाद वर्मा	130=00
34.	निराला समग्र	डॉ. सूर्यप्रसाद दीक्षित	90=00
35.	रामचन्द्र शुक्ल	सम्पा. डॉ. सत्यदेव मिश्र	90=00
36.	राष्ट्रकवि सोहन लाल द्विवेदी	डॉ. राष्ट्रबन्धु	60=00
37.	बाबा नागार्जुन	डॉ. सुरेश चन्द्र गुप्त	72=00
38.	राष्ट्रकवि दिनकर	डॉ. यतीन्द्र तिवारी	65=00
39.	चंदवरदाई	डॉ. सुमन राजे	75=00
40.	पालि त्रिपिटक में राजनय	डॉ. शिवनन्दन मिश्र	120=00
41.	आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी	डॉ. रामेन्द्र पाण्डेय	50=00
42.	महादेवी वर्मा	डॉ. उपेन्द्र	70=00
43.	पाश्चात्य दर्शन	डॉ. ब्रह्मस्वरूप अग्रवाल	100=00
44.	चार्वाक दर्शन	आचार्य अनन्द झा	150=00
45.	भारतीय दर्शन	उमेश मिश्र	190=00
46.	पश्चिमी दर्शन	डॉ. दीवान चन्द्र	75=00
47.	समकालीन भारतीय दर्शन	डॉ. लक्ष्मी सक्सेना	200=00
48.	कांट का दर्शन	डॉ. सभाजीत मिश्र	120=00
49.	नीति विज्ञान के मूल सिद्धान्त	डॉ. लक्ष्मी सक्सेना	96=00
50.	भारतीय दर्शन	डॉ. देवराज	120=00
51.	समकालीन पाश्चात्य दर्शन	डॉ. लक्ष्मी सक्सेना	130=00
52.	अवधी वृहत लोकोक्ति कोश	कमला शुक्ला	300=00

उत्तर प्रदेश–2025

क्र.	पुस्तक का नाम	लेखक	मूल्य
53.	भारतीय इतिहास कोश	सच्चिदानन्द भट्टाचार्य एवं के.वी माथुर तथा डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय	170=00
54.	भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन में हिन्दी कवियों का योगदान	सम्पा. डॉ. मंजुलता तिवारी	196=00
55.	उर्दू भाषा और साहित्य	रघुपति सहाय 'फिराक'	60=00
56.	संस्कृत आलोचना	पं. बलदेव उपाध्याय	200=00
57.	प्रसाद समग्र	डॉ. सूर्यप्रसाद दीक्षित	75=00
58.	समाजकार्य	प्रो. राजाराम शास्त्री	150=00
59.	सामाजिक वैयक्तिक सेवाकार्य	डॉ. पी.डी. मिश्र	150=00
60.	समाजकार्य एक समग्र दृष्टि	डॉ. बालेश्वर पाण्डेय	470=00
61.	भारत का समाजशास्त्र	प्रो. जयकान्त तिवारी	120=00
62.	असामान्य व्यवहार	डॉ. पी.डी. मिश्र	235=00
63.	समाजकार्य के क्षेत्र	गिरीश कुमार	210=00
64.	बाल व्यवहार व्यतिक्रम	डॉ. श्याम बिहारी सिंह	50=00
65.	समाज और राजनीति का दार्शनिक अध्ययन	डॉ. ज्ञान्नजेय द्विवेदी	215=00
66.	भारतीय वास्तुकला का इतिहास	कृष्णदत्त बाजपेई	195=00
67.	उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास	डॉ. विशुद्धानन्द पाठक	200=00
68.	विश्व इतिहास	डॉ. रामप्रसाद त्रिपाठी	75=00
69.	पश्चिमी एशिया	डॉ. के.के. कौल	170=00
70.	देवानांप्रिय प्रियदर्शी राजा अशोक	भगवती प्रसाद पांथरी	120=00
71.	भारत का सांस्कृतिक इतिहास	डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय	80=00
72.	प्राचीन भारत का आर्थिक इतिहास	डॉ. विशुद्धानन्द पाठक	72=00
73.	डॉ. रामकुमार वर्मा रचनावली (आठ खण्डों में)	सम्पा. डॉ. राजलक्ष्मी वर्मा	3000=00
74.	अवधी कोश	सम्पा. डॉ. सरयू प्रसाद अग्रवाल एवं डॉ. भगवती प्रसाद सिंह	370=00
75.	प्राचीन भारतीय अभिलेख	डॉ. दिनेश चन्द्रा	110=00
76.	दक्षिण भारतीय संस्कृति	डॉ. विशुद्धानन्द पाठक	165=00
77.	आधुनिक भारत का इतिहास	डॉ. जगन्नाथ मिश्र	145=00
78.	सिंधु सभ्यता	डॉ. के.के. थपल्याल	200=00
79	विद्यानिवास मिश्र : परम्परा, लोक एवं संस्कृति	डॉ. प्रभाकर मिश्र	140=00
80.	वैदिक वांग्मय का परिशीलन	डॉ. ओम प्रकाश पाण्डेय	515=00
81.	धर्मशास्त्र का इतिहास भाग–1	डॉ. पी.वी. काणे	140.00(60:)
82.	धर्मशास्त्र का इतिहास भाग–2	डॉ. पी.वी. काणे	110.00(60:)
83.	धर्मशास्त्र का इतिहास भाग–3	डॉ. पी.वी. काणे	290.00
84.	धर्मशास्त्र का इतिहास भाग–4	डॉ. पी.वी. काणे	260.00
85.	धर्मशास्त्र का इतिहास भाग–5	डॉ. पी.वी. काणे	230.00
86.	पालि त्रिपिटक में राजनय	डॉ. शिवनन्दन मिश्र	120.00
87.	मानवतावाद और मध्यकालीन हिन्दी भक्ति साहित्य	डॉ. हरिशंकर मिश्र	255.00
88.	उपाध्याय चौधरी बदरीनारायण 'प्रेमघन'	डॉ. राजीव रंजन उपाध्याय	125.00
89.	पं. दशरथ प्रसाद द्विवेदी	डॉ. प्रत्यूष दुबे	152.00
90.	हिन्दू धर्मकोश	डॉ. राजबली पाण्डेय	320.00
91.	साहित्यिक ब्रजभाषा कोश भाग–1	डॉ. विद्यानिवास मिश्र	105.00
92.	साहित्यिक ब्रजभाषा कोश भाग–2	डॉ. विद्यानिवास मिश्र	260.00
93.	साहित्यिक ब्रजभाषा कोश भाग–3	डॉ. विद्यानिवास मिश्र	265.00
94.	दृश्य कला कोश	डॉ. हृदय गुप्त	185.00
95.	सांस्कृतिक विचार की अविराम भारतीय यात्रा	डॉ. ओमप्रकाश पाण्डेय	310.00
96.	बाबू राधाकृष्ण दास (जीवन, समय और साहित्य)	सम्पा. डॉ. प्रतिभा अग्रवाल	580.00
97.	विष्णुकान्त शास्त्री	डॉ. प्रेमशंकर त्रिपाठी	170.00
98.	भोजपुरी के संस्कार गीत	श्रीमती शची मिश्र	580.00
99.	चौक पूरना	डॉ. हृदय गुप्त	145.00
100.	कम्प्यूटर एवं सूचना प्रबन्ध	श्री अनुराग चौबे एवं डॉ. सुधीर शुक्ला	270.00

'साहित्य भारती' (त्रैमासिक पत्रिका) प्रति अंक मूल्य रु. 25=00, वार्षिक सदस्यता शुल्क रु. 100=00, आजीवन सदस्यता शुल्क रु. 3000=00

'बच्चों की प्रिय पत्रिका बालवाणी'(द्वैमासिक पत्रिका) प्रति अंक मूल्य रु. 15=00 वार्षिक सदस्यता शुल्क रु. 80=00
आजीवन सदस्यता शुल्क रु. 1,000=00

कृपया संस्थान के अधिक से अधिक प्रकाशन क्रय करके राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रचार–प्रसार में अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान करें।

सम्पर्क सूत्र :– **निदेशक, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, 6–महात्मा गाधी मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ–226001**

दूरभाष नं.–0522–2614470, 2614471 ई–मेल : directoruphindi@yahoo.in वेबसाइट : www.uphindisansthan.in

उत्तर–प्रदेश –संस्कृत–संस्थानम्

(भाषा विभाग उ.प्र. शासन के नियंत्रणाधीन 31 दिसम्बर 1976 को स्थापित)
कक्ष सं. 811, आठवां तल, इंदिरा भवन, लखनऊ–226001
फोन कार्या. –(0522) 4315157, 4024591
वेबसाइटः www.upsanskritsansthanam.org
ई–मेलः upsanskritsansthanam@yahoo.com

उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम् द्वारा संचालित गतिविधियाँ

भारतीय संस्कृति के अध्ययन तथा प्राचीन भाषा तथा साहित्य के संरक्षण की दिशा में नवीन चेतना का अभ्युदय हुआ और फलस्वरूप उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना शासकीय आदेश संख्या 10491 / चार–7(1) / 76 दिनांक 31.12.76 द्वारा संस्कृत, पालि एवं प्राकृत भाषाओं एवं उनके साहित्य के समुचित संरक्षण, प्रोत्साहन एवं विकास के लिए 31 दिसम्बर 1976 को की गयी। संस्थान स्थापनाकाल से ही संस्कृत के प्रचार–प्रसार हेतु अद्यतन अग्रसरित है।

वर्तमान में उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा संस्कृत के उन्नयन हेतु निम्न जनोपयोगी योजनाएँ संचालित की जा रही हैं–

1. सरल संस्कृत संभाषण योजना सीखने हेतु मिस्ड काल न0–9522340003 पर मिस्ड कॉल कर अपना रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है।
2. संस्कृत संभाषण शिविरि।
3. गृहे–गृहे संस्कृतम योजना।
4. संस्कृत छात्रों के लिए सिविल सेवा एवं राज्य प्रशासनिक परीक्षा हेतु मार्ग दर्शन एवं कोचिंग संस्थान संस्कृत साहित्य विषय लेकर सिविल सेवाओं में चयन हेतु 10 माह का सघन प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है, जिसमें संस्कृत साहित्य के साथ सामान्य अध्ययन का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्तमान में आई. ए. एस. में 4, पी.सी.एस. में 19, अन्य सबार्डिनेट सर्विसेज में 16, संस्कृत प्रवक्ता 30 सहित कुल 69 सफल हुए है।
5. संस्कृत के मेधावी छात्रों को प्रोतसाहनवृत्ति।
6. योग शिक्षा पर बल देने हेतु समस्त जनपदों में योग केन्द्र की स्थापना।
7. समस्त मण्डलों में ज्योतिष प्रशिक्षण शिविरों का संचालन।
8. सभी जनपदों में पौरोहित्य प्रशिक्षण शिविरों का संचालन।
9. संस्कृत रंगमंच का प्रायोगिक प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन, जिसके लिए नाटक क्षेत्र के कार्य करने वाली संस्थाओं को रु0 1,20,000 / –(रु0 एक लाख बीस हजार मात्र) प्रदान किया जाता है।
10. ग्रंथ प्रकाशन, पांडुलिपि संरक्षण एवं पुस्तकालय।
11 आद्य शंकराचार्य जयन्ती, बुद्ध जयन्ती, व्यास जयन्ती, कालिदास जयन्ती, वाल्मीकि जयन्ती, धनवन्तरी जयन्ती, गीता जयन्ती, संस्कृत दिवस समारोह का आयोजन, विद्यार्थियों में संस्कृत ज्ञान बढ़ाने के लिए विभिन्न शास्त्रीय प्रतियोगिताएं तथा आधुनिक स्पर्धाएं।
12. विक्रय योजना के अन्तर्गत संस्थान द्वारा प्रकाशित संस्कृत वागम्य का बृहद इतिहास, दुर्लभ ग्रन्थ, साहित्यिक पुस्तकें, संस्कृत पत्रिकाएँ तथा बाल साहित्य की पुस्तकें विक्रय हेतु उपलब्ध है।
13. साहित्य सृजन के क्षेत्र में विद्वानों का सम्मान एवं पुरस्कार

• **विश्वभारती पुरस्कार** (1). रु 5,01,000 (पाँच लाख एक हजार) • **महार्षि वाल्मीकि पुरस्कार** (1). रु 2,01,000 (दो लाख एक हजार)• **महार्षि व्यास पुरस्कार** (1). रु 2,01,000 (दो लाख एक हजार)• **महार्षि नारद पुरस्कार** (1). रु 1,01,000 (एक लाख एक हजार) • **विशिष्ट पुरस्कार** (5).रु 1,01,000 (एक लाख एक हजार) (प्रत्येक) • **वेद पण्डित पुरस्कार** (5). रु 51,000 (इक्यावन हजार)(प्रत्येक) • **नामित पुरस्कार** (5).रु 51,000 (इक्यावन हजार)(प्रत्येक) • **विशेष पुरस्कार** (6). रु 21,000. (इक्कीस हजार)(प्रत्येक) •**विविध पुरस्कार** (20). रु 11,000 (ग्यारह हजार) (प्रत्येक)

اتر پردیش اردو اکادمی کی اسکیمیں

اردو طلبا کو وظائف ☆ اشاعت کتب ☆ صوبے کے رجسٹرڈ عوامی کتب خانوں/دارالمطالعوں کو مالی امداد ☆ اردو ادباء کو مجموعی ادبی خدمات اور اردو کتب پر انعامات ☆ مسودات کی طباعت کے لئے مالی امداد ☆ مصنفین کو ماہانہ مالی امداد ☆ اردو کتابت اسکول ☆ اردو کوچنگ سینٹر ☆ اردو کمپیوٹر سینٹر ☆ اردو کی مطبوعات کی فروخت ☆ سہ ماہی ''اکادمی'' اور ماہنامہ ''خبرنامہ'' اور بچوں کا رسالہ ''باغیچہ'' کی اشاعت ☆ سیمینار سمپوزیم اور مشاعروں کا انعقاد ☆ اردو آئی-اے-ایس اسٹڈی سینٹر کا 'پارہ' موہان روڈ، لکھنؤ اور اکادمی کیمپس میں اردو میڈیا سینٹر کا قیام۔

اتر پردیش اردو اکادمی کی اہم مطبوعات

نمبر شمار	کتاب کا نام	مصنف کا نام	قیمت	نمبر شمار	کتاب کا نام	مصنف کا نام	قیمت
۱-	الہلال (تین جلدوں میں)	ابوالکلام آزاد	4200/=	۲۱-	انتخاب قلی قطب شاہ	سیدہ جعفر	90/=
۲-	ادب اور سماج	سید احتشام حسین	56/=	۲۲-	غزل کا نیا علامتی نظام	انیس اشفاق	122/=
۳-	ابر احسنی گنوری حیات اور ادبی کارنامہ	لیٰسین علی عثمانی	132/=	۲۳-	مکاتیب مہدی افادی	مہدی بیگم	123/=
۴-	اردو تنقید میں نفسیاتی عناصر	محمود الحسن	147/=	۲۴-	دیوان غالب جدید	مفتی محمد انوار الحق	135/=
۵-	افکار و مسائل	سید احتشام حسین	76/=	۲۵-	رامائن فراقی حصہ اول	رائے سدھ ناتھ بلی فراقی	104/=
۶-	پریم چند کے ناولوں میں نسوانی کردار	شمیم نکہت	94/=	۲۶-	رامائن فراقی حصہ دوم	رائے سدھ ناتھ بلی فراقی	48/=
۷-	پریم چند نئے تناظر میں	علی احمد فاطمی	80/=	۲۷-	مراۃ الشعر	عبدالرحمان بجنوری	121/=
۸-	تنقیدی جائزے	سید احتشام حسین	69/=	۲۸-	فرہنگ شفق	لالتا پرساد شفق	283/=
۹-	ذوق ادب اور شعور	سید احتشام حسین	76/=	۲۹-	گنجینۂ تحقیق	سید احمد بیخود بدایونی	137/=
۱۰-	عصمت چغتائی کی ناول نگاری	شبنم رضوی	85/=	۳۰-	تحقیق کا فن	گیان چند جین	122/=
۱۱-	عکس اور آئینے	سید احتشام حسین	67/=	۳۱-	عکس گل	شمیم کرہانی	119/=
۱۲-	مقدمہ شعر و شاعری	مولانا الطاف حسین حالی	47/=	۳۲-	انتخاب مراثی مرزا دبیر	اکبر حیدری کشمیری	217/=
۱۳-	ندا فاضلی نمبر	پروفیسر علی احمد فاطمی	278/=	۳۳-	انتخاب سجاد حیدر یلدرم	ثریا حسین	207/=
۱۴-	انتخاب کلام فضا ابن فیضی	ڈاکٹر رفیق احمد	131/=	۳۴-	انتخاب رشید احمد صدیقی	شہاب الدین ثاقب	85/=
۱۵-	انتخاب خطوط غالب	اتر پردیش اردو اکادمی	28/=	۳۵-	انتخاب مضامین سرسید	عتیق احمد صدیقی	74/=
۱۶-	ہندوستان کی جدوجہد آزادی میں اردو شاعری کا حصہ	ڈاکٹر درخشاں تاجور	603/=	۳۶-	اردو ادب کے ارتقا میں ادبی تحریکوں اور رجحانوں کا حصہ	منظر اعظمی	175/=
۱۷-	حالی کی اولین نثری تصنیف مولود شریف	آفتاب احمد آفاقی	131/=	۳۷-	معصوم وفادار	ایچ-ایم-یسین	35/=
۱۸-	کلیات شاد عارفی	پروفیسر مظفر حنفی	470/=	۳۸-	فیروز اللغات جدید اردو	الحاج مولوی فیروز الدین	725/=
۱۹-	ملک زادہ منظور احمد نمبر	انور جلال پوری	438/=	۳۹-	انتخاب نثر (اول)	اتر پردیش اردو اکادمی	62/=
۲۰-	کلیم عاجز نمبر	مناظر عاشق ہرگانوی	288/=	۴۰-	انتخاب نثر (دوم)	اتر پردیش اردو اکادمی	78/=

اکادمی کی مطبوعات کی خریداری و دیگر تفصیلات کے لئے رابطہ کریں:

سکریٹری، اتر پردیش اردو اکادمی، وبھوتی کھنڈ، گومتی نگر، لکھنؤ-010 226 فون نمبر: 0522-4022924

E-mail:upurduakademi3@gmail.com

हिन्दुस्तानी एकेडेमी उ.प्र., प्रयागराज

संस्थापित –1927

हिन्दुस्तानी एकेडेमी के महत्त्वपूर्ण प्रकाशन

हिन्दुस्तानी एकेडेमी उ.प्र., प्रयागराज

1.	हिन्दुई साहित्य का इतिहास	ले. गार्सा द तासी अनु. – डॉ. लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय	480.00/–
2.	श्री शंकराचार्य	आचार्य बलदेव उपाध्याय	325.00/–
3.	जायसी	विजय देव नारायण साही	120.00/–
4.	नाथ सम्प्रदाय	आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी	200.00/–
5.	घाघ और भड्डरी	सं. राम नरेष त्रिपाठी	220.00/–
6.	ग़ालिब के पत्र (दो भाग)	सं. श्रीराम शर्मा सं. श्री राम निवास शर्मा	प्र.ख. 300.00/– द्वि.खं. 450.00/–
7.	हिन्दी भाषा का इतिहास	डॉ. धीरेन्द्र वर्मा	300.00/–
8.	अवधी का विकास	डॉ. बाबू राम सक्सेना	125.00/–
9.	हिन्दी अलोचना : अतीत और वर्तमान	डॉ. प्रभाकर माचवे	40.00/–
10.	अवधी कोश	श्री रामाज्ञा द्विवेदी समीर	300.00/–
11.	अयोध्या का इतिहास	श्री अवधवासी लाला सीताराम	320.00/–
12.	चिन्मय भारत	कुबेरनाथ राय	180.00/–
13.	प्रयाग प्रदीप	श्री शालिग्राम श्रीवास्तव	330.00/–
14.	अरब और भारत के सम्बन्ध	अनु. रामचन्द्र वर्मा	350.00/–
15.	रामचन्द्र शुक्ल पूर्व हिन्दी आलोचना	मंगला प्रसाद सिंह	320.00/–
16.	पर्यावरण और पारिस्थितिकी	प्र.सं. डॉ. उदय प्रताप सिंह	260.00/–
17.	पर्याय रत्नाकर	श्री कृष्ण देव मिश्र 'कृष्ण'	700.00/–
18.	अवधी लोकगीत : एक अन्तर्यात्रा	कमल नयन पाण्डेय	160.00/–
19.	रक्षा अनुसंधान एवं विकास क्षेत्र में विज्ञान लेखन	डॉ. अर्चना पाण्डेय	260.00/–
20.	भोजपुरी लोक कथा मंजूषा	भगवती प्रसाद द्विवेदी	310.00/–
21.	भोजपुरी लोकोक्ति सागर	डॉ. अर्जुन तिवारी	280.00/–
22.	कबीर साहेब	ले. पं. मनोहर जुत्शी अनु. डॉ. फ़ाजिल अहसन हाशमी	200.00/–
23.	बघेली साहित्य का उद्‌भव एवं विकास	डॉ. राम गरीब पाण्डेय 'विकल'	500.00/–
24.	नारीवादी चिन्तन की भावधारा	सं0 देवेन्द्र प्रताप सिंह	320.00/–
25.	मध्यकालीन हिन्दी सन्त : विचारधारा और साधना	केशनी प्रसाद चौरसिया	600.00/–
26.	गाँधी : चिन्तन एवं दर्शन	सं. देवेन्द्र प्रताप सिंह	430.00/–
27.	साहित्य विमर्श के विविध आयाम	प्रो. रामकिशोर शर्मा	320.00/–
28.	भारतीय लोक विश्वास	डॉ. कृष्णदेव उपाध्याय	480.00/–
29.	प्रयाग गौरव	श्री रविनंदन सिंह	310.00/–
30.	अवधी लोक गीतों में रामकथा	श्री आद्या प्रसाद सिंह 'प्रदीप'	310.00/–
31.	भोजपुरी लोक साहित्य : सांस्कृतिक अध्ययन	डॉ. श्रीधर मिश्र	480.00/–
32.	संत दादू: मूल दस्तावेजों में	अनु0 बृजेन्द्र कुमार सिंहल	280.00/–

हिन्दुस्तानी त्रैमासिक– महत्वपूर्ण विषेषांक – ब्रजभाषा, कुम्भ, लोकनायक श्रीराम विषेषांक (दो खण्डों में), आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जायसी पर केन्द्रित, बाबू गुलाब राय पर केन्द्रित, स्वाधीनता संग्राम (दो खण्डों में), बाबू श्यामसुन्दर दास, रामधारी सिंह 'दिनकर', उत्तर–दक्षिण भाषाई संवाद एवं महाकुम्भ विषेषांक, जयशंकर प्रसाद पर केन्द्रित विषेषांक इत्यादि।

कृपया हिन्दुस्तानी एकेडेमी के अधिक से अधिक प्रकाशन क्रय करके राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रचार–प्रसार में अपना सहयोग प्रदान करें।

Web – https://hindustaniacademyup.org.in/
E-mail – hindustaniacademyup@gmail.com

सम्पर्क सूत्र - **सचिव, हिन्दुसतानी एकेडेमी उ.प्र.**
12-डी, कमला नेहरु मार्ग, प्रयागराज- 211001
दूरभाष - 0532-2407625

उत्तर प्रदेश

(ारि ाय, प्राकृ ािक, भौगोलिक स्थि ाि ाथा जनगणना)

उत्तर प्रदेश एक भौगोलिक इकाई ही नहीं, संस्कृतियों का संगम भी है और गंगा-जमुनी संस्कृति का एक अनूठा प्रतीक। इसीलिए वह एक विशिष्ट जीवन शैली, व्यवहार, चिंतन परंपरा, ऐतिहासिकता, सहिष्णुता, सार्थक सकारात्मक प्रतिद्वन्द्विता, विचार-विनिमय व मनुष्य के हक की लड़ाई का केन्द्र भी है। विविधता में एकता तथा जियो और जीने दो का व्यावहारिक स्व प यहाँ की पहचान है

देश की स्वाधीनता की पहली लड़ाई यहीं की जनता, किसान, मजदूरों ने लड़ी और स्वाधीनता के बाद उत्तर प्रदेश ने नाम हासिल किया। इससे पहले इस क्षेत्र के अनेक नाम रहे ईसा से ह शताब्दी पहले भारत के 16 महाजनपद थे जिनमें आठ काशी, कोशल, मल्ल, चेदि, वत्स, कुरु, पांचाल और शूरसेन इसी क्षेत्र में थे, वे अब उ ार प्रदेश ह कोशलों की पहली राजधानी अयोध्या थी, फिर श्रावस्ती हुई। कपिलवस्तु इसी जनपद में था बाद में कु क्षेत्र अवध, कान्यकुब्ज, काशी आदि नाम से जाने जाते रहे और कभी रुहेलखण्ड, बुन्देलखण्ड, अवध आदि अं ाेजों की अमलदारी में इसका नाम पड़ा संयु ा प्रान्त आगरा व अवध यह संयु ा ही इसका सही नाम लगता है मिला-जुला, सबका शामिल प्रान्त, संयुक्त संस्कृतियों का क्षेत्र।

सन् 1857 के स्वाधीनता संग्राम के बाद अं ाेजों ने जिस प्रकार के दमन और अत्याचार किए उससे चंगेज़ खाँ और नादिरशाह भी शरमा जाते सैकड़ों लोगों को फाँसी पर लटका दिया गया, हजारों का कत्ल कर दिया गया, गाँव के गाँव फूँक दिये गये, शहरों और कस्बों में कहर ढाए गये, पर स्वाधीनता की ललक और संकल्प में कोई अन्तर नहा आया

उ ार प्रदेश का इतिहास वास्तव में रा ीय एकीकरण और शांति-पूर्ण सह-अस्तित्व का इतिहास है यहाँ बौद्ध, जैन, इस्लाम, सिख एवं सनातन सभी धमा के अनुयायी एक साथ रहे और एक-दूसरे के सामाजिक, सांस्कतिक, आर्थिक व धार्मिक जीवन को प्रभावित, समद्ध करते रहे हिन्दू कवियों ने कर्बला पर मर्सिये लिखे, मुसलमान कवियों ने राम और क ण के गीत गाये

विचारों और जीवन-शैली का प्रभाव वेशभू ाा, खान-पान, भा ाा, संगीत, कला, वास्तुकला पर भी पड़ा सूफियों ने भी भ ा कवियों का साथ दिया, कहा कि ई ार एक है, उसे चाहे जिस नाम से पुकारो लखनऊ, आगरा, देवां, रुदौली, बरेली, बहराइच, प्रयागराज व अन्य अनेक स्थानों पर दरगाहों में लाखों हिन्दू आज भी जाते ह होली, ईद, दीवाली सभी मिलकर मनाते ह समन्वय की यह प्रक्रिया वास्तुकला तक में देखी जा सकती है पन्द्रहवा शताब्दी के आरम्भ की जौनपुर की अटाला मस्जिद, सीकरी का पंचमहल, सिकन्दरा में अकबर की कब्र, सभी में बौद्ध विहारों की झलक दिखाई देती है आगरा के दीवान-ए-खास में वि णु के सिंहासन की झलक देखी जा सकती है कमल, कलश, जंजीर और ांटा आदि, जिन्हें हिन्दू वास्तुकला की पहचान माना जाता है, सीकरी में भी देखे जा सकते ह शेख सलीम चिश्ती की मजार पर सर्पिल ब्रैकेट जैन प्रभाव को दर्शाते ह अरब, ईरानी या तुर्क गुम्बदों से भिन्न ताजमहल के गुम्बद हिन्दू-बौद्ध वास्तुकला की अनुकति लगते ह

जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी इस सांस्कतिक संश्ले ाण को देखा जा सकता है हिन्दुओं ने भी मंदिरों के

निर्माण में इसको अपना लिया संगीत में अमीर खुसरो ने त्रितंत्र वीणा और पखावज के नये संस्करण सितार और तबला दिये हिन्दुस्तानी संगीत में खयाल के अलावा अनेक नयी प्रव ियाँ समायोजित का संगीत के क्षेत्र में ठुमरी और ग़ज़ल इस संश्ले ाण की विशिष्ट देन ह कथक भ ़ि नत्य के प में मथुरा-वन्दावन में विकसित हुआ और लखनऊ ने उसमें भाव और अभिनय के नये रंग भरे एक ही उत्स से यहाँ हिन्दी (खड़ी बोली) और उर्दू का जन्म हुआ और कालान्तर में वे दो भा ााएँ हो गया दो अत्यन्त समद्ध भा ााएँ यह तुलसी, सूर, कबीर, जायसी, रहीम, रसखान का ही क्षेत्र नहा है, यह मीर और ग़ालिब, रतननाथ सरशार और चकबस्त का भी क्षेत्र है दोनों भा ााओं ने एक-दूसरे को बहुत कु दिया है दोनों सहोदरा ह सदियों से एक साथ रहकर दोनों समुदायों ने सामाजिक जीवन में भी एक-दूसरे से बहुत कु लिया-दिया है जन्म, विवाह, मत्यु आदि की रस्मों पर भी प्रभाव पड़ा है, वेशभू ाा और परिधान पर भी, खान-पान और व्यंजनों पर भी

हिन्दुस्तानी संगीत में उ ार प्रदेश की देन उल्लेखनीय है किराना, अहरौली, आगरा, सहसवान, रामपुर, बनारस आदि ारानों का उद्भव क्षेत्र यही है अब्दुल करीम खाँ, अल्लादि ाा खाँ, फैयाज खाँ, मुश्ताक हुसैन खाँ, वजीर खाँ, रामदास आदि उन कलावन्तों की लम्बी ंखला की कु कड़ियाँ ह जो यहाँ उभरा अहमद जान थिरकवा, कण्ठे महाराज भी यहा के ह और विलायत खाँ भी

शा ाीय संगीत के अलावा सुगम संगीत पर भी उ ार प्रदेश ने अपनी ाप ोड़ी है ठुमरी का नाम, प और तत्व यहा का है बनारस ने पथ्वी अंग प्रचारित किया तो लखनऊ ने अपना रंग उसे दिया मोतीबाई, रसूलन बाई, सिद्धे ारी देवी (सभी बनारस की) और बेगम अख्तर (लखनऊ) ने अपनी-अपनी शैलियों की विशि ता स्थापित की महादेव प्रसाद मिश्र, गिरिजा देवी व अन्य अनेक गायक परम्पराओं के रक्षक ह शहनाई वादक बिस्मिल्ला खाँ अन्तर्रा ीय ख्याति के ह ग़ज़ल के अलावा भजन व दादरा के कद्रदान यहाँ रहे ह वाजिद अली शाह के दरबार में कालिका महाराज व बिन्दादीन महाराज ने जो कथक की परम्परा शु की, अच न महाराज, लच ू महाराज, शम्भू महाराज और बिरजू महाराज ने इस सम्पन्न-समद्ध धरोहर को नये आयाम दिये लोक संगीत में भी उ ार प्रदेश पी े नहा है बुन्देल खण्ड में ईसुरी का फाग, आल्हा, ब्रज का रसिया, पूवा जिलों की कजली, बिरहा और चैती जैसी अनेक धाराएँ लोक जीवन को आनन्दित करती रही ह

शिल्प के क्षेत्र में भी यह प्रदेश पी े नहा रहा बनारस का रेशम और जरी, लखनऊ की जामदानी, जरदोजी व चिकन, भदोही के कालीन, सहारनपुर का लकड़ी का काम, मुरादाबाद का पीतल और फिरोजाबाद का काँच का काम सदियों से वि ा के अनेक देशों का मन मोहते रहे ह आज भी ये शिल्प अरबों रुपये की विदेशी मुद्रा कमा रहे ह

यह एक अद्भुत प्रदेश है मानव जाति के जन्म से शु हुई इसकी सभ्यता निरन्तर समद्ध होती रही है यहाँ की संस्कति ने एक ऐसी मानसिकता को जन्म दिया है, एक ऐसी विचार-शैली दी है, एक ऐसा जीवन-दर्शन दिया है, जिसने सारे देश को अपनी ओर आक किया, जिसमें पूरे वि ा कल्याण के तत्त्व मौजूद ह

उ ार प्रदेश भारत का बहुत महत्त्वपूर्ण राज्य है रा ीय योगदान के विभिन्न क्षेत्रों में इसकी भूमिका उल्लेखनीय रही है चाहे कुल जनसंख्या का सवाल हो या संसद में सांसदों की संख्या का इसमें उ ार प्रदेश का स्थान सवापरि है उ ार प्रदेश को यह श्रेय प्राप्त है कि उसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को सर्वाधिक प्रधानमंत्री दिए पि ले 75 व ाा में चालीस से अधिक व ाा तक इसी राज्य के लोग प्रधानमंत्री होते आये ह सिर्फ राजनीति ही नहा संस्कति, इतिहास एवं सामाजिक आर्थिक भौगोलिकता की ि से भी यह राज्य भारत में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है कि प्रधान इस राज्य के कुल 240928 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर 199812341 लोग निवास करते हैं, जिसमें 10.45 करोड़ पुरु ा और 9.53 करोड़ महिलाएं ह इनमें से 67.7 प्रतिशत लोग साक्षर ह

कुल 97,814 आबाद गांवों तथा 915 नगरों में विभाजित इस प्रांत को अपना नाम 24 जनवरी, 1950 को भारतीय संविधान लागू होने के ऐन पहले प्राप्त हुआ 1937 से 1950 तक इसे संयु ़ प्रांत

(युनाइटेड प्राविन्सेज) के नाम से जाना जाता था

अं ोजी राज की स्थापना के प्रथम चरण में यह प्रांत (अवध के अतिरि ि) बंगाल प्रेसीडेन्सी का ही एक हिस्सा था सुविधानुसार इसे कभी पि िमी प्रांत के नाम से पुकार लिया जाता था बाद में आगरा प्रेसीडेन्सी का निर्माण कर इसे बंगाल प्रेसीडेन्सी से अलग किया गया 1836 में एक बार पुनः इसका नामकरण किया गया अब इसका नाम उ ार पि ाम प्रांत (नार्थ वेस्टर्न प्राविन्सेज) हुआ मुख्यालय आगरा बना 7 फरवरी 1856 को अवध को भी ब्रिटिश सामाज्य में शामिल कर लिया गया उस समय अवध में लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, गोण्डा, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ तथा रायबरेली नामक बारह जिले शामिल थे 1857 की क्रांति के बाद 1858 में लार्ड कैनिंग ने पूरे उ ारी पि िमी प्रान्त को एक ले. गवर्नर के ारा शासित प्रांत बना दिया इस प्रांत का मुख्यालय आगरा से प्रयागराज कर दिया गया 1875 में उच्च न्यायालय को भी आगरा से प्रयागराज स्थानान्तरित कर दिया गया अवध और उ ार पि िमी प्रांतों का प्रशासनिक तथा न्यायिक विभाजन 1877 तक बना रहा अवध का प्रशासनिक एवं न्यायिक मुख्यालय लखनऊ रहा तथा उ ार पि िमी प्रांतों का प्रयागराज सन् 1877 में इन दोनों प्रांतों के ले. गवर्नर और मुख्य आयु ि का पद समाप्त कर आगरा और अवध का संयु ि प्रांत (युनाइटेड प्राविन्सेज आफ आगरा एण्ड अवध) कर दिया गया तब ले. गवर्नर का पद ही इस एकीकत प्रांत का सवाच्च प्रशासनिक पद बना

भारत सरकार अधिनियम 1919 के अन्तर्गत ले. गवर्नर के पद को गवर्नर के पद की मान्यता प्राप्त हो गयी तथा 1920 के चुनावों के बाद इस प्रांत की सरकार एक बार पुनः इलाहाबाद से लखनऊ स्थानान्तरित कर दी गयी 1921 में लखनऊ में ही विधान परि ाद् की स्थापना की गयी तथा 1935 तक प्रान्तीय सचिवालय के प्रयागराज से लखनऊ स्थानान्तरण का कार्य पूरा होने के बाद लखनऊ को इस प्रान्त की राजधानी ोि ात कर दिया गया 1937 में इस प्रांत का नाम एक बार फिर बदलकर संयु ि प्रांत (यूनाइटेड प्राविन्सेज) कर दिया गया

सन् 2000 में प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को अलग करके नये राज्य उ ारांचल (अब उ ाराखंड) का गठन किया गया तो यहां की लगभग 55 हजार वर्ग किलोमीटर भूमि और लगभग एक करोड़ आबादी यहां से अलग हो गयी है इसके बावजूद नया उत्तर प्रदेश अभी भी देश के सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है और देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य

ाकतिक परेखा

उ ार प्रदेश भारत का सीमान्त प्रदेश है इसकी उ ारी सीमा नेपाल को ूती है उ ाराखंड के गठन से पूर्व इसकी सीमाएं चीन के तिब्बती क्षेत्र को भी ूती था लेकिन अब यह क्षेत्र उ ाराखंड में चला गया है प्रदेश के उ ार में अब नेपाल सीमा के साथ उ ारांचल की शिवालिक पर्वत श्रेणियां ह पि िमी और दक्षिण पि िमी सीमा पर हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान ह तथा दक्षिण में मध्य प्रदेश और पूवा सीमा बिहार से लगी हुई है इन सीमाओं को प्राकतिक तौर पर देखा जाय तो उ ार में हिमालय की शिवालिक श्रेणियां, पि ाम, दक्षिण पि ाम एवं दक्षिण में यमुना नदी तथा विन्ध्याचल और पूर्व में गंडक नदी है

उ ाराखंड के गठन से पूर्व राज्य के तीन भूभाग थे- पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और दक्षिण का पठारी क्षेत्र। लेकिन उ ाराखंड गठन के बाद अब पूरा पर्वतीय क्षेत्र, उ ार प्रदेश से अलग हो गया है अब इस पर्वतीय क्षेत्र से लगा हुआ तराई- भाभर क्षेत्र ही बचा हुआ है अब प्रदेश के प्राकतिक स्व प को हम इस प में देख सकते हः

ा ार आर तरा ि ो ा

पि ाम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में देवरिया तक एक पतली सी प ी भाभर और तराई कहलाती है सहारनपुर, बिजनौर, पीलीभीत जिलों में भाभर का क्षेत्र शिवालिक पहाड़ियों के इर्द-गिर्द सिमटा हुआ है पहाड़ों

से उतरने वाली नदियों एवं वेगवती धाराओं की गति यहां आकर कु मन्द पड़ जाती है पहाड़ से अपने साथ बहाकर लाये गये प्रस्तर खण्डों तथा विभिन्न रसायनों को वे ोड़ती जाती ह प ाम में यह क्षेत्र 34 कि.मी. चौड़ा है, किन्तु जैसे-जैसे पूरब की ओर बढ़ते ह, क्षेत्र सँकरा होता जाता है ोटे-मोटे नदी-नालों का बाढ़ के समय को ोड़कर, प्रस्तर खण्डों के बीच उसका अस्तित्व क्षीण-सा ही रहता है किन्तु थोड़ी दूरी के बाद वे फिर उसी प में दिखायी देते ह दलदल वाले तराई क्षेत्र का निर्माण इसी प्रकार हुआ है

जंगली और ऊँची ानी ासों से ढका हुआ तराई क्षेत्र कभी 80 से 90 किलोमीटर तक चौड़ा था इसके अन्तर्गत सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, खीरी, बहराइच, गोण्डा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया एवं पडरौना जिलों के भाग आते थे भूमि सुधार के बाद किसानों को इसमें काफी उपजाऊ जमीन प्राप्त हो गयी है अब यहां गन्ना, गेहूँ और धान की फसलें रिकार्ड पैदावार दे रही ह अनेक जगहों पर जूट की भी अच ी खेती हो रही है

ा ाना ो ा

भाभर और तराई के बाद प्रदेश का पूरा मैदानी क्षेत्र नदियों से लायी गयी मि ी से बना है और खूब उपजाऊ है यमुना पार, आगरा और मथुरा जिलों के उन भू-भागों को ोड़कर जहाँ अरावली पहाड़ियों के पूवा ार पर अनेक खार और लाल पत्थरों वाली पहाड़ियाँ मिलती ह, यह सम ा भू-भाग समतल है मैदान का प ाम अंचल उ ार से दक्षिण की ओर ढलुआ है और पूवाचल की ढाल प ामो ार से दक्षिणपूर्व की तरफ है यह गंगा,यमुना और उसकी सहायक नदियों ारा सिंचित क्षेत्र है

ि ा के प ा आर प ार

प्रदेश के दक्षिण में पठारी भू-भाग की उ ारी सीमा यमुना और गंगा नदी ारा निर्धारित है इसके अन्तर्गत झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, ललितपुर और बांदा, प्रयागराज जिले की मेजा और कर ना तहसीलें, गंगा के दक्षिण में पड़ने वाला मिर्जापुर का हिस्सा तथा वाराणसी जिले की चकिया तहसील आती है यह क्षेत्र दक्कन के पठार का ही प्रसरण है भू-गर्भ शा ायों के अनुसार इसका निर्माण अत्यन्त प्राचीनकाल में प्रवाहमान समुद्री निरक्षेप ारा हुआ पठार की सामान्य ऊंचाई 300 मीटर के आसपास है कु स्थानों पर यह ऊंचाई 450 मीटर से भी अधिक है मिर्जापुर, सोनभद्र की पहाड़ियां लगभग 600 मीटर तक ऊँची ह

चित्रकूट जिले की कवा तहसील में विन्ध्य पर्वत श्रेणियां ह यहां जल प्रवाह सामान्यतः उ ार पूर्व की तरफ है बेतवा और केन नदियां, जो बुन्देलखण्ड से होकर गुजरती ह, यमुना में आकर मिली ह इस पूरे क्षेत्र में व ाा कम होती है यहां की मुख्य फसलें ज्वार, तिलहन, चना और गेहूँ ह

ालवाय

उ ार प्रदेश की पूरी जलवायु गर्म है तराई क्षेत्रों में यह नमी लिए रहती है और दक्षिण पठारी क्षेत्र में गमा में नमी का नामोनिशान नहा रहता ाीम त्र तु में कुछ जगहों का तापमान 47 डि ाी सेन्टी ोड तक जाता है जाड़े की त्र तु में तापमान मैदानी क्षेत्रों में 8.5 से 17.5 डि ाी सेन्टी ोड तक रहता है अप्रैल, मई और जून गमा के महीने ह, जब प्रदेश के अधिकांश भागों में लू चलती है

सामान्यतः व ा में तीन त्र तुएँ होती ह अक्टूबर से फरवरी तक जाड़ा, मार्च से जून तक गमा और इसके बाद सितम्बर तक बरसात होती है गमा आगरा और झांसी में सबसे अधिक, बरेली में सबसे कम पड़ती है मध्य जून से मध्य सितम्बर तक प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून के फलस्व प प्रमुख प से व ाा होती है जाड़ों में उ ार प ाम से उठने वाले तूफानों के कारण कु जगहों पर व ाा का औसत 60 और 100

सेन्टीमीटर के बीच रहता है जबकि पूवा भाग के जिलों में 100 से 120 सेन्टीमीटर के बीच रहता है जौनपुर जिले के प ामी हिस्सों में व ाा कु कम होती है प्रदेश में लगभग 83 प्रतिशत व ाा जून से सितम्बर के मध्य और 17 प्रतिशत जाड़ों में होती है मैदानी क्षेत्र में गोरखपुर में सर्वाधिक व ाा होती है जिसका औसत 184.7 सेमी. है और मथुरा में सबसे कम, जिसका औसत 54.4 सेमी. है

न ियाँ आर ाल ावा

गंगा और यमुना उ ार प्रदेश की सबसे प्रमुख नदियाँ ह इनका बहाव उ ार में हिमालय तथा दक्षिण में विन्ध्याचल ारा निर्धारित है गंगा उ ाराखण्ड में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है सहारनपुर जनपद से यह उ ार प्रदेश में प्रवेश करती है उ ार प्रदेश में आते ही यह धीरे-धीरे दक्षिण से पूर्व की तरफ बहने लगती है इसके दोनों किनारों पर और भी सहायक नदियां आकर मिलती ह रामगंगा, गोमती, ाारा (शारदा), राप्ती और गण्डक यमुना का उद्‌गम भी उ ाराखण्ड में यमुनोत्री ग्लेशियर है चम्बल, सिन्ध, बेतवा और केन यमुना की प्रमुख सहायक नदियां ह गंगा-यमुना की इन सहायक नदियों के अलावा जल प्रवाह की अनेक ाेटी- ाेटी नदियां ह जैसे कोसी, सई, कल्याणी, चन्द्रप्रभा, कर्मनाशा, रिहन्द, बेलन और धसान, हिन्डन ये नदियाँ जगह-जगह गंगा व यमुना में मिल जाती ह प्रयागराज में गंगा, यमुना भी आपस में मिल जाती ह

विन्ध्याचल की तरफ से जो पानी गंगा में आता है उसका आधे से अधिक यमुना की सहायक नदियां चम्बल, सिन्ध, बेतवा और केन लाती ह इसमें चम्बल सबसे बड़ी है यह विन्ध्याचल से निकलती है और आगे चलकर इसमें अनेक सहायक नदियां मिलती ह दक्षिण से आकर गंगा में मिलने वाली दो अन्य प्रमुख नदियां ह टास और सोन इनमें सोन बड़ी है यह सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है इसका उद्‌गम स्थल नर्मदा और महानदी के उद्‌गम स्थानों के पास ही है उ ार प्रदेश में हिमालय से निकलने वाली नदियां लगभग व ाा भर भरी रहती ह जबकि विंध्याचल से निकलने वाली नदियां गर्मियों में अक्सर सूख जाती ह इसका कारण है हिमालय से निकलने वाली नदियों में बर्फ पि ालने से गर्मियों में भी पानी कम नहा होता एक और कारण हिमालय में विन्ध्याचल से अधिक बरसात का होना है

ा` ाका ि ा

प्रदेश के प ामी क्षेत्र में सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, पीलीभीत, बरेली जिले में एक तरह की मि ी है यहां की मि ी अधिकांश गहरी भूरी और कहा पर चिकनी है यह मि ी ि ली है, इसमें कंकड़ पत्थर काफी पाये जाते ह सामान्यतः यह मि ी अम्लीय है प्रदेश के प ामी मैदानों में मि ी (सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ) गहरी और सामान्य से अधिक उर्वरा है थोड़ा पूर्व की ओर आगे चलकर (बरेली, बिजनौर, मुरादाबाद, पीलीभीत) मि ी अधिक चिकनी है पीलीभीत से आगे की ओर तो मि ी अम्लीय है किन्तु बाकी मि ी में थोड़ा क्षारत्व है

प्रदेश के केन्द्रीय क्षेत्र खीरी, हरदोई, लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, आजमगढ़, कानपुर के आसपास चिकनी और बलुई चिकनी मि ी है, जिसमें थोड़ा अम्ल भी है

प्रदेश के पूवा क्षेत्र में गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर तथा गोण्डा क्षेत्र में दो प्रकार की मि ियाँ पायी जाती ह जिन्हें स्थानीय भा ाा में मांट और बंजर कहा जाता है

नदी किनारे की मि ी को ढूह कहते ह मांट मि ी चिकनी-बलुई होती है और उसमें चूना अधिक होता है इसकी जलधारण श ि अधिक होती है बंजर मि ी चिकनी और बलुई चिकनी दोनों प्रकार की होती है इसमें चूना अपेक्षाकत कम होता है उ ारी प ामी भाग में पायी जाने वाली मि ी में फास्फेट कम होता है जौनपुर, आजमगढ़, मऊ जिलों में पोटाश की कमी है शु कतर भागों में ऊसर तथा रेह है अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, सीतापुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली और लखनऊ की मि ी ऊसर तथा रेह से प्रभावित है

प्रदेश के झांसी तथा चित्रकूट धाम मण्डल, मिर्जापुर, सोनभद्र जिले एवं प्रयागराज की कर ना व मेजा तहसील, वाराणसी की चकिया तहसील में मिश्रित लाल और काली मि ी पायी जाती है काली मि ी चिपचिपी तथा कैल्केरिया यु त और उर्वरा होती है भीगने पर फैलती है और सूखने पर सिकुड़ती है इन जिलों के ऊपरी पठारी भागों में लाल मि ी पायी जाती है यह दो प्रकार की होती है परवा और राकर परवा हल्की बलुई अथवा बलुई चिकनी होती है जबकि राकर अपक्षरित मि ी होती है

वन्य ो ा

उ ारांचल (अब उ ाराखंड) गठन से पूर्व प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल 294411 वर्ग किलोमीटर था जिसमें 33994 वर्ग किमी. अर्थात् 11.54 प्रतिशत भाग वनाच ादित था अब 23243 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र उ ाराखण्ड में चला गया तथा उ ार प्रदेश में 10751 वर्ग किलोमीटर वनाच ादित क्षेत्र ही बचा है इस प्रकार उ ार प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 4.46 प्रतिशत भू-भाग ही वनाच ादित रह गया है

इस समय उ ार प्रदेश में पायी जाने वाली वनस्पतियों के आधार पर यहां के वनों को तीन भागों में बाँट सकते ह :-

1. उ ण प्रदेशीय आर्द्र पर्णपाती वन 2. उ ण प्रदेशीय शु क पर्णपाती वन

3. उ ण प्रदेशीय कटीले वन

आर्द्र पर्णपाती वन तराई के नमी वाले क्षेत्रों में पाये जाते ह प्रदेश के यह वन ऐसे क्षेत्रों में ह जहाँ व ा 100 से 150 सेमी. वा िक होती है यहाँ वनों की विशे ाता है कि ऊँचे क्षेत्रों में अनि ित आकारों वाले पर्णपाती वक्ष होते ह निचले भागों में अन्य प्रजातियां जिनमें बांस, लताओं और बेंत के साथ हरी भरी झाड़ियाँ होती ह इन वनों के प्रमुख वक्ष ह साल, बेर, गूलर, झिंगल, पलास, महुआ, सेमल, ढाक, आंवला, जामुन आदि

शु क पर्णपाती वन प्रदेश के सभी मैदानी भागों आमतौर पर मध्यपूवा और प ामी क्षेत्रों में होते ह ये प्रायः पर्णपाती प्रजाति के होते ह क्योंकि इन क्षेत्रों में प्रकाश नीचे तक पहुंचता है इसलिए यहां झाड़ियों और ासों की उपज भी अच ी होती है ऐसे वनों के बहुत बड़े क्षेत्र की खेती के लिए सफाई कर दी गयी है यहां पैदा होने वाले वनों में साल, पलास, अंजीर, सागौन प्रमुख ह नीम, पीपल, आम, जामुन, महुआ, बबूल आदि भी नदियों के आसपास या नमी वाले स्थानों पर होते ह

कटीले वन ज्यादातर दक्षिण प ामी भागों में पाये जाते ह ऐसे वन प्रदेश के उन भागों में स्थित ह जहाँ व ा कम (व ा में 40 से 60 सेमी.) होती है इन क्षेत्रों में दूर-दूर तक कटीले बौने वक्ष मुख्यतः बबूल, कटीले, फलदार पौधे, सांहुड की पैदावार प्रमुख है व ा त्र तु में यहां ोटी- ोटी ास उग जाती है यहां प्रायः ोटे- ोटे पौधे ह जो खुले शु क वनों का प धारण कर चुके ह इनमें फुलाई, खैर, कोक्के, धामन, डनझा, नीम आदि सम्मिलित ह इन पेड़ों से कई तरह की लीसा और गोंद प्राप्त होता है

खनि ा ा प ा

उ ार प्रदेश यूँ तो क ा प्रधान राज्य है लेकिन यह प्रदेश खनिज सम्पदा का भी धनी है प्रदेश के विंध्य क्षेत्र की पर्वत ृंखला के बीच विभिन्न प्रकार की खनिज सम्पदा दबी हुई है उ ार प्रदेश में चूना पत्थर, डोलोमाइट, सिलिका सैण्ड, पाइरोफिलाइट, डायस्पोर, मैग्नेसाइट, साफ्टस्टोन, तांबा, जिप्सम, ग्लास-सैड, संगमरमर, नान प्लास्टिक फायर क्ले, यूरेनियम, वेराइट्स, एडालूसाइट प्रमुख ह उ ार प्रदेश के सात दक्षिणी जिले खनिज पदाथा के लिए खासतौर पर जाने जाते ह ये जिले ह आगरा, ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, बाँदा, प्रयागराज, मिर्जापुर एवं सोनभद्र अच े किस्म का चूना पत्थर सोनभद्र और मिर्जापुर में पाया जाता है डोलोमाइट भी सोनभद्र और मिर्जापुर में मिलता है तांबा ललितपुर में प्राप्त होता है ग्लास सैड प्रयागराज, बाँदा और चित्रकूट जनपद में मिलता है संगमरमर मिर्जापुर और सोनभद्र में पाया जाता है मिर्जापुर के बांस मकरी खोह क्षेत्र में नानप्लास्टिक फायर क्ले प्राप्त होती है जनपद ललितपुर में यूरेनियम के भण्डार ह

ान ा ाना

जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उ ार प्रदेश की कुल जनसंख्या 1,998 लाख है, जो भारत की व ा 2011 की कुल जनसंख्या (12,106 लाख) का 16.5 प्रतिशत है प्रदेश की कुल जनसंख्या में 1,044.81 लाख पुरु ा तथा 953.32 लाख महिलाएं ह प्रदेश में कुल जनसंख्या 1,998 लाख में 1,553.17 लाख (77.73 प्रतिशत) ाामीण जनसंख्या है तथा 444.95 लाख (22.27 प्रतिशत) नगरीय जनसंख्या है प्रदेश की कुल ाामीण जनसंख्या में 809.92 लाख पुरु ा तथा 743.24 लाख महिलाएं तथा कुल नगरीय जनसंख्या में 234.87 लाख पुरु ा तथा 210.07 लाख महिलाएं ह

प्रदेश की कुल जनसंख्या में 1593.1 लाख (79.8 प्रतिशत) हिन्दू, 384.8 लाख (19.3 प्रतिशत) मुस्लिम, 3.6 लाख (0.2 प्रतिशत) ईसाई, 6.4 लाख (0.3 प्रतिशत) सिक्ख, 2.1 लाख (0.1 प्रतिशत) बौद्ध, 2.1 लाख (0.1 प्रतिशत) जैन एवं 6.0 लाख (0.3 प्रतिशत) अन्य एवं अवर्णित धर्म के व्यि ा निवास करते ह प्रदेश के 75 जनपदों में प्रयागराज की जनसंख्या (59.54 लाख) सबसे अधिक है तथा जनपद महोबा में (6.90 लाख) सबसे कम जनसंख्या है

ान ाख्या का ाकाय वि र

व ा 2011 की जनगणना के अनुसार व ा 2001 2011 की अवधि में कुल जनसंख्या की दशकीय वद्धि दर प्रदेश का भारत के राज्यों में ग्यारहवां स्थान रहा उ ार प्रदेश की कुल जनसंख्या के व ा 2001 2011 की अवधि में में दशकीय वद्धि दर 20.2 प्रतिशत थी जो उवत अवधि में भारत की दशकीय वद्धि दर 17.7 प्रतिशत से अधिक रही

ान ाख्या ानत्व

एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाली कुल लोगों की औसत संख्या को जनसंख्या ानत्व कहा जाता है व ा 2011 की जनगणना के अनुसार उ ार प्रदेश में यह 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है उ ार प्रदेश के 75 जनपदों में सबसे अधिक जनसंख्या ानत्व गाजियाबाद (3674) इसके बाद क्रमशः वाराणसी (2395), हापुड़ (2028), लखनऊ (1816), संत रविदास नगर (भदोही) (1555) तथा कानपुर नगर (1452) तथा सबसे कम जनसंख्या ानत्व वाला जनपद लितपुर (242) है

लि ा अनपात

प्रति हजार पुरु ाों पर ि ायों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है प्रदेश में प्रति हजार पुरु ाों पर स्त्रियों की संख्या व ा 2011 की जनगणना के अनुसार 912 है जबकि व ा 2001 में यह 898 ही थी भारत में व ा 2011 में लिंगानुपात 943 है जबकि व ा 2001 में यह 933 थी

ाा ारता र

व ा 2011 उ ार प्रदेश की जनगणना के अनुसार प्रदेश भर में साक्षरों की संख्या 1144 लाख है जिनमें 684 ाख पुरु ा तथा 462 लाख महिलाएं साक्षर ह व ा 2011 में प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत 67.7 भारत के सम्वादी अवधि का साक्षरता प्रतिशत 73.0 से कम रहा प्रदेश में कुल साक्षरता प्रतिशत 67.68 में पुरु ाों का 77.28 प्रतिशत तथा महिलाओं का प्रतिशत 57.18 ह प्रदेश में गौतमबुद्धनगर की साक्षरता दर सबसे अधिक 80.12 प्रतिशत है इसके बाद कानपुर नगर 79.65 प्रतिशत, औरैया 78.95, इटावा 78.41 प्रतिशत तथा गाजियाबाद 78.07 प्रतिशत का स्थान है प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला

श्रावस्ती है यहाँ की साक्षरता दर मात्र 46.74 प्रतिशत है इसके बाद बहराइच 49.36 प्रतिशत, बलरामपुर 49.51 प्रतिशत, बदायूँ 51.29 तथा रामपुर 53.34 प्रतिशत है

ा ारता र 5 ो 20 तक

व ा	कुल साक्षरता	पुरु ा साक्षरता	महिला साक्षरता
1951	12.02	19.07	4.07
1961	20.87	32.08	8.36
1971	23.99	35.01	11.23
1981	32.65	46.65	16.74
1991	40.71	54.82	24.37
2001	57.36	70.23	42.98
2011	67.68	77.28	57.18

●

ि ा ास

रा ानीतिक ति ा ा

पुरातन काल में उ ार प्रदेश आर्यावर्त अथवा मध्य-देश के नाम से प्रसिद्ध था उ ार-प ाम से आने वाले आक्रामकों के रास्ते में पड़ने के कारण तथा दिल्ली और पटना के बीच के उपजाऊ मैदान का हिस्सा होने के कारण इसके इतिहास का उ ार भारत के इतिहास से निकटतम संबंध है य ापि हमें इसके प्रागैतिहासिक अथवा आदि-ऐतिहासिक काल के सम्बन्ध में बहुत कम जानकारी है, पर मिर्जापुर और बुन्देलखंड क्षेत्र में खुदाई के फलस्व प प्राचीन एवं नवीन पा ाणकाल के जो औजार-हथियार आदि मिले ह और मेरठ जिलान्तर्गत आलमगीरपुर में हड़प्पाकालीन जो वस्तुएँ मिली ह वे हमें सुदूर भूतकाल का स्मरण कराती ह

त्र ग्वेद के समय से कु ऐतिहासिक व ाान्त मिलते ह त्र ग्वेद में भारत में सप्तसिंधु या सात नदियों ारा सिंचित प्रदेश (आधुनिक पंजाब) का वर्णन है। ये नदियाँ ह- इण्डस (सिंधु), वितस्ता (झेलम), असिक्नी (चिनाब), परुश्णी (राबी), विपासा (व्यास), शुतुद्री (सतलज), और सरस्वती (जो अब राजस्थान के रेगिस्तान में विलुप्त हो चुकी है) प्राचीन काल में कु प्रमुख ारानों के नाम थे पु , तुर्वसु, यदु, अनु और द्रु ा ये पाँच ाराने 'पंचजन' कहलाते थे इनके अतिरि ा एक और प्रमुख वर्ग भरत कहलाता था

शतपथ ब्रा ाण में कोशल (अवध) और विदेह (उ ारी बिहार) का रोचक वर्णन है धीरे-धीरे सप्तसिन्धु का महत्व कम होता गया और भारतीय संस्कति का केन्द्र बना सरस्वती तथा गंगा के बीच का मैदान जहाँ कुरु, पांचाल, काशी एवं कोशल (अवध) राज्य थे

पहले प्रयाग तक फैला हुआ यह पूरा क्षेत्र आर्यावर्त अथवा मध्य देश के नाम से अभिहित हुआ प्रयागराज, काशी में आज भी ब्राह्मण लोग संकल्प पढ़ते समय "आर्यावर्तक देशान्तर गते" का उल्लेख करते हैं। वर्तमान उ ार प्रदेश की सीमाएँ भी लगभग वही ह सनातन कथा-साहित्य में यह देश पवित्र माना जाता है, क्योंकि रामायण और महाभारत में जिन महान् व्य ाियों और देवताओं का वर्णन है वे यहा के थे यहाँ के निवासी सर्वाधिक सुसंस्कत होने के कारण आर्य माने जाते थे उनकी बोल-चाल और उनका व्यवहार आदर्श माना जाता था वे लोग धार्मिक रीति-रिवाजों के पूरी तरह जानकार थे और बिना किसी त्रुटि के सनातन वैदिक व्यवस्थानुसार पूजा आदि कर सकते थे

इन राज्यों के कु शासक, विशे ातः पांचाल के राजा प्रवहण जैवालि, अपने सुकमा के कारण अमर हो गये और पुराणों के आख्यानों में धार्मिक आध्यात्मिक और राजवंशों के वर्णन हैं परन्तु ऐतिहासिक व ाान्त की कड़ी टूट गयी प्रतीत होता है ईसापूर्व ठी शताब्दी में हम देखते ह कि 16 महाजनपदों में गहरी प्रतिस्पर्धा रही तत्कालीन राज्य और उनकी राजधानियों के नाम थेः-

1. कुरु (मेरठ, दिल्ली और थाने ार) राजधानी इन्द्रप्रस्थ (दिल्ली के पास इन्द्रपाल)
2. पाँचाल (बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद) राजधानी अहिच्छ त्र (बरेली के पास रामनगर) तथा काम्पिल्य (फर्रुखाबाद के पास कम्पिल)
3. शूरसेन (मथुरा के आस-पास का क्षेत्र) राजधानी मथुरा

4. वत्स (प्रयागराज और आस-पास) राजधानी कौशाम्बी (प्रयागराज के पास कोसम)
5. कोशल (अवध) राजधानी साकेत (अयोध्या) और श्रावस्ती (गोंडा जिले में सहेट-महेट)
6. मल्ल (जिला देवरिया) राजधानी कुशीनगर (कसिया) और पावा (सम्भवतः पडरौना)
7. काशी (वाराणसी) राजधानी बनारस
8. अंग (भागलपुर) राजधानी चम्पा
9. मगध (दक्षिण बिहार) राजधानी गिरिब्रज (राजगह, बिहार-शरीफ के पास राजगीर)
10. वज्जि (जिला दरभंगा और मुजफ्फरपुर) राजधानी मिथिला जनकपुर (नेपाल सीमा पर) और वैशाली (जिला मुजफ्फरपुर में बसरा)
11. चेदि (बुन्देलखंड) राजधानी शु ि़मती (सम्भवतः बांदा के पास स्रोतासोढ़ा)
12. मत्स्य (जयपुर) राजधानी विराट (जयपुर के पास)
13. अस्मक (गोदावरी ाटी) राजधानी पांडन्य (स्थान की जानकारी नहा)
14. अवन्ती (मालवा) राजधानी उज्जयिनी (उज्जैन)
15. गांधार (प ािमो ार क्षेत्र, जो अब पाकिस्तान में है) राजधानी तक्षशिला (रावलपिण्डी के पास)
16. कम्बोज राजधानी राजापुर (स्थान की जानकारी नहा)

उपर्यु ि़ 16 महाजनपदों में से 8 (क्रम संख्या 1 से 7 तक तथा 11) वर्तमान उ ार प्रदेश में ही स्थित थे इनमें से अधिक विख्यात काशी, कोशल और वत्स थे इन राज्यों के अतिरि ि़ वर्तमान उ ार प्रदेश के क्षेत्रान्तर्गत ही कतिपय गणतंत्रात्मक राज्य भी थे, जैसे कपिलवस्तु का शाक्य राज्य, समसुमेरगिर का भग्गा राज्य और पावा तथा कुशीनगर का मल्ल राज्य

सभी राज्यों में राज्य विस्तार के क्षत्रियोंचित धर्म निर्वाह के लिए हमेशा युद्ध होता रहता था कोशल ने काशी पर अधिकार कर लिया और अवन्ती ने वत्स का राज्य ीन लिया कोशल और अवन्ती एक-एक करके मगध के अधीनस्थ हो गये और मगध पूरे क्षेत्र में सर्वाधिक श ि़शाली हो गया मगध में क्रमशः हरयांक, शिशुनाग और नन्द वंश का राज्य रहा

नन्द वंश का सामाज्य पंजाब और सम्भवत बंगाल को ोड़कर पूरे उ ार भारत में फैला हुआ था नन्दों के शासनकाल में सिकन्दर ने ईसा से 326 व ा पूर्व भारत के पश्चिमी भाग पर आक्रमण किया था इतिहास के अनेक वि ानों का मत है कि मगध के श ि़शाली राज्य की सेनाओं से मुकाबला न कर पा सकने के डर के ही कारण सिकन्दर की सेना व्यास नदी के आगे नहीं बढ़ी इस प्रकार सिकन्दर को बाध्य होकर वापस लौटना पड़ा था

सिकन्दर की वापसी के साथ ही साथ भारत में एक महान क्रान्ति हुई इसके बाद नन्द शासकों के हाथ से (ईसा से 323 व ा पूर्व) शासन की बागडोर तक्षशिला विश्वविद्यालय के शिक्षक चाणक्य के जागरूक शिष्य चन्द्रगुप्त मौर्य के पास आ गयी चन्द्रगुप्त मौर्य पिप्पलीवन के क्षत्रिय कुल मौर्य का वंशज था वर्तमान उ ार प्रदेश का पूरा क्षेत्र चन्द्रगुप्त मौर्य, उसके लड़के बिन्दुसार और पोते अशोक के शासन-काल में सुख और शान्ति का अनुभव करता रहा **अशोक ारा सारनाथ में निमि ा स्ाम्भ ार सिं ों की जो आकि ा ानी ै, स्ा ांत्र भार ा की सरकार ने उसे ी अ ाना राजकीय ि ाह्न ानाया ै अशोक-स्ाम्भ और शिलालेख सारनाथ, ायागराज, मेर , कौशाम् ाी, संकिस्सा, ास्ाी और मिजा ाुर में भी ााये गये** ये सभी स्थान उ ार प्रदेश में ह चीनी यात्री फा ाान और `नसांग ने अन्य अनेक शिलालेख आदि भी देखे थे सारनाथ के धमेख स्तूप का भी निर्माण अशोक ने करवाया था

ईसा पूर्व 232 व ा में अशोक की मत्यु होने के बाद मगध राज्य का ास प्रारम्भ हो गया उसके पोते

दशरथ और सम्प्रति ने सारा राज्य आपस में बाँट लिया नर्मदा के दक्षिण का पूरा क्षेत्र शी.्र ही स्वतन्त्र हो गया और ईसा पूर्व 210 व ा में पंजाब पर अन्य लोगों का शासन हो गया इस वंश का अन्तिम शासक बहद्रथ था, जिसकी राज्य की सुरक्षा करने में अयोग्यता के कारण उसके प्रधान सेनापति पु यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर मगध का शासन अपने हाथ में ले लिया। (ईसा पूर्व 185 व ा में) पतंजलि के महाभा य में एक उल्लेख साकेत (अयोध्या) का यवनों (यूनानियों) ारा ेरे जाने का आता है मेनेन्डर और उसके भाई ने ईसा से लगभग 182 व ा पूर्व एक भारी आक्रमण किया आक्रामक सेनाओं ने सुदूर दक्षिण-प ाम में काठियावाड़, सांकल (स्यालकोट, पाकिस्तान के पंजाब में) और मथुरा पर अधिकार कर लिया इसके बाद यवन आक्रामकों ने साकेत (अयोध्या) को ेर लिया तथा वे आगे गंगा की ाटी में बहुत दूर तक बढ़ आये इन यवन आक्रमणकारियों का आखिर में पु यमित्र के पौत्र वसुमित्र ने गंगा के किनारे मुकाबला किया तथा यवनों को हरा दिया पराजित यूनानी पी े हट गये और उन्होंने सांकल (स्यालकोट) में अपनी राजधानी बनायी मथुरा बहुत समय तक मेनेण्डर के सामाज्य का प्रमुख नगर रहा मेनेण्डर ने ईसा से लगभग 145 व ा पूर्व तक राज्य किया बाद में ोटी- ोटी अनेक इण्डो- ीक एवं यूनानी रियासतें पंजाब में ईसा की प्रथम ईसवी तक बनी रहा

इसी बीच मगध में शुंग वंश के स्थान पर कण्व वंश की स्थापना हुई कहा जाता है कि शुंग वंश का अन्तिम राजा देवभूति दु ारित्र था इस कमजोरी का लाभ उठाकर उसके मंत्री वासुदेव ने राजा देवभूति की हत्या कर दी वासुदेव ने ईसा से 73 व ा पूर्व कण्व वंश की स्थापना की यह राजवंश 45व ा तक चला और ईसा से 28 व ा पूर्व सिमूक ने, जो सातवाहन या आंध्र वंश के संस्थापक थे, इसको समाप्त कर दिया

कण्व वंश का सामाज्य कहाँ तक फैला था यह कहना कठिन है, किन्तु ऐसे सिक्के जिन पर मित्र शब्द से समाप्त होने वाले राजाओं के नाम खुदे ह, उत्खनन में पूरे उ ार प्रदेश में मिले ह अतः यह नि क ा निकाला जा सकता है कि ईसा से एक शताब्दी पूर्व और बाद तक पूरा उ ार प्रदेश उन लोगों के अधिकार-क्षेत्र में था, जो शुंग वंश से सम्बद्ध थे

यह वह समय था जब मध्य एशिया के शकों का ध्यान पहली बार भारत की ओर आक ाित हुआ ईसा के 60 व ा पूर्व तक इन लोगों ने मथुरा में अपने क्षत्रप स्थापित कर लिये थे प्रथम शक राजा 'मायुस' हुआ जिसकी ईसा पूर्व लगभग 58वें व ा में मत्यु हुई थी शकों के बाद पार्थियन लोगों ने उ ारी भारत पर आक्रमण किये और ईसा के बाद प्रथम शताब्दी आरम्भ होने तक उन लोगों ने शकों को परास्त करना शु कर दिया था फिर ईसा से लगभग 40 व ा पूर्व कु ाण लोगों के भी आक्रमण हुए ये भी मध्य एशिया की पाँच जातियों में से एक थी शी.्र ही कु ाण राजाओं ने मध्य एशिया से लेकर सिन्धु नदी तक के क्षेत्र में अपना सामाज्य स्थापित कर लिया धीरे-धीरे इन लोगों ने पूरे उ ार भारत पर अधिकार कर लिया

कु ाण राज्य-वंश की स्थापना कुजुल कदफिसेस या कदफिसेस प्रथम ने की थी इसका पुत्र और उ ाराधिकारी विमा कदफिसेस या कदफिसेस ि तीय गंगा की ाटी तक ुस आया था इसका उ ाराधिकारी था कनि क प्रथम जो निःसन्देह सभी कु ाण राजाओं में श्रे था चीनी और तिब्बती इतिहासकारों ने कनि क की सोकेद (साकेत) के राजा से लड़ाई की गाथाएँ सुरक्षित रखी ह तथा अनेक उत्कीर्ण प्रलेख एवं खुदाई से प्राप्त सिक्के आदि, जो उ ार प्रदेश के विस्तत भाग में मिले ह, इस बात की ओर संकेत करते ह कि यह भूभाग किसी समय कु ाण सामाज्य का अंश था उस समय मथुरा कला का प्रसिद्ध केन्द्र था

कनि क का राज्यकाल और कु ाण राजाओं की वंश-परम्परा अनि ाित है कु वि ानों का मत है कि कनि क का राज्याभि ोक ईसा के 78 व ा बाद हुआ और कु का यह कि कनि क प्रथम ने सम्भवतः ईसा बाद 120 और 144 व ा के बीच राज्य किया था उसकी राजधानी पुरु ापुर या पेशावर में थी और उसके राज्य के अन्तर्गत गांधार, कश्मीर तथा सिन्धु एवं गंगा नदी की ाटियों का क्षेत्र था कनि क के पुत्र हुवि क ने अपने पिता के बाद राजकाज सँभाला और उसके बाद उसका पुत्र वासुदेव ग ी पर बैठा

वासुदेव के समय में कु ााण सामाज्य बहुत ोटा हो गया था तथा उसके बाद ि न्न-भिन्न होकर अनेक ोटे- ोटे सीमान्त राज्यों में बँट गया ईसा के बाद तीसरी सदी आते-आते कु ााणों का प्रभुत्व मध्यदेश से समाप्त हो चुका था तथा उसके स्थान पर बहुत से दूसरे ोटे- ोटे राज्य स्थापित हो चुके थे य ापि इस समय के इन राजाओं में कु के नाम अभी भी समुद्रगुप्त (ईसा बाद चौथी सदी) ारा प्रयागराज के स्तम्भ पर खुदवाये जाने के कारण ाात ह मथुरा और कान्तिपुरी (मिर्जापुर में कान्तित) इस वंश के शासकों के मुख्यालय रहे इसी अवधि में नागों की ही एक जाति भारशिव भी प्रभुत्वशाली बनी इन लोगों की श ि तथा इनके सामाज्य का आभास इसी से लग जाता है कि इन्होंने दस अ ामेध य ा किये और गंगा के पवित्र जल से इनके राज्याभि ोक हुए

ईसा बाद चौथी सदी में गुप्त वंश का प्रादुर्भाव होने पर भारत में बिखरे छोटे-छोटे राज्यों के स्थान पर एक बड़े राज्य की स्थापना हुई तथा लगभग दो सौ व ाा के गुप्तों के शासन काल में मध्यदेश शासनान्तर्गत अन्य क्षेत्रों के साथ शान्ति और समद्धि का भागीदार बना

गुप्त राज्य के पराभव के बाद एक बार फिर स ाा विकेन्द्रित हो गयी कु समय तक मध्यदेश के विस्तत भाग पर कन्नौज के मौखरियों का शासन रहा इन्हें मालवा के गुप्त राजाओं का कड़ा मुकाबला करना पड़ा इनका अन्तिम राजा गहवर्मन ईसा के लगभग 606 व ा बाद मालवा के राजा देवगुप्त ारा पराजित हुआ तथा मार डाला गया इसके अनन्तर गहवर्मन के मंत्रियों ने प्रशासन की बागडोर गहवर्मन के साले ह ाविर्धन को साप दी ह ाविर्धन थाने ार का राजा था

ह ा के राज्याभि ोक से थाने ार और कन्नौज के राज्यवंश आपस में मिल गये कन्नौज उ ार भारत का प्रमुख नगर बन गया कई शताब्दियों तक उसका वही मान रहा जो उससे पहले पाटलिपुत्र का था उसकी शान-शौकत तथा समद्धि के फलस्व प उसे महोदय श्री नाम मिला तथा ह ा के बाद (ईसा 647 के परवर्ती काल में) राजाओं का उसे अपने अधिकार में लेने का लक्ष्य रहा करता था उस समय आये चीनी यात्री ेनसांग ने कन्नौज की समद्धि का वर्णन किया है

ह ा के बाद उ ार भारत में फिर उथल-पुथल मच गयी उपलब्ध साम ाी के आधार पर केवल कु ाटनाओं का उल्लेख किया जा सकता है

आठवा सदी के प्रथम चतुथाश में यशोवर्मन ने कन्नौज में अपना आधिपत्य जमा लिया था उसने लगभग पूरे भारत को जीत लिया और कन्नौज को ाफर से वैभवशाली नगर बना दिया कश्मीर के ललितादित्य मु ापीड़ के सहयोग से उसने तिब्बत में भी सेना भेजी थी और सफलता पायी थी किन्तु बाद में ललितादित्य ने उसे ग ी से उतार दिया और मार डाला (ईसा से 740 व ा बाद) बाद के आयुधवंशीय राजाओं के काल में कन्नौज पर आधिपत्य के लिए बंगाल के पाल, दक्षिण के रा कूटों तथा प ाामी भारत के गुर्जर प्रतिहारों के बीच बहुत दिनों तक प्रतिस्पर्धा चली जिसमें अन्तिम सफलता गुर्जर प्रतिहारों को मिली इन लोगों ने जो सामाज्य स्थापित किया वह विस्तार और ख्याति की ि से किसी भी गुप्त-वंशीय राजा या समाट ह ा के सामाज्य से कम नहा था गुर्जर प्रतिहार पूरी नवा एवं दसवा शताब्दी में उ ार भारत पर ाये रहे इनको सन् 1018-19 में महमूद गजनवी ने परास्त किया जेजाकभु ि या वर्तमान बुन्देलखंड में चन्देल राजाओं ने महमूद गजनवी के आक्रमणों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया था उनका गढ़ कालिंजर अजेय बना रहा इन लड़ाइयों में दो चन्देल शासकों, धंग और वि ााधर ने बड़ा शानदार योगदान किया था

प्रतिहारों के पराभव के बाद मध्यदेश में फिर से अराजकता फैल गयी किन्तु इसी समय गहरवार राजवंश के उदय से शांति एवं सुव्यवस्था पुनः स्थापित हुई और इस क्षेत्र में समद्धि का नया युग प्रारम्भ हुआ दो प्रमुख गहरवार राजा थे गोविन्द चन्द्र (सन् 1104 से 1154 तक) और जयचन्द्र (सन् 1170 से 1193) तक जयचन्द्र की अदूरदर्शिता से चौहान राजा पथ्वीराज ततीय की 1192 में तराइन में मोहम्मद गोरी के हाथों

पराजय हुई और फिर अगले व ा जयचन्द्र स्वयं भी चन्दवार (इटावा) में हारा और मारा गया इसके बाद मेरठ, कोइल (अलीगढ़), असनी, कन्नौज और बनारस शी ्र ही आक्रमणकारियों के शिकार हुए जेजाकभु ि (अब बुन्देलखण्ड) में सन् 1203 में चन्देल राजा परमर्दिदेव (लोकगाथाओं का वीर परमाल) एक युद्ध में कुतुबु ीन ऐबक से हार गया और मारा गया चन्देलों ने बाद में स्थिति सँभाल ली और लगभग दो शताब्दी से भी अधिक समय तक राज्य करते रहे यह और बात है कि उनका राज्य-क्षेत्र ोटा हो गया था इसी प्रकार सुदूर उ ार का पहाड़ी भाग भी आक्रामकों से सुरक्षित रहा

सन् 1206 में कुतुबु ीन ऐबक दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और वहा से गुलाम वंश का प्रारम्भ हुआ गुलाम वंश के राजाओं और उनके बाद खिलजियों तथा तुगलक वंश के बादशाहों ने धीरे-धीरे दिल्ली सल्तनत की सीमा बढ़ायी वर्तमान उ ार प्रदेश का क्षेत्र लगभग प्रारम्भ से ही इन लोगों के सामाज्य का अंग रहा सम्भल, कड़ा और बदायूं प्रमुख जागीरदारों को साप दिये गये थे, तथापि पूरा प्रदेश बराबर दिल्ली के सुल्तानों का विरोध करता रहा विरोध करने वाले क्षेत्रों में कटेहर, कम्पिल, भोजपुर और पटियाली के नाम उल्लेखनीय ह

तेरहवा और चौदहवा शताब्दी में मध्य-देश का इतिहास शौर्यपूर्ण प्रतिरोध और बर्बरतापूर्ण दमन का इतिहास रहा है जिसकी एक दो झाँकियाँ उस समय के इतिहासकारों की कतियों में दिखलायी पड़ती ह इस अवधि के समाप्त होने से पहले ही दिल्ली के तुगलकों का सामाज्य तेजी से वि ाटित होने लगा था और सन् 1394 में इस क्षेत्र के पूवाचल में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना हो गयी यह शकी सामाज्य था और इसकी स्थापना जौनपुर में नासिरु ीन तुगलक के विद्रोही सूबेदार मलिक सरवर ख्वाजाजहां ने की थी शकी शासकों ने 84 व ाा तक दिल्ली की सल्तनत का जमकर प्रतिरोध किया और कन्नौज एवं अन्य सीमान्त जिलों पर दिल्ली का प्रभुत्व नहा माना

जौनपुर के अलग हो जाने के चार व ा बाद अर्थात् सन् 1398 में भारत पर समरकन्द के एक चुगताई तुर्क ने, जिसे तिमुर या तैमूरलंग या तमरलेन कहा जाता है, आक्रमण किया य ापि मुख्य प से दिल्ली और पंजाब का क्षेत्र तैमूरलंग की बर्बरता तथा पाशविकता का शिकार बना किन्तु दोआब का क्षेत्र भी अ ूता न बचा उदाहरण के लिये मेरठ, हरि ार तथा कटेहर को भी इस आक्रमण की कटुता का अनुभव हुआ

तैमूर की चढ़ाई ने तुगलक वंश का शासन समाप्त कर दिया सन् 1412 में मुहम्मद तुगलक (अन्तिम तुगलक बादशाह) की मत्यु हो गयी और उसी समय से दिल्ली में तुगलक राजवंश की समाप्ति हो गयी

सन् 1414 से 1526 तक सैय्यद और लोदियों ने दिल्ली सामाज्य के बचे-खुचे भाग पर राज्य किया लोदी राज-वंश के संस्थापक बहलोल लोदी ने सन् 1478 में जौनपुर पर अधिकार कर लिया किन्तु दोआब का अधिकांश भाग अनेक हिन्दू एवं मुसलमान सरदारों के अधीन बना रहा तत्कालीन इतिहास की एक प्रमुख ाटना यह रही कि सिकन्दर लोदी ने आगरा को अपनी उप-राजधानी बनायी

बाबर ने पानीपत की लड़ाई में सन् 1526 में लोदियों के अन्तिम बादशाह इब्राहीम लोदी को परास्त कर आगरा पर अधिकार कर लिया किन्तु इसके बाद भी अफगानों ने गंगा की ााटी में और सम्भल, जौनपुर, गाजीपुर, कालपी, इटावा और कन्नौज में अपना प्रतिरोध जारी रखा तथा कड़ी लड़ाई के बाद ही आत्मसमर्पण किया बाबर ने मुगल सामाज्य की नाव रखी किन्तु उसके लड़के हुमायूँ को अफगान वीर शेरशाह सूरी के हाथों करारी हार खानी पड़ी थी शेरशाह सूरी मुगलों के विरुद्ध भारतीय मुसलमानों के विरोध का प्रतीक था मुगलों और शेरशाह सूरी के बीच हुई लड़ाइयों में चुनार, चौसा तथा बिल ााम प्रमुख रणस्थल थे शेरशाह सूरी स्वयं सन् 1545 में कालिंजर के प्रसिद्ध किले पर अधिकार करने के प्रयास में चन्देलों से लड़ते हुए मारा गया

उसकी मत्यु से मध्ययुगीन इतिहास का एक विलक्षण सितारा अस्त हो गया इसके उपरान्त महत्वपूर्ण ाटनाओं का क्रमारम्भ हुआ हुमायूं फिर से दिल्ली के तख्त पर बैठा उसकी मत्यु के बाद पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई सन् 1556 में अकबर दिल्ली की ग ी पर बैठा और भारतीय इतिहास में एक नवीन युग का

आरम्भ हुआ यह युग था स्थिर एवं सु ढ़ प्रशासन का, 'सुलहकुल' और हिन्दू एवं मुसलमान संस्कृतियों के समन्वय का

समन्वय की यह प्रक्रिया अकबर के उ राधिकारियों-जहाँगीर एवं शाहजहाँ के समय में भी चलती रही उत्क ा के इस युग में हिन्दुस्तान का, जैसा कि तत्कालीन मुसलमान इतिहासकार उ र प्रदेश को कहते थे महत्त्वपूर्ण अंशदान रहा है अकबर के दो प्रसिद्ध मंत्री टोडरमल और बीरबल इसी क्षेत्र के थे और जब तक शाहजहाँ के समय में दिल्ली को राजधानी नहा बनाया गया था तब तक आगरा ही मुगल सामाज्य की राजधानी रही

औरंगजेब ारा 'सुलहकुल' की नीति का परित्याग करने से मुगल सामाज्य को भारी धक्का लगा परिणाम यह हुआ कि उसकी मत्यु के कु ही दशकों में श क्तिशाली मुगल सामाज्य न हो गया औरंगजेब के शासनकाल में ही बुन्देलखण्ड ने वीर त्रसाल के नेतत्व में विद्रोह का बिगुल बजा दिया था बुन्देलों की यह लड़ाई रुक-रुक कर लगभग 50 व ा तक चली त्रसाल को पेशवा वाजीराव की सहायता स्वीकार करनी पड़ी इस प्रकार उ र प्रदेश में मराठों के पैर जमे स्वयं अवध का स्थानीय सूबेदार सादात खाँ सन् 1732 में स्वतंत्र हो गया और उसके बाद उसके उ राधिकारी सन् 1856 तक राज्य करते रहे लगभग इसी समय रुहेलों ने भी स्वतंत्र राज्य कायम कर लिया और सन् 1774 तक रुहेलखण्ड में अधिपति बने रहे उ क्त व ा अवध के नवाब ने उन्हें ईस्ट इंडिया कम्पनी की सहायता से परास्त किया कु समय तक मराठों ने गंगा-जमुना दोआब पर अपना आधिपत्य जमाने के प्रयास किये किन्तु 1761 में पानीपत में हुई हार ने उनकी इस विस्तार-भावना का अन्त कर दिया इस अवसर से लाभ उठाकर अं ोजों ने दोआब में अपनी स्थिति सु ढ़ बना ली

अवध के तीसरे नवाब शुजाउ ौला (सन् 1754 से 1775 तक) के शासनकाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी अवध के शासकों के सम्पर्क में आयी शुजाउ ौला ने बंगाल से भागे हुए नवाब मीर कासिम से सन् 1764 में अं ोजों के विरुद्ध इकरारनामा कर रखा था किन्तु बक्सर के युद्ध में अं ोजों से पराजित हुआ और उसे कड़ा एवं प्रयागराज अं ोजों को दे देना पड़ा इसके बाद अं ोजों ने कभी धमकी देकर कभी फुसलाकर नवाब से बड़े-बड़े क्षेत्र हड़पने की नीति बना ली

सन् 1775, 1798 और 1801 में नवाबों से जो क्षेत्र अं ोजों ने प्राप्त किये और सन् 1803 में ग्वालियर के सिंधिया से जो क्षेत्र लार्ड लेक ने जीते वे सब शु में बंगाल के प्रान्त से सम्बद्ध कर दिये गये थे और इन्हें जीते हुए या मिले प्रदेश की सं ा दी गयी सन् 1816 में सुगौली की संधि ारा वर्तमान कुमाऊँ, गढ़वाल और देहरादून के जिले गुरखा आक्रमणकारियों से लेकर ब्रिटिश राज्य में मिला लिये गये इस प्रकार से जो विस्तत क्षेत्र बना उसे सन् 1836 में उ र-प ि म प्रान्त के नाम से एक प्रशासनिक इकाई में बदल दिया गया बुन्देलखण्ड के नाराहट सहित छोटी रियासत पर किसानों पर लगान अधिक रोपित करने पर मधुकर शाह के नेतृत्व में 1842 में बुन्देला विद्रोह में पहली बार अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा गया। अन्त में सन् 1856 में राज्य हड़पने की नीति का अनुसरण करते हुए डलहौजी ने अवध को अं ोजी राज्य में मिला लिया तथा उसे एक चीफ कमिश्नर की अधीनता में रख दिया आखिरी नवाब वाजिद अली शाह को अं ोजों ने कलक ा भेज दिया और उन्हें पेंशन दे दी इसी समय झाँसी का राज्य भी अं ोजों ने रानी झांसी लक्ष्मीबाई से भीषण युद्ध के पश्चात उन्हें पराजित कर अपने राज्य में मिला लिया था

अवध के नवाबों और ईस्ट इंडिया कम्पनी के बीच जैसे सम्बन्ध थे वे एक तरफ तो नवाबों की दुर्बलता का तथा दूसरी तरफ अं ोजों की उ ण्डता, श क्ति और वि ास ात का स्मरण दिलाते ह अतः सन् 1856 में जब अं ोजों ने अवध की नवाबी हड़प ली तो यह स्वाभाविक था कि रा ीय स्तर पर विद्रोह की अग्नि भड़क उठे और सन् 1857 में यही हुआ उ क्त विद्रोह में, जो रा की आजादी के लिए किया गया प्रथम स्वतंत्रता-सं ाम था, वर्तमान उ र प्रदेश के किसानों, मजदूरों, महिलाओं, दलितों तथा सभी धमा व वगा के लोगों ने शानदार भूमिका अदा की झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई, अवध की बेगम हजरत महल, बख्त खाँ, नाना साहब, मौलबी

अहमदउल्ला शाह, राणा बेनीमाधव सिंह, अजीमउल्ला खाँ तथा अन्य अनेक रा भ ों ने उ ऐतिहासिक सं ा में जिस कर्तव्यनि ा का परिचय दिया उससे वे अमर हो गये

सन् 1858 में दिल्ली डिवीजन उ ारी-प ामी प्रदेश से जुदा कर दिया गया और प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद स्थानान्तरित कर दी गयी उसी व 1 नवम्बर को एक शाही ो णा ारा राजनीतिक स ा ईस्ट इण्डिया कम्पनी के हाथों से लेकर सीधे महारानी विक्टोरिया को साप दी गयी

सन् 1877 में उ ार-प ामी प्रदेश के लेफ्टिनेन्ट गवर्नर का पद तथा अवध के चीफ कमिश्नर का पद एक में मिला दिया गया उसी समय से उ वह ार क्षेत्र को उ ार-प ाम प्रदेश, आगरा और अवध, कहा जाने लगा सन् 1902 में इस नाम को भी बदल कर संयु प्रदेश आगरा और अवध कहा जाने लगा सन् 1921 से यहाँ गवर्नर नियु होने लगा और कु समय बाद राजधानी लखनऊ स्थानान्तरित हो गयी सन् 1937 में इसका नाम ोटा करके मात्र संयु प्रान्त कर दिया गया आजादी मिलने के लगभग ढाई व बाद अर्थात् 24 जनवरी, 1950 को इस क्षेत्र का वर्तमान नाम उ ार प्रदेश हुआ इसके तुरन्त बाद पास-पड़ोस के अनेक ोटे-ोटे क्षेत्र इसमें मिला लिये गये 26 जनवरी, 1950 को जब स्वतंत्र भारत का संविधान लागू हुआ तो उ ार प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य बन गया

इसमें सन्देह नहा कि अं ोजों के राज्यकाल में या उसके बाद की अवधि में उ ार प्रदेश का इतिहास पूरे भारत के इतिहास से पथक नहा रहा, किन्तु यह तथ्य सर्वविदित है कि रा ीय आन्दोलनों में यहाँ के लोगों का योगदान महत्वपूर्ण है सी.वाई. चिन्तामणि, तेज बहादुर सप्रू, मदनमोहन मालवीय, मोतीलाल नेह , जवाहरलाल नेह , गोविन्द वल्लभ पन्त, लालबहादुर शा ी तथा रफी अहमद किदवई ये सब रा के नेता रहे ह और सब उ ार प्रदेश के रहने वाले थे यह भी कम गौरव की बात नहा है कि इस प्रदेश से अनेक प्रधान मंत्री रा को मिले ह- पं. जवाहरलाल नेह , श्री लालबहादुर शा ी, श्रीमती इंदिरा गाँधी, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, वी.पी. सिंह, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी एवं वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी भी जो वाराणसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुने जाते हैं। यद्यपि वह मूल रूप से गुजरात से हैं। वह गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और गुजरात की सामाजिक शांति वह समृध्दि का श्रेय भी उनको मिलता है इत्यादि

वाधानता आन् ोलन ार ा` ाका ािका

औरंगजेब की मत्यु के उपरान्त पचास व ा में कुल आठ मुगल शासक दिल्ली की ग ी पर बैठे 1757 तक वर्तमान उ ार प्रदेश में पाँच स्वतंत्र राज्य स्थापित हो चुके थे मेरठ तथा बरेली के उ ार में नाजिब खान नामक पठान सरदार, मेरठ तथा दोआब क्षेत्र में रुहेलों के अन्तर्गत रुहेलखण्ड, फर्रुखाबाद के नवाब के अन्तर्गत मध्य दोआब का क्षेत्र, वर्तमान अवध तथा पूवा जिलों पर अवध के नवाब तथा बुन्देलखण्ड पर मराठों का शासन स्थापित था दिल्ली में मुगलों के पराभव के साथ ही इन सभी स्वतंत्र राज्यों में वर्चस्व का सं ा जारी हो गया 1761 के तीसरे पानीपत के युद्ध में मराठों, जाटों तथा राजपूतों की पराजय ने तथा बक्सर के युद्ध (1764) में ईस्ट इण्डिया कम्पनी ारा अवध के नवाब शुजाउ ौला तथा बंगाल के नवाब मीर कासिम की पराजय ने उ ार भारत का भाग्य निर्धारित कर दिया अं ोज प्रयागराज तक बढ़ आये थे अवध के नवाब ने मराठों को बुन्देलखण्ड से सहायता के लिए बुलाया परन्तु कानपुर के निकट जाजमऊ में नवाब व मराठों की सम्मिलित सेना अं ोजी सेना से पराजित हो गयी निर्वासित मुगल समाट शाह आलम को प्रयागराज तथा कोरा (प्रयागराज, कानपुर तथा फतेहपुर) के साथ-साथ बंगाल के राजस्व से 26 लाख व ािक का कर दान देना ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने तय किया जबकि अवध के नवाब ने अं ोजों को 50 लाख का मुआवजा देना स्वीकार किया

1773 में अं ोजों ने रुहेलखण्ड में मराठों को पराजित कर दिया तथा उन्हें दोआब से नि ासित कर दिया प्रयागराज अवध के नवाब को इस आधार पर साप दिया गया कि शाह आलम ने इसे मराठों को साप दिया था 1774 में अं ोजी सेनाओं ने रुहेल सरदार रहमत खान को शाहजहाँपुर में पराजित कर रुहेलखण्ड को

अवध के नवाब को साप दिया

1775 में शुजाउ ौला की मत्यु के प ाात् आसफउ ौला अवध का नवाब बन गया अं ोजों के साथ की गयी एक नई संधि में उसने बनारस क्षेत्र का आधिपत्य अं ोजों को साप दिया बनारस क्षेत्र इस समय राजा चेत सिंह के अधिकार में था राजा चेत सिंह ने 1780 में जब सैनिक टुकड़ियों तथा धन की अतिरि ï माँग को ठुकरा दिया तब गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स राजा को सबक सिखाने स्वयं बनारस पहुँच गया राजा चेत सिंह के नेतत्व में हुये बनारस विद्रोह को दबाकर अं ोजों ने महीप नारायण सिंह को बनारस का राजा बना दिया इसके साथ ही बनारस पर ब्रिटिश प्रशासन सुनिि ात हो गया

सन् 1797 में आसफउ ौला की मत्यु हो गयी तत्प ाात् उसका भाई सादात अली अवध का नवाब बन गया उसने प्रयागराज का किला अं ोजों को साप दिया तथा बा ा आक्रमण से सुरक्षा के बदले में प्रतिव र्ा 76 लाख रुपये ईस्ट इण्डिया कम्पनी को देने का आ ाासन भी प्रदान कर दिया

19वा सदी के प्रारम्भ पर अं ोजों के पास इस प्रान्त में सिर्फ बनारस क्षेत्र (मिर्जापुर के अतिरि ï) तथा प्रयागराज का किला था 1801 में अवध के सादात अली ने सुरक्षा की गारन्टी के एवज में गोरखपुर क्षेत्र, रुहेलखण्ड क्षेत्र, प्रयागराज, फतेहपुर, कानपुर, इटावा, एटा, दक्षिणी मिर्जापुर तथा कुमायूँ का तराई परगना अं ोजों को प्रदान कर दिया अगले ही साल फर्रुखाबाद के नवाब ने अपना इलाका भी अंग्रेजों को दे दिया इस प्रकार इस समय तक उ ार को ोड़ कर शे ा सभी तरफ से अवध अं ोजों ारा शासित क्षेत्रों से ि ार चुका था 1803 में लार्ड लेक ने मराठों को पराजित कर अलीगढ़, दिल्ली तथा आगरा पर अधिकार कर लिया इस युद्ध के परिणामस्व प अं ोजों ने मराठों से मेरठ, आगरा, झाँसी के पड़ोसी जिले बाँदा, हमीरपुर, जालौन, गोहाड़ तथा ग्वालियर का क्षेत्र भी हथिया लिया परन्तु बाद में अं ोजों ने गोहाड़ तथा ग्वालियर सिन्धिया को वापस कर दिया 1816 के गोरखा युद्ध में अं ोजों को कुमायूँ तथा देहरादून भी प्राप्त हो गये

इस समय तक यह सारा क्षेत्र बंगाल प्रेसीडेन्सी का ही हिस्सा रहा तथा इस पर गर्वनर जनरल का ही शासन बना रहा 1833 में इसे बंगाल प्रेसीडेन्सी से अलग कर आगरा प्रेसीडेन्सी का नाम दिया गया साथ ही एक गर्वनर की नियुि ï भी कर दी गई 1836 में जब इस प्रान्त का नाम उ ार पि ामी प्रान्त किया गया तब इस प्रान्त में आगरा, झांसी, जालौन के साथ-साथ दिल्ली तथा अजमेर के क्षेत्र भी शामिल थे बाद में मारवाड़, बुन्देलखण्ड तथा हमीरपुर भी इसमें शामिल कर लिये गये 1856 में अवध को भी इसमें शामिल कर लिया गया 1857 की क्रान्ति के बाद दिल्ली पंजाब को, तराई के कु हिस्से नेपाल को, बरेली तथा मुरादाबाद के कु इलाके रामपुर के नवाब को तथा सागर मध्य प्रान्त को दे दिये गये 1871 में अजमेर व मारवाड़ भारत सरकार को हस्तान्तरित कर दिये गये

5 का ïान्ति

अं ोजी शासन के स्थापना व र्ा 1757 के ठीक सौ वर्ष बाद1857 में उ ारी भारत की जनता ने विदेशी शासन के विरुद्ध एक महान विद्रोह किया इस विद्रोह का प्रारम्भ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी के भारतीय सैनिकों के गदर से हुआ कम्पनी की सेना मुख्य प से तीन अंगों में विभाजित थी बंगाल, बाम्बे तथा मद्रास सेना इनमें बंगाल सेना सबसे बड़ी थी, जिसमें कुल 1,70,000 सैनिकों में से 1,40,000 भारतीय सैनिक थे जो मुख्यतया अवध, बिहार तथा उ ारी-पि ामी प्रान्तों के निवासी थे ये सभी अपने अपने गाँव के ोटे- ोटे जमादार अथवा किसान परिवार से आये थे य ापि उन्हें सन्तो ाजनक वेतन प्राप्त होता था परन्तु ये कभी भी साजन्ट से ऊपर का पद नहा प्राप्त कर पाते थे

1857 में प्लासी के युद्ध को सौ साल पूरा होना था इस अवसर पर ब्रिटिश राज को समाप्त कर देने की ि टपुट योजनाएँ बनने लगी था परन्तु कोई संगठित योजना अभी तक नहा बन सकी थी इनका प्रयास कु संन्यासी तथा वहाबी आन्दोलनकर्ता अवश्य कर रहे थे इसका थोड़ा बहुत प्रभाव सैनिकों पर भी था

पि ले कु व ा से यह आम धारणा बनने लगी थी कि कम्पनी सरकार हिन्दू और मुसलमान दोनों को ईसाई बनाना चाहती थी इसके कारण सैनिकों में एक आक्रोश व्याप्त था इसी मध्य अं ोजों ने नये-नये आवि कत, एनफिल्ड रायफिलों के लिए एक नये प्रकार का कारतूस प्रयोग करना आरम्भ किया चूँकि प्रयोग करते समय इसे मुँह से खोलना पड़ता था, हिन्दू और मुस्लिम दोनों धमा के सैनिकों में यह धारणा बन चुकी थी कि उनके खोल सुअर एवं गाय की चबा से बनाए गए थे इन कारतूसों के प्रयोग ने सैनिकों के आक्रोश को विस्फोट में बदल दिया 26 फरवरी, 1857 को कलक ा से 120 मील दूर स्थित बरहामपुर के 19वा देशी सैनिक टुकड़ी ने दगाऊ टोपी पहनकर परेड में जाने से मना कर दिया उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गयी इसके तत्काल बाद कलक ा के निकट स्थित बैरकपुर के 34वा देशी सैनिक ावनी के मंगल पाण्डे ने 21 मार्च को खुला विद्रोह कर दिया उ ार प्रदेश के निवासी मंगल पाण्डे ने उस दिन अपने एडजुडेन्ट लेफ्टिनेंट हेनरी बाग पर गोली चला दी तथा उस पर तलवार से भी वार किया 7 अप्रैल को ही उन्हें बैरकपुर में फाँसी दे दी गयी मंगल पाण्डे की शहादत ने उ ार भारत के समस्त सैनिक ावनियों में विद्रोह की आग भड़का दी इससे पहले से भारतीय जनता में ब्रिटिश शासकों की लूट, अत्याचार, हत्या, देशी उ ोगों को नेस्तनाबूद करने के कारनामों, अकाल, भूख, किसानों-मजदूरों पर बेइंतहा जुल्म आदि को लेकर विरोध व प्रतिरोध का लावा उबल रहा था मंगल पाण्डेय की फाँसी ने इसमें ी का काम किया और व्यापक जनविद्रोह उभर पड़ा सैनिकों के विद्रोह के साथ जन-विद्रोह भी शामिल हो गया जिसने देश की स्वाधीनता के पहले विद्रोह, मु ि की लड़ाई का स्व प लिया अम्बाला के 60वा व 5वा सैनिक ावनी के सभी सैनिकों ने 9 मई को विद्रोह कर दिया यह प्रथम ऐसा सैनिक विद्रोह था जिसमें किसी ावनी के समस्त सैनिकों ने भाग लिया था अं ोजों ने इस पर तत्काल काबू पा लिया, पर इसके बाद मेरठ में होने वाला विद्रोह अं ोजी सैनिक क्षमता के बूते से बाहर सिद्ध हुआ 24 अप्रैल की परेड में मेरठ की देशी सेना ने उन कारतूसों को ूने से भी मना कर दिया अं ोजी सेना ने 9 मई को 90 में से 85 सैनिकों की वदा उतरवा ली दूसरे दिन ही पूरी ावनी के सैनिकों में विद्रोह की आग भड़क उठी उन्होंने अपने सैनिकों व साथियों को जेल से ुड़ा लिया तथा सभी अं ोज अधिकारियों, उनकी पत्नियों और बच्चों को मार दिया 11 मई को इन्हा सैनिकों ने दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया अंग्रेजों की राज्य हड़प नीति के कारण परीक्षित गढ़ के राव कदम सिंह और दलेल सिंह आदि के नेतृत्व में क्रांन्तिकारियों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। इन सैनिकों ने तत्कालीन भारत के पेंशनयाफ्ता समाट बृद्ध बहादुरशाह जफर ि तीय को मजबूर किया कि वह उनको नेतत्व प्रदान करें 6 सैनिकों तथा 4 नागरिकों की एक मिली-जुली समिति ने जलसा के नाम से दिल्ली का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया

इस सैनिक विद्रोह से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला क्षेत्र अवध तथा बुन्देलखण्ड का था यहाँ के किसानों ने तत्काल विद्रोही सैनिकों के साथ विद्रोह में हिस्सा लेना प्रारम्भ कर दिया था नये जमादारों को भगा दिया गया अथवा उनकी हत्या कर दी गयी स्थानीय सरकारी कार्यालयों पर हमला बोल दिया गया लगान देना बन्द कर दिया गया उ ारी भारत के दोआब क्षेत्र ने भी इस विद्रोह में सक्रिय योगदान दिया इन्होंने अलीगढ़, बरेली, लखनऊ, कानपुर तथा प्रयागराज को स्वतंत्र कराने के बाद वहाँ अपनी सरकारें स्थापित कर ली था बरेली का प्रशासन खान बहादुर खान नामक रोहिल्ला सैनिक अधिकारी ने अपने हाथ में ले लिया था कानपुर के प्रशासन पर पेशवा बाजी राव ि तीय के द ाक पुत्र नाना साहब या पूरा नाम नाना गोविन्दधोंडू पंत का अधिकार था पटना में विद्रोह का नेतत्व पीर अली नामक एक पुस्तक विक्रेता कर रहेथे इन नगरों के साथ इटावा, मैनपुरी, रुड़की, एटा, मथुरा, शाहजहाँपुर, बदायूँ, आजमगढ़, सीतापुर, बाराबंकी, वाराणसी, झाँसी, अयोध्या, फतेहपुर तथा हाथरस जैसे अपेक्षाकत ोटे- ोटे शहरों में भी विद्रोह का विस्तार हो चुका था

इस बीच दिल्ली में कानून और व्यवस्था की समस्या खड़ी हो चुकी थी विद्रोही सैनिकों में इस समय जिस अनुशासनिक भावना की आवश्यकता थी उसको उत्पन्न करने में तत्कालीन विद्रोही नेता असफल रहे बिना किसी पूर्व तैयारी, सैद्धान्तिक प भूमि तथा नि ित नेतत्व के बिना ही विद्रोह प्रारम्भ हो जाने के कारण

दिल्ली में एक ऐसी अराजक स्थिति उत्पन्न हो गयी जिसमें किसी को भी यह नहा पता था कि आगे क्या करना है अनुशासन की यही समस्या कानपुर में भी खड़ी हुई यहाँ नाना साहब ने विद्रोह का नेतत्व सम्भाल रखा था इस समय नगर में लगभग 10,000 सैनिक तथा क ाक अं ोजों के विरुद्ध सं ारित थे कानपुर के निकट लखनऊ में भी विद्रोह प्रारम्भ हो चुका था लगभग 50,000 नागरिक इसमें हिस्सा ले रहे थे इनका नेतत्व जन विद्रोही बेगम हज़रत महल कर रही था यहाँ पर विद्रोहियों ने रेजीडेन्सी का ोरा डाल रखा था, जिसमें अं ोज सैनिकों, अधिकारियों तथा उनके परिवारों ने शरण ले रखी थी कानपुर तथा लखनऊ में ब्रिटिश सेना अधिकारी कैम्पबेल, जनरल हैवलाक तथा विन्ढम ने अपनी समस्त सैनिक योग्यता तथा नेतत्व के बल पर विद्रोह को कुचलने का प्रयास एक लम्बे समय तक जारी रखा इन सभी के विरुद्ध विद्रोहियों के पक्ष में केवल एक तात्या टोपे ही योग्य सेनापति थे 6 माह के लगातार प्रयासों तथा एक माह के लम्बे युद्ध के बाद अं ोज अन्त में लखनऊ पर पुनः अधिकार करने में सफल हो गये कानपुर तथा लखनऊ के बाद अं ोजों ने मई में बरेली पर भी अधिकार कर लिया इसके बाद वे जनरल ़ारोज़ के नेतत्व में झाँसी की ओर बढ़े यहाँ पर उन्हें झाँसी की युवा रानी लक्ष्मीबाई का सामना करना पड़ा जो अब वीरतापूर्वक विद्रोह का नेतत्व कर रही था झाँसी की पराजय के बाद लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे की सहायता से ग्वालियर पर अधिकार कर लिया ग्वालियर के युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई अपने समस्त पराक्रम के बाद भी पराजित हुइ और इस युद्ध में उन्होंने वीरगति पायी इसके प ाात् अप्रैल 1859 में तात्या टोपे भी पकड़ लिये गये और उन्हें फाँसी दे दी गयी

इसी मध्य ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया ने 1 नवम्बर, 1858 को अपने ो ाणा पत्र में ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी के हाथों से समस्त अधिकार ले लिये इस ो ाणा में सामा ी ने विद्रोह से हाथ खाच लेने वाले रजवाड़ों, सामन्तों तथा जमादारों को आम माफीनामा देने का आ ाासन भी दे दिया परिणामस्व प, जो थोड़े बहुत जमादार और सामन्त अभी भी विद्रोह से जुड़े हुए थे, उन्होंने तत्काल विद्रोहियों का साथ ोड़ दिया अपने अन्तिम दौर में विद्रोह पूरी तरह से नेतत्व विहीन हो चुका था अतः इसको दबा देना अं ोजों के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहा था

रा वा का अकर ा

1857 की क्रान्ति के कारण अं ोजी राज का रवैया इस प्रान्त के प्रति पक्षपातपूर्ण हो गया था परिणामस्व प, शिक्षा तथा सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में यह प्रान्त बंगाल, बम्बई तथा मद्रास आदि से पि ड़ता चला गया इसके साथ ही साथ धार्मिक व सांस्कतिक आन्दोलनों के मामले में भी यह प्रान्त पि ड़ा ही रहा जिस दौर में बंगाल, ब्र ा समाज तथा रामक ण मिशन, पंजाब, आर्यसमाज तथा बम्बई व पूना, प्रार्थना समाज व सत्यशोधक मण्डल जैसी सामाजिक-बौद्धिक संस्थाओं के कारण सांस्कतिक व बौद्धिक प से उ ेलित हो रहे थे, उ ार प्रदेश एक सांस्कतिक शून्य के दौर से गुजर रहा था इस दौर में आर्य समाज की सिर्फ दो शाखाएँ उ ार प्रदेश में स्थापित हो सकी था इस अपेक्षाकत शान्त माहौल में भी बनारस के भारतेन्दु बाबू हरि ान्द्र, 19वा सदी के उ ारार्ध में अपने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका के माध्यम से बंगाल के स्वदेशी आन्दोलन के समर्थन में मुहिम जारी रखे हुए थे

इसी दौर में सर सैय्यद अहमद खान ने मुसलमानों के बीच एक प्रगतिशील आन्दोलन की नाव रखी 1869 में ब्रिटेन से लौटने के बाद उन्होंने तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका के माध्यम से मुस्लिम समाज के मध्य पा ाात्य ाान वि ाान का आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया 1875 में उन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरियंटल वि ाालय की स्थापना की जो बाद में अलीगढ़ वि ावि ाालय बन गया 'अलीगढ़ आन्दोलन' के नाम से विख्यात यह आन्दोलन उ ार प्रदेश के आधुनिक इतिहास का एक महत्त्वपूर्ण अध्याय है

सोमवार 28 दिसम्बर, 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कत कालेज, बम्बई , में भारतीय रा ीय कां ोस का प्रथम अधिवेशन सम्पन्न हुआ इस स्थापना अधिवेशन के कुल 72 प्रतिनिधियों में उ ार प्रदेश का

प्रतिनिधित्व गंगा प्रसाद वर्मा, प्राणनाथ पंडित, मुंशी ज्वाला प्रसाद, जानकीनाथ ो ाल, रामकली चौधरी, बाबू जमुनादास, बाबू शिव प्रसाद चौधरी तथा लाला बैजनाथ आदि ने किया था

कलक ा में सम्पन्न कां ास के दूसरे अधिवेशन में उ ार प्रदेश के प्रतिनिधियों की संख्या 74 पहुँच गयी थी दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में प्रारम्भ इस अधिवेशन में कुल 431 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था कां ास के दूसरे ही अधिवेशन में इतना अधिक प्रतिनिधित्व बढ़ जाने का कारण सुरेन्द्रनाथ बनजा ारा कां ास में सम्मिलित हो जाने के लिए राजी हो जाना था सुरेन्द्र नाथ बनजा तथा इण्डियन एसोसिएशन ारा अधिवेशन में सम्मिलित होने का निर्णय लेते ही बंगाल के अन्य राजनैतिक संगठनों ने भी इसमें खुलकर हिस्सा लिया ए.ओ. ाूम को कां ास का महासचिव बनाया गया तथा कां ास की स्थानीय समितियों को गठित करने का निर्णय लिया गया इस अधिवेशन में कां ास ने सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े प्रश्नों पर विचार के लिए सत्रह सदस्यीय समिति का गठन किया जिसमें अकेले उ ार प्रदेश से पाँच सदस्यों को चुना गया था लखनऊ के गंगाप्रसाद वर्मा, प्राणनाथ, मौलाना हामिद अली तथा नवाब रज़ा अली खान और प्रयागराज के मुंशी काशी प्रसाद इस समिति में शामिल थे

मद्रास के तीसरे अधिवेशन में बदरु ीन तैय्यब अली ारा ाोि ात सब्जेक्ट कमेटी में उ ार प्रदेश से राजा रामपाल सिंह, मौलवी हामिद अली, रामकली चौधरी एवं पं. मदनमोहन मालवीय को सम्मिलित किया गया था कां ास के इसी सत्र में पाटा के संविधान तथा कार्यपद्धति को निर्धारित करने के लिए एक विधि समिति का निर्माण भी किया गया था जिसमें लखनऊ के गंगा प्रसाद वर्मा, विशन नारायण व मौलाना हामिद अली को शामिल किया गया था यह अधिवेशन अपने पूर्ववता दोनों अधिवेशनों से अधिक सफल सिद्ध हुआ इसमें 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा पहली बार प्रतिनिधियों के रहने के लिए एक सभास्थल स्वीकार कर लिया गया इसी अधिवेशन से कां ास को एक जन संगठन बनाने का प्रयास प्रारम्भ हुआ

कां ास का चौथा अधिवेशन जार्ज यूल की अध्यक्षता में प्रयागराज में सम्पन्न हुआ इस प्रान्त के गवर्नर सर आकलैण्ड काल्विन ने जी जान से यह कोशिश की कि इस प्रान्त में न तो कां ास का प्रचार ही होने पाये और न वह आवश्यक चन्दे का ही सं ाह कर सके और तो और, प्रयागराज में अधिवेशन के लिये कां ास को कोई जगह भी न मिल पाये, यह भी प्रयास किया गया अं ाेजी शासन के इस कड़े रुख के कारण मद्रास के तीसरे अधिवेशन में कां ास ारा अं ाेजी प्रशासन के विरुद्ध की गयी कटु आलोचनाएँ ही था अं ाेजों के इस कड़े रुख के साथ-साथ सर सैय्यद अहमद खाँ तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद सितारे हिन्द ने भी कां ास का विरोध प्रारम्भ कर दिया था सर सैय्यद अहमद ने मुसलमानों को कां ास से दूर रहने को कहा परन्तु उनके विरोध के बाद भी भारतीय मुस्लिम समाज में कां ास के प्रति आकर् ाण निरन्तर बढ़ ही रहा था इसके अधिवेशनों में मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या 1885 में 2, 1886 में 33 और 1887 में 79 तक बढ़ चुकी थी कां ास में मुसलमानों के बढ़ते प्रभाव को देखकर सर सैय्यद ने मुहम्मडन एज्यूकेशनल कां ास और यूनाइटेड पैटियाटिक एसोसिएशन नामक दो संस्थाओं की स्थापना कर कां ास के विरुद्ध प्रचार प्रारम्भ कर दिया सर सैय्यद के साथ-साथ राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द ने भी कां ास के विरुद्ध प्रचार में उनका पूरा साथ दिया ब्रिटिश इण्डियन एसोसिएशन तथा सर दिनशा मानक जी पेटिट जैसे धनिक पारसियों ने भी कां ास को कमजोर करने की पूरी कोशिश की इन बा ा विरोधों के बाद भी प्रयागराज का अधिवेशन पहले तीन अधिवेशन से अधिक सफल सिद्ध हुआ इसमें कुल 1248 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया इनमें 964 हिन्दू, 222 मुसलमान, 7 पारसी, 11 जैन, 6 सिक्ख, 16 ईसाई, 2 यूरोपियन और 20 अमरीका निवासी भारतीय थे इन प्रतिनिधियों में से 11 नवाब, 1 शहजादा, 2 मुगल राजकुमार, 3 अन्य राजकुमार, 388 जमादार, 448 वकील, 77 पत्रकार, 143 आयु ा, 58 शिक्षक तथा 10 किसानों ने हिस्सा लिया था य ापि संख्या की ि से प्रयागराज का अधिवेशन एक सफल अधिवेशन था परन्तु इसमें सामन्तों तथा अभिजात्यवगाय प्रतिनिधित्व का वर्चस्व इतना अधिक बढ़ गया कि अं ाेजी राज के प्रति कां ास का रुख पहले की तुलना में अधिक नरम होने लगा इस नरम रुख का नेतत्व रानाडे और गोखले आदि कर रहे थे इस नरम रुख के

परिणास्व प ही 1892 का अधिवेशन लंदन में करने का निर्णय लिया गया था हालाँकि बाद में इसे प्रयागराज में करने का निर्णय लिया गया उ ार प्रदेश में कां ास का यह दूसरा अधिवेशन था उ ार प्रदेश में कां ास का तीसरा अधिवेशन 1899 में लखनऊ में हुआ, जिसमें कां ास के संविधान को स्वीकार किया गया तथा इसी अधिवेशन में प्रादेशिक कमेटियों के गठन का निर्णय भी लिया गया

कां ास के इस नरम रुख के विरुद्ध कां ास के अन्दर ही एक उ ावादी धारा प्रवाहित होने लगी जिसका नेतत्व लोकमान्य बालगंगा धर तिलक तथा अरविन्द ो ा कर रहे थे बम्बई से प्रकाशित होने वाले इन्दु प्रकाश में अरविन्द ो ा ने कां ास के इस नये रुख के विरुद्ध जमकर लिखा 1895 के पूना कां ास में तिलक ने यह सीधा आरोप लगा दिया कि वह इसे आम जनता तक नहा ले जाना चाहते ह 1905 तक कां ास पर य ापि नरम और गरम पंथियों का ही वर्चस्व स्थापित रहा परन्तु धीरे-धीरे तिलक की बढ़ती लोकप्रियता ने नरम और गरम पंथ के मध्य दूरी को बढ़ाना प्रारम्भ कर दिया था 1905 के बंगाल विभाजन ने कां ास के इस आन्तरिक मतभेद को अत्यधिक बढ़ा दिया बंग भंग आन्दोलन में दिये गये बहि कार, स्वदेशी तथा रा ीय शिक्षा के नारे के प्रश्न पर कां ास में तीखे मतभेद उत्पन्न हो चुके थे ऐसे माहौल में कां ास का 25वाँ अधिवेशन बनारस में हुआ इन दोनों समूहों में पहला टकराव बनारस में ही हुआ इस विवाद का प्रथम कारण प्रिंस आफ वेल्स का स्वागत प्रस्ताव था नरम पंथी इस प्रस्ताव को पारित कराना चाहते थे, जबकि तिलक आदि इसके विरुद्ध थे बाद में 1906 के कलक ा अधिवेशन में जब तिलक दल ने बहि कार आन्दोलन को अखिल भारतीय स्तर पर प्रारम्भ करने का प्रस्ताव किया तो नरम दल ने इसका जमकर विरोध किया इस अधिवेशन का प्रारम्भ ही कटुताओं से हुआ था वास्तव में, गरम दल वाले लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि नरम दल ने 81 व ाय दादाभाई नौरोजी को ब्रिटेन से बुलाकर तीसरी बार कां ास का अध्यक्ष बना दिया था इसका विरोध गरम दल न कर सका था स्वदेशी आन्दोलन को लेकर भी दोनों दलों में विरोध प्रारम्भ हो गया था इन सब का परिणाम 1907 के सूरत कां ास में उस समय सामने आया जब यह विरोध अपनी चरम सीमा में पहुँच गया तथा कां ास दो हिस्सों में विभाजित हो गयी

इस समय स्वदेशी, बहि कार एवं रा ीय शिक्षा के आन्दोलनों के विरुद्ध सरकारी दमन चक्र भी अपने चरम सीमा पर था तिलक को 24 जून 1908 को केसरी में प्रकाशित दो लेखों के लिए 6 व ा की सजा दे दी गयी बंगाल के प्रसिद्ध नेताओं अ िनी कुमार द ा और क ण कुमार मित्र को देश निकाला दे दिया गया कां ास अब पूरी तरह नरम दल वालों के हाथ में आ चुकी थी क्योंकि विपिनचन्द्र पाल तथा अरविन्द ो ा भी सक्रिय राजनीति से निकल गये थे

य पा ों वात य आन् ोलन आर का ो ा क ो ा

उ ार प्रदेश (यूनाइटेड प्राविंसेज़) में स्वातंत्र्य आन्दोलन को धार देने के लिए कां ास कमेटी का पहला सम्मेलन पं. मोतीलाल नेह की अध्यक्षता में प्रारम्भ हुआ 1907 के सूरत विभाजन में उ ार प्रदेश के पं. मोतीलाल नेह तथा पं. मदनमोहन मालवीय ने नरम पंथियों का साथ दिया था 1909 में प्रदेश कां ास का राजनीतिक सम्मेलन पुनः मोतीलाल नेह की अध्यक्षता में आगरा में शु हुआ 1910 तक कां ास संगठन का विस्तार प्रदेश के अनेक जिलों तक हो चुका था 1907 में गरम दल के नि कासन से 1914 के प्रथम वि ायुद्ध के प्रारम्भ तक कां ास नरम दल वालों के हाथ में रही

इस बीच लोकमान्य बालगंगा धर तिलक बर्मा के माण्डले जेल में रहे जून 1914 में लोकमान्य बालगंगा धर तिलक के ूटने तथा गोखले व फिरोजशाह मेहता की मत्यु के बाद गरम दल फिर से कां ास में प्रवेश पा गया सितम्बर 1914 में प्रथम वि ायुद्ध प्रारम्भ हो गया और नवम्बर में आटोमन खलीफा ने मित्र रा ों के विरुद्ध केन्द्रीय श ियों का साथ देना स्वीकार कर लिया था तुका ारा जर्मनी का साथ देने का निर्णय लेते ही पूरे ब्रिटिश सामाज्य के मुस्लिम समाज में ब्रिटिश विरोधी भावनाओं का संचार प्रारम्भ होने लगा था

भारत में भी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना मुहम्मद अली और शौकत अली जैसे नेताओं के प्रयास से मुस्लिम लीग ने अपने उ ेश्यों व नीतियों में थोड़ा परिवर्तन किया और ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी की जगह पर भारत में स्वशासन की स्थापना को मुस्लिम लीग का उ ेश्य ोि ित कर दिया इसके साथ ही तिलक, एनी बेसेन्ट तथा जिन्ना के प्रयासों से कां ोस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन एक साथ मुम्बई में हुआ इन दोनों के प्रतिनिधियों ने संयु ्त प से हिन्दू-मुस्लिम भोज का आयोजन किया इन्होंने चाँद और कमल दोनों चि ों वाले बैज लगा रखे थे जो हिन्दू-मुस्लिम एकता के प्रतीक थे जिन्ना इस समय तक हिन्दू-मुस्लिम एकता के राजदूत कहे जाने लगे थे

अगले व र् 1916 में एक बार फिर कां ोस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन एक साथ लखनऊ में सम्पन्न हुआ इस समय मुस्लिम लीग के नेता स्वयं जिन्ना थे जो 1904 से ही कां ोस के नेता थे लखनऊ कां ोस के अध्यक्ष अम्बिका चरण मजुमदार थे यहाँ पर कां ोस और लीग की एकता ने मूर्त प धारण किया इन दोनों ने मिलकर जो योजना तैयार की वह कां ोस-लीग समझौता के नाम से प्रसिद्ध हुई कां ोस का यह अधिवेशन इसलिए भी महत्वपूर्ण था कि 1907 के बाद पहली बार तिलक कां ोस अधिवेशन में सम्मिलित हो रहे थे तिलक की लोकप्रियता इस सीमा तक पहुँच चुकी थी कि लखनऊ स्टेशन से अधिवेशन स्थल तक उन्हें जिस ोड़ागाड़ी में लाया गया उसे ोड़ों के बदले लखनऊ वि ावि ालय के ात्रों ने खाचकर पाण्डाल तक पहुँचाया था

इस समय तक भारतीय राजनीति में एक ऐसे व्यि ्त का पदार्पण हो चुका था जो भारत की आजादी का मसीहा बनने वाला था मोहनदास करमचन्द गांधी नामक इस महात्मा ने दक्षिणी अ फ्रीका में अप्रवासी भारतीयों के अधिकारों के सं र् का सफलतापूर्वक नेतत्व करने के कारण अन्तर्रा ीय ख्याति प्राप्त कर ली थी भारत के स्वतंत्रता सं ााम में गांधी के प्रवेश के साथ ही भारतीय रा वाद में एक नयी दिशा का दौर प्रारम्भ हो गया गांधीवादी रा वाद मात्र भारत के राजनैतिक आजादी तक सीमित नहा रहा बल्कि इसने भारत की आर्थिक, धार्मिक, सांस्कतिक तथा सामाजिक क्रांति का नवीन दर्शन भी नि पित किया भारत की राजनैतिक आजादी मात्र इसकी पहली सीढ़ी थी इस सवागीण क्रान्ति के दर्शन को गांधी ने अहिंसा के चरखे पर सत्य के धागों से बुना था गांधी के इस क्रान्तिकारी खादीवाद समाज में औ ोगिक, राजनीतिक तथा धार्मिक पूँजीवाद के लिए कोई स्थान नहा था इस समाज तक पहुँचने का एकमात्र मार्ग सत्या ाह था

सन् 1914 में गांधी भी दक्षिण अ फ्रीका से भारत आ चुके थे उनके आने के पूर्व ही उनके सत्य, अहिंसा व सत्या ाह की ख्याति भारत पहुँच चुकी थी चम्पारण में नील की खेती करने वाले किसानों पर गोरों ारा किये जाने वाले अत्याचारों के विरुद्ध तथा गुजरात के खेड़ा जिले के अकाल ास्त किसानों पर लगने वाले लगान के विरुद्ध गांधी ने सत्या ाह प्रारम्भ कर दिया फरवरी 1919 में सरकार ारा रौलट कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की ो ाणा के बाद गांधी ने क्षण भर भी इन्तजार नहा किया इस कानून के अन्तर्गत क्रांतिकारी रा वादियों पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर उन्हें बिना कारण बताये गिरफ्तार किया जा सकता था तथा भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत नज़रबंद व्यि ्तयों को कानून समाप्त हो जाने के बाद भी बन्द रखा जा सकता था इसमें किसी प्रकार की अपील की संभावना नहा थी वि ायुद्ध के समाप्त हो जाने के बाद भी इस कमेटी के प्रस्तावों को स्वीकार करने के विरुद्ध गांधी ने सत्या ाह सभाओं की स्थापना कर 30 मार्च से देशभर में हड़ताल तथा उपवास की ो ाणा कर दी बाद में हड़ताल का दिन 6 अप्रैल 1919 कर दिया गया गांधी की सत्या ाह सभाओं ने जवाहरलाल नेह सहित अनेक युवकों को अपनी तरफ आकर्ि ात किया

अक्टूबर 1920 में यू.पी. कां ोस का प्रान्तीय सम्मेलन मुरादाबाद में आयोजित हुआ इस सम्मेलन की अध्यक्षता डा. भगवान दास ने की सम्मेलन में गांधी, मालवीय, मोतीलाल, जवाहरलाल, श्रद्धानंद, हकीम अजमल खाँ, मौलाना शौकत अली, मौलाना मुहम्मद अली तथा मौलना हसरत मोहानी जैसे राजनीतिक हस्तियों

की उपस्थिति ने इसे एक महत्वपूर्ण सम्मेलन बना दिया था इस सम्मेलन ने गांधी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया दिसम्बर 1920 का नागपुर अधिवेशन गांधीमय अधिवेशन में बदल चुका था उनके असहयोग का प्रस्ताव यहाँ बहुमत से पारित हो गया इस सम्मेलन में कां ।स का एक नया संविधान भी स्वीकार किया गया जिस पर गांधी की नीतियों का प्रभाव स्प था कां ।स के अन्दर खादी, अस्पश्यता निवारण, नशाबन्दी तथा रा ीय शिक्षा जैसे रचनात्मक सामाजिक काया का प्रारम्भ यहा से हुआ भारत के इतिहास में पहली बार किसी एक व्यि क के आ ान पर पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया ात्रों ने स्कूल ोड़ दिये और सरकारी नौकरों ने अपनी नौकरियाँ रा ीय शिक्षा के विकास के लिए पटना, अहमदाबाद तथा पूना की तरह बनारस में काशी वि ाापीठ और अलीगढ़ में मुस्लिम वि ाापीठ की स्थापना की गई मोतीलाल नेह , देशबन्धु चितरंजन दास, बाबू राजेन्द्र प्रसाद, आसफ अली तथा राजगोपालाचारी जैसे प्रमुख वकीलों ने अपनी वकालत ोड़ दी विदेशी कपड़ों की होली जलायी जाने लगी हजारों की संख्या में सत्या ाही गिरफ्तार कर लिये गये गांधी को ोड़कर देश के सभी बड़े-बड़े नेता गिरफ्तार कर लिये गये गांधी को गिरफ्तार करने का साहस अं ोजी शासन नहा कर पा रहा था उन्होंने प्रान्तीय समितियों को स्थानीय स्तर पर सत्या ाह आन्दोलन प्रारम्भ करने की स्वीकति दे दी बिहार और उड़ीसा की तरह उ ार प्रदेश में अवध प्रान्त के किसानों ने भी गैर कानूनी उगाही के विरुद्ध आन्दोलन कर दिया इसी समय ब्रिटेन के राजकुमार वेल्स ने भारत यात्रा प्रारम्भ की अक्टूबर 1921 में उ ार प्रदेश कां ।स का राजनीतिक सम्मेलन मौलाना हसरत मोहानी की अध्यक्षता में आगरा में प्रारम्भ हुआ इस सम्मेलन में ब्रिटिश युवराज के बहि कार को पूरी तरह सफल बनाने का नि ाय किया गया

जनवरी 1922 के सर्वदल सम्मेलन के अनुरोध पर गांधी ने एक माह के लिए आन्दोलन स्थगित करवा दिया, परन्तु सरकारी दमन जब फिर भी नहा रुका तब गांधी ने बारडोली में सामूहिक आन्दोलन प्रारम्भ करने का निर्णय लिया परन्तु बारडोली का आन्दोलन आरम्भ होने के पूर्व ही उ ार प्रदेश के चौरीचौरा नामक स्थान पर एक ऐसी ाटना हो गयी जिसने स्वतंत्रता सं ााम के इतिहास को एक नया मोड़ दे दिया

उ ार प्रदेश (संयु क प्रान्त) के गोरखपुर जिले के एक ोटे से कस्बे चौरीचौरा में 5 फरवरी 1922 को सत्या ाहियों का एक जत्था अपरा में आयोजित होने वाली एक जनसभा में भाग लेने के लिए सभा-स्थल की तरफ जा रहा था यहाँ पर सायंकाल तक एक रा ीय नेता के आने की सूचना थी सत्या ाही अत्यन्त उत्साहित थे स्वयंसेवक खादी की बनी टोपियाँ खरीद और बेच रहे थे थाने के सिपाहियों ारा गाली देने पर इस जत्थे और पुलिसवालों में झगड़ा हो गया सिपाहियों ने इस जत्थे के सत्या ाहियों को पीटना प्रारम्भ कर दिया सभास्थल पर एकत्रित लोगों को इसकी सूचना मिलते ही क्रोधित भीड़ ने सिपाहियों को ार लिया सिपाहियों ने तत्काल गोली चलानी प्रारम्भ कर दी गांधी जी के शब्दों में, उनके (पुलिस) पास थोड़े से कारतूस थे वे चुक गये तब वे सुरक्षा के लिए थाने में ाुस गये मेरे संवादप्रे ाक की सूचना के अनुसार भीड़ ने तब थाने में आग लगा दी थाने के अन्दर बन्द सिपाहियों को तब अपनी जान बचाने के लिए बाहर आना पड़ा और तब उनके टुकड़े-टुकड़े कर दिये गये और उनकी लाश के लोथड़ों को आग में झोंक दिया गया

इन सिपाहियों की कुल संख्या 22 थी इस ाटना ने गांधी को अत्यन्त आहत किया उन्होंने इस ाटना को अपने सिद्धान्तों तथा कार्यक्रमों के विपरीत बताया तथा 12 फरवरी को बारडोली में कां ।स की बैठक बुलाकर तत्काल प्रत्येक प्रकार के आन्दोलन को समाप्त कर देने की ाो ाणा कर दी कां ।स का कोई भी नेता इस अवसर को हाथ से नहा जाने देना चाहता था सभी ने गांधी के निर्णय का विरोध किया चितरंजन दास, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेह , जवाहरलाल नेह और सुभा ा चन्द्र बोस आदि सभी गांधी के इस निर्णय से हक्के-बक्के रह गये नि ाय ही अपने सिद्धांतों की रक्षा के लिए इतना बड़ा त्याग करने का साहस मात्र गांधी में ही था इस अवसर का लाभ उठाकर गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया तथा ह व ा के लिए जेल भेज दिया गया

वरा ावा ा

आन्दोलन के प्रारम्भ से ही गांधी के अहिंसा और सत्या ाह में पूर्ण आस्था न रखने वाले भी गांधी के साथ जुड़ने पर मजबूर हो गये थे परन्तु गांधी की गिरफ्तारी तथा आन्दोलन की वापसी के बाद इस वर्ग ने 1922 के गया कां ास अधिवेशन में विधान परि ादों में प्रवेश का प्रस्ताव रखा यह असहयोग के ाोित कार्यक्रम के विपरीत एक प्रस्ताव था चितरंजन दास तथा मोतीलाल नेह के नेतत्व में इस वर्ग की यह दलील थी कि आन्दोलन के वापस हो जाने के बाद आन्दोलन के कार्यक्रम भी समाप्त हो गये अब यह वर्ग विधान परि ादों में पुनः प्रवेश कर अन्दर से सं ा ा जारी रखने की नीति अपनाना चाहता था इनके विपरीत दूसरा वर्ग गांधी की अनुपस्थिति में आन्दोलन के किसी कार्यक्रम में कोई परिवर्तन नहा करना चाहता था इस प्रकार गया कां ास परिवर्तनवादियों और परिवर्तन विरोधियों नामक दो ाटकों में विभाजित हो गया परिवर्तन विरोधियों का नेतत्व राजगोपालाचारी तथा राजेन्द्र प्रसाद आदि कर रहे थे चितरंजन दास का प्रस्ताव 860 के विरुद्ध 1740 मतों से गिर गया चितरंजन दास ने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया तथा मोतीलाल नेह , वि लभाई पटेल, मदनमोहन मालवीय और जयकर को लेकर कां ास के अन्दर ही एक अन्य दल स्वराज पाटा की स्थापना कर दी

इस दल ने 1923 के चुनाव में हिस्सा लिया मध्य प्रान्त में इस दल ने बहुमत प्राप्त किया बंगाल में भी इसे दूसरा स्थान मिला परन्तु संयु ा प्रान्त तथा बंगाल में इसे स्प बहुमत नहा मिल सका केन्द्रीय विधान परि ाद् में इन्होंने 101 जगहों में से 42 जगह प्राप्त कीं सरकार के समक्ष स्वराजियों ने माँग रखी कि सभी राजनीतिक बन्दियों को रिहा कर दिया जाय, क्रूर कानूनों को निरस्त किया जाय तथा प्रान्तों को स्वाय ाता प्रदान कर परि ादों ारा सरकार चलायी जाय इसके लिए इन्होंने गोलमेज सभा आयोजित करने की माँग रखी

फरवरी 1924 में गांधी जी स्वास्थ्य के आधार पर जेल से रिहा कर दिये गये जेल से ूटने के बाद उन्होंने स्वराजवादियों के चुनाव लड़ने के निर्णय को अपना समर्थन दे दिया परिवर्तन विरोधियों के अनुसार स्वराजवादियों के समक्ष यह गांधी का आत्मसमर्पण था 16 जून 1925 को चितरंजन दास की मत्यु के बाद मोतीलाल नेह स्वराजवादियों के एकमात्र नेता बन गये परन्तु मदनमोहन मालवीय से उत्पन्न उनके मतभेद ने स्वराजवादियों को विभाजित कर दिया मालवीय ने जयकर तथा लाजपत राय के साथ मिलकर नेशनलिस्ट पाटा के नाम से एक नयी पाटा बना ली 1926 के चुनावों में इसे संयु ा प्रान्त में काफी सीटें प्राप्त हुइ और स्वराजवादी पूरी तरह टूट गये

अक्टूबर 1927 में ब्रिटेन की सरकार ने 1919 के भारत सरकार अधिनियम की उपलब्धियों की जाँच के लिए एक आयोग की नियु ा की जिसके सभी सदस्य अं ाेज थे इस आयोग के अध्यक्ष सर साइमन थे इस आयोग में किसी भी भारतीय के न होने के कारण कां ास ने आयोग के विरोध का निर्णय कर लिया फरवरी 1928 में यह आयोग मुम्बई पहुँचा हर नगर में साइमन वापस जाओ के नारे गूँजने लगे एक बार फिर से असहयोग का वातावरण जीवन्त हो उठा कां ास ने मार्च 1928 में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में किया तथा इसमें साइमन आयोग के बहि कार के साथ-साथ मोतीलाल नेह की अध्यक्षता में एक समिति गठित की इस समिति को 1 जुलाई 1928 से पहले भारत के संविधान के सिद्धान्तों का प्रा प तैयार करना था 'नेह रिपोर्ट' के नाम से प्रसिद्ध इस प्रा प में अधिराज्य अथवा औपनिवेशिक स्वराज को आधार बनाया गया था

अगस्त में एक बार फिर सर्वदलीय सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया यह सम्मेलन राजा महमूदाबाद के भव्य महल के बाग में आयोजित किया गया 'नेह रिपोर्ट' के विरोध स्व प जवाहरलाल नेह तथा सुभा ा बोस ने इस सम्मेलन में न कोई प्रस्ताव रखा, न बहस में हिस्सा ही लिया जवाहरलाल तथा सुभा ा

चन्द्र बोस ने इंडिपेन्डेन्स फार इंडिया लीग की स्थापना की थी पि ले कु व ा में संगठन ने अनेक युवकों, मजदूरों तथा क ाक संगठनों को अपनी ओर आकर्ि ात किया था सोवियत क्रान्ति की सफलता से उत्साहित तथा मार्क्स-लेनिन के सिद्धान्तों से चमत्कत नेह इस विद्रोही युवा वर्ग के नेता बन चुके थे उनके नेतत्व में इस समूह ने नेह रिपोर्ट का जमकर विरोध किया अपने पिता के निदशों पर जिस रिपोर्ट को उन्होंने स्वयं लिखा था उसी को जवाहरलाल नेह ने इस सम्मेलन में पूरी तरह खारिज कर दिया खिलाफत आन्दोलन के समापन तथा उसके बाद प्रारम्भ हिन्दू-मुस्लिम दंगों के कारण अली बन्धु का मोह भी अब कां ास से पूरी तरह समाप्त हो चुका था मोतीलाल नेह ने बहुत प्रयास किया कि जिन्ना उनकी रिपोर्ट का समर्थन कर दें, परन्तु जिन्ना उनके पुत्र नहा थे जो अपने पिता की भाँति तत्परता से विचार परिवर्तन कर दिया करते थे मोतीलाल नेह तथा हिन्दू महासभा के उनके समर्थकों ने जिन्ना की इस माँग को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया कि केन्द्रीय विधान सभा में मुसलमानों को एक तिहाई प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए

30 अक्टूबर 1928 को साइमन आयोग के पंजाब आगमन के विरोध में एक बहि कार जुलूस का आयोजन लाहौर में किया गया था इस जुलूस का नेतत्व 64 व ाय लाला लाजपत राय कर रहे थे इस जुलूस पर पुलिस ारा किये गये लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय इतने ायल हो गये कि कु सप्ताहों बाद दय गति रुक जाने से उनकी मत्यु हो गयी उनके असामयिक मत्यु से पूरा देश शोक ास्त व क्रोध से भर उठा

नवम्बर के अन्तिम दिनों में साइमन आयोग को लखनऊ आना था उसी समय लखनऊ वि ावि ालय में उपाधि वितरण समारोह भी होना था जिसमें आयोग के समारोह में बहि कार करने की अपील की लखनऊ में साइमन आयोग का विरोध जुलूस निकला जिस पर पुलिस की लाठियाँ पड़ा अगले दिन रेलवे स्टेशन पर किये गये विरोध प्रदर्शन का नेतत्व जवाहरलाल नेहरू ने किया यहाँ भी उन्हें पुलिस की लाठियों का सामना करना पड़ा लखनऊ में पुलिस की लाठियाँ खाने के बाद नेह की राजनीतिक लोकप्रियता बढ़ी

दिसम्बर 1928 के कलक ा अधिवेशन में बोस ने रिपोर्ट में संशोधन पेश कर कां ास के लक्ष्य को पूर्ण स्वाधीनता करने का प्रस्ताव रखा नेह ने इसका समर्थन किया परन्तु गांधी के हस्तक्षेप के बाद यह समझौतापरक प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया कि यदि 31 दिसम्बर 1929 तक भारत को औपनिवेशिक स्वराज न प्रदान किया गया तो कां ास असहयोग आन्दोलन तथा कर बन्दी का आन्दोलन प्रारम्भ कर देगी इस एक व र् में सरकार की तरफ से कोई ठोस आ ासन तक नहा प्राप्त हो सका इसी बीच 28 दिसम्बर 1926 को लखनऊ में ए.आई.सी.सी. की बैठक हुई जिसमें जवाहरलाल नेह को कां ास का अगला अध्यक्ष निर्वाचित किया गया अन्ततोगत्वा दिसम्बर 1929 में कां ास का अधिवेशन जवाहरलाल नेह की अध्यक्षता में लाहौर में प्रारम्भ हुआ इस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता को कां ास का लक्ष्य ोि ात किया गया तथा नेह रिपोर्ट को र कर दिया गया 31 दिसम्बर की आधी रात को प्रतिनिधियों ने पण्डाल से बाहर निकलकर पूर्ण स्वाधीनता का झण्डा फहराया एक बार फिर पूरा देश गांधी की तरफ देखने लगा था

क्रान्तिकारा आन् ोलन आर ाय क ान्त

सन् 1917 से 1921 के मध्य का काल भारत में कम्युनिस्ट आन्दोलन की तैयारी का समय था 1917 की सोवियत क्रान्ति तथा मानवेन्द्रनाथ राय, अवनिनाथ मुखजा, वीरेन्द्रनाथ च ोपाध्याय व भूपेन्द्रनाथ द ा के प्रयासों से भारत में साम्यवादी दल की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया था कानपुर के प्रताप तथा प्रभु नामक अखबार बोल्सेविज्म के प्रचार में जोर-शोर से लगे थे सितम्बर 1924 में कानपुर के एक पत्रकार सत्यभ क ने भारतीय कम्युनिस्ट पाटा की स्थापना कर दी थी इस दल ने यह ो ाणा की कि इसका कोई भी सम्बन्ध कामिनटर्न तथा विदेशों में सक्रिय क्रान्तिकारी दलों से नहा है इस दल का पहला सम्मेलन दिसम्बर 1925 में कानपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता पेरियार ने की पाटा के दूसरे अधिवेशन तक इसमें

कामिनटर्न के साथ सम्बन्धों के प्रश्न पर पर्याप्त मतभेद उत्पन्न हो चुका था कलक ा के इस अधिवेशन में सत्यभ ï ने यह ोाणा की कि पाटा अपना रा ीय चरित्र बनाये रखेगी परन्तु प्रतिनिधियों का बहुमत इसके विरुद्ध था फलस्व प सत्यभ ï ने त्यागपत्र देकर रा ीय कम्युनिस्ट पाटा की स्थापना कर दी इसके विपरीत भारतीय कम्युनिस्ट पाटा ने अपना लक्ष्य क्रान्तिकारी संगठन की स्थापना तथा सामाज्य विरोधी नीति को बनाया

संयु ï प्रान्त में गांधी का आन्दोलन प्रारम्भ होने के पूर्व लखनऊ तथा लखनऊ के आस-पास के जिलों में किसानों के बीच एक जनान्दोलन चल रहा था एका आन्दोलन नामक इस जनान्दोलन का नेतत्व किसान मदारी पासी कर रहे थे यह आन्दोलन लखनऊ, मलिहाबाद, हरदोई, उन्नाव, फतेहपुर तथा फर्रुखाबाद तक फैला हुआ था इस आन्दोलन का उ ेश्य किसानों के बीच साम्प्रदायिक एकता बनाए रखना तथा एकजुट होकर जमादारों के शो ाण का विरोध करना था इस आन्दोलन से जुड़े मुखिया क ाकों को अपनी बैठकों में निमंत्रित करने के लिए सुपारी का उपयोग करते थे इन बैठकों को मदारी पासी संबोधित करते थे यह सभी किसानों को गीता तथा कुरान पर हाथ रखकर आपसी एकता बनाये रखने तथा बन्दी क ाक परिवारों को सहायता प्रदान करने की शपथ दिलवाते थे सरकारी दमन के कारण यह आन्दोलन बहुत शी्र ही समाप्त हो गया इसी दौर के प्रारम्भ में गांधी के असहयोग आन्दोलन ने अवध के किसानों तथा शहरी निम्न मध्यम वर्ग के नवयुवकों को अपनी तरफ आकर्ाित करना प्रारम्भ कर दिया था परन्तु चौरीचौरा काण्ड के बाद जब गांधी ने असहयोग आन्दोलन वापस ले लिया तो इन निराश निम्न मध्यमवगाय युवाओं को क्रान्तिकारी सैन्यवाद ने अपनी तरफ आकर्ाित करना प्रारम्भ कर दिया परिणामस्व प बंगाल, पंजाब तथा संयु ï प्रान्त में क्रान्तिकारी गतिविधियाँ जोर पकड़ने लगा

संयु ï प्रान्त में इन्हा क्रान्तिकारी गतिविधियों का परिणाम था 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट काकोरी टेन डकैती की सुप्रसिद्ध टना इस टना के तत्काल बाद पूरे संयु ï प्रान्त में क्रान्तिकारियों की धरपकड़ प्रारम्भ हो गयी इसके अभियु ïों रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खाँ तथा रोशन सिंह को फाँसी की सजा हुई तथा रामप्रसाद खत्री, मन्मथनाथ गुप्त सहित अनेकों क्रान्तिकारियों को लम्बे कारावास की सजायें सुनायी गया क्रान्तिकारियों की तरफ से इस मुकदमे को बिना फीस लिये लड़ने के लिए जब कोई बड़ा वकील नहा तैयार हुआ, तब चन्द्रभानु गुप्त नामक युवा वकील ने अपनी नि शुल्क सेवाएँ अर्पित का बाद में यही चन्द्रभानु गुप्त उ ार प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने

गिरफ्तारी से बचे क्रान्तिकारियों ने दिल्ली में फिरोजशाह कोटला के खण्डहरों में एक गुप्त बैठक आयोजित की इनका उ ेश्य बिखर चुके क्रान्तिकारियों को पुनः संगठित करना था इस ऐतिहासिक बैठक में संयु ï प्रान्त का प्रतिनिधित्व शिववर्मा, जयदेव कपूर, सुरेन्द्र पाण्डे तथा विजय कुमार सिन्हा ने किया था अन्य प्रतिनिधियों में पंजाब से सरदार भगत सिंह और सुखदेव, राजस्थान से कुन्दन लाल तथा बिहार से फणीन्द्र ो ा व मनमोहन बनजा ने हिस्सा लिया बंगाल से कोई भी प्रतिनिधि नहा आ सका था कोटला बैठक के समय एकत्रित क्रान्तिकारी संयु ï प्रान्त व पंजाब के दो समूहों में विभाजित थे इन दोनों समूहों ने एक सामूहिक नेतत्व में कार्य करने का निर्णय लिया इस समूह का नाम हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन (एच.एस.आर.ए.) रखा गया तथा चन्द्रशेखर आजाद को इस संगठन का सेनापति चुना गया एक केन्द्रीय समिति का निर्वाचन भी किया गया जिसमें पंजाब से भगत सिंह व सुखदेव, संयु ï प्रान्त से शिव वर्मा व विजय कुमार सिन्हा, राजस्थान से कुन्दनलाल तथा बिहार से फणीन्द्र ो ा चुने गये संगठन का मुख्यालय आगरा को बनाया गया तथा नीतिगत प से यह स्वीकार किया गया कि धन एकत्रित करने के लिए आम नागरिकों के यहाँ डकैतियाँ नहा डाली जाएंगी

साइमन आयोग के विरोध के समय लाला लाजपत राय पर जिस प्रकार पुलिस ने लाठियाँ बरसायी था और जिसके कारण उनका देहावसान हो गया था, उसे एच.एस.आर.ए. ने एक रा ीय अपमान माना तथा

उसका बदला लेने का निर्णय लिया 19 दिसम्बर, 1928 को सरदार भगत सिंह ने जे.पी. साण्डर्स नामक पुलिस अधिकारी का वध कर इस अपमान का बदला लिया इस क्रान्तिकारी कार्य में भगत सिंह के साथ चन्द्रशेखर आजाद व राजगुरु आदि भी शामिल थे साण्डर्स की हत्या के बाद एच.एस.आर.ए. के सदस्यों ने गुप्त प से लाहौर में स्थान-स्थान पर इस आशय का हस्तलिखित पोस्टर भी चिपकाया जिसमें उस रा ीय अपमान का बदला लेने की बात ो ित की गयी थी यह पोस्टर एच.एस.आर.ए. के सेनापति की तरफ से जारी किया गया था

भारत में क्रान्ति के लिए आवश्यक जनता का सहयोग प्राप्त करने का ध्येय बनाकर इन क्रान्तिकारियों ने अपनी गतिविधियों का स्व प बदलने का निर्णय किया गुप्त प से कार्य करने की अपेक्षा अब इन्होंने जनता के बीच में कार्य करने का विचार बनाया इस नीति के अन्तर्गत केन्द्रीय विधान मण्डल में बम फेंक कर भारत की सोयी जनता को जगाने का निर्णय लिया गया इस कार्य की जिम्मेदारी सरदार भगत सिंह और बटुके ार द ा पर डाली गयी हालांकि, इस मिशन पर भगत सिंह को भेजने के पक्ष में कोई नहा था क्योंकि यह सभी को पता था कि उनको भेजने का अर्थ उन्हें मौत के मुँह में भेजने के समान था साण्डर्स हत्याकाण्ड में पुलिस को उनकी तलाश थी उनके पकड़े जाने का अर्थ उन्हें फाँसी के तख्ते पर भेजने जैसा ही था परन्तु भगत सिंह का मानना था कि पकड़े जाने पर क्रान्तिकारियों के पक्ष को उनसे बेहतर अन्य कोई नहा रख सकता था मजबूर होकर संगठन ने इस कार्य की जिम्मेदारी भगत सिंह और बटुके ार द ा पर डाली 9 अप्रैल 1926 को इन दोनों क्रान्तिकारियों ने केन्द्रीय विधान मंडल में बम फेंक दिया यह बम श्रमिक विवाद प्रस्ताव तथा जन सुरक्षा संशोधन प्रस्ताव की ो णा के विरुद्ध फेंका गया था बम के साथ-साथ इन दोनों ने पच भी फेंके तथा नारे भी लगाये भागना संभव होने पर भी इन दोनों ने गिरफ्तार हो जाना उचित समझा जो उनकी पूर्व निर्धारित नीतियों का ही एक अंग था

भगत सिंह और बटुके ार द ा के इस मिशन में सहयोग हेतु जिन दो अन्य क्रान्तिकारियों को चुना गया था वे दोनों संयु त प्रान्त के थे इन दोनों को विधान मंडल के बाहर तक पहुँचाने का कार्य शिव वर्मा तथा जयदेव कपूर ने किया था इसके तत्काल प ात् शिव वर्मा भगत सिंह का एक फोटो ाफ तथा सुखदेव के नाम पर एक पत्र लेकर लाहौर चले गये वह फोटो ाफ 7 अप्रैल की शाम को ही लाहौर प्रेस को साप दिया गया था, जिसने 8 अप्रैल के बम काण्ड के बाद इसे सर्वप्रथम प्रकाशित किया था

भगत सिंह तथा बटुके ार द ा दोनों पर बम फेंकने और भगत सिंह पर साण्डर्स की हत्या का मुकदमा कायम किया गया पूरे देश में क्रान्तिकारियों की गिरफ्तारी का दौर प्रारम्भ हो गया शिव वर्मा तथा जयदेव कपूर को सहारनपुर में क्रान्तिकारियों ारा संचालित बम फैक्टी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया ितीय लाहौर ाड्यंत्र मुकदमे के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध इस मुकदमे में इन चारों के अतिरि त सुखदेव, राजगुरु, डा. गया प्रसाद कटियार, विजय कुमार सिन्हा, किशोरी लाल तथा कुन्दनलाल आदि भी अभियु त थे चन्द्रशेखर आजाद अन्त तक नहा पकड़े गये 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में वह एक पुलिस मुठभेड़ में बहादुरी के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फाँसी दे दी गयी शे ा सभी उपरो त अभियु तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी इस मुकदमे के दौरान क्रान्तिकारियों ने अपने बयानों से पूरे देश की सहानुभूति व समर्थन अर्जित करने में सफलता पा ली थी

इस समय तक भारत में गांधीवादी आन्दोलन का दूसरा दौर आरम्भ हो चुका था क्रान्तिकारी संगठनों की गतिविधियों में जो ठहराव अब आया वह गांधीवादी रा वाद के दूसरे दौर के कारण फिर अपनी पुरानी तीव्रता नहा पा सका परन्तु इसमें कोई संदेह नहा है कि इन बहादुर क्रान्तिकारियों के साहसिक कारनामों ने जनचेतना को आन्दोलित कर दिया था

न ाक आन् ोलन

1929 के लाहौर अधिवेशन में कां ास ने पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य ाोि ात किया था गांधी ने वायसराय इरविन के सामने एक 11 सूत्री माँगपत्र रखा इरविन से निराश होने के बाद उन्होंने सविनय अव ाा आन्दोलन प्रारम्भ करने का निर्णय लिया उन्होंने 12 मार्च 1930 को प्रातःकाल साबरमती आश्रम से कूच किया उनके साथ कुल 78 सत्या ाही थे 24 दिन में 200 मील की यह महान यात्रा पूरी कर वह 6 अप्रैल को डांडी के समुद्र तट पर पहुँचे नियत समय पर डांडी तट से नमक उठाकर उन्होंने सर्वश ा िमान ब्रिटिश सामाज्य के नमक कानून को तोड़कर उसे खुली चुनौती दे डाली इस अवसर पर दुनिया भर के प्रेस रिपोर्टर वहाँ उपस्थित थे केवल भारत ही नहा पूरे वि ा की नजर इन 24 दिनों तक गांधी पर टिकी रही थी गांधी ारा नमक कानून का उल्लं ान होते ही पूरे देश में बिजली सी काध गयी लोग स्थान-स्थान पर नमक बनाकर यह कानून तोड़ने लगे गांधी के इस अहिंसक सत्या ाह ने एक क्रान्तिकारी प धारण कर लिया पुलिस का दमन चक्र भी बढ़ता चला गया कां ास के सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया 5 मई को गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया

25 जनवरी 1931 को गांधी सहित कां ास के सभी नेता रिहा कर दिये गये 4 मार्च 1931 को गांधी व इरविन के मध्य समझौता हो गया तत्प ाात् 31 मार्च को कां ास का वार्ि ाक अधिवेशन अत्यन्त कटुतापूर्ण माहौल में करांची में प्रारम्भ हुआ भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को फाँसी के केवल 6 दिन बाद प्रारम्भ होने वाले इस सम्मेलन में गांधी का स्वागत गांधी विरोधी नारों के साथ किया गया जो भी हो, इस अधिवेशन ने गांधी-इरविन सन्धि पर अपनी मोहर लगा दी करांची अधिवेशन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों तथा कां ास की आर्थिक नीतियों के प्रस्ताव को स्वीकति प्रदान करना था 17 अप्रैल 1931 को इरविन के स्थान पर लार्ड विलिंगडन ने वायसराय का पद लिया 29 अगस्त को गांधी लन्दन में आयोजित होने वाले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत से रवाना हो गये इसी मध्य जवाहरलाल नेह ने इलाहाबाद में करबन्दी का आन्दोलन प्रारम्भ करने का निर्णय ले लिया था इस समय तक नेह के सहयोगी के प में जयप्रकाश नारायण और लालबहादुर शा ाी नेह के साथ जुड़ चुके थे हालांकि, गांधी ने उन्हें फिलहाल इंतजार करने की हिदायत दे रखी थी तथा वल्लभभाई पटेल ने भी गांधी के भारत वापसी तक ऐसा करने से रोका था गांधी के वापस लौटने के एक दिन पूर्व ही 26 दिसम्बर को ही वह गिरफ्तार किये जा चुके थे गांधी ने अपनी गिरफ्तारी के एक दिन पूर्व वायसराय को आन्दोलन प्रारम्भ करने की मजबूरी से अवगत करा दिया था इस बार जो आन्दोलन प्रारम्भ किया गया, उसने अलग-अलग प्रान्तों में अलग-अलग स्व प ाहण कर लिया संयु ा प्रान्त तथा बिहार में करबन्दी का आन्दोलन चलाया गया इसी प्रकार अन्य कई प्रान्तों में भी आन्दोलन प्रारम्भ हो गये

ब्रिटिश सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने इसी बीच साम्प्रदायिक अधिनिर्णय (कम्युनल एवार्ड) की ाो ाणा कर दी इस ाो ाणा में दलितों (परिगणित जातियों) के लिए पथक् निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गयी थी इस ाो ाणा ने दलितों को एक अल्पसंख्यक वर्ग मानकर पथक् निर्वाचन का हकदार मान लिया था यरवदा जेल में बंदी गांधी ने इसके विरुद्ध 20 सितम्बर से आमरण अनशन की ाो ाणा कर दी परन्तु उन्होंने पथक् निर्वाचन को मु ा नहा बनाया उनका कहना था कि सवर्ण हिन्दू जातियाँ अपनी क रता से बाज आएं हिन्दू नेताओं ने एक सम्मेलन किया जिसमें सप्रू जयकर, राजगोपालाचारी, राजेन्द्र प्रसाद, एम.सी. राजा, डा. अम्बेडकर, सर चिमनलाल सितलवाड, एन.एस. एनी, डा. मुंजे, पी. बालू, कुंज व ए.वी. ठक्कर सहित लगभग सौ प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि किसी भी कीमत पर गांधी के जीवन की रक्षा करनी है तथा शी.ातिशी.ा अस्पश्यता के धब्बे को मिटा देना है मंगलवार 20 सितम्बर

को गांधी ने अपना अनशन प्रारम्भ किया गांधी परिगणित जातियों के लिए पथक् निर्वाचन के क्षेत्रों के स्थान पर संयु ि निर्वाचन के क्षेत्रों में ही अधिक प्रतिनिधित्व देने की माँग कर रहे थे इस बार के अनशन में गांधी की हालत बहुत शी्र ही तेजी से गिरने लगी थी ह दिनों में ही उनकी हालत एक मरणासन्न व्य ि जैसी हो गई अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि के प में डा. भीमराव अम्बेडकर ने गाँधी जी से विचार-विमर्श कर पथक निर्वाचन मण्डल बनाए जाने की माँग ोड़ दी यह डा. अम्बेडकर का दलितों के मध्य बढ़ता प्रभाव ही था जिसमें सवर्ण हिन्दू नेताओं की अस्पश्यता मिटाने का निर्णय लेने के लिए बाध्य किया यरवदा जेल के अन्दर ही 24 सितम्बर 1932 को गांधी-अम्बेडकर समझौता हुआ और 26 सितम्बर को ब्रिटिश सरकार की कैबिनेट ने भी इस समझौते को अपनी मंजूरी देते हुए साम्प्रदायिक अधि ाहण की ो ाणा वापस ले ली यह सूचना प्राप्त होने के बाद गांधी ने अपना अनशन तोड़ दिया पूना पैक्ट या यरवदा पैक्ट के नाम से प्रसिद्ध इस समझौते के बाद गांधी ने हिन्दू समाज में अस्पृश्यता की भावना को समाप्त करने के लिए मन्दिर प्रवेश का आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया इस आन्दोलन के कारण सनातनी हिन्दू वर्ग गांधी से काफी नाराज हो गया जेल से ूटने के बाद गांधी राजनीति से अलग हो गये तथा अ ूतोद्धार जैसे सामाजिक काया में लग गये उन्होंने सविनय अव ा आन्दोलन भी वापस ले लिया वास्तव में गांधी कां ोस के अन्दर बन चुके वाम व दक्षिणपन्थी गुटों की आपसी खाचतान से अत्यन्त खिन्न हो चुके थे अक्टूबर 1934 में तो उन्होंने कां ोस ोड़ने तक की ो ाणा कर दी

का ो ा ो ालि पा ा

पूरी दुनिया में इस समय समाजवाद का दौर चल रहा था 1917 की सी क्रान्ति के बाद मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद का प्रभाव यूरोप सहित उपनिवेशवाद से ासित समस्त देशों में युवा वर्ग को अपनी तरफ आकर्ा ित कर रहा था कां ोस भी इसके प्रभाव से अ ूती नहा बची थी इस समय नेह भी समाजवाद के रोमांस से आप्लावित थे फरवरी 1927 में वे ब्रूसेल्स में अन्तर्रा ीय दमित रा ीयताओं का सम्मेलन भी कर चुके थे अपने क्रान्तिकारी व वामपंथी विचारों के कारण वह कां ोस के अन्दर समाजवाद से प्रभावित युवा वर्ग के नेता बन चुके थे इस बीच जुलाई 1931 में जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा तथा राहुल सांकत्यायन ने बिहार सोशलिस्ट पाटा की स्थापना कर ली थी इसका उ ेश्य भारत में एक ऐसे समाजवादी राज्य की स्थापना करना था जिसमें निजी सम्पि ा के लिए न कोई स्थान था न भूमि व पूँजी पर व्य ि के स्वामित्व का इसी तर्ज पर संयु ि प्रान्त में सम्पूर्णानन्द, परिपूर्णानन्द, कमलापति त्रिपाठी तथा तारापद भ ाचार्य ने और युसुफ मेहर अली, एम.आर. मसानी, अच्युत पटवर्धन तथा कमला देवी च ोपाध्याय ने बाम्बे में समाजवादी दलों की स्थापना कर ली थी 1933 में नासिक जेल में बन्द कां ोस के अनेक युवा समाजवादियों ने कां ोस के अन्दर एक अखिल भारतीय समाजवादी संगठन बनाने का विचार किया इस विचार को प्रारम्भ करने वालों में प्रमुख थे जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, एम.आर. मसानी, एन.जी. गोरे, अशोक मेहता, एस.एम. जोशी तथा एम.एल. दाँतवाला अप्रैल 1934 में अखिल भारतीय कां ोस समिति के सदस्य सम्पूर्णानन्द ने बनारस में एक पर्चा लिखा भारत के लिए एक प्रायोगिक समाजवादी दल निर्मित करने की आवश्यकता पर बल दिया यह कां ोस में प्रभावशाली हो चुके पूँजीवादी और सामन्तवादी तत्वों को चुनौती देने के लिए आवश्यक था इसमें यह बात भी स्प प से उल्लिखित थी कि जब कभी भी समाजवादियों के हाथ में स ा आयेगी जमादारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया जाएगा तथा उ ोगों, बकों व भूमि का रा ीयकरण कर दिया जाएगा 1934 में कां ोस के एक समूह के ारा विधान परि ादों में प्रवेश का समर्थन करने के बाद कां ोस के समाजवादियों ने एक अलग दल बनाने का मन बना लिया 17 मई 1934 को आचार्य नरेन्द्र देव की अध्यक्षता में समाजवादियों का एक सम्मेलन पटना में आयोजित किया गया अपने अध्यक्षीय भा ाण में आचार्य जी ने कां ोस के अन्दर नये स्वराजवादी दल के स्थापना की आलोचना करते हुए कां ोस समाजवादी दल की प्रासंगिकता को स्प किया

इस दल के सचिव की हैसियत से जयप्रकाश नारायण ने अन्य प्रान्तों में भी इसके प्रचार के लिए देश का दौरा प्रारम्भ कर दिया

कां ास समाजवादी दल का प्रथम वा िक सम्मेलन 21-22 अक्टूबर 1934 को सम्पूर्णानन्द की अध्यक्षता में बम्बई में हुआ इसमें 13 प्रान्तों के 150 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया इसकी रा ीय कार्यकारिणी में जयप्रकाश नारायण (मुख्य सचिव), एम.आर. मसानी, मोहनलाल गौतम, एन.जी गोरे तथा ई.एम.एस. नम्बूदरीपाद (सहायक सचिव) तथा आचार्य नरेन्द्र देव, सम्पूर्णानन्द, श्रीमती कमला च ोपाध्याय, पुरु ो ामदास, त्रिकमदास, पी.वी. देशपाण्डे, राममनोहर लोहिया, एम.एम. जोशी, अमरेन्द्र प्रसाद मिश्रा, चार्ल्स मस्करिनास, नवक ण चौधरी तथा अच्युत पटवर्धन (सदस्य) निर्वाचित किये गये इस सम्मेलन में दल का संविधान तथा कार्यक्रम भी तय किया गया य ापि जवाहरलाल नेह तथा सुभा ा चन्द्र बोस ने कां ास सोशलिस्ट पाटा की स्थापना का समर्थन किया परन्तु दोनों में से किसी ने भी इसकी सदस्यता नहा ाहण की कां ास के दक्षिणपन्थी गुट ने इसका जमकर विरोध किया वल्लभभाई पटेल ने इसे एक मूर्खतापूर्ण कार्य बताया

कां ास समाजवादी आन्दोलन के प्रति क ाकों, मजदूरों व ात्रों का आक ाण तेजी से बढ़ने लगा प्रो. एन.जी. रंगा, इन्दुलाल या ानिक, स्वामी सहजानन्द आदि के प्रयासों से लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन 1936 में किया गया इस सम्मेलन में सामन्तवाद के उन्मूलन तथा लगान व कजा में ूट की माँग रखी गयी इस प्रकार कां ास के अन्दर समाजवाद के प्रति आस्था रखने वालों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी थी इसके साथ ही कां ास स्प प से वामपंथी व दक्षिणपंथी गुटों में लामबन्द होने लगी वामपंथियों का नेतत्व यदि नेह कर रहे थे तो दक्षिणपंथियों का पटेल गांधी य ापि समाजवादियों के मार्क्सवादी और लेनिनवादी रुझान के कारण उनकी आलोचना कर रहे थे परन्तु वह दक्षिणपंथियों के साथ भी नहा थे यही कारण है कि उन्होंने कां ास से त्यागपत्र दे देना ही उचित समझा था

इसी बीच 2 अगस्त 1935 को ब्रिटिश संसद ने 1935 के अधिनियम को मंजूरी दे दी थी य ापि कां ास ने सर्व सम्मति से इस अधिनियम को खारिज कर दिया था परन्तु अब यह स्प हो चुका था कि कां ास का दक्षिणपंथी गुट इसके अन्तर्गत पदों को स्वीकार करने का मन बना बैठा था जबकि समाजवादियों के नेतत्व में कां ास का वामपंथी गुट इस अधिनियम के विरुद्ध असहयोग आन्दोलन चलाने तक की बात कर रहा था कां ास के इसी गुटबंदी के दौर में इसका वा िक सम्मेलन अप्रैल 1936 में लखनऊ में हुआ जवाहरलाल नेह की अध्यक्षता में सम्पन्न इस सम्मेलन ने य ापि 1935 के अधिनियम की कड़ी आलोचना की परन्तु इसके अन्तर्गत चुनावों में हिस्सा लेने की बात को भी इसने स्वीकार कर लिया कां ास के अन्दर समाजवादियों की यह एक करारी हार थी

का ान्ताय ाि ा ल

कां ास का 50वाँ वा िक अधिवेशन 27-28 दिसम्बर, 1936 को फैजपुर (महारा) में सम्पन्न हुआ इस अधिवेशन के लिए एक बार फिर जवाहरलाल नेह को ही पुनः अध्यक्ष निर्वाचित किया गया इसमें कां ास का चुनाव ो ाणा पत्र स्वीकार किया गया चुनाव प्रचार लखनऊ के सम्मेलन के बाद ही प्रारम्भ हो गया था जो भी हो, जनवरी 1937 में सम्पन्न प्रान्तीय विधानसभाओं के चुनाव में कां ास को भारी सफलता हाथ लगी सभी प्रान्तों के कुल 1585 स्थानों में से 714 पर कां ास ने विजय प्राप्त की संयु ा प्रान्त के कुल 228 में से 134 स्थानों पर कां ास को सफलता हाथ लगी इन 228 स्थानों में 64 मुस्लिम और 164 सामान्य (24 विशे ा) स्थान थे

1935 के अधिनियम के अन्तर्गत भारत के प्रान्तों में नयी संवैधानिक योजना को 1 अप्रैल 1937 तक लागू कर देना था तत्कालीन संवैधानिक प्रावधानों में शामिल गर्वनर के अपार अधिकारों का विरोध कर रही कां ास सरकार बनाने को तैयार नहा थी इसलिए ब्रिटिश सरकार ने कां ासी बहुमत वाले प्रान्तों में 1 अप्रैल

को अल्पमत की सरकारों का गठन कर दिया संयु ़ प्रान्त के राज्यपाल सर हैरी हेग ने नवाब तारी के नेतत्व में यहाँ भी एक अल्पमत की सरकार का गठन कर दिया इस मंत्रिमंडल में सलेमपुर के राजा भी शिक्षा मंत्री के प में शामिल थे अन्त में गवर्नर-जनरल लार्ड लिनलिथगो ने 22 जून को एक समझौतापरक परन्तु अस्प व ़व्य देकर कां ोस को सरकार बनाने के लिए राजी कर लिया

संयु ़ प्रान्त में चुनाव के पूर्व से ही इस प्रकार की संभावना बनने लगी थी कि यहाँ कां ोस तथा मुस्लिम लीग की मिली-जुली सरकार बन सकती है हालांकि औपचारिक प से ऐसा कु तय नहा हुआ था परन्तु चुनावों में कां ोस को स्प बहुमत मिलने के बाद कां ोस ने किसी भी प्रकार के गठबन्धन की संभावना को पूरी तरह नकार दिया य ापि संयु ़ प्रान्त में मोहनलाल सक्सेना जैसे कां ोस के महत्वपूर्ण नेता अभी भी मुस्लिम लीग के साथ गठबन्धन के पक्षधर थे परन्तु जवाहरलाल नेह इसके बिल्कुल विरुद्ध थे संयु ़ प्रान्त में मुस्लिम लीग के सुप्रसिद्ध व प्रभावशाली नेता चौधरी खलिकजुमा 12 मई 1937 को नेह से मिलने प्रयागराज भी गए नेह ने भारत के हिन्दू-मुस्लिम समस्या के पी े चन्द पढ़े-लिखे सामन्ती मुसलमानों का हाथ बताते हुए मुसलमानों के लिए किसी अन्य दल की आवश्यकता को पूरी तरह नकार दिया था इसी बीच झांसी से निर्वाचित के.बी. हबीबुल्ला की मत्यु के बाद वहाँ जून 1937 में जो उपचुनाव हुआ उसमें जमातुल उलेमा के विरोध के बावजूद मुस्लिम लीग का प्रत्याशी विजयी हो गया इस समय तक जमात तथा कां ोस में समझौता हो चुका था इस प्रकार कां ोस और मुस्लिम लीग के मध्य दूरी और अधिक बढ़ गयी

22 जून को गवर्नर जनरल ारा दिये गये व ़व्य के बाद 5 जुलाई को कां ोस कार्यकारिणी की बैठक वर्धा में सम्पन्न हुई जिसमें कां ोस ने सरकार बनाने का निर्णय कर लिया इस बैठक में जाते समय गोविन्दवल्लभ पंत ने लखनऊ में रुककर चौधरी खलिकजुमाँ से मुलाकात की तथा यह पू ा कि यदि कां ोस और मुस्लिम लीग की गठबन्धन सरकार बनती है तो वह कैबिनेट में कितने स्थान का दावा करेंगे चौधरी ने जवाब दिया 9 में 3 या 6 में 2 अर्थात् कुल संख्या का एक तिहाई वर्धा की कार्यकारिणी की बैठक के बाद मौलाना आजाद लखनऊ आए और 12 जुलाई को चौधरी खलिकजुमाँ से मिले उन्होंने चौधरी से गठबन्धन सरकार में शामिल होने वाले दूसरे सदस्य के बारे में बात की चौधरी ने बताया कि वह नवाब इस्माइल खाँ होंगे 15 जुलाई को मौलाना और गोविन्दवल्लभ पन्त दोनों चौधरी से मिले उन्होंने चौधरी से इस व ़व्य पर हस्ताक्षर करने को कहा जिसमें यह लिखा था कि संयु ़ प्रान्त विधान सभा में मुस्लिम लीग एक अलग गुट के प में कार्य नहा करेगा चौधरी ने उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया कां ोस और मुस्लिम लीग के मध्य पड़े इस दरार ने आगे चलकर एक विकराल प ले लिया जिसका परिणाम बाद में भारत विभाजन के प में सामने आया

अन्त में कां ोस ने संयु ़ प्रान्त में अकेले ही सरकार बनायी इस सरकार में प्रधानमंत्री गोविन्दवल्लभ पन्त के साथ रफी अहमद किदवई, कैलाश नाथ काटजू, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, प्यारे लाल शर्मा तथा मोहम्मद इब्राहिम शामिल थे लक्ष्मीनारायण को संसदीय सचिव बनाया गया इस प्रकार संयु ़ प्रान्त में कां ोस की सरकार ने जुलाई के दूसरे सप्ताह से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया कां ोस कार्य समिति ने अपनी वर्धा बैठक (27 फरवरी से 1 मार्च 1937) में कां ोस के मंत्रिमंडलों के लिए एक चौदह सूत्री कार्य आचार संहिता का निर्माण किया था इसके साथ ही गांधी 'हरिजन' में अपने व ़व्यों के ारा समय-समय पर इन्हें निदश दिया करते थे

कां ोस सरकारों का सबसे पहला उ ारदायित्व 1935 के अधिनियम के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करना था जिसके अन्तर्गत स्वयं इन सरकारों की स्थापना हुई थी संयु ़ प्रान्त में यह प्रस्ताव स्थानीय निकाय मंत्री श्रीमती विजयलक्ष्मी ने 2 सितम्बर 1937 को विधानसभा में रखा 2 अक्टूबर को इस वि ाय पर होने वाली बहस में प्रधानमंत्री पन्त ने सभी संशोधनों का जवाब दिया जिसमें एक संशोधन मुस्लिम लीग ने भी रखा था यह प्रस्ताव अपने मूल प में ही उसी दिन पारित हो गया 29-31 अक्टूबर 1937 को कलक ाा में सम्पन्न अखिल भारतीय कां ोस समिति में यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि सभी कां ोस प्रान्तों में 1935 के अधिनियम में

प्रस्तावित सं ीय योजना के विरुद्ध प्रस्ताव पारित होना चाहिए इसी प्रस्ताव के अनु प संयु त प्रान्त में भी 20 जनवरी 1938 को एक प्रस्ताव पारित किया गया

कां ोस के चुनाव ो ाणा-पत्र में राजनैतिक बन्दियों की रिहाई प्रारम्भ करने की बात सोची गई परन्तु इस प्रश्न को लेकर संयु त प्रान्त तथा बिहार में समस्या उत्पन्न हो गई फरवरी 1938 तक संयु त प्रान्त में अभी भी 15 राजनैतिक बन्दियों का मामला विचाराधीन था इन दोनों प्रान्तों के राज्यपाल इनकी रिहाई के पूर्व यह सुनि ित करना चाहते थे कि प्रान्त की शान्ति व्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा 1935 के अधिनियम की धारा 126 (5) के अन्तर्गत गवर्नर जनरल ने भी उन राज्यपालों को यह निदश दे दिया कि वे किसी भी राजनीतिक दबाव के आगे आत्मसमर्पण न करें परन्तु इन दोनों प्रान्तों के प्रधानमंत्रियों ने सभी बन्दियों को एक साथ रिहा करने के अपने अधिकार पर जोर दिया जिसे राज्यपालों ने नहा माना और इन दोनों मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया

यह संकट उस समय सामने आया जब 19-21 फरवरी 1938 को हरिपुरा में कां ोस का 51वाँ अधिवेशन चल रहा था कां ोस ने इन दोनों मंत्रिमंडलों के निर्णयों को स्वीकार कर लिया गांधी ने सरकार के इस रवैये के विरुद्ध एक व त्व्य भी जारी किया 22 फरवरी को गवर्नर जनरल ने अपनी स्थिति साफ करते हुए एक व त्व्य जारी किया, जिसके बाद 23-24 फरवरी को संयु त प्रान्त के प्रधानमंत्री ने राज्यपाल से मिलकर इस संकट के समझौतापरक उपायों पर विचार किया दोनों पक्षों ने मिलजुल कर एक स्वस्थ परम्परा निर्मित करने की आवश्यकता पर जोर दिया इस प्रकार यह संकट किसी प्रकार टल सका अन्त में मार्च 1938 तक सभी राजनैतिक बन्दी रिहा कर दिये गये

संयु त प्रान्त की इस सरकार ने अक्टूबर 1939 में एक विस्तत अधिनियम के ारा काश्तकारों की समस्याओं के समाधान का प्रयास किया इस अधिनियम के ारा आगरा और अवध क्षेत्रों के भूमिधरी अधिकारों में सम पता लाने का प्रयास किया गया इस सरकार ने प्रान्त में कुटीर उ ोगों के विकास की नाव रखने के लिए भी कु कदम उठाये गांधी के ोि ित आदेशों के अनु प प्रान्त में म ा नि ोध लागू करने के लिए सर्वप्रथम 1 अप्रैल 1938 को एटा व मैनपुरी जिलों को चुना गया इसके साथ ही साथ जौनपुर, बिजनौर, प्रयागराज तथा लखनऊ में आबकारी दूकानों को सीधे आबकारी विभाग के अन्तर्गत कर दिया गया हालांकि म ा नि ोध की यह नीति पूरी तरह असफल सिद्ध हुई इसी प्रकार बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में किये जाने वाले चन्द प्रयास भी सफल न हो सके उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इस सरकार ने इतना अवश्य किया कि काशी वि ापीठ तथा जामिया मिलिया की उपाधियों को अन्य वि ावि ालयों के स्नातक उपाधि के समकक्ष मान्यता प्रदान करा दिया

1937 से 1939 के मध्य कां ोस प्रशासन के दौरान हरिपुरा (गुजरात) तथा त्रिपुरी (मध्य प्रान्त) में कां ोस के दो वार्ि िक अधिवेशन हुए 19 से 21 फरवरी 1938 को सम्पन्न हरिपुरा के 51वें अधिवेशन की अध्यक्षता सुभा ा चन्द्र बोस ने की थी मार्च 1939 में होने वाले अगले अधिवेशन के लिए अध्यक्ष का चुनाव कां ोस के लिए एक बहुत बड़े संकट के प में सामने आया कां ोस का दक्षिणपंथी गुट सुभा ा चन्द्र बोस के पुनर्निर्वाचन का विरोधी था इस गुट ने प ाभि सीतारमैया को अपना प्रत्याशी बनाया था जबकि स्वयं बोस इस पद पर किसी ऐसे व्यि त को चाहते थे जो 1935 के अधिनियम में प्रस्तावित सं ीय योजना का विरोधी हो अपने पुनर्निर्वाचन का विरोध होने पर उन्होंने इस पद के लिए आचार्य नरेन्द्र देव का नाम भी सुझाया था परन्तु नेह ने अपनी तरफ से मौलाना आजाद का नाम गांधी को सुझा दिया था बाद में जब मौलाना ने अपना नाम वापस ले लिया तो बोस व प ाभि सीतारमैया के मध्य चुनाव हुआ 29 जनवरी 1939 के इस चुनाव में बोस को 1850 तथा प ाभि सीतारमैया को 1277 मत प्राप्त हुए बोस के पुर्ननिर्वाचित होने के बाद कार्यसमिति के 15 में से 12 सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया नेह ने अपना त्यागपत्र अलग से दिया 10 मार्च 1939 को त्रिपुरा में अधिवेशन प्रारम्भ हुआ गांधी राजकोट के आन्दोलन में व्यस्त होने के कारण यहाँ नहा आ सके थे

अध्यक्ष सुभा ा चन्द्र बोस स्वयं बीमार थे ऐसे में गांधी की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर तथा बिना उन्हें बताए यह प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि बोस अपनी कार्यसमिति के सदस्यों का चुनाव गांधी की इच ानुसार ही करें इस प्रस्ताव ने ही बोस ारा कां ोस को त्यागने की भूमिका लिखी यह प्रस्ताव संयु ़ प्रान्त के प्रधानमंत्री पन्त ने रखा था बोस अपनी कार्यसमिति का चुनाव करने में असमर्थ रहे क्योंकि गांधी ने उन पर अपनी राय लादने से मना कर दिया था फलस्व प बोस के पास त्यागपत्र के अतिरि ़ अन्य कोई रास्ता शे ा नहा बचा था

1 सितम्बर 1939 को जर्मनी ने पोलैण्ड पर आक्रमण कर दिया इसके साथ ही ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की ाे ाणा कर दी यूरोप में युद्ध प्रारम्भ होते ही वायसराय लिनलिथगो ने एक उद् ाे ाणा में भारत को भी इसमें शामिल कर लिया इस ाे ाणा के पूर्व उन्होंने किसी भी राजनैतिक दल से कोई सलाह तक नहा ली थी 5 सितम्बर को वायसराय ने गांधी से मुलाकात की गांधी ने व्यि ़गत प से मित्र रा ों के प्रति अपनी सहानुभूति दिखायी परन्तु कां ोस की तरफ से कु भी कहने से मना कर दिया कां ोस कार्यसमिति ने फासीवाद तथा नात्सीवाद की भर्त्सना तो की लेकिन साथ में यह भी कहा कि ब्रिटिश सरकार युद्ध के उ ेश्यों को स्प करे ब्रिटिश सरकार ने 17 अक्टूबर के अपने श्वेत पत्र में एक परामर्शदायी गुट की स्थापना तथा भवि य में कभी औपनिवेशिक दर्जा देने की बात कही साथ ही साथ 1935 के संविधान को निरस्त कर दिया गया भारत में एक व्यि ़ का शासन लागू हो गया इसके जवाब में कां ोस ने 29 अक्टूबर को सविनय अव ाा आन्दोलन का प्रस्ताव पारित कर दिया इसके साथ ही साथ कां ोस की सभी आठों सरकारों ने त्यागपत्र दे दिया सरकार ने इन विधानसभाओं को भंग नहा किया क्योंकि वह इस अवसर पर चुनाव का खतरा नहा मोल लेना चाहती थी उन्होंने उन्हें सिर्फ मुअ ाल कर दिया तथा समस्त अधिकार अपने हाथों में ले लिया

ारत ो ो आन ोलन तथा ालिया का अ थाया ारकार

इस यूरोपीय युद्ध ने शी ्र ही वि ायुद्ध का प ले लिया यूरोप में जर्मनी का विजय अभियान जारी था लंदन स्वयं नाजी बमव ाकों के निशाने पर आ चुका था जर्मनी में यहूदियों के खिलाफ हिटलर का नस्लवादी अत्याचार अपनी चरम सीमा पर था मित्र रा हर मोच पर पी ेहटने को मजबूर हो रहे थे ऐसे में नेह सहित पूरे कां ोस में सहयोग विरोधी अभियान तेज होता जा रहा था उन्हें जुलाई में गिरफ्तार कर लिया गया था गांधी की अहिंसा इस युद्ध में किसी भी प्रकार के भौतिक सहयोग के विरुद्ध थी उनका अन्त करण धीरे-धीरे एक स्व प ाहण करने लगा था अभी तक वह सहयोग के विरुद्ध नहा थे परन्तु अचानक वह पूरी तरह से युद्ध में सहयोग को हिंसा मानने लगे थे उन्होंने कां ोस से अपना नाता तक तोड़ लिया कां ोस के एक गुट ने एक और प्रयास किया और सरकार के समक्ष रा ीय सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा राजगोपालाचारी का यह फार्मूला रा ीय स्वाभिमान के बिल्कुल विरुद्ध था परन्तु इसी बहाने नाजीवाद से लड़ने का अवसर प्राप्त हो जाने की उम्मीद में नेह ने इसे स्वीकार कर लिया इसी बीच चैम्बरलेन के स्थान पर चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन चुके थे और जेटलैण्ड के स्थान पर एमरी भारत के सचिव बन चुके थे सरकार ने कां ोस के इस फार्मूले को भी अस्वीकार कर दिया

एक बार फिर कां ोस के सामने गांधी के अतिरि ़ और कोई विकल्प शे ा नहा बचा गांधी को पुनः कां ोस का निर्विरोध नेता मान लिया और कां ोस ने व्यि ़गत सत्या ाह प्रारम्भ कर दिया धीरे-धीरे कां ोस के सभी नेताओं की गिरफ्तारी प्रारम्भ हो गयी बोस ने जेल में ही अनशन प्रारम्भ कर दिया उन्हें जेल से निकालकर ार में ही नजरबन्द कर दिया गया, तभी जून 1941 में जर्मनी ने सोवियत सं ा पर आक्रमण कर दिया इस आक्रमण के बाद भारत के साम्यवादी नाजीवाद और फासीवाद के सबसे बड़े विरोधी बन गये इसी माह सुभा ा बाबू अं ाेजों के अजेय चक्रव्यूह को चकमा देकर काबुल के रास्ते देश के बाहर निकल गये उनका

उ ेश्य किसी प्रकार जर्मनी तथा जापान का सहयोग प्राप्त कर भारत को आजाद कराना था सुभा ा बाबू का पलायन अपने समय का सबसे बड़ा धमाका था देखते-ही-देखते वह देश के सर्वाधिक चर्चित नेता हो गये दिसम्बर 1941 में पर्ल हार्बर पर जापानी हमले के साथ ही इस युद्ध ने एशिया में भी प्रवेश किया युद्ध सीमाओं के निकट आता जा रहा था इस अवसर पर अप्रैल 1942 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स आयोग को भारत भेजा परन्तु इस आयोग के पास भारत को देने के लिए कु भी नहा था क्रिप्स के जाने के बाद कां ास कार्यसमिति की बैठक प्रयागराज में हुई इसमें मीरा बेन ारा प्रस्तुत गांधी के प्रस्ताव ने सभी को सकते में डाल दिया इस प्रस्ताव में गांधी ने स्प किया था कि जापान को भारत से कोई दुश्मनी नहा है वह भारत पर यदि आक्रमण करेगा तो इसलिए कि भारत ब्रिटेन का उपनिवेश है उन्होंने कहा कि ब्रिटेन यदि भारत ोड़ दे तो स्वयं भारत की अस्थायी सरकार, अपनी पूरी ताकत से, अपनी रक्षा के लिए, संयु ा रा ों के साथ सहयोग करेगी इस प्रस्ताव को वर्धा में अन्तिम प दिया गया यही प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को भारत ोड़ो प्रस्ताव के प में बम्बई के अखिल भारतीय कां ास सम्मेलन में पारित किया गया इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद गांधी ने अं ाेजों भारत ोड़ो तथा करो या मरो का नारा दिया गांधी ने अपने भा ाण में यह स्प किया कि जापान यदि भारत पर हमला करता है तो उसकी असली कीमत जनता को ही चुकानी होगी युद्ध की उस भयंकरता में अहिंसा के लिए कोई स्थान नहा होगा हिंसा के उस तांडव से मु ा का एक अवसर अभी शे ा बचा था कि अं ाेज भारत ोड़ दें तो जापान संभवतः आक्रमण न करे इस एक अवसर का उपयोग करने के लिए ही उन्होंने करो या मरो का नारा देते हुए बताया कि कु न करने का अर्थ सिर्फ मौत है चाहे वह जापानियों के हाथ से आये या अं ाेजों के गांधी ने इस प्रकार दुविधा की इस अभूतपूर्व स्थिति में भी अहिंसा का मार्ग तलाश ही लिया वास्तव में गांधी प्रारम्भ से ही इसी अहिंसा की बात कर रहे थे जो कायरों की नहा बहादुरों की अहिंसा थी

अगले ही दिन सुबह गांधी समेत कां ास के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया लोहिया किसी तरह बच निकले और भूमिगत हो गये पूरा भारत करो या मरो के नारे से गूँजने लगा नेताओं की अनुपस्थिति में स्थानीय लोगों, विशे ाकर ात्रों ने आन्दोलन की कमान थाम ली थी यूँ तो देश का हर प्रान्त आन्दोलित हो चुका था लेकिन कु जिलों में तो आन्दोलनकारियों ने पूरे ब्रिटिश प्रशासन को ही समाप्त कर अस्थायी प से स्वतंत्र प्रशासन की स्थापना कर दी थी संयु ा प्रान्त (उ ार प्रदेश) में बलिया, महारा में सतारा तथा बंगाल के तुमलुक आदि ऐसे स्थान थे जहाँ ब्रिटिश सेना को इन्हें पुनः विजित करना पड़ा

बम्बई में गांधी की गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही 10 अगस्त को बलिया नगर में हड़ताल हो गई सभी स्कूल-कालेज बन्द हो गये 11 अगस्त को लगभग 15000 लोगों के एक जुलूस ने बलिया कचहरी की तरफ कूच कर दिया इस जुलूस पर हुए पुलिस हमले ने लोगों को आपे से बाहर कर दिया 13 से 16 अगस्त के बीच अनेक रेलवे स्टेशन जला दिये गये तथा पुलिस थानों पर अधिकार कर लिया गया 16 अगस्त को बलिया जेल से कैदियों को ुड़ा लिया गया तथा कां ास के स्थानीय नेता चि ू पाण्डे के नेतत्व में बलिया में एक अस्थायी सरकार की स्थापना कर दी गई इस सरकार ने शपथ ाहण करने के बाद 20 अगस्त को हनुमानगंज कोठी में एक सार्वजनिक बैठक की आम लोगों ने सरकार को चलाने के लिए हजारों रुपये एकत्रित किये तथा सरकारी अधिकारियों को पुलिस लाइन में बन्द कर दिया गया इस नयी सरकार को जनता का अपार नैतिक समर्थन प्राप्त था इस नैतिक स ाा के आधार पर ही इस सरकार ने एक जाँच कमेटी का गठन कर लोगों से यह अपील की कि सभी प्रकार की लूटी हुई सम्पि ा सरकार को वापस कर दें लोगों के आ ार्य का ठिकाना नहा रहा जब यह देखा गया कि लोगों ने न केवल अपनी भूलों को स्वीकार किया बल्कि लूटी गयी सम्पि ा भी वापस कर दी रेवती क्षेत्र की एक विधवा ने इस सरकार से अपील की कि उसके रु. 3000 - मूल्य के जेवरात लूट लिये

गये ह तथा पुलिस चोरों का पता नहा लगा सकी है नयी सरकार ने न केवल इस लूट का पता लगा लिया बल्कि उसके जेवरात भी वापस दिला दिये यह नयी सरकार कु ही दिन चल सकी लेकिन इस बीच न किसी सरकारी अधिकारी की सम्पि लूटी गई न किसी के साथ दुर्व्यवहार ही किया गया इस समय सरकारी खजाने में डेढ़ लाख रुपये जमा थे परन्तु किसी ने भी इस पैसे के अवैधानिक उपयोग की बात सोची भी नहा

22 अगस्त से बलिया पर अं ोज सरकार का दमन प्रारम्भ हो गया विद्रोहियों के ारों को लूट लिया गया और सैकड़ों ारों को जला दिया गया आम जनता पर 12 लाख का आम जुर्माना लगाया गया परन्तु 29 लाख से अधिक की वसूली की गई 17 स्थानों पर गोली चलायी गयी जिसमें 46 से अधिक लोगों की जान चली गयी 1000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनमें से अधिकांश को 5 से 7 व ा की सजायें सुनायी गइ बलिया पर सेना की सहायता से पुनः अधिकार कर भारत की ब्रिटिश सरकार ने लंदन को यह सूचित किया कि बलिया को पुनर्विजित कर लिया गया

सरकार की दमन नीति के विरुद्ध गांधी ने 10 फरवरी 1943 को 21 दिन का उपवास प्रारम्भ कर दिया इस उपवास में गांधी की हालत अत्यन्त खराब हो गई थी परन्तु उन्होंने 3 मार्च को 21 दिन पूरे होने पर ही उपवास तोड़ा जनता और सरकार दोनों ने राहत की साँस ली इस समय पूरे देश में लगभग 1 लाख लोगों को जेलों में बन्द किया जा चुका था पुलिस का दमन बढ़ने के बाद अब गुप्त प से चलने वाले इस आन्दोलन का नेतत्व जयप्रकाश नारायण, राममनोहर लोहिया तथा अरुणा आसफ अली जैसे युवा समाजवादी करने लगे थे यह आन्दोलन ब्रिटिश भारत के साथ-साथ देशी रियासतों में भी फैल चुका था 1857, 1920 और 1930 के बाद भारतीय स्वतंत्रता सं ाम का यह चौथा महान विस्फोट था

1943 के अन्त तक भारत ोड़ो आन्दोलन पूरी तरह बिखर चुका था चारों तरफ निराशा का वातावरण ा गया था इस व ा बंगाल में अकाल से होने वाली 40,000 लोगों की मौत ने निराशा के इस माहौल को और अधिक धूमिल कर दिया था तभी जुलाई 1943 में सिंगापुर पहुँच चुके नेताजी ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाने की ो ाणा कर लोगों में एक नयी जान फूँक दी यहा पर उन्होंने दिल्ली चलो का नारा भी दिया दिसम्बर 1943 में उन्होंने अण्डमान पहुँचकर इस ीप का नाम शहीद व स्वराज रख दिया एक विमान दु टिना में उनकी अचानक मौत हो गई इस समय तक मित्र रा ों को सभी मोचा पर विजय मिलनी प्रारम्भ हो गई थी

15 अगस्त 1945 को जापान ने मित्र रा ों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया युद्धोपरान्त ब्रिटेन में मजदूर दल स ा में आ गया ब्रिटेन युद्ध जीत गया परन्तु आजाद हिन्द के सैनिकों पर दमन से भारतीय नौसेना के भारतीय सैनिकों ने भारी विद्रोह कर दिया। जिसे अंग्रेज अधिकारी शांत करने पर जब विफल हो गये तो उन्होंने कांग्रेस के बड़े नेताओं की मदद से नौसैनिकों का विद्रोह शांत कराया। अंग्रेज सरकार इस घटना से हिल चुकी थी। इसी कारण प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री एटली ने भारत को स ा हस्तांतरण के सम्बन्ध में ब्रिटिश नीतियों की ो ाणा कर दी 2 सितम्बर 1946 को जवाहरलाल नेह के नेतत्व में अन्तरिम सरकार गठित हुई जिसमें शामिल होने की ो ाणा मुस्लिम लीग ने भी 15 अक्टूबर को कर दी 24 मार्च 1947 को लार्ड माउण्टबेटन को भारत का वायसराय बनाकर भेजा गया नये वायसराय ने अत्यन्त चतुराई से कां ास और लीग की कटुता का लाभ उठाकर भारत विभाजन की नाव पक्की कर दी 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद तो हो गया लेकिन यह आजादी भारत विभाजन की कीमत पर प्राप्त हो सकी

आजादी के इस पूरे सं ा काल में संयु ा प्रान्त की जनता ने 1857 से लेकर आजादी तक बढ़-चढ़कर

हिस्सा लिया 1857 का सं ाम हो, क्रान्तिकारियों का गुप्त आन्दोलन हो या गांधी का सत्या ाह, इस प्रान्त की जनता ने उसमें अ ाणी भूमिका निभाई आजादी के बाद इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री बनने वाले कां ोस के नेता पं. जवाहरलाल नेह इसी प्रदेश के थे आजादी के बाद भी, आज तक भारत की रा ीय मुख्यधारा का नेतत्व उ ार प्रदेश ही करता रहा है

`ति ा िक परि य

ा ान काल (वि ि तथ्य)

- मिर्जापुर, सोनभद्र, बुन्देलखण्ड, प्रतापगढ़ के सरायनाहर राय से उत्खनन में प्राचीन एवं नव पा ाणकाल के औजार-हथियार मिले ह
- आलमगीरपुर से हड़प्पाकालीन वस्तुएँ प्राप्त हुई ह, यह हड़प्पा सभ्यता के पूवा विस्तार को प्रकट करता है
- आलमगीरपुर से कपास उपजाने के साक्ष्य प्राप्त हुए ह
- शतपथ ब्रा ाण में कोशल (अवध) का उल्लेख प्राप्त होता है
- प्राचीन काल में उ ार प्रदेश का क्षेत्र जो गंगा के मैदान में स्थित था मध्य देश कहलाता था
- मध्य देश (आधुनिक उ ार प्रदेश) में कुरु, पांचाल, काशी, कोशल, शूरसेन, चेदि, वत्स, कुशीनगर के मल्ल, आदि महाजन पद स्थापित थे
- कुरु महाजनपद की राजधानी इन्द्रप्रस्थ थी यह मेरठ से दिल्ली तक विस्तत था
- पांचाल महाजनपद बरेली, बदायूँ, फर्रुखाबाद क्षेत्र में स्थापित था पांचाल महाजनपद के उ ारी क्षेत्र की राजधानी अहिच्छ त्र थी तथा पांचाल महाजनपद के दक्षिणी क्षेत्र की राजधानी काम्पिल्य थी
- शूरसेन महाजनपद मथुरा के समीपवता क्षेत्र में स्थापित था इसकी राजधानी मथुरा थी
- वत्स महाजनपद (प्रयागराज के समीपवता क्षेत्र में स्थापित था) की राजधानी कोसम (कौशाम्बी) थी
- कोशल महाजनपद अवध क्षेत्र में स्थापित था, इसकी राजधानी श्रावस्ती थी
- मल्ल महाजनपद (देवरिया-गोरखपुर क्षेत्र में स्थापित था) की राजधानी कुशीनगर (कसिया) तथा पावा (पडरौना) थी
- काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी
- चेदि महाजनपद की राजधानी शु ि्तमती (बाँदा के समीप) थी
- `नसांग (चीनी यात्री) ने अपने यात्रा विवरण में अतरंजीखेड़ा को पि-लो-शा-न कहा है
- अतरंजीखेड़ा में गैरिक मदभाण्ड तथा क ण लोहित म ाण्ड संस्कतियों के अवशे ा प्राप्त हुए ह
- अतरंजीखेड़ा उ ार-वैदिक युग से सम्बद्ध स्थल स्वीकार किया गया है
- अतरंजीखेड़ा से शुंगों, कु ाणों तथा गुप्त शासकों से सम्बद्ध अवशे ा प्राप्त हुए ह
- बौद्ध परम्परा के अनुसार अशोक ने एक स्तूप का निर्माण अयोध्या में कराया था
- जैन ान्थों में उल्लिखित है कि आदिनाथ सहित पाँच तीथकरों की जन्मभूमि अयोध्या थी
- र ाुवंशी भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या नगरी थी
- अहिच्छ त्र से ई.पू. 100 से 300 ई. के मध्य वाले स्तरों से मण्मूर्तियाँ प्राप्त हुई ह
- अहिच्छ त्र से मित्र उपाधि वाले राजाओं के सिक्के (200-300ई.) प्राप्त हुए ह
- अहिच्छ त्र के शासक अच्युत को गुप्त नरेश समुद्रगुप्त ने पराजित किया था
- अहिच्छ त्र से गुप्तकालीन यमुना की एक मूर्ति प्राप्त हुई है

- कालसी में संस्कत पदों से उत्कीर्ण इटों की एक वेदी मिली है, जो 300 ई. के शासक शीलवर्मन के अ ामेध य ा स्थल का साक्ष्य है
- अहिच्‍ त्र से 350 ई. से 750 ई. के मध्य के मन्दिर, देवकक्ष प्राप्त हुए ह
- कुशीनगर में 483 ई.पू. में भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था
- कन्नौज की सवागीण उन्नति पु यभूति शासक ह विर्द्धन के समय (606-647 ई.) हुई थी
- ह विर्द्धन का 628 ई. का तामदानप लेख बांसखेड़ा से प्राप्त है जो तत्कालीन इतिहास जानने का मुख्य ाेत है
- अतरंजीखेड़ा से 1000 ई. पू. के लौह प्रयोग, धान की खेती, व ााकार अग्निकुण्ड के साक्ष्य प्राप्त हुए ह
- प्राचीन काल में कन्नौज कान्यकुब्ज के नाम से प्रसिद्ध था
- कन्नौज में पहली बस्ती के साक्ष्य उ ारी काले मद्‌भाण्ड युग से कु ााण युग तक के प्राप्त हुए ह
- कन्नौज गुप्त शासकों तथा मौखरियों के समय प्रमुख नगर था
- ह विर्द्धन के काल में कन्नौज नगरमहोदयश्री कहलाता था
- कन्नौज पर अपनी प्रभुता स्थापित करने हेतु गुर्जर-प्रतिहारों, पालों एवं रा कूटों के मध्य दी काल तक त्रिदलीय सं ा हुआ था
- गुर्जर-प्रतिहारों ने कन्नौज पर सर्वाधिक समय तक शासन किया था
- 1018-1019 ई. में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था
- 1028 ई. में महमूद गजनवी ने मथुरा के मन्दिरों को ध्वंस कर लूटपाट की थी
- मुहम्मद गोरी के आक्रमणों के समय कन्नौज का शासक जयचन्द गहड़वाल था
- बौद्ध काल में कपिलवस्तु शाक्य गणराज्य की राजधानी थी कपिल त्र ि के वास (स्थान) से इस स्थल का नाम कपिलवस्तु पड़ा था
- कपिलवस्तु श्रावस्ती-वाराणसी मार्ग तथा वैशाली-पुरु ापुर मार्ग का केन्द्र स्थल था
- महावस्तु के अनुसार कपिलवस्तु में अनेक प्रकार के शिल्प विकसित थे
- काम्पिल्य प्राचीन काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केन्द्र रहा था जैन ान्थों, बौद्ध जातक साहित्य व महाभारत में काम्पिल्य का विस्तत विवरण प्राप्त होता है
- कुशीनगर की विस्तत जानकारी, दिव्यावदान, दी ानिकाय, अशोक के आठवें वहद्‌ शिलालेख, कनि क के सिक्कों तथा फाहियान एवं ेनसांग के यात्रा-विवरणों से मिलती है
- कुशीनगर मल्ल गणराजय की राजधानी थी
- कुशीनगर प्रमुख व्यापारिक मार्ग श्रावस्ती-वाराणसी मार्ग का प्रमुख केन्द्र स्थल होने के कारण प्रसिद्ध व्यापारिक नगर भी था
- हूणों के कुशीनगर पर आक्रमण के साक्ष्य भी प्राप्त होते ह
- कौशाम्बी को आ ा-नगरीय स्थल भी कहा जाता है यह वत्स महाजनपद की राजधानी था
- कौशाम्बी को म ाों ने राजधानी बनाकर दूसरी-तीसरे शताब्दी ई. में इसे राजनीतिक, आर्थिक महत्व प्रदान किया था
- कौशाम्बी को हूण नेता तोरमाण से विशे ा क्षति पहुँची थी
- कौशाम्बी थेर पंथ का प्रमुख केन्द्र था
- कालसी में अशोक का चौदहवाँ शिलालेख प्राप्त हुआ है
- काशी   ठी शताब्दी ई.पू. में सोलह महाजनपदों में चर्चित महाजनपद था, जिसकी राजधानी वाराणसी

थी

- काशी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में प्राप्त होता है
- महाभारत के अनुसार काशी की स्थापना दिवोदास ने की थी
- एटा जिले के कंटिगरा गाँव के टीलों से पाँच हजार व ा पुरानी सभ्यता के प्रमाण मिले ह गुप्तकाल, कु ाणकाल तथा समकालीन महाभारत काल के चित्रित भांड पेटेड ोवियर मिले ह इससे पूर्व इन टीलों से राम-रावण युद्ध, बाली-सु ीव युद्ध तथा राम-सीता की मूर्तियाँ भी निकाली जा चुकी ह
- गढ़वा में कुमारगुप्त प्रथम के दो शिलालेख तथा स्कन्दगुप्त का एक लेख प्राप्त हुआ है
- 1194 ई. में चन्दावर के युद्ध में मुहम्मद गोरी ने गहड़वाल नरेश जयचन्द को पराजित किया था
- देवगढ़ से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों से गुप्तकाल के विशे ा स्थापत्य एवं मूर्तिकला के साक्ष्य मिले ह मन्दिरों में दशावतार मन्दिर बहुत उल्लेखनीय है देवगढ़ से जैन तीथकर त्र ाभदेव की पुत्री ब्रा ी ारा उत्कीर्णित लिपियों का अभिलेख मिला है देवगढ़ से चन्देल शासकों के अभिलेख मिले ह
- प्रयाग के अशोक स्तम्भ पर हरि ोण ारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख प्राप्त है
- गुप्तों के पतन के प ात् ह ावर्द्धन, गुर्जर-प्रतिहार, चन्देल, गहड़वाल शासकों ने प्रयाग पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था
- ह ावर्द्धन प्रति पाँचवें व ा प्रयाग में महामोक्ष परि ाद् का आयोजन करता था
- बाँसखेड़ा अभिलेख में ह ा की वंशावली, प्रशासनिक संरचना, सैनिक अभियानों का उल्लेख है
- बांसखेड़ा अभिलेख में ह ावर्द्धन ारा अहिच त्र भु ि के मर्कटसागर गाँव को कर-मु ि करके दो ब्रा ाणों को दान देने का उल्लेख प्राप्त होता है
- बांसखेड़ा अभिलेख में ह ा के हस्ताक्षरों की अनुलिपि उत्कीर्ण है
- ह ावर्द्धन की राजधानी कन्नौज (कान्यकुब्ज) थी
- गुप्तकालीन मन्दिरों में भीतरगाँव का मन्दिर ोटी-पकी इटों से निर्मित है, इसे चन्द्रगुप्त ितीय विक्रमादित्य के काल में बनवाया गया था इस मन्दिर की विशे ाता शिखर का होना तथा ऊँचे चबूतरे पर निर्मित होना माना जाता है इस मन्दिर की त पिरामिडाकार है मन्दिर की दीवारों को देवी-देवताओं की मूर्तियों से उकेरा गया है
- महाजनपद युग में मथुरा शूरसेन महाजनपद की राजधानी थी
- मथुरा क ाणों के पूवा सामाज्य की राजधानी थी कु ाणों के सिक्के बहुतायत से मिले ह
- समुद्रगुप्त ने मथुरा के गणपति नाग को पराजित किया था
- मौया ार युग में मथुरा एशिया से सम्बद्ध रेशम मार्ग से जुड़ा हुआ था
- मथुराशाटक व ा निर्माण का प्रमुख केन्द्र था मथुरा भगवान क ण की जन्मभूमि है मथुरा ोताम्बर जैन मत का केन्द्र थी मथुरा में बौद्धमत की सर्वास्तिवादी विचारधारा का उ व व विकास हुआ था मथुरा में मथुरा कला शैली में बुद्ध की प्रथम मूर्ति निर्मित हुई थी मथुरा मथुरा कला शैली का प्रमुख केन्द्र लगभग 300 व ाा तक बनी रही थी
- भरतपुर राज्य की राजधानी मथुरा थी, जिसकी ाे ाणा सूरजमल जाट ने की थी
- राज ााट (वाराणसी के समीप) से उ ारी काले मद्‌भाण्ड संस्कति के अवशे ा प्राप्त हुए ह
- श्रावस्ती तीन प्रमुख व्यापारिक मागा (उ ारापथ, दक्षिणापथ, मध्यपथ) के केन्द्र में स्थित होने के कारण राजनीतिक-व्यापारिक गतिविधियों का स्थल केन्द्र थी श्रावस्ती भगवान बुद्ध की प्रिय नगरी थी श्रावस्ती के साहूकार अनाथपिंडक ने जेतवन महाविहार बौद्धा को अनुदान में दिया था
- जैन तीथकर सम्भवनाथ एवं चन्द्रप्रभु श्रावस्ती से सम्बद्ध थे

- आजीवक सम्प्रदाय के प्रवर्तक मक्खलि गोसाल की जन्मभूमि श्रावस्ती थी
- श्रावस्ती से कनि क के दो अभिलेख प्राप्त हुए ह
- संकिसा महाजनपद युग को पांचाल जनपद में प्रमुख नगर था बौद्ध परम्परा के अनुसार संकिसा में भगवान बुद्ध इन्द्र व ब्र ा के साथ स्वर्ग से धरती पर आये थे
- महात्मा बुद्ध ने संकिसा में ि यों की प्रव्रज्या (पब्बज्जा) को सं ा में अनुमति दी थी
- भिक्षुणी उत्पलवर्णा दीक्षा पाने वाली प्रथम ी थी
- संकिसा में स्कन्दगुप्त का एक सिक्का भी मिला है
- सारनाथ प्राचीनकाल में इसिप ान मिगदाय (त्र ि प ान मगदाव) के नाम से प्रसिद्ध था
- सारनाथ में भगवान बुद्ध का धर्मचक्र प्रवर्तन हुआ था
- मौर्य समाट अशोक ने सारनाथ में एक सिंह स्तम्भ बनवाया था, स्वतन्त्र भारत का राजचि इसी सिंह शी ि स्तम्भ को अपनाया गया है
- सारनाथ की सिंह, शी ि स्तम्भ मौर्य प्रस्तर कला का उत्क उदाहरण है
- ेनसांग के समय सारनाथ थेरवाद का प्रमुख केन्द्र था
- सारनाथ में गुप्तकालीन धमेख स्तूप निर्मित है फाहियान ने इसका विस्तत उल्लेख किया है
- सोहगौरा से उ ारी काली ओपदार मद्भाण्ड संस्कति के अवशे ा प्राप्त हुए ह सोहगौरा से मौया ार काल के सिक्के, कु ाणों के सिक्के प्राप्त हुए ह
- हस्तिनापुर से ऊपरी गंगा ाटी की संस्कतियों के अनुक्रम की जानकारी मिलती है हस्तिनापुर से मद्भाण्ड संस्कतियों से लेकर मौया ार युग तक के साक्ष्य मिले ह
- हस्तिन नामक शासक ने हस्तिनापुर की स्थापना की थी महाभारत युग में यह कौरवों की राजधानी थी
- मौया ार युग में निर्मित प्रस्तर प्रतिमाएँ, मथुरा के द ावंशी शासकों के सिक्के, कु ाणों के सिक्के, यौधेयों की मुद्राएँ हस्तिनापुर के उत्खनन में मिली ह
- हड़प्पायुग से सम्बद्ध अवशे ा हुलास से मिले ह
- हुलासखेड़ा से कु ाणकाल से गुप्तयुग तक के भौतिक अवशे ा प्राप्त हुए ह हुलासखेड़ा से कु ाणकालीन 200 मीटर लम्बी सड़क, सुनियोजित जल निकासी की व्यवस्था, कार्तिकेय की स्वर्णप्रतिमा, चादी के आहत सिक्के, कु ाणों के ताम सिक्के मिले ह हुलासखेड़ा से गुप्तकालीन दुर्ग के भग्नावशे ा, ताँबे-चाँदी के सिक्के, गुप्तलिपि में उत्कीर्ण मुहरें, हाथी दाँत की कं ी, मोहर ापे प्राप्त हुए ह

ाध्यकाल (वि ि ा तथ्य)

- मध्ययुग में राजस्थान तथा दक्षिण में मालवा की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित होने के कारण आगरा का राजनीतिक, आर्थिक व व्यापारिक महत्व स्थापित था
- मुगल सामाज्य के संस्थापक बाबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था
- अकबर ने आगरा में किले का निर्माण कराया था
- जहाँगीर के काल में नूरजहाँ ने आगरा में अपने पिता एत्मादु ौला का मकबरा बनवाया था
- शाहजहाँ ारा निर्मित आगरा में ताजमहल तथा मोती मस्जिद स्थापत्य कला के श्रे प्रतीक ह
- मुगलकाल में आगरा शिक्षा का प्रमुख केन्द्र था
- मुगलकाल में आगरा के समीपवता क्षेत्र में नील की खेती होती थी

- यूरोपियन यात्री राल्फ फिच, वर्नियर ने आगरा के वैभव की प्रशंसा की है
- सल्तनतकाल व मुगलकाल में कड़ा महत्वपूर्ण इ ृा (सूबा) समझा जाता था
- सुल्तान जलालु ीन खिलजी के समय कड़ा का सूबेदार अलाउ ीन खिलजी था
- 831 ई. में महोबा में चन्देलों ने अपनी राजधानी स्थापित की थी
- कड़ा से ही अलाउ ीन खिलजी ने 1296 ई. में अपना सफल अभियान (देवगिरि अभियान) सम्पन्न किया था
- 1022 ई. में महमूद गजनवी ने कालिंजर को पदाक्रान्त किया था
- 1018 ई. में महमूद गजनवी ने बरन को पदाक्रान्त किया था
- कुतुबु ीन ऐबक ने 1192 ई. में कोइल पर अधिकार स्थापित कर लिया था
- 1193 ई. में कुतुबु ीन ऐबक ने बरन को दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया था
- 1194 ई. में कन्नौज के गहड़वाल नरेश जयचन्द को चन्दावर के युद्ध में मुहम्मद गोरी ने पराजित किया था
- 1202 ई. में कुतुबु ीन ऐबक ने चन्देल शासक परमार्दिदेव को कालिंजर में पराजित किया था
- 1296 ई. में सुल्तान जलालु ीन खिलजी की हत्या अलाउ ीन खिलजी ने कड़ा में करवा दी थी
- कड़ा क्षेत्र में सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक ने स्वर्ग ारी की स्थापना की थी
- जौनपुर की स्थापना सुल्तान फीरोजशाह तुगलक ने 1358 ई. में मुहम्मद तुगलक उर्फ जौना खाँ के सम्मान में की थी
- भ ृ सन्त मलूकदास की जन्मस्थली कड़ा थी
- पूर्व मध्य युग में कालिंजर पर राजपूतों का शासन स्थापित था
- बारहवा शताब्दी ई. के प ाात् कालिंजर तुर्कों, अफगानों, मुगलों के आक्रमण से प्रभावित रहा था
- 1435 ई. में मालवा के हुशंगशाह ने कालपी पर अधिकार कर लिया था
- 1492 ई. में सुल्तान सिकन्दर लोदी ने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया था
- आगरा की स्थापना सुल्तान सिकन्दर लोदी ने 1504 ई. में की थी
- 1531 ई. तक गढ़कुण्डार बुन्देलों की राजधानी रही थी
- 1545 ई. में कालिंजर के सैन्य अभियान के दौरान बा द विस्फोट से शेरशाह सूरी की मत्यु हो गयी थी
- मुगल समाट अकबर ने 1569 ई. में कालिंजर के शासक रामचन्द्र को पराजित कर आधिपत्य स्थापित कर लिया था
- 1573 ई. से 1588 ई. तक फतेहपुर सीकरी मुगल सामाज्य की राजधानी रही थी
- दसवा शताब्दी ई. में कालपी में चन्देलों का शासन स्थापित था
- बारहवा शताब्दी के अन्त में कुतुबु ीन ऐबक ने काल्पी को दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया था
- फीरोजशाह तुगलक के प ाात् कालपी एक स्वतन्त्र मुस्लिम राज्य बन गया था
- राजा बीरबल कालपी से सम्बद्ध था कालपी में बीरबल का रंगमहल तथा मुगल टकसाल के अवशे ा प्राप्त हुए ह
- भारत में तुका के आगमन के समय कोइल (कोल) पर राजपूतों का प्रभुत्व स्थापित था
- सुल्तान बहलोल लोदी के समय कोइल का स्थानीय शासक ईसा खाँ था, जिसने बहलोल लोदी की अधीनता स्वीकार कर ली थी
- 5 जनवरी, 1659 ई. को औरंगजेब ने खजुहा के युद्ध में शाहशुजा को पराजित कर उ ाराधिकार

युद्ध में निर्णायक सफलता प्राप्त की थी

- पूर्व मध्यकाल में गढ़कुण्डार पर परमारों ने आधिपत्य स्थापित किया था
- आठवा शताब्दी ई. में चन्देलों ने गुढ़कुण्डार पर शासन स्थापित किया था
- पथ्वीराज चौहान के समय गढ़कुण्डार का चन्देल शासक परमाल था
- चन्देलों को पराजित कर पथ्वीराज चौहान ने गुढ़कुण्डार पर अधिकार कर लिया था
- पथ्वीराज के सेनानायक खेतसिंह ने गुढ़कुण्डार में खंगार राज्य की स्थापना की थी
- सुल्तान बलबन के समय गढ़कुण्डार पर बुन्देलों ने अधिकार कर लिया था
- चौदहवा शताब्दी ई. में चुनार पर चन्देलों का शासन स्थापित था
- मुगल समाट् बाबर ने चुनार पर अधिकार स्थापित कर लिया था
- शेरशाह सूरी के दमन के क्रम में हुमायूँ ने चुनार के किले की ेराबन्दी की थी, परन्तु शेरशाह ने ही चुनार पर अपना नियन्त्रण स्थापित रखने में सफलता प्राप्त की थी
- तुगलक वंश के पतन के दौर में जौनपुर मलिक हुसैन शका के नेतत्व में स्वतन्त्र हो गया और शका सल्तनत की जौनपुर में स्थापना हुई
- साहित्य, स्थापत्य कला, संगीत कला के लिए जौनपुर के शका सुल्तानों का चिरस्मरणीय योगदान रहा था अटांला मस्जिद शका स्थापत्य कला की श्रे प्रतीक है इन्हा विशे ताओं के कारण जौनपुर को शीराज-ए-हिन्द कहा जाता था
- झाँसी की स्थापना 1613 ई. में ओर ा शासक बीर सिंह बुन्देला ने की थी
- 1732 ई. में जैतपुर युद्ध के बाद झाँसी स्थानीय ओर ा शासक त्रसाल ारा पेशवा बाजीराव प्रथम को साप दी गयी थी
- रानी लक्ष्मीबाई झाँसी के स्वतन्त्र राज्य के शासक गंगाधर राव की पत्नी था, जिन्होंने 1857 ई. के महान विप्लव में अपनी वीरता व साहस का लोहा अं ोजों से स्वीकार करा कर भारत के प्रथम स्वतन्त्रता सं ाम में वीरगति प्राप्त की थी
- झाँसी में लक्ष्मीबाई का महल, महादेव मन्दिर, मेंहदी बाग आज भी वि ामान ह
- अकबर बादशाह ने प्रयाग की पुनर्स्थापना कर इलाहाबाद (अब प्रयागराज) नाम दिया था इलाहाबाद (अब प्रयागराज) के किले का निर्माण भी अकबर ने कराया था
- अकबर फतेहपुर सीकरी को शेख सलीम चिश्ती के कारण पवित्र भूमि मानता था
- सलीम (जहाँगीर) का जन्म फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम की खानकाह में हुआ था
- फतेहपुर सीकरी के शानदार स्थापत्य प्रतीकों में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, बुलन्द दरवाजा, जामा मस्जिद, जोधाबाई का महल, दीवाने खास, बीरबल का महल, मरियम का महल, पंचमहल बहुत प्रसिद्ध ह
- दिल्ली सल्तनत काल में बदायूँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण इ ा थी
- सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश बदायूँ का इ ादार था
- सूफी सन्त शेख निजामु ीन औलिया का सम्बन्ध बदायूँ से था
- इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूँनी का सम्बन्ध बदायूँ से था
- बदायूँ व्यापारिक मार्ग (दिल्ली-लखनौती मार्ग) का प्रमुख केन्द्र स्थल था
- प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउ ीन बरनी बरन का निवासी था
- मथुरा सूरजमल जाट ारा भरतपुर राज्य की राजधानी के प में गौरवान्वित थी
- चन्देलों का राज्य जेजाकभु ि (जुझौती) के नाम से चर्चित था

- तेरहवा शताब्दी के प्रारम्भ में महोबा पर तुका का आधिपत्य स्थापित हो गया था
- मध्यकाल में राजपूत सरदार हरद ा ने मेरठ में एक किला निर्मित कराया था
- बारहवा शताब्दी के अन्त में कुतुबु ीन ऐबक ने मेरठ को दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित कर लिया था
- फीरोजशाह तुगलक ने अशोक स्तम्भ मेरठ से उठवाकर दिल्ली में स्थापित कराया था
- लखनऊ की प्रसिद्धि उ ार मुगल काल में प्रारम्भ हुई, जब अवध के सूबेदार सआदत खाँ ने अपनी स्वतन्त्र स ाा स्थापित की थी
- नवाब आसफु ौला के समय अवध की राजधानी फैजाबाद (अब अयोध्या) से लखनऊ स्थानान्तरित हो गयी
- लखनऊ के अन्तिम नवाब वाजिद अली शाह थे, जिन्हें 1856 ई. में अं ोजों ने पदच्युत कर अवध का ब्रिटिश सामाज्य में विलय कर लिया था
- लखनऊ की चर्चित इमारतें ह- इमामबाड़ा, भूलभुलैय्या,   तरमंजिल
- लखनऊ कत्थक नत्य का केन्द्र था
- सम्भल सल्तनत काल में महत्वपूर्ण इ ïा के   प में चर्चित था
- सम्भल का क्षेत्र हुमायूँ ने अपने भाई मिर्जा अस्करी को प्रदान कर दिया था
- सम्भल में मुगल बादशाह बाबर ने मस्जिद का निर्माण कराया था
- सिकन्दरा में मुगल समाट अकबर ने अपना मकबरा बनवाया था जिसे 1613 ई. में समाट जहाँगीर ने पूर्ण कराया था
- 29 मई, 1658 ई. को सामूगढ़ के युद्ध में दारा के नेतत्व में शाही सेना की पराजय औरंगजेब व मुराद की संयु ïा सेना के हाथों हुई थी युद्ध में विजय प्राप्त करने पर औरंगजेब ने शाहजहाँ को आजीवन नजरबन्द कर दिया था, मुराद को   ल से बन्दी बना लिया था और अपने को बादशाह ाेा ित कर दिया था
- राज्य हड़प नीति के कारण मेरठ के राव कदम सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ।
- 10 मई, 1857 ई. को भारत मे महान् विद्रोह का विस्फोट मेरठ से हुआ था
- 1857 ई. के महान् विप्लव की प्रमुख वीरांगना बेगम हजरत महल ने लखनऊ में अं ोजों से लोहा लिया था
- औरंगजेब की मत्यु (1707 ई) से 1757 ई. (प्लासी के युद्ध) तक वर्तमान उ ार प्रदेश में पाँच स्वतन्त्र राज्य स्थापित हो चुके थे
- मेरठ तथा बरेली के उ ार में नाजिब खान नामक पठान नेता का राज्य था
- दोआब क्षेत्र में रुहेलों के अन्तर्गत रुहेलखण्ड राज्य स्थापित था
- फर्रुखाबाद के बंगश नवाब के अन्तर्गत मध्य दोआब का राज्य स्थापित था
- अवध व पूवा उ ार प्रदेश के जिलों पर अवध के नवाब का राज्य था
- बुन्देलखण्ड पर मराठों का राज्य स्थापित था
- 1773 ई. में अं ोजों ने रुहेलखण्ड में मराठों को पराजित कर उन्हें दोहाब से नि कासित कर दिया था
- 1774 ई. में अं ाजों ने रुहेला सरदार रहमत खान को शाहजहाँपुर (कटरा) में पराजित कर

रुहेलखण्ड को अवध के नवाब को साप दिया था

- 1775 ई. में शुजाउ ौला की मत्यु के प ाात् आसफउ ौला अवध का नवाब बना
- आसफउ ौला ने अं ोजों से सन्धि कर के बनारस (अब वाराणसी) का क्षेत्र अं ोजों को साप दिया था
- बनारस (वाराणसी) के राजा चेतसिंह ने 1780 ई. में अं ोजों ारा अधिकाधिक धन माँगे जाने का विरोध किया, फलस्व प अंग्रेजों ने राजा चेतसिंह के विरोध को कुचलकर महीप नारायण सिंह को बनारस का राजा बनाया बनारस (अब वाराणसी) पूर्णतः अं ोजों के संरक्षण में स्थापित हो गया
- 1797 ई. में आसफउ ौला की मत्यु के प ाात् उसका भाई सादात अली अवध का नवाब बना, उसने इलाहाबाद (अब प्रयागराज) का किला अं ोजों को साप दिया तथा बा ा आक्रमण से सुरक्षा के बदले में प्रति व ा 76 लाख रुपये ईस्ट इण्डिया कम्पनी को देने का वचन दिया

आधनिक काल (विि ा तथ्य)

- अं ोजी राज्य की स्थापना के प्रथम चरण में उ ार प्रदेश बंगाल प्रेसीडेन्सी का ही अंग था
- बंगाल प्रेसीडेन्सी का भाग होने के समय इस क्षेत्र को प ि ामी प्रान्त भी कहते थे
- आगरा प्रेसीडेन्सी बनने पर उ ार प्रदेश का क्षेत्र बंगाल प्रेसीडेन्सी से निकालकर आगरा प्रेसीडेन्सी में सम्मिलित कर दिया गया था
- 1836 ई. में इस प्रदेश का नाम उ ार-प ि ाम प्रान्त (नार्थ-वेस्टर्न प्राविन्सेज) हो गया तथा मुख्यालय

उत्तर प्रदेश के प्रमुख जैन ाीथ-स्थल

- **अयो या** : जैन धर्म के प्रथम तीथकर भगवान त्र ाभनाथ, ि तीय तीथकर भगवान अजितानाथ, चतुर्थ तीथकर भगवान अभिनन्दनाथ एवं पंचम तीथकर भगवान सुमतिनाथ का जन्म-स्थल
- **ााराणसी** सप्तम तीथकर भगवान सुपा ाि नाथ एवं तेईसवें तीथकर भगवान पा ाि नाथ का जन्म-स्थल
- **कौशाम् ाी** : जनपद के ााम पभोसा में ठे तीथकर भगवान प ा प्रभु से सम्बन्धित स्थल
- **ाा ास् ाी** : ततीय तीथकर भगवान सम्भवनाथ एवं विख्यात शोभनाथ मन्दिर से सम्बन्धित
- **दे ाग** : देवताओं के किले के प में विख्यात, प्राचीन जैन मूर्तियों एवं शिल्प-कला हेतु सुप्रसिद्ध स्थल
- **म ो ाा** : गोखर पहाड़ पर च ानों को काटकर निर्मित 24 तीथकरों की प्रतिमाओं हेतु विख्यात
- **काकण ाी** : नवें तीथकर भगवान सुविधानाथ का निवास-स्थल

आगरा बनाया गया

- 7 फरवरी, 1856 ई. को अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया था
- अवध को ब्रिटिश सामाज्य में सम्मिलित करते समय अवध में बारह जिले (लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद (अब अयोध्या), गोण्डा, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली) थे
- 1857 ई. की विद्रोह (प्रथम स्वतन्त्रता सं ााम) की लड़ाई के प ाात् 1858 ई. में वायसराय लार्ड

कैनिंग ने पूरे उ ारी-प ामी प्रान्त को एक ले. गवर्नर के ारा शासित प्रान्त बना दिया था

- 1858 ई. में उ ारी-प ामी प्रान्त का मुख्यालय इलाहाबाद (अब प्रयागराज) बनाया गया था
- 1868 ई. में उ ारी-प ामी प्रान्त का उच्च न्यायालय भी आगरा से इलाहाबाद (अब प्रयागराज) स्थानान्तरित कर दिया गया था
- 1877 ई. तक अवध का प्रशासनिक व उच्च न्यायिक मुख्यालय लखनऊ रहा था तथा उ ारी-प ामी प्रान्त का इलाहाबाद (अब प्रयागराज)
- 1877 ई. में इन दोनों प्रान्तों (अवध व उ ारी-प ामी प्रान्त) को ले. गवर्नर तथा मुख्य आयु ़ का पद समाप्त कर आगरा व अवध का संयु ़ प्रान्त (यूनाइटेड प्राविन्सेज आफ आगरा एण्ड अवध) कर दिया गया था
- ले. गवर्नर का पद इस एकीकत प्रान्त (यूनाइटेट प्राविन्सेज आफ आगरा एण्ड अवध) का सवाच्च प्रशासनिक पद बन गया था
- भारत सरकार अधिनियम, 1919 के अन्तर्गत ले. गवर्नर के पद को गवर्नर के पद की मान्यता प्राप्त हो गयी
- 1920 ई. के चुनावों के प ाात् संयु ़ प्रान्त आगरा-अवध (यूनाइटेड प्राविन्सेज आफ आगरा एण्ड अवध) की सरकार इलाहाबाद (प्रयागराज) से लखनऊ स्थानान्तरित कर दी गयी थी
- 1921 ई. में लखनऊ में विधान परि ाद् की स्थापना की गयी थी
- 1935 ई. तक प्रान्तीय सचिवालय के इलाहाबाद (प्रयागराज) से लखनऊ स्थानान्तरण का कार्य पूरा करने के बाद लखनऊ को इस प्रान्त की राजधानी ोि ित किया गया था
- 1937 ई. में यूनाइटेड प्राविन्सेज आफ आगरा एण्ड अवध का नाम परिवर्तित कर संयु ़ प्रान्त (यूनाइटेड प्राविन्सेज) रख दिया गया था
- उन्नीसवा शताब्दी ई. के प्रारम्भ में इस प्रान्त में बनारस (अब वाराणसी) क्षेत्र मिर्जापुर तथा इलाहाबाद (अब प्रयागराज) का किला अं ोजों के आधिपत्य में स्थापित थे
- 1808 ई. में अवध के नवाब सआदत अली ने सुरक्षा की गारण्टी के बदले में गोरखपुर क्षेत्र रुहेलखण्ड क्षेत्र, इलाहाबाद (अब प्रयागराज) क्षेत्र, फतेहपुर, कानपुर, इटावा, एटा क्षेत्र अं ोजों को प्रदान कर दिये थे
- 1809 ई. में फर्रुखाबाद के नवाब ने अपना क्षेत्र अं ोजों को साप दिया
- 1803 ई. में लार्ड लेक ने मराठों को पराजित कर अलीगढ़, आगरा पर अधिकार कर लिया था
- 1836 ई. में इस प्रान्त का नाम उ ारी-प ामी प्रान्त रखा गया था, उस समय इस प्रान्त में दिल्ली तथा अजमेर के क्षेत्र भी सम्मिलित थे
- 1856 ई. में अवध इस प्रान्त में सम्मिलित कर लिया गया था
- 1857 ई. के विद्रोह के प ाात् दिल्ली, पंजाब को तराई के क्षेत्र नेपाल को बरेली तथा मुरादाबाद के कु क्षेत्र रामपुर के नवाब को सागर का क्षेत्र मध्य प्रान्त को दे दिया गया था

5 का ािन्ति तथा रा ाय आन्दोलन ों ार ा ` ाकायो ा ान

- 1857 ई. में उ ारी भारत की जनता ने तथा जमादारों, राजाओं ने अं ोजी शासन के विरुद्ध एक महान् विद्रोह कर दिया यह एक स्व-स्फूर्त विद्रोह था, जिसे सावरकर ने भारत का प्रथम स्वाधीनता

सं ाम कहा था

- कोलकाता (तत्कालीन कलक ा) के निकट स्थित बैरकपुर के 34वा देशी सैनिक ावनी के मंगल पाण्डे (उ र प्रदेश निवासी) ने 21 मार्च, 1857 ई. को खुला विद्रोह कर अपने एडजुडेण्ट लेफ्टीनेण्ट हेनरी बाग पर गोली चला दी इस टना के फलस्व प मंगल पाण्डे को 7 अप्रैल, 1857 ई. को बैरकपुर में फाँसी पर चढ़ा दिया गया था
- मंगल पाण्डे की फाँसी ने भारतीय सैनिकों को उ ोजित कर दिया क्योंकि उसने नये आवि कत एनफिल्ड रायफलों के लिए नये प्रकार के कारतूसों के प्रयोग करने का विरोध किया था इन कारतूसों को प्रयोग करते समय इसे मुँह से खोलना पड़ता था हिन्दू और मुस्लिम दोनों धमा के सैनिकों में यह धारणा परिपक्व हो चुकी थी कि कारतूसों के खोल में सुअर एवं गाय की चबा लगायी गयी है अतः सैनिकों में आक्रोश था यह आक्रोश ही मंगल पाण्डे की टना बन गया था
- 24 अप्रैल, 1857 ई. को मेरठ की देशी सेना ने नये कारतूसों को ूने से इनकार कर दिया इससे क्रुद्ध अं ोज अधिकारियों ने 9 मई, 1857 ई. को सैनिकों की वदा उतरवा ली, फलस्व प 10 मई, 1857 ई. को पूरी ावनी के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया विद्रोही सैनिकों ने अं ोज अधिकारियों की हत्या कर दी
- 11 मई, 1857 ई. को मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली पर अधिकार कर भारत के (पेंशनयाफ्ता) वद्ध समाट (मुगलों के अन्तिम बादशाह) जो अं ोजों ारा दयनीय स्थिति में रख दिये गये थे, को अपना शासक ोिात करते हुए उसके (बहादुरशाह ितीय) नेतत्व में लामबन्द हो गये
- विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली में 6 सैनिकों तथा चार नागरिकों की एक मिली-जुली समिति जलसा के नाम से गठित की, जिसने दिल्ली का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था
- 1857 ई. के इस विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र था अवध और बुन्देलखण्ड
- 1857 ई. के इस व्रिदोह में दोआब क्षेत्र ने भी सक्रिय योगदान किया था
- 1857 ई. के इस विद्रोह में शी्र की अलीगढ़, बरेली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद (अब प्रयागराज) को स्वतन्त्र कराने के बाद विद्रोही सैनिकों व जमादारों ने वहाँ अपनी सरकारें स्थापित कर ली था
- 1857 ई. के इस महान् विप्लव में बरेली का प्रशासन खान बहादुर खान नामक रोहिल्ला सैन्य अधिकारी ने ाहण कर लिया था
- 1857 ई. के इस महान् विप्लव में कानपुर के प्रशासन पर नाना साहब का अधिकार था
- 1857 ई. के इस महान् विप्लव में इलाहाबाद (प्रयागराज) पर एक अध्यापक मौलवी लियाकत अली का अधिकार था
- 1857 ई. के इस महान् विप्लव का विस्तार इटावा, मैनपुरी, एटा, मथुरा, शाहजहाँपुर, बदायूँ, आजमगढ़, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, वाराणसी, फैजाबाद, फतेहपुर, हाथरस, आदि ोटे- ोटे- नगरों व कस्बों में हो गया था
- कानपुर (बिठूर) में नाना साहब विद्रोह का नेतत्व कर रहे थे, उनके अधीन दस हजार सैनिक तथा क ाक अं ोजों के विरुद्ध सं ारित थे
- लखनऊ में विद्रोह का नेतत्व बेगम हजरतमहल कर रही था, इसमें 50 हजार नागरिक बेगम हजरतमहल के नेतत्व में सं ारित थे

- कानपुर तथा लखनऊ में ब्रिटिश सैन्य अधिकारी कैम्पबेल, जनरल हैवलाक विन्ढम ने विद्रोह को कुचलने का प्रयास किया था
- 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे विद्रोहियों के प्रमुख योद्धा थे
- लगभग ह माह के कठिन सं ा्र के उपरान्त ही अं ाेजों ने लखनऊ, कानपुर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की थी
- मई 1857 ई. में अं ाेजों ने बरेली पर पुनः अधिकार कर लिया था
- झाँसी में विद्रोह का नेतत्व महारानी लक्ष्मीबाई ने किया था इस विद्रोह के दमन में जनरल रोज को सक्रिय किया गया था
- रानी लक्ष्मीबाई ने वीरता से सं ा्र करते हुए वीरगति प्राप्त की थी
- 1 नवम्बर, 1858 ई. को ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया ने अपने ाेाणा पत्र में ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी के हाथों से स ाा अधिकत कर ली तथा भारत में शान्ति की स्थापना की
- 1857 का महान् विद्रोह अन्ततः असफल हो गया
- 1857 के विद्रोह की असफलताओं से भावी रा वाद के बीज अंकुरित हुए थे
- उन्नीसवा सदी के उ ारार्द्ध में बनारस (अब वाराणसी) के भारतेन्दु हरि न्द्र ने अपनी पत्रिका कवि वचन सुधा में स्वदेशी आन्दोलन का समर्थन किया
- सर सैयद अहमद खाँ ने भी प्रगतिशील आन्दोलन का पथ प्रशस्त किया
- 1857 ई. में सर सैयद अहमद खाँ ने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरियण्टल वि ाालय की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम वि ावि ाालय बन गया
- अलीगढ़ आन्दोलन के नाम से चर्चित सर सैयद अहमद खाँ का आन्दोलन उ ार प्रदेश के आधुनिक इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय है
- सोमवार, 28 दिसम्बर, 1885 ई. को गोकुलदास तेजपाल संस्कत कालेज, बम्बई में भारतीय रा ीय कां ास का प्रथम अधिवेशन सम्पन्न हुआ था, जिसमें सम्पूर्ण भारत से 72 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे इस सम्मेलन में उ ार प्रदेश का प्रतिनिधित्व गंगाप्रसाद वर्मा, प्राणनाथ पण्डित, मुंशी ज्वाला प्रसाद, जानकीनाथ ाे ाल, रामकली चौधरी, बाबू जमुनादास, बाबू शिव प्रसाद चौधरी, लाला बैजनाथ ने किया था
- भारतीय रा ीय कां ास के ि तीय अधिवेशन कोलकाता (तत्कालीन कलक ाा में सम्पन्न) में उ ार प्रदेश के प्रतिनिधियों की संख्या 74 थी
- कोलकाता (तत्कालीन कलक ाा) अधिवेशन (1886 ई.) में भारतीय रा ीय कां ास ने सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े प्रश्नों पर विचार करने के लिए एक सत्रह सदस्यीय समिति का गठन किया था, जिसमें उ ार प्रदेश के पाँच सदस्यों को चुना गया था ये सदस्य थे : (1) लखनऊ के गंगाप्रसाद वर्मा, (2) प्राणनाथ, (3) मौलाना हामिद अली, (4) नवाब रजा अली खान, (5) मुंशी काशी प्रसाद
- मद्रास अधिवेशन (1887 ई.) में विधि समिति का निर्माण कर लखनऊ के गंगाप्रसाद वर्मा, बिशन नारायण दर, मौलाना हामिद अली को सम्मिलित किया गया था, इन्होंने जन संगठन को व्यापक बनाने पर बल दिया था
- भारतीय रा ीय कां ास का चौथा अधिवेशन जार्ज यूल की अध्यक्षता में इलाहाबाद (अब प्रयागराज) में सम्पन्न हुआ था

- 1888 ई. में इलाहाबाद (अब प्रयागराज) के कां ास अधिवेशन के समय प्रान्त के गवर्नर सर आकलैण्ड काल्विन थे, जिन्होंने अधिवेशन न होने देने का प्रयत्न किया था
- 1888 ई. में अं ोजों के कां ास विरोध ने सर सैयद अहमद खाँ को प्रेरित किया था कि वे भी कां ास विरोध को स्वर दें और वे कां ास विरोधी बन गये थे
- बनारस (अब वाराणसी) के राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द भी कां ास के विरोधी तथा अं ोजों के पक्षधर थे
- उ ार प्रदेश में भारतीय रा ीय कां ास के 1947 ई. तक निम्न अधिवेशन हुए थे :

	व ा	स्थान	अध्यक्ष
1.	1888 ई.	इलाहाबाद (प्रयागराज)	जार्ज यूल
2.	1892 ई.	इलाहाबाद (प्रयागराज)	डब्ल्यू. सी. बनजा
3.	1899 ई.	लखनऊ	रोमेश चन्द्र द ा
4.	1905 ई.	बनारस (वाराणसी)	गोपाल क ण गोखले
5.	1910 ई.	इलाहाबाद (प्रयागराज)	सर विलियम वेडरबर्न
6.	1916 ई.	लखनऊ	अम्बिका चरन मजूमदार
7.	1925 ई.	कानपुर	श्रीमती सरोजिनी नायडू
8.	1935 ई.	लखनऊ	पं. जवाहरलाल नेह
9.	1946 ई.	मेरठ	आचार्य जे.बी. कपालानी

- उ ार प्रदेश (तत्कालीन नाम यूनाइटेड प्राविन्सेज) में कां ास कमेटी का पहला सम्मेलन पं. मोतीलाल नेह की अध्यक्षता में हुआ था
- 1909 ई. में प्रदेश कां ास का राजनीतिक सम्मेलन पुनः मोतीलाल नेह की अध्यक्षता में आगरा में हुआ था
- 1916 ई. में कां ास और मुस्लिम लीग का अधिवेशन एक साथ लखनऊ में सम्पन्न हुआ था मुस्लिम लीग का नेतत्व मुहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे इस अधिवेशन में कां ास और लीग की एकता ने मूर्त प धारण किया था इसे ही कां ास-लीग समझौता कहा गया है
- अक्टूबर, 1920 ई. में यू.पी. कां ास का प्रान्तीय सम्मेलन मुरादाबाद में आयोजित हुआ था, इस सम्मेलन की अध्यक्षता डा. भगवानदास ने की थी इस सम्मेलन को महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेह , जवाहरलाल नेह , स्वामी श्रद्धानन्द, हकीम अजमल खाँ, मौलाना शौकत अली, मौलाना मुहम्मद अली तथा मौलाना हसरत मोहानी जैसी राजनीतिक हस्तियों की उपस्थिति ने उल्लेखनीय बना दिया था सम्मेलन में महात्मा गांधी के असहयोग आन्दोलन प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था
- असहयोग आन्दोलन के दौरान बनारस (अब वाराणसी) में रा ीय शिक्षा के विकास हेतु काशी वि ाापीठ की स्थापना की गयी थी
- असहयोग आन्दोलन के दौरान अवध प्रान्त के किसानों ने गैर-कानूनी उगाही के विरुद्ध आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया था
- अक्टूबर 1921 ई. में उ ार प्रदेश कां ास का राजनीतिक सम्मेलन मौलाना हसरत मोहानी की अध्यक्षता में आगरा में सम्पन्न हुआ था जिसमें ब्रिटेन के युवराज (प्रिन्स आफ वेल्स) की भारत यात्रा का बहि कार करने का निर्णय लिया गया था

- 5 फरवरी, 1922 ई. को चौरी-चौरा कस्बे में (यू.पी. के गोरखपुर जिले में) सत्या ाहियों के जत्थे ने थाने के सिपाहियों (कुल संख्या 22) को जीवित जला दिया इस टना ने महात्मा गांधी को अत्यन्त आहत कर दिया उन्होंने इस टना को अपने सिद्धान्तों तथा कार्यक्रमों के विपरीत बतलाया तथा प्रत्येक प्रकार के आन्दोलन को समाप्त कर देने की ो ाणा कर दी थी
- सितम्बर 1924 ई. में कानपुर के एक पत्रकार सत्य भ ा ने भारतीय कम्युनिस्ट पाटा की स्थापना की थी
- भारतीय कम्युनिस्ट पाटा का पहला सम्मेलन दिसम्बर, 1925 में पेरियार की अध्यक्षता में कानपुर में हुआ था
- 1926 ई. के चुनावों में संयु ा प्रान्त में नेशनलिस्ट पाटा को अधिकाधिक सीटें प्राप्त हुई था
- अगस्त, 1928 ई. में सर्वदलीय सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया था यह सम्मेलन राजा महमूदाबाद के भव्य महल के बाग में आयोजित किया गया था
- नवम्बर, 1928 ई. के अन्तिम दिनों में साइमन आयोग का लखनऊ में बहि कार किया गया था विरोध का नेतत्व जवाहरलाल नेह ने किया था
- कानपुर के प्रताप तथा प्रभु नामक अखबार बोल्शेविज्म के प्रचार-प्रसार में संलग्न थे
- संयु ा प्रान्त में लखनऊ के समीपवता क्षेत्रों में 1924-1930 के मध्य किसानों के मध्य जन-आन्दोलन चल रहा था इस जन-आन्दोलन का नेतत्व मदारी पासी नामक किसान कर रहे थे यह आन्दोलन लखनऊ, मलिहाबाद, हरदोई, उन्नाव, फतेहपुर तथा फर्रुखाबाद तक फैला हुआ था इस आन्दोलन का उ ेश्य किसानों के मध्य साम्प्रदायिक एकता बनाए रखना तथा एकजुट होकर जमादारों के शो ाण का विरोध करना था इस आन्दोलन से जुड़े मुखिया क ाकों को अपनी बैठकों में निमन्त्रित करने के लिए सुपारी का उपयोग करते थे इन बैठकों को मदारी पासी सम्बोधित करते थे वह सभी किसानों को गीता तथा कुरान पर हाथ रखकर आपसी एकता बनाए रखने तथा बन्दी क ाक परिवारों को सहायता प्रदान करने की शपथ दिलवाते थे
- असहयोग आन्दोलन की वापसी के प ाात् निराश मध्यवगाय युवाओं ने क्रान्तिकारी सैन्यवाद की गतिविधियों को प्रारम्भ किया संयु ा प्रान्त में इन्हा क्रान्तिकारी गतिविधियों का परिणाम 9 अगस्त, 1925 ई. को लखनऊ के निकट काकोरी टेन डकैती की टना थी
- काकोरी टेन डकैती टना के अभियु ाों में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकउल्ला खाँ, रोशनसिंह को फाँसी की सजा हुई थी रामक ण खत्री, मन्मथनाथ गुप्त आदि को दी ाकालीन कारावास का दण्ड मिला था
- काकोरी टेन डकैती केस के अभियु ाों की पैरवी चन्द्रभानु गुप्त नामक युवा वकील ने अपनी निःशुल्क सेवाओं ारा की थी यही चन्द्रभानु गुप्त उ ार प्रदेश के (स्वतन्त्रता के प ाात्) मुख्यमन्त्री बने थे
- हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सेनापति चन्द्रशेखर आजाद चुने गये थे
- हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का मुख्यालय आगरा बनाया गया था
- क्रान्तिकारी शिव वर्मा, डा. गया प्रसाद कटियार तथा जयदेव कपूर को सहारनपुर में क्रान्तिकारियों ारा संचालित बम फैक्टरी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था
- 27 फरवरी, 1931 ई. को इलाहाबाद (अब प्रयागराज) के अल्फ्रेड पार्क में चन्द्रशेखर आजाद

एक पुलिस मुठभेड़ में शहीद हो गये थे

- 1931 ई. में जवाहरलाल नेह ने इलाहाबाद (अब प्रयागराज) में करबन्दी का आन्दोलन प्रारम्भ किया था इस आन्दोलन में जयप्रकाश नारायण, लालबहादुर शा ी, नेह जी के अनन्य सहयोगी के प में जुड़े थे
- संयु ‍ प्रान्त में सम्पूर्णानन्द, परिपूर्णानन्द, कमलापति त्रिपाठी, तारापद भ ाचार्य ने समाजवादी दल की स्थापना की थी
- अप्रैल, 1934 ई. में अखिल भारतीय कां ास समिति के सदस्य सम्पूर्णानन्द ने बनारस (अब वाराणसी) में एक पर्चा प्रकाशित किया इस पच का नाम भारत के लिए एक प्रायोगिक समाजवादी कार्यक्रम था इसमें जमादारी प्रथा का उन्मूलन, उ ाोगों व बकों व भूमि के रा ीयकरण पर बल दिया गया था
- प्रो. एन.जी. रंगा, इन्दुलाल या ानिक, स्वामी सहजानन्द के प्रयासों से लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन 1936 ई. में किया गया था इस सम्मेलन में सामन्तवाद के उन्मूलन तथा लगान व कजा में ूट की माँग रखी गयी थी
- 1937 ई. के निर्वाचनों में संयु ‍ प्रान्त की विधानसभा में निर्वाचित होकर आनेवाले कुल 64 मुस्लिम स्थानों में मुस्लिम लीग को 29, स्वतन्त्रों को 24, कां ास को 1, नेशनल ए ाीकल्चरिस्ट पाटा आफ आगरा को 7 तथा नेशनल ए ाीकल्चरिस्ट पाटा आफ अवध को 3 स्थान प्राप्त हुए थे 164 सामान्य सदस्यों में कां ास के 134, नेशनल ए ाीकल्चरिस्ट पाटा आफ आगरा के 6, नेशनल ए ाीकल्चरिस्ट पाटा आफ अवध के 9, लिबरल 1 तथा स्वतन्त्र 14 सदस्य निर्वाचित हुए थे
- 1 अप्रैल, 1937 ई. को संयु ‍ प्रान्त के राज्यपाल सर हैरी हेग ने नवाब तारी के नेतत्व में एक अल्पमत सरकार गठित की थी
- संयु ‍ प्रान्त में मोहनलाल सक्सेना कां ास का मुस्लिम लीग से गठबन्धन चाहते थे परन्तु जवाहरलाल नेह इस गठबन्धन के पूर्णतः विरुद्ध थे
- संयु ‍ प्रान्त में मुस्लिम लीग के सुप्रसिद्ध व प्रभावशाली नेता चौधरी खलिक जुमा ने 12 मई, 1937 ई. का इलाहाबाद (प्रयागराज) में जवाहरलाल नेह से भेंट की, परन्तु मुस्लिम लीग व कां ास के मध्य मतभेद समाप्त न हुए तथा दोनों के बीच दूरी और बढ़ गयी
- मुस्लिम लीग व कां ास के मध्य मतभेदों को समाप्त करने के उ ेश्य से गोविन्द बल्लभ पन्त ने चौधरी खलिक जुमा से भेंट की लखनऊ में हुई इस भेंट का भी कोई परिणाम नहा निकला था
- मुस्लिम लीग व कां ास के मध्य मतभेदों को दूर करने के लिए 12 जुलाई, 1937 ई. को मौलाना आजाद तथा चौधरी खलिकुज्जमा से लखनऊ में भेंट की परन्तु परिणाम व्यर्थ रहा
- संयु ‍ प्रान्त में 1937 ई. में कां ास ने सरकार गठित की इस सरकार में प्रधानमन्त्री गोविन्द बल्ल्भ पन्त के साथ रफी अहमद किदवई, डा. कैलाशनाथ काटजू, श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्डित, प्यारे लाल शर्मा, मोहम्मद इब्राहीम सम्मिलित थे लक्ष्मीनारायण, संसदीय सचिव बनाये गये थे
- संयु ‍ प्रान्त की कां ास सरकार ने अक्टूबर, 1939 ई. में एक विस्तत अधिनियम के ारा काश्तकारों की समस्याओं के समाधान का प्रयास किया था कुटीर उ ाोगों पर बल दिया था
- अक्टूबर, 1939 ई. में गान्धी जी ारा आन्दोलन का प्रस्ताव पारित करते ही संयु ‍ प्रान्त की कां ास सरकार ने देश की अन्य कां ासी सरकारों के साथ त्याग-पत्र दे दिया

- 1942 ई. के भारत ोड़ो आन्दोलन के दौर में संयु ӻ प्रान्त में बलिया में (10 अगस्त, 1942 ई.) को प्रबल जन-आन्दोलन हो गया जिसमें अनेक रेलवे स्टेशन, डाकखाने, थाने जला दिये गये इस आन्दोलन में बलिया के स्थानीय कां ोसी नेता चि ू पाण्डे के नेतत्व में बलिया में एक अस्थायी सरकार की स्थापना कर दी गयी थी
- 22 अगस्त, 1942 ई. से बलिया में अं ोज सरकार का दमन प्रारम्भ हुआ आम जनता से भारी जुर्माना वसूला गया हजारों निदा ा लोगों को बन्दी बनाया गया तथा प्रताड़ित किया गया अन्ततः बलिया को सेना ने पुनः विजित किया और ब्रिटिश सरकार ने लन्दन को यह टेली ाम दिया कि बलिया को पुनर्विजित कर लिया गया है
- 15 अगस्त, 1947 को भारत को स्वतन्त्रता प्राप्त होते ही संयु ӻ प्रान्त में स्वतन्त्र भारत की प्रथम कां ोसी सरकार का इस महत्वपूर्ण प्रान्त में पं. गोविन्दवल्लभ पन्त के नेतत्व में गठन हो गया था

5 का ान्ति का ा ख ा ना

ि ाथि	ा ना
29 मार्च, 1857 ई.	बैरकपुर में सैनिकों ने चबायु ӻ कारतूसों के प्रयोग करने से इन्कार कर दिया संयु ӻ प्रान्त के मंगल पाण्डे नामक सैनिक ने क्षुब्ध होकर अपने एडजुडेण्ट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी
10 मई, 1857 ई.	मेरठ में सैनिकों का विद्रोह
10-30 मई, 1857 ई.	दिल्ली, अलीगढ़, इटावा, बुलन्दशहर, नसीराबाद, बरेली, मुरादाबाद, खीरी, सीतापुर, शाहजहाँपुर एवं अन्य के क्षेत्रों में विद्रोह प्रारम्भ
12 मई, 1857 ई.	मेरठ के विद्रोही सैनिकों ारा दिल्ली में बहादुरशाह ितीय को भारत का समाट ोि ित किया गया
1 जून, 1857 ई.	ग्वालियर, भरतपुर, झाँसी, इलाहाबाद (अब प्रयागराज), फैजाबाद (अब अयोध्या), सुल्तानपुर, लखनऊ, कानपुर (बिठूर) में विद्रोह प्रस्फुटित
5 जून, 1857 ई.	नाना साहब को कानपुर (बिठूर) का पेशवा ोि ित किया गया
जुलाई, 1857 ई.	संयु ӻ प्रान्त में प्रत्येक जगह विद्रोह प्रारम्भ
अगस्त, 1857 ई.	संयु ӻ प्रान्त में स्थानीय जनता (किसानों) ने विद्रोह में भाग लेना प्रारम्भ किया
सितम्बर, 1857 ई.	दिल्ली पर अं ोजों का पुनः अधिकार संयु ӻ प्रान्त में अं ोजों ारा दमन-चक्र प्रारम्भ
अक्टूबर, 1857 ई.	संयु ӻ प्रान्त में प्रत्येक स्थान पर अं ोजों से सं ा ि
नवम्बर, 1857 ई.	विद्रोहियों ने अं ोज जनरल विण्डहम को कानपुर के निकट पराजित किया
6 दिसम्बर, 1857 ई.	कानपुर का युद्ध सर कालिन कैम्बल ने विजय किया तात्या टोपे पराजित होकर झाँसी पहुँचे महारानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने मिलकर अं ोजों के विरुद्ध भयंकर सं ा ि प्रारम्भ किया अं ोज सेना में दूसरे प्रान्तों से सहायता टुकड़ियाँ पहुँचा
मार्च, 1858 ई.	लखनऊ पर अं ोजों का पुनः अधिकार स्थापितः बेगम हजरत महल अपने बेटे नवाब बिरजिस कद्र के साथ नेपाल की ओर पलायन कर गया

3 अप्रैल, 1858 ई.	सर ूरोज ने झाँसी पर आक्रमण कर पुनः अधिकार स्थापित कर लिया
16 अप्रैल, 1858 ई.	संयु ्त प्रान्त में प्रत्येक स्थान पर अं ोज प्रभावी
मई, 1858 ई.	अं ोजों ने बरेली, काल्पी को पुनः विजित किया भारतीय विद्रोहियों ने रुहेलखण्ड में ापामार आक्रमण प्रारम्भ किया
जून, 1858 ई.	संयु ्त प्रान्त में विद्रोह लगभग समाप्त
जुलाई-दिसम्बर 1858 ई.	सभी स्थानों पर अं ोजी स ा पुनः स्थापित

अवध के नवा ा-रा ा (काल ्र ा)

पहला नवाब	सआदत खाँ (बुरहानुल्मुल्क) (अवध में नवाबी का संस्थापक	1732 से 1739 ई.
ि तीय नवाब	सफदरजंग	1739 से 1753 ई.
ततीय नवाब	शुजाउ ौला	1753 से 1775 ई.
चतुर्थ नवाब	आसफउ ौला	1775 से 1797 ई.
पाँचवाँ नवाब	वजीर अली (मात्र चार माह सिंहासन पर रहा, तत्प ात् हटा दिया गया)	1797 से 1798 ई.
ठवाँ नवाब	सआदत अली खाँ	1798 से 1814 ई.
सातवाँ नवाब	गाजीउ ीन हैदर (1819 ई. में ब्रिटिश सरकार ने उसे राजा की उपाधि से सम्मानित किया और वह अपने खानदान का पहला राजा कहलाया)	1814 से 1819 ई.
पहला राजा	गाजीउ ीन हैदर	1819 से 1827 ई.
ि तीय राजा	नासिर-उ ीन हैदर	1827 से 1837 ई.
ततीय राजा	मुहम्मद अली शाह	1837 से 1842 ई.
चतुर्थ राजा	अमजद अली शाह	1842 से 1847 ई.
पाँचवाँ (अन्तिम राजा)	वाजिद अली शाह (फरवरी, 1856 ई. में राजा को च्युत कर अं ोजों ने अवध को ब्रिटिश सामाज्य में सम्मिलित कर लिया)	1847 से 1856 ई.

●

सं ौ ाानिक प्रणाली

भारतीय संविधान के अन्तर्गत उ ार प्रदेश में एक राज्यपाल तथा दो सदनों का विधान मण्डल है एक सदन विधानसभा तथा दूसरा विधान परि ाद (उच्च सदन) कहलाता है राज्य में एक उच्च न्यायालय (इलाहाबाद और लखनऊ खण्डपीठ) भी है राज्य की कार्यपालिका श ि राज्यपाल में निहित है और उसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार या तो स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करते ह राज्यपाल, जो भारत का नागरिक हो तथा 35 व ा से कम आयु का न हो, रा पति ारा नियु ि किया जाता है राज्यपाल, रा पति की संतु ि तक अपना पद धारण करता है उसकी कार्यावधि पद ाहण की तिथि से पाँच व ा की होती है, किन्तु वह इस अवधि के समाप्त होने पर भी अपने उ ाराधिकारी के पद ाहण करने तक पदासीन रह सकता है राज्यपाल न तो संसद के किसी सदन का और न ही राज्य विधान मण्डल के किसी सदन का सदस्य होता है वह अन्य लाभ के पद धारण नहा कर सकता और बिना किराया दिये सरकारी आवास का प्रयोग कर सकता है साथ ही वह संविधान की ि तीय अनुसूची में उल्लिखित वेतन, भ ों व विशे ाधिकारों का उपयोग कर सकता है राज्यपाल अपना पद ाहण करने से पहले राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष संविधान और विधि के परीक्षण और संरक्षण के लिए तथा जन-कल्याण के लिए अपनी सेवाएं अर्पित करने की शपथ लेता है राज्यपाल को, राज्य कार्यपालिका श ि के अन्तर्गत, किसी अपराध में अथवा किसी विधि के विरुद्ध सिद्ध-दो ा व्य ि के दण्ड को क्षमा, प्रतिलम्बन, विराम या परिहार करने का अथवा दण्डादेश के निलम्बन या ल ुकरण (कम) करने का अधिकार है

राज्यपाल को उसके कार्य संचालन में सहायता अथवा मंत्रणा देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक मंत्रि-परि ाद होती है यह परि ाद, ऐसे मामलों को ोड़कर जिनमें विधान के अन्तर्गत राज्यपाल को स्वविवेक से निर्णय लेना हो, शे ा सभी काया में उसकी सहायता करती है यदि कभी यह प्रश्न उठता है कि कोई मामला ऐसा है अथवा नहा, जिसमें राज्यपाल को संविधान के अन्तर्गत स्वविवेक से निर्णय लेना चाहिए, तो इस वि ाय पर राज्यपाल ारा स्वविवेक से लिया गया निर्णय ही अन्तिम माना जाता है इस सम्बन्ध में उसके कार्य के औचित्य पर आपि ा नहा उठायी जा सकती

राज्य का मुख्यमंत्री राज्यपाल ारा तथा अन्य मंत्रिगण मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल ारा नियु ि किये जाते ह सभी मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त अपना पद धारण करते ह मंत्रि-परि ाद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक प से उ ारदायी होती है राज्यपाल किसी मंत्री को पद ाहण करने से पहले संविधान की तीसरी अनुसूची में दिये हुए परिपत्रों के अनुसार पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते ह यदि कोई मंत्री निरन्तर ह माह की अवधि तक राज्य के विधानमण्डल का सदस्य न रहे, तो उस अवधि की समाप्ति पर वह मंत्री पद पर नहा रह सकता मंत्रियों को समय-समय पर राज्य के विधानमण्डल ारा विधि के अन्तर्गत निर्धारित वेतन तथा भ ो देय होते ह वे अन्य लाभों के भी अधिकारी होते ह उन्हें निःशुल्क सुसज्जित आवास, यात्रा तथा चिकित्सा सुविधाएँ प्राप्त ह राज्य की कार्यपालिका से सम्बन्धित सारी कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की जाती है मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासन सम्बन्धी मंत्रि-परि ाद के समस्त निर्णयों तथा विधान के लिए प्रस्तावित सभी मामलों की सूचना राज्यपाल को देते ह साथ ही मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासन सम्बन्धी तथा विधान के लिए प्रस्तावित उन मामलों की जानकारी भी राज्यपाल को देते ह, जिनकी सूचना राज्यपाल स्वयं मांगते ह यदि किसी मामले में किसी एक मंत्री ने एकपक्षीय निर्णय लिया है तो राज्यपाल मंत्रि-परि ाद से उस पर पुनानर्णय लेने के लिए कह सकता है इस कार्य के लिए वह सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकते ह वह विधान मण्डल के किसी भी सदन में लम्बित किसी विधेयक के वि ाय में सम्बन्धित सदन को संदेश भेज सकते ह जिस सदन

को ऐसा संदेश भेजा जाये, उसे उस पर यथा सुविधानुसार विचार करना होगा

प्रत्येक सामान्य निर्वाचन के प ाात् तथा प्रत्येक व ा विधानमण्डल के प्रथम सत्र के आरम्भ होने के पूर्व राज्यपाल दोनों सदनों को एक साथ संबोधित कर उन्हें अवगत कराते ह कि विधानमण्डल की बैठक किन काया के नि पादन के लिए बुलायी गयी है राज्यपाल विधानमण्डल ारा पारित विधेयकों पर अपनी स्वीकति देते ह या उन्हें रा पति की स्वीकति के लिए सुरक्षित करके उन्हें केंद्र भेज देते हैं जब तक ऐसी स्वीकति नहा मिल जाती, तब तक कोई विधेयक अधिनियम नहा बन सकता राज्यपाल विधान परि ाद के लिए 10 सदस्यों तथा विधानसभा के लिए एक एंग्लो-इण्डियन को मनोनीत करते ह विधान मण्डल सत्र न होने की स्थिति में यदि किसी विषय अथवा नीति पर सरकार को तुरंत विधि बनाने की आवश्यकता होती है, तो वह अध्यादेश लाती है। राज्यपाल को संतुष्ट होने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी प्राप्त है। इस प्रकार जारी किया हुआ अध्यादेश विधान मण्डल की बैठक होते ही उसके समक्ष रखा जाता है विधान मण्डल चाहे तो उसे स्वीकार अथवा अस्वीकार भी कर सकता है

विधान ा ाा

उ ार प्रदेश विधानसभा में एक मनोनीत एंग्लो-इण्डियन सदस्य को मिलाकर 404 सदस्य ह पूर्व में परिसीमन आयोग की सिफारिश के अनुसार, जो प्रत्येक जनगणना के प ाात् गठित किया जाता है, पूरे राज्य को 425 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया था उ ाराखंड के गठन के बाद यह संख्या 404 रह गयी है विधानसभा का कार्यकाल उसकी पहली बैठक से पांच साल का होता है, बशत कि वह उससे पहले वि ाटित न कर दी जाये

ा न अधिनिय ा

विधानसभा को अपने कार्य संचालन के विनियमन तथा प्रक्रिया के लिए नियम बनाने का अधिकार है विधानसभा के समक्ष आये सारे प्रश्न बहुमत ारा निणात होते ह और सभा की बैठक गणपूर्ति के लिए उसके सदस्यों की सम्पूर्ण संख्या का दशांश आवश्यक होता है विधानसभा का कार्य संचालन अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अथवा अधिष्ठाता मंडल संचालित करता है अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष सदस्यों ारा बहुमत के आधार पर चुने जाते ह विधानसभा का मुख्य कार्य अधिनियम बनाना, सरकार को व्यय के लिए धन स्वीकत करना, प्रश्नों, प्रस्तावों व संकल्पों ारा अविलम्ब मह वपूर्ण वि ायों की चर्चा करके सरकार की कार्य-विधियों पर नियंत्रण रखना है उसका कार्य हिन्दी भा ाा में व देवनागरी लिपि में किया जाता है

विधि सम्बन्धी सरकारी या गैर सरकारी प्रस्ताव विधेयक के प में सदन के समक्ष सदन की पूर्व अनु ाा से रखे जाते ह उसके प ाात् या तो सीधे सदन में ही विचारार्थ ले लिये जाते ह अथवा प्रवर समिति या संयु ा प्रवर समिति को भेज दिये जाते ह सदन ारा विभिन्न उपबन्धों पर विचारोपरान्त वह विधेयक को अस्वीकार कर सकता है या उसे संशोधनों सहित पारित कर सकता है इनमें से किसी भी स्थिति में विधानसभा विधेयक को पुनः विचारार्थ विधान परि ाद भेज सकती है यदि इस प्रकार विधानसभा ारा दोबारा पारित विधेयक परि ाद के भेजने के बाद एक मास की अवधि तक परि ाद उसे अपने यहाँ लम्बित रखती है, तो यह समझा जायेगा कि वह विधेयक दोनों सदनों ारा पारित हो गया है और उसे राज्यपाल को उनके अनुमोदन के लिए भेज दिया जायेगा धन विधेयक, जो किसी कर का आरोपण, उगाही, परिहार, परिवर्तन या विनियमन करता हो, विधान परि ाद ारा उसे प्राप्त होने के बाद 14 दिन से अधिक लम्बित कर दे, तो यह समझा जायेगा कि ऐसा विधेयक दोनों सदनों से पारित हो गया है और वह राज्यपाल को अनुमोदन के लिए भेज दिया जायेगा

अन्य प्राक्कलन सदन में मतदान के लिए प्रस्तुत किये जाते ह नियमानुसार सदन अन्य प्राक्कलनों पर मतदान के लिये पाँच दिन की सामान्य बहस के अतिरि ा 24 दिन का समय ले सकता है प्राक्कलित व्ययों के अनुमोदन के समक्ष राज्यपाल की सिफारिश पर प्रस्ताव के प में सम्बन्धित विभागों के मंत्रियों ारा स्वीकति

हेतु प्रस्तुत किये जाते ह वे विभागवार मांग प्रस्ताव के प में होते ह विपक्ष कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है संविधान में इस बात की भी पर्याप्त व्यवस्था कर दी गयी है कि यदि स्वीकत धनराशि कम पड़ती है या अनुमानित व्यय की धनराशि से बढ़ जाती है, तो आवश्यकता पड़ने पर अनुपूरक, अतिरि त या अपर अनुदान भी सदन के समक्ष प्रस्तुत किये जा सकते ह

ा ातिया

सदन के पास सभी मु ों पर पूरा विचार करने का समय या सुविधा नहा रहती इसलिए सम्यक विचार के लिए कु समितियां गठित की गयी ह जैसे कि विधेयकों सम्बन्धी प्रवर समिति या शासन ारा अधिनियमों में दी गई श त या संविधान ारा प्रद ा श त के अन्तर्गत बनाये गये नियमों, नियमावलियों तथा उपविधियों पर विचार करने वाली प्रत्यायोजित विधि निर्माण समिति इसके अतिरि त सदन की तीन मह वपूर्ण वि ीय समितियाँ भी ह, जो प्राक्कलन समिति, लोकलेखा समिति तथा सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति कहलाती ह प्राक्कलन समिति का कार्य सदन के समक्ष प्रस्तुत प्राक्कलनों की परीक्षा करना है लोक लेखा समिति का कार्य भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक के इस राज्य से सम्बन्धित प्रतिवेदनों पर विचार करना है और यह देखना है कि जो धन व्यय किया गया है और जिसके लिए सदन ने अपना मत व्य त किया था, वह भलीभांति व्यय हुआ है। उ ार प्रदेश ने अन्य प्रदेशों के मुकाबले सर्वप्रथम यह सिद्धांत स्वीकार किया कि लोक लेखा समिति का सभापति विरोधी पक्ष से निर्वाचित किया जाये उ ार प्रदेश में यह परम्परा सन् 1948 से चली आ रही है, जबकि लोकसभा ने इसको सन् 1967 के बाद अंगीकत किया है सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति की स्थापना अभी हाल में राज्य के अनेक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना के उपरान्त की गयी है चूँकि इन संस्थाओं की स्वाय ाता के साथ-साथ इन्हें विधान मण्डल के प्रति उ ारदायी बनाये रखना आवश्यक है, अतः सार्वजनिक उपक्रम समिति इन उपक्रमों की कार्यप्रणाली की जाँच करके उन्हें निदश देती है, ताकि वे कुशलता, मितव्ययिता और अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप के बिना कार्य कर सकें

वि ेष ा ातिया

उपर्यु त विधि सम्बन्धी तथा वि ीय समितियों के अलावा सदन के कार्य संचालन में सहायता के लिए अन्य समितियाँ भी ह आ ासन समिति सदन में समय-समय पर दिये गये आ ासनों की जाँच करती है विशे ाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाये जाने पर विशे ाधिकार समिति उनको देखती है याचिका समिति उन याचिकाओं पर विचार करती है, जो समय-समय पर जनता ारा सदन के सम्मुख प्रस्तुत की जाती ह सदन की एक समिति हाउस कमेटी भी होती है, जो सदस्यों की आवास, भोजन व्यवस्था आदि सुविधाओं पर विचार करती है इसके अतिरि त एक अन्य मह वपूर्ण समिति कार्य की परामर्शदात्री समिति भी गठित की जाती है, जो सदन के समक्ष आने वाले कार्य के लिए समय का आवंटन व नियमन करती है उ ार प्रदेश को एक संसदीय अध्ययन समिति के गठन का श्रेय भी है यह संसदीय मामलों का अध्ययन कर उन पर अपने सुझाव देती है इसने सदस्यों के विशे ाधिकार, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार, सदन की वि ीय तथा अन्य समितियों में विधान परि ाद के सदस्यों के सम्मिलित होने तथा समिति की अपनी कार्यप्रणाली आदि वि ायों से सम्बद्ध मह वपूर्ण कार्य किया है अनुसूचित जाति जनजाति व विमु त जाति से सम्बद्ध कल्याणकारी काया की देख-भाल के लिए नयी समिति का गठन भी किया गया है वास्तव में सदन का कार्य मुख्यतया इन समितियों ारा ही होता है उ त समितियों के अतिरि त प्रदेश में मंत्रियों को परामर्श देने के लिए 27 स्थायी समितियाँ भी ह

विधान परिष

प्रदेश में सन् 1937 से दो सदनों का विधान मण्डल है उच्च सदन विधान परि ाद कहलाता है और यह स्थायी सदन है विधान परि ाद के सदस्यों की संख्या 100 है इसमें से 10 राज्यपाल ारा मनोनीत किये जाते ह, 36 स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित किये जाते ह, 38 विधानसभा के सदस्यों ारा चुने जाते ह तथा स्नातकों और अध्यापकों ारा 8-8 सदस्य निर्वाचित होते ह इस समय विधान परि ाद सदस्यों की संख्या 100 है विधान परि ाद को न तो अनुमोदन पर मतदान करने का अधिकार है और न ही कोई धन विधेयक लंबित रखा जा सकता है अन्य कोई विधेयक उस समय तक अधिनियम नहा बन सकता, जब तक दोनों सदनों से पारित न हो जाये विधान परि ाद के पीठासीन अधिकारी सभापति एवं उपसभापति कहलाते ह और उनका निर्वाचन विधानसभा के पीठासीन अधिकारियों की ही भांति होता है, जो उन्हा की भांति अपने पदों पर बने रहते ह विधानमण्डल के सदनों के पथक-पथक अपने सचिवालय और प्रमुख सचिव ह, जिनकी कार्यप्रणाली राज्य सरकार के सचिवालय और सचिवों से पूर्णतया स्वतंत्र है दोनों सचिवालयों को विभिन्न अनुभागों में विभाजित किया गया है, जो संसदीय, लेखा कार्यवाही और समितियों का कार्य देखते ह विधानमण्डल के सदस्यों के प्रयोग के लिए एक विधानमण्डल पुस्तकालय भी है यह देश के विधानमण्डल पुस्तकालयों में सबसे बड़ा पुस्तकालय है दोनों सदनों के सदन की समितियों के सदस्यों को वही विशे ाधिकार, श ियाँ और उन्मु ियाँ प्राप्त ह, जो इंग्लैण्ड के हाउस आफ कामन्स के सदस्यों को मिली ह इसके अतिरि सदन में भा ाण देने से सम्बन्धित किसी बात पर उनके विरुद्ध न्यायालय में कोई अभियोग नहा चलाया जा सकता है

नेता विरोधा ल

उ ार प्रदेश ने एक अन्य मह वपूर्ण अधिनियम के अन्तर्गत विरोधी दल के नेता के लिए कार्यालय की स्थापना कर प्रजातंत्र प्रणाली में एक विशि योगदान किया है विरोधी दल के नेता को इस नयी व्यवस्था के अन्तर्गत मंत्री के समकक्ष स्थान दिया गया है नेता विरोधी दल के लिए मंत्री के बराबर वेतन और सुसज्जित निःशुल्क आवास का प्रावधान है उसे वाहन भ ाा, कार्यालय के लिए कर्मचारी और अन्य सुविधाएं, जो उसके पद के अनु प हों, दी जाती ह अधिनियम के अनुसार, सदन में मान्यताप्राप्त विरोधी दलों में सबसे अधिक संख्या वाले दल के नेता को विरोधी दल के नेता के प में स्वीकार किया जाता है, किन्तु ऐसे दल के सदस्यों की संख्या कम-से-कम गणपूर्ति की संख्या के बराबर होनी चाहिए

कार्यपालिका

मंत्रि परि ाद संयु प से राज्य विधानसभा के प्रति उ ारदायी होती है उसके परामर्श और सहायक के लिए लखनऊ में एक सुव्यवस्थित सचिवालय है मुख्य सचिव इसका प्रधान होता है और अन्य अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं सचिव अपने-अपने विभागों के प्रमुख के प में कार्य करते ह सचिव अपने विभाग को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए जिम्मेदार ह और शासकीय नियमों तथा संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार कार्य करने के लिए उ ारदायी ह उनके इस कार्य में विशे ा सचिव, संयु सचिव, उप सचिव, अनुसचिव तथा अन्य अधिकारी सहायता करते ह विभागों के कार्य निस्तारण की मुख्य जिम्मेदारी मंत्री की है, जो समय-समय पर कार्य निस्तारण के लिए उचित स्थायी आदेश तथा निदश देता रहता है इन्हा स्थायी आदेशों के अधीन यह भी नि ात होता है कि कौन से कार्य सचिव ारा या उससे नीचे के अधिकारियों ारा निपटाये जा सकते ह और कौन से ऐसे मामले ह, जो मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किये जाने चाहिए

ा ािवालय

सचिवालय के अधिकतर विभागों में उनके नियंत्रणाधीन विभागाध्यक्ष अथवा मुख्य कार्यालयाध्यक्ष होते

ह, जो शासन की कार्यपालिका श ि के प में कार्य करते ह सारे आदेश राज्यपाल के नाम से प्रसारित किये जाते ह, किन्तु वे सचिव अथवा उसके अधीन अनुसचिव पद तक के किसी अधिकारी ारा हस्ताक्षरित किये जाते ह शासन का कार्य हिन्दी भा ाा एवं देवनागरी लिपि में किया जाता है अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विशे ा सचिव, संयु ि सचिव, उप सचिव तथा अनु सचिव साधारणतया केन्द्रीय या प्रदेशीय प्रशासनिक सेवाओं से नियु ि किये जाते ह कु उप सचिव और अनुसचिव सचिवालय की स्थायी सेवाओं से भी नियु ि किये जाते ह न्याय एवं विधायिका विभाग में अधिकारियों की नियुि न्यायिक सेवाओं से की जाती है

िला व ा ला ाा ान

जिला एवं मण्डल प्रशासन का कार्य मोटे तौर पर निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है- 1. कर्मचारी वर्ग से सम्बद्ध प्रशासन, 2. वि ीय प्रशासन, 3. न्यायिक और विधि से सम्बद्ध मामले, 4. शान्ति व्यवस्था से सम्बद्ध मामले, 5. कर की वसूली और रोपण, 6. आर्थिक विकास और प्रदेश की सम्पदा के ोतों का संरक्षण, 7. सामाजिक सेवाएं, 8. जनता के उपयोग में आने वाली सेवाएं, 9. मण्डलायु ि

सचिवालय तथा विभागाध्यक्षों के बाद मह वपूर्ण स्थान मण्डलायु ि का होता है, जो अपने मण्डल में शान्ति-व्यवस्था, राजस्व तथा अन्य मामलों के लिए पूर्णतया उ ारदायी होता है मण्डलायु ि को जिलाधिकारियों, स्वाय ाशासी संस्थाओं, नियोजन तथा विकास के काया की देखभाल करनी होती है इस समय प्रदेश में 18 मण्डलायु ि ह

प्रत्येक कमिश्नरी या मण्डल में कु जिले होते ह, जिनका प्रशासनिक अध्यक्ष जिलाधिकारी होता है वह जिला मजिस्टेट या उप मण्डलायु ि तथा कलेक्टर भी कहलाता है जिलाधिकारी पूरे जिले के प्रशासन की धुरी है वह अपने जिले में शान्ति-व्यवस्था के लिए पूर्णतया उ ारदायी होता है और उसको विस्तत प्रशासनिक, पुलिस और राजस्व सम्बन्धी अभिलेखों को सुरक्षित रखने के अतिरि ि भूमि सुधार, नियोजन और विकास से सम्बद्ध काया की देख-भाल करनी होती है प्रशासन की सुविधा, राजस्व की वसूली तथा विकास काया की प्रगति को ध्यान में रखकर जिले का विभाजन तहसीलों, विकास खण्डों और गांवों में किया गया है

न्यायपालिका

दीवानी और फौजदारी के मामलों से सम्बद्ध राज्य में एक उच्च न्यायालय (इलाहाबाद हाईकोर्ट और उसकी लखनऊ खंडपीठ) है राजस्व के मामलों के लिए सबसे बड़ा न्यायालय राजस्व परि ाद है उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, जिसका तात्पर्य यह है कि इसके कार्य तथा कार्यवाहियाँ शा ात साक्ष्य ह इसके अभिलेखों को इतना उच्च स्थान प्राप्त है कि उनकी सत्यता को नीचे की किसी अदालत में चुनौती नहा दी जा सकती अभिलेख न्यायालय के प में इसे अपनी अवमानना के दो ाी व्यि यों को दण्ड देने का भी अधिकार प्राप्त है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भारत के सवाच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल के परामर्श से रा पति नियु ि करता है अन्य न्यायाधीशों को वह मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से नियु ि करता है न्यायाधीश पद के लिए ऐसे ही व्यि योग्य माने जाते ह, जो भारत के नागरिक हों और जिन्होंने भारत के किसी उच्च न्यायालय के सामने अधिव ा के प में या किसी न्यायिक सेवा के पद पर कम से कम 10 व ा तक कार्य किया हो उच्च न्यायालय किसी व्यि या अधिकारी को संविधान में उल्लिखित मूल अधिकारों की रक्षा करने के ध्येय से आदेश देने में सक्षम है

अधान थ न्यायिक ेवा

अधीनस्थ न्यायिक सेवा को दो भागों में विभाजित किया गया है उ ार प्रदेश सिविल न्यायिक सेवा, और उ ार प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा उसमें पहले के अन्तर्गत मुन्सिफ और ल ाुवाद न्यायाधीश को मिलाकर सिविल जज, दूसरे के अन्तर्गत सिविल एण्ड सेशन्स जज (अब अतिरि ि जिला सेशन जज) आते ह जिले

के स्तर पर जिला न्यायाधीश अधीनस्थ न्यायिक सेवा का नियंत्रण होता है प्रदेश 71 न्यायिक जिलों में बंटा है, जिसमें प्रत्येक का नियंत्रण एक जिला न्यायाधीश के अधीन है मुंसिफ को जुडीशियल मजिस्टेट के अधिकार दिये गये ह और सिविल जज पदेन असिस्टेन्ट सेशन जज भी होता है

दीवानी के मामले में सबसे नीचे का न्यायालय मुंसिफ का न्यायालय होता है उसके बाद सिविल जज और जिले में सबसे ऊपर का न्यायालय जिला जज का होता है राजस्व के मामलों में सहायक कलेक्टर और कमिश्नर होते ह राजस्व मामलों में राजस्व परि ाद ही सवाच्च न्यायालय है उ ार प्रदेश पंचायत राज एक्ट के अन्तर्गत न्याय पंचायतों का भी गठन किया गया है इनका कार्य क्षेत्र सिविल है और ये कु निर्दि मामलों में 500 रुपये तक के मूल्य के वादों की सुनवाई कर सकती ह इनको फौजदारी के निर्दि ाटे- ाटे मामलों में भारतीय दण्ड विधान तथा अन्य कानूनों के अन्तर्गत दण्ड देने का अधिकार है न्याय पंचायतों को कारावास का दण्ड देने का अधिकार नहा है वे 100 रुपये तक जुर्माना कर सकती ह

ार ा ` ा लोक ावा ाधिकर ा

सरकारी कर्मचारी की सेवाओं से सम्बन्धित मामलों की संख्या अदालतों में निरंतर बढ़ती जा रही थी ऐसे मुकदमों में राज्य सरकार के कर्मचारियों, अधिकारियों, निगमों और कम्पनियों के धन और समय का अपव्यय होता था इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए 1976 में उ ार प्रदेश लोक सेवा प्राधिकरण स्थापित किये गये इनकी स्थापना का उ ेश्य कर्मचारियों को शीघ्र और सस्ता न्याय उपलब्ध कराना है

●

भारत रत्न से सम्मानित उत्तर प्रदेश की प्रमुख विभूतियाँ

भगवान दास

जवाहर लाल नेहरू

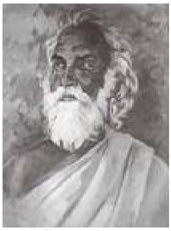
पुरुषोत्तम दास टण्डन

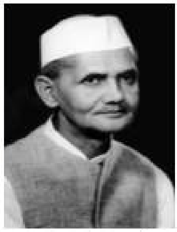
लाल बहादुर शास्त्री

राजीव गाँधी

पं0 मदन मोहन मालवीय

श्रीमती इन्दिरा गांधी

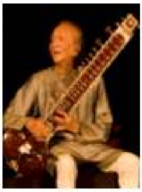
पं. रविशंकर

उस्ताद बिस्मिल्लाह खान

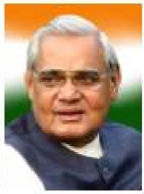
अटल बिहारी बाजपेयी

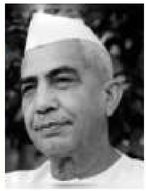
चौधरी चरण सिंह

परमवीर चक्र विजेता

वीर अब्दुल हमीद

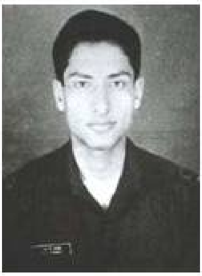
लेफ्टि. मनोज पाण्डेय

नायक जदुनाथ सिंह

ग्रेनेडियर योगेन्द्र सिंह यादव

महावीर चक्र विजेता

ब्रिगेडियर मो. उस्मान

कै. महेन्द्रनाथ मुल्ला

अशोक चक्र विजेता

कांस्टेबल कमलेश कुमारी

मेजर मोहित शर्मा

स्रोत : इंटरनेट

उ.प्र. में सक्रिय रहे क्रान्तिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी

नाना साहब पेशवा

प्रिंस बिरजिस कदर

कुँवर कदम सिंह

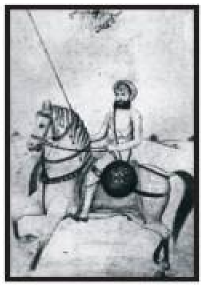
राणा बेनीमाधव सिंह

अजीमुल्लाह खाँ

ब्रिगेडियर ज्वाला प्रसाद

राजा जयलाल सिंह

अज़ीज़न बाई

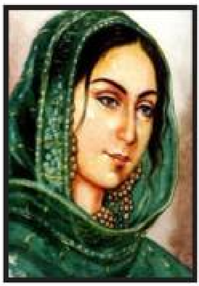
बेगम हजरतमहल

तांत्या टोपे

रानी लक्ष्मीबाई

मंगल पाण्डे

चन्द्रशेखर आजाद

भगत सिंह

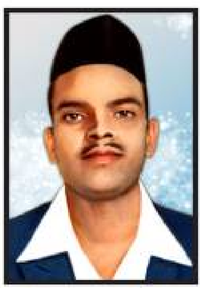
राज गुरू

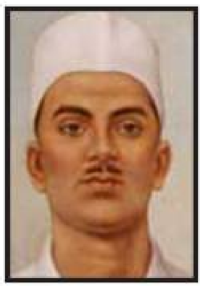
सुखदेव

उ.प्र.में सक्रिय रहे क्रान्तिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी

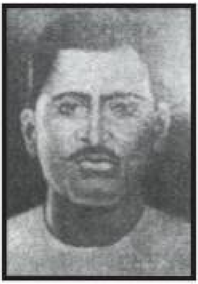
रोशन सिंह

राजेन्द्रनाथ लाहिड़ी

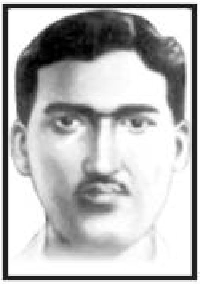
अशफाक उल्ला

चित्तू पाण्डे

योगेशचन्द्र चटर्जी

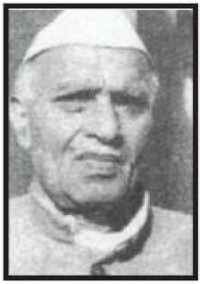
रामकृष्ण खत्री

कैप्टन रामसिंह

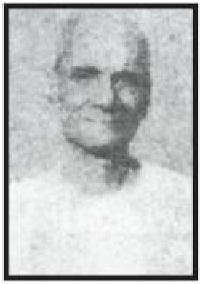
मोनी शील

रामप्रसाद बिस्मिल

महावीर सिंह

यतीन्द्रनाथ दास

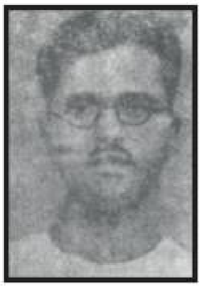
भगवती चरण वोहरा

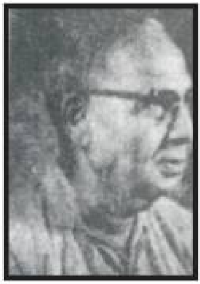
डॉ.गया प्रसाद कटियार

गणेश शंकर विद्यार्थी

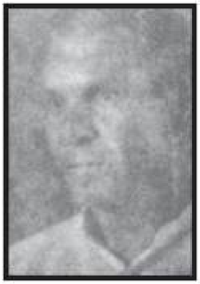
डॉ. जयदेव कपूर

शचीन्द्र नाथ सान्याल

उ.प्र.में सक्रिय रहे क्रान्तिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी

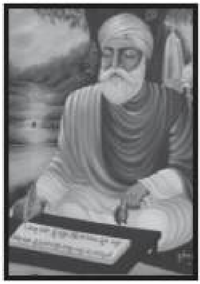
गंगादास

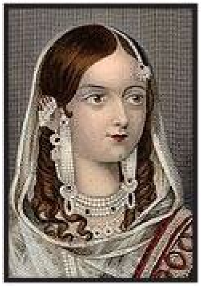
जीनत महल

ऊदा देवी

झलकारी बाई

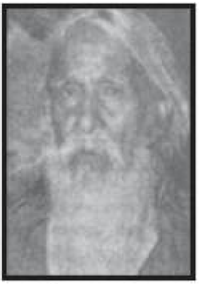
पं. परमानन्द

विजय कुमार सिन्हा

शिव वर्मा

दुर्गा भाभी

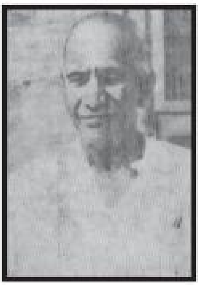
कुन्दन लाल गुप्त

कैप्टन लक्ष्मी सहगल

शहनवाज खाँ

विजय लक्ष्मी पंडित

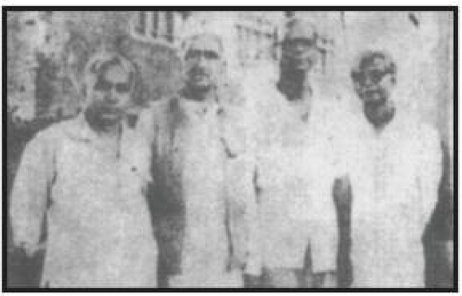
बायें से पंडित किशोरी लाल, मास्टर आज्ञाराम, अजय कुमार घोष, शिव वर्मा

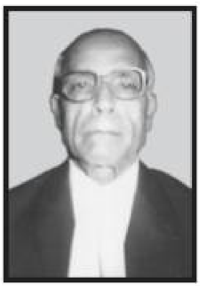
बसन्त लाल खन्ना

उ.प्र.में सक्रिय रहे क्रान्तिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी

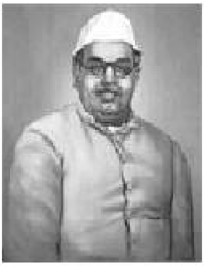

रफी अहमद किदवई

विशम्भर दयाल त्रिपाठी

राव रामबक्श सिंह

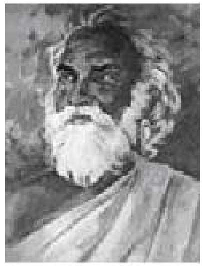

पुरुषोत्तम दास टण्डन

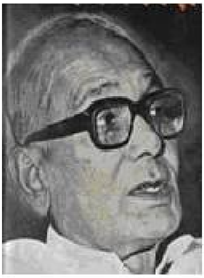

जयप्रकाश नारायण

मौलाना मोहम्मद अली

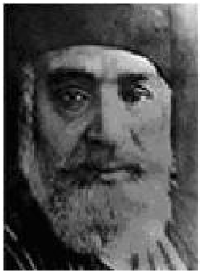

मौलाना शौकत अली

गोविन्द बल्लभ पंत

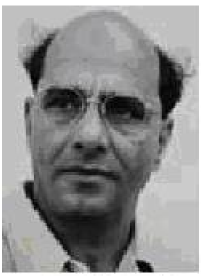

महावीर त्यागी

मुख्तार अहमद अन्सारी

तेज बहादुर सप्रू

राम मनोहर लोहिया

स्रोत : इंटरनेट

उत्तर प्रदेश में हिन्दी साहित्य की प्रमुख विभूतियाँ

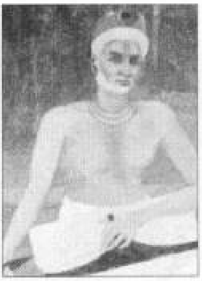
कबीर

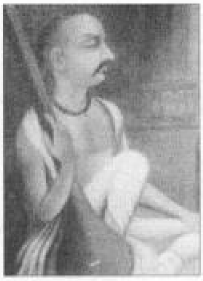
सूरदास

मीराबाई

तुलसीदास

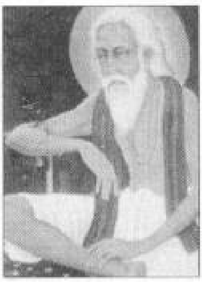
रविदास

पद्माकर

मलिक मुहम्मद जायसी

रहीम

चन्द्रबरदाई

बिहारी दास

केशव दास

रसखान

अमीर खुसरो

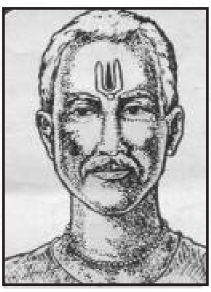
संत कवि बैजनाथ

आ.महावीरप्रसाद द्विवेदी

राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द

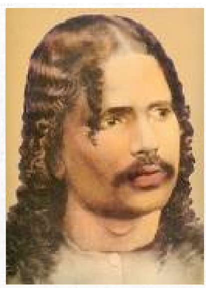
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र

बालकृष्ण भट्ट

बाबू श्यामसुंदर दास

मुंशी प्रेमचंद

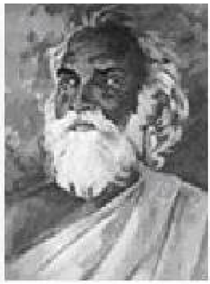

पुरुषोत्तम दास टंडन

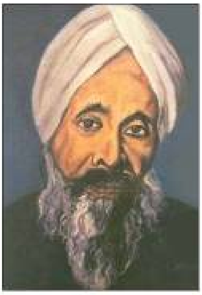

अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध'

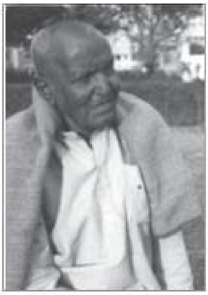

पंडित बंशीधर शुक्ल

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल

जगन्नाथ दास रत्नाकर

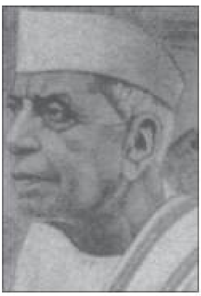

मैथिलीशरण गुप्त

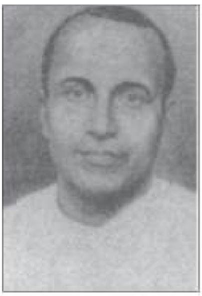

जयशंकर प्रसाद

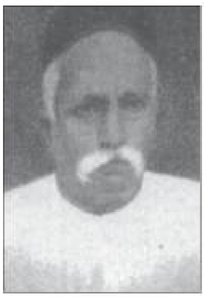

देवकीनंदन खत्री

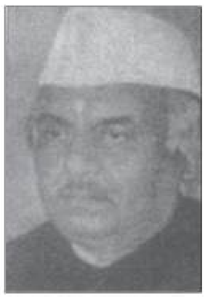

सम्पूर्णानन्द

सोहनलाल द्विवेदी

रायकृष्णदास

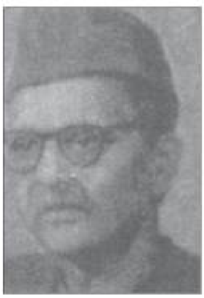

शिवपूजन सहाय

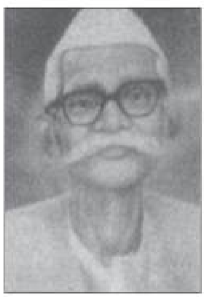

परशुराम चतुर्वेदी

कृष्णदेव प्रसाद गौड़

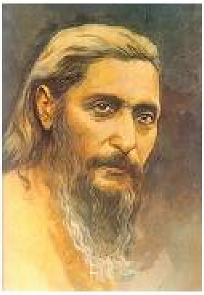
सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला'

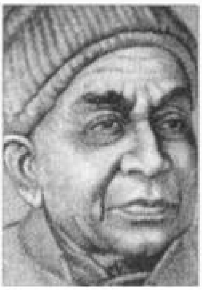
पाण्डेय बेचन शर्मा 'उग्र'

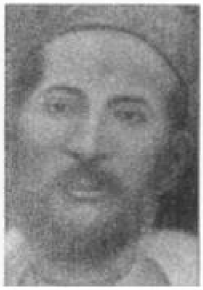
प्रतापनारायण मिश्र

पं. राहुल सांकृत्यायन

यशपाल

शांतिप्रिय द्विवेदी

नंददुलारे वाजपेयी

महादेवी वर्मा

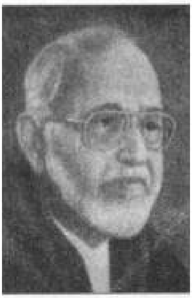
'अज्ञेय'

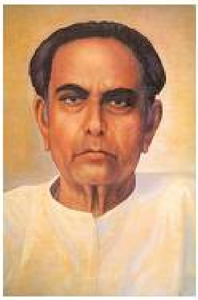
अमृतलाल नागर

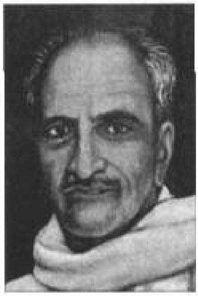
वृन्दावन लाल वर्मा

भगवतीचरण वर्मा

बनारसीदास चतुर्वेदी

डॉ. रामकुमार वर्मा

अमृतराय

आ.हजारीप्रसाद द्विवेदी

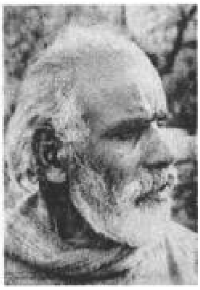

त्रिलोचन

नामवर सिंह

हरिवंश राय बच्चन

नरेश मेहता

धर्मवीर भारती

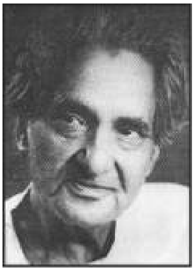

गोपालदास नीरज

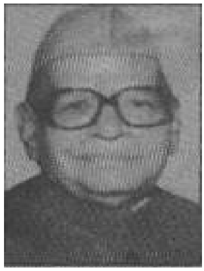

विष्णु प्रभाकर

कुँवर नारायण

डॉ. शिवप्रसाद सिंह

कमलेश्वर

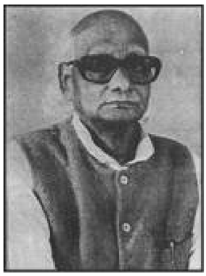

लक्ष्मीकान्त वर्मा

रवीन्द्र कालिया

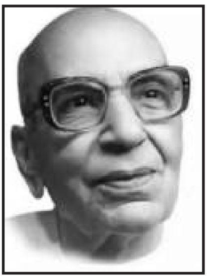

कन्हैया लाल मिश्रा प्रभाकर

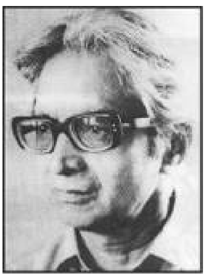

भारत भूषण

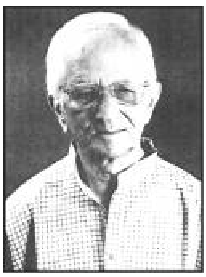

मार्कण्डेय

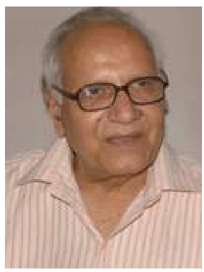

सोम ठाकुर

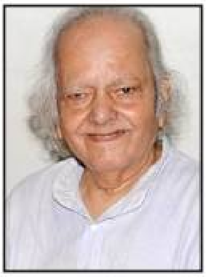
अमरकान्त

डॉ. जगदीश गुप्त

डॉ. रमा सिंह

रघुवीर सहाय

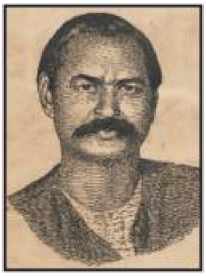
सुदामाप्रसाद पांडेय 'धूमिल'

केदारनाथ अग्रवाल

राही मासूम रज़ा

राजेन्द्र यादव

डॉ .परमानन्द श्रीवास्तव

अब्दुल बिस्मिल्लाह

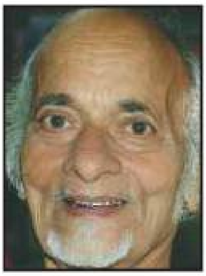
मुद्राराक्षस

शमशेर बहादुर सिंह

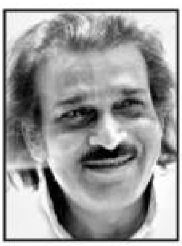
सर्वेश्वर दयाल सक्सेना

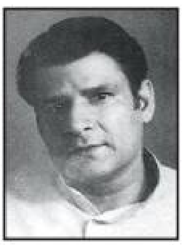
दुष्यन्त

केदारनाथ सिंह

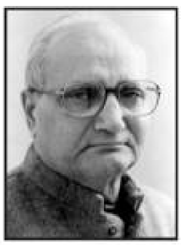
श्रीलाल शुक्ल

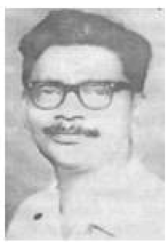
प्रबोध मजूमदार

उत्तर प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार

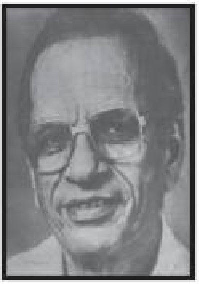
बीर राजा

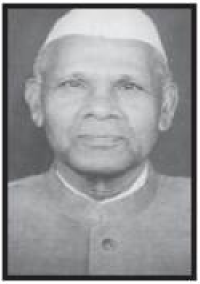
माता प्रसाद

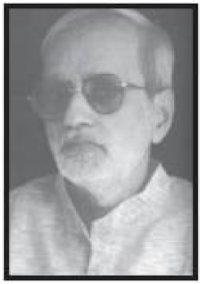
दूधनाथ सिंह

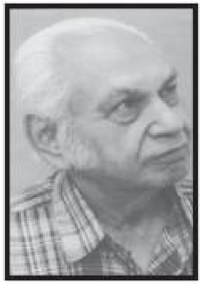
रमेश कुन्तल मेघ

कामता नाथ

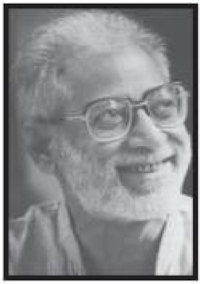
काशीनाथ सिंह

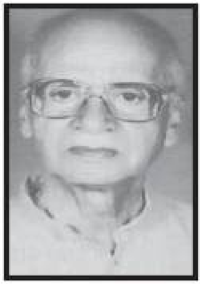
विवेकी राय

कन्हैयालाल नन्दन

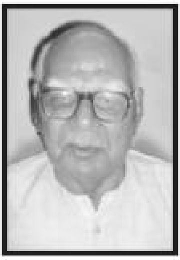
डॉ० भवदेव पाण्डेय

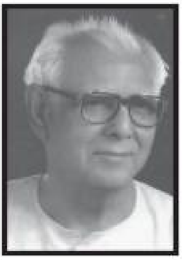
रामदरश मिश्र

विद्यानिवास मिश्र

गिरीराज किशोर

गोरख पाण्डे

ठाकुर प्रसाद सिंह

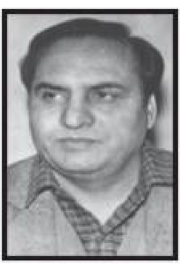
लीलाधर जगूड़ी

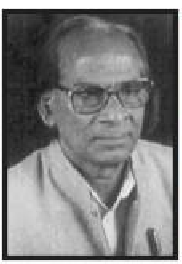
शंकर सुल्तानपुरी

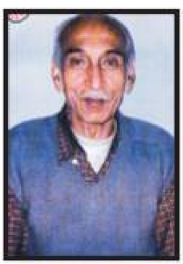
मोहन थपलियाल

विभूतिनारायण राय

उत्तर प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार

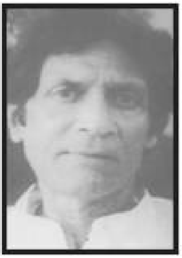

से.रा. यात्री

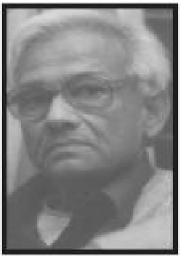

नरेश सक्सेना

ज्ञानेन्द्रपति

मैत्रेयी पुष्पा

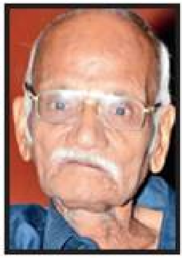

के.पी. सक्सेना

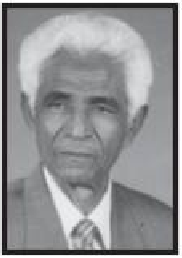

रामस्वरूप 'सिन्दूर'

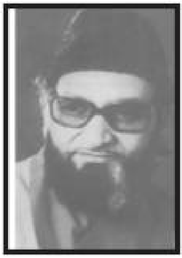

बेकल उत्साही

हृदयेश

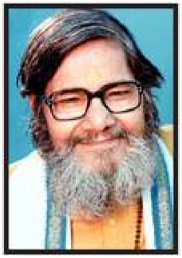

काका हाथरसी

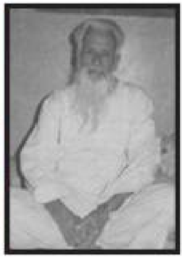

वचनेश त्रिपाठी

इन्दु जैन

चित्रा मुद्गल

गिरीशचन्द्र श्रीवास्तव

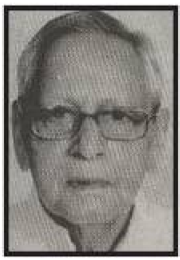

लीलाधर शर्मा 'पर्वतीय'

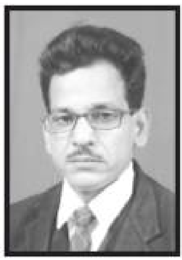

हरीओम शुक्ला'ओमी'

लक्ष्मीशंकर मिश्र 'निशंक'

किशन सरोज

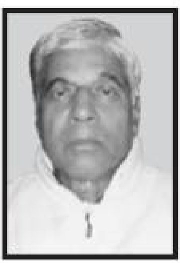

ओम प्रकाश अडिग

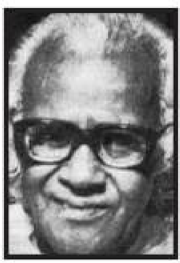

भैरव प्रसाद गुप्त

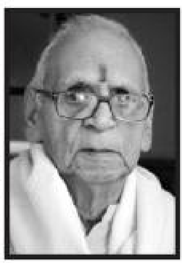

मनु शर्मा

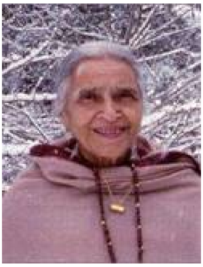
गौरा पंत शिवानी

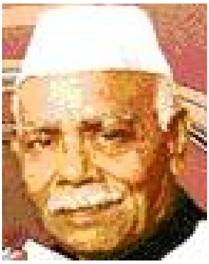
बाबू गुलाब राय

सुभद्रा कुमारी चौहान

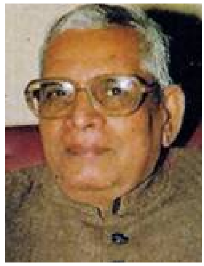
आचार्य कुबेरनाथ राय

शिवमंगल सिंह 'सुमन'

अनिल जनविजय

डॉ. रामविलास शर्मा

जैनेन्द्र कुमार

असगर वजाहत

जगदम्बिका प्रसाद मिश्र

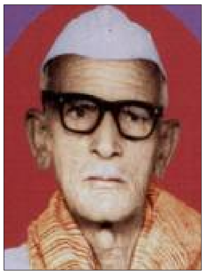
रमई काका

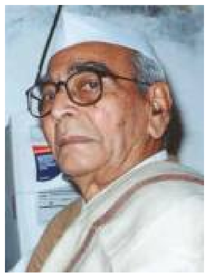
भूपेन्द्रनाथ शुक्ल

सुमित्रा नन्दन पंत

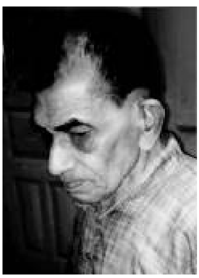
जर्नादन दास

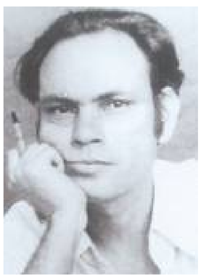
गोपाल उपाध्याय

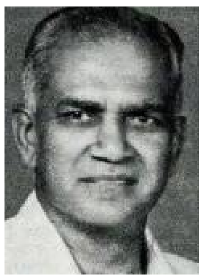
श्याम लाल गुप्ता

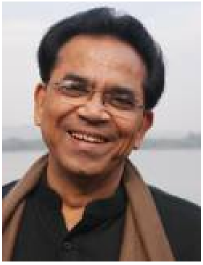

अशोक चक्रधर

बलबीर सिंह रंग

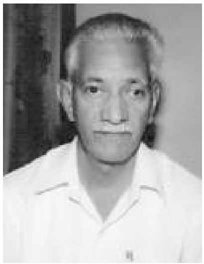

डॉ0 शिवओम अम्बर

गया प्रसाद शुक्ला सनेही

कौशलेन्दर पाण्डेय

महीप सिंह

मुंशी अजमेरी 'प्रेम'

प. राम नरेश त्रिपाठी

प. श्रीनारायण चतुर्वेदी

श्याम नारायण पाण्डे

विनोद चन्द्र पाण्डेय

उत्तर प्रदेश में उर्दू साहित्य की प्रमुख विभूतियाँ

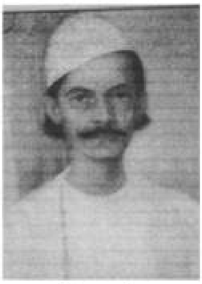

मीर अनीस

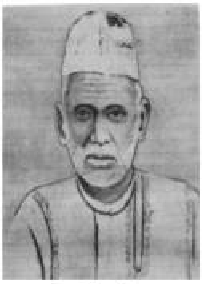

मिर्जा दबीर

अकबर इलाहाबादी

हसरत मोहानी

सफी लखनवी

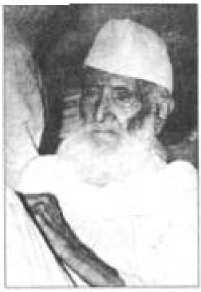

अब्दुल माजिद दरियाबादी

डॉ. अब्दुल अलीम

सज्जाद ज़हीर

नुरुल हसन हाशमी

मौ.इम्तियाज अली अर्शी

आनन्द नारायण मुल्ला

अली अब्बास हुसैनी

सागर निज़ामी

चौ.मो. अली रुदौलवी

कुर्तुल एन हैदर

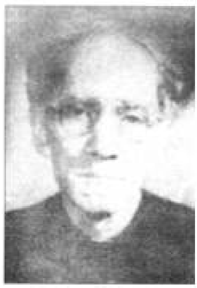

मजनूं गोरखपुरी

आले अहमद सुरुर

रज़िया सज्जाद ज़हीर

ज्ञान चन्द्र जैन

मसूद हसन रिज़वी 'अदीब'

एहतेशाम हुसैन रिज़वी

मसूद हुसैन खाँ

इस्मत चुगताई

खलीलुलर्रहमान आज़मी

मोहम्मद हसन

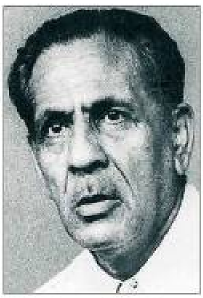

फ़िराक गोरखपुरी

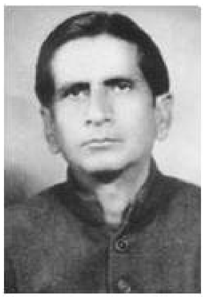

मजाज़ लखनवी

कैफ़ी आज़मी

रशीद अहमद सिद्दीकी

मुइन अहसन ज़ज्बी

मसीह उज़ ज़मा

वामिक जौनपुरी

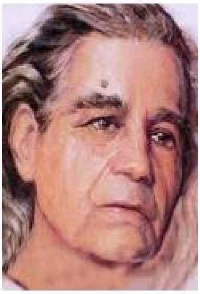
अली सरदार जाफ़री

सलाम संदेलवी

गुलाम रब्बानी ताबाँ

क़ाज़ी अब्दुस्सत्तार

खुमार बाराबंकवी

शहरयार

एजाज़ हुसैन

अली जव्वाद **ज़ैदी**

वजाहत अली संदेलवी

सलाम मछली शहरी

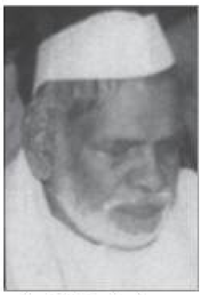
चौधरी सिब्ते मोहम्मद

मोहम्मद अक़ील रिज़वी

रशीद हसन खाँ

महमूद इलाही

क़मर रईस

महमूदुल हसन रिज़वी

कृष्ण बिहारी नूर

रामलाल

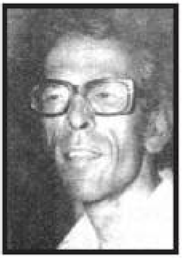
नैयर मसूद

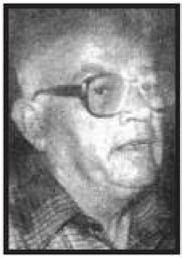
काज़िम अली खाँ

आबिद सुहेल

फ़ज़ल इमाम रिज़वी

अहमद जमाल पाशा

हनीफ़ नक़वी

मंजुर सलीम

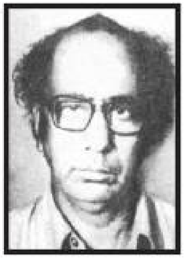
मलिक ज़ादा मंजूर अहमद

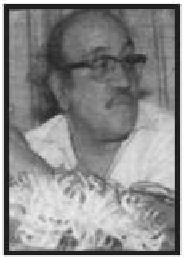
बाक़र मेंहदी

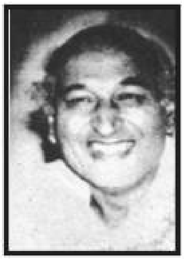
बशेशर प्रदीप

मसीहुल हसन रिज़वी

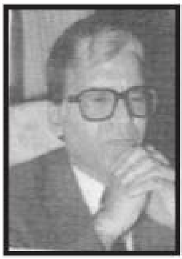
इरफ़ान सिद्दीक़ी

नाज़िश प्रतापगढ़ी

बशीर बद्र

आरजू लखनवी

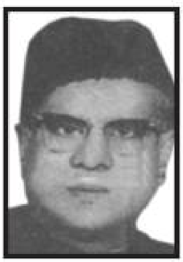
हूरमत उल एकराम

अनवर मिर्ज़ा पुरी

डॉ० वसीम बरेलवी

सीमाब अकबराबादी

शौकत थानवी

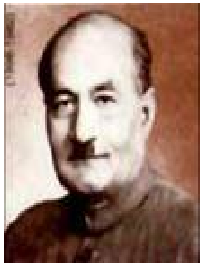
जोश मलिहाबादी

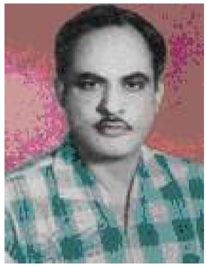
इब्ने सफी

शम्सुल रहमान फारूकी

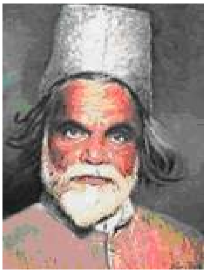
जिगर मुरादाबादी

मंजूर हाशमी

डॉ. रफीक हुसैन

ज्ञानपीठ अवार्ड्स

फिराक गोरखपुरी

महादेवी वर्मा

कुर्रतुल–ऐन–हैदर

अली सरदार जाफरी

शहरयार

श्री अमरकान्त

श्री लाल शुक्ल

कुंवर नारायण
साहित्य

जगतगुरू राम भद्राचार्य

उत्तर प्रदेश की प्रमुख संगीत एवं नृत्य विभूतियाँ

बिस्मिल्ला खाँ

बेगम अख्तर

विष्णुनारायण भातखण्डे

हरि प्रसाद चौरसिया

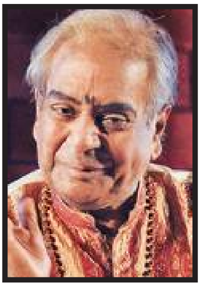
बिरजू महाराज

गिरिजा देवी

लच्छू महाराज

शम्भू महाराज

गोदई महाराज

सितारा देवी

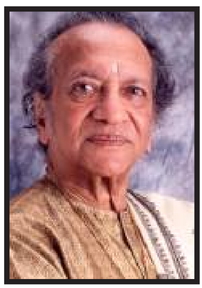
रवि शंकर

पं. किशन महाराज

पागलदास

कन्ठे महाराज

सविता देवी

कुमकुम धर

अजिता श्रीवास्तव

मालिनी अवस्थी

पं. विकास महाराज,

श्रीमती सिद्धेश्वरी देवी

श्री छन्नू लाल मिश्र

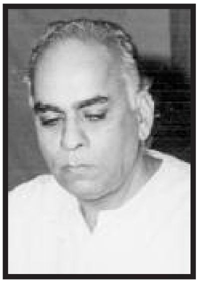
डॉ. लालमनी मिश्रा

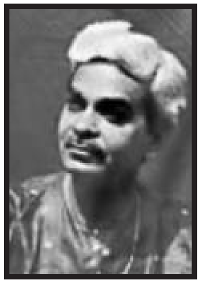
श्री गोपाल शंकर मिश्रा

श्री गोपी कृष्ण

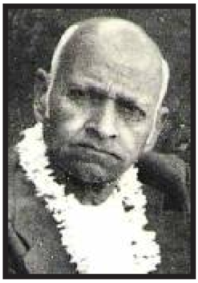
पं. कांथे महाराज

पं. समता प्रसाद

राजन मिश्र, साजन मिश्रा

उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीतकार एवं नाट्यकर्मी

नैमि चन्द्र जैन

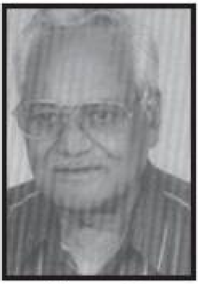
राधेश्याम दीक्षित

रतन थियम

रोमेश मेहता

शिवचरण लाल "प्रेम"

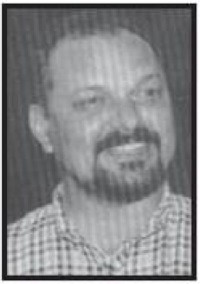
सुदेश शर्मा

सुरेन्द्र कौशिक

सुरेन्द्र माथुर

विश्वनाथ मिश्र

स्वामी श्रीराम शर्मा

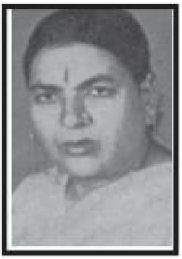
गुलाब बाई

के.बी. चन्द्रा

ललित मोहन तिवारी

विनोद रस्तोगी

सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ

विजय दीक्षित

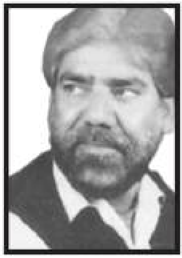
जरीफ़ मलिक आनन्द

डॉ० बृजेश्वर सिंह

उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीतकार एवं नाट्यकर्मी

आगा हश्र कश्मीरी

अनूप जलोटा

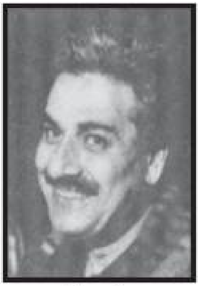
बंसी कौल

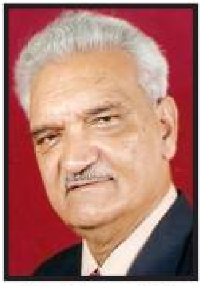
डॉ. अनिल रस्तोगी

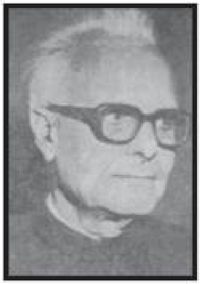
डॉ. भानुशंकर मेहता

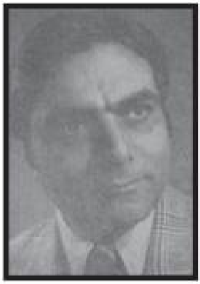
डॉ. पुरु दधीच

डॉ. सुरेश अवस्थी

मास्टर फिदा हुसैन नरसी

ज्ञानदेव अग्निहोत्री

हरिकृष्ण अरोड़ा

हीरालाल यादव

कृष्णा मिश्रा

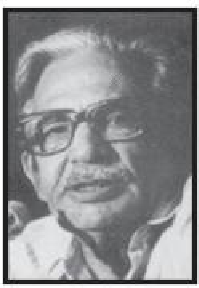
कृष्ण नारायण कक्कड़

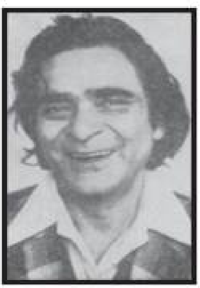
मोहन उपरैती

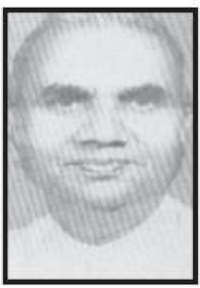
मुकेश सान्याल

नादिरा ज़हीर बब्बर

उत्तर प्रदेश के प्रमुख सिने विभूतियाँ

कमाल अमरोही

के. आसिफ

नौशाद

शैलेन्द्र

जद्दन बाई

कैफी आजमी

के.एल. सहगल

नरगिस

इन्दीवर

भारत भूषण

मजरूह सुल्तानपुरी

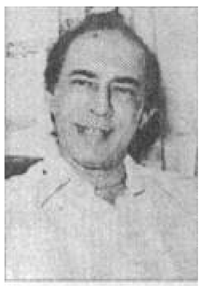
तलत महमूद

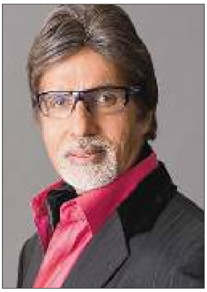
अमिताभ बच्चन

रवीन्द्र जैन

शबाना आजमी

शकील बदायूंनी

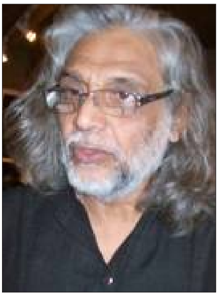
मुजफ्फर अली

योगेश

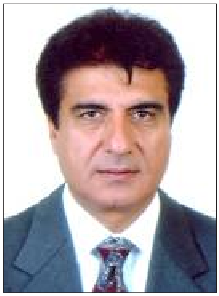
राज बब्बर

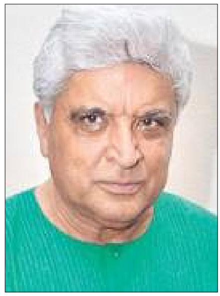
जावेद अख्तर

रेहाना

अचला नागर

समीर

रेहाना सुल्तान

कैलाश खेर

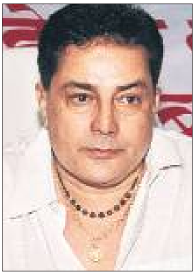
राजा बुन्देला

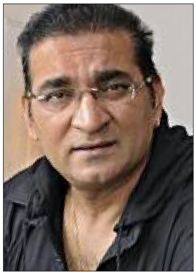
अभिजीत

माया गोविन्द

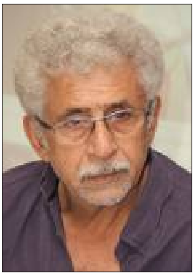
नसीरुद्दीन शाह

मंसूर खान

शाहरूख मिर्जा

उमा देवी 'टुनटुन'

विशाल भारद्वाज

शाद अली

प्रकाश मेहरा

अनुराग कश्यप

राजपाल यादव

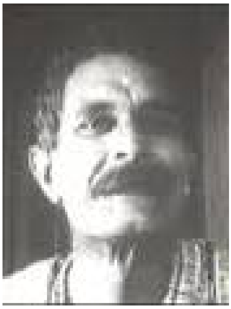

कन्हैया लाल

निम्मी

मार्क जुबेर

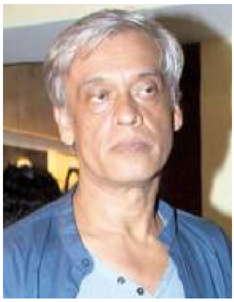

सुधीर मिश्रा

कब्बन मिर्जा

सितारा देवी

युनुस परवेज

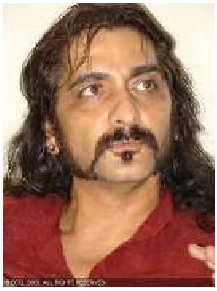

निर्मल पाण्डेय

सपना अवस्थी

डेविड धवन

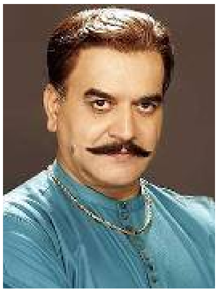

सुरेन्द्र पाल

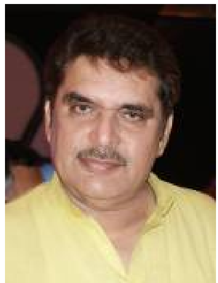

रजा मुराद

जोहरा सहगल

उत्तर प्रदेश के प्रमुख चित्रकार

आर.एस. बिष्ट

नित्यानंद महापात्र

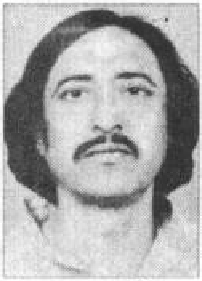

बी.एन. आर्य

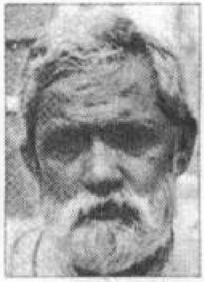

एस.जी. श्रीखण्डे

के.वी. जेना

जयकृष्ण अग्रवाल

असद अली

ए.पी. गज्जर

एस. अजमत शाह

आर.एस. धीर

सनत कुमार चटर्जी

सतीश चन्द्रा

दिलीपदास गुप्ता

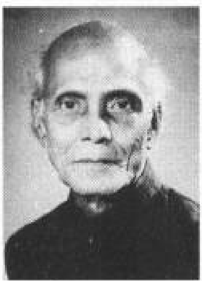

श्रीधर महापात्र

पम्मी लाल

उमेश शर्मा

उत्तर प्रदेश के प्रमुख चित्रकार

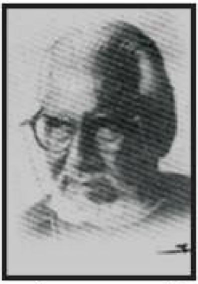
गोपाल मधुकर चतुर्वेदी

विश्वनाथ खन्ना

अश्विनी कुमार शर्मा

बालदत्त पाण्डेय

एस.एन.सक्सेना

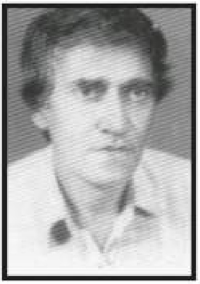
मुहम्मद सलीम

बी.पी.कम्बोज

पुष्पलता शर्मा

बैजनाथ प्रसाद गुप्ता

एन. खन्ना

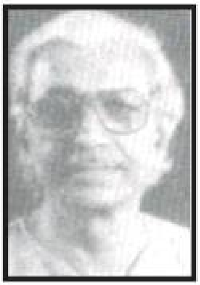
योगेन्द्र नाथ योगी

जमील अख्तर

एन.एन.राय

रंजीत चक्रवर्ती

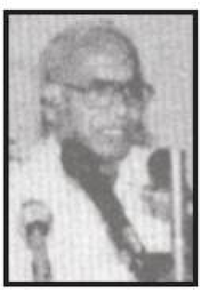
शुकदेव श्रोत्रीय

डॉ. कुसुम दास

उत्तर प्रदेश के प्रमुख चित्रकार

कामता प्रसाद

हृदय गुप्ता

अमरनाथ शर्मा

अवधेश मिश्र

पूर्णिमा तिवारी

आलोक कुमार

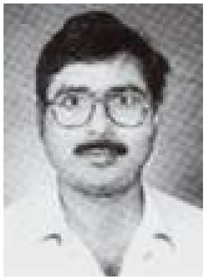
हीरालाल प्रजापति

इन्दु जोशी

मृदुला शाह

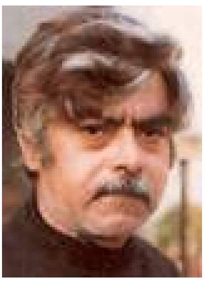
भैंरोनाथ शुक्ल

भारत भूषण

जगदीश गुप्त

राधेश्याम अग्रवाल

रेखा कक्कड़

आर.एस. शाक्य

साधना लाल

स्रोत : इंटरनेट

उत्तर प्रदेश के प्रमुख चित्रकार

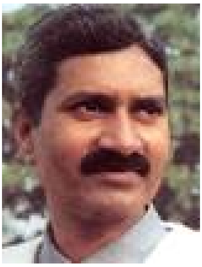
संतोष वर्मा

सीमा जावेद

शिवेन्द्र सिंह

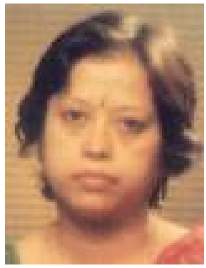
स्नेह मोहन

शरद पाण्डेय

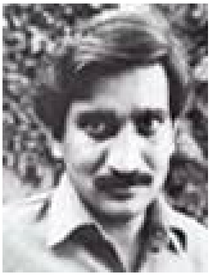
उमेश कुमार सक्सेना

विनोद कुमार सिंह

विष्णु स्वरूप सिंह

ज़ेबा हसन

गोगी सरोज पाल

डॉ० नन्दिता शर्मा

स्रोत : इंटरनेट

उत्तर प्रदेश की प्रमुख खेल विभूतियाँ

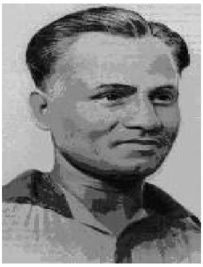
मेजर ध्यान चन्द

के.डी. सिंह बाबू

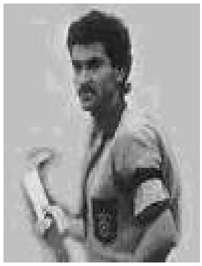
मोहम्मद शाहिद

आशीष विंस्टन जैदी

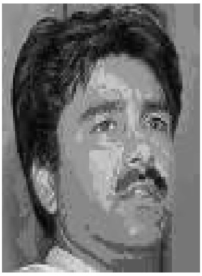
मनोज प्रभाकर

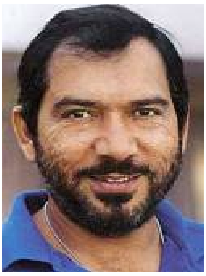
अरुण लाल

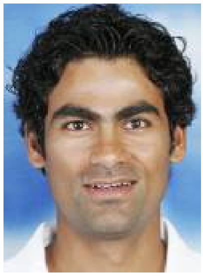
मो. कैफ

सुरेश रैना

आर.पी. सिंह

चेतन चौहान

हेमलता काला

ज्ञानेन्द्र पाण्डेय

पीयूष चावला

नरेन्द्र हीरवानी

सुरिन्दर अमरनाथ

रमन लाम्बा

उत्तर प्रदेश की प्रमुख खेल विभूतियाँ

रविकान्त शुक्ला

प्रवीण कुमार

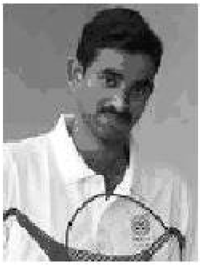
अभिन्न श्याम गुप्ता

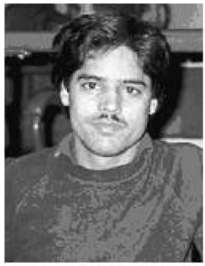
सैयद मोदी

गौस मोहम्मद खान

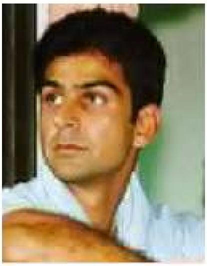
निखिल चोपड़ा

लाला अमरनाथ

मोहिन्दर अमरनाथ

अर्जुन अवार्ड

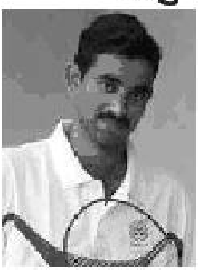
अभिन्न श्याम गुप्ता

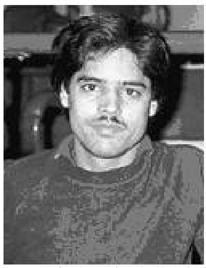
सैयद मोदी

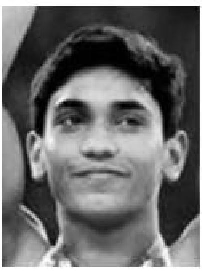
आशीष सिंह राष्ट्रमण्डल खेल स्वर्ण पदक विजेता

अरूणिमा सिन्हा
(एवरेस्ट फतेह करने वाली
प्रथम भारतीय विकलांग खिलाडी)

उत्तर प्रदेश के प्रमुख वरिष्ठ पत्रकार

गणेश शंकर विद्यार्थी

पं. जवाहरलाल नेहरू

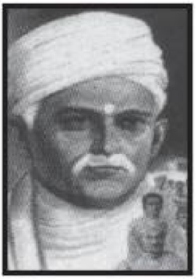
पं.मदन मोहन मालवीय

बाबूराव विष्णु पराड़कर

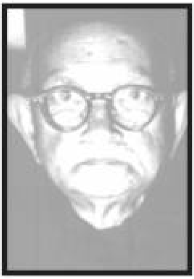
अम्बिका प्रसाद बाजपेयी

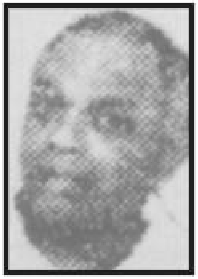
एम.चेलापति राव

के. रामा राव

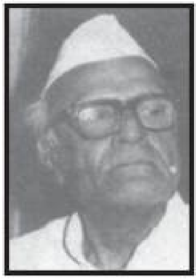
हयातुल्ला अंसारी

सी.वाई.चिन्तामणि

एस.एन.घोष

सच्चिदानन्द सिन्हा

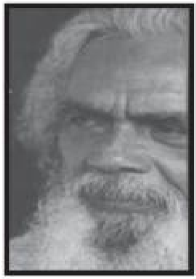
अखिलेश मिश्र

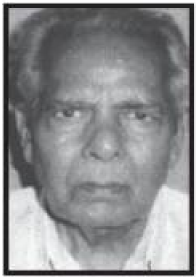
एस.एन.जायसवाल

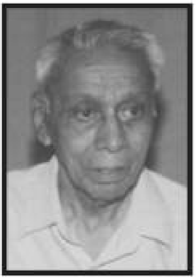
एस.एम.जाफर

इशरत अली सिद्दीकी

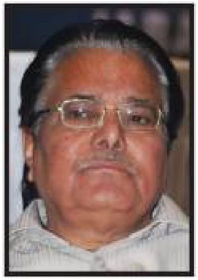
के. विक्रम राव

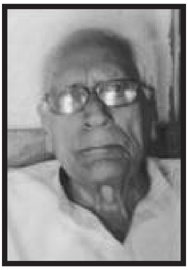
डॉ० धर्मपाल गुप्त 'शलभ'

आनन्द मोहन पाण्डेय

ओंकार 'मनीषी'

श्री प्रभात सिंह

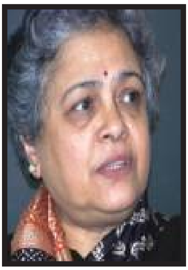
मृणाल पाण्डेय

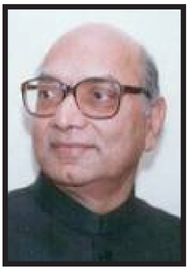
नरेन्द्र मोहन

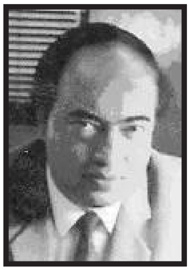
घनश्याम पंकज

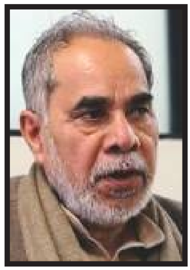
राम बहादुर राय

पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित विभूतियाँ

हकीम सै. जिलुर रहमान
(यूनानी औषधि–2006)

भारत भूषण
(साहित्य एवं शिक्षा - 1991)

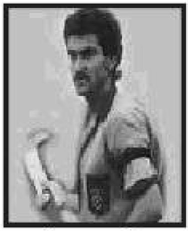

मोहम्मद शाहिद
(हाकी खिलाड़ी–1986)

डॉ. जयपाल मित्तल
(विज्ञान एवं यांत्रिकी–2003)

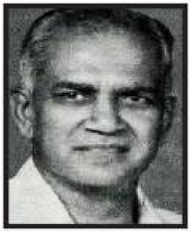

श्याम लाल गुप्ता
साहित्यकार (कवि)

के.डी. सिंह बाबू
(खिलाड़ी–1958)

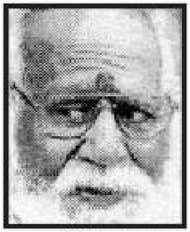

आचार्य गिरिराज किशोर
(राजनीतिज्ञ)

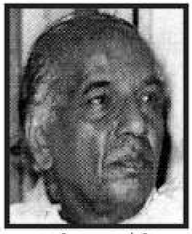

अली जवाद जैदी
(उर्दू साहित्य)

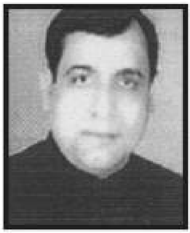

रविन्द्र कुमार
(साहित्य एवं शिक्षा–2001)

बेगम अख्तर
(गजल गायिकी)

कृष्णा राम चौधरी
शहनाईवादन

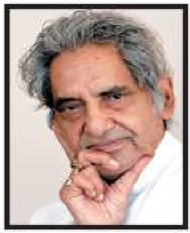

गोपालदास नीरज
(हिन्दी साहित्य–2007)

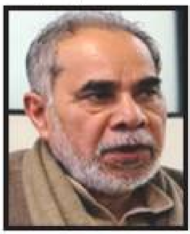

राम बहादुर राय
पत्रकारिता

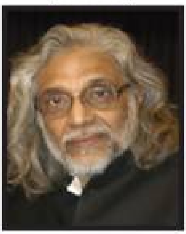

मुजफ्फर अली
(फिल्म निर्देशक–2005)

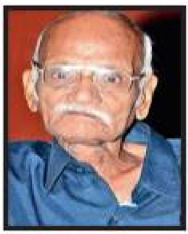

के.पी. सक्सेना
(लेखक–2000)

मालिनी अवस्थी
(लोक संगीत पद्मश्री - 2016)

डॉ0 उषा यादव
(साहित्य एंव शिक्षा)

राम यत्न शुक्ल
(साहित्य एंव शिक्षा)

सुधा सिंह
(खेल)

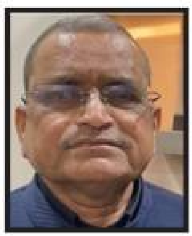

अशोक कुमार साहू
(मेडिसिन)

चंद्रशेखर सिंह
(कृषि)

जगदीश चौधरी
(समाजसेवा)

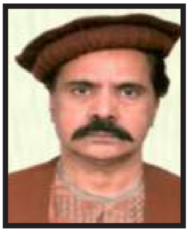
गुलफाम अहमद
(संगीत)

जीतू राय
(खेल)

योगेश प्रवीन
(साहित्य)

राजेश्वर आचार्य
(कला)

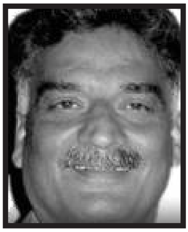
रजनी कान्त
(समाज कार्य)

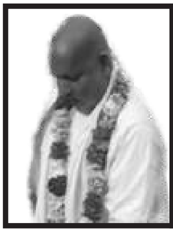
रमेश बाबा जी महाराज
(समाज कार्य)

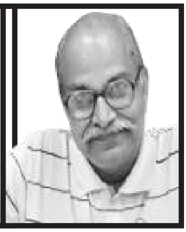
हरीश चंद वर्मा
(विज्ञान)

शादाब मोहम्मद
(मेडिसिन)

बृजेश कुमार शुक्ला
(साहित्य एवं शिक्षा)

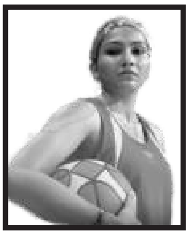
प्रशांति सिंह
(खेल)

देवेंद्र स्वरूप
(साहित्य एवं शिक्षा/पत्रकारिता)

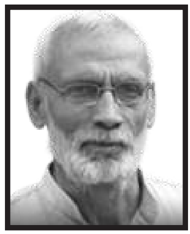
भारत भूषण त्यागी
(कृषि)

राम सरन वर्मा
(कृषि)

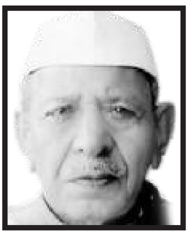
हीरा लाल यादव
(कला)

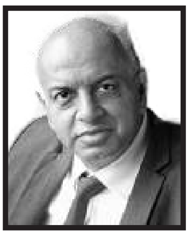
संजीव बीकाचंदानी
(उद्योग)

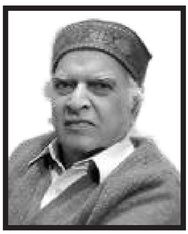
डॉ. नरिंदर नाथ खन्ना
(मेडिसिन)

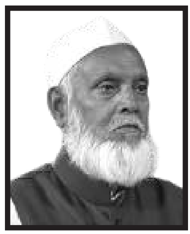
मोहम्मद सरिफ
(समाज कार्य)

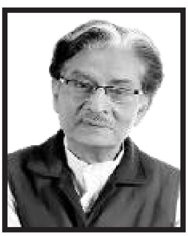
दया प्रकाश सिन्हा
(कला)

सेठ पाल सिंह
(कृषि)

कमलनी एवं नलिनी अस्थाना
(कला)

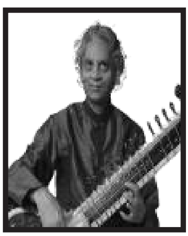
शिवनाथ मिश्रा
(कला)

शीश राम
(कला)

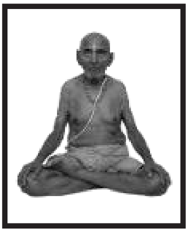

शिवानंदा
(योग)

विद्या विंदु सिंह
(साहित्य एवं शिक्षा)

अजिता श्रीवास्तव
(कला)

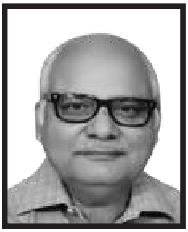

डॉ. कमलाकर त्रिपाठी
(चिकित्सा)

डॉ. पद्मावती बंदोपाध्याय
(चिकित्सा)

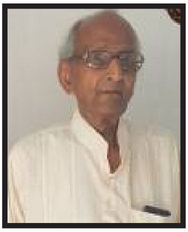

राधा चरण गुप्ता
(साहित्य एवं शिक्षा)

अजय कुमार सोनकर
(विज्ञान)

अरविंद कुमार
(विज्ञान एवं अभियंत्रिकी)

मनोरंजन साहू
(चिकित्सा)

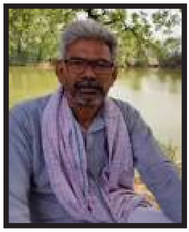

उमा शंकर पाण्डेय
(समाज कार्य)

दिलशाद हुसैन
(कला)

रित्विक सानयाल
(कला)

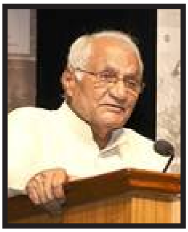

विश्वनाथ प्रसाद तिवारी
(साहित्य एवं शिक्षा)

खलील अहमद
(कला)

नसीम बानो
(कला)

राम चेत चौधरी
(विज्ञान एवं अभियंत्रिकी)

राधा कृष्ण धिमन
(मेडिसिन)

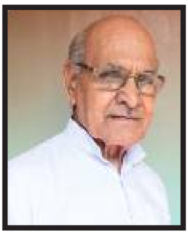

राजाराम जैन
(साहित्य एवं शिक्षा)

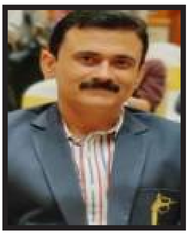

गौरव खन्ना
(खेल)

सुरेन्द्र मोहन मिश्रा
(कला)

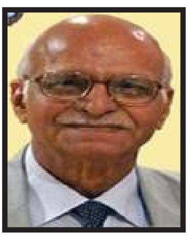

राधे श्याम पारिक
(मेडिसिन)

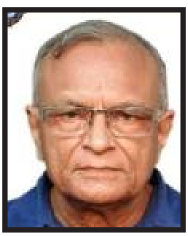

नवजीवन रस्तोगी
(साहित्य एवं शिक्षा)

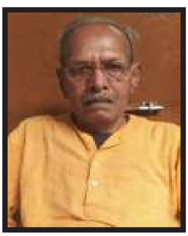

गोदावरी सिंह
(कला)

उरमिला श्रीवास्तव
(कला)

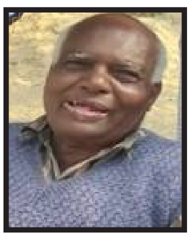

बाबू राम यादव
(कला)

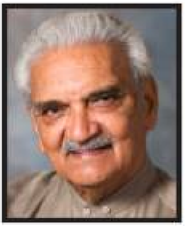
डॉ अनिल रस्तोगी
(कला)

अशोक कुमार सिंह
(विज्ञान एवं इंजि.)

बुद्ध रश्मि मणि
(पुरातत्व)

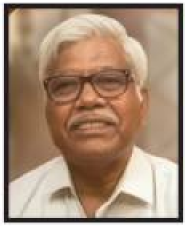
चिरंजी लाल यादव
(कला)

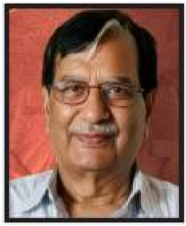
केवल कृष्ण ठकराल
(चिकित्सा)

सुश्री मंगला कपूर
(साहित्य एवं शिक्षा)

प्रवीण कुमार
(खेल)

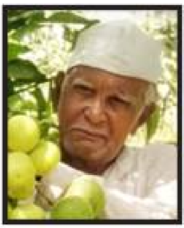
रघुपत सिंह (मरणोप्रांत)
(कृषि)

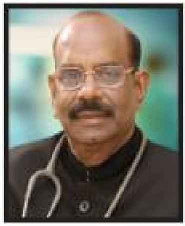
राजेन्द्र प्रसाद
(चिकित्सा)

श्याम सुन्दर
(चिकित्सा)

पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित विभूतियाँ

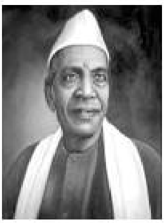
मैथिलीशरण गुप्त

राय आनन्द कृष्णा

रामेश्वरी नेहरू

महादेवी वर्मा

हजारी प्रसाद द्विवेदी

भगवतीचरण वर्मा

जोश मलिहाबादी

रामकिंकर उपाध्याय

कुर्रतुल-ऐन हैदर

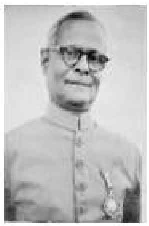
पं. श्रीकृष्णनारायण
रतनजंकर

पं. किशन महाराज

विजय आनन्द

कुंवर नारायण
साहित्य

गिरिजा देवी
संगीत

आबिद हुसैन

इरफान हबीब

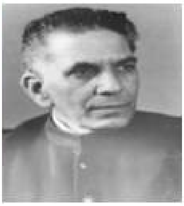
भगवान सहाय

राधाकमल मुखर्जी

राहुल सांकृत्यायन

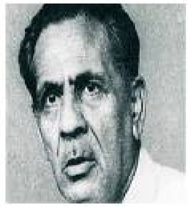
फिराक गोरखपुरी

अमरनाथ झा

वृन्दावन लाल वर्मा

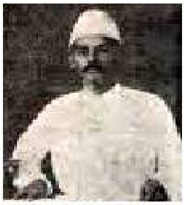
पं. हरिभाऊ वाकणकर

रवि शंकर

जय कृष्णा

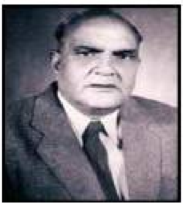
महेश प्रसाद मेहरे

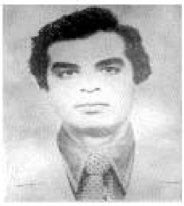
पिताम्बर पन्त

निसार हुसैन खान

अमृत लाल नागर

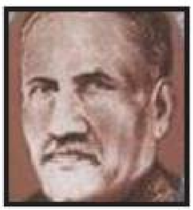
बनारसी दास चतुर्वेदी

जयदेव सिंह

बेगम अख्तर

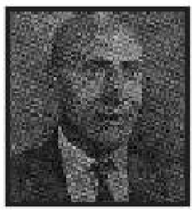
कैलाश नाथ कौल

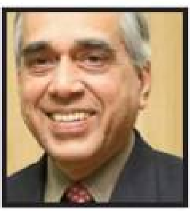
नृपेन्द्र मिश्र

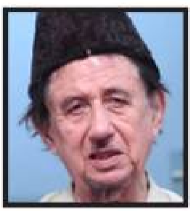
कल्बे सादिक

राशिद खान
(कला)

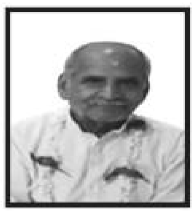
वशिष्ठ त्रिपाठी
(साहित्य एवं शिक्षा)

पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित विभूतियाँ

डॉ. जाकिर हुसैन
(सामाजिक कार्य–1954)

विजय लक्ष्मी पंडित
(लोकसेवा–1962)

राय आनन्द कृष्णा
(लोकसेवा–1980)

पं. रविशंकर
(कला–1981)

बिरजू महाराज
(कला–1986)

महादेवी वर्मा
(साहित्य एवं शिक्षा–1988)

उमाशंकर दीक्षित
(सामाजिक कार्य–1989)

कैप्टन लक्ष्मी सहगल
(सामाजिक कार्य–1998)

मिर्जा हमीदुल्ला बेग
(सामाजिक कार्य–1988)

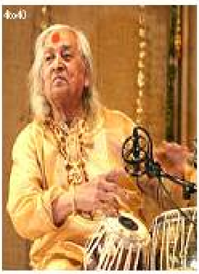
पं. किशन महाराज
(कला–2002)

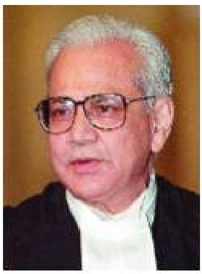
वी.एन. खरे
(कानून/समाज कार्य, 1980)

डॉ. पुरुषोत्तम लाल
(औषधि–1981)

गोविन्द नारायण
(सामाजिक कार्य–2009)

गिरिजा देवी
संगीत

मुरली मनोहर जोशी
सामाजिक कार्य

यशपाल
विज्ञान एवं अभियंत्रिकी

जगतगुरू राम भद्राचार्य

आदर्श सेन आनन्द
जनहित कार्य

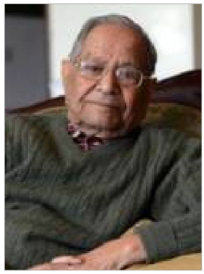

बी.बी लाल
(आरकेलॉजी)

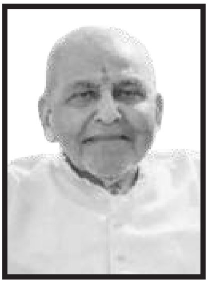

राधेश्याम खेमका
(साहित्य एवं शिक्षा)

छन्नूलाल मिश्रा
(कला)

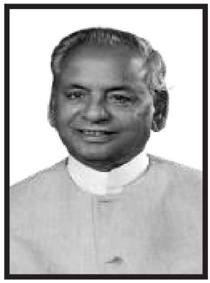

कल्याण सिंह
(सामाजिक कार्य)

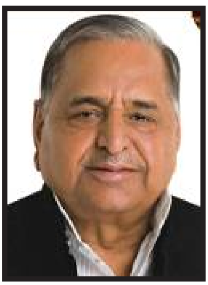

मुलायम सिंह यादव
(सामाजिक कार्य)

एन. राजम
(कला)

साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित विभूतियाँ

राहुल सांकृत्यायन
(1958–इतिहास)

भगवती चरन वर्मा
(1961-उपन्यासकार)

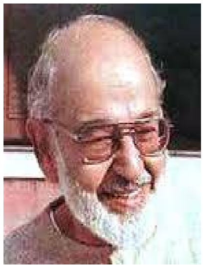
अज्ञेय
(1964–कविता)

जैनेन्द्र कुमार
(1964–उपन्यासकर)

अमृतलाल नागर
(1967-उपन्यासकार)

हरिवंशराय बच्चन
(1968–कविता)

श्रीलाल शुक्ल
(1969–उपन्यासकार)

रामविलास शर्मा
(1969-साहित्य)

नामवर सिंह
(1971–साहित्य आलोचक)

भवानी प्रसाद मिश्र
(1972–कविता)

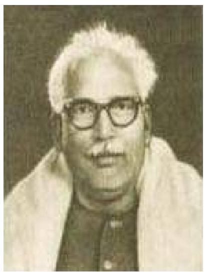
हजारी प्रसाद द्विवेदी
(1973–लेखक)

कुंवर नारायण
साहित्य

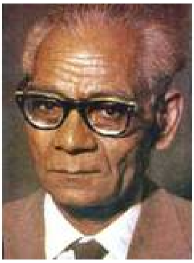
यशपाल
(1976–उपन्यास)

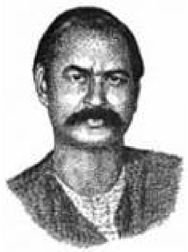
धूमिल
(1979-कविता)

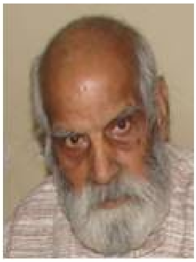
त्रिलोचन
(1981-कविता)

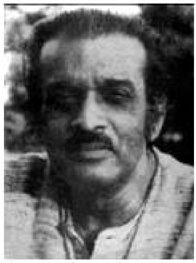
सर्वेश्वर दयाल सक्सेना
(1983–कविता)

शिवमंगल सिंह 'सुमन'
(1974–कविता)

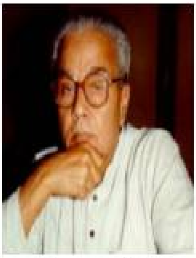
केदारनाथ सिंह
(1989–कविता

केदारनाथ अग्रवाल
(1986–कविता)

रघुवीर सहाय
(1984–कविता)

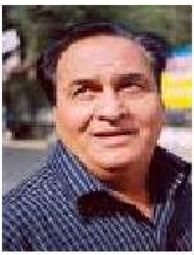
लीलाधर जगूड़ी
(1997–उपन्यास)

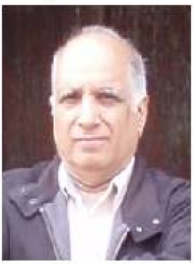
सुरेन्द्र वर्मा
(1996–उपन्यास)

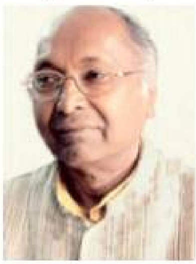
गिरिराज किशोर
(1992–उपन्यास)

विष्णु प्रभाकर
(1993–उपन्यास)

दादासाहब फाल्के अवार्ड्स

नौशाद अली

मजरूह सुल्तानपुरी

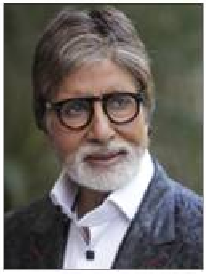
अमिताभ बच्चन

प्रदेश के जनपदवार दर्शनीय स्थल

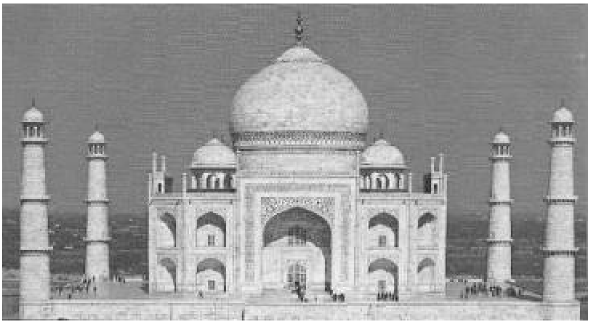

ताजमहल, आगरा

वृन्दावन मंदिर, मथुरा

खानकाह रशीदिया, मैनपुरी

बर्ड सैंक्च्यूरी
जलेसर, एटा

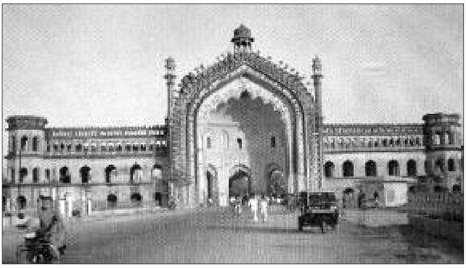

रूमी दरवाजा, लखनऊ

राष्ट्र प्रेरणा स्थल, लखनऊ

गोला गोकरननाथ मंदिर,
लखीमपुर खीरी

प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर, उन्नाव

चक्रतीर्थ नैमिषारण्य, सीतापुर

आनन्द भवन, प्रयागराज

कड़क शाह बाबा की मज़ार, कौशाम्बी

शहीद स्थल बावनी इमली, फतेहपुर

राम मंदिर, अयोध्या

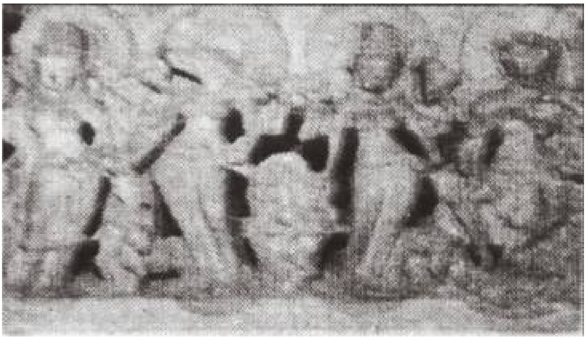

कन्नौज में संरक्षित अनूठी कलाकृति, सप्तमातृका की प्रतिमा

जे० के० मन्दिर, कानपुर नगर

आसई किले से प्राप्त दिगम्बर जैन मूर्तियाँ, इटावा

शुक्ल तालाब, अकबरपुर रमाबाई नगर (कानपुर देहात)

गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर

शहीद स्मारक, महराजगंज

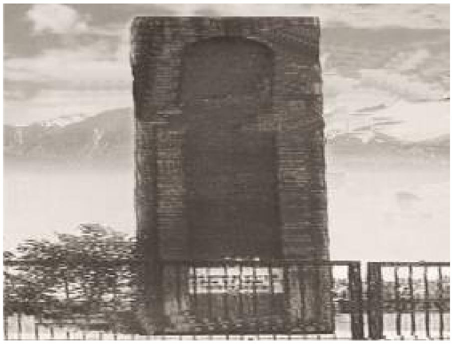

बौद्ध स्तूप, कुशीनगर

बाबा सोमनाथ जी का भव्य मन्दिर, देवरिया

शहीद स्थल छावनी, बस्ती

सन्त कबीर की निर्वाण स्थली,
मगहर (सन्त कबीर नगर)

बलिया का रेलवे स्टेशन

चाइना मन्दिर, श्रावस्ती

रानी महल, झांसी

मकरबई मन्दिर, महोबा

कामदगिरि पर्वत, चित्रकूट

कालिंजर दुर्ग, बाँदा

रामपुर रजा लाइब्रेरी, रामपुर

शिबली एकेडमी, आजमगढ़

शहीद स्मारक, मऊ

घंटाघर, बदायूँ

घंटाघर, बहराइच

देवी पाटन मन्दिर, बलरामपुर

अरगा पार्वती का मन्दिर, गोण्डा

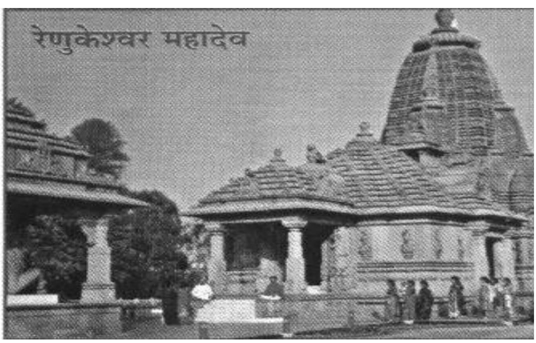

रेणुकेश्वर महादेव मंदिर, सोनभद्र

गंगा घाट, वाराणसी

नमो घाट, वाराणसी

सीताकुण्ड घाट, सुल्तानपुर

सीतामढ़ी धार्मिक पर्यटन स्थल, संतरविदास नगर, भदोही

घंटाघर, मिर्जापुर

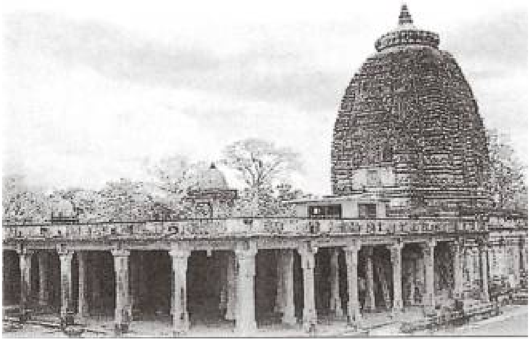

जैन मन्दिर, ललितपुर

चौरासी गुंबद, कालपी (जालौन)

हिन्दी भवन, जौनपुर

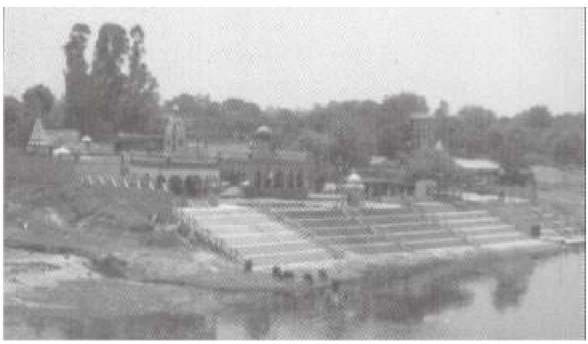

प्रसिद्ध बेल्हा देवी मंदिर,
प्रतापगढ़

एजाज अली हॉल, बिजनौर

शुक्रताल स्थित प्राचीनतम शिव मंदिर, मुजफ्फर नगर

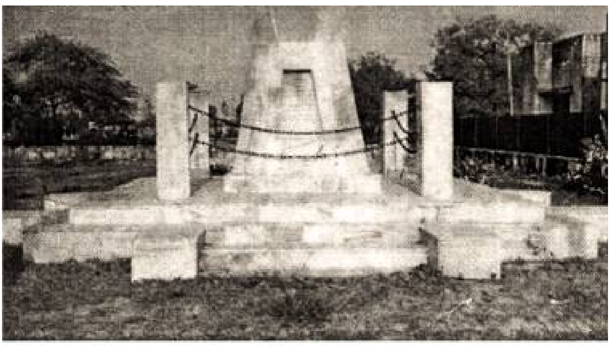

धानपुर शहीद स्मारक चंदौली

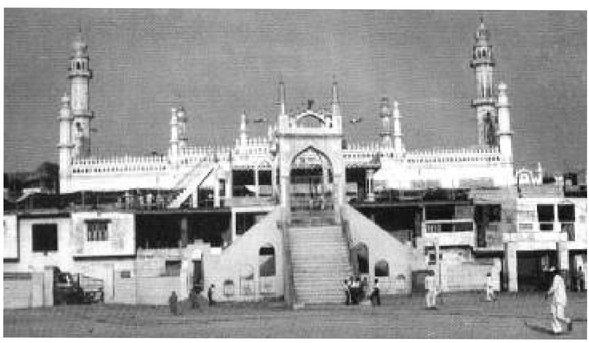

ऐतिहासिक जामा मस्जिद, मुरादाबाद

लार्ड कार्नवालिस का मकबरा
गाजीपुर

घंटाघर, बुलंदशहर

जैन मन्दिर- फिरोजाबाद

श्री सनातन धर्म मन्दिर
गौतमबुद्ध नगर

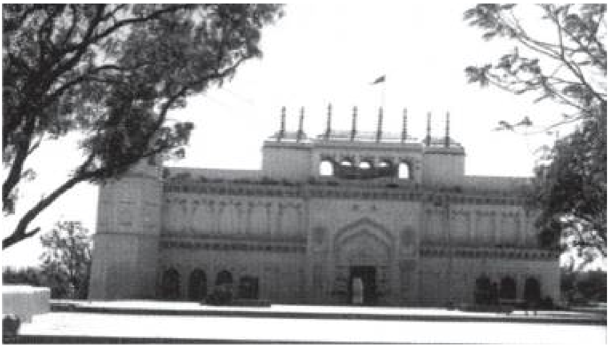

देवकली मन्दिर, औरैय्या

विक्टोरिया हाल, घण्टाघर, हरदोई

यज्ञशाला, बागपत

प्रसिद्ध मन्दिर महामायानगर

मुगल घाट, कम्पिल
फर्रुखाबाद

अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी,
अलीगढ़

बुद्धा स्तूप, पिपरहवा
कपिलवस्तु

औघढ़नाथ मन्दिर
सरधना, मेरठ

देवा शरीफ, बाराबंकी

समसपुर पक्षी विहार
(रायबरेली)

अशफाक उल्ला की मजार शाहजहाँपुर

हनुमतधाम, शाहजहाँपुर

श्री दाओजी महाराज
हसायन, हाथरस

किछौछा शरीफ, अम्बेडकर नगर

लालपुर
रेलवे स्टेशन
जालौन

प्राचीन श्री गंगा मन्दिर
गढ़मुक्तेश्वर, गाजियाबाद

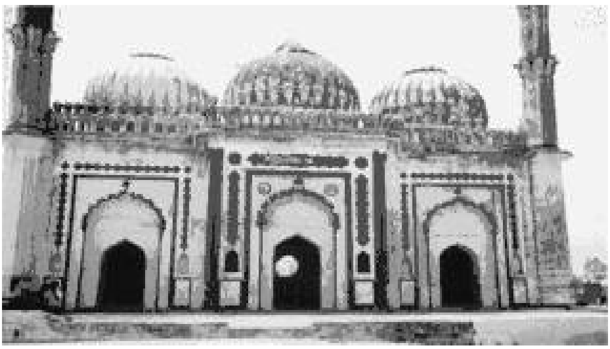

बादशाही मस्जिद, सुल्तानपुर

आनन्द आश्रम, बरेली

कल्पवृक्ष, हमीरपुर

बौद्ध स्तूप, सिद्धार्थनगर

माता शाकुम्बरी देवी मन्दिर,
सहारनपुर

जायसी स्मारक
अमेठी

नदरई का पुल,
कांशीरामनगर
कासगंज

िन्दी साि य और उद अद ा

उ ार प्रदेश में प ुआ और पुरवा दोनों हवाएँ तेज़ चलती ह, जो यहाँ की जलवायु और संस्कति को वैविध्यपूर्ण बनाती ह भस्म कर देने वाली लू और हि यों को कंपाने वाली, ख़ून जमा देने वाली ठंडक यहाँ के संस्कति कर्मियों और रचनाकारों को न तो अधिक भावुक बनाती है और न अधिक वस्तुवादी तटस्थ होकर जीवन और जगत के प्रश्नों पर सोचने-विचारने की गहरी सम्पि उ ार प्रदेश, जो कि मध्यदेश के सर्वाधिक मह वपूर्ण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, में मिलती है तुलसी, सूर से लेकर दिनकर तक और अमीर खुसरो से लेकर अब्दुल बिस्मिल्लाह तक में श्रंगार, रूमानियत, छायावाद खुश्की और तरी का मत आ ार्यजनक जादू का काम करता हिन्दी भाषी प्रदेश बहुत बड़ा है, फिर भी यह सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से हिस्से आगरा, मेरठ और बुलन्दशहर की भा ा कैसे काव्य भा ा बनी उसमें राजस ााओं की भौतिक आवश्यकताएँ और बाजार का तर्क तो है ही, इसके अलावा भक्तिकाव्य के संतों-मुस्लिम सूफियों और भ ों ारा विकसित किया जा रहा एक ऐसा भा ा का माध्यम भी है, जो प्रमुख सांस्कतिक कारण है समाज की ोटी- ोटी इकाइयों के भेदों को बिना समाप्त किये, एक बड़े माध्यम और मूल्य के लिए जीना सिखाती है हिन्दी साहित्य का स्रोत बृहत्कथा की रचना के समय से है। चन्देल कालीन समाज में सनातनी संतों व बौद्ध-जैन श्रमणों भिक्षुओं की काव्य वाणियों, उपदेशों से साहित्य का विकास हुआ। जिसमें एक नया मोड़ अरबी आक्रमणकारियों के दिल्ली की सत्ता प्राप्त करने के बाद आया। सनातनी वैदिक ज्ञान का लौकिक प्रचार-प्रसार अब इस्लामी प्रचार-प्रसार के साथ-साथ किंचित लेन-देन के साथ चला जिसका असर हिन्दी उर्दू साहित्य पर भी परिलक्षित होने से इन्कार करना कठिन है। अमीर ख़ुसरो की क़व्वालियाँ, शेर और मुकरियाँ, कबीर की साखियों और पदों, तुलसी के दोहा-चौपाइयों और कवि ा, सवैयों तथा मुल्ला दाउद, कुतुबन और जायसी की सूफी रचनाओं ने यही किया अपनी कतियों के ारा इन रचनाकारों ने केवल उ ार प्रदेश को ही नहा, बल्कि हिन्दी को भी गौरवान्वित किया है कबीर ने काव्यभा ा हिन्दी के प्राक् प का प्रयोग किया कबीर ने अपने समय की वर्णाश्रम धर्म आश्रित संस्कति के साथ ही मुस्लिम धर्म की मान्यताओं, नैतिक और सामाजिक संस्था और विचार तंत्रों को चुनौती दी तत्कालीन स ा के सोपानात्मक ढांचे के आधार को ही उन्होंने हिला दिया प्रेम की अनन्यता और सवापरिता को स्थापित करते हुए कबीर ने अपने अनुभव से प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हुए हर प्रकार की पोथियों को वास्तविकता से दूर मानते हुए अपने समय के निर्गुण मुहावरे में साखियों और सबदों की ऐसी सहज और निश ल बानी प्रवाहित की कि वे बनारस की सीमाओं को लाँ ाकर पूरे भारत व र् को प्रभावित करने लगे कबीर सामाजिक आन्दोलन के अगुआ के प में प्रमुखता से आगे दिखते ह रवीन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि से ही नहा, एजरा पाउन्ड ारा उनकी कविताओं के किये गये अनुवाद से भी उस प्रभाव का पता चलता है तुलसीदास सम ा हिन्दी भा ी जनता के कंधे पर हाथ रखने वाले ऐसे सजग कवि ह, जो लोक कल्याण को जीवन-मूल्यों के प में स्थापित करते ह अपने मूल्यों के प्रति तुलसी भी आ ाही ह कवि ा और सवैया न्दों को उन्होंने हिन्दी का जातीय ंद बना दिया कवि के प में अपने पात्रों के प्रति पूर्ण समर्पण तुलसी के

अतिरि क्त शायद कहा नहा मिलता जायसी हिन्दू-मुसलमान को एक साथ रहने और निरर्थक लड़ाई से विरत रहने का मानवीय संदेश देते हुए प ावत में अत्यन्त वि ादपरक ढंग से पथ्वी के झूठे होने का संकेत करते ह प ावत का सारा संकेत सम ा जीवन्तता, आ ार्यजनक जागतिकता, अलाउ ीन का आक्रमण आदि लीन्ह उठाई ार इकमूठी दीन्ह उड़ाई पिरथिवी झूठी में समाप्त होता है अर्थात् अकाट ा यथार्थ यदि यह है तो धर्म, वासना, अहंकार, स ा, चीख-पुकार किसलिए क्यों आपस में लड़ते हो, अपने स्वधर्म का पालन करो सूफियों ने प्रेम की पीर का जो शा ा रचा और लौकिक वि ासों तथा मान्यताओं को मिलाकर जैसा आख्यान रचा, नि ाय ही उसने हिन्दी भा ी क्षेत्र की जनता को काफी सहनशील और मिली-जुली संस्कति वाला बनाया जौनपुर के शका राजाओं के काल में सूफियों ारा रचे गये आख्यान साहित्य ने हिन्दी को ही नहा, बांग्ला आदि भा ाओं को भी प्रभावित किया बंगाल में प ावत का व्यापक प्रभाव पड़ा है विजयदेव नारायण साही तो जायसी को हिन्दी का सबसे बड़ा कवि मानते ह जायसी एकमात्र कवि ह जो अपने समय के इतिहास और मिथक तथा लोक और अलोक के प्रश्नों से मानव परिस्थितियों के संदर्भ में एक कवि के प में जूझते ह सूरदास के लिए प्रेमैक्यता ही मुख्य वि ाय है प्रेम-स्वीकत समाज ही सत्य है शायद ही दुनिया में कोई कवि होगा जो माता और बालक दोनों के दय का इतना मामक ाता हो बाल सुलभ चे ाओं का इतना सहज और संवेदनशील वर्णन दुर्लभ है बाल-मनोवि ान को समझने के लिए सूरदास पहले कवि ह, जो सहायक सिद्ध हुए ह उ ार प्रदेश के भ क्तिकालीन इन रचनाकारों के अलावा रसखान, केशवदास, रहीम, मुल्ला दाउद, मंझन उस्मान और नूर मुहम्मद की रचनाएँ कम मह वपूर्ण नहा ह कहा जाता है कि अब्दुल रहीम ख़ानख़ाना ने जौनपुर की सूबेदारी के समय में ही बरवै नायिका भेद ंथ की रचना की रवीन्द्रनाथ टैगोर ने तुलसीदास, सूरदास और कबीरदास पर कविताएँ लिखी ह और तुलसी को कवियों का कवि कहा है रचना का ंथ बनना आसान नहा है केशवदास, जिन्हें गालियाँ ही मिला, भा ा के सजग कवि थे केशव ने व्यवस्थित प से कविता का शा ा रचा रामचन्द्र शुक्ल के आरोपों के बावजूद रामचंद्रिका में कौशल्या, लक्ष्मण और दशरथ आदि का चरित्रांकन केशव ने मानवीय धरातल पर करने का आ ार्यजनक प्रयत्न किया है, बल्कि काफी सीमा तक देवत्वकरण को समाप्त किया शब्द के प्रति कवि की खोज का जो उल्लेख केशव ने सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर कहकर किया है, उसकी दाद तो अ ेय ने केशव की कविताई लेख में दी ही है एक अर्थ में केशव प्रयोगवादियों के आचार्य ह

बुलंदशहर के रहने वाले सेनापति, पद को चुन-चुनकर रचने का उल्लेख इस गर्व के साथ करते ह कि उनकी कविता में श्ले ा के माध्यम से कर्म अर्थ में है चमत्कार के इस प्रदर्शन के अलावा प्रकति के अनेक पक्षों का यथार्थपरक जो चित्र सेनापति ने प्रस्तुत किया है, वह पूरे रीतिकाल में नहा है

हिन्दी ग ा को धार्मिक टीकाओं और खतों-फरमानों से अलग व्यावहारिक प्रयोगों के लिए विकसित करने का श्रेय मुंशी इंशा अल्ला ख़ाँ (लखनऊ), लल्लू जी लाल (आगरा) और सदासुख लाल नियाजी (प्रयाग) को है भाखापन और मुअल्लापन से अलग ठेठ हिन्दी में लिखी कहानी रानी केतकी की कहानी , प्रेमसागर और राजनीति तथा सुखसागर ने लगभग 19वा शताब्दी भर हिन्दी ग ा को मानकीकत करने का प्रयत्न किया प्रेमसागर व ा तक सरकारी वि ालयों में पाठ ापुस्तक में रही इनके बाद दूसरा प्रमुख साहित्यिक प्रयत्न इटावा से राजा लक्ष्मण सिंह के ारा मूल संस्कत से हिन्दी में शकुन्तला के अनुवाद ारा शु हुआ राजा लक्ष्मण सिंह और शिव प्रसाद सितारे हिन्द ने हिन्दी भा ा को विकसित और समद्ध करने का कार्य किया भारतेन्दु हरि ान्द्र ने अपने गुरु शिव प्रसाद और राजा लक्ष्मण सिंह से हटकर हिन्दी भा ा को साहित्य और संस्कति के साथ विमर्श की भा ा बनाने का अप्रतिम प्रयास किया आगरा, बरेली, वाराणसी और प्रयागराज में स्थापित सभाओं, समाजों और इन्स्टीट्यूटों ने जातीय जागरण के लिए हिन्दी को अधिकाधिक प्रयु क्त करने का व्यापक प्रयत्न किया भारतेन्दु और उनके युग के रचनाकारों में बालक ण भ (प्रयागराज), राधाचरण गोस्वामी

(मथुरा), राधा मोहन गोकुल (आगरा), काशीनाथ खत्री (प्रयागराज), राधाक ण दास (वाराणसी), श्री निवास दास (मथुरा), रतनानाथ (इटावा), राम गोपाल वि ाान्त (लखनऊ), प्रताप नारायण मिश्र (कानपुर), बदरी नारायण चौधरी प्रेम ान (मिर्ज़ापुर), राधा चरण गोस्वामी (मथुरा), तोताराम वर्मा (अलीगढ़) ने हिन्दी भा ाा और साहित्य को न केवल समद्ध किया, बल्कि हिन्दी जाति को नये सामाजिक-राजनैतिक प्रश्नों तथा परिवर्तनों के प्रति सजग और सचे भी किया इन लेखकों ने हिन्दी क्षेत्र में लेखों, पचा, नाटकों के अभिनयों, बहसों और टिप्पणियों से हिन्दी को सारे उ ार भारत में रा ीय जागरण के प्रतीक के प में स्थापित किया इन लेखकों ने ब्रज भा ाा, संस्कत, बांग्ला, अं ाेज़ी से हिन्दी में पान्तरण करके उसकी व्यापकता की वद्धि की तथा रा ीय भावनाओं को धारण करने में समर्थ किया

भारतेन्दु के समय में ही ब्रजभा ाा में बल्लभ, चैतन्य, निम्बार्क, राधावल्लभी हित हरिवंश आदि सम्प्रदाय के अनेक कवि या तो पैदा उ ार प्रदेश में हुए या यहा आकर बस गये इन रचनाकारों ने सामान्य गहस्थों के जीवन से लेकर सामंती जीवन तक की अनेक स्थितियों को आदशाकत कर दिया मध्यकाल के कठोर सेन्सरशिप के युग में दोहरी अर्थ व्यंजना की इस आ ार्यजनक पद्धति का आवि कार योरोपीय मध्यकाल के अनेक कवियों में भी मिलता है ंगार और अध्यात्म का यह संकेतात्मक रचना-विधान, क ण लीलाओं के बहुमुखी पों में पाया जाता है रस-मुहावरे का उ ार प्रदेश में जन्म तो नहा हुआ, परन्तु अनेक पों में विकास यहा हुआ

रीतिकाल को प्रायः दरबारी और ढ़िबद्ध लक्ष्यपरक काव्य कहकर हेय और त्याज्य माना गया है, परन्तु यही वह काल है जिसने कला माध्यम के ारा एक प्रकार की आ ार्यजनक धर्मनिरपेक्षता विकसित की पूरे हिन्दी क्षेत्र में एक ही काव्यभा ाा में कवि ा और सवैया ंदों में ऐन्द्रिय बोध का ऐसा काव्य रचा गया, जिसको पढ़कर यह पता ही नहा चलता है कि हम ऐसे समाज में रह रहे ह, जहाँ अनेक धार्मिक मतावलम्बी ह ऐहिकता को रचना का माध्यम इस सीमा तक बनाना कि अ ाानी और अशिक्षित से लेकर पढ़े-लिखे पंडित तक रसिकता में डूब जायें, इसी समय संभव हुआ संगीत चित्र और काव्य कलाओं की पारस्परिकता से विकसित इस काल के रचनाकारों में बिहारी (मथुरा), देव (मैनपुरी), चिन्तामणि (कानपुर), मतिराम (कानपुर), भिखारीदास (प्रतापगढ़), भू ाण (कानपुर), प ााकर (बांदा), ग्यास (मथुरा), तो ा (प्रयागराज), कुलपति मिश्र (आगरा), बेनी (असनी, फतेहपुर), सुरति मिश्र (आगरा), सुखदेव मिश्र (डुमरियागंज, रायबरेली), श्रीधर उपाध्याय (प्रयागराज), श्रीपति (कालपी, जालौन), रसलीन (बिल ााम, हरदोई), दूलह (अवध), जगत सिंह (गोण्डा), प्रताप शाही (चरखारी), बेनी प्रवीन (लखनऊ), मुबारक अली (बिल ााम, हरदोई), गुरुद ा सिंह भूपति (अमेठी, सुल्तानपुर) आदि कवियों ने रीतिकालीन कविताओं ारा ऐसा वातावरण विकसित किया कि कविता सर्व संभव ही नहा बनी, बल्कि शादी-विवाह में एक रस्म के प में कला मर्म ाता और काव्य कला के ाान को प्रदाशत करने के लिए ढ़ि तक बन गयी उ ार प्रदेश की कु जातियों से स्वरचित या किसी अन्य कवि की कवि ा-कविता या सवैया सुनाना वर-कन्या के लिए अनिवार्य सा बन गयी इस प्रकार का काव्य 20वा शताब्दी तक रचा जाता रहा डा. जगदीश गुप्त की ंदशती में नवीन उद्भावनाएँ और बिम्ब विधान भी ह भ ि के बरक्स इस प्रकार के धर्मनिरपेक्ष काव्य का सजन अपने आप में कम मह वपूर्ण नहा है श्रीधर पाठक (प्रयागराज), मिश्रबन्धु (लखनऊ) और महावीर प्रसाद ि वेदी ने सतर्क तेजस्विता के साथ ग ा और प ा की भा ाा एक होनी चाहिए, इस तर्क से तो रीतिवाद का विरोध किया ही, कविता से अलंकार, ंगार रस और नायिका भेद की परम्परा के बहि कार पर भी लिखा सबसे पहले श्रीधर पाठक ने हिन्दी प्रदीप में एक लेख लिखकर देश प्रेम आदि आधुनिक वि ायों पर लिखने और इसे ाेड़ने का आ ाह किया श्रीधर पाठक खड़ी बोली हिन्दी में प्रकति को नये प में प्रस्तुत करने वाले नयी चाल के कवि ही नहा ह, बल्कि पहले स्व ंदतावादी रचनाकार ह, जिन्होंने कां ाेस के पहले जयहिन्द का नारा दिया जैसा कि हरिवंशराय बच्चन ने लिखा है पाठक जी के प्रयागराज

स्थित प ाकोट में ही एक प्रकार से स्वच न्दतावाद से ायावाद का विकास हुआ सुमित्रानन्दन पंत और महादेवी वर्मा प्रायः यहाँ आते रहते थे पंत और पाठक जी का संबंध 1909 से ही बहुत गहरा था मैथिलीशरण गुप्त (चिरगांव, झांसी) के प्रकति वर्णन और पाठक जी के प्रकति-वर्णन में अंतर को ध्यान से देखने पर हिन्दी कविता के प्रारम्भ में वि ामान संभावनाओं का पता लगता है भा ा को मानकीकत और व्यवस्थित करने के साथ ही साथ देशप्रेम, रा ीयता और नये विचारों के प्रति ा ाशीलता का नवजागरणकालीन आ ाह महावीर प्रसाद ि वेदी की सरस्वती का अ ाणी त व था मैथिलीशरण गुप्त की कविताओं का सती तत्त्व और प्रेमचन्द का सत्या ाही व यथार्थवादी तत्त्व, दोनों ने मिलकर हिन्दी भा ा और कथा-साहित्य को लोकोन्मुखी बनाया लोक-जागरण के साहित्य को सश ा माध्यम बनाने का कार्य और रा ीय आन्दोलन को पूर्णतः राजनैतिक स्वतंत्रता की ओर उन्मुख करने का प्रबल आ ाह एक साथ सक्रिय हुआ गया प्रसाद शुक्ल सनेही, प नारायण पांडे, जगदम्बा प्रसाद हितै ी, पढ़ीस, राय देवी प्रसाद पूर्ण और कवि मौन आदि की रचनाएँ बकौल निराला खड़ी बोली को समर्थ काव्यभा ा बनाने वाली रचनाएँ ह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के प्रिय प्रवास की राधा, साकेत की सीता, कामायनी की श्रद्धा, सेवासदन की सुमन, गोदान की मालती, कर्मभूमि की सुखदा आदि ि याँ भारतीय समाज के आदर्शवादी यथार्थवादी दौर का प्रतिनिधित्व करती ह प्रेमचन्द और मैथिलीशरण गुप्त दोनों अपने समय को जिस प में परिभा ित करते ह, वह सत्या ाह युग की ही प्रश्नाकुलता का परिणाम है प्रेमचन्द के गबन और गोदान तथा सद्गति , गुल्लीडंडा , आहुति , कफ़न , पूस की रात , नशा , ठाकुर का कुंआ , सवा सेर गेहूँ आदि कहानियों में सामाजिक यथार्थ का जो आन्तरिक उद् ाटन होता है, वह हिन्दी क्षेत्र में नहा हिन्दी के बाहर भी अन्तर्ध्वनित होता है हिन्दी के कथा साहित्य पर प्रेमचन्द की ाया आज भी ायी है, य ापि प्रेमचन्द के औपन्यासिक शिल्प और सामाजिक समझ से भिन्न उपन्यास भगवतीचरण वर्मा, यशपाल और अ ेय ने लिखे जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी ने मानव मन को केन्द्र में रखकर अनेक उपन्यास लिखे जैनेन्द्र ने कथा-साहित्य को समर्थ भा ा दी और जोशी ने मन के उद् ाटन की श ि इन कथाकारों ने अपनी कहानियों और उपन्यासों में अनेक नैतिक और सामाजिक प्रश्नों को जिस प में रखा, उसके पहले वे उस प में नहा थे त्यागपत्र , चित्रलेखा , टेढ़े-मेढ़े रास्ते , झूठा सच और शेखर एक जीवनी की दुनिया, प्रेमचंद, प्रसाद की दुनिया नहा है कथा साहित्य के क्षेत्र में हिन्दी में लखनऊ का एक खासा दबदबा रहा है अमतलाल नागर, श्रीलाल शुक्ल, भगवती बाबू, हजारी प्रसाद ि वेदी ने हिन्दी के कथा समयों का वैसे ही निर्माण किया है, जैसे प्रेमचंद ने उ ार प्रदेश के शिव प्रसाद सिंह का अलग-अलग वैतरणी , विवेकी राय का बबूल , राम दरश मिश्र का जल टूटता हुआ तथा अब्दुल बिस्मिल्लाह का झीनी झीनी बीनी चदरिया देशकाल की फांस की ओर संकेत करने वाले उपन्यास ह गिरिराज किशोर, बी.राजन, मदन मोहन, देवेन्द्र, प्रियंवद, मुद्राराक्षस, कामतानाथ, अखिलेश आदि ने अपनी रचनाओं से रा ीय स्तर पर न केवल अपनी वि निर्मित की है, बल्कि अपने प्रयोगों को मनु य के सामाजिक और आत्मिक संकट की विसंगतियों सहित पायित करने का प्रयत्न किया है ये वे रचनाकार ह, जिन्होंने अपने भौगोलिक समय और स्थान को फैलाया है संजीव का धार , शैलेश मटियानी का मुठभेड़ , विभूतिनारायण राय का कर्फ़्यू और कमलाकांत ि वेदी का पाती ार , नीलकांत का बंधुआ मजदूर रामदास , राजक ण मिश्र का दारुलशफ़ा , मैत्रेयी पु पा का इदन्नमम ,वीरेन्द्र सारंग का व ांगी मह वपूर्ण उपन्यास ह, जिनसे पाठक संप ा और सजग हुआ है ऐसे दर्जनों लेखक व उनकी रचनाएँ ह पर उनका नामोल्लेख न कर पाना हमारी स्थान सीमा है

हिन्दी नवजागरण के महान रचनाकारों और ायावाद के उन्नायकों में सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला , सुमित्रानन्दन पंत, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा ने उ ार प्रदेश और हिन्दी दोनों को अपनी रचनाओं से एक प्रकार सनातनत्व प्रदान किया पंत का पद विन्यास, निराला की क्रान्तिकारी प्रयोगधर्मिता और मौलिकता, जयशंकर प्रसाद का समरसतावादी समाधान और नाटकों में व्याप्त समतावादी रा ीय जागरण की गहरी ि तथा

महादेवी की मानवीय नारीपरक व यथार्थवादी आध्यात्मिक ि, गहरी सामाजिक राजनैतिक अन्त ि ने पूरी सि को मानवीय बना डाला सब कु में प्राण संचार करने वाली हिन्दी के रस ायावाद की भूमि, जिसे काव्य पारिभाािक ि से मुश्किल से बहुत ोटा ह-सात वर् ही माना जा सकता है, उ ार प्रदेश ही हो सकता था सरस्वती , इन्दु , हिन्दी प्रदीप , ब्रा ाण , भारतेन्दु , कवि वचन सुधा , बाला बोधिनी , ीदर्पण , वि ाान , व्यापार , हरि ान्द्र मैगजीन , स्वराज्य , मर्यादा , अभ्युदय , माधुरी , चांद , सुधा, हंस , पाभ , स्वदेश , माडर्न , दिव्य , प्रवासी आदि पत्रिकाओं ने देश भर में एक ऐसे बौद्धिक वर्ग का निर्माण किया जो व्यापक अर्थ में मानवीय था ये पत्रिकाएँ ठा शताब्दी से लेकर स्वतंत्रता के पूर्व के हिन्दी मानस और कु सीमा तक भारतीय मानस का निर्माण करती रही ह

क्षितिज के उस पार या कौन तम के पार रे आदि प्रश्नों को टालकर इस पार को मह व देने वाले प्रत्यक्षवादियों ने हिन्दी काव्य को नयी दिशा दी हरिवंश राय बच्चन, नरेन्द्र शर्मा, अंचल और भगवती चरण वर्मा ने वाजत रचना क्षेत्र जैसा रवैया ोड़ दिया उन्मु ़ता और सहजता को कविता के मर्म में स्थापित किया उ ार प्रदेश के इन रचनाकारों के गीतों में चिंतनशीलता के बजाय आवेग, स्वच ंदता और तड़प है यथार्थ को निरावत प में मन की मौज में ाहण करने के कारण इन कवियों ने भा ाा में एक विशे ा प्रकार की सोच और आक र्षण पैदा किया हिन्दी को नये प्रतीक प्रदान किये निराला और पंत की कविताओं में भी युगान्त और युगवाणी की ध्वनि गूँजी 1936 के प्रगतिशील लेखक सं ा के लखनऊ अधिवेशन के बाद, जिसे प्रेमचन्द ने सम्बोधित किया था, हिन्दी कविता में भारतीय समाज के शो ाण और अत्याचार के विविध चित्रों को प्रस्तुत किया गया प्रगतिशील रचनाकारों में त्रिलोचन, केदारनाथ अ ावाल, शीलजी उस समय के प्रसिद्ध लेखकों में ह, जिन्होंने हिन्दी काव्य को निरंतर प्रौढ़ बनाया शमशेर बहादुर सिंह प्रारंभ में इसी दौर से सम्बद्ध थे अ ेय को यदि जन्मस्थान (कुशीनगर) की ि से उ ार प्रदेश का मान लिया जाये तो कहा जा सकता है कि इस दौर के प्रभाव में वे भी थे इन कवियों ने हिन्दी भा ाा को तद्भव शब्दों और नयी अनुभूतियों से सम्पन्न किया पत्र-पत्रिकाओं ने भी इसमें मह वपूर्ण योगदान किया प्रतीक (प्रयागराज) के प्रकाशन के साथ हिन्दी कविता में नया दौर प्रारम्भ होता है तार सप्तक का प्रकाशन एक ाटना है इसमें रामविलास शर्मा, भारतभू ाण अ ावाल उ ार प्रदेश के रचनाकार ह, परंतु दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक में प्रदेश के कई मह वपूर्ण रचनाकार शामिल ह बल्कि कहा जा सकता है कि दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक तक प्रयोगवाद और नयी कविता के दौर के अनेक लेखन-आन्दोलन ही चूँकि उ ार प्रदेश के प्रयागराज से प्रारंभ हुए, इसीलिए वे रचनाकार इसी प्रदेश के ह शमशेर, नरेश मेहता (जन्म मध्य प्रदेश, रचना क्षेत्र- प्रयागराज), कुँवर नारायण, धर्मवीर भारती, सव ार, र ाुवीर सहाय, विजयदेव नारायण साही, लक्ष्मीकांत वर्मा, विपिन कुमार अ ावाल, मलयज, केदारनाथ सिंह इस प्रदेश की ही विभूतियाँ ह, जिनके कारण यह प्रान्त अपनी सीमा के बाहर भी जाना जाता है

ठे दशक के इन रचनाकारों का प्रभाव इधर लिख रहे अनेक रचनाकारों में पाया जाता है देवेन्द्र कुमार, श्रीराम वर्मा, शिवकुटी लाल वर्मा, अजित कुमार, कीर्ति चौधरी आदि रचनाकारों ने कविता को सम्पन्न करने का कार्य किया, परन्तु धूमिल ने कविता के स्थिर मुहावरे को तोड़ा धूमिल ने यथार्थ के स्थिर और अपेक्षाकत आदशाकत काव्यात्मक मुहावरे के स्थान पर अनुभव और संवेदना के न ात्मक रिश्ते से विकसित एक नया मुहावरा दिया, जिससे कविता कट ारे में खड़े आम आदमी का बयान करने लगती है धूमिल के मुहावरे की अपनी सीमा थी, परन्तु उसका प्रभाव सातवें और आठवें दशक पर व्यापक प से पड़ा विशे ाकर उन पर जो कविता को क्रान्ति का एक मह वपूर्ण माध्यम मानते रहे ह भावुक प्रतिक्रियाओं के इस दौर के बाद हिन्दी में अनेक नये कवि इस प्रदेश में आठवें और नवें दशक में ह कविता के क्षेत्र में कवि कम कवि यशः प्राथा अधिक ह डॉ. लक्ष्मी शंकर मिश्र 'निशंक' नीलाभ, प्रभात, राजेश, वीरेन डंगवाल, नरेश सक्सेना, देवी प्रसाद मिश्र, बोधिसत्व, मान बहादुर सिंह, कात्यायनी, बद्रीनारायण, हरीशचन्द्र पाण्डे, अनिल श्रीवास्तव, अग्निवेद

जैसे सैकड़ों कवियों ने अपनी कविताओं से अपने समय के संकट और सामर्थ्य को चिन्तनशील भावना के साथ व्य ꠱ किया है उ ार प्रदेश का योगदान अधूरा ही माना जायेगा, अगर कविता और साहित्य को प्रति ान का प देने वाले उन अनेक गीतकारों और रचनाकारों का उल्लेख न हो, जिन्होंने गीत विधा में विविध प्रयोग करके उसे सम्मेलनी स्तर से उठाकर महज गले का कमाल नहा रहने दिया है विसंगतियों, विद्रूपों और व्यंजनाओं का गहरी सम्प्रे ाण क्षमता के साथ प्रयोग जिन कवियों ने किया है, उनमें उमाकान्त मालवीय, रमानाथ अवस्थी, मोहन अवस्थी, तन्मय बुखारिया, नीरज, रामस्व प सिन्दूर, सोम ठाकुर, महे ार तिवारी, के.पी. सक्सेना, कैलाश गौतम, उमाशंकर तिवारी, गुलाब सिंह, यश मालवीय, अमरनाथ श्रीवास्तव विशे ा उल्लेखनीय ह इन रचनाकारों ने बाजा पन और कत्रिम गंभीरता से कविता को यथासंभव बचाया है हिन्दी गजल को एक विधा के प में प्रति ि त करने वाले दु यन्त कुमार उ ार प्रदेश के रहने वाले थे वैसे प्रयोग तो भारतेन्दु ने भी किया और निराला ने भी, परन्तु दु यंत के अलावा शमशेर, विजयदेव नारायण साही, अदम गोंडवी, गोरख पांडे और एहतराम इस्लाम ने हिन्दी में ग़ज़ल को व्यापक अर्थव ाा प्रदान की है शमशेर और साही तो काफिया रदीफ की ि से भी अत्यंत चौकन्ने गजल लिखने वाले ह संसार की अन्य भा ााओं की तरह आत्मविमर्शात्मक स्व प वाली अनेक मह वपूर्ण कविताएँ हिन्दी में भी ह इन्हें भ꠱ अध्यात्म या धर्मानुभूति के खांचे में डालना कठिन है निराला के आराधना और अर्चना के गीतों से लेकर गोविन्द चन्द्र पांडे की किसका , केशव कालीधर की समर्थ रीति , लक्ष्मीकांत वर्मा की कंचनमगा , नरेश मेहता की उत्सवा तक एक भिन्न प्रकार का आस्वाद है जो समकालीन प्रश्नों का शा ात उ ार देने का प्रयत्न है

कहानी विधा एक अर्थ में अंकुरित, पल्लवित और पु पित उ ार प्रदेश में ही हुई प्रेमचन्द से लेकर दीपक श्रीवास्तव तक उसका सर्जनात्मक तेवर वाला इतिहास है प्रेमचन्द, प्रसाद, यशपाल, अश्क, अ ोय आदि पूर्वजों के बाद कहानी विधा विविध आन्दोलनों और परिवर्तनों के दौर से गुजरती रही है इस दौर में जिन्होंने इसे सम्पन्न बनाया, उन लोगों में उ ार प्रदेश के लेखकों को यदि प्रदेश के माध्यम से जाना जाता हुआ माना जाये, तो मार्कण्डेय, राजेन्द्र यादव, कमले ार, अमरकान्त, शैलेश मटियानी, रामलाल, शेखर जोशी, दयेश, दूधनाथ सिंह, विभूतिनारायण राय, ाानरंजन, गिरिराज किशोर, गोविन्द मिश्र, मैत्रेयी पु पा, नीलकान्त, शिवमूात, संजीव, शिवानी, ममता कालिया, नमिता सिंह, शिव प्रसाद सिंह, काशीनाथ सिंह, कामतानाथ, र ाुवीर सहाय, वसु मालवीय, शैलेन्द्र सागर, प्रियंवद, अखिलेश, मुद्राराक्षस, मनोज पाण्डे, वीरेन्द्र सारंग, से.रा. यात्री तथा अन्य दर्जनों नाम, ने अपनी कहानियों से कहानी को सर्जनात्मक विधा ही नहा बनाये रखा, बल्कि इस विधा के माध्यम से मनु य और यथार्थ दोनों को न केवल उद् ाटित किया, बल्कि संवेदनाओं के ऐसे क्षेत्रों की ओर संकेत किया, जो बिल्कुल नये थे ऐसे अंधेरे की ओर संकेत किया, जहाँ मणियाँ था और ऐसे प्रकाशित स्थलों को दिखाया, जहाँ अंधेरा ही अंधेरा था नये कथ्य, नयी भा ाा और नये यथार्थ और नये शिल्प की ि से इन रचनाकारों का स्थायी योगदान है इधर कहानियों में सूचनाओं के जंजाल का तंत्र लक्षणवादी तंत्र से अधिक विकसित हुआ है कु ऐसे लेखक, कवि जो उ ार प्रदेश में स्थायी प से बस गये ह, उनमें से मास्टर कहानीकार उपेन्द्रनाथ अश्क, बलवन्त सिंह, रवीन्द्र कालिया, सतीश जमाली और ाानेन्द्रपति का उल्लेख आवश्यक है इनमें से कालिया और सतीश के लगभग सभी संकलन उ ार प्रदेश आवास के बाद पे ह अश्क और बलवन्त सिंह के उपन्यासों और कहानियों से हिन्दी भा ाा समद्ध ही नहा हुई, बल्कि कथा-साहित्य में जीवनानुभव के विस्तत वर्णन और रोमांस से यथार्थ का एक नया ही प उद् ाटित हुआ है

नाटक और रंगमंच के क्षेत्र में उ ार प्रदेश का योगदान अ ाणी है बालक ण भ , देवकीनन्दन त्रिपाठी, शीतला प्रसाद, गोपाल दास, भारतेन्दु हरि ान्द्र, राधाक ण दास और माधव शुक्ल हिन्दी नाटक और रंगमंच के प्रजापति ह प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर और वाराणसी के रंगकामयों ने विक्टोरिया और अलबर्ट थियेटर कम्पनियों के समानांतर रंगमंच का विकास किया 1870 के आस-पास प्रयाग रेलवे थियेटर में 300 दर्शकों

के प्रमाण मिलते ह लखनऊ की वि ाान्त नाट ाशाला में बंगला से अनूदित और मूल हिन्दी नाटकों के 1877 तक खेले जाने के प्रमाण ह 1885 में भारतेन्दु हरि ान्द्र के पांच प्रदर्शन हो चुके थे माधव शुक्ल ने तो कलक ाा में भी हिन्दी रंगमंच का आन्दोलन चलाया इन नाटककारों के सामाजिक, समस्यामूलक, ऐतिहासिक, प्रतीकात्मक और देशप्रेमपरक नाटकों के बाद प्रसाद के नाटकों का दौर आता है, जो पठनीय अधिक, अभिनेय कम माने जाते ह प्रसाद के नाटकों का अनुकरण बड़े पैमाने पर नहा हुआ परन्तु वे नाटक रा जागरण के ही नहा, राजनैतिक स्वतंत्रता के नाटक ह ध्रुवस्वामिनी तो सामाजिक स्वतंत्रता का भी नाटक है प्रसाद के बाद के समय में ही लक्ष्मीनारायण मिश्र और भुवने ार के नाटक प रहे थे इन दोनों ने हिन्दी नाटक को सामाजिक प्रश्नों के सामने खड़े होने और मनु य तथा समाज में होने वाले मानसिक भौतिक परिवर्तनों को केन्द्र में रखकर नाटक की भा ाा और विधान को बदला प ाम के इब्सन, गाल्सवदा और शा का प्रभाव ाहण कर राम कुमार वर्मा, जगदीशचन्द्र माथुर, लक्ष्मीकांत वर्मा, लक्ष्मीनारायण लाल, विपिन कुमार अ ावाल ने हिन्दी नाटक में अनेक संभावनाओं का विस्तार किया नाटक में अभिनय संभावनाओं का विस्तार भुवने ार से प्रारंभ हुआ विपिन कुमार, मुद्राराक्षस, लक्ष्मीनारायण लाल, सूर्यमोहन कुलश्रे , ड़ामल कुमार थपलियाल, राजेश कुमार, सुलतान अहमद रिज़वी और सत्यव्रत सिन्हा ने उसे समर्थ और समकालीन बनाया सुरेन्द्र वर्मा, मोहन राकेश के बाद जो सर्वाधिक चर्चित नाटककार ह वे भी उ ार प्रदेश में ही जन्मे ह

वि णु प्रभाकर वैसे तो उपन्यासकार और कहानीकार ह, अर्द्धनारी ार पर साहित्य अकादमी सम्मान भी मिला है, परन्तु प्रसिद्धि उन्हें नाटकों से ही मिली है लगभग 10 खंडों में नाटक प्रकाशित ह नेमिचंद जैन और गिरीश रस्तोगी का नाट ा आन्दोलन की ि से मह वपूर्ण स्थान है नटरंग के बगैर नाटक के विकास की चर्चा अधूरी रह जाती है सत्यमूात और क णनारायण कक्कड़ को भी रंगकर्म और नाटकों के लिए भुलाना असंभव है कक्कड़ जी ने कविता आलोचना, चित्रकला-विमर्श, चित्रकला-अनुवाद में भी समान प से योगदान दिया नाटक के माध्यम से रंगमंच पर सत्य को परिभा ात करने का कार्य जो भारतेन्दु के समय से प्रारंभ हुआ, उसे इस प्रदेश के रंगकर्मियों और नाटककारों ने सीमाहीन क्षेत्रों में फैलाया

आलोचना और पुस्तक समीक्षा दोनों की शुरुआत उ ार प्रदेश में हुई भारतेन्दु, बदरीनारायण चौधरी प्रेमधन और बालक ण भ इसके आरंभकर्ता ह संयोगिता स्वयंवर नाटक, जिसकी पहली समीक्षा हिन्दी में लिखी गयी, उसके लेखक श्रीनिवास दास मथुरा के थे प्रसिद्ध आलोचक मिश्र बन्धु और रामचन्द्र शुक्ल ने न केवल हिन्दी आलोचना की भा ाा विकसित की, बल्कि पहली बार व्यवस्थित प से कु मान (कैनन) भी विकसित किये जिसका लोहा लोग आज भी मानते ह रामबिलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद गुप्त, नामवर सिंह, विजयदेव नारायण साही, लक्ष्मीकान्त वर्मा, रामस्व प चतुवदी, डा. र ाुवंश, दूधनाथ सिंह, परमानन्द श्रीवास्तव, वि ानाथ प्रसाद तिवारी, राजेन्द्र कुमार, डा. अजय तिवारी, मधुरेश, वि ानाथ त्रिपाठी, नित्यानंद तिवारी, अजित कुमार, वागीश शुक्ल, वीरेन्द्र यादव, सुशील सिद्धार्थ, पंकज चतुवदी, क णमोहन, अनिल सिन्हा, प्रणय क ण और मूलचन्द गौतम ने हिन्दी आलोचना को अनेक पों में समद्ध किया है रामविलास शर्मा जलती मशाल की तरह वि ाा और मूल्यांकन की अद्भुत क्षमता से यु ़त समर्थ ऐतिहासिक आलोचक ह निराला की साहित्य साधना तो जीवनी और आलोचना दोनों का प्रमाण है ही, नयी कविता और अस्तित्ववाद, स्थायी मूल्य और साहित्य रामचन्द्र शुक्ल और हिन्दी आलोचना, भारतेन्दु और हिन्दी भा ाा की विकास परम्परा रामचन्द्र शुक्ल के बाद सबसे समर्थ आलोचना के गौरव ांथ ह महावीर प्रसाद ि वेदी ने भा ाा को मानकीकत करके हिन्दी को ग ा और प ा की एक भा ाा ही नहा बनाया, बल्कि हिन्दी भा ायों की चेतना का अपूर्व संस्कार किया उन्होंने मनोरंजन और उ ेश्य दोनों को साहित्य का लक्ष्य माना समीक्षाएँ लिखा भी और लिखवाया भी मिश्र बन्धुओं के हिन्दी नवरत्न की समीक्षा आधुनिक रचना की ि से मह वपूर्ण है शुक्ल जी के प्रमुख शि य नन्ददुलारे वाजपेयी (उन्नाव) ने शुक्ल जी से हटकर ाायावाद की प्रमुख कतियों पर ही नहा, साकेत , शेखर एक जीवनी , कामायनी , गोदान आदि पर मह वपूर्ण निबंध लिखे ाायावाद को प्रति त

करने का कार्य तो किया ही, हिन्दी साहित्य को बीसवा शताब्दी की विवि ा आलोचना का मह वपूर्ण प्रतिमान भी बनाया सच तो यह है कि शुक्ल जी के बाद वाजपेयी जी कला मर्म ा सामाजिक ि के सबसे सश ƙ आलोचक ह

साही की जायसी और ठवां दशक , नामवर सिंह की कविता के नये प्रतिमान , विपिन कुमार की आधुनिकता की पहल , रामस्व प चतुवदी की भा ा और संवेदना , रमेश कुंतल मे ा का अथातो सौन्दर्य जि ासा , परमानन्द श्रीवास्तव की शब्द और मनु य तथा वागीश शुक्ल के पूर्व ाह तथा आलोचना में प्रकाशित लेख प्रतिमानात्मक कतियाँ ह काल्पनिक और अकाल्पनिक ग ा में हिन्दी आलोचना प्रायः दरिद्र है उ ार प्रदेश के कु लोगों ने प्रयत्न किया है, जैसे जगदीश नारायण श्रीवास्तव का उपन्यास की शर्त , नेमिचंद जैन (आगरा) की प्रसिद्ध पुस्तक अधूरे साक्षात्कार अभी भी आदर्श बनी हुई ह

यात्राव ान्त, आत्मकथा, जीवनी और संस्मरण आदि विधाओं में ऐतिहासिक ि से उ ार प्रदेश में पैदा हुए रचनाकार अ ाणी रहे ह विन्द्रावत लाल वर्मा, श्यामसुन्दर दास की मेरी आत्म कहानी कई अथा में आत्मकथा विधा का व्यवस्थित स्व प है हरिवंश राय बच्चन की चार खंडों में प्रकाशित क्या भूलूँ क्या याद क ँ , नीड़ का निर्माण , बसेरे से दूर और दश ार से सोपान तक एक प्रकार से मह वपूर्ण पड़ाव ह रचनाकारों ने आत्मकथाएँ प्रायः कम लिखी ह यात्रा व ान्तों की ि से अ ोय का अरे यायावर रहेगा याद , भा ा की संक्षिप्तता और सटीकता तथा वस्तु की जीवंतता का चरम उदाहरण है जीवनी की ि से प्रारम्भ तो भारतेन्दु युग में हो चुका था, परन्तु इस विधा का व्यवस्थित और प्रभावपूर्ण प्रयोग आवारा मसीहा में वि णु प्रभाकर ने किया है अमत राय का कलम का सिपाही उस अर्थ में और भी मह वपूर्ण है कि प्रेमचन्द लेखक के पिता भी थे, लेखक के लिए आवश्यक दूरी बनाना कठिन था य ापि इसके पहले चरित्रों और व ान्तों की लम्बी परम्परा मिलती है परन्तु नरेन्द्र शर्मा लिखित महात्मा गांधी , राधामोहन गोकुल लिखित नेपोलियन बोनापार्ट , रामचन्द्र वर्मा लिखित महात्मा गांधी बेजोड़ ह हिन्दी लेखकों की जीवनियों की मह वपूर्ण शुरुआत श्याम सुन्दर दास ने हिन्दी कोविद रत्नमाला से की इधर डा. रामकमल राय ने प्रसिद्ध कवि अ ोय पर शिखर से सागर तक शी िक से मह वपूर्ण और एक अर्थ में एकमात्र प्रमाणित जीवनी लिखी है संस्मरणों में बनारसी दास चतुवदी, श्रीनारायण चतुवदी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर , रामनरेश त्रिपाठी और अ ोय का विशे ा मह व है एक प्रकार से इन रचनाकारों ने इसे सर्जनात्मकता प्रदान की अमतराय की जिनकी याद सदा हरी रहेगी तथा जगदीश माथुर की जिन्होंने जीना जाना ऐसी पुस्तकें ह, जो भा ा के सांकेतिक और सटीक प्रयोग के कारण संस्मरण में गहरी संवेदनात्मक क्षमता पैदा करती ह रेखाचित्रों में महादेवी जी की अतीत के चलचित्र और स्मति की रेखाएँ अभी भी अन्यतम ह एक शब्द का भी अनावश्यक प्रयोग नहा मिलेगा

रवीन्द्र कालिया, काशीनाथ सिंह, दूधनाथ सिंह, शिवमूात के इधर प्रकाशित संस्मरणों में सर्जनात्मक ऊर्जा के कारण पाठक को आनन्द मिलता है दूधनाथ सिंह का लौट आ ओ धार और काशीनाथ सिंह का काशी का अस्सी संस्मरण से हटकर एक प्रकार का संस्मरणात्मक गल्प है यह पुस्तक विधात्मक नयेपन के कारण ही नहा, अपनी बुनावट के कारण भी लीक से हटकर है

सजनात्मक चिंतन और ललित निबंधों की ि से हजारी प्रसाद ि वेदी, वि ानिवास मिश्र, कुबेरनाथ, विवेकी राय, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर , डा. र ुवंश, युगे ार और क णनाथ का योगदान अविस्मरणीय है आचार्य ि वेदी जैसी मर्मवेधनी मानवीय ि और शो ितों तथा गरीबों के प्रति सहानुभूति का तो अभाव हुआ है, परन्तु प्रकति मात्र के प्रति व्यापक ि तथा मानवीय चिन्ता निबंधकारों का मुख्य वि ाय है

रचनाकार किसी भी प्रदेश के हों, वे मूलतः किसी न किसी भा ा के लेखक होते ह और भा ाएँ भारत में एक भा िक क्षेत्र के अन्तर्गत होने के कारण एक दूसरे को कितना कु सम्पन्न करती रहती ह, कहना कठिन है इस अर्थ में हिन्दी क्षेत्र का व्यापक मह व है हिन्दी के अधिसंख्य लेखक उ ार प्रदेश के ह परन्तु हिन्दी को

इतना व्यापक बनाने का श्रेय उन लेखकों को अपेक्षाकत अधिक है, जो अन्य भा ा क्षेत्रों से ह उ ार प्रदेश के रचनाकारों में से भी अनेक अन्य प्रान्तों में बसे ह, फलतः बहुआयामों के कारण अनुभव और भा ा का नया संश्ले ा पैदा कर सके ह

अ ा

उर्दू भा ा के विकास में उ ार प्रदेश का विशे ा योगदान रहा है तेरहवा सदी में य ापि अमीर ख़ुसरो ने, जिनका जन्म पटियाली (जिला एटा) प ामी उ ार प्रदेश में हुआ था, कु प ात्मक रचनाएं का पर उर्दू ग ा का वास्तविक विकास अठारहवा सदी से प्रारम्भ हुआ था उर्दू के महान शायर ग़ालिब, मीर तथा नज़ीर अकबराबादी, जिनका ि कोण धर्मनिरेपक्ष रहा, का जन्म स्थान आगरा था मीर ने अपने आखिरी दिन लखनऊ में बिताये थे नज़ीर अकबराबादी आगरा में ही रहे और वहा उनका देहान्त हुआ आसिफ़ु ौला स्वयं उच्चकोटि के शायर थे, फलतः लखनऊ उर्दू शायरी का केन्द्र बन गया

उधर दिल्ली से लखनऊ बहुत सारे शायर आये, क्योंकि दिल्ली दरबार उजड़ रहा था ऐसे आने वाले महान शायरों में फ़ुगाँ, मीर तक़ी मीर, सौदा, मीर ज़ाहिक़ और मीर हसन का उल्लेख किया जा सकता है इनके बाद मुसहफी, इंशा और जुरअत आये समय और स्थान के परिवर्तन का प्रभाव यह हुआ कि दिल्ली शायरी की नैराश्यमय एवं उपालम्भपूर्ण शैली का स्थान लखनऊ की सुगम, अलंकारिक एवं ललित शैली ने ले लिया लखनऊ शैली के दो प्रमुख शायर थे, नासिख़ और आतिश ग़ज़ल के अतिरि ा उर्दू शायरी की अन्य विधाओं जैसे मसनवी का सुन्दर उदाहरण मीर हसन, दयाशंकर नसीम , नवाब मिर्ज़ा शौक़ तथा अहमद अली शौक क़िदवई ने प्रस्तुत किया इनकी रचनाओं के नाम ह सह लबयान , गुलज़ारे नसीम , ज़हरे इश्क और आलमेख़्याल रेख़ती में जान साहब ने कमाल दिखाया तथा एक पूरा दीवान यादगार ोड़ा कु उर्दू शायरों को रामपुर, फ़र्रुखाबाद में आश्रय मिला दाग़, असर, अमीर, जलाल और तस्लीम उन प्रसिद्ध शायरों में से थे, जिन्हें रामपुर दरबार की तरफ से मदद मिली

उर्दू शायरी की एक विधा मासया है जिसे मीर अनीस एवं मिर्ज़ा दबीर और उनके समकालीन शायरों ने उत्क ा पर पहुँचाया अब इस विधा को एक नया आयाम देते हुए जदीद मासये लिखे जा रहे ह जोश मलिहाबादी, अली मेंहदी बलरामपुरी, समर हतनौरी, तय्यब काज़मी, तबस्सुम ऐजाज़ी, नासिर लखनवी ने नये मासये को नया रंग दिया उर्दू नाटककारों में अवध नरेश वाजिद अली शाह अख़्तर ने राधा-कन्हैया का रहस्य लिखकर तथा आगा हसन अमानत ने इन्द्रसभा लिखकर उर्दू साहित्य के इतिहास में नाम पैदा किया आधुनिक युग में आग़ा हश्र कश्मीरी ने सुविख्यात एवं लोकप्रिय नाटक लिखे इस परम्परा को विलायत जाफ़री, ज़ैनु ीन आदि आगे बढ़ा रहे ह

बीसवा सदी के प्रारम्भ में बजनारायण चकबस्त , सफ़ी, अज़ीज, साक़िब और जलाल ने अपनी ग़ज़लों और नज़्मों में नये वि ायों का समावेश किया तथा लखनवी शायरी को नयी दिशा दी ब्रजनारायण चकबस्त इस संदर्भ में विशे ा प से उल्लेखनीय ह, क्योंकि उन्होंने उर्दू शायरी में रा प्रेम की भावना का सूत्रपात किया उ ार प्रदेश के कु अन्य प्रख्यात शायरों में सु र जहानाबादी, मौ. मोहम्मद अली 'जौहर', बिशन नारायण दर, नौबतराय नज़र, ारिका प्रसाद उफ़ुक़, हसरत मोहानी, यगाना चंगेज़ी, असगर गोंडवी, अकबर इलाहाबादी, आरज़ू लखनवी, फ़ानी बदायूंनी, रियाज़ खैराबादी, मुज़तर खैराबादी, जाफ़र अली खां असर और सिराज लखनवी आदि उल्लेखनीय ह इन सब शायरों ने उर्दू ग़ज़ल और शायरी को नया आयाम दिया उर्दू शायरी में उपालम्भों की शुरुआत और उ ा शैली का विकास भी उ ार प्रदेश में हुआ

उन्नीसवा सदी के उ ारार्द्ध से अवधपंच में उपहासात्मक कविताएं तथा लेखादि पा करते थे इस कोटि के सबसे सफल कवि अकबर इलाहाबादी तथा ज़रीफ़ लख़नवी थे बाद में ग ा लिखने वालों में रशीद अहमद सिद्दीक़ी, शौकत थानवी, अहमद जमाल पाशा, वजाहत अली सन्दीलवी आदि ने नाम कमाया

उर्दू ग ा भी उ ार प्रदेश का मह वपूर्ण देन रहा है ग ा लिखने वाले सर्वप्रथम लेखकों में लखनऊ के मिर्ज़ा रजब अली बेग सु र का नाम आता है उन्होंने अवध के शासक नसीरु ीन हैदर के शासनकाल में

फ़सान-ए-अजायब लिखा कतिपय अन्य रचनाएं भी इनके नाम से ह इनकी शैली अलंकारिक और दु ह है शब्दाडम्बर भी अधिक है

सन् 1857 के स्वतंत्रता आन्दोलन के बाद मौलाना अब्दुल हलीम शरर तथा पण्डित रतननाथ सरशार के उपन्यासों में उर्दू ग ा लेखन की सरल शैली दिखायी पड़ी उर्दू साहित्य में नयी परम्पराएं प्रारम्भ करने वालों में मिर्जा हादी रुसवा , मुंशी सज्जाद हुसैन, मौलाना शिबली, अल्लामा नियाज़ फ़तेहपुरी, अब्दुल माजिद दरियाबादी आदि ने साहित्य और अन्य वि ायों पर जो कु लिखा, वह अविस्मरणीय है अलीगढ़ में मुस्लिम वि ावि ालय की स्थापना करने वाले सर सैय्यद अहमद खां, जो दिल्ली के रहने वाले थे, किन्तु उ ार प्रदेश में बस गये थे, ने अपने लेखों आदि में अनेक वि ायों का समावेश कर उर्दू साहित्य को नयी दिशा प्रदान की तथा भा ा को सरल और आसान बनाया उन्होंने समाज सुधार, इतिहास, जीवनी, शिक्षा, रा ीयता और राजनीति से सम्बद्ध विविध वि ायों पर लेख लिखे उनके विस्तत ान की उनके समकालीन लेखक अवहेलना नहा कर सके इस प्रकार लेखकों के सामने ऐसे वि ाय आये, जिनकी तरफ पहले उनका ध्यान ही नहा गया था इतिहासकारों में इसी प्रदेश के कमालु ीन हैदर हसनी उल हुसैनी, राजा दुर्गा प्रसाद मेहर संदीलवी और मौलवी नजमुल ग़नी रामपुरी ने अवध के इतिहास पर बुनियादी कार्य किया तथा उच्चकोटि की पुस्तकें यादगार के प में ोड़ा देश के उर्दू पुस्तकों का सबसे मह वपूर्ण प्रकाशन केन्द्र मुंशी नवल किशोर ने लखनऊ में स्थापित किया था उर्दू के प्रति इन प्रकाशक की सेवाएं अविस्मरणीय ह इन्होंने ही अवध अखबार निकाला था पं. रतननाथ सरशार का सुविख्यात उपन्यास फसान-ए-आज़ाद इसी अखबार में किस्तवार पा करता था सैय्यद जालिब का सुविख्यात अख़बार हमदम लखनऊ से प्रकाशित होता था

उ ार प्रदेश से बहुत सारे अदबी रिसाले भी प्रकाशित होते थे इनमें खदंग-ए-नज़र, उर्दू-ए-मुअल्ला, दिलगुदाज़, ज़माना, अदीब, अल-नाज़िर, निगार, माअरिफ़, नया दौर और किताब उल्लेखनीय ह इनमें से माअरिफ़ और सूचना विभाग से प्रकाशित नया दौर आज भी प्रकाशित हो रहे ह

उर्दू में प्रगतिशील साहित्य को बढ़ावा देने में भी उ ार प्रदेश आगे रहा है प्रगतिशील लेखक सं ा की प्रथम कां ेंस 1936 में उ ार प्रदेश के लखनऊ में ही आयोजित हुई थी, जिसकी अध्यक्षता सुविख्यात उर्दू-हिन्दी कहानीकार मुंशी प्रेमचन्द ने की थी प्रगतिशील साहित्य में मजदूरों, किसानों और समाज के अन्य दबे-कुचले वगा की समस्याओं के चित्रण पर बल दिया गया और साहित्य ारा जनता में अपनी मौलिक समस्याओं और अपने अधिकारों के सम्बन्ध में जाग कता पैदा करने के चित्रण पर ज़ोर दिया गया साथ ही साहित्य ारा जनता की मौलिक समस्याओं के निराकरण की कोशिश की गयी प्रगतिशील लेखक सं ा के संस्थापकों में सज्जाद ज़हीर का नाम विशे ा प से उल्लेखनीय है, जो एक मह वपूर्ण साहित्यकार भी थे इनका संबंध भी उ ार प्रदेश से था सुप्रसिद्ध प्रगतिशील समालोचक प्रो. सैय्यद एहतेशाम हुसैन रिज़वी भी उ ार प्रदेश के थे इसके अतिरि ा उ ार प्रदेश ने ही उर्दू साहित्य को प्रो. मसूद हसन रिज़वी अदीब, मजनूँ गोरखपुरी, प्रो. एजाज़ हुसैन, डा. मसीहउज़्ज़मा, प्रो. आले अहमद सु र, प्रो. फज़ले इमाम, अली सरदार जाफ़री और डा. इबादत बरेलवी जैसे आलोचक भी दिये जो अन्य मह वपूर्ण साहित्यकार, कहानीकार और कवि उ ार प्रदेश ने उर्दू को दिये, उनमें क़ुअर्तुल ऐन हैदर, इसमत चुगताई, अली अब्बास हुसैनी, उपेन्द्रनाथ अश्क, बलवंत सिंह, हयातुल्लाह अन्सारी, रामलाल, चौधरी मोहम्मद अली, जोश मलिहाबादी, मजाज़, फिराक़ गोरखपुरी, जिगर मुरादाबादी, वामिक़ जौनपुरी, अली सरदार जाफ़री, मोइन एहसन जज़बी, बाक़र मेंहदी, ख़लीलुर्रहमान आज़मी, सलाम म ली शहरी, मज ह सुल्तानपुरी, कैफ़ी आज़मी, बेकल उत्साही, नज़ीर बनारसी, इरफान सि ीकी, शहरयार, बशीर बद्र, वसीम बरेलवी, एहसन रिज़वी, उमर अंसारी, गुलाम रिज़वी गादश, क ण बिहारी नूर और ख़ुमार बाराबंकवी, मन्ज़र सलीम, दाराबबानो वफ़ा आदि विशे ा प से उल्लेखनीय ह उर्दू शायरी के सश ा प्रतिनिधि के प में इरफ़ान सि ीकी ने पि ले एक दशक में अपना लोहा मनवाया भारत ही नहा पूरी उर्दू दुनिया में उनकी शायरी आधुनिक और प्रगतिशीलता के समागम के प में प्रसिद्ध हुई ानपीठ से पुरस्कत उमराव जान फिल्म के गीतकार एवं मशहूर शायर शहरयार ने भी उर्दू शायरी में प्रदेश का नाम बुलन्दियों तक

पहुँचाने में बड़ा योगदान दिया

उ ार प्रदेश के लिए यह भी कम गर्व का वि ाय नहा है कि साहित्य के सवाच्च सम्मान ानपीठ से पुरस्कत होने वली उर्दू की चार महान विभूतियाँ यहा की ह उर्दू शायरी को उत्क ा पर पहुँचाने वाली महान शख्सियत व मशहूर शायर फ़िराक़ गोरखपुरी, विख्यात उपन्यासकार व कथाकार क़ुअर्तुल ऐन हैदर, मशहूर प्रगतिशील शायर अली सरदार जाफ़री एवं शहरयार उ ार प्रदेश के ही ह

इसके बाद जिन दो साहित्यकारों को सरस्वती सम्मान से नवाज़ा गया, वे भी उ ार प्रदेश के ह इनमें पुरस्कत समालोचक, लेखक शम्सुर्रहमान फ़ारुकी को पहले और उसके बाद मशहूर कथाकार नैय्यर मसूद को सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया भारत में अभी तक किसी भी अन्य प्रदेश के उर्दू साहित्यकार को सरस्वती सम्मान प्राप्त नहा हुआ इनके अलावा और भी महान एवं मह वपूर्ण लेखक तथा कवि उ ार प्रदेश ने उर्दू को दिये ह

सन् 1960 में और उसके प ात् भारत के उर्दू साहित्य में आधुनिक अभिव्यि (जदीदियत) की जो बात चली, उसे आगे बढ़ाने मेें सबसे अधिक योगदान उ ार प्रदेश के शहर प्रयागराज से प्रकाशित होने वाली उर्दू की साहित्यिक पत्रिका शबखून का रहा इस पत्रिका के माध्यम से सुविख्यात आधुनिक साहित्यकार शम्सुर्रहमान फ़ारुकी ने, जो उ ार प्रदेश के ही ह, आधुनिकता की व्याख्या की और उसे आगे बढ़ाया आधुनिकता के अन्तर्गत साहित्य में प्रतीकात्मक और एब्सटेक्ट अभिव्यि पर ज़ोर दिया गया और कहानी, कविता और ग़ज़ल में आज के युग के व्यि की सामाजिक समस्याओं पर कम, मनोवै ानिक समस्याओं के चित्रण पर अधिक ज़ोर दिया गया

उर्दू साहित्य में शोध कार्य करने वालों तथा समालोचकों में प्रो. महमूद इलाही, प्रो. नूरुल हसन हाशमी, काज़िम अली खाँ, डा. सै. मु. अकील रिजवी, डा. जाफर रजा, प्रो. शारिब रुदौलवी, प्रो. मुजाविर हुसैन रिज़वी, अली जवाद जैदी तथा डा. मुहम्मद हसन, प्रो. कमर रईस, प्रो. हनीफ़ नकवी, प्रो. अकबर हैदरी कश्मीरी, वारिस किरमानी, अनीस अशफाक, वक़ार नासिरी आदि विशे ा प से उल्लेखनीय ह इसी प्रकार नैयर मसूद, आबिद सुहेल, बशेषर प्रदीप, ज़ुबेर रिज़वी, मलिक ज़ादा मन्ज़ूर अहमद, वक़ार नासिरी, मसरूर जहाँ, अनीस अंसारी, अम्बर बहराइची, फय्याज रफत, विलायत जाफ़री, मुनव्वर राना, रबाब रशीदी, तसनीम फारुक़ी, बशीर फ़ारुकी, इक़बाल मजीद, काज़ी अब्दुल सत्तार, तारिक़ छतारी, खालिद जावेद, सबीहा अनवर, आयशा सिद्दीक़ी, तसकीन ज़ैदी आदि कहानीकार एवं शायर उर्दू अदब की खिद्मत कर रहे हैं। नये साहित्यकारों में कई अहम नाम सामने आये मसलन शायरी में अज़रा परवीन, कमर अदीब, आमिर रियाज, शाहिद कमाल, संजय मिश्रा शौक और कहानी में गज़ाल जैगम उल्लेखनीय रहा इनके अलावा मोहसिन खाँ, शाहिद अख़्तर, इशरत जफ़र, आरिफ़ अय्यूबी, सुहेल वहीद, क़ायद हुसैन कौसर, असरार जोधा आदि ने कई अच े अफसाने लिखकर अपना नाम दर्ज कराया है अनुवाद कार्य में हैदरी जाफरी सैय्यद और शकील सि ीक़ी का नाम विशे ा तौर पर लिया जा सकता है डा. वज़ाहत हुसैन रिज़वी, डा. रेशमा परवीन, डा. अतहर मसूद आदि ने भी तहक़ीक़ व आलोचना के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करायी है

इस तरह हम देखते ह कि उर्दू भा ा एवं साहित्य के विकास और उसकी समद्धि में उ ार प्रदेश ने हर युग में योगदान दिया है और अपनी विशे ा भूमिका निभायी है विशे ा प से उर्दू भा ा को निखारने, संवारने और सुन्दर बनाने में लखनऊ का जो योगदान रहा, वह अविस्मरणीय है उर्दू साहित्य की समद्धि में उ ार प्रदेश अपनी भूमिका निभा रहा है यहाँ के कतिपय समालोचकों, लेखकों और शायरों का उर्दू साहित्य में बड़ा ऊँचा स्थान है यह प्रदेश उर्दू के पालन-पो ाण का एक मुख्य केन्द्र रहा है इस तथ्य को ि गत रखते हुए इस सम्बन्ध में उ ार प्रदेश सरकार ने भी अपनी ज़िम्मेदारी निभायी है और उर्दू के विकास एवं प्रसार के लिए आवश्यक क़दम उठाये ह ातव्य है कि उ ार प्रदेश में उर्दू को ि तीय राजभा ा का दर्जा प्राप्त है

●

ि न्दी और उद ात्रकारि ा

हिन्दी पत्रकारिता की प्रथम किरण बंगाल में प्रस्फुटित हुई हिन्दी का प्रथम पत्र 30 मई, 1826 को कोलकाता से निकला, जिसका नाम उदन्त मार्तण्ड था यह साप्ताहिक था इसके सम्पादक पंडित जुगल किशोर शुक्ल कानपुर के थे उ ार प्रदेश की हिन्दी पत्रकारिता का ऐतिहासिक अध्ययन करते समय निम्न काल विभाजन करना उपयु ħ होगा प्रारम्भिक युग (1845-1867 तक), भारतेन्दु युग (1867-1900 तक), ि वेदी युग (1900 से 1920 तक), गांधी युग या ायावाद युग (1920-1947 तक) तथा स्वातन्त्र्यो ार युग (1947 से अब तक)

ारि ाक य ा (45- तक)

उ ार प्रदेश से प्रकाशित पत्रों में बनारस अखबार पहला हिन्दी पत्र (साप्ताहिक) था यह जनवरी 1845 में काशी (वाराणसी) से प्रकाशित हुआ यह हिन्दी भा ी प्रान्तों का प्रथम हिन्दी पत्र था इसे राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द ने प्रकाशित कराया था इसके सम्पादक थे श्री गोविन्द र ुनाथ थ ो राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द उर्दू के हिमायती थे इसी कारण हिन्दी का पत्र होने पर भी बनारस अख़बार की भा ा हिन्दी न होकर उर्दू थी बनारस अख़बार के बाद काशी (वाराणसी) से ही 1850 ई. में श्री तारामोहन मित्र ारा सुधाकर (साप्ताहिक) का प्रकाशन हुआ यह साप्ताहिक पत्र बंगला तथा हिन्दी दोनों भा ाओं में प्रकाशित होता था तीन व ा बाद यह केवल हिन्दी में प्रकाशित होने लगा आगरा से बुद्धिप्रकाश का प्रकाशन पत्रकारिता की ि से ही नहा, भा ा एवं शैली के विकास के विचार से भी विशे ा मह व रखता है इसका प्रकाशन व ा 1852 है। इसके सम्पादक थे मुंशी सदासुखलाल आगरा से सर्वहितकारक नामक साप्ताहिक का प्रकाशन 1855 में हुआ इसके सम्पादक थे शिवनारायण इसमें हिन्दी और उर्दू दोनों भा ाएँ रहती था, पर हिन्दी ही इसकी मुख्य भा ा थी

शिक्षा के प्रचार-प्रसार के फलस्व प हिन्दी पत्रकारिता का विकास भारतीय स्वतंत्रता सं ााम (1857) तक उतनी तेजी से नहा हुआ, जितनी अपेक्षा थी इसी समय 13 जून, 1857 को प्रेस सम्बन्धी एक कानून जिसे गगिग ऐक्ट कहते ह, लागू किया गया 1857 की क्रांति की विफलता के परिणामस्व प भारतीयों की मन स्थिति अवसादमय हो गयी थी इसका प्रभाव उ ार प्रदेश की सामाजिक, राजनीतिक स्थिति के साथ ही हिन्दी पत्रकारिता के विकास पर भी पड़ा दमनकारी प्रेस सम्बन्धी कानून की अवधि समाप्त होने एवं राजनीतिक भूकम्प के शान्त होने पर उ ार प्रदेश की हिन्दी पत्रकारिता में नई जागति उत्पन्न हुई 1861 में उ ार प्रदेश से कई पत्र निकले इनमें सूरज प्रकाश आगरा से प्रकाशित हुआ सम्पादक थे गनेशीलाल इस पत्र के उर्दू भाग का नाम था आफ़ताबे आलमताब सवापकारक और ाानप्रकाश भी आगरा से निकले सवापकारक के सम्पादक थे शिवनारायण 1865 में सवापकारक का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व कायम हो गया इसी व ा इटावा से प्रजाहित का प्रकाशन हुआ यह पाक्षिक था सम्पादक थे हकीम जवाहरलाल इसके उर्दू और अं ोजी संस्करण भी प्रकाशित हुए लोकमित्र का प्रकाशन 1 जनवरी, 1863 को आगरा से हुआ यह ईसाइयों का मासिक पत्र था इसका प्रकाशन शुद्ध हिन्दी में होता था 1864 में आगरा से भारतखण्डामत नाम का पत्र निकला इसके हिन्दी अंश का नाम भारतखण्डामत और उर्दू का नाम आबेहयात हुआ सम्पादक थे पंडित वंशीधर वाजपेयी 1865 में बरेली से तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन हुआ यह गुलाब

शंकर के संपादकत्व में निकली यह शुद्ध हिन्दी पत्रिका थी पत्रिका ब्र ा समाज के सिद्धान्तों का प्रचार करती थी

ारतेन् य ा (- 00)

1867 ई. में आगरा से सर्वजनोपकारक का प्रकाशन हुआ पंडित पूर्णचन्द्र इसके सम्पादक थे इसी व ा आगरा से एक और पत्र धर्मप्रकाश निकला ज्वाला प्रसाद इसके सम्पादक थे यही 1890 में रुड़की से हिन्दी, उर्दू और संस्कत में निकलने लगा 1913 में यह जालौन जिले के कोंच से निकला और 1921 में इसका प्रकाशन कानपुर से होने लगा भारतेन्दु युग में भारतेन्दु हरि ान्द्र ने अपने सहधर्मियों का एक मंडल बनाया, जिसे भारतेन्दु मंडल कहा गया तभी से हिन्दी पत्रकारिता के विकास को नई गतिशीलता प्राप्त हुई 15 अगस्त, सन् 1867 ई. को भारतेन्दु ने काशी से कविवचन सुधा मासिक पत्र का प्रकाशन आरम्भ किया इसके प्रकाशन के साथ ही हिन्दी पत्रकारिता के नये युग का सूत्रपात हुआ आरम्भ में इसमें प्रसिद्ध कवियों की कविताओं का प्रकाशन होता था भारतेन्दु इसके माध्यम से भारतीय जनता को हिन्दी कविता की परम्परा से परिचित कराना चाहते थे यह पत्रिका कु ही दिनों के बाद मासिक से पाक्षिक हो गई पाक्षिक कविवचन सुधा में आधुनिक वि ायों तथा समाज नीति, राजनीति पर लेख एवं समाचार भी प्रकाशित होते थे 1875 में यह साप्ताहिक हो गई 1868 में प्रयाग से विविध वि ाय भू ित व ान्त दर्पण नामक पत्र सदासुखलाल के सम्पादकत्व में निकला यह मासिक था दो व ा बाद ही यह कानून का पत्र बना दिया गया 1869 में मंगल समाचार मेरठ से प्रकाशित हुआ सम्पादक थे ठाकुर गिरिप्रसाद सिंह यह हिन्दी-उर्दू में एक साथ निकलता था इसी व ा आगरा से जगत समाचार , जगदानंद और पापमोचन हिन्दी-उर्दू का पत्र निकला इसके सम्पादक क णचन्द्र थे इसका अपना लीथो प्रेस था जगत प्रकाश मुरादाबाद से निकला पाक्षिक वि ादर्श और समय विनोद भी इसी व ा निकले वि ादर्श मेरठ से प्रकाशित होता था इसका उर्दू संस्करण भी था इसमें वि ा की चर्चा रहती थी

आगरा एजूकेशनल गजट का प्रकाशन भी 1869 में हुआ इसके उर्दू संस्करण के सम्पादक यूसुफ अली और हिन्दी संस्करण के सम्पादक अमीरउ ीन थे उर्दू की 150 और हिन्दी की 50 प्रतियाँ पती था ब्र ा ान प्रकाश ब्र ासमाजी विचारों का पत्र बरेली से निकला था सम्पादक थे केशवचन्द्र सेन आगरा अखबार और आर्य दर्पण का प्रकाशन आगरा तथा शाहजहाँपुर से हुआ आर्य दर्पण के सम्पादक थे मुंशी बख्तावर सिंह यह मासिक पत्र था आर्य समाज आन्दोलन को गति देने के लिए इसका प्रकाशन किया गया इन दोनों पत्रों का प्रकाशन व ा 1870 था 1871 में प्रकाशित होने वाले पत्र थे हिन्दू प्रकाश (कानपुर), प्रयाग दूत (प्रयाग), बुन्देलखण्ड अखबार (ललितपुर), म्यूरगजट (मेरठ) और सोल्जर्स गजट (सहारनपुर) प्रेम पत्र का प्रकाशन 1872 में आगरा से हुआ यह पाक्षिक था इसके सम्पादक पंडित रुद्रद ा शर्मा थे प्रेमपत्र ही वह प्रथम पत्र है, जिससे पंडित रुद्रद ा का सम्पादकीय जीवन आरम्भ हुआ हरि ान्द्र मैगज़ीन , हरि ान्द्रिका , भारत-पत्रिका और मर्यादा परिपाटी समाचार पत्रिकाओं का प्रकाशन व ा 1873 है इनमें हरि ान्द्र मैगज़ीन हिन्दी भा ा और साहित्य की प्रमुख पत्रिका थी यह मासिक थी 15 अक्टूबर, 1873 को इसका प्रथम अंक निकला इसमें पुरातत्व, उपन्यास, कविता, आलोचना, ऐतिहासिक, राजनैतिक, साहित्यिक तथा दार्शनिक लेख, कहानियाँ एवं व्यंग्य आदि का प्रकाशन होता था इसका प्रकाशन स्थल काशी ही था हरि ान्द्रिका साप्ताहिक हिन्दी पत्रिका थी पत्रिका में समाचार भी पते थे इसके सम्पादक जयराम थे भारत पत्रिका का प्रकाशन लखनऊ से हुआ यह उर्दू-हिन्दी में निकलती थी पत्रिका का प्रकाशन अवध के ताल्लुकेदारों की संस्था ब्रिटिश इण्डियन एसोसिएशन ने किया था मर्यादापरिपाटी समाचार नामक मासिक पत्र का प्रकाशन आगरा से हुआ यह हिन्दी और संस्कत में निकलता था सम्पादक थे पंडित दुर्गाप्रसाद शुक्ल यह सनातनी पत्र पुरानी मर्यादा की रक्षा हेतु प्रकाशित किया गया

हरि न्द्र चन्द्रिका , बालाबोधिनी , नाटक प्रकाश , नागरी प्रकाश और भारत बंधु का प्रकाशन स्थल क्रमशः काशी, प्रयाग, मेरठ और अलीगढ़ है इसके अलावा सुदर्शन समाचार , प्रयाग धर्मपत्रिका का प्रकाशन प्रयागराज से हुआ इन पत्रों का प्रकाशन व 1874 है इनमें हरि न्द्र चन्द्रिका , हरि न्द्र मैगजीन का संशोधित नाम है यह पत्रिका भी अत्यधिक लोकप्रिय हुई पत्रिका ने साहित्य और पत्रकारिता के माध्यम से रा ीय सम्मान की भावना जगाने, साहित्यिक रुचि फैलाने, हिन्दी साहित्य के विविध भागों को समद्ध करने और हिन्दी भा ा को देश के सामाजिक और सांस्कतिक जीवन में उचित स्थान दिलाने के लिए सं किया सरकार इसकी सौ प्रतियाँ खरीदती थी बालाबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन 1 जून, 1874 को हुआ यह ीजनों की प्यारी मासिक पत्रिका ी शिक्षा के प्रचारार्थ प्रकाशित की गई थी नाटक प्रकाश 26 जून, 1874 को प्रयागराज से निकला था यह नाटकों का मासिक पत्र था इसके सम्पादक प्रयागराज हाईकोर्ट के वकील रतनचन्द्र थे नागरी प्रकाश का प्रकाशन मेरठ से हुआ यह मासिक पत्र था इसका उ ेश्य नागरी या हिन्दी अक्षरों का विकास करना था भारतबन्धु साप्ताहिक के सम्पादक तोताराम वर्मा थे यह मोटे और बेतुके टाइप में पता था पत्र का स्वर राजनीतिक अधिक और साहित्यिक कम था धर्म प्रकाश (प्रयाग), आनंद लहरी (बनारस), सुदर्शन समाचार (प्रयागराज), आर्य पत्रिका (मीरजापुर), मंगल समाचार (अलीगढ़), काशी पत्रिका (वाराणसी) का प्रकाशन व 1875 था आनंद लहरी और काशी पत्रिका साहित्यिक था काशी पत्रिका का प्रकाशन भारतेन्दु की ही प्रेरणा से हुआ था इसमें सत्य हरि न्द्र , कर्पूर मंजरी आदि हरि न्द्र के कई नाटक पे यह साप्ताहिक पत्रिका थी सम्पादक थे बाले र प्रसाद प्रयाग धर्म प्रकाश (प्रयागराज) और आर्यभू ण (शाहजहाँपुर) का प्रकाशन 1876 ई. में हुआ

अजाब (शाहजहांपुर), हिन्दी प्रदीप (प्रयागराज) से दोनों पत्र 1877 में निकले हिन्दी प्रदीप मासिक पत्र का प्रकाशन भारतेन्दु मंडल के वरि सदस्य पंडित बालक ण भ ने किया यह साहित्यिक पत्र था पत्रकारिता की ि से हिन्दी का जन्म हिन्दी साहित्य के इतिहास में क्रांतिकारी टना है इसने पत्रकारिकता को नयी दिशा दी भ जी का राजनीतिक दर्शन भारतेन्दु की तरह रा ीयता और स्वदेशी से परिपूर्ण था उसमें अकाल, बेरोजगारी एवं सांस्कतिक सं ा पर भी लेख होते थे इसके अतिरि नाटक, प्रहसन, निबंध और कविताएँ भी प्रकाशित होती था हिन्दी प्रदीप का रा ीय स्वर निभाकता तथा तेजस्विता से परिपूर्ण था हिन्दी भा ा के प्रचार-प्रसार में हिन्दी-प्रदीप का बराबर सहयोग रहा कायस्थ समाचार (प्रयाग), ानचन्द्र (प्रयागराज), आर्यमित्र (काशी), दिनकर प्रकाश (लखनऊ) और शुभचिंतक (कानपुर) का प्रकाशन 1878 ई. में हुआ 1879 ई. में सज्जनकीर्ति सुधाकर (आगरा) और भारतसुदशा प्रवर्तक फर्रुखाबाद से निकले प्रवर्तक के सम्पादक थे पंडित गणेश प्रसाद शर्मा इसमें वैदिक धर्म प्रचार, सामाजिक कुरीतियों का निवारण, दलितोद्धार, ी-शिक्षा और मादक द्रव्य निवारण आदि वि यों पर लेख पते थे 1881 ई. में भारती विलास (आगरा), भारतदीपिका (लखनऊ) और आनन्द कादम्बिनी (मीरजापुर) पत्र निकले, जिनका हिन्दी पत्रकारिता में विशि स्थान है आनंद कादम्बिनी के सम्पादक पंडित बदरी नारायण चौधरी प्रेमधन , आनन्दकादम्बिनी के स्तम्भ बड़े आक क और साहित्यिक हुआ करते थे यथा सम्पादकीय, सम्मति समीर , साहित्य सौदामिनी , व ान्त बलाकावली और प्राप्ति स्वीकार अथवा समालोचना सीकर आदि पत्रिका के प्रकाशन का मूल उ ेश्य था साहित्य, समाज, धर्म, राजनीति आदि में परिवर्तन लाना 1882 में प्रयागराज समाचार (प्रयागराज), बालदर्पण (प्रयागराज), देवनागरी प्रचारक (मेरठ), भारतेन्दु (वन्दावन) आदि पत्र निकले

काशी समाचार (काशी), सत्य प्रकाश (बरेली), दिनकर प्रकाश (लखनऊ) और ब्रा ण (कानपुर) का प्रकाशन 1883 में हुआ ब्रा ण का प्रथम अंक होली के दिन (15 मार्च, 1883) निकला पत्र का सिद्धान्त वाक्य था शमोरपिगुणावाच्या दो ा वाच्या गुरोरपि इसमें सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक वि यों पर बड़े उत्क लेख होते थे यह अपने समय का निभाक पत्र था इसने देशोन्नति में बाधक विचारों और

काया की कटु आलोचना करने का व्रत ले रखा था पत्रिका के सम्पादक थे प्रसिद्ध निबन्धकार पंडित प्रतापनारायण मिश्र

सन् 1885 से 1895 के बीच प्रकाशित होने वाले मह वपूर्ण पत्र-पत्रिकाओं में हिन्दोस्थान (कालाकांकर), नागरी नीरद (मीरजापुर), भारतप्रकाश (मुरादाबाद), भारतोदय (कानपुर), रसिक पंच एवं प्रयाग मित्र (प्रयागराज), विचार पत्र (इटावा), भारत भानु (बनारस), बुद्धि प्रकाश (लखनऊ), हिन्दी मंच (अलीगढ़), देवनागरी गजट (मेरठ), खिचड़ी समाचार (मीरजापुर), भारतहितै ी (फर्रुखाबाद), ब्रजवासी (मथुरा), भारत प्रताप (मुरादाबाद), रसिक पत्रिका एवं रसिक पंच (कानपुर), भारतभू ाण (बनारस), बुन्देलखण्ड पंच एवं संसार दर्पण (झाँसी) तथा स्वतंत्र (लखनऊ), 'सनाढ्योपकारक' (आगरा), माहे ारी (हापुड़), वनिता हितै ी (कानपुर), नाट ापत्र (प्रयागराज), सर्वहितै ी (मुरादाबाद), वैश्यहितकारी (मेरठ), जैन गजट (सहारनपुर), जैन समाचार (लखनऊ), ब्रा ाण समाचार (हरदोई), दीनबन्धु (फर्रुखाबाद), प्रश्नो ार और कुसुमांजलि (काशी), एलोपैथिक डाक्टर (प्रयाग), विश्वकर्मा (मथुरा), चतुवदी (आगरा) आदि प्रमुख ह दैनिक हिन्दोस्तान और नागरी नीरद ने अपनी मह ा के लिए पत्रकारिता के इतिहास में अक्षुण्ण भूमिका अदा की है पत्र का प्रथम अंक 1885 में निकला महामना पंडित मदनमोहन मालवीय इसके प्रधान सम्पादक थे दैनिक हिन्दोस्तान पत्र का वार्ि ाक मूल्य रुपये दस था दैनिक हिन्दोस्तान के माध्यम से महामना मालवीय जी ने हिन्दी पत्रकारिता को मूल्यवान बना दिया हिन्दी भा ा तथा देवनागरी लिपि का सबल समर्थन इस पत्र ारा निरंतर होता रहा

इसी व र्ा नागरी-नीरद नामक साप्ताहिक पत्र प्रेमधन जी ने मिरजापुर से निकाला पत्रिका के स्तम्भों के नाम साहित्य, व र्ाा और त्र तु सम्बन्धित हुआ करते थे यथा सम्पादकीय समिति समीर , हास्य हरितांकुर , काव्यामतव र्ाा , वि ापन वीर बहूटियाँ , नियम नि ाा , सौदामिनी संदेश , अनुवादाम्बुप्रवाह , सं ाहसुरेन्द्रायुध आदि पत्र में राजनीति, सामाजिक, साहित्यिक, शैक्षणिक आदि वि ाय चर्चित होते थे हास-परिहास के लिए प्रहसन, चुटकुले तथा प्रश्नो ार होते थे नागरी का प्रचार इस पत्र का मुख्य उ ेश्य था गौड़ हितकारक (मुरादाबाद), सनातन धर्मपताका (मुरादाबाद), कवि और समालोचक (बलिया), चन्द्रिका (लखनऊ), त्रिवेणी तरंग (प्रयागराज) का प्रकाशन व र्ा 1886 है 1897 में नागरी प्रचारिणी पत्रिका का प्रकाशन हुआ यह शोध पत्रिका थी इसने हिन्दी पत्रकारिता और साहित्य को नया जीवन प्रदान किया यह त्रैमासिक थी 1898 में आर्यमित्र (मुरादाबाद) और कान्यकुब्ज हितकारी (कानपुर) का प्रकाशन हुआ 1899 में मथुरा-वैश्य सुखदायक (मथुरा) और देशहितकारी (मेरठ) पत्र निकले

नि क र्ातः यह कहा जा सकता है कि इस युग की पत्रकारिता ने युग चेतना का पर्याय बनकर नये युग का प्रवर्तन किया हिन्दी भा ा के उत्थान-विकास और भारतीय समाज के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक अर्थात सम ा चेतना के विकास में इस युग की पत्रकारिता का योगदान स्तुत्य है

ि वे ा य ा (00- 20)

हिन्दी साहित्य का ि वेदी युग (महावीर प्रसाद ि वेदी) अपनी साहित्यिक आदर्शवादिता के लिए प्रसिद्ध हुआ इस युग की हिन्दी पत्रकारिता का मूल स्वर साहित्यिक होते हुए भी रा ीयता के उन्नयन की ि से ब्रिटिश सरकार के प्रति प्रहारात्मक और रा भ ि से परिपूर्ण था इस युग की साहित्यिक पत्रिका सरस्वती का प्रकाशन पत्रकारिता के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक टना है तीसरे व र्ा में इसके सम्पादन का भार पंडित महावीर प्रसाद ि वेदी ने उठा लिया ि वेदी जी ने इस पत्रिका का सम्पादन लगभग पन्द्रह व ाा तक किया उनके सम्पादन काल में सरस्वती का सवागीण विकास हुआ यह वही अवधि है, जिसको बाद में ि वेदी युग की सं ाा दी गयी सरस्वती का प्रकाशन लगभग 80 व ाा तक होता रहा इसके अन्य सम्पादकों में पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, पंडित देवीद ा शुक्ल और पंडित श्रीनारायण चतुवदी प्रमुख ह सरस्वती का पुनर्प्रकाशन प्रारम्भ हुआ है।

सरस्वती ने हिन्दी पत्रकारिता के क्षेत्र में एक नया मानक स्थापित किया इसने लेखकों को लिखने की

कला का प्रशिक्षण दिया सम्पादन तकनीक से लोगों को अवगत कराया साहित्य, समाज और राजनीति से सम्बन्धित समस्त वि ायों के लेखों का प्रकाशन किया इस व ा के अन्य प्रकाशित पत्रों के नाम ह काव्यकलानिधि (मीरजापुर), सुदर्शन (काशी), अवध समाचार (लखनऊ), कर्तव्यसुधानिधि (प्रयागराज), नूतन व्यापारी (मेरठ), मित्र (बनारस), जाट हितकारी (आगरा), भारतहितोपदेशक मित्र (बाराबंकी) और गोपाल पत्रिका (लखनऊ) आदि वसुन्धरा का प्रकाशन वाराणसी से 1902 में हुआ सम्पादक थे रामदास वर्मा सन् 1903 में कायस्थ कुल भास्कर (इटावा), धमापदेशक (बरेली), वाणिज्य सुखदायक (काशी), रसिक लहरी (कानपुर), सिपाही (कानपुर), अंबला हितकारक (मुरादाबाद), ी दर्पण (प्रयागराज), कवीन्द्र वाटिका (प्रयागराज), धर्मपंच (मेरठ), ब्रा ाण सर्वस्व (इटावा) आदि पत्र निकले सन् 1906 ई. में कनवजिया (कानपुर), कलवार गजट (मीरजापुर), रसिक रहस्य (जौनपुर), विनोद वाटिका (काशी), ात्रहितै ी (अलीगढ़), बालप्रभाकर (बनारस), संसार मित्र और वैदिक सर्वस्व (प्रयाग) प्रकाशित हुए

सन् 1907 में प्रयागराज से मदनमोहन मालवीय के सम्पादकत्व में अभ्युदय साप्ताहिक का प्रकाशन हुआ अभ्युदय प्रदेश में उदार विचारों का प्रमुख पत्र बन गया था कालान्तर में यह स्वतंत्रता आन्दोलन के प्रवाह में प्रवाहित होकर क्रांतिकारियों का पक्षधर बन गया इस पत्र के सम्पादकों में मालवीय जी के अलावा पुरु ो ाम दास टण्डन, सत्यानंद जोशी, क णकांत मालवीय, वेंकटेश नारायण तिवारी, प ाकांत मालवीय और पंडित बनारसीदास चतुवदी प्रमुख थे अभ्युदय ने अनेक रा भ ि पत्रकारों को प्रशिक्षण प्रदान किया इसी व ा अभ्युदय के अतिरि ि साप्ताहिक आनन्द का प्रकाशन लखनऊ से हुआ सम्पादक थे पंडित शिवनाथ शर्मा ये बड़े आनन्दी व्य ि थे हँसी-दिल्लगी का लेख लिखने वाला उनके समान कोई नहा हुआ 1917 में यह दैनिक हो गया था इस व ा अन्य प्रकाशित पत्रों में दयानन्द पत्रिका (मेरठ), नागरी प्रचारक (लखनऊ), सदुपकारी (बरेली) और भारतभूमि (मुरादाबाद) आदि रहे

समाट (कालाकांकर), कलवार मित्र (प्रयाग), खत्री हितकारी (काशी), क्षत्रिय (मेरठ) तथा व्यापारी व कारीगर (काशी) पत्र सन् 1908 में निकले सन् 1909 में कर्मयोगी (प्रयागराज), देहाती (आगरा), जहावी (चुनार), कवि (गोरखपुर), ीधर्मशिक्षक (प्रयाग) और इन्दु (वाराणसी) का प्रकाशन हुआ उ ार प्रदेश की हिन्दी पत्रकारिता को उ ा स्वर प्रदान करने वाले पंडित सुन्दरलाल ह इन्हा के सम्पादकत्व में कर्मयोगी निकला इसमें ऐसी रचनाएँ पती था, जिसमें भूतकाल के भारत की महानता और उसकी वर्तमान स्थिति को दर्शाया गया इन्दु मासिक का प्रथम अंक 1909 में निकला यह उच्च कोटि का साहित्यिक पत्र था सम्पादक थे प्रसाद जी के भांजे श्री अंबिका प्रसाद गुप्त इन्दु पत्रिका को हिन्दी-साहित्यिक-संसार में लाने का श्रेय प्रसाद जी को है, क्योंकि यह उन्हा की प्रेरणा का फल था प्रसाद का अधिकांश प्रारम्भिक साहित्य इसी पत्रिका के माध्यम से सामने आया इसमें उनकी कविताएँ, लेख, कहानी, नाटक आदि प्रकाशित हुए यहा से उनके स्वच न्दतावादी जीवन-दर्शन एवं काव्यान्दोलन का निर्माण होता है प्रसाद की काव्य साधना के विकास में इन्दु का अविस्मरणीय योगदान है इसने हिन्दी कविता की नई धारा के पथ को प्रशस्त किया इसलिए हिन्दी काव्य विकास की धारा को ठीक से समझने के लिए इन्दु की फाइलों का अनुशीलन अनिवार्य है

प्रताप (कानपुर), कुलश्रे (अलीगढ़), नवजीवन (काशी), प्रजाबंध (मथुरा), सुधांश (आगरा) का प्रकाशन सन् 1910 में हुआ इसमें प्रताप एक तेजस्वी पत्र था इसके सम्पादक बाबू गणेश शंकर वि ााथा उत्साही नवयुवक थे उन्होंने कु साथियों की सहायता से इसे निकाला था थोड़े ही समय में प्रताप ने हिन्दी पत्रकारिता में अपना स्थान बना लिया था प्रताप का आफिस क्रान्तिकारियों का अ ा था अपने नीति-वि ायक आदशा एवं उ ेश्यों से प्रतिबद्ध प्रताप ने आगे चलकर ब्रिटिश शासन को कदम-कदम पर चुनौती दी और इसके लिए दण्ड भी भोगा

श्री सरयूपारीण (प्रयागराज), वै णव सर्वस्व (वन्दावन), जमीनदार (काशी), ीचिकित्सक (प्रयागराज), भास्कर (मेरठ), जीवन (कानपुर), मर्यादा (प्रयागराज) का प्रकाशन व र् सन् 1911 है मर्यादा का प्रकाशन पंडित मदन मोहन मालवीय के पुत्र क णकान्त मालवीय ने किया था क णकान्त ही मर्यादा के प्रथम सम्पादक थे यह पत्रिका अपने नाम के गुणानुसार सामाजिक मर्यादा और रा ीय समस्याओं को अभिव्य त करते हुए वि ान वि ायक साम ी का भी प्रकाशन करती थी आकाश दर्शन स्तम्भ में ज्योति ा के आधार पर ाह नक्षत्रों की गणना मासिक प में की जाती थी पत्रिका को नया स्व प प्रदान किया था बाबू सम्पूर्णानन्द ने इनके ारा लिखे गये राजनीतिक लेख उस समय बहुत चर्चित हुए इन्होंने ा नाम से भी लिखा मर्यादा में पने वाले विशि नाम ह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध , प्रेमचन्द, महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, रामदास गौड़ और क णबिहारी मिश्र जब सम्पूर्णानन्द जेल गये तो इसके सम्पादन का दायित्व प्रेमचन्द ने उठाया प्रेमचन्द ने अपनी राजनीतिक एवं सामाजिक ि से मर्यादा के कलेवर को सँवारा पत्रिका का प्रकाशन सन् 1923 में बंद हो गया सन् 1912 में प्रेम (वन्दावन), साहित्य समालोचक (गोरखपुर) और वै ा (कानपुर) का प्रकाशन हुआ

कानपुर गजट (कानपुर), यादवमित्र (शिकोहाबाद), भारत महिला (मेरठ), भारत नारी हितकारी (मैनपुरी), ी शिक्षा (कानपुर), कन्या मनोरंजन (प्रयागराज), कन्या सर्वस्व (प्रयागराज), आरोग्य सिन्धु (अलीगढ़), वनौ ाधि प्रकाश (मेरठ), सम्मेलन पत्रिका (प्रयागराज), देहाती (उरई), प्रियंवदा (मीरजापुर) और हिन्दी साहित्य (काशी) का प्रकाशन सन् 1913 ई. में हुआ इन पत्रिकाओं में सम्मेलन पत्रिका और प्रभा का योगदान अविस्मरणीय है यह हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज से पंडित रामनरेश त्रिपाठी के सम्पादकत्व में प्रकाशित हुई पत्रिका की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इसका प्रकाशन आज भी अबाध गति से हो रहा है यह शोध पत्रिका है इसका लोक संस्कति विशे ांक बहुत ही चर्चित हुआ इसके विशे ांकों में कला विशे ांक , गांधी-टण्डन स्मति विशे ांक , श्रद्धांजलि विशे ांक , साहित्य-संस्कति भा ा विशे ांक , जन्मशती विशे ांक प्रमुख ह पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुवदी, पंडित कामता प्रसाद गुरु और पंडित प ासिंह शर्मा आदि साहित्य की अमूल्य निधि ह

प्रभा मासिक राजनीतिक पत्रिका थी इसके सम्पादकों में गणेश शंकर वि ाथा, देवद ा शर्मा और क णद ा पालीवाल थे सन् 1914 में अवधवासी (लखनऊ), राजभ त (काशी), अवध केसरी (अयोध्या), देवनागर (मेरठ), वि ाथा (प्रयागराज), डिस्ट्रिक्ट गजट (बुलन्दशहर), हलवाई वैश्य हितै ी (काशी), गूजर हितकारी (सहारनपुर), क ि सुधार (मैनपुरी) और कलाकुशल (प्रयागराज) का प्रकाशन हुआ

प्रहलाद (काशी), ब्र ाभ हितै ी (कानपुर), हलवाई वैश्य संरक्षण (काशी), पालीवाल ब्र ाणोदय (आगरा), चतुवदी (आगरा), वि ान (प्रयागराज), डाक्टर (मथुरा), सत्य समाचार (वन्दावन), तरंगिणी (काशी), व्यापारी (कानपुर) और बालबोध (बनारस) का प्रकाशन 1915 में हुआ वि ान सार्वजनिक हित का एक अच ा मासिक पत्र था इसके सम्पादक थे कवि पंडित श्रीधर पाठक इस पत्रिका के अन्य सम्पादकों में गोपाल प्रसाद भार्गव, ब्रजराज, रामदास गौड़, सत्यप्रकाश युधि र भार्गव और गोरखनाथ प्रमुख थे इसका प्रकाशन प्रयागराज की वि ान परि ाद करती थी हिन्दी भा ा वालों को वि ान का ान कराने में इस पत्रिका का मह वपूर्ण योगदान है

सन् 1916 में मथुरा समाचार (मथुरा), वै ा सम्मेलन पत्रिका (प्रयागराज), सुधाव र्क (अलीगढ़), सर्वशिक्षक (प्रयागराज), माथुर वैश्य हितकारी (आगरा) और जैन मार्तण्ड (हाथरस) पत्र निकले आनन्द दैनिक (लखनऊ), निर्बल सेवक (बिजनौर), भारतबन्धु (हाथरस), बालसखा (प्रयागराज), समाज (प्रयागराज), स्कूल मास्टर (अलीगढ़), और चिकित्सक (कानपुर) पत्रों का प्रकाशन व र् सन् 1917 है सन् 1918 में प्रकाशित होने वाले पत्रों के नाम ह सूर्य (काशी), आनन्द प्रचारक (मथुरा), कानपुर समाचार (कानपुर), ब्र ात्र ि ा (मेरठ), उत्साह (जालौन), मथुरा गजट (मथुरा), सत्यसेतु (शाहजहाँपुर),

कालिन्दी (रामनगर, बनारस), भारतीय (लखनऊ), ललिता (मेरठ), विश्वविा ा प्रचारक (लखनऊ), ब्र ाशा ि (बनारस), आर्य महिला (बनारस), सत्यवादी (आगरा), अहीर समाचार (शिकोहाबाद), जैनपथ प्रदर्शक (आगरा), जैसवाल जैन (आगरा), कायस्थ महिला हितै ी (अयोध्या) आदि भवि य (प्रयागराज), गौड़ समाचार (मैनपुरी), संन्यासी (प्रयागराज), व्यापार (लखनऊ), अ ावाल बन्धु (आगरा), बरनवाल चन्द्रिका (मुरादाबाद), त्यागी ब्रा ाण (मेरठ), धर्माभ्युदय (आगरा), बिजली (इटावा), सेवा (प्रयागराज), संसार (कानपुर), किसान (फतेहपुर), प्रहलाद (काशी), औदुम्बर (काशी), स्वदेश (गोरखपुर) आदि पत्र 1919 में निकले इसी व ा के उल्लेखनीय मासिकों में काशी से स्वार्थ और कानपुर के हिन्दी मनोरंजन का हिन्दी पत्रकारिता में विशि स्थान है

रा ीय आन्दोलन को वाणी देने वाले पत्र स्वदेश का प्रकाशन 6 अप्रैल, 1919 को गोरखपुर से हुआ उ ा विचारों एवं स्वतंत्रता के प्रति समर्पण की भावना के कारण स्वदेश को जन्म से मत्यु तक सरकारी कोप ि का शिकार होना पड़ा प्रकाशन के पूर्व ही इससे 500 रुपये की जमानत माँगी गई थी इस प्रकार ि वेदी युगीन हिन्दी पत्रकारिता का इतिहास स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास के अधिक निकट है इस युग ने आन्दोलन के विभिन्न स्व पों यथा समाचारों, नेताओं के संदेशों, दमन और अत्याचारों और स्वयंसेवकों की गिरफ्तारियों के विवरण के प्रकाशन के साथ ही हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं में उत्प्रेरित करने वाले लेखों, कविताओं, कहानियों और सम्पादकीय टिप्पणियों, अ ालेखों के माध्यम से लोक भावना को जा ात कर उसे स्वतंत्रता सं ााम से जोड़ने का श्रेय प्राप्त किया इस युग की हिन्दी पत्रकारिता ने साहित्य के क्षेत्र में भी नये-नये प्रयोग किये

ाधा या ायावा य ा (20- 4)

सन् 1920 में प्रकाशित होने वाले पत्रों के नाम ह आज (वाराणसी)), वर्तमान (कानपुर), लोकमत (कानपुर), सुधाकर (आगरा), हिन्दुस्तानी अखबार (प्रयागराज), स्वराज्य अर्द्धसाप्ताहिक (बिजनौर), जुझोतिया प्रभा (झाँसी), वैश्यबन्धु (काशी), अ ावाल लोहिया हितै ी (आगरा), स्वार्थ (काशी), प्रेमबन्धु (कानपुर), वि ाभू ाण (अयोध्या), किसान (उन्नाव), आर्यदर्श (बस्ती), अहिंसा समाचार (काशी) और अवध प्रकाश या स्वदेशेन्दु (अयोध्या), भवि य दैनिक (प्रयागराज) आदि

उ ार प्रदेश की हिन्दी पत्रकारिता को उन्नत और विकसित करने, उसके आदर्श स्व प की प्राप्ति करने तथा स्वतंत्रता सं ााम के महाय ा में पूर्ण आहुति देने हेतु काशी से हिन्दी दैनिक आज का प्रकाशन 5 सितम्बर 1920 को श्रीक ण जन्मा मी के दिन हुआ था इसके जन्मदाता श्री शिवप्रसाद गुप्त थे गुप्तजी आज को लंदन के टाइम्स जैसा बनाना चाहते थे पत्र के प्रथम सम्पादक थे श्रीप्रकाश जी उन्होंने दो व ाा तक इसका सम्पादन किया इसके बाद बाबूराव वि णु पराड़कर ने 1923 से 1955 की जनवरी तक सम्पादन कार्य संभाला तत्प ाात् पत्र के सम्पादकों में थे पंडित कमलापति त्रिपाठी, श्रीकांत ठाकुर, रामक ण, र ाुनाथ खाडिलकर, वि ााभास्कर, सत्येन्द्र कुमार गुप्त और शार्दूल विक्रम गुप्त दैनिक आज रा ीय स्वतंत्रता सं ााम का प्रमुख पत्र था सन् 1920 से 1947 तक के बीच यह स्वतंत्रता आन्दोलन का एक दस्तावेज है आज हिन्दी भा ाा और वर्तनी में एकता लाने हेतु सतत प्रयत्नशील था पत्रकारिता में समाचार लिखने की समस्त तकनीक का जीता-जागता उदाहरण है आज केवल काशी से निकलने वाला आज अब भी कई स्थानों से निकल रहा है ाान मण्डल काशी से निकलने वाला स्वार्थ भी अ ितीय पत्र था पत्र का वि ाय अर्थशा ा से सम्बन्धित हुआ करता था इससे पूर्व इस वि ाय पर कोई स्वतंत्र पत्र नहा था सम्पादक थे पंडित जीवन शंकर या ािक

वर्तमान दैनिक के सम्पादक पंडित रमाशंकर अवस्थी थे सरकारी सूत्र के अनुसार वर्तमान का प्रकाशन 22 अक्टूबर, 1920 को असहयोग आन्दोलन को व्यापक समर्थन प्रदान करने हेतु हुआ था सरकार ने इस पत्र को उ ावादी पत्रों की सूची में रखा था यह उ ावादी प्रकाशनों के लिए विख्यात था राजनीतिक जागति के परिणामस्व प जहाँ पत्रों के प्रकाशन में तेजी आयी, वहा उनकी प्रसार संख्या में भी वद्धि हुई 1920 में आज और भवि य की दो-दो हजार तथा प्रताप और वर्तमान की तीन-तीन हजार प्रसार संख्या

हो गयी थी फलस्व प जन-जीवन में राजनीतिक जाग कता की वद्धि हुई कर्तव्य (इटावा), किसान (प्रयागराज), महिला समाचार (फतेहपुर), नाई मित्र (झाँसी), रा ीय अध्यापक (कानपुर), नाई ब्रा ाण (कानपुर), तिलक (आगरा) और शिल्प समाचार (कन्नौज) पत्र सन् 1921 में निकले सन् 1922 में अध्यापक (मुरादाबाद), ब्रजवासी (मथुरा), हिन्दुस्तान (अलीगढ़), जैन केसरी (हाथरस), जीवन (मथुरा), लोकमान्य (बाँदा), लोकमत (उरई), मातभूमि (कानपुर), सत्यवादी (अलीगढ़), विक्रम (कानपुर), कवि (गोरखपुर), निर्भय (मैनपुरी), परिवर्तन (कानपुर), नवयुग (प्रयागराज), हिन्दू गजट (सहारनपुर), देवेन्द्र (लखनऊ), हिन्दी आउटलुक (लखनऊ), स्वाधीन (झाँसी), देवदर्शन (प्रयाग), महान लोधी राजपूत धर्मपताका (आगरा), झाँसी समाचार (झाँसी), मिर्जापुर समाचार (मीरजापुर), भारत धर्मनेता (काशी), रजकबन्धु (प्रयागराज), मस्ताना जोगी (कानपुर), कपटसखा (कानपुर), ात्र हितै ी (अलीगढ़), उ ाम (झाँसी), मार्तण्ड (कानपुर), मुनि (झाँसी), माधुरी (लखनऊ) और चाँद मासिक (प्रयागराज) का प्रकाशन हुआ था

ब्रजवासी का प्रकाशन स्वदेशी और असहयोग आन्दोलन के समर्थन में हुआ था पत्र की नीति उदारवादी होते हुए भी कभी-कभी उ ा हो जाती थी कवि मासिक एक साहित्यिक पत्रिका थी लोकमान्य राजनीति प्रधान पत्र था सम्पादक थे नंदकिशोर वर्मा उन्हें असहयोग आन्दोलन के प्रसंग में एक व ा के कारावास का दण्ड मिला था लोकमत और नवयुग दोनों असहयोग आन्दोलन तथा गांधी जी के आन्दोलन के प्रसार हेतु निकले थे इसी व ा जुलाई, 1922 से मासिक पत्रिका माधुरी का प्रकाशन लखनऊ से हुआ नवलकिशोर प्रेस के मालिक वि णुनारायण भार्गव की प्रेरणा से यह पत्रिका निकली पत्रिका पूर्ण पेण साहित्यिक थी इसका उ ेश्य था उच्च कोटि के स्थायी साहित्य को प्रस्तुत करना पत्रिका के मुखप   पर विविध वि ाय विभू ाित, साहित्य-सम्बन्धी सचित्र मासिक लिखा जाता था साप्ताहिक चाँद इसी व ा नवम्बर से मासिक हो गया था मासिक चाँद के प्रथम सम्पादक श्री रामरख सिंह सहगल थे और संचालिका थीं श्रीमती वि ाावती सहगल यह प्रयाग से निकला था पत्र के प्रकाशन का मुख्य उ ेश्य समाज सुधार था

पत्र के सम्पादकों के नाम ह श्री नन्द किशोर तिवारी, शुकदेवराय, चण्डीप्रसाद दयेश , मुंशी नवजादिकलाल श्रीवास्तव और महादेवी वर्मा चाँद ने प्रथम बार विशे ाांकों की धूम मचा दी थी इनमें प्रमुख विशे ाांक ह गेल्पांक , महिला अंक , विधवांक , शिशु अंक , प्रवासी अंक , अ ूतांक , पत्रांक , फाँसी अंक , मारवाड़ी विशे ाांक , विदु ाी अंक और भारत व ा अंक आदि चाँद ने साहित्यिकता के आवरण में राजनीतिक, ाी-शिक्षा, सामाजिक सुधार आदि वि ायों पर उत्क साम ायों का प्रकाशन कर प्रदेश की हिन्दी पत्रकारिता में एक नये कीर्ति स्तम्भ की स्थापना की प्रारम्भ में पत्र का स्वर राजनीतिक कम, सामाजिक सुधार का अधिक था, परन्तु बाद में स्वतंत्रता सं ााम के उ ा प्रवाह में यह क्रांतिकारी विचारों की प्रमुख पत्रिका हो गयी पत्र के फाँसी अंक का प्रकाशन एक ऐतिहासिक ाटना थी

सन् 1923 में प्रकाशित होने वाले पत्र ह वंदे मातरम् (फतेहपुर), लक्ष्मण (लखनऊ), उत्साह (झाँसी), बुन्देलखण्ड केसरी (बाँदा), स्वच न्द (अलीगढ़), स्वाधीन (फर्रुखाबाद), सुखमार्ग (अलीगढ़), अरुणोदय (मिर्जापुर), रा (लखनऊ), पुरु ाार्थ (बाराबंकी), नैया (झाँसी), नवयुग (आगरा), महिला सुधार (कानपुर), क ाक राजबंधु (सीतापुर), भारतव ा (गोरखपुर), झाँसी समाचार (झाँसी), ाामवासी (इलाहाबाद), हमदर्द (कानपुर), देशभ ि (आगरा), देहाती (उरई), दीपक (अयोध्या), मातभूमि (मेरठ), भारत धर्म (काशी) आदि प्रेत (लखनऊ), मजदूर (कानपुर), किसान (कानपुर), वीर (बिजनौर), साहस (झाँसी), ब्रा ाण हितै ी (मैनपुरी), देशदूत (काशी), कैलाश (मुरादाबाद), ब्रजवासी (मथुरा), भवि य (कानपुर), महावीर (सहारनपुर), लोकमान्य (बाँदा), वीरेन्द्र (जालौन), हलधर (इटावा), स्वाधीन (झाँसी), नवयुग (कानपुर), स्वास्थ्य , आरोग्य (कानपुर), सिविल सर्जन (सहारनपुर),

अध्यापक (बाराबंकी), भूगोल (प्रयागराज), कवीन्द्र और सहारनपुर (कानपुर), हिन्दी पु कर (बरेली), रंगमंच (बरेली), मनोरमा (प्रयागराज), साम्यवादी (कानपुर), महिलासर्वस्व (अलीगढ़), उत्साह (काशी), योग प्रचारक (काशी), साहित्य (कानपुर), क ाक राज बन्धु (लखनऊ), मजदूर (कानपुर), शैतान (लखनऊ) आदि पत्र सन् 1924 में प्रकाशित हुए

इन पत्रों में मनोरमा साहित्यिक पत्रिका थी इसके सम्पादक थे श्री ज्योतिप्रसाद मिश्र निर्मल यह विविध वि ाय विभू ित सचित्र मासिक पत्रिका थी इस पत्रिका में लेखों के वि ाय अत्यन्त गंभीर होते थे शिक्षाप्रद कविताएँ, सुन्दर तिरंगे भावपूर्ण चित्र, कार्टून तथा पहेलियाँ, मनोरंजक कहानियाँ, वै ानिक विचार और प्रहसन इत्यादि अधिक सुन्दर और मनोरंजक निकलते थे महिलाओं और बालकों के मनोरंजन हेतु इसमें विशे ा साम ी प्रकाशित होती थी पत्रिका में प्रकाशित होने वाले स्तम्भों के नाम ह बालवाटिका, कुसुमकुंज, वनिता विनोद, संगीत आदि

सन् 1925 में प्रकाशित होने वाले पत्रों के नाम ह आर्यमित्र (आगरा), नवयुग (कानपुर), जाटवीर (आगरा), प्राणरक्षा (मथुरा), जीवन (मथुरा), सैनिक (आगरा), यादव (गोरखपुर), अध्यापक (मुरादाबाद), ाम सुधार (मैनपुरी), मिर्जापुर गजट (मीरजापुर), भारत पुत्र (हाथरस), हरदोई डिस्टिक्ट गजट (हरदोई), कुमा क्षत्रिय दिवाकर (काशी), मौर्य भा कर (लखनऊ), माथुर पत्रिका , माथुर क्षत्रिय (आगरा), विश्वकर्मा (कानपुर), वैश्यहितकारी (मेरठ), आयुवद केसरी (कानपुर), आयुवद समाचार (मेरठ), धनवन्तरि (अलीगढ़), वै ाकल्पद्रुम (हमीरपुर), आधुनिक धन्वन्तरि (कानपुर), राजवै ा (प्रयाग), डाक्टर (बरेली), कला-कौशल (कानपुर), मातभूमि (झाँसी), ख र (कानपुर), व्यापारिक संसार (हाथरस) आदि

इन पत्रों में सैनिक का निकलना हिन्दी पत्रकारिता के लिए गौरव की बात है सैनिक का प्रकाशन आगरा से श्री क णद ा पालीवाल ने जून, 1925 को आरम्भ किया था प्रारम्भ में इसका स्व प साप्ताहिक था और यह स्वराज्य पाटा का पत्र था इसमें राजनीतिक एवं किसान सभा के विवरण प्रकाशित होते थे कालान्तर में यह स्वतंत्रता सं ाम का संवाहक बना सरकार की निगाह इस पत्र पर लगी रहती थी इस विचारधारा के पो ाक अन्य पत्र थे नवयुग , भारतपुत्र , मातभूमि और ख र आदि सन् 1927 में निकलने वाले प्रमुख पत्रों के नाम ह सुधा , विवेक , भारतव ा , समय सुधा का प्रथम अंक अगस्त, 1927 में प्रकाशित हुआ था यह मासिक पत्रिका थी सम्पादक थे पंडित पनारायण पाण्डेय और दुलारेलाल भार्गव यह मुख्यतः साहित्यिक पत्रिका थी, पर राजनीतिक, सामाजिक आदि वि ायों पर भी लेख पते थे सुधा के प्रत्येक महीने के अंक में व्यंग्य-चित्रावली अवश्य रहती थी इनके वि ाय कभी सामाजिक, कभी साहित्यिक एवं कभी धार्मिक और कभी संस्कति से संबंधित होते थे यह पत्रिका राजनीति के प्रति कितनी जाग क थी, इसका पता उसके कार्टून विशे ांक का अवलोकन करने से पता चलता है वैसे तो इस विशे ांक में लेख, कहानी, कविता एवं हास्य-व्यंग्य पर साम ी पर्याप्त प से थी, फिर भी कार्टूनों (व्यंग्य चित्रों) की अधिकता ने इस अंक को कार्टून विशे ांक बना दिया रा ीय भावधारा का प्रबल समर्थक साप्ताहिक समय का प्रकाशन जौनपुर से बाबू रामे ार प्रसाद सिंह के सम्पादकत्व में 25 अक्टूबर, 1927 को हुआ था समय एक प्रगतिशील राजनीतिक विचारों का संवाहक पत्र था

सन् 1928 में पत्रकारिता के प्रकाशन में एक नया निखार आया, जिसके नाते प्रदेश के विभिन्न अंचल से अनेक उत्क पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ इसी व ा लीडर प्रेस प्रयागराज से भारत (साप्ताहिक), बलिया से बलिया गजट , उरई से लोकमत , इटावा से सुधाकर , मीरजापुर से माधव और झाँसी से धार्मिक पत्र अहिंसा का प्रकाशन हुआ था काव्य पत्रिका सुकवि का प्रकाशन भी इसी व ा अप्रैल 1928 में शु हुआ पत्रिका में उच्च कोटि के कवियों की कविताएँ प्रकाशित होती था कु दिनों बाद सुकवि स्वतंत्रता सं ाम के परिप्रेक्ष्य में रा वादी एवं स्वतंत्रता प्रेमियों का मंच बन गया इसमें उ ा कविताओं का प्रकाशन होता था वैसे

तो सुकवि पूर्ण काव्य पत्रिका थी, पर तत्कालीन पत्रिकाओं ने अपने समय की आवश्यकता के अनु प अनेक वि ायों से संबंधित साम ी प्रकाशित की साप्ताहिक मजदूर का प्रकाशन व ा 1928 ही है सम्पादक थे गणेश शंकर वि ााथा यह साम्यवादी विचारों से प्रभावित पत्र था इसी व ा झाँसी से क्रान्तिकारी का प्रकाशन हुआ सम्पादक क ण गोपाल शर्मा के प्रकाशित निम्न विचारों से पत्र का रुझान समझ में आ जाता है हम क्रान्तिकारी ह हम क्रान्ति की शपथ ले चुके ह अब हम वि ा में एक नयी आग को दहकायेंगे हम अन्याय के शासन को उखाड़ फेकेंगे और पाप की नौका को समुद्र में डुबा देंगे भाइयों जागो बहुत सो चुके आलस्य ोड़ो और हमारे झण्डे के नीचे आओ विरोधियों ध्यान रहे, हमारे सामने मत आओ, हमारे मार्ग में व्यवधान मत बनो हिन्दी पत्रकारिता के विकास की ि से सन् 1929 का व ा और भी अनुकूल माना गया इस व ा प्रकाशित होने वाले पत्र ह कां ास समाचार (प्रयागराज), खिचड़ी समाचार एवं लहरी (काशी), मासिक माया (प्रयागराज), मतवाला (मिर्जापुर), समय (जौनपुर), संसार (बलिया), सुदर्शन (एटा) और श्रीक ण संदेश (काशी) आदि सन् 1930 में हंस (काशी), सत्या ाह समाचार (प्रयागराज), भवि य (प्रयागराज) और साइक्लोस्टाइल क्रान्तिकारी पत्रों में रणभेरी (बनारस), रणडंका , रणचण्डी , बहि कार , चण्डिका , ज्वालामुखी , चिनगारी , तूफान , शंखनाद आदि का प्रकाशन हुआ

हंस का सम्पादन मार्च, 1930 में बनारस से लोकमानस को परखने वाले कथाकार प्रेमचन्द के सम्पादकत्व में हुआ इसके सम्पादकों में श्रीमती शिवरानी देवी, जैनेन्द्र कुमार और श्रीपत राय प्रमुख थे हंस का जन्म भी स्वाधीनता के उ ेश्य से प्रेरित था इस पत्रिका के तीन विशे ांक आत्मकथांक , काशी अंक और आचार्य ि वेदी अभिनन्दनांक अपने में एक से बढ़कर एक ह इसके रेखाचित्रांक , स्वदेशांक नामक दो विशे ांक और प्रकाशित हुए हंस अपने प्रारम्भिक दो दशकों तक निकलती रही तदोपरान्त बंद होने पर फिर 1985 से बराबर निकल रही है सत्या ाह समाचार का प्रकाशन मार्च-अप्रैल 1930 में इलाहाबाद से हुआ था सत्या ाह कमेटी, प्रयागराज का यह दैनिक पत्र था सम्पादक श्री बैजनाथ कपूर थे ये कानून के विशे ा ा थे पत्र की साप्ताहिक प्रसार संख्या 1500 थी इसकी अधिसंख्य प्रतियाँ ामीण अंचलों में प्रसारित होती था इसका मुख्य उ ेश्य सस्ते मूल्य पर गाँवों में सविनय अव ाा आन्दोलन के समाचारों को प्रसारित करना और कां ास की गतिविधियों के प्रति जनसमर्थन जुटाना था

इसी व ा साप्ताहिक भवि य का प्रकाशन प्रयागराज से श्री रामरख सिंह सहगल के सम्पादकत्व में हुआ पत्र प्रकाशन का उ ेश्य स्वतंत्रता सं ााम के युद्ध में आहुति देना था सन् 1930 में ही प्रेस आर्डिनेन्स के परिणामस्व प सभी हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन स्थगित हो गया था उस समय प्रदेश के विभिन्न अंचलों से जनता को देश-दशा से अवगत रखने एवं प्रेरणा देने के लिए भूमिगत पत्रकारिता प्रारम्भ की गई 1930 में जमानत माँगे जाने के फलस्व प आज और सत्या ाह समाचार नाम से निकले तो, पर ये साइक्लोस्टाइल प में थे प्रान्तीय सरकार ने साइक्लोस्टाइल सत्या ाह समाचार से भी 9 जून 1930 को 2,000 रुपये की जमानत माँगी बाद में इस तरह के साइक्लोस्टाइल पत्रों से भी संबंधित एक और प्रेस अध्यादेश की ाो ाणा की गयी इसके अनुसार सरकारी अधिकारियों को तलाशी, पत्र-पत्रिकाओं की जब्ती, उन्हें न करने और अ ाोि त ापाखानों को जब्त करने आदि का भी अधिकार प्रदान किया गया साइक्लोस्टाइल पत्रों में सर्वाधिक मह व रणभेरी का है रणभेरी का समस्त मैटर पराड़कर जी लिखते थे दाम एक पैसा था इसके संचालन एवं लेखन मंडल में रामचन्द्र वर्मा, विश्वनाथ शर्मा, दुर्गा प्रसाद खत्री, दिनेश द ा झा, उमाशंकर, आचार्य नरेन्द्र देव और कालिका प्रसाद तथा अन्य प से सम्बद्ध कई लोग थे रणभेरी पत्र और उसके उपकरण का पता लगाने के लिए पुलिस ने एड़ी-चोटी का पसीना एक कर दिया था, परन्तु उसे सफलता नहा मिली बनारस से ही रणडंका का भी प्रकाशन हुआ था इसके सम्पादक एक सैनिक थे

चिनगारी पत्र ने भी युवकों का आ ान किया था समर की रणभेरी बज रही है वीर सैनिक तिरंगा रा ीय झंडा लिए हुए युद्ध क्षेत्र में वीरतापूर्वक बढ़ रहे ह भारत के नवयुवकों को यह नि ाय करना है कि युद्ध

क्षेत्र में उनका स्थान कहाँ है और उस स्थान पर डट जाना है इसलिए प्रश्न है कि भारत माँ का बंधन कौन काटेगा कौन रोती माँ के आँसू पो ेगा इस प्रकार स्वतंत्रता आन्दोलन में इन साइक्लोस्टाइल पत्रों का योगदान अविस्मरणीय है स्वतंत्रता प्राप्ति की अदम्य लालसा ने उ ार प्रदेश के हिन्दी पत्रों को क सहन करने की अद्‌भुत शा ि और साहस प्रदान कर दिया था, जिसके नाते सन् 1932 में उ ार प्रदेश से 11 पत्रों का प्रकाशन हुआ आदर्श (खीरी), आदेश (आगरा), जागरण (बनारस), जा ाति (गोरखपुर), कुमार (कालाकांकर), अवध (प्रतापगढ़), प्रताप दैनिक (कानपुर), संदेश (मेरठ), त्रिशूल (कानपुर), वीरभूमि (झाँसी) और वोटर (कानपुर) इसमें पाक्षिक एवं साप्ताहिक जागरण का विशे ा मह व है पाक्षिक जागरण का प्रकाशन 11 फरवरी सन् 1932 को हुआ सम्पादक थे आचार्य शिवपूजन सहाय इसके मुखप पर साहित्यिक-पाक्षिक पत्र लिखा होता था पाक्षिक जागरण एक व ा निकलने के बाद साप्ताहिक प में प्रेमचन्द के सम्पादकत्व में निकला पत्र का प्रकाशन स्थल काशी था साप्ताहिक जागरण का प्रथम अंक 22 अगस्त, 1932 को निकला राजनीतिक विचारों के प्रकाशन के लिए इसमें कहानियाँ प्रकाशित होती था 26 अक्टूबर, 1932 के अंक में उसका अंत शी ाक क्रांतिकारी कहानी प्रकाशन के कारण जागरण से भी जमानत माँगी गयी इस व ा हिन्दी के 24 पत्रों का प्रकाशन हमेशा के लिए बंद हो गया जागरण साप्ताहिक भी अधिक दिनों तक नहा चल सका 21 मई, 1934 को वह हमेशा के लिए बन्द हो गया जागरण अपने दोनों पों में शुद्ध साहित्यिक पत्र था

सन् 1933 में उ ार प्रदेश से 31 नयी पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ इनमें प्रमुख ह अभिनव (कानपुर), अधिकार (लखनऊ), आशा (अलीगढ़), विशनोई समाचार (बिजनौर), बुन्देलखण्ड केशरी , दलितोदय (कानपुर), हिन्दू (कानपुर), जन्मभूमि (इटावा), क्षत्रिय सेवक (आगरा), क्षत्रिय वीर (आगरा), मदारी (प्रयागराज), मातभूमि (झाँसी), मिलन (बुलन्दशहर), निभाक (हरदोई), नि काम (मेरठ), पालीवाल एवं प्रभात (अलीगढ़), प्रभात (बलिया), राजपूत (आगरा), स्वदेशी (प्रयागराज), तपोभूमि (मेरठ), विकास (सहारनपुर), विश्वबंधु (सहारनपुर), विश्ववाणी (शाहजहाँपुर) आदि हिन्दी पत्रकारिता के विकास की ि से अत्यधिक मह वपूर्ण व ा 1936-37 है इस व ा 41 पत्रों का प्रकाशन हुआ, जिनमें प्रमुख ह आजकल (प्रयागराज), आलोक (सहारनपुर), बिगुल (लखनऊ), चन्द (सहारनपुर), दिग्विजय (इटावा), दूत (प्रयागराज), ाामसेवक (खीरी), हिन्दी मिलाप (बाराबंकी), जीवन (आगरा), कर्मधर्म (झाँसी), किसान बंधु (गोरखपुर), नई दुनिया (आगरा), अवधवासी (बाराबंकी), प्रभाकर (आगरा), प्रभात (मेरठ), प्रेमसुधा (आगरा), पंच (प्रयागराज), रोटी (बिजनौर), सत्यव ा (झाँसी), शंकर (गोरखपुर), स्वतंत्र (प्रयागराज), उदय (कानपुर), उत्थान (प्रयागराज), वसुंधरा (बनारस), विजय (लखनऊ) आदि मह वपूर्ण पत्र-पत्रिकाएँ ह सन् 1937 ई. में उ ार प्रदेश से हिन्दी के अनेक पत्रों का प्रकाशन हुआ, जिनमें दरबार (प्रयागराज), दर्शक (उरई), ााम संदेश (रायबरेली), सं ााम (उन्नाव), सं ा ा (लखनऊ), शंखनाद (कानपुर), विश्वबन्धु (सुलतानपुर) एवं विश्वास (सहारनपुर) आदि पत्र-पत्रिकाएँ उल्लेखनीय ह ये सभी पत्र कां ास नीति के समर्थक थे

1938 में उ ार प्रदेश के विभिन्न अंचलों से अत्यधिक मह वपूर्ण पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ इसी व ा दैनिक आज का साप्ताहिक प 18 जुलाई, 1938 से श्री मुकुन्दीलाल श्रीवास्तव के सम्पादकत्व में प्रकाशन शु हुआ साप्ताहिक आज उस समय का सर्वश्रे साप्ताहिक पत्र था, जिसमें अनेक मह वपूर्ण वि ायों पर लेख होते थे विदेशी समाचारों से सम्बन्धित दो नेताओं या प्रसिद्ध व्य ियों के चित्र होते थे व्यंग्य चित्रों का प्रकाशन भी होता था इस व ा का दूसरा साप्ताहिक पत्र देशभ ि प्रयाग से श्रीनाथ सिंह के सम्पादकत्व में निकला पत्र के प्रथम अंक में पत्र की नीति का निर्धारण करते हुए लिखा गया इसमें संसार के समाचारों का सार, विचारों का निचोड़ और व्य ियों आदि की चर्चा के साथ-साथ भारत के रा ीय और प्रगतिशील जीवन की झाँकी रहेगी पत्र के प्रमुख विशे ाांक ह किसान अंक , कां ास अंक , साक्षरता अंक प्रयागराज से

इसी वर्ा प्रकाशित होने वाले अन्य पत्र ह पंच , विजय , न्याय इस वर्ा अधिकार साप्ताहिक का प्रकाशन फतेहगढ़ से हुआ इसके मुखप पर तिलक का उद् ोा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है मुद्रित होता था यह किसानों और मजदूरों की पत्रिका थी, जिसमें क्रान्तिकारियों के चित्र तथा उन पर विशे ा साम ी का प्रकाशन होता था विप्लव पत्रिका का प्रकाशन भी इसी वर्ा हुआ यह लखनऊ से प्रसिद्ध क्रान्तिकारी यशपाल के सम्पादकत्व में निकली यह अति उ ा विचारों की राजनीतिक पत्रिका थी, जिसके मुखप पर तुम करो शांति-समता प्रसार, विप्लव का अपना अनल गान नीति वाक्य पता था पत्र का चन्द्रशेखर आजाद अंक , जो क्रांति गाथाओं से परिपूर्ण था, निःसंदेह सं ाहणीय है इसका प्रकाशन अप्रैल 1940 तक होता रहा

सन् 1939 में कर्मयोगी का प्रकाशन प्रयागराज से रामरख सहगल के सम्पादकत्व में हुआ यह मासिक पत्र था साप्ताहिक वीरभारत का प्रकाशन बस्ती से हुआ इसमें रा ीय विचारों के लेख एवं कविताएँ प्रकाशित होती ह मुखप पर आवो प्यारे वीरों आवो, मातभूमि पर बलि-बलि जावो शी कि पं िियाँ पत्र की रा ीय भावना की परिचायक ह इस वर्ा के अन्य पत्रों में कमला , अ ागामी , मेरठ टाइम्स (मेरठ), नवसंदेश (आगरा), चकल्लस (लखनऊ), हलचल (गोण्डा), प्रकाश (लखनऊ), ताजा तार (आगरा), सत्यप्रकाश (काशी) आदि मह वपूर्ण ह सन् 1940 में अनेक हिन्दी पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित हुइ इन पत्रिकाओं में प्रमुख ह सिद्धांत (काशी), अ ागामी (सीतापुर), चातक (प्रतापगढ़), स्वदेश (अलीगढ़), जीवन (सहारनपुर), सूत्रधार (सीतापुर), आनन्द (उरई), अखंड ज्योति (आगरा), मेल (काशी) और विप्लवी टैक्ट (लखनऊ) आदि सूत्रधार साप्ताहिक रा ीय विचारों का पत्र था मेले दैनिक पत्र 14 मई, 1940 को काशी से निकला इसके सम्पादक महावीर प्रसाद गहमरी थे इसका प्रकाशन केवल एक माह हुआ था काशी समाचार (काशी), अमत (लखनऊ), नवीन भारत (एटा) और संदेश (आगरा) का प्रकाशन सन् 1941 में हुआ इस युग की हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं का इतिहास स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास की गहराई से जुड़ा हुआ है उ ार प्रदेश की हिन्दी पत्रकारिता ने स्वतंत्रता आन्दोलन के दौर में जनमत का निर्माण कर जनता की आकांक्षाओं को उजागर करने में महान योगदान किया इस आन्दोलन में पत्रों ने एक जाग क सैनिक की भूमिका निभायी पत्र-पत्रिकाओं ने दिशा-निदशन के साथ-साथ जनचेतना को भी झंकत किया साहित्य की नवीन विधाओं की स्थापना भी इन पत्रिकाओं ने की

वातन्यो ार य ा (4 ो आ ा तक)

स्वतंत्रता के बाद केवल सामाजिक परिवेश ही नहा बदला, बल्कि लोक कर्तव्यों और अधिकारों का नवीन दिशा बोध भी हुआ इस समय देश के सामने रा -निर्माण का महान कार्य उपस्थित हुआ इस कार्य को सफल बनाने के लिए जनमत-निर्माण आवश्यक था परिणामतः सबसे अधिक भार पत्रकारों पर आया रा जीवन के सभी अंगों के विकास में समुचित सहायता प्रदान करना पत्रकारों का दायित्व बन गया इससे पत्र-पत्रिकाओं की संख्या में और उनकी प्रसार संख्या में आशातीत वद्धि हुई उ ार प्रदेश की हिन्दी पत्रकारिता के परिप्रेक्ष्य में देखने से पता चलता है कि यहाँ के दैनिक पत्रों ने पत्रकारिता के विकास में एक मह वपूर्ण भूमिका अदा की वैसे तो आजादी से पहले निकलने वाले पत्रों में आज का एक प्रमुख स्थान है यह 1920 से लेकर आज तक हिन्दी पत्रकारिता की श्रीवद्धि कर रहा है 1947 से लेकर अब तक जिन प्रति ि त हिन्दी दैनिक पत्रों का प्रकाशन उ ार प्रदेश से हो रहा है या हुआ है वे ह आज , भारत, सैनिक, जनवाणी, श्री इण्डिया, अमर उजाला, मयरा , स ाा सुधार, प्रभात, हिन्द, चिंगारी, विश्व परिवार, स्वतंत्र भारत , दैनिक जागरण , नवजीवन , स्वदेश, तरुण भारत, नवभारत टाइम्स , रा ीय सहारा , हिन्दुस्तान , अमत प्रभात , जनस ाा , जनस ाा-एक्सप्रेस , वायस आफ लखनऊ , गाण्डीव , 'भास्कर', जनमोर्चा , रा ीय स्व प तथा अन्य अनेक अखबार इनके अतिरि ि सांध्य दैनिकों की भी संख्या काफी है

उ ार प्रदेश में साहित्य तथा पत्रकारिता के एक बड़े हिस्से के आधार भी धर्म और अध्यात्म रहे ह, जिनसे पुरातन भारतीय सांस्कतिक चेतना के प्रसार में मदद मिली प्रदेश की पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन का उ ेश्य रा ीय चेतना को जा ात करना था कल्याण तथा अखण्ड ज्योति का प्रकाशन धार्मिक साहित्य के क्षेत्र

में बेजोड़ ाटना है कल्याण का प्रथम अंक अगस्त 1926 में बम्बई (मुम्बई) से प्रकाशित हुआ था इसका पहला विशे ांक श्री भगवन्नामांक में महात्मा गांधी का राम-नाम की मह ा पर सारगर्भित लेख पा था कल्याण ने लागत से भी कम मूल्य पर हिन्दू संस्कति अंक, गोअंक, तीथाक, संत अंक, भ ऻ चरितांक तथा विभिन्न पुराणों का विशे ांक प में प्रकाशन कर धर्म तथा अध्यात्म के क्षेत्र में जो सेवा की, उसे भुलाया नहा जा सकता कल्याण ने 70 से अधिक विशे ांक प्रकाशित किए ह हनुमान प्रसाद पो ार, चिम्मनलाल गोस्वामी तथा स्वामी रामसुख दास जी जैसी विभूतियों ने कल्याण का सम्पादन किया स्वतंत्रता के बाद प्रकाशित धार्मिक पत्र ह भ ऻ भारत (वन्दावन), भैरवी (काशी), श्री अमर भारती (आगरा), श्रीक ण संदेश (मथुरा-1965), अध्यात्म ज्योति (कानपुर-1966), भागवत पत्रिका (मथुरा), भगवत दर्शन (वन्दावन), धर्मदूत (पिलखुवा-1982), आचार्य (बरेली), श्री शंकराचार्य संदेश (प्रयाग), मानस हंस (हाथरस) आदि अखण्ड ज्योति का प्रकाशन शान्ति कुंज, मथुरा से होता रहा है ये सभी धाामक पत्र-पत्रिकाएँ अपने आप में एक संस्था ह कई तो अब सम्बद्ध संस्थान की पत्र-पत्रिकाएँ ह संस्थानों की अपनी अलग भूमिकाएँ ह

मानव के लिए सबसे आवश्यक है स्वास्थ्य इस क्षेत्र में दिन-प्रतिदिन नये-नये अनुसंधान हो रहे ह इसकी जानकारी हेतु अनेक पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन हो रहा है उ ार प्रदेश से निकलने वाले प्रमुख पत्र ह आरोग्य (गोरखपुर-1957), आयुवद संदेश (लखनऊ-1967), आपका स्वास्थ्य (वाराणसी-1987), प्राकतिक जीवन (लखनऊ-1991) और धनवंतरी (अलीगढ़-1988) आदि उ ोग में नित नये-नये उ ोग धंधों का आवि कार हो रहा है पर, उ ार प्रदेश में हिन्दी भा ा के माध्यम से कु ही पत्रिकाएँ निकल रही ह अलीगढ़ उ ोग समाचार (अलीगढ़), व्यापार संदेश और उ ोग विकास (गाजियाबाद-1993) आदि अमर उजाला समूह ने हिन्दी का सर्वप्रथम वहद प में आर्थिक दैनिक अखबार अमर उजाला कारोबार निकाला इन दिनों समूह ने इसके प्रकाशन को स्थगित कर रखा है समय को देखते हुए इस क्षेत्र में अनेक पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जा सकता है बाल पत्रकारिता के इतिहास में सबसे मह वपूर्ण योगदान उ ार प्रदेश का ही है, क्योंकि सर्वप्रथम बाल पत्र सन् 1882 में प्रयागराज से प्रकाशित बाल दर्पण मासिक था भारतेन्दु युग का पत्र बच्चों के लिए एक नवीन प्रयोग था 1891 में लखनऊ से बाल हितकारक मासिक निकला था इलाहाबाद से ही फिर 1902 में आर्य बाल हितै ी पत्र प्रकाशित हुआ स्वतंत्रता के बाद उ ार प्रदेश से अनेक बाल पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ है जिनमें प्रमुख ह लल्ला (प्रयागराज-1948), जीवन शिक्षा (वाराणसी-1957), राजा बेटा (वाराणसी-1958), बेसिक शिक्षा (सहारनपुर-1959), वि ान लोक (आगरा-1960), ान भारती (लखनऊ-1962), शिशु बंधुर (लखनऊ-1966), मनमोहन (प्रयागराज-1967), बच्चों की पुकार (लखीमपुर खीरी-1968), चमाचम (लखनऊ-1972), बालरुचि (लखनऊ-1975), बालदर्शन (कानपुर-1975), चिल्डन टाइम्स (लखनऊ-1981), नन्हा मुस्कान (कानपुर-1981), बालनगर (प्रयागराज-1982), लल्लू जगधर (लखनऊ-1982), अच े भइया (प्रयागराज-1986) आदि

स्वतंत्रता से पूर्व क ि को केवल पेट भरने का एक साधन माना जाता था, पर आज क ि कार्य प्रत्येक देश में सवा ाम माना जाता है उ ार प्रदेश में क ि उत्थान के लिए अनेक वि ावि ालयों की स्थापना की गयी है इन वि ावि ालयों में नित नये शोध कार्य किये जा रहे ह इन शोध काया के वि ाय में जनमानस को जानकारी देने के लिए अनेक पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन भी हो रहा है क ि और ामीण पत्रकारिता के क्षेत्र में अभी भी कोई संतो ाजनक कार्य नहा हुआ है स्वतंत्रता के बाद क ि पत्रों में प्रमुख ह क ि सेतु (सुल्तानपुर-1978), खेती किसानी (अयोध्या-1972), किसानोत्थान (लखनऊ-1972), गाँव की बात (कानपुर-1991), देहाती (आजमगढ़-1933) और क ाक क्रांति (मेरठ-1994) आदि सन् 1947 के बाद राजनीति के वि ाय को लेकर बहुत सारी पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ उ ार प्रदेश से 1947 में रा धर्म लखनऊ मासिक का प्रकाशन शु हुआ इसके प्रथम संपादक थे अटल बिहारी वाजपेयी (पूर्व प्रधानमंत्री), माया (प्रयागराज), विकास (सहारनपुर), नया

जीवन (सहारनपुर), रा धर्म , पा ाजन्य (लखनऊ), अवकाश (वाराणसी), उ.प्र. संदेश , जन (अयोध्या), उ ार प्रदेश (मासिक) दायित्वबोध (लखनऊ) आदि रा धर्म के युगान्तर, रा रक्षा, हम सबके अटल जी, नमामि गंगे, महापर्व कुम्भ विशे ांक मह वपूर्ण ह सांस्कतिक पत्रकारिता ारा संस्कति की रक्षा एवं उसका प्रचार-प्रसार किया जाता है उ.प्र. की संस्कति और उसकी सांस्कतिक पत्रकारिता दोनों ही अपने-आप में बेजोड़ ह इन पत्रिकाओं में प्रमुख ह नीहारिका (आगरा-1962), साथी (मुरादाबाद-1960), संगीत (हाथरस) गीत संगीत (प्रयागराज-1987), पुराकल्प (वाराणसी-1992), मालिनी (प्रयाग-1995), संस्कति (लखनऊ-1995), समकालीन जनमत (प्रयागराज, 2002) 'कलादीर्घा' (लखनऊ 2000) और कला वसुधा (लखनऊ) आदि साहित्यिक पत्रकारिता ने एक विधा के प में अपना अस्तित्व बना रखा है, इसलिए ऐसे पत्रों का एक संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है गुरु जासूस (प्रयागराज), ीसूलाल (झाँसी), ुटाला (झाँसी), ोटाला (आगरा), उखाड-प ाड़ (मथुरा), क्या कहाँ (अलीगढ़), काक ि (कानपुर), खुल्लमखुल्ला (गाजीपुर), चर्चिका (हरदोई), जीजी (जालौन), जागो और जगाओ (बुलन्दशहर), झकझक (मेरठ), झुनझुना (आगरा), टहलमहल (कानपुर), डरो मत (हाथरस), फक्कड़ (कानपुर), बम बम (कानपुर), भड़ते (मथुरा), लतियाव (रामपुर), लाल बुझक्कड़ (बलिया), भ भूत (हरदोई), आफतमेला (अलीगढ़), अट्टहास (लखनऊ) आदि पत्रों ने स्थानीय नागरिकों का मनोरंजन किया इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि उ.प्र. की हास्य-व्यंग्य पत्रकारिता अपने ढंग की निराली है

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पत्रिकाओं की संख्या में निरंतर अभिवद्धि होती गयी ल ु पत्रकारिता आन्दोलन भी इसी समय आया साहित्य की विधि-विधाओं को मंडित करने में कथा (मार्कण्डेय, प्रयागराज), कथानक (सुनील, कानपुर), कथा दशक (सतीश जमाली, प्रयागराज), जन संस्कति (अवधेश प्रधान, वाराणसी), कहानीकार (कमलगुप्त, वाराणसी), नयी रचना (मदन मोहन, गोरखपुर), प्रयोजन (वीरेन्द्र यादव, लखनऊ), वर्तमान साहित्य (विभूति नारायण राय, गाजियाबाद), दस्तावेज (डा. वि ानाथ प्रसाद तिवारी, गोरखपुर), जनपक्ष (शैलेश मटियानी, प्रयागराज), सम्पर्क (रामस्व प ि वेदी, प्रयागराज), प्रति ा प्रतीक (डा. सावित्री मिश्र, प्रयागराज), तेजस्वी (बालक ण पाण्डेय, प्रयागराज), अतएव (राज्य कर्मचारी हिन्दी संस्थान, लखनऊ), तद्भव (अखिलेश, लखनऊ) कथ्य प (अनिल श्रीवास्तव, प्रयागराज), नूतन कहानियां (सुरेन्द्र अग्निहोत्री, प्रयागराज) नि कर् (गिरीश चन्द्र श्रीवास्तव, गोरखपुर), समकालीन दस्तावेज (प्रशांत कुमार, लखनऊ), साखी (केदारनाथ सिंह, गोरखपुर), कुंदनशील (सतीश राज पु करणा, मेरठ), समकालीन तीसरी दुनिया (आनंद स्वरूप वर्मा, नोएडा, गाजियाबाद), कथाक्रम (शैलेन्द्र सागर, लखनऊ), समकालीन एकलव्य (लखनऊ), समकालीन सोच (गाजीपुर), संदर्श (शाहजहाँपुर), कथासमवेत (शोभानाथ शुक्ल, सुलतानपुर), (सरवर हसन, गाजियाबाद), अन्त ि (विनोददास), प्रिय संपादक (उग्रनाथ नागरिक, लखनऊ), नागरिक उत्तर प्रदेश (लखनऊ), सामधेनी (राज बहादुर विकल, शाहजहाँपुर), रचना संवाद (पंकज मिश्र, शाहजहाँपुर) पत्रकार सदन (अफ़ज़ाल अंसारी, लखनऊ), विश्व पत्रकार सदन (आबिद हुसैन, मुख्य संपादक-योगीन्द्र द्विवेदी लखनऊ), दलित एशिया, ड्डे (सुरेश पंजक, लखनऊ), अकार (गिरिराज किशोर, कानपुर), परिवेश (मूलचंद गौतम, मुरादाबाद), भारतीय लेखक (भीमसेन त्यागी, नोएडा), अभिनव कदम (जयप्रकाश धूमकेतु, मऊनाथ भंजन), परख (कृष्ण मोहन, प्रतापगढ़), उन्नयन (श्री प्रकाश मिश्र, प्रयागराज), आशय, (बी. के. सोनकिया, लखनऊ), थाती (यतीन्द्र मिश्र, अयोध्या), कल के लिए (डॉ. जयनारायण, बहराइच), नया मानदण्ड (वाराणसी), उज्ज्वल ध्रुवतारा (जी.पी. मिश्र, कानपुर) आदि पत्रिकाओं का प्रकाशन हो रहा है इन पत्रिकाओं के अतिरि त कु और साहित्यिक पत्रिकाएँ भी प्रकाशित हुई ह या हो रही ह

इस विवरण व विवेचना से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में विभिन्न रुचि, योग्यता, उद्देश्य आदि से प्रेरित होकर प्रज्ञा क्षेत्र के विभिन्न व्यक्तित्व अपनी पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन से हिन्दी पत्रकारिता के विविध आयाम प्रस्तुत कर रहे हैं। इनके अतिरिक्त सैकड़ों दैनिक व साप्ताहिक पत्र अपने जिलावार व क्षेत्रवार विभिन्न संस्करण प्रकाशित कर उत्तर प्रदेश की हिन्दी पत्रकारिता को कस्बाई, स्थानीय व राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान कर रहे हैं।

पत्रकारिता से सम्बद्ध दैनिकों, साप्ताहिकों के विविध प्रयोग व समय-समय पर बढ़ते संस्करण इस बात की ओर इशारा करते हैं कि पत्रकारिता के क्षेत्र में धन का काफी लाभ है तथा सरकार और जनता (पाठक वर्ग) दोनों ही इस लाभ में सकरात्मक भूमिका का निर्वाह करते हैं। सरकार पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए हर प्रकार की आर्थिक मदद देने का प्रयास करती रहती है पर अब बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के विज्ञापन ज्यादा आकर्षण का केन्द्र व उद्यम हैं।

आज के समय में जब संचार क्रान्ति का बिगुल भारत में भी बजने लगा है, तब केवल अख़बारों, पत्र-पत्रिकाओं (प्रिन्ट मीडिया) पर चर्चा करने से ही पत्रकारिता पर बात पूरी नहा होती अब ज री है कि ब्राडकास्ट व विजुअल मीडिया का भी सामान्य-सा परिचय ले लिया जाय दरअसल अब मीडिया (पत्रकारिता) का क्षेत्र बड़ा और विविध हो गया है और उसके आयामों का विस्तार हुआ है अब तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि वि ापन के क्षेत्र में काम करने वाले भी अपने को मीडिया क्षेत्र का ही मानते ह पत्रकारिता, वि ापन व प्रसार विभाग अब एक दूसरे में हस्तक्षेप करते ह और पत्रकारिता की स्वीकत व प्रचलित परम्परा को अपने ढंग से आकार देने की कोशिश करते ह यही कारण है कि आज कई संस्थानों में ब्राण्ड मैनेजर्स की भूमिका काफी मह वपूर्ण हो गयी है सम्पादक क्रमशः मैनेजर के प में सगर्व तब्दील हो गये ह संचार क्रान्ति के इस युग में अब खबर संस्थानों में काम करने वालों के पदों के नाम बदल गये ह और सम्पादकों का अस्तित्व बदल गया है इसीलिए विजुअल मीडिया (श्य समाचार माध्यम) व ब्राडकास्टिंग मीडिया (श्रवण व उद् ो ाणा समाचार माध्यम) के बारे में भी दो-चार परिचयात्मक बातें कर लेना ज री लगता है

ब्राडकास्टिंग मीडिया यानी बोलचाल की भा ा में रेडियो की अवधारणा बिल्कुल दूसरी तरह की थी वह एक साथ समाचार, मनोरंजन, विविध प्रकार की जानकारियाँ देने का एक सम्पूर्ण माध्यम था, लेकिन उसे मीडिया का दर्जा प्राप्त नहा था जब से श्य माध्यमों (टी.वी.) के सम्पूर्ण खबरिया चैनलों ने अपने को ब्राडकास्टिंग यानी रेडियो (आकाशवाणी) की भूमिका में लाना शु किया है, तब से मीडिया को ब्राडकास्टिंग मीडिया का स्व प दिया जा रहा है टी.वी. के खबरिया चैनलों के कार्यक्रमों पर हम ध्यान दें, तो लगेगा हम एक तरह से रेडियो देख रहे ह (रेडियो सुन नहा रहे ह) यह परिवर्तन ही इस ओर ध्यान दिलाता है कि लखनऊ आकाशवाणी के अतिरि त प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर आदि तमाम केन्द्रों ने किस प्रकार रा ीय व स्थानीय समाचारों की ंखला तैयार कर और राजनीति तथा समाज के तमाम मु ों पर परिचर्चाएँ आयोजित कर पूरे उ ार प्रदेश में अपने ढंग से समाचारों व मु ों को पहुँचा रहे ह, साथ ही जब डाक तार विभाग की मदद से इसकी शुरुआत मुम्बई में द टाइम्स आफ इण्डिया ने शु करायी, तो केवल संगीत का ही बहुत सीमित क्षेत्रों में प्रसारण शु हो सका दूसरे वि ायुद्ध से पहले 1933 में एक बार इसका स्व प बदला, फिर दूसरे वि ायुद्ध के समय और 1947 के बाद स्वाधीनता मिलने पर और आज तो इसका स्व प, कार्यक्रम, विस्तार और प्रभाव सब कु बदल चुका है इस टि से इसने पत्रकारिता का बिल्कुल नया स्व प सामने लाकर रख दिया है यह पत्रकारिता का एक ऐसा माध्यम शु से ही रहा, जिसने चाहे यह जब निजी हाथों में था या फिर सरकार के हाथ में, इसने अपने चलाने वालों को लाभ-ही-लाभ पहुँचाया आज रेडियो (ब्राडकास्टिंग) पत्रकारिता का विस्तार सबसे ज्यादा है और सम्भवतः सरकार को वि ीय लाभ भी सबसे ज्यादा

य ाध्य ा का प ाकारिता (ा वा के ख ारिया ानल)

इस माध्यम की पत्रकारिता का विकास लगभग उसी तरह हुआ, जैसे रेडियो का हुआ बड़ा फर्क यह आया कि इस माध्यम ने सबसे तेजी से विकास किया और पूँजीवादी बाजार तथा भूमंडलीकरण के प्रयासों के कारण भारत सरकार ने दूरदर्शन के अलावा अनेकानेक पूँजीपतियों को निजी तौर पर अपने चैनल चलाने की ूट दे दी आज पूरा अंतरिक्ष विभिन्न सैटेलाइट, वेबसाइट से भरा हुआ है यह एक तरह से अंतरिक्ष खरीदने की होड़ का समय है तो इस माध्यम की पत्रकारिता भी इस होड़ से प्रभावित, संचालित होना स्वाभाविक है

भारत में टी.वी. की शुरुआत यूनेस्को के प्रयासों या कि दबावों से सितम्बर 1959 में हुई इसके पी े

फोर्ड फाउन्डेशन की मूल परिकल्पना थी शिक्षा के विस्तार के नाम पर यहाँ टी.वी. माध्यम की शुरुआत हुई टी.वी. क्लब बने जो इसके मूल-संचालक श ि थे बिरादरी पूँजीपतियों को भी सहयोग सरकार का था आज ये दोनों बिरादियाँ खुले तौर पर अपनी सफलता का जश्न मना रही ह

इस शुरुआत की सीमा थी, बहुत कम क्षेत्रों में टी.वी. की पहुँच हो पायी चूँकि यूनेस्को का प्रयास था और नेह का जमाना था इसलिए शिक्षा के व्यापक प्रसार के नाम पर टी.वी. कार्यक्रम स्कूलों से शु हुए फिर ामीण क्षेत्रों में ले जाने का और क ि-समस्याओं को बताने-समझाने का प्रयास हुआ सन् 1959 के बाद इसके कार्य क्षेत्र के पड़ाव सन् 1961, 1963, 1965, 1972, 1975, 1976, 1982, 1984 रहे

सीमित क्षेत्रों में सही पर 1965 से भारत में रेगुलर टी.वी. सावस (सेवा) दूरदर्शन के नाम से शु हुई 1972 में बम्बई टी.वी. स्थापित हुआ, 1973 में श्रीनगर, अमतसर, 1975 में लखनऊ, मद्रास व कलक ा टी.वी. के भारतीय इतिहास में 1976 इसलिए मह वपूर्ण है कि इस साल से टी.वी. पर कामाशयल (वि ापन) सेवा शु हुई और 15 अगस्त 1982 से नेशनल प्रो ाम आने शु हुए तथा टी.वी. रंगीन हुआ और कार्यक्रम भी

सन् 1984 भारत में टी.वी. सेवा का रजत जयन्ती व ा था इसी साल लोकसभा चुनाव होने वाला था सब कु का रंगीन प्रसारण मीडिया-लोक का एक रंगीन समय था सन् 1960 के दशक से लेकर 1980 के दशक तक अनेकानेक कमेटियों के सुझावों, बहसों, सेमिनारों आदि के बाद दूरदर्शन अपने नये कदम बढ़ा रहा था कहना चाहिए कि यूनेस्को की श्य-अ श्य जकड़बन्दी से मु ि हुआ, लेकिन इन पच्चीस व ा में सरकार, व्यापारियों, पूँजीपतियों तथा जनता को पता लग चुका था कि दूरदर्शन (टी.वी.) का प्रभाव व मह व क्या है गौर करें तो पता चलेगा कि दूरदर्शन तथा तमाम टी.वी. चैनलों का बड़ी तीव्र गति से सन् 1984 के बाद से ही विकास शु हुआ है

जिस तरह आकाशवाणी अपनी प्रारम्भिक अवस्था पार करते हुए आज एक नि ित स्व प ले चुका है और हर केन्द्र हर ंटे समाचार प्रसारण के साथ आकाशवाणी के रा ीय क्रम के अन्तर्गत के समाचारों के साथ स्थानीय समाचार, क ि समाचार, बातचीत, शिक्षा समाचार आदि देते आ रहे ह, उसी तरह दूरदर्शन ने भी समाचारों की अपनी ंखला बनायी है अब तो दूरदर्शन ने चौबीस ंटे समाचार देने वाले चैनल बना रखे ह (दूरदर्शन समाचार, डी.डी. न्यूज) इस कारण समाचार-संकलनकर्ताओं की एक बड़ी फौज दूरदर्शन ने तैयार की है, ठीक उसी तरह, जिस तरह आकाशवाणी ने किया है इस तरह दूरदर्शन ने समाचार-संकलन के लिए एक जाल बि ा रखा है यहाँ पत्रकारिता की गुणव ा की बात नहा की जा रही है, उसकी व्यापकता व कार्यविधि से परिचित हुआ जा रहा है प्रिन्ट मीडिया अभी फैक्स, इण्टरनेट के जरिये खबरें इक ा कर लेता है पर दूरदर्शन और तमाम टी.वी. के खबरिया चैनलों के पास ओबीसी वैन (आउटडोर ब्राडकास्टिंग वैन) जैसे समाचार संकलन उपकरण हे, जिनके ारा उनके पत्रकार (संवाददाता) खबरों और सम्बद्ध तस्वीरों से चैनल को अपडेट किये रहते ह

लखनऊ दूरदर्शन और अन्य स्थानों के टान्समिशन केन्द्रों ारा उ ार प्रदेश में श्य माध्यम से यहाँ की जनता को अन्तर्रा ीय, स्थानीय समाचार तो मिल ही रहे ह, इनके अतिरि ि विभिन्न ज्वलन्त मु ों पर बातचीत व बहसें भी मिल रही ह यानी समाचार और विचार (मनोरंजन आदि के अतिरि ि) दोनों ही लोगों को उपलब्ध हो रहे ह उनके विकास के कई कार्यक्रमों पर अभी विचार भी जारी है लोकसभा चैनल का अपना अलग मह व है

ऐसे सरकारी खबरिया चैनल या कार्यक्रमों के अतिरि ि निजी उद्योगपतियों के खबरिया चैनल आज बहुतायत से उपलब्ध ह, जो समाचार देने में हम आगे का हर समय दावा करते हुए ब्रोकग न्यूज दिखाते रहते ह ऐसे कु खबरिया चैनल ह एन.डी.टी.वी., सी.एन.एन., आई.बी.एन.-7, आज तक, एबीपी न्यूज,

जी.टी.वी. न्यूज,, इंडिया टी.वी., रा ीय सहारा, सहारा उ.प्र., ई.टी.वी., जनमत, जैन टी.वी., बी.बी.सी. न्यूज,, सी.एन.एन., स्टार वर्ल्ड, सी.एन.बी.सी., न्यूज़ नेशन, समाचार प्लस, न्यूज़ एक्सप्रेस इत्यादि इनके अतिरि ■ पूर्णतः खेल और व्यापार पर आधारित चैनल भी ह, जैसे ईएसपीएन, टेनस्पोर्ट्स आदि

वास्तव में टी.वी. चैनल पर खबरें देने का तरीका प्रिन्ट मीडिया की तुलना में दूसरी तरह का है खबरों का एक चंक बनता है जो कु ंटे लगातार वि ापनों के बीच-बीच में चलता रहता है यानी खबरें फिर वि ापन, फिर खबरें कुल मिलाकर वि ापनों और खबरों का प्रतिशत बराबर रहता है या वि ापनों का प्रतिशत ज्यादा टीवी संवाददाताओं की कलमें ह आमतौर पर फोन, ओबी वैन, अत्याधुनिक कैमरा आदि इनकी शब्दावली भी प्रिन्ट मीडिया से भिन्न है जैसे आउटपुट, इनपुट, रन डाउन, एसाइनमेंट, डेक, पैकेज, बाइट, वीओ, फोनो, टिकटैक, इनजस्ट इत्यादि पदों के नाम भी अलग ह जैसे असिस्टेंट प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर, एक्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, मैनेजिंग एडीटर, एंकर, एक्जीक्यूटिव एडीटर, सी.ई.ओ., डायरेक्टर (न्यूज़) इत्यादि गनीमत है कि अभी संवाददाता पद यहाँ पर बचा हुआ है और अधिकारियों के आगे एडीटर शब्द भी जुड़ा है वास्तविकता यह है कि अखबार संस्थान जब से पत्रकारों के लिए बनाये गये कानून के अन्तर्गत और पालेकर अवार्ड आदि की रिपोर्ट के अनुसार स्वीकत सम्पादकीय विभाग के पदनामों को अस्वीकार कर स्वतन्त्र वेतनमान, सेवा शत और सम्पादकीय कामयों के पदनाम अपने ढंग से नये प में लेकर आये उन्होंने नये पदनाम, वेतनमान व सेवाशत लागू का विजुअल मीडिया इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जिसने पत्रकारिता के सारे स्थापित मानक तोड़ दिये और बंधुआ पत्रकारों की एक नयी जमात पैदा की, जिसको हमेशा इस आशंका में जीना पड़ता है कि थकान उतारने या ार के बहुत ज री काम के लिए दो दिन भी लगातार ी लेनी पड़ी तो वह ब्लैक लिस्टेड हो जायेगा, उसका प्रमोशन, नौकरी सब कु दाँव पर इन कार्य स्थितियों का प्रभाव इन पत्रकारों के काम और स्वास्थ्य दोनों पर ही पड़ रहा है यानी विजुअल मीडिया जान हथेली पर रखवाकर काम करा रहा है इससे हो यह रहा है कि वास्तव में जिन आम जनों की जान हथेली पर है पत्रकार उनकी हकीकत बयान नहा कर पाते श्य मीडिया ये एक तरह से लीपापोती की पत्रकारिता के आदशा को निभाते हुए काम करने की अपार संभावनाएँ ह, खुले रास्ते ह पर लीपापोती में जो सुख और लाभ ह, वे हकीकत में जाने कहाँ ह इसलिए श्य मीडिया के बिल्कुल एक नये ढंग की पत्रकारिता के लिए आम लोगों को अभ्यस्त होना होगा, जिसकी शुरुआत हो गयी है इस तरह विजुअल मीडिया हमें एक और नये भूमंडलीकरण तथा नये बाजार की चकाचाध वाली पत्रकारिता में ले जा रहा है, इसीलिए पेज श्री का कान्सेप्ट पत्रकारिता में आया है, जहाँ कारपोरेट ारानों की पत्रकारिता है इस पत्रकारिता का विस्तार तेजी से हो रहा है। 'डी.डी. उत्तर प्रदेश', 'आज तक', 'न्यूज 18 इण्डिया', 'हिन्दी खबर', 'ए.एन. आई.', 'ए.बी.पी. न्यूज', 'ए.पी.एन. न्यूज चैनल', 'इण्डिया टी.वी.', 'इण्डिया वायस न्यूज चैनल', 'इण्डिया न्यूज चैनल', 'इनाडु टी.वी', 'आई.बी.सी.-24', 'ओ.के. इण्डिया न्यूज चैनल', 'एन.डी.टी.वी.', 'जी. न्यूज', 'सी.एन.एन.-न्यूज 18', 'के. न्यूज 24X7', 'गुलिस्तां टी.वी', 'न्यूज 24', 'न्यूज-1, इण्डिया', 'न्यूज एक्स टी.वी.', 'न्यूज इण्डिया 24X7', 'न्यूज एक्सप्रेस', 'न्यूज वर्ल्ड इण्डिया चैनल', 'टोटल टी.वी.', 'जे.के. न्यूज', 'टी.वी.-100', 'टाइम्स ग्लोबल ब्रॉडकास्टिंग', 'भारत समाचार न्यूज चैनल', 'सहारा इण्डिया टी.वी. नेटवर्क', 'समाचार प्लस', 'चैनल 1 न्यूज चैनल', 'साधना प्राइम न्यूज', 'नेशनल वायस', 'न्यूज नेशन न्यूज चैनल', 'रिपब्लिक टीवी', 'लाइव टुडे', 'साधना प्लस न्यूज', 'सुदर्शन टी.वी.', 'न्यूज वर्ल्ड' इत्यादि इसके प्रमाण के तौर पर हैं। अखबारों के ग्रामीण संस्करणों की तरह वे छोटे-छोटे शहरों-कस्बों तक में घुसकर खबरें निकाल लाते हैं, इसलिए वह पत्रकारिता के नये दर्शक भी बना रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश की छोटी-छोटी जगहों में घुसकर 21वीं शताब्दी के विज्ञान-विकसित समय की हकीकत देख सकते हैं।

यहाँ हर ख़बरिया चैनल के विवरण में जाने की जगह नहा है, केवल पत्रकारिता के बदलते चेहरे से परिचित होना है उ ार प्रदेश की नयी पत्रकारिता ऐसी है जो देश की पत्रकारिता की ही झलक पेश करती है भारत की सभी भा ाओं में विजुअल खबरिया चैनल का जाल फैला है ऐसा नहा है कि यह स्थिति केवल उ ार प्रदेश की है दरअसल अब बिल्कुल नयी पत्रकारिता का युग है चाहे वह किसी विधा में हो प्रिन्ट या इलेक्टानिक (रेडियो, टीवी)

नये ो ा (सोशल मीडिया)

सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के साथ इण्टरनेट सेवा आने पर भारत में डिजिटल प्लेट फार्म पर भी न्यूज चैनल शुरू हुए। जैसे-जैसे मीडिया-मनोरंजन-सूचना का डिजिटल प्लेटफार्म लोकप्रिय होता गया है इसकी संख्या में भारी बृद्धि हुई। डिजिटल समाचार पाठकों के अलावा यूट्यूबपॉडकास्ट नामक पर भी लोकप्रिय हुई है। फिल्में समाचारकम, समाचार-विश्लेषण जयादा हुआ करता है। इसके अलावा व्हाट्सप के जरिये संक्षिप्त खबरों से पत्रकारिता के नये युग में हम अपने को पाते हैं। सोशल मीडिया के नाम से इस नयी विधा को अब नयी पहचान मिली है जिसका जनमत निर्माण में बहुत बड़ा प्रभाव है। यूट्यूब पत्रकारिता में लखनऊ से मीडिया स्वराज और प्रयागराज से घूमता आइना बहुत प्रसिद्ध है।

ार ा ` ा ों ʻ प ाकारिता

हमारे सांस्कतिक इतिहास की यह अजब विडम्बना है कि उर्दू का पहला अख़बार जामे जहांनुमा उर्दू भा ा व साहित्य के किसी परम्परागत प्रति त केन्द्र अर्थात् लखनऊ, हैदराबाद या दिल्ली से नहा, बल्कि बांग्ला बहुल क्षेत्र कोलकाता से निकला यह ाटना मार्च 1822 ई. की है य ापि इन सभी जगहों पर प्रेस मौजूद थे यह बात दीगर है कि इसके संस्थापक-सम्पादक सदासुख लाल उ ार प्रदेश के जिला मीरजापुर के रहने वाले थे, जहाँ से बाद में कई अख़बार निकले, मुख्यतः नागरी लिपि में इस प्रकार अप्रत्यक्ष प से ही सही, भारतीय नवजागरण, स्वाधीनता आन्दोलन तथा विभिन्न सामाजिक-बौद्धिक आन्दोलनों में अ ाणी भूमिका निभाने वाली उर्दू पत्रकारिता की शुरुआत का श्रेय आज विराट हिन्दी क्षेत्र के प में बार-बार चर्चा में आने वाले उ ार प्रदेश को जाता है इसे संयोग कहिये या ईस्ट इण्डिया कम्पनी के दूरअंदेश अधिकारियों की सुनियोजित कोशिश कि हिन्दी का पहला नागरी लिपिधारी समाचार पत्र उदंत मार्तण्ड प्रथम उर्दू अखबार के चार साल बाद (मई 1826) कोलकाता से ही प्रकाशित हुआ इसके संस्थापक-संपादक पं. जुगल किशोर शुक्ल भी उ ार प्रदेश के कानपुर जिले के निवासी थे यानी उर्दू-हिन्दी दोनों के प्रथम प्रकाशन का श्रेय उ ार प्रदेश को ही है जामे जहांनुमा तो कलक ाा में था, लेकिन उसके कान लखनऊ की आहटों पर लगे रहते थे लखनऊ के समाचार उसमें प्रमुखता से पते थे

इसी प्रकार थोड़े अस बाद ही बम्बई और फिर पंजाब के पेरिस माने जाने वाले शहर लाहौर से प्रकाशित होने वाले क्रमशः दो और एक अख़बारों के सम्पादकों का सम्बन्ध भी उ ार प्रदेश से था यह भी इस प्रदेश के अवध क्षेत्र से खास तौर से बम्बई के अखबारे सिकन्दरी , यह था तो फ़ारसी का अख़बार, लेकिन उसमें कु प उर्दू के लिए मख़्सूस होते थे, लखनऊ की गतिविधियाँ उसमें प्रमुखता से जगह पाती था

उर्दू का पहला अखबार हैदराबाद, दिल्ली से या मुम्बई से अथवा लखनऊ से क्यों नहा निकला, यह उतना मह वपूर्ण नहा है जितना यह कि उर्दू पत्रकारिता की प्रस्थान यात्रा प्रतिरोध तथा जन सम्बद्धता की तीखी आँच में तपकर अस्तित्व में आयी थी वह ईस्ट इण्डिया कम्पनी की बर्बर लूट तथा दमन की क्रूरतापूर्ण कार्रवाइयों के ख़िलाफ जन भावनाओं का उ ोजक बयान बनकर उभरी थी वह अपनी सीमाओं में एक सांस्कतिक अभियान की तरह तो थी ही, स्वाधीनता के पक्ष में गुलामी के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया भी थी जामे जहांनुमा के बाद जिसकी सर्वाधिक मुखर नुमाइन्दगी उर्दू के पहले बाकायदा अख़बार दिल्ली उर्दू अखबार ने की, उसका प्रकाशन मई 1837 ई. से प्रारम्भ हुआ साहित्य के सामाजिक उ `श्य का प्रारम्भिक दौर दर्शा देने वाले विशि साहित्यकार मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वि ान पिता मौलवी मोहम्मद बाक़र इसके सम्पादक थे इस अखबार ने अपने स्व प से उ ार प्रदेश की उर्वर भूमि से भवि य में विकसित होने वाली उर्दू पत्रकारिता के लिए कु सिद्धान्त निर्धारित कर दिये थे यह अख़बार भी लखनऊ के ाटनाक्रम पर गहरी नजर

रखता था

इस अख़बार ने अवध के बारे में और भी खबरें ापा, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारनामा 1857 के महासं ाम में ज़ालिम अं ोज़ों के खिलाफ़ एक मुस्तक़िल मोर्चा खोल देना था इससे ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अधिकारी इतना क्षुब्ध हुए कि उन्होंने मौलवी मोहम्मद बाक़र को दिल्ली गेट में सरेआम फाँसी पर लटका दिया इस जुनूनी कत्य के पी े दिल्ली उर्दू अखबार के सम्पादक को अं ोज विरोध का दण्ड तो देना ही था, साथ ही उस काल में अं ोज़ों के अत्याचार का विरोध करने वाले अखबारों को आतंकित करना भी था, जो संभव नहा हो पाया मौलवी मोहम्मद बाक़र अभिव्य ि की आज़ादी के पहले शहीद थे उनके ारा चि ि त स्वतंत्रता एवं प्रतिरोध की दिशा ही उ ार प्रदेश में विकसित हुई और पत्रकारिता की विशि पहचान बनी इसमें सामाजिक एकता का पक्ष अवश्य बाद में बहुत मज़बूत हुआ इस आधार के निर्माण में उर्दू के पहले अख़बार जामे जहांनुमा की उन साहसपूर्ण अभिव्य ियों का उल्लेख भी आवश्यक है जो उसने मैसूर विजय के बाद लार्ड वेलेजली ारा प्रेस पर बोले गये हमले तथा देशी भा ाओं के नये अख़बारों के प्रकाशन पर लगायी गयी पाबन्दी के ख़िलाफ शब्दबद्ध की थी इस मु े पर अवध के सदासुख लाल तथा बंगाल के ब्र ासमाजी राजा राममोहन राय के एक स्वर थे भारत में फ़ारसी का पहला अखबार इन्हा ब्र ासमाजी महाशय राजा राममोहन राय ने निकाला था बाद में वह वाजिद अली शाह के दूत बनकर लन्दन भी गये थे अवध तथा देश के दूसरे हिस्सों से भी नये अखबार दिल्ली उर्दू अखबार के समान 1836 ई. में नये अखबारों के प्रकाशन पर लगी पाबन्दी हटने के बाद ही निकल सके इसमें कु योगदान जामे जहांनुमा का ज़ र है

उ ार प्रदेश से उर्दू का पहला अखबार सदरुल अखबार 1848 में आगरा कालेज के प्रोफेसर सीफेन्क ने आगरा से ही निकाला यह सहकारिता के आधार पर निकाला गया पहला अखबार था आगरा से ही 1847 में मुंशी क़मरु ीन ने नहले पर दहला मारते हुए असदुल अखबार साप्ताहिक पत्र निकाला, यह दोनों अखबार अवध के नवाब की गतिविधियों के समाचार प्रमुखता से ापते थे ि कोण में कु भिन्नता अवश्य थी

भा ा के मामले में हिन्दुस्तानी के प्रबल पक्षधर राजा शिव प्रसाद सितारे हिन्द ने बनारस अख़बार के नाम से नागरी लिपि में उर्दू का पहला अखबार निकालकर उर्दू पत्रकारिता को नयी दिशा दिखायी यह 1845 की ाटना है वर्तमान में जदीद मरकज़ लखनऊ इसी दिशा का पथिक है य ापि अनेक वि ान नागरी लिपि में होने के कारण बनारस अखबार को हिन्दी अखबार मानते ह बहरहाल 1850 में सुधाकर इसकी प्रतिक्रिया में ही निकला था

यहाँ यह उल्लेख करना अप्रासंगिक नहा होगा कि उर्दू-हिन्दी दोनों भा ाओं की पत्रकारिता को गहरे संकट के समय उन लोगों ने बहुत सहारा दिया, परम्परा से जिनकी भा ा उर्दू या हिन्दी नहा थी बनारस अख़बार के सम्पादक यदि मराठी भा ी गोविन्द नाथ थ ो थे, तो सुधाकर के सम्पादक बंगभा ी तारामोहन मैत्रेय इसी प्रकार उ ार प्रदेश में उर्दू पत्रकारिता को सहारा देने वालों में यदि एक ओर अं ोजी भा ी सीफेन्क ह तो दूसरी ओर वे लोग, जिनकी मातभा ाएँ अवध, ब्रज, डोगरी या भोजपुरी ह यह परम्परा बहुत आगे नहा बढ़ सकी, लेकिन 1847 ई. में लालजी ने लखनऊ से उर्दू का पहला अखबार लखनऊ अखबार तथा 1858 में मुंशी नवल किशोर ने अवध अखबार जैसा मह वपूर्ण समाचार पत्र निकालकर उर्दू पत्रकारिता के जो आयाम निर्मित किये, उनके विशद अध्ययन की आवश्यकता है इसी प्रकार 1849 में लखनऊ के सभी ापेखाने बन्द कर दिये जाने का शाही हुक्म क्यों जारी हुआ, इसकी पड़ताल भी ज री है इन तथ्यों को ध्यान में रखकर देखें तो तत्कालीन सामाजिक जीवन तथा पत्र जगत में जैसा तहलका अवध पंच ने पहली बार अं ोजी अख़बारों की नक़ल में कार्टून ापने का सिलसिला शु कर किया, वह यादगार क़दम था।

लखनऊ तथा उ ार प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से यूं तो बीसवा सदी आरम्भ होने से पहले कई अखबार निकले, लेकिन मुसलमानों के लिए अं ोजी शिक्षा के प्रबल पक्षधर सर सैय्यद अहमद खाँ के साइंटिफिक

सोसाइटी (1866 ई.) तथा तहज़ीबुल अख़लाक (1870 ई.) अलीगढ़ ने एक बड़े शून्य को तो भरा ही, उर्दू-भा ी मुस्लिम समाज तथा उर्दू पत्रकारिता के लिए नयी राहें भी खोला सर सैय्यद के अख़बार उनके ारा आरम्भ किये गये आधुनिक शिक्षा के ऐतिहासिक आन्दोलन का अनिवार्य हिस्सा थे, जो एक खास लयबद्धता की तड़प लिये हुए थे सर सैय्यद के शिक्षा आन्दोलन के समान यथास्थितिवादी तथा निहित स्वार्थ वाले लोगों ारा उनके अख़बारों का भी विरोध किया गया कानपुर से नूरुल आफ़ाक़ और नूरुल अनवार , मुरादाबाद से लौहे महफ़ूज तथा आगरा से तेरहवा सदी नामक पत्र सर सैय्यद के आन्दोलन की काट के उ ेश्य से ही प्रकाशित हुए, पर सर सैय्यद कहाँ हार मानने वाले थे

मु ि के पक्ष में निर्मित हुई आधुनिकता की यह थाती तो मुस्लिम ग़ज़ट तथा हमदम का संबल पाकर अधिक सु ढ़ तथा आभामयी हुई ये दोनों अखबार लखनऊ से निकलते थे अपने समय के विशि पत्रकार हसन वासिफ उसमानी का मानना था कि लखनऊ की पत्रकारिता में एक मह वपूर्ण स्थान मुस्लिम ग़ज़ट का है मीर जान साहब के इस पत्र ने गंभीर विचारों एवं साहित्यिक लेखों को बढ़ावा देने में मह वपूर्ण भूमिका अदा की मुस्लिम ग़ज़ट ने सामाजिक जीवन में उठने वाली जि ासाओं को तो मंच दिया ही, ढ़िगत शब्दावली से पत्रकारिता की भा ा को मु ि करने का प्रयास भी किया

इसी प्रकार दैनिक हमदम (अक्टूबर 1916) ने, जो अपने समय का नि ित ही बड़ा अखबार था, जीवन के प्रति यथार्थवादी ि कोण को अपनाते हुए समाचारों की प्रस्तुति में आधुनिक मापदण्डों को प्राथमिकता दी हसन वासिफ उसमानी ने ठीक ही लिखा है कि उर्दू पत्रकारिता में धर्म, हंगामी राजनीति एवं भावुकता के स्थान पर चिंतन और ि को स्वीकति दिलाने में मुस्लिम गजट और हमदम ने लाहौर के पैसा अखबार की तरह समकालीन मानदण्डों को बढ़ावा दिया समकालीन ान के सम्प्रे ाण को अपना ध्येय और मिशन बनाया पढ़ने वालों की रुचि बनाये रखने के लिए और उनकी जेहनी तरबियत के लिए साहित्यिक कतियों के अंश भी प्रकाशित किये और हास्य-व्यंग्य के कालम भी शु किये उन्हा के अनुसार लखनऊ के दैनिक हक़ीक़त व हक ने भी इस परम्परा को आगे बढ़ाया

विचारणीय तथ्य है कि 1857 के बाद विशे ा प से 20वा सदी के आरम्भिक दशकों में समूचे उ ार भारत में पंजाब सहित मौलाना आजाद के अलहिलाल तथा ज़फ़र अली खाँ के ज़मादार का जोर था ऐसे में उ ार भारत के उर्दू अखबारों ने जो भूमिका निभायी, वह बहुत मह वपूर्ण है इससे उर्दू अखबारों का सामाज्यवाद विरोधी तेवर अधिक रचनात्मक हो सका

आगे चलकर सामाज्यवाद विरोधी तेवर अधिक तीखा और व्यापक हुआ 1857 के स्वतंत्रता सं ाम की कड़वाहट शे ा थी, तो इस्लामी मुल्कों में जो कु ाट रहा था, उसका असर भी उर्दू अखबारों पर पड़ रहा था उर्दू अखबारों की दुनिया में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना हसरत मोहानी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, अब्दुल हलीम शरर, शिबली नोमानी, सैय्यद जालिब, खलीक हसन निजामी, मोहम्मद मजीद हसन बिजनौरी, नियाज़ फ़तेहपुरी, मुंशी दया नारायण निगम और सरदार दीवान सिंह मफ़्तून जैसी बड़ी शख्सियतें सक्रिय था साथ ही वहीदु ीन, अनीस अहमद अब्बासी, अब्दुल रऊफ अब्बासी तथा अब्दुल माजिद दरियाबादी भी

इस महाप्रभामण्डल में उ ार प्रदेश का वैशि ा यह है कि उर्दू-ए-मुअल्ला जैसी पत्रिका (1903), मुस्तक़िल जैसे दैनिक (1928) और इनके सम्पादक मौलाना हसरत मोहानी ने, जो अलीगढ़ वि ावि ालय के स्नातक थे, अत्यन्त ढ़ता से रा वाद को व्यापक स्वीकति दिलाने की मुहिम चलाकर सामाज्यवाद विरोधी ि कोण को अधिक प्रखर बनाया स की सर्वहारा क्रान्ति का उत्साहपूर्वक स्वागत करने वाले इन महाशय ने आधुनिक चेतना के विस्तार को भी अपनी मुहिम से जोड़ा तथा गैर धार्मिक जनान्दोलनों से एकजुटता प्रदर्शित की ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ लगातार सक्रिय रहने के कारण हसरत मोहानी तथा उनके प्रकाशनों को बार-बार दमन का निशाना बनना पड़ा, पर वह किंचित डिगे या ाबराये नहा उन्होंने ढ़ निश्चय का परिचय दिया

ख़िलाफत आन्दोलन ने उर्दू पत्रकारिता के सम्मुख नयी चुनौतियाँ प्रस्तुत का, उसके विकास की नयी संभावनाएँ भी निर्मित का, साथ ही उर्दू पत्रकारिता में भावनात्मक अतिरेक की प्रवा ि भी बढ़ी जो अखबार सर सैय्यद के ि कोण का अनुकरण करते हुए ब्रिटिश शासन की खुली आलोचना से बच रहे थे, उन्हें भी अपना रवैया बदलना पड़ा बिजनौर से 1 मई, 1912 को प्रारम्भ होने वाला मदीना ऐसा ही अखबार था यह अखबार कां ोस के नेतत्व में चलने वाले जंगे आजादी का हमनवा था इसने विशाल पाठक वर्ग तो तैयार किया ही, साथ ही मौलाना आज़ाद व मौलाना हसरत मोहानी के अखबारों के समान अलगाववादी प्रवा ि के प्रभाव से भी अपने को बचाकर रखा डा. इक़बाल, अकबर इलाहाबादी, जफर अली खाँ, हसरत मोहानी वगैरह तो इसमें नियमित प से लिखते ही थे, साथ ही उस दौर के तक़रीबन सभी बड़े शायरों की रचनाएँ भी इसमें बराबर पती था यह अखबार भी उर्दू के अन्य अखबारों के समान स्वदेशी तहरीक का ज़बरदस्त हिमायती था अपनी साहसिक अभिव्य ि्तयों के कारण इसे भी कई बार सरकारी दमन का शिकार बनना पड़ा पंजाब प्रान्त में इसके प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया महिला रचनाकारों की रचनाएँ भी अक्सर इसमें जगह पाती था बिजनौर से दस्तूर व अलअमान जैसे अखबार भी निकले

सूफीवादी अध्यात्म पर अपने मह वपूर्ण काम के लिए अत्यधिक प्रति ा अर्जित करने वाले ख़लीक हसन निजामी ने मेरठ से तौहीद (अप्रैल 1913) निकालकर उर्दू पत्रकारिता के इतिहास में नया अध्याय जोड़ा सुहैल वहीद ने अपनी चाचत पुस्तक सहाफती ज़बान में इस अखबार की विस्तार से चर्चा की है उनका मानना है कि इस पर मौलाना मोहम्मद अली जौहर के सम्पादन में प्रकाशित होने वाले कामरेड तथा हमदर्द का खासा प्रभाव था मौलाना मोहम्मद अली वि ान व्य ि थे उस व ि के सभी बड़े अं ोजी समाचार पत्रों में उनके लेखादि पा करते थे, अतः वह उर्दू अखबारों को भी अं ोजी अखबारों की ऊँचाई देने के आकांक्षी थे, जिसकी प्रारम्भिक कोशिशें लखनऊ के अवध अखबार तथा सर सैय्यद के तहज़ीबुल एख़लाक़ कर चुके थे जिस प्रकार उपनिवेशवाद विरोधी लेखन में तीखापन बढ़ते जाने के कारण मौलाना मोहम्मद अली तथा उनके सम्पादन में निकलने वाले साप्ताहिकों को लगातार सरकारी दमन का शिकार होना पड़ा, उसी प्रकार तौहीद पर भी सेंसर बिठा दिया गया परिणामस्व प अखबार बन्द हो गया

1918 में मुरादाबाद से निकलने वाले रहनुमा ने इस परम्परा को अधिक समद्ध किया मोहम्मद अशफ़ाक हुसैन इसके सम्पादक थे यह पाक्षिक अखबार था तथा समाचारों की अपेक्षा विचार पर अधिक जोर देता था स्वाधीनता के पक्ष में उर्दू अखबारों ारा सामाज्यवाद एवं उपनिवेशवाद विरोधी परम्परा को इस अखबार ने भी आगे बढ़ाया पत्रकारिता के लिए अधिक सजनात्मक भा ा के निर्माण की दिशा में भी इस अखबार ने उल्लेखनीय काम किया

उर्दू पत्रकारिता को समद्ध करने, विशे ा प से इसके कलात्मक व वैचारिक पक्ष तथा जागरण में इसकी भूमिका को धारदार बनाने में उ ार प्रदेश के जिन अन्य अखबारों का उल्लेख ज़ री है, वह ह दिलगुदाज़ (अब्दुल हलीम शरर), खदंगेनज़र (मुंशी नौबतराय), अलनदवा (मौलाना अबुल कलाम आजाद), मंजिल (हसरत मोहानी), मसावत चिंगारी (सज्जाद ज़हीर), हिन्दुस्तान वीकली (हयातुल्लाह अंसारी), रिफार्मर (ला. मेहर दयाल) और स्वराज वीकली स्वराज प्रयागराज से और रिफार्मर लखनऊ से प्रकाशित होता था जफ़रुल मुल्क अलवी के अलनाजिर तथा मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी के साप्ताहिकों सच, सिद्क़ तथा सिद्केजदीद की चर्चा भी ज़ री है अलनाज़िर ने जहाँ साहित्यिक पत्रकारिता को नयी ऊँचाई दी, वहा अब्दुल माजिद दरियाबादी ने उर्दू पत्रकारिता को ग ा का नया वैभव दिया हसन वासिफ उसमानी ने इन्हें रा ीय स्तर का अख़बार माना है पूवा संस्कति के भावुक पक्षधर बनते हुए इन्होंने रा ीय आन्दोलन के सांस्कतिक आयाम का प्रव ा बनने का प्रयास भी किया, जिसके सन्दर्भ निश्चित ही सीमित थे

सामाजिक जीवन में पत्रकारिता के हस्तक्षेप को व्यापक और प्रभावपूर्ण बनाने तथा रा ीय आन्दोलन में उसकी भूमिका के सैद्धान्तिक आधार को सु ढ़ करने की उर्दू अखबारों ारा बीसवा सदी के आरम्भ में कायम की गयी रिवायत को दो साहित्यिक पत्रिकाओं ज़माना (मुंशी दया नारायण निगम) तथा निगार (नियाज़

फतेहपुरी) ने नये आयामों को सम्पन्न करने की हर संभव कोशिश की इन्होंने किसी हद तक उर्दू पत्रकारिता की बौद्धिक धारा को नये ाान की तपिश दी साहित्यिक पत्रकारिता के शिखर तो इन्होंने निर्मित किये ही, भावनात्मकता पर विवेक को प्रमुखता दिलाने के क्रम में इन दो पत्रिकाओं ने जो कोशिशें का, उसे भुलाया नहा जा सकता

प्रतिरोध की क्षमता को तीव्र करते तथा वैचारिक अभियानों को शा ि व ऊर्जा देते हुए उर्दू पत्रकारिता जिस गहरे भाव से भा ाा व साहित्य के सरोकारों से सम्बद्ध हुई, वह भारतीय पत्रकारिता के इतिहास की सबसे बड़ी ाटना है इस सम्बन्ध में उ ार प्रदेश, उसमें भी राजधानी लखनऊ के योगदान का उल्लेख प्रमुखता से हुआ है अवध अख़बार ारा स्थापित पत्रकारिता और साहित्य के रिश्तों को मजबूत करने की परम्परा का अनुकरण बंगलौर के धार्मिक अख़बार नशेमन को ोड़कर भारत के सभी अख़बारों ने किया भा ाा में संवेदनात्मक लालित्य के हस्तक्षेप की परम्परा भी लखनऊ के अखबारों ने विकसित की और यह पत्रकारिता के सामाजिक दायित्व का निर्वाह करते हुए, भा ाा के अपेक्षानु प गढ़ने-बनाने के साथ हुआ अन्य भारतीय भा ााओं के समाचार पत्रों की भा ाा भी उ ारो ार बदलती गयी पंडित जवाहर लाल नेह तथा रफ़ी अहमद किदवई के प्रयासों से 1945 में लखनऊ से निकले हुए दैनिक क़ौमी आवाज़ का योगदान इस सम्बन्ध में ऐतिहासिक मह व रखता है सदी के चौथे दशक में उभरे बहुचर्चित कथाकार हयातुल्ला अंसारी लम्बे काल तक इसके सम्पादक रहे साम्प्रदायिक उबाल वाले कठिन दिनों में उन्होंने इसे न सिर्फ मुस्लिम लीग की नकारात्मक राजनीति का विकल्प बनाया, बल्कि अं ोजी अख़बारों के समक्ष खड़े हो सकने वाले एक उर्दू दैनिक की कमी को भी पूरा किया उन्होंने विचार और टेक्नोलाजी, दोनों की आधुनिकता को अखबारी तंत्र का हिस्सा बनाया सामान्य पाठकों तक में सम्पादकीय के प्रति ख़बर जैसी जि ाासा उत्पन्न करने तथा स्तरीयता के नये शिखरों को ूते हुए अख़बार को समूचे परिवार की ज रत बनाने का महान कार्य भी उन्होंने किया यह पहला अख़बार था, जिसने साप्ताहिक परिशि निकाला तथा इसके लिए योग्य सम्पादक जुटाये अन्सारी साहब के बाद इशरत अली सि ीकी और उनके बाद उस्मान ग़नी ने क़ौमी आवाज़ के सम्पादक की ज़िम्मेदारी संभाली और अंसारी साहब की परम्परा को आगे बढ़ाया

उर्दू पत्रकारिता को समूची दुनिया के ाटनाक्रम से जोड़ने का श्रेय भी क़ौमी आवाज़ को जाता है आज़ादी के बाद बदले हुए हालात में इस अखबार ने जिस रचनात्मक पत्रकारिता का सुबूत दिया, वह भी याद रखा जाने वाला कारनामा है अफसोस कि यह अखबार 1997 में बन्द हो गया है

आज पत्रकारिता के मापदण्ड बदल गये ह एक दौर था जब अकबर इलाहाबादी का यह शेर लोगों की ज़बान पर था और उस पर पत्रकार अमल भी करते थे -

खा ाो न कमानों को, न ाल ाार निकालो,
ज ा ाो ा मुका ाल ो, ाो अख ाार निकालो

उ ार प्रदेश की उर्दू पत्रकारिता की चर्चा करते हुए सामाजिक एकता, भारतीय जनवाद, लोकतंत्र तथा ाी शिक्षा के क्षेत्र में इसकी सेवाओं को भी रेखांकित किये जाने की आवश्यकता है धार्मिक सवालों पर कु खास क्षणों में भावुक हो उठने के बावजूद उर्दू अखबारों ने धार्मिक-जातीय ्ा और ाणा को कभी श ि नहा दी यहाँ तक कि मुस्लिम लीग के अखबारों वहदत (दिल्ली), मंशूर (कानपुर) को कभी वैसी लोकप्रियता नहा मिल सकी, जैसी मुस्लिम लीग विरोधी रा वाद समर्थक उर्दू अखबारों ने अर्जित की ठीक उसी तरह जैसे मुस्लिम लीग के आन्दोलन को बड़े मुस्लिम नेताओं और उलेमा का वैसा समर्थन नहा मिल सका, जैसा रा वादी आन्दोलन को मिला यही कारण है कि सामाजिक एकता के पक्ष में तथा ढ़िवाद के खिलाफ़ उर्दू अख़बारों ने जो मुहिम चलायी, वो कु विशे ा क्षणों में भले क्षीण होती तो दिखायी पड़ी हो, पर रुकी कभी नहा

नि संदेह अन्य भा ााओं के समाचार पत्रों के समान उर्दू अखबारों ने भी भारतीय समाज की कु त्रासद वास्तविकताओं की अनदेखी की फिर भी ाी शिक्षा को सामाजिक स्वीकति दिलाने के अभियान से जुड़कर उन्होंने अपनी सामाजिक भूमिका को विस्तार दिया उ ार प्रदेश के उर्दू अखबारों ने न केवल ाी रचनाओं को

प्रकाश में आने का अवसर दिया, बल्कि ाी शिक्षा के पक्ष में लेख-टिप्पणियाँ भी ापा महिला पत्रिकाओं के प्रकाशन का सिलसिला भी यहा से शु हुआ इस सम्बन्ध में अंगारे की प्रसिद्ध कथाकार रशीद जहाँ के पिता शेख मोहम्मद अब्दुल्ला (अलीगढ़) ारा जुलाई, 1904 में आरम्भ की गयी मासिक पत्रिका ख़ातून का उल्लेख आवश्यक है मुस्लिम लड़कियों के लिए उ ार प्रदेश का पहला स्कूल (1907) भी इस पत्रिका के सम्पादक ारा ही स्थापित किया गया, जो आज ाी शिक्षा का बड़ा केन्द्र है

यह भी रोचक संयोग है कि धार्मिक पत्रकारिता के उच्चादर्श यहाँ कायम हुए यहाँ के धार्मिक पत्रों ने बहुत स्तरीय व गंभीर पत्रकारिता की मिसालें पेश की ह इसका कारण शायद इन अख़बारों में मौलाना आज़ाद, शिबली नोमानी, अब्दुल माजिद दरियाबादी, सुलेमान नदवी, खलीक़ हसन निज़ामी, मौलाना अबुल हसन अली नदवी तथा मोहम्मद आसिफ किदवई जैसे अनेक वि ानों का सम्बद्ध होना था इस पत्रकारिता ने भी उर्दू ग ा को समद्ध किया तथा विश्व की बड़ी भा ाओं से उर्दू में श्रे और आसान अनुवाद की परम्परा को मजबूत बनाया अलनदवा, सिद्के जदीद, सरफ़राज, तामीरे हयात तथा निदाये मिल्लत, तौहीद, इत्यादि साप्ताहिकों के नाम इस सम्बन्ध में प्रमुखता से लिये जा सकते ह वाराणसी से प्रकाशित मासिक पत्रिका अलजवाद एवं लखनऊ से प्रकाशित इस्लाह और शोआएअमल भी मह व रखते ह

उर्दू अख़बारों ने अपने पाठकों को सीमित संदभा वाला सही, पर अन्तर्रा ीय बोध अवश्य दिया हम इन अख़बारों की आलोचना या प्रशंसा करते हुए इस प भूमि को नजरअंदाज नहा कर सकते इस समय प्रदेश से रा ीय सहारा, सहाफ़त, इन दिनों, सियासत जदीद, अवधनामा, आग, इन्क़लाब, अखबारे मश्रिक, अनवारे क़ौम, आवाज़े मुल्क, जदीद अमल, वारिसे अवध मताए आख़रत आदि उर्दू दैनिक अखबार भी प्रकाशित हो रहे ह यह अखबार हिन्दी एवं अं ोजी अखबारों की भाँति पत्रकारिता के सिद्धान्तों पर पूरी तरह अमल कर रहे ह साथ ही नये कलेवर एवं आधुनिक टेक्नालजी से परिपूर्ण नज़र आते ह

इसी कड़ी में उर्दू दैनिक रा ीय सहारा की बहुसंस्करणीय ांखला में लखनऊ समेत उ ार प्रदेश के कई शहरों से इंकलाब दैनिक का प्रकाशन भी उर्दू पत्रकारिता में बहुत बड़ा योगदान साबित हुआ है 1947 से मुम्बई से प्रकाशित होने वाले इंकलाब ने उर्दू पत्रकारिता के नये-नये आयाम गढ़े ह उ ार भारत में जो हैसियत उर्दू दैनिक कौमी आवाज़ की रही है, वही स्थान इंकलाब का महारा में हो रहा है इसने भी उर्दू के कई बड़े पत्रकारों को स्थापित किया है इसके अलावा लखनऊ से प्रकाशित जदीद मरकज साप्ताहिक उल्लेखनीय है जो उर्दू भाषा का है पर लिपि देवनागरी की है।

जहाँ तक साहित्यिक पत्रिकाओं का सम्बन्ध है, इस क्रम में पि ले 70 व ाा से सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग ारा प्रकाशित उर्दू मासिक पत्रिका नया दौर अपने स्तर को बरकरार रखते हुए उर्दू भा ाा, साहित्य एवं सांस्कतिक विरासत की तर्जुमानी करती आ रही है हाल ही में नया दौर के ारिका प्रसाद सफ़ुन्द और अली बिदरान विशे ाांक ने पत्रकारिता के मैदान में अपना विशि स्थान स्थापित किया है नया दौर के लगभग सभी विशे ाांक एक दस्तावेज़ की हैसियत रखते ह उ ार प्रदेश से निकलने वाली अन्य पत्रिकाओं में शबखूं, तहजीबुल अख़्लाक, इमकान, लारैब, सबक-ए-उर्दू, ख़बरनामा, गुलबन आदि ह

उर्दू पत्रकारिता के क्षेत्र में अनीस अब्बासी (हक़ीक़त), नसीम इन्हौन्वी (हरीम), सलामत अली मेहदी, जमील मेहदी (अज़ाएम), इसहाक इल्मी (सियासत), वजीहउ ीन (पैग़ाम), मसीहउलहसन रिजवी, ज़ोय अंसारी, हसन वासिफ़ उस्मानी, मौलाना अब्दुल वहीद सि ीकी, परवाना रुदौलवी, हफीज़ नोमानी, अहमद इब्राहीम अल्वी, हसन कमाल, हारुन रशीद, आलिम नकवी, चौधरी सिब्ते मोहम्मद नक़्वी, आबिद सुहेल, हसन अब्बास फ़ितरत , शाहनवाज़ कुरैशी, हुसैन अमीन, शाफ़े किदवाई, क़ुतुबुल्लाह, ओबेदुल्लाह नासिर, अल्लामा ज़मीर नक़वी, हुसैन अफ़सर, हिसामुल इस्लाम सिद्दीकी, तारिक क़मर, डा. वज़ाहत हुसैन रिज़वी आदि का उल्लेख न करना नाइंसाफी होगी

●

सांस्क ािक ािरास ा

ा ात

इतिहास गवाह है कि उ ार प्रदेश संस्कति, धर्म और राजनैतिक गतिविधियों का केन्द्र रहा है वैदिक काल से आज तक धर्म, राजनीति और संस्कति के क्षेत्रों में जितने उतार-चढ़ाव उ ार प्रदेश ने देखे, उतने किसी और प्रदेश को नहा देखने पड़े बहुत सारी कठिनाइयों के बावजूद उ ार प्रदेश के संगीत ने देश की सांस्कतिक गतिविधियों में अपने लिए एक विशि स्थान बनाया है गंगा और यमुना के बीच का यह क्षेत्र, जो प्राचीन समय में तपोभूमि या त्र ा-मुनियों की कर्मभूमि के प में जाना जाता रहा, वैदिक काल से ही उच्चतम आध्यात्मिक स्वर गुंजार का केन्द्र रहा है त्र ग्वेद की त्र चाओं ने यहा सामवेद का प ले लिया वाल्मीकि से यहा शिक्षा पाकर लव-कुश ने वीणा पर राम का चरित्र गाया था, जिसे सुनकर अयोध्यावासी अभिभूत हो उनके पी े चल पड़े थे यहा क ण की वंशी ने जड़-चेतन यानी समस्त चराचर जगत में प्राण फूँके रास-नत्य, भाव-नत्य यहा उपजे, पनपे गुप्त और ह ा के काल में भारतीय संगीत अपने शिखर पर था इस वि ाय पर अनेक पुस्तकें भी लिखी गई ह इसी कालखण्ड में वि ा में अपने ढंग की एकमात्र पुस्तक भरतमुनि का नाट्यशास्त्र की रचना हुई जो उ ारी भारत के रंगमंच विशेषज्ञों का वेद है

मुस्लिम काल में संगीत दो अलग-अलग शैलियों में बँट गया एक को दरबारों से प्रोत्साहन मिला और यह शैली राज्याश्रय में विकसित हुई, जबकि दूसरी का आधार भ ि था, जिसे सामान्य जन ने अपनाया क्योंकि वह लोगों के लिए जीवन की प्रेरणा देने वाला संगीत था उस समय के दरबारी संगीत, जिसे उस काल का शासकीय संगीत भी कह सकते ह के केन्द्र थे आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, लखनऊ, जौनपुर, वाराणसी, अयोध्या, बाँदा, दतिया और अन्य कई राजाओं के दरबार भ िकाल के प्रमुख केन्द्रों में मथुरा, वन्दावन, अयोध्या आदि थे महाप्रभु वल्लभाचार्य ने पु सम्प्रदाय की स्थापना की जिसमें उपासना का मुख्य वि ाय क णलीला था आठ वीणाओं के स्वर प्रार्थना में उठे इनमें से सबसे मधुर स्वर सूरदास की वीणा का था क णलीला के सुन्दर गीत रचकर सूरदास ने उन्हें अपनी सुमधुर आवाज दी इस तरह सूरदास ने साकार भ ि के अनु प स्व प को अभिव्य ि दी

ये शैलियाँ आज भी उ ार प्रदेश में मौजूद ह हालांकि बदलती परिस्थितियों के साथ-साथ इनके स्व प और क्षेत्र में भी परिवर्तन आते रहे ह बनारस, लखनऊ, रामपुर, प्रयागराज के साथ कानपुर, आगरा, बरेली, मेरठ आदि शा ाीय संगीत के प्रमुख केन्द्र कहे जा सकते ह भजन गीतों की, जो आज भी उ ार प्रदेश की विशे ाता है, अपनी विशि ताएँ और खूबियाँ ह तुलसी के रामचरित मानस को इतनी अधिक शैलियों में इतनी अधिक बार, इतने भिन्न-भिन्न तरीकों से गाया गया है कि अगर इसकी सारी धुनें इक ा करने लगें तो संगीत का एक अलग ांथ ही तैयार हो जायेगा शा ाीय और भ ि संगीत के अलावा उ ार प्रदेश में लोक संगीत का प्रचुर खजाना मौजूद है सामान्य आदमी के लिए इस विराट खजाने के विस्तार का अनुमान तक लगाना कठिन है यहाँ के हरेक क्षेत्र में लोकगीतों का ऐसा अद्भुत खजाना मौजूद है कि मोटे तौर पर भी इनका लेखा-जोखा संभव नहा है उ ार प्रदेश के लोकगीतों को कला की ि से भी लिपिबद्ध करना ज री है क्योंकि इनमें संगीत के विभिन्न त व पाये जाते ह जैसे नौटंकी और रास जो बड़े लोक आपेरा ह और जिनकी परम्परा बड़ी पुरानी है होली, बारहमासा, कजली, रसिया आदि ने शा ाीय संगीत में अपना योगदान दिया है उ ार प्रदेश के लोक संगीत ने काफी, पीलू, वंदावनी, सारंग जैसे रागों को जन्म दिया है इसलिए, यह कहना सर्वथा

उचित होगा कि संगीत के क्षेत्र में अपने बहुरंगी, बहुआयामी और मूल्यवान योगदान के कारण उ ार प्रदेश का स्थान बहुत मह वपूर्ण है

यह सच है कि वर्तमान संगीत के पुनर्जागरण की अलख जगाई महारा में पं. वि णु दिगम्बर पलुस्कर और पं. वि णुनारायण भातखण्डे ने, परन्तु उनका प्रयास फलीभूत हुआ उ ार प्रदेश में यह कहना अतिशयो िपूर्ण न होगा कि उ ार प्रदेश की संगीत परम्परा न केवल प्राचीनतम है बल्कि सबसे अधिक समद्ध भी। उ ार प्रदेश में देशी और मागा दोनों संगीत परम्पराएँ मिलती ह एक ओर आगरा, रामपुर, बनारस, लखनऊ (अवध) संगीत को आश्रय देने वाली प्रमुख रियासतें था तो दूसरी ओर भरतपुर, प्रयागराज, दतिया, फर्रुखाबाद, मेरठ आदि संगीत के केन्द्र थे काशी, मथुरा, अयोध्या के मन्दिरों में भ ि प्रधान ध्रुवपद गायन, भजन-कीर्तन की समद्ध परम्परा मिलती है लोक-जीवन तो जीवन के प्रत्येक क्षण में संगीतमय हो उठता है चाहे व ाा की फुहार हो, चाहे होली का फाग हो, चाहे चैत की बयार हो और चाहे फसल की बहार सम्भवतः यही रहा है संगीत की समद्धि का रहस्य प्रदेश के अड़ोस-पड़ोस में भी संगीत कला के प्रमुख आश्रयदाताओं एवं पारखी महाराजों की रियासतें था जैसे ग्वालियर, दिल्ली, रीवाँ, मैहर, खैरागढ़, दरभंगा आदि जहाँ प्रदेश में संगीत ों के आने-जाने का क्रम बना रहता था

भारतीय मिथक परम्परा में देवी-देवताओं को जो स्व प दिया गया है उसमें क ण ने संगीत को सहज मार्ग प में प्रतिपादित किया है सम्मोहिनी वंशी के प में क ण स्वयं संगीत के प्रति प थे स्वभावतः उनकी जन्म एवं लीलाभूमि मथुरा-वन्दावन में संगीत प्रधान अर्चना पद्धति प्रचलित एवं लोकप्रिय हुई वल्लभाचार्य ने संगीतबद्ध भजन, पदों के गायन को मन्दिरों में अर्चना पद्धति के प में प्रचलित किया उनके शि य वि लनाथ ने क ण लीला गान सम्प्रदाय के प में अ ाप कवियों की स्थापना की इन कवियों में उल्लेखनीय थे सूरदास, नन्ददास, परमानन्ददास, कुम्भनदास, चतुर्भुज दास, ीत स्वामी, गोविन्द स्वामी एवं क णदास यह सभी भ रचनाकार एवं संगीतकार दोनों थे, जो गेय पदों की रचना करने के साथ सुर-ताल निबद्ध प में गाते भी थे क णभी सम्प्रदाय में अ प्रहर उपासना का विशे ा प्रचलन हुआ प्रत्येक प्रहर की लीला के पद अवसर एवं समयानुकूल रागों, तालों में निबद्ध करके गाये जाते थे स्वरों एवं भावों का यह मणिकांचन संयोग अद्भुत था प्रात कालीन पद भैरवी (जागो मोहन प्यारे), भैरव, ललित (उठे नन्दलाल...) आसावरी आदि रागों में गाये जाते तो परवता पद बिलावल, रामकली आदि राग-रागिनियों में निबद्ध किये जाते थे मध्या कालीन लीला सम्बन्धी पद सारंग जैसे रागों में मिलते तो संध्याकालीन पद यमन, धनाश्री, पूरिया धनाश्री, केदार, मालकौस, कान्हरा आदि राग-रागिनियों में निबद्ध होते थे यही नहा, इन पदों को सरपरदा, साजगिरि, झीलफ जैसी राग-रागिनियों में बाँधा गया केवल सूरसागर के लिए ही समीक्षकों का कहना है, ऐसी कोई राग-रागिनी न होगी जो ूट गयी हो सूरदासी मल्हार के प्रणेता स्वयं सूरदास माने जाते ह इन पदों का कहरवा, दादरा, तीनताल में गायन होता था परन्तु ध्रुवपद शैली की प्रधानता थी इस प्रकार ध्रुवपद गायन शैली, मात्र मतप्राय शैली न होकर सम्मान प्राप्त एवं जीवन्त शैली का प थी संगीत प्रधान अर्चना पद्धति इतनी अधिक लोकप्रिय हुई कि अन्य क ण भ ों ने राग एवं तालबद्ध ध्रुवपद गायन को धार्मिक अर्चना का अभिन्न अंग बना लिया

परमानन्द दास के गायन से वल्लभाचार्य के और गोविन्द स्वामी के गायन माधुर्य से तानसेन के आत्मविभोर होने का उल्लेख मिलता है श्रे संगीत ा होने के कारण स्वामी हितहरिवंश को क ण की वंशी का अवतार माना जाता था हितहरिवंश ने 84 पदों को 14 राग-रागनियों में निबद्ध किया

निम्बार्क सम्प्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास संगीत एवं मथुरा-वन्दावन दोनों के पर्याय आज भी माने जाते ह उन्होंने स्वयं श्रीकेलिमाल तथा अ ादश पदों की रचना की उनकी रचनाओं में संगीत का व्यापक प्रभाव परिलक्षित होता है उनके ारा रचित 110 पदों का राग विभाजन निम्न प्रकार है :

कान्हरा 30, मल्हार 22, गौड़ 2, कल्याण 12, बसंत 5, सारंग 11, गौरी 6, विभास 10, नट 2, बिलावल 2

इसी प्रकार अ ादश पदों में 4 विभास, 1 बिलावल, 7 आसावरी तथा 6 कल्याण राग में निबद्ध ह अनेक वि ान स्वामी हरिदास को ध्रुवपद की डागुर बानी का प्रवर्तक ही नहा मानते बल्कि उनकी मान्यतानुसार स्वामी हरिदास ने मन्दिरों में ध्रुवपद गायन ारा अर्चना-पद्धति का श्रीगणेश किया आज भी भाद्रपद शुक्ल अ मी को हरिदास जयन्ती समारोह कई दिन चलता है जिसमें विर ृ साधु परम्परागत ध्रुवपद की शैली में गाते ह इन संगीत ा भ ाों ने ब्रजभा ा प्रधान ध्रुवपदों को परि कत प में प्रस्तुत किया

स्वामी हरिदास को राग-रागिनियाँ सिद्ध था कहते ह उनके दीपक राग गाने से दीपक स्वयं प्रदीप्त हो उठते तो मे ा से बादल असमय भी ुमड़ कर बरसने लगते, श्री राग में गायन करते ही प्रकति पर बसन्त की बहार ा जाती उनके संगीत से प्रसन्न होकर बाँके बिहारी ने मार्गशी ा शुक्ल पंचमी संवत् 1567 को निधिवन में उन्हें दर्शन दिया था, यह किंवदन्ती आज भी प्रचलित है श्री बाँके बिहारी के प्राकट ा की वह तिथि आज भी विहार पंचमी अथवा श्री पंचमी नाम से प्रसिद्ध है, इसी दिन निधिवन में विशे ा संगीत समारोह होता है कहते ह स्वामी हरिदास ने तानसेन को दीपक, बैजू बावरा को मे ा और गोपाल नायक को मालकास में सिद्धि श ि दी थी हरिदासी सम्प्रदाय के पाँच मुख्य संगीत अर्चना केन्द्र थे :

(1) बाँके बिहारी का मन्दिर जहाँ स्वामी हरिदास को दर्शन हुए (2) निधिवन स्वामी हरिदास तथा उनके शि यों के आश्रम एवं स्वामी जी की समाधि (3) गोरेलाल का मन्दिर स्वामी जी की शि य परम्परा में नरहरि देव के उपास्य (4) श्री रसिक बिहारी स्वामी रसिक देव के ठाकुर (5) थ ी स्थान स्वामी ललित मोहिनी देव ारा स्थापित

स्वामी जी के पदों से तत्कालीन संगीत परम्परा का परिचय मिलता है तत् वा ाों में किन्नरी, वीणा, अर्द्धवीणा, अवनद्ध वा ाों में मदंग, डफ, ानवा ाों में झाँझ-मजीरा एवं सु िर वा ाों का उल्लेख है औ ाट ताल की चर्चा मिलती है वा ाों के संदर्भ में स्वामी जी ने लाग, डाट, टिरिप, चन्द्रागति, ाात, नत्य के प्रसंग में ताण्डव, लास्य, भेद-विभेद, अंगहार जैसे पारिभा िक शब्दों, नत्य के बोलों ता थेई, त ा थेई का विस्तत उल्लेख किया है कथक नत्य को क ण लीला प्रसंगों की प्रेरणा संभवतः इसी संगीतमय लीला पद्धति से मिली होगी स्वामी हरिदास की परम्परा में अनेक संत-संगीत ा हुए जिन्होंने अर्चना के माध्यम से संगीत परम्परा को समद्ध किया इनमें श्री वि ल विपुल देव, स्वामी बिहारी शरण, सरसदेव, नरहरि देव, रसिक देव, ललित किशोरी देव तथा ललित मोहिनी देव अ ाचार्य नाम से प्रसिद्ध ह इनके अतिरि ृ स्वामी पीताम्बर देव जी, पसखी, चरणदास, किशोरदास, रसिकदेव, बिहारी बल्लभ, शीतलदास, सहचरिशरण, गोवर्द्धन शरण देव, हरिक ण शरण, राधाशरण देव, राधा प्रसाद देव, स्वामी अ ादास ने मन्दिरों में पल्लवित संगीत परम्परा को समद्ध किया आज भी क ण लीला का वर्णन होता है मथुरा में स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन एवं ध्रुवपद मेला होता है जिसमें श्रे संगीत ा दूर-दूर से बड़ी श्रद्धापूर्वक भाग लेने के लिए आते ह

मीरा की भाँति ब्रज में क ण भ ि से ओत-प्रोत ताज बेगम का नाम प्रसिद्ध है जो श्री वि लनाथ से दीक्षा लेकर गिरिधर के रंग में ऐसी रंग गयी कि ब्रज में ही बस गयी और एक दिन होली के अवसर पर श्रीनाथ जी के सम्मुख धमार गाते-गाते श्रीनाथ जी की प्रतिमा में लुप्त हो गयी बल्लभ सम्प्रदाय के मन्दिरों में आज भी होली के अवसर पर ताज ारा रचित ध्रुवपद एवं धमार गायी जाती है

उपर्यु ृ संत परम्परा के साथ अनेक श्रे संगीत ा हो गये ह जिनमें ग्वारिया बाबा, भूरे उस्ताद रासधारी, मदनमोहन पखावजी, मक्खन लाल पखावजी, गणेशी लाल चौबे, गजानन मिश्र, चौथ्या रासधारी, भवानी दास, जीवन लाल, बालक ण, गोपाल लाल, ानश्याम लाल, बौली बाबा उल्लेखनीय ह अम्बा जी चतुवदी तो दाऊजी के मन्दिर में नियमित प से कीर्तन-भजन गाया करते थे उनके पुत्र चन्दन चौबे ने ध्रुवपद गायन में सवाच्च स्थान प्राप्त किया बाला जी, राजा भइया, कमलनयन ने भी मथुरा की ध्रुवपद परम्परा को समद्ध किया

वाराणसी में मन्दिरों की अर्चना और संगीत का अभिनव सम्बन्ध रहा है वाराणसी में बल्लभ सम्प्रदाय,

अ ाप, अ ाचार्य जैसे संत कवियों, गायकों की नियमित परम्परा नहा रही है, परन्तु आराध्य के चरण कमलों में कला का पूर्ण समर्पण, साधना की चरम परिणति मानी जाती रही है कलाकारों ने इस मान्यता का अपने जीवन में निरन्तर अनुशीलन किया है फलस्व प काशी के मन्दिरों में श्रे तम कलाकार भी आराध्य के सम्मुख ांटे-दो- ांटे नियमित अथवा यदा-कदा ही गाने-बजाने में अपने को कतकत्य अनुभव करते ह उस्ताद बिस्मिल्ला खाँ के पूर्वज और बिस्मिल्ला खाँ स्वयं डुमराँव के बाला जी मन्दिर में प्रतिदिन प्रातःकाल नियमपूर्वक शहनाई वादन करते थे काशी वि ानाथ मन्दिर में प्रात काल शहनाई वादन की परम्परा आज भी प्रचलित है सत्यनारायण मन्दिर, संकटमोचन, बनारस हिन्दू वि ावि ाालय, वि ानाथ मन्दिर में समारोह प्रायः होते रहते ह जिनमें कलाकार विशुद्ध आराधना के भाव से स्वयं आकर नि शुल्क कार्यक्रम प्रस्तुत करते ह और श्रोता बिना किसी शुल्क, भ ि भाव से शा ाीय संगीत का आनन्द लेते ह सावन में तो प्रत्येक मन्दिर में विशे ातः हर सोमवार के दिन विशे ा ांगार होता है और इसके साथ गायन, वादन एवं नत्य के श्रे कार्यक्रम भी संकटमोचन मंदिर के महन्त अमरनाथ जी अपने युग के श्रे पखावज वादकों में से एक थे संकटमोचन मन्दिर में आज भी प्रत्येक व ा तीन दिनों का विशाल संगीत सम्मेलन होता है जिसमें काशी के अतिरि ि दूर-दूर से आए श्रे कलाकार भाग लेते ह गत अनेक व ाा से अस्सी ााट के खुले प्रांगण में गंगा तट पर स्व. डा. लालमणि मिश्र एवं उनके सहयोगियों के प्रयास से आरम्भ किया गया ध्रुवपद मेला आज भी शिवरात्रि के अवसर पर आयोजित होता है यह संगीत समारोह अपने ढंग का अद्‌भुत है ध्रुवपद जैसी तथाकथित अप्रचलित शैली का सम्मेलन, कोई टिकट नहा, परन्तु पारखी रसिक श्रोताओं का अपार समूह जो स्वयं ताल एवं स्वर ाान में पारंगत है मंच पर पं. रविशंकर, बलराम पाठक, गजानन राव, सियाराम तिवारी, फहीउ ीन डागर, पागलदास पखावजी आदि जैसे उच्च कोटि के परन्तु नि शुल्क कार्यक्रम देने वाले कलाकार सारी रात चलने वाला संगीत सम्मेलन यह परम्परा आज भी जीवन्त है

अयोध्या वै णव भ ि परम्परा में रामभ ि शाखा का प्रमुख केन्द्र रही है य ापि राम का चरित्र पराक्रम प्रधान है उसमें वंशी, संगीत के लिए कोई स्थान नहा है तथापि क ण भ ि सम्प्रदाय की संगीतात्मकता ने राम भ ि धारा को भी प्रभावित किया और राम मन्दिरों में भी संगीतमय भजन, कीर्तन की पद्धति चल पड़ी वैसे रामायण काल में भी अयोध्या की सम्पन्न संगीत परम्परा, नट, नर्तकों-गायकों, वीणा, माल, वा ा, विशारद, विलम्बित, मध्य, द्रुत गतियों का उल्लेख मिलता है जो गुप्तकाल तक फलती-फूलती रही बाद में आराध्य की अ याम (प्रातः जागरण से रात्रि शयन तक) संगीतात्मक उपासना का शुभारम्भ हुआ जो वल्लभ सम्प्रदाय के नामी भ ों में अब भी प्रचलित है रामानन्द के शि य सुरसुरानन्द जी ने 500 ध्रुवपद बन्दिशों की रचना की थी जो आज भी रामानन्दी ध्रुवपद नाम से प्रचलित है सुरसुरानन्द जी के सम्बन्ध में प्रचलित है कि वह दीपक राग गाते थे तो आरती के दीपक स्वयं प्रज्ज्वलित हो उठते थे, फिर दीपक राग ारा प्रदीप्त दीपों से वह आराध्य की आरती करते थे बड़ी ावनी तथा वि ााकुण्ड में आज भी इनके अनुयायी ह जो गले में मदंगार कंठी दानों की माला धारण करते ह और ध्रुवपद धमार शैली में ही गाते ह बरेली के सुप्रसिद्ध ध्रुवपद गायक राम पदारथ जी अयोध्या क्या आए कि बस यहा रम गये तत्कालीन अयोध्या नरेश राजा ददुआ ने राजाश्रय दिया संत-संगीत ा राम पदारथ जी ने पं. संत शरण, बलदेव चतुवदी तथा बाबा धनु ाधारी को संगीत की शिक्षा दी बाबा धनु ाधारी इतने प्रतिभा सम्पन्न थे कि उनका गायन अयोध्या के कोने-कोने में प्रचलित हो गया अयोध्या के विर ि साधु आज भी बाबा धनु ाधारी ारा रचित तथा उन्हा की शैली में बधाई, नवाह, मानस गायन आदि प्रेम से प्रस्तुत करते ह बाबा धनु ाधारी ने बधाई, मानस गायन को शा ाीय संगीत का पुट दिया उनके शि यों सियाराम दास, ेदा सूर, संतशरण ने ध्रुवपद धमार के क्षेत्र में बड़ा यश अर्जित किया अन्य ध्रुवपद धमार गायकों में थे लालजी भाई सत्य स्नेही, बाबा गौरी शंकर, राम आसरे शरण, चन्द्र प्रकाश मिश्र जो साधु-संतों की भाँति रहते थे कोदऊ सिंह मदंगवादक बहुत समय तक अयोध्या में रहे उनके शि य मनमोहन उपाध्याय दतिया में मदंग, पखावज सीखकर अयोध्या आए जहाँ राजा अयोध्या ने दर्शने ार मन्दिर में उन्हें नियु ि कर दिया कोदऊ सिंह के दूसरे अन्य शि य वैरागी रामकुमार दास ने अवध बिहारी मन्दिर में सात व ाा तक मदंग वादन की अनवरत

साधना की और हनुमान गढ़ी में रहते थे राम कुमार दास जी ने मदंग के अतिरि ि अवध की पखावज एवं तबलावादन परम्परा का सूत्रपात किया रामकुमार दास के तीन प्रमुख शि य थे स्वामी रामदास, ठाकुर दास तथा राममोहिनी शरण रामदास जी की शि य परम्परा में रामध्यान दास तथा त्रपति सिंह और ठाकुर दास के शि यों में श्री महाबीर दास, गोपाल दास एवं पागलदास उल्लेखनीय ह ठाकुर दास के अन्य शि य यमुना चौधरी (दरभंगा), गोपालदास (मुंगेर), जगदीश सिंह एवं भी ाम सिंह (रायगढ़) बाहर बस गये राममोहिनी शरण के शि यों में स्वामी भगवान दास तथा किशोरी दास का नाम लिया जाता है बाद में स्वामी पागलदास भी इन्हा के शि य हो गये तथा देश के सवाच्च पखावज वादकों में उनका स्थान है अन्य शि यों में सरयूदास तथा वसुमित्र शा ी तथा इनके अतिरि ि अवध किशोर चतुवदी उल्लेखनीय ह इटावा के कल्लू उस्ताद के ही अनेक शि य अयोध्या में रहते थे शा ीय गायन वादन की यह परम्परा बीसवा शताब्दी पूर्वार्द्ध में शिथिल होने लगी मंदिरों में ध्रुवपद धमार गायन का स्थान जै सियाराम जै-जै सियाराम कीर्तन तथा मानस ने गान ले लिया कु दिन कीर्तन अपनी विशि कीर्तन लोक शैली में होते थे परन्तु इधर फिल्मी प्रभाव के कारण कीर्तन भी फिल्मी गीतों की धुन की पैरोडी बनते जा रहे ह कीर्तन सुनकर लगता है कि भ ि संगीत की अपेक्षा फिल्मीगीत सुन रहे ह झूलन आदि उत्सवों पर गायन के साथ नत्य की परम्परा भी अयोध्या में प्रचलित रही है नर्तक राम कथा को लेकर चार-जामा पहिने तथा शलमा लगाकर कथक नत्य करते थे परन्तु इसका स्व प शा ीय नहा था इधर संत गोपाल मिश्र स्वर्ग ार के निकट कथक कला केन्द्र खोलकर नत्य की शिक्षा देने में लगे रहे पुराने कथक कलाकारों में लोटन जी, नानक जी उल्लेखनीय ह कु कथक परिवारों का सम्बन्ध वी मिश्र, अनोखेलाल तथा अच न महाराज से भी है अयोध्या के तीन मन्दिर शा ी नगर, स्वर्ग ार तथा बेतिया कथक परिवारों के पास ह इसके अतिरि ि रामप्रिया दास, गुलाब दास, सरस्वती दास, लालदास, तुलसीदास (तपसी ावनी), भगवतदास (रामलीला विहार कुंज), हनुमान दास ने रामलीला थियेटर कम्पनियों ारा नाट ा संगीत का प्रचार किया अयोध्या में शा ीय संगीत की विशुद्ध ाराना परम्परा के प में प्रति ा का श्रेय धनु ाधारी जी तथा स्वामी रामशंकर दास उर्फ पागलदास को तथा उनके अनेक योग्य शि यों को है जिन्होंने अयोध्या में शा ीय संगीत का वातावरण बनाया

उ ार प्रदेश की संगीत परम्परा के मध्यकालीन इतिहास में तीन नगण्य स्थानों का महत्त्वपूर्ण योगदान है प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गाँव में सन् 1223 ई. में अमीर खुसरो का जन्म हुआ विलक्षण प्रतिभा सम्पन्न अमीर खुसरो ने गयासु ीन बलबन के ज्ये पुत्र मुहम्मद सुल्तान, अवध के सूबेदार अमीर अली कैकुवाद, जलालु ीन खिलजी, अलाउ ीन खिलजी, कुतुब मुबारकशाह तथा पंजाब के गाजी खाँ गयासु ीन के दरबारों में नौकरी की तथा विभिन्न वि ायों पर लगभग सौ पुस्तकें लिखा अमीर खुसरो की पुस्तकों में लगभग 22 फारसी ान्थ तथा कु फुटकर रचनाएँ ही आज प्राप्त ह

अमीर खुसरो ने संगीत पर भी अनेक पुस्तकें लिखा जो प्राप्त नहा ह प्रचलित मान्यतानुसार अमीर खुसरो ने ईरानी संगीत रागों में भारतीय प्रचलित रागों का मिश्रण करके अनेक श्रुतिमधुर रागों का आवि कार किया जो आज भी बड़े लोकप्रिय ह पूवा, गौड़, कांगली तथा एक अन्य राग के सम्मिश्रण से साजगिरी अथवा साजगरी, हिंडोल तथा नैरेज के मिश्रण से प्रस्तुत यमन, सारंग, पतवल और रास्त को मिलाकर बनाये सरपरदा शाहनाज, पटराग के मिश्रण से बने ज़ीलफ अथवा ज़िल्फ, गारा आदि ऐसे आवि कारों में उल्लेखनीय ह खुसरो ने ईरानी शैली के अंदाज में कव्वाली, तराना, कौलकलबाना, नक्शेगुल आदि शैलियों का प्रचलन किया उनके ारा बनाये गये झूमरा आदि ताल आज भी प्रचलित एवं लोकप्रिय ह खुसरो को ही तबला तथा सितार वा ों के आवि कार का श्रेय दिया जाता है खुसरो के पुत्र फीरोज़ खाँ ने सितार वादन को अपनाया और उनके पौत्र मसीत खाँ ने सितार की मसीतखानी (विलम्बित) वादन शैली का प्रचलन किया खुसरो ने ही अपने समय में प्रचलित ध्रुवपद गायन शैली में उल्लेखनीय ईरानी संगीत का मिश्रण, संशोधन करके नयी शैली का प्रचलन किया जो उनके जीवन काल के प ात् ख्याल गायन शैली के नाम से न केवल लोकप्रिय हुई बल्कि जिसने आगे चलकर ध्रुवपद का स्थान ले लिया बिलावल सप्तक पर आधारित इस नयी शैली ने भारतीय संगीत पद्धति को

अपनी विशे ाताओं के कारण दो भिन्न गायन-वादन पद्धतियों में विभाजित कर दिया उ ार भारत में प्रचलित हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति तथा दक्षिण भारत में प्रचलित कर्नाटक संगीत पद्धति उ ार प्रदेश के एटा जैसे नगण्य स्थान में जन्म लेने वाले अमीर खुसरो ने संगीत को समद्ध करने के साथ वर्तमान प दिया इसी प्रकार जौनपुर के सुलतान हुसैन शका ने ख्याल गायकी को व्यापक प में लोकप्रिय बनाने के साथ टप्पा शैली का प्रचलन किया जिसे संगीत ों ने विशे ा उत्साह के साथ अपनाया

निधिवन, वन्दावन (मथुरा) के स्वामी हरिदास के केलिमाल सं ाह के माध्यम से अर्चना प्रधान ध्रुवपद गायन तथा अपनी शि य परम्परा से संगीत को समद्ध किया स्वामी हरिदास ने क णोपासना प्रधान ध्रुवपद शैली को परि कत तथा आध्यात्मिक प में सुरक्षित रखा ांथ नाद विनाद में स्वामी हरिदास के आठ शि यों का उल्लेख किया गया है : बैजू, गोपाल लाल, मदन राय, रामदास, दिवाकर पंडित, सोमनाथ पंडित, तानसेन, सौरसेन स्वामी हरिदास ने प्रचलित वीणा में अठारह के स्थान पर बाइस अथवा चौबीस परदे लगाकर इसके चार तारों पर मध्य, मन्द तथा तार सप्तक के स्वरों को बजाने की शैली तथा शु क वादन (अलापचारी) गीतांगय, नत्यांगय तथा नत्य एवं संगीत गायन के साथ वीणावादन शैली प्रचलित की थ ी सम्प्रदाय के श्याम-श्यामा उपासक स्वामी हरिदास के शि यों में तानसेन तथा बैजू विभिन्न दरबारों से सम्बद्ध रहे तानसेन ने स्वामी हरिदास से वीणा वादन की भी शिक्षा प्राप्त की तानसेन के संदर्भ में ग्वालियर राने तथा ग्वालियर में बनी उनकी समाधि का उल्लेख करते हुए उन्हें मध्य प्रदेश से जोड़ा जाता है परन्तु उनकी संगीत शिक्षा-दीक्षा वन्दावन के निधिवन में स्वामी हरिदास ारा हुई तथा उनकी साधना स्थली, कर्मभूमि बनी आगरा की धरती, जहाँ अकबर के दरबार में तानसेन का संगीत परवान चढ़ा और वह अन्तिम समय तक आगरा में ही रहे सोनिया अथवा बीनकार राना नाम से प्रसिद्ध उनकी शि य परम्परा में नौबत खाँ, नियामत खाँ (सदारंग), वजीर खाँ, हाफिज अली खाँ, अलाउ ीन खाँ के नाम लिये जा सकते ह इसी प्रकार तानसेन राने की गायकी परम्परा प्रचलित हुई इन दोनों परम्पराओं के आदि ोत निधिवन, वन्दावन के स्वामी हरिदास ही थे

सुप्रसिद्ध ध्रुवपद संगीत ों डागर परिवार का सम्बन्ध डागुर बानी गायक स्वामी हरिदास से जोड़ा जाता है इस मत के समर्थक स्वामी हरिदास की शि य परम्परा में स्वामी सत्यदेव, गोपाल स्वामी, गिरधर स्वामी, शिवद ा, ब्रज नारायण, इमाम बख्श, बहराम खाँ, मुहम्मद जान खाँ, अलाबन्दे खाँ तथा जाकिरु ीन, मोइनु ीन डागर आदि से डागर बन्धुओं का सम्बन्ध जोड़ते ह अनेक वि ान मानते ह कि डागुर बानी के गायक हरिदास अकबरकालीन स्वामी हरिदास से भिन्न ह, स्वामी हरिदास का सम्बन्ध डागुर बानी से था ही नहा स्वामी हरिदास की ध्रुवपद गायन शैली गोबरहार थी जिसे उनके शि य तानसेन ने सवापरि माना हरिदास डागुर स्वामी हरिदास से भिन्न तथा तानसेन के परवता शाहजहाँ, औरंगजेब के समकालीन माने गये ह तो कतिपय अन्य वि ान हरिदास डागुर को ग्वालियर वासी ाान खाँ का शि य मानते ह वि ाय, रचना, शैली, रचना-पद्धति की ि से भी दोनों में पर्याप्त अंतर है इसी क्रम में अन्य वि ान डागर परिवार शि य परम्परा का सम्बन्ध आदि गुरु हरिदास डागुर से जोड़ते ह शाहजहाँ के समकालीन कालिदास डागुर की शि य परम्परा में मसनद अली खाँ, फतेह अली खाँ, रहीमु ीन खाँ, फहीमु ीन खाँ डागर आदि कलाकार हुए रसिक शिरोमणि स्वामी हरिदास तथा हरिदास डागुर अथवा कालिदास डागुर भले ही अलग-अलग व्य ि हों, परन्तु इससे इनके वन्दावन, उ ार प्रदेश वासी होने के सम्बन्ध में कोई मतभेद, विवाद अब तक सामने नहा आया है इस ि से नासिरु ीन खाँ, बहराम खाँ, अलाबंदे खाँ, डागर बन्धुओं ज़िया फहीमु ीन खाँ डागर की सुप्रसिद्ध एवं लोकप्रिय शि य परम्परा उ ार प्रदेश संगीत परम्परा की महत्वपूर्ण देन है

अयोध्या के नवाब अवध की राजधानी बनने पर अयोध्या के अनेक कलाकार अवध दरबार में आ गये नवाब शुजाउ ौला के समय तक यहाँ कलाकारों का अच ा-खासा जम ाट हो गया इनमें उल्लेखनीय थे शा ाीय संगीत में टप्पा शैली की प्रति ा प्राप्त करने वाले कथक खुशी महाराज, पंजाब के शोरी मियाँ आसफु ौला ारा राजधानी लखनऊ ले जाने के बाद भी यहाँ की संगीत परम्परा पनपती रही अयोध्या में मेंहदी उस्ताद, रहीमु ीन खाँ, मुश्तरी बाई जैसे श्रे संगीत ा थे शम्भू महाराज ने रहीमु ीन खाँ से अनेक व ाा तक

ठुमरी की शिक्षा प्राप्त की मलिकाए ग़ज़ल बेगम अख्तर ने वि ा के संगीत जगत में अयोध्या का सम्मान बढ़ाया

वाराणसी की संगीत परम्परा प्रदेश में सबसे अधिक बहुमुखी एवं समद्ध रही है इसका कारण है काशी की माटी, जिसका कण-कण संगीत के रस से सराबोर है और है संगीत पारखी आश्रयदाता काशीराज का दरबार यही कारण है कि काशी की स्थानीय परम्परा के अतिरि ꠲ वाराणसी ने दूर-दूर से कलाकारों को आकर्ाित किया जो काशी में एक बार आया तो आने वाली पीढ़ियों तक के लिए वहा बस गया सुप्रसिद्ध सारंगीवादक मीरजापुर के पंडित शम्भूनाथ मिश्र काशी में आकर बस गये तो कालिका प्रसाद जी हंडिया तहसील, प्रयागराज ोड़कर वाराणसी में रहने लगे नत्याचार्य सुखदेव महाराज ने नेपाल ोड़ा तो काशी को अपना ार बना लिया दिल्ली दरबार ोड़कर ध्रुवपदिये उस्ताद निसार अली खाँ, बीनकार उस्ताद वारिस अली खाँ, ख्याल गायक उस्ताद सादिक अली खाँ, टप्पा गायक उस्ताद अकबर अली खाँ, तानसेन ाराने के प्यार खाँ, भूपत खाँ, नेपाल से ही मुहम्मद खाँ (बड़कू मियाँ), लखनऊ से निर्मलशाह काशी आकर इस नगरी पर ऐसे रीझे कि बस यहा के होकर रह गये बिस्मिल्ला खाँ के मन में काशी ऐसी बसी कि डुमराँव गाँव पी ॅ ूट गया जो काशी ोड़कर बाहर भी रहने लगा उसके तन-मन में काशी ऐसी रम गयी कि अन्तिम क्षण तक उसने काशी को नहा ोड़ा सुप्रसिद्ध सुरबहार वादक मुश्ताक अली खाँ भले ही कलक ाा में जाकर बसे थे परन्तु वह सदैव अपने को ठेठ बनारसी कहते थे उस्ताद मुश्ताक अली खाँ के पूर्वज सेनिया ाराने के बीनकार वारिस अली खाँ, टप्पा गायक अकबर अली खाँ, ध्रुवपद गायक निसार अली खाँ तथा ख्याल गायक सादिक अली खाँ, अन्तिम मुगल समाट बहादुर शाह के समय में ही बनारस आकर बस गये थे मुश्ताक अली खाँ, सेनिया ाराने के बरकतुल्ला के शि य आशिक अली खाँ के सुपुत्र थे उदयशंकर, रविशंकर संसार के किसी कोने में भमण करते रहे हों परन्तु काशी उनके मन में हर क्षण बसी रही, कभी ओझल नहा होने पाई पंडित रविशंकर ने तो रिम्पा के प में काशी को अपने कार्यक्रमों का केन्द्र बनाया

काशी की गायिकाओं की अपनी विशि परम्परा रही है ये गायिकायें मन्दिरों में भी गाती था, दरबार और रईसों की महफिलों में भी ठुमरी, टप्पा से लेकर ख्याल, ध्रुवपद धमार की कठिन बन्दिशें प्रस्तुत करने में ये गायिकायें बेजोड़ था इन गायिकाओं में वि ाधरी, सरस्वती, ोटी मैना, बड़ी मैना, मोती केसर, राजे ारी, बड़ी मोती, गौहर, रसूलन बाई, सिद्धे ारी देवी, बागे ारी देवी, क णदेवी, गिरिजा देवी, शान्ती देवी की प्राचीन परम्परा रही है सितारा देवी तथा अलखनन्दा ने कथक नत्य के क्षेत्र में सवाच्च सम्मान प्राप्त किया

काशी की वर्तमान संगीत परम्परा लगभग दो सौ व ा पुरानी है ध्रुवपद धमार गायन में पं. रामसेवक मिश्र, पशुपति नाथ, शिवसेवक मिश्र, ज्वाला प्रसाद मिश्र, गुरु प्रसाद मिश्र, शिवनारायण मिश्र, प्रसिद्ध मनोहर, शिवा-पशुपति युगल कलाकारों की विशे ा ख्याति रही है आज भी राजन-साजन तथा अमरनाथ-पशुपतिनाथ अपने युगल गायन के लिए संगीत जगत में लोकप्रिय ह काशी के कथक परिवारों में पं. शिवनन्दन मिश्र, उनके पुत्र बड़े रामदास, रामदास जी के श्वसुर पंडित जैकरन मिश्र, ोटे रामदास, पं. हरिशंकर मिश्र, पं. महादेव प्रसाद मिश्र का गायन के ध्रुवपद, धमार, ख्याल के क्षेत्र में विशे ा योगदान रहा है स्थानीय कथक परिवारों ने संगीत, नत्य के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण हस्तियाँ दी ह जैसे उदाहरणार्थ नाम बताने के ख्याल से कथक में अभयशंकर मिश्र, तबला तथा संगीत समीक्षा में पं. विजय शंकर मिश्र, सितार में अशोक मिश्र जैसे नाम लिए जा सकते ह अभय अन्तर्रा ीय ख्याति के कथक नर्तक ह इनके अतिरि ꠲ अन्य नगरों से काशी में आकर रहने वाले और कु बस जाने वाले संगीत ों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है इनमें उल्लेखनीय ह भावे बुवा, भैयाजी लाडे, सोमनाथ, गरुड़कर, सोमनाथ बेहरे, वेदमूर्ति नारायण भ , मुकुन्द वि णु कालविन्त, अ ाोर चक्रवता, दामोदर वि णु कालविन्त, भालचन्द्र चिन्तामणि दामले, उपेन्द्र बाबू जगदीप जी तथा मौजु ीन खाँ ारा आंगिक अभिनय की अपेक्षा स्वर माधुरी, बनारसी पुट, भाव प्रधान पूरब अंग की ठुमरी शैली इस ढंग से प्रस्तुत की गयी कि सारे देश पर ा गयी इधर टप्पा के सुप्रसिद्ध गायक अकबर अली खाँ और शोरी मियाँ के शागिर्द गम्मू खाँ और उनके पुत्र शादे खाँ ने टप्पा का वाराणसी में प्रचार किया शादे खाँ ने इमाम बाई तथा चित्रा बाई को टप्पा

गायन की शिक्षा दी और टप्पा बनारसी गायकी का अभिन्न अंग बन गया लक्ष्मी प्रसाद मिश्र, शिव सेवक मिश्र तथा रामसेवक मिश्र के पास टप्पे की दुर्लभ बंदिशों का अपार भण्डार था बड़े रामदास जी ठुमरी गायकी, ख्यालों की तानों की तैयारी के लिए टप्पे का अभ्यास कराते थे रसूलन बाई टप्पा गायन के लिए दूर-दूर तक प्रसिद्ध था इमामबादी के पुत्र रमजान खाँ तथा उनके शि य नागेन्द्रनाथ भ ाचार्य ने टप्पा को काशी से कलक ो तक पहुँचाया काशी हिन्दू वि ावि ालय में संगीत विभाग खुल जाने के कारण बाहर से अनेक संगीत ा संगीताध्यापन के लिए यहाँ आकर रहने लगे जिनका संगीत परम्परा में योगदान उल्लेखनीय है इस परम्परा में अनेक नाम लिये जा सकते ह पंडित ओमकार नाथ ठाकुर, बलवन्तराय भ , डा. लालमणि मिश्र, प्रदीप कुमार दीक्षित, डा. एम.आर. गौतम, डा. पाटेकर, श्रीकान्त ठकार, डा. (कुमारी) प्रेमलता शर्मा, श्रीमती एन.राजम

खुले चक्करदार बोल, परन, गतों, लड़ियों की प्रधानता के लिए प्रसिद्ध बनारसी राग की परम्परा का प्रवर्तन पंडित राम सहाय ारा सन् 1830 के आस-पास माना जाता है राम सहाय जी ने तबलावादन शैली को ऐसा प दिया कि स्वतंत्र वादन के अतिरि ҕ ध्रुवपद, धमार, ख्याल, ठुमरी, टप्पा, नत्य, सितार, सरोद सभी के साथ समान पेण सफल संगत की जा सके रामसहाय जी ारा बनाई चक्करदार टेढ़ी परनों में गज परन, सिद्ध परन, चक्करदार परन, क ण परन, रासलीला परन, काली परन, दुर्गा परन, शंकर परन, गणेश परन उल्लेखनीय ह राम सहाय जी की शि य परम्परा में जानकी सहाय, गौरी सहाय, गौरी सहाय के सुपुत्र भैरव सहाय, बलदेव सहाय, बलदेव सहाय के पुत्र दुर्गादास सहाय, भाँजे पंडित कंठे महाराज, पंडित किशन महाराज, शारदा सहाय के नाम उल्लेखनीय ह दूसरी ओर तिरकिट-ि रिकिट की कड़ी के लिए प्रसिद्ध तीन चार हजार कायदों, गतों, फर्द, पेशकार, रेलों, टुकड़ों पर पूरा अधिकार रखने वाले भैरव प्रसाद जी के लगभग 400 शि यों में प्रमुख थे पंडित मौलवी राम मिश्र, बागे ार प्रसाद, पंडित अनोखे लाल, महावीर भ प्रताप अथवा परतप्पू महाराज की शि य परम्परा में उनके पुत्र जगन्नाथ जी, पौत्र शिव सुन्दर और प्रपौत्र बलमोहन महाराज तबले के खलीफा माने जाते थे कहते ह शिवसुन्दर के अनुज वाचा मिश्र ने देवी को तबला वादन से प्रसन्न करके तबला वादन में सिद्धि प्राप्त कर ली थी वाचा मिश्र के पुत्र पंडित सामता प्रसाद गुदई महाराज ने पिता के अतिरि ҕ बिस्सू मिश्र जी से भी संगीत शिक्षा प्राप्त की गुदई महाराज के प्रमुख शि यों में हुए कुमार मिश्र, कैलाश मिश्र पंडित भगवान प्रसाद के पुत्र एवं वि ानाथ जी के शि य पंडित वी मिश्र ने तबला वादन, बनारसी बाज में दूर-दूर तक प्रसिद्धि प्राप्त की अनेक संगीत सम्मेलनों, रियासतों ारा उन्हें सम्मानित किया गया कबीर चौरा के मौलवी राम मिसिर का बनारसी राज अपना अलग था भैरव प्रसाद मिश्र की परम्परा को इधर प्रति ा मिली पं. अनोखे लाल ारा जिनकी तैयारी, सफाई और नाधिन धिन्ना बोलों का जवाब नहा था इनके अतिरि ҕ बनारसी राज के युवा कलाकारों में सर्वश्री ई ारलाल मिश्र, ोटे लाल मिश्र तथा रामजी मिश्र के नाम लिये जा सकते ह तबले के अतिरि ҕ ध्रुवपद धमार की लोकप्रियता के कारण काशी में पखावजवादन की समद्ध परम्परा रही है इनमें प्रमुख थे मन्नू जी, भोलानाथ पाठक, वन्दावन दास, मदन मोहन, रामदेव पाण्डेय, संकट मोचन मन्दिर के महन्त पंडित अमरनाथ मिश्र

तबले की भाँति काशी में सारंगी वादन के तीन ाराने प्रचलित रहे ह पंडित राम बख्श जिनके पुत्रों गणेश जी, शीतल जी तथा आगे चलकर पंडित हनुमान प्रसाद मिश्र एवं गोपाल मिश्र ने अपने श्रे सारंगीवादन से देश-विदेश में सारंगी और बनारस ाराने की धाक जमा दी मीरजापुर से वाराणसी में आकर बसे पंडित श्यामधर मिश्र के पुत्रों सुमे (सुमेरनाथ) तथा सियाजी ने सारंगी वादन से सारे देश में प्रसिद्धि प्राप्त की रामनारायण मिश्र की अपनी सारंगी वादन शैली अलग थी इनके पुत्रों भवानी भीख जी तथा शम्भूनाथ मिश्र के पुत्र पण्डित सरयू प्रसाद मिश्र तथा पौत्रों पण्डित वि ानाथ मिश्र, गोपीनाथ मिश्र तथा बैजनाथ मिश्र ने सारंगीवादन परम्परा को समद्ध किया बनारस के अन्य श्रे सारंगी वादन कलाकारों में तमाकू जी, नारायण मिश्र, भगवान मिश्र, बिरई जी, ठाकुर प्रसाद, सीताराम, पन्नालाल मिश्र, मुंशीराम, आशिक अली खाँ, वंशी महाराज, काशी प्रसाद किन्नर आदि के नाम लिये जा सकते ह जो स्वतंत्र वादन के अतिरि ҕ ध्रुवपद, धमार, ख्याल, टप्पा, ठुमरी

की चतुरंग एवं सफल संगत करने में सिद्धहस्त थे इन कलाकारों के सम्बन्ध में अनेक किंवदन्तियाँ प्रसिद्ध ह सियाजी महाराज की सारंगी पालकी में राजसी ठाठ के साथ जहाँ भी वे जाते, ले जायी जाती तबला एवं मदंग वादकों के लिए प्रसिद्ध था कि वह गजपरन बजा कर पागल हाथी को शान्त कर देते थे

वायलिन वादन में श्रीमती एन. राजम तथा सितारवादक राजभान सिंह के बिना काशी की चर्चा अधूरी रहेगी जो अब काशी में ही रहने लगे ह शहनाई वादन में उस्ताद बिस्मिल्ला खाँ बनारस के पर्याय रहे ह उनके अतिरि ़ पंडित नन्दलाल, ख़ादिम अली ने वाराणसी की संगीत परम्परा को समद्ध किया पंडित रविशंकर, उस्ताद मुश्ताक अली खाँ ने सितार में, श्री उदयशंकर एवं गोपीक ण ने नत्य के क्षेत्र में वाराणसी का गौरव बढ़ाया डा. लाल मणि मिश्र ने स्वयं विचित्र वीणा वादक होने के साथ देश-विदेश में ध्रुवपद प्रचार-प्रसार, संगीताध्ययन एवं शिक्षा को अधिक वै ानिक, शोधपरक और रचनात्मक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिय ठाकुर जयदेव सिंह दर्शन एवं धर्म के अतिरि ़ संगीत शा । के भी म पितामह के प में सम्मानित किये जाते ह वाराणसी की संगीत परम्परा आज भी जीवन्त एवं समद्ध है

रामपुर रियासत के नवाब हामिद अली स्वयं संगीत प्रेमी थे और स्वयं तत्कालीन मूर्धन्य संगीत । उस्ताद वजीर खाँ के शि य थे वजीर खाँ सुप्रसिद्ध ख्याल गायक बड़े मुहम्मद खाँ के भाँजे तथा उस्ताद निज़ाम खाँ के सुपुत्र थे जो अपने युग के श्रे तम ध्रुवपद गायक थे वज़ीर खाँ ने पिता से ध्रुवपद गायन और मामा से ख्याल गायन की शिक्षा प्राप्त की उस समय रामपुर में देश के कोने-कोने से आए श्रे तम संगीत ों का जम ाट था जो उस्ताद वजीर खाँ से सीखते थे इनमें उल्लेखनीय थे उस्ताद मुहम्मद हुसैन, उस्ताद अलाउ ीन खाँ, उस्ताद मुश्ताक हुसैन खाँ, उस्ताद सादिक अली खाँ आदि उस समय रामपुर दरबार का संगीत के क्षेत्र में वही स्थान था जो संस्कत एवं धर्मशा । के क्षेत्र में काशी पण्डित समाज का स्थान था रामपुर में कलाकारों को मुँहमाँगा पुरस्कार मिलता था

आसफु ौला ारा अवध की राजधानी अयोध्या से लखनऊ ले जाने के साथ अनेक कलाकार लखनऊ जाकर बस गये नवाब वाजिद अली शाह न केवल संगीत मर्म ।, कला प्रेमी बल्कि स्वयं श्रे संगीत । थे उनके राज्य काल को अवध की कला की ि से स्वर्ण युग कहा जा सकता है बिन्दादीन जैसे कथक नत्य के आचार्य, कोदऊ सिंह जैसे पखावजी वाजिद अली शाह के दरबार की शोभा बढ़ाते थे दरबार में ठुमरी, भाव एवं ंगार प्रधान बन्दिशों का विशे । प्रचलन था जो अधिकतर भैरवी, खम्माज, काफी, देश, झिंझोटी आदि राग-रागिनियों तथा दीपचन्दी (14 मात्रा) जल ताल, कहरवा आदि तालों में गाई जाती था

ख्याल, ध्रुवपद गायन की ि से लखनऊ संगीत का प्रमुख केन्द्र रहा है जहाँ देश के मूर्धन्य कलाकारों का जम ाट होता था उस्ताद सादिक अली खाँ के शि य उस्ताद खुशद अली खाँ, लखनऊ गायकी के पितामह माने जाते ह उनके शि यों में प्रमुख थे लखनऊ के राजा नवाब अली, गुलाम हुसैन, बब्बन साहब, चिन्मय लाहिड़ी, भैया गनपत राव, नसीर खाँ, श्री क ण रातंजकर आदि ख्याल गायकी को लखनऊ में लोकप्रिय बनाने वाले श्रे कलावन्तों में उल्लेखनीय ह सूरज खाँ, चाँद खाँ, मुराद अली, अमीर अली, ज्जू खाँ, बासत खाँ, हैदर खाँ, गुलाम हुसैन, दूल्हे खाँ, अहमद खाँ, मुहम्मद खाँ, नवाब कासिम अली, अमराव खाँ, तारब अली, रहीम खाँ, यूसुफ खाँ, वजीर खाँ आदि गुलाम रसूल के पुत्र मियाँ गुलाम नबी शोरी ने टप्पा शैली का प्रवर्तन किया लखनऊ परम्परा के अनेक संगीत ों ने उनसे टप्पा गायन सीखा लखनऊ परम्परा को अनेक गायिकाओं ने भी समद्ध किया इनमें रहीमन बाई, शराफो बाई, धन्नो बाई, जयसुख बाई, खुशद बाई, चन्द्रा बाई, जसोबाई के नाम लिये जा सकते ह

लखनऊ बाज की अपनी विशे ाता, शैली रही है प्यार खाँ, जाफर खाँ, बासत खाँ, बहादुर खाँ, काजिम अली जैसे रबाबिये हुए तो गुलाम मुहम्मद, रहीम सेन, गुलाम हुसैन खाँ, बरकत अली, हसन खाँ डाढ़ी, नवाब अली, वकी खाँ, हशमत जंग, हामिद हुसैन जैसे श्रे सितारवादकों को लोग आज भी आदर से याद करते ह लखनऊ के ही रज़ा खाँ ने सितार की मध्य, द्रुतलय, प्रधान रजाखानी गत शैली का प्रवर्तन किया सादिक अली खाँ वीणावादन तथा एवज़ अली खाँ सारंगी वादन में बेजोड़ थे उस्ताद सुधार खाँ के पौत्रों मोदू

खाँ तथा बख्शूर खाँ (पुत्र मम्मन खाँ) ने तबले के लखनऊ ाराने का सूत्रपात किया मोदू खाँ के प्रिय शि य पण्डित रामसहाय ने बनारस बाज ाराने का प्रवर्तन किया मम्मन खाँ के तीसरे पुत्र उस्ताद मुहम्मद खाँ के पुत्र मुन्ने खाँ खलीफा की परम्परा में वाजिद हुसैन खाँ, आफाक हुसैन खाँ हुए तो दूसरी ओर आबिद हुसैन की शि य परम्परा में वी मिश्र, जहाँगीर खाँ, हीरेन्द्र गांगुली, महबूब खाँ आदि जैसे ख्याति प्राप्त तबला वादक हुए लखनऊ में कोदऊ सिंह, पण्डित सखा राम, पण्डित अयोध्या प्रसाद जैसे पखावजी प्रसिद्ध हुए

वाजिद अली शाह रहस नत्य का विशाल आयोजन करते और क ण की भूमिका स्वयं प्रस्तुत करते थे उन्होंने कैसरबाग में विशाल बारादरी, नहरें, फव्वारे, उ ान बनवाए जो हर समय केसर की फुहार से गमकते और नूपुरों की झंकार से गूँजते रहते इसी युग में कथक नत्य और ठुमरी को विशे ा लोकप्रियता प्राप्त हुई नवाबी प्रभाव के कारण लखनऊ की गायकी में ग़ज़ल एवं शायरी की प्रधानता थी नत्य ही नहा वाजिद अली शाह ने स्वयं अख्तर पिया और बिन्दादीन ने सनद पिया उपनाम से ठुमरी की अनेक बंदिशें तैयार का इसी समय अन्य कलावन्तों ने कदरपिया, चाँदपिया, ललनपिया नाम से ठुमरी की बन्दिशें तैयार का, जो बड़ी लोकप्रिय हुइ अवध दरबार में होलिकोत्सव विराट संगीत समारोह के प में मनाया जाता जो दिन-रात चलता रहता बिन्दादीन के अतिरि ि शम्भू महाराज, लच ू महाराज और बिरजू महाराज ने लखनऊ कथक शैली को नई दिशा दी इधर श्रीक ण रातंजकर को मौरिस कालेज का प्रधानाचार्य बनाया गया इसी क्रम में उस्ताद दूल्हे खाँ, उस्ताद सखावत हुसैन खाँ (सरोद), सादिक अली खाँ (बीनकार), उमर खाँ, इलियास खाँ (सितार), जी.एन. गोस्वामी (वायलिन), युसुफ अली खाँ, ध्रुवतारा जोशी (सितार), डा. सुरेन्द्र शंकर अवस्थी ने लखनऊ की संगीत परम्परा को समद्ध किया शासकीय स्तर पर उ ार प्रदेश संगीत नाटक अकादमी कलाकारों को सहायता-सम्मान देने की दिशा में कार्य करती है लखनऊ महोत्सव में संगीत-सम्मेलन का आयोजन होता है

आगरा मुगलकाल में संगीत का सबसे बड़ा केन्द्र था मुगल बादशाह अधिकतर आगरा में ही रहते थे आगरा के पड़ोस में एक ओर ग्वालियर रियासत थी तो दूसरी ओर दिल्ली दरबार जहाँ से संगीत ों का आना-जाना लगा रहता था अतः जहाँ ग्वालियर ाराने के नत्थन खाँ, पीर बख्श, ह खाँ, हस्सू खाँ, मुहम्मद खाँ, रहमत खाँ, क णराव शंकर, विनायक राव पटवर्द्धन, मेंहदी हुसैन खाँ, नज़ीर खाँ, हफीज़ खाँ, कल्लन खाँ, बालक ण बुआ, इचलकरंजीकर, बन्ने खाँ, गनपत राव आदि जैसे संगीत ों की दमदार, गम्भीर गायकी और तैयारी ने आगरे की गायकी को प्रभावित किया वहा दूसरी ओर दिल्ली दरबार के संगीत ा थे जिनकी ध्रुवपद एवं ख्याल गायकी अपने ढंग की थी दिल्ली ाराने के संगीत ों में लाल खाँ, बाबा रामदास, हाजी सुजान खाँ, सदारंग, अदारंग, काले मिर्जा, तानरस खाँ, उमराव खाँ, हुसैन अली, फतेह अली की गायकी ने आगरा ाराने की गायकी को बहुत अधिक प्रभावित किया मथुरा पड़ोस में होने के कारण ब्रज भा ा और क णलीला की आगरा ाराने की बन्दिशों पर स्प ाप ि गोचर होती है आगरा ाराने का सूत्रपात श्यामरंग और सरसरंग से माना जाता है आगरा ाराने के संगीत ों में ा ो खुदाबख्श, सुप्रसिद्ध ख्याल गायक शेर खाँ, गुलाम अब्बास, गुलाम हैदर खाँ (कल्लन खाँ), नत्थन खाँ, नन्हें खाँ कड़क एवं चमक वाली तानों के लिए प्रसिद्ध मुहम्मद सि ीक खाँ, तस क हुसैन खाँ, अनवर हुसैन खाँ, लताफत हुसैन खाँ, विलायत हुसैन खाँ, स्वामी बल्लभदास, भास्कर बुवा बारवले, दिलीप चन्द्र वेदी, श्री क ण रातंजनकर, जगन्नाथ बुवा पुरोहित के नाम लिये जाते ह परन्तु आगरा ाराने की गायकी को सबसे अधिक यश मिला आफताबे मौसी की उस्ताद फैय्याज खाँ की लोकप्रियता के कारण वैसे तो उस समय देश में रज्जब अली खाँ, अल्लादि ा खाँ, अब्दुल करीब खाँ, बन्दे अली खाँ जैसे अनेक श्रे संगीत ा थे परन्तु ख्याल, ध्रुवपद, होरी, धमार सभी शैलियों पर समान अधिकार, अलाप, बढ़त, राग-रागिनी के स्व प की अवधारणा और मधुर भावाभिव्यि आदि ियों से फैयाज खाँ अ ितीय थे भैरवी में बाजूबन्द खुल-खुल जाय और ब्रज होली खेलन को रसिया से लेकर ध्रुपद ख्याल तक जब फैयाज खाँ प्रस्तुत करते तो रस की फुहारों से श्रोता भावविभोर हो जाते आगरा ाराने की दूसरी शाखा में ख्याल एवं ठुमरी गायन की प्रधानता थी इस परम्परा में इमदाद खाँ, हमीद खाँ, प्यार खाँ, लतीफ खाँ के नाम लिये जा सकते ह आगरा ाराने को कव्वाल बच्चा ाराना भी कहा जाता है वैसे तो फैय्याज खाँ अपने

गायन के बीच-बीच में हाँ, हाँ, अरे हाँ जैसे शब्दों का भी प्रयोग करते थे, जो ख्याल गायन शैली का नहा है, परन्तु कव्वाल बच्चों का अपना अलग राना था जो तानों की पेंचदार फिरत, बल एवं फन्दे वाली तानों के लिए प्रसिद्ध रहा है इस राने के प्रतिनिधियों में मुहम्मद खाँ, रहमत खाँ, मुबारक अली खाँ, सादिक अली खाँ, फजले अली खाँ, करम अली, दिलावर अली उल्लेखनीय ह

मुगलकाल में, विशे ातः अकबर-काल में फतेहपुर सीकरी का आगरे अथवा दिल्ली की अपेक्षा अधिक महत्व था और अकबर का अधिकांश समय फतेहपुर सीकरी में ही व्यतीत होता था अतः फतेहपुर सीकरी में संगीत ाों का जम ाट और परम्परा का सूत्रपात स्वाभाविक था इस राने के संगीत ाों में जैनू खाँ, जोरावर खाँ, गुलाम रसूल खाँ,   ोटे खाँ पखावजी, मदारबख्श के नाम लिये जाते ह

सहारनपुर राने के प्रवर्तक खलीफा मुहम्मद जमाँ सूफी सन्त थे तथा गायन के अतिरि त बीन, रबाब और सितार वादन में अ ितीय माने जाते थे सहारनपुर के गुलाम तकी खाँ और गुलाम जाकिर खाँ होरी ध्रुवपद गायन के लिए संगीत जगत में प्रसिद्ध थे बन्दे अली खाँ के जोड़ के बीनकार पूरे देश में इने-गिने थे इस परम्परा के गुलाम आज़म, गुलाम कासिम, गुलाम जामिन, बहराम खाँ की ख्याति दूर-दूर तक थी बहराम खाँ ने भारतीय संगीत के अध्ययन की ि से हिन्दी-संस्कत का अध्ययन किया और उन्हें पण्डित की उपाधि से अलंकत किया गया बहराम खाँ की शि य परम्परा में गौसी बाई, फरीद खाँ, मौला बख्श सांखड़ वाले तथा जाकिरु ीन खाँ एवं अलाबन्दे खाँ थे जाकिरु ीन खाँ तथा अलाबन्दे खाँ के ध्रुपद एवं होरी गायन की पूरे देश में धूम थी सभी रियासतों से इन दोनों के लिए प्राप्त होने वाले निमंत्रण पत्रों का ताँता लगा रहता था सन् 1915-16 में बड़ौदा संगीत सम्मेलन के मंच पर जब क्लीमेण्ट ने अपना बनाया हारमोनियम प्रस्तुत करते हुए दावा किया कि उनके हारमोनियम में सभी श्रुतियाँ निकल सकती ह तो उनकी चुनौती जाकिरु ीन खाँ एवं अलाबन्दे खाँ ने सफलतापूर्वक स्वीकार की और गाकर बतलाया कि श्रुतियाँ गले से ही निकल सकती ह इनमें गले की हरकतें हारमोनियम पर निकालने में असफल होने पर श्री क्लीमेण्ट ने अपना वा ा और दावा वापस ले लिया वस्तुतः वर्तमान ध्रुपद परम्परा को इस राने का योगदान महत्वपूर्ण रहा है अलाबन्दे खाँ के पुत्रों नसीरु ीन खाँ, रहीमु ीन खाँ, इमामु ीन खाँ डागर एवं मोहनु ीन डागर ने ध्रुपद, धमार, होरी गायन के क्षेत्र में सहारनपुर राने की प्रति ा को बढ़ाया है अब्बन खाँ गायन के साथ संगीत शा ा के प्रकाण्ड वि ान थे उन्होंने अनेक राग-रागिनियों पर शोध कार्य भी किया था

बहादुर हुसैन खाँ तथा ह   खाँ के शि य इनायत हुसैन खाँ सहसवान राने के प्रवर्तक माने जाते ह इनायत हुसैन नेपाल, ग्वालियर, रामपुर, हैदराबाद दरबार में रहे और सम्मानित किये गये इनके शि यों रामक ण, बाजे बुआ,   ज्जू खाँ, नजीर खाँ ने सहसवान की संगीत परम्परा को समद्ध किया इमदाद खाँ, मुश्ताक हुसैन खाँ, फिदा हुसैन के पुत्र उस्ताद निसार हुसैन खाँ, मुश्ताक हुसैन खाँ के पुत्र इश्तियाक हुसैन और हारमोनियम नवाज़ इशाक हुसैन के कारण सहसवान संगीत परम्परा का नाम आदर के साथ लिया जाता है

जब तक रसिक पारखी चाँद खाँ और काले खाँ का ध्रुवपद धमार गायन के क्षेत्र में नाम रहेगा, अतरौली राने का नाम भी अमर रहेगा इनके पूर्वज शाण्डिल्य गोत्र के ब्रा ाण थे जिन्होंने आगे चलकर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया इस परम्परा के दुल्लू खाँ और   ज्जू खाँ ध्रुपद की गोबरहार अथवा गोहार बानी के लिए प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय थे हुसैन खाँ, शाहाब खाँ, ध्रुवपद धमार गायन में बेजोड़ थे तो मानतोल खाँ डागुर बानी के विशे ा ा कलाकार माने जाते थे गुलाम गौस खाँ के परिवार में गोहार बानी की परम्परा चल रही थी परन्तु गुलाम गौस खाँ की रुचि डागुर बानी में थी अतः उन्होंने अपनी प्रतिभा और लगन से डागुर बानी के संगीत ाों में शी ास्थ स्थान प्राप्त किया खैराती खाँ के खण्डारी बानी को ध्रुपद गायन में अपनाया करीम बख्श ने भी खण्डारी बानी का अभ्यास किया चिम्मन खाँ, करीम बख्श खाँ, जहाँगीर खाँ, जुहूर खाँ ने ध्रुवपद धमार के साथ ख्याल गायन के क्षेत्र में भी अतरौली राने का सम्मान बढ़ाया जहूर खाँ तो इतना अच ा गाते थे कि एक बार रास्ते में इन्हें डाकुओं ने ोर लिया लूटने के लिए तानपूरा देखकर डाकुओं ने गाने के लिए कहा जहूर बख्श का गायन सुनकर डाकू ऐसे मंत्रमुग्ध हुए कि उन्होंने न केवल क्षमा माँगी बल्कि भारी धनराशि देकर

सुरक्षित पहुँचा दिया भूपत खाँ, इमाम बख्श, गुलाम खाँ, हस्सू खाँ, दौलत खाँ, अतरौली वाले अल्लादिया खाँ, अली अहमद खाँ, ख्वाजा अहमद खाँ, अज़मत हुसैन खाँ ने ध्रुपद, धमार, होरी, ख्याल, दादरा सभी शैलियों में भागलपुर, मुंगेर, बनारस, पटना, कलक ा दूर-दूर तक अनेक रियासतों में यश प्राप्त किया

बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद में रमज़ान खाँ, कुतुब बख्श, मुहम्मद अली खाँ, अजमत उल्ला खाँ, कुदरत उल्ला खाँ, जहूर खाँ, फिदा हुसैन खाँ, बदरुज़्ज़माँ मुजफ्फर खाँ जैसे श्रे ध्रुवपद एवं ख्याल गायकों का जम ाट था कुतुबबख्श सितारवादन में भी प्रवीण थे कुतुब अली खाँ के कार्यक्रम के प ाात् किसी अन्य कलाकार का कार्यक्रम जमना कठिन होता था मुहम्मद अली खाँ को राजसी सम्मान प्राप्त था कुदरत उल्ला खाँ, तराने की गायकी के अतिरि त कव्वाली गायन में सारे देश में बेजोड़ थे तथा अपनी सुरीली, बुलन्द एवं पाटदार आवाज के लिए संगीत जगत में प्रसिद्ध थे भास्कर बुवा बारवले इनके प्रिय शि य थे बदरुज़्ज़माँ शा ीय संगीत के अतिरि त ठुमरी, दादरा आदि ऐसे सुरीले ढंग से गाते कि सुनने वाले ठगे से रह जाते

खुर्जा (अलीगढ़) ाराने का आरम्भ नत्थे खाँ के पुत्र जोधे खाँ से माना जाता है जो दिल्ली दरबार से आकर खुर्जा में बस गये इमाम खाँ, गुलाम हुसैन खाँ, ज़हूर खाँ, अलताफ हुसैन खाँ, गुलाम हैदर खाँ ऐसे संगीत ा थे जिनका ध्रुपद, धमार, ख्याल, तराना, ठुमरी, टप्पा, तिरवट, चतुरंग पर समान अधिकार था तथा इन लोगों की गायकी बुलन्द परन्तु पेंचदार मानी जाती थी ज़हूर खाँ की बनाई ध्रुवपद, ख्याल न्द, प्रबन्ध, चतुरंग, सरगम की अनेक बंदिशें अभी तक प्रचलित ह इसी ाराने के गफूर बख्श श्रे सितारवादक थे ये सभी कलाकार अपने को खुर्जा ाराने का प्रतिनिधि कहने में गर्व का अनुभव करते थे ऐसा लगता है कि दिल्ली दरबार की स्थिति डाँवाडोल होने पर कलाकार आस-पास खुर्जा, अतरौली, बुलन्दशहर आदि स्थानों में बसते गये वहाँ संगीत परम्परा ने जन्म लिया जौनपुर के सुल्तान हुसैन शका के संगीत में योगदान से सभी सुपरिचित ह

मथुरा के ध्रुवपद में क णभ ि सम्प्रदाय मन्दिरों, विर त साधुओं के अतिरि त सूबेदार नवाब अली खाँ के दरबार से संगीत ों की अलग परम्परा मिली है कौड़ी रंग और पैसारंग दोनों भाई ध्रुवपद धमार एवं ख्याल के बड़े प्रसिद्ध गायक थे पानखाँ को इन सभी शैलियों पर समान अधिकार था और नवाब से इन्हें ज़ागीर मिलती थी बुलाकी खाँ श्रे गायक होने के साथ संगीत शा ा के प्रकाण्ड वि ान थे और अधिकतर मथुरा के मन्दिरों में ही गाते थे मथुरा के ही अहमद खाँ (गुलदीन खाँ) सितारवादन में इतने निपुण थे कि गुजरात के लूनावडा दरबार में एक-एक स्वर सटीक लगाने पर एक दिन के कार्यक्रम में इन्हें कई महीनों, व ा भर का वेतन पुरस्कार स्व प मिल जाता काले खाँ ने सरस पिया नाम से ख्याल ठुमरी, ध्रुवपद की अनेक रचनाएँ का जो आज भी लोकप्रिय एवं प्रचलित ह गुलाम रसूल खाँ ने अपने संगीत शिक्षण की यात्रा का शुभारम्भ मथुरा से ही किया लेकिन जाकर बस गए बड़ौदा दरबार में फैयाज़ खाँ सितार वादन में अ तीय थे मुन्नन खाँ ने भी सितारवादन में बड़ी ख्याति अर्जित की लेकिन मुर्शिदाबाद अपने श्रे गायन के लिए देश भर में प्रसिद्ध थे दोनों संस्कति के अच े वि ान थे कहते ह आज से ८०-९० व ा पूर्व इन कलाकारों को नेपाल आदि स्थानों में एक-एक कार्यक्रम के लिए एक लाख रुपये तथा बहुमूल्य हीरे-जवाहरात पुरस्कार स्व प मिलते थे

उ ार प्रदेश के इटावा जनपद की अपनी विशि एवं महत्वपूर्ण संगीत परम्परा रही है इसके परवता प्रतिभा सम्पन्न कलाकार उस्ताद इनायत खाँ के गौरीपुर रियासत (बंगाल) में बस जाने के कारण सितार वादन का यह अनूठा ाराना गौरीपुर ाराना के नाम से भी प्रसिद्ध था विशि वा ा शैली के श्रे प्रतिनिधि इमदाद खाँ की लोकप्रियता के कारण पारखी संगीत प्रेमी इसे इमदादखानी बाज नाम से भी जानते थे सितार वा ा पर गायकी, विशे ातः किराने ाराने की गायकी, हूबहू प्रस्तुत करने के कारण अनेक संगीत समीक्षक इस परम्परा को किराना ाराना के अन्तर्गत मानते ह बाज एक, नाम अनेक इसकी सबसे बड़ी विशे ाता है

इटावा की सितार वादन संगीत परम्परा सात पीढ़ियों से भी अधिक पुरानी है इस ाराने के पूर्वजों में मलूकदास के राजपूत वंशज सुरजन सिंह, सुरजन सिंह के पुत्र तुराब खाँ, पौत्र साहबदाद खाँ, प्रपौत्र इमदाद खाँ, इमदाद खाँ के दो पुत्र इनायत खाँ, वहीद खाँ, इनायत खाँ के पुत्र विलायत खाँ, इमरत खाँ तथा वंशजों में रईस

खाँ उल्लेखनीय ह ध्रुवतारा जोशी इसी परम्परा के प्रतिनिधि ह बीनकार अंग के फलस्व प सितार सुरबहार पर ग्वालियर, आगरा तथा किराने राने की गायकी सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने की अद्‌भुत क्षमता के अतिरि त इटावा संगीत परम्परा की इस बात की अपनी विशे ताएँ रही ह विशुद्ध बाज अंग, माड़ का विस्तार, झाले की विविधता तथा माला जैसी लड़ी, स्वरों की शुद्धतायु त तैयारी, सपाट तान, कूटतान, तिहाई आदि संगीत के प्रति आध्यात्मिक िकोण तथा साधुसंत जैसा उदासीन जीवन इस संगीत परम्परा की दूसरी विशे ता रही है

उस्ताद विलायत खाँ ने अपनी अथक साधना तथा विलक्षण प्रतिभा से इटावा की संगीत परम्परा को विशे ा समद्ध किया उनकी लगभग तेरह-चौदह व ा की आयु थी, जिस समय पिता उस्ताद इनायत खाँ के आकस्मिक निधन से राने तथा उसकी विशि ट शैली परम्परा के भवि य पर प्रश्नचि लग गया उस्ताद विलायत खाँ ने चुनौती स्वीकार की, व ाा अपने को कमरे में बन्द करके पूर्वजों और उनके बाज का मनन करते हुए पन्द्रह-सोलह ंटे प्रतिदिन सितार सुरबहार पर रियाज (अभ्यास) करते रहे और अन्ततः संगीत में जैसे सिद्धि प्राप्त कर ली उन्होंने सितार सुरबहार में दो के स्थान पर एक ही तुम्बा रखा सितार सुरबहार पर दयस्पशा, सुमधुर, सटीक माड़ लेने में उस्ताद विलायत खाँ अ तीय ह एक ही परदे पर पूरे सप्तक की माड़ लेने, अद्‌भुत लयकारी, अति द्रुत लय के बावजदू माधुर्य, स्वरों की शुद्धता उनकी विशे ता है विलायत खाँ के दादा इमदाद खाँ इन्दौर में रहे तो चाचा वहीद खाँ कलक ाा में और पिता इनायत खाँ गौरीपुर में रहे शहनाई जैसे गायकी प्रधान सु िर वा ा के साथ अपने वा ा सितार की अनेक वा ागत सीमाओं तथा कठिनाई को पार करते हुए बिस्मिल्ला खाँ के साथ सही अथा में सफल जुगलबंदी उस्ताद विलायत खाँ की विलक्षण प्रतिभा की ोतक है यदि बिस्मिल्ला खाँ ने हेय समझे जाने वाले लोकवा ा को शा ाीय संगीत वा ाों के सवाच्च सिंहासन पर प्रति ि त किया तो विलायत खाँ ने सितार सुरबहार वादन को नया अनुकरणीय आयाम दिया मुम्बई में कई दशक रहने के प ाात्‌ महानगरी की चमक-दमक, प्रचार-प्रसार, चकाचाध ोड़कर नगर के कोलाहल से दूर उ ार प्रदेश के देहरादून के सुरम्य वनखण्ड, प्रकति के बीच संगीत के माध्यम से एकान्तवास, आध्यात्मिक साधना, नाद ब्र ा चिंतन के प में जीवन में शान्ति की रसात्मक साधना में तल्लीन विलायत खाँ ने इटावा परम्परा विशे ातः अपने पिता, पितामह के जीवन दर्शन का अनुशीलन किया

कासगंज (एटा) के ख्वाजा बख्श श्रे गायक होने के साथ प्रसिद्ध सितारवादक भी थे और दिल्ली दरबार के पतन तक बहादुरशाह जफर के दरबार में ही रहे

शाहजहाँपुर राना सरोद वादन के क्षेत्र में विशे ा प्रसिद्ध रहा है उस्ताद काजिम अली के शि य, इंसाफ अली रबाबिया तथा इनायत अली खाँ सरोदिया ने अपने-अपने क्षेत्र में बड़ी ख्याति अर्जित की इनायत खाँ के पौत्र सखावत खाँ (पुत्र शफात खाँ) ने उस्ताद मी खाँ, उस्ताद करामत उल्ला तथा प्रोफेसर कौकभ से सीखकर सरोदवादन के क्षेत्र में अभूतपूर्व ख्याति प्राप्त की तथा भातखण्डे संगीत वि ाालय, लखनऊ में अध्यापन कार्य करते रहे उस्ताद सखावत खाँ के पुत्र उस्ताद इलियास खाँ सितारवादन के क्षेत्र में प्रति ा एवं लोकप्रियता का कीर्तिमान रहे ह इलियास खाँ की शि य परम्परा में सितार तथा सरोद वादन की परम्पराएँ चल रही ह

बनारसी अंग और लखनऊ कथक नत्य शैलियों की भाँति तबले की वादन शैलियों ने तबले के विभिन्न रानों का प लिया चाँटी स्याही के अधिक प्रयोग, पेशकार, कायदों-तिनक तिन, केन, धिनगिन, धिड़ान आदि बोलों की बहुलता के कारण मेरठ जनपद के अजराड़ा राने ने अपना विशि स्थान बना लिया इस शैली के प्रवर्तकों, प्रमुख कलाकार प्रतिनिधियों मुहम्मदी बख्श, कल्लू खाँ, चाँद खाँ, हस्सू खाँ, शम्भू खाँ और हबीबु ीन खाँ आदि के नाम उल्लेखनीय ह

इसी प्रकार दिल्ली से आकर उस्ताद मोदू खाँ और बख्शू खाँ लखनऊ में बस गये उन्होंने कथक नत्य के अनु प परन, नत्य की आत्मा लिए चक्करदार टुकड़ों, धिड़नग, धतिन्न आदि बोलों की प्रधानता के साथ विशि शैली का प्रचलन किया जो लखनऊ शैली के नाम से प्रसिद्ध हुई खलीफा मम्मू खाँ, मुहम्मद खाँ, मुन्ने खाँ, वाजिद हुसैन खाँ (खलीफा पूरब), आबिद हुसैन खाँ, वी मिश्र, जहाँगीर खाँ, महबूब खाँ की समद्ध परम्परा के कारण लखनऊ के बाज को तबला वादन के क्षेत्र में प्रति ा प्राप्त हुई उधर बख्शू खाँ ने टुकड़ों,

रेलों, परनों के अतिरि ि धिड़ान, किट, धिड़नग, दिनतक, धिंता आदि बोलों के साथ बोलों की तैयारी, सफाई और मिठास को महत्व दिया उनकी शैली फर्रुखाबाद राने के नाम से प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय हुई फर्रुखाबाद के राने के कलाकारों में हाजी खाँ, हुसैन अली खाँ, मुनीर खाँ, अहमद जान थिरकवा, अमीर हुसैन, गुलाब हुसैन, नन्हें खाँ, मसीत खाँ तथा करामत हुसैन के नाम लिये जा सकते ह पहले कलाकार अशिक्षित अवश्य होते थे परन्तु गुणी एवं अपनी कला में पारंगत थे कहते ह रामपुर के बहादुर हुसैन खाँ, म्मन साहब और जानी साहब ने थाट पद्धति, आधारभूत कल्याण थाट, पूवाग, उ रांग, राग वगाकरण के सिद्धान्त का बहुत पहले प्रतिपादन किया था जो भातखण्डे थाट एवं राग सिद्धान्त पद्धति से बहुत कु मिलता-जुलता है

प्रयागराज कोई रियासत नहा थी परन्तु संगीत प्रेम, रईस ज़मादारों के कारण यहाँ देश भर के शी स्थि संगीत ों का जम ट बना रहता विलायत खाँ, बिस्मिल्ला खाँ आदि जैसे कलाकारों ने मंच प्रदर्शन का शुभारम्भ प्रयाग के संगीत सम्मेलन से किया देश का शायद ही कोई ऐसा श्रे संगीत होगा जिसने प्रयागराज के संगीत सम्मेलन में भाग न लिया हो जिसे प्रयागराज संगीत सम्मेलन के पारखी श्रोताओं की वाह-वाह मिल गयी, वह देश का सर्वश्रे संगीत बन गया यही कारण है कि सभी संगीत प्रयागराज के संगीत सम्मेलन में अवसर मिलने के लिए लालायित रहते और प्रदर्शन का अवसर मिलने पर गर्व का अनुभव करते यहाँ संगीत सम्मेलन चार-पाँच दिनों तक दिन-रात चलते न कलाकार थकते और न श्रोता प्रयागराज के संगीत प्रेमी शिक्षित समाज के प्रयास का ही फल था कि शिक्षित एवं सम्भान्त परिवारों में अस्पश्य एवं त्याज्य समझी जाने वाली संगीत कला एवं कलाकार को प्रति त स्थान मिला प्रयाग संगीत समिति आज परीक्षार्थियों तथा केन्द्रों की संख्या की ि से देश की सबसे बड़ी संगीत संस्थाओं में से एक है

प्रयागराज में गायक-गायिकाओं की अपनी परम्परा रही है टीपदार, तेज परन्तु मीठी आवाज वाली जानकी बाई उर्फ प्पन ुरी के मोहक संगीत को संगीत के पारखी आज तक भूल नहा सके ह जानकी बाई प्रयागराज की शान था बिस्मिल शायर ने उनके लिए ठीक ही लिखा था :

हर ग़ज़ल अब ख़त्म हो इस टीप पर उस्ताद की,
मेरा नाम जानकी बाई और इलाहाबाद की

यह मिसरा जानकीबाई को इतना पसन्द आया कि जब उनके गायन की कोई रिकाडिग होती तो वह उस राग व ताल विशे में निबद्ध बोल के पहिले गाता मेरा नाम जानकीबाई इलाहाबाद और फिर अपना गायन आरम्भ करता यही मिसरा उनके रिकार्ड की पहचान (टेड मार्क) जैसा बन गया था उन दिनों जब रेकार्ड बनाने का प्रचलन नहा हुआ था जानकी बाई के सैकड़ों रेकार्ड बन गये थे इनके रेकार्ड्स के वि ापनों में लिखा रहता जिनका गायन सुनकर मुद जिंदा हो गये और सचमुच उनका गायन ऐसा ही बतलाया जाता है बनारसी अंग की गायिकायें वि ाधरी, रसूलन बाई, सिद्धे री, गौहरजान (कलक ा) बराबर प्रयागराज आया करती था पंडित वि णु दिगम्बर के शि य वि णु ए. कशालकर, बी.एन. ठकार प्रयाग में ही बस गये और आजीवन यहा रहे श्री एन.एल. गुणे (गायन), एस.आर. मावलंकर (सितार) ने प्रयाग को अपना स्थायी निवास बनाया सरोदवादन में उस्ताद करामत उल्ला खाँ का राना प्रसिद्ध था जिनके शि यों में उस्ताद चुन्ने खाँ तथा पंडित गणेश प्रसाद ि वेदी, बनवारी लाल सितार में उल्लेखनीय ह तबलावादन के क्षेत्र में उस्ताद यूसुफ खाँ, प्रोफेसर लाल जी के नाम लिये जा सकते ह सारंगी वादन में नजीर खाँ का नाम उल्लेखनीय है तबलावादन के क्षेत्र में उस्ताद यूसुफ खाँ, प्रोफेसर लालजी के नाम लिये जा सकते ह हरिप्रसाद चौरसिया तथा र ुनाथ सेठ ने बाँसुरीवादन में बम्बई और देश के कोने-कोने तक प्रयाग की संगीत परम्परा का सम्मान बढ़ाया है

अन्य पुराने कलाकारों में तत्कालीन ख़लीफा पण्डित भोला भ का नाम आता है जो अलोपीबाग में रहते थे भ के पास ध्रुपद, होरी, ख्याल, ठुमरी, टप्पा की दुर्लभ बन्दिशों का अपार भण्डार था गगन बाबू वायलिन वादन में अ तीय थे लय पर उनका अभूतपूर्व अधिकार था उनके शि यों में श्रीराम श्रीवास्तव तथा

जोई श्रीवास्तव ने वायलिन वादन के क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त की हारमोनियम वादक नीलू बाबू को लोग आज भी याद करते ह उन्होंने इतना अधिक अभ्यास किया था कि अभ्यास करते-करते हाथों की उंगलियाँ टेढ़ी हो गयी था किसी समय में केसरबाई की समस्त रियासतों के संगीत सम्मेलनों में धाक थी वह जानकी बाई के साथ गाती था पसठ व ा से भी अधिक आयु वाली क णा देवी सात व ा की आयु से ही गायन ारा प्रसिद्धि प्राप्त करने लगी था उन्होंने लोकप्रियता का कीर्तमान स्थापित किया अब तक बादशाही मण्डी स्थित उनके निवास से कभी भोर में तैरती पं ितयाँ कब लोगे खबर मोरी राम मन को स्पर्श कर जाती ह और स्वर्णिम अतीत की याद दिलाती ह किराना ाराने के हबीब खाँ की शि या मुनीर खातून बेगम ने न केवल अपने देश के कोने-कोने में बल्कि पाकिस्तान एवं अन्य देशों में अभूतपूर्व लोकप्रियता प्राप्त की

प्रयाग में संगीत सम्मेलनों की परम्परा संगीत कला की प्रति ा एवं संगीत समिति की स्थापना में मेजर रंजीत सिंह, बैजनाथ सहाय तथा डी.आर. भ ाचार्य का विशे ा योगदान रहा है श्री प्रोजेश बनजा ने संगीत की दिशा में पर्याप्त कार्य किया तो श्री महेश नारायण सक्सेना ने संस्थागत पद्धति के लिए भी शा ा पर अनेक पुस्तकें लिखा संगीत सदन से संगीत संबंधी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुइ

उ ार प्रदेश का प्रत्येक अंचल संगीत के अतिरि ा प्रत्येक क्षेत्र के अपने लोकगीत ह ब्रज की होली, रासनत्य, मीरजापुर-बनारस की कजरी, बिरहा, कानपुर में श्रीक ण पहलवान और हाथरस में पंडित नत्थाराम शर्मा की नौटंकी परम्परा, प्रदेश के ामों में आल्हा, सावन आदि जैसी शैलियाँ, रामलीला मण्डलियाँ, पर्वतीय प्रदेश का संगीत इन सबसे समस्त प्रदेश संगीत रस से आप्लावित होता रहता है वस्तुतः उ ार प्रदेश की संगीत परम्परा अत्यन्त प्राचीन और देश में सबसे अधिक समद्ध रही है अतः इसे सरस प्रदेश कहना उपयु ा प्रतीत होता है

उ ार प्रदेश की संगीत परम्परा की अपनी विशे ाताएँ रही ह और योगदान भी ऐतिहासिक रहा है शायद इसका कारण इस प्रदेश की समद्ध सांस्कतिक प भूमि, इसकी माटी के कण-कण में बसी संगीतात्मकता है इटावा, अतरौली, सहसवान, किराना से लेकर रामपुर, आगरा, बनारस, लखनऊ, प्रयागराज तक और इनके अतिरि ा मथुरा, वन्दावन, अयोध्या के कोने से सुरीले स्वरों की झंकार, उसकी अनुगूँज सुनाई देती है शायद इस कारण इस प्रदेश का संगीत ा पारसमणि कहा जाता है, जिसे जिसने स्पर्श कर लिया वह लोहे से सोना बन गया

लखनऊ परम्परा के जनक गुलाम रसूल के प्रपौत्र (पुत्र उस्ताद मक्खन खाँ), नत्थन पीर बख्श ग्वालियर चले गये तथा लखनऊ की गायन शैली में अपने ढंग से परिवर्तन करके नयी शैली के साथ ग्वालियर ाराने का सूत्रपात किया, जिसने ह खाँ, हस्सू खाँ जैसे संगीत ों के कारण संगीत की ाराना गायकी में अपना प्रमुख स्थान बना लिया नत्थन पीर बख्श के प्रपौत्र हस्सू खाँ के शि य पंडित वासुदेव राव जोशी तथा जोशी के शि य पंडित बालक ण बुवा, इचलकरंजीकर की शि य परम्परा में पंडित वि णु दिगम्बर जी के यशस्वी शि य हुए इस प्रकार उ ार प्रदेश के नत्थन पीर बख्श से ग्वालियर ाराने तथा पण्डित वि णु दिगम्बर पलुस्कर की शि य परम्परा का सूत्रपात हुआ गुलाम रसूल के दूसरे प्रपौत्र (पुत्र उस्ताद शक्करा खाँ) बड़े मुहम्मद खाँ जयपुर चले गये

उस्ताद बड़े मुहम्मद खाँ तथा उनके पुत्र मुबारक अली खाँ की गायकी ने उस्ताद अल्ला दि ाा खाँ को बड़ा प्रभावित किया, वह उनके शि य बन गये इस परम्परा में केसर बाई केरकर, भुजा खाँ, मंजी खाँ, मल्लिकार्जुन मंसूर, किशोरी अमोनकर जैसे श्रे संगीत ा हुए वैसे उस्ताद अल्लादि ाा खाँ स्वयं अतरौली (जिला अलीगढ़) के थे और आगे चलकर बम्बई में रहने लगे सहारनपुर के सुप्रसिद्ध ध्रुवपद, होरी गायक सूफी संत खलीफ मुहम्मद जमा की शि य परम्परा में बीनकार बन्दे अली खाँ, ध्रुवपद गायकों नासिरु ीन खाँ, जाकिरु ीन खाँ, रहीमु ीन खाँ, नसीर मोइनु ीन, नसीर अमीनु ीन तथा नसीर फैयाजु ीन के नाम उल्लेखनीय ह सहारनपुर के निकट किराना नामक ाम निवासी अब्दुल वसीम खाँ ने जिस गायकी का प्रचलन किया, वह किराना ाराने के नाम से लोकप्रिय हुई इसी ाराने में बालक ण बुवा, हीराबाई बड़ौदकर, बहरे बुवा, रामभाऊ

कुंदगोलकर, श्रीमती गंगूबाई हंगल, सुरेश बाबू माने, रोशन आरा बेगम, भीमसेन जोशी जैसे यशस्वी संगीत ा हुए इसी प्रकार मुरादाबाद जिले में बिजनौर में उस्ताद दिलावर हुसैन के पुत्र ज्जू खाँ, नजीर खाँ तथा खादिम हुसैन खाँ बम्बई के भिण्डी बाजार मुहल्ले में जाकर बस गये उनके दय ाही अलाप, सूत, माड, गमक, मेरुखण्ड पद्धति पर आधारित तानों के कारण यह लोकप्रिय गायकी भिण्डी बाजार राना नाम से प्रसिद्ध हुई इस राने की शि य परम्परा में मम्मन खाँ, शमीर खाँ (शि य उस्ताद अमीर खाँ), मुहम्मद खाँ, कप्तान बख्श, झण्डे खाँ, जान खाँ, चाँद खाँ, अंजनीबाई मालपेकर, अमान अली खाँ, रमेश नादकणा, बसन्त राव देशपाण्डे जैसे श्रे कलाकार हुए

स्वर सामा ी लता मंगेशकर ने अमान अली से कई व ा संगीत की शिक्षा प्राप्त की भिण्डी बाजार राने से संबंधित प्रकाशन में इसका उल्लेख किया गया है इटावा के सितार नवाब इनायत खाँ गौरीपुर (बंगाल) चले गये तो सितार का गौरीपुर राना प्रचलित हो गया जिसके प्रमुख प्रतिनिधि हुए उस्ताद इनायत खाँ, उस्ताद विलायत खाँ, जयपुर के पंडित जयलाल जी ने पंडित बिन्दादीन जी से दस व ि कथक नत्य की शिक्षा प्राप्त की तथा लौटने पर बिन्दादीन जी ारा सिखलाई शैली में तोड़ा, परन की प्रधानता का समावेश करके कथक के जयपुर राने का नाम दिया इस राने की शि य परम्परा उल्लेखनीय है सोहन लाल, मोहन लाल, दुर्गा लाल, रोशन कुमारी, कार्तिकेय इस प्रकार यह कथन कि वर्तमान हिन्दुस्तानी संगीत मुख्यतः उ ार प्रदेश की देन है कहना अनुचित न होगा और न अतिशयो िपूर्ण

र ाक ि

उ ार प्रदेश के विभिन्न अंचलों की बोली, बानी और संस्कति की विविधता ने लोकनाट्य एवं लोक संगीत (गायन, वादन, नर्तन) को अनन्त पता प्रदान कर प्रदेश की संस्कति को अनगिनत पों में सजा-सँवार कर हमें वैभवशाली सांस्कतिक संपदा का स्वामी बनाया है नागरसभा, भरथरी, धोबिया राग, स्वांग सपेड़ा, रावला, गुलाबो-सिताबो (पुतुल नाट्य), ख्याल, स्वांग, भगत, सांगीत (नौटंकी), धनु ा य ा, रामलीला, रासलीला आदि प्रदेश के विविध पारम्परिक नाट्य पों में से बीसवा शताब्दी के अंत तक शनैः शनैः अनेक पों का क्षरण हो चला और उन्हें लुप्तप्राय की सं ा से अभिहित किया जाने लगा उपभो ा संस्कति, भूमंडलीकरण और इलेक्टानिक मीडिया के आतंक की मार खाते हुए 21वा सदी की देहरी में जिन पों को लेकर हम दाखिल हो सके ह उनमें मुख्यतः रामलीला, रासलीला और नौटंकी ही प्रदेश के प्रतिनिधि लोकनाट्य के प में अभिहित किये जा सकते ह रामलीला का अपना कोई एक मानक प नहा है प्रदेश की प्राचीन एवं प्रतिनिधि रामनगर (वाराणसी) की रामलीला आज भी पूरे नगर के विभिन्न क्षेत्रों को अपनी लीला स्थली बना लेती है रामलीला समिति प्रायः प्रदेश के ोटे-बड़े सभी नगरों में होती है कु नगरों में मंच बनाकर किसी एक केन्द्रीय स्थल पर एक ही रामलीला समिति ारा और किन्हा नगरों में अनेक समितियों ारा अलग-अलग रामलीलाएँ होती ह रासलीला आज भी अपनी ढ़िगत परम्परा एवं अनुशासन से बंधे होने के कारण अपनी गायकी और अभिनय की पारम्परिक शैली में ही निबद्ध है

नौटंकी का स्व प मूलतः वीथि नाटक का है, किन्तु पि ली शताब्दी के उ ारार्द्ध से शनैः शनैः इसके प्रदर्शन औपचारिक प्रेक्षागह और मंच पर भी होने लगे ह फिल्म और टी.वी. की बढ़ती हुई लोकप्रियता की चकाचाध में इस विधा ने आधुनिकता का जामा फूहड़पन के साथ ओढ़ना शु कर दिया जिसके फलस्व प इस विधा और इसके कलाकारों के अस्तित्व पर भी संकट के ाने बादल िरने लगे ह नौटंकी कलाकारों के वजूद को कायम रखने के लिए **नौ ंकी कला केन्** नामक संस्था सचे है

उ ार प्रदेश के आधुनिक रंगेतिहास की चर्चा करते समय प्रायः 1843 में लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह ारा लिखित **किस्सा रा ा कन्ैया** तथा 1853 में उन्हा के संरक्षण में सैय्यद आगा हसन अमानत लखनवी कत **न्दरसभा** के मंचन का जिक्र किया जाता है किन्तु भारतेन्दु हरि न्द्र का यह मत निर्विवाद लगता है कि विशुद्ध नाटक रीति से पात्र-प्रवेशादि नियम रक्षण ारा उनके पिता बाबू गोपालचन्द्र (उपनाम गिरधरदास)

ारा 1857-58 में लिखित भा ाा का प्रथम नाटक **न ु ा** था वाराणसी में 3 अप्रैल, 1868 को शीतला प्रसाद त्रिपाठी कत **जानकी मंगल** के मंचन को आधुनिक विधि से सम्पन्न प्रथम मंच प्रयोग कहना सर्वमान्य है हिन्दी नाट्यलेखन के साथ ही नाटकों के मंच प्रयोग की परम्परा के पहले अलमबरदार भारतेन्दु हरि ान्द्र ही थे अतः उन्हें आधुनिक हिन्दी रंगमंच का जनक कहना अतिशयोि ापूर्ण नहा है उनकी प्रेरणा से कानपुर में पंडित प्रतापनारायण मिश्र ने रंगमंच की अलख जगायी 1870 में वाराणसी में जन्मे आगा मुहम्मद शाह ने जब होश संभाला तो उन्होंने नौटंकियाँ भी देखा, भारतेन्दु के नाटक भी देखे और व्यावसायिक पारसी थियेटिकल कंपनियों के नाटक भी देखे और कालान्तर में नाट्यलेखक के   प में वे आगा हश्र काश्मीरी के नाम से व्यावसायिक रंगमंच के क्षेत्र में यशस्वी हुए उनकी देखरेख में चरखारी (महोबा) के महाराज ने चरखारी (महोबा) में एक थियेटर कम्पनी कायम की जो कु   दिन चली उनके समकालीन पंडित राधेश्याम कथावाचक तथा नारायण प्रसाद बेताब ने भी नाटककार के   प में यश अर्जित किया तथा पारसी हिन्दी रंगमंच की समद्धि में महत्वपूर्ण योगदान किया इसके विपरीत 1881 को प्रयागराज में जन्मे कवि-सेनानी पंडित माधव शुक्ल ने अपने नाट ालेखन एवं विशि   नाटकों के सफल निदशन ारा रा ीय भावधारा को अ ासारित करने के साथ ही विभिन्न नगरों में हिन्दी नाट ा समितियों की स्थापना की निस्संदेह हिन्दी रंगमंच के ि तीय उत्थान काल में उनके योगदान का स्मरण करते हुए उन्हें हिन्दी रंगमंच का उन्नायक कहना सटीक है 19वा शताब्दी के सातवें दशक में पारसी थियेटिकल कम्पनियों के अतिरि ा बंगला के नाट ा दलों ारा भी वन्दावन, आगरा, कानपुर, प्रयागराज और लखनऊ आदि में नाट ा प्रदर्शन करने के संदर्भ मिलते ह   तर मंजिल, लखनऊ में कलक ाा के **ो नेशनल थिये र** ारा 1875 में बंगला नाटक **नीलद ाण** के प्रदर्शन के दौरान एक अं ोज ारा नाट ा दल के कलाकारों से हुई मारपीट, 1876 की डामा परफारमेन्स एक्ट लागू होने का एक कारण बनी मजे की बात यह है कि लखनऊ की इस ाटना के 78 व ा बाद 1953 में लखनऊ के रिफ़ा-ए-आम क्लब के हाल में इप्टा, लखनऊ ारा खेले गए मुंशी प्रेमचंद की कहानी **दगा** के बेगम रज़िया सज्जाद ज़हीर कत नाट ा   पान्तर के अमतलाल नागर के निदशन में हुए मंचन के विरुद्ध तत्कालीन कां ास सरकार ारा इसी डामा परफारमेन्स एक्ट के तहत चलाये गए मुकदमे का ऐतिहासिक फैसला 1956 में उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के न्यायमूर्ति, प्रसिद्ध शायर पंडित आनन्दनारायण मुल्ला ने किया और स्वाधीनता के बाद इस धारा को निरस्त करने की व्यवस्था दी

बीसवा शताब्दी के पूर्वार्द्ध के चौथे दशक में बोलपट (सिनेमा) के आने तक लखनऊ, वाराणसी, प्रयाग, कानपुर, आगरा, गोरखपुर, मेरठ आदि में पारसी थियेटिकल कम्पनियों का ही बोलबाला रहा नाटकों का मंचन शौकिया रंगमंच के   प में कतिपय नाट्य संस्थाओं अथवा स्कूलों कालेजों एवं कु   वि ावि ाालयों के वा ािकोत्सवों में ही होता रहा, बोलपट के आते ही थियेटिकल कम्पनियों का बाजार खत्म हो गया ि तीय महायुद्ध के बाद 1943 में वामपंथी एवं प्रगतिशील कलाकारों तथा बुद्धिजीवियों ारा स्थापित इप्टा (भारतीय जननाट ा सं ा) की शाखाएँ आगरा, मेरठ, कानपुर, लखनऊ आदि नगरों में राजेन्द्र सिंह र ाुवंशी, महावीर स्वामी, ललितमोहन अवस्थी, बाबूलाल वर्मा, गोकुलचन्द्र रस्तोगी आदि के प्रयास से कायम हुई जो प्रायः ठे दशक तक अधिक सक्रिय रहा प्रेमचन्द की कहानियों और उपन्यासों के नाट ा   पान्तर इप्टा की शाखाओं ारा खूब खेले गए इस काल में कु   अपवादों को ोड़कर आमतौर से नाटककार मंचन के लिए नहा पाठ ाक्रम के लिए ही नाटक लिखते रहे कालेजों के शौकिया मंच की आवश्यकता प्रायः रामकुमार वर्मा, उपेन्द्रनाथ अश्क, जगदीश चन्द्र माथुर, लक्ष्मीनारायण लाल तथा क ण चन्दर आदि के नाटक ही पूरी करते रहे आल इण्डिया रेडियो के लिए लिखे गए वि णु प्रभाकर और चिरंजीत के नाटक भी मंच पर खेले गए

स्वाधीनता के बाद भारत सरकार ारा केन्द्रीय संगीत नाटक अकादमी, रा ीय नाट ा वि ाालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अन्तर्गत गीत नाट ा प्रभाग कायम किये गए इन्हा की तर्ज़ पर सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ ार प्रदेश ारा भी नाटक एवं रंगमंच की गतिविधियाँ आरम्भ हुइ जिनमें नाटक प्रतियोगिता तथा प्रचार-प्रसार हेतु नाट ा दल की स्थापना मुख्य है, 1963 में उ.प्र. संगीत नाट ा भारती (राज्य की संगीत नाटक

अकादमी) कायम हुई जो अप्रैल 1968 के पूर्व रंगमंच के क्षेत्र में सक्रिय न हो सकी 1961 में रवीन्द्र शतवार्षिकी के उपलक्ष्य में भारत सरकार के सहयोग से राज्यों में आरम्भ की गई रवीन्द्र रंगशालाओं के निर्माण की योजना के अन्तर्गत 1964 में प्रदेश की राजधानी में निर्मित रवीन्द्रालय ने राजधानी के रंगान्दोलन को गति प्रदान करने में मुख्य भूमिका का निर्वाह किया प्रायः इन्हा-आठवें दशकों में इलाहाबाद में मेहता प्रेक्षागह, वाराणसी में नागरी नाट ा मंडली का प्रेक्षागह, आगरा में सूरसदन, कानपुर में लाजपत भवन आदि सर्वसुविधा सम्पन्न प्रेक्षागह तैयार हुए प्रेक्षागहों के निर्माण के फलस्व प रंगकमा उत्साहित हुए, सभी नगरों में नाट ा संस्थाएँ गठित होने लगा, राज्य अकादमी ारा आयोजित नाट ा कार्यशालाओं, नाट ा प्रतियोगिताओं, समारोहों के आयोजनों, केन्द्रीय संगीत नाटक अकादमी, उ ार प्रदेश के संस्कति विभाग, भारत सरकार के संस्कति मंत्रालय (अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय), उ ार मध्य क्षेत्र सांस्कतिक केन्द्र तथा रा ीय नाट ा वि ाालय ारा संचालित विभिन्न योजनाओं ने रंगमंच की गतिविधियों को विगत चार दशकों में बहुत बढ़ावा दिया रा ीय नाट ा वि ाालय के नाट ा कला के स्नातकों तथा 1975 में उ ार प्रदेश में स्थापित भारतेन्दु नाट ा अकादमी में प्रशिक्षित नाट ाकर्मियों ारा नित नए नाट ा प्रयोगों से रंगचेतना के विकास में सहयोग मिला आज उ ार प्रदेश में लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, मेरठ, गोरखपुर स श महानगर ही नहा वरन् मथुरा, उरई, रायबरेली, उन्नाव, अयोध्या, बस्ती, गाजीपुर, बरेली, मुरादाबाद, शाहजहाँपुर, गाजियाबाद आदि अनेक नगरों में रंगमंच की गतिविधियाँ प्रायः होती रहती ह इन नाट ा केन्द्रों में एकाधिक सक्रिय नाट ा संस्थाएँ कार्यरत ह दर्पण, भारतीय जननाट ा सं ा, मे ादूत, यायावर, थियेटर आर्ट्स वर्कशाप नव चेतना सांस्कृतिक संगठन (लखनऊ), पान्तर (गोरखपुर), भारतीय जननाट ा सं ा (आगरा), स्वास्तिक (मथुरा), नागरी नाट ा मंडली, श्री नाट ाम (वाराणसी), समानान्तर इटीमेट थियेटर, प्रयाग रंगमंच दस्ता, (प्रयागराज), माध्यम नाट ा संस्थान (गाजीपुर), साधना नाट ा कला केन्द्र (गाजियाबाद) आदि संस्थाएँ अपने कार्यकलापों के स्तर और नैरंतर्य को बनाए रखने में सचे दिखती ह उ ार प्रदेश में विगत दशकों में प्रतिभाशाली रंगकर्मियों की संख्या में आशातीत वद्धि हुई है प्रथम पं ि के जिन नाट ा निदशकों ने अपनी पहचान रा ीय स्तर पर बनाई है और जो रंगमंच के विकास में सक्रिय ह उनमें उर्मिल कुमार थपलियाल, राज बिसारिया, सूर्यमोहन कुलश्रे (लखनऊ), श्रीमती गिरीश रस्तोगी (गोरखपुर) के नाम उल्लेखनीय ह प्रादेशिक स्तर पर ख्याति अर्जित करने वाले नाट ा निदशकों एवं अभिनेता-अभिनेत्रियों के नामों की सूची बहुत बड़ी है

पि ली शताब्दी के उ ाराद्ध में रंगमंच की कसौटी पर खरी उतरने वाली नाट ा कतियाँ देने वाले उ ार प्रदेश के नाट ा लेखकों में सत्यव्रत सिन्हा, लक्ष्मीनारायण लाल, ाानदेव अग्निहोत्री, गोविन्दबल्लभ पन्त, शम्भुनाथ सिंह, सव ारदयाल सक्सेना तथा सर्वश्री विनोद रस्तोगी, सिद्धे ार अवस्थी, उर्मिल कुमार थपलियाल, राजेश कुमार, मुद्राराक्षस, नरेश सक्सेना, नीलाभ, अजित पु कल, गिरिराज किशोर, सुशील कुमार सिंह, रंजीत कपूर, परिमल द ाा, श्याम नारायण, श्रीमती मणाल पाण्डेय उल्लेखनीय ह स्वाधीनता के उपरान्त उ ार प्रदेश के नाट ाान्दोलन को गति प्रदान करने में जिन रंगकर्मियों ने अपनी संगठन क्षमता अथवा कल्पनाशीलता अथवा समीक्षाओं अथवा अन्य प्रकार से उल्लेखनीय भूमिका अदा की उनमें अमतलाल नागर, ि जेन्द्रनाथ सान्याल, सत्यमूर्ति, हरिमोहन सैम्पसन, सरनबली श्रीवास्तव तथा सर्वश्री कुंवर नारायण, डा. भानुशंकर मेहता, क णनारायण कक्कड़, के.बी. चन्द्रा, स्वदेश बन्धु, डा. शरद नागर, दयाप्रकाश सिन्हा, डा. शिवमूरत सिंह, डा. अनिल रस्तोगी, डी. बैकुण्ठनाथ शर्मा, सतीश चित्रवंशी के नाम उल्लेखनीय ह

उत्तर प्रदेश में नुक्कड़ नाटकों की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका है जिसने यहाँ के मात्र मनोरंजक व फूहड़ नाटकों पर हमला करते हुए जाति-विद्वेष, सांप्रदायिकता, प्रांतीयता, व्यक्तिवाद, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, कुरीतियों के विरुद्ध जनता को तैयार किया, संदेश दिया ताकि आदमी-आदमी के बीच प्रेम का व्यवहार पैदा हो तथा विसंगतियों, विडम्बनाओं व शोषण के विरुद्ध जागरूकता पैदा हो। प्रतिबद्धता ही नुक्कड़ नाटकों की असली पहचान है। प्रयागराज, वाराणसी गोरखपुर, लखनऊ, आजमगढ़, अलीगढ़, जौनपुर, कानपुर सहित उ.प्र. के विभिन्न छोटे व ग्रामीण इलाकों में बनी विभिन्न नाट्य व सांस्कृतिक संस्थाओं ने वर्षों तक नुक्कड़

नाटक किये स्थिति यहाँ तक आई कि नवचेतना सांस्कृतिक संगठन की नाट्य टीम द्वारा निशातगंज सब्जी मंडी (लखनऊ) के पास नुक्कड़ नाटक करते समय निशातगंज (लखनऊ) पुलिस ने रंगकर्मियों के सीने पर बंदूक रख दी और गाजियाबाद क्षेत्र में 'सहमत' के सफदर हाशमी को गुंडों ने मौत के घाट उतार दिया। नुक्कड़ नाटकों का राष्ट्रीय नाटक समारोह वर्षों तक नैनीताल (जब वह उ.प्र. में था) में होता रहा जिसकी सर्वत्र चर्चा होती थी। कुछ समय के विराम के बाद नुक्कड़ नाटकों का दौर फिर इन्हीं जगहों पर शुरू होता दिखायी दे रहा है जिसे हम उ.प्र. के नाटय आंदोलन में एक नया चरण मान सकते हैं। दूसरी तरफ भारतेन्द्र नाटय अकादमी (बी.एन.ए.) के छात्रों व अकादमी की ओर से भी नाट्य गतिविधियाँ (मंचन, निर्देशन संगोष्ठी आदि) बढ़ी हैं बहुत सारे सरकारी प्रचारात्मक कार्यक्रमों को लेकर भी नुक्कड़ नाटक किए जा रहे हैं, जो विधा को बढ़ाने की दृष्टि से एक शुभ संकेत है।

लगभग 25 व ाा से प्रदेश में बाल रंगमंच को एक अलग पहचान देने की दिशा में उ ार प्रदेश संगीत नाटक अकादमी ारा पहल की गई, केन्द्रीय संगीत नाटक अकादमी, रा ीय नाट ा वि ाालय तथा संस्कति विभाग उ ार प्रदेश ने भी विगत दो दशकों से इस ओर ध्यान दिया जिसके फलस्व प बाल रंगमंच के विकास के लिए अनेक संस्थाओं ारा कु नगरों में ी मावकाश में नाट ा शिविरों आदि के आयोजन होते रहते ह इन संस्थाओं में भारतीय जन नाट ा सं ा (आगरा), साधना नाट ाकला केन्द्र (गाजियाबाद), यायावर (लखनऊ), साक्षात्कार का बाल रंगमंच प्रभाग, ए.बी.सी.डी., तथा नेह बाल भवन प्रयागराज, अभिनय ज्योति (वाराणसी) उल्लेखनीय ह इन संस्थाओं तथा बाल रंगमंच के प्रति जाग क प्रदेश के वयोवद्ध नाट ाकमा ललितमोहन थपलियाल (गाजियाबाद) तथा बाल रंगमंच विशे ा ा श्रीमती रेखा जैन एवं अनुभवी पोखरिया, चित्रा मोहन (लखनऊ) आदि ने मह वपूर्ण भूमिका निभाई है

उ ार प्रदेश में रंग प्रयोगों की विशद समीक्षाएँ ठे-सातवें दशक तक अं ाजी के अखबारों लीडर, द पायोनियर और नेशनल हेराल्ड में ही प्रकाशित होती था 1964-65 से दैनिक नवजीवन में कुशीलव की विशद समीक्षाएँ प्रकाशित होने लगा शनैः शनैः प्रदेश के हिन्दी-अं ाजी के प्रायः सभी दैनिक समाचार पत्रों में रंग गतिविधियों की सचित्र चर्चा प्रमुखता से होने लगा उ ार प्रदेश से रंगमंच वि ायक पहली डिमाई आकार की पत्रिका 1953-54 में इप्टा (भारतीय जननाट ा सं ा) आगरा ने **रंगमं ा** शी कि से प्रकाशित की जो बाद में **अभिनय** के नाम से प्रकाशित हुई 1972 में नक्षत्र, लखनऊ ने पहले चक्र मुद्रित पत्र **रंगमं ा समा ाार** शु किया जिसके कु अंक टैबलायड आकार में पे अगस्त 1973 से इसका प्रकाशन डा. झ.ला. सुल्तानिया अ ाात के सम्पादन में मासिक पत्रिका **रंगभार ी** के प में हुआ दर्पण संस्था ने काफी समय तक **द ाण श्य** अंतदशीय नाट ा पत्र प्रकाशित किया 1976 में बन्धु कुशावता ने **ााल रंगमं ा** का प्रकाशन आरम्भ किया नौटंकी कला केन्द्र ने डा. क णमोहन सक्सेना के सम्पादन में नौटंकी एवं लोक प्रदर्शनकारी कलाओं पर केन्द्रित पत्रिका **नौ ंकी कला** का प्रकाशन किया इन सभी पत्रिकाओं का जीवन कु महीनों से लेकर चंद सालों का ही रहा जुलाई 1977 से उ ार प्रदेश संगीत नाटक अकादमी ने प्रदर्शनकारी कलाओं को समर्पित त्रैमासिक **ायान** आरम्भ किया जिसका प्रकाशन अब तक नियमित प से हो रहा है भारतेन्दु नाट ा अकादमी ने अपने रजत जयंती व ा (2000 ई.) से **भर ारंग** अर्द्धवा िक का प्रकाशन आरम्भ किया है सुदूर गाजीपुर से **मा यम ना ा संस्थान** की ओर से डा. शिवमूरत सिंह के सम्पादन में वा िक नाट ा पत्रिका **रंगप्रभा** का प्रकाशन कु व ाा से हो रहा है 2000 ई. में **ा ामान सा ि य (गाजिया ाद)** ारा सं ाहणीय शताब्दी नाटक विशे ाांक प्रकाशित किया गया सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ.प्र. की मासिक पत्रिका **उत्तर प्रदेश** भी प्रदेश की रंग गतिविधियों को प्रायः प्रमुखता से रेखांकित कर रही है, एक अल्पविराम के बाद 2001 ई. में इसका 29वें व ा में प्रवेश अभिनन्दनीय है इसी व ा (2001 ई.) से प्रमुख संस्कति कमा शाखा वं ाोपाध्याय के सम्पादन में प्रदर्शनकारी कलाओं पर केन्द्रित सुंदर साज-सज्जा एवं सारगर्भित साम ाीयु ा त्रैमासिक **कला ासु ाा** की सांस्कतिक मंच पर आमद स्वागत योग्य है इसमें रंगकर्म पर भी साम ाी रहती है

कला

ऐतिहासिक ि से देखें तो उ ार प्रदेश में कला-परम्परा का लम्बा और प्राचीन इतिहास है होशंगाबाद, जोगीमारा, मिर्जापुर की सोनकढ़ा, रियासत रायगढ़, मानिकपुर आदि विभिन्न पर्वत श्रेणियाँ जो कई राज्यों के बीच से गुजरती हुई गई ह, उनकी गुफाओं में शैल चित्रकला का प्राचीन और वैभवशाली विकास देखने को मिलता है इसी तरह ाामीण लोक कलाओं में भी संस्कति व रीति-रिवाजों के अनुसार चित्रकला का भारतीय स्व प देखने को मिलता है जिसमें ई ार से लेकर समाज में फैले विभिन्न   पों व प्रतीकों की   वि मिलती है विभिन्न स्थानों पर प्रस्तर प्रतिमाएँ व टेराकोटा के   प भी दिखाई देते ह वाराणसी, जौनपुर, गोरखपुर, कुमायूँ, गढ़वाल (अब उ ाराखंड राज्य में), अवध क्षेत्र   पूवाचल, बुन्देल खण्ड और प ि ामांचल, प्रयागराज, मिर्जापुर आदि विभिन्न ऐसे क्षेत्र ह जहाँ कला जगत का विशि   भारतीय गुणों व चरित्रों, परम्पराओं व   ढ़ियों, अंधवि ाासों व प्रतीकों से भरा कला का एक विशि , निजी व पुरातन इतिहास बिखरा पड़ा है कहते ह जीने के लिए विभिन्न उपाय करने की जब ज रत मनु य को पड़ी तब आदिकाल से उसकी कल्पना श ाि व जीवन की ज रतों ने विभिन्न प्रकार के आवि कार व निर्माण की ओर प्रेरित किया मनु य की इसी कल्पना श ाि ने उसे बाद में विभिन्न रीति-रिवाजों को प्रस्तुत करने व उनका आनन्द लेने के लिए मूर्तियों, चित्रों, गीतों व संगीत की रचना की प्रेरणा दी प्रारम्भ में उनमें अनगढ़ता चाहे जितनी रही हो पर जीवन के स्पंदन से वह खदबदाता रहता था जीवन में ऐसी रुचि लेने और उसे निरंतर आनंदमय बनाने की स्वाभाविक प्रेरणा ने मनु य से चित्रकला व मूर्तिकला का विकास करवाया वि ाान, सभ्यता, संस्कति के विकास के साथ-साथ इन कलाओं का   प भी बदलता गया आज जिसे हम आधुनिक कला या चित्रकला के नाम से जानते ह उस कला की जड़ें यहाँ प्राचीन काल से ही किसी न किसी   प में मौजूद रही ह कला हर समय में आधुनिक रही है जो भी नया रचा जाता है वह आधुनिक होता है राजपूत, मुगल व पहाड़ी शैलियों में उसका बीसवा सदी से विकास हुआ जिसे हम आधुनिक चित्रकला के नाम से जानते ह

ब्रिटिश शासकों ने यहाँ की मेधा के दोहन के लिए एकेडेमिक व इण्टेलेक्चुअल अभियान शु   किये इसी अभियान के तहत उन्होंने 1907 में औ ाोगिक कां ाेन्स की जिनमें विविध बौद्धिक जगत में प्रवेश के लिए संस्थाओं की स्थापना पर विचार किया गया राजकीय कला एवं शिल्प महावि ाालय, लखनऊ की 1911 में स्थापना के उ े श्य के पीछे अंग्रेजों की यही मंशा थी बाद में स्वाधीनता के बाद यह संस्थान लखनऊ वि ावि ाालय से संबद्ध होकर लखनऊ कला एवं शिल्प महावि ाालय हो गया है

इस प्रकार उ ार प्रदेश में कला के क्षेत्र में आधुनिकता का प्रवेश होता है इस महावि ाालय की स्थापना के बाद भारतीय चित्रकला का आधुनिक दुनिया में लखनऊ यानी उ ार प्रदेश का भी, प्रवेश होता है लेकिन यहाँ हम जिस हिस्से पर संकेत करेंगे वह है प्राचीन और आधुनिक कला परि श्य का वह हिस्सा जो स्वाधीनता के बाद शु   होता है

मानव सभ्यता के विकास में संस्कति एक ऐसा आयाम है जिसे काल के अनुसार बिल्कुल अलग करके नहा देखा जा सकता यानी पि ले अध्याय, पि ली प्रव ाियाँ, पि ली अभिरुचियों का प्रभाव अगले अध्याय पर पड़ता-ही-पड़ता है यह एक सतत् प्रक्रिया है इसीलिए जब हम स्वाधीनता के बाद के उ ार प्रदेश की कला के पचास व ाा पर नजर डालते ह तो उसे पि ली कला-परम्पराओं और प्रभावों से बिल्कुल मु ा या अकेला नहा पाते वास्तव में यह कला की जीवंतता व विकास का प्रमाण भी है इस   ि से उ ार प्रदेश की कला पि ले पचास व ाा में अपना विशि   विकास करते हुए भी अपने अतीत की   ाया या प्रभाव से बिल्कुल मु ा नहा है पि ली   ायाओं, प्रभावों से सर्वथा मु ा हुआ भी नहा जा सकता इनमें से बहुत सारे प्रसिद्ध कलाकार ऐसे ह जिन्होंने ब्रिटिश सामाज्यवादियों के शासनकाल से उ ार प्रदेश के गवर्नमेंट कालेज आफ आर्ट्स एण्ड क्राफ्ट, लखनऊ से काम शु   किया और स्वाधीनता के बाद इनके काम में नया परिवर्तन आया उनकी जो कला-धारा थी वह अपने अनुसार ही विकसित होती रही जैसे वीरे ार सेन, ललित मोहन सेन, हरिहर लाल मेढ़, बी.एन.

जिज्जा, सुधीर रंजन खास्तगीर इत्यादि इन सभी चित्रकारों ने उ ार प्रदेश में रहते हुए भी प्रदेश की सीमा लां ाकर रा ीय और अन्तर्रा ीय कला जगत में अपना स्थान बनाया इस संदर्भ में चित्रकार एन. खन्ना का एक उद्धरण व्य है प्रदेश की कला में आधुनिक आयामों की ऊर्जा के लिए लखनऊ कला महावि ालय की एक बहुत बड़ी भागीदारी रही है 1911 से 1925 तक नेथोलियन हर्ड ने प्रधानाचार्य के पद पर रहकर भी अं ोजी स ा से देशज कला को आहत नहा होने दिया 1925 में प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य के प में आचार्य असित कुमार हाल्दार का आगमन हुआ उस समय उनकी हैसियत आधुनिक भारतीय कला में पहली पं ि के मजबूत स्तम्भ सी थी उन्होंने नए प्रयोगों के लिए वाश व टेम्परा माध्यम से सरलता व सादगी के अस्तित्व का मंत्र दिया बंगाल की रा ीय चेतना से चले हाल्दार से पहले 1918 में ल ु श्य चित्रों के प्रख्यात वीरे ार सेन (1897-1974) वि ालय में पहले ही आ चुके थे सौभाग्य से 1945 में वहा की शाखा के ललित मोहन सेन (1900-1954) को प्राचार्य का पद संभालने को मिला दस व ा तक पदीय सेवा के दौरान, उन्होंने पेस्टल व आयल पेस्टल से नैसर्गिक सौन्दर्य तथा आकतियों, विशे ाकर मुखाकतियों में सजीव बोधगम्यता के लिए प्रयोगों की दिशाओं में विस्तार किया उन्होंने ाफिक के तकनीकी पक्ष एवं रचना प्रक्रिया में बौद्धिक चिंतन का सूत्र दिया फिर दो व ा तक ललित कला विभाग के अध्यक्ष प्रो. हरिहर लाल मेढ़ (1909-1974) जो स्वयं प्राकतिक सौन्दर्य एवं विचित्रों के अध्यापन के लिए प्रख्यात थे, ने उस समय पुनः 1963-64 में कार्यकारी प्राचार्य के प में कार्य किया 1956 में दून स्कूल से आमंत्रित सुधीर रंजन खास्तगीर (1907-1974) के आगमन से वि ालय को स्वर्णकाल का सूर्य मिला

इससे स्प है कि स्वाधीनता के समय तक उ ार प्रदेश में कला का एक मुकम्मिल वातावरण बन चुका था और पूरे देश में अपनी विशि ता के कारण यहाँ का कला स्कूल अपनी पहचान बना चुका था स्वाधीनता प्राप्ति के पूर्व से ही उ ार प्रदेश में आधुनिक कला प्रव ियों ने प्रवेश करना शु किया था वास्तव में यह नया कला आन्दोलन था कला उपकरणों का विकास तो हो ही रहा था लेकिन कला के काम में आधुनिक जीवन की समस्याएँ व विसंगतियाँ प्रवेश करने लगी था दो वि ा युद्धों को झेल लेने के बाद कला परि श्यों में चिंतन का विकास एकदम से यथार्थ और मानवीय संवेदनाओं तथा त्रासदी के आधार पर शु हो गया था कला का काम केवल रम्य रचना नहा है, वह केवल विलास और मनोरंजन की वस्तु नहा है बल्कि वह कु सामाजिक दायित्व भी निभाती है इस तरह कला की दुनिया में एक नए धरातल ने अपनी जगह बनाई जिसमें मनु य और उसका यथार्थ, उसका शो ाण व सं ा ि, उसकी बदहाली व मानसिक दशा सब कु आ गया एक तरफ प्रकति का सुरम्य सौन्दर्य था तो दूसरी ओर भूख-पीड़ा, उपेक्षा, आक्रमण की दशाओं की अभिव्य ि भी कला के काम में आना शु हो गई थी यानी कला के काम की वि ाय वस्तु में परिवर्तन हुआ, उसके सरोकार और सामाजिक उ ारदायित्व बदले

इन सारी स्थितियों का प्रभाव उ ार प्रदेश के कला-विकास को भी एक प देता है उ ार प्रदेश में कला की चाहे विभिन्न परम्पराएँ विभिन्न क्षेत्रों में पहले से ही मौजूद रही हों लेकिन स्वाधीनता के बाद एक नया आयाम इस प्रकार आया कि लखनऊ कला महावि ालय तथा बनारस हिन्दू वि ावि ालय से निकले हुए तमाम कलाकार प्रदेश के विभिन्न भागों में ा गए विभिन्न निजी और सरकारी शिक्षण संस्थाओं में कला शिक्षक के प में उनकी नियु ि हुई वे नौकरी भी करते रहे और अपना मूल काम चित्रकला, मूर्तिकला आदि भी करते थे और नई वि ाय-वस्तु, कला-तकनीक आदि के साथ सामने आ रहे थे उन्हें बढ़ने में या स्वयं को और विकसित करने में रा ीय ललित कला अकादमी ने भी अपने रा ीय प्रदर्शनियों, शिविरों, ात्रव ियों आदि के ारा विभिन्न अवसर दिए

दरअसल स्वाधीनता के बाद उ ार प्रदेश में कला का विकास विभिन्न माध्यमों से हुआ मुख्य माध्यम तो लखनऊ का कला और शिल्प महावि ालय ही था कला के क्षेत्र में इसकी एक महत्वपूर्ण परम्परा रही है इसी तरह विभिन्न वि ावि ालयों में कला के विभाग खुले चित्रकला, मूर्तिकला और व्यावसायिक कला की पढ़ाई शु हुई काशी हिन्दू वि ावि ालय में कला का एक पूरा विभाग ही खुला इसी प्रकार इलाहाबाद वि ावि ालय,

आगरा वि ावि ालय, गोरखपुर वि ावि ालय, पंतनगर आदि में कला-शिक्षण का काम शु हुआ औ ोगिक नगर होने के बावजूद कानपुर और अलीगढ़ में भी कला के विभाग खुले और विभिन्न स्तरों पर कला-शिक्षण आरम्भ हुआ स्कूलों, इंटर कालेजों, डि ी कालेजों और वि ावि ालय स्तर पर कला शिक्षण का जो विकास स्वाधीनता के बाद हुआ उसने उ ार प्रदेश में कला-विकास किया इनके अतिरि त विभिन्न नगरों में विभिन्न कलाकारों के सामूहिक और निजी प्रयास से कई संस्थाएँ स्थापित हुइ जिनमें वरि ठ चित्रकारों कलाकारों से लेकर युवतर कलाकारों की भी किसी-न-किसी प में हिस्सेदारी रही इन संस्थाओं ने कला को एक नया परि श्य देने, युवा कलाकारों में काम करने की ऊर्जा भरने में बड़ी मदद की

राज्य सरकार ारा केन्द्रीय ललित कला अकादमी की तरह यहाँ भी कल्चरल अफेयर्स एण्ड साइंटिफिक रिसर्च डिपार्टमेंट उ.प्र. की देखरेख में 8 फरवरी 1962 को एक स्वाय ा कला संस्था यू.पी. स्टेट ललित कला अकादमी की स्थापना लखनऊ में हुई जिसका मूल उ ेश्य प्रदेश में कला एवं कलाकारों की प्रोन्नति करना था अकादमी आज भी अपने कार्य में समर्पित है इसके प्रथम अध्यक्ष डा. सम्पूर्णानन्द थे

यही नहा केन्द्रीय ललित कला केन्द्र ने भी 1984 में अपना क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में स्थापित किया जिसका मूल उ ेश्य उ ार प्रदेश में कला के एक नए वातावरण का सजन, कलाकारों को काम करने की जगह उपलब्ध कराना, उनकी कलाओं की सामूहिक तथा एकल प्रदर्शनी आयोजित करना, देश के विभिन्न भागों की कला विशि टताओं, नए कलाकारों से यहाँ के कलाकारों का परिचय कराना, विभिन्न राज्यों के युवा कलाकारों को अत्यन्त सामान्य नियमों के आधार पर केन्द्र में दाखिला देकर काम करने की जगह व अवसर प्रदान करना आदि था

जाहिर था उ ार प्रदेश में कलाकारों की संख्या जिस तरह बढ़ रही थी और कलाकार अपना काम आम दर्शकों के बीच भी ले जाना चाहते थे तथा अन्य राज्यों के युवा तथा वरि चित्रकारों, कलाकारों के काम से परिचित होना चाहते थे उनके लिए उ.प्र. राज्य ललित कला अकादमी तक रा ीय ललित कला केन्द्र पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहा करा पा रहे थे उनकी अपनी सरकारी सीमाएँ, नियम-कानून थे और पूरी तरह कला का वातावरण तैयार करना तथा निरन्तर कला गतिविधियों की खोज करते हुए, नए कलाकारों को प्रोत्साहित करते रहना संभव नहा था

इन स्थितियों में युवा चित्रकारों कलाकारों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए यह आवश्यक हो गया था कि यहाँ भी कु लोग निजी प्रयासों से कला दी ाओं को चालू करें इसकी एक बड़ी परम्परा भारत के महानगर मुम्बई, दिल्ली, मद्रास आदि में पहले ही स्थापित हो चुकी थी अतः उ ार प्रदेश के विभिन्न नगरों जैसे लखनऊ में सि आर्ट गैलरी का उद् ाटन अगस्त 1994 में हुआ और बाद में गैलरी डी आर्ट नाम से एक कला दी ा 11 मई 1997 को उद् ाटित हुई इनमें से सि बन्द हो गई है वाराणसी में भी इस ढंग के कु कला केन्द्र निजी, सामूहिक व ात्रों के प्रयासों से सक्रिय ह जैसे ए.बी.सी. आर्ट गैलरी, कला केन्द्र, आर्य भा ा संस्थान, वकिग आर्टिस्ट्स-आफ वाराणसी आदि कानपुर की संस्थाएँ चिकितु ी, शिल्पी कला केन्द्र आदि गोरखपुर की संस्था सजन आदि इसी तरह आगरा की संस्था संकल्प आर्ट सोसाइटी और अलीगढ़ की संस्था उत्क ा फनकार सोसाइटी , प्रयागराज की जैसी विभिन्न संस्थाएँ इस प्रदेश में ह जो अपने स्तर से विभिन्न कला गतिविधियाँ करती ह

स्वाधीनता के बाद के उ ार प्रदेश के कला परि श्य को देखने के लिए मुख्य प से तीन-चार बिन्दुओं पर गौर करना ज री है पहली बात है कि स्वाधीनता के बाद उ ार प्रदेश (विशे ा तौर पर लखनऊ) में कला के जितने सरकारी, गैर सरकारी व निजी संस्थान स्थापित हुए उन्होंने क्या गतिविधियाँ का यहाँ से कितने कलाकार बाहर गए यहाँ कला प्रशिक्षण करते हुए कलाकारों ने किस ढंग से काम किया तथा आत्मशिक्षित कलाकारों की क्या भूमिका रही फ्रीलांस आाटस्ट के प में कलाकारों की क्या भूमिका रही फिर कला संबंधी कोई पत्र-पत्रिका प्रकाशित हुई कि नहा तथा यहाँ दैनिक पत्र-पत्रिकाओं में कला-समीक्षाओं की क्या स्थिति

रही किस दिशा व कितनी वस्तुपरकता के साथ वे सामने आइ इस प्रकार हम देखते ह कि पि ले पचास व ा में उ ार प्रदेश में कला गतिविधियों के विकास के अनेकानेक चरण रहे ह

राज्य ललित कला अकादमी ने यहाँ से कला त्रैमासिक नाम से पत्रिका कु व ा तक निकाली लगभग ह साल के बाद यह स्थगित हो गई और अब फिर निकलना शु हुई है इसके शुरुआती दौर के संपादक मंडल में पी.सी. लिटिल, क णनारायण कक्कड़ आदि थे इस पत्रिका से प्रदेश की विभिन्न कला गतिविधियों की एक झलक मिलती थी और कई बार कला संबंधी कु सूचनात्मक व महत्वपूर्ण लेख भी सामने आते थे, जिनसे उ ार प्रदेश का कला परि श्य समझने में कु सहायता मिलती थी इधर कला दी ा नामक कला पत्रिका का प्रकाशन भी शु हुआ है वैसे साहित्यिक पत्रिका भी कला को स्थान देती ह पत्रिका के बाद उन गतिविधियों का महत्व होता है जो विभिन्न कला संस्थाएँ करती रहती ह क्योंकि इनसे पता चलता है कि प्रदेश में कला और कलाकार की दिशा क्या है तथा वे किस ढंग से काम करते ह

स्वाधीनता के प्रारंभिक काल में शांति निकेतन, कलक ा, मद्रास, मुम्बई, अहमदाबाद, बड़ौदा आदि देश के प्रमुख कला केन्द्रों में ज्यादातर कलाकारों ने यथार्थवादी व प्रभाववादी शैली में आकतिमूलक या श्य चित्रों को लेकर ही विभिन्न प्रयोग किए भारतीय चित्रकला पर ईरानी, जापानी, चीनी, तिब्बती और बाद में यूरोपीय कलाओं का प्रभाव रहा है इससे प्रभावित होकर यहाँ के वरि व शताब्दी के शुरुआती दौर के चित्रकारों ने काफी काम किए लेकिन बाद में अपनी निजी शैली व वि ायवस्तु का प्रयोग भी शु किया उ ार प्रदेश में भी कला का परि श्य चूँकि वही था इसीलिए इन सारे प्रभावों व प्रयोगों के बावजूद यहाँ के चित्रकारों, कलाकारों ने अपने ढंग से काम किया इन पर आधुनिक कला परि श्य और निजी प्रयास स्प है वरि चित्रकार मदनलाल नागर ने ठीक टिप्पणी की है कि उ ार प्रदेश में भी सन् 1949-50 ई. के लगभग कु नयी पीढ़ी के कलाकार लीक से हटकर नये प्रयोगों की ओर अ ासर हुए ऐसे कलाकारों में हम सुरे ार सेन, वि ानाथ खन्ना, रमेश चन्द्र साथी, आर.एस. बि , मदनलाल नागर, विजय चक्रवता, कांजीलाल, नित्यानंद महापात्र, अजमत शाह, एस.पी. च ा, बी.एन. आर्य, फ्रक वैसली, योगेन्द्रनाथ योगी जैसे तत्कालीन पुराने नए कलाकारों का नाम ले सकते ह इनमें मूर्तिकार जयनारायण सिंह का अपना एक विशे ा महत्व है अवतार सिंह पँवार शांति निकेतन से आए थे राम किंकर बैज का उन पर प्रभाव था उन्होंने मूर्तिकला में नयी शैली ईजाद की 1945 में उन्हें अन्तर्रा ीय पुरस्कार मिला था साथ ही न्यूड फोटो ाफी में कलात्मक प्रयोग किए उ ार प्रदेश में चित्रकला के विकास की तस्वीर वास्तव में लखनऊ कला महावि ालय तथा विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी कला संस्थाओं, ुपों व निजी कला दी ाओं में विभिन्न कलाकारों के काम की होने वाली प्रदर्शनी से पता चलता है

शु में लखनऊ कला महावि ालय में होने वाली वार्ि ाक कला-प्रदर्शनी का विशे ा महत्व रहा है इन्हा कलाकारों में से ज्यादातर कलाकार बाहर निकले ह या अपने काम को विशि बनाते हुए रा ीय, अन्तर्रा ीय ख्याति के हुए ह ऐसी संस्थाओं में उ ार प्रदेश कलाकार सं ा का एक विशे ा महत्व है जो 1936 में स्थापित होकर अपनी कु गतिविधियाँ चलाकर फिर नि ्क्रिय पड़ गया पर 1948 में यह पुनः सक्रिय हो गया और सभी कलाकारों ने इसमें अपनी हिस्सेदारी दिखाई इसके अन्तर्गत लखनऊ सहित आगरा, वाराणसी, कानपुर, अल्मोड़ा, रानीखेत, मसूरी, नैनीताल आदि विभिन्न स्थानों पर विभिन्न कलाकारों के काम की प्रदर्शनियाँ आयोजित होती रहा जिनसे स्प हुआ कि यहाँ के कलाकार किस ढंग से काम में जुटे हुए ह बल्कि ऐसे ही कलाकारों में एक रणदा उकील भी अपने विशि काम और बाद में दिल्ली में चित्रकला स्कूल की स्थापना के लिए प्रसिद्ध हुए यह एक ऐसा विशि स्कूल सिद्ध हुआ जिसमें कई महत्वपूर्ण चित्रकारों ने अभ्यास किया, दीक्षा ली ऐसे ही एक महत्वपूर्ण चित्रकार कवि शमशेर बहादुर सिंह ने भी यहाँ चित्रकला की शिक्षा ली और यथार्थवादी चित्रकला परम्परा में काफी महत्वपूर्ण काम किया वह हिन्दी के अत्यन्त महत्वपूर्ण कवि ह अतः जब उन्होंने चित्र बनाना शु किया (अनियमित प से) तो उनके काम में गहरी संवेदना, मानव-जीवन के विभिन्न यथार्थवादी और सेन्सुअस चित्र मिलते ह टूटी खाट, एक ोटा सा कमरा, एक त, एक रेल क्रासिग से लेकर

पु स्तनों का सौन्दर्य उनके चित्रों में देखते बनता है उनका महत्व इसलिए भी है कि उन्होंने स्वाधीनता के इन पचास व ा में एक-एक कर मानों अपने कवि कर्म के लिए विशे ा ऊर्जा लेने के लिए चित्रकला के काम किये एक अद्‌भुत लयात्मकता से उनका काम भरा है जहाँ मानव जीवन के विभिन्न प अपनी पूरी ऊ मा के साथ मौजूद ह कवि-चित्रकार की चर्चा चल रही है तो दो-तीन अन्य महत्वपूर्ण ऐसे व्य ि ह जिनकी चर्चा के बिना उ ार प्रदेश का कला इतिहास कभी पूरा नहा हो सकता ये ह महादेवी वर्मा, बिपिन कुमार अ ावाल, जगदीश गुप्त, श्रीपत राय, ानश्याम रंजन आदि

जब हम कला संस्थाओं की बात करते हैं तो कानपुर के इन्टरनेशनल सेंटर, लखनऊ की सोशल वेल्फेयर सोसाइटी , विजुअल आर्ट सोसाइटी, ुप आफ नाइन आर्टिस्ट्स आदि को भुलाया नहा जा सकता सोशल वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक सदस्य व सचिव थे गजनफर हुसैन सि ीकी और संयु ि सचिव जे.एन. सिंह समाज कल्याण के साथ इस संस्था ने कला के क्षेत्र में भी अपने ढंग से बिल्कुल अलग काम किया विभिन्न शहरों में अनेक कला-प्रदर्शनियाँ आयोजित का जिनमें जे.एन. सिंह की कतियों की प्रदर्शनी पोलिश कला प्रदर्शनी, ब्रिटिश मास्टर पीसेज थ्रू द एजेज, मानियन शिल्प के अन्तर्गत विशि प्रदर्शनियाँ आयोजित का और सुधीर खास्तगीर की एकल प्रदर्शनी भी आयोजित की इन आयोजनों से उ ार प्रदेश में कला को लेकर एक विशि प्रकार की चेतना व उत्सुकता का विकास हुआ दुनिया की विभिन्न कला शैलियों से यहाँ के कलाकार परिचित हुए, वाश शैली की विशि ता व कोमलता को आत्मसात किया और अपने काम के लिए नई ऊर्जा, तकनीक व वि ाय वस्तु प्राप्त किए ुप-5, लखनऊ ने 1969 में प्रदर्शनियाँ आयोजित का फिर 1970 में ुप-9 की स्थापना करके गतिविधियाँ का इन दोनों ुपों के संस्थापक सदस्य जे.एन. सिंह, ानश्याम रंजन, सतीश ि वेदी, के.के. श्रे आदि मुख्य थे लखनऊ ुप की स्थापना 1981 में हुई थी वाराणसी में वकिग आर्टिस्ट आफ वाराणसी का गठन 90 के दशक में किया था फिर लखनऊ में यू.पी. वाकग आाटस्ट एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर, 2000 में हुई थी

आज उ ार प्रदेश में जितने चित्रकार मूर्तिकार काम कर रहे ह उन सबका नामोल्लेख करना तो संभव नहा है लेकिन स्वाधीनता के इन पचास व ा में कु महत्वपूर्ण कलाकारों का नाम लिए बिना यहाँ का कला-परि श्य व सांस्कतिक विकास की परेखा स्प नहा होगी इसलिए ऐसे कु नाम इस प्रकार ह क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार, सी. बरतरिया, सुखवीर सिंहल, श्रीराम वैश्य, सुधीर खास्तगीर, रामचन्द्र शुक्ल, मदनलाल नागर, आर.एस. बि , बी.एन. आर्य, सतीश चन्द्र, जयक ण, मोहम्मद सलीम, अजमत शाह, डी.पी. धूलिया, श्रीमुनि सिंह, नारायण कुमार मिश्र, रणवीर सक्सेना, सुमानव, रथिन मित्रा, दिलीप दास गुप्ता, आर.सी. साथी, आर.एस. धीर, असद अली, पम्पीलाल, पी.सी. लिटिल, श्रीपत राय, नरेन्द्रनाथ राय, एस. दास गुप्त, नन्द किशोर खन्ना, गोपाल क ण, गज्जर, सतीश ि वेदी, शंखो चौधरी, तूफान रफाई, गोपाल मधुकर चतुवदी, एस.एन. सक्सेना, मो. हनीफ, नित्यानंद महापात्र, अवतार सिंह पवार, विमला वि , क ण शंकर, प्रभा पंवार, सुधा अरोड़ा, बलवीर सिंह क , अखिलेश निगम, ानश्याम रंजन, बालाद ा पाण्डेय, एन. खन्ना। ये स्वाधीनता बाद के ऐसे कलाकार ह जिन्होंने विविध शैली में अपने काम किए और उ.प्र. की एक खास पहचान बनाई रा ीय-अन्तर्रा ीय ख्याति हासिल की आज भी इनमें से ज्यादातर कलाकार अपने काम में लगे हुए ह

इनके बाद चित्रकारों की अगली पीढ़ी आई जिसने अपने काम को नए आयाम दिये पहले की तुलना में इस पीढ़ी में मूर्तिकार भी ज्यादा थे और चित्रकार भी। इनमें से कई ऐसे थे जिन्होंने समय-परिवर्तन और बाजार की स्थिति को देखते हुए मूर्तियाँ बनाइ इनमें ओम झिंगरन (1994 में निधन, 37 साल की उम में), पवन कुमार निर्धन , उमेश सक्सेना, नानक वर्मा, मो. शकील, शरद पाण्डेय, राजेन्द्र प्रसाद, राजेन्द्र प्रसाद गोण्ड, बी.एन. शुक्ला, डी.पी. मोहन्ती, अजीत वर्मा, अवधेश मिश्र, राजीव मिश्र, आर.एस. शाक्या, आशुतो ा निगम, सनत कुमार चैटजा, राम कंवर, राजेन्द्र करन , नवाज, क ण कुमार सिंह, विमल बालचन्द्र, राजीव मंडल, विमल रमैया, वंदना राजदान, वि ानाथ, सैयद, आजाद सोनकर, अनीता नारायण, रीना पंवार, चन्द्रकांत कुमार पालीवाल, खालिद अहमद, दशरथ, अरुण कुमार गुप्ता, रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, धमन्द्र कुमार,

अशोक भौमिक, रमेश राय, मकबू अंसारी, बजेश कटियार, जफर, रोशन, योगेन्द्र देव सिंह, विनोद कुमार सिंह, रातुलचन्द्र गोगोई, मुकुल पंवार, अरविन्द कुमार सिंह, अमित कुमार जायसवाल, अभय, अरुण सिंह, अशोक कुमार उपाध्याय, रा ावेन्द्र प्रताप सिंह, अमित कुमार शर्मा, अजीत कुमार सिंह, असित कुमार पटनायक, ई ार चन्द्र गुप्ता, उमेन्द्र प्रताप सिंह, कमलेश कुमार, चंदन कुमार, टंकेश कुमार, दलसिंगार प्रजापति, दिनेश कुमार, नवीन श्रीवास्तव, नरेन्द्रजीत सिंह, पंकज शर्मा, पंकज सरोज, प्र ाद सिंह, बी.आर. नरेन्द्र, भारतभू ाण, राजेन्द्र प्रसाद यादव, शिवनाथ राम, शत्रु न प्रसाद, शशि प्रकाश, सुनतराम चौधरी, संजय कुमार साहनी, संतो ा कुमार खन्ना, दय गुप्ता, ानेन्द्र कुमार मिश्र, सुशील कन्नौजिया, आलोक कुमार, पुरु ो ाम सिंह, प्रदीप शर्मा, शिवेन्द्र सिंह, तिलोक कुमार शर्मा, संजय कुमार, नवरतन लाल गुप्ता, राम दय, पंकज, पी. मदन गुप्ता, धर्मराज सिंह, दिलीप कुमार, ब्र ा स्व प, शिव बालक, राम बाबू आदि अनेकानेक चित्रकारों मूर्तिकारों के नाम लिए जा सकते ह इनमें से अधिसंख्य कलाकार ऐसे ह जो फ्रीलांस भी ह और पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रहे ह

महत्वपूर्ण बात है कि जिस प्रकार उपरो ्त कलाकार पूरे उ ार प्रदेश में प्रचलित कला प्रव ि की एक तस्वीर पेश करते ह, उसी प्रकार महिला कलाकारों की भी एक लम्बी परम्परा यहाँ विकसित हुई उ ार प्रदेश में काफी पहले से ही कला की तरफ एक विशे ा रुचि महिलाओं में दिखाई पड़ी बल्कि कहना तो यह चाहिए कि विशि और यथार्थ की गहरी पकड़, उपेक्षित समाज व महिला वर्ग की गहरी संवेदना की चित्रकार अमता शेरगिल गोरखपुर की ही था उनके पति वहाँ डाक्टर थे अप्रत्यक्ष प से अमत शेरगिल का प्रभाव आधुनिक भारत के बहुत सारे चित्रकारों पर पड़ा है प्रभा पंवार, सुधा अरोड़ा, विमला बि , अपर्णा सचान, चित्रलेखा सिंह, पु पा गुप्ता, किरन राठौर, करुणा सिब्बू, अलकनंदा मुखजा, अर्चना वर्मा, अनुसूया सिंह, अनीता नारायण, आराधना, इंदिरा पुनिया, क णा बैराठी, कुसुम दास, कीर्ति वर्मा, प्रेरणा सिंह, प्रेमा मिश्रा, पु पा खन्ना, पूर्णिमा तिवारी, प्रेम कुमारी श्रीवास्तव, पु पा सिंह, मदुला सिन्हा, मंजू प्रसाद, मंजुला चतुवदी, मनी ा दोहरे, मंजू शुक्ला, मालविका कपूर, दीपा पाठक, नीता कुमार, नीलम यादव, निशी कुमारी, रंजना शर्मा, रेशमा जाफरी, रेखा कक्कड़, रेखा निगम, रोली सिंह, पम त्रिपाठी, व ा जौहरी, वसुधा योगी, वंदना, वंदना राजदान, शीला, संध्या जायसवाल, सिरताज सालेहा, फातिमा काजमी, सु ामा अ ावाल, साधना लाल, इन्दु रस्तोगी, रेणु सिंह, प्रेमलता सिंह, सीमा जावेद, सावित्री पाल, दीपा खरे, ज्योति शुक्ला, किक्षा श्रीवास्तव, रुकइया सुल्ताना, विभावरी सिंह, विधि निगम, रेखा यादव, स्नेह मोहन, संगीता शर्मा, रंजना सिन्हा, वीणा श्रीवास्तव, मीना सिंह, इंदु रस्तोगी, शुभा नाग, सारिका बाला, हेमा पांडेय, श्वेता शर्मा, अमत मेहरोत्रा इत्यादि अनेक उल्लेखनीय नाम ह जिन्होंने अपने-अपने ढंग से कला विकसित की है

यहाँ जितने भी कलाकारों के नाम लिए गए ह उनमें आकारादि क्रम और उम का ध्यान नहा रखा गया है वे कहाँ के ह यह भी नहा लिखा है लेकिन लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, आगरा, अलीगढ़, कानपुर, सुल्तानपुर, जौनपुर, बरेली, मिर्जापुर, सीतापुर आदि स्थानों के कलाकार ह यानी स्वाधीनता के बाद ये पूरे-पूरे उ ार प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते ह 1947 के बाद जैसे-जैसे व ा आगे निकलते गए और लखनऊ के कलाकारों का परिचय तथा जानकारी बाहर के कलाकारों, उनके काम और गतिविधियों से हुआ इन कलाकारों ने जीवन, समाज, राजनीतिक और मनोलोक की विभिन्न स्थितियों को पकड़ने की कोशिश की है अकारण नहा है कि इनके काया की प्रदर्शनियाँ ललित कला अकादमी दी ा से लेकर सि कला दी ा, गैलरी दी आर्ट तक में आए दिन लगती रहती ह इनको देखने से लगता है कि उ ार प्रदेश में काम काफी हो रहा है और रा ीय स्तर पर भी उसकी पहचान बन रही है अफसोस है कि सि आर्ट गैलरी बन्द हो गई और गैलरी द आर्ट लगभग कला वस्तुओं की एक दुकान में बदल चुकी है

उ ार प्रदेश में, खास तौर से लखनऊ में, कला-समीक्षाएँ भी नियमित होती ह यहाँ के प्रमुख कला समीक्षकों में क ण नारायण कक्कड़, अनिल सिन्हा, अखिलेश निगम, ानश्याम रंजन, एन. खन्ना आदि ह जिन्होंने कला-समीक्षा को व्यावहारिक व ठोस आधार दिया है तथा उ ार प्रदेश की कला की व्याख्या कर रहे ह

वैसे यहाँ के सभी दैनिक पत्रों में कला प्रदर्शनियों पर संवाद लिखने वाले नए-पुराने उत्सुक और उत्कर्ण संवाददाता ह जो निरंतर अपने को विकसित करने की कोशिश कर रहे ह कला-समीक्षक वास्तव में उस उ ारदायित्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते ह जिससे प्रदेश की आधुनिक कला व सांस्कतिक परि श्य तथा विकास की तस्वीर स्प होती है इनमें खास तौर से दो-एक ऐसे कला समीक्षक ह जिन्होंने कला-समीक्षा का, एक तरह से उ ार प्रदेश में इतिहास रचा है और समीक्षा की एक सर्वथा नई स्थापना की है, जिससे केवल कला प्रदर्शनियों का विवरण ही नहा मिलता बल्कि कला के आधुनिक संदर्भ में जितने भी सवाल पैदा हो सकते ह उन्हें वे उठाते रहे ह और उन पर चर्चा करते रहते ह आज यह परि श्य बदल गया है 2007 तक आते-आते कला समीक्षा की स्थिति समाप्तप्राय है शे ा अखबारों में कला-प्रदर्शनी की सूचनाएँ पती ह

उ ार प्रदेश का कला परि श्य तथा इसके विकास की रेखाएँ किस प्रकार फैली ह इसे इस तथ्य से भी जाना जा सकता है कि यहाँ से कितने कलाकार बाहर गए और महत्वपूर्ण कलाकार के प में प्रति ि त हुए, उदाहरण के तौर पर श्याम शर्मा पटना में ह, बलदेव गंभीर अमतसर में, सुरेन्द्र जोशी और राम अवतार जायसवाल जयपुर में, अशोक भौमिक, मामून नोमानी व राजीव लोचन, रमेश बि , मुकुल पंवार, श्याम शर्मा (चित्रकार) दिल्ली में, संपत कुमार शांति निकेतन में तो हरीश राम शिमला कला महावि ालय के प्राचार्य यह चर्चा अधूरी रह जाएगी अगर चित्रकार यशोधर मठपाल की चर्चा न की जाय एक आदर्शवादी भूदानी की तरह यशोधर मठपाल ने स्वयं तो समय-समय पर चित्रकला का उत्क काम किया ही है भीमताल में इन्होंने अपना एक बड़ा व विविध कला-सं ाहालय भी स्थापित किया है जो इनके अथक परिश्रम और खोजी ि का परिणाम है पहाड़ क्षेत्र की कलात्मक संपदा और कलात्मक प्रतिमाओं का संयोजन, संकलन इनके सं ाहालय का उ ेश्य है वास्तव में उ ार प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में स्वाधीनता के बाद कला और संस्कति का जो विकास हुआ है उसकी एक झलक यहाँ मिलती है वास्तव में यह एक कला आश्रम है

यही नहा उ ार प्रदेश के कलाकार फिल्मी दुनिया व राजनीति में भी गये और अपनी जगह बनाई मिसाल के तौर पर ललित नाग और मुजफ्फर अली को लिया जा सकता है नाग ने फिल्मों में कला निदशन किया और कार्टून फिल्मों के निर्माण में महारथ हासिल की मुजफ्फर अली की गहरी रुचि चित्रकला में थी, शु में काफी काम उन्होंने किए, कई प्रदर्शनियों में शामिल हुए तथा उ ार प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी से पुरस्कत भी हुए बाद में राजनीति और फिल्म में सक्रिय हुए लेकिन आज भी उनके मन में चित्रकला के लिए गहरा लगाव है

ये सारी स्थितियाँ स्प करती ह कि उ ार प्रदेश में सांस्कतिक विकास के साठ व ा किन-किन राहों से गुजरे ह 1957-58 में बनी फोर आर्टिस्ट ुप (फैग) तथा 1960 में ुफ आफ यंग पेंटर्स एंड स्कल्पटर्स (जिण्स) सूचना विभाग की तत्कालीन सहायक निदेशक सरला साहनी ने फैग और विभिन्न कलाकारों श्री मुनि सिंह, विजय चक्रवता, एस.जी. श्रीखण्डे आदि का अपूर्व योगदान रहा, जिन्होंने उ ार प्रदेश में कला का एक वातावरण तैयार किया चित्रकार अखिलेश निगम, जो अपनी प्रिंटाज शैली के प में विशे ा तौर पर जाने जाते ह, कहते ह 1975-76 में क्रमशः दो और कला संस्थाओं ने, विजुअल आर्ट सोसाइटी और यू.पी. आर्ट कासिल के नाम से जन्म लिया परन्तु क्रमशः ललित कला अकादमी की कला वीथिका में (दस चित्रकारों और मूर्तिकारों की कतियों की) एक-एक प्रदर्शनी आयोजित कर ये संस्थाएँ आगे न बढ़ सका अंतररा ीय महिला व ा में तरनी नाम से प्रभा पंवार की अध्यक्षता में एक महिला चित्रकार संस्था का जन्म हुआ जिसने काफी समय तक प्रदर्शनियों सहित कला संबंधी कई कार्यक्रम आयोजित किये इसके अतिरि त इलाहाबाद सं ाहालय, भारत कला भवन-वाराणसी, राज्य सं ाहालय-लखनऊ, अल्मोड़ा के अतिरि त म्यूनिसिपल आर्ट गैलरी, लखनऊ और लोक कला सं ाहालय लखनऊ का महत्वपूर्ण योगदान है

इस विवेचन से यह तस्वीर उभरती है कि आजादी के बाद के उ ार प्रदेश की कला चेतना ने कई तरह की विकास रेखाएँ पार की ह जिनमें उ.प्र. राज्य ललित कला अकादमी, केन्द्रीय ललित कला केन्द्र, स कला दी ा सहित अनेक कला संस्थाओं का योगदान है अकादमी ने अपने 23 सूत्रीय कार्य योजनाओं के अन्तर्गत

प्रतिभाशाली कलाकारों को उच्च शिक्षा के लिए ात्रवा ियाँ, कला आयोजन के लिए आर्थिक सहायता, कला संबंधी पुस्तकों-पत्रिकाओं, मोना ााफ, पोर्टफोलियो, पिक्चर पोस्ट कार्ड, पोस्टर आदि के प्रकाशन सहित डा. राधाकमल मुखजा व्याख्यानमाला तथा व्याख्यान, सेमिनार व कला गो ठियों आदि से उ ार प्रदेश में कला के विकास के लिए बहुमुखी कार्य किए जाते ह इसी तरह रा ीय ललित कला केन्द्र में जहाँ बाहर के और स्थानीय कलाकार काम करते ह, वहा प्रदर्शनियाँ, कार्यशालाएँ और मदनलाल नागर व्याख्यानमाला साठ व ाा का यह संक्षिप्त कला परि श्य अभी अन्य आयामों में विकसित होगा, इसकी पूरी संभावना है क्योंकि नयी-नयी कला शैलियाँ विकसित हो रही ह ज रत है कि उ ार प्रदेश में कला के विविध आयामों पर स्वतंत्र प से कार्य योजनाएँ बनाई जाएँ

कलाकर्म के इस विकास में कलाकारों के सामने आर्थिक समस्याएँ या कि जीवन यापन की समस्याएँ विकराल रूप में सामने आ रही हैं इसलिए उन्हें छद्‌म काम करने, ठेके पर काम लेने, महत्त्वपूर्ण चित्रों की अनुकृति बनाने, चित्रकार/मूर्तिकार बनने की अद्‌म्य व शौक रखने वाले पैसे वाले लोगों के लिए काम कर देने उत्सव/मेले/त्यौहारों को ध्यान में रखकर मूर्तियाँ बनाने, लकड़ी में कला को सँवारने, कुछ चित्रकारी का काम करने की मजबूरी पैदा हो रही है। कुछ समय तक इस मजबूरी में काम करने के बाद ऐसे कलाकारों की आदत व स्वभाव में ये चीजें घर करती जा रही हैं जिनसे उबरना उनके लिए संभव दिखायी नहीं देता। उत्तर प्रदेश के कला परिदृश्य पर पिछले दो दशकों से छाए व घने होते जा रहे इस धुंधलके ने यहाँ की गरिमा को काफी क्षति पहुँचायी है। इसका एक अन्य बड़ा कारण है उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी तथा केन्द्रीय ललित कला केन्द्र के स्वायत्त चरित्र का निरंतर गिरते हुए लगभग एक सरकारी संस्थान में बदल जाना। चित्रकार सतीश चंद्र के अकादमी अध्यक्ष रहते हुए अकादमी जो नई कला दीर्घाएँ बनी तथा पुरानी का नवीनीकरण किया गया तथा अकादमी की वित्तीय सहायता राशि बढ़ी और कला-गतिविधियाँ भी, वे अब वहीं रुकी हुई हैं बल्कि वित्तीय सहायता में तो निरंतर कटौती हो रही है; छवि कुछ ऐसी बन गई है कि अकादमी के पास कला गतिविधियों की परिकल्पना करना मुश्किल हो रही है इसलिए स्वीकृत राशि भी पूरी तरह खर्च नहीं हो पा रही तो वित्तीय कटौती का आधार बन गयी। यही कारण है कि अकादमी में कला गतिविधियों के नाम पर अपना रजिस्टर पूरा कर रही है। लगभग ऐसा ही हाल राष्ट्रीय ललित कला केन्द्र की लखनऊ शाखा का भी है सिवा इसके कि 47वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी के अवसर पर यहाँ कुछ आधुनिक कला दीर्घाएँ उद्‌घाटित की गई जिनमें कला गतिविधियाँ जारी रहने की उम्मीद है। 2005 के लिए उ.प्र. कला जगत को केन्द्र की ओर से यह एक वस्तु परक तोहफा है। कला गतिविधियों का स्वरूप, निरंतरता ही इस तोहफे को सार्थक बना सकती है। इसकी उम्मीद केन्द्र की इस शाखा से बनी हुई है।

●

उत्तर प्रदेश और सिनेमा

बीसवा शताब्दी में सिनेमा भारत व ि में सामाजिक तथा सांस्कतिक परिवर्तन के एक सश त माध्यम के प में उभरकर सामने आया मनोरंजन उ ोग होने के नाते इसने देश के लोगों के सामाजिक व्यवहार को प्रभावित किया है सिनेमा ने जन संस्कति के विकास में मह वपूर्ण भूमिका निभायी है सिनेमा के साथ उ ार प्रदेश की भागीदारी उसके विकास काल से ही रही है उ ार प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है, जहाँ फिल्मों का सबसे ऊँचा बाजार है इसी कारण उ ार प्रदेश का रंग हर व ि फिल्मों में ाया रहता है उ ार प्रदेश और मुम्बई फिल्म नगरी दोनों ही एक दूसरे पर काफी हद तक आश्रित ह अगर हम इस आशय को नापतौल कर देखें, तो उ ार प्रदेश का ही पलड़ा भारी पड़ेगा राज्य की विशाल जनसंख्या मुम्बई फिल्म नगरी को हिन्दी फिल्मों का सबसे बड़ा बाजार तो उपलब्ध कराती ही है, साथ ही वहाँ काम करने वालों में एक बड़ा प्रतिशत उ ार प्रदेश का ही है कहा जाता है कि एक समय बालीवुड में दखल के मामले में उ ार प्रदेश अव्वल नम्बर पर था फिल्मों में शायद ही कोई क्षेत्र अ ूता बचा हो, जहाँ उ ार प्रदेश के लोगों ने अपनी सार्थक मौजूदगी दर्ज न करायी हो आजादी के पूर्व राजधानी लखनऊ के फिल्म स्टूडियों तथा अन्य स्थानों पर फिल्मों की शूटिंग होती थी।

उ ार प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग के लिए अत्यन्त मनोरम स्थल भी ो, लेकिन फिल्मों की शूटिंग यहाँ यदा कदा कुछ स्थानों पर ही होती थी। मसलन 1960 के दशक में 'मेरे हुजूर' तथा 80 के दशक में 'सावन को आने दो' जैसी हिट फिल्मों के कुछ हिस्से यहाँ फिल्माये गये थे। 80 के दशक में 'शतरंज के खिलाड़ी' तथा मलिहाबाद में जानदार फिल्म 'जुनून' की शूटिंग से भी लखनऊ के साथ ही प्रदेश को बॉलीबुड में विशेष पहचान मिली। पि ले कु व ाा से उ ार प्रदेश सरकार की ि म नीति के कारण यहाँ शूटिंग कार्य शु हो गया, ि मकार भी मानने लगे हैं कि यपी में ेंडली है ाि ंग का माहौल। सबसे सफलतम फिल्मों के प में दज गदर , इश्कजादे , बुलेट राजा , तनु वेड्स मनु की ाि ंग यहाँ हु है। हाल के व ाा में राजधानी लखनऊ में तथा आसपास, दावत-ए-इश्क, बाबर, रंगदारी, डेढ़ इश्किया, जाली एलएलबी-2, ा ल क प्रेम क ाा बरेली की बर ी अलीगढ़ मु काबाज तमिल ि म ि ा ु पायले का हिन्दी रीमेक दोस्ती जिन्दाबाद, रेड, आईएम.नाट ए देवदास, बनारस में राझड़ा, टप्पा आदि प्रमुख फिल्मों की शूटिंग हुई है बालीबुड के महानायक अमिताभ बच्चन की फिल्म गुलाबो-सिताबो की शूटिंग राजधानी लखनऊ में एक माह से अधिक समय तक हुई अ ूती व अनूठी लोकेशन की मौजूदगी के कारण उ ार प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग का दौर भी लौट रहा है बीते व ाा में 500 से अधिक हिन्दी, भोजपुरी तथा दक्षिण भारतीय भा ाा की फिल्मों की शूटिंग प्रदेश के विभिन्न नगरों में हो चुकी है आज हमारे पास तकनीकी ाान, नयी मशीनें व अत्याधुनिक कैमरे उपलब्ध ह इन्हा सब खूबियों को देखते हुए उ ार प्रदेश में नयी ि म सि ी बनाने की दि ाा में काय प्रगति पर है। प्रदेश में फिल्म निर्माण की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए फिल्म बन्धु का गठन किया गया है। इसके जरिये फिल्म निर्माण में आने वाली कठिनाइयों का निराकरण किया जा रहा है फिल्म बन्धु के माध्यम से क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माण के लिए अवस्थापना सुविधा प्रदान की जा रही है देश के सबसे बड़े राज्य उत ार प्रदेश में हिन्दी और उसकी सहयोगी भा ााओं ही नहीं, अपितु तमिल, तेलुगू सहित दक्षिण भारतीय भा ााओं की फिल्मों की शूटिंग प्रदेश में करने पर फिल्म बन्धु अनुदान दे रहा है इस शुभ समाचार के बाद तमिल फिल्म की शूटिंग प्रदेश के आंगन में सम्पन्न हो चुकी है

माना जाता है कि भारत की प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा (1931) के निदशक बी.पी. मिश्रा उ ार प्रदेश के देवरिया जिले के रहने वाले थे एक बार पथ्वीराज कपूर ने पत्रकारों के समक्ष यह स्वीकार किया था कि बी.पी. मिश्रा ही आलम आरा के निदशक थे इम्पीरियल फिल्म कम्पनी ने इसका निर्माण किया था

यह कम्पनी इससे पहले मूक फिल्मों का निर्माण किया करती थी और बी.पी. मिश्रा इसी कम्पनी के जाने-माने निदशक थे मूक फिल्मों के जमाने में उनके निदशन में मिड नाइट राइडर , नाहर सिंह डाकू , शीशमहल , अलीबाबा चालीस चोर आदि फिल्में बनी था दुर्भाग्य से असमय ही उनकी मत्यु हो गयी

सन् 1931 में चलती फिरती तस्वीरों को स्वर भी मिल गये आलम आरा से आरम्भ हुआ आवाज का यह सफल अभियान अब तक भारत की लगभग सभी क्षेत्रीय भा ााओं में गूँज रहा है अब जब बात लोकप्रियता की हो, तो हिन्दी फिल्मों का कोई सानी नहा है उ ार प्रदेश ने सिनेमा को सिर्फ दर्शक ही नहा दिये, अपितु गुणी और प्रतिभावान कलाकार भी दिये ह जो पद पर और पद के पी े अथक मेहनत से सिल्वर स्क्रीन में रंग भरते रहे ह हिन्दी सिनेमा को पहाड़ी सान्याल, मोतीलाल, अजीत जैसा खलनायक, चित्रगुप्त तथा रवि जैसे संगीतकार व देवेन्द्र गोयल, भीमसेन तथा बासु चटजा, त्रिलोक जेटली आदि निर्माता-निदशक इसी प्रदेश ने दिये ह यहाँ के विभिन्न लोकनत्य, शा ाीय नत्य और गीत की शैलियों ने हिन्दी सिनेमा के गीत-संगीत को समद्ध किया है इन दिनों अमेठी के मनोज मुंतशिर के गीतों की धूम मची हुई है जोश मलिहाबादी, पंडित नरेन्द्र शर्मा, मजाज लखनवी, शकील बदायूँनी, इंदीवर, कैफी आज़मी, मज ह सुल्तानपुरी, हरिवंशराय बच्चन, जा निसार अख़्तर, शैलेन्द्र, नीरज, अन्जान, खुमार बाराबंकवी, योगेश, समीर, अली सरदार जाफरी, हसन कमाल, अन्जुम पीलीभीती, शहरयार, संतो ा आनन्द, देव कोहली, शबनम गोरखपुरी, नूर बिजनौरी, देवमणि पाण्डेय, शबाब मेरठी, बहजाद लखनवी, जलाल मलिहाबादी, अहमद वसी, प्रवीण भार ाज, फैज अनवर, पं ी जालौनवी, मनोज यादव, नितिन रैकवार, राम भार ाज प्रसिद्ध गीतकारों में ह गीतकार, पटकथाकार जावेद अख़्तर का बचपन लखनऊ में अपनी ननिहाल में बीता शकील बदायूँनी ने मदर इण्डिया , आन और उड़न खटोला के अमर गीत लिखे झाँसी के शशिधर मुखजा, शंकर मुखजा और सुबोध मुखजा ने फिल्मकार के तौर पर हिन्दी सिनेमा को समद्ध किया जैनेन्द्र कुमार ने लेखन तथा इफ्तिखार ने बेहतरीन अदाकार के प में स्क्रीन पर अपनी प्रभावपूर्ण उपस्थिति दर्ज करायी मज ह सुल्तानपुरी ने बोलती फिल्मों के प्रारम्भिक दौर से गीत लिखना शु किया था आगे चलकर पाप गीतों के जमाने में भी उनकी कलम का जादू कम नहा हुआ ए.आर. कारदाह की शाहजहाँ से लेकर अपने बेटे अन्दलीब की फिल्म जानम समझा करो तक के लम्बे सफर में मज ह सुल्तानपुरी ने धीरे-धीरे वो हमारे दिल और नौजवानों के लिए पापा कहते ह जैसे गीतों से हर फिल्म में जान फूंकी उ ार प्रदेश से हिन्दी सिनेमा को कई कहानीकार, पटकथा लेखक भी मिले नरो ाम व्यास, पं. राधेश्याम कथावाचक, नारायण प्रसाद बेताब, मुंशी प्रेमचन्द, भगवतीचरण वर्मा, अमतलाल नागर, उपेन्द्रनाथ अश्क , भगवती प्रसाद बाजपेयी, धर्मवीर भारती, इस्मत चुगताई, शौकत कैफी, डा. राही मासूम रजा, कमलेश्वर, ाान अग्निहोत्री, राजेन्द्र यादव, कुशवाहा कान्त, गुलाब रत्न बाजपेयी गुलाब , जैनेन्द्र जैन, माया गोविन्द, गौहर कानपुरी, डा. अचला नागर, अतुल तिवारी, के.पी. सक्सेना, कमल पाण्डेय, बंटी राठौर उ ार प्रदेश के ख्याति प्राप्त पटकथा लेखकों में से ह

अभिनय के सरताज बने अमिताभ बच्चन प्रयागराज के ह यहाँ की मीठी बोली का असर उनकी संवाद अदायगी की शैली बन गयी, जिसने उन्हें बुलन्दियों पर बैठा दिया ताजमहल की नायिका बीना राय लखनऊ के ही आई.टी. कालेज की ात्रा था अभिनय कला में संस्थान बन चुके नसीरु ीन शाह का सम्बन्ध भी उ ार प्रदेश से है गुलजार की फिल्म माचिस में अभिनय के जौहर दिखाने वाले चन्द्रचूड़ सिंह अलीगढ़ के रहने वाले ह फैजाबाद में जन्मी अनु का शर्मा, कानपुर की पूनम ढिल्लो, बरेली में पली-बढ़ी प्रियंका चोपड़ा, इटावा की पिया बाजपेयी जैसे अनेक नाम ह निदशक रामगोपाल वर्मा की बहुचर्चित फिल्मों सत्या और कौन के खूबसूरत ायांकन के बाद लखनऊ के मजहर कामरान का नाम अब फिल्मी दुनिया में नया नहा है सत्या की सिनेमैटो ाफी पहले एक हॉलीवुड के ायाकार कर रहे थे मेरे महबूब, मेरे हुजूर, चौदहवा का चाँद, शतरंज के खिलाड़ी, पाकीजा, उमराव जान को देखना तो वैसे लखनऊ शहर को एक शताब्दी पहले देखना जैसा है लखनऊ के अलावा अन्य कई धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल भी हिन्दी फिल्मों के प्रिय शूटिंग स्थल ह आगरा

के ताजमहल के दर्शन तो बहुत सी फिल्मों में होते रहे ह इस शहर के अन्दर की तस्वीर बासु भ ाचार्य की सारा आकाश में दिखती है वाराणसी का चित्रण अनगिनत फिल्मों में हुआ है मचन्ट आइवरी की अं ोजी फिल्म द गुरु की कहानी वाराणसी के इर्द-गिर्द ूमती है महाश्वेता देवी के उपन्यास पर आधारित सं ा ि वाराणसी के पण्डों के आपसी वैमनस्य की कहानी थी प्राकतिक, सांस्कतिक हर तरह से समद्ध होने के बावजूद उ ार प्रदेश में शूटिंग उन शहरों में न होकर वैसे ही सेट लगाकर, माहौल तैयार करके, कर ली जाती थी, लेकिन पि ले कु समय से मुम्बई के बड़े निर्माताओं ने प्रदेश सरकार की पहल पर यहाँ आकर प्रदेश की फिल्म नीति से जुड़े मसलों पर चर्चा की थी इन फिल्मकारों ने दिलचस्पी दिखाकर उ ार प्रदेश में फिल्म निर्माण की संभावना को पुख्ता किया है नये विगहों का निर्माण कराना, सस्ते दामों पर मनोरंजन उपलब्ध कराना तथा रचनात्मक एवं उ ेश्यपूर्ण फीचर फिल्मों के निर्माण को ध्यान में रखकर 10 सितम्बर 1975 को उ.प्र. चलचित्र निगम की स्थापना भी की गयी थी गाजियाबाद और दिल्ली के बीच स्थित नोएडा ोटी फिल्म नगरी मानी जाती है क्षेत्रीय सिनेमा के प में भोजपुरी फिल्मों को पूवाचल के गोरखपुर, वाराणसी मंडलों में विस्तार मिला है

फिल्म वितरण की ि से उ ार प्रदेश क्षेत्र, दिल्ली-यू.पी. सर्किल के नाम से मशहूर है सर्वाधिक दर्शकों वाले इस क्षेत्र में मनोरंजन कर सबसे अधिक है शादी में ज र आना, मंजूनाथ, रामभजन, इश्क के परिन्दे, दो दूनी चार, बफा, पति-पत्नी और वो, मिर्जापुर-2, मिलियन डालर आमा सहित अनेक फिल्मों की शूटिंग राजधानी के आस-पास हुई है

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के गठन के बाद फिल्म नीति को उदार और आकर्षक बनाने के लिए जो सकारात्मक पहल हुई, उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि उ ार प्रदेश सिर्फ दर्शक और कलाकार ही नहा देगा, बल्कि स्वयं उ ेश्यपूर्ण फिल्मों का निर्माता बनने की ओर अ ासर होगा

ार ा ` ा के क ा ख ि ने व्य ि त्व

उ ार प्रदेश में जन्मे या यहाँ की मि ी में रहकर बालीवुड में अपना तथा प्रदेश का नाम रोशन करने वाले विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े कु लोगों की सूची में आर.एन. शुक्ला, के. आसिफ, बासु चटजा, भीमसेन, कमाल अमरोही, ए.एन. अंसारी, त्रिलोक जेटली, देवी शर्मा, रवि नगाईच, शंकर मुकजा, सुबोध मुकजा, नासिर हुसैन, नजीर हुसैन, अनवर हुसैन, ताहिर हुसैन, प्रकाश मेहरा, रामशंकर चौधरी, शेखर, आर चन्द्रा, सिप्ते हसन रिजवी, याकूब हसन रिजवी, आर.डी. माथुर, अनिल शर्मा, गोविन्द मूनिस, शिव कुमार, मुजफ्फर अली, सुधीर मिश्रा, विशाल भार ाज, बोनी कपूर, अनुराग कश्यप, तिग्मांशु धुलिया, माह ख मिर्जा, शाह ख सुल्तान, मेराज, सुनील बत्रा, राकेश साहू, चन्दू सिंह, सनोज मिश्रा, अनुभव सिन्हा, राम बुन्देला, चन्द्रपाल सिंह प्रमुख ह

नरगिस, तलत महमूद, निर्मला देवी, शमा जैदी, ज न बाई, रेहाना सलमा सि ीकी, कुन्दनलाल सहगल, मदन सहगल मुकेश, गोपीक ण, भारत भू ाण, लच ू महाराज, हरि प्रसाद चौरसिया, सुजीत कुमार, हीरालाल, कन्हैयालाल, लीला मिश्रा, शबाना आजमी, कुमकुम, उमादेवी (टुनटुन), सितारा देवी, यूनुस परवेज, रेहाना सुल्तान, राज बब्बर, सुरेन्द्र पाल, राजा बुन्देला, रंजीत कपूर, अन्नू कपूर, सुल्तान अहमद, हुमायूँ मिर्जा, नसीरु ीन शाह, संतो ा सरोज, के.के. सिंह, मंदाकिनी, निशा गोयल, दीप्ती भटनागर, लारा द ाा, मंसूर खान, आमिर खान, श ि मान, हसन कमाल, मुशीर रियाज, प्रेम कपूर, मोतीसागर, प्रीति सागर, नाजनीन, तारिक, नदीन खान, जमील खान, अदिति शर्मा, जोया अफरोज, पूजा बत्रा, श्वेता तिवारी, साहिल शेख, पुलकित सिंह, संदीप नाथ, इंदर ठाकुर, राकेश पाण्डेय, साधना सिंह, आयु ा कुमार, विश्वनाथ मिश्रा, शाहीन सुल्ताना, ब्रज गोपाल, मोहन भण्डारी, राजकुमार त्रिवेदी, राजेन्द्रनाथ मिश्रा, विनय श्रीवास्तव, कविता चौधरी, रहमान, नौशाद, समीर, रानी मुखजा, जया भ ाचार्या, राम गोविन्द, ललित तिवारी, सपना अवस्थी, राजेश कुमार सिंह, रवीन्द्र जैन, अपूर्व अग्निहोत्री, अरुण गोविल, सूरज कुमार वर्मा, मुश्ताक अली, अनूप जलोटा, बाबा आजमी, स्नेहा सांगवान, सुनिधि चौहान,

कनिका कपूर, मालिनी अवस्थी, रवि किशन, मनोज तिवारी, दिनेश यादव निरहुआ, मनोज मिहिर, अनुपम श्याम, राजू श्रीवास्तव, तनवीर जैदी, सौरभ दुबे, राजपाल यादव, आदित्य शर्मा, नारायण सिंह चौहान, उदय यादव, कैलाश खेर, नवाजु ीन सि ीकी, वीरेन्द्र सक्सेना, विनीत सिंह अनु प्रिया व ण बडोला मुकुल नाग ी ार दुबे जाकिर हुसैन अ ा ोक सिंह ब्रज ा ाण ु ला विनीत कुमार सिंह आदि भी बॉलीवुड में यूपी के नगीने के रूप में जाने जाते हैं

ा फ़िल ा ान्ध तथा फ़िल ा नाति

प्रदेश के गौरवशाली इतिहास, इसकी वैभवपूर्ण वास्तुकला तथा स्थानीय संस्कतियों की विविधता आदि फिल्म निर्माण के लिए आवश्यक तत्व के सदुपयोग से पर्यटन विकास को नये आयाम मिले तथा रोजगार सजन के नये साधन उपलब्ध कराने हेतु य ापि 1999 में फिल्म नीति की ो ाणा की गयी थी, तथापि इसमें अन्य आवश्यक सुसंगत प्रावधानों की आवश्यकता को ि गत रखते हुए कतिपय संशोधन किए गये ह, ताकि उ.प्र. में उपलब्ध असीम संभावनाओं को फिल्मांकित करने का समुचित उपयोग हो सके उ.प्र. में न केवल बड़े पैमाने पर शूाटग का कार्य सम्पन्न हो सके, बल्कि फिल्म निर्माण के विविध पक्षों से जुड़ी गतिविधियों का भी सम ा विकास हो सके इस नीति के तहत उ ार प्रदेश में फिल्म उ ोग के सम ा विकास हेतु एक सुसंगठित ढाँचा एवं उपयु ; वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि उ ार प्रदेश फिल्म निर्माण के लिए मह वपूर्ण केन्द्र के प में विकसित हो सके, प्रदेश के अद्‌भुत, मनोहारी तथा रमणीय पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी मिले एवं पर्यटकों को आका ात करके प्रदेश की सांस्कतिक, पौराणिक, ऐतिहासिक विरासत एवं गौरवशाली परम्परा को देश एवं विदेश में प्रचारित-प्रसारित किया जा सके, प्रदेश में अभिनय व फिल्म निर्माण की प्रतिभाओं को विकास के अवसर मिलें, प्रदेश में रोजगार सजन के अवसर सुलभ हों, फिल्म उ ोग के माध्यम से अतिरि ; पूँजी निवेश आका ात करने के साथ-साथ देश व प्रदेश की जनता को स्वस्थ एवं अपेक्षाकत सस्ता मनोरंजन उपलब्ध हो सके, इसी उ ेश्य से राज्य सरकार ारा उ.प्र. फिल्म बन्धु का गठन किया गया है प्रदेश में फिल्म निर्माण के लिए उपयु ; वातावरण सजित करने के लिए विभिन्न प्रयास जारी हैं। इनमें प्रशासनिक सहायता, वि ीय प्रोत्साहनों को आक ाण पैकेज, अपेक्षित सुविधाएँ उपलब्ध कराना, सुयोग्य प्रकरणों में वि ीय समर्थन की आक ाक प्रणाली तथा सिनेमा के प्रचार-प्रसार से जुड़े गैर-सरकारी संगठनों को बढ़ावा देना आदि शामिल ह फिल्मों के विकास के लिए आवश्यक अवस्थापना को सामान्य तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में वगाकत किया जा सकता है शूाटग तथा फिल्म निर्माण के लिए अवस्थापना जैसे स्टूडियो एवं प्रोसेासग प्रयोगशालाएँ, फिल्म प्रदर्शन के लिए अवस्थापना उपकरण, कलाकारों, तकनीशियनों तथा विशि क्षेत्रों में विशे ा ाता की प्रशिक्षण सुविधाएँ आदि

इंटरनेशनल फिल्म सिटी

ार प्रदे ा सरकार ारा पव में नो डा में ि म सि ी का विकास किया गया ाा। सी ़ ाला में ार ाारत के सबसे बड़े ि म सेन् र का डीम प्रोजे यमुना सप्रेसवे औ ोगिक विकास प्रा ािकरण क्षे यीडा के तहत नो डा के से र में बनने वाली यह ि म सि ी सालों में परी तरह बनकर तैयार होगी। पहले रण में तीन साल के अन्दर यहां ि मों से संबं ाित ैसिलि ीज और ि म ी य बनकर तैयार हो जा गा। ामि की बात करें तो कुल कड़ क्षे में ि म सि ी का निमाण किया जा गा जिसमें कड़ क्षे में ि ि मिंग ैसिलि ी विकसित की जा गी। वहीं कड़ क्षे में ि म ं ी य बनेगा। स तरह कुल कड़ में ि ि मिंग कंपोनें स को विकसित किया जा गा। वहीं ो ा कड़ में कामा ायिल कंपोनें स ाापित कि जा ंगे। नमें सविस कमोडे ान कड़ में हा पि ैलि ी डामि रीज कड़ में हा पि ैलि ी अप केल कड़ में हा पि ैलि ी अपर अप केल में कड़ में ंडबी ोक ड रि ेल डेवलपमें कड़ में और कामा ायिल आ ि स कड़ में निमित होगा।

उ ार प्रदेश में पूर्ण प से क्रियाशील फिल्म नगरी नगरियों की स्थापना होने तथा स्थानीय सिनेमा उ ोग का पर्याप्त विकास होने तक राज्य सरकार ारा विभिन्न शासकीय विभागों यथा शिक्षा, सूचना तथा संस्कृति में उपलब्ध उपकरण फिल्म निर्माताओं को किराए पर उपलब्ध कराए जाएंगे फिल्म निर्माताओं की आवश्यकता के अनु प इन उपकरणों के वर्तमान भण्डार को बढ़ाया जायेगा इन उपकरणों के अर्जन तथा उनके रखरखाव के लिए फिल्म विकास निधि का उपयोग किया जाएगा इस कार्य हेतु फिल्म बन्धु, नोडल एजेंसी के प में कार्य करेगा तथा समस्त उपकरणों का एक पूल , फिल्म बन्धु में स्थापित किया जाएगा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए फिल्म बन्धु शासकीय विभागों के अतिरि ‍ निजी क्षेत्र में भी पूल बना सकेगा

ा ा थलों का विका ा

प्रदेश में उपलब्ध प्रचुर नैसागक सुन्दरता, समद्ध सांस्कतिक परम्पराओं तथा ऐतिहासिक स्मारकों की प भूमि का पर्यटन विभाग निरन्तरता के आधार पर प्रदेश में आउटडोर शूाटग के लिए स्थलों का चयन कर उनका विकास करेगा तथा सक्रियता से प्रचार करेगा इसके लिए टांसपैरेन्सीज, ल ु फिल्में, प्रचार-साहित्य, जैसे ब्रोशर्स इत्यादि विकसित किये जायेंगे प्रदेश में नयी पर्यटन नीति के तहत निजी क्षेत्र को इस बात के लिए उत्प्रेरित किया जाएगा कि वे इन शूाटग स्थलों पर होटल्स, मोटल्स, रेस्टोरेन्ट तथा कैम्पिंग सुविधाओं की स्थापना करें

कलाकारों तथा तकना ायनों का ा ा ा ा

फिल्म उ ोग के उपयु ‍ विकास के लिए यह परम आवश्यक है कि प्रतिभा सम्पन्न कलाकार तथा प्रशिक्षित तकनीशियन सुगमता से उपलब्ध हों उ ार प्रदेश में फिल्म तथा टेलीविजन इंस्टीट्यूट की एक शाखा खोलने के लिए राज्य सरकार, भारत सरकार से समन्वय स्थापित करेगी ताकि उन प्रतिभाशाली नवयुवकों की आकांक्षा पूात हो सके, जो देश के उ ारी भाग में फिल्मों को अपना कैरियर बनाना चाहते ह इस शाखा की स्थापना होने तक प्रदेश की प्रख्यात भारतेन्दु नाट्य अकादमी का विकास, राज्य फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान के प में किया जायेगा

फिल्म तकनीशियनों को चुने हुए औ ोगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित किया जायेगा इस उ ेश्य से सम्बन्धित पाठ्यक्रम कु संस्थानों में प्रारम्भ किए जायेंगे राज्य सरकार ारा निजी क्षेत्र को भी फिल्म सम्बन्धी व्यवसायों एवं पाठ्यक्रमों के साथ प्रशिक्षण संस्थान खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे तथा सत्यजित रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता में उ ार प्रदेश के प्रशिक्षणरत वि ााथयों को वाा ाक ात्रवा ा रु. 25,000 - दी जाएगी ात्रवा ायों की अधिकतम संख्या दोनों संस्थानों में प्रत्येक के लिए अलग-अलग होगी इस कार्य पर व्यय होने वाली धनराशि का वहन फिल्म विकास निधि से किया जाएगा प्रदेश के विभिन्न विश्ववि ालयों में परफाामग आर्ट्स के पाठ्यक्रम आरम्भ किए जाएंगे, ताकि प्रदेश के युवा वर्ग को अपनी प्रतिभा विकसित एवं मुखरित करने का अवसर प्राप्त हो सके

फ़िल ा का यों के लि आवा ाय ाविधा

प्रदेश में आउटडोर शूाटग करने वाली इकाइयों को उ ार प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के होटल्स मोटल्स में कमरों के किराए में 25 प्रतिशत की ूट की व्यवस्था की गयी है लोक निर्माण विभाग, वन विभाग तथा सिंचाई विभाग एवं राज्य सम्पा ा विभाग के अतिथि गह विश्रामालय भी इन फिल्म इकाइयों को नियमित भुगतान पर उपलब्ध होंगे

ारकारा वा ॅपा यों का ायो ा

आउट-डोर शूाटग करने वाली फिल्म इकाइयों को राज्य सरकार ारा प्रदेश के विभिन्न भागों में स्थित हवाई पा यों के प्रयोग की सुविधा निर्धारित शुल्क के भुगतान पर अनुमन्य करायी जायेगी

ि़फ़ल ों का वि ा पोष ा

फिल्म उ ोग के विकास में फिल्मों का वि ा पो ाण एक मह वपूर्ण कारक है भारत सरकार फिल्मों को उ ोग का दर्जा देने के लिए राजी हो गयी है तथा व्यावसायिक बकों से फिल्मों के वि ा पो ाण की प्रक्रिया निर्धारण करने हेतु कानन समिति का गठन किया गया है उ ार प्रदेश की राज्य वि ीय संस्थाएँ पहले से ही स्टूडियो तथा उपकरणों जैसे हार्डवेयर के लिए नियमित व्यावसायिक शता पर वि ा पो ाण की सुविधा उपलब्ध करा रही है कानन समिति की अनुशंसाएँ प्रस्तुत होने पर तथा भारत सरकार ारा उन्हें स्वीकार कर लेने पर राज्य सरकार उन्हें अंगीकत करने के लिए प्रतिबद्ध है कानन समिति की रिपोर्ट आने तक फिल्मों का वि ा पो ाण फिल्म बन्धु ारा फिल्म विकास निधि के माध्यम से किया जायेगा प्रदेश नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन पिकप अथवा बकों के साथ संयु ꠰ त्र ण योजना में प्रतिभागी बनेगा, किन्तु यह वि ा पो ाण केवल उन्हा फिल्मों को अनुमन्य होगा, जो 75 प्रतिशत से अधिक उ ार प्रदेश में फिल्मांकित की जायेंगी तथा प्रदेश की वि को उभारेंगी

ि़फ़ल ा निधि

फिल्म तथा फिल्म सम्बन्धी अवस्थापना के विकास की विभिन्न योजनाओं का वि ा पो ाण करने के लिए सिनेमा टिकटों पर 50 पैसे का शुल्क चार्ज किया जायेगा यह शुल्क प्रत्येक जिले के को ागार में फिल्म निधि के नाम से जमा किया जायेगा इस प्रकार से एकत्र की गयी धनराशि समेकित प में कर एवं निबन्धन विभाग से ात कर उसके समतुल्य धनराशि प्रत्येक व ा सूचना विभाग के आय-व्ययक में अलग लेखा शी कि खोलकर प्रावधानित करायी जायेगी तथा उसे अनुदान के प में फिल्म बन्धु को स्वीकत किया जायेगा इसे फिल्म बन्धु के अधीन स्थापित फिल्म विकास निधि में जमा किया जायेगा इसके साथ ही फिल्म विकास निधि में अनुदान के अतिरि ꠰ फिल्म उपकरणों के किराये, फिल्म महोत्सव के आयोजन में टिकटों से होने वाली आय को भी जमा किया जायेगा

ा ाना वि ा ा

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ ार प्रदेश ारा प्रदेश के सांस्कतिक, पर्यटन, क ा, साहित्यिक, औ ोगिक, ाम्य विकास तथा अन्य विकास सम्बन्धी वि ायों पर व ा चित्र एवं वर्तमान ाटना क्रम पर समाचार चित्र निर्मित करने का कार्य किया जाता है अधिसंख्य व ा चित्र तथा समाचार चित्र का फिल्मांकन प्रदेश के ामीण अंचलों में किया जाता है अब तक इस विभाग ारा 95 समाचार चित्र तथा 165 व ा चित्र तैयार किये जा चुके ह इनमें 28 रंगीन व ा चित्र सम्मिलित ह उल्लेखनीय है कि इस विभाग ारा निर्मित उ ार प्रदेश समाचार संख्या 54 को 26वें रा ीय फिल्म समारोह 1979 में पुरस्कत भी किया गया है इस विभाग ारा निर्मित व ा चित्र फूलों की ाटी तथा बदरी-केदार पर बने चित्रों को देश की 14 भा ाओं में डाबग कराकर अखिल भारतीय सर्किट में विभिन्न सिनेमा ारों में प्रदर्शित किया गया है अब तक निर्मित व ा चित्रों में काबट नेशनल पार्क , लखनऊ मेरा लखनऊ , महात्मा गांधी और उ ार प्रदेश , चोर-चोर , फूलों की ाटी , बदरी-केदार , नैमि ारण्य , ब्रज में होली , ाम्या , कुम्भ मेला , भागीरथी , सुमित्रानन्दन पंत , महादेवी वर्मा , प्रेमचन्द , बुन्देलखण्ड , विकास की चमक हर आँख में इत्यादि व ा चित्र विशे ा प से सराहे गये ह

फिल ा प ाकारिता

उ ार प्रदेश में जहाँ तक फिल्म पत्रकारिता का प्रश्न है, तो इस क्षेत्र में पहला नाम 1930 के दशक में उमाशंकर जोशी का उभरता है इसके बाद रामक ण, कपिलकुमार, धमन्द्र गौड़, ओंकार शरद, विनोद भार ाज, कुंवर नारायण, सतीश सिंह, जिनेन्द्र जैन, महादेव शर्मा, नेत्र सिंह रावत ने फिल्म पत्रकारिता में मह वपूर्ण योगदान किया है इस सिलसिले को आगे बढ़ाया मंगलेश डबराल, मोहित अस्थाना थपलियाल, धीरेन्द्र राजेन्द्र प्रसाद काण्डपाल, ओम प्रकाश गुप्ता, विवेक चटजा, प्रवीण श्रीवास्तव, हेमंत शुक्ल, वीर विनोद ाबड़ा, अवधेश नारायण प्राण , सुरेन्द्र अग्निहोत्री, गौतम चटजा आदि ने

●

दशनीय स्थल, मेले ां ामुख ेि ा ासिक यकि ा

युगों की प्राचीन परम्परा के इस प्रदेश में बहुत से ऐसे स्थान ह, जिनका धार्मिक महत्व है बहुत से ऐसे स्थल भी ह, जिन्हें लोक प्रचलित अर्थ में तीर्थ नहा कहा जा सकता, लेकिन ऐतिहासिक और पर्यटन की ि से उनका बड़ा महत्व है हमारा प्रदेश ऐसे सांस्कतिक केन्द्रों के लिए विशे ा प से प्रसिद्ध है इसी प्रकार के कु स्थान इस प्रकार हः

सोरों (जिला एटा) सोरों या शूकर क्षेत्र की गणना भारत के पवित्र तीथा में होती है पौराणिक कथाओं के अनुसार सि के आदि में सर्वप्रथम पथ्वी का आविर्भाव यहा हुआ था इस तीर्थ में वाराह भगवान का एक अति प्राचीन दर्शनीय मन्दिर है इस मन्दिर में भगवान वाराह की विशाल प्रतिमा स्थापित है और निकट ही हरिपदी पर वराह ााट है शूकर क्षेत्र में प्राचीन काल से भगवान वाराह की पुण्य स्मति में मार्गशीर्ा का मेला लगता है

काशी (वाराणसी) यह भारत के ही नहा, संसार के प्राचीनतम नगरों में से एक है यह नाम वरुणा और असी, दो नदियों से मिलकर बना है वर्तमान काशी में दर्शनीय मन्दिर वि ानाथ, अन्नपूर्णा, संकटमोचन, दुर्गा मन्दिर, तुलसी मानस मन्दिर, वि ावि ाालय का वि ानाथ मन्दिर, आदि वि ो ार, साक्षी विनायक और पांचरत्न आदि ह कुण्डों तथा वापियों में दुर्गा कुण्ड, पु कर कुण्ड, पिशाचमोचन, कपिलधारा, लोलार्क, मानसरोवर तथा मन्दाकिनी उल्लेखनीय ह यहाँ ााटों की संख्या बहुत है इनमें अस्सी, तुलसी, हरि ान्द्र, अहिल्याबाई, दशा ामेध तथा मणिकर्णिका ााट आदि विशे ा प्रसिद्ध ह

दे ा ान्द (जिला सहारनपुर) मुजफ्फरनगर से 24 कि.मी. दूर देवबंद रेलवे स्टेशन है यहाँ दुर्गा जी का मन्दिर है मन्दिर के समीप देवी कुण्ड सरोवर है

शाकम्भरी दे ी यह मन्दिर सहारनपुर से 41.6 कि.मी. दूर है शाकम्भरी देवी का मन्दिर चारों ओर पहाड़ियों से ाािरा हुआ है यहाँ नवरात्र में मेला लगता है

सि ाना ाुर (जिला मेरठ) यह नगरी मेरठ से 35.2 कि.मी. दूर है यह पाण्डवों की राजधानी थी कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ बड़ा मेला लगता है यह प्रसिद्ध जैन तीर्थ भी है आदि तीथकर त्र ाभदेव जी को राजा श्रेयांस ने यहा इक्षुरस का दान दिया था इसलिए इसे दानतीर्थ कहा जाता है यहाँ से पास ही भसूमा गाँव में प्राचीन जैन प्रतिमाएँ ह

ग मुक्ते ार (जिला गाजियाबाद) मेरठ से 42 कि.मी. दूर गंगा के दाहिने तट पर स्थित गढ़मु ो ार प्राचीन काल में हस्तिनापुर नगर का एक मोहल्ला था यहाँ मु ो ार शिव का मन्दिर है मन्दिर के पास ही झारखंडे ार नाम का एक प्राचीन शिवलिंग है कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ मेला लगता है

ांगीराम ाुर यह फर्रुखाबाद जिले में गंगा के दक्षिणी तट पर स्थित है यहाँ ांगी त्र ाि का मन्दिर है कार्तिक पूर्णिमा तथा दशहरा को यहाँ मेला लगता है

ांग ोर ाुर जिला प्रयागराज से 48 कि.मी. दूर राम चौरा रोड स्टेशन से 3 मील की दूरी पर गंगा तट पर ांगवेरपुर है यहा पर भगवान राम ने वन जाते हुए नि ाादराज का आ ाह मानकर रात्रि में विश्राम किया था

ाि ान्या ाल (जिला मिर्जापुर) यहाँ विन्ध्यवासिनी देवी का प्रसिद्ध मन्दिर है नवरात्र में यहाँ मेला लगता है

लो ो ार भगवान शंकर का यह धाम बाराबंकी जिले में है यह धाम लोधे ार धाम के नाम से प्रसिद्ध है।

दे ीा ा न (जिला गोण्डा) यहाँ पाटे ारी देवी का प्रसिद्ध मन्दिर है कहा जाता है कि यहाँ पर देवी की स्थापना महाराज विक्रमादित्य ने की थी यहाँ प्रतिव ा मेला लगता है

मग र (जिला संत कबीर नगर) संत परम्परा के प्रसिद्ध कवि एवं संत कबीरदास जी ने यहा पर शरीर ोड़ा था संत कवि कबीर की समाधि और मजार, हिन्दू-मुस्लिम एकता के प्रतीक के प में यहा स्थित है उनके पुत्र कमाल की समाधि भी यहा है कबीर पंथियों का यह पवित्र तीर्थस्थल है

भगु मन्दिर (बलिया) ब्र ााजी के पुत्र भगु के शि य दरदर मुनि की यह तपस्थली रही है इन्हा के नाम पर यहाँ भारत का विख्यात ददरी मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर प्रतिव ा लगता है

मथुरा सप्त महापुरियों में इसकी गणना होती है इसका प्राचीन नाम मथुरा था वर्तमान मथुरा के समीप मधुवन में पहले मधु और उसके पुत्र लवण का शासन था मधु के नाम पर मधुरी या मधुपुरी नगरी बसी थी श्रीराम के भाई शत्रु न ने लवण को मारकर इस नगरी को नया प दिया था चन्द्रवंश की यादव शाखा में श्रीक ण का जन्म यहा हुआ था मथुरा में ारिकाधीश मन्दिर और विश्राम ाट के दर्शन के लिए लाखों यात्री प्रतिव ा यहाँ आते ह मथुरा में दर्शनीय स्थल निम्नवत ह-

ान्दा ान (जिला मथुरा) वन्दावन, मथुरा से 9.6 कि.मी. पर स्थित है यहाँ करीब 4 हजार मन्दिर, ाट और सरोवर ह यहाँ बाँके बिहारी मन्दिर विश्वविख्यात है। इसके अतिरिक्त गोविन्द देव मन्दिर बड़ा भव्य और सुन्दर है जयपुर के महाराज मानसिंह ने सन् 1590 में इसे बनवाया था गोविन्द देव मन्दिर के सामने द्रविण शैली में निर्मित सफेद पत्थर का बना रंगनाथ का विशाल मन्दिर स्थित है राधाबल्लभ जी का मन्दिर, राधारमण जी का मन्दिर, गोपीनाथ जी का मन्दिर, शाहजी का मन्दिर, अ सखी मन्दिर, प्रेम मन्दिर इस्कॉन मन्दिर आदि वन्दावन के प्रसिद्ध मन्दिर ह निधिवन और सेवाकुंज प्रसिद्ध वन स्थलियाँ ह वंशीवट, कालीदह और केश ाट यमुना के प्रसिद्ध ाट ह

नन्दगा ा (जिला मथुरा) मथुरा से 48 कि.मी. उ ार-पूर्व में एक पहाड़ी की तलहटी में नंदगाँव स्थित है नंद बाबा का ार जिस स्थान पर था, वहाँ पहाड़ी के ऊपरी भाग में एक विशाल मंदिर स्थित है यह हिन्दुओं का एक पवित्र स्थल है

गो ा ान (जिला मथुरा) गोवर्धन पर्वत मैदान से सौ फुट की ऊँचाई पर है यह मथुरा से 23 कि.मी. दूर पड़ता है और मथुरा से डीग (भरतपुर) जाने वाली सड़क पर स्थित है यहाँ के दान घाटी मन्दिर के अतिरिक्त विशाल पक्के सरोवर (पवित्र मानसी गंगा) के पास हरिदेव का मनोहर मन्दिर है, जिसे अकबर के राज्यकाल में अम्बर के राजा भगवान दास ने बनवाया था कुसुम सरोवर अत्यंत ही नयनाभिराम है।

ारसाना (जिला मथुरा) बरसाना गाँव गोवर्धन से 24 कि.मी. उ ार में कोसी (आगरा-दिल्ली सड़क पर) के 16 कि.मी. दक्षिण में स्थित है इसे भगवान क ण की प्रिया राधाजी का जन्मस्थान होने का गौरव प्राप्त है बरसाना का मूल नाम ब्र ाासारिणी था यह एक पहाड़ी की ढाल पर स्थित है पहाड़ी के चार प्रमुख शिखर चतुर्मुखी देवत्व के प्रतीक माने जाते ह और लाड़ली जी, जो राधाजी का स्थानीय नाम है, के सम्मान में निर्मित मन्दिरों से सुशोभित है यहाँ प्रतिव ा राधा मी के अवसर पर मेला लगता है

दा जी (जिला मथुरा) दाऊजी मथुरा से लगभग 21 कि.मी. की दूरी पर है नगर के मध्य में भगवान क ण के बड़े भाई बलदाऊ (दाऊजी) का प्रसिद्ध मन्दिर बना हुआ है यहाँ व ा में दो मेले लगते ह इनमें एक भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की ा ी को लगता है, जिसे देव ठ कहते ह तथा दूसरा अगहन की पूर्णिमा को लगता है

ि ा र (जिला कानपुर) कानपुर नगर से लगभग 24 कि.मी. उ ार-प ािम में गंगा के किनारे बसा हुआ यह स्थान ऐतिहासिक और धार्मिक दोनों ि यों से मह वपूर्ण है इसका प्राचीन नाम ब्र ाावर्त तीर्थ है यहा

रामायण के रचयिता महर्ि वाल्मीकि का आश्रम बताया जाता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ मेला लगता है

ि त्रक (जिला ि क) बाँदा से झाँसी-मानिकपुर रेलवे लाइन ारा चित्रकूट लगभग 75 कि.मी. दक्षिण-पूरब में स्थित है चित्रकूट के पास मन्दाकिनी बहती है वन जाते समय श्रीराम यहाँ ठहरे थे जनश्रुति के अनुसार महर्ि वाल्मीकि भी यहाँ रहे थे बहुत से पवित्र स्थल, ोटी- ोटी पहाड़ियाँ मन्दाकिनी के किनारे पाई जाती ह मन्दाकिनी, जिसे पयस्विनी भी कहते ह, चित्रकूट के सुरम्य जंगलों से होकर बहती है इस नदी के बायें तट पर प्रसिद्ध कामतानाथ पर्वत से लगभग 2.4 कि.मी. पर सीतापुर है, जहाँ नदी के किनारे-किनारे 24 ाट ह इनमें से रा ाव प्रयाग, कैलाश ाट, राम ाट और ातकल्प ाट विशे ा प से पवित्र माने जाते ह सीतापुर में अनेक प्राचीन मन्दिर ह राम ाट के समीप स्थित पर्णकुटी के वि ाय में कहा जाता है कि राम ने यहाँ निवास किया था यहाँ से लगभग 30 कि.मी. की दूरी पर सती अनुसूया और महर्ि अत्रि का आश्रम है एक पहाड़ी के अंचल में अनुसूया, अत्रि, द ात्रेय और हनुमान जी के मंदिर ह इसे मन्दराचल कहते ह यहा से मन्दाकिनी निकलती है सीतापुर से 3.30 कि.मी. की दूरी पर रमणीक जानकी कुण्ड है यहाँ नदी की धारा ोत पत्थरों के ऊपर से होकर बहती है जानकी कुण्ड से 3.2 कि.मी. पर स्फटिक शिला है यहाँ दो बड़ी च ानें ह कहा जाता है कि राम, लक्ष्मण और सीता ने यहाँ पर विश्राम किया था चित्रकूट में भरत कूप भी है इसके सम्बन्ध में कथा यह है कि श्रीराम के राजतिलक हेतु सभी पवित्र नदियों से एकत्र जल को इस कुँए में डाला गया था

राजा ुर (जिला ि क) बाँदा से 99.2 कि.मी. और चित्रकूट से 38.4 कि.मी. की दूरी पर राजापुर नामक स्थान है कहा जाता है कि महाकवि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म यहा हुआ था यहाँ तुलसी स्मारक समिति की ओर से एक सुन्दर स्मारक का निर्माण हुआ है

दे ा शरीफ (जिला बाराबंकी) बाराबंकी से लगभग 12 कि.मी. दूर स्थित देवा में प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार है उनके वार्ि कि उर्स के अवसर पर कार्तिक में देवा में एक बड़ा मेला लगता है

महोबा- चन्देलों के वैभवशाली समय में वर्तमान बुन्देलखण्ड का नाम 'जेजाक भुक्ति' था तथा इसकी राजधानी महोबा थी। इसी महोबा में वीर शिरोमणि आल्हा और ऊदल का जन्म हुआ था। **दर्शनीय-** कीरत सागर, चन्देल कालीन स्मारक।

ा रा ा यहाँ सैय्यद सालार मसूद गाजी की दरगाह है यह महमूद गजनवी के साथ भारत आये थे

गोला गोकणनाथ (जिला लखीमपुर खीरी) त्रेता युग में रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने रावण को लंका में शिवलिंग स्थापित करने का आदेश दिया था शिवलिंग को भूमि पर रखना नि ाेध था रावण ने मार्ग में शिवलिंग को एक भ ़ के पास कु देर के लिए ोड़ा, लेकिन वह उसका भार सहन न कर सका और उसने उस शिवलिंग को भूमि पर रख दिया शिवलिंग वहा स्थापित हो गया लौटकर रावण यह देखकर क्रोधित हुआ और लिंग को अंगूठे से दबा दिया जो कान के आकार का हो गया इसी आधार पर इस स्थान का नाम गोला गोकर्णनाथ पड़ा यह स्थान लखीमपुर-खीरी से लगभग 35 कि.मी. दूर है

कम्िल (जिला फर्रुखाबाद) अपने अंतःस्थल में देश के लम्बे इतिहास की रहस्यपूर्ण रोचकता ि पाये हुए यह ोटी सी भाव-मुग्धा नगरी अति प्राचीन काल से आज तक दर्शन, धर्म और संस्कति की मनोहर मंजू ा के प में विख्यात रही है वि णु पुराण, जातक, रामायण तथा उ ाराध्ययन सूत्र एवं अनेक ान्थों व रिपोटा में इस नगरी का उल्लेख विभिन्न पों, प्रसंगों और परिवेशों में किया गया है पतित पावनी गंगा नदी के दायें तट पर कायमगंज तहसील के कस्बे से 10 कि.मी. प ाम में सड़क ारा सम्बद्ध यह तीर्थ स्थान जैन धर्म के प्रवर्तक तेरहवें तीथकर भगवान विमलनाथ, महासती द्रौपदी तथा गुरु द्रोणाचार्य की जन्मस्थली है द्रौपदी का स्वयंवर भी यहा हुआ था हमारी अमूल्य सांस्कतिक निधि के प्रमुख दिग्दर्शक, जो कम्पिल में वि ामान ह, उनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :

मुगलघाट द्रौपदी कुण्ड के समीप ही मुगल बादशाह औरंगजेब ने गंगा नदी के किनारे गुम्बदनुमा चार ाटों का निर्माण कराया था

कपिलमुनि का आश्रम यहाँ खुदाई करते समय एक गुफा मिली है, जिसमें कु मूर्तियाँ और पूजा-पाठ की साम ी उपलब्ध हुई है

रामेश्वरधाम मन्दिर कहा जाता है कि भरत के ोटे भाई शत्रु न ने भगवान राम ारा लंका से लाये शिवलिंग को, जिसकी पूजा सीताजी लंका निवास के समय अशोक वाटिका में प्रतिदिन करती था, इसी स्थान पर प्रति त किया था

जैन श्वेताम्बर मन्दिर इस भव्य मन्दिर के मूल नायक भगवान विमलनाथ ह जो मन्दिर में ऊँचे आसन पर विराजमान ह मंदिर के चारों कोनों पर चार कल्याणकों के स्मारक ह

जैन दिगम्बर मन्दिर इसमें भगवान विमलनाथ की मूल नायक प्रतिमा वि ामान है अनुमान है कि यह प्रतिमा कई सौ व र्ग पुरानी है

भेदकुण्ड कम्पिल ाम से 3 मील पूर्व में स्थित है कहा जाता है कि अर्जुन ने इसी स्थान पर द्रौपदी के वरण हेतु मीन वेध किया था हमारी संस्कति के प्रतीक इन मन्दिरों के अतिरि ़ कम्पिल में अनेक ोटे- ोटे मंदिर, खण्डहर, प्राचीन कुँए आदि ह, जो पर्यटकों, तीर्थयात्रियों, शिल्पियों, शोध- ात्रों आदि के लिए आक र्गण और महत्व के केन्द्र ह

संकिस्सा प्राचीन काल में इसे संकास्य कहते थे प्रसिद्ध चीनी यात्री ेनसांग ने इसका उल्लेख कपित्थ नाम से किया है वर्तमान संकिस्सा जिला फर्रुखाबाद में है इसके एक टीले पर, जो पूर्व से प ाम तक 455 मीटर तथा उ ार से दक्षिण तक 303 मीटर है, कतिपय भग्नावशे ा ह बौद्ध मतानुयायियों के अनुसार भगवान बुद्ध देवलोक से पथ्वी पर यहाँ अवतरित हुए थे यह स्थान हिन्दुओं के लिए भी पवित्र है प्रतिव र्ग यहाँ श्रावणी मेला लगता है

नैमि ारण्य (जिला सीतापुर) पथ्वी पर सत्य की स्थापना के लिए देवताओं ने यहा पर वत्रासुर के वध हेतु अ ा बनाने के लिए मर्हा र्ग दधीचि से प्रार्थना की थी नैमि ारण्य आध्यात्मिक विकास का केन्द्र रहा है यह अ ासी हजार त्र ा र्गियों की तपस्थली रही है यहाँ तीस हजार तीर्थस्थल ह कहा जाता है कि यहाँ पर साधना करने वाले की सिद्धि-प्राप्ति नि ित है नैमि ारण्य में अनेक पुण्य तीर्थ ह जिनकी यात्रा के लिए भारत के कोने-कोने से लाखों यात्री आते ह मर्हा र्ग दधीचि की पुण्य स्मति में चौरासी कोस की परिक्रमा फाल्गुन महीने की अमावस्या से प्रारम्भ होकर पूर्णिमा को मिश्रिख में समाप्त होती है यहाँ के कु तीर्थ ह :

चक्रतीर्थ नैमि ा के तीथा में चक्रतीर्थ सवापरि है इसके समान पथ्वी तल पर दूसरा कोई तीर्थ नहा है प्रसिद्ध है कि ब्र ाजी की मानसिक श ़ि से निर्मित दिव्य चक्र के पथ्वी पर गिरने से एक गोलाकार कुण्ड बन गया जो चक्रतीर्थ कहलाया

व्यास गद्दी चक्रतीर्थ के निकट व्यास ग ी तीर्थ है, जहाँ व्यास ने वेद को चार भागों में विभाजित किया तथा पुराणों की रचना की थी

सूत गद्दी यहाँ सूत और शौनक संवाद हुआ था

श्री ललिता देवी का मन्दिर यह स्थान चक्रतीर्थ के निकट ही है कहते ह कि ब्र ाजी के आदेश से यहाँ ललिता नामक श ़ि ने अवतरित होकर ब्र ा जी के चक्र की शिखा पकड़कर उसे स्तंभित कर दिया था भ ़जनों में इस मंदिर का बहुत महत्व है

श्री हनुमान गढ़ी एवं पंच पाण्डव यहाँ हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति है जनश्रुति के अनुसार हनुमान जी अहिरावण का वध कर श्रीराम तथा लक्ष्मण को लेकर इसी स्थान पर पाताल तोड़कर प्रकट हुए थे यहा पर पाण्डवों का भी मंदिर है पाण्डवों ने अ ातवास के समय यहा निवास किया था

मि र्ग ाख नैमि ारण्य से 10 कि.मी. दूरी पर मिश्रिख स्थित है कथा है कि यहाँ पर मर्हा र्ग दधीचि ने अपनी अस्थि दान करने के पूर्व समस्त तीथा के जल से स्नान किया था, जिससे इसका नाम मिश्रित अथवा मिश्रिख पड़ा यहाँ मर्हा र्ग दधीचि आश्रम और सीताकुण्ड दर्शनीय है

गोरखनाथ मन्दिर (गोरखपुर) महायोगी गोरखनाथ जी की तपस्थली है और नाथ सम्प्रदाय की सिद्धपीठ है जिस स्थान पर महायोगी गोरखनाथ जी ने खिचड़ी का प्रसाद बाँटा था और चमत्कार दिखाया था, उसी स्थान पर गोरखनाथ जी का मन्दिर स्थापित है इस नगर का नाम तभी से महायोगी के नाम पर गोरखपुर पड़ा

शु R ताल (जिला मुजफ्फरनगर) यहाँ वट वक्ष के नीचे बैठकर मर्हा िशुक्राचार्य जी ने राजा परीक्षित को महाभारत की कथा सुनाई थी कार्तिक में पूर्णमासी एवं एकादशी पर हजारों भ R दर्शन के लिए यहाँ आते ह प्रायः प्रत्येक मास में भागवत सप्ताह का आयोजन होता है यहाँ अनेक धमा के अनुयायियों के मन्दिर ह

भर त कुण जिला अयोध्या से 25 कि.मी. दूर नन्दि ाम के नाम से यह स्थान प्रसिद्ध है यहाँ पर भरत जी ने श्री रामचन्द्र जी के वनवास की अवधि में 14 व ा तक तपस्या की थी

कि ो ा (जिला अ बेडकर नगर) यहाँ मुस्लिम संत सैयद महमूद शाह अशरफ जहाँगीर की दरगाह है

ांगरम यह जिला उन्नाव में एक ोटा सा कस्बा है इसकी प्रसिद्धि का कारण यहाँ स्थित राजराजे ारी श्री वि ाा का मन्दिर है इसमें जगदम्बा की एक बड़ी सुन्दर प्रतिमा है, जो अ धातुओं के मिश्रण से बनी है मन्दिर कुण्डलिनी-योग विचारधारा पर आधारित है तथा स्थापत्य कला की ि से विशि महत्व का है

ांसा बाराबंकी से लगभग 16 कि.मी. दूर स्थित बांसा मुसलमानों के लिए सुप्रसिद्ध सूफी संत सैयद शाह अब्दुल रज्जाक की दरगाह के कारण एक तीर्थ स्थान बन गया है

ारा ंकी लखनऊ से लगभग स ाइस कि.मी. की दूरी पर जनपद बाराबंकी है, जहाँ महादेवा, किन्तूर, कोटवाधाम आदि प्रसिद्ध तीर्थ स्थान ह यहाँ महादेव की स्थापना, कहा जाता है कि स्वयं महाराज युधि ि र ने की थी किन्तूर ाम में महारानी कुन्ती ारा स्थापित कुन्ते ार मन्दिर है इसी जनपद के ाम बदोसराय में हिन्दू-मुस्लिम एकता की प्रतीक सलामत शाह की मजार है

अ रंजीखे ा अतरंजीखेड़ा उ ार प्रदेश में काली नदी के तट पर एटा जिले में स्थित है यहाँ से गैरिक मदभाण्ड संस्कति से लेकर गुप्त युग तक के अवशे ा प्राप्त हुए ह ेनसांग (चीनी यात्री) ने अपने यात्रा विवरण में अतरंजीखेड़ा को पि-लो-शा-न कहा है अतरंजीखेड़ा से गैरिक मदभाण्ड तथा क ण लोहित म ाण्ड संस्कतियों के अवशे ा मिले ह यहाँ से प्राप्त अवशे ा मुख्यतया चित्रित धूसर म ाण्ड संस्कति से सम्बद्ध ह इस युग में 1000 ई.पू. के लौह-प्रयोग, धान की खेती, व ााकार अग्निकुण्ड तथा कटे निशान वाले पशुओं की ह ियाँ प्राप्त हुई ह इस युग को उ ार वैदिक युग से सम्बद्ध स्वीकार किया जाता है उ ारी काली ओपदार म ाण्ड संस्कति के चरण में अतरंजीखेड़ा एक नगर के प में उभरा था यहाँ के लोग प्रायः क ािजीवी और स्थिर प्रव ाि के थे अतरंजीखेड़ा से शुंगों, कु ाणों तथा गुप्तों से सम्बद्ध अवशे ा भी प्राप्त हुए ह

अयो या अयोध्या उ ार प्रदेश में अयोध्या जिले में सरयू नदी के तट पर स्थित है इसका पौराणिक प्राचीन नाम अयोध्या है अयोध्या उ ार प्रदेश के उपजाऊ मैदान में स्थित है, इस कारण अयोध्या की एक आर्थिक प भूमि भी रही है यही कारण है कि अयोध्या में उ ारी काली पॉलिशयुक्त म ाण्ड संस्कति से लेकर गुप्तकाल तक के साक्ष्य मिले ह महाजनपद युग में अयोध्या कोशल जनपद की प्रमुख नगरी थी बौद्ध परम्परा के अनुसार यहाँ अशोक ने एक स्तूप का निर्माण कराया था जैन ान्थों में आदिनाथ सहित पाँच तीथकरों का जन्मस्थल अयोध्या को ही माना गया है अयोध्या नगरी भारत की सप्तमहापुरियों में से एक है इस नगरी को भगवान श्री राम के जन्म स्थान का गौरव प्राप्त है यह नगरी पौराणिक सूत्रों के अनुसार अपने स्थापना काल से सूर्यवंशियों तथा इक्ष्वाकुवंशी राजाओं की राजधानी रही इस नगरी में श्री राम, सीता और दशरथ से सम्बन्धित अनेक स्थान ह अयोध्या पर बैक्टियाई यूनानियों

के आक्रमण हुए थे अयोध्या से पु यमित्र शुंग का एक लेख प्राप्त हुआ है गुप्तों के काल में अयोध्या प्रमुख नगरी थी साकेत इस क्षेत्र का ही नाम है ेनसांग ने अयोध्या में अनेक बौद्ध मन्दिरों का उल्लेख किया है

अ‍ि त्र अहिच्छ त्र की समता (पहचान) उ ार प्रदेश के बरेली जिले में स्थित रामनगर से की गयी है उ ार प्रदेश के उपजाऊ मैदान में स्थित होने के कारण अहिच्छ त्र में नागरिक विकास के तत्व उभरे थे, इस कारण यहाँ से मद्भाण्ड संस्कतियों से लेकर गुप्तो ार युग तक के साक्ष्य प्राप्त होते ह अहिच्छ त्र से चित्रित धूसर मद्भाण्ड तथा लाल मद्भाण्ड संस्कति के अवशे ा मिले ह महाजनपद युग में यह उ ारी पांचाल की राजधानी थी अशोक ने यहाँ एक स्तूप का निर्माण कराया था ई.पू. 100 से 300 ई. के मध्य वाले स्तरों से मण्मूर्तियाँ प्राप्त हुई ह इसी समय के मित्र उपाधि वाले राजाओं के सिक्के भी मिले ह कु ाणों के सिक्के भी प्राप्त हुए ह गुप्तकाल में अहिच्छ त्र एक नगर के प में प्रसिद्ध था अहिच्छ त्र के शासक अच्युत को समाट समुद्रगुप्त ने पराजित किया था यहाँ से गुप्तकालीन यमुना की एक मूर्ति प्राप्त हुई है 350 ई. से 750 ई. के मध्य के मन्दिर, देवकक्ष भी प्राप्त हुए ह

आलमगीर ुर आलमगीरपुर उ ार प्रदेश के मेरठ के समीप स्थित है आलमगीरपुर के उत्खनन से प्राप्त अवशे ा सैन्धव सभ्यता के पूवा विस्तार की पुि करते ह यह स्थल उ ार-हड़प्पा सभ्यता का भी केन्द्र था आलमगीरपुर से कपास उत्पादन के साक्ष्य प्राप्त हुए ह

आगरा आगरा उ ार प्रदेश में यमुना नदी के तट पर स्थित महानगर है प्राचीन काल में यह एक नगर था परन्तु मध्यकाल में आगरा की स्थापना 1504 ई. में सुल्तान सिकन्दर लोदी ने की थी, उसने इसे सामरिक महत्व का स्थान ोि ित कर सैनिक-राजनीतिक केन्द्र बनाया था मध्य युग में राजस्थान तथा दक्षिण में मालवा की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित होने के कारण आगरा का राजनीतिक-आर्थिक-व्यापारिक महत्व स्थापित था मुगल सामाज्य के संस्थापक बाबर ने आगरा को ही अपनी राजधानी बनाया था मुगल समाट अकबर, जहाँगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब की भी यह राजधानी रही थी जहाँगीर के काल में नूरजहाँ ने आगरा में अपने पिता एत्माद ौला का शानदार मकबरा निर्मित कराया था शाहजहाँ ने किले में अनेक भव्य भवन निर्मित कराकर आगरा को वैभव प्रदान किया था इन भवनों में जहाँगीरी एवं अकबरी महल प्रमुख थे शाहजहाँ ारा निर्मित ताजमहल एवं मोती मस्जिद स्थापत्यकला के सर्वश्रे प्रतीक ह मुगलकाल में आगरा मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख केन्द्र था यह व्यावसायिक केन्द्र के प में समस्त भारत में चर्चित था आगरा के समीपवता क्षेत्रों में नील की खेती होती थी सभी यूरोपियन यात्रियों (राल्फ फिच, बर्नियर, आदि) ने आगरा के वैभव की प्रशंसा की है

क ौज प्राचीन भारत में कान्यकुब्ज के नाम से चर्चित कन्नौज उ ार प्रदेश के महत्वपूर्ण नगरों में स्वीकार किया जाता है वर्तमान में यह प्रदेश का जनपदीय नगर है और गंगा नदी तट पर स्थित है गंगा-यमुना दोआब क्षेत्र में स्थित होने के कारण कन्नौज का आर्थिक महत्व ईसा पूर्व शताब्दियों से रहा था कन्नौज का उल्लेख टालेमी के द ज्यो ाफी एवं पतंजलि के महाभा य तथा सभी पुराणों, महाभारत एवं चीनी यात्रियों (फा ाान, ेनसांग) के यात्रा-विवरणों में प्राप्त होता है कन्नौज में पहली बस्ती के साक्ष्य उ ारी काले मद्भाण्ड युग से कु ाण युग तक के प्राप्त हुए ह गुप्तों और मौखरियों के समय यह प्रमुख नगर था पु यभूति शासक ह ावर्द्धन के समय कन्नौज की सवागीण उन्नति हुई थी ेनसांग ने तत्कालीन वैभव की भूरि-भूरि प्रशंसा की है उस समय कन्नौज नगरमहोदय श्री कहलाता था ह ा ार युग में कन्नौज पर अपनी प्रभुता स्थापित करने के लिए गुर्जर-प्रतिहारों, पालों एवं रा कूटों के मध्य हुए त्रिदलीय सं ा ा का कारण इस नगर का वैभव व आर्थिक-राजनीतिक मह ा ा थी प्रतिहारों ने सर्वाधिक समय तक अपना

प्रभुत्व कन्नौज में स्थापित रखा था 1018-1019 ई. में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था मुहम्मद गोरी के समय कन्नौज का शासक जयचन्द गहड़वाल था कन्नौज शैक्षणिक एवं सांस्कतिक गतिविधियों का ऐतिहासिक केन्द्र लगभग 1000 व ाा तक बना रहा था यहाँ हिन्दू व बौद्ध दोनों प्रकार की शिक्षा-विधि प्रचलित रही थी यहाँ के बौद्ध महावि ाालय में चीनी यात्री ेनसांग ने अध्ययन-अध्यापन किया था राजशेखर, भवभूति, बाण कन्नौज से सम्बद्ध रहे थे ेनसांग के अनुसार कन्नौज में अशोक ने स्तूप निर्मित कराया था इस प्रकार कन्नौज प्राचीन व मध्यकाल का चर्चित नगर था यहाँ हजारों व र्ा पुराने खण्डहर, मंदिर और मस्जिद पर्यटकों के आक र्ाण के केन्द्र ह इनमें से कु ह :

क्षेमकली देवी का मन्दिर यह अब भी जिले के पूवा किनारे पर एक चबूतरे पर सुशोभित है क्षेमकली देवी राजमहल की प्रमुख देवी था इनका आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद ही कोई कार्य प्रारम्भ किया जाता था इसी स्थान पर समाट जयचन्द्र की तोप रखी रहती थी

पद्मावती सती मन्दिर कन्नौज से 5 कि.मी. की दूरी पर दक्षिण-प ाम दिशा में देवरिया ताल के पूवा तट पर लाखन की रानी प ाावती सती हुई था जिनकी पुण्य स्मति में प ाावती सती मन्दिर बना हुआ है सावन के महीने में यहाँ मेले का आयोजन भी होता है

जय ान के किले के अ ाशे ा राजा जयचन्द्र के किले की अवशे ा यहाँ पाये जाते ह

राजा जयचन्द्र की सोलह ारी तथा बारह ारी कन्नौज से 3 कि.मी. की दूरी पर यह वह स्थान है जहाँ आल्हा और ऊदल की कचहरी लगती थी यहाँ आज भी प्राचीन भवनों के अवशे ा उपलब्ध ह चिन्तामणि मन्दिर, गौरीशंकर मन्दिर, मकदून जहानियाँ की मस्जिद, हाजी शरीफ मंदिर, अजयपाल, जामा मस्जिद, बालापीर, फूलवती देवी का मंदिर आदि व्य ह

क ाल ास्ु कपिलवस्तु की पहचान उ ार प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के पिपरहवा से की गयी है भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी (नेपाल) इसके समीप ही है यह क्षेत्र तराई में है कपिलवस्तु के वि ाय में पालि एवं संस्कत ान्थों तथा पुरातात्विक अवशे ाों से विशे ा प्रकाश पड़ता है कपिलवस्तु का अर्थ कपिल त्र ाि के वास (स्थान) से लगाया गया है बौद्धकाल में कपिलवस्तु शाक्य गणराज्य की राजधानी थी यहाँ उ ारी काली पॉलिशयुक्त म ाण्ड युग के अवशे ा प्राप्त हुए ह मौर्य समाट अशोक ने इस पवित्र स्थल की यात्रा की थी कु ााणों के सिक्के कपिलवस्तु के उत्खनन में प्राप्त हुए ह कपिलवस्तु श्रावस्ती-वाराणसी मार्ग तथा वैशाली-पुरु ापुर मार्ग का प्रमुख केन्द्र स्थल रहा था, इसलिए कपिलवस्तु में आर्थिक-व्यापारिक सक्रियता के साक्ष्य मिलते ह महावस्तु के अनुसार कपिलवस्तु में अनेक प्रकार के शिल्प प्रचलित थे

कुशीनगर कुशीनगर की पहचान उ ार प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित कसिया स्थल से की गयी है दिव्यादान, दी ानिकाय, अशोक के आठवें वहद् शिलालेख, कनि क के सिक्कों तथा फाहियान एवं ेनसांग के यात्रा-विवरणों से कुशीनगर की विस्तत जानकारी प्राप्त होती है कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण (483 ई.पू.) कुशीनगर में ही हुआ था गुप्तकाल तथा कुशीनगर का प्रमुख महत्व स्थापित रहा था श्रावस्ती-वाराणसी मार्ग का प्रमुख केन्द्र होने के कारण इसका आर्थिक-व्यापारिक महत्व स्थापित था प्रमुख बौद्ध नगरी होने के कारण अशोक के समय में कुशीनगर में अनेक स्थापत्य कतियाँ निर्मित हुई था यह स्थापत्य निर्माण गुप्तकाल में भी खूब रहा था अशोक ने यहाँ स्तूप व विहार निर्मित कराये थे कुशीनगर से कनि क के सिक्के प्राप्त हुए ह कुमारगुप्त के समय हरिबल ने भी स्तूप एवं विहार निर्मित कराये थे कुशीनगर के व्यापारियों एवं शिल्पियों के ारा मुद्रा-परिचालन के साक्ष्य भी प्राप्त हुए ह हूणों के कुशीनगर पर आक्रमण के साक्ष्य भी प्राप्त होते ह

कौशाम ाी कौशाम्बी की पहचान उ ार प्रदेश के प्रयागराज के समीप यमुना नदी के तट पर

स्थित कोसम नामक गाँव से की गयी है वर्तमान में कौशाम्बी नामक नये जनपद का सृजन किया गया है जिसका मुख्यालय मंझनपुर है जैन, बौद्ध साहित्य तथा पुरातात्विक अवशे ों से कौशाम्बी पर विस्तत प्रकाश पड़ता है फाहियान तथा ेनसांग के यात्रा-विवरणों में कौशाम्बी की विस्तत चर्चा की गयी है कौशाम्बी को आ ा-नगरीय स्थल भी स्वीकार किया जाता है महाजनपद युग में कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी थी मगध सामाज्य के उत्क ा के प ाात् कौशाम्बी आर्थिक तथा धार्मिक महत्व का केन्द्र स्थल बन गयी थी कौशाम्बी उ ारापथ और दक्षिणापथ का पड़ाव स्थल थी मौया ार युग तक यह महत्वपूर्ण नगर रहा था यहाँ से विमकडफिसस तथा कनि क के सिक्के प्राप्त हुए ह म ों ने कौशाम्बी को राजधानी बनाकर दूसरी-तीसरी शताब्दी ई. में इसे राजनीतिक-आर्थिक महत्व प्रदान किया था कौशाम्बी को हूण नेता तोरमाण के आक्रमण से विशे ा क्षति पहुँची थी इस प्रकार दी ाकिाल तक कौशाम्बी का सांस्कतिक-आर्थिक-राजनीतिक-सामयिक महत्व स्थापित रहा था बुद्ध की यह कार्यस्थली के प में सदैव चर्चित रही थी यह थेरपन्थ का प्रमुख केन्द्र थी ोि तारामविहार, अशोक का प्रयाग स्तम्भ इसके सांस्कतिक महत्व के साक्ष्य ह

क ा कड़ा उ ार प्रदेश में प्रयागराज से 64 किमी. प ाि म में गंगा तट पर स्थित है गंगा-यमुना दोआब तथा प्रमुख व्यापारिक मार्ग पर अवस्थित होने के कारण कड़ा का आर्थिक महत्व रहा था इस कारण सल्तनत काल एवं मुगल काल में कड़ा महत्वपूर्ण इ ाा (सूबा) था सुल्तान जलालु ीन खिलजी के समय कड़ा का सूबेदार अलाउ ीन खिलजी था कड़ा से ही अलाउ ीन खिलजी ने 1296 ई. में अपना सफल अभियान (देवगिरि अभियान) सम्पन्न किया था 1296 ई. में ही कड़ा में सुल्तान जलालु ीन खिलजी की हत्या अलाउ ीन खिलजी ने करवाई थी और अपने को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान ोि ित कर दिया था कड़ा क्षेत्र में सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक ने स्वर्ग ारी की स्थापना की थी शाहजादा सलीम ने 1602 ई. में अकबर के विरुद्ध विद्रोह करके कड़ा दुर्ग में ही शरण ली थी 1765 ई. में सन्धि के अनुसार अवध के नवाब शुजाउ ौला ने अं ोज कम्पनी को कड़ा साप दिया था भ ा सन्त मलूकदास की जन्मस्थली कड़ा थी

कालिंजर उ ार प्रदेश के बाँदा जनपद में कालिंजर दुगाकत स्थल है पूर्वमध्य युग में कालिंजर में राजपूतों का शासन था बारहवा शताब्दी के बाद से कालिंजर तुका, अफगानों, मुगलों के आक्रमणों से प्रभावित रहा था 1022 ई. में महमूद गजनवी ने कालिंजर को पदाक्रान्त किया था 1202 ई. में कुतुबु ीन ऐबक ने चन्देल शासक परमार्दिदेव को कालिंजर में पराजित किया था 1545 ई. में कालिंजर के सैन्य अभियान में बा द विस्फोट से शेरशाह सूरी की मत्यु हो गयी थी मुगल समाट अकबर ने 1569 ई. में कालिंजर के शासक रामचन्द्र को पराजित कर कालिंजर पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था कालिंजर का सदैव सामयिक महत्व स्वीकार किया जाता रहा था

काल ी कालपी उ ार प्रदेश के जालौन जिले में यमुना नदी के तट पर स्थित है गंगा-यमुना के दोआब क्षेत्र में स्थित होने के कारण इसका आर्थिक महत्व स्वीकार किया जाता रहा था दसवा शताब्दी ई. में कालपी में चन्देलों का शासन स्थापित था काल प्रियना ा सय मंदिर मह ि वेद यास की जन्म ाली किला के वंसाव ो ा पाहलाल का मंदिर बीरबल का महल ौरासी गु बद महत्वपण है। कालपी में ही देवब्रत ने ीम प्रति ा की ी।

को ल कोइल अथवा कोल उ ार प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित है भारत में तुका के आगमन के समय कोइल पर राजपूतों का प्रभुत्व स्थापित था कुतुबु ीन ऐबक ने 1192 ई. में कोइल पर अधिकार स्थापित किया था इब्नबतूता कोइल के नगर वैभव की प्रशंसा करता है सुल्तान बहलोल लोदी के समय

कोइल का स्थानीय शासक ईसा खाँ था, जिसने बहलोल की अधीनता स्वीकार कर ली थी

ग ाा गढ़वा उ ार प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित है यहाँ से गुप्त शासकों, कुमारगुप्त प्रथम के दो शिलालेख तथा स्कन्दगुप्त का एक लेख प्राप्त हुए ह कुमारगुप्त के शिलालेखों में गुप्त संवत् 98 की तिथि अंकित है शिलालेखों से दानगह को दान देने की सूचना प्राप्त होती है स्कन्दगुप्त के शिलालेखों में गुप्त संवत् 148 की तिथि अंकित है इस लेख से वि णु की प्रतिमा की स्थापना एवं पूजा के लिए दान दिये जाने की सूचना मिलती है

ुनार चुनार उ ार प्रदेश में विन्ध्य के पहाड़ी क्षेत्र में गंगानदी के तट पर मिर्जापुर जिले में स्थित है मध्यकाल में चुनार सामयिक महत्व के कारण सदैव चर्चित रहा था चुनार से पूवा भारत पर नियन्त्रण रखा जा सकता था चौदहवा शताब्दी में चुनार में चन्देलों का शासन स्थापित था मुगल समाट बाबर ने चुनार पर अधिकार कर लिया था शेरशाह सूरी के दमन के क्रम में हुमायूँ ने चुनार के किले की ेराबन्दी की थी परन्तु शेरशाह ने ही चुनार पर अपना नियन्त्रण स्थापित कर लिया था यहाँ के दुर्ग में आदि विक्रमादित्य का बनवाया हुआ भर्तहरि का मन्दिर है पास ही बल्लभ सम्प्रदाय का कूप मन्दिर है, जहाँ श्री वि लनाथ जी की ग ी है

जौन ुर उ ार प्रदेश में गोमती नदी के तट पर स्थित जौनपुर जिला मुख्यालय है जौनपुर की स्थापना सुल्तान फीरोजशाह तुगलक ने 1358 ई. में मुहम्मद तुगलक उर्फ जौना खाँ के सम्मान में की थी तुगलक वंश के पतन के समय जौनपुर मलिक हुसैन शका के नेतत्व में स्वतन्त्र हो गया और शका सल्तनत की जौनपुर में स्थापना हुई 1492 में सिकन्दर लोदी ने पुनः जौनपुर को दिल्ली सल्तनत को अंग बना लिया था जौनपुर अपनी सांस्कतिक गतिविधियों एवं स्थापत्य कला के लिए चर्चित रहा था साहित्य, स्थापत्य कला (अटाला मस्जिद), संगीत कला के लिए जौनपुर के शका सुल्तानों का योगदान चिरस्मरणीय रहा इसी विशे ाता के कारण जौनपुर को शीराज-ए-हिन्दी कहा जाता था

ाासी उ ार प्रदेश का जिला नगर झाँसी मध्यकालीन नगर है झाँसी की स्थापना 1613 ई. में ओर ा शासक बीर सिंह बुन्देला ने की थी 1732 ई. में जैतपुर युद्ध के बाद झाँसी स्थानीय ओर ा शासक त्रसाल ारा पेशवा बाजीराव प्रथम को साप दी गयी थी तत्प ाात् झाँसी पर मराठों का प्रभुत्व स्थापित रहा था रानी लक्ष्मीबाई झाँसी के स्वतन्त्र राज्य के शासक गंगाधर राव की पत्नी थी, जिन्होंने 1857 ई. के महान् विद्रोह में अपनी वीरता व साहस का लोहा अं ोजों से स्वीकार कराकर भारत के स्वतन्त्रता सं ााम में वीरगति प्राप्त की थी झाँसी में लक्ष्मीबाई का महल, महादेव मन्दिर, मेंहदी बाग प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक अवशे ा सुरक्षित ह

दे ाग देवगढ़ उ ार प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है देवगढ़ से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों से गुप्तकाल के विशे ा स्थापत्य एवं मूर्तिकला संस्कति की जानकारी ाात होती है देवगढ़ में मूर्तियों सहित मन्दिर प्राप्त ह जो गुप्तकालीन ह इनमें दशावतार मन्दिर सर्वाधिक उल्लेखनीय है, यह भगवान वि णु का मन्दिर पा ाण-स्थापत्य का सुन्दर प्रतीक है नव त ाा सिह की गु ा देवगढ़ से जैन तीथकर त्र ाभदेव की पुत्री ब्रा ाी ारा उत्कीर्णित लिपियों का अभिलेख मिला है यहाँ से चन्देलों के अभिलेख भी प्राप्त हुए ह

ललितपुर कला तिहास की नगरी ललितपुर गु त कालीन मतिकला त ाा आदिमानव की गु ाओं में मौजद ि ाि ि के लि प्रसि है। ादपुर जहाजपुर दु ा रण ौर जी सीरोन पबा आ हा दल की बैठकी मदनपुर नीलकंठ ािव मंदिर वाली तालवेह त ाा बानपुर का किला हजारिया महादेव आदि प्रसि ाल हैं।

प्रयागराज : प्रयागराज (पूर्व में इलाहाबाद) उ ार प्रदेश में गंगा-यमुना के संगम पर स्थित है जिसका वर्णन रामायण व महाभारत सहित सभी पुराणों ग्रन्थों में भी मिलता है। मौया ार युग के प ाात् के कालखण्ड में जब व्यापारिक ठहराव की स्थिति रही, उस समय दोआब की उपजाऊ भूमि में स्थित प्रयाग

का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक महत्व बहुत बढ़ता चला गया गुप्त युग से प्रयाग का धार्मिक-राजनीतिक महत्व बहुत बढ़ गया था प्रयागराज से अशोक स्तम्भ पर हरि ोण ारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख प्राप्त हुआ है प्रयाग-प्रशस्ति से समुद्रगुप्त की सैनिक एवं कलात्मक गतिविधियों की जानकारी मिलती है एस.आर. गोयल का कथन है कि पाटलिपुत्र के पूर्व प्रयागराज गुप्त सामन्तों की राजधानी भी रही थी गुप्तों के समाट बनने के उपरान्त प्रयाग उनकी धार्मिक-सांस्कतिक राजधानी बनी रही गुप्तों के पतन के प ात् ह विर्द्धन गुर्जर-प्रतिहारों, चन्देलों, गहड़वालों का आधिपत्य प्रयागराज पर स्थापित रहा था अकबर बादशाह ने प्रयाग की पुनर्स्थापना कर इलाहाबाद नाम दिया जो आज सर्वाधिक प्रचलित-चर्चित है प्रयागराज का धार्मिक महत्व (त्रिवेणी संगम) के कारण सदैव रहा है इसे तीर्थराज कहा जाता है ह विर्द्धन प्रति पाँचवें व प्रयागराज में महामोक्ष परि द् का आयोजन करता था कालिदास, कल्हण, अल्ब नी ने प्रयागराज के धार्मिक-सांस्कतिक महत्व की चर्चा की है

ि ो ुर सीकरी फतेहपुर सीकरी उ ार प्रदेश के आगरा के समीप स्थित है मध्यकाल में अकबर ने इसे प्रसिद्धि प्रदान की थी अकबर यहाँ के प्रसिद्ध शेख सलीम चिश्ती के कारण इसको पवित्र भूमि मानते थे सलीम (जहाँगीर) का जन्म यहा हुआ था तत्प ात् अकबर ने यहाँ शानदार स्थापत्य स्मारक बनवाये 1573 ई. से 1588 ई. तक फतेहपुर सीकरी मुगल सामाज्य की राजधानी रही थी फतेहपुर सीकरी के शानदार स्थापत्य प्रतीकों में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, बुलन्द दरवाजा, जामा मस्जिद, जोधाबाई का महल, दीवाने खास, बीरबल का महल, मरियम का महल, पंच महल, आदि बहुत प्रसिद्ध ह

ासखे ा उ ार प्रदेश में शाहजहाँपुर जिले में गंगा नदी के तट पर स्थित बांसखेड़ा से प्राप्त ह विर्द्धन का 628 ई. का तामदानप लेख इतिहास ोत है इससे ह की वंशावली, प्रशासनिक संरचना की जानकारी प्राप्त होती है बांसखेड़ा, अभिलेख में पु यभूति के अतिरि ि ह के समस्त पूर्वजों का उल्लेख है राज्यवर्द्धन के सैनिक अभियानों का भी वर्णन है इस अभिलेख में प्रशासनिक इकाइयों, अधिकारियों एवं दातव्य गाँवों पर लगने वाले करों की जानकारी मिलती है इस अभिलेख में ह विर्द्धन ारा अहिच त्र भु ि के मर्कटसागर गाँव को कर-मु ि करके दो ब्रा ाणों को दान देने का उल्लेख है, साथ ही इस अभिलेख में ह के हस्ताक्षरों की अनुलिपि उत्कीर्ण है

ादाय बदायूँ उ ार प्रदेश का जिला मुख्यालय है दिल्ली सल्तनत काल में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण इ ि स्वीकार की जाती थी सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश बदायूँ का ही इ िदार था सूफी सन्त शेख निजामु ीन औलिया बदायूँ के ही थे अकबर के समय का प्रमुख इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूँनी भी बदायूँ का था दिल्ली-लखनौती मार्ग का यह प्रमुख केन्द्र स्थल था अतः इसका व्यापारिक-आर्थिक महत्व था दोआब का प्रमुख क्षेत्र होने के कारण इसका कि उपज में भी महत्व स्थापित था

ारन वरन उ ारप्रदेश के बुलन्दशहर जिले में स्थित है यहाँ के राजपूत शासकों ने मुस्लिम आक्रान्ताओं का डटकर मुकाबला किया था 1018 ई. में महमूद गजनवी ने बरन को पदाक्रान्त किया था 1193 ई. में कुतुबु ीन ऐबक ने बरन के शासक को पराजित कर अधिकार कर लिया था प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउ ीन बरनी बरन का ही निवासी था

भी ारगा ा भीतरगाँव उ ार प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है इसका सम्बन्ध गुप्तकालीन मन्दिर निर्माण शैली से है गुप्तकाल में ोटी-पकी इटों एवं पत्थरों से निर्मित यहाँ का मन्दिर का अवशे ा ऐतिहासिक महत्व रखता है यह मन्दिर चन्द्रगुप्त ितीय विक्रमादित्य के काल में बना था भीतरगाँव के मन्दिर की उल्लेखनीय विशे ाता इसमें शिखर का होना तथा ऊँचे चबूतरे पर निर्मित होना है मन्दिर की त पिरामिडाकार है, इसकी बाहरी दीवारों को देवी-देवताओं की मूर्तियों से उकेरा गया है

मेर उ ार प्रदेश के जिला नगर के प में चर्चित मेरठ प्राचीन काल से ऐतिहासिक टनाओं से सम्बद्ध रहा है मध्यकाल में राजपूत सरदार हरद ा ने यहाँ एक किला निर्मित कराया था बारहवा

शताब्दी के अन्त में कुतुबु ीन ऐबक ने मेरठ को दिल्ली सल्तनत का भाग बना लिया था फीरोजशाह तुगलक ने अशोक स्तम्भ मेरठ से उठवाकर दिल्ली में स्थापित कराया था 10 मई, 1857 को भारत के महान विद्रोह का विस्फोट मेरठ से ही हुआ था

राज ा राज ाट उ ार प्रदेश के वाराणसी जिले में गंगा नदी के तट पर स्थित है राज ाट ऐतिहासिक महत्व से यु ा जानकारियों से सम्बद्ध पुरातात्विक प्रमाण प्रस्तुत करता है वर्तमान में राज ाट वाराणसी नगर का उपभाग है राज ाट से उ ारी काले मद्‌भाण्ड संस्कति के अवशे ा प्राप्त हुए ह वाराणसी महाजनपद युग में काशी महाजनपद की राजधानी थी यहाँ के शिल्प और व्यापारी समद्ध थे, जिन्होंने नगर में अपने सिक्के प्रचलित किये थे विविध प्रकार के शिल्पों का यहाँ विकास हुआ था पतंजलि ने यहाँ के रेशम-व ा शिल्प का उल्लेख किया है यह मध्य एशिया और यूनानी-रोमन संसार से व्यापारिक सम्पर्क रखता था ेनसांग ने भी यात्रा-विवरण में इसका विस्तत उल्लेख किया है गुप्तकाल में इसका अत्यधिक राजनीतिक, सांस्कतिक तथा आर्थिक महत्व था शिक्षा, दर्शन का केन्द्र स्थल थाः अल्ब नी भी इसके सांस्कतिक प्रभाव से मुग्ध था

सरायना र राय सरायनाहर राय उ ार प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है यहाँ के उत्खनन से प्राप्त अवशे ाों के आधार पर इस स्थानीय सभ्यता की तिथि लगभग 8000 ई.पू. मानी गयी है मध्यपा ाण युग तथा स्तम्भगर्त के सर्वाधिक प्राचीन साक्ष्य यहाँ से मिले ह

ा ास् ी श्रावस्ती उ ार प्रदेश का जिला है श्रावस्ती की पहचान बहराइच-गोण्डा जिलों के मध्य सहेट-महेट गाँव से हुई है श्रावस्ती से महाजनपद युग से गुप्तो ार युग तक के अवशे ा प्राप्त हुए ह महाजनपद युग में कोशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी श्रावस्ती तीन प्रमुख व्यापारिक मागा (उ ारापथ, दक्षिणापथ, मध्यपथ) के केन्द्र में स्थित होने के कारण आर्थिक, सामयिक एवं राजनीतिक महत्व रखती थी श्रावस्ती भगवान बुद्ध की प्रिय नगरी थी यहाँ के साहूकार अनाथपिण्डक ने जेतवनमहाविहार बौद्धों को अनुदान में दिया था जैन तीथकर सम्भवनाथ एवं चन्द्रप्रभु श्रावस्ती से सम्बद्ध थे आजीवक सम्प्रदाय के महान् प्रवर्तक मक्खलि गोसाल की जन्मस्थली श्रावस्ती थी श्रावस्ती से कनि क के दो अभिलेख प्राप्त हुए ह फाहियान तथा ेनसांग ने अपने यात्रा-विवरणों में श्रावस्ती का विस्तत उल्लेख किया है

सारनाथ उ ार प्रदेश में वाराणसी नगर से 12 किमी. दूर स्थित सारनाथ प्राचीनकाल में इसिपतन मिगदाय (त्र ापि ान मगदाव) के प में प्रसिद्ध था यह बौद्ध सम्प्रदाय एवं मौर्यकला से सम्बद्ध स्थल है भगवान बुद्ध का धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ में हुआ था मौर्य समाट अशोक ने सारनाथ में एक सिंह-शी ा प्रस्तर स्तम्भ बनवाया था स्वतन्त्र भारत का राज चि इसी सिंह-शी ा को अपनाया गया है यह मौर्य प्रस्तर कला का उत्क उदाहरण है सारनाथ के स्तम्भ पर अशोक का ल ु लेख भी उत्कीर्ण है फाहियान ने सारनाथ की यात्रा की थी, इसका विस्तत उल्लेख उसने अपने यात्रा-विवरण में दिया है ेनसांग के समय सारनाथ थेरवाद का प्रमुख केन्द्र था अपने यात्रा-विवरण में ेनसांग ने इसका वर्णन किया है मध्य युग में गहड़वाल शासक की रानी कुमारदेवी ने यहाँ विहार और सं ााराम बनवाये थे उत्खनन में सारनाथ से गुप्तकालीन धमेख स्तूप के अवशे ा प्राप्त हुए ह

सो गौरा सोहगौरा उ ार प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है यहाँ से उ ारी काली पॉलिश्ड मद्‌भाण्ड संस्कति के तथा मौया ार काल के सिक्के भी मिले ह कु ााणों के सिक्के तथा लौह वस्तुएँ भी प्राप्त हुई ह

सम्भल उ ार प्रदेश में सम्भल एक पौराणिक नगर है जहाँ भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होने की भविष्य वाणी की गयी है। मध्यकालीन भारत में यह महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल था सल्तनत काल में यह महत्वपूर्ण इ ाा मानी जाती थी मुगलकाल में भी सम्भल महत्वपूर्ण स्थल था, इसका सामयिक महत्व सदैव बना रहा था बाबर की मत्यु के बाद सम्भल का क्षेत्र हुमायूँ ने अपने भाई अस्करी को प्रदान कर

दिया था

सामग उ ार प्रदेश में आगरा से 16 किमी पूर्व में स्थित सामूगढ़ शाहजहाँ के उ ाराधिकार सं ा ा का प्रमुख स्थल रहा था 29 मई, 1658 ई. को यहाँ हुए युद्ध में औरंगजेब-मुराद की संयु ़ सेना को विजय प्राप्त हुई थी तथा दारा के नेतत्व में शाही सेना की पराजय हो गयी थी युद्ध में विजय प्राप्त होने के उपरान्त औरंगजेब ने शाहजहाँ को आजीवन नजरबन्द कर दिया था तथा अपने को बादशाह ाोिित कर दिया था

सिकन्दरा उ ार प्रदेश में आगरा के समीप स्थित सिकन्दरा मुगल बादशाह अकबर के मकबरे के लिए चर्चित है अकबर ने अपने जीवनकाल में इसका निर्माण प्रारम्भ कर दिया था परन्तु 1613 ई. में इसे जहाँगीर के राज्यकाल में पूरा निर्मित किया जा सका था इस मकबरे में बौद्ध कला की स्थापत्य शैली का प्रभाव भी ि गत होता है

ुलास हुलास उ ार प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है यहाँ से उतर हड़प्पा युग से सम्बद्ध अवशे ा प्राप्त हुए ह उ ारी काली पोलिस्ड मद्भाण्ड संस्कति के प्रमाण भी मिले ह शुंगों और कु ााणों के समय में भी हुलास में आवासीय बस्तियाँ था

लखन उ ार प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती तट पर स्थित है जनश्रुति है कि इस नगर को भगवान श्रीराम के भाई लक्ष्मण ने बसाया था और इसका प्राचीन नाम लक्ष्मणपुरी था यहाँ एक पुराना टीला है, जो लक्ष्मण टीला के नाम से प्रसिद्ध है लखनऊ की प्रसिद्धि उ ार मुगल काल से प्रारम्भ हुई, जब अवध के सूबेदार सआदत खाँ ने अपनी स्वतन्त्र स ाा स्थापित की थी नवाब आसफउ ौला के समय अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानान्तरित हो गयी और तब से 1856 ई. तक (वाजिद अली शाह तक) लखनऊ सांस्कतिक गतिविधियों का केन्द्र रही थी आसफु ौला ने मी दरवाजा और इमामबाड़ा बनवाया आसफी मस्जिद, दौलतखाना, रेजीडेंसी, बिबियापुर कोठी और चौक बाजार का निर्माण भी आसफु ौला ने ही करवाया था गाजीउ ीन हैदर ने शाहनजफ, मोतीमहल, मुबारक मंजिल, सआदत अली और खुशादजादी के मकबरे बनवाये उसने नगर के दक्षिण में एक नहर भी बनवायी मोहम्मद अली शाह ने हुसैनाबाद का इमामबाड़ा, बड़ी जामा मस्जिद, हुसैनाबाद बारादरी आदि इमारतें बनवाइ प्रसिद्ध तर मंजिल का निर्माण नसीरु ीन हैदर ने करवाया स्वतंत्रता सं ााम सैनिकों के सम्मान में यहाँ बनवाया गया शहीद स्मारक, चिड़िया ार और नेशनल बोटेनिकल गार्डन भी दर्शनीय ह यहाँ प्रसिद्ध मुस्लिम संत शाहमीना की मजार है शाहमीना लगभग 500 व ा पूर्व दिवंगत हुए और मुस्लिम महीने रजब के प्रथम गुरुवार को इनका वा ािक उर्स मनाया जाता है हिन्दू और मुसलमान, दोनों ही उनके भ ़ ह बसन्त पंचमी को आयोजित बसन्त की नौचन्दी में दोनों ही भाग लेते ह कत्थक का यह केन्द्र रहा है 1857 के महान् विद्रोह की प्रमुख वीरांगना बेगम हजरत महल ने इतिहास रचा था लखनऊ महानगर शिया सम्प्रदाय का प्रमुख केन्द्र है ईरान में इस्लामी क्रान्ति के नेता इमाम खुमैनी के पूर्वज लखनऊ से ईरान गये थे हिन्दुस्तान में रहने के कारण उन्हें ईरान में हिन्दल कहा जाता था आज भी लखनऊ, बाहर से आने वाले शिया सम्प्रदाय के लिए एक पवित्र नगर है

िनाय थल (लखनऊ)

लखनऊ में 21वा सदी के प्रथम दशक में सौन्दर्य के नये प्रतिमान जुड़े ह इनमें प्रमुख प से डा. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल ार, डा. भीमराव अम्बेडकर विहार, समतामूलक चौक, सामाजिक परिवर्तन गैलरी, डा. भीमराव अम्बेडकर स्मारक श्य स्थल, सामाजिक परिवर्तन सं ाहालय, मान्यवर श्री कांशीराम जी स्मारक स्थल, डा. राममनोहर लोहिया पार्क, जनेश्वर मिश्र पार्क ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थल ह

ा राममनो र लोहि या ााक, गोम ी नगर

लखनऊ की प्रति ि त गोमतीनगर योजना के विपिन खण्ड में लगभग 80 एकड़ क्षेत्रफल पर डा. राममनोहर लोहिया पार्क विकसित किया गया है इस पार्क में 100 से अधिक प्रजाति के वक्ष लगाये गये ह तथा शरद, वसन्त एवं व ाा त्र तु के समय 50 से अधिक प्रजाति के पक्षी इस पार्क में निवास करते ह पार्क में विशाल वाटरबाडी, वहद् लान, फाउन्टेन व म्यूजिकल फाउन्टेन इसके स्व प को नया आयाम प्रदान करते ह महान समाजवादी डा. राममनोहर लोहिया की स्मति में विकसित इस विशाल पार्क का मुख्य भमण पथ एक किमी. लम्बाई में पार्क के उ ारी ोर को दक्षिण-पश्चिमी ोर से जोड़ता है पार्क के मध्य में एक विशालकाय पैडेस्टल पर डा. राम मनोहर लोहिया की 18 फीट ऊँची कांस्य प्रतिमा स्थापित है, जिसके पार्श्व में 25 मीटर ऊँचाई के चार पिलर स्थापित किए गये ह, जो कि डा. लोहिया के चौखम्भा सिद्धान्त को प्रतिपादित करते ह मुख्य स्मारक के निकट विकसित अर्द्ध चन्द्र पथ पर डा. लोहिया के ह निकट सहयोगियों के जीवन व ाान्त अंकित करते हुए स्मति स्तम्भ निामत किए गए ह

ा भीमरा ा आम्े ो कर सामाजिक ारि ा ान स्थल

लखनऊ में गोमती नदी के उ ारी किनारे पर स्थित डा. भीमराव आम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल 107 एकड़ (4,33,417 वर्ग मी.) क्षेत्रफल में निामत है स्मारक से बढ़कर निकलने पर डा. भीमराव आम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन सं ाहालय, सामाजिक परिवर्तन गैलरी और सामाजिक परिवर्तन स्तम्भ दर्शनीय है

ी कांशीराम जी स्मारक स्थल

श्री कांशीराम जी स्मारक स्थल 60 एकड़ (2,42,811 वर्ग मी.) में विकसित है

ौ ि ा र शान्ि उ ा ान

31 एकड़ (1,25,710 वर्ग मी.) के क्षेत्रफल में विकसित यह उपवन 1.2 कि.मी. की लम्बाई में है और शारदा नहर तथा वी.आई.पी. रोड के पार्श्व में है इस उपवन के किनारे पर संरचनाएँ और विस्तत बगीचे ह इसके पार्श्व में मेल खाती हुया सामाजिक परिवर्तन के नायकों की प्रतिमाएँ ह इससे आबद्ध ध्यान कक्ष और विस्तत पुस्तकालय है

ी कांशीराम जी ीन (को) गा न

श्री कांशीराम जी स्मारक के समीप श्री कांशीराम जी ीन (इको) गाडन है लगभग 112 एकड़ क्षेत्रफल में निर्मित इस गाडन के अन्दर भमण हेतु आने वाले आगन्तुकों की सुरक्षा एवं सुरक्षित हरित क्षेत्र उपलब्ध कराने के ि कोण से सु ढ़ व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है पार्क के अन्दर प्रवेश, पूवा एवं पश्चिमी चहारदीवारी पर स्थित विशाल एवं भव्य प्रवेश ारों ारा नियंत्रित किया गया है सेन्टल माउन्ड के चारों ओर एक विशाल जलाशय बनाया गया है, जिसमें फौव्वारे एवं पशु-पक्षियों की 500 से अधिक प्रतिमायें लगायी गयी ह

रा ीय दलि ा प्रेरणा स्थल ं ीन गा न

राजधानी दिल्ली से सटे जनपद गौतमबुद्ध नगर के अति महत्वपूर्ण नोएडा के सेक्टर-95 में रा ीय दलित प्रेरणा स्थल एवं ीन गाडन यमुना नदी के किनारे 3.32 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में महान सन्तों, गुरुओं व महापुरु ाों के आदर-सम्मान में बनाया गया है

ुलासखे ा हुलासखेड़ा उ ार प्रदेश के लखनऊ जनपद में स्थित है हुलासखेड़ा से कु ाणकाल से गुप्त युग तक के भौतिक अवशे ा प्राप्त हुए ह कु ाणकालीन अवशे ाों में सर्वाधिक उल्लेखनीय ह- 200 मीटर लम्बी सड़क, सुनियोजित जल-निकासी की व्यवस्था, कार्तिकेय की स्वर्णप्रतिमा, चाँदी के आहत सिक्के और तीन कु ाण शासकों के ताम सिक्के हुलासखेड़ा से जो

गुप्तकालीन अवशे ा प्राप्त हुए ह, उनमें दुर्ग के भग्नावशे ा, ताँबे-चाँदी के सिक्के, गुप्तलिपि में लिखी कु मुहरें, हाथीदाँत की कं ी, मोहर ापे, 17 ड़ों वाली लोहे की अण्डाकार वस्तुएँ प्रमुख ह

पर्व आर ोले

प्रतिव र् ा उ ार प्रदेश में लगभग 2,250 मेले लगते ह सबसे अधिक मथुरा में (86) और उसके बाद कानपुर में (79) तथा हमीरपुर में (79) मेले लगते ह झाँसी में 78, आगरा में 72 तथा फतेहपुर में 70 मेले प्रतिव र् ा लगते ह वाराणसी नगर महापालिका में फातमा (चेतगंज) में लगभग 1,00,000 आदमी मुहर्रम के दसवें दिन एकत्र होते ह प्रयागराज का कुम्भ मेला अब विश्वप्रसिद्ध हो गया है। प्रयागराज कुम्भ २०२५ में धार्मिक पर्यटकों की संख्या 66.21 करोड़ (सभी स्नान दिवसों की कुल संख्या) तक पहुँची।

प्रति बारहवें और ठे व र् ा कुम्भ एवं अर्द्ध कुम्भ मेला प्रयागराज में लगता है इनमें बहुत विशाल संख्या में लोग आते ह

सूर्य एवं चन्द्र- ़हण के अवसरों पर गंगा स्नान के लिए भी बहुत बड़ी संख्या में लोग वाराणसी एवं अन्य तीर्थ स्थानों पर एकत्र होते ह

राज्य में विभिन्न सम्प्रदायों के लोगों ारा लगभग 40 त्योहार मनाये जाते ह हिन्दुओं ारा मनाये जाने वाले प्रमुख त्योहार ह : शीतला-अ मी, रक्षाबन्धन, वैशाखी पूर्णिमा, बरगदी अमावस्या, ज्ये दशहरा, गुरु पूर्णिमा, नाग पंचमी, हल ा ी, क ण जन्मा मी, हरतालिका तीज, गणेश चतुथा, अनन्त चतुर्दशी, पित विसर्जनी अमावस्या, दुर्गा-नवमी, दशहरा, करवा चौथ, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भय्या दूज, देवोत्थानी एकादशी, कार्तिक पूर्णिमा, सकट चौथ, मकर संक्रांति, वसन्त पंचमी, शिवरात्रि और होली

बौद्ध बुद्ध पूर्णिमा, जैन महावीर जयन्ती तथा सिख गुरु नानक जन्मदिवस मनाते ह इन त्योहारों में हिन्दू भी बड़ी संख्या में भाग लेते ह

मुसलमानों के प्रमुख त्योहार ह रमजान, ईदुज्जुहा, मोहर्रम, ईदुलफितर, बारावफात और शब-ए-बरात ईसाइयों के मुख्य पर्व ह नवव र् ा दिवस, गुड- ़ाइडे, ईस्टर और क्रिसमस

पर्य न त ावों पर ल ाने वाले ोले

	स्थान	उ स ा		स्थान	उ स ा
1.	लखनऊ	लखनऊ महोत्सव	2.	वाराणसी	वाराणसी पर्यटन उत्सव
3.	वाराणसी	संकट मोचन संगीत उत्सव	4.	वाराणसी	गंगा महोत्सव
5.	प्रयागराज	कुम्भ मेला	6.	प्रयागराज	अर्द्धकुम्भ मेला
7.	प्रयागराज	मा ा मेला	8.	प्रयागराज	वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल
9.	प्रयागराज	पर्यटन उत्सव	10.	आगरा	ताज महोत्सव
11.	आगरा	कैलाश मेला	12.	आगरा	बटेश्वर मेला
13.	आगरा	राम बारात	14.	बटेश्वर (आगरा)	ऊँट मेला
15.	मथुरा	होलिकोत्सव	16.	मथुरा (मथुरा सर्किल गोकुल)	श्रीक ण जन्मा मी
17.	वन्दावन (मथुरा)	मुड़िया मेला	18.	बरसाना ब्रज (मथुरा)	ल मार होली
19.	अयोध्या	परिक्रमा मेला	20.	अयोध्या	रामायण मेला अयोध्या
21.	देवा (बाराबंकी)	देवा मेला	22.	मगहर (बस्ती)	कबीर मेला

23. कम्पिल (फर्रुखाबाद)	कम्पिल पर्यटनोत्सव	24. फर्रुखाबाद	राम नगरिया मेला श्रमीरामपुर मेला
25. कन्नौज	कन्नौज पर्यटनोत्सव	26. चित्रकूट	रामायण मेला
27. मेरठ	नौचँदी मेला	28. सरधाना (मेरठ)	सरधाना महोत्सव
29. झाँसी	झाँसी आयुवद महोत्सव	30. बाँदा	कालिन्जर मेला
31. कानपुर	बिठूर गंगा महोत्सव	32. एटा	सोरों मेला
33. गोरखपुर	खिचड़ी मेला	34. उ ार प्रदेश	गंगा दशहरा
35. उ ार प्रदेश	नकैया चेतगंज	36. सैफई (इटावा)	सैफई महोत्सव

ार ा` ाके ाख`ति ाकिव्याि

क ीर संत कबीर का जन्म 1425 ई. में वाराणसी में हुआ था उनके जन्म के बारे में परम्परानुसार बताया जाता है कि वह एक कमल पुष्प पर लहर तारा नामक तालाब में मिले थे। निःसन्तान जुलाहा दम्पति (नी व नीमा) ने उसे पाला-पोसा और उसका नाम कबीर रखा था जिसका अर्थ होता है महान इस प्रकार कबीर का प्रारम्भिक जीवन मुस्लिम परिवेश में व्यतीत हुआ कबीर की शिक्षा किसी वि ाालय में नहा हुई थी, उनका ाान जीवन के गहन अनुभवों पर आधारित था ाान की प्राप्ति के लिए उन्होंने भक्ति मार्गी संत स्वामी रामानन्द को अपना गुरु बनाया कबीर ने तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था पर कठोर आ ाात किया तथा समाज-सुधार करने की लोगों को प्रेरणा दी थी मध्ययुगीन समाज-सुधारकों में कबीर का व्याित्व व कतित्व अनुपम रहा था वे मात्र भ ाि ही नहा अपितु एक युग ा ा, समाज-सुधारक, महात्मा तथा उच्च गुणों से यु ाि महामानव थे कबीर ने युग-युग से प्रताड़ित समाज के निम्न वर्ग को अपनी ओजस्वी वाणी ारा सम्मानजनक स्थान तक पहुँचाने की चे ा की थी, उनके आत्म-सम्मान को जगाया था

निजामु ीन औलिया निजामु ीन औलिया का जन्म उ ार प्रदेश के बदायूँ में हुआ था 1236 ई. में जन्मे निजामु ीन औलिया का प्रारम्भिक जीवन क प्रद था 1256 ई. में निजामु ीन औलिया बाबा फरीद के शि य बन गये थे उन्हा के प्रभाव से निजामु ीन औलिया ने चिश्ती सम्प्रदाय को अपनाया तथा उसका प्रचार करना प्रारम्भ किया शेख निजामु ीन औलिया ने सभी वर्ग के व्याियों को अपना शि य बनाया था, प्रत्येक व्याि के लिए उनके यहाँ के दरवाजे खुले थे निजामु ीन औलिया ने अपना सम्पूर्ण जीवन सूफी धर्म के प्रचार में लगाया था 1325 ई. में शेख निजामु ीन औलिया की मत्यु हो गयी

ाणभ बाणभ ह र्विर्द्धन के दरबार में सम्मानित कवि व वि ान के प में इतिहास में चर्चित ह बाणभ ने ह र्चिरित व कादम्बरी नामक ान्थों की रचना की थी, दोनों ान्थों में तत्कालीन भारत की जानकारी प्राप्त होती है समकालीन इतिहास को जानने के लिए ये दोनों ान्थ महत्वपूर्ण ाोत ह कन्नौज में रहने वाले इस महान् वि ान की प्रशंसा स्वयं समाट ह र्विर्द्धन तथा चीनी यात्री `नसांग ने की थी

जियाउ ीन ारनी जियाउ ीन बरनी बरन (बुलन्दशहर जिले में स्थित) का निवासी था, उसकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना तारीख-ए-फीरोजशाही 1265 ई. से लेकर 1358 ई. तक के इतिहास की ाटनाओं को अभिव्य ाि करती है इतिहासकार बरनी के सम्बन्ध सुल्तानों से रहे थे, मुहम्मद तुगलक, फीरोज तुगलक के सम्पर्क में वह रहा था, अतः उसकी कति समकालीन इतिहास का महत्वपूर्ण ाोत है अधिकांश ाटनाओं का वह चश्मदीद साक्षी रहा था बरनी की दूसरी महत्वपूर्ण कति फतवा-ए-जहांदारी तत्कालीन राज्य-व्यवस्था का महत्वपूर्ण ान्थ है

अमीर खुसरो अमीर खुसरो का जन्म 1253 ई. में पटियाली में हुआ था वह फारसी भा ाा का महान् कवि व इतिहासकार था, उसने हिन्दी (हिन्दवी) में भी रचनाएँ की था वह अपने को भारतीय तोता कहता था उसे भारतीय होने का गर्व था अमीर खुसरो शेख निजामु ीन औलिया का शि य था

वह सुल्तान जलालु ीन खिलजी, सुल्तान अलाउ ीन खिलजी के दरबार में रहा था वह सम्पूर्ण भारत का भमण कर चुका था उसकी प्रसिद्ध रचनाएँ तत्कालीन इतिहास के महत्वपूर्ण ोत ह ये रचनायें ह- केरानुस्सादैन, मिफताहुल फुतूह, नूह सिपेहर, दिवलरानी-खि ा खाँ, तुगलकनामा, खजाइनुल फुतूह

शेख फ़ैजी शेख फैजी का जन्म 1547 ई. में आगरा में हुआ था अकबरकालीन प्रसिद्ध वि ान शेख मुबारक का पुत्र था वह बचपन से कविता करने लगा था मुगल समाट अकबर शेख फैजी की प्रशंसा से मुग्ध हो गया था अकबर ने शीाघ्र ही शेख फैजी को दरबार में स्थान प्रदान किया शेख फैजी स्वतन्त्र विचारों वाला वि ान था धर्मान्धिता का विरोध होने के कारण अकबर का कपापात्र था शेख फैजी अकबर के काल का श्रे कवि व वि ान था बदायूँनी ने फैजी की अत्यधिक प्रशंसा की है तथा उसे काव्य, इतिहास, चिकित्साशा ा निबन्ध रचना में अि तीय बताया है अकबर ारा स्थापित दीन-ए-इलाही का शेख फैजी सदस्य था 1595 ई. में शेख फैजी की मत्यु हो गयी थी

अ ुल फ़जल अबुल फजल का जन्म 1550 ई. में आगरा में हुआ था अबुल फजल शेख मुबारक का पुत्र व शेख फैजी का ोटा भाई था अबुल फजल बहुत योग्य था तथा अपनी योग्यता के कारण ही वह अकबर का परामर्शदाता बन गया था अबुल फजल की दो प्रमुख रचनाएँ अकबरनामा व आइने-अकबरी अकबरकालीन इतिहास के मुख्य ोत ह अबुल फजल तुका, फारसी, संस्कत, अरबी, हिन्दी का वि ान था अबुल फजल ने दक्षिणी अभियान का अकबर के साथ नेतत्व किया था 1602 ई. में दक्षिण से वापसी के मार्ग में वीरसिंह बुन्देला ने, शाहजादा सलीम के परामर्श से जो उसका विरोधी था, अबुल फजल की हत्या कर दी थी

राजा ो रमल राजा टोडरमल का जन्म सीतापुर जिले के लहरपुर गाँव में हुआ था वह बचपन से ही कुशा ा बुद्धि का था अतः युवा होने पर शेरशाह सूरी की सेवा में कार्यरत हो गया था सूरवंश के पतन के प ाात् उसने मुगलों की सेवा प्रारम्भ की तथा अपनी योग्यता से वह अकबर का दीवान बन गया था अन्ततः अकबर उसकी राजस्व व्यवस्था से प्रभावित हुआ और उसे प्रधानमन्त्री का पद प्रदान किया टोडरमल ने अपनी योग्यता व परिश्रम से मुगलों की भू-व्यवस्था को नवीन स्व प प्रदान कर व्यवस्थित किया इसी कार्य से वह इतिहास में चर्चित हो गया टोडरमल ने दहसाला बन्दोबस्त व्यवस्था स्थापित की थी भूमि की नाप कराकर, उपज का सही मूल्यांकन करने के लिए उसका वगाकरण किया गया था भूमि के आधार पर ही भूमिकर निर्धारित किया गया था, इस भू-व्यवस्था से किसानों को लाभ प्राप्त हुआ और राजस्व में वद्धि हुई टोडरमल एक योग्य वि ामन्त्री के साथ-साथ कुशल सैन्य संचालक भी था 1565 ई. में उसने उजबेगों के दमन में, 1568 ई. के रणथम्भौर अभियान में उसने अपनी सैन्य प्रतिभा का परिचय दिया था टोडरमल 1589 ई. को इस संसार से विदा हो गया और अपनी अक्षयकीर्ति को सदैव के लिए ोड़ गया था

ीर ाल बीरबल का जन्म कालपी (जिला जालौन) में 1528 ई. में हुआ था वह जन्म से ब्रा ाण थे, उनका मूल नाम महेशदास था वह प्रारम्भ से ही तीक्ष्ण बुद्धि का कवि दय का हास्यप्रिय व्यि ा थे उनकी प्रतिभा से प्रभावित रीवां नरेश रामचन्द्र ब ोल ने उनको अपने दरबार में स्थान दिया था तत्प ाात् उन्हें आमेर के राजा भगवानदास ने आश्रय दिया, जहाँ से वह अकबर के दरबार में नौ-रत्नों में सम्मिलित किये गये थे बीरबल ने दीन-ए-इलाही को स्वीकार कर लिया था 1583 ई. में बीरबल दीवानी न्याय विभाग के प्रमुख अधिकारी नियु ा किये गये अकबर ने बीरबल की सेवा से प्रसन्न होकर 2,000 का मनसबदार बनाया था तथा कविराज की उपाधि दी थी 1586 ई. में बीरबल युसुफ जाइयों के साथ युद्ध में मारे गये

ाा या ो ो तात्या टोपे का मूल नाम रामचन्द्र था तात्या उन्हें स्नेह से कहा जाता था, अतः वह तात्या कहे जाने लगे बिठूर में अं ोजों ारा पेन्शन प्राप्त पेशवा बाजीराव ि तीय ने उनका पालन-

पो ाण किया था वे उन्हें तात्या टोपे कहते थे, इसी नाम से वे चर्चित हुए पेशवा बाजीराज ि तीय के द ाक पुत्र नाना साहब मोरोपन्त की पुत्री मनु (लक्ष्मीबाई के नाम से चर्चित) भी पेशवा बाजीराव ि तीय के महल (बिठूर में) में रहती थी अतः तीनों को साथ-साथ अपना बचपन बिताने का अवसर प्राप्त हो गया उन तीनों में एक-दूसरे के प्रति असीम स्नेह उत्पन्न हो गया था और वे सदैव एक साथ सहयोगी की भाँति रहे थे तात्या टोपे ने सदैव नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई की सेवा की थी 1857 ई. के महासमर में उसने (तात्या टोपे ने) अपनी गनीमी कावा रणनीति (ापामार रणनीति), अ ितीय साहस वीरता से अं ोजों को भयभीत कर दिया था अन्ततः अं ोजों ने कूटनीति का सहारा लिया तथा नरवर के राजा मानसिंह की सहायता से तात्या टोपे को ल से 7 अप्रैल, 1859 ई. को गिरफ्तार कर लिया और 15 अप्रैल, 1859 ई. को शिवपुरी के सैनिक न्यायालय में मुकदमा चलाकर 18 अप्रैल, 1859 ई. को फाँसी पर चढ़ा दिया निःसन्देह कानपुर, बिठूर, झाँसी, काल्पी सभी स्थानों पर उसने अं ोजों को 1857 ई. के प्रथम स्वतन्त्रता सं ााम में धूल चटा दी थी अं ोज उसके नाम से थर्राते थे भारत के इतिहास में तात्या टोपे का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा

म ारानी लक्ष्मी ा महारानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मनु था उनका पालन-पो ाण बिठूर के महल में पेशवा बाजीराव ि तीय की देख-रेख में हुआ था वह मोरोपन्त की पुत्री थी पेशवा बाजीराव स्नेह से बीली कहते थे पेशवा के स्नेह से ही उसने ाुड़सवारी, तलवार चलाने की कला सीखी सयानी होने पर उसका विवाह झाँसी के महाराज गंगाधर से हो गया और तब मनु (मणिकर्णिका) का नाम महारानी लक्ष्मीबाई हो गया परन्तु वह कु ही समयोपरान्त विधवा हो गया अं ोज गवर्नर जनरल डलहौजी ने अपनी हड़प नीति ारा झाँसी राज्य को उ ाराधिकार से वंचित करते हुए 7 मार्च, 1854 को अं ोजी सामाज्य में सम्मिलित कर लिया महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने द ाक पुत्र दामोदर राव को उ ाराधिकारी स्वीकार कराने का कम्पनी सरकार से प्रयास किया परन्तु असफल रहा अतः वे अं ोजों के प्रति क्षोभ व क्रोध से दग्ध हो गयी था अन्ततोगत्वा 1857 ई. के महासमर में उन्होंने झाँसी में अं ोजों को भयंकर टक्कर दी 7 जून, 1857 ई. को झाँसी पर महारानी लक्ष्मीबाई का अधिकार हो गया लगभग दस माह बाद मार्च 1858 ई. में नये अं ोज सेनानायक जनरल ाूरोज ने पुनः सं ा ाे प्रारम्भ किया महारानी लक्ष्मीबाई ने अ ितीय साहस व वीरता का परिचय दिया, इसमें अं ोज जनरल बहुत प्रभावित हुआ परन्तु अल्प साधनों ारा वे अधिक समय तक विस्तत अं ोजी साधनों का सामना करने में असमर्थ हो गया फिर भी उसने आत्म-समर्पण नहा किया, अन्ततः उनके इस महासं ा ाे में सभी सैनिक शहीद हुए और महारानी लक्ष्मीबाई ने भी 18 जून, 1858 ई. को युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त की भारतीय इतिहास में इस वीरांगना का नाम सदैव स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा उसने अपने देश की रक्षा व गौरव के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी रानी लक्ष्मीबाई की वीरता व साहस से अं ोज भी प्रभावित थे महारानी लक्ष्मीबाई के वीरगति प्राप्त होने की जानकारी मिलने पर स्वयं उनके विरुद्ध आक्रमण का नेतत्व करने वाले अं ोज जनरल ाूरोज ने कहा था, विद्रोहियों में अगर कोई जवांमर्द था तो वह झाँसी वाली रानी थी कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने उनकी वीरता पर कविता लिख उन्हें अमर कर दिया है।

रानी दुर्गावती बुन्देल ाण्ड के राठ महोबा के न्देल राजा ाालिवाहन की पु ी दुगावती विं यां ल सतपुड़ा के अं ल में राज करने वाले ाानीय गौढ गढ राज्य के प्रतापी राजा संग्राम ाह की पु व ाु ाी। पति दलपत ाह के नि ान के बाद अपने अ पायु पु वीर नारायण की संरक्षिका के प में न्होंने ौदह व ा सन वी तक ाासन किया। न्होंने मालवा के ाासक बाज बहादुर और आक्रान्ता मियाना अ गानों को तो परा त किया ही मुगल बाद ाह अकबर के ोजे सेनापति आस ाान को कड़ी कर दी ाी। यु क्षे में ही ाुद को क ार ोंप कर आत्म बलिदान कर क गौरव ााली तिहास र दिया।

नाना सा ा नाना साहब का नाम भारतीय रा ीय स्वातन्त्र्य सं ा ाे में चिरस्मरणीय है नाना साहब का प्रारम्भिक नाम गोविन्द था परन्तु वे अपने परिवार में ाोड़ोपन्त के नाम से चर्चित थे उनका

पालन-पो ाण बिठूर में पेशवा बाजीराव ि तीय ने अपने द ाक पुत्र के प में किया था तथा प्यार में वे नाना कहलाने लगे थे पेशवा बाजीराव को प्राप्त पेन्शन से नाना को वंचित कर दिया गया था, अतः उन्होंने कम्पनी सरकार के विरुद्ध अपील करने हेतु अजीमुल्ला को इंग्लैण्ड भेजा परन्तु असफलता ही हाथ लगी, फलस्व प 1857 के महासमर में उन्होंने अं ोजों से डटकर सं ा किया अं ोज सरकार ने नाना को पकड़ने हेतु एक लाख रुपये की ो ाणा की थी, परन्तु उन्हें पकड़ा नहा जा सका वे अन्तिम दौर तक सं ा रित रहे य ापि अं ोजों के विस्तत साधनों के समक्ष वे सफल न हो सके अन्ततः वे नेपाल के जंगलों की ओर पलायन कर गये, परन्तु अपनी वीरता, साहस की गाथा अपने भारतीय लोगों के लिए ोड़ गये जो उन्हें अनुप्राणित करती रही और सदैव प्रेरित करती रहेगी

ेगम जर ा म ल 1857 ई. के सैनिक विद्रोह व प्रथम स्वतन्त्रता सं ााम के दौरान लखनऊ में हुए विद्रोह का नेतत्व अवध की महारानी बेगम हजरत महल ने किया था अवध के नवाब वाजिद अली शाह अं ोजों की कैद में कोलकाता (तत्कालीन कलक ा) में थे, अतः अवध के प्रशासन की बागडोर बेगम हजरतमहल के हाथों में थी उसने अपने नाबालिग बेटे बिरजिस कद्र को अवध का नवाब ो ित किया और अं ोजों के विरुद्ध युद्ध प्रारम्भ कर दिया इस सं ा में बेगम हजरतमहल ने अवध के किसानों तथा जमादारों का अपूर्व सहयोग प्राप्त किया था अवध में 30-31 मई, 1857 ई. को भी ाण सं ा का सूत्रपात हो गया सं ा व्यापक हो गया और अं ोजों को भागना पड़ गया परन्तु बेगम हजरत महल के साधन अल्प थे, अं ोजों को पंजाब व नेपाल से सहायता प्राप्त हो गयी और उन्होंने सितम्बर 1858 ई. में लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया बेगम हजरत महल ने पराजित होने पर भी आत्म-समर्पण नहा किया, वे 1564 में नेपाल पलायन कर गया, परन्तु अपनी वीरता, साहस तथा देशभ ि से सम्पूर्ण भारतवासियों को गौरव पथ पर चलने के लिए प्रेरणा की ोत बन गया इतिहास में वे सदैव स्वर्णअक्षरों में अंकित रहेंगी

अजीजन ेगम 1857 ई. के स्वतन्त्रता सं ााम की बलिदानी महिलाओं में कानपुर की नाचने-गाने वाली महिला अजीजन बेगम का नाम विशे ा चर्चित है उनका जन्म लखनऊ में हुआ था, दुर्भाग्य की थपेड़ों से वे कानपुर आइ और उस समय की मशहूर तवायफ उमराव जान अदा के साथ नाचने-गाने का काम करने लगा यहा उनका सम्पर्क क्रान्तिकारियों से हुआ नाना साहब के आ ान पर अजीजन बेगम ने अं ोजों से टक्कर लेने के लिए महिलाओं को संगठित किया शी्र ही वे महिला सश ा दल की नेता बन गया प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार सर जार्ज टेवेलियन ने अजीजन बेगम को एक योद्धा के प में वर्णित करते हुए लिखा है, ोड़े पर सवार सैनिक वेश-भू ा में अनेक तमगे लगाये और हाथ में पिस्तौल लिए अजीजन बिजली की तरह अं ोज सैनिकों को रादती चली जाती थी, उसके साथ महिलाओं की ुड़सवार टुकड़ी भी ूमा करती थी सैनिकों को हथियार देना, प्यासे सैनिकों को पानी पिलाना एवं ायलों की देखभाल करना, उसके प्रमुख कार्य थे पं. सुन्दरलाल ने अपनी पुस्तक भारत में अं ोजी राज में लिखा है कि कानपुर पर विद्रोहियों का अधिकार होने के बाद बंदी अं ोज ि यों व बच्चों की हत्या के लिए विद्रोहियों को उकसाने वाली अजीजन बेगम ही थी सम्भवतः ऐसा उसने अं ोजों के अमानवीय अत्याचारों के कारण क्रोध और ाणा के आवेश में किया होगा अन्ततः अजीजन को गिरफ्तार कर अं ोज कमाण्डर सर हेनरी हेवलाक के समक्ष लाया गया एक मुस्लिम क्रान्तिकारी (अजीमुल्ला खाँ) का पता बताने की शर्त पर उसे माफी देने का वायदा किया गया अजीजन ने ऐसा करने से स्प इन्कार कर दिया फलस्व प उसे गोली से उड़ा दिया गया गोली लगने से ठीक पहले उसने जय ो ा किया, हिन्दुस्तान अमर रहे और फिर शहीदों की टोली में मिल गया

सर सैय्यद अ मद खा सर सैय्यद अहमद खाँ का जन्म 1817 ई. में दिल्ली में हुआ था 1839 ई. में उन्होंने आगरा के अं ोज कमिश्नर की अधीनता में सेवा प्रारम्भ की 1857 ई. में वह सदर

अमीन नियु ा थे 1876 ई. में सर सैय्यद अहमद खाँ सरकारी सेवा से निव ा होकर समाज-सुधारक बने वे मुस्लिम समाज में सुधार चाहते थे मुसलमानों में नयी शिक्षा का प्रसार चाहते थे इसी उ े श्य से उन्होंने अलीगढ़ में 1878 ई. में मोहम्मडन ऐंग्लो ओरियंटल कालेज की स्थापना की थी सर सैय्यद अहमद खाँ ने मुसलमानों की स्थिति सुधारने के लिए अलीगढ़ आन्दोलन चलाया था 1898 ई. में उनकी मत्यु हो गयी

मो ीलाल ने पं. मोतीलाल नेह का जन्म 1861 ई. में हुआ था उन्होंने शिक्षा प्राप्ति के उपरान्त इलाहाबाद (अब प्रयागराज) में वकालत प्रारम्भ की, जिसमें वे पूर्ण सफल हुए उनकी गणना भारत के महान् वकीलों में की जाती थी स्वदेशी आन्दोलन के दौर में उन्होंने राजनीति में सक्रियता प्रदर्शित की थी 1919 ई. में उन्हें कां ास का अध्यक्ष बनाया गया था असहयोग आन्दोलन के अन्तर्गत उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी असहयोग आन्दोलन के स्थगित हो जाने के उपरान्त उन्होंने स्वराज दल गठित किया साइमन कमीशन के विरोध करने के प ाात नेह रिपोर्ट तैयार की जो आधुनिक संविधान का ब्लू प्रिण्ट स्वीकार की जाती है 1930 ई. में उनकी मत्यु हो गयी थी मत्यु से पूर्व उन्होंने कहा था, म स्वाधीन भारत में मरना चाहता था, परन्तु मेरी इच ा पूर्ण न हो सकी

ां मदन मो न माल ीय पं. मदन मोहन मालवीय का जन्म इलाहाबाद (अब प्रयागराज) में 27 दिसम्बर, 1861 ई. को हुआ था शिक्षा प्राप्ति के उपरान्त वे शिक्षक व एडवोकेट बने तथा समाज सेवा भी प्रारम्भ की 1902 ई. में वे संयु ा प्रान्त की विधान परि ाद् के लिए निर्वाचित हुए थे 1910 ई. से 1920 ई. तक वे केन्द्रीय विधान सभा के सदस्य रहे थे उन्होंने ि तीय गोलमेज सम्मेलन (लन्दन में आयोजित) में भाग लिया था 1934 ई. में साम्प्रदायिक निर्णय का उन्होंने ाोर विरोध किया था मालवीय जी देशभ ा को धर्म का एक अंग मानते थे मालवीय जी भारत के पि ड़ेपन का कारण भारतीयों की निरक्षरता को मानते थे अतः उन्होंने भारतीयों की शिक्षा की ओर विशे ा ध्यान दिया इसी उ े श्य से उन्होंने बनारस (अब वाराणसी) में बनारस हिन्दू वि ावि ाालय की स्थापना की (1918 ई. में) 1946 ई. में मालवीय जी की मत्यु हो गयी थी

ां ज ा रलाल ने स्वतन्त्र भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री पं. जवाहरलाल नेह का जन्म 14 नवम्बर, 1889 ई. को इलाहाबाद (अब प्रयागराज) में हुआ था उनके पिता पं. मोतीलाल नेह भारत के प्रति ि त वकील थे पं. जवाहरलाल नेह पर उनके शिक्षक ब्रुक्स का बहुत प्रभाव था ब्रुक्स ने उन्हें मानवता का पाठ बहुत लगन से पढ़ाया था जवाहरलाल की उच्च शिक्षा इंग्लैण्ड में हुई थी उन्होंने इंग्लैण्ड से बी.ए. तथा कानून की परीक्षा उ ीर्ण की थी ात्र जीवन से ही उन्हें राजनीति में रुचि थी 1912 ई. में भारत वापस आकर इलाहाबाद (अब प्रयागराज) में वकालत प्रारम्भ की व इसी समय से उन्होंने कां ास के अधिवेशन में सम्मिलित होना प्रारम्भ कर दिया 1916 ई. में उनका विवाह कमला से हुआ व इसी व ा वे महात्मा गांधी के सम्पर्क में आये 1923 ई. में जवाहरलाल को भारतीय रा ीय कां ास का महासचिव बनाया गया था 1927 ई. में उन्होंने स की यात्रा की जिससे उनके समाजवादी विचारों में ढ़ता आयी 1928 ई. में लखनऊ में साइमन आयोग के बहि कार के दौरान वे लाठियों से मर्माहत हुए 1929 ई. में कां ास के लाहौर अधिवेशन में उन्हें कां ास का अध्यक्ष बनाया गया जहाँ उन्होंने ाो ाणा की हमारा लक्ष्य स्वाधीनता है स्वाधीनता का अर्थ है- पूर्ण स्वतन्त्रता जवाहरलाल ने सविनय अव ाा आन्दोलन में तथा 1942 के भारत ोड़ो आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया तथा जेल गये 1946 ई. में उन्होंने भारत की अन्तरिम सरकार का गठन किया तथा भारत के स्वतन्त्र होने पर स्वतन्त्र भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री बनने का सौभाग्य प्राप्त किया इस पद पर वे मत्यु-पर्यन्त (27 मई, 1964 ई.) कार्यरत रहे पं. जवाहरलाल नेह एक राजनीति ा, प्रशासक, देश भ ा तथा उच्च कोटि के लेखक थे उन्होंने भारत

की खोज , वि ा इतिहास की झलक , आत्मकथा लिखी जो साहित्य व इतिहास की अमूल्य निधियाँ ह वे समाजवादी विचारधारा के व्यि थे उनका वि ाास था कि आर्थिक स्वतन्त्रता के बिना राजनीतिक स्वतन्त्रता अधूरी है डा. राधाक णन ने उनके बारे में लिखा था, स्वाधीनता सं ााम के योद्धा के प में वे यशस्वी थे और आधुनिक भारत के निर्माण के लिए उनका योगदान अभूतपूर्व था

लाल ा ादुर शा ाी लाल बहादुर शा ाी का जन्म 2 अक्टूबर, 1904 ई. को मुगलसराय में हुआ था महात्मा गान्धी से प्रभावित होकर उन्होंने 1921 ई. में रा ीय आन्दोलन में भाग लिया था 1951 ई. में लालबहादुर शा ाी कां ास के महामन्त्री बने थे, उसके उपरान्त उन्होंने अनेक पदों पर कार्य किया पं. जवाहरलाल नेह की मत्यु (1964 ई.) के प ाात् वे भारत के प्रधानमन्त्री बने थे 1965 ई. में भारत-पाक युद्ध में विजय श्री प्राप्त करने का श्रेय उन्हें प्राप्त है 11 जनवरी, 1966 ई. को ताशकन्द में उनकी मत्यु हो गयी थी

ा्न शेखर आजाद चन्द्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई, 1906 ई. को हुआ था उन्होंने काशी (अब वाराणसी) में संस्कत का अध्ययन किया था वे महात्मा गांधी के असहयोग आन्दोलन से प्रभावित हुए और अपनी शिक्षा को रोककर आन्दोलन रत हो गये, उस समय उनकी आयु मात्र 14 व ा की थी इस आन्दोलन में गिरफ्तार होने पर वे मजिस्टेट के समक्ष पेश किये गये जहाँ अपनी वीरता व साहस की देदीप्यमान मिसाल से वे लोकप्रिय तथा चर्चित हो गये कलेक्टर के पू ने पर उन्होंने अपना नाम आजाद , पिता का नाम स्वतन्त्र , निवास स्थान जेल बतलाया इस पर क्रोधित होकर मजिस्टेट ने 15 बत मारने का आदेश दिया प्रत्येक बत पर वे वन्देमातरम् व महात्मा गांधी की जय के नारे लगाते रहे थे इस ाटना के प ाात् वे सम्पूर्ण भारत में सर्वाधिक प्रिय बन गये थे उन्होंने शी्र ही अं ाेजों के विरुद्ध क्रान्तिकारियों का एक संगठन बनाया जिसे हिन्दुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कहा गया इस संगठन में शचीन्द्रनाथ सान्याल, योगेशचन्द्र चटजा, रामप्रसाद बिस्मिल, राजेन्द्र लाहिड़ी, इत्यादि प्रमुख क्रान्तिकारी सम्मिलित थे संगठन को धन की आवश्यकता अनुभव होने पर सितम्बर 1925 ई. में सरकारी खजाने को लूट लिया जो काकोरी ाटना के नाम से इतिहास में अंकित है पुलिस उन्हें बन्दी नहा बना सकी थी 1928 ई. में पुलिस अधिकारी साण्डर्स की हत्या में वे संलग्न थे क्योंकि इस पुलिस अधिकारी ने निदा ा भारतीयों का बर्बरता से उत्पीड़न किया था इस बार भी पुलिस उन्हें गिरफ्तार न कर सकी और वे क्रान्तिकारियों तथा आन्दोलनकर्ताओं को सहयोग करते रहे थे परन्तु 27 फरवरी, 1931 ई. को इलाहाबाद (अब प्रयागराज) के अल्फ़ेड पार्क में वे पुलिस की गोलियों से ाि र गये तथा बन्दी बनाये जाने के पूर्व ही उन्होंने अपनी पिस्टल से स्वयं को गोली मार ली और शहीद हो गये अन्त तक वे आजाद रहे इस साहस व वीरता तथा अटूट देशभि की भावना से वे प्रत्येक भारतीय के लिए परम आदरणीय बन गये तथा भारत के स्वातन्त्र्य सं ा ा के इतिहास में देदीप्यमान नक्षत्र की भाँति जगमगाते रहेंगे

●

अर्थव्यवस्था/आर्थिक समीक्षा

उत्तर प्रदेश भारत के विशालतम राज्यों में से एक है जो कि o- o उत्तरी अक्षांश तथा o- o पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। इसके उत्तर में नेपाल राष्ट्र एवं उत्तराखण्ड राज्य, दक्षिण में मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, पूर्व में बिहार एवं झारखण्ड तथा पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली एवं राजस्थान की सीमाएं मिलती हैं। इस प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल वर्ग किमी. है, जो भारत के सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल हजार वर्ग किमी. का . प्रतिशत है। क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से राजस्थान (. प्रतिशत), महाराष्ट्र (. प्रतिशत), मध्य प्रदेश (. प्रतिशत), के बाद उत्तर प्रदेश (. प्रतिशत) का स्थान भारत के चौथे विशाल राज्य के रूप में है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में प्रथम स्थान है। वर्ष की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या लाख है, जो भारत की वर्ष की कुल जनसंख्या (लाख) का . प्रतिशत है।

उत्तर प्रदेश में मण्डल हैं तथा इन मण्डलों में कुल जनपद हैं। प्रदेश को नियोजन के दृष्टिकोण से चार आर्थिक क्षेत्रों यथा- पूर्वी, पश्चिमी, केन्द्रीय एवं बुन्देलखण्ड में विभक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान तथा ग्राम्य विकास कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में सामुदायिक विकास खण्ड भी बनाये गये हैं।

उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति सम्बन्धी आर्थिक सम्भागवार कुछ प्रमुख संकेतक

क्र. सं.	मद	आर्थिक सम्भाग				
		पूर्वी	बुन्देलखण्ड	पश्चिमी	केन्द्रीय	उत्तर प्रदेश
.	जनसंख्या का घनत्व ( )					
.	कुल जनसंख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत ( )	.	.	.	.	.
.	कृषि में लगे मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत ( )	.	.	.	.	.
.	फसल सघनता (-)	.	.	.	.	.
	(-)	.	.	.	.	.
	(-)	.	.	.	.	.
.	शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का शुद्ध (-)	.	.	.	.	.
	बोये गये क्षेत्रफल से प्रतिशत (-)	.	.	.	.	.
	(-)	.	.	.	.	.

	पूर्वी	बुन्देलखण्ड	पश्चिमी	केन्द्रीय	उत्तर प्रदेश
. प्रति हेक्टेयर सकल बोये गये क्षेत्रफल पर कुल उर्वरक वितरण किलोग्राम (-)	.	.	.	.	.
(-)	.	.	.	.	.
. प्रति व्यक्ति कृषि उपज का सकल (-) मूल्य रु. प्रचलित भावों पर (-)( ) आधार वर्ष (-) (-)( )					
. प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन का सकल मूल्य रु. (-)					
. प्रति लाख जनसंख्या पर पंजीकृत कारखानों में लगे व्यक्तियों की संख्या (-)					
. कुल उपभुक्त विद्युत में से कृषि में उपभुक्त विद्युत का प्रतिशत (-)	.	.	.	.	.
. प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग की मात्रा (कि.वा. प्रति घं.) (-)	.	.	.	.	.
. ऋण जमा अनुपात (मार्च -)	.	.	.	.	.
. प्रति लाख जनसंख्या पर संस्थानुसार स्कूलों की संख्या (-)					
क. जूनियर बेसिक					
ख. सीनियर बेसिक					
ग. हायर सेकेण्डरी					
. प्रति लाख जनसंख्या पर संस्थानुसार विद्यार्थियों की संख्या (-)					
क. जूनियर बेसिक					
ख. सीनियर बेसिक					
ग. हायर सेकेण्डरी					
. प्रति लाख जनसंख्या पर एलोपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों की संख्या (-)	.	.	.	.	.
. प्रति लाख जनसंख्या पर एलोपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों में शैय्याओं की संख्या (-)	.	.	.	.	.
. प्रति हजार आबाद मजरों पर नल द्वारा पेयजल युक्त मजरों की सं. (-) संतृप्त					
. प्रति लाख जनसंख्या पर लोक (-)	.	.	.	.	.
नि.वि. के अधीन पक्की सड़कों की लम्बाइ (कि.मी.) (-)	.	.	.	.	.

	पूर्वी	बुन्देलखण्ड	पश्चिमी	केन्द्रीय	उत्तर प्रदेश
. प्रति हजार वर्ग किमी. क्षेत्रफल(-) पर लोक नि.वि. की पक्की	.	.	.	.	.
सड़कों की लम्बाई कि.मी. (-)	.	.	.	.	.
. विद्युतीकृत ग्रामों का कुल आबाद ग्रामों से प्रतिशत (-) के आबाद ग्रामों के आधार पर	.	.	.	.	.

स्रोत :- सांख्यिकीय डायरी उ.प्र. , अर्थ एवं संख्या प्रभाग उ.प्र.

राज्य की अर्थव्यवस्था

राज्य आय के वर्ष - के जारी संशोधित त्वरित अनुमान के अनुसार वर्ष में स्थिर (-) भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) की वृद्धि दर 8.9% एवं प्रचलित भावों पर 15.1 प्रतिशत रही है। निबल राज्य घरेलू उत्पाद (एन.एस.डी.पी.) के सन्दर्भ में वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भावों पर रु. 97,364 ऑकलित हुई है, जो गत वर्ष से 15.0 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

सकल राज्य मूल्य वर्धन एवं प्रचलित भावों पर

वर्ष 2021-22 के त्वरित अनुमानों के अनुसार सकल राज्य मूल्य वर्धन (जीएसवीए) स्थायी एवं प्रचलित भावों पर निम्नवत् है-

स्थायी भावों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन (जीएसवीए) वर्ष 2011-12 तथा वर्ष 2023-24 (त्वरित अनुमान) के बीच 6.4 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ा है जबकि प्रचलित भावों पर उक्त अवधि में 10.9 प्रतिशत सीएजीआर से बढ़ा है।

आधार वर्ष - पर जारी वर्ष - के त्वरित अनुमानों के अनुसार स्थायी भावों पर जी.एस.वी.ए. वर्ष - - , - , - - - - - - - - एवं वर्ष - में क्रमशः रु. करोड़, रु. करोड़, रु. करोड़, रु. करोड़, रु. करोड़, रु. करोड़, रु. करोड़, रु. करोड, रु. करोड़, रु. करोड़ रु. करोड़ एवं रु. करोड़ रहा है तथा वृद्धि क्रमशः 5.1, 5.7, 3.7, 9.5, 11.8, 4.2, 4.1, 4.0, (-)4.02, 11.3, 7.5 एवं 8.9 प्रतिशत रही है।

आधार वर्ष - पर जारी वर्ष - के त्वरित अनुमानों के अनुसार प्रचलित भावों पर जी.एस.वी.ए. वर्ष - - , - , - - - - - - - - एवं वर्ष - में क्रमशः रु. . करोड़, रु. . करोड़, रु. . करोड़, रु. . करोड़, रु. . करोड़, रु. . लाख करोड़, रु. . लाख करोड़, रु. . लाख करोड़, रु. . लाख करोड, रु. . लाख करोड, रु. . लाख करोड एवं रु. . लाख करोड़ रहा है।

खण्डवार विश्लेषण (स्थायी एवं प्रचलित भावों पर)

राज्य की अर्थव्यवस्था में विभिन्न खण्डों के योगदान में परिवर्तन से यह बोध होता है कि विभिन्न आर्थिक क्षेत्र किस प्रकार विकसित हो रहे हैं। वर्ष 2023-24 के त्वरित अनुमान के अनुसार, स्थायी भावो पर प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक खण्ड की वृद्धि दर क्रमशः 7.2 प्रतिशत, 11.4 प्रतिशत, 8.4 प्रतिशत एवं प्रचलित भावों पर क्रमशः 16.9 प्रतिशत, 12.4 प्रतिशत, 11.02 प्रतिशत रही है।

प्रचलित भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की खण्डवार स्थिति वर्ष 2022-23 में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कुल जीएसडीपी में 25.6 प्रतिशत था जो वर्ष 2023-24 में बढ़कर 26.5 प्रतिशत हो गया, द्वितीयक क्षेत्र का योगदान वर्ष 2022-23 में 26.0 था जो वर्ष 2023-24 में 25.9 हो गया है। वहीं कुल उत्पाद कर (उत्पाद अनुदान को घटाते हुए) का योगदान वर्ष 2022-23 में 6.96 प्रतिशत था जो वर्ष 2023-24 में बढ़कर 8.7 प्रतिशत हो गया है।

वर्ष 2023-24 के त्वरित अनुमान के अनुसार स्थायी भावों पर जी.एस.वी.ए. में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक खण्ड का योगदान क्रमशः 23.6, 27.4 एवं 49.0 प्रतिशत तथा प्रचलित भावों पर क्रमशः 26.5, 25.9 एवं 47.6 प्रतिशत है। विगत वर्षों में वृद्धि दर तथा योगदान निम्नवत रही है।

तालिका-1

सकल राज्य मूल्य वर्धन में खण्डवार प्रतिशत वृद्धि एवं योगदान स्थायी भावों पर

प्रतिशत में (आधार वर्ष -)

वित्तीय वर्ष	प्राथमिक खण्ड		द्वितीयक खण्ड		तृतीयक खण्ड	
	वृद्धि दर	योगदान	वृद्धि दर	योगदान	वृद्धि दर	योगदान
-	-	27.31	-	.	-	46.53
-	.	.	.	.	.	.
-	- .	.	.	.	.	.
-	- .	.	- .	.	.	.
-	.	.	.	.	.	.
-	.	.	.	.	.	.
-	.	.	- .	.	.	.
-	.	.	.	.	.	.
-	- .	.	.	.	.	.
-	.	.	- .	.	- .	.
-	.	.	.	.	.	.
-	.	.	.	.	.	.
-	.	.	.	.	.	.
-	.	.	.	.	.	.

स्रोत- अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश।

प्राथमिक खण्ड के अन्तर्गत कृषि, वानिकी एवं मत्स्यन तथा खनन और उत्खनन उपखण्ड शामिल हैं। नवीन श्रृंखला में प्राथमिक खण्ड के अन्तर्गत फसल तथा पशुपालन के अनुमान पृथक-पृथक आँकलित किये गये हैं जबकि पुरानी श्रृंखला में यह कृषि तथा संवर्गीय क्षेत्र के अन्तर्गत ही आँकलित किये जाते हैं। द्वितीयक खण्ड के अन्तर्गत विनिर्माण, विद्युत गैस तथा संपूर्ति एवं निर्माण कार्य उपखण्ड शामिल है तथा तृतीयक खण्ड के अन्तर्गत "परिवहन, संचार, व्यापार," "वित्त तथा स्थावर संपदा" एवं "सामुदायिक तथा निजी सेवायें" उप-खण्ड सम्मिलित हैं।

प्रति व्यक्ति आय

वर्ष - के संशोधित त्वरित अनुमान के अनुसार प्रदेश की निवल राज्य घरेलू उत्पाद के सन्दर्भ में प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष - में रु. थी जो बढ़कर वर्ष - व - में क्रमशः रु. एवं रु. हो गयी है। स्थायी भावों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष - में रु. थी जो बढ़कर वर्ष - में रु. हो गयी। यह वृद्धि दर अर्थ व्यवस्था के उत्थान को परिलक्षित करती है।

तालिका-2

राज्य में प्रति व्यक्ति आय का विवरण (वृद्धि दर प्रतिशत में)

वित्तीय वर्ष	स्थायी भावों पर		प्रचलित भावों पर	
	प्रति व्यक्ति आय	प्रतिशत वृद्धि	प्रति व्यक्ति आय	प्रतिशत वृद्धि
-		–		–
-		.		.
-		.		.
-		.		.
-		.		.
-		.		.
-		.		.
-		.		.
-		.		.
-		- .		- .
-		.		.
-		.		.
-		.		.
-		.		.

स्रोत- अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश।

लोक निधि-

प्रदेश की विकासशील अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग . प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है। यद्यपि प्रदेश के कर राजस्व में कृषि क्षेत्र का योगदान अपेक्षाकृत कम होता है। प्रदेश के कर-करेत्तर राजस्व में मुख्य रूप से नगरीय क्षेत्र का योगदान होता है।

1. राजस्व प्राप्ति-

राज्य के संसाधन मुख्य रूप से राज्य के अपने संसाधन तथा केन्द्र सरकार से अन्तरण के आधार पर प्राप्त होते हैं। राज्य के राजस्व आय के प्रमुख स्रोत हैं- कर, करेत्तर राजस्व तथा केन्द्र सरकार से अन्तरण।

केन्द्रीय अन्तरण के स्रोत हैं केन्द्रीय करों के विभाज्य अंश में राज्य का अंश तथा केन्द्र से अनुदान। वर्ष - के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश को रु. . करोड़ के कुल राजस्व आय में राज्य के कर एवं करेत्तर राजस्व से रु. . करोड़ तथा केन्द्र से करों के विभाज्य अंश में तथा केन्द्रीय अनुदानों के रूप में रु. . करोड़ प्राप्त हुआ। राज्य के गत वर्षों की राजस्व प्राप्तियों को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है।

- में कर राजस्व रु. . लाख करोड़, करेत्तर राजस्व रु. . लाख करोड अनुमानित है। कुल राजस्व प्राप्ति में कर राजस्व का अंश - में पु.अ. के . प्रतिशत था जिसे वर्ष - हेतु . प्रतिशत अनुमानित किया गया है। केन्द्रीय करों से प्राप्त होने वाला अंश रु. . लाख करोड़ अनुमानित है।

तालिका

राज्य की कुल राजस्व प्राप्ति से आय के स्रोत का प्रतिशत (रु. लाख करोड़ में)

वर्ष	राज्य का स्वयं का राजस्व		केन्द्रीय संक्रमण		
	राज्य कर तथा शुल्क	राज्य करेत्तर राजस्व	केन्द्रीय करों में अंश	केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान	कुल राजस्व प्राप्तियाँ
-	.	.	.	.	.
-	.	.	.	.	.
-	.	.	.	.	.
-	.	.	.	.	.
-	.	.	.	.	.
-	.	.	.	.	.
- (पु.अ.)	.	.	.	.	.
- (पु.अ.)	.	.	.	.	.

राज्य की राजस्व आय में राज्य के कर एवं करेत्तर राजस्व का अंश वर्ष - के वास्तविक आकड़ों के अनुसार . प्रतिशत था अर्थात राज्य के कुल राजस्व प्राप्ति में लगभग . प्रतिशत अंश केन्द्र सरकार से अंतरण के माध्यम से प्राप्त होता है। वर्ष - (ब.अ.) में क्रमशः . प्रतिशत एवं . प्रतिशत राज्य का स्वयं कर एवं केन्द्रिय संक्रमण है।

2. राजस्व व्यय-

राजस्व व्यय के मुख्य भाग हैं- राज्य करों की वसूली पर व्यय, ब्याज का भुगतान, प्रशासनिक तथा सामान्य सेवाओं पर व्यय तथा सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय। वर्ष - से वर्ष - की अवधि में राजस्व व्यय तथा सामान्य, सामाजिक, आर्थिक सेवाओं एवं स्थानीय निकायों के अनुदान पर होने वाले राजस्व व्यय को निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका

राजस्व व्यय के मुख्य घटक (रु. लाख करोड़ में)

वर्ष	कुल राजस्व व्यय	राजस्व व्यय के घटक			
		सामान्य सेवायें	सामाजिक सेवायें	आर्थिक सेवायें	स्थानीय निकायों को अनुदान
-	.	.	.	.	.
-	.	.	.	.	.
-	.	.	.	.	.
-	.	.	.	.	.
-	.	.	.	.	.
-	.	.	.	.	.
- (पु.अ.)	.	.	.	.	.
- (ब.अ.)	.	.	.	.	.

सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर होने वाला व्यय विकासात्मक श्रेणी में तथा सामान्य सेवाओं पर किया जाने वाला राजस्व व्यय विकासेत्तर व्यय कि श्रेणी में आता है। वित्तीय वर्ष - तक विकासेत्तर राजस्व व्यय का अंश कुल राजस्व व्यय में घटकर . प्रतिशत के स्तर का अनुमान है। विकास व्यय 2024-25 में 56.36 प्रतिशत तक रहने का अनुमान है।

3. वेतन, पेंशन, ब्याज-

राज्य के व्यय का एक बड़ा भाग राज्य कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन के रूप में व्यय हो जाता है। यह राज्य सरकार का वचनबद्ध व्यय है जिसे राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना अनिवार्य है। इन मदों में किये जाने वाले व्यय का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका

वेतन, पेंशन एवं ब्याज पर राजस्व व्यय (रु. हजार करोड़ में)

वर्ष	वेतन	पेंशन	ब्याज
-	.	.	.
-	.	.	.
-	.	.	.
-	.	.	.
-	.	.	.
-	.	.	.
- (पु.अ.)	.	.	.
- (ब.अ.)	.	.	.

4. पूँजीगत परिव्यय

पूँजीगत परिव्यय राज्य की विकासात्मक गतिविधि को प्रदर्शित करने वाला व्यय है तथा प्रदेश का विकास पूँजीगत परिव्यय पर ही निर्भर होता है। पूँजीगत परिव्यय का यद्यपि कोई मानक निर्धारित नहीं किया जाता है अपितु यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में जितना अधिक होगा, उतना राज्य के लिए बेहतर माना जाता है। वित्तीय वर्ष - में राज्य सरकार द्वारा लघु एवं सीमान्त किसानों की वर्षों से चली आ रही ऋण की समस्या के दृष्टिगत व्यापक स्तर पर ऋण राहत के एक बड़े अंश का मोचन किया गया जिसके कारण पूंजीगत परिव्यय में वर्ष - में कमी हुई थी। तदोपरान्त इसमें वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में वृद्धि हुई, किन्तु वर्ष 2020-21 में कोविड-19 के कारण पुनः कमी दृष्टिगत हो रही है। वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक पूँजीगत परिव्यय में वृद्धि होना अनुमानित है।

5. ऋण का उपयोग-

परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु राज्य सरकार द्वारा कतिपय माध्यमों से ऋण लिया जाता है तथा वित्तीय अनुशासन के अभाव में लिया जाने वाला ऋण अनियंत्रित होकर पूरी अर्थव्यवस्था को चरमरा सकता है। लोक वित्त के सिद्धान्त के अन्तर्गत व्यय को वहन करने के लिए ऋण लेना बुरा नहीं है। बशर्ते उस ऋण का उपयोग परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए किया जाये।

6. राजकोषीय घाटा-

किसी भी राज्य की वित्तीय स्थिति को आंकने का सबसे महत्त्वपूर्ण संकेतक राजकोषीय घाटा का जी.एस.डी.पी. से प्रतिशत होता है। 14वें वित्त आयोग की अवधि 2015-20 में इसे जी.एस.डी.पी. के 3 प्रतिशत अंदर रखने का प्रयास किया गया। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान राजकोषीय घाटे का जी.एस.डी.पी. से अनुपात चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के भीतर था उक्त वर्ष में राजकोषीय घाटा 03 प्रतिशत रखे जाने के लक्ष्य के सापेक्ष 0.66 प्रतिशत का राजकोषीय अधिशेष था। वित्तीय वर्ष 2020-21 चौदहवें वित्त आयोग की अवधि का प्रथम वर्ष था तथा आयोग की अंतरिम रिपोर्ट में राजकोषीय घाटा/जी.एस.डी.पी. का प्रतिशत 3 प्रतिशत रखा गया था। कोविड-19 महामारी के कारण राज्य एवं केन्द्र के संसाधनों पर विपरीत प्रभाव पड़ा जिसके दृष्टिगत अतिरिक्त संसाधन जुटाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 02 प्रतिशत की अतिरिक्त सीमा अर्थात कुल 05 प्रतिशत की सीमा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अनुमन्य की गई। तदनुसार उ.प्र. एफ.आर.बी.एम. अधिनियम 2004 को वर्ष 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटे की सीमा जी.एस.डी.पी. के तीन प्रतिशत से बढ़ाकर पाँच प्रतिशत करने हेतु संशोधित किया गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रदेश का राजकोषीय घाटा निर्धारित पाँच प्रतिशत की सीमा के अन्दर रहा है जो जी.एस.डी.पी. का 2.81 प्रतिशत था। 2021-22 में राजकोषीय घाटा जी.एस.डी.पी. का 2.11%, 2022-23 में 2.86%, 2023-24 में 3.48% तथा 2024-25 में 3.46% अनुमानित है।

7. राज्य की कुल ऋण ग्रस्तता-

प्रदेश में विकासात्मक योजनाओं एवं सामाजिक उत्थान के अनेक कार्यों हेतु राज्य सरकार को अपने सीमित संसाधनों के दृष्टिगत ऋण लेने की आवश्यकता होती है। उत्तर प्रदेश राज्य की व्यवस्था विकासशील है जिस कारण अनेक स्रोतों से राज्य सरकार द्वारा ऋण की उगाही की जाती है। राज्य सरकार की कुल ऋणग्रस्तता को निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका

राज्य की कुल ऋणग्रस्तता (रु. लाख करोड़ में)

वर्ष	बाजार ऋण	अल्प बचत	भविष्य एवं पेंशन निधियाँ	ऊर्जा बन्धपत्र	अन्य
-	.	.	.	.	.
-	.	.	.	.	.
-	.	.	.	.	.
-	.	.	.	.	.
-	.	.	.	.	.
-	.	.	.	.	.
- (पु.अ.)	.	.	.	.	.
- (ब.अ.)	.	.	.	.	.

अन्य में वित्तीय संस्थाओं से ऋण, भारत सरकार से ऋण, जमा एवं अग्रिम अन्य देयतायें शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य की अर्थव्यवस्था विकासशील हैं जिस कारण अनेक स्रोतों से राज्य सरकार द्वारा ऋण की उगाही की जाती है।

प्रदेश में बैंकिंग नेट वर्क

प्रदेश में सितम्बर तक कुल बैंक शाखायें कार्यरत हैं जिनके माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

क्र.सं.	बैंकिंग केन्द्र	बैंक शाखाओं की संख्या (सितम्बर 2023)
.	बैंक शाखा	
.	एटीएम	
.	बैंक मित्र	
.	इण्डियन पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक	

स्रोतः- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उ.प्र. प्रगति समीक्षा सितम्बर

कृषि, वन एवं पर्यावरण

कृषि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। प्रदेश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्म निर्भर बनाने, जनता को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा प्रदान करने, राज्य को राष्ट्र के खाद्य भण्डार के रूप में सम्पन्न बनाने तथा ग्रामीण जनता की आर्थिक उन्नति एवं सम्पन्नता सुनिश्चित कर ग्राम्य जीवन में गुणवत्तायुक्त सुधार लाने के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है। सरकार का उद्देश्य कृषि विकास की दर को गति प्रदान करने के साथ-साथ फसलोत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करना, क्षेत्रीय असंतुलन को दूर कर क्षेत्र विशेष हेतु विशिष्ट योजनाओं का क्रियान्वयन तथा कृषकों को रोजगार के नये अवसर सृजित करना है।

प्रदेश में देश का लगभग प्रतिशत खाद्यान्न, . प्रतिशत फल और . प्रतिशत सब्जियों

का उत्पादन करता है। वर्ष - में प्रचलित भावों पर प्राथमिक क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन में . प्रतिशत एवं स्थायी भावों पर . प्रतिशत का योगदान है।

प्राथमिक उप-खण्ड का स्थायी भावों पर वृद्धि दर

(आधार वर्ष -)

क्र.सं.	उप-खण्ड	2021-22
1.	कृषि, वानिकी एवं मत्स्यन	14.82
1.1	फसलें	18.17
1.2	पशुधन	10.41
1.3	वानिकी और लट्ठा बनाना	2.33
1.4	मत्स्यन और जलीय कृषि	8.46
2	खनन और उत्खनन	12.12
	प्राथमिक खण्ड (1 2)	**14.59**

कृषि में कार्यरत कर्मकरों की स्थिति

वर्ष की जनगणनानुसार उत्तर प्रदेश में कुल . लाख कर्मकर थे, जिसमें . लाख कृषक एवं . लाख कृषि श्रमिक थे। कुल कर्मकरों में कृषकों एवं कृषि श्रमिकों का प्रतिशत अंश . था। वर्ष एवं की जनगणनानुसार उत्तर प्रदेश में कुल कर्मकरों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका

उत्तर प्रदेश में कुल कर्मकरों की संख्या तथा उनका प्रतिशत विवरण

क्र. सं.	मद	इकाई	कर्मकरों की संख्या		कर्मकरों का प्रतिशत	
			वर्ष 2001	वर्ष 2011	वर्ष 2001	वर्ष 2011
.	कृषक	लाख	.	.	.	.
.	कृषि श्रमिक	लाख	.	.	.	.
.	पारिवारिक उद्योग	लाख	.	.	.	.
.	अन्य	लाख	.	.	.	.
	योग		**539.84**	**658.15**	**100.0**	**100.0**

उक्त तालिका में दो जनगणना वर्षों के आंकड़ों की तुलना से स्पष्ट है कि कृषकों की संख्या घट रही है तथा कृषि श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है।

भूमि उपयोगिता

वर्ष - के भू-उपयोग सांख्यिकीय के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल हजार हेक्टेयर है जिसमें हजार हे. वन क्षेत्र, हजार हे. ऊसर और खेती के अयोग्य भूमि, हजार हे. खेती के अतिरिक्त अन्य उपयोग में आने वाली भूमि, हजार हे. कृषि अयोग्य भूमि, हजार हे. स्थायी चरागाह एवं अन्य चराई की भूमि, हजार हे. अन्य वृक्षों, झाड़ियों

आदि की भूमि, हजार हे. वर्तमान परती हजार हे. भूमि अन्य परती की है। वर्ष - के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में हजार हे. कुल बोया गया क्षेत्रफल है जिसमें हजार हे. वास्तविक बोया गया क्षेत्रफल तथा हजार हे. एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल है।

उर्वरक

कृषि उपज बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का भी अपना महत्त्वपूर्ण स्थान है। विभिन्न फसलों के उत्पादन में वृद्धि के लिए रासायनिक उर्वरकों का समुचित मात्रा में प्रयोग वांछित है। उत्तर प्रदेश में वर्ष - में . लाख मी.टन रासायनिक उर्वरकों का वितरण किया गया। उत्तर प्रदेश में विभिन्न वर्षों के अन्तर्गत रासायनिक उर्वरकों का वितरण निम्न तालिका में दर्शाया गया हैः

तालिका

उत्तर प्रदेश में रासायनिक उर्वरकों का वितरण

(हजार मी.टन में)

वर्ष	नाइट्रोजन (एन.)	फास्फेट (पी.)	पोटाश (के.)	योग
–				
–				
–				
–				
–				
–				
–				
–				
-				
–				
–				
–	.	.	.	.
–	.	.	.	.

बीज वितरण

कृषि उत्पादन में वृद्धि उन्नतिशील बीजों पर निर्भर करती है। उन्नतशील बीजों के उत्पादन के साथ-साथ इनका ससमय वितरण भी महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। वर्ष - में कुल . लाख कुन्तल बीज वितरण किया गया है, जिसमें खरीफ में . लाख कुन्तल एवं रबी में . लाख कुन्तल बीज वितरण किया गया है।

वन

वृक्षों से ही भूमि संरक्षण, जल संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित होती है। दुर्लभ वन्य जीव प्रजातियों का वन प्राकृतिक वास है। उत्तर प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षारोपण का कुल क्षेत्रफल वर्ग किमी. है जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल , , वर्ग किमी. के सापेक्ष मात्र . प्रतिशत है। यह राष्ट्रीय वन नीति, के मानक स्तर . प्रतिशत से कम है। उत्तर प्रदेश में वर्ष - में कुल प्रतिवेदित क्षेत्र . लाख

हे. था। वनों का क्षेत्रफल प्रदेश के प्रतिवेदित क्षेत्रफल का . प्रतिशत है जबकि भारत में यह लगभग प्रतिशत है। प्रदेश में वर्ष की तुलना में में वर्ग किमी बनावरण एवं वृक्षारोपण की वृद्धि हुई हैं। यह मुख्य रूप से वनों के समुचित प्रबन्धन तथा सफल वृक्षावरण के कारण हुई है।

प्रदेश में मुख्य/गौण वनोपज

उत्तर प्रदेश में वर्ष - में हजार घन मीटर इमारती लकड़ी, हजार घन मी. चट्टा जलाने की लकड़ी, हजार कौड़ी बांस, हजार मानक बोरी तेंदू पत्ता का उत्पादन हुआ। विभिन्न वर्षों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की मुख्य/गौण वनोपज का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया हैः

तालिका

उत्तर प्रदेश की मुख्य/गौण वनोपज

मद	वर्ष					
	2011-12	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 अनन्तिम
. इमारती लकड़ी (गोल) (हजार घन मी.)						
(क) साल						
(ख) सागौन						
(ग) शीशम						
(घ) खैर						
(च) असना	-					
(छ) यूकेलिप्टस						
(ज) विविध						
. जलाने की लकड़ी (चट्टा हजार घन मी.)						
. बांस (हजार कौड़ी)						
. तेंदू पत्ता (हजार मानक बोरी)						

पशुधन

गोवंशीय, महिषवंशीय, बकरी, भेड, सूकर, कुक्कुट व अन्य पशुधन आदि के स्वास्थ्य, रोग नियंत्रण, टीकाकरण आदि कार्य नियमित रूप से किये जा रहे है, जिससे उच्च प्रजनन क्षमता व उत्पादन में वृद्धि हो सके। पशुपालन सीधे किसानों के हित से जुड़ा है। वर्ष एवं की पशुगणनानुसार प्रदेश में पशुधन तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका

प्रदेश में पशुधन

(लाख में)

पशुधन			
गाय	.	.	
भैंस	.	.	
भेड	.	.	
बकरी	.	.	
सूकर	.	.	
कुक्कुट	.	.	संशोधित

प्रदेश में पशु चिकित्सा सेवा

वर्तमान में प्रदेश में पशु चिकित्सा एवं नस्ल सुधार हेतु पशु चिकित्सालय, पशु सेवा केन्द्र, मण्डलीय प्रयोगशाला, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, अतिहिमीकृत वीर्य उत्पाद केन्द्र एवं पशु जैविक औषधि उत्पादन संस्थान मुख्य रूप से पशुपालन के क्षेत्र में पशुपालकों को अपनी सेवायें प्रदान कर रहे हैं।

मत्स्य बीज उत्पादन, अंगलिकाओं के संचय तथा अंगुलिका वितरण

मत्स्य बीज उत्पादन का कार्य मत्स्य विकास निगम द्वारा निर्मित बड़े आकार की हैचरियों, मत्स्य के प्रक्षेत्रों एवं निजी क्षेत्र में स्थापित छोटे आकार की हैचरियों का निर्माण कराया जा चुका है तथा प्रदेश को मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में स्वावलम्बी बनाने हेतु निजी क्षेत्र में मिनी हैचरियों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। निजी क्षेत्र में मिलियन क्षमता की एक हैचरी की स्थापना हेतु रु. . लाख इकाई लागत पर सामान्य वर्ग को प्रतिशत अनुदान राशि अधिकतम रु. . लाख तथा अनुसूचित जाति/महिला वर्ग को प्रतिशत अधिकतम रु. . लाख अनुदान धनराशि देय है, शेष प्रतिशत का प्रतिशत लाभार्थी को स्वयं के संसाधन या बैंक ऋण के रूप में लाभार्थी अंश है। मछली के उत्पादन में वृद्धि किये जाने के उद्देश्य से उत्तम प्रजाति का मत्स्य बीज, मत्स्य पालकों को उनकी माँग पर निर्धारित मूल्य पर वितरित किया जाता है। इसके अतिरिक्त जलाशयो में मत्स्य बीज का संचय भी किया जाता है।

तालिका

अनुमानित मत्स्य बीज उत्पादन/उत्पादकता एवं मत्स्य बीज उत्पादन/संचय/वितरण

(2023-24)

वर्ष	अनुमानित मत्स्य उत्पादन (लाख मी. टन)	औसत मत्स्य उत्पादकता किग्रा0/है0/वर्ष)	अंगुलिका/मत्स्य बीज वितरण (लाख में)	अंगुलिका/मत्स्य बीज संचय (लाख में)	अंगुलिका/मत्स्य बीज उत्पादन (लाख में)
	उपलब्धि	उपलब्धि	उपलब्धि	उपलब्धि	उपलब्धि
-	.		.	.	.
-	.		.	.	.
-	.		.	.	.

-	.	.	.	.
-	.	.	.	.
-	.	.	.	.
-	.	.	.	.
-	.			

औद्योगिक विकास

प्रदेश की अर्थव्यवस्था वैश्विक महामारी के प्रकोप से अत्यन्त अस्थिरता युक्त वातावरण में आत्म-निर्भर भारत की संकल्पना के साथ उद्यम प्रदेश के रूप में अग्रसित है। इसमें औद्योगिक क्षेत्र के कार्य निष्पादन की अहम भूमिका है। प्रदेश में रोजगार तथा स्वारोजगार के अवसर सृजित किये जाने में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों का विशेष योगदान हैं। सरकार प्रदेश के औद्योगिक विकास के साथ-साथ प्रदेश में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास, हस्तशिल्पियों के विकास तथा निर्यात प्रोत्साहन हेतु सतत् प्रयत्नशील है। प्रदेश सरकार राज्य में औद्योगिक विकास हेतु नीतियों एवं योजनाओं के माध्यम से निवेश आकर्षित करने के प्रयास कर रही है।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

प्रदेश के औद्योगिक उत्पादन सम्बन्धी मदों में हुई प्रगति सम्बन्धी निम्न तालिका दी जा रही है। तालिका से स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश का विनिर्माण औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (-) वर्ष - में सामान्य सूचकांक 120.06 के स्तर पर रहा जो वर्ष - में 139.2 है।

तालिका

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक उत्पादन में सूचकांक (2011-12=100)

	उद्योग वर्ग	वर्ष	
		2020-21	**2021-22**
	1	**2**	**3**
.	खाद्य विनिर्माण	.	.
.	पेय तम्बाकू एवं तम्बाकू के उत्पाद	.	.
.	वस्त्र विनिर्माण	.	.
.	रसायन तथा रसायन उत्पादों का विनिर्माण	.	.
.	मूल एवं मिश्रित धातु उद्योग	.	.
.	यातायात उपकरण एवं पुर्जे	.	.
.	अन्य निर्माण	.	.
	विनिर्माण सूचकांक	**117.90**	**125.73**

उ.प्र. द्वारा औद्योगिक विकास से सम्बन्धित संचालित योजनायें

प्रदेश के औद्योगिक विकास एवं रोजगार सृजन से सम्बन्धित अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं क्रियान्वित की

जा रही हैं, जिनका प्रदेश के आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान सिद्ध हो रहा है।

1. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

भारत सरकार की यह योजना वर्ष से अधिक आयु के बेरोजगारों के स्वरोजगार हेतु महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अन्तर्गत रु. लाख तक विनिर्माण क्षेत्र तथा रु. लाख तक सेवा क्षेत्र की इकाईयों को ऋण, जिसमें सरकारी सहायता के रूप में से प्रतिशत तक मार्जिन मनी का अनुदान दिया जाता है। योजना में ग्रामीण क्षेत्रों, विशेष श्रेणी के लाभार्थियों द्वारा स्थापित उद्यमों पर प्रतिशत तथा सामान्य वर्ग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित इकाईयों पर प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र में सामान्य वर्ग के लिए प्रतिशत तथा विशेष श्रेणी हेतु प्रतिशत मार्जिन मनी की व्यवस्था है। प्रदेश में इस योजना का कार्यान्वयन खादी एवं ग्रामोद्योग उपयोग, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड तथा जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र द्वारा किया जाता है। वर्ष - में योजनान्तर्गत रोजगार का सृजन किया गया।

2. विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना

प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के पारम्परिक हस्तशिल्पियों-बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर, नाई, सुनार, लोहार, कुंम्हार, हलवाई आदि को प्रोत्साहन एवं उनकी कलाओं के सम्वर्धन के माध्यम से उनकी आय में वृद्धि करने हेतु विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना संचालित हैं। वर्ष - में योजनान्तर्गत रोजगार का सृजन किया गया।

3. एक जनपद एक उत्पाद

प्रत्येक जनपद से विशिष्ट पहचान रखने वाले उत्पादों के कुशलतापूर्वक उत्पादन एवं विपणन हेतु प्रदेश सरकार द्वारा जनवरी, को "एक जनपद एक उत्पाद" नाम से एक महत्वाकांक्षी योजना प्रारम्भ की गयी है। उत्पादों की उन्नति एवं अनुकूल वातावरण बनाने के लिये कई योजनाएं जैसे - वित्त पोषण हेतु सहायता योजना, विपणन प्रोत्साहन योजना, कौशल विकास और टूल किट वितरण योजना और सामान्य सुविधा केन्द्र प्रोत्साहन योजना का संचालन किया है। योजनान्तर्गत वर्ष - में रोजगार का सृजन किया गया।

कौशल विकास व टूल-किट वितरण योजना के अन्तर्गत चिन्हित किये गये ओ.डी.ओ.पी. उत्पादों के निर्माण हेतु चिन्हित उत्पादों की विधा में उचित प्रशिक्षण एवं आधुनिक टूलकिट उपलब्ध कराकर कम श्रम लागत गुणात्मक एवं समाज में उत्पादन सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।

4. मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना

प्रदेश के शिक्षित युवाओं को उद्योग स्थापना हेतु रु. लाख एवं सेवा क्षेत्र हेतु रु. लाख का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। राज्य सरकार द्वारा प्रतिशत मार्जिन मनी उपलब्ध कराये जाने का भी प्रावधन है, जो कि विनिर्माण क्षेत्र हेतु अधिकतम रु. . लाख तथा सेवा क्षेत्र हेतु . लाख है।

वर्ष - में इकाइयों पर . लाख की मार्जिन मनी धनराशि व्यय किया गया। वर्ष - में इकाइयों हेतु रु. लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है।

5. मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना

प्रदेश के हस्तशिल्पियों के जीवन स्तर व उनकी आर्थिक स्थिति में गुणात्मक सुधार लाने एवं पारम्परिक कलाओं को अक्षुण्ण बनाये रखने हेतु दिसम्बर, से मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन, चयनित हस्तशिल्पी को रु. प्रतिमाह दी जाती है। पात्र हस्तशिल्पियों की न्यूनतम आयु वर्ष या इससे अधिक हो (महिला एवं

दिव्यांग हस्तशिल्पियों को न्यूनतम आयु सीमा में वर्ष की छूट अनुमन्य है) एवं शिल्पकार के परिवार की वार्षिक आय रु. . लाख से अधिक न हों। वित्तीय वर्ष - में हस्तशिल्पियों को पेंशन दी जा चुकी है। वित्तीय वर्ष - में हस्तशिल्पियों को त्रैमासिक पेंशन दी जा चुकी है।

6. अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण कार्यक्रम

यह योजना वर्ष - से पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए क्रियान्वित की जा रही है। ऐसे व्यक्तियों के कौशल विकास हेतु एक माह का सैद्धान्तिक प्रशिक्षण एवं तीन माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों/सेवा केन्द्रों पर दिया जाता है। योजनान्तर्गत प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ हो जाने के पश्चात् प्रशिक्षार्थियों को सम्बन्धित ट्रेड्स की टूलकिट भी उपलब्ध करायी जायेगी। वर्ष - हेतु इस योजना में प्रशिक्षार्थियों हेतु रु. लाख धनराशि शतप्रतिशत का व्यय किया गया। वर्ष - हेतु प्रशिक्षार्थियों के प्रशिक्षण हेतु रु. लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है।

7. अनु0 जाति/जनजाति के व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना

अनु0 जाति/ज0जा0 के युवक/युवतियों के कौशल विकास हेतु विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों/सेवा केन्द्रों पर एक माह का सैद्धान्तिक एवं माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण के पश्चात् सम्बन्धित ट्रेडों की टूलकिट दी जाती है। वित्तीय वर्ष - में रु. . लाख की स्वीकृत धनराशि से प्रशिक्षार्थियों को एवं वर्ष - में प्रशिक्षार्थियों हेतु रु. . लाख का बजट स्वीकृत है।

8. उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

बेरोजगार शिक्षित/प्रशिक्षित एवं तकनीकी (कुशल/अकुशल) व्यक्तियों को औद्योगिक इकाइयों की स्थापना तथा उनके सुगमतापूर्वक संचालन के लिए स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला स्तर पर चलायी जा रही है। वर्ष - में प्रशिक्षार्थियों के प्रशिक्षण हेतु रु. लाख एवं वर्ष - में भी प्रशिक्षार्थियों के प्रशिक्षण हेतु रु. लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है।

9. विशिष्ट शिल्पकारों के लिए पेंशन योजना

भारत सरकार के शिल्पगुरू के रूप में चयनित अथवा राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार/दक्षता हस्तशिल्प पुरस्कार अथवा राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्राप्त न्यूनतम वर्ष के हस्तशिल्पियों को प्रतिमाह रु. , पेंशन, आजीवन प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी है। वित्तीय वर्ष - में हस्तशिल्पियों को पेंशन उपलब्ध करायी गयी है।

10. हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना

प्रदेश के हस्तशिल्पियों को अपने उत्पादों के विपणन हेतु विभिन्न मेलों में भाग लेने के लिये परिवहन व्यय एवं स्टॉल किराये में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु अधिकतम रु. , राज्य सहायता के रूप में प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष - में रु. लाख की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष रु. . लाख व्यय कर हस्तशिल्पियों को लाभान्वित कराया गया। वर्ष - में रु. लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है।

11. मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना

जुलाई में मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना का शुभारम्भ किया गया है। जिजमें सूक्ष्म उद्यमियों के दुर्घटना से मृत्यु एवं स्थायी अपंगता होने पर अधिकतम रु. . लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

12. विशिष्ट हस्तशिल्प प्रादेशिक पुरस्कार योजना

प्रदेश के उत्कृष्ट हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष या इससे अधिक आयु के पहचान पत्र धारक हस्तशिल्पी को उनकी उत्कृष्ट कलाकृति हेतु राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार तथा दक्षता हस्तशिल्प पुरस्कार - हस्तशिल्पियों को प्रदान किया जाता है, जिसमें रु. की धनराशि राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार में एवं रु. दक्षता हस्तशिल्प पुरस्कार में प्रदान किया जाता है।

13. एकलमेज व्यवस्था एवं उद्योग बन्धु

उद्यमियों द्वारा उद्यम स्थापना के क्रम में आने वाली समस्याओं के निराकरण व सहयोग हेतु जिला, मण्डल एवं राज्य स्तरीय उद्योग-बन्धु बैठकों की व्यवस्था की गयी है। जिले स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रत्येक माह, मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में मण्डलीय उद्योग बन्धु बैठक प्रत्येक दो माह में एक बार किये जाने की व्यवस्था है।

खनिज

आर्थिक विकास में खनिजों का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। प्रदेश में मुख्य खनिजों तथा उप खनिजों के खनन के फलस्वरूप प्रदेश को न केवल भारी मात्रा में राजस्व की प्राप्ति हो रही है, अपितु बड़ी संख्या में लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं।

प्रदेश में मुख्य खनिज पदार्थों के अन्तर्गत बाक्साइट, डायस्पोर, डोलोमाइट, जिप्सम, चूने का पत्थर, मेग्नासाइट ओकर (गेरू), फास्फोराइट, पायरोफाइलाइट सिलिका सैण्ड, गन्धक, स्टीटाइट तथा कोयला आदि की गणना की जाती है, जबकि साधारण बालू, इमारती पत्थर, ईंट बनाने की मिट्टी, मौरंग, बजरी, कंकड़ शोरा, संगमरमर तथा लाइमस्टोन की गणना उप खनिज पदार्थों के अन्तर्गत की जाती है।

उत्तर प्रदेश के मुख्य खनिज पदार्थों के उत्पादन का मूल्य एवं परिमाण से सम्बन्धित आंकड़े निम्न तालिका में दिये गये हैं:

तालिका

उत्तर प्रदेश में मुख्य खनिज पदार्थों के उत्पादन का मूल्य एवं परिमाण के आंकड़े

क्र.सं. खनिज पदार्थ	उत्पादन का मूल्य हजार रु. में)				परिमाण (000) मी. टन			
	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
. पाइरोफाइलाइट		-						घन मी.
. सिलिका सैन्ड		-						घन मी.
. कोयला	-	-	-	-				हजार टन
. चूने का पत्थर								हजार टन
. गन्धक	-	-						टन

अनन्तिम + परिमाण घन मी.

सेवा क्षेत्र

मुख्य बिन्दु

आधार वर्ष - पर जारी प्रदेश के वर्ष - के त्वरित अनुमानों के अनुसार प्रदेश के सकल राज्य मूल्य वर्धन के स्थायी भावों पर सेवा क्षेत्र का अंशदान . प्रतिशत है।

प्रचलित भावों पर प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान वर्ष - में . प्रतिशत था जो बढ़कर वर्ष - में . प्रतिशत हो गया है।

प्रसारण सम्बन्धी सेवाओं को नई श्रृंखला में शामिल किया गया है। प्रदेश में यह क्षेत्र विकास की प्रेरक शक्ति के रूप में सामने आया है।

इस खण्ड के अन्तर्गत स्थायी भाव पर वर्ष - में सर्वाधिक योगदान स्थावर संपदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यवसायिक सेवायें उपखण्ड का . प्रतिशत है।

अर्थव्यवस्था के तीन खण्डों-प्राथमिक, द्वितीय व तृतीय क्षेत्र के अन्तर्गत तृतीयक खण्ड का जीएसडीपी में सबसे बड़ा योगदान है। प्रचलित भावों पर वर्ष - में इस सेक्टर का अंश . प्रतिशत है। सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत अनेक क्रियाकलाप आते हैं, जिनके कई आयाम हैं। कुछ सेवाएं उच्च प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता की हैं, तो कुछ सामान्य सेवाएं यथा-बाल कटिंग तथा वस्त्र धुलाई आदि भी है। इसी प्रकार से कुछ से सेवाएं संगठित तथा कुछ असंगठित हैं।

तालिका

सकल राज्य मूल्य वर्धन में तृतीयक क्षेत्र का योगदान

(प्रचलित भावों पर)

वित्तीय वर्ष	वृद्धि दर (प्रतिशत में)
-	.
-	.
-	.
-	.
-	.
-	.

स्रोत-अर्थ एवं संख्या प्रभाग

परिवहन

परिवहन एवं व्यापार सम्बन्धी क्रिया-कलापों का विकास एवं विस्तार सड़कों के विकास पर निर्भर करता है। कृषि एवं औद्योगिक विकास में सड़क एवं संचार जैसी अवस्थापनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कच्चे मालों की आपूर्ति तथा निर्मित उत्पादों के विक्रय के लिए परिवहन का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है।

सड़क

सड़क नेटवर्क अर्थव्यवस्था के निरन्तर और समावेशी विकास के लिए महत्त्वपूर्ण घटक है। यह देश भर में यात्रियों की आवाजाही और माल ढुलाई की सुविधा प्रदान करता है। परिवहन के विभिन्न साधनों के बीच सड़क परिवहन अपनी लास्टमाईल कनेक्टीविटी की भूमिका की वजह से महत्त्वपूर्ण है। पिछले कुछ वर्षों में परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में भारत में यात्रियों की आवाजाही तथा माल की ढुलाई का कार्य तेजी से सड़क परिवहन क्षेत्र की ओर स्थानान्तरित हुआ है।

प्रदेश के विकास के लिए अवस्थापना सुविधाओं को उपलब्ध कराने में मार्गों एवं सेतुओं की विशेष

भूमिका है। उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा संधृत मार्गों की कुल लम्बाई सम्बन्धी आंकड़े निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं:

तालिका

सड़क नेटवर्क की वर्तमान स्थिति

(हजार किमी.)

क्र.	मार्ग का वर्गीकरण	मार्च, 2018 तक	मार्च, 2019 तक	मार्च, 2020 तक	मार्च, 2021 तक	मार्च, 2022 तक	मार्च, 2023 तक
.	राष्ट्रीय मार्ग (किमी.)						.
.	राज्य मार्ग (किमी.)						.
.	प्रमुख जिला मार्ग (किमी.)						.
.	अन्य जिला मार्ग (किमी.)						.
.	ग्रामीण मार्ग (किमी.)						.
	योग	**240854**	**243306**	**254970**	**261007**	**287632**	**247.98**

स्रोत- लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।

सड़क परिवहन

सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत प्रदेशवासियों को सस्ती एवं सुगम परिवहन सेवायें सुलभ कराने के उद्देश्य से उ.प्र. राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना की गयी है। इन सेवाओं से सम्बन्धित आंकड़े निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं:

तालिका

उत्तर प्रदेश में राजकीय सड़क परिवहन परिचालन के आंकड़े

क्र.	मद	वर्ष			
सं.		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
.	औसत परिचालित बसें (सं.)				
.	वर्ष के अन्त में परिचालित मार्ग(सं.)				
.	वर्ष के अन्त में परिचालित मार्गों की औसत लम्बाई (किमी.)				
.	वर्ष के अन्त में परिचालित मार्गों की कुल लम्बाई (हजार किमी.)				
.	दैनिक कुल परिचालित दूरी (हजार किमी.)				
.	प्रतिदिन ले जाये गये यात्री (लाख)	.	.	.	.
.	दुर्घटनाएं (प्रति लाख किमी.)	.	.		-
.	कुल दुर्घटनाएं (सं.)			.	-

स्रोत- उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम। अनन्तिम

प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि के कारण आवागमन एवं यातायात की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप मार्गों पर चलने वाली गाड़ियों की संख्या में भी निरन्तर वृद्धि हो रही है। इस परिप्रेक्ष्य में राजकीय एवं निजी क्षेत्रों की गाड़ियों से सम्बन्धित आंकड़े निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं :

तालिका

उत्तर प्रदेश में निबद्ध की गई मोटर गाड़ियां

क्र.	गाड़ियां	2011-12	2020-21	2021-22	2022-23R	2023-24
1	2	3	4	5	6	7
.	ट्रक					
.	बस					
.	कार					
.	मोटर साइकिल					
.	ट्रैक्टर					
.	अन्य					
	कुल	**1727876**	**2350490**	**2633997R**	**3076527**	**3257799**

(स्रोतः- परिवहन आयुक्त, उ.प्र. एवं उ.प्र. राज्य सड़क परिवहन निगम)

विद्युत

विद्युत सुविधा की सुदृढ़ एवं व्यापक व्यवस्था के बिना समग्र आर्थिक विकास सम्भव नहीं है। राज्य सरकार द्वारा विद्युत उत्पादन की दिशा में अनेक प्रयास किये जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में विद्युत का उत्पादन एवं उपभोग से सम्बन्धित आंकड़े निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं:

तालिका

उत्तर प्रदेश में विद्युत का उत्पादन एवं उपभोग

क्र.सं.	मद	वर्ष (मार्च 2023)
.	अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट) (राज्य, केन्द्र एवं निजी)	. हजार मेगावाट
.	उपभोग (मिलियन यूनिट)	. हजार मि.यू.
.	कुल उत्पादन (मिलियन यूनिट) (राज्य, केन्द्र एवं निजी)	. हजार मीगावाट घंटा

स्रोत- उ.प्र. पावर कारपोरेशन लिमिटेड, नियोजन स्कन्ध, लखनऊ

राज्य सरकार के अधीन/उ.प्र.रा.नि. उ.नि.लि. एवं उ.प्र.ज.वि.नि.लि.

वैकल्पिक ऊर्जा

ऊर्जा के परम्परागत स्रोतों में निरन्तर कमी होने एवं उनके अधिकाधिक उपयोग से बढ़ते पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या के निदान हेतु ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोतों के उपयोग को प्रभावी बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा अनेक कदम उठाये जा रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में वर्ष में प्रदेश में नवीन एवं नवीकरणीय

ऊर्जा विकास अधिकरण (यू.पी. नेडा) का गठन किया गया। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति हेतु अभिकरण द्वारा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा एवं ऊर्जा संरक्षण जैसे अनेक ऊर्जा स्रोतों के दोहन हेतु उपयुक्त तकनीकी के विकास एवं प्रचार के लिए प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

तालिका

सौर परियोजनाओं का प्रगति विवरण (अगस्त 2022 तक)

क्र.सं.	योजना	इकाई	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23
	सौर परियोजनाओं की स्थापना	मे.वा.		
	सरकारी एवं अर्द्धसरकारी भवनों पर	कि.वा.		कि.वा.
	ग्रामीण क्षेत्र सार्वजनिक प्रकाश हेतु सोलर स्ट्रीट लाइट प्रोजेक्ट मोड	संख्या		
	मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास सोलर स्ट्रीट योजना	संख्या		
	निजी आवासों पर रूफ टॉप सोलर प्लाण्ट	मे.वा.	.	. मेगावाट
	ऑफ ग्रिड सोलर प्लाण्ट		.	कि.वा.

स्रोत- यू.पी. नेडा

संचार

संचार माध्यमों के अन्तर्गत डाकघरों का अत्यधिक महत्त्व है, क्योंकि इनके माध्यम से जनसामान्य को सस्ती एवं सुलभ संदेशवाहन सेवा उपलब्ध होने के साथ ही अल्प बचत कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन में भी सहायता मिलती है। उत्तर प्रदेश में डाकघरों की स्थिति निम्न तालिका में दर्शायी गयी हैः

तालिका

उत्तर प्रदेश में डाकघरों की संख्या (31 मार्च को)

मद	वर्ष			
	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5
डाकघरों की संख्या				
(क) नगरीय				
(ख) ग्रामीण				

दूरभाष

दैनिक जीवन में तथा व्यापारिक, वाणिज्यिक एवं व्यवसायिक क्रियाकलापों में दूरभाष सेवाओं का बड़ा महत्त्व है। उत्तर प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन, टेलीफोन एक्सचेंज, इण्टरनेट सब्सक्राइबर एवं मोबाइल कनेक्शन की स्थिति निम्न तालिका में दर्शायी गयी हैः

तालिका

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन, टेलीफोन एक्सचेंज, इन्टरनेट सब्सक्राइबर एवं मोबाइल कनेक्शन की स्थिति

वर्ष	बेसिक टेलीफोन कनेक्शन की संख्या	टेलीफोन एक्सचेंज की संख्या	इन्टरनेट सब्सक्राइबर की संख्या	मोबाइल कनेक्शन की संख्या (हजार में)
1	2	3	4	5
-				
-				
-				
-				

स्रोत- चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, उ.प्र. तथा मुख्य महाप्रबन्धक दूरसंचार भारत संचार निगम लि. उ.प्र. पूर्वी एवं पश्चिमी परिमण्डल।

भारत संचार निगम लि0 उ0प्र0 पश्चिमी परिमण्डल के आंकड़े सम्मिलित नहीं है।

शिक्षा

प्रदेश के विकास में शिक्षा का महत्त्वपूर्ण योगदान है। शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का प्रमुख साधन है। शिक्षित व्यक्ति ही राष्ट्र की आर्थिक प्रगति को वास्तविक गति प्रदान कर सकते हैं। वर्ष की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत . है जिसमें पुरुषों में साक्षरता प्रतिशत . तथा महिलाओं में साक्षरता प्रतिशत . है जबकि इसी अवधि में भारत का साक्षरता प्रतिशत . है। वर्ष की जनगणनानुसार देश में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक केरल राज्य में (. प्रतिशत) रहा, जो भारत के साक्षरता प्रतिशत (.) से भी अधिक है। अन्य राज्यों हिमांचल प्रदेश (. प्रतिशत), महाराष्ट्र (. प्रतिशत), तमिलनाडु (. प्रतिशत) एवं उत्तराखंड (. प्रतिशत) आदि की तुलना में उत्तर प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत (. प्रतिशत) कम है।

उत्तर प्रदेश के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में साक्षरता प्रतिशत का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि इनमें विषमताएं देखने को मिलती हैं। वर्ष की जनगणना के अनुसार साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक बुन्देलखण्ड क्षेत्र में (.) तथा सबसे कम पूर्वी क्षेत्र में (.) है। उत्तर प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत में सुधार हुआ है- जहाँ वर्ष में उ.प्र. में साक्षरता . प्रतिशत थी वहीं . प्वॉइन्ट बढ़कर वर्ष में . प्रतिशत एवं वर्ष में . प्रतिशत हो गयी किन्तु अभी भी प्रदेश एवं राष्ट्र स्तर की साक्षरता में . प्रतिशत प्वॉइन्ट का अन्तर है।

तालिका

उत्तर प्रदेश विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में साक्षरता प्रतिशत

क्र.सं.	आर्थिक क्षेत्र	साक्षरता प्रतिशत वर्ष 2001			साक्षरता प्रतिशत वर्ष 2011		
		व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री
.	पूर्वी	.	.	.	.	.	.
.	पश्चिमी	.	.	.	.	.	.
.	केन्द्रीय	.	.	.	.	.	.
.	बुन्देलखण्ड	.	.	.	.	.	.
.	उत्तर प्रदेश	.	.	.	.	.	.
	भारत	.	.	.	.	.	.

प्रदेश में शिक्षण सुविधायें

उत्तर प्रदेश में वर्ष -- में जूनियर बेसिक विद्यालयों की संख्या थी। इसी प्रकार सीनियर बेसिक विद्यालयों की संख्या वर्ष - में थी जो वर्ष - में बढ़कर हो गयी। वर्ष - में हायर सेकेन्डरी विद्यालयों की संख्या थी जो वर्ष - में कम होकर हो गयी।

उत्तर प्रदेश में वर्ष - में जूनियर बेसिक विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या हजार थी। इसी प्रकार वर्ष - में सीनियर बेसिक विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या हजार थी।

तालिका

उत्तर प्रदेश में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में प्रति लाख जनसंख्या पर विद्यालयों/ प्रति अध्यापक पर विद्यार्थियों की संख्या (2023-24)

क्र. सं.	आर्थिक सम्भाग	प्रति लाख जनसंख्या पर विद्यालयों की संख्या			प्रति अध्यापक पर विद्यार्थियों की संख्या		
		जूनियर बेसिक	सीनियर बेसिक	हायर सेकेण्ड्री	जूनियर बेसिक	सीनियर बेसिक	हायर सेकेण्ड्री
.	पूर्वी	.	.	.	.	.	.
.	बुन्देलखण्ड	.	.	.	.	.	.
.	पश्चिमी	.	.	.	.	.	.
.	केन्द्रीय	.	.	.	.	.	.
	उत्तर प्रदेश	.	.	.	.	.	.

माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था की एक मजबूत कड़ी है जो देश के समृद्ध भविष्य का निर्माण करती है। प्रदेश सरकार ने बालक एवं बालिकाओं की शैक्षिक गुणवत्ता के सम्वर्द्धन हेतु प्रासंगिक पाठ्यक्रम तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अनेक अभिनव प्रयास किये हैं जिससे माध्यमिक शिक्षा उपर्युक्त लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित कर सके। माध्यमिक शिक्षा बेसिक शिक्षा (आधारिक शिक्षा) एवं उच्च

शिक्षा के बीच सेतु के रूप में कार्य करती है। यहाँ बालक बालिकाओं को गुणात्मक शिक्षा प्रदान कर समाज के विभिन्न क्षेत्रों हेतु, सुशिक्षित, चरित्रवान सुयोग्य मानव संसाधन के रूप में विकसित कर आगे बढ़ाने का कार्य सम्पन्न किया जाता है। वर्तमान में प्रदेश में राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त वित्त-विहीन कुल माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं।

उच्च शिक्षा

प्रदेश के नियोजित विकास में उच्च शिक्षा का विशेष योगदान है। सरकार उच्च शिक्षा के विकास एवं गुणवत्ता संवर्द्धन हेतु कटिबद्ध है। लोक कल्याण को वरीयता देते हुए शैक्षिक रूप से अविकसित तथा पिछड़े क्षेत्र में विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों की स्थापना की गयी है। प्रदेश के उच्च शिक्षा संस्थानों को आधुनिकतम संसाधनों से परिपूर्ण किया जा रहा है, साथ ही इस बात पर विशेष बल दिया जा रहा है कि छात्र/छात्राओं को व्यवसायपरक एवं कौशल विकास से परिपूर्ण शिक्षा प्रदान की जाये जिससे प्रदेश का युवा वर्ग स्वावलम्बी बन सके। प्रदेश में स्नातक एवं परास्नातक स्तर के शिक्षण संस्थान एवं विद्यार्थियों से सम्बन्धित आंकड़े निम्नवत् हैं:

तालिका

उत्तर प्रदेश में डिग्री स्तर की शिक्षण संस्थाओं एवं विद्यार्थियों की संख्या

क्र.सं.	शिक्षण संस्थायें, छात्र/छात्रों एवं अध्यापकों की संख्या	वर्ष 2021-22
.	विश्वविद्यालयों की संख्या	
	(क) राज्य विश्वविद्यालय	
	(ख) मुक्त विश्वविद्यालय	
	(ग) डीम्ड विश्वविद्यालय	
	(घ) निजी विश्वविद्यालय	
.	शासकीय महाविद्यालय	
.	अनुदान सूची पर अशासकीय महाविद्यालयों की सूची	
.	अनुदानित/स्ववित्तपोषित अशासकीय महाविद्यालयों की संख्या	

प्राविधिक शिक्षा

वर्तमान युग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का उत्कर्षकाल है। नित्य नई प्राविधियाँ विकसित हो रही हैं तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्पर्धा से श्रेष्ठता व गुणवत्ता के नवीन आयाम जन्म ले रहे हैं। विकास के ऐसे क्रान्तिक परिदृश्य में प्राविधिक शिक्षा की विशेष प्रासंगिकता है। प्रदेश में प्राविधिक शिक्षा सुलभ कराने हेतु डिग्री, डिप्लोमा तथा प्रमाण-पत्र स्तर की त्रिस्तरीय शिक्षा की व्यवस्था की गयी है।

इसके अतिरिक्त दिव्यांगों एवं अल्पसंख्यक के कल्याणार्थ राज्य के विभिन्न जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान (एम.एस.डी.पी.) के अन्तर्गत केन्द्र के आर्थिक सहयोग से पालीटेक्निक स्थापित किये जा रहे हैं। प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी पालीटेक्निकों की स्थापना की जा रही है।

तालिका

उत्तर प्रदेश में डिग्री स्तर के इंजीनियरिंग कालेजों में विभागानुसार प्रवेश

	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5
इंजीनियरिंग कालेज की संख्या				
. सिविल इंजीनियरिंग-				
(क) प्रवेश क्षमता				
(ख) वास्तविक प्रवेश				
. मेकेनिकल इंजीनियरिंग-				
(क) प्रवेश क्षमता				
(ख) वास्तविक प्रवेश				
. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग-				
(क) प्रवेश क्षमता				
(ख) वास्तविक प्रवेश				
. अन्य-				
(क) प्रवेश क्षमता				
(ख) वास्तविक प्रवेश				
. समस्त इंजीनियरिंग-				
(क) प्रवेश क्षमता				
(ख) वास्तविक प्रवेश				

नोटः- अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी, विश्वविद्यालय, गोरखपुर एच.बी.टी.यू., कानपुर एवं निजी क्षेत्र में डिग्री स्तर के इंजीनियरिंग कालेज तथा आई.आई.टी. कानपुर आदि के आँकड़े सम्मिलित नहीं हैं।

स्रोत :- प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, कानपुर।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

लोक कल्याणकारी राज्य की मुख्य प्राथमिकता जनसाधारण को बेहतर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। प्रदेश में सरकारी एवं निजी क्षेत्र के सम्मिलित प्रयासों के फलस्वरूप चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का निरन्तर विस्तार हो रहा है।

स्वास्थ्य सम्बन्धी इन्डिकेटर की दृष्टि में प्रदेश

प्रदेश सरकार के सतत प्रयास से स्वास्थ्य एवं जनांकिकीय संकेतकों में पर्याप्त सुधार आया है। अभी भी उत्तर प्रदेश इन संकेतकों में राष्ट्रीय औसत से पीछे है, जैसा कि निम्न तालिका से परिलक्षित हो रहा हैः

तालिका

प्रदेश में जन्म दर, मृत्यु दर प्राकृतिक वृद्धि दर तथा शिशु मृत्यु दर सम्बन्धी आंकड़े

मद	वर्ष 2017	वर्ष 2020
जन्म दर	.	.
मृत्यु दर	.	.
प्राकृतिक वृद्धि दर	.	.
शिशु मृत्यु दर ( )		

स्रोत : एस.आर.एस. बुलेटिन महारजिस्ट्रार, भारत सरकार।

तालिका

प्रदेश में प्रति लाख जनसंख्या पर चिकित्सालयों/औषधालयों की संख्या (2021-22)

क्र. सं.	आर्थिक सम्भाग	प्रति लाख जनसंख्या पर एलोपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों की संख्या	प्रति लाख जनसंख्या पर एलोपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों में शैय्याओं की संख्या	प्रति लाख जनसंख्या पर आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों की संख्या	प्रति लाख जनसंख्या पर आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों में शैय्याओं की संख्या
.	पूर्वी	.	.	.	.
.	बुन्देलखण्ड	.	.	.	.
.	पश्चिमी	.	.	.	.
.	केन्द्रीय	.	.	.	.
	उत्तर प्रदेश	.	.	.	.

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रमुख योजनायें

राष्ट्रीय अन्धता नियंत्रण कार्यकम

इस कार्यकम के अन्तर्गत साठ वर्ष से अधिक के वृद्धजनों को मुफ्त चश्मा और मोतियाबिन्द आपरेशन के लिए आई0ओ0एल0 विधि द्वारा शल्य-क्रिया की जाती है। मोतियाबिन्द के अतिरिक्त होने वाले नेत्र रोगों (डायबेटिक, रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा मैनेजमेंट, लेजरटेक्निक, कार्निया ट्रान्सप्लान्टेशन, विट्रियोरेटिनल सर्जरी तथा ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस) के आपरेशन एवं इलाज की सुविधा, बड़ी स्वैच्छिक संस्थाओं के चिकित्सालयों के माध्यम से उपलब्ध कराते हुए आने वाले व्यय को सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य प्रदेश की अन्धता पर 1.58 प्रतिशत को घटाकर वर्ष 2025 तक रु. 0.3 प्रतिशत तक लाना है।

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

यह योजना अब वैश्विक स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए एक बेंचमार्क बन गयी है। इसका उद्देश्य वर्ष तक सम्पूर्ण देश को रोगमुक्त करके विकास के पथ पर ले जाना है। आयुष्मान भारत पर आने वाले

व्यय को केन्द्र एवं राज्य सरकारें 0- के अनुपात में वहन करेंगी। इन सभी परिवारों को पाँच लाख रुपये तक प्रतिवर्ष चिकित्सा बीमा कवर दिया जाएगा। आयुष्मान योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रदेश को चार जोन में बांटा गया है। हर जोन के लिए इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी का चयन किया गया है, जो क्लेम की जाँच करेगी।

मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना

आयुष्मान भारत योजना के दायरे में नहीं आने वाले गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए मुख्यमंत्री जनआरोग्य अभियान की शुरूआत मार्च, में की गई। इसमें हीमोग्लोबीन, मूत्र द्वारा गर्भ की जाँच, यूरिन डिपेस्टिक द्वारा एल्बुमिन एवं ग्लूकोज, ग्लूकोमीटर द्वारा ब्लड ग्लूकोज आदि की जाँच की सुविधा मिलेगी।

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यकम

प्रदेश के सभी जनपदों में यह कार्यक्रम संचालित है। मानसिक रोगों के उपचार के लिए सभी जिला अस्पतालों में उपचार और सन्दर्भन की व्यवस्था की गयी है। कार्यक्रम का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य का ज्ञान, सामान्य स्वास्थ्य देखभाल में कुशलता और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है जिसके अन्तर्गत मानसिक रोगों के प्रति व्यक्ति भ्रान्तियों को दूर करने हेतु पोस्टर, बैनर, ब्रोशर एवं पम्पलेट आदि के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यकम, उत्तर प्रदेश

प्रदेश में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम एवं सीओटीपीए- का संचालन सामान्य जनता विशेषकर युवा पीढ़ी को तम्बाकू से होने वाली हानियों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। विश्व तम्बाकू निषेध दिवस 2024 पर आन लाइन 'तम्बाकू निषेध शपथ' में 31.3 प्रतिशत के साथ देश में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा।

राष्ट्रीय बधिरता बचाव एवं रोकथाम कार्यक्रम

प्रदेश के कुल जनपदों में राष्ट्रीय बधिरता बचाव एवं रोकथाम कार्यक्रम संचालित हैं। जिनमें से 19 जनपद वित्तीय वर्ष 2022-23 में सम्मिलित किये गये। वर्तमान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित इस कार्यकम में बधिरता की जाँच एवं जिला चिकित्सालय स्तर पर कान की बीमारियों की जटिल एवं नाजुक माइक्रो सर्जरी द्वारा उपचार की सुविधा प्रदान की जा रही है।

जे.ई./ ए.ई.एस. अभियान

प्रदेश सरकार ने दिमागी बुखार के समूल उन्मूलन को प्राथमिकता प्रदान करते हुए व्यापक स्तर पर प्रभावित जनपदों में पूर्णरूप से सुसज्जित पीआईसीयू, मिनी पीआईसीयू, ईटीसी की स्थापना कर प्रभावी उपचार व्यवस्था को रोगी के घर के निकट पहुँचाया गया। संकामक रोगों पर नियंत्रण के इस मॉडल को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना प्राप्त हुई है एवं दिमागी बुखार के प्रकोप को नियन्त्रित करने में सरकार को अभूतपूर्व सफलता मिली है।

प्रदेश सरकार द्वारा डेंगू, मलेरिया, कालाजार सहित अन्य सभी महत्वपूर्ण संचारी रोगों के विरूद्ध नियमित अन्तराल पर विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान संचालित किया जा रहा है।

नियमित टीकाकरण कार्यक्रम

- प्रदेश के समस्त जनपदों में से वर्ष तक के बच्चों को जानलेवा बीमारियों (पोलियो, टी.बी., गलाघोंटू, टिटनेस, काली खांसी, हेपेटाइटिस-बी, निमोनिया, जे0ई0, खसरा, रूबला एवं

डायरिया) से बचाव तथा गर्भवती महिलाओं को टिटनेस से बचाव हेतु नियमित रूप से निःशुल्क टीकाकरण किया जाता है।

- नियमित टीकारण कार्यकम के अन्तर्गत एचएमआईएस डेटा के अनुसार पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों की उपलब्धि वर्ष - में . प्रतिशत रहा है।
- प्रदेश के समस्त जनपदों में सघन मिशन इन्द्रधनुष . तीन चरणों (7-12 अगस्त 2023, 11-16 सितम्बर 2023 एवं 9-14 अक्टूबर 2023) में चलाया गया, जिसके अन्तर्गत कुल . लाख गर्भवती माताओं का टीकाकरण किया गया।
- प्रदेश में जे.ई. टीकाकरण अभियान के अन्तर्गत . लाख टीका लगाया गया।

परिवार नियोजन कार्यक्रम

प्रदेश की बढ़ती हुई जनसंख्या को स्थिर किये जाने के उद्‌देश्य से प्रदेश में संचालित परिवार नियोजन कार्यक्रम पूर्णतः स्वैच्छिक कार्यक्रम है। प्रदेश की सकल प्रजनन - (-) दर . को आगामी वर्ष में . का लक्ष्य प्राप्त किए जाने हेतु परिवार कल्याण की स्थाई व अस्थाई दोनों प्रकार की विधियों को प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है। परिवार नियोजन के अन्य साधनों (लूप निवेशक, कापरटी, सी.सी., ओ.पी.) का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की संख्या वर्ष 2021 के सापेक्ष वर्ष 2024 में 61.5 प्रतिशत बढ़कर 3268.49 हजार हो गयी। वर्ष 2024 में 3.30 लाख व्यक्तियों ने नसबंदी करायी।

मातृ-मृत्यु समीक्षा कार्यक्रम

- एसआरएस सर्वे के अनुसार - की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश का मातृ-मृत्यु अनुपात प्रति लाख जीवित जन्म था जो वर्ष - सर्वे के अनुसार घटकर प्रति लाख जीवित जन्म हो गया है। मातृ मृत्यु दर का सतत् विकास लक्ष्य के अन्तर्गत वर्ष 2030 तक 70 से कम किया जाना अपेक्षित है।

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में स्थापित अर्ध-विकसित मलिन बस्तियों मे स्वास्थ्य की मूलभूत सेवायें उपलब्ध कराये जाने का, निर्णय लिया गया है, जिसे प्रदेश मे चरणबद्ध रुप से प्रत्येक जिला मुख्यालय तथा , से अधिक जनसंख्या वाले शहरों एवं कस्बों को स्वास्थ्य सेवाओं से आच्छादित किया गया है तथा , से कम जनसंख्या वाले शहरों/कस्बों को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध करायी जा रही हैं।

जननी सुरक्षा योजना

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष से जननी सुरक्षा योजना प्रदेश के जनपदों में संचालित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य स्तरीय राजकीय के जनरल वार्ड में संस्थागत प्रसव कराने वाली महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्र में रु. व शहरी क्षेत्र में रु. एवं बीपीएल श्रेणी के घरेलू प्रसव हेतु रु. सहायता राशि रूप में दिये जाते है। आशा कार्यकर्त्री पंजीकरण से लेकर प्रसव पूर्व, प्रसव कालीन प्रसवोत्तर व सभी सेवायें उपलब्ध करवाती है तो आशा को इस कार्य हेतु ग्रामीण क्षेत्र में कुल रु. एवं शहरी क्षेत्र में कुल रु. दिये जाते हैं।

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम प्रदेश के समस्त जनपदों मे अगस्त से लागू है। इस योजना का

मुख्य उद्देश्य प्रसव हेतु आने वाली गर्भवती महिलाओं को गारन्टेड कैशलेस डिलिवरी सेवा प्रदान करना है। इसके अन्तर्गत सभी गर्भवती महिलाओं एवं प्रसूताओं को समस्त औषधियाँ एवं जाँच आदि निःशुल्क प्रदान की जा रही है, साथ ही चिकित्सालय में भर्ती रहने के दौरान निःशुल्क भोजन एवं एम्बुलेन्स के माध्यम से सेवा प्रदान किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान

"प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान" प्रत्येक माह की एवं तारीख को **"एक कदम सुरक्षित मातृत्व की ओर"** ब्लॉक स्तरीय चिकित्सालयों में चलाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं को सभी गर्भवती महिलाओं तक पहुँचाना और उन्हे सुरक्षित संस्थागत प्रसव के लिये प्रेरित करना है। समस्त जनपदों के से अधिक प्रसव भार वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर पी.पी.पी. मोड पर गर्भवती महिलाओं के लिये अल्ट्रासाउण्ड की सुविधा सितम्बर से प्रारम्भ की गई है।

प्रधानमंत्री मातृ-वन्दन योजना

इससे आच्छादित गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले जीवित जन्म के लिये तीन किश्तों में गर्भावस्था का शीघ्र पंजीकरण करने पर प्रथम किश्त रु. , कम से कम एक प्रसव पूर्व जाँच पर (गर्भावस्था के माह के बाद) द्वितीय किश्त-रु. तथा बच्चे के जन्म का पंजीकरण, बच्चे के प्रथम चक्र का टीकाकरण पूर्ण होने पर तृतीय किश्त रु. दी जाती है।

बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

प्रदेश में नवजात मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर व बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के रूप में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत न्यू बार्न केयर कार्नर न्यू बार्न स्टेब्लाइमिंग यूनिट, सिक न्यू बार्न केयर यूनिट, न्यूटीशन रिहैबिलीटेशन सेन्टर एवं कंगारू मदर केयर का संचालन किया जा रहा है।

आयरन एण्ड फोलिक एसिड सम्पूर्ण कार्यक्रम

प्रदेश के सभी जनपदों में यह कार्यक्रम लागू किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कक्षा 6 से 12 तक के सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, मदरसों, अनाथालयों, बाल अपराध गृह आदि के पंजीकृत बच्चों को सम्मिलित किया गया है इसमें लगभग एक करोड़ से भी अधिक किशोर/किशोरियां लाभान्वित हो रहे हैं।

इसके अतिरिक्त विफ्स कार्यक्रम में स्कूल न जाने वाली से वर्ष की समस्त किशोरियों को आईसीडीएस की आँगनवाड़ी कार्यकर्त्री के माध्यम से साप्ताहिक आयरन की नीली गोली खिलाये जाने का प्राविधान किया गया है।

राष्ट्रीय डी-वार्मिग डे

प्रदेश के से वर्ष तक के समस्त बच्चों को सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त, प्राइवेट स्कूलों, मदरसो, अनाथालयों एवं आँगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से वर्ष में दो बार माह फरवरी व अगस्त में एल्बेण्डाजॉल मि.ग्रा. की गोली दिये जाने का प्राविधान किया गया है जिससे बच्चे, पेट के कीड़ों से छुटकारा पा सके तथा एनीमिया जैसी बीमारियों से बच सके।

किशोरी सुरक्षा योजना

किशोरी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में सरकारी /परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाली कक्षा से तक की किशोरियों को निःशुल्क सेनेटरी नैपकीन्स का वितरण स्कूल के नोडल अध्यापक

/अध्यापिकाओं के द्वारा जनवरी से किया जा रहा है।

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत से वर्ष और से वर्ष के किशोरों का सार्वभौमिक आच्छादन किया जाना है, इससे शहरी और ग्रामीण, स्कूल जाने वाले और स्कूल न वाले, विवाहित और अविवाहित तथा कमजोर/असेवित वर्ग के किशोर/किशोरी सम्मिलित है।

- किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक प्रदेश के जनपद चिकित्सालय एवं हाईप्रायोरिटी जनपदों में जनपद चिकित्सालय के अतिरिक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर भी किशोर/किशोरियों को परामर्श, स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने के लिए किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक स्थापित हैं।
- वर्तमान में प्रदेश में कुल स्थापित किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक पर प्रशिक्षित काउन्सलर्स द्वारा किशोर /किशोरियों के स्वास्थ्य विषयों पर परामर्श एवं प्रशिक्षित चिकित्सक द्वारा उपचारात्मक सेवायें प्रदान की जा रही है।

पियर एजूकेशन कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के प्रथम चरण में उच्च प्राथमिता वाले जनपदों के प्रतिशत ब्लॉकों में ग्राम स्तर पर आबादी पर आशा द्वारा स्कूल जाने वाले तथा स्कूल न जाने वाले कुल पियर एजूकेटर्स (से वर्ष) का चयन किया गया है। पीयर एजूकेटर जिन्हें साथिया भी कहा जाता है, जो अपने साथियों में सकारात्मक एवं स्वस्थ विचारों का संचार करेंगे।

स्वच्छ जल एवं जलोत्सारण सुविधा

जनसामान्य के स्वस्थ जीवन हेतु स्वच्छ पेयजल तथा स्वच्छ वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्वच्छ भारत के विजन के अनुरूप सरकार द्वारा प्रदेश में स्वच्छता के सभी आयामों पर निरन्तर कार्य किया गया है। इसमें व्यक्तिगत एवं सामुदायिक जल प्रवाहित शौचालयों का निर्माण, सीवरेज एवं जल निकासी, सॉलिड एवं लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पाइप पेयजल की व्यवस्था सम्मिलित है।

श्रम शक्ति एवं सेवायोजन

श्रम शक्ति का अभिप्राय - आयु वर्ग की जनसंख्या से लगाया जाता है और इसी वर्ग के व्यक्तियों से रोजगार हेतु उपलब्ध रहने की अपेक्षा की जाती है।

प्रदेश में वर्ष की जनगणनानुसार . लाख कुल कर्मकर थे।

तालिका

प्रदेश में मुख्य कर्मकार तथा सीमान्त कर्मकार

(लाख में)

मद	कुल मुख्य कर्मकार	सीमान्त कर्मकार	कुल कर्मकार
1	2	3	4
ग्रामीण	.	.	.
नगरीय	.	.	.
उत्तर प्रदेश	.	.	.

सेवायोजन सेवा

सेवायोजन सेवाओं के अन्तर्गत सेवायोजन कार्यालयों द्वारा मुख्य रूप से बेरोजगार अभ्यर्थियों का रोजगार हेतु पंजीयन तथा उन्हें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में वैतनिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु अधिसूचित रिक्तियों की पूर्तिहेतु सम्प्रेषित करना, व्यवसाय मार्ग निर्देशन कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार बाजार में उपलब्ध प्रशिक्षण, उच्च शिक्षा के अवसरों के सम्बन्ध में बेरोजगार अभ्यर्थियों को सम्यक् एवं उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराना, स्वतः नियोजन के क्षेत्र में अपना उद्योग स्थापित करने हेतु बेरोजगार अभ्यर्थियों को प्रोत्साहित करना एवं ऋण सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध कराने में उनकी सहायता करना, समाज के निर्बल वर्ग के अभ्यर्थियों की सेवानियोजकता तथा कौशल में वृद्धि करना, रोजगार/बेरोजगारी के विभिन्न आयामों के सम्बन्ध में सूचनाओं का एकत्रीकरण, संकलन, प्रचार एवं प्रसार आदि कार्य सम्पादित किये जा रहे है। बेरोजगारों को सेवायोजन सहायता प्रदान करने हेतु प्रदेश में   सेवायोजन कार्यालय में विकलांगों हेतु विशिष्ट सेवायोजन कार्यालय, विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय सेवायोजन सूचना एवं मंत्रणा केन्द्र, नगर सेवायोजन कार्यालय तथा मुख्यालय स्तर पर व्यवसायिक एवं प्रबन्धकीय सेवायोजन कार्यालय स्थापित हे। सेवायोजन से सम्बन्धित कुछ प्रमुख मदों के आंकड़े निम्न तालिका में दर्शाये गये है:-

तालिका
श्रम, रोजगार एवं प्रशिक्षण
उत्तर प्रदेश में रोजगार दफ्तरों द्वारा किया गया कार्य हजार

क्र.सं.	मद	2012	2020	2021
1		2	3	4
.	पंजीकृत प्रार्थी	. (.)	. (.)	. (.)
.	काम दिलाये गये प्रार्थी	. (.)	. (.)	. (.)
.	आयोजित रोजगार मेलों की संख्या	.	.	.
.	रोजगार हेतु चयनित अभ्यर्थियों की संख्या	.	.	.
.	सूचित रिक्त स्थान	. (.)	. (.)	. (.)
.	वर्ष के अन्त में चालू पंजी पर अभ्यर्थी	. (.)	. (.)	. (.)

नोट :- कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े अनुसूचित जाति/जनजाति के हैं।

स्रोत :-प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उ.प्र.

प्रदेशवासियों को सवैतनिक रोजगार सुलभ कराने में सार्वजनिक क्षेत्र की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र में सेवायोजनाओं से सम्बन्धित आंकड़े निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं।

तालिका
श्रम, रोजगार एवं प्रशिक्षण
उत्तर प्रदेश में रोजगार दफ्तरों द्वारा किया गया कार्य

रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या (हजार)

क्र.सं.	रोजगार	2012	2020	2021	2022-23
	1	2	3	4	5
.	केन्द्रीय सरकार में				
		(.)	(.)	(.)	
.	राज्य सरकार में				
		(.)	(.)	(.)	
.	अर्द्ध सरकारी कार्यालयों में				
		(.)	(.)	(.)	
.	स्थानीय निकायों में				
		(.)	(.)	(.)	
	कुल				
	पंजी पर अभ्यर्थी	(.)	(.)	(.)	

नोट :- कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े प्रतिशत विवरण के हैं।

स्रोत :-प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उ.प्र.

केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय निकायों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या निम्न तालिका में दर्शाया गया है-

तालिका
उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या

क्र.	मद	वर्ष					
सं.		मार्च 2019	मार्च 2020	मार्च 2021	मार्च 2022	मार्च 2023	मार्च 2024
.	केन्द्र सरकार						
.	राज्य सरकार						
.	अर्द्ध सरकारी (केन्द्र)						
.	अर्द्ध सरकारी (राज्य)						
.	स्थानीय निकाय						
	योग	**1601875**	**1600766**	**1597231**	**1594316**	**1596102**	**1978345**

उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी

उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या में मार्च में गत वर्ष

की अपेक्षा (- .) प्रतिशत की कमी दृष्टिगोचर हुई। निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या के आंकड़े निम्नतालिका में दर्शाये गये हैं:

तालिका

उत्तर प्रदेश के निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या

क्र.सं.	मद	वर्ष मार्च, 2023
.	एक्ट अधिष्ठान	
.	नान एक्ट अधिष्ठान	
	योग	**731184**

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मचारी

तालिका

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मचारियों की संख्या

क्रमांक	मद	वर्ष मार्च, 2023
1	2	3
1.	सार्वजनिक क्षेत्र	
2.	निजी क्षेत्र	
	योग	**324298**

●

सामाजिक स्थि ि

उ ार प्रदेश भारतीय सभ्यता का उद्‌गम स्थल रहा है अति प्राचीन समय से विभिन्न जाति एवं सामाजिक समूह इस क्षेत्र में आये और यहा बस गये इस राज्य में भारतव ा की जनसंख्या का 16.51 प्रतिशत भाग निवास करता है तथा भौगोलिक ि से यह राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महारा राज्यों के प ाात चौथे स्थान पर है इसका भौगोलिक क्षेत्र भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 7.3 प्रतिशत है इसका सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र 2,40,928 वर्ग किमी0 है

प्रशासनिक ि से उ ार प्रदेश 18 मण्डलों में विभाजित है जिसमें 75 जनपद, 915 नगर एवं नगर क्षेत्र, 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परि ाद्, 545 नगर पंचायतें, 57694 ाम पंचायतें, 826 विकास खण्ड, 97814 आबाद ाम, 351 तहसीलें, 17957 डाक ार एवं 2267 टेलीफोन एक्सचेंज ह

राजनैतिक ि से उ ार प्रदेश लोकसभा में 80 सदस्य, राज्यसभा में 31 सदस्य, विधानसभा में 403 सदस्य तथा विधान परि ाद् में 100 सदस्य चुनकर भेजता है

जनसंख्या

जनसंख्या के द टिकोण से उ ार प्रदेश का भारत के राज्यों में प्रथम स्थान है व ा 2011 की जनगणना के अनुसार उ ार प्रदेश की कुल जनसंख्या 1998 लाख है जो भारत की व ा 2011 की कुल जनसंख्या 12106 लाख का 16.51 प्रतिशत है

जनसंख्या की ि से उ ार प्रदेश भारत के 36 प्रदेशों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा प्रदेश है विभिन्न प्रदेशों की जनसंख्या सम्बन्धी सूचना तालिका में ि गत है-

भार ीय सं ा के ि भि ा राज्यों केन्द्र शासित प्रदेशों का क्षेत्र फल, जनसंख्या ं ान ा-2011

क्र.सं.	राज्य	क्षेत्रफल 2011 (हजार वर्ग किमी०)	जनसंख्या 2011 हजार में	घनत्व 2011 (प्रति वर्ग किमी०)
.	आन्ध्र प्रदेश	162.97	49387	308
.	अरुणाचल प्रदेश	83.74	1384	17
.	असम	78.44	31206	398
.	बिहार	94.16	104099	1106
.	छत्तीसगढ़	135.19	25545	189

.	गोवा	3.70	1459	394
.	गुजरात	196.24	60440	308
.	हरियाणा	44.21	25351	573
.	हिमाचल प्रदेश	55.67	6865	123
.	झारखण्ड	79.72	32988	414
.	कर्नाटक	191.79	61095	319
.	केरल	38.85	33406	860
.	मध्य प्रदेश	308.25	72627	236
.	महाराष्ट्र	307.71	112374	365
.	मणिपुर	22.33	2856	128
.	मेघालय	22.43	2967	132
.	मिजोरम	21.08	1097	52
.	नागालैण्ड	16.58	1979	119
.	ओड़िशा	155.71	41974	270
.	पंजाब	.		
.	राजस्थान	.		
.	सिक्किम	.		
.	तमिलनाडु	.		
.	तेलंगाना	.		
.	त्रिपुरा	.		
.	उत्तर प्रदेश	.		
.	उत्तराखण्ड	.		
.	पश्चिम बंगाल	.		
.	जम्मू-कश्मीर	.		
.	लद्दाख			
.	अण्डमान-निकोबार आईसलैण्ड	.		
.	चण्डीगढ़	.		
.	दादर नागर हवेली एवं दमन-द्वीप	.		
.	दिल्ली	.		
.	लक्ष्यद्वीप	.		
.	पुडुचेरी	.		
	भार त	**3287-24**	**1210855**	**382**

120849 वर्ग किमी0 विवादित क्षेत्र भी सम्मिलित है

जम्मू-कश्मीर में सम्मिलित

स्रोतः भारत की जनगणना

जनसंख्या ान ा

उ ार प्रदेश में व ा 1991 में प्रति वर्ग किमी0 पर 548 व्य ि थे जो कि 2001 में 690 तथा 2011 में 829 प्रति वर्ग किमी0 हो गये जो कि रा ीय औसत 382 से अधिक है इससे स्प है कि जनसंख्या के ानत्व की ि से भी व्य ियों का भार प्रति किमी0 क्षेत्र के अनुसार बढ़ रहा है

जनसंख्या ा ि

व ा 2011 की जनगणना के अनुसार व ा 2001-11 की अवधि में कुल जनसंख्या की दशकीय व द्धि में प्रदेश का भारत के राज्यों में गत दशक की भाँति ग्यारहवाँ स्थान रहा 2001-11 की अवधि में उ.प्र. की कुल जनसंख्या की दशकीय व द्धि में (20.23 प्रतिशत) थी जबकि उ ा अवधि में भारत की दशकीय व द्धि (17.7 प्रतिशत) से अधिक रही 1991-2001 की अवधि में उ ा व द्धि (25.8 प्रतिशत) थी जो उ ा अवधि में भी भारत की दशकीय व द्धि 21.5 प्रतिशत से अधिक थी

उत्तर प्रदेश के कु मदों के आथिक क्षेत्र ाार आक`

उ ार प्रदेश को 4 आर्थिक क्षेत्रों यथा- पूवा, प ामी, केन्द्रीय एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र में बाँटा गया है आर्थिक क्षेत्रवार कु मदों के आँकड़े निम्न तालिका में ि गत ह-

उत्तर प्रदेश के ि ाभि ा आथिक क्षेत्रों के जनगणना 2011 के कु प्रमुख मदों के आक`

	आर्थिक क्षेत्र	कुल जनसंख्या (लाखों में)	जनसंख्या का प्रतिशत	भौगोलिक क्षेत्रफल हजार वर्ग किमी०	जनसंख्या का घनत्व (प्रति वर्ग किमी.)	प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या
1	पूर्वी	804	40.0	86(35.6)	931	952
2	पश्चिमी	743	37.2	80(33.2)	930	884
3	केन्द्रीय	355	18.0	46(19.0)	785	895
4	बुन्देलखण्ड	97	4.8	29(12.2)	329	877
	उत्तर प्रदेश	1998	100.0	241(100.00)	829	912

नोट - को क में प्रतिशत दर्शाया गया है

उ ा तालिका से ाात होता है कि पूवा क्षेत्र की जनसंख्या 40.0 प्रतिशत है तथा जनसंख्या की ि से यह सबसे बड़ा क्षेत्र है, इसके बाद क्रमश प ामी क्षेत्र (37.2 प्रतिशत) व केन्द्रीय क्षेत्र (18.0 प्रतिशत) तथा सबसे बाद बुन्देलखण्ड क्षेत्र (4.8 प्रतिशत) आता है क्षेत्रफल की ि से भी प्रदेश के क्षेत्रफल का 35.6 प्रतिशत भाग पूवा क्षेत्र में है, जो प्रथम स्थान पर तथा इसके बाद क्रमश प ामी क्षेत्र (33.2 प्रतिशत) केन्द्रीय क्षेत्र (19.0 प्रतिशत) तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र (12.2 प्रतिशत) का स्थान है

विभिन्न आयु वर्गानुसार जनसंख्या

2011 की जनगणना के अनुसार विभिन्न आयु वर्गाकार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के आँकड़े निम्न तालिका में दर्शाये गये है-

तालिका

विभिन्न आयु वर्गानुसार उतर प्रदेश की जनसंख्या, 2011

आयु वर्ग	जनसंख्या (हजार में)				
	पुरूष	स्त्री	कुल	ग्रामीण	नगरीय
1	2	3	4	5	6
समस्त	104,481	95,332	199,812	155,317	44,495
0—4	10,660	9,716	20,377	16,556	3,820
5—9	13,250.	11,811	25,062	20,362	4,699
10—14	13,679	12,191	25,870	20,774	5,096
15—19	12,308	10,733	23,040	17,779	5,261
20—24	9,405	8,173	17,579	12,989	4,590
25—29	7,466	7,113	14,580	10,861	3,719
30—34	6,431	6,523	12,.955	9,810	3,144
35—39	6,401	6,155	12,556	9,524	3,033
40—44	5,395	4,836	10,231	7,685	2,546
45—49	4,382	4,068	8,450	6,278	2,172
50—54	3,572	3,015	6,587	4,913	1,674
55—59	2,626	2,838	5,464	4,167	1,298
60—64	2,969	2,736	5,705	4,555	1,150
65—69	1,958	1,881	3,840	3,117	723
70—74	1,535	1,297	2,832	2,318	515
75—79	639	611	1250	1008	242
80+	936	877	1,812	1,448	364
आयु नहीं बताई	866	756	1,622	1,172	450

स्रोतः भारत की जनगणना

साक्षर ाा प्रा िश ा

वर्ा 2011 की जनगणना के अनुसार उ ार प्रदेश में साक्षरों की संख्या 1144 लाख है जिनमें 682 लाख पुरु ा तथा 462 लाख महिला साक्षर ह तथा प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत 67.7 है जो भारत के संगत अवधि के साक्षरता प्रतिशत 73.0 से कम है जबकि वर्ा 2001 में यह प्रतिशत 56.3 था जो भारत के संगत अवधि में साक्षरता प्रतिशत 64.8 से कम था

उत्तर प्रदेश में ािकलांग यक्तियों की जनसंख्या

वर्ा 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में 4157514 कुल विकलांग व्यकि ह जिसमें 763988 िहीनता, 266586 मूक, 1027835 बहरापन, 677713 गति, 76603 मानसिक, 181342

मानसिक मंदता, 946436 अन्य एवं 217011 बहु विकलांगता की श्रेणी में आते है प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों का कुल जनसंख्या का प्रतिशत 2.08 है

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या (1998.12 लाख) में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या क्रमश 413.58 लाख एवं 11.34 लाख थी जो कुल जनसंख्या की क्रमश 20.7 प्रतिशत तथा 0.6 प्रतिशत थी जबकि इसी अवधि में भारत में यह प्रतिशत क्रमश 16.6 एवं 8.6 था

उत्तर प्रदेश में प्रमुख धर्मानुसार जनसंख्या

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में 1593.1 लाख (79.7 प्रतिशत) हिन्दू, 384.8 लाख (19.3 प्रतिशत) मुस्लिम, 3.6 लाख (0.2 प्रतिशत) ईसाई, 6.4 लाख (0.3 प्रतिशत) सिक्ख, 2.1 लाख (0.1 प्रतिशत) बौद्ध, 2.1 लाख (0.1 प्रतिशत) जैन एवं 6.0 लाख (0.3 प्रतिशत) अन्य एवं अवर्णित धर्म के व्यक्ति निवास करते ह

उतर प्रदेश तथा भारत में प्रमुख धर्मानुसार की जनसंख्या, 2011

	प्रमुख धार्मिक सम्प्रदाय	जनसंख्या (लाख)			कुल जनसंख्या से प्रतिशत	
		उ.प्र.		भारत	उ.प्र.	भारत
		कुल	नगरीय			
	1	2	3	4	5	6
1.	हिन्दु	1593.1	293.7	9662.6	79.7	79.8
2.	मुस्लिम	384.8	143.3	1722.5	19.3	14.2
3.	ईसाई	3.6	1.7	278.2	0.2	2.3
4.	सिक्ख	6.4	2.1	208.3	0.3	1.7
5.	बौद्ध	2.1	0.3	84.4	0.1	0.7
6.	जैन	2.1	1.8	44.5	0.1	0.4
7.	अन्य तथा अवर्णित धर्म	6.0	2.0	108.1	0.3	0.9
	कुल जनसंख्या	1998.1	445.0	12108.5	100.0	100.0

स्रोतः भारत की जनगणना,

जन्म दर, मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर

एम.आर.एस. बुलेटिन भारत सरकार के अनुसार प्रदेश में वर्ष 2020 में प्रति हजार पर जन्म दर, मत्यु दर तथा शिशु मत्यु दर क्रमश 25.1, 6.5 तथा 38.0 रही। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2020 में उक्त संख्या क्रमशः 19.5, 6.0 तथा 28.0 रही।

प्रदेश के म त्त्ा ाण ाथ्या मक आक`

• क्षेत्रफल	-	240928 वर्ग किमी0
• जिलों की संख्या	-	75
• मण्डलों की संख्या	-	18
• कुल जनसंख्या (व ा 2011)	-	199812341
पुरु ा	-	104480510
महिला	-	95331831
• 2001-2011 में जनसंख्या में दशकीय प्रतिशत वद्धि दर	-	20.23
• नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत अंश (2011)	-	22.26
• जनसंख्या ानत्व	-	829
• लिंगानुपात	-	912:1000
• साक्षरता दर 7 व ा व अधिक की जनसंख्या के लिए (2011)		
कुल	-	67.7 प्रतिशत
पुरु ा	-	77.3 प्रतिशत
महिला	-	57.2 प्रतिशत
• कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की संख्या (2011)	-	20.7 प्रतिशत
• कुल जनसंख्या में अनुसूचित जन जाति की संख्या (2011)	-	0.57 प्रतिशत
• कुल जनसंख्या में 15–59 आयुवर्ग-संख्या (2011)		55.77 प्रतिशत
• कुल जनसंख्या में मुख्य कर्मकर (2011)	-	22.30 प्रतिशत
• कुल आबाद ग्रामों में विद्युतीकृत ग्रामों का प्रतिशत (2019–20)	-	100.00 प्रतिशत

सामाजिक स्थिति

उत्तर प्रदेश-2025

र्वाधिक व न्यनत ा ान ख्या वाले 5 ानप -20 (ान ख्या ार ों)

	अ ाक ाम			न्यन ाम	
क्र सं	जन ाद	कुल जनसंख्या	क्र सं	जन ाद	कुल जनसंख्या
1	प्रयागराज	5954	1	महोबा	876
2	आजमगढ़	4614	2	चित्रकूट	992
3	लखनऊ	4589	3	हमीरपुर	1104
4	कानपुर नगर	4581	4	श्रावस्ती	1117
5	जौनपुर	4494	5	ललितपुर	1222

स ाा िक ा न्यन ाम क्षेत्र फल ाले 5 जन ाद-2011

	अ ाक ाम			न्यन ाम	
क्र सं	जन ाद	क्षेत्र फल (ाग किमी)	क्र सं	जन ाद	क्षेत्र फल (ाग किमी)
1	खीरी	7680	1	हापुड़	660
2	सोनभद्र	6905	2	गाजियाबाद	910
3	हरदोई	5986	3	भदोही	1015
4	सीतापुर	5743	4	शामली	1212
5	प्रयागराज	5482	5	गौतमबुद्ध नगर	1282

स ाा िक ा न्यन ाम जनसंख्या ान ा ाले 5 जन ाद-2011

	अ ाक ाम			न्यन ाम	
क्र सं	जन ाद	जनसंख्या ान ा (यक्ति ाग किमी)	क्र सं	जन ाद	जनसंख्या ान ा (यक्ति ाग किमी)
1	गाजियाबाद	3674	1	ललितपुर	242
2	वाराणसी	2395	2	सोनभद्र	270
3	लखनऊ	1816	3	हमीरपुर	275
4	संत रविदास नगर	1555	4	महोबा	279
5	कानपुर नगर	1452	5	चित्रकूट	308

स ाा िक ा न्यन ाम दशकीय ाि दर ाले 5 जन ाद-2011

	अ ाि क ाम			न्यन ाम	
क्र सं	जन ाद	दशकीय ाि दर प्र ाि श ा	क्र सं	जन ाद	दशकीय ाि दर प्र ाि श ा
1	गौतमबुद्ध नगर	49.11	1	कानपुर नगर	9.92
2	गाजियाबाद	41.27	2	हमीरपुर	11.12
3	श्रावस्ती	30.54	3	बागपत	11.95
4	बहराइच	29.10	4	फतेहपुर	14.05
5	बलरामपुर	27.72	5	देवरिया	14.25

स ाा िक ा न्यन ाम लिंगानु ाा ा ाले 5 जन ाद-2011

	अ ाि क ाम			न्यन ाम	
क्र सं	जन ाद	लिंगानु ाा ा	क्र सं	जन ाद	लिंगानु ाा ा
1	जौनपुर	1024	1	महोबा	851
2	आजमगढ़	1019	2	चित्रकूट	861
3	देवरिया	1017	3	हमीरपुर	861
4	प्रतापगढ़	998	4	श्रावस्ती	862
5	सुल्तानपुर	983	5	ललितपुर	863

स ाा िक ा न्यन ाम साक्षर ाा ाले 5 जन ाद-2011

	अ ाि क ाम			न्यन ाम	
क्र सं	जन ाद	साक्षर ाा दर	क्र सं	जन ाद	साक्षर ाा दर
1	गौतमबुद्ध नगर	80.12	1	श्रावस्ती	46.74
2	कानपुर नगर	79.65	2	बहराइच	49.36
3	औरय्या	78.95	3	बलरामपुर	49.51
4	इटावा	78.41	4	बदायूँ	51.29
5	गाजियाबाद	78.07	5	रामपुर	53.34

स ाा िक ा न्यन ाम ु ा साक्षर ाा ाले 5 जन ाद-2011

	अ ाक ाम			न्यन ाम	
क्र सं	जन ाद	ु ा साक्षर ाा दर	क्र सं	जन ाद	ु ा साक्षर ाा दर
1	गौतमबुद्ध नगर	88.26	1	श्रावस्ती	57.16
2	औरय्या	86.11	2	बहराइच	58.34
3	इटावा	86.06	3	बलरामपुर	59.73
4	गाजियाबाद	85.42	4	बदायूँ	60.98
5	झाँसी	85.38	5	रामपुर	61.40

स ाा िक ा न्यन ाम म िला साक्षर ाा ाले 5 जन ाद-2011

	अ ाक ाम			न्यन ाम	
क्र सं	जन ाद	म िला साक्षर ाा दर	क्र सं	जन ाद	म िला साक्षर ाा दर
1	कानपुर नगर	75.05	1	श्रावस्ती	34.78
2	लखनऊ	71.54	2	बलरामपुर	38.43
3	गौतमबुद्ध नगर	70.82	3	बहराइच	39.18
4	औरय्या	70.61	4	बदायूँ	40.09
5	गाजियाबाद	69.79	5	रामपुर	44.44

●

नियोजन

प्रदेश के नियोजित विकास हेतु नियोजन प्रक्रिया को वै ानिक आधार के साथ प्रभावी एवं सु ढ़ बनाने तथा योजना निर्माण हेतु आधारभूत आँकड़ों की उपलब्धता सुनि ित करने के साथ ही अन्य तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराने के उ ेश्य से राज्य नियोजन संस्थान, उ ार प्रदेश का गठन किया गया प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ ार प्रदेश शासन इस संस्थान के पदेन अध्यक्ष ह व ा - में संस्थान के अन्तर्गत निम्न प्रभाग कार्यरत ह :-

. अर्थ एवं संख्या प्रभाग
. विकास अन्वे ाण एवं प्रयोग प्रभाग
. मूल्यांकन प्रभाग
. प्रशिक्षण प्रभाग
. क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग
. दी ाकालीन योजना प्रभाग
. जनशा ि नियोजन प्रभाग
. योजना अनुश्रवण एवं मूल्य प्रबन्धन प्रभाग
. प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग

संस्थान के उपर्यु ि प्रभागों में योजना निर्माण हेतु आधारभूत आँकड़ों का सं ाहण, विश्ले ाण, प्रकाशन एवं उपलब्धता सुनि ित कराने एवं प्रदेश की आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन एवं समीक्षा का मह वपूर्ण कार्य अर्थ एवं संख्या प्रभाग ारा किया जाता है प्रदेश में कार्यान्वित विकास कार्यक्रमों, योजनाओं के सामयिक मूल्यांकन का कार्य मुख्यतः मूल्यांकन प्रभाग ारा किया जाता है अ ागामी प्रयोगों ारा ामीण विकास के शोध एवं अध्ययन का कार्य विकास अन्वे ाण एवं प्रयोग प्रभाग ारा किया जाता है प्रयोगों ारा विभिन्न क्षेत्रीय परिस्थितियों में नये विकास कार्यक्रमों की सम्भाव्यता आदि का परीक्षण भी किया जाता है संस्थान के प्रशिक्षण प्रभाग ारा नियोजन प्रक्रिया, प्रायोजना रचना तथा विकास योजनाओं के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन सम्बन्धी तथा विभिन्न विकास विभागों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की दक्षता में अभिवद्धि करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है प्रदेश की अन्तक्षत्रीय वि ामताओं का अध्ययन एवं विशे ा क्षेत्रीय योजनाएं तैयार करने का कार्य क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग ारा किया जाता है प्रदेश में जनशा ि सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं का अध्ययन एवं विश्ले ाण कार्य जनशा ि नियोजन प्रभाग ारा तथा दी ाकालीन योजनाओं हेतु अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन एवं विश्ले ाण तथा दी ाकालीन योजना की संरचना का कार्य दी ाकालीन योजना प्रभाग ारा किया जाता है

प्रदेश के विभिन्न विभागों एवं निगमों की चयनित वहद् परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों का

अनुश्रवण एवं परियोजनाओं की लागत प्रबन्धन सम्बन्धी कार्य योजना अनुश्रवण एवं मूल्य प्रबन्धन प्रभाग ारा किया जाता है प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग ारा विभिन्न विकास परियोजनाओं को वि ीय सहायता, तकनीकी सम्भाव्यता तथा आर्थिक एवं सामाजिक लाभप्रदता के परीक्षण का कार्य किया जाता है तथा विभिन्न उच्च स्तरीय समितियों के माध्यम से प्रदेश में विनियोजन हेतु परियोजनाओं का अनुमोदन कराया जाता है

अथ ां संख्या प्रभाग

उ ार प्रदेश में आँकड़ों को व्यवस्थित प से एकत्रित करने, संकलित करने एवं शासन को उपलब्ध कराने की ि से इस प्रभाग की स्थापना व ा में ब्यूरो आफ स्टैटिस्टिक्स् एण्ड इकोनामिक रिसर्च नाम से की गयी थी बीच में अनेक बार इस विभाग को पुनर्गठित किया गया व ा में आर्थिक सलाहकार एवं निदेशक का पद सजित कर इसे एक सम्पूर्ण विभाग का स्व प प्रदान किया गया व ा में इस विभाग को अर्थ एवं संख्या निदेशालय के प में परिवर्तित कर दिया गया व ा में नियोजन विभाग के अन्तर्गत राज्य नियोजन संस्थान की स्थापना के साथ ही विभाग को अर्थ एवं संख्या प्रभाग नाम दिया गया

प्रभाग की स्था ाना का मुख्य उ ेश्यः-

. प्रदेश की अर्थव्यवस्था की नियमित समीक्षा करना तथा उसके नि क ाा से राज्य सरकार को अवगत कराना एवं परामर्श देना

. प्रदेश के आर्थिक नियोजन हेतु विभिन्न आर्थिक एवं सामाजिक वि ायों पर आँकड़ों का एकत्रीकरण, प्रशोधन, विश्ले ाण एवं प्रकाशन

. राज्य सरकार की नियोजन प्रक्रिया में वांि त सहयोग देना

. केन्द्र तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को उनकी आवश्यकतानुसार आँकड़ों की आपूर्ति करना

. राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के सांख्यिकीय काया में सामन्जस्य स्थापित करना तथा व्यवस्थित एवं तार्किक आधार पर सांख्यिकीय काया को समुचित दिशा प्रदान करना

. विकास कार्यक्रमों की प्रगति का संकलन, सत्यापन एवं अनुश्रवण कार्य में सहयोग देना

. जिला योजनाओं की संरचना एवं अनुश्रवण

आथिक समीक्षा -

प्रदेश की अर्थव्यवस्था की नियमित समीक्षा के उ ेश्य से निम्नलिखित कार्य स पादित किये जाते हैं

. राज्य आय अनुमान

. सकल स्थायी पूँजी निर्माण

. जिला ारेलू ाु उत्पाद

. उ.प्र. के आय-व्ययक का आर्थिक एवं कायात्मक वगाकरण

. उ.प्र. की आर्थिक समीक्षा

. मण्डलीय समाजार्थिक समीक्षायें

. जनपदीय समाजार्थिक समीक्षायें

. विकास खण्ड स्तरीय समाजार्थिक समीक्षायें

. जिलेवार विकास संकेतक त्तर प्रदे ा

पयु त नियमित कार्यों के अतिरि त समय समय पर ाासन की आव यकतानुसार प्रदे ा की आ िक ि ाति पर आव यक स नाएँ आ याएँ पल ा करा जाती हैं।

ा ों ा ी रा -

प्रदे ा के आ िक नियोजन हेतु वि िन्न आ िक वं सामाजिक वि ायों पर प्रा ामिक आकड़े क करने के ददे य से नि नलि ात सवेक्षण आकड़े क कराये जाते हैं

रा ीय प्रतिद ा सवेक्षण

वा िक ोग सवेक्षण

औ ोगिक त्पादन स कांक स बन् ाी आकड़े

ाव संग्रह

मजदरी की दरें

ाानीय निकायों का आय यय वगीकरण स बन् ाी काय

ाानीय निकायों के आय ययक का आ िक वं काय स बन् ाी वगीकरण

ाारत सरकार के लि आकड़ों का संग्रह

क वि िन्न ाव संग्रह योजना के अन्तगत सा ताहिक ु कर ाव वं ाोक ाव।

ा आवास सा ियकीय के अन्तगत ावन निमाण स बन् ाी आकड़े।

ग ि तीयक आकड़ों का संग्रह अनुरक्षण वं प्रका ान।

सवेक्षणों के मा यम से आकड़ों के क ीकरण के अतिरि त वि िन्न वि ाागों वं सं ाानों से ि तीयक आकड़े क कर नका अनुरक्षण त ाा वि ले ाण करके न्हें प्रका ित करने का काय ाी किया जाता है।

ाकास अन् ो ाण ां प्रयोग प्रभाग

विकास अन्वे ाण एवं प्रयोग प्रभाग की स्थापना व ा में हुई थी इस प्रभाग ारा ाामीण क्षेत्रों की समस्याओं को चिन्हित करके, क्रियात्मक शोध पद्धति ान रिस ारा सीमित क्षे में पायलट प्रोजेक्ट सं ालित करके कायक्रमों के माडल विकसित कर स ल माडल कायक्रमों के रै लीके ान हेतु स बन् ाित कायकारी वि ाागों को तकनीकी का ह तान्तरण किया जाता रहा है।

विकास स बन् ाी नीतियों कायक्रमों त ाा जन सामान्य के सा ा विकास कम ारियों के स बन् ाों का अ ययन वि ले ाण त ाा म यांकन करना।

ुने हु क्षे ों त ाा नियं ित परि ाितियों में अग्रगामी प्रयोगों ारा नये वि ारों और कायप्रणालियों की ाोज त ाा परीक्षण करना।

ाारत अ ावा वि व में अन्य प्र लित वि ारों और काय प्रणालियों का अ ययन त ाा परीक्षण करना वं प्रदे ा में अपनाने के लिये नमें आव यक परिवतन वं सं ाो ान करना।

वि ा योजनाओं त ाा कायक्रमों का स ददे य से म यांकन वं तुलनात्मक अ ययन करना जिसमें गुण वं दो ा का पता लग सके और यह ात हो सके कि नकी कायप्रणाली में किस प्रकार परिवतन

और सु ार किया जा सकता है।

प्रसार कायकताओं के लि वि ार गोठियों स मेलनों त ा अ पकालीन प्रि क्षण िविरों का आयोजन वं सं ालन करना।

प्रगति रिपो स पु तिकाओं त ा अन्य साहित्य ारा अपने अ ययन परीक्षण और म यांकन के परिणामों की जानकारी जनता और विकास कायकताओं तक पहु ाना।

सरकारी त ा गैर सरकारी विकास कायकताओं से ला ा के लि प्र ाग के काय क्षे के अन्तगत आने वाले स ी वि ायों से स बन्ि त पु तकों का क पु तकालय ापित करना।

मल्यांकन ाभाग

उ ार प्रदेश में मूल्यांकन संगठन की स्थापना कार्यकारी दल की संस्तुतियों के आधार पर व ा में की गयी थी इस प्रदेश में मूल्यांकन संगठन स्थापित करने में कार्यकारी दल की संस्तुतियों का पूर्ण पेण अनुसरण किया गया है मूल्यांकन संगठन की नीति एवं कार्यक्रमों के निर्धारण तथा मूल्यांकन अध्ययनों के सफल संचालन हेतु राज्य सरकार ारा एक उच्चस्तरीय राज्य मूल्यांकन सलाहकार परि ाद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित की गयी थी, ताकि मूल्यांकन सलाहकार परि ाद मूल्यांकन सम्बन्धी कार्य का प्रभावकारी ढंग से सम्पादन कर सके तत्पश्चात् व ा से मूल्यांकन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ.प्र. की ापना के ल व ा क प्र ाग के प में ापित है।

ाभाग का काय -

प्रदेश के विकास में मूल्यांकन की अहम भूमिका है योजनाएं अपने उद्देश्यों की पूर्ति में किस हद तक सफल रही ह, योजनाओं का क्रियान्वयन शासन ारा निर्गत शासनादेशों दिशा निर्देशों के अनु प हो रहा है अथवा नहीं एवं योजनाओं के अन्तर्गत सम्पादित कार्यों की वास्तविक स्थिति क्या है, आदि को ात करने के उद्देश्य से मूल्यांकन दल ारा चयनित जनपदों में जाकर लाभान्वितों से साक्षात्कार कर आवश्यक तथ्य संकलित किये जाते ह साथ ही जनप्रतिनिधियों, ला ाियों एवं सम्बन्धित राज्य जनपद स्तरीय अधिकारियों कर्मचारियों से ैतिक स ना ं प्रा त करने के सा ा ही विचार विमर्श कर योजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जाती है उपरोक्त समस्त तथ्यों का समावेश करते हुए अध्ययन प्रतिवेदन को अन्तिम प प्रदान किया जाता है अध्ययन प्रतिवेदन में मूल्यांकनोपरान्त प्राप्त नि क ाों के आधार पर योजना को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु सुझाव संस्तुतियाँ की जाती ह

ाशिक्षण ाभाग

प्रशिक्षण प्रभाग की स्थापना व ा में एक स्वतंत्र इकाई के प में प्रि क्षण प्र ाग राज्य नियोजन संस्थान उ ार प्रदेश के अन्तर्गत की गयी थी प्र ाग में त्तर प्रदे ा सरकार की सेवाओं के क वं ा वग के अि कारियों हेतु नियोजन की आ ुनिक प्रक्रिया वं प्रायोजना प्रब ान आदि वि ायों पर न सविस प्रि क्षण कायक्रम आयोजित किये जाते हैं। सके अतिरि त अ ा वं सं या प्र ाग के नवनियु त अि कारियों कम ारियों के लि आ ार ात प्रि क्षण कायक्रमों का ी आयोजन किया जाता है।

प्रि क्षण प्र ाग का मु य ददे य नियोजन प्रयासों में वृ ि करने हेतु क न काय सं कृति त ा वातावरण बनाने के सा ा सा ा आ ुनिकतम नियोजन की तकनीकों वं प्रक्रियाओं के प्रति

जाग कता लाना विि ान्न विकास वि ाागों के अि ाकारियों हेतु प्रि ाक्षण कायक्रम की परिक पना तैयार करना कायक्रम आयोजित वं सं ालित करना जिससे नियोजन प्रक्रिया विकास वं प्रका ान के क्रियान्वयन हेतु नके ान और काय कु ालता में वृि ला जाये। सं ाान ारा आयोजित प्रि ाक्षण कायक्रमों के मा यम से यह प्रयास किया जाता है कि प्रि ाक्षणा ाी अि ाकारियों में काय के प्रति आ ार यवहार परिवतन दक्षता अि ाप्रेरणा वं संगठनात्मक ौली का बो ा हो। प्रि ाक्षण प्र ााग के नि नलिि ात ददे य हैं

. विभिन्न विकास विभागों के अधिकारियों की कार्यदक्षता में वृद्धि के लिये उनमें ज्ञान, कौशल एवं कार्य व्यवहार में परिवर्तन लाना।

. विभिन्न विकास विभागों के अधिकारियों को विकास एवं नियोजन प्रक्रिया से सम्बन्धित सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करना।

. राज्य नियोजन संस्थान एवं स्टेट ट्रान्सफॉरमेशन कमीशन के नवनियुक्त अधिकारियों को आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

. विकास प्रशासन के विभिन्न पहलुओं पर राज्य सरकार के विभिन्न विकास विभागों के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना।

. अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ.प्र. लखनऊ के कार्मिकों हेतु पुनः बोधात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम।

क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग

प्रदेश में संतुलित सामाजिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उ ेश्य से राज्य नियोजन संस्थान, उ ार प्रदेश के अन्तर्गत क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग की स्थापना व ाि में की गयी इस प्रभाग का मुख्य कार्य प्रदेश में अन्तर्सम्भागीय एवं अन्तर्क्षेत्रीय विषमताओं को अभिज्ञानित करने एवं उन्हें दूर करने हेतु अध्ययनों के माध्यम से सुझाव प्रदान करना है। वर्तमान में प्रभाग द्वारा निम्न कार्य-कलाप किये जा रहे हैं:-

- त्तर प्रदे ा सरकार ारा प्रदे ा के पवी स ाग के सवांगीण विकास को गति प्रदान करने के लि पवां ल विकास बोड का गठन नियोजन अनु ााग से ाासनादे ा दिनांक ारा किया गया है। त कायालय ाप के अनुसार क्षे ीय नियोजन प्र ााग राज्य नियोजन सं ाान स बोड के सि ावालय के प में सम त तकनीकी वं अि ाठान स बन ाी काय स पादित कर रहा है।
- प्रदे ा के पवा ल क्षे के वि ान्न वि ववि ालयों के ि ाक्षाविदों के सहयोग से नि नलिि ात से रों वि ायों हेतु महत्वपण सु ाव तैयार कराये जाना
    - प्रदे ा के पवा ल क्षे में जल की बहुलता के परिप्रेक्ष्य में मत य पालन की स ाावनाओं का पण पेण पयोग कराना।
    - प्रदे ा के पवा ल क्षे के कृ ाकों की ोती को प ाुपालन मुगीपालन त ाा डेयरी से जोड़कर नकी आय में वृि कराना।
    - प्रदे ा के पवा ल क्षे के कृ ाकों को नवीन तकनीकों के पयोग हेतु प्रोत्साहित करना।

- विि ान्‍न स बन्‍ि ात वि ाागों से समन्‍वय कर प्रदे ा के पवान्‍ ल क्षे में ग्राम तर तक गोदामों की पल ाता कराना।

- प्रदे ा के सीमावती जनपदों के विकास से स बन्‍ि ात काययोजना तैयार कराने में नोडल वि ााग के प में निरन्‍तर वि ाागों से समन्‍वय करके े स रिपो गृह वि ााग वं स बन्‍ि ात वि ाागों को प्रेि ात करना।

- बुन्‍देल ाण्‍ड ान लान से स बन्‍ि ात प में अंकित बिन्‍दुओं पर स बन्‍ि ात वि ाागों से समन्‍वय कर े स रिपो तैयार कर प्रेि ात करना।

दी ाकालीन योजना प्रभाग

राज्‍य नियोजन सं ाान प्र के अन्‍तगत दी ाकालीन योजना प्र ााग की ाापना व ा में की गयी ाी।

ेश ं ा ला

प्रभाग का मुख्‍य उ ेश्‍य राज्‍य अर्थव्‍यवस्‍था के सवागीण विकास हेतु एक उपयु ि दी ाकालीन परिप्रेक्ष्‍य तैयार करना है, जिसकी प भूमि में ल ाु अवधीय विकास की प्राथमिकतायें तथा उसका स्‍व प निर्धारित किया जा सके इस उ ेश्‍य के अनु प रा ाीय विकास परिप्रेक्ष्‍य से तालमेल स्‍थापित करते हुए प्रदेश की क्षेत्रकीय एवं सम ा (सेक्‍टोरल एण्‍ड ओवर आल) अर्थव्‍यवस्‍था हेतु अपेक्षित वद्धि दर, आवश्‍यक विनियोग एवं योजना परिव्‍यय, सम्‍भावित रोज़गार सजन एवं गरीबी उन्‍मूलन आदि के अनुमान तैयार करना प्रभाग की सहवता प्रतिबद्धतायें ह इन्‍हा उ ेश्‍यों एवं अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु सम ा अर्थव्‍यवस्‍था एवं उसके विभिन्न क्षेत्रकों के प्रमुख बैरियबुल्‍स (उत्‍पादन, उपभोग, विनियोग, बचत आदि) की संरचना तथा कतिपय विशि पैरामीटर्स पहलुओं (श्रम-उत्‍पादन, अनुपात, पूँजी-उत्‍पादन अनुपात, विकास-रणनीति आदि) से सम्‍बन्धित बहुआयामी अध्‍ययनों का सतत् सम्‍पादन प्रभाग का मह वपूर्ण कार्य है

अ ातित्‍व में आने के प ात योजना संर ना में या त तद ाता पर पण विराम लगाना प्र ााग के समक्ष प्रमु ा काय ाा। प्रदे ा के विकास का क संतुलित दी ाकालीन परिप्रेक्ष्‍य तैयार करने के लिये प्र ााग ने बहुआयामी वं यापक अ ययन स पादित कर पयु त महत्‍वपण पहलुओं से संबंि ात रि तता को ारने का प्रयास किया गया। स पण अ ा यव ाा की मल संर ना का अ ययन करने हेतु प्र ााग ने नि नलिि ात प्रकार के अ ययन स पादित किये हैं

क संर नात्‍मक वं पैरामीि ाक अ ययन
ा योजना परिप्रेक्ष्‍य वि ायक अ ययन
ग क्षे कीय अ ययन
ा विवि ा अ ययन

स ाि ासल स ाी ाी

सित बर यना ेड नेांस य न में आयोजित ेतिहासिक संयु त रा ाि ाि ार स मेलन में ाारत सहित वि व के दे ाों के रा ा यक्षों ारा सतत विकास लक्ष्‍य जेण्‍डा अपनाया गया जो दिनांक जनवरी से अ ाि ाकारिक प से लाग हुआ।

जनशकि ा नियोजन प्रभाग

जनश ाि नियोजन प्रभाग की स्‍थापना व ा में राज्‍य नियोजन संस्‍थान की स्‍थापना के साथ

की गयी थी इसका कार्य ऐसे अध्ययनों को करना है जिनसे प्रदेश की विभिन्न विकास योजनाओं के सफल कार्यान्वयन हेतु तकनीकी एवं व्यवसायिक कार्मिकों की उपलब्धता समय से एवं आवश्यकतानुसार सुनि ित हो सके तथा बेरोज़गारी की समस्या को कम करने हेतु सुझाव दिये जा सकें साथ ही शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थाओं में आवश्यक सुधार लाकर उन्हें अधिक उपयोगी बनाने तथा उपलब्ध जनश ि का विकास काया में अधिकाधिक उपयोग सुनि ित कर मानव संसाधन विकास में योगदान प्रदान करना है प्रभाग ारा किये गये अध्ययनों को निम्नलिखित चार श्रेणियों में वगाकत किया जा सकता है

. मह वपूर्ण श्रेणी के तकनीकी कार्मिकों का स्टाक तथा मांग एवं पूर्ति का आंकलन
. विभिन्न ाोतों से उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर प्रदेश की जनश ि का आंकलन, रोज़गार एवं बेरोज़गारी की स्थिति तथा इनमें हो रहे परिवर्तनों का तुलनात्मक अध्ययन
. विकास कार्यक्रमों का रोज़गार के ि कोण से विश्ले ाण तथा रोज़गारपरक योजनाओं का लाभार्थियों की आय एवं रोज़गार पर प्रभाव
. प्रदेश में प्रशिक्षण संस्थाओं की उपयु ता तथा प्रशिक्षित जनश ि का उपयोग

योजना अनु ाण ां मल्य प्र ान ान प्रभाग

नियोजन विभाग के अन्तर्गत योजना अनुश्रवण एवं मूल्य प्रबन्धन प्रभाग का सजन मई, में इस उ ेश्य से किया गया था कि यह प्रभाग प्रदेश के विभिन्न विभागों ारा क्रियान्वित की जाने वाली परियोजनाओं की प्रगति पर ि रखेगा तथा उनके क्रियान्वयन में आने वाले अवरोधों, समस्या ास्त क्षेत्रों तथा कमियों के सम्बन्ध में शासन को नियमित प से अवगत करायेगा सा ा ही प्र ाग ारा परियोजनाओं के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा नके नि ारित लक्ष्यानुसार पण न हो पाने के कारण ावि य में स ावित अवरो ों की जानकारी त ा लागत वं समयवृ पर अंकु ा के सा ा ही सी म आ स पो ल पर दज परियोजनाओं की नियमित प से समीक्षा आहत कर ासन वं प्रबन् न को अनु वण ि पणी के मा यम से नियमित प से अवगत कराया जा रहा है।

यह प्र ाग अपने ददे यों के अनु प सीमित सा ानों वं ा का पयोग करते हुये तत्परता से अपेक्षानुसार अपने त्तरदायित्वों का निवहन कर रहा है।

प्रायोजना र ाना ां मल्यांकन प्रभाग

प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग का गठन राज्य नियोजन संस्थान, उ ार प्रदेश के स पण ढां े के अन्तगत ाासनादे ा दिनांक . . ारा किया गया प्र ाग के सृजन का मु य ददे य प्रदेश की विभिन्न विकास प्रायोजनाओं हेतु पूँजी विनियोग के प्रस्तावों की वित ीय सहायता, तकनीकी सम्भाव्यता तथा आर्थिक एवं सामाजिक लाभप्रदता का मूल्यांकन करना है परन्तु समय के सा ा बदलते परिवे ा वं काय की आव यकता के अनुसार वि ा वि ाग के कायालय ाप दिनांक के अनुसार वि ान्न विकास वि ागों से प्रा त प्रायोजना प्र तावों आगणनों का परीक्षण किया जाता है।

प्रभाग का काय क्षेत्र

- यय वि ा समिति सचिवालय।
- पी.आई.बी. सचिवालय।

●

वित्त

ि ी ोना ं संसा ान नि ेशाल ि ि ाा र ेश

न

- संसा ान ाण्ड वित्त वि ााग के अन्तगत दिनांक रवरी को निदे ाालय का गठन किया गया।

न ा ेश

- वित्त संसा ान ाण्ड के अ ाीन स पादित किये जाने वाले तकनीकी प्रकृति के कार्यों की निरन्तरता बनाये र ाने के लिये स िवालय तर पर अलग से ेसी सं ाा बनाये जाने की आव यकता महसस की ग जिसके ारा ाासन का काय निबा ा प से किया जा सके।

ा ी ि

- निदे ाालय ारा किये जाने वाले कार्यों को मु य प से तीन ेणियों में वि ा त किया जा सकता है।

  ाासन के वित्त वि ााग के अ ाीन अनु ाागों य ाा वित्त संसा ान सामान्य अनु ााग वित्त संसा ान वित्त आयोग त ाा केन्द्रीय सहायता अनु ााग के तकनीकी दृ िकोण के कार्यों को स पादित किया जाना।

  ाासन ारा समय समय पर सौंपे गये वि ाि प्रकृति के काय।

  निदे ाालय ारा अपने तर पर तकनीकी वि ले ाण ले ाा वं अ िा ठान स बन् ाी काय

ि ी सां ी नि ेशाल र ेश
ा सं ा ा र ा न ल ान

वित्तीय सां यकीय निदे ाालय प्र पुराना नाम ले ानिक आ ाार सामग्री वि ाायन केन्द्र प्र की ाापना त्तर प्रदे ा सरकार के वित्त वि ााग के अ ाीन वि ााग ाा यक्ष कायालय के प में व ा में हु ाी। वित्तीय सां यकी निदे ाालय प्र का प्रमु ा काय प्रदे ा के सम त को ाागारों से आय वं यय के आकड़ों को प्रतिमाह क किया जाना हैं क कि ग आकड़ों को वि ाायनित करके ाासन की अपेक्षानुसार आ पु स तैयार किये जाते हैं जिनका पयोग ाासन तर पर महत्वपण नीतियों योजनाओं के क्रियान्वयन में होता है। निदे ाालय ारा यय वं प्रा ातियों के आंकड़ों की ल ाु ले ाा ाी ाकवार वि तृत ले ाा ाी ाकवार प्रा ामिक का वार योजनावार और आहरण वितरण अ िाकारीवार वि ाा ित किया जाता है। निदे ाालय ारा तैयार किये गये

आंकड़ों का प्रयोग वित्त वि ाग ारा यय नियं ण वं पल ा ानरा ि का बेहतर प्रयोग करने में किया जाता है। े नालाजी में परिवतन के आ ाार पर वतमान में यह निदे ाालय पेमे ण रिसी त ाा आनला न बिलों के प्र तुतीकरण जैसे को ाागार के क य रा जे ान के काय कर रहा है।

म ा ा ो ना

वित्तीय सां यकी निदे ाालय प्र की ाापना नि नलि ाित कार्यों के लि हु है

को ाागारों के ले ाा काय के ार को ासकीय आ ाार सामग्री वि ाायन केन्द्र पर केन्द्रीय यन् ीकरण ारा कम करना।

ाारत के नियं क महाले ाा परीक्षक महाले ााकार त्तर प्रदे ा और वित्त वि ााग त्तर प्रदे ा ाासन ारा को ाागारों के ले ाों पर जारी किये निदे ाों और कायवि ाि स बन् ाी आदे ाों पर को ाागारों की अ ावि ाक माग द ान करके को ाागारों के ले ाों में सु ाार करना और दुवगीकरण को कम करना

को ाा ाकारियों और को ाागारों के ा को ाारत के नियं क महाले ाा परीक्षक की ले ाा ाी ाक प्रणाली और प्रदे ा ाासन के वित्त वि ााग के वा ाक आय ययक ले ाा ाी ाकों की योजना से ाली ाांति परि ाित कराना और नके अनुपालन के लिये प्रेरित करना ताकि को ाागार ले ाों में परो त प्रा ाकारियों के वतमान ाायी आदे ाों के अनुसार आयोजनेत्तर और आयोजनागत यय के आकड़ों को प त अलग अलग दि ााया जाये और सके यय को आगे ल ु ले ाा ाी ाकवार वि तृत ले ाा ाी ाकवार प्रा ामिक का वार योजनावार और आहरण वितरण अ ाकारीवार वि ाा ित ाी किया जा सकें।

को ाागारों और ेक जारी करने वाले वतमान में आनला न पेमेन् करने वाले वि ाागों से वा तविक प्रा ति व यय के आंकड़े प्रा त करके ाासन को पल ा कराना ताकि वित्त वि ााग बेहतर यय नियं ण और पल ा ानरा ि को बेहतर प्रयोग कर सकें।

बज अनुमानों के मौलिक आंकड़ों को तैयार करना।

अन्य वि ाागों जैसा ि ाक्षा पुलिस परिवहन आदि के आ ाार सामग्री वि ाायन काय को करना।

ि ी ा के लि प्र तावित योजना

प्रदे ा के सम त को ाागारों से आय वं यय के आंकड़ों को संकलित करना संकलित आंकड़ों को ाासन के अनु प ाही गयी स नाओं को समयब ढंग से प्र तुत करना निदे ाालय का प्रमु ा ददे य है।

रा टी नि ेशाल र ेश
ि ास ी ा न ि ी ल टेशन रो ल ान

रा टी ा इ ि ास

रा ीय ब त निदे ाालय त्तर प्रदे ा का गठन व ा में किया गया है रा ीय

ब त का मु य ददे य नागरिकों में ब त की आदत को बढ़ावा देना है। ाासन तर पर अपर मु य सि व वित्त प्र ाासन रा ीय ब त वि ााग के निदे ाक वं वि ो ा सि व वित्त प्र ाासन वि ााग के अपर निदे ाक हैं।

रा ीय ब त योजनाओं की वि ान्न प्रति ातियों में ानरा ा निवे ात कराने हेतु जनपद तर पर ाापित कायालयों ारा अ ाकृत अ ाकताओं वं महिला प्र ाान अ ाकताओं की नियु ि त वं नवीनीकरण का काय किया जाता है। न योजनाओं में निवे ात ानरा ा अ ाकां ातया न्हीं अ ाकताओं के मा यम से जमा होती है।

ि ाा ी म ा ा े नाें

ाासन के निदे ाानुसार प्रदे ा को रा ीय ब त योजना का ु जमा ानरा ा का वा ाक लक्ष्य नि ाारित किया जाता है तदोपरान्त त लक्ष्य का वि ााजन प्रदे ा के जनपदों के म य वि ााजित कर दिया जाता है। प्रत्येक मंडल के अंतगत आने वाले जनपदों के लक्ष्य का योग मंडल का लक्ष्य होता है। जनपद तर पर जिला ाकारी के नियं ण निदे ान में सहायक निदे ाक ब त जिला अ ाकारी ारा जनपद के अ ाकारियों ब त अ ाकताओं ारा जन सामान्य से संपक ाापित कराकर ानरा ा निवे ा करा जाती है वं मंडल तर पर आयु त के नियं ण निदे ान में प निदे ाक रा ीय ब त ारा रा ीय ब त योजना की प्रगति की समीक्षा करा जाती है।

डाकवि ााग में ानरा ा निवे ा कराये जाने के स ब ा में आने वाली सम याओं को निराकरण य ाासं ाव डाक वि ााग के अ ाकारियों को संपक कर जिला डाक समन्वय समिति वं मंडल तर पर मंडलीय डाक समन्वय समितियों के मा यम से त ाा सहायक निदे ाकों ारा अ ाकताओं के सा ा हु बैठकों ारा किया जाता है।

रा टी ी ि ी ा ी लि ा ां

रा ीय ब त योजनान्तगत वित्तीय व ा हेतु प्रदे ा का ु जमा का वा ाक लक्ष्य पये करोड़ नि ाारित किया गया ाा जिसके सापेक्ष माह मा तक करोड़ ु जमा कराते हु प्रति ात की पल ा अजित की गयी है।

रा टी ी ि ी ा े लि े ा ि े नाें

रा ीय ब त निदे ाालय ारा अपनी को परियोजना सं ाालित नहीं है। ाारत सरकार ारा रा ीय ब त की वि ान्न प्रति ातियां प्र लन में हैं न प्रति ातियों की याज दरें प्रत्येक तिमाही से केन्द्र सरकार ारा ाो ात की जाती हैं। वतमान में प्र लित प्रति ातियों में निवे ा डाक ारों के मा यम से वं कु प्रति ातियों से डाक ारों के सा ा ही सा ा ाारतीय े बैंक त ाा अन्य रा ीयकृत बैंकों की ाा ााओं के मा यम से ानरा ा निवे ात की जाती है।

ि ाा ी नीि

रा ीय ब त की योजना ग्रामीण अं लों व नगरीय अं लों में जन सामान्य में ान निवे ात कराकर ब त की आदत को बढ़ावा देना है जिससे वे अपने आने वाले ावि य को सुरक्षित कर

सकें। निवे ाकों को ब त हेतु प्रेरित करने के ददे य से अ िकताओं की नियु ित की जाती है और अ िकताओं को ान डाक ार की वि िन्न प्रति ातियों में निवे ित कराने पर कमी ान मिलता है जो कि नके जीविकोपाजन में सहायक होता है व न्हें रोजगार प्रा त होता है।

ा रि ले ा ं ले ा री ा नि ेशाल

र ेश ना रा ा ल ान

नि ेशाल ी ा ना लाइ

त्तर प्रदे ा ासन के कायालय ाप दिनांक जुला ारा राज्य के स ी वि ागों में ले ा र ाने की प ति में सु ार लाने हेतु अ ययन कर प्र ासनिक वि ाग वं वित्त वि ाग को सु ाव देने त ा वि ागा यक्षों वं अ ीन ा क्षे ीय कायालयों तक बनाये जाने वाले ले ाों के निरीक्षण और समें पायी गयी कमियों के निराकरण के ददे य से **ि ा ी ले ा नि ेशाल ल ान** की ापना की गयी ी। ासनादे ा दिनांक ारा वि िन्न वि ागों के को ागार में ोले गये **ि ले ा ा ों ी नि मि स री ा** निदे ाक वि ागीय ले ा प्र ल ान ारा किये जाने का दायित्व सौंपा गया।

ि ा ानाम रि न ं ि रि ा सां ा ाना न री

ासन ारा वित्तीय प्रबन ा के आ ुनिकीकरण वं आन्तरिक ले ा परीक्षा के सुदृढ़ीकरण के ददे य से मेसस प्रा स वा र हा स कपस लि से माह का स ान अ ययन कराया गया ा। अ ययनोपरान्त नके ारा की गयी सं तुतियों को ासन तर पर वीकार करते हु राज्य आन्तरिक ले ा परीक्षा के सा ा ासनादे ा दिनांक जनवरी ारा **ि ी ान ा नि ी र ा ं ा रि ले ा री ा ो म नाने ि ा ी ले ा नि ेशाल ा नाम रि ि र ा रि ले ा री ा नि ेशाल** र ा गया है और परो त दायित्वों के अतिरि त अन्य दायित्व सौंपे गये

राज्य के आन्तरिक ले ा परीक्षा नीतियों का कायान्वयन निदे ाक आन्तरिक ले ा परीक्षा के मा यम से कराया जायेगा।

राजकीय वि ागों में आन्तरिक ले ा परीक्षा का काय निदे ाक आन्तरिक ले ा परीक्षा या नके ारा प्रतिनि ानित अ िकारियों या वि ाग हेतु नियु त आन्तरिक ले ा परीक्षा अ िकारियों ारा किया जायेगा।

निदे ाक आन्तरिक ले ा परीक्षा ासन के वित्त वि ाग के निदे ा पर वि ागीय आन्तरिक ले ा परीक्षा अ िकारी की रिपो पर वि ो ा स परीक्षा करेंगे।

आन्तरिक ले ा परीक्षा का काय वि ाग में कायरत ले ा परीक्षकों वरि ठ ले ा परीक्षकों सहायक ले ाकारों ले ाकारों वि ागों के वित्त नियं क मु य ले ाा िकारी मु य ले ा परीक्षा अ िकारी या नके पद का काय करने वाले अ िकारी के पयवेक्षण में किया जायेगा त ा वे वि ागीय ले ा परीक्षा मैनुवल तैयार करके अ ावि िक र ेंगे। वि ाग में ले ा परीक्षा के परान्त पायी गयी अनियमितताओं की पि ले ैमास की स ना अगले माह की जुला अ बर जनवरी वं अप्रैल तारी ा तक अपने वि ागा यक्ष व निदे ाक आन्तरिक ले ा परीक्षा प्र को देंगे। त स ना की समीक्षा करके त ा अन्य वि ो ा आन्तरिक ले ा परीक्षा प्रतिवेदन निदे ाक आन्तरिक ले ा परीक्षा प्र राज्य आन्तरिक ले ा परीक्षक के मा यम से ासन को प्र तुत करेंगे।

राज्य तरीय आन्तरिक स परीक्षा समिति के समक्ष प्र तुत करने हेतु ैमासिक व वा िक आन्तरिक ले ा परीक्षा प्रतिवेदन तैयार करना।

वि ागों ारा तैयार आन्तरिक ले ा परीक्षा काय योजना वा िक कैलेण्डर का अंन्तिम प दिया जाना।

आन्तरिक ले ा परीक्षा में लगे कामिकों के प्र िक्षण कायक्रम व सकी परे ा तैयार करना।

स परीक्षा हेतु मानकों का नि ारण व वि ाग के आन्तरिक स परीक्षा अ िकारी ारा ैमास वा िक कैलेण्डर प्रतिवेदनों के प्र तुतीकरण के स बन ा में दि ा निदे ा देना। आन्तरिक ले ा परीक्षा के स बन ा में राज्य को सलाह देना। वि ागों में गठित वि ागीय आन्तरिक ले ा परीक्षा समिति में ाग लेना।

तरीय आन्तरिक ले ा परीक्षा की बैठकों सेमिनार आदि में राज्य का प्रतिनि ित्व करना।

ि ा ा नाम रि न ं ि रि ा सां ा ाना न

परो त कार्यों के सा ा सा ा निदे ाक आन्तरिक ले ा परीक्षा प्र को वेतन समिति के दसवें प्रतिवेदन ाग में वित्त वि ाग के अन्तगत आन्तरिक ले ा परीक्षा निदे ालय प्र के स बन ा में वित्त वेतन आयोग अनु ाग के ासनादे ा दिनांक नव बर वं वित्त सेवायें अनु ाग प्र ासन के ासनादे ा दिनांक ारा **ेश े ि ि न ि ा ों में ल ा ीन ा ले ा सं े स ा ले ा ा र ले ा ा र ंस ा ले ा ाि ा री ा ले ा री ा सं े ले ा री ा े ले ा री ा ंस ा ले ा ाि ा री े ों र न नि ि ा ाना र ा ी ा ा ी ा ाि** स निदे ालय को सौंपा गया है।

ि ी ा ेलि ाि ो ना ं

वित्तीय व ा में देय कामिकों की देय सी पी वीकृत करना।

वि ागों ारा आन्तरिक ले ा परीक्षा का काय किया जा रहा है। त वि ागों की आन्तरिक ले ा परीक्षा की काय योजना अनुमोदित करना त ा ैमासिक स ना ासन को प्रे ित करना।

ि ी ा शि ा ा ंशो ा सं ाान ल ान

वि व के सबसे बड़े लोकतन के सबसे बड़े राज्य त्तर प्रदे ा का वित्तीय प्रबन ान अपने आप में अत्यंत महत्वपण ही नहीं अपितु विवि ातापण वं बहुआयामी रहा है। से दृ में र ाते हु राज्य के ले ा वं आडि से स बन ित कामिकों के प्र िक्षण वं सतत कौ ाल अ िवृ हेतु स सं ान को बीज के प में सवप्र ाम व ा में को ागार कम ारी प्र िक्षण केन्द्र की ापना की गयी ी। जिससे व ा से ासन के वि ान्न वि ागों के ले ाकारों के प्र िक्षण की ी यव ा की गयी। व ा से वित्त वं ले ा सेवा के अ िकारियों हेतु वाणिज्यिक ले ा प्रणाली में प्र िक्षण प्रार ा किया गया। वित्तीय वि ायों में वि ि प्र िक्षण की पादेयता को दे ाते हु व ा में प्र िक्षण केन्द्र को पणकालिक निदे ाक के अ ीन वित्त वं ले ा प्र िक्षण सं ान FATI के प में ीकृत किया गया। कालान्तर में स सं ान को व ा में रा ीय तर प्रदान करते हु सका नाम वित्तीय प्रबन ा प्र िक्षण वं ो ा सं ान प्र IFMTR कर दिया गया।

म ा ा ो ना ें

वतमान में सं ाान में प्र वित्त वं ले ाा सेवा के अ ाकारियों सहायक ले ााकारियों त ाा को ाागार कामिकों को यावसायिक प्र ाक्षण पुन या प्र ाक्षण वं कं य र पुन या प्र ाक्षण प्रदान किया जाता है।

ि ी ा ी लि ा ां

- वित्त वं ले ाा सेवा के अ ाकारियों का अनु ाासनिक कायवाही वि ायक वि ो ा प्र ाक्षण स ।
- सी ाी ाती से यनित को ाा ाकारियों ले ाा ाकारियों का यावसायिक प्र ाक्षण स ।
- प्रोन्नति से नियु त सहायक ले ाा ाकारियों का आ ाार ात वं यावसायिक प्र ाक्षण स ।
- मण्डलीय अपर संयु त निदे ाक को ाागार वं पें ान का क य र पुन या प्र ाक्षण स ।
- मु य वरि ठ को ाा ाकारियों का क य र पुन या प्र ाक्षण स ।
- सहायक को ाा ाकारियों का क य र पुन या प्र ाक्षण स ।
- वि ान्न वि ाागों में तैनात प्र वित्त वं ले ाा सेवा के अ ाकारियों का क य र पुन या प्र ाक्षण स ।
- प्र वित्त वं ले ाा सेवा के अ ाकारियों का प्र ाम तर पुन या प्र ाक्षण स ।
- को ाागार कामिकों का सेवाकालीन पुन या प्र ाक्षण स ।
- वित्त वं ले ाा सेवा के अ ाकारियों का वित्तीय तरीय प्र ाक्षण स ।
- वि ान्न वि ाागों में नियु त सहायक ले ाा ाकारियों का क य र पुन या प्र ाक्षण स ।
- को ाागार कामिकों का क य र पुन या प्र ाक्षण स ।

ि ी ा े लि ा ि ो ना ें

- वित्तीय व ा में सं ाान ारा वि ान्न प्र ाक्षण कायक्रमों का अनवरत सं ालन किया जा रहा है।
- प्र ाक्षुओं हेतु ल ान के अन्य वि ो ा प्रो े ानल सं ाानों य ाा IIM, ICWAI, ICAL, RBI गिरी सं ाान त ाा ल ान में अवि ात अन्य वि ाागों के प्र ाक्षण सं ाानों त ाा पाम वाणिज्य कर प्र ाक्षण सं ाान आदि में अ पावा ा का प्र ाक्षण कायक्रम का आयोजन।
- प्र ाक्षुओं का दसरे राज्यों त ाा रा ाय तर के प्र ाक्षण सं ाानों य ाा NIPFP रीदाबाद दि ली में अ पावि का प्र ाक्षण कायक्रम का आयोजन।

ि ाा ी नीि ि ोइ ो

प्र ाक्षण स बन्ाी गतिवि ायों का गुणवत्तापण सं ालन।

नि ेशाल ो ाा ार र ेश

ा र ा न ल ान

ो ाा ार नि ेशाल र ेश

प्रदे ा के को ाागारों पर नियं ण और ायवेक्षण के लि को ाागार निदे ाालय की ाापना सन में हु जिसका मु यालय ल ान बनाया गया। को ाागार निदे ाक को स वि ााग का प्रमु ा

ोित किया गया नकी सहायता के लि क अपर निदे ाक दो संयु त निदे ाक क प निदे ाक और क वि ो ा कायकारी अ ाकारी ओ स डी नियु ित किये गये। यह सम त अ ाकारी त्तर प्रदे ा वित्त वं ले ाा संद ा के हैं। निदे ाक को ाागार को मण्डलीय कायालयों के अ ाीन ा कामिकों सहायक को ाा ाकारी प को ाा ाकारी न दि ली ि ात ुगतान वं ले ाा कायालय के कम ारियों त ाा जवाहर ावन ल ान ि ात को ाागार के कम ारियों की नियु ित के लि ाी अ ाकृत किया गया है। निदे ाक को न अ ाकारियों के कैडर प्रबं ान का अ ाकार ाी ोज दिया गया है। निदे ाालय के अ ाीन अपर निदे ाक को ाागार वं पें ान के मण्डलीय कायालय त ाा जिला तर पर को ाागार है जो जिला ाकारी के प्र ाानिक वं को ाा ाकारी के कायकारी नियं ण में काय करते हैं। जिले के तहसील तर पर पको ाागार हैं जो जिला को ाागार के अ ाीन पको ाा ाकारी के कायकारी नियं ण में काय करते हैं।

ल

को ाागार निदे ाालय का प्रमु ा लक्ष्य प्रदे ा सरकार के सम त राजकीय वित्तीय लेन देन वं वेतन त ाा पें ान को को ाागारों के मा यम से सं ालित कराना त ाा को ाागार यव ाा के नियं ण वं सं ालन हेतु पयात पकरण वं व ालित सा ानों की पल ाता बना र ाना है जिससे वि ाागीय कार्यों को स लतापवक स पादित किया जा सके।

म ा िशे ा ा ं

ाण क य रीकृत काय प्रणाली ारा कार्यों का सं ालन

आनला न ुगतान व प्रा ति प्रणाली

पारद ाी काय

सें ला ज्ड डा ा प्रबं ान

आनला न डी डी ओ पो ल

को ावाणी वेबसा ारा वि ाागों वं जनता के लि वां ित डा ा

ि ाा ी नीि ााि ि

इ ेमेंट न पी स और ा नैं ायल मैनेजमेन्ट न ारमे ान सि म जैसी योजनाओं के सा ा सा ा सरकार ने पेमें की क और न योजना व ा में लान्च की। पेमें योजना को वित्तीय व ा से प्रदे ा के सम त को ाागारों में लाग कर दिया गया। स योजना के तहत को ाागारों को अपने स ाी ुगतान ं रने के मा यम से ही करने हैं। ाासन प्रणाली के क्षे में यह क बहुत बड़ा कदम है। यह यव ाा दिस बर तक सुगमतापवक सं ालित रही। पेमें योजना का क अ ाक न्नत और परि कृत प कुबेर योजना वित्तीय व ा में रणब तरीके से लाग की गयी।

न ीन ेंशन ो ना रा टी ेंशन ो ना स योजना के प्रार ा में न पें ान योजना को डीसीआ नंबर के सा ा पें ान निदे ाालय ने ु किया ाा। पें ान निदे ाालय ारा स परियोजना के तहत हज़ारों कम ारियों को डीसीआ नंबर प्रदान किये गये और नके ाातों का

हिसाब र ाना प्रार ा किया गया। वतमान में न सडी ल ारा त ातों का र ा र ाव किया जा रहा है। आनला न लागिन कर क ौतियों का विवरण दे ाा जा सकता है।

न स ी ल े मा म से न ीन ेंशन ो ना ा सं ालन वतमान में नवीन पें ान योजना का नाम **रा टी ेंशन ो ना** हो गया है। अब नपी स कम ारियों का पंजीकरण और नके योगदान का यौरा र ाना न सडी ल का त्तरदायित्व है। पुराने डीसीआ नंबर की जगह अब प्रान का तेमाल होने लगा है। वतमान में न सडी ल नआ सी पें ान निदे ालय को ाागार निदे ालय और सडी के संयु त सहयोग से रा ीय पें ान योजना सु ा प से काय कर रही है।

सा ें े न ा ो े नसार नरी ा ा त्तर प्रदे ा सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सं तुतियों को वेतन वं पें ान हेतु जारी कर दिया है। तत्क्रम में को ाागार तर से सारी आव यकताओं को यान में र ाते हु सातवें वेतन आयोग के अनुसार को ाागार पैकेज में आव यक परिवतन कि ग हैं वं सातवें वेतन आयोग की सं तुतियों को अंगीकृत करते हु ुगतान की कायवाही की जा रही है।

ी ी ो ोटल प्रदे ा में पेमें यव ाा के अन्तगत को ाागारों ारा आनला न सी ो ला ाा ी के ाते में ुगतान की यव ाा की गयी। पेमेन्‍ यव ाा को और सुदृढ़ करने हेतु डी डी ओ तर पर स ाी कम ारियों वं ला ाा ियों के डे ा बेस को संकलित करते हु डी डी ओ तर पर स ाी कम ारियों वं ला ाा ियों के डे ा बेस को संकलित करते हु डी डी ओ पो ल ारा आनला न बिल बनाने की यव ाा अ बर से की गयी।

ी फ स ी े साइट को ाागार निदे ालय ारा य पी ा नेन्स ण्ड का ‍ सविसेज़ की क वेबसा बना गयी है जिसमें वित्त वं ले ाा संवग के स ाी अ सरों के काय त ाा पोि ंग आदि की जानकारिया पल ा हैं। अ सरों के सीआर की जानकारी ाी स वेबसा पर पल ा है।

ें ी स र स समय य पी के जनपदीय को ाागार राज ावन रला अनु ााग त ाा वि ाान स ाा को ाागार वयं की लिके ान और डे ा सवर पर केंद्रित तरीके से काम कर रहे हैं। को ाागार का डे ा को ावाणी सवर पर हर ि अपलोड होता है त ाा न योजना ं जैसे ुगतान और केंद्रीय बज आवं न सि म पर ाी कीकरण तरीके से काम ु हुआ है।

इ रिसीट वतमान समय में प्रदे ा में जी स ी वं वै की रिसी प्रा त की जा रही है त ाा राजको ा पो ल a kosh.up.nic.in के मा यम से वि ािन्न वि ााागों के पो ल को ‍ ीग्रे करके रिसी प्रा त की जा रही है।

ावि य में प्रदे ा के सम त वि ाागों की प्रा तियों कुबेर के मा यम से प्रा त किये जाने की काय योजना ction lan पर काय ल रहा है। आर बी आ त ाा न आ सी ारा स संबं ा में आव यक परीक्षण किये जा रहे हैं।

इ ेर ााली ाासनादे ा दिनांक जन के अनुपालन में को ाागार कानपुर नगर

में दिनांक जुला से कुबेर प्रणाली का परीक्षण प्रार ा किया गया। जुला के प ात स प्रणाली को रणब तरीके से प्रदे ा के सम त को ागारों में लाग किया गया त ा दिस बर के प ात प्रदे ा के स ा त को ागारों में स यव ा को लाग कर दिया गया।

ि ी ा ी लि ा ा

महाले ाकार कायालय के मा यम से जी पी ण्ड ण्ड डिजि ा जे ान का लाग किया जाना।

बज अनुमानों को आनला न तैयार किया जाना।

सरकारी प्रा तियों के लिये कुबेर को लाग किया जाना।

सा बर ेजरी की ापना।

योजना ावन ल ान में ापित डी सी में हाडवेयर को न्नत किया जाना।

ारत सरकार की प्रणाली के अन्तगत केन्द्र प्रयोजित योजनाओं हेतु के क्रियान्वयन हेतु में न odule का विकास किया गया त ा का क्रियान्वयन स लता पवक किया गया।

रि टार फ स सोसाइटी ं ि टस

रजि ार स सोसा ीज वं ि स प्र ासन के अ ीन सं ालित है। वि ाग के वि ागा यक्ष के प में रजि ार नियु त किये जाते हैं। रजि ार के अ ीन मण्डल तर पर अ तन कुल क्षे ीय कायालय ापित हैं जिनमें त्तर प्रदे ा वित्त वं ले ा सेवा के समह क वं समह ा के अ िकारियों की नियु ित वित्त वि ाग प्र ासन ारा की जाती है।

ा ं लि ा ा

ि ाा में टराइ ेशन ंइ ने स

- व ा से सोसाय ियों का पंजीकरण त ा नवीनीकरण म का पंजीकरण वं ि ग्रुपों का पंजीकरण आदि काय वि ागीय पो ल के मा यम से आनला न किया जा रहा है त ा प्रमाण प आदि आनला न निगत किये जा रहे हैं। म का पंजीकरण निवे ा मि पो ल के मा यम से किया जा रहा है।
- परो त के अतिरि त आर ी आ वं आ जी आर स के मा यम से प्रा त जनसामान्य की िकायतों के नि तारण का काय ी समयब प से वि ाग ारा आनला न मा यम से किया जा रहा है।
- **ानलाइन ा ान** पंजीकरण और नवीनीकरण ु क के स ी ुगतान आवेदक ारा नआ सी के मा यम से विकसित पो ल से आनला न कि जाते हैं।
- वतमान में वि ाग की कुल सेवा जनहित गारं ी अ िनियम से आ ादित हैं

  सोसाय ी पंजीकरण सोसाय ी रजि े ान के अन्तगत

  सोसाय ी नवीनीकरण सोसाय ी रजि े ान के अन्तगत

सोसाय ी प्रतिलिपि सोसाय ी रजि े ान के अन्तगत

म पंजीकरण ारतीय ागीदारी अ ानियम के अन्तगत

म प्रतिलिपि ारतीय ागीदारी अ ानियम के अन्तगत

ि ग्रुप पंजीकरण ि ण्ड अ ानियम के अन्तगत

त स ी सेवा दपण पो ल त ा ि ग्रे ड सविस पो ल आ स पी से ि ग्रे ड की जा ुकी है।

- वि ाग ारा सोसायि यों से संबं ित वाद प्रब ान प्रणाली का विकास वि ागीय पो ल पर कर दिया गया है जिसका डेमो वि ागीय पो ल पर वतमान में ला व है।
- वि ागीय कायों की समीक्षा त ा प्र ावी आंतरिक नियं ण हेतु वि ाग के कायालयों से संबं ित मासिक स नाओं को वि ागीय पो ल के मा यम से पेपरलेस किया जा ुका है जिसमें वि ागीय अ ाकारियों ारा अपने लाग न के मा यम से अपने कायालय की मासिक स नाओं और रिपो को अपलोड कर प्रे ित किया जा रहा है।
- डि ी रजि ार सहायक रजि ार कायालयों में पंजीकृत सोसायि यों त ा मों से संबं ित लग ग प्रति ात अ ािले ों की ंडे सिंग ं कैनिंग का काय प्र ले ानिक कारपोरे ान लिमि ेड ल ान के मा यम से पण कर लिया गया है त ा ो ा प ावलियों की ंडे सिंग ं कैनिंग का काय प्रक्रिया ीन है। त कायवाही पण होने पर जनसामान्य के पयोगा त अ ािले ों को आनला न पल ा कराया जा सकेगा त ा वि ाग में आ ास प्रणाली लाग की जा सकेगी।
- अपलोड किये गये परो त डा ा का वि ाग ारा प्रदान की जा रही सेवाओं में पयोग किये जाने त ा डा ा नालिसिस ं डा ा मानि रिंग के लि कारपोरे ान ारा यनित न वेन्डर और म के मा यम से लीके ान सा वेयर का ी विकास कराया जा रहा है।
- यह काय पण हो जाने पर प्रदे ा में किसी ी अ ािकृत यि त ारा अपने सोसाय ी के वि ाय में आनला न जानकारी प्रा त की जा सकेगी त ा सोसाय ी के अ ािले ों में हेरा ेरी व क र ना को ी रोकने में सहायता मिलेगी। स सुवि ा को राज व वि ाग ारा विकसित आनला न ाले ा सेवा के समान विकसित करने का लक्ष्य है।

ा **सोसा टी रि टी र ा र े श संशो ान ानि म** के ारा सोसाय ीज पंजीकरण की ारा क ारा ारा ा ारा क ारा क त ा ारा में आव यक सं ो ान स व न पुन ापन कर रजि ार और विहित प्रा ािकारी विनि य के लि आयु त को अपीलीय प्रा ािकारी बनाये जाने सं ा के प्रब ा निकाय के अनुमोदन के प ात ही सा ारण स ा की स ी में को परिवतन किये जाने त ा सं ा की अ ल संपत्तियों का अंतरण बिना सक्षम न्यायालय की पव अनुमति के विक्रय न किये जाने त ा किसी आपरा ािक मामले में सक्षम न्यायालय ारा दो ी त ा दण्डादे ा व ा या ससे अ ाक समय के लिये हो े से यि त को सोसाय ी में पद ारण न किये जाने के संबं ा में किया गया है।

वित्त

- मा न्यायालय ारा रि सी सं या कमे ी आ मैनेजमें िक्षा प्रसार समिति व अन्य बनाम प्र राज्य व अन्य में पारित आदे ा दिनांक का अनुपालन स बं ित ासनादे ा दिनांक वं ासनादे ा दिनांक के अनुपालन में सं ा की प्रबन ासमिति के प्रत्येक पदा िकारी वं सद य ारा दिये जाने वाले ाप ा प का प्रा प तैयार कर वि ागीय पो ल पर अपलोड कर दिया गया है।

ि ाा ारा ि` ा र` म ा साार न ा र

- व ा से सोसा ियों का पंजीकरण त ाा नवीनीकरण म का पंजीकरण वं ि ग्रुपों का पंजीकरण आदि काय वि ागीय पो ल के मा यम से आनला न किया जा रहा है त ाा प्रमाण प आदि आनला न निगत किये जा रहे हैं। म का पंजीकरण निवे ा मि पो ल के मा यम से किया जा रहा है।
- वतमान में वि ाग की कुल सेवायें जनहित गारं ी अ िनियम से आ ादित है।
- किये ग पंजीकरण के प्रमाण प ों के सा ा ो ोयु त स ी ी डिजि ल ह ताक्षर के सा ा पल ा करायी जा रही है।
- अ िनियम के अन्तगत विवादों के नि तारण संबं ी वाद प्रबन ान प्रणाली का विकास किया गया त ाा आनला न वाद पंजीकरण हेतु पो ल पर सुवि ाा पल ा करा दी गयी है।
- वि ागीय पो ल पर आनला न लीव माडयल का ी विकास किया गया है जिसके मा यम से अ िकारियों ारा आनला न ही ु ी का प्रा ाना प प्रे ित कर वीकृति प्रा त कर सकते हैं।
- वि ागीय कार्यों की समीक्षा त ाा प्र ाावी आंतरिक नियं ण हेतु वि ाग के कायालयों से संबं ित मासिक स नाओं को वि ागीय पो ल के मा यम से पेपरलेस किया जा ुका है जिसमें वि ागीय अ िकारियों ारा अपने लाग न के मा यम से अपने कायालय की मासिक स नाओं रिपो को अपलोड कर प्रे ित किया जा रहा है।
- परो त के अतिरि त आर ी आ वं जा जी आर स के मा यम से प्रा त जनसामान्य की िकायतों के नि तारण का काय ी समय ब प से वि ाग ारा आनला न मा यम से किया जा रहा है।
- आला न ुगतान पंजीकरण और नवीनीकरण ु क के स ी ुगतान आवेदक ारा नआ सी के मा यम से विकसित UP RAJKOSH पो ल से आनला न कि जाते हैं।
- वि ाग में करा गये डिजि ा जे ान के ल व प त्पन्न डा ा का प्रबन ान सुरक्षा वं संरक्षण।
- डा ा नालिसिस डा ा मा निंग वं लिंकेज।
- ला ड सवर आपरे ान अपडे ान डेवलपमेन र ार ाव वं प्रबन ान।
- वि ागीय वेबसा वं पव विकसित माडयल का अपडे ान डेवलपमेन वं सं ालन।
- वि ाग ारा प्रदान की जा रही आनला न सेवाओं की अनु वण ण्ड ण्ड सो य ान।
- निवे ा मि आ जी आर स दपण पो ल वं स ना अ िकार आदि प्रकरणों की आनला न

ेकिंग व रिपो िंग।

- वि ागीय पो ल पर पेपरलेस काय सं कृति विकसित किया गया है।
- निवा ा समयब वं जवाबदेह सेवाओं के लि प ो प्रबन् ान प्रणाली विकसित करना।
- परो त कार्यों के क्रियान्वयन के प्रयोजना ा वि ाग में आ ी सेल पी म य गठित किये जाने की प्र ासकीय वं वित्तीय वीकृति ासन ारा प्रदान की दी गयी है जिसके लिये स ना प्रौ ोगिकी जनहित सेवा स बं ित वि ो ा जेन्सी कन्स ेन् की सेवायें जेम पो ल से लिये जाने हेतु Request for proposal (RFP) तैयार कर लिया गया है।
- आ स प्रणाली वि ाग के मु यालय में लाग की जा ुकी है वं आ स क्रियान्वयन समबन् ी काय क्षे ीय कायालयों में ी सतमान में प्र लित है।
- **े ा से सोसाइटी र टेशन ट ा न** प्रदे ा में वतमान में प्र ावी सोसा ी रजि े ान के ान पर वतमान परिवे ा में और अ िक यवहारिक पारद ी सुगम त ा गवनेस की ावना के दृ गत प्र का पृ ाक से सोसा ी रजि े ान अ िनियम का डा अ िनियम के प्रयोजनों के क्रियान्वित करने के दृ गत नियमावली का गठन ी प्रक्रिया में है।
- **र ेश ाटमेंट निमा ा ामि ार ोसा न र ार ा ािनि म में ि ा ारा ा संशो ान** त्तर प्रदे ा अपा में निमाण वामित्व और प्रोत्साहन र ार ाव अ िनियम के ान पर वतमान परिवे ा में आ रही सम याओं त ा आव यक सं ो ानों को स मिलित कर से अ िक यवहारिक पारद ी सुगम त ा गवर्नेंस की ावना के दृ गत सं ो ित डा अ िनियम के प्रयोजनों के क्रियान्वित करने के दृ गत नियमावली का ी डा तैयार किया गया है।
- **न स म लों में म ली ा ल ों ी ा ना** वतमान में वि ाग के मण्डलीय कायालय ापित हैं त ा ासकीय कार्यों का समयब नि तारण वं जनमानस के सुवि ा के दृ गत अन्य नवगठित मण्डल य ा ब ती अलीगढ़ देवीपा न क ाम त ा विन् या ल मण्डल का सृजन दिनांक को किया जा ुका है।

ा ल नि ेश ानी नि ा ले ा री ा ि ा ा रा ि ा ी ा ना ं ट ामि

ानीय नि ा ले ा परीक्षा वि ाग की ापना महाले ाकार कायालय की क ा ा के प में व ा में हु ी। तत्प ात पहली अप्रैल को राज्य सरकार ने ानीय नि ा ले ा परीक्षा वि ाग को अपने नियं ण में ले लिया जो स प्रति ासन के वित्त वि ाग के नियं णा ीन सं ालित है। राज्य सरकार स वि ाग के मा यम से प्रदे ा र में प्रदान की गयी नि ियों की स परीक्षा करता है।

े श्

ानीय नि ा ले ा परीक्षा वि ाग का ददे य प्रदे ा की ानीय निकायों वायत्त ासी

सं ााओं सहायता प्रा त ौक्षिक सं ााओं राज्य वि ववि ालयों न्यास नि ियों त ा राज्य सरकार से अनुदानित अन्य सं ााओं की ले ा परीक्षा करना है। सके अतिरि त ासन ारा वि िन्न सं ााओं की वि ो ा स परीक्षा हेतु आवंि त ले ों की ी स परीक्षा स पादित की जाती है।

स री ाा ा

वित्तीय व ा में स परीक्षा हेतु कुल ले ों की स परीक्षा हेतु मानव दिवस का काय पल ा ाा। वतमान में पल ा जन ा ित के सापेक्ष स परीक्षा हेतु मानव दिवस पल ा होने के कारण ले ों की स परीक्षा का लक्ष्य र ाा गया ाा। जिसके सापेक्ष ले ो की स परीक्षा पण की गयी त ाा मानव दिवस का काय किया गया। स प्रकार लक्ष्य के सापेक्ष प्रति ात काय स पादित किया गया। जन ा ित के अ ााव में ो ा काय पण नहीं किया जा सका। परो त के अतिरि त दो ले ों के वि ो ा स परीक्षा ी पण की गयी।

●

राजस्व परिषद

राजस्व परिषद के प्रमुख कार्यः-

राजस्व परिषद के प्रमुख कार्य प्रदेश में भूमि सम्बन्धी आंकड़ों का समुचित रख-रखाव, कृषि उपज सम्बन्धी आंकड़ों का संकलन, भूमि विवादों के निपटारे, भूमि सुधार सम्बन्धी जनकल्याणकारी विभिन्न कार्यक्रमों का सृजन एवं उनके क्रियान्वयन के साथ-साथ प्रदेश के राजस्व में वृद्धि के लिए कर एवं करेत्तर देयों सहित राजस्व देयों की वसूली करना है। शासन द्वारा निर्धारित विकास प्राथमिकता कार्यक्रमो में मुख्य देयों तथा विविध देयों की वसूली, अवैध कब्जेदारों को हटाकर वास्तविक पट्टेदारों को कब्जा दिलाया जाना, कृषि एवं आवास भूमि का चिन्हींकरण एवं आवंटन, खतौनी का कम्प्यूटरीकरण, सम्पूर्ण समाधान दिवस, लोक शिकायत तथा एकल खिड़की से प्रार्थना पत्रों का समयबद्ध निस्तारण सम्मिलित है। भूमि सुधार कार्यक्रमों को त्वरित व प्रभावी ढंग से लागू करना, प्रशासनिक व्यवस्थाओं में सहयोग अन्य विभागों की सामाजिक, आर्थिक नीतियों के क्रियान्वयन में प्रमुख भूमिका है।

1. भूमि सुधार कार्यकम

- **कृषि भूमि आवंटन-** 01 अप्रैल, 2024 से माह जनवरी, 2025 तक वार्षिक लक्ष्य 294 हेक्टेअर के सापेक्ष 1327 आवंटियों को 207.659 हेक्टेअर भूमि आवंटित की गयी, जो निर्धारित लक्ष्य का 70.63 प्रतिशत है।
- **आवास स्थल आवंटन-** 01 अप्रैल, 2024 से माह जनवरी, 2025 तक वार्षिक लक्ष्य 6710 परिवार के सापेक्ष 4491 परिवारों को आवास आवंटित किये गये, जो निर्धारित लक्ष्य का 66.93 प्रतिशत है।
- **मत्स्य पालन आवंटन की प्रगति-** 01 अप्रैल, 2024 से माह जनवरी, 2025 तक वार्षिक लक्ष्य 5000 हेक्टेअर के सापेक्ष 6229 आवंटियों को 5324.74 हेक्टेअर भूमि आवंटित की गयी, जो निर्धारित लक्ष्य का 106.49 प्रतिशत है।
- **कुम्हारी कला आवंटन की प्रगति-** 01 अप्रैल, 2024 से माह जनवरी, 2025 तक वार्षिक लक्ष्य 1275 स्थल के सापेक्ष 1670 आवंटियों को 1447 स्थल भूमि आवंटित की गयी, जो निर्धारित लक्ष्य का 113.49 प्रतिशत है।

2. एण्टी भू-माफिया अभियान के अन्तर्गत प्रदेश में अनाधिकृत कब्जे/अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध कार्यवाही की स्थिति-

प्रदेश में सार्वजनिक सम्पत्तियों पर हुये अवैध कब्जों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने

हेतु शासनादेश दिनांक 01 मई 2017 द्वारा चार स्तरीय-राज्य, मण्डल, जनपद एवं तहसील स्तरीय एण्टी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया है।

प्रदेश में एण्टी भू-माफिया पोर्टल पर अवैध कब्जे से सम्बन्धित कुल 396281 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 395324 शिकायतें निस्तारित की गयीं तथा 957 शिकायत निस्तारण हेतु अवशेष हैं। अभियान के अन्तर्गत कुल 66187.63 हे. क्षेत्रफल अवैध अतिक्रमण से अवमुक्त कराया गया है। 24615 राजस्व वाद, 1120 सिविल वाद व 4729 एफ.आई.आर. दर्ज करायी गयी हैं। 1508 अतिक्रमणकर्ताओं को भू-माफिया के रूप में चिन्हित किया गया है। वर्तमान में 212 भू-माफिया जेल में निरुद्ध हैं। 1111 अतिक्रमणकर्ताओं के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत, 260 के विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत, 6 के विरुद्ध एनएसए के अन्तर्गत, 85 के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत, 323 के विरुद्ध गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत तथा 3142 के विरुद्ध अन्य धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है। अभियान के अन्तर्गत अवैध सम्पत्ति के जब्तीकरण का मूल्य रु. 1982001863.30 है।

3. राजस्व ग्राम खतौनियों में दर्ज खातेदारों/सहखातेदारों के गाटों में खतौनी पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण कार्यक्रमः-

भूलेख पोर्टल के अंश निर्धारण की अद्यतन स्थिति (07.02.2025 तक) के अनुसार वर्तमान में प्रदेश के 1,06,836 राजस्व ग्रामों में कुल 7.62 करोड़ गाटों में से 6.27 करोड़ (82.28 प्रतिशत) गाटों में अंश निर्धारण किया जा चुका है एवं 1.35 करोड़ (17.72 प्रतिशत) गाटे अवशेष हैं, जिनमें अंश निर्धारण किया जा रहा है।

4. मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजनाः-

उत्तर प्रदेश के कृषकों की दुर्घटनावश मृत्यु/दिव्यांगता की स्थिति में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना दिनांक 14 सितम्बर 2019 से लागू की गई है। योजना जिलाधिकारियों के माध्यम से संचालित है। इस योजना के अन्तर्गत कृषक की परिभाषा का विस्तार करते हुए खतौनी में दर्ज खातेदार/सहखातेदार के साथ-साथ उनके परिवार के ऐसे कमाऊ सदस्य जिनकी आजीविका का मुख्य स्रोत खातेदार/सहखातेदार के नाम दर्ज भूमि से होने वाली कृषि आय है तथा ऐसे भूमि हीन व्यक्ति जो पट्टे से प्राप्त भूमि पर अथवा बटाई पर कृषि कार्य करते हैं तथा जिनकी जीविका का मुख्य साधन ऐसे पट्टे अथवा बटाई पर ली गई भूमि पर कृषि कार्य है, को भी सम्मिलित किया गया है। योजना के अन्तर्गत दुर्घटनावश मृत्यु/दिव्यांगता की दशा में अधिकतम 5.00 रु. दिए जाने का प्राविधान है।

5. राजकीय देयों की वसूलीः-

राजस्व परिषद के निर्देशानुसार अनुभाग-2 के स्तर पर संग्रह सम्बन्धी कार्य सम्पादित किया जाता है। उक्त कार्य प्रदेश के जनपदों में जिलाधिकारियों के नियंत्रणाधीन संग्रह अमीनों द्वारा व्यवहारित किया जाता है। संग्रह अमीनों द्वारा मुख्य देय तथा विविध देयों की वसूली की जाती है।

6. सम्पूर्ण समाधान दिवसः-

जन शिकायतों के निस्तारण हेतु सभी तहसीलों में प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय शनिवार को "सम्पूर्ण समाधान दिवस" का आयोजन किया जा रहा है। समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (आई.जी.आर.एस.) पर 01 अप्रैल, 2024 से 12 फरवरी, 2025 तक प्राप्त कुल 3,36,706 शिकायतों के सापेक्ष 3,21,737 शिकायतों का निस्तारण किया गया।

7. राजस्व भवनों का निर्माणः-

वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश के विभिन्न मण्डलों/जनपदों तहसीलों के अनावासीय तथा आवासीय भवनों के चालू निर्माण कार्य, नवनिर्माण/पुनर्निर्माण तथा भूमि क्रय, अनुरक्षण तथा लघु निर्माण संबंधी कार्यों को कराये जाने हेतु कुल रु. 113.34 करोड़ की धनराशि निर्गत कराकर कार्यदायी संस्था/जनपदों को आवंटित की गयी।

8. खतौनी का कम्प्यूटरीकरण (भूलेख):-

प्रदेश में चकबन्दी एवं सर्वे से बाहर समस्त 1,08,935 राजस्व ग्राम खतौनियों को कम्प्यूट्रीकृत कर दिया गया है एवं इसे ऑनलाइन भूलेख पर देखा जा सकता है। डिजीटली हस्ताक्षरित खतौनी का उद्धरण तहसील अथवा जन सेवा केन्द्रों से नाममात्र का प्रभार देकर प्राप्त किया जा सकता है।

9. रियल टाइम खतौनीः-

6 वर्ष के स्थान पर रियल टाइम खतौनी अपडेट करने की नई व्यवस्था लागू की गयी है। इससे खतौनी में परिवर्तन का तत्काल अपडेशन संभव होगा।

10. क्यू आर कोड व डिजिटल हस्ताक्षरः-

क्यू आर कोड एवं डिजिटल हस्ताक्षर युक्त खतौनी की व्यवस्था लागू की गयी है। वास्तविक अभिलेखों तक आसान पहुँच सुनिश्चित होगी। पारदर्शिता में वृद्धि, भूमि धोखाधड़ी एवं जालसाजी में कमी आएगी। सी-डैक के सहयोग से भूलेख खतौनी को 22 भाषाओं में लिप्यान्तरण कर लिया गया है।

11. ऑनलाइन डिजिटल खसराः-

पूर्व के 21 स्तम्भों के ऑफलाइन खसरे के स्थान पर 46 स्तम्भों के नये पूर्णतया ऑनलाइन डिजिटल खसरे के लिए सॉफ्टवेयर राजस्व परिषद द्वारा तैयार किया गया है। प्रदेश के समस्त लेखपालों को प्रदेश सरकार की ओर से पूर्व में ही लैपटॉप व मोबाइल फोन उपलब्ध कराये जा चुके हैं। अतः इस ऑनलाइन खसरे को फील्ड में ही भरा जा सकता है।

12. नामान्तरण बही (आर-6 रजिस्टर) का कम्प्यूटरीकरणः-

प्रदेश के समस्त न्यायालयों के आदेशों को नामान्तरण बही (आर-6 रजिस्टर) में भर कर सुरक्षित रखा जाता है। इस व्यवस्था को कम्प्यूटरीकृत करने हेतु साफ्टवेयर तैयार कर लिया गया है, जिसके माध्यम से समस्त नामान्तरण आदेशों को कम्प्यूटर में फीड किया जा रहा है। इसके

अतिरिक्त समस्त नामान्तरण बही (आर-6 रजिस्टर) को स्कैन कर लिंक कर कृषकों/हितबद्ध व्यक्तियों को देखने की सुविधा प्रदान की गई है।

13. ऑनलाइन म्यूटेशन/अनुमतिः-

सब रजिस्ट्रार द्वारा डीड पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद पंजीकरण विवरण एपीआई के माध्यम से आरसीसीएमएस पोर्टल पर स्थानांतरित कर दिया जाता है और यह तहसीलदार लॉगिन के तहत आरसीसीएमएस पोर्टल में दिखाई देता है।

14. भू-मानचित्रों का डिजिटाइजेशनः-

भारत सरकार द्वारा संचालित डिजिटल इण्डिया लैण्ड रिकार्ड मार्डनाइजेशन प्रोग्राम (डी.आई. एल.आर.एम.पी.) के अन्तर्गत भू-मानचित्रों के डिजिटाइजेशन का कार्य सम्पन्न कराया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों के समस्त ग्रामों के उपलब्ध भू-मानचित्रों को स्कैन एवं डिजिटाइज्ड कर एन.आई.सी. द्वारा तैयार किये गये "भू-नक्शा" साफ्टवेयर के माध्यम से खतौनी (आर.ओ.आर.) के डाटा से लिंकिंग का कार्य किया जा रहा है।

15. तहसीलों में मार्डन रिकार्ड रूम की स्थापनाः-

डिजिटल इण्डिया लैण्ड रिकार्ड मार्डनाइजेशन प्रोगाम (डी.आई.एल.आर.एम.पी.) के अन्तर्गत सभी तहसील के राजस्व अभिलेखागारों को मॉडर्न रिकार्ड रूम में परिवर्तित करते हुए राजस्व अभिलेखों के भण्डारण हेतु आधुनिक कॉम्पैक्टर का इंस्टालेशन कराया जा रहा है। अभिलेखों के स्कैनिंग एवं डिजिटाइजेशन हेतु सॉफ्टवेयर तैयार कर बिड प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है। सभी रिकार्ड बेहतर ढंग से सुरक्षित रखे जाएंगे। महत्वपूर्ण राजस्व अभिलेखों में होने वाली छेड़छाड़ पर रोक लगाना संभव होगा।

16. सर्वेक्षण एवं अभिलेख प्रक्रियाः-

प्रदेश के मण्डलों, जनपदों एवं तहसीलों के सृजन/पुनर्गठन/परिसीमन, स्वामित्व योजना के अन्तर्गत आबादी सर्वेक्षण (घरौनी बनाये जाने का कार्य) तथा सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रिया के कार्य सम्पन्न कराया जाता है। अद्यतन स्थिति के अनुसार सम्बन्धित सभी 90,573 ग्रामों में ड्रोन सर्वे की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है तथा कुल 67,560 ग्रामों में कुल 102,00,354 ग्रामीण आवासीय अभिलेख (घरौनी) तैयार की जा चुकी है।

17. जनहित गारण्टी अधिनियम-2011:-

दिनांक 01.01.2024 से दिनांक 09.02.2025 तक आय प्रमाण पत्र के कुल 16137319 आवेदन प्राप्त हुए, जिसके सापेक्ष 15795597 आवेदन पत्रों का निस्तारण किया गया। जाति प्रमाणपत्र के कुल 12159368 आवेदन प्राप्त हुए जिसके सापेक्ष 11878253 आवेदन पत्रों का निस्तारण किया गया। निवास प्रमाण पत्र के कुल 12614867 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिसके सापेक्ष 12392579 आवेदन पत्रों का निस्तारण किया गया। हैसियत प्रमाण पत्र के कुल 34844 आवेदन प्राप्त हुए जिसके सापेक्ष 30770 आवेदन पत्रों का निस्तारण किया गया।

राजस्व परिषद

18. निर्विवाद वरासतः-

पोर्टल पर दर्ज अद्यतन सूचना के अनुसार दिनांक 09.02.2025 तक कुल 7435726 प्रार्थना पत्र पोर्टल पर दर्ज हुए, जिसके सापेक्ष राजस्व निरीक्षक द्वारा 7382704 आवेदन पत्रों का निस्तारण करते हुए 5878814 प्रकरणों में निर्विवाद वरासत दर्ज कर दी गयी।

19. डिजिटल क्राप सर्वे-एग्रीस्टैक योजनाः-

डिजिटल क्राप सर्वे-एग्रीस्टैक योजना के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में खसरा पड़ताल का कार्य ई-खसरा पड़ताल एप के माध्यम से खरीफ, रबी व जायद मौसम 1431 फसली वर्ष (2023-24) में सम्पन्न कराया गया। एग्रीस्टैक एप व आनलाइन खसरा होने से प्रत्येक स्तर पर इसका पर्यवेक्षण किया जा सकेगा, जिससे अभिलेखों में और अधिक शुद्धता व पारदर्शिता आयेगी।

20. फार्मर रजिस्ट्रीः-

प्रदेश में फार्मर रजिस्ट्री का कार्य भारत सरकार के निर्देशानुसार कराया जा रहा है, जिससे अभिलेखों में और अधिक शुद्धता व पारदर्शिता आयेगी। कृषकों का समस्त विवरण एक ही प्लेटफार्म पर उपलब्ध रहेगा, भूमि सम्बन्धी विवादों में भी कमी आयेगी।

भूमि अध्याप्ति निदेशालय

भूमि अध्याप्ति निदेशालय की स्थापना उत्तर प्रदेश शासन के आदेश दिनांक जुलाई, द्वारा राजस्व परिषद के अधीन की गयी है। इस शासनादेश द्वारा निदेशक, भूमि अध्याप्ति को भूमि अध्याप्ति सम्बन्धी मामलों में निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाया गया है एवं रूटीन मामलों में सीधे शासन से पत्र व्यवहार करने हेतु अधिकृत किया गया है। नीति विषयक मामले राजस्व परिषद के माध्यम से प्रस्तुत किये जाने की व्यवस्था की गयी है। भूमि अध्याप्ति निदेशालय में निदेशक (भूमि अध्याप्ति) के प्रतिवेदक अधिकारी मा. अध्यक्ष, राजस्व परिषद होते हैं।

निदेशालय स्तर पर मुख्य रूप से प्रदेश के 39 जनपदों में स्थापित कुल 49 भूमि अध्याप्ति इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों की स्थापना का कार्य विभिन्न सेवा नियमावलियों एवं समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार किया जाता है।

वर्तमान समय में भूमि अध्याप्ति निदेशालय द्वारा शासनादेश दिनांक 4 जुलाई, 1987 तथा समय-समय पर इसमें किये गये संशोधनों के अनुसार भूमि अध्याप्ति संबंधी कार्य किया जा रहा है। शासनादेश दिनांक 11 जून, 2008 द्वारा उक्त शासनादेश में संशोधन करते हुए प्रदेश में उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम के अन्तर्गत गठित औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा अन्य अधिकारी, जो अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी से निम्न स्तर के न हों, को निदेशक, भूमि अध्याप्ति में निहित समस्त भू-अध्याप्ति कार्यों के निर्वहन हेतु अधिकृत किया गया है।

भारत सरकार द्वारा पुराने भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 को निरसित करते हुये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,

2013 (अधिनियम संख्या-30 सन् 2013) अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम भारत का राजपत्र (असाधारण) भाग-2 खण्ड-1 में दिनांक 27.09.2013 को प्रकाशन कराये जाने के पश्चात् दिनांक 01.01.2014 से प्रवृत हो गया है।

नये भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के अनुसार भूस्वामियों की भूमि अर्जन किये जाने के फलस्वरूप अर्जन से संबंधित आपत्तियों/विवादों के निस्तारण हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 51 की उपधारा (1) और (2) के अन्तर्गत प्रदेश के 12 मण्डलों (आगरा, कानपुर, लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, प्रयागराज, बस्ती, मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या, झाँसी) व जनपद गौतमबुद्ध नगर में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण की स्थापना की गयी है, जिससे कृषकों की अर्जन संबंधी आपत्तियाँ/विवादों के निस्तारण में सुगमता हो रही है।

चकबन्दी

प्रदेश में चकबन्दी योजना वर्ष 1954 से प्रारम्भ की गयी। इस योजना का भूमि सुधार हरित क्रान्ति एवं ग्रम विकास से सीधा सम्बन्ध है। चकबन्दी का उद्देश्य कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि कर कृषकों का जीवन स्तर ऊँचा करना है। इस योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत बिखरी हुई जोतों को इकजाई करके चक प्रविष्ट किये जाते हैं तथा चकमार्ग, सम्पर्क मार्ग, सिंचाई की नाली, सामान्य आबादी, अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के लिये आबादी एवं अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु भूमि आरक्षित की जाती है। इस प्रकार चकबन्दी क्रियाओं के चलते हरित क्रान्ति के साथ-साथ सामाजिक परिवेश में भी परिवर्तन हुआ है। विशेष रूप से समाज में उपेक्षित वर्ग को गृह निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने में इस योजना का उल्लेखनीय योगदान है। सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि का आरक्षण ग्रामवासियों के लिये विशेष उपलब्धि है।

भौतिक स्थिति-

इस वित्तीय वर्ष में 34858 हे. क्षेत्रफल पर चकबन्दी योजना की पुष्टिकरण, 206250 गाटों पर नये भौमिक अधिकार अभिलेख निर्माण तथा 52 ग्रामों में अधिनियम की धारा-6(1) के अन्तर्गत चकबन्दी प्रक्रिया से पृथक तथा 164 ग्रामों में अधिनियम की धारा-52(1) के अन्तर्गत चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण, कुल 216 ग्रामों की चकबन्दी प्रक्रिया समाप्त कर अधिकार अभिलेख तहसील को वापस किये गये।

चकबन्दी प्रक्रियान्तर्गत ग्रामों का विवरण-

वर्तमान में प्रथम व द्वितीय चक्र के कुल 2510 ग्राम चकबन्दी प्रक्रियाधीन है, जिसमें से 169 ग्रामों को वित्तीय वर्ष 2024-25 में चकबन्दी प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया है।

वादों के निस्तारण का विवरण-

इस वित्तीय वर्ष में 206244 चकबन्दी वादों का निस्तारण चकबन्दी प्राधिकारियों द्वारा किया गया।

राजस्व परिषद

विभाग की नई योजनायें एवं महत्वपूर्ण फैसले-

1. जनप्रतिनिधियों/कृषकों की मांग के आधार पर वित्तीय वर्ष 2023-24 में 959 ग्राम तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 में 169 ग्राम, कुल 1128 ग्रामों में चकबन्दी प्रसार की स्वीकृति शासन से प्रदान करने के उपरान्त उक्त आशय की विज्ञप्ति जारी कर दी गयी है। इसके अतिरिक्त नये ग्रामों में चकबन्दी प्रसार करने की कार्यवाही निन्तर की जा रही है।
2. चकबन्दी प्रक्रियाधीन ग्रामों में से 599 ग्रामों का उत्तर प्रदेश जीत चकबन्दी अधिनियम की धारा-52(1) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में लक्ष्य निर्धारित कर कार्य पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।
3. मा. मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से कृषकों की हित के दृष्टिगत चकबन्दी कार्यों को गति प्रदान करते हुए AI, Block chain, Drone एवं Rover Survey आधारित चकबन्दी (Chakbandi AI) संचालित किये जाने हेतु योजना परीक्षणाधीन है।
4. उप संचालक चकबन्दी, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी व चकबन्दी अधिकारी स्तर तक के समस्त चकबन्दी न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत करते हुये चकबन्दी न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली से लिंक किया जा चुका है।
5. आधुनिकीकरण के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 व उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी नियमावली-1954 को प्रासंगिक बनाये जाने पर विचार किया जा रहा है।
6. चकबन्दी प्रक्रियाधीन ग्रामों की कार्ययोजना बनाकर शीघ्र एवं पारदर्शितापूर्ण जनहित में चकबन्दी पूर्ण कराये जाने की नीति है।
7. भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टालरेन्स नीति का अनुसरण किया जा रहा है।

जिला गजेटियर

गजेटियर्स किसी भी स्थान का परिचयात्मक अभिलेख होते हैं, अतः ब्रिटिश शासनकाल में गजेटियर्स लिखे गये थे। देश की स्वतंत्रता के पश्चात् भारत सरकार द्वारा भी इस परम्परा को आगे बढ़ाते हुये सभी प्रदेशों के गजेटियर्स को पुनरीक्षित करने की योजना प्रारम्भ की गयी। उत्तर प्रदेश में वर्ष   में जिला गजेटियर विभाग की स्थापना के साथ इस सम्बन्ध में कार्य प्रारम्भ किया गया तथा केन्द्र सरकार द्वारा पोषित इस योजना के अन्तर्गत विभाग द्वारा प्रदेश के तत्कालीन सभी   (प्रदेश विभाजन के पश्चात   ) जिलों के जिला गजेटियर्स एवं   जनपदों के पूरक अंक (सप्लीमेन्ट्री वाल्यूम्स) अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुए। उक्त 50 जनपदों में से 43 जनपदों में गजेटियर अंग्रेजी, 04 के हिन्दी तथा 03 के हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित कराये गये। जिला गजेटियर विभाग ने प्रदेश का प्रथम वृहद "राज्य गजेटियर" पांच खण्डों में तैयार कर प्रकाशित कराया है। वर्ष 1980-81 में इस पूरी योजना को भारत सरकार द्वारा उ.प्र. सरकार को हस्तान्तरित कर दिया गया।

प्रदेश के सभी जिलों के गजेटियर्स का पुनरीक्षण/लेखन हिन्दी भाषा में कराये जाने की योजना थी। इस योजना के अन्तर्गत यह निर्णय लिया गया था कि सर्वप्रथम उन जिलों के गजेटियर्स प्रथमतः

तैयार कराये जायें जो कि नव सृजित हैं तथा उन जिलों के गजेटियर्स को पुनरीक्षित किया जाये जिन जिलों से ये नवसृजित जिले सृजित हुये हैं। इस शृंखला में गाजियाबाद, मेरठ, ललितपुर, कानपुर देहात, फिरोजाबाद तथा झाँसी के गजेटियर लिखे तथा प्रकाशित कराये जा चुके हैं तथा बिक्री हेतु राजकीय मुद्रणालय में उपलब्ध हैं। पूर्व में तैयार किये गये 50 जनपदों के जिला गजेटियर को जन सामान्य की सुविधा हेतु विभागीय वेबसाइट (ga etteer-up-nic.in) पर उपलब्ध है।

नव सृजित 25 जनपदों (1. संतकबीरनगर, 2. महराजगंज, 3. औरैया, 4. संतरविदास नगर, 5. अमेठी, 6. अम्बेडकरनगर, 7-मऊ, 8. कुशीनगर, 9. कन्नौज, 10. सोनभद्र, 11-चन्दौली, 12. चित्रकूट, 13. हापुड़, 14. गौतमबुद्धनगर, 15. कौशाम्बी, 16. महोबा, 17. शामली, 18. बागपत, 19. श्रावस्ती, 20. अमरोहा, 21 सम्भल, 22. हाथरस, 23. कासगंज, 24. सिद्धार्थनगर, 25. बलरामपुर) के गजेटियर को हिन्दी में लेखन हेतु लक्ष्य निर्धारित कर प्रश्नावली प्रेषित करते हुए सूचना की मांग की गयी थी। इस संबंध में दिनांक 08.08.2019, 27.11.2019, 18.12.2020, 13.01.2021, 28.01.2021, 11.02.2021 तथा 04.08.2021 को बैठक आयोजित कर सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी।

राहत आयुक्त संगठन-आपदा प्रबंधन

आपदा प्रबन्धन के मुख्यतः दो आयाम हैः-

- आपदा के पूर्व आपदा जोखिम का अनुमान व आंकलन करना, उनके बचाव व न्यूनीकरण के लिए उपाय, नीति व योजना तैयार करना तथा इस संबंध में आवश्यक पूर्व तैयारी व क्षमता समवर्धन संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित कराना।
- आपदा के उपरान्त खोज, बचाव एवं राहत (आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार राहत प्रदान किया जाना) प्रदान किया जाना व बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था।

आपदा प्रबन्धन के पूर्व तैयारी के संबंध में राज्य स्तर पर निम्न व्यवस्थाएं की गई हैः-

- आपदा प्रबन्धन को प्रभावी बनाने हेतु भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 के आलोक में उ.प्र. सरकार द्वारा राज्य आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 पारित किया गया है।
- उक्त अधिनियम में किए गए प्रविधान के तहत उ.प्र. राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण को गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष मा. मुख्यमंत्री जी, उ.प्र. शासन हैं। उक्त के अतिरिक्त मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन पदेन रूप से प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं। उ.प्र. राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण के संचालन हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया है।
- उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण का कार्य प्रदेश में आपदा जोखिम की पहचान करना, जोखिम न्यूनीकरण के उपाय करना, आपदा से पूर्व तैयारी करना, आपदा से बचाव हेतु लोगों को प्रशिक्षित व जागरूक करना तथा आपदा से बचाव के क्षमता संबर्धन सम्बन्धी

योजनाएं इत्यादि तैयार करना है।

- राष्ट्रीय आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 के प्रविधान के अनुसार जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण का गठन किया गया है। जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण का मुख्य कार्य जनपद में आपदा जोखिम की पहचान करना, जोखिम न्यूनीकरण के उपाय करना, आपदा से पूर्व तैयारी करना, आपदा से बचाव हेतु लोगों को प्रशिक्षित व जागरूक करना तथा आपदा से सम्बन्धित योजनाएं आदि तैयार करना है।

आपदा के उपरान्त खोज बचाव एवं राहत हेतु राज्य स्तर पर निम्न व्यवस्थाएं की गयी हैं:-

- उ.प्र. शासन के राजस्व विभाग के अधीन राहत आयुक्त संगठन का गठन किया गया है। राजस्व विभाग, राहत आयुक्त संगठन एवं जनपद स्तर पर प्रशासन के समन्वित प्रयास से आपदा के उपरान्त खोज/बचाव एवं राहत के कार्य सुचारु रूप से सम्पादित किये जाते हैं। खोज बचाव एवं राहत के कार्य हेतु प्रदेश स्तर पर राज्य आपदा मोचक निधि (एस.डी.आर.एफ.) का गठन किया गया है। राज्य स्तर पर गठित राज्य आपदा मोचक निधि (एस.डी.आर.एफ.) का वित्त पोषण 75 प्रतिशत भारत सरकार तथा 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।
- सुदृढ़ आपदा प्रबंधन के दृष्टिगत खोज बचाव एवं राहत के कार्यो को सुचारु रूप से निष्पादित किये जाने हेतु तथा राज्य आपदा मोचक निधि (एस.डी.आर.एफ.) की धनराशि को व्यय किये जाने हेतु राज्य स्तर पर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त तथा जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आपदा राहत समिति का गठन किया गया है।

राज्य आपदा मोचक निधि से आपदा प्रबंधन एवं राहत की वर्तमान स्थितिः-

- राज्य आपदा मोचक निधि में बजट प्रविधान वित्त आयोग की संस्तुति के अनुरूप किया जाता है। पन्द्रहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य आपदा मोचक निधि में रु. 2388.00 करोड़ के बजट व्यवस्था की गयी है।

●

आबकारी

भारतीय संविधान के अनुच्छेद- में निरूपित सिद्धान्त के अनुरूप प्रदेश के आबकारी प्रशासन की मौलिक नीति मादक वस्तुओं के अनौषधीय उपयोग के निषेध का उन्नयन, प्रवर्तन एवं प्रभावीकरण है। तदनुसार मद्य निषेध की नीति को प्रमुखता देते हुए विभाग सुनिश्चित करता है कि उपयुक्त पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण द्वारा मादक वस्तुओं की वैज्ञाानिक बिक्री से अधिकतम राजस्व प्राप्त किया जाय। प्रदेश के विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं हेतु राजस्व अर्जित करने वाले विभागों में आबकारी विभाग का प्रमुख स्थान है। वर्तमान में प्रदेश में वाणिज्य कर (वस्तु एवं सेवाकर) के बाद आबकारी की राजस्व प्राप्तियाँ ही सर्वाधिक हैं। आबकारी विभाग पर होने वाला कुल व्यय, इस विभाग द्वारा अर्जित सकल राजस्व का लगभग एक प्रतिशत है। इस प्रकार विभाग द्वारा अर्जित किये गये राजस्व का लगभग प्रतिशत भाग राज्य की विकास योजनाओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है।

आबकारी विभाग का उद्देश्य

क- कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन तथा गन्ना उत्पादकों को उचित गन्ना मूल्य का भुगतान।

ख- चीनी एवं अल्कोहल उत्पादक इकाइयों का आधुनिकीकरण एवं नवीनतम तकनीक के प्रयोग से उत्पादकता में वृद्धि जिससे औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहन मिल सके।

ग- एथनाल के उत्पादन से भारत सरकार की विदेशी मुद्रा की बचत।

घ- मदिरा-उद्योग-व्यवसाय से हितबद्ध अनुज्ञापियों द्वारा किये गये पूँजी निवेश पर समुचित लाभार्जन एवं उपभोक्ता सन्तुष्टि।

ङ- प्रक्रियाओं का सरलीकरण।

गन्ने से शीरा उत्पादन

प्रदेश के कृषि उपज में गन्ने का एक बहुत बड़ा भाग है। इस गन्ने का पूर्णता से उपभोग राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए नितान्त आवश्यक है। गन्ने से चीनी के अतिरिक्त उप उत्पाद के रूप में शीरा भी प्राप्त होता है, जिसका उपयोग अल्कोहल निर्माण में होने के साथ-साथ आग्जेलिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ईस्ट निर्माण, पशु एवं कुक्कुट आहार, कोयला टिकली उद्योग तथा कार्बन एवं ढलाई उद्योगों में किया जाता है। प्रदेश में स्थापित चीनी मिलों में कार्यरत चीनी मिलों की संख्या है। इन सभी चीनी मिलों में इस महत्वपूर्ण औद्योगिक उत्पाद शीरे को संरक्षित करने के लिए लगभग . लाख कुन्तल संचय क्षमता उपलब्ध है।

शीरे का सुरक्षित भण्डारण एवं अधिकतम लाभकारी उपयोग

वर्तमान में प्रदेश में उत्पादित गन्ने की पेराई हेतु चीनी मिलें हैं, जिनमें से शीरा सत्र - में चीनी मिले कार्यरत हैं। चीनी मिलों से निकलने वाले शीरे की खपत के लिए शीरे पर आधारित आसवनियॉं व अन्य उद्योग पहले प्रदेश में उपयुक्त संख्या में स्थापित नहीं हुये थे। इसके परिणामस्वरूप चीनी मिलों को अपनी फैक्ट्री में उत्पादित किन्तु भारी मात्रा में अप्रयुक्त शीरे को फैक्टरी परिसर से उठाकर बाहर फिकवाने के लिये चीनी मिलों को अतिरिक्त धन व्यय करना पड़ता था। शीरे के निस्तारण की समस्या और इस निस्तारण से उत्पन्न प्रदूषण से बचने के लिये विज्ञान की प्रगति के साथ-साथ शीरे पर आधारित आसवनियॉं एवं अन्य उद्योग स्थापित हुये, जिससे अब वर्तमान में चीनी मिलों में उत्पादित सम्पूर्ण शीरे का सदुपयोग हो रहा है। अतः शीरे जैसे बहुपयोगी कच्चे माल का सुरक्षित भण्डारण प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक है। सम्पूर्ण शीरा सत्र - (नवम्बर से अक्टूबर, तक) में 494.50 लाख कुन्तल शीरे का उत्पादन हुआ है। वर्तमान शीरा सत्र 2024-25 में दिनांक 31.01.2025 तक . लाख कुन्तल शीरे का उत्पादन हुआ है।

प्रदेश में शीरे के उत्पादन के दो स्रोत हैं :-

. वैक्यूम पैन पद्धति से चीनी बनाने वाली चीनी मिलों द्वारा।

. खाण्डसारी इकाइयों द्वारा।

वर्तमान में प्रदेश में कुल चीनी विनिर्माण खाण्डसारी खाई विभागीय आनलाइन पोर्टल पर पंजीकृत हैं। उत्तर प्रदेश अधिनियम, एवं उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली, के अन्तर्गत चीनी मिलों में उत्पादित शीरे पर राज्य सरकार नियंत्रण रखती है तथा प्रदेश के आबकारी आयुक्त, शीरा नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। नियमानुसार चीनी के किसी कारखाने का अध्यासी, कारखाने के भू-गृहादि के भीतर उतनी संख्या और आकार की संग्रहण टंकियां रखेगा जिससे कि एक बार में कारखाने के लिये तत्समय रजिस्ट्रीकृत पूर्ण पेराई क्षमता के अनुसार कार्य दिवसों में पेरे जाने वाले सम्पूर्ण गन्ने के चार प्रतिशत के हिसाब से संगणित शीरे के कुल उत्पादन का कम से कम साठ प्रतिशत या पिछले वर्ष के सर्वाधिक कुल उत्पादन का साठ प्रतिशत जो भी अधिक हो, संग्रह कर सके।

ऑन लाइन शीरा सम्भरण की प्रक्रिया

ऑन लाइन शीरा सम्भरण हेतु आसवनी एवं औद्योगिक इकाइयों द्वारा ऑन लाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है, जिसके परीक्षणोपरान्त शीरे के सम्भरण हेतु आन लाइन परमिट आदेश जारी कर दिया जाता है।

नयी शीरा नीति वर्ष 2024-25 के मुख्य प्राविधान

- गत वर्ष के अवशेष आरक्षित शीरे को अग्रेनीत किया गया है जिसे जनवरी, तक सम्भरण कराना अनिवार्य होगा। वर्तमान में आरक्षित शीरे की देयता प्रतिशत सी-हैवी शीरे के टर्म में निर्धारित की गयी है।
- आरक्षित तथा अनारक्षित शीरे की निकासी के मध्य अनुपात : रखा गया है जो माहवार निकासी पर लागू रहेगा।

- चीनी मिलों को पेराई सत्र के दौरान आरक्षित शीरे को संचित रखते हुए अनारक्षित शीरे के निस्तारण की सुविधा दी गई है।
- शीरा सम्भरण को सुगम बनाने के लिये मांग पत्रों को ऑन लाइन व्यवस्था के अन्तर्गत निस्तारण की व्यवस्था की गई है।
- देशी मदिरा निर्माण के लिये अन्य आसवनियों से देशी मदिरा उत्पादक आसवनियों को आपूर्ति की गई ई.एन.ए. के समतुल्य मात्रा का आरक्षित शीरा देशी शराब निर्माता आसवनियों को आवंटित आरक्षित शीरे में से समायोजित करके ई.एन.ए. आपूर्तक आसवनी को सम्भरण किये जाने की ऑनलाइन व्यवस्था की गयी है।
- भारत सरकार द्वारा एथनॉल ब्लेण्डेड पेट्रोल (ई.बी.पी.) प्रोग्राम के अन्तर्गत बी-हैवी शीरे से पावर अल्कोहल बनाने पर विशेष बल दिया जा रहा है। अतः उत्तर प्रदेश राज्य में बी-हैवी शीरे से भी एथनॉल का उत्पादन किया जा रहा है।
- शीरा वर्ष - में अन्य राज्यों/अन्य राष्ट्रों को शीरे के निर्यात/आयात की अनुमति शीरा नियंत्रक की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रदान किये जाने की व्यवस्था है।
- शीरा निर्यात करने की अनुमति उत्तराखण्ड राज्य की रासायनिक इकाइयों को प्राथमिकता प्रदान की गयी है।
- शीरा वर्ष - में चीनी मिलों में संचित बिलोग्रेड/जले शीरे के ऑनलाइन निस्तारण की व्यवस्था की गयी है। समस्त आसवनियों में शीरे एवं इससे उत्पादित अल्कोहल के सभी चरणों की कार्यवाहियों को वेब कैम व अन्य अत्याधुनिक तकनीकी के माध्यम से रिकॉर्ड रखे जाने की कार्यवाही किये जाने हेतु उन्मुख होने का प्रयास किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, जिससे विभाग की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का समावेश होगा तथा व्यापार करने की सुगमता को बढ़ावा मिलेगा।

अल्कोहल

आबकारी विभाग देशी/विदेशी मदिरा, बीयर और भांग से राजस्व अर्जित करने वाला विभाग समझा जाता है। वास्तव में प्रदेश में उत्पादित अल्कोहल का लगभग से प्रतिशत भाग औद्योगिक विकास हेतु प्रदेश के उद्योगों द्वारा जनोपयोगी महत्वपूर्ण पदार्थों के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। शेष से प्रतिशत अन्य प्रदेश/देश के बाहर निर्यात किया जाता है। प्रदेश के बाहर अल्कोहल के निर्यात से राज्य को राजस्व प्राप्त होने के साथ-साथ कम अल्कोहल उत्पादन वाले राज्यों को राजस्व अर्जन में सहायता मिलती है। वहीं देश के बाहर अल्कोहल निर्यात से देश की प्रगति के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित कराने में प्रदेश को एक महत्वपूर्ण स्थान भी प्राप्त हुआ है।

आबकारी विभाग के राजस्व का मुख्य स्रोत अल्कोहल है जो आसवनियों द्वारा उत्पादित किया जाता है। वर्तमान में प्रदेश में आसवनियों के अनुज्ञापन स्वीकृत हैं, जिनमें आसवनियाँ केवल शीरे, आसवानियां केवल ग्रेन, आसवनियां शीरे व ग्रेन एवं 05 आसवनियाँ गैर परम्परागत स्रोतों पर आधारित हैं। इस प्रकार प्रदेश में कुल आसनियों में से पेय एवं औद्योगिक, केवल पेय, केवल औद्योगिक एवं रासायनिक उद्योगों की सह-आसवनियां

हैं। प्रदेश में आसवनियां सरकारी/सहकारी क्षेत्रों में तथा आसवनियां निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं। इस समय उत्तर प्रदेश में बियर उत्पादन हेतु (सात) यवासवनियां एवं बीयर/वाइन के निर्माण हेतु 03 द्राक्षासवनियां स्थापित हैं।

वर्ष 2025-26 हेतु घोषित नयी आबकारी नीति के महत्वपूर्ण तथ्यः-

आबकारी नीति वर्ष - को निम्नांकित उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुये निर्मित किया गया है।

- मादक वस्तुओं के निर्माण, परिवहन, आयात, निर्यात, बिक्री एवं कब्जे में रखे जाने संबंधी गतिविधियों को विनियमित एवं नियंत्रित करते हुये प्रदेश के वित्तीय संसाधनों की वृद्धि करना।
- उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त मदिरा की उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित कराया जाना।
- निवेश को प्रोत्साहन देना, राज्य को आत्मनिर्भर उत्पादक राज्य बनाया जाना, कृषि उत्पादों को नष्ट-होने से बचाते हुये किसानों की आय में वृद्धि करना और रोजगार सृजन के अवसर प्रदान करना।
- मदिरापान को जिम्मेदार एवं सुरक्षित सीमा में रखा जाना।
- लिकर माफियाओं के प्रभुत्व को समाप्त करते हुये दुकानों के आवंटन में पूर्ण पारदर्शिता तथा निष्पक्षता लाना और आवंटन प्रक्रिया में मानव हस्तक्षेप समाप्त किया जाना।
- प्रक्रियाओं का सरलीकरण और समस्त स्टेक होल्डर्स को प्रत्येक स्तर की जानकारी सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सुलभ हो सके जिससे 'ईज आफ डूइंग बिजनेस' एवं 'गुड गवर्नेन्स' को बढ़ावा मिले।
- धनराशियों का अंतरण डिजिटल माध्यम से कराया जाना।
- अवैध मदिरा के निर्माण/विक्रय पर पूर्ण नियंत्रण किया जाना, राजस्व क्षति एवं चोरी को रोकते हुये विकासोन्मुख सरकारी परियोजनाओं के पर्याप्त वित्तपोषण हेतु अधिकतम राजस्व का अर्जन।
- आबकारी नीति को आकर्षक बनाते हुये मदिरा व्यवसाय को स्थायित्व प्रदान करना।

अल्कोहल, भांग व नारकोटिक पदार्थ आषधियों की निर्माणशालाएंः-

औषधीय और प्रसाधन निर्मितियों के प्रयोजनार्थ अधिकृत स्प्रिट, भांग तथा अन्य उत्पाद शुल्क योग पदार्थों को कब्जा में रखने को विनियमित करने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश औषधीय और प्रसाधन निमिर्तियों के प्रयोजनार्थ अविकृत स्प्रिट, भांग तथा अन्य उत्पादन शुल्क योग पदार्थों को कब्जा में रखने हेतु लाइसेंस नियमावली, प्रख्यापित की गयी है, जिसके अन्तर्गत भांग, तथा अल्कोहल का आबंटन एफ.एल.- अनुज्ञापन के अन्तर्गत औषधियों के निर्माण हेतु किया जाता है। उक्त के साथ एफ.एल.- अनुज्ञापन के अन्तर्गत स्वजनित अल्कोहल युक्त औषधियां भी उत्पादित की जाती हैं। इस प्रकार के अनुज्ञापन कार्यरत हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि नारकोटिक औषधियों के उत्पादन हेतु उत्तर प्रदेश स्वापक औषधि (चतुर्थ संशोधन) नियमावली प्रख्यापित की गयी है।

प्राविधिक कार्य :-

प्राविधिक अधिकारी द्वारा प्रदेश के सभी बन्धित व अबन्धित औषधि निर्माणशालाओं,

अल्कोहल पर आधारित उद्योगों एवं आसवनियों पर प्राविधिक नियंत्रण रखने, उनकी समस्याओं एवं परिवर्तन/परिवर्धन तथा क्षमता विस्तार एवं नई आसवनियों की स्थापना हेतु आवश्यक अनुज्ञापन प्रदान किये जाने के सम्बंध में आबकारी आयुक्त को यथावश्यक प्राविधिक परामर्श देने का कार्य किया जाता है।

वर्तमान में प्रदेश में कुल आसवनियां कार्यरत हैं, जिन्में से 63 आसवनियां शीरे पर, 11 आसवनियां ग्रेन पर एवं 17 आसवनियां ड्यूल मोड (शीरा+ग्रेन) पर आधारित हैं। इस प्रकार इनमें से पेय, औद्योगिक एवं मिश्रित एवं रासायनिक उद्योगों की सह-आसवनियां हैं। प्रदेश में आसवनियां सरकारी/सहकारी क्षेत्र में तथा आसवनियां निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं। इस समय उत्तर प्रदेश में बियर उत्पादन हेतु यवासवनियां हैं।

एथनाल को पेट्रोल में मिश्रित किये जाने की योजनाः-

एथनाल को पेट्रोल में मिश्रित कर व्यापक इस्तेमाल करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश में वर्ष - हेतु पायलट योजना प्रारम्भ की गयी थी। इस योजना के अंतर्गत पेट्रोल में प्रतिशत पावर अल्कोहल का मिश्रण किया जाता था। भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संकल्प संबंधी राजपत्र दिनांक . . द्वारा दिनांक . . से राज्यों एवं चार संघीय राज्यों के समस्त टर्मिनलों/डिपुओं पर पेट्रोल में पावर अल्कोहल मिश्रण किये जाने का निर्णय लिया गया। भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक . . के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में पेट्रोल में लगभग प्रतिशत एथनाल का मिश्रण किया जा रहा है।

लघुयवासवनीः-

प्रदेश में बार अनुज्ञापन धारक इकाइयों को लघु यवासवनी का भी अनुज्ञापन प्रदान किये जाने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश यवासवनी (छठवाँ संशोधन) नियमावली के अन्तर्गत की गयी है। इसके अन्तर्गत ड्राट बियर की लीटर प्रतिदिन तक की उत्पादन की अनुमति प्रदान की जा सकती है। प्रदेश में अद्यतन लघु यवासवनी के एम.वी.- अनुज्ञापन क्रमशः आगरा, गाजियाबाद, बरेली, लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, मथुरा, वाराणसी, कानपुर एवं प्रयागराज में प्रदान की जा चुकी है। लघु यवासवनियों की स्थापना का कार्य प्रक्रियाधीन है।

आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश की प्रयोगशालायें :-

उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग में कुल प्रयोगशालायें कार्यरत हैं। वर्तमान में प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में गोरखपुर, मध्य क्षेत्र में लखनऊ तथा पश्चिमी क्षेत्र मेरठ में एक-एक क्षेत्रीय प्रयोगशालायें कार्यरत हैं। इन प्रयोगशालाओं में कार्यों के समन्वय, अनुश्रवण व नियंत्रण हेतु आबकारी मुख्यालय प्रयागराज में एक केन्द्रीय प्रयोगशाला कार्यरत है। क्षेत्रीय आबकारी प्रयोगाशालाओं में आसवनियों, यवासवनियों, चीनी मिलों, मदिरा के अनुज्ञापित दुकानों, अल्कोहल पर आधारित उद्योगों आदि से संबंधित पदार्थों व नमूनों का परीक्षण करके उनकी गुणवत्ता पर समुचित नियंत्रण रखा जाता है। आसवनियों द्वारा उत्पादित शोधित सुरासव, देशी मदिरा, विदेशी मदिरा आदि का श्रेणीकरण एवं विस्तृत रासायनिक परीक्षण करके मानव उपभोग हेतु उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र देने का कार्य

प्रयोगशालाओं द्वारा सम्पादित किया जाता है।

प्रवर्तन कार्यः-

आबकारी विभाग प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा राजस्व अर्जक विभाग है, जो मादक पदार्थों के वैध उपभोग एवं व्यापार से राजस्व अर्जन करते हुए अवैध उपभोग एवं अवैध व्यापार का शमन करता है। जहां एक तरफ अनुज्ञापित दुकानों से मादक पदार्थों की बिक्री होती है, वहीं दूसरी तरफ असामाजिक तत्वों द्वारा भी अवैध मादक पदार्थों की बिक्री की जाती है, जिससे राजस्व एवं जनस्वास्थ्य की हानि के अतिरिक्त समय-समय पर अवैध शराब पीने से विषाक्त काण्ड जैसी दुखद घटना घटित होने की सम्भावना रहती है। कतिपय अराजक तत्वों द्वारा जाने-अनजाने मिथाइल अल्कोहल विष का प्रयोग भी कर लिया जाता है जिससे जन हानि सम्भव है। अपराध शमन कार्य हेतु प्रत्येक जनपद को आवश्यकतानुसार अपराध निरोधक क्षेत्र में विभाजित किया गया है, जिसमें आबकारी निरीक्षक नियुक्त किये गये हैं। इनके पर्यवेक्षण हेतु प्रत्येक जनपद में जिला आबकारी अधिकारी, मण्डल में उप आबकारी आयुक्त व जोन स्तर पर संयुक्त आबकारी आयुक्त नियुक्त हैं। उक्त के अतिरिक्त केवल अपराध निरोधक कार्य हेतु ही प्रत्येक मण्डल में आवश्यकतानुरूप सहायक आबकारी आयुक्तों के अधीन प्रवर्तन इकाइयों का भी गठन किया गया है। सम्पूर्ण प्रदेश को पाँच जोन में विभक्त कर इनमें नियुक्त संयुक्त आबकारी आयुक्त द्वारा भी पर्यवेक्षण कार्य हेतु अपना योगदान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त मुख्यालय स्तर पर आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के अधीन आबकारी ब्यूरो स्थपित है। अभिसूचना ब्यूरो का नियंत्रण संयुक्त आबकारी आयुक्त ई आई बी के अधीन है, जिनके सहायतार्थ पाँच उप आबकारी आयुक्त, एक सहायक आबकारी आयुक्त, छः आबकारी निरीक्षक एवं बारह आबकारी सिपाही रहते हैं। आबकारी अभिसूचना ब्यूरो (ई आई बी) आबकारी अपराधों एवं तस्करों की स्वयं पकड़-धकड़ करने के अतिरिक्त इस सम्बन्ध में सूचनायें एकत्र कर विभिन्न जनपदों एवं देश के विभिन्न राज्यों के बीच आबकारी अपराधों से सम्बंधित सूचनाओं का आदान-प्रदान करता है तथा भारत सरकार के नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो के भी सम्पर्क में रहता है। साथ ही यह देशी शराब तथा विदेशी मदिरा की दुकानों के उपभोग तथा उससे प्राप्त होने वाले राजस्व पर सतत निगरानी रखता है। इसके अतिरिक्त ई.आई.बी. अनुभाग विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त होने वाली शिकायतों की जाँच कार्यवाही सम्पादित करता है तथा मण्डल स्तर पर स्थापित प्रवर्तन इकाइयों का पर्यवेक्षण करता है। आबकारी राजस्व की सुरक्षा एवं विभाग की कार्यकुशलता बढ़ाने में भी आबकारी अभिसूचना ब्यूरो का महत्वपूर्ण योगदान है।

आबकारी दुकानों की बंदी :-

महत्वपूर्ण धार्मिक स्थानों यथा वृन्दावन, अयोध्या, चित्रकूटधाम, मिश्रिख (नैमिषारण्य), देवाशरीफ तथा देवबन्द के धार्मिक स्थलों में शराब बन्दी लागू है। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, श्री कृष्ण जन्म स्थल मथुरा एवं प्रयागराज में संगम की परिधि के चारों ओर के एक किलोमीटर के अन्तर्गत तथा जनपद मथुरा के   वार्ड क्रमशः घाटी बहालराय, गोविन्दपुर, मण्डी रामदास, चौबिया पाड़ा, द्वारिकापुरी, नवनीतनगर, वनखण्डी, भरतपुर गेट, अर्जुनपुरा, हनुमान टीला, जगन्नराथपुरी, गऊघाट,

मनोहरपुरा, वैरागपुरा, राधानगर, बद्रीनगर, महाविद्या कालोनी, कृष्णानगर प्रथम, कृष्णानगर द्वितीय, कोयला गली, डैम्पियर नगर, जयसिंहपुरा तथा बरसाना, गोकुल, गोवर्धन, नन्दगांव, राधाकुण्ड व बल्देव नगर पंचायत सीमा के भीतर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध है।

राष्ट्रीय पर्व के दिवसों यथा गणतन्त्र दिवस (जनवरी), डॉ भीमराव अम्बेडकर जन्म दिवस (अप्रैल), स्वतंत्रता दिवस (अगस्त), महात्मा गांधी जन्म दिवस (अक्टूबर) को शराब की दुकानें पूर्णतया बन्द रहती है। इसके अतिरिक्त लोक शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिलाधिकारी के विवेकानुसार वर्ष में तीन दिन समस्त आबकारी दुकानें बन्द रखी जा सकती हैं।

लाइसेंस नीति एवं कराधान प्रणाली :-

आबकारी राजस्व में मुख्य अंश अनुज्ञापित दुकानों पर बिक्रीत मदिरा पर आरोपणीय प्रतिफल शुल्क के रूप में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त मांग की दुकानों से बिडमनी रूप में भी राजस्व की प्रप्ति होती है।

उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग में ई-गवर्नेन्स की प्रगति :-

उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग द्वारा पेय मदिरा उत्पादन एवं आपूर्ति की प्रक्रिया पर नियंत्रण रखे जाने तथा राजस्व क्षति की संभावनाओं को रोकने के उद्देश्य से एवं सम्पूर्ण कार्यप्रणाली को पी. ओ.एस. मशीन सहित ऑन-लाइन किये जाने एवं एण्ड टू एण्ड सोल्यूशन उपलब्ध कराने के दृष्टिगत इन्टीग्रेटेड एक्साइज सप्लाई चेन मैनेजमेन्ट सिस्टम (आई.ई.एस.सी.एम.एस.) लागू किया गया है। आई.ई.एस.सी.एम.एस. के अन्तर्गत जो भी कार्य/मॉड्यूल्स लागू किये जाने अपेक्षित थे, उन सभी मॉडूयल्स को लागू कर परियोजना को माह सितम्बर, 2024 में पूर्णतः गो-लाइव किया गया। उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत विभाग की लगभग समस्त प्रक्रियाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है।

उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत विभाग की लगभग समस्त प्रक्रियाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है। उक्त के अन्तर्गत समस्त लाइसेंसों/परमिटों को ऑनलाइन प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी है तथा सप्लाई चेन की समस्त प्रक्रियाओं को ऑनलाइन करते हुए एण्ड-टू-एण्ड ट्रैकिंग की व्यवस्था की गयी है।

उक्त प्रणाली के अन्तर्गत शीरा का उत्पादन/संचय/वितरण से लेकर अल्कोहल का उत्पादन/संचय/वितरण बॉटलिंग एवं उपभोग के विभिन्न चरणों हेतु आवश्यक पी.ओ.एस. मशीन्स, हैण्ड हेल्ड स्कैनर्स, डिजीलॉक्स, जीपीएस आदि विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर आदि की व्यवस्था की गयी है। इससे विभाग की राजस्व संग्रहण सम्बन्धी प्रक्रिया पारदर्शी एवं सरल होगी अवैध शराब/नकली शराब की कालाबाजारी और ओवररेटिंग रोकने में मदद मिलेगी तथा राजस्व की वृद्धि होगी।

अन्य कार्य :-

- जनहित गारण्टी अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित सेवाओं-यथा अल्कोहल/स्प्रिट, नारकोटिक्स ड्रग्स का आयात/निर्यात सैक्रामेंटल वाईन का निर्गमन, नवीन बॉण्ड लाइसेंस व उनका नवीनीकरण नवीन ब्राण्ड-लेबल रजिस्ट्रेशन व उनका नवीनीकरण अन्य देशों व अन्य राज्यों को भारत निर्मित विदेशी मदिरा (आई.एम.एफ.एल.) का निर्यात अन्य देशों व अन्य राज्यों

को स्प्रिट का निर्यात, अन्य राज्यों से स्प्रिट का आयात, नवीन थोक अनुज्ञापन लाइसेंस व उनका नवीनीकरण, ब्रिवरी व आसवनी के स्थापना हेतु लाइसेंस, ब्रिवरी व आसवनी के संचालन हेतु लाइसेंस, नवीन फुटकर लाइसेंस आदि को विभागीय पोर्टल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री डैशबोर्ड "दर्पण" से इंटीग्रेट किया गया है तथा इन जनहित सेवाओं को "दर्पण- " से भी इन्टीग्रेट कर ऑनलाइन किया गया है। इसके साथ ही इवेन्ट-बार लाइसेंस की स्वीकृति को विभागीय पोर्टल के माध्यम से इन्टीग्रेटेड सर्विस पोर्टल (आई.एस.पी.) से इन्टीग्रेट किया गया है।

- ई-लॉटरी पोर्टल के माध्यम से आबकारी की देशी मदिरा, कम्पोजिट शॉप (विदेशी मदिरा व बीयर), मॉडल शॉप एवं भांग की फुटकर दुकानों का वर्ष - हेतु ई-लॉटरी द्वारा व्यवस्थापन कराया जा रहा है।
- नई सेवाओं यथा- सी.बी.डब्लू. का ऑनलाइन पंजीकरण, बी.आई.ओ. लाइसेंस का निर्गमन होम बार लाइसेंस हेतु ऑनलाइन प्रक्रिया, ऑनलाइन एम.आर.पी. अनुमोदन प्रक्रिया, बी. डब्लू.एफ.एल. एवं एफ.एल.- ए हेतु एडवांस ड्यूटी रजिस्टर का क्रियान्वयन, ऑनलाइन गेटपास वैधता विस्तार प्रक्रिया, एन.डी.ओ.- व तथा एन.डी.टी. परमिटों हेतु ऑनलाइन प्रोसेसिंग, राजकोष सत्यापन हेतु कोषवाणी वेब सर्विस का इन्टीग्रेशन, बॉण्ड इन्सपेक्टर द्वारा निकासी गेट पासेस पर ऑनलाइन हस्ताक्षर, पी.डी.- /पी.डी.- आवेदनों का ऑनलाइन आवेदन एवं बी.आई.ओ. पर स्टॉक प्रबंधन, सी.बी.डब्लू. स्टॉक से स्थानांतरण व परमिटों के सापेक्ष डिबॉन्डिंग की व्यवस्था इत्यादि सेवाओं को विभागीय पोर्टल पर जोड़ा गया है।
- अल्कोहल/शीरा के परेषण में प्रयुक्त होने वाले टैंकरों में डिजीलॉक्स लगाये जाने की व्यवस्था लागू कर दी गयी है। अल्कोहल/शीरा के परेषण में प्रयुक्त होने वाले टैंकरों व आसवनी/यवासवनी से थोक अनुज्ञापनों पर मदिरा परेषण में प्रयुक्त होने वाले वाहनों पर लगी जी.पी.एस. डिवाइसेज का आई.ई.एस.सी.एम.एस. पोर्टल एवं कमाण्ड एण्ड कंट्रोल सेन्टर से इन्टीग्रेशन कर इनकी ट्रैकिंग/निगरानी की व्यवस्था लागू हो गयी है।
- अद्यतन प्राप्त बी.आर.ए.पी. संस्तुतियों के अनुसार कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है।
- निवेश मित्र पोर्टल पर पूर्व में इंटीग्रेटेड आबकारी विभाग की पांच सेवाओं क्रमशः औद्योगिक अल्कोहल हेतु लाइसेंस, आसवनी स्थापना हेतु लाइसेंस, आसवनी संचालन हेतु लाइसेंस, यवासवनी स्थापना हेतु लाइसेंस एवं यवासवनी संचालन हेतु लाइसेंस के अतिरिक्त आठ नयी सेवाओं यथा-अन्य राज्यों से मदिरा का आयात, अन्य देशों से मदिरा का आयात, भारत निर्मित विदेशी मदिरा (आई.एम.एफ.एल.) का निर्यात, ई.एन.ए. का निर्यात, ब्राण्ड-लेबिल रजिस्ट्रेशन, ब्राण्ड-लेबिल का नवीनीकरण एवं फुटकर दुकानों के लिये लाइसेंस व नवीनीकरण को भी निवेश मित्र पोर्टल पर इंटीग्रेट कराया गया है। ब्राण्ड एवं लेबिल पंजीकरण के नवीनीकरण को स्वप्रमाणन के आधार पर आटोरिन्युअल पद्धति से कर दिया गया है जिसमें किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।

●

संस्थाग ा ि ित्त

दिसम्बर, 1968 में रा टपति शासन काल के दौरान तत्कालीन श्री राज्यपाल ारा यह महसूस किया गया कि व्यावसायिक बकों एवं अखिल भारतीय वित ीय संस्थाओं ारा प्रदेश में पर्याप्त विनियोजन न किये जाने के परिप्रेक्ष्य में एक ऐसा संगठन स्थापित किया जाये जो इन वित ीय संस्थाओं एवं व्यावसायिक बंकों के माध्यम से विभिन्न प्रशासनिक विभागों सार्वजनिक एवं सहकारी क्षेत्रीय संस्थाओं की परियोजनाओं और विकास कार्यक्रमों के लिए धनराशि जुटाने हेतु समन्वय का कार्य कर सके तद्नुसार प्रारम्भिक चरण में फरवरी, 1969 में वित ा विभाग में एक संस्थागत वित ा प्रको ठ का गठन किया गया तथा कार्य की बढ़ोत ारी के साथ इसे व ा 1972 में पूर्णकालिक एवं स्वतंत्र विभाग के प में परिवर्तित कर दिया गया जिसके अधीन यह निदेशालय कार्य कर रहा है

ामुख उ त्तरदायि ा ां काय योजना

- वित्तीय समावेशन बक शाखा प्रसार की प्रगति का नियमित अनुश्रवण करना
- केन्द्रीय वित ीय संस्थाओं व्यावसायिक बकों एवं प्रशासकीय विभागों तथा सार्वजनिक सरकारी संस्थाओं के मध्य समन्वय का कार्य करना विभिन्न कल्याणकारी एवं रोजगारपरक योजनाओं के क्रियान्वयन में बकों वित ीय संस्थाओं ारा वित ा पो ाण से सम्बन्धित मामलों में कार्यदायी प्रशासकीय विभागों को सहायता देना
- कमजोर वर्ग के लोगों के लिए रोजगार सजन के संसाधन जुटाये जाने के परिप्रेक्ष्य में बक क्रेडिट से सम्बन्धित योजनाओं को उ ार प्रदेश लोकधन (देयों की वसूली) अधिनियम के अन्तर्गत राज्य पुरोनिधानित ाो ित कराना
- सेवा क्षेत्र अवधारणा के अन्तर्गत जनपद के आर्थिक विकास के लिए अग्रणी बकों के माध्यम से वा ाि क त्र ण योजनायें तैयार कराना एवं उसके अन्तर्गत वित ा पो ाण का सतत अनुश्रवण करना ताकि सुनियोजित ढंग से प्रदेश का आर्थिक विकास हो सके एवं विभिन्न कार्यक्रमों एवं रोजगारपरक योजनाओं के अन्तर्गत बजटीय भार कम हो सके
- अग्रणी बक योजना के अन्तर्गत गठित विभिन्न जनपद एवं राज्य स्तरीय समितियों की बैठकों में प्रतिभाग करना
- त्रैमासिक अन्तराल पर होने वाली राज्य स्तरीय बकर्स समिति की बैठक का समन्वय करना तथा उनमें प्रतिभाग करना
- क्षेत्रीय ग्रामीण बकों से संबंधित सभी गतिविधियों का प्रदेश स्तर पर समन्वय करना तथा उनके

ारा की गयी प्रगति का अनुश्रवण करना

- बकों के त्र ण जमानुपात का अनुश्रवण करना एवं बैंकों से सम्बन्धित प्राप्त लोक शिकायतों का निस्तारण कराना
- वसूली प्रमाण पत्रों के सापेक्ष बक के बकायों की वसूली में सहायता प्रदान करना दैवीय आपदाओं की दशा में बक त्र णों की रिश्ड्यूलिंग कराने में बकों से समन्वय करना
- भारतीय रिजर्व बक नाबार्ड भारत सरकार के तर पर संस्थागत वित ा संबंधी नीति वि ायक प्रकरणों को उठाया जाना एवं उनका समाधान खोजना
- नाबार्ड की माइक्रोफायनेंसिंग योजनाओं के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों क ाक क्लब आदि के गठन में आवश्यक सहायता प्रदान करना ताकि प्रदेश में अधिकाधिक संस्थागत वित ा सुलभ हो सके
- विभिन्न निगमों सार्वजनिक उपक्रमों ारा वित ीय संस्थाओं एवं बकों से लिए गये त्र ण के अतिदेय को एकमुश्त समाधान के माध्यम से निस्तारित कराये जाने में समन्वयक की भूमिका अदा करना
- अविनियमित निक्षेप कीम पाबन्दी अ ानियम का क्रियान्वयन।
- प्र वित्तीय अ ा ठानों में जमाकता हित संरक्षण अ ानियम का क्रियान्वयन।

ि ाभाग ारा अनु ा ाण किये जाने ााले काय क्रम

1 ादेश में ैंकिंग ने ाक

प्रत्येक नागरिक को सुगम बैकिंग सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से संस्थागत वित ा विभाग के प्रभावी अनुश्रवण के फलस्व प मा , 2025 तक प्रदेश में कुल 20658 बैंक शाखायें, 420120 बैंक मित्र इण्डियन पोस्ट पेमेन्ट बैंक त ाा बी सी सखी तथा 18933 ए.टी.एम. के माध्यम से प्रदेश के समस्त नागरिकों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही ह

2 ाा िक त्र ण योजना

प्रदेश के एक समान विकास की अवधारणा से विभिन्न रोजगारपरक योजनाओं जैसे- प्रधानमंत्री रोजगार सजन कार्यक्रम, पं. दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री ग्रामो ाोग रोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना तथा क ि, सूक्ष्म, ल ु एवं मध्यम उ ाम, निर्यात त्र ण, शिक्षा, गह, ऊर्जा आदि क्षेत्रों के अंतर्गत बैंकों के माध्यम से त्र ण वितरण कराये जाने हेतु प्रत्येक जनपद के लिए प्रति व ा व ाि क त्र ण योजना तैयार की जाती ह संस्थागत वित ा विभाग के गहन अनुश्रवण अनुसरण के फलस्व प व ा 2024-25 के दौरान व ाि क त्र ण योजनान्तर्गत मा , तक रु. 437217 करोड़ का त्र ण बैंकों ारा वितरित किया गया जो गत व ा 2023-24 में वितरित ण रु. 387465 करोड़ से रु. 49752 करोड़ अधिक है

3 त्र ण जमानु ाा ा

प्रदे ा में सम त अनुस ि त वाणिज्यिक बैंक (क्षे ीय ाामीण बकों सहित) के मा को

कुल जमा ानराा करोड़ के सापेक्ष करोड़ के अग्रिम बकाया ो। स प्रकार प्रदे ा में सम त अनुसा त वाणिज्यिक बैंकों (क्षे ीय ामीण बकों सहित) का मा के अन्त तक णजमानुपात रहा।

4 ादेश में ाि त्तीय से ााओं से सम ानि ाा योजनाओं की ागाि

(क) ा ाानमंत्री जन- ान योजना- प्रदेश के समस्त जनपदों में प्रत्येक परिवार को बकिंग व्यवस्था से जोड़ने के सम्बन्ध में भारत सरकार ारा चलाये जा रहे वि ीय समावेशन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के सभी 75 जनपदों में मा , 2025 तक लगभग 9.81 करोड़ खाते खोले जा चुके ह, जिसके सापेक्ष 6.69 करोड़ खातों को पे डेबिट कार्य जारी किये जा चुके हं इनमें से 8.47 करोड़ खातों को आधार से जोड़ा जा चुका है **योजनान ाग ा ादेश का देश में ाथम स्थान** ै

(ख) ा ाानमंत्री सुरक्षा ाीमा योजना (ाी म स ाी ाा) के अंतर्गत बैंक खाता धारकों, जिनकी आयु 18 से 70 व ा के मध्य है, को वााि कि प्रीमियम रु. 20 में लाख के दु ाटिना बीमा का कवरेज उपलब्ध होगा, जो विकलांगता की स्थिति में भी उपलब्ध होगा योजनान्तर्गत मा , 2025 तक 7.17 करोड़ व्यक्तियों को पंजीकत किया जा चुका है **योजनान ाग ा उ ा का देश में ाथम स्थान** ै

(ग) ा ाानमंत्री जी ान ज्योाि ाीमा योजना (ाी म जे जे ाी ाा) के अंतर्गत बैंक के खाता धारकों जिनकी आयु 18 से 50 व ा के मध्य है, को रु. 2.00 लाख का जीवन बीमा वााि कि प्रीमियम रु. 436 - पर उपलब्ध होगा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत मा , 2025 तक 2.59 करोड़ व्यक्ति पंजीकत किये जा चुके ह **योजनान ाग ा उ ा का देश में ाथम स्थान** ै

(ा) अ ल ोंशन योजना (ाी ाा) वद्धावस्था में आय का स्रोत प्रदान करने के उद्देश्य से 18 से 40 व ा के मध्य आयु वर्ग के व्यक्तियों हेतु यह योजना लागू की गयी है, ताकि न्यूनतम 20 व ा तक अंशदान का भुगतान करने पर 60 व ा की आयु पूर्ण करने के पश्चात् से उन्हें मासिक पेंशन का लाभ मिल सके योजना के प्रारम्भ से मा , 2025 तक लग ाग 1.22 करोड़ व्यक्तियों को पंजीकत किया जा चुका है

विाि न्न बैंक वित्त पोाित ाासकीय योजनाओं य ाा किसान क्रेडि काड वितरण प्र ाानमं ी मुद्रा योजना प्र ाानमं ी रोजगार सृजन कायक्रम पं दीनदयाल पा याय वरोजगार योजना मु यमं ी ग्रामो ोग रोजगार योजना मु यमं ी युवा वरोजगार योजना आदि के स ल क्रियान्वयन हेतु बैंकों और कायदायी वि ाागों के सा ा निरन्तर समन्वय किया जाता है।

प्रदे ा में बैंकिंग क्रियाकलापों की ाी ा तर पर समीक्षा हेतु मु य सा व प्र की अ यक्षता पा ाति में दिनांक वं दिनांक को राज्य तरीय बैंकस समिति की बैठक त ाा दिनांक को मा मं ी वित्त प्र की

अ यक्षता में वि ो ा राज्य तरीय बैंकस समिति   प्र की बैठक आयोजित करायी गयी।

ेशन नि ेशाल   र ेश ल ान

राजकीय सेवकों के पें ान वीकृति हेतु पें ान निदे ालय का गठन दिनांक अ ावा सके बाद सेवा निवृत्त वं मृत ासकीय सेवकों के लिये किया गया। पें ान निदे ालय के गठन के परान्त पें ान निदे ालय तर से मु य प से दो प्रकार के कार्यों का संपादन किया जाता है।

पें ान प्रा िकार प निगमन स बन् ी।

रा ीय पें ान प्रणाली स बन् ी।

ानलाइन ेंशन इ ेंशन ोटल

राजकीय पें ानरों की सुवि ा हेतु वेब पो ल epension.up.nic के मा यम से आनला न पें ान वीकृति की यव ा सवप्र ाम पा ल प्रोजे   के प में जनपद न्नाव वं बाराबंकी से ासनादे ा दिनांक ारा दिनांक या सके बाद सेवानिवृत्त कमियों के मामलों में लाग की गयी। तदप ात रणब तरीके से ासनादे ा दिनांक ारा प्रदे ा के अन्य जनपदों में दिनांक को अ ावा सके परान्त सेवानिवृत्त होने वाले कामिकों के लिये वं दिनांक से परे प्रदे ा के राजकीय कामिकों से DDO को ोड़कर लाग कर दी गयी। यह यव ा आंा िक प से ही लाग की जा सकी ी योंकि पें ान वीकृति हेतु ौतिक प से सेवा पु तिका वं पें ान प्रप ी प्रे ित किये जाने का प्रावि ान वि मान र ा ा गया जिसे ासनादे ा दिनांक ारा पणतया आनला न कर दिया गया है। अब पें ान वीकृति हेतु ौतिक प से सेवा पु तिका त ा ा पें ान प्रप प्रे ित किये जाने की आव यकता को समा त कर स प्रक्रिया को पणतया आनला न करते हु प्रकरण के नि तारण हेतु समय सारिणी नि ाारित की जा ुकी है। ासनादे ा दिनांक अप्रैल ारा पें ान के ुगतान हेतु को ाागार में ौतिक प से प्र ाम बार पि ात होने की आव यकता को ी पणतया समा त कर दिया गया है। आहरण वितरण अ ािकारी ारा पें ान पो ल पर ारे गये पें ानर के बैंक ााता सं या आ स सी कोड के आ ार पर पी पी ओ निगत हो जाने के परान्त ग्रे यु ी त ा ा रा ाकिरण का ुगतान सेवानिवृत्त ति ि के अगले तीन काय दिवसों में त ा ा पें ान प्रार ा होने की नियत ति ि को पें ानर के बैंक ाातें में पें ान का ुगतान आनला न कर दिया जा गा। त काय योजना को मत प देते हु पें ान सेवा पो ल का द ा ा न दिनांक को मा मु यमं ी के कर कमलों ारा किया गया है। पुन ासनादे ा अग त य ा ा सं ोि ात ासनादे ा दिनांक अ बर के क्रम में अ ािल ाारतीय सेवा वं से डी डी ओ के पें ान प्रकरण ी आनला न यव ा के तहत ही नि तारित किये जा रहे हैं। निदे ाक पें ान वं मण्डलीय अपर निदे ाक को ाागार वं पें ान कायालयों ारा से पणत on-line यव ा के अन्तगत माह जनवरी तक कुल पें ान प्रा िकार प निगत किये गये है।

राज्य सरकार से पें ान प्रा त करने वाले पें ानस के लि डिजिलाकर (Digi Locker) में पें ान ुगतान आदे ा पी पी ओ का ले ानिक ंडारण (Storage) और पुनप्राति (Retrieval) की सुवि ाा देने का निणय राज्य सरकार ारा लिया गया है।

स स बन् ा में ाासनादे ा दिनांक दिसंबर ारा निणय लिया गया है कि पें ान पो ल के मा यम से निगत पें ान ुगतानादे ा (ePPO) दिनांक से डिजिलाकर पर पल ा कराये जायेंगे।

ितीय रण में मंडलीय अपर निदे ाक संयु त निदे ाक को ाागार वं पें ान ारा निगत मैनुअल पें ान ुगतानादे ा को ाी डिजिलाकर पर दिनांक से पल ा कराने का लक्ष्य नि ाारित किया गया है।

रा टी ेंशन ााली

राज्य सरकार ारा दिनांक अप्रैल को अ ावा सके बाद सरकारी सेवा में आने वाले कम ारियों पर अ ासि ना दिनांक मा ारा नव परि ााित अं ादान पें ान योजना लाग करने का निणय लिया गया। माह जनवरी तक रा ाय पें ान प्रणाली के अन्तगत कुल ला ा सरकारी कम ारियों त ाा कुल ला ा सहायता प्रा त ाक्षिण सं ााओं व राज्य वित्त पोाित वायत्त ाासी सं ााओं के कम ारियों का पंजीकरण किया जा ुका है। माह रवरी तक सरकारी कम ारियों से संबंाित कुल करोड़ वं सहायता प्रा त ाक्षिण सं ााओं व राज्य वित्त पोाित वायत ाासी सं ााओं के कम ारियों से संबंाित कुल करोड़ अं ादान कामिक वं नियो ता अं ादान सहित के प में न पी स को अंतरित किया जा ुका है।

शि ा ो

ाासन ारा पें ान निदे ाालय तर पर पें ानरों की पें ान स बन् ाी वि ाान्न सम याओं के निराकरण हेतु ाकायत प्रको ठ की ाापना की ग है। ाकायत प्रको ठ को प्रा त होने वाले प्रत्यावेदनों ाकायती प ों के स बन् ा में जानकारी प्रा त कर सम याओं के निराकरण हेतु निदे ा दिये जाते हैं। माननीय मु यमं ाी कायालय के लोक ाकायती प्रको ठ आ जी आर स लोक आयु त कायालय ाारत सरकार के कामिक लोक ाकायत वं पें ान वि ााग ाासन के माननीय मं ाािगण वि ाायकगणों वं जनप्रतिनि ाायों त ाा स ना के अ ाकार आदि ारा प्रा त होने वाले प ों पर ाी तत्परता से कायवाही की जाती है। वित्तीय व ा में माह मा तक प्रा त कुल ाकायती प ों पर कायवाही की ग ।

से ानि म ारि ों ो ान ी इ स ाा

राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कम ारियों की सुवि ाा हेतु निदे ाालय की वेबसा http://pensiondirectorate.up.gov.in लान् की ग है जिसके मा यम से सेवानिवृत्त अ ाकारी कम ारी अपने पयोगा ा पें ान वं रा ाय पें ान प्रणाली के सा ा सा ा अन्य स बन् ाित ाासनादे ा त ाा वि ाान्न प्रा पों की जानकारी प्रा त कर डा नलोड ाी कर सकने की सुवि ाा है।

●

राज्य कर

राज्य कर विभाग प्रदेश के कर राजस्व का महत्वपूर्ण विभाग है। वर्ष 2017-18 में जून, 2017 तक वैट, सी.एस.टी. व प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत राजस्व जमा हुआ है। दिनांक 01.07.2017 से वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर माल एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) लागू हुआ तदोपरान्त जी.एस.टी. से आच्छादित वस्तुओं एवं सेवाओं पर जी.एस.टी. राजस्व जमा हो रहा है। पेट्रोल, डीजल, क्रूड आयल, वायुयान ईंधन, नेचुरल गैस, मानवीय उपयोग हेतु शराब जी.एस.टी. से आच्छादित नहीं है, इसलिये उक्त वस्तुएं नॉन जी.एस.टी. की श्रेणी में हैं और इन पर पूर्व की भाँति वैट राजस्व जमा हो रहा है। वर्ष 2024-25 में समेकित राजस्व संग्रह रु. 114637.54 करोड़ है। वर्ष 2025-26 का वार्षिक राजस्व संग्रह लक्ष्य रु.175725.00 करोड़ निर्धारित है।

दानवीर भामाशाह जयंतीः-

दानवीर भामाशाह की जयंती 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में मनाया गया। भामाशाह जयंती का आयोजन संस्कृति विभाग के सहयोग से किया गया। इस अवसर पर संस्कृति विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदर्शनी लगाई गयी। भामाशाह की जीवनी, उनके महत्व और महाराणा प्रताप को उनके द्वारा दी गई मदद संबंधी तथ्यों को कार्यक्रम में संगीत, नृत्य नाटिका व सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए दर्शाया गया है।

मा. मुख्यमंत्री जी, उ.प्र. द्वारा दिनांक 28, जून, 2025 को दानवीर भामाशाह जयंती की पूर्व संध्या पर लोकभवन सचिवालय स्थित ऑडिटोरियम में करदाताओं को सम्बोधित किया गया तथा वर्ष 2024-25 के जीएसटी राजस्व के प्रदेश के 05 बड़े करदाताओं को भामाशाह सम्मान से सम्मानित किया गया। सामाजिक कार्यों में प्रमुख योगदान देने वाले प्रदेश के 09 करदाताओं को भी भामाशाह सम्मान प्रदान किया गया। इसी प्रकार जनपदों में भी जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में दिनांक 28/29 जून, 2025 को यह कार्यक्रम आयोजित किया गया तथा जीएसटी राजस्व के जनपद के बड़े करदाताओं को भामाशाह सम्मान दिया गया।

राज्य कर विभाग में कर व्यवस्था के विकास के विभिन्न सोपान :-

विभाग की स्थापना के समय से अनेक ऐसे निर्णय लिये गये हैं जिनका विभाग के वर्तमान स्वरूप में महत्वपूर्ण योगदान है, ऐसे कुछ निर्णयों का उल्लेख निम्न प्रकार है :-

- बहुसूत्रीय कर प्रणाली का सूत्रपात वर्ष 1948 में किया गया था, वर्ष 1952 में कुछ विशिष्ट

वस्तुओं को एक सूत्रीय प्रणाली के अन्तर्गत लाया गया तथा वर्ष 1975 में बहुसूत्रीय कर प्रणाली समाप्त कर एक सूत्रीय कराधान की व्यवस्था की गयी।

- विशेष अनुसंधान शाखा की प्रथम इकाई कानपुर में वर्ष 1954 में खोली गयी।
- बिक्रीकर अधिकरण का गठन वर्ष 1980 में किया गया।
- वर्ष 1994 में दि. 01.06.1994 से बिक्रीकर के स्थान पर व्यापार कर किया गया।
- प्रवेश कर वर्ष 1999 में लागू किया गया।
- फ्लोर रेट प्रणाली वर्ष 2000 में लागू की गयी, नई इकाईयों की छूट समाप्त की गयी।
- वर्ष 2000-01 से विभाग में पंजीकृत व्यापारियों के लिए व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना लागू।
- वर्ष 2000-01 से मोटर स्प्रिट की बिक्री पर प्राप्त होने वाला व्यापार कर राज्य आबकारी विभाग उ.प्र. से व्यापार कर विभाग को हस्तान्तरित।
- वर्ष 2005-06 में मई 2005 से विकास कर आरोपित किया गया जो वैट लागू होने के पूर्व दिसम्बर 2007 तक प्रभावी रहा।
- वर्ष 2007-08 में दि. 01.01.2008 से उ.प्र. मूल्य संबंर्धित कर प्रणाली (वैट) लागू किया गया।
- दि. 30/31 जुलाई 2009 की रात्रि से प्रदेश की वाणिज्य कर चेक पोस्ट व्यवस्था समाप्त।
- वर्ष 2009-10 में वाणिज्य कर राजस्व संग्रह के लिए ई-पेमैंट सुविधा एस.बी.आई. तथा पीएनबी द्वारा प्रारम्भ की गयी। वर्ष 2009-10 में रु. 1 करोड़ से ऊपर टर्नओवर के व्यापारियों हेतु ई-रिटर्न का प्रावधान किया गया।
- दिनांक 01.07.2017 से जी.एस.टी. अधिनियम लागू किया गया।
- दिनांक 01.04.2018 से इण्टरस्टेट परिवहन के लिये नेशनल ई-वे बिल लागू किया गया।
- दिनांक 15.04.2018 से इण्ट्रास्टेट परिवहन के लिये ई-वे बिल लागू किया गया।
- दिनांक 01.04.2019 से जी.एस.टी. के अन्तर्गत पंजीयन की सीमा रु. 20 लाख से बढ़ाकर रु. 40 लाख तथा समाधान के व्यापारियों की सीमा रु. 1 करोड़ से बढ़ाकर रु. 1.50 करोड़ किया गया।
- दिनांक 01.01.2021 से रु. 100 करोड़ तक टर्नओवर के व्यापारियों के लिए ई-इनवाइस की व्यवस्था प्रारम्भ की गयी तथा दिनांक 01.04.2021 से रु. 50 करोड से अधिक, दिनांक 01.04.2022 से रु. 20 करोड से अधिक, दिनांक 01.10.2022 से रु. 10 करोड से अधिक व दिनांक 01.08.2023 से रु. 05 करोड़ से अधिक वार्षिक टर्नओवर के व्यापारियों के लिए ई- इनवाइस की व्यवस्था प्रावधानित की गयी।
- शासनादेश दिनांक 28.12.2018 द्वारा उ.प्र. व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन।

मिशन :-

"भ्रमरा एव पादपम्"

उद्देश्य :-

- जी.एस.टी. अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के माल एवं सेवा की आपूर्ति पर देय कर को जमा कराना।
- नॉन-जी.एस.टी. गुड्स पर वैट अधिनियम के अन्तर्गत देय कर को जमा कराना।
- राज्य के उद्योगों को प्रोत्साहन देना।
- व्यापारियों के हितों की रक्षा करना।

संगठन :-

राज्य कर विभाग का संगठन मुख्यतः तीन भागों में विभक्त है। प्रथम प्रशासनिक/कर निर्धारण कार्य, द्वितीय न्यायिक कार्य तथा तृतीय प्रवर्तन कार्यों से सम्बन्धित है।

प्रशासनिक :-

राज्य कर, उ.प्र. शासन के अन्तर्गत राज्य कर विभाग है। दिनांक 16.08.2024 से वर्तमान में श्री एम. देवराज राज्य कर विभाग के प्रमुख सचिव हैं। आयुक्त, राज्य कर विभाग के विभागाध यक्ष होते हैं। उनके सामान्य प्रशासनिक नियंत्रण में विभाग का कार्य सम्पन्न होता है। दिनांक 30.06.2024 से वर्तमान में डॉ. नितिन बंसल विभाग के आयुक्त हैं।

क्षेत्र :-

विभागीय कार्यों के सुगमता से संचालन हेतु प्रदेश की भौगोलिक सीमा में राज्य कर विभाग 20 जोन, 45 संभाग तथा 436 खण्ड कार्यालयों में विभाजित हैं। विभागीय कार्यालय 93 स्थलों पर स्थापित हैं, जिन्हें वाणिज्य कर मण्डल कार्यालय कहा जाता है। बड़े करदाताओं की सुविधा हेतु 21 कारपोरेट सर्किल सभी जोन में एवं एक ऑयल (कारपोरेट) सेक्टर मुख्यालय पर स्थापित है। दिनांक 01.07.2025 से खण्ड पुर्नगठन के बाद राज्य कर खण्ड कार्यालयों की संख्या 364 है।

प्रथम अपील :-

विभाग में कर निर्धारण आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील दायर करने हेतु एडी. कमिश्नर, ग्रेड-2 (अपील) के 56 न्यायिक सम्भाग विभिन्न मण्डल कार्यालयों पर स्थापित हैं। वैट के अन्तर्गत वर्ष 2024-25 के प्रारम्भ में 9571 प्रथम अपीलें निस्तारण हेतु अवशेष थी, वर्ष में 10576 नई अपीलें दायर हुई तथा 15823 अपीलें निस्तारित हुई व वर्ष के अन्त में 4324 अपीलें निस्तारण हेतु अवशेष रही हैं। इसी प्रकार जी.एस.टी. के अन्तर्गत वर्ष 2024-25 के प्रारम्भ मे 20961 प्रथम अपीलें निस्तारण हेतु अवशेष थी, वर्ष में 48413 नई अपीलें दायर हुई तथा 52395 अपीलें निस्तारित हुई व वर्ष के अन्त में 16979 अपीलें निस्तारण हेतु अवशेष रही हैं।

द्वितीय अपीलः-

दिनांक 03.10.1980 में व्यापार कर अधिकरण की स्थापना के फलस्वरूप द्वितीय अपीलों का निस्तारण व्यापार कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाता है, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है। वाणिज्य कर अधिकरण के उत्तर प्रदेश में 31 पीठें हैं। मा. अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण उ.प्र. इस कार्यालय के विभागाध्यक्ष है।

मा. अधिकरण की सभी पीठों में कुल मिलाकर वर्ष 2024-25 के प्रारम्भ में 7202 द्वितीय अपीलें निस्तारण हेतु अवशेष थी। वर्ष में 2300 द्वितीय अपीलें व्यापारी द्वारा तथा 1791 द्वितीय अपीलें सरकार द्वारा दायर की गई। वर्ष में 6052 द्वितीय अपीलें निस्तारित हुई तथा वर्ष के अन्त में 5241 द्वितीय अपीलें निस्तारण हेतु अवशेष रही हैं।

पंजीयन जागरूकता अभियान :-

- उत्तर प्रदेश में जी.एस.टी. पंजीयन देश के सभी राज्यों में सर्वाधिक है।
- मा. मुख्यमंत्री जी के विजन के अनुरूप विभाग द्वारा नियमित पंजीयन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का प्रचार-प्रसार बैनर, इलेक्ट्रानिक डिस्प्ले बोर्ड, इलेक्ट्रानिक व प्रिन्ट मीडिया, सिनेमाघर मल्टीप्लैक्स के माध्यम से किया जा रहा है।
- वर्ष 2024-25 में 3.14 लाख जीएसटी पंजीयन कराये गये।
- वर्ष 2025-26 में दिनांक 09.09.2025 तक 1.39 लाख नए पंजीयन निर्गत किये गये हैं।
- प्रदेश में निर्गत जी.एस.टी. पंजीयन की कुल संख्या 36.60 लाख हो गयी है।

राज्य कर राजस्व संग्रहः-

विगत वर्षों में राज्य कर/वाणिज्य कर राजस्व संग्रह निम्न प्रकार रहा है।

वर्ष	राजस्व करोड़ रु. में	गत वर्ष से वृद्धि की धनराशि करोड़ रू. में	गत वर्ष से वृद्धि का प्रतिशत
2020-21	80301.52	7370.16	10.11
2021-22	98107.04	17805.52	22.17
2022-23	107406.90	9299.86	9.48
2023-24	110345.96	2939.06	2.74
2024-25	114637.54	4291.58	3.89

प्रवर्तन कार्य :-

- करापवंचन के प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रदेश के सभी 20 जोन में जोनल स्तर पर एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि.अनु.शा./प्रर्वतन) के कार्यालय स्थापित हैं। इनके अधीन सम्भागीय स्तर पर

ज्वाइंट कमिश्नर (वि.अनु.शा.) के कार्यालय हैं। इन सभी कार्यालयों से अपने-अपने अधिक्षेत्र के सचल दल तथा वि.अनु.शा. इकाईयों के कार्य नियंत्रित व सम्पादित होते हैं। प्रदेश में 148 सचल दल इकाईयाँ सभी जोनल कार्यालयों में तथा 02 वाणिज्य कर मुख्यालय पर कुल 150 सचल दल इकाईयाँ एवं 45 विशेष अनुसन्धान शाखा की प्रवर्तन इकाईयाँ कार्यरत हैं।

- सचलदल इकाईयों द्वारा वर्ष 2024-25 में वाहनों की जाँच में पाये गये 43377 दोषी वाहनों से रु. 683.79 करोड़ की जमानत/अर्थदण्ड जमा करायी गयी है।
- विशेष अनुसंधान शाखा इकाईयों द्वारा निर्माता व्यापारियों के व्यापार स्थल की जाँच करके वर्ष 2024-25 में रु. 2193.94 करोड़ का अपवंचित कर प्रकाश में लाया गया तथा जी.एस.टी. व्यवस्था के अन्तर्गत सीजर के समय ही उपलब्ध करापवंचित स्टाक पर देय राजस्व रु. 1152.12 करोड़ जमा कराया गया।

पंजीकृत व्यापारियों के लिये मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना :-

- इस योजना के अन्तर्गत विभाग में पंजीकृत सभी व्यापारी स्वतः बीमित माने जाते हैं। इससे सम्बन्धित प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।
- इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत व्यापारी की हत्या व दुर्घटना में मृत्यु/आंशिक व पूर्ण विकलांग हो जाने की स्थिति में पंजीकृत व्यापारी के नामिनी/उत्तराधिकारी/स्वयं व्यापारी को बीमित धनराशि का भुगतान किया जाता है।
- वर्ष 2017-18 में उक्त योजना हेतु दिनांक 15.06.2017 से दिनांक 14.06.2018 तक अर्थात एक वर्ष हेतु दि ओरिएन्टल इंश्योरेन्स कंपनी लि. लखनऊ का चयन किया गया। इस अवधि में पात्र 115 व्यापारी के परिजन को इस बीमा कम्पनी द्वारा भुगतान किया जा चुका है।
- बीमित धनराशि दिनांक 27.10.2017 से रु. 5 लाख से बढ़ाकर रु. 10 लाख की गयी है।
- दिनांक 27.10.2017 से 14.06.2018 तक के प्राप्त दावों में रु. 5 लाख का भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा तथा रु. 5 लाख का भुगतान शासन की स्वीकृति के उपरान्त विभाग द्वारा किया गया है।
- दिनांक 15.06.2018 से विभाग द्वारा ही उक्त बीमा योजना संचालित है, जिसमें लाभार्थी को विभाग द्वारा रु.10 लाख ही धनराशि दी जा रही है।
- वर्ष 2024-25 में 275 व्यापारी के परिजन लाभान्वित हो चुके हैं।
- वर्ष 2025-26 में दिनांक 18.08.2025 तक 138 लाभार्थियों का भुगतान किया जा चुका है।

विभाग द्वारा लिए गये निर्णय एवं व्यापारियों को दी गयी सुविधाएं :-

- जी.एस.टी. रिफण्ड की समस्त प्रक्रिया को दिनांक 26.09.2019 से ऑनलाइन की गयी है।

- वर्ष 2020-21 के वैट के कालबाधित वादों के निस्तारण की अन्तिम तिथि 31 मार्च 2021 से बढ़ाकर 30 जून, 2021 की गयी।
- प्रदेश में व्यापार कर, बिक्री कर, वैट व मनोरंजन कर अधिनियम के अन्तर्गत 31 मार्च, 2019 तक सृजित मांग की अवशेष बकाया जमा कराने हेतु 27 फरवरी, 2020 से 3 माह तक की अवधि के लिए ब्याज/अर्थदण्ड माफी योजना-2020 लागू की गयी जिसकी अवधि कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत 31 अक्टूबर, 2020 तक बढ़ायी गयी। जिसमें 18666 व्यापारी लाभान्वित हुए तथा रु.113.12 करोड़ की आच्छादित बकाया जमा हुई। यह योजना पुनः दिनांक 03 मार्च, 2021 से 02 सितम्बर 2021 तक की अवधि हेतु लागू की गयी है। ताकि अधिक से अधिक व्यापारी योजना से लाभान्वित हो सके। इस अवधि में 14323 व्यापारी लाभान्वित हुए तथा रु. 126.02 करोड़ की आच्छादित बकाया जमा हुई।
- जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत वस्तुओं के व्यापारियों के लिए रु.1.5 करोड़ वार्षिक टर्न ओवर तक एवं सेवाक्षेत्र के व्यापारियों हेतु रु. 50 लाख टर्न ओवर तक समाधान योजना प्रभावी है। जिसके अन्तर्गत वस्तुओं के व्यापारियों द्वारा टर्नओवर का मात्र 01 प्रतिशत व सेवाक्षेत्र के व्यापारियों द्वारा टर्नओवर का 06 प्रतिशत जीएसटी जमा किया जाता है।
- रेस्टोरेन्ट के व्यापारियों को 05 प्रतिशत जीएसटी जमा किये जाने की अलग से समाधान योजना लागू है।
- जी.एस.टी. में समाधान योजना के अन्तर्गत प्रदेश के लगभग 3.18 लाख व्यापारी लाभान्वित हैं।
- एमनेस्टी स्कीम दिनांक 01.11.2024 से जीएसटी अधिनियम की नई उपधारा-128ए के अन्तर्गत वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 हेतु धारा-73 के अन्तर्गत सृजित माँग में से कर की धनराशि दिनांक 31.03.2025 तक जमा कर दिए जाने पर सृजित माँग में निहित ब्याज व अर्थदण्ड की धनराशि समाप्त की गयी। इस एमनेस्टी स्कीम के अन्तर्गत करदाता द्वारा दिनांक 30.06.2025 तक 103529 करदाता द्वारा योजना स्वीकार की गयी, जिसमें कर के रूप में करदाताओं के द्वारा रु. 379.48 करोड़ जमा किया गया है जिसके सापेक्ष इन करदाताओं का ब्याज व अर्थदण्ड के रूप में कुल रु. 1348.44 करोड़ की धनराशि माफ हुई है।

व्यापारी हित में महत्त्वपूर्ण फैसले :-

- प्रदेश के निर्यातकों को देय जीएसटी रिफण्ड का प्राथमिकता पर भुगतान किया जा रहा है।
- दिनांक 01.04.2022 से ईंट-भट्ठा निर्माताओं हेतु स्पेशल रेट स्कीम योजना प्रभावी है, जिसके अन्तर्गत बिना आईटीसी के कर की दर 06 प्रतिशत तथा आईटीसी के साथ 12 प्रतिशत है।
- दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से रु. 20 करोड़ से अधिक वार्षिक टर्नओवर के टैक्सपेयर्स के लिए ई-इनवाइस की व्यवस्था प्रभावी है।

- दिनांक 01 अगस्त, 23 से रु. 05 करोड़ से अधिक वार्षिक टर्नओवर के टैक्सपेयर्स के लिए ई-इनवाइस की व्यवस्था प्रभावी है।
- व्यापारियों की सुविधा के दृष्टिगत एस.एम.एस. के द्वारा निल रिटर्न दाखिल किये जाने की सुविधा प्रभावी है।
- रु. 5 करोड़ से कम टर्न ओवर के व्यापारियों की सुविधा के लिए मासिक रिटर्न के स्थान पर त्रैमासिक रिटर्न व मासिक भुगतान (QRMP) की योजना प्रभावी की गयी है।
- उत्तर प्रदेश में लखनऊ, प्रयागराज (वाराणसी में सर्किट बेंच) तथा गाजियाबाद (आगरा में सर्किट बेंच) में माल और सेवा कर अपील अधिकरण के राज्य न्यायपीठों के गठन की अधिसूचना जारी।
- प्रदेश के व्यापारियों के हित में राब पर आरोपित कर को मा. वित्त मंत्री जी द्वारा जीएसटी काउन्सिल की 49वीं बैठक में प्रदेश का पक्ष रखते हुए समाप्त कराया गया।
- व्यापारियों द्वारा दाखिल विभिन्न जीएसटी रिटर्न में मिसमैच को आर्टिफिशियल इन्टैलीजेन्स (AI) तकनीक के प्रयोग से चिन्हित कर व्यापारियों को नोटिस निर्गत किये जाने हेतु माडयूल आई.आई.आई.टी. लखनऊ के सहयोग से तैयार किया गया है। यह मानव रहित इण्टरफेस नोटिस है।

नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्मः-

56वीं जीएसटी काउन्सिल की बैठक दिनांक 03.09.2025 में सर्वसम्मति से जीएसटी दरों की मूलभूत संरचना को संशोधित करने का निर्णय लिया गया। जीएसटी की प्रचलित चार मुख्य स्लैब में से 12 प्रतिशत व 28 प्रतिशत के स्लैब को समाप्त कर केवल दो मुख्य स्लैब 5 प्रतिशत व 18 प्रतिशत की दर प्रभावी रखी गयी जो 22 सितम्बर, 2025 से पूरे देश में प्रभावी है। जीएसटी सुधार का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है-

- **एक नए आर्थिक युग का उदय**

1. जीएसटी की दर में कटौती 12 प्रतिशत वाले ब्रैकेट के 99 प्रतिशत सामान पर और 28 प्रतिशत वाल ब्रैकेट के 90 प्रतिशत सामान पर जीएसटी दर में कटौती लागू की गई है।
2. यह रिफॉर्म मूल रूप से हर एक भारतीय पर से Tax Burden को कम करने के लिए है। कम जंग से, सीधे तौर पर Purchasing Power बढ़ती है, जिससे आम आदमी, किसान, छोटे व्यवसायी, कर्मचारी और गृहणियों के हाथों में अधिक पैसा आता है।
3. जीएसटी के अन्तर्गत केवल दो श्रेणियों वाला, कम और Simplified GST हर घर और व्यवसाय के लिए जीवन को आसान बना देगा।
4. नयी दरों में आवश्यक वस्तुएं शून्य से 5 प्रतिशत स्लैब में हैं, सामान्य वस्तुएं 5 प्रतिशत पर आ गई हैं, जबकि लग्जरी और सिन गुड्स पर अधिक कर लगाया गया है। यह प्रगतिशील

मॉडल गरीबों और मध्यम वर्ग की रक्षा करता है और साथ ही राष्ट्रीय राजकोष को भी सुरक्षित रखता है।

5. जीएसटी की दरों का यह ऐतिहासिक परिवर्तन GST council में सभी राज्यों की सर्वसहमति से किया गया।

- **प्रभाव**

1. यह सुधार एक मौलिक बदलाव की शुरूआत करता है, जो विकास के एक ऐसे चक्र का निर्माण करेगा जो एक के बाद एक सकारात्मक परिणाम लाएगा।
2. कम कर से अधिक खर्च होगाः लोगों के हाथ में खर्च करने योग्य अधिक पैसा होने से, वे अधिक सामान और सेवाओं की खरीदारी करेंगे।
3. अधिक खर्च से मांग और उत्पादन बढ़ेगाः बढ़ती मांग हमारे उद्योगों और MSMEs को अधिक उत्पादन करने के लिए प्रेरित करेगी।
4. अधिक उत्पादन से अधिक नौकरियां मिलेंगी। इस मांग को पूरा करने के लिए, व्यवसायों को अधिक लोगों को काम पर रखना पड़ेगा जिससे हमारे युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
5. अधिक नौकरियों में एक व्यापक कर आधार बनेगाः जैसे-जैसे अधिक लोग औपचारिक अर्थव्यवस्था में प्रवेश करेंगे और कमाई करेंगे, करदाताओं की संख्या स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी।

- **आम लोंगों, मध्यम वर्ग, किसान को राहत**

1. स्वास्थ्य बीमा, दवाईयों और कैंसर के उपचार सहित महत्वपूर्ण स्वास्थ्य वस्तुओं पर टैक्स समाप्त कर दिया है। इसके साथ ही, मेडिकल ऑक्सीजन और चश्में पर कर को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है, और खेल उपकरणों में भी कर की दर कम की गयी है।
2. ऑटोमोबाइल, फ्रिज व ए.सी. जैसे घरेलू उपकरणों पर कर को 18 प्रतिशत तक कम करके मध्यम वर्ग को राहत दी गयी है।
3. ट्रैक्टर, ड्रिप सिंचाई प्रणाली, सिंप्रकलर, ट्रैक्टर के टायर और पुर्जों पर जीएसटी घटाकर सिर्फ 5 प्रतिशत कर दिया गया है। जिससे किसान की आय और भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

- **व्यापार S और I को B**

1. नियमों को सरल और तकनीक के माध्यम से फाइलिंग को कुशल बनाया गया है, जिससे पंजीकरण की प्रक्रिया पहले से कहीं अधिक आसान हो गई है।
2. MSMEs विकास के इंजन हैं, और जीएसटी सुधार इन इंजनों के लिए 'सुपर फ्यूल' है। कर की दरों को सरल बनाने से MSMEs को अधिक कुशलता से उत्पादन करने, बेहतर सामान

बनाने और अधिक नौकरियां पैदा करने में मदद मिलेगी।

3. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने और किसानों के साथ-साथ हर स्तर पर व्यापारियों की एकीकृत विकास की प्रतिबद्धता को मजबूत करेगा।

4. कई क्षेत्रों में, जैसे कि कपड़ा और फार्मास्यूटिकल्स, तैयार माल की तुलना में कच्चे माल पर अधिक कर होने से टैक्स रिफंड में देरी होती थी। इससे कार्यशील पूंजी बाधित होती है और व्यवसायों के लिए लागत बढ़ जाती थी।

5. छोटे व्यवसायियों के मालिक द्वारा इनपुट पर चुकाया गया कर तैयार माल पर देय कर से अधिक था, जिससे उन्हें नुकसान होता था। सुधारों ने इस समस्या को ठीक कर दिया है, जिससे छोटे व्यवसायों को मदद मिली है। निर्यातक और छोटे व्यवसायी अब अपने टैक्स रिफण्ड का 90 प्रतिशत तुरंत प्राप्त करेंगें, जिससे कैश फ्लो आसान होगा और उन्हें तुरंत पूंजी उपलब्ध होगी।

6. इसके अलावा व्यापार को आसान बनाने और छोटे निर्यातकों को लाभान्वित करने के लिए, जीएसटी परिषद् ने रु.1,000 से कम के रिफण्ड वाले निर्यात रिफण्ड दावों को शीघ्रता से पूरा करने की मंजूरी दे दी है।

●

स्टाम्प एवं निबंधन

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व संग्रह करने वाले प्रमुख विभागों, वाणिज्य कर, आबकारी, परिवहन आदि के साथ अधिकतम राजस्व संग्रह करने वाला तीसरा प्रमुख विभाग है, जिसका उत्तर प्रदेश सरकार के लिए राजस्व संग्रह के साथ-साथ आम जनता को सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण स्थान है।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग जनता से सीधे सम्पर्क में आने वाला तथा उन्हें सेवायें प्रदान करने वाला अत्यन्त महत्वपूर्ण विभाग है। प्रत्येक वर्ष इस विभाग द्वारा लगभग तीस लाख से अधिक लेखपत्रों का पंजीयन होता है, जिसमें लगभग दो करोड़ लोग विभाग के सम्पर्क में आते है।

पक्षकारों के मध्य होने वाले संव्यावहारों में निष्पादित बैनामा, दान, गोदनामा, इकरारनामा, वसीयतनामा, मुख्तारनामा व किरायानामा आदि विभिन्न प्रकार के लेखपत्रों, जिसमें विवाहों का पंजीकरण भी सम्मिलित है, का पंजीकरण एवं इन्हें चिरकाल तक सुरक्षित रखने का कार्य निबन्धन विभाग द्वारा किया जाता है। साथ ही इन लेखपत्रों पर देय स्टाम्प शुल्क की प्राप्ति सुनिश्चित की जाती है। निबन्धन विभाग राज्य सरकार के लिए राजस्व अर्जन की दृष्टि से वाणिज्य कर एवं आबकारी विभाग के पश्चात् तीसरा अत्यन्त महत्वपूर्ण विभाग है।

निबन्धन विभाग के उद्देश्यः-

निबन्धन विभाग का उद्देश्य लेखपत्रों के निबन्धन की एक ऐसी व्यवस्था सृजित करना, जिसमें किसी विशेष सम्पत्ति के अन्तरण विषयक, पक्षकारों के बीच अधिकारों/दायित्वों की संविदा को सामान्य जनता को सुलभ एवं सार्वजनिक करना, अनन्त काल तक इनके रिकार्डों को जन समान्य हेतु सुरक्षित रखना व इसके माध्यम से कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना तथा सामाजिक विद्वेष को समाप्त करना है।

विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाये :-

1. प्रदेश के समस्त उप निबन्धक कार्यालयों में विभिन्न प्रकार के लेखपत्रों का ऑनलाइन पंजीयन।
2. ऑनलाइन ई-भुगतान एवं Appointment/SMS की सुविधा।
3. संव्यवहार से सम्बन्धित विलेखों का ऑनलाइन निरीक्षण/मुआयना।
4. डिजिटल हस्ताक्षर युक्त ऑनलाइन भार मुक्त प्रमाण-पत्र।
5. विलेख की सत्यापित प्रति।

6. सभी धर्मों के विवाह का ऑनलाइन पंजीकरण।

7. निबन्धन कार्यालयों में पंजीकृत विलेखों का चिर काल तक अक्षुण्ण एवं निरापद रखना।

स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग की प्रमुख कार्य योजनायेंः-

. भारत सरकार के डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम एवं इलेक्ट्रानिक स्टाम्प शुल्क प्रणाली के अन्तर्गत फर्जी स्टाम्पों पर प्रभावी रोक लगाने तथा अधिक से अधिक इलेक्ट्रानिक स्टाम्प के प्रयोग को बढ़ाने के दृष्टिगत ई-स्टाम्प योजना के अन्तर्गत स्टाम्प विक्रेताओं को ए.सी.सी. (प्राधिकृत संग्रह केन्द्र) के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। स्टाम्प विक्रेताओं के द्वारा भी ई-स्टाम्प का विक्रय किया जा रहा है।

. पक्षकारों की सुविधा हेतु निबन्धन शुल्क की धनराशि लेखपत्र के पंजीकरण से पूर्व ऑन-लाइन जमा करने की व्यवस्था करायी गयी है।

. शासनादेश दिनांक 18.06.2022 द्वारा दान के ऐसे विलेख जिसके द्वारा दाता, अचल सम्पत्ति का अन्तरण, परिवार के सदस्यों (पिता-माता, पति-पत्नी, पुत्र-पुत्री, पुत्रवधु) (पुत्र की पत्नी), दामाद (पुत्री का पति), सगा भाई, सगी बहन, पुत्र/पुत्री का पुत्र/पुत्री) के पक्ष में विलेखों का पंजीयन कराता है तो स्टाम्प शुल्क रु. 5,000/- निर्धारित करते हुए जनहित में यह सुविधा प्रदान की गई है। जिसका उद्देश्य अनावश्यक मुकदमेबाजी को कम करना है।

. प्रदेश के जनपदों के सदर उप निबन्धक कार्यालयों जहाँ विलेखों के प्रस्तुतीकरण की संख्या अधिक है वहाँ कार्यरत एक से अधिक उप निबन्धक कार्यालयों में समवर्ती क्षेत्राधिकार लागू है।

. निबन्धन कार्यालयों में विलेखों के निबन्धन हेतु एस.एम.एस. आधारित अपाइन्टमेंट सिस्टम लागू किया गया है।

. पुराने पंजीकृत विलेखों की इण्डेक्सिंग, स्कैनिंग एवं डिजिटाईजेशन का कार्य प्रथम चरण में सभी जनपदों के वर्ष 2002 से वर्ष 2017 तक के विलेखों का इण्डैक्सिंग, स्कैनिंग एवं डिजिटाइजेशन (इण्डैक्सिंग में 95.66 प्रतिशत, स्कैनिंग एवं डिजिटाईजेशन 92.90 प्रतिशत) का कार्य कर दिया गया है।

. स्टाम्पों की लागत शीर्षक से न्यायिकेत्तर स्टाम्पों की छपाई एवं ढुलाई पर होने वाला व्यय किया जाता है तथा स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय शीर्षक से न्यायिकेत्तर स्टाम्पों की स्टाम्प वेण्डरों के माध्यम से होने वाली बिक्री पर स्टाम्प वेन्डरों को देय 1 प्रतिशत कमीशन का व्यय किया जाता है।

. **भारत सरकार के उद्योग संवर्धन विभाग के B के अन्तर्गत बिजनेस रेफोर्म एक्शन प्लानः-**

. प्रथम चरण में स्कैनिंग, इंडेक्सिंग एवं डिजिटलाईजेशन के अन्तर्गत वर्ष 2000 से 2017 तक यानी 15 वर्षों के अभिलेखों का स्कैनिंग, इंडेक्सिंग एवं डिजिटलाईजेशन का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। द्वितीय चरण में वर्ष 2002 से 15 वर्ष पूर्व के अभिलेखों स्कैनिंग, इंडेक्सिंग एवं डिजिटलाईजेशन का कार्य प्रक्रियाधीन है।

. NSHCL के प्लेटफार्म से डिजिटल ई-स्टाम्प सुविधा का प्रारम्भ किया गया।

. भारतीय स्टेट बैंक के MoU के पश्चात निबन्धन शुल्क का ई-भुगतान सुविधा का प्रारम्भ किया गया।

. डिजिटल इंडिया भूमि आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) के अन्तर्गत प्रेरणा सॉफ्टवेयर को लेखपत्र पंजीकरण हेतु एस.एम.एस. आधारित Appointment सुविधा एवं ऑनलाइन नामांतरण हेतु राजस्व परिषद की वेबसाइट "भूलेख" एवं "राजस्व न्यायालय" से लिंक किया गया।

वित्तीय वर्ष 2024-25 की उपलब्धियां

राजस्व प्राप्तियां:-

वित्तीय वर्ष - में विभाग हेतु निर्धारित लक्ष्य रु. . करोड़ के सापेक्ष रु. . करोड़ की राजस्व प्राप्ति हुई, जो लक्ष्य का . प्रतिशत है।

जनोपयोगी कार्य:-

- **सम्पत्ति पंजीकरण की व्यवस्था-** जनसामान्य अपने लेखपत्र का ऑनलाइन साफ्टवेयर के माध्यम से सृजन कर सकता है तथा सृजित दस्तावेज के माध्यम से ऑन लाइन पंजीकरण करा सकता है, जिससे वह किसी मध्यवर्ती के बिना भी अपने लेखपत्र का पंजीकरण करा सकता है।
- **विवाह पंजीकरण:-** विभाग के द्वारा ई-विवाह पंजीकरण प्रारम्भ कर दिया गया है तथा जन सामान्य की सुविधा के दृष्टिगत विवाह पंजीकरण हेतु सम्बन्धित के विकल्प के अनुसार उप निबन्धक कार्यालय में पंजीकरण सुविधा प्रदान की गई है।
- **सम्पत्ति विवरण सत्यापन:-** विभागीय पोर्टल पर वर्तमान में यह व्यवस्था दी गई है कि कोई व्यक्ति किसी सम्पत्ति को खरीदने से पूर्व सम्पत्ति खोज विकल्प का प्रयोग कर सम्पत्ति का सत्यापन कर सकता है। उक्त से सम्पत्ति पंजीकरण में होने वाली धोखाधड़ी से बचाने में मदद की जा रही है।
- **दाखिल खारिज:-** आम जन को दस्तावेजों के निबन्धन के उपरान्त दाखिल खारिज संबंधी कार्यवाही हेतु सुगमता प्रदान किये जाने के दृष्टिगत राजस्व परिषद् के पोर्टल को विभागीय पोर्टल से एकीकृत कर दिया गया है। इस व्यवस्था से दो विभागों के मध्य समन्वय सुगम हुआ है एवं दाखिल खारिज की प्रक्रिया साधारण हो जाने से आम जनता को इसका लाभ दिया जा रहा है।
- **अभिलेखों का डिजिटलाईजेशन:-** विभाग के उप निबन्धक कार्यालयों में निबन्धित लेखपत्रों को डिजिटल रूप में संरक्षित किया जा रहा है, जिससे वर्तमान एवं भविष्य में जनसामान्य को आवश्यकता पड़ने पर इन्टरनेट आधारित सेवाओं द्वारा अभिलेख सुलभ कराये जा सके।
- **विभागीय कार्य का सरलीकरण:-** भारत सरकार ase o oing usiness को कार्यक्रम के अन्तर्गत विभागीय पोर्टल को उद्योग बन्धु को सिंगल विण्डों सिस्टम, निवेश मित्र पोर्टल,

ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल, सी.एम. डैश बोर्ड एवं राजस्व परिषद् की वेबसाइट से एकीकृत किया गया है। इस व्यवस्था से प्रदेश में उद्यमियों को सुविधा हुई है एवं राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रदेश की छवि में सुधार हुआ है। ase o oing usiness के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है।

- उद्योग स्थापना हेतु त्वरित प्रमाण पत्र निर्गत करने के क्रम में एकल विण्डों पोर्टल **"निवेश मित्र"** एकीकृत किया गया।
- विभाग को ई-गवर्नेन्स/ऑनलाइन लेखपत्र पंजीकरण प्रक्रिया ( ) हेतु निम्न पुरस्कार प्राप्त हुआ:-
  - ward o ecognition
  - igital echnology xcellence ward
  -
- बैंक ऑफ इंडिया शेयर होल्डिंग लि. ( ) से शेयर अंतरण में ब्रोकर टर्नवओवर पर स्टाम्प शुल्क अधिग्रहित करने हेतु अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया गया है, जिससे शेयर अन्तरणों से अतिरिक्त आय प्राप्त हो रही है।
- भारत सरकार के डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम एवं इलेक्ट्रानिक स्टाम्प शुल्क प्रणाली के अन्तर्गत फर्जी स्टाम्पों, पर प्रभावी रोक लगाने के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश ई-स्टाम्प नियमावली-2013 को प्रभावी किया गया है। वर्ष 2013 से स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड को उत्तर प्रदेश सरकार के स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग हेतु केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण (. . .) नियुक्त किया गया है।
- दिव्यांगजन हेतु ग्राउण्ड फ्लोर पर रजिस्ट्री की सुविधा हेतु समस्त उप निबन्धकों को लैपटाप उपलब्ध कराये गये हैं एवं इस आशय से निर्देश भी दिये गये कि दिव्यांगजनों को रजिस्ट्री की व्यवस्था ग्राउन्ड फ्लोर पर ही उपलब्ध करायी जाय।
- 05 दिसम्बर, 2017 से प्रदेश में सम्पत्ति के विलेखों के पंजीकरण की ऑन लाईन प्रक्रिया का शुभारम्भ मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया। वर्तमान में प्रदेश के समस्त उप निबन्धक कार्यालयों में ऑन लाईन रजिस्ट्री की जा रही है।
- उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति-2017 के सम्बन्ध में विभिन्न प्रयोजनों हेतु शासनादेश दिनांक 12.02.2018 द्वारा 50 से 100 प्रतिशत की छूट का प्रावधान किया गया।

नियम-विनियम :-

विभागीय कानूनों एवं नियमों की समीक्षा करते हुए वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप नियम बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कार्य करते हुए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अपना स्टाम्प अधिनियम बनाया जा रहा है तथा इसी सन्दर्भ में ई-स्टाम्पिंग नियमावली, प्रभावी हो गयी है।

आंतरिक तकनीकी परीक्षण प्रकोष्ठः–

स्टाम्प शुल्क के अपवंचन की रोकथाम हेतु स्टाम्प व पंजीकरण विभाग द्वारा आंतरिक तकनीकी परीक्षण प्रकोष्ठ का गठन पूर्वी एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किया गया है, जिसके द्वारा प्रत्येक जिले में निबन्धित विलेखों की जांच एवं निरीक्षण किया जा रहा है। आंतरिक तकनीकी परीक्षण प्रकोष्ठ के सक्रिय प्रयास से कमी स्टाम्प के प्रकरण प्रकाश में लाये गये हैं।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तावित/भविष्य की योजनाए

राजस्व प्राप्ति :–

वित्तीय वर्ष – के लिए स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग हेतु राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रु. . करोड़ निर्धारित किया गया है, जिसके लिए विभाग द्वारा प्रभावी कार्य योजना तैयार की गई है, लम्बित वसूली, स्टाम्पवादों का त्वरित निस्तारण, विभिन्न विभागों के अपंजीकृत लेखपत्रों का पंजीयन कराना, लेखपत्रों को अधिकाधिक स्थल निरीक्षण एवं करापवंचन की रोकथाम करते हुए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु विभाग द्वारा प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।

पंजीकृत विलेखों की स्कैनिंग तथा डिजिटाइजेशनः–

स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग में डाक्यूमेन्ट मैनेजमेन्ट सिस्टम को प्रभावी बनाने के लिए विलेखों को अधिक समय तक सुरक्षित रखने हेतु स्कैनिंग कराये जाने की आवश्यकता है। विभाग के उप निबन्धक कार्यालयों में निबन्धित लेखपत्रों को डिजिटल रूप में संरक्षित किया जाना प्रस्तावित है, जिससे भविष्य में जन सामान्य को इन्टरनेट आधारित सेवाओं द्वारा अभिलेख सुलभ कराये जा सकें।

प्रकरण जिनमें छूट का प्रस्ताव हैः–

यू.पी. एग्रीज प्रोजेक्ट एवं प्राइवेट यूनिवर्सिटी प्रोत्साहन नीति 2024 के अन्तर्गत सम्प्रति अधिसूचना निर्गत की जानी है।

●

कृषि

विभाग का संक्षिप्त इतिहासः-

संतुलित एवं गुणवत्तायुक्त भोजन की अनिवार्यता को दृष्टिगत रखते हुए कृषि विभाग की वर्ष में स्थापना की गयी। प्रारम्भ में कृषि विभाग का कार्य कृषि सम्बन्धी आँकड़ों के संकलन तथा आदर्श कृषि प्रक्षेत्रों की स्थापना तक ही सीमित था। वर्ष में कृषि विभाग को भू-अभिलेख विभाग से सम्बद्ध कर दिया गया। गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया एक्ट- के पारित होने के उपरान्त कृषि क्षेत्र राज्य सरकार के अधीन हो जाने के फलस्वरूप कृषि विभाग को दिसम्बर, से एक स्वतंत्र विभाग बनाया गया तथा मई, को इसकी विधिवत् स्थापना हुईं। विभाग के तत्कालीन क्रियाकलापों में कृषि क्षेत्र यथा-उपज, पालन, भूमि संरक्षण, गन्ना उत्पादन, उद्यान एवं कोलोनाइजेशन सम्बन्धी गतिविधियों का समावेश था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् गन्ना विभाग के गठन के फलस्वरूप गन्ना उत्पादन सम्बन्धी कार्य नवगठित विभाग में समाहित कर दिया गया। कालान्तर में उद्यान एवं कृषि विपणन को भी कृषि विभाग से अलग किया गया है। कृषि विभाग अपने वर्तमान स्वरूप में विविध सहयोगी संस्थाओं यथा- उ.प्र. बीज-विकास निगम, राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, यू.पी. स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेड़ा, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद आदि के सम्मिलित प्रयास से कृषि उत्पादन सम्बन्धी क्रिया-कलापों को गति प्रदान करने में प्रयासरत है।

कृषि विभाग प्राकृतिक संसाधनों यथा- मृदा, जल एवं कृषि सम्बन्धी जैव विविधता के समुचित संरक्षण, देश/प्रदेश की कृषि उत्पादन नीतियों के विनिर्माण एवं क्रियान्वयन तथा संसाधनों को अक्षुण्ण बनाये रखते हुये उत्तरोत्तर वृद्धि परक उत्पादन के आयाम विकसित करने के लिए सतत प्रयासरत है। कृषि विभाग का मूल उद्देश्य कृषि विकास की दर को गति प्रदान करने के साथ-साथ फसलोत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करना है, जिससे प्रदेश के कृषकों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर उनके जीवन-स्तर को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से ऊपर उठाया जा सके। इसके अतिरिक्त प्रदेश के क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए क्षेत्र विशेष हेतु उपयुक्त विशिष्ट योजनाओं का क्रियान्वयन तथा कृषकों को रोजगार के नये अवसर सृजित करना है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 की उपलब्धियांः-

- **आच्छादन-** फसल आच्छादन के अंतर्गत खरीफ 2024 से कुल 105.91 लाख हे. क्षेत्रफल आच्छादित किया गया। इसी प्रकार रबी 2024-25 में 136.65 लाख हे. क्षेत्रफल आच्छादित किया गया।

- **उत्पादन-** वर्ष 2024-25 में 732.07 लाख मै.टन खाद्यान्न उत्पादन (खरीफ में 241.08 लाख मै.टन, रबी में 472.97 लाख मै.टन एवं जायद में 18.02 लाख मै.टन) एवं 32.26 लाख मै.टन तिलहन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित है। निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष खरीफ 2024 में 256.98 लाख मै.टन रिकार्ड खाद्यान्न एवं 6.06 लाख मै.टन तिलहन का उत्पादन प्राप्त हुआ। रबी 2024-25 में 448.58 लाख मै.टन खाद्यान्न एवं 30.15 लाख मै.टन तिलहन का उत्पादन अनुमानित है।
- **बीज वितरण-** कृषि उत्पादन में गुणवत्ता युक्त बीजों का सर्वाधिक महत्व है। वर्ष 2024-25 में 65.96 लाख कु. (खरीफ 9.19 एवं रबी 56.77) प्रमाणित बीजों का कृषकों को वितरण किया गया।
- **निःशुल्क मिनीकिट वितरण-** प्रदेश में दलहनी, तिलहनी फसलों एवं श्री अन्न के क्षेत्राच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के उद्देश्य से निःशुल्क मिनीकिट वितरण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। वर्ष 2024-25 में दलहनी फसलों के कुल 2.05 लाख बीज मिनीकिट तथा तिलहनी फसलों के कुल 7.10 लाख बीज मिनीकिट का निःशुल्क वितरण कराया गया। इसी प्रकार प्रदेश में श्री अन्न (ज्वार, बाजरा, कोदो, सावां, रागी/मडुआ आदि) की खेती, प्रसंस्करण एवं उपभोग को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न के 2.36 लाख बीज मिनीकिट का निःशुल्क वितरण कराया गया।
- **प्वाइंट आफ सेल मशीन द्वारा कृषि निवेश के वितरण-** कृषि विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त राजकीय कृषि बीज भण्डारों पर प्वाइंट ऑफ सेल मशीन को स्थापित कराकर उसके माध्यम से 14.69 लाख कृषकों का आधार ऑथेंटिकेशन करते हुए बीज, बायोफर्टिलाइजर एवं जिप्सम पर कुल रु. 288.88 करोड़ सब्सिडी एट सोर्स प्रदान की गयी।
- **उ.प्र. मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम-** प्रदेश में पोषक अनाजों के उपभोग के प्रति जागरुकता बढ़ाने के उद्देश्य से उ.प्र. मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। वर्ष 2024-25 में प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन के अंतर्गत 50 जनपद स्तरीय मिलेट्स मेला, 568 विकास खंड स्तरीय कृषक प्रशिक्षण, 75 बीज उत्पादन पर एफ.पी.ओ. के सदस्यों का प्रशिक्षण, 2,500 ग्राम पंचायत पर किसान पाठशाला का आयोजन, 51 एक्सपोजर विजिट आदि कार्यक्रम कराये गये।
- **उर्वरक वितरण-** प्रदेश सरकार द्वारा कृषकों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जा रही है। वर्ष 2024-25 में 116.45 लाख मै.टन (खरीफ 52.39 एवं रबी 64.06) उर्वरकों का कृषकों को वितरण किया गया।
- **कृषि रक्षा रसायन वितरण-** फसलों में कीट, रोग एवं खरपतवारों के नियंत्रण हेतु वर्ष 2024-25 में 19,151 मै.टन /कि.ली. (खरीफ 9,401 एवं रबी 9,750) कृषि रक्षा रसायनों का कृषकों को वितरण किया गया।
- **फसली ऋण वितरण-** प्रदेश में वर्ष 2024-25 में रु. 1,44,039.55 करोड़ फसली ऋण

(खरीफ में रु. 55,811.49 करोड़ एवं रबी में रु. 88,228.06 करोड़) का वितरण विभिन्न बैंकों द्वारा कृषकों को कराया गया।

- **किसान क्रेडिट कार्ड वितरण-** प्रदेश में वर्ष 2024-25 में 71.25 लाख किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण कराया गया।
- **मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण-** मृदा स्वास्थ्य कार्ड की संस्तुतियों के आधार पर संतुलित उर्वरकों के प्रयोग हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में 8.26 लाख मृदा नमूना एकत्रीकरण लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत नमूनों का एकत्रीकरण एवं विश्लेषण कराकर 8.26 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण कराया गया।
- **पं. दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना-** वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 39,558 हे. क्षेत्रफल में भूमि सुधार कर कृषि योग्य बनाया गया।
- **भूमि सुधार हेतु जिप्सम वितरण योजना-** मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने एवं भूमि सुधार हेतु जिप्सम वितरण योजना संचालित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 24,925 मै.टन जिप्सम का वितरण कराया गया।
- **रेनफेड एरिया डेवलपमेंट (आर.ए.डी.)-** वर्षा आधारित क्षेत्रों में एकीकृत फसल प्रणाली को प्रोत्साहित कर फसल उत्पादन के साथ ऐसी फसल पद्धति का विकास करना जिससे कृषक अपने फसलोत्पादन के साथ ही कृषि से जुड़े रहते हुए भी अतिरिक्त आय प्राप्त कर सके। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 4,264.00 हे. क्षेत्रफल में विभिन्न कार्यक्रम कराया गया।
- **जैविक खेती-** प्रदेश में जैविक खेती कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाने हेतु वर्ष 2015-16 से परम्परागत कृषि विकास योजना, नमामि गंगे योजना एवं जनपद हमीरपुर में जैविक खेती योजना संचालित की जा रही है। यह तीन वर्षीय कार्यक्रम है, जिसमें प्रत्येक क्लस्टर 20 हे. क्षेत्रफल में गठित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2017-18 से वर्ष 2024-25 तक कुल 1,76,180 हे. क्षेत्रफल को जैविक खेती में परिवर्तित किया जा चुका है तथा वर्तमान में 1,27,180 हे. क्षेत्रफल में जैविक खेती का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।
- **प्राकृतिक खेती-** प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु राज्य सेक्टर से बुन्देलखण्ड के समस्त जनपदों में 23,500 हे. क्षेत्रफल में गौ-आधारित प्राकृतिक खेती का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।
- **पीएम-कुसुम योजना-** कृषकों को सिंचाई हेतु डीजल/विद्युत के स्थान पर वैकल्पिक ऊर्जा के उपयोग हेतु प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना के अंतर्गत कृषकों के प्रक्षेत्रों पर विभिन्न क्षमता के सोलर पम्पों की स्थापना करायी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कृषकों के प्रक्षेत्रों पर विभिन्न क्षमता के कुल 28,811 सोलर पम्पों की स्थापना करायी गयी।
- **खेत तालाब योजना-** वर्षा जल संचयन, भूगर्भ जल स्तर में वृद्धि एवं फसलों की जीवन रक्षक सिंचाई हेतु खेत तालाब योजना संचालित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में

2,033 खेत तालाबों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया।

- **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना-** प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत योजना का लाभ सभी इच्छुक तथा जरूरतमंद किसानों तक पहुँचाते हुए क्षतिपूर्ति की धनराशि किसानों को समय से उपलब्ध कराने हेतु त्वरित कार्यवाही की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 11.21 लाख बीमित कृषकों को रु.625.97 करोड़ की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जा चुका है। वर्ष 2024-25 में 31.33 लाख कृषकों द्वारा 22.21 लाख हे. क्षेत्रफल में बीमा कराया गया।
- **कृषि यंत्रीकरण-** कृषि के क्षेत्र में श्रमिकों की कमी के दृष्टिगत मशीनीकरण को बढ़ावा देने हेतु सब मिशन आन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन एवं प्रमोशन आफ एग्रीकल्चरल मैकेनाईजेशन फार इन सीटू मैनेजमेन्ट आफ क्राप रेजिड्यू योजना कृषि विभाग द्वारा संचालित है। उक्त योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 14,110 उन्नत कृषि यंत्र का वितरण तथा 176 फार्म मशीनरी बैंक एवं 1,314 कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना करायी जा चुकी है।
- **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पी.एम.किसान) योजना-** प्रदेश के कृषकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से माह दिसम्बर, 2018 से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना का संचालन किया जा रहा है। योजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 से माह मार्च, 2025 तक कुल 19 किस्तों में 2.86 करोड़ कृषकों को कुल रु. 85,196.65 करोड़ की धनराशि डी.बी.टी. के माध्यम से कृषकों के खातों में हस्तान्तरित की गयी।
- **प्रधानमंत्री किसान मान धन (पी.एम.-के.एम.वाई.) योजना-** प्रदेश के लघु एवं सीमान्त कृषकों को सामाजिक सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने एवं वृद्धावस्था में उनकी आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वैच्छिक रूप से पुरूष व महिला दोनों के लिए 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर रु. 3000 प्रति माह की एक सुनिश्चित मासिक पेंशन योजना है। यह एक स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना है और इसमें सम्मिलित होने की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष तक है। वर्ष 2019-20 से वर्ष 2024-25 तक कुल 2.52 लाख लाभार्थी कृषकों को कार्ड उपलब्ध कराया जा चुका है।
- **कृषक उत्पादन संगठन (एफ.पी.ओ.)-** प्रदेश के लघु एवं सीमान्त कृषकों की आय में वृद्धि कर आर्थिक, सामाजिक रूप से सशक्त एवं समृद्ध बनाने हेतु कृषक उत्पादक संगठन (एफ. पी.ओ.) का गठन कर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। वर्ष 2021-22 से वर्ष 2024-25 तक कुल 3,819 एफ.पी.ओ का गठन कर शक्ति पोर्टल पर अपलोड कराया जा चुका है।
- **कृषि कल्याण केन्द्रों की स्थापना-** प्रदेश में सिंगल विण्डों सिस्टम द्वारा कृषकों को गुणवत्तायुक्त बीज, कृषि रक्षा रसायन तथा कृषकों को परामर्श देने हेतु विभिन्न जनपदों में वर्ष 2017-18 से कृषि कल्याण केन्द्रों का निर्माण कराया जा रहा है। वर्ष 2024-25 में 11 कृषि कल्याण केन्द्रों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। 71 कृषि कल्याण केन्द्रों

का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

- **प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन (एग्रीजंक्शन)**- किसानों को उनके फसल उत्पादन के लिए कृषि केन्द्र (एग्रीजंशन) बैनर तले समस्त सुविधाएं वन स्टॉप शॉप के माध्यम से कृषि स्नातकों द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 1924 एग्रीजंक्शन की स्थापना करायी जा चुकी है।
- **ग्राम पंचायत स्तरीय गोष्ठी/किसान पाठशाला**- कृषको को कृषि की समग्र नवीनतम तकनीक से प्रशिक्षित करने हेतु ग्राम पंचायत स्तरीय गोष्ठी/किसान पाठशाला का आयोजन पूरे प्रदेश में संचालित किया जा रहा है। वर्ष 2024-25 (खरीफ/रबी) में कुल 57,827 ग्राम पंचायत स्तरीय गोष्ठी/ किसान पाठशालाओं का आयोजन कराया गया जिसमें कुल 48.62 लाख कृषकों द्वारा प्रतिभाग किया गया।
- **ई-खसरा पड़ताल (डिजिटल क्रॉप सर्वे)**- प्रदेश में राजस्व विभाग के नेतृत्व में कृषि विभाग के सहयोग से प्रदेश के समस्त जनपदों में ई-खसरा पड़ताल (डिजिटल क्रॉप सर्वे) संपादित कराया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए मोबाइल ऐप का प्रयोग करते हुए जिओ रेफरेंस राजस्व नक्शे के अनुरूप प्रत्येक गाटे का सर्वेक्षण ई-खसरा पड़ताल के अंतर्गत किया जा रहा है, जिससे बोई गई फसल का सटीक एवं त्वरित सर्वेक्षण संपादित होता है। वर्ष 2024-25 में (खरीफ में 5.37 करोड़ एवं रबी में 5.44 करोड़) कुल 10.81 करोड़ गाटों का सर्वेक्षण कराया गया।
- **फार्मर रजिस्ट्री**- प्रदेश में कृषकों को कृषि एवं संबद्ध विभागों से संबंधित सभी सुविधाओं को सुगमता से प्रदान करने हेतु फार्मर रजिस्ट्री का कार्य प्रदेश के समस्त जनपदों में सम्पादित कराया जा रहा है। वर्ष 2024-25 में कुल 124.14 लाख फार्मर आई.डी. निर्गत की जा चुकी हैं।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में संचालित योजनाएं

केन्द्रीय योजनायें-

(क) **कृषोन्नति योजना (के.वाई.)**

1. **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (N SN)**- प्रदेश में गेहूं, चावल, मोटे अनाज, दलहन एवं तिलहन के उत्पादन की असमानता को दूर करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चलायी जा रही है। इस योजनान्तर्गत जूट, कपास एवं गन्ना जैसी व्यवसायिक फसलों के साथ-साथ वर्ष 2019-20 से तिलहनी फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हेतु समिमलित किया गया है।
2. **सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (S)**- वर्तमान में यह योजना प्रदेश भर में संचालित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2022-23 से अम्ब्रेला स्कीम कृषोन्नति योजनाओं के अन्तर्गत कृषकों एवं कृषि प्रसार कार्मिकों के क्षमतावर्धन एवं कृषि प्रसार तकनीक का सतही स्तर तक प्रचार-प्रसार के लिए क्रियान्वित की जा रही है।

3. **सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लान्टिंग मैटेरियल (S S)**- इस योजनान्तर्गत कृषकों को बीजोत्पादन हेतु प्रशिक्षित कर ग्राम स्तर पर गुणवत्तायुक्त बीजों का उत्पादन कराया जाता है।

4. **नेशनल मिशन ऑन एडिबल आयल ( )**- प्रदेश की तिलहन सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति एवं तिलहनी फसलों के क्षेत्र, उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि हेतु केन्द्र पुर्निधारित नेशनल मिशन ऑन एडिबिल ऑयल (ऑयलसीड्स) योजना प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में क्रियान्वित की जा रही है।

5. **नेशनल मिशन ऑन एडिबल आयल (B)**- इस योजना के अंतर्गत बंजर भूमि, परती भूमि एवं अन्य अनुपयोगी भूमि का उपयोग कर तेल जनित वृक्षों नीम व मडुआ के पौधों का वृक्षारोपण के माध्यम से तेल उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से प्रदेश में बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 07 जनपद झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बाँदा चित्रकूट में योजना संचालित की गयी।

6. **नेशनल ई-गवर्नेंस प्रोगाम फार एग्रीकल्चर (N -) के अन्तर्गत डिजिटल क्राप सर्वे एवं फार्मर रजिस्ट्री- डिजिटल क्राप सर्वे** के अन्तर्गत प्रदेश में खरीफ 2023 से फसल सर्वेक्षण का कार्य संचालित किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये मोबाइल ऐप प्रयोग करते हुए प्रत्येक गाटे का डिजिटल क्राप सर्वे- (ई-खसरा पड़ताल) के अन्तर्गत बोई गयी फसल का सटीक एवं त्वरित सर्वेक्षण सम्पादित कराया जा रहा है। प्रदेश में फार्मर रजिस्ट्री का कार्य नवम्बर, 2024 से संचालित किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत प्रदेश के कृषकों को कृषि एवं सम्बद्ध विभागों से सम्बन्धित सभी सुविधाओं को फार्मर रजिस्ट्री द्वारा सुगमता से प्रदान किया जायेगा।

7. **बीज गुण नियंत्रण सुदृढ़ीकरण योजना**- उ.प्र. बीज प्रमाणीकरण संस्था के निरीक्षकों की देख-रेख से मानक स्तर के बीजों का उत्पादन से लेकर टैगिंग तक का कार्य कराकर वितरण अवधि में प्राकृतिक कुप्रभाव, अपमिश्रण आदि से गुणवत्ता में ह्रास के कारण घटिया बीजों को कृषकों में वितरण रोकने के उद्देश्य से बीज अधिनियम 1966 एवं बीज नियंत्रण आदेश 1983 के प्रावधानों के अन्तर्गत बीज गुण नियंत्रण के कार्यक्रम का अनुश्रवण किया जाता है।

(ख) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना ( )

- **परियोजना आधारित ( )**- प्रदेश में कृषि एवं संवर्गीय क्षेत्र के समग्र विकास हेतु वर्ष 2007-08 से नियमित रूप से संचालित की जा रही है। वर्ष 2014-15 तक शत-प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना के रूप में तथा वर्ष 2015-16 से 60:40 के फंडिंग पैटर्न पर संचालित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अवस्थापना एवं परिसम्पत्ति सृजन करना तथा कृषि के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना है। इस योजनान्तर्गत कृषि, पशुपालन, सिंचाई, मत्स्य, उद्यान, गन्ना, डास्प, रेशम, कृषि शोध इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण

कृषि विकास कार्यक्रमों को प्रदेश की आवश्यकतानुसार संचालित किया जा रहा है।

- **वार्षिक कार्य योजना आधारित** ( )-

1. **सब-मिशन आन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन** (S)- इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में कृषि यंत्रों को बढ़ावा देने के लिए सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना संचालित की जा रही हे। इसमें उन्नत कृषि क्षेत्र यंत्र का वितरण, फार्म मशीनरी बैंक एवं कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना करायी जा रही है।
2. **प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाजाइजेशन फार इन-सीटू मैनेजमेन्ट ऑफ क्राप रेज्डयू** ( )- इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में कृषि यंत्रों को बढ़ावा देने एवं प्रदेश में पराली जलने की घटनाओं को रोकने के लिए फसल अवशेष प्रबन्धन वाले कृषि यन्त्र उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फार इन-सीटू मैनेजमेन्ट ऑफ क्राप रेज्डूयू योजना संचालित की जा रही है। इसमें उन्नत कृषि यंत्र का वितरण एवं कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना करायी जा रही है।
3. **रेनफेड एरिया डेवलपमेन्ट** ( )- वर्षा आधारित क्षेत्रों में उपयुक्त कृषि पद्धतियाँ अपनाकर रिकार्ड उपादकता प्राप्त किये जाने व इन क्षेत्रों में गरीबी को कम किये जाने की दृष्टि से यह योजना 65 जनपदों में संचालित है। वर्षा आधारित क्षेत्र में ऐसी फसल पद्धति को प्रोत्साहित करना जो कम वर्षा की दशा में भी उत्पादन देने में सक्षम हो साथ ही फसल उत्पादन के साथ ऐसी फसल पद्धति का विकास करना जिससे कृषक अपने फसलोत्पादन के साथ ही कृषि से ही जुड़े रहते हुए अतिरिक्त आय प्राप्त कर सके।
4. **स्वायल हेल्थ एण्ड फर्टिलिटी**- किसानों के खेत में मृदा नमूना एकत्रित कर मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं में 12 पैरामीटर पर विश्लेषण कर आवश्यक पोषक तत्वों एवं उर्वरकों की फसलवार सिफारिश/संस्तुतियां के आधार पर उपयोग कर उत्पादन में वृद्धि एवं लागत में कमी लाने के लिए स्वायल हेल्थ एण्ड फर्टिलिटी नाम से योजना संचालित की जा रही है।
5. **परम्परागत कृषि विकास योजना** ( )- इस योजना के अंतर्गत जैविक खेती का क्रियान्वयन वर्ष 2015-16 से किया जा रहा है जो क्लस्टर एप्रोच, जैविक प्रमाणीकरण हेतु पार्टीसिपेट्री गारण्टी सिस्टम ऑफ इण्डिया (पी.जी.एस.-इण्डिया प्रमाणीकरण) तथा 03 वर्षीय कार्यक्रम पर आधारित है। इस योजना का मुख्य उद्‌देश्य रसायन एवं पेस्टीसाइड मुक्त जैविक उत्पाद प्राप्त करना तथा इनपुट लागत में कमी कर कृषकों को आर्थिक रूप समृद्ध बनाना है। यह योजना प्रदेश के 54 जनपदों में संचालित है।

6. **नमामि गंगे योजना**- रसायनयुक्त कृषि पद्धति से गंगा नदी के जल प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से प्रदेश के 27 जनपदों में गंगा नदी के तटीय क्षेत्रों के दोनों किनारों से 05 से 07 किमी. तक रसायन एवं पेस्टीसाइड मुक्त जैविक खेती कार्यक्रम का क्रियान्वयन वर्ष 2019-20 से किया जा रहा है।

7. **पर ड्राप मोर क्राप-अदर इन्टरवेंशन (- I)**- इस घटक के अन्तर्गत वर्षा जल संचयन हेतु खेत तालाब योजना संचालित की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वर्षा के जल को अधिकाधिक संचित कर पलेवा अथवा जीवनदायिनी सिंचाई हेतु प्रयोग करना, भूगर्भ जलस्तर में वृद्धि तथा वैकल्पिक कृषि के लिये कृषकों को प्रशिक्षित करना जिससे कम पानी के प्रयोग से अधिक से अधिक आय प्राप्त हो सके।

8. **फसल विविधीकरण कार्यक्रम (   )**- इसके अन्तर्गत 02 कार्यक्रम संचालित किय जा रहे हैं।

   - **धान प्रतिस्थापन**- योजना प्रदेश में वर्ष 2013-14 से हरित क्रांन्ति क्षेत्र के अन्तर्गत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदों में यू.पी. डास्प द्वारा संचालित की जा रही है। इसके अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र के 11 जनपदों से खरीफ में दलहन/तिलहन/मोटा अनाज एवं सब्जी आदि के प्रदर्शनों के माध्यम से धान की खेती को प्रतिस्थापित कराया जा रहा है।
   - **तम्बाकू प्रतिस्थापन**- प्रदेश के मुख्य तम्बाकू उत्पादक जनपदों यथा एटा, कासगंज एवं फर्रूखाबाद में तम्बाकू की खेती को कम करने हेतु वर्ष 2017-18 से योजना यू.पी. डास्प द्वारा संचालित की जा रही है।

9. **शस्य वानिकी**- प्रदेश में गुणवत्ता युक्त पौध रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु यह योजना वर्ष 2023-24 से वन विभाग, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, रेशम विभाग तथा बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बांदा द्वारा संचालित की जा रही है।

(ग) अन्य केन्द्रीय योजनायें/कार्यक्रम-

1. **राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम (N I)**- इसके अन्तर्गत 02 कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं-

   - **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना**- प्रदेश के समस्त जनपदों में ग्राम पंचायत स्तर पर योजना संचालित की जा रही है। योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कृमियों से क्षति की स्थिति में बीमित कृषकों को बीमा कवर के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना में खरीफ की 10 फसलें एवं रबी की 08 फसलें अधिसूचित हैं। बीमित राशि का खरीफ में 2.0 प्रतिशत, रबी में 1.5 प्रतिशत एवं खरीफ/रबी की नकदी फसलों में 5

प्रतिशत की दर से प्रीमियम की कटौती का प्राविधान है।

- **पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना-** प्रदेश के 60 जनपदों में ग्राम पंचायत स्तर पर योजना संचालित की जा रही है। प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों से फसलों के नष्ट होने की सम्भावना के आधार पर कृषकों को बीमा कवर के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में खरीफ की 3 फसलें एवं रबी की 4 फसलें अधिसूचित हैं। बीमित राशि का औद्यानिक फसलों में 5 प्रतिशत की दर से प्रीमियम की कटौती का प्राविधान है।

2. **प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम)-** प्रदेश में सिंचाई हेतु विद्युत रहित क्षेत्र में प्रयोग किये जा रहे डीजल पम्प अथवा अन्य सिंचाई के साधनों को परिवर्तित करने तथा नये क्षेत्रों में (अतिदोहित/क्रिटिकल क्षेत्रों को छोड़कर) सिंचाई हेतु 10 एच.पी. तक के स्टैण्ड एलोन सोलर पम्पों की स्थापना करायी जा रही है। योजना का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्तर पर कार्बन की तीव्रता तथा सोलर पम्प की स्थापना से सिंचाई लागत को कम करना है। योजना के अन्तर्गत सोलर पम्पों की स्थापना से जहाँ एक ओर विद्युत ऊर्जा की बचत होगी, वहीं सोलर पम्प के संचालन के लिए ईंधन आदि का कोई आवर्ती व्यय नहीं होगा।

3. **इन्टीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेन्सस इकोनामिक्स एण्ड स्टेटिसटिक्स-** भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पूर्व में संचालित इम्प्रूवमेन्ट ऑफ एग्रीकल्चर स्टेटिसटिक्स स्कीम के अन्तर्गत टी.आर.एस. एवं आई.सी.एस. योजना का संचालन किया जा रहा था। उक्त दोनों योजनाओं को इन्टीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेन्सस इकोनामिक्स एण्ड स्टेटिसटिक्स में संविलीन कर संचालित किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आई.सी.एस. के अनतर्गत केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के प्राधिकारियों के संयुक्त प्रयास से फसल सांख्यिकी संग्रहण प्रणाली की कमियों का पता लगाने के साथ-साथ इन्हें दूर करने के लिये सुधारात्मक उपायों का सुझाव देना है।

4. **वेदर इन्फार्मेशन नेटवर्क डाटा सिस्टम (IN S) -** विण्डस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर आटोमैटिक वेदर स्टेशन (AWS) तथा ग्राम पंचायत स्तर पर आटोमैटिक रेन गेज (ARG) स्थापित कराया जाना है। आटोमैटिक वेदर स्टेशन (AWS) एवं आटोमैटिक रेनगेज (ARG) के माध्यम से वर्षा, आर्द्रता, हवा की गति, हवा की दिशा व तापमान के आँकड़े विण्ड्स पोर्टल पर उपलब्ध कराने हेतु वेदर इन्फार्मेशन नेटवर्क डाटा सिस्टम (WINDS) का संचालन किया जा रहा है जिससे मौसम सम्बन्धी आँकड़ों का उपयोग कृषि के अन्य क्षेत्रों यथा किसानों को बुवाई से लेकर फसल की कटाई तक एडवाईजरी जारी

करने, कृषि निवेशों की उपलब्धता सुनिश्चित करने आदि में किया जायेगा।

5. **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पी.एम. किसान) योजना-** प्रदेश के कृषकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2018-19 से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पी. एम. किसान) योजना का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश के किसानों को वर्ष में रु. 2,000/- की तीन किस्तों में कुल रु. 6,000/- डी.बी.टी. के माध्यम से खाते में हस्तान्तरित किया जा रहा है। योजनान्तर्गत वह सभी कृषक परिवार पात्र हैं जो प्रदेश के निवासी हैं और जिनके पास कृषित भूमि है। कृषक परिवार में कृषक, कृषक की पत्नी व कृषक के अवयस्क बच्चे सम्मिलित हैं।

राज्य योजनायें-

1. **प्रमाणित बीजों के वितरण पर अनुदान की योजना-** इस योजना के अन्तर्गत कृषि के क्षेत्र में फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में गुणात्मक वृद्धि हेतु योजना संचालित की जा रही है। योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के कृषकों को धान, गेहूँ, जौ, दलहनी एवं तिलहनी फसलों के बीजों पर अतिरिक्त अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराकर बीज प्रतिस्थापन दर में बढ़ोत्तरी कर उत्पादन एवं उत्पादकता में गुणात्मक वृद्धि करना है।
2. **संकर बीजों के उपयोग को बढ़ावा देने की योजना-** कृषि के क्षेत्र में फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में गुणात्मक वृद्धि हेतु योजना संचालित की जा रही है। प्रदेश के कृषकों को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित एवं कृषकों में लोकप्रिय प्रजातियों के संकर धान, संकर मक्का, संकर बाजरा एवं संकर ज्वार के बीज पर अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराकर क्षेत्राच्छादन के साथ उत्पादन/उत्पादकता में वृद्धि करना है।
3. **निःशुल्क दलहन बीज मिनीकिट वितरण एवं प्रसार कार्यक्रम-** प्रदेश में दलहनी फसलों के क्षेत्राच्छादन, उत्पादन एवं उत्पाकता में वृद्धि करना, दलहनी फसलों की खेती को बढ़ावा देने तथा नयी प्रजातियों के प्रचार-प्रसार हेतु वर्ष 2023-24 से निःशुल्क दलहन बीज मिनीकिट वितरण एवं प्रसार कार्यक्रम की योजना संचालित की जा रही है।
4. **निःशुल्क तिलहन बीज मिनीकिट वितरण एवं प्रसार कार्यक्रम-** प्रदेश में तिलहनी फसलों के क्षेत्राच्छादन, उत्पादन एवं उत्पाकता में वृद्धि करना, तिलहनी फसलों की खेती को बढ़ावा देने तथा नयी प्रजातियों के प्रचार-प्रसार हेतु वर्ष 2023-24 से निःशुल्क तिलहन बीज मिनीकिट वितरण एवं प्रसार कार्यक्रम की योजना संचालित की जा रही है।
5. **प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वाविलम्बन (एग्रीजंक्शन) योजना-** प्रदेश में बेरोजगार कृषि स्नातकों को रोजगार सृजन हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषि में प्रशिक्षित युवाओं की सेवाओं का उपयोग करने हेतु योजना क्रियान्वित की जा रही है। योजनान्तर्गत किसानों को उनके फसल उत्पादों के लिए कृषि केन्द्र (एग्रीजंक्शन) बैनर तले समस्त सुविधायें वन स्टाप शाप के माध्यम से कृषि स्नातकों द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है।
6. **बुन्देलखण्ड में गौ आधारित प्राकृतिक खेती की योजना-** योजनान्तर्गत रसायन एवं

पेस्टीसाइड मुक्त खाद्य उत्पाद प्राप्त करने तथा इनपुट लागत में कमी कर कृषकों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के उद्देश्य से बुन्देलखण्ड के 07 जनपदों के समस्त 47 विकासखण्डों में 470 क्लस्टर (23500 हे. क्षेत्रफल) में 04 वर्षीय प्राकृतिक खेती का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।

7. **कृषि के विकास हेतु सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग की योजना-** इस योजना के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र के विकास कार्यों में पारदर्शिता, पात्र लाभार्थियों का निष्पक्ष चयन, पात्र लाभार्थियों तक योजना का लाभ पहुँचाना, सटीक एवं सुलभ सूचना की उपलब्धता एवं योजनाओं की ऑनलाइन प्रगति की समीक्षा की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि सर्विस एवं टेक्निकल असिस्टेंस हेतु एकीकृत पोर्टल का निर्माण कर अधिकाधिक कृषकों को लाभान्वित करना, कृषि विभाग के समस्त कार्यालयों को कम्प्यूटर, मोबाइल एप एवं इण्टरनेट के माध्यम से जोड़ते हुए योजनाओं की ऑनलाइन मानीटरिंग, कुशल वित्तीय प्रबन्धन, आम जनता तक विभाग की सुगम पहुँच सुनिश्चित करना, सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से कृषकों का समस्त सूचनाएं, जानकारी, योजनाओं का लाभ आधार लिंक करते हुए सीधे बैंक खाते में आसानी से उपलब्ध कराना है।

8. **उ.प्र. मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम-** प्रदेश में पोषक अनाजों के उपभोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से उ.प्र. मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। योजनान्तर्गत श्री अन्न के बीज मिनीकिट का वितरण, प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन हेतु जनपद स्तरीय मिलेट्स मेला, विकास खंड स्तरीय कृषक प्रशिक्षण, बीज उत्पादन पर एफ.पी.ओ. के सदस्यों का प्रशिक्षण, ग्राम पंचायत स्तर पर किसान पाठशाला का आयोजन, एक्सपोजर विजिट आदि कार्यक्रम कराये जा रहे है।

9. **विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण की योजना-** प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कीट रोग एवं खरपतवारों से फसलों में होने वाली क्षति को कम किये जाने के दृष्टिगत योजना का संचालन किया जा रहा है। योजना का मुख्य उद्देश्य फसलवार एकीकृत नाशीजीव प्रबन्धन (आई.पी.एम.) कार्यक्रम को बढ़ावा देकर रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग में दुष्प्रभावों को कम करना है।

10. **त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम-** इसके अन्तर्गत प्रदेश में मक्का के क्षेत्रफल में विस्तार, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि तथा खेती से अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने हेतु वर्ष 2024-25 से योजना संचालित की जा रही है। योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के समस्त जनपदों में कृषकों को जागरूक कर मक्का के क्षेत्रफल में विस्तार तथा उत्पादकता में सतत/टिकाऊ वृद्धि करते हुए उत्पादन बढ़ाना, प्रदेश में स्थापित ग्रेन बेस्ड एथोनॉल उत्पादन करने वाली औद्योगिक इकाईयों, मक्का के प्रोसेस्ड फूड, पोल्ट्री फीड एवं एनीमल फीड हेतु कच्चा माल उपलब्ध कराना है।

11. **आत्म निर्भर कृषक समन्वित विकास योजना-** कृषकों की आय एवं कृषि क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 से योजना संचालित है। योजना की रूपरेखा में कृषि

एवं सहवर्ती विभागों यथा-उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, गन्ना, दुग्ध, विकास, मत्स्य एवं मण्डी परिषद से सामंजस्य स्थापित करते हुए प्रदेश के प्रत्येक विकासखण्ड में कृषक उत्पादक संगठन (FPO) की स्थापना एवं आवश्यक अवस्थापना सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इस योजना के अन्तर्गत कृषि अवसंरचना निधि (AIF) हेतु भारत सरकार द्वारा दिये जा रहे 03 प्रतिशत ब्याज उपादान के साथ राज्य सरकार द्वारा 03 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज उपादान भी लाभार्थियों को दिया जा रहा है। एफ.पी.ओ. के गठन के उपरान्त उनके क्रियाकलापों के सफल संचालन हेतु आगामी तीन वर्षों तक नियमानुसार प्रबन्धन लागत उपलब्ध करायी जा रही है।

12. **जैव उर्वरकों की प्रोत्साहित करने की योजना-** योजना वर्ष 2021-22 से संचालित है। योजनान्तर्गत कृषकों को जैव उर्वरक उत्पादन लागत मूल्य पर 75 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य फसल उत्पादन लागत को कम करने के साथ-साथ नत्रजन व घुलनशील फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ाते हुये रासायनिक खाद के प्रयोग को कम करना तथा जैविक खाद से खेत में लाभकारी सूक्ष्म जीवों की संख्या में बढ़ोत्तरी करते हुये पर्यावरण को सुरक्षित रखना है।

13. **भूमि सुधार जिप्सम वितरण की योजना-** यह योजना बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपदों को छोड़कर प्रदेश के शेष 68 जनपदों से योजना संचालित की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में सुधार कर फसलों के उत्पादन, उत्पादकता एवं गुणवत्ता में वृद्धि करना है।

14. **पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना-** यह योजना वर्ष 2017-18 से संचालित की जा रही है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बीहड़, बंजर एवं जल भराव क्षेत्रों को सुधारने, कृषि मजदूरी की आवंटित भूमि का उपचार कराना तथा उन्हें आजीविका उपलब्ध कराना है। इस योजना में उपचारित क्षेत्र में फसलोत्पादन का कार्य भी कराया जा रहा है।

15. **कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिये कृषि प्रसार, कृषि निवेश तथा तकनीकी प्रबन्धन-** प्रदेश में इलेक्ट्रानिक एवं प्रिन्ट मीडिया के माध्यम से किसानों को कृषि की नवीनतम जानकारी प्रदान कर कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु योजना संचालित की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रानिक, प्रिन्ट मीडिया, किसान मेला, प्रदर्शनी, साहित्य एवं पत्रिकाएं तथा किसान सेवारथ संचालन के माध्यम से किसानों को कृषि की नवीनतम् जानकारी एवं किसानों के हितार्थ संचालित योजनाओं की जानकारी प्रदान कर कृषि उत्पादन में वृद्धि करना है।

16. **फसलों की उत्पादकता तथा उत्पादन के आंकड़ों का डाटा बैंक-** प्रदेश के कृषि योजनाओं के ग्राम पंचायत स्तर पर क्रियान्वयन करने के मुख्य उद्देश्य से प्रमुख फसलों के ग्राम पंचायत स्तर पर क्षेत्रफल, उत्पादन व उत्पादकता के अनुमान आंकलित करना एवं फसल बीमा योजनाओं के अन्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर फसलों की उपज में नियमानुसार क्षति

का आंकलन करते हुए बीमित कृषकों को क्षतिपूर्ति प्रदान करना है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रस्तावित योजनाएं-

(क) **केन्द्रीय योजनायें-** कृषोन्नति योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में संचालित सब मिशन आन सीड्स एण्ड प्लाण्टिंग मैटेरियल (SMSP) एवं नेशनल मिशन आन एडिबिल आयल (TBO) योजनायें वर्ष 2025-26 में प्रस्तावित नहीं हैं। शेष अन्य योजनायें यथावत प्रस्तावित हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रस्तावित नई योजनाओं का विवरण निम्नवत है।

1. **नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजनाः-** नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में प्राकृतिक खेती का कार्यक्रम संचालित किया जायेगा, जिसके लिए रु.124 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य रसायन एवं पेस्टीसाइड मुक्त खाद्य उत्पाद प्राप्त करना तथा मृदा स्वास्थ्य में सुधार कर जीवांश कार्बन को बढ़ाने के साथ कृषि लागत में कमी लाना है।
2. **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन के अन्तर्गत सीड कम्पोनेन्ट योजनाः-** गुणवत्तायुक्त बीजों के उत्पादन हेतु यह योजना प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में संचालित की जायेगी। इस योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा प्रमाणित बीजों पर 50 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।

(ख) **राज्य योजनायें-**

1. **मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजनाः-** योजनान्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में कृषकों को सोलर फेंसिंग हेतु प्रोत्साहित एवं प्रेरित करते हुए विभिन्न चक्रों की अन्न फसलों एवं सब्जी फसलों आदि को जंगली जानवरों/अवारा पशुओं से खेतों को सुरक्षा प्रदान कर क्षेत्राच्छादन एवं उत्पादन में वृद्धि की जायेगी।
2. **कृषि क्षेत्र की क्षमता एवं कौशल विकास तथा उत्पादन वृद्धि की योजना (यू. पी. एग्रीज)ः-** कृषि क्षेत्र की क्षमता एवं कौशल विकास तथा उत्पादन वृद्धि की योजना के लिए रु. 200 करोड़ एवं विश्व बैंक सहायतित यू.पी. एग्रीज परियोजना के लिए रु. 200 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। यह योजना पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बुंदेलखंड के कम उत्पादकता वाले चयनित जनपदों के लघु कृषकों एवं कृषक व्यवसायियों को लक्षित करने वाली समावेशी और लचीली कृषि मूल्य श्रृंखला और उद्यमों को विकसित किया जायेगा।
3. **राज्य कृषि विकास योजनातर्न्गत क्षमता एवं कौशल विकास द्वारा उत्पादन वृद्धि की योजनाः-** राज्य कृषि विकास योजना के अन्तर्गत कृषि एवं सम्वर्गीय क्षेत्रों के समग्र विकास एवं कृषि विविधीकरण हेतु क्षमता एवं कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि की योजना संचालित की जायेगी।

4. **सीड पार्क विकास परियोजनाः-** प्रदेश को प्रमाणित बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश में सीड पार्क विकास परियोजना प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2025-26 को बीज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है।

5. **कृषि विभाग की स्थापना की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर कृषि गौरव गाथा का आयोजनः-** कृषि विभाग की स्थापना की 150वीं वर्षगांठ पर प्रदेश में विगत 150 वर्षों के इतिहास में कृषि तकनीकी उन्नत कृषि प्रक्रियाओं की जानकारी को न्याय पंचायत स्तर, विकास खंड स्तर एवं जनपद स्तर पर कृषि उत्सव, लोक कलाओं आदि के माध्यम से जनमानस तक पहुँचाने एवं प्रशंसनीय कार्य करने वाले कार्मिकों एवं वैज्ञानिकों को पुरस्कृत किया जायेगा।

कृषि विभाग द्वारा प्रख्यापित नीति-

1. **उत्तर प्रदेश कृषक उत्पादक संगठन ( ) नीति-2020:-** इस नीति के अन्तर्गत प्रदेश कृषकों विशेषकर लघु एवं सीमान्त कृषकों को संगठित करके कम लागत में गुणवत्तायुक्त कृषि निवेशों की व्यवस्था व उपयुक्त नवीनतम तकनीकी को अपनाकर उच्च्य उत्पादन, उत्पादों के मूल्य संवर्धन एवं बेहतर मूल्य प्राप्त करने हेतु समुचित विपणन व्यवस्था कर कृषकों की आय में सतत वृद्धि करना है।

2. **उत्तर प्रदेश एग्रीटेक नीति 2024:-** इस नीति के अन्तर्गत खेती और इससे जुड़े क्षेत्रों में नयी तकनीकियों का उपयोग कर किसानों को किसी फसल विशेष की खेती के विभिन्न चरणों पर की जाने वाली उन्नत कृषि क्रियाओं की ससमय सटीक जानकारी प्रदान करना, जिससे खेती की लागत में कमी आने के साथ-साथ उत्पादन एवं उत्पादकता से वृद्धि के साथ किसानों की आय में वृद्धि होगी।

●

ग्राम्य विकास

ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास एवं गरीब परिवारों की निर्धनता दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वर्ष 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुभारम्भ हुए एवं तदोपरान्त ग्राम्य विकास विभाग की स्थापना हुई। तद्नुसार विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है जिनका मुख्य उद्देश्य- रोजगार की गारंटी देना, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी परिसम्पत्तियों का सृजन करना, महिलाओं के सुदृढ़ स्वयं सहायता समूहों (SHGs) का गठन कर उन्हें स्वतः रोजगार के क्रियाकलापों में स्थापित कराना ताकि वे स्वयं अपना आर्थिक उत्थान कर सकें, ग्रामीण आधारभूत संरचना का निर्माण, सभी गरीब आवास विहीन परिवारों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराना, ताकि ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर में अपेक्षित सुधार हो सके।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम गारण्टी अधिनियम (मनरेगा), प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि (विधायक निधि), बाबा साहब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) मुख्यमंत्री समग्र, ग्राम विकास योजना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम आदि योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम

योजना का प्रारम्भ :- उत्तर प्रदेश में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का प्रारंभ प्रथम चरण 02 फरवरी, 2006 से 22 जनपदों में किया गया। दूसरा चरण 15 मई, 2007 से 17 अतिरिक्त जनपदों में तथा तीसरा चरण में 01 अप्रैल, 2008 से सभी जनपदों में योजना लागू की गई।

उद्देश्य :- इस अधिनियम का उद्देश्य ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रमकार्य करना चाहते हैं, को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 100 दिनों का गारण्टीयुक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना है।

वित्त पोषण :- भारत सरकार द्वारा अकुशल मजदूरी पर शत-प्रतिशत अंश। सामग्री अंश पर भारत सरकार का 75 प्रतिशत अंश एवं राज्य सरकार का 25 प्रतिशत अंश।

योजना के मुख्य बिन्दु :-

- माँग आधारित योजना। परिवारों का पंजीकरण ग्राम पंचायत में किया जाता है।

- ग्राम पंचायतें/कार्यक्रम अधिकारी रोजगार आवंटित करने के लिए उत्तरदायी हैं।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा की खुली बैठकों में कराये जाने वाले कार्यों का निर्धारण।
- श्रमिक को रोजगार उसके निवास के 05 किमी. के अन्दर दिये जाने का प्राविधान है। उससे अधिक दूरी होने पर 10 प्रतिशत अधिक मजदूरी का भुगतान श्रमिक को देय होगा।
- 15 दिन में रोजगार न दिये जाने पर नियमानुसार बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किये जाने का प्रावधान है।
- प्रदेश में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में मजदूरी दर रु. 252/- प्रति मानव दिवस निर्धारित है।

योजनान्तर्गत कराये जाने वाले महत्त्वपूर्ण कार्य :-

- मनरेगा योजनान्तर्गत 266 प्रकार के कार्य कराये जाते हैं, जिसमें 187 सामुदायिक कार्य, 68 व्यक्तिगत लाभार्थीपरक कार्य एवं 11 कार्य समूह हेतु होते हैं। उक्त 266 प्रकार के कार्य मुख्यतः 4 श्रेणियों में विभाजित हैं।
- प्राकृतिक साधन प्रबंधन (NRM) तालाब निर्माण/जीर्णोद्धार, सूक्ष्म एवं लघु सिंचाई, चेक डैम आदि कार्य।
- व्यक्तिगत लाभार्थीपरक कार्यः आवास, भूमि विकास, आश्रय निर्माण, खेत तालाब, नाडेप/वर्मी कम्पोस्ट आदि।
- NRLM स्वयं सहायता समूहों हेतु सामान्य अवस्थापनाः आजीविका क्रियाकलापों के लिये सामान्य वर्क शेड आदि।
- ग्रामीण अवस्थापना (आधारभूत सुविधाएं) सड़क, आंगनबाड़ी, शौचालय, खेल मैदान आदि।

वित्तीय वर्ष 2024-25 की महत्वपूर्ण उपलब्धियां :-

1. वित्तीय वर्ष 2024-25 में मानव दिवस सृजन हेतु 26 करोड़ का लक्ष्य रखा गया, जिस लक्ष्य को पार करते हुए प्रदेश द्वारा 33.65 करोड़ मानव दिवस सृजित कर लिये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में मानव दिवस सृजन के मामले में उत्तर प्रदेश देश में सबसे आगे रहा।
2. वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश के अंतर्गत 65 लाख से ज्यादा परिवारों को रोजगार दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु कार्ययोजना- वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत सरकार द्वारा 20 करोड़ मानव दिवस सृजित करने की स्वीकृति प्राप्त हुई। वित्तीय वर्ष 2025-26 की कार्ययोजना में 10.74 लाख कार्य प्रस्तावित किए गए हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का उद्‌देश्य आवासहीन कच्चे व जीर्ण-शीर्ण मकानों में रह

रहे गरीब परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है। वर्ष 2029 तक सभी पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित है।

- आवास की इकाई लागत रु. 1 लाख 20 हजार निर्धारित है।
- निर्मित आवास का क्षेत्रफल 25 वर्गमीटर निर्धारित किया गया है। आवास में शौचालय हेतु धनराशि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अन्तर्गत पंचायती राज विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाती है।
- आवास लाभार्थी को मनरेगा योजना से 90 मानव दिवस का रोजगार भी आवास निर्माण में दिये जाने का प्रावधान है।
- योजना के अन्तर्गत केन्द्र एवं राज्य द्वारा 60:40 अनुपात में धनराशि उपलब्ध करायी जाती है।
- एस.ई.सी.सी. डाटा 2011 एवं आवास प्लस के आधार पर आवारा आवंटन के लिए बनायी गयी दोनों स्थायी पात्रता सूची संतृप्त हो गयी है।
- वर्ष 2016-17 से 2024-25 तक 36.57 लाख आवास निर्माण का लक्ष्य ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदेश को दिया गया है, जिसके सापेक्ष 36.28 लाख आवास का निर्माण पूर्ण कराया जा चुका है, शेष आवास निर्माणाधीन हैं।
- वर्तमान में आवास प्लस सूची में नये पात्र लाभार्थियों को नाम जोड़ने के लिए सर्वेक्षण कार्य भारत सरकार के निर्देश पर वर्तमान में कराया गया है।
- सर्वेक्षण कार्य 15 मई, 2025 तक किया गया। प्रदेश में 57.70 लाख परिवारों को विवरण आवास प्लस एप पर अंकित किया गया है।

मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण

मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण पूर्णतः राज्य सहायतित योजना है, जो फरवरी-2018 में प्रारम्भ की गयी। इस योजना में प्राकृतिक आपदा, कालाबाजार से प्रभावित, वनटांगिया, मुराहर कोल, सहारिया, थारू, पछइया/गढ़इया लोहार, चेरो, बैगा, नट, बोक्सा, बंजारा जाति (अन्य पिछड़ा वर्ग), बांसफोड, बसोड, धरकार, दिव्यांगजन वर्ग के परिवार, जे.ई./ए.ई.एस. से प्रभावित, कुष्ठ रोग से प्रभावित, पति के मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला (आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष) से प्रभावित एवं प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की पात्रता से आच्छादित परन्तु एस.ई.सी.सी.-2011 के आधार पर तैयार पात्रता सूची में न सम्मिलित होने वाले छतविहीन एवं आश्रयविहीन कच्चे/जर्जर आवासों में रह रहे परिवारों को आवास उपलब्ध कराया जा रहा है।

- आवास की इकाई लागत रु. 1 लाख 20 हजार निर्धारित है।
- निर्मित आवास का क्षेत्रफल 25 वर्गमीटर निर्धारित किया गया है। आवास में शौचालय हेतु धनराशि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अन्तर्गत पंचायती राज विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाती है।

- आवास लाभार्थी को मनरेगा योजना से 90 मानव दिवस का रोजगार भी आवास निर्माण में दिये जाने का प्रावधान है।
- मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 से लेकर 2024-25 तक 3.73 लाख आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके सापेक्ष 3.21 लाख आवासों का निर्माण पूर्ण कराया जा चुका है, शेष आवास निर्माणाधीन हैं।

सोशल आडिट की प्रगति

सोशल आडिट-संक्षिप्त परिचयः-

- महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम 2005 की धारा 17 में ग्राम सभा द्वारा सोशल आडिट का प्रावधान किया गया है।
- महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना लेखा परीक्षा नियम, 2011 को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 03/06/2011 को अधिसूचित किया गया।
- सामाजिक लेखा परीक्षा नियम, 2011 के अनुपालन में शासनादेश दिनांक 04/07/2012 द्वारा सोशल आडिट निदेशालय का गठन एक स्वायत्त निकाय के रूप में किया गया।

वित्तीय वर्ष 2024-25:-

सोशल आडिट कैलेण्डर (प्रथम राउण्ड):-

- वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों को साोशल आडिट से आच्छादित किए जाने के निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण करने हेतु निदेशालय द्वारा 73 जनपदों की सभी 57,475 ग्राम पंचायतयों का सोशल आडिट कैलेण्डर जारी किया गया, जिसके सापेक्ष 55,974 ग्राम पंचायतों को सोशल आडिट से आच्छादित किया गया। शेष ग्राम पंचायतों का सोशल आडिट वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के जारी साोशल आडिट कैलेण्डर के साथ पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

सोशल आडिट कैलेण्डर (द्वितीय राउण्ड):-

- वित्तीय वर्ष 2024-25 में 29 जनपदों की 6,840 ग्राम पंचायतों का कैलेण्डर जारी किया गया, जिसके सापेक्ष 6,686 ग्राम पंचायतों में साोशल आडिट संपादित की गयी।

'पंचायत निर्णय' ऐप के माध्यम से सोशल आडिट ग्राम सभा की बैठकः-

- सोशल आडिट को सुदृढ़ बनाने के लिये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 'पंचायत निर्णय' ऐप के माध्यम से सोशल आडिट ग्राम सभा की बैठक की जियो टैग और टाइम स्टैम्पड फोटो, उपस्थिति और ग्राम सभा की बैठक की कार्यकृति को कैप्चर करने एवं अपलोड करने की व्यवस्था की गयी है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिनांक 25/01/2025 को पायलट रूप से जनपद रामपुर के विकास खण्ड शाहाबाद की ग्राम पंचायत खरसोल में 'पंचायत निर्णय' ऐप के द्वारा सोशल आडिट ग्राम सभाकी बैठक सम्पादित की गयी।

अन्य विभागों द्वारा संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों का सोशल आडिटः-

- वित्तीय वर्ष 2024-25 में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित महात्मा गांधी नरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अतिरिक्त निम्न विभागों की योजनाओं को सोशल आडिट किया गया।

➢ **राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम ( ) के अन्तर्गत संचालित योजनाएंः-**

❖ समाज कल्याण विभाग द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसपी) के अन्तर्गत राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना एवं राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का सोशल आडिट कुल 30 जनपदों में सम्पादित किया गया, जिसमें प्रदेश के 18 मण्डल मुख्यालय के जनपद एवं अन्य 12 जनपद शामिल हैं।

➢ **उ.प्र. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित योजनाएंः-**

❖ उ.प्र. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड द्वारा संचालित कुल 08 योजनाओं का सोशल आडिट प्रदेश के समस्त जनपदों में वित्तीय वर्ष 2021-22 में अधिकतम व्यय करने वाले 01 विकासखण्ड में सम्पादित किया गया।

➢ **सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अन्तर्गत संचालित योजनाएंः-**

❖ वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनपद औरैया, बाराबंकी, चित्रकूट, जालौन, झाँसी एवं रायबरेली में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अन्तर्गत संचालित योजनाओं की 47 संस्थाओं को सोशल आडिट से आच्छादित किया गया।

वित्तीय वर्ष 2025-26 की कार्ययोजनाः-

■ **लक्ष्य-** प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों को सोशल आडिट से आच्छादित किया जाना।

■ **सोशल आडिट कैलेण्डर-** 73 जनपदों में महात्मा गांधी नरेगा तथा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों का सोशल आडिट किये जाने हेतु 57,473 ग्राम पंचायतों का सोशल आडिट कैलेण्डर जारी किया गया है।

■ जनपद गौतमबुद्ध नगर एवं गाजियाबाद में महात्मा गांधी नरेगा कार्य नगण्य होने के कारण सोशल आडिट प्रस्तावित नहीं हुई है।

■ दिनांक 16/04/2025 से जनपदों में सोशल आडिट प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है।

■ ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रथम चरण में प्रत्येक विकासखण्ड की 01 ग्राम पंचायत की सोशल आडिट ग्राम सभा की बैठक पंचायत निर्णय ऐप के माध्यम से आयोजित की जानी है, उक्त निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 09/05/2025 को 15 ग्राम पंचायतों में सोशल आडिट ग्राम सभा की बैठक पंचायत निर्णय एप के माध्यम से आयोजित की गई। शेष हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान बख्शी का तालाब, लखनऊ

ग्राम्य विकास विभाग का मुख्य लक्ष्य, ग्रामीण अंचल में विद्यमान असमानताओं का न्यूनीकरण कर, सुविधाओं को सहज रूप से उपलब्ध कराना तथा समग्र रूप से ग्रामीण जन समुदाय की स्थिति में सुधार लाना है। दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी

का तालाब, लखनऊ, उ.प्र. इसी उद्देश्य के साथ परीक्षण, शोध तथा परामर्शी गतिविधियों के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त, उ.प्र. की अध्यक्षता में गठित प्रबन्ध के अधीन एक शीर्ष संस्था एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा है। प्रदेश में विगत समय में 02 प्रकार के प्रस्थान स्थापित थे-प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र तथा संयुक्त प्रशिक्षण केन्द्र। संयुक्त प्रशिक्षण केन्द्र को राज्य विकास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान के रूप में दिनांक 01 अप्रैल, 1982 को उच्चीकृत किया गया। कालान्तर में राज्य सरकार द्वारा 30 जुलाई 1994 को इस संस्थान का नाम दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ कर दिया गया।

दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ द्वारा प्रदेश के 17 क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान तथा 33 जिला ग्राम्य विकास संस्थान सम्बद्ध है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु प्रस्तावित लक्ष्य

पिछले वित्तीय वर्ष 8512 के सापेक्ष 8169 प्रशिक्षण सत्रों का सम्पादन राज्य एवं अधीनस्थ संस्थानों द्वारा आयोजन करते हुए 280544 प्रतिभागियों के लक्ष्य सापेक्ष 238653 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 उपरोक्त को बढ़ाते हुए 10 हजार सत्रों में लगभग 4 लाख प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए लक्ष्य प्राप्ति की ओर पूर्ण कटिबद्धता से समर्पित है।

उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (R)

उत्तर प्रदेश में इस योजना का प्रारम्भ वर्ष में किया गया। उ.प्र. में इस योजना के क्रियान्वयन हेतु उ.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की स्थापना ग्राम्य विकास विभाग के संरक्षण में एक स्वायत्त संस्था की रूप में की गयी, जिसका पंजीकरण सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट-1860 के अन्तर्गत किया गया है। यह योजना उ.प्र. सरकार के ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित की जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उ.प्र. राज्य में रह रहे ग्रामीण गरीब परिवारों की कम से कम एक महिला सदस्य को समूह एवं अन्य सामुदायिक संस्था के माध्यम से संगठित कर उन्हें स्वावलम्बी बनाना है। विविध आजीविका कार्यकलापों को ध्यान में रखते हुए मिशन 03 आधारों पर कार्य करता हैः- गरीबों के लिये विद्यमान आजीविका विकल्पों में वृद्धि करना, बाहरी क्षेत्रों में रोजगार के अनुसार उनका कौशल विकास करना और स्वरोजगार एवं उद्यमशीलता (लघु उद्यमों के लिये) को प्रोत्साहित करना। इस योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के एक करोड़ दस लाख ग्रामीण गरीब परिवारों को दस लाख स्वयं सहायता समूह, एक लाख ग्राम संगठन एवं तीन हजार संकुल स्तरीय संगठनों में संगठित करना है। मिशन अन्तर्गत बजट व्यवस्था भारत सरकार द्वारा प्रतिशत एवं राज्य सरकार का प्रतिशत के अनुपात में की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में आजीविका संबंधी गतिविधियों की प्रमुख उपलब्धियांः-

- **लखपति महिला योजनाः-** मिशन अंतर्गत अब तक 35.08 लाख से अधिक लखपति दीदियों का चिह्नांकन किया गया है तथा 27.19 लाख से अधिक डिजिटल आजीविका रजिस्टर पर प्रगति अंकित की गई हैं। अब तक 15.20 लाख से अधिक सदस्य लखपति

की श्रेणी में आ चुकी हैं।

- **प्राकृतिक कृषि (कृषि सखी):-** वर्ष 2024-25 में प्राकृतिक खेती विषय पर 8230 (88%) कृषि सखियों का प्रशिक्षण पूर्ण किया जा चुका है, जिनको पैरा प्रोफेशनल के रूप में कृषि विभाग की योजनाओं से अभिसरण कर एक व्यापक रूप से कार्य कराये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।
- **नमो ड्रोन दीदी योजना:-** वर्ष 2024-25 में किसानों की उत्पादकता बढ़ाने एवं कृषि में एडवांस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने में सहायता करने के दृष्टिगत प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में 2236 ड्रोन दीदी का चयन प्रचलित है। प्रथम चरण में विभिन्न उर्वरक कंपनियों के द्वारा 114 ड्रोन निःशुल्क प्रदान किया गया। 460 ड्रोन दीदी का चयन डिस्ट्रिक्ट लेबल कमिटी पर हो चुका है।
- **एफ.पी.ओ. कार्यक्रम:-** वर्ष 2024.25 में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के FPO परियोजना के अन्तर्गत 70 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन (FPO) का गठन करते हुए व्यवसाय प्रारम्भ किया जा चुका है जिससे लगभग 25,000 समूह के सदस्यों को लाभानिवत किया जा रहा है। अब तक 3.30 करोड़ का revenue प्राप्त हुआ है।
- **बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंस सखी (B सखी):-** प्रदेश की ग्राम पंचायतों में अभी तक 50123 BC सखी को RSETI के माध्यम से IIBF द्वारा प्रमाणीकरण पूर्ण एवं 39,806 BC सखी द्वारा 35254 करोड़ से अधिक का वित्तीय लेनदने द्वारा 97.3 करोड़ का लाभांश अर्जित किया गया है।
- **टेक होम राशन ( ):-** मिशन अन्तर्गत 43 जनपदों के समस्त 204 इकाई द्वारा अब तक कुल 1,391 करोड़ रु. लागत मूल्य का 2,05,461 लाख मैट्रिक टन पुष्टाहार का उत्पादन करते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों पर पहुंचाया जा चुका है।
- **विद्युत सखी:-** वर्तमान में 14,221 विद्युत सखियों द्वारा 1970 करोड़ रु. का बिल कलेक्शन करते हुए 26.5 करोड़ रु. का कमीशन अर्जित किया गया। वर्तमान में एक कलस्टर से दो विद्युत सखी के अनुरूप चयन की दृष्टिगत कुल 29900 विद्युत सखी का चयन करके उन्हें क्रियाशील (Onboard) किया जा रहा है।
- **बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी:-** बुंदेलखंड क्षेत्र अंतर्गत 7 जनपदों के 1313 ग्रामों से 82050 महिलाओं द्वारा प्रतिदिन 3.20 लाख लीटर दुग्ध का संग्रह किया जा रहा है। अभी तक कुल 1643 करोड़ रु. 28.34 का कारोबार करते हुये 1388 करोड़ रु. का भुगतान पूर्ण करते हुए 28 करोड़ रु. का लाभांश अर्जित किया गया है। कंपनी में 17482 महिलाएं लखपती दीदी बन चुकी हैं।
- **सामर्थ्य मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी:-** जनपद रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, अयोध्या, कानपुर नगर एवं अमेठी में 1,01,429 महिला सदस्य बन चुके हैं एवं 1500 गॉव में प्रतिदिन लगभग 3.7 लाख लीटर दूध संग्रहण किया जा रहा है। कंपनी में 14500 लखपति दीदी बन चुकी है। कुल 848 करोड के कारोबार द्वारा 720 करोड़ रुपये का

भुगतान पूर्ण करते हुए 14 करोड़ का लाभांश अर्जित किया गया है।

- **काशी मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनीः-** जनपद बलिया, मिर्जापुर, सोनभद्र, गाजीपुर, चंदौली एवं वाराणसी तथा संत रविदास नगर में दुग्ध वैल्यू चैन परियोजना में अब तक 35,299 महिला सदस्यों द्वारा 1010 गाँव में प्रतिदिन 1.50 लाख लीटर दुग्ध का संग्रहण करते हुए कंपनी में 7057 महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।
- **श्री बाबा गोरखनाथ कृपा मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनीः-** गोरखपुर, महराजगंज, कुशीनगर एवं देवरिया में 522 गाँव में कंपनी के 21544 महिला सदस्यों द्वारा प्रतिदिन 70,000 लीटर दूध संग्रहण किया जा रहा है। अभी तक कुल 62.33 करोड़ का कारोबार द्वारा 52.18 करोड़ रुपये का भुगतान पूर्ण करते हुए 1.59 करोड़ का लाभांश अर्जित किया गया है। वर्तमान में 958 सदस्य लखपति बन चुकी हैं।
- **सृजनी मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनीः-** बरेली, पीलीभीत, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, शाहजहाँपुर एवं रामपुर 810 गाँव में कंपनी की 23607 महिला सदस्य बन चुकी हैं एवं प्रतिदिन 75000 लीटर दुग्ध संग्रहण किया जा रहा है।
- **प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज** (PMFME) :- समूह सदस्यों को बैंकिंग कैपिटल एवं उपकरण की खरीद हेतु सीड के पाटिल के रूप में 7044 सदस्यों को रु.16.68 करोड़ की धनराशि उद्यान विभाग से प्राप्त कर जनपदों को निर्गत।
- **एक लाख महिला उद्यमी कार्यक्रम :-** इसके अंतर्गत एक लाख महिला नेतृत्व वाले उद्यमों को बढ़ावा देते हुए 20,000 लोगों को रोजगार प्रदान करने की कार्यवाही प्रचलित है, जिससे प्रति लाभार्थी 20-24 हजार रुपये प्रतिमाह आय संभावित है। अभी तक 15000 से अधिक उद्यम स्थापित किये जा चुके हैं।
- **ए-हेल्प कार्यक्रम :-** अंर्तगत प्रदेश में पशुपालन विभाग के साथ अभिसरण के माध्यम से 10000 पशु सखियों को ए-हेल्प एजेंट के रूप में प्रक्रिया चल रही है।
- **रेशम उत्पादन** कार्यक्रम में **2500** समूह के सदस्यों को उत्पादक समूहों के माध्यम से संगठित करते हुए रेशम उत्पादन का कार्य किये जाने की प्रक्रिया की जा रही है।
- **मत्स्य पालन** हेतु मत्स्य निदेशालय और नेचर जेनिक्स के साथ तकनीकी सहयोग के माध्यम से 15000 महिलाओं को बायोफ्लॉक पद्धति से सिंधी मछली के उत्पादन हेतु अब तक 128 उत्पादक समूह का गठन करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
- **प्रेरणा ओजसः** प्रेरणा ओजस प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के माध्यम से वर्ष 2024-2025 के दौरान एक सोलर प्रोडक्ट मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट स्थापित, 413 सोलर शॉप स्थापना, 80 डीआरई उत्पाद की स्थापना तथा 60 सूर्य सखियों को नवीकरणीय ऊर्जा पर स्किल्ड किया गया, जिससे अभी तक लगभग कुल 583 महिलाओं हेतु रोजगार सृजन किया गया।

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना (विधायक निधि) की उपलब्धियों का प्रगति विवरण

➢ विधान मण्डल के दोनों सदनों के मा. सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्र में स्थानीय

आवश्यकताओं के अनुसार विकास हेतु उक्त योजना का प्रारम्भ किया गया। विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत प्रत्येक विधान मण्डल क्षेत्र के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 से अधिक वार्षिक रु. 05 करोड़ (जी.एस.टी. सहित) की धनराशि निर्धारित की गयी है। विधायक निधि योजना के अन्तर्गत सड़क, पुल, पुलिया, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, शिक्षण संस्थाओं में कक्ष निर्माण, पुस्तकालय, सरकारी अस्पतालों के लिए एक्स-रे मशीन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड हेतु वाहन एवं अन्य उपकरण क्रय करने का अनुमन्य है।

- वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल रु.2520.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसके सापेक्ष रु. 2510 करोड़ प्राप्त हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1038.71 करोड़ व्यय कर 5354 परियोजनाएं पूर्ण की गयीं एवं 9930 परियोजनाएं प्रगति पर हैं।
- वित्तीय वर्ष 2025-26 में विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजनान्तर्गत 2520.00 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया, जिसमें से 1255.00 करोड़ शासन से प्रथम किस्त के रूप में प्राप्त हुए, जिसे जनपदों को आवंटित कर दिया गया है।
- विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत ग्राम्य विकास विभाग, उ.प्र. के अन्तर्गत MLALADS की मॉनीटरिंग हेतु एक नया वेब पोर्टल एवं मोबाईल ऐप विकसित किया गया है। वर्तमान में विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि का संचालन पोर्टल के माध्यम से ही किया जा रहा है। इस पोर्टल के उपयोग से जहाँ योजना में पारदर्शिता/समयबद्धता आई है। वहीं सभी मा. सदस्यगण कही से भी अपने प्रस्ताव ऑनलाइन के माध्यम से भेज सकेंगे।

बाबा साहब आंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना की उपलब्धियों का प्रगति विवरण

- ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय उपलब्धता एवं दक्षता के आधार पर सतत् रोजगार के अवसर सृजित हो सकें, इस हेतु दीनदयाल विकास योजना के नाम से एक विशेष रोजगार योजना का शुभारम्भ दिनांक 25 सितम्बर, 1991 में किया गया था। कालान्तर में योजना का नाम परिवर्तन कर योजना का नाम अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के नाम से कार्यान्वित की जा रही थी तथा यह योजना अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना का नाम परिवर्तित कर बाबा साहब आंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना के नाम से क्रियान्वित की जा रही है।
- नवम्बर 2019 के नवीन मार्गदर्शी सिद्धान्त के अनुसार अनु.जाति/जनजाति को 23 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित किया गया है। अनुदान के रूप में अनुसूचित जाति/जनजाति, दिव्यांग लाभार्थियों को प्रति इकाई 35 प्रतिशत अथवा अधिकतम रु.70,000 तथा सामान्य लाभार्थियों को 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम रु. 50,000 (जो भी कम हो) अनुमन्य है।
- वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 20 करोड़ का बजट प्रावधान के सापेक्ष शासन स्तर से 13.00 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई, जिसको जनपदों को उनके भौतिक लक्ष्यों के सापेक्ष

आवंटित किया गया और जनपद द्वारा 1980 स्वरोजगारियों का चयन कर उनका वित्त पोषण कराया गया।

- ➢ वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 20.00 करोड़ का बजट प्रावधान है।

सांसद आदर्श ग्राम योजना की उपलब्धियाँ

- ➢ सांसद आदर्श ग्राम योजना को भारत सरकार द्वारा 11.10.2014 में लागू किया गया है।
- ➢ इस योजना में ग्रामों को आदर्श बनाने एवं उनके सर्वांगीण विकास का दृष्टिकोण अपनाया गया है जिसमें कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण, आजीविका इत्यादि जैसे विभिन्न क्षेत्रों का समेकित विकास करने की कल्पना की गयी है।
- ➢ योजना का क्रियान्वयन भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विभागों की लाभार्थीपरक/सामुदायिक परक कार्यक्रमों/योजनाओं के अभिसरण (कन्वर्जेन्स) के माध्यम से किया जा रहा है।

सामुदायिक विकास योजना

सामुदायिक विकास योजना राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है। ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित इस योजना के अंतर्गत जिला मुख्यालय स्तर पर विकास भवन का निर्माण कार्य एवं विकास खंड स्तर पर विकास खंडों के आवासीय तथा अनावासीय भवनों का निर्माण कार्य कराया जाता है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

1. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारम्भ तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी बाजपेयी सरकार के कार्यकाल में 25 दिसम्बर, 2000 को किया गया।
2. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में 500 या इससे अधिक आबादी वाले सड़क-सम्पर्क से वंचित मजरों को बारहमासी सड़कों से जोड़ना था, जिसे उत्तर प्रदेश में पूर्ण किया जा चुका है।
3. प्रदेश के नक्सल समस्या से प्रभावित जनपदों सोनभद्र, चन्दौली एवं मिर्जापुर में मानक को शिथिल करते हुए 250 या उससे अधिक आबादी वर्ग की बसावटी को बारहमासी मार्गों से जोड़ा जा चुका है।
4. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रथम एवं द्वितीय चरण के अन्तर्गत अब तक उत्तर प्रदेश में 57162.55 किमी. सड़क का निर्माण हो चुका है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में निर्मित मार्गों का 05 वर्ष तक रख-रखाव (अनुरक्षण) उसी ठेकेदार की जिम्मेदारी होती है। अनुरक्षण का बजट राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
5. मार्गों की गुणवत्ता को जांच हेतु त्रिस्तरीय व्यवस्था है, जिसके माध्यम से मार्गों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है।
6. मार्गों के उच्चीकरण से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा बढ़ी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के आने से उत्तर प्रदेश में किसानों, विद्यार्थियों, युवाओं के साथ ही समस्त ग्रामवासियों को सीधा लाभ मिल रहा है।

7. सड़क संचार माध्यमों का सबसे सशक्त माध्यम होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण से तरक्की की राह लगातार प्रशस्त हो रही है। प्रदेश के किसान सब्जी, अनाज, दूध इत्यादि को आसानी से मण्डी तक पहुंचा रहे हैं, जिससे उनकी आय में बढ़ोत्तरी हो रही है।
8. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के निर्माण से गांव-गांव में एम्बुलेंस और अन्य चिकित्सीय सुविधाएं आसानी से पहुंच रही हैं। इसके साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी आवागमन प्रारम्भ हो गया है, जिससे आमजन आसानी से अपने गन्तव्य तक पहुंच रहे हैं।
9. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत भारत सरकार से पीरियाडिक रिनीवल के लिए प्रोत्साहन के रूप धनराशि प्राप्त होती है। पीरियाडिक रिनीवल में 05 वर्ष पूर्ण कर दिये गये मार्गों को शामिल किया जाता है।
10. वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-3 के अन्तर्गत रु. 3702 करोड़ की लागत से 744 मार्ग, लम्बाई 5402 किमी. ग्रामीण मार्गों का लोकार्पण मा. प्रधानमंत्री जी द्वारा जनपद आजमगढ़ में किया गया।
11. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-3 के वर्ष 2020-21 (बैच-1) एवं वर्ष 2021-22 (वैच 1 व 2) के अन्तर्गत रु. 14039.29 करोड़ की लागत से 2494 मार्ग एवं 04 पुल, (निरस्तीकरण के उपरान्त) लम्बाई 18467.38 किमी. के स्वीकृत कार्य के सपेक्ष 17772. 50 किमी. के कार्य पूर्ण करते हुए 2361 मार्गों एवं 04 लम्बे स्पॉन के पुलों को कार्य कराया जा चुका है तथा रु. 11518.29 करोड़ की धनराशि व्यय की गयी है। शेष कार्य प्रगति पर है।
12. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-3 के वर्ष 2023-24 के (बैच-1) के अन्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय (Go1) के आदेश दिनांक 08.02.2024 द्वारा 65 मार्गों, 459840 किमी, 570.12 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसकी निविदा प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई है।
13. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रदेश में पहली बार एफडीआर तकनीक से ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जा रहा है।
14. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पीएमजीएसवाई-4 योजना के अन्तर्गत 2011 की जनगणना के आधार पर आकांक्षात्मक जनपदों/ब्लॉकों में 250 एवं उससे अधिक तथा राज्य के अन्य हिस्सों में 500 से अधिक जनसंख्या के अनजुड़े मजरों को पीएमजीएसवाई की अर्हता के अनुसार पक्के मार्गों से जोड़ा जाना लक्षित है।

    पीआईयू द्वारा पात्रता वाले अनजुड़े मजरों का विस्तृत सर्वेक्षण ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा लांच किये गये "ग्राम सड़क सर्वेक्षण ऐप" पर किया जा रहा है। वर्तमान में अद्यतन आबादी के अनुसार कुल 14832 का सर्वेक्षण ऐप के माध्यम से किया जा चुका है।
15. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा पी.एम.जी.एस.वाई.-3 में 454.24 किमी. एवं आरसीपीएलडब्ल्यूईए में 20.00 किमी. का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

●

पंचायती राज

गाँवों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास से ही प्रदेश का विकास सम्भव है। स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में पंचायतीराज व्यवस्था लागू करने के उद्देश्य से संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम 1947 पारित कर वर्ष 1949 में गाँव सभाओं की स्थापना की गयी। सत्ता के विकेन्द्रीकरण हेतु गठित बलवन्तराय मेहता समिति की संस्तुतियों के आधार पर वर्ष 1961 में प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था लागू करने के उद्देश्य से क्षेत्र समितियों तथा जिला परिषदों का गठन किया गया।

73वें संविधान संशोधन के अनुक्रम में निश्चित समय पर पंचायतों का निर्वाचन सम्पन्न कराने, ग्राम स्तर पर ही आर्थिक एवं सामाजिक विकास की योजनाएं बनाने, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं तथा पिछड़े वर्गों के लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु उनके लिए आरक्षण सुनिश्चित करने एवं पंचायतों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम 1994 के माध्यम से संयुक्त प्रान्त पंचायतराज अधिनियम 1947 तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 संशोधित किया गया।

संविधान के 73वें संशोधन के माध्यम से अधिनियम में किए गए प्राविधानों एवम् तद्नुसार उत्तर प्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1947 तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवम् जिला पंचायत अधिनियम 1961 में की गई व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक 5 वर्ष के अन्तराल पर पंचायतों के निर्वाचन की व्यवस्था के अनुरूप वर्ष 2021 में ग्राम पंचायतों के चुनाव कराकर उन्हें संगठित कराया गया तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुखों व जिला पंचायत अध्यक्ष एवं सदस्य पदों हेतु निर्वाचन कराये गए। पंचायतीराज व्यवस्था के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों द्वारा आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने एवं उन्हें क्रियान्वित करने का प्राविधान किया गया है ताकि वे क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार योजनाएं तैयार करके उनका क्रियान्वयन कर स्थानीय जनता को अधिकाधिक लाभ पहुँचा सकें।

क्षेत्र पंचायतों को ग्राम्य विकास विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, अनुश्रवण तथा मूल्यांकन का दायित्व सौंपने के साथ-साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, विकास खण्ड स्तरीय पशु चिकित्सालय व बीज केन्द्र का संचालन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत विपणन गोदामों के पर्यवेक्षण का दायित्व सौंपा गया है।

पंचायत स्तर पर सभी कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रत्येक ग्राम

पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत में 6 समितियां गठित कर कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में समितियों की संस्तुतियों की व्यवस्था की गई है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-I :-

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान/निर्मल भारत अभियान/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत परियोजना के प्रारम्भ से माह 15 दिसम्बर, 2024 तक शासन द्वारा केन्द्रांश के रूप में कुल रु. 21,43,116.48 लाख तथा राज्य सरकार द्वारा राज्यांश के रूप में रु. 12,40,400.98 लाख, इस प्रकार कुल रु. 33,83,517.46 लाख धनराशि अवमुक्त की गयी है। कुल अवमुक्त धनराशि में से माह 15 दिसम्बर, 2024 तक रु. 33,83,517.46 लाख व्यय किया गया। उक्त धनराशि से प्रथम फेज में कुल 2,49,58,616 परिवारों को शौचालय सुविधा से आच्छादित किया जा चुका है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-II (2020-2021 से 2025-2026) :-

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 का मुख्य उद्देश्य गाँवों में खुले में शौचमुक्त की स्थिति बनाये रखना तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में साफ-सफाई के स्तर में सुधार लाकर उन्हें ओडीएफ प्लस गाँव बनाना है। ओ.डी.एफ. प्लस करने हेतु गॉवों में निम्नवत् कार्य कराये जाने हैं-

1. व्यवहार परिवर्तन एवं सामुदायिक अभिप्रेरण
2. व्यक्तिगत शौचालय निर्माण
3. शौचालय मरम्मत/रेट्रोफिटिंग
4. सामुदायिक स्वच्छता परिसर
5. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management)
6. तरल अपशिष्ट प्रबंधन (Liquid Waste Management)
7. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (Plastic Waste Management)
8. मलीय कीचड़ प्रबंधन (Feacal Sludge Management)

वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 10,47,599 व्यक्तिगत शौचालय, 85 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन यूनिट एवं 22 बायोगैस प्लान्ट का निर्माण कराया गया है तथा मॉडल ग्रामों की संख्या 50,203 है जबकि Aspiring ग्रामों की संख्या 24,996 व Rising ग्रामों की संख्या 2,346 ही रह गयी है इस प्रकार कुल ओ.डी.एफ. प्लस की संख्या 77,545 हो गयी है।

बहुउद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण (जिला योजना) :-

ग्राम पंचायतों के कार्यालयों उनकी बैठकों के आयोजन तथा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत अधिकारी आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उनके आवास की व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए पंचायत भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल रु. 5665.00 लाख का आय-व्ययक प्राविधान किया गया है।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों का विकास :-

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों के विकास के सम्बन्ध में ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों में नागरिक अवस्थापना उपलब्ध कराने हेतु शासन द्वारा अन्त्येष्टि स्थलों के विकास का निर्णय लेते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 में रु. 24360.00 लाख का आय-व्ययक प्राविधान किया गया है।

डॉ. राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तीकरण योजना :-

डॉ. राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तीकरण योजना चलाये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में रु. 405.00 लाख का आय-व्ययक प्राविधान किया गया है।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान :-

पंचायतों एवं ग्राम सभा की क्षमता व प्रभावशीलता में अभिवृद्धि तथा उनका सुदृढ़ीकरण किये जाने के उद्‌देश्य से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को केन्द्र पुनरोधित योजना के रूप में 60:40 (केन्द्रांश:राज्यांश) के वित्तीय अनुपात में वर्ष 2018-19 से संचालित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में योजनान्तर्गत कुल धनराशि रु. . लाख (केन्द्रांश रु. . लाख व राज्यांश रु. . लाख) का आय व्ययक प्राविधान किया गया है।

मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना :-

पंचायतीराज विभाग में उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को मुख्यमंत्री द्वारा पुरस्कार देने की घोषणा की गयी है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए रु. 8515.00 लाख का आय-व्ययक प्राविधान किया गया है।

जिला पंचायतों में कांजी हाउसों का निर्माण/स्थापना एवं संचालन :-

जिला पंचायतों में कांजी हाउसों का निर्माण/स्थापना एवं संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु राजस्व मद में रु. 500.00 लाख तथा पूंजीगत मद में रु. 500.00 लाख का आय-व्ययक प्राविधान किया गया है।

सम्पूर्ण परिवार सर्वेक्षण :-

पंचायतीराज विभाग द्वारा ग्रामीण/शहरी आबादी के प्रत्येक परिवार के रोजगार एवं जीवन यापन सम्बन्धी सूचनाएं एवं आंकड़े एकत्र किये जाने हेतु प्रत्येक जनपद में समिति गठित कर वेब पोर्टल एवं मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से सम्पूर्ण परिवार के सर्वेक्षण हेतु सम्पूर्ण परिवार सर्वेक्षण योजना संचालित की गयी है। जिसके लिये वित्तीय वर्ष 2025-26 में रु. 0.01 लाख का आय-व्ययक प्राविधान किया गया है।

उ.प्र. मातृभूमि योजना :-

पंचायतीराज विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश में मातृभूमि योजना संचालित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत कोई व्यक्ति, निजी संस्था ग्राम पंचायत में विकास कार्य, अवस्थापना सुविधा का विकास व

पंचायतराज अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत अनुमन्य ग्राम पंचायतों में कार्य करना चाहते हैं तो उक्त कार्य की लागत का 60 प्रतिशत की धनराशि का दान उस व्यक्ति, निजी संस्था द्वारा एवं 40 प्रतिशत की धनराशि राज्य सरकार द्वारा दिये जाने का प्राविधान किया गया है। जिसके लिये वित्तीय वर्ष 2025-26 में रु. 3630.00 लाख का प्राविधान किया गया है।

मैनुअल स्कैवेन्जर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना :-

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पारित आदेश के अनुपालन में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में सीवर/सैप्टिक टैंक की सफाई के दौरान होने वाली मृत्यु के फलस्वरूप आश्रितों को रु. 10.00 लाख की क्षतिपूर्ति दिये जाने हेतु "मैनुअल स्कैवेन्जर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना" के नाम से नई योजना संचालित की गयी है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में रु. 165.00 लाख का आय-व्ययक प्राविधान किया गया है।

पंचायत भवन विहीन ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन का निर्माण :-

सरकार की मंशा के अनुरूप प्रत्येक ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन/ग्राम सचिवालय का निर्माण प्राथमिकता पर किया जा रहा है, कतिपय ग्राम पंचायतों में भूमि की अनुपलब्धता के दृष्टिगत पंचायत भवन विहीन ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन का निर्माण के नाम से नई योजना संचालित की गयी है। योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में रु. 1.00 लाख का आय-व्ययक प्राविधान किया गया है।

प्रदेश की प्रत्येक विधान सभा की ग्रामीण क्षेत्र में बारात आयोजन हेतु विवाह घर का निर्माण योजना (नई योजना) :-

प्रदेश के प्रत्येक विधान सभा के ग्रामीण क्षेत्र में बारात आयोजन हेतु विवाह घर के निर्माण के लिए इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में रु. 10000.00 लाख का आय-व्ययक प्राविधान किया गया है।

पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना :-

वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु रु. 1000.00 लाख का आय-व्ययक प्राविधान किया गया है।

ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाईब्रेरी की स्थापना योजना :-

प्रदेश में ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाईब्रेरी की स्थापना हेतु शत-प्रतिशत केन्द्रांश की योजना है। वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु रु. 45400.00 लाख का आय-व्ययक प्राविधान किया गया है।

●

जल शक्ति विभाग
(सिंचाई एवं जल संसाधन)

नीतिः-

एक कल्याणकारी शासन प्रणाली में यह निहित होता है कि प्रदेश के कल्याण हेतु ऐसी नीति अपनाई जाय जिसके फलस्वरूप जनता को अधिकाधिक सुविधायें उपलब्ध हो सकें। स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त प्रदेश के सन्तुलित विकास के लिये यह आवश्यक था कि प्रदेश में उपलब्ध जल स्रोतों का कृषि उत्पादन के लिये अधिकाधिक उपयोग किया जाये, भले ही शासन को इस उपयोग में कोई प्रत्यक्ष लाभ न हो सके। अतः प्रदेश के चतुर्मुखी विकास हेतु प्रत्येक अंचल में उपलब्ध सभी स्रोतों का अधिकाधिक उपयोग कर पर्याप्त सिंचन क्षमता सृजित कर उत्पादन में वृद्धि एवं कृषि में स्थिरता लाने हेतु शासन पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत सिंचाई कार्यों के निर्माण पर बल दे रहा है।

दायित्वः-

प्रदेश में वृहद्, मध्यम एवं राजकीय लघु सिंचाई परियोजनाओं का अनुसंधान एवं निर्माण कर सिंचन सुविधा उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व प्रदेश के सिंचाई विभाग का है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास योजनाओं तथा पावर कारपोरेशन द्वारा वित्त पोषित जल विद्युत परियोजनाओं के सिविल कार्यों के निर्माण कार्यों का सम्पादन एवं अनुरक्षण भी इसी विभाग के द्वारा किया जाता है। विभाग द्वारा निर्मित एवं अन्य संस्थाओं द्वारा पूर्ण किये गये कार्यों, जो शासन द्वारा स्थानान्तरित किये जाते हैं, के परिचालन एवं अनुरक्षण का कार्य भी सिंचाई विभाग करता है।

अन्य स्रोतों से प्राप्त सहायताः-

वर्ष - में वृहद एवं मध्यम सिंचाई की योजनाओं के निर्माण हेतु नाबार्ड योजनाओं के अन्तर्गत रुपये . लाख (प्रतिशत नाबार्ड अंश प्रतिशत राज्यांश) एवं वाह्य सहायतित योजनाओं हेतु रुपये . लाख (प्रतिशत विश्व बैंक प्रतिशत राज्यांश) की ऋण सहायता दिया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त लघु सिंचाई योजनाओं हेतु नाबार्ड अंश रु. . लाख, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास हेतु नाबार्ड अंश रु. . लाख तथा केन्द्रीय सहायता (ए.आई.बी.पी.) के अन्तर्गत रु. . लाख अनुदान के रूप में प्राप्त की जानी प्रस्तावित है।

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश की नहरों पर सहभागी सिंचाई प्रबन्धन कार्यक्रमः-

उत्तर प्रदेश सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम, एवं इससे सम्बन्धित नियमावली, के अन्तर्गत सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ.प्र. के नियंत्रणाधीन नहरों से निकले कुलाबों पर कुलाबा समितियों के गठन का प्रविधान है। कुलाबा समितियों का गठन कुलाबा कमाण्ड के कृषकों द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। कुलाबा समितियों का निर्वाचन सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ.प्र. द्वारा कराया जायेगा। नियमावली के अन्तर्गत इस निर्वाचन हेतु सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ.प्र. के प्रमुख अभियन्ता को मुख्य चुनाव अधिकारी, संगठन के मुख्य अभियन्ता स्तर- को चुनाव अधिकारी, अधीक्षण अभियन्ता को उप चुनाव अधिकारी एवं अधिशासी अभियन्ता को खण्डीय चुनाव अधिकारी तथा निर्वाचन अधिकारी अधिकृत किया गया है। कुलाबा समितियों का गठन उ.प्र. वाटर सेक्टर रीस्ट्रक्चरिंग परियोजना प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण से आच्छादित क्षेत्रों के अतिरिक्त सम्पूर्ण प्रदेश में प्रथम बार किया जा रहा है। किसी निर्वाचन को निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से सम्पन्न कराने हेतु उसकी मतदाता सूची एक आधारभूत इकाई है। अतः मतदाता सूची को त्रुटिरहित तैयार किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। कुलाबा समितियों की मतदाता सूची में उन्हीं वयस्क भारतीय नागरिकों का नाम अंकित किया जाएगा, जो किसी नहर के कुलाबा कमाण्ड के समस्त भू-स्वामी/असामी/उप-असामी/अपनी भूमि बंधक रखने वाला कब्ज़ेदार/पट्‌टेदार (टेन्योर होल्डर)/अनुज्ञापी (लाइसेंसी)/भू-घृतिधारक (लीजी) और वह व्यक्ति जो सिंचाई का लाभग्राही हो। निर्धारित निर्वाचन प्रक्रिया द्वारा गठित कुलाबा समितियों द्वारा ही अल्पिका समितियों, रजबहा समितियों, शाखा समितियों एवं परियोजना समितियों के गठन किये जाने का प्रविधान है।

मा. मुख्यमंत्री, उ.प्र., मा. मंत्री, जल शक्ति विभाग एवं अपर मुख्य सचिव द्वारा कुलाबा समिति की मतदाता सूची प्रत्येक दशा में तैयार करने तथा निर्वाचन कराने के निर्देश दिये हैं। इसके लिये समस्त संगठनों द्वारा मतदाता सूची बनाने का कार्य प्रगति पर है तथा जल उपभोक्ता समितियों के निर्वाचन कराने का कार्यक्रम अपेक्षित है।

कतिपय योजनाओं/प्रणालियों द्वारा सिंचन क्षमता में वृद्धि प्रस्तावित है। वितीय वर्ष - में कुलाबा समिति, अल्पिका समिति, राजबहा समिति, मतदाता सूची तैयार करने, मोबलाइजेशन निर्वाचन की प्रक्रिया, जल उपभोक्ता समितियों का सम्प्रेक्षण (आडिट) व अन्य हेतु रु. . लाख का बजट-प्रविधान है।

सरयू नहर परियोजना

- सरयू नहर परियोजना के अन्तर्गत घाघरा, सरयू, राप्ती बानगां, रोहिन के पानी का उपयोग करते हुये पूर्वी उत्तर प्रदेश के 09 जनपदों (बहराइच, श्रावस्ती, गोण्डा, बलरामपुर, बस्ती, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, महराजगंज एवं गोरखपुर) में सिंचाई सुविधा प्रदान की जा रही है। परियोजना का प्रस्तावित सी.सी.ए. 11.29 लाख हेक्टेयर एवं सिंचन क्षमता 14.04 लाख हेक्टेयर है।
- इस परियोजना के अन्तर्गत 02 बैराज का निर्माण, सरयू बैराज (सरयू नदी पर) राप्ती

वैराज (राप्ती नदी पर), 04 अदद् पम्प कैनाल अयोध्या पम्प कैनाल, गोला पम्प कैनाल उतरौला पम्प कैनाल एवं डुमरियागंज पम्प कैनाल का निर्माण किया गया है।

- परियोजना के अन्तर्गत लगभग 6362 किमी. लम्बाई की नहरों का निर्माण कर सिंचाई सुविधा का लाभ एवं 3817 किमी. लम्बाई में ड्रेनों का निर्माण कराकर जल प्लावन से निजात दिलाया गया है।

मध्य गंगा नहर परियोजना, द्वितीय चरण

वर्ष के मूल्य सूचकांक के आधार पर केन्द्रीय जल आयोग द्वारा वर्ष में परियोजना की लागत . करोड़ की स्वीकृति थी, जिसका पुनरीक्षण वर्ष के मूल्य सूचकांक के आधार पर केन्द्रीय जल आयोग द्वारा वर्ष में परियोजना की लागत . करोड़ की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। परियोजना की इन्वेस्टमेन्ट क्लियरेन्स योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा . . द्वारा प्रदान की जा चुकी है। संशोधित परियोजना लागत . करोड़ व्यय वित्त समिति से दिनांक . . की बैठक में अनुमोदित की गयी है। इसके उपरान्त परियोजना का तृतीय पुनरीक्षण किया गया जिसकी लागत रु. 4909.92 करोड़ मा. मंत्री परिषद से दिनांक 04.11.2024 को अनुमोदित हो चुकी है। परियोजना पर माह मार्च 2024 तक 4471.68 करोड़ का व्यय हो चुका है। परियोजना को भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई) के अन्तर्गत शामिल करते हुए, देश की सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत प्राथमिकता प्रदान की गयी है। परियोजना की भौतिक प्रगति प्रतिशत है।

कनहर सिंचाई परियोजना

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र की दुद्धी तहसील अनवरत सूखाग्रस्त रहती है यहाँ की जनसंख्या आदिवासी बाहुल्य है तथा सिंचाई का कोई साधन नहीं है। इस तहसील में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कनहर नदी पर . मीटर ऊँचा तथा . किमी. लम्बा बाँध बनाकर . मिलियन एकड़ फीट जल उपयोग करने हेतु कनहर सिंचाई परियोजना निर्माणाधीन है। इस परियोजना में . किमी. मुख्य नहरें एवं शाखाएं तथा . किमी. लम्बी राजवाहों एवं अल्पिकाओं के माध्यम से हे. कृषि योग्य क्षेत्र में दोनों फसलों को मिलाकर कुल (खरीफ- हे. + रबी- हे.) हे. क्षेत्र सिंचित करने का प्रस्ताव है। इस परियोजना के क्रियान्वयन से दुद्धी एवं चोपन विकास खण्डों के लगभग ग्रामों के परिवारों की जनसंख्या लाभान्वित होगी तथा सिंचाई विभाग द्वारा पूर्व में निर्मित बन्धियों को भी अतिरिक्त जल उपलब्ध कराया जाना सम्भव हो सकेगा। / तक परियोजना पर कुल रु. . करोड़ व्यय एवं भौतिक प्रगति लगभग प्रतिशत है।

बदायूँ सिंचाई परियोजना

गंगा नदी एवं रामगंगा नदी के दोआब में स्थित जनपद बरेली की तहसील सदर एवं तहसील आंवला तथा जनपद बदायूँ की तहसील दातागंज व सदर में वर्तमान में नहरों से सिंचाई

हेतु कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। यहाँ की सिंचाई मुख्यतः भू-जल तथा वर्षा जल पर निर्भर रहती है। विगत कई वर्षों से बदायूँ जनपद के अधिकांश भाग में नलकूपों के द्वारा सिंचाई की जा रही है। इस कारण से जनपद बदायूँ एवं जनपद बरेली की आंवला तहसील के भूगर्भ जल स्तर के कारण नलकूप सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने में प्रायः असफल हो जाते हैं। क्षेत्र में नहरों से खरीफ फसल को सिंचाई सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से बदायूँ सिंचाई परियोजना तैयार की गई है। परियोजना के अन्तर्गत सकल कमाण्ड क्षेत्रफल हे. कृषि कमाण्ड क्षेत्रफल है और खरीफ की फसल का समुचित एवं सुनिश्चित सिंचित क्षेत्र हे. (कृषि कमाण्ड का प्रतिशत) है। परियोजना के अन्तर्गत रामगंगा बैराज का निर्माण, मुख्य नहर . किमी. शाखाएं . किमी. एवं रजवाहे व अल्पिकाएं . किमी. का निर्माण प्रस्तावित है। बैराज का परिकल्पन क्यूमेक डिस्चार्ज पर किया गया है। बैराज की लम्बाई मी. है। परियोजना पर अब तक प्राप्त आंवटन के सापेक्ष परियोजना की कुल प्रगति अब तक लगभग प्रतिशत है। जिसमें बैराज का निर्माण कार्य अब तक लगभग प्रतिशत पूर्ण हो चुका है।

गण्डक नहर प्रणाली की क्षमता पुनर्स्थापना परियोजना

जनपद महराजगंज के तहसील नौतनवां कें अन्तर्गत रोहिन नहर प्रणाली स्थित है। इस प्रणाली के अन्तर्गत मुख्य नहर सहित कुल 06 नहरें हैं तथा मुख्य नहर का शीर्ष डिस्चार्ज 110 क्यूसेक है।

बाँध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना (ड्रिप)

बाँध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना (ड्रिप) का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में बांधों की सुरक्षा और संचालन क्षमता को बेहतर बनाना है। इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य बांधों की संरचनात्मक मजबूती बढ़ाना, उनके संचालन की दक्षता में सुधार करना और जल संसाधनों का सतत् प्रबंधन सुनिश्चित करना है। ड्रिप परियोजना विश्व बैंक जैसी वित्तीय एजेंसियों और बांध प्रबंधन से संबंधित सरकारी संगठनों के सहयोग से कार्यान्वित की जाती है।

भौंरट बांध परियोजना

भौंरट बांध परियोजना जनपद ललितपुर के तहसील महरौनी के विकास खण्ड महरौनी में ग्राम भैंरा के समीप जामनी नदी जो कि बेतवा नदी की सहायक नदी है, पर वर्तमान जामनी बांध के लगभग किमी. डाउन स्ट्रीम में प्रस्तावित है। परियोजना के अन्तर्गत जामनी नदी पर . मि. घन मी. जलग्रहण क्षमता के बांध का निर्माण किया जायेगा, जिसके दायें पार्श्व से . किमी. लम्बी, . क्यूसेक शीर्ष निस्सारण क्षमता की नहर का निर्माण प्रस्तावित है तथा बांध के बांये पार्श्व से . किमी. लम्बी, . क्यूमेक शीर्ष निस्सारण क्षमता की फीडर का निर्माण कर जामनी बांध की बायी नहर प्रणाली के अन्तर्गत बानपुर राजवाहे के किमी. . पर जल पहुंचा कर बानपुर राजवाहे के किमी. . तक टेल कमाण्ड में तथा नहर प्रणाली निर्मित कर हे. रबी एवं हे. खरीफ अर्थात कुल हे. क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी एवं . एम.सी.एम. जल पेयजल हेतु आरक्षित है।

बबीना ब्लॉक के 15 ग्रामों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी परियोजना

बबीना ब्लॉक के ग्रामों क्रमशः बदौरा, बघौरा, घिसौली, बबीना, पुरा, पृथ्वीपुरा नयाखेड़ा, सुकुवां, सिमिरिया, लहरठाकुरपुरा, रसीना, मानपुरा, कोटी, सेंकर, ठाकुरपुरा एवं नौहरा को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाए जाने सम्बन्धी परियोजना प्रविधान के अनुसार माताटीला बाँध के दायें पार्श्व के किमी. . से क्यूसेक हेड डिस्चार्ज की . किमी. लम्बी मुख्य नहर एवं . किमी. लम्बाई की वितरण प्रणाली निर्माण कराकर उपरोक्त ग्रामों के हे. कृषि योग्य क्षेत्रफल में से रबी में हे. तथा खरीफ में हैं। क्षेत्रफल में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाए जाने का प्रस्ताव है।

उक्त परियोजना पर वर्ष - से वर्ष - तक रु. . लाख का आवंटन प्राप्त हुआ था।

लोअर रोहिणी बांध

बाँध को सिविल/यांत्रिक निर्माण कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। तथा नहरों का कार्य भी पूर्ण हो चुका है, बांध के भराव क्षेत्र में प्रभावित अवशेष भूमि एवं वन भूमि क्रय किया जाना शेष है।

केन-बेतवा लिंक परियोजना

केन नहर प्रणाली जनपद-बांदा की लगभग वर्ष पुरानी नहर प्रणाली है। इस प्रणाली की बांदा शाखा का शीर्ष निस्सारण क्यूसेक एवं लम्बाई . किमी. है, बांदा शाखा नहर प्रणाली की कुल लम्बाई किमी. है। बांदा शाखा प्रणाली में राजवाहा तथा अल्पिकायें निकलती हैं। बांदा शाखा प्रणाली से जनपद बांदा के बड़े भू-भाग की सिंचाई की जाती है।

राजघाट नहर परियोजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश हिस्से का अंश

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के समुचित विकास में सिंचाई योजनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका के अन्तर्गत बेतवा नदी में उपलब्ध अतिरिक्त जल के उपयोग हेतु राजघाट बाँध योजना प्रस्तावित की गयी, जिससे सिंचित क्षेत्र में वृद्धि के साथ-साथ पूर्व सिंचित क्षेत्र में अतिरिक्त जल उपलब्ध कराया जाना सम्भव हो सकेगा। इस परियोजना से उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश दोनों लाभान्वित होंगे। परियोजना से उपलब्ध लाभ व इस पर होने वाले व्यय का बराबर-बराबर बंटवारा दोनों राज्यों में किया गया है। बाँध का निर्माण भारत सरकार द्वारा गठित बेतवा नदी परिषद द्वारा सम्पादित हो चुका है। नहर प्रणालियों का निर्माण संबंधित राज्यों द्वारा किया जा रहा है। यह योजना केन्द्रीय जल आयोग, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित है।

बाणसागर बाँध परियोजना

सिंचाई संसाधनों का दोहन एवं सिंचाई से कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए घाटी के भीतर सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना ही इस परियोजना का उद्देश्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बाणसागर बांध मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में सोन नदी पर निर्मित है।

इस परियोजना के कार्यों को माह / तक पूर्ण किया जा चुका है, जिसमें कार्यों की लागत रु. . करोड़ (म.प्र. सरकार का अंशदान रु. . करोड सम्मिलित

है।) रु. . करोड़ माह / तक विभिन्न मदों पर खर्च किया जा चुका है। परियोजना की समस्त नहरें पूर्ण रूप से संचालित हो रही हैं।

सोन पम्प नहर परियोजना

मीरजापुर एवं सोनभद्र जनपदों की अधिकांश ज़मीन छोटी-बड़ी पहाड़ियों से आच्छादित होने के कारण ऐसी है जहाँ मरूभूमि की तरह बीच-बीच में उपलब्ध कृषि योग्य भूमि सतही सिंचाई कराने के लिये अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प जैसे- नलकूप आदि लगाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में घाघर नहर प्रणाली में पानी की कमी दूर करने के लिये घाघर नहर प्रणाली को अतिरिक्त पानी देने हेतु सोन पम्प नहर परियोजना की परिकल्पना की गई।

भावनी बांध परियोजना

भावनी बांध परियोजना बुन्देलखण्ड क्षेत्र के ललितपुर जनपद की महरौनी तहसील में ग्राम भावनी के पास सजनम नदी पर वर्ष - से निर्माणाधीन है। इस परियोजना द्वारा तहसील तालबेहट में सिंचन सुविधा प्रदान की जायेगी। बांध में नहरों का निर्माण इस खण्ड द्वारा किया जा रहा है।

जनपद उन्नाव में चौ. चरण सिंह डलमऊ 'बी' पम्प नहर प्रणाली की क्षमता पुनर्स्थापना की पुनरीक्षित परियोजना

चौ. चरण सिंह डलमऊ "बी" पम्प नहर का निर्माण उन्नाव शाखा के टेल क्षेत्र में पानी की कमी को पूरा करने के लिए बार्ज आधारित क्यूसेक पम्प सिस्टम स्थापित कर उन्नाव शाखा के किमी. . पर पूर्ण क्षमता से पानी की आपूर्ति हेतु वर्ष - में किया गया था। परियोजना का अवशेष प्रतिशत कार्य मार्च, तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

कचनौंदा बाँध परियोजना

कचनौंदा बांध परियोजना जनपद-ललितपुर की तहसील-महरौनी के विकास खण्ड बार में ग्राम-गुगरवारा के नज़दीक . " पूर्व देशान्तर एवं . " दक्षिण अक्षांश पर सजनम एवं बानई के संगम स्थल से लगभग . किमी. अपस्ट्रीम सजनम एवं बानई नदी पर निर्माणाधीन है। कचनौंदा बांध परियोजना की पुनरीक्षित लागत रु. . करोड़ के सापेक्ष यूनिट- में सिविल/यांत्रिक कार्य पूर्ण कराये जा चुके हैं, मात्र बांध के भराव क्षेत्र में अवशेष भूमि क्रय किया जाना शेष है। कचनौंदा बांध परियोजना के यूनिट- नहर निर्माण के अवशेष कार्य एवं अवशेष भूमि क्रय करने हेतु एक परियोजना रु. . + जी.एस.टी. (नियमानुसार देय) लाख की व्यय वित्त समिति से अनुमोदित की जा चुकी है।

नवीन राजकीय नलकूपों का पुनर्निर्माण परियोजनाः-

(अ) नाबार्ड पोषितः-

प्रदेश में कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की राज्य सरकार की प्राथमिकता के दृष्टिगत असफल राजकीय नलकूपों का पुनःनिर्माण परियोजना (नाबार्ड पोषित) का गठन किया गया, जिसके अन्तर्गत धनराशि रु. . करोड़ की लागत से असफल राजकीय

नलकूपों का पुनःनिर्माण कार्य पूर्ण किया गया है।

(ब) राज्य सेक्टरः-

प्रदेश के कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की राज्य सरकार की प्राथमिकता के दृष्टिगत असफल राजकीय नलकूपों का पुनःनिर्माण परियोजना का गठन किया गया, जिसके अन्तर्गत धनराशि रु. . करोड़ की लागत से प्रदेश के विभिन्न जनपदों के डार्क जोन में स्थापित असफल राजकीय नलकूपों का पुनःनिर्माण परियोजना का कार्य प्रगति पर है।

नवीन राजकीय नलकूपों का निर्माण/लगाना (मा. मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं/सन्दर्भों की पूर्ति हेतु)

प्रदेश में कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की राज्य सरकार की प्राथमिकता के दृष्टिगत माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं एवं विभिन्न सन्दर्भों की पूर्ति हेतु नवीन राजकीय नलकूप निर्माण परियोजना के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में धनराशि रु. . करोड़ की लागत से नवीन राजकीय नलकूपों का निर्माण की परियोजना का कार्य वित्तीय वर्ष - में पूर्ण किया गया है, जिससे हे. सिंचन क्षमता का सृजन करते हुये 4299 कृषक परिवारों को लाभान्वित किया गया है।

कार्यरत लघु डाल नहरों का आधुनिकीकरणः-

वित्तीय वर्ष 2024-25 में रु. 150.00 करोड़ की प्रस्तावित बजट व्यवस्था से कुल 118 परियोजनाओं (लागत धनराशि रु. 237.30 करोड़) से लगभग 227.37 हेक्टेयर सिंचन क्षमता की पुनर्स्थापना करते हुये लगभग 37806 कृषक परिवारों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। इन 118 परियोजनाओं के द्वारा 15941 हेक्टेयर सिंचन क्षमता की पुनर्स्थापना एवं 25270 कृषक परिवारों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

रामजानकी पम्प नहर परियोजना (नाबार्ड पोषित):-

जनपद बाँदा में रामजानकी पम्प नहर परियोजना (नाबार्ड पोषित) क्षमता क्यूसेक, लागत धनराशि रु. . करोड़ का कार्य प्रगति पर है। जिससे संबंधित समस्त कार्यों को आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूर्ण करते हुये हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन कर लगभग कृषक परिवारों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

वृहद एवं मध्यम पम्प नहरों का आधुनिकीकरणः-

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में वृहद एवं मध्यम पम्प नहरों के आधुनिकीकरण के अन्तर्गत कुल 08 परियोजनाओं (1-चौधरी चरण सिंह अयोध्या पम्प हाउस विक्रमजोत, बस्ती (क्षमता 600 क्यूसेक), 2-चौधरी चरण सिंह उतरौला पम्प नहर बलरामपुर, (क्षमता 1050 क्यूसेक), 3-चौधरी चरण सिंह सरयू पम्प नहर, द्वितीय एवं तृतीय चरण नानपारा, बहराइच (क्षमता 300 एवं 360 क्यूसेक), 4-चौधरी चरण सिंह कुआँनों पम्प नहर संतकबीरनगर, (क्षमता 240 क्यूसेक), 5-चौधरी चरण सिंह गोला पम्प नहर, बारानगर, गोरखपुर, (क्षमता 300 क्यूसेक), 6-चौधरी चरण सिंह दोहरीघाट पम्प नहर मऊ, (क्षमता 660 क्यूसेक), 7-चौधरी चरण सिंह डुमरियागंज

पम्प नहर सिद्धार्थनगर, (क्षमता 900 क्यूसेक) एवं 8- चौधरी चरण सिंह डलमऊ "ए" पम्प नहर (क्षमता 840 क्यूसेक) कुल लागत धनराशि रु. 230.29 करोड़ का गठन किया गया है।

बाढ़ प्रबंधन कार्य

बाढ़ नियंत्रण परियोजनायें:-

उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल . लाख हेक्टेयर है। प्रदेश का लगभग . लाख हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है, जो देश में प्रभावित क्षेत्र . लाख हेक्टेयर का लगभग प्रतिशत है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के सापेक्ष . लाख हेक्टेयर वन व अन्य क्षेत्र तथा . लाख हेक्टेयर को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। अब तक प्रदेश में बाढ़ से सुरक्षा हेतु लगभग अदद कुल तटबंध कुल लम्बाई किमी. एवं अदद कटाव निरोधक कार्य (स्टड, स्पर, पिचिंग, डैम्पनर इत्यादि) का निर्माण किया जा चुका है जिसके फलस्वरूप प्रदेश के कुल . लाख हेक्टेयर क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षित किया जा सका है, जबकि लगभग . लाख हेक्टेयर क्षेत्र अभी सुरक्षित किया जाना है।

●

पशुधन

उत्तर प्रदेश, विशाल जनसंख्या, पशु संख्या एवं क्षेत्रफल वाला प्रदेश है। प्रदेश की करोड़ से अधिक आबादी को प्रदेश सरकार से बहुत सी अपेक्षाएँ हैं। इन जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न संकल्प लिये गये हैं विशेषकर गोवंशीय पशुओं के संरक्षण एवं संवर्धन के कार्यों को तीव्र गति से किया जा रहा है। प्रदेश में निराश्रित छुट्टा अन्ना पशुओं से कृषकों की फसलों को हो रहे नुकसान से बचाव हेतु सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम/योजनाएँ संचालित की जा रही हैं।

प्रदेश सरकार के संकल्प में निहित कृषकों की आय को दोगुनी किये जाने हेतु कृषि समृद्धि आयोग का गठन किया जा चुका है जिसके अन्तर्गत पशुधन विभाग की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। पशुपालन के क्षेत्र में बेहतर पशु स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता हेतु अध्ययन दल बनाकर अल्प अवधि में ऐसी सुविचारित नीति कार्य योजना तैयार कर ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक उन्नति के लिए कुक्कुट के क्षेत्र में सफल "कुक्कुट विकास नीति" जैसे अन्य मॉडल तथा पशु चिकित्सा के क्षेत्र में अभिनव प्रयोगों के लिए सम्भावनाओं का पता लगाने, पशुपालकों को विशेषज्ञ सलाह प्राप्त कराने पशुओं के स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभाग सतत् प्रयत्नशील है।

मुख्य उद्देश्य :-

विभाग मुख्य रूप से निम्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु क्रियाशील है :-

- प्रदेश में दूध, अण्डा, ऊन एवं माँस उत्पादन में वृद्धि कर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना।
- समन्वित पशु स्वास्थ्य सुरक्षा एवं चिकित्सा कार्यक्रमों की क्षमता का उपयोग कर पशुओं को स्वस्थ रखना। विभिन्न पशु महामारियों के नियंत्रण एवं उन्मूलन हेतु समग्र एवं सघन प्रयास करना।
- पशुधन एवं कुक्कुट विकास के क्षेत्र में उद्यमिता का विकास किया जाना।
- प्रदेश के लिए निर्धारित पशु प्रजनन नीति के अनुसार उन्नत प्रजनन एवं बधियाकरण कार्यक्रम का संचालन करना।
- विभिन्न लघु पशुओं (भेड़/बकरी/सूकर आदि) का विकास एवं लघु पशु उत्पादन क्षेत्र में स्वरोज़गार का सृजन एवं गरीब ग्रामीणों का आर्थिक सुधार सुनिश्चित करना।
- पशुधन हेतु पर्याप्त हरे चारे एवं पोषण की व्यवस्था सुनिश्चित करना ।

. गरीबी उन्मूलन एवं भुखमरी को समाप्त करने हेतु विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाना।

. गौशालाओं का विकास करना, गोवंशीय पशुओं की अवैध तस्करी/परिवहन को रोकने एवं गोवध निवारण अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सहयोग प्रदान करना।

. महिला सशक्तिकरण, लिंग भेद एवं असमानता मुक्त करने हेतु विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाना।

. पशुपालन विभाग के कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना।

. उद्यमिता विकास से सम्बंधित योजनाओं को संचालित करना।

. डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं को संचालित करना।

पशुपालन विभाग के प्रमुख कार्यक्रम :-

● पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें ● गाय एवं भैंस विकास ● कुक्कुट विकास ● भेड़-बकरी विकास ● सूकर विकास ● अन्य पशुधन विकास ● चारा और चरागाह विकास ● गौशाला एवं गो-सदनों का विकास ● गो सेवा आयोग का सुदृढ़ीकरण ● पशुपालन प्रचार एवं प्रसार का कार्यक्रम ● प्रशासनिक अन्वेषण एवं सांख्यकीय ● बुन्देलखण्ड क्षेत्र की विशेष योजनायें ● उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद का कार्यान्वयन ● वेटनरी काउन्सिल का कार्यान्वयन ● राष्ट्रीय कृषि विकास योजनायें ● राष्ट्रीय गोकुल मिशन की योजनायें ● नेशनल लाइवस्टाक मिशन की योजनाएँ।

उपलब्धियाँ :-

देश में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में प्रदेश प्रथम स्थान पर है। पशुधन के सर्वांगीण विकास हेतु कृषकों के हित में अनेक लाभकारी योजनाएँ संचालित की जा रही हैं तथा उनमें गति प्रदान करने के लिये नये अभिनव प्रयोगों से प्रदेश में नयी योजनाओं के माध्यम से उन्हें लागू किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में त्वरित गति से नस्ल सुधार हेतु उ.प्र. पशु प्रजनन नीति-2013 को पुनरीक्षित कर पशु प्रजनन नीति क्रियान्वित की जा रही है। पशु स्वास्थ्य, रोग नियंत्रण पशुधन बीमा के साथ-साथ अस्थायी गो-आश्रय स्थल स्थापित किये जा रहे हैं। नस्ल सुधार हेतु सेक्स सार्टेड सीमेन के उपयोग से गोवंशीय पशुओं में मात्र बछिया उत्पादन हेतु व्यापक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। मा. मुख्यमंत्री सहभागिता योजनान्तर्गत तथा पोषण-मिशन में इच्छुक कृषक/पशुपालकों को निराश्रित गोवंश आश्रय स्थलों से गोवंश सुपुर्दगी में दिये जा रहे जो अधिकतम 4 गोवंश प्रति लाभार्थी पशुपालक दिये जाते हैं।

- वर्ष - में . लाख मी.टन (अनन्तिम) दुग्ध उत्पादन किया गया।
- वर्ष - में 5389.90 मिलियन (अनन्तिम) अण्डों का उत्पादन किया गया है।
- वर्ष - में . हजार टन (अनन्तिम) मांस का उत्पादन किया गया है।

- कुक्कुट विकास नीति 2022 के अन्तर्गत अभी तक रु. 253 करोड़ का अनुमानित निवेश किया जा रहा है, 11120 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार।
- स्थापित इकाइयों द्वारा प्रदेश में 105 लाख अण्डा प्रतिदिन उत्पादित किया जा रहा है, तथा ब्रायलर पैरेन्ट ईकाइयों से 50.00 लाख चूजे प्रतिमाह उत्पादित हो रहे हैं।
- बैकयार्ड पोल्ट्री-वर्ष 2023-24 में 16666 लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत की पूर्ति।
- वर्ष 2024-25 में 16666 ईकाईयां स्थापित किये जाने का लक्ष्य है।
- वर्ष 2023-24 में एफ.एम.डी. टीकाकरण में 4,73,74,350 लक्ष्य के सापेक्ष सम्पूर्ण टीकाकरण कर शतप्रतिशत पूर्ति की गयी तथा वर्ष 2024-25 में 4,73,70,358 लक्ष्य के सापेक्ष 1,07,70,000 टीकाकरण किया गया। एच.एस. टीकाकरण में 4,16,29,000 लक्ष्य के सापेक्ष 2,06,24,585 टीकाकरण किया गया। वर्ष 2023-24 में ब्रुसेल्ला टीकाकरण में 7,03,000 लक्ष्य के सापेक्ष सम्पूर्ण टीकाकरण कर शत-प्रतिशत की आपूर्ति की गयी तथा वर्ष 2024-25 में 40,26,000 लक्ष्य के सापेक्ष 34,00,740 टीकाकरण किया गया। वर्ष 2023-24 में एल.एस.डी. टीकाकरण में 1,60,00,000 लक्ष्य के सापेक्ष 1,59,56,700 टीकाकरण किया गया तथा वर्ष 2024-25 में 1,60,00,000 लक्ष्य के सापेक्ष सम्पूर्ण टीकाकरण कर शत-प्रतिशत पूर्ति की सम्भावना है। वर्ष 2023-24 में पी.पी.आर. टीकाकरण में 1,55,92,600 लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत टीकाकरण किया गया है।
- वर्ष - में जनपद एल.एस.डी. बीमारी से प्रभावित हुये, जिसमें 10,649 गोवंश लम्पी बीमारी से प्रभावित हुये थे। वर्ष 2023-24 में प्रभावित 41 जनपदों में 1,05,02,300 गोवंश का टीकाकरण किया गया। प्रदेश में कुल 1,59,56,700 गोवंश का एल.एस.डी. उपरान्त टीकाकरण किया गया। प्रदेश के जनपद-बलरामपुर, महराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर एवं लखनऊ में लम्पी प्रो-वैक वैक्सीन का ट्रायल कराया गया।
- वर्ष - में अभियान चलकार अद्यतन 205.344 हेक्टेअर भूमि कब्जामुक्त कराई गई है। अभी तक कुल कब्जामुक्त भूमि 6986 हे. में से 3462 हे. भूमि पर नैपियर तथा अन्य हरा चारा उगाया गया है। जिसमें कुल 4087 गौ आश्रय स्थलों में उक्त कब्जामुक्त भूमि चारा उत्पादन हेतु टैग की गयी है। वर्ष 2024-25 में 216.300 लाख के सापेक्ष माह जून 2024 तक कुल 7.250 लाख कृत्रिम गर्भाधान किया गया।
- प्रदेश में निराश्रित/बेसहारा पशुओं से फसलों को नुकसान से बचाने हेतु प्रदेश में गोसरंक्षण के लिये अस्थाई गोआश्रय स्थल-6614, गोवंश वन्य विहार/वृहद गोसंरक्षण केन्द्र-321, कांजी हाउस-320, कान्हा गोशाला-283, अर्थात कुल 7556 गो-आश्रय स्थलों में अद्यतन 1184065 गोवंश संरक्षित हैं, सुपुदर्गी में दिये गये गोवंश-138686।
- वर्ष - में . लाख लक्ष्य के सापेक्ष जून, 2024 तक 3.84 लाख पशुओं में

चिकित्सा की गई।

- वित्तीय वर्ष - में 30.18 लाख के सापेक्ष मई, 2024 तक 1.54 लाख पशुओं का बधियाकरण किया गया।
- प्रदेश में विभाग द्वारा गोशालाओं का पंजीकरण ऑनलाइन किया जा रहा है। अद्यतन 592 गोशालाएँ पंजीकृत हैं।
- डी.बी.टी. के माध्यम से गौशालाओं में भरण-पोषण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। 47 जनपदों में 2557 गौशालाओं को रु. 30 करोड़ 81 लाख की धनराशि दी गयी है।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 में पशुपालकों को जई बीज 6900 कु. बरसीम बीज 112.82 कु. पशुपालकों को वितरित किया गया।
- आत्मनिर्भर भारत अभियान अन्तर्गत 08.00 लाख किसान क्रेडिट कार्ड बनाया जाना लक्षित था, जिसके सापेक्ष वर्ष मार्च, 2024 तक 555776 किसान क्रेडिट कार्ड (पशुपालक घटक) पशुपालकों को निर्गत किये गये हैं।

पशुपालन विभाग पशुपालक के द्वार पर मोबाइल वेटरिनरी यूनिट :-

- मोबाइल वेटरिनरी यूनिट की स्थापना योजना भारत सरकार की अम्ब्रेला स्कीम "पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना" अन्तर्गत सम्मिलित की गयी है।, जिसके अन्तर्गत पूरे प्रदेश के पशुपालक निःशुल्क सहायता हेतु टोल फ्री नं.- 1962 पर काल कर सकेंगे। योजनान्तर्गत पशुचिकित्सा सेवाओं को दूरस्थ क्षेत्रों के पशुधन के लिये प्रति एक लाख पशुधन की संख्या पर एक मोबाइल वेटरिनरी यूनिट की दर से कुल 520 मोबाइल वेटरिनरी यूनिट वर्तमान में प्रदेश में संचालित हैं। प्रत्येक मोबाइल वेटनरी यूनिट में एक पशुचिकित्साविद्, एक मल्टी टास्क पर्सनल एवं एक ड्राइवर की व्यवस्था कर कुल 1560 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन का कार्य किया गया। मोबाईल वेटरिनरी यूनिट द्वारा वर्ष 2024-25 में अद्यतन 3,80,639 लाख पशुपालकों के 8,34,950 पशुओं को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।

पं. दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य शिविर/मेला :-

- वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 2463 विकास खण्ड स्तरीय शिविरों/मेलों- कुल 16,89,887 पशुओं को पंजीकृत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 18 मण्डल स्तरीय शिविरों/मेलों का आयोजन कर 1,57,716 पशुओं को पंजीकृत।
- वर्ष 2024-25 में दिनांक 15.09.2024 से 31.10.2024 तक में आयोजित।

जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमाः-

- पशुधन बीमा-वर्ष 2023-24 में 173300 लक्ष्य के सापेक्ष 89084 पशुओं का बीमा वर्ष 2024-25 में 541666 लक्ष्य के सापेक्ष 24.07.2024 तक 42007 पशुओं का बीमा।

लघुपशु विकासः-

- बकरी पालन की योजना (राज्य योजना)- प्रति बकरी इकाई (01 नर, 05 मादा बकरियां) प्रति इकाई लागत रु. 45000/- है। जिसके 90 प्रतिशत अनुदान स्वरूप रु. 40500/- एवं 10 प्रतिशत रु. 4500/- लाभार्थी।
- वर्ष 2023-24 में 739 बकरी इकाईयों की स्थापना।
- वित्तीय वर्ष 2024-25 में 739 बकरी पालन इकाइयों का लक्ष्य।
- बकरियों के कृत्रिम गर्भाधान- प्रथम चरण में 35 जनपदों में 490 केन्द्र।
- 250 रेमबुले नस्ल के उन्नत मेढ़े 11 जनपदों में उपलब्ध कराया जाना-अद्यतन 06 जनपदों 100 मेढ़े वितरित।

पशुपालन का उद्देश्य :-

- मानव आहार में उच्च गुणवत्ता की पशुजन्य प्रोटीन की उपलब्धता में वृद्धि करना।
- ग्रामीण/शहरी क्षेत्र में कुक्कुट पालकों को उन्नतशील कुक्कुट पालन की प्रारम्भिक तथा विशिष्ट प्रशिक्षण की व्यवस्था सुलभ कराना।
- कुक्कुट को अपनी विशेषताओं के आधार पर ग्रामीण/नगरीय क्षेत्र के छोटे/बड़े कुक्कुट पालकों को स्वरोज़गार के अवसर सुलभ कराना।
- कुक्कुट पालकों के पक्षियों में रोगों का सामान्य निदान तथा कुक्कुट पक्षियों में विभिन्न संक्रामक रोगों से बचाव हेतु चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराना।
- पशु/पक्षी के आहार की गुणवत्ता हेतु विभिन्न आहारों के परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराना।
- कुक्कुट पालकों के कुक्कुट उत्पादों का उचित मूल्य दिलवाने तथा उनके विपणन में सहयोग प्रदान करना।
- बैक्यार्ड कुक्कुट पालन हेतु चूजे तैयार करना।
- कुक्कुट विकास कार्यक्रम में उद्यमिता का विकास करना।
- कृषि उत्पादन हेतु जैविक खाद की उपलब्धता को बढ़ावा देना।

प्रक्रियात्मक रणनीति :-

समस्त विभागीय कार्यक्रमों के लक्ष्यों की शत प्रतिशत पूर्ति तथा उसमें गुणात्मक सुधार लाये जाने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाये जाने हेतु बल दिया गया है :

- पशुपालन के क्षेत्र में गुणात्मक एवं मात्रात्मक मानव संसाधन विकास हेतु पशु चिकित्सा सेवाओं का विस्तार।
- संक्रामक रोगों पर नियंत्रण के लिए सघन टीकाकरण का संचालन एवं पशु चिकित्सा सेवाओं का विस्तार।

- पशुओं में अनुउर्वरता निवारण शिविरों का आयोजन करना।
- कृत्रिम गर्भाधान के आच्छादन को बढ़ाया जाना।
- कुक्कुट पालन को बढ़ावा देने के लिए बैकयार्ड कुक्कुट इकाइयों एवं कामर्शियल लेयर इकाइयों की स्थापना।
- कुक्कुट उद्यमिता का विकास करना।
- सूकर एवं भेड़, बकरी पालन को बढ़ावा देकर गरीब ग्रामीणों का आर्थिक उत्थान करना।
- स्वरोजगार के अवसर सृजित करना।

वर्ष 2024-25 हेतु प्राथमिकताएँ

- दुधारू पशुओं की तस्करी को रोकने में जिला प्रशासन को सहयोग प्रदान करना।
- अवैध कत्लखानों को पूरी कठोरता से बन्द किये जाने हेतु नगर निगम विभाग को सहयोग प्रदान किया जायेगा।
- फसलों की क्षति को रोकने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर भूमि आरक्षित कर गोवंश संरक्षण की योजना।
- प्रदेश में भूमिहीन कृषि मजदूरों को गोधन योजना अन्तर्गत गाय व अन्य दुधारू पशु उपलब्ध कराने की योजना
- कृषकों की आय को दोगुना किये जाने में पशुपालन की अहम भूमिका के दृष्टिगत सहयोग प्रदान करना।
- विभिन्न कार्यक्रमों, यथा- पशु प्रजनन, पशुचिकित्सा तथा स्वास्थ्य में गुणात्मक सुधार लाया जाना एवं पशुपालन सेवाओं का विस्तार करना।
- किसानों को अधिक लाभ दिलाने के उद्देश्य से स्थानीय जरूरतों के अनुरूप पशुपालन योजनाएँ तैयार करना तथा उनके क्रियान्वयन में किसानों की सहभागिता सुनिश्चित कराना।
- आत्मनिर्भर भारत अभियान के अन्तर्गत 08.00 लाख किसान क्रेडिट कार्ड बनाया जाना लक्षित था, जिसके सापेक्ष वर्ष मार्च 2024 तक 555776 किसान क्रेडिट कार्ड (पशुपालन घटक) पशुपालकों को निर्गत किये गये हैं।

ई-गवर्नेन्स के अन्तर्गत प्रमुख कार्य :-

पशुपालन विभाग अन्तर्गत विभाग में एक ई-गवर्नेन्स कक्ष कार्यरत है। पशुपालन विभाग की वेबसाइट (http animalhus .upsdc.gov.in) क्रियाशील है। जिसमें विभागीय क्रियाकलापों कार्यक्रमों, संस्थाओं एवं विभिन्न योजनाओं आदि की महत्वपूर्ण जानकारी प्रेषित की गई है। वेबसाइट समय-समय पर अधुनान्त (अपडेट) की जाती है। विभागीय वेबसाइट पर नागरिक अधिकार पत्र, सूचना का अधिकार अधिनियम उपलब्ध है। विभाग द्वारा किये जाने वाले समस्त टेण्डर, टेण्डर फार्म, दर सूचियां विभागीय बेवसाइट पर उपलब्ध करायी गई हैं। बेवसाइट पर सभी पशुचिकित्साविदों

के अधिष्ठान से सम्बन्धित विवरण एवं वरिष्ठता सूची उपलब्ध है। न्यायालयों के वादों के त्वरित निस्तारण को दृष्टिगत रखते हुये वादों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है जिससे वादों का अनुश्रवण प्रभावी हो गया है। वीं पशुगणना के आँकडे भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराये गये हैं। साथ ही वित्तीय स्वीकृतियाँ, बजट एवं आवंटन तथा अन्य विभागीय शासनादेश भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराये गये हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम से संबंधित समस्त कार्यों का संपादन ऑनलाइन किया जा रहा है।

विभाग के सात कार्यक्रम निराश्रित गोवंश आश्रय स्थल, मा. मुख्यमन्त्री जी गोवंश सहभागिता योजना, वृहद गो संरक्षण केन्द्रों का निर्माण, पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान, पशुओं का टीकाकरण, अण्डा उत्पादन एवं गोशालाओं के पंजीकरण को ऑनलाइन कर मा. मुख्यमन्त्री डैशबोर्ड दर्पण से इन्टीग्रेट किया गया है जिसका अनुश्रवण मा. मुख्यमन्त्री कार्यालय द्वारा किया जाता है।

गोआश्रय स्थलों में संरक्षित निराश्रित गोवंशों के रियल टाइम अनुश्रवण, प्रबन्धन एवं डी. बी.टी. के माध्यम से गोआश्रय स्थलों को भरण-पोषण की धनराशि हस्तान्तरित करने हेतु निदेशालय स्तर पर केन्द्रीय परियोजना अनुश्रवण इकाई का गठन किया गया है, जिसके अन्तर्गत गो-आश्रय पोर्टल एवं मोबाइल एप के द्वारा गोआश्रय स्थलों में गोआश्रय प्रबन्धन, आधारभूत संरचना प्रबन्धन एवं फन्ड प्रबन्धन का कार्य संपादित किया जा रहा है।

LHDC कार्यक्रम के अधीन ESVHD-MVU योजनान्तर्गत प्रदेश में 520 मोबाइल वेटरिनरी यूनिट वाहन संचालित है। योजनान्तर्गत पशुसेवा केन्द्रों/पशुचिकित्सालयों से 02 किमी. की परिधि के बाहर दूरस्थ क्षेत्रों के पशुपालकों को निर्धारित रूट वाहनों द्वारा नियमित पशु स्वास्थ्य शिविरों तथा गम्भीर बीमारियों की आकस्मिकता में टोल फ्री नं. 1962 भी जारी किया गया है। योजना की मानिटरिंग, फीड बैक एवं प्रगति संबंधित MIS के लिये निदेशालय में एकीकृत कन्ट्रोल एवं कमाण्ड सेन्टर स्थापित किया गया है।

सरकार की मंशा के अनुरूप पेपरलेस कार्यप्रणाली के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर ई-आफिस प्रणाली लागू की गई है। प्रणाली के माध्यम से निदेशालय में पत्रावलियों का व्यवहरण प्रारम्भ कर दिया गया है। मंडलीय एवं जनपदीय कार्यालयों में भी प्रणाली को लागू किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

राष्ट्रीय डिजिटल पशु मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा विकसित भारत पशुधन एप के माध्यम से प्रदेश के समस्त गोवंशीय एपं महिषवंशीय पशुओं में किये गये कृत्रिम गर्भाधान, टीकाकरण, ईयर टैगिंग एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी डाटा का अंकन किया जा रहा है जिससे सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकेगी।

पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें :-

कृषि के साथ-साथ पशुपालन का कार्य ग्रामीण परिवेश में एक सामान्य प्रक्रिया है, परन्तु प्रति व्यक्ति कम कृषि जोत भूमि होने के कारण गांवों में जीविकोपार्जन एवं आर्थिक उन्नति हेतु पशुपालन एक प्रमुख साधन है। विभिन्न पशुधन विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में पशुचिकित्सा एवं पशु

स्वास्थ्य विभाग एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। पशुओं को पूर्णतः स्वस्थ रखने एवं गुणवत्तायुक्त पशुजन्य उत्पादों की निरन्तर आवश्यकता अपरिहार्य होने के कारण पशुचिकित्सा एवं पशु स्वास्थ्य का महत्व स्वतः बढ़ जाता है।

उद्देश्य :-

1. प्रदेश के पशुओं को चिकित्सा सुविधा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध कराना।
2. पशुओं में फैलने वाली संक्रामक बीमारियों की रोकथाम हेतु टीकाकरण कार्य निष्पादित करना।
3. अनियंत्रित पशु प्रजनन को रोकने तथा कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा दिये जाने हेतु अवर्णित व अनुपयोगी नर पशुओं का बधियाकरण करना।
4. प्रदेश में स्थापित पशुचिकित्सा पाली क्लीनिक के माध्यम से गुणवत्तायुक्त विशेषज्ञ पशु चिकित्सा सेवाओं को उपलब्ध कराना।
5. जनपद में स्थापित रोग निदान प्रयोगशालाओं के माध्यम से पशुओं में उत्पन्न होने वाली बीमारियों के निदान हेतु रोगों की जाँच, पैथालोजी की सुविधा उपलब्ध कराना।
6. पशुओं से मानव में फैलने वाली रैबीज जैसी जानलेवा बीमारियों पर नियंत्रण करना।
7. प्रदेश में होने वाली प्रमुख बीमारियों को भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप पर सर्वे का कार्य किया जाना।
8. 'रिण्डरपेस्ट' जैसी घातक बीमारी का पुनः प्रकोप न होने के उद्देश्य से रूट सर्च एवं बिलेज सर्च का कार्य करना।
9. पशुरोग नियंत्रण की योजना (60 प्रतिशत के.पो.) के अन्तर्गत राष्ट्रीय महत्ता के विभिन्न रोगों पर नियंत्रण किया जाना।
10. स्टर्लिटी इन्फर्टीलिटी बीमारियों पर नियंत्रण करना।
11. रोगों के रोकथाम हेतु प्रमुख वैक्सीनों का उत्पादन, जैविक औषधि उत्पादन संस्थान द्वारा, किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही प्रगति पर है।
12. भारत सरकार द्वारा वित्त-पोषित (अनावर्ती-100 प्रतिशत एवं आवर्ती-60 प्रतिशत) ई.एस. बी.एच.डी. योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 प्रदेश में 520 मोबाईल वेटेरिनरी यूनिट की स्थापना कर पशु पालकों के द्वार पर पशुचिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।
13. प्रदेश में लम्पी स्किन डिजीज (एल.एस.डी.) बीमारी की रोकथाम एवं नियन्त्रण हेतु व्यापक कार्यवाही की जा रही है। जिसके सापेक्ष बीमारी की रोक-थाम में सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं।
14. बहुउद्देशीय सचल पशुचिकित्सा सेवायें इसके अन्तर्गत बुन्देलखण्ड के समस्त विकास खण्डीय पशु चिकित्सालयों पर 47 सचल वाहन तथा साथ ही जनपद-मैनपुरी, बलिया एवं बाराबंकी हेतु 01-01 सचल वाहन उपलब्ध कराये गये हैं। इन वाहनों के माध्यम से पशुपालकों के

द्वार पर पशुचिकित्सा एवं पशु विकास सम्बन्धी विविध सुविधाओं को उपलब्ध कराया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा परिषद :-

प्रदेश में पशुचिकित्सा व्यवसाय को नियमित करने तथा पशुपालकों को पशुओं की चिकित्सा स्नातक पशुचिकित्साधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराने तथा उन्हें पशुचिकित्सा की आधुनिक पद्धति की जानकारी देने के ध्येय से भारत सरकार द्वारा पारित भारतीय पशुचिकित्सा अधिनियम-1984 उत्तर प्रदेश द्वारा अंगीकृत किये जाने के पश्चात् इसके अधीन भारत सरकार से उत्तर प्रदेश पशुचिकित्सा परिषद कार्यालय की स्थापना की गई। कार्यालय की स्थापना के उपरान्त से सरकारी तथा गैर सरकारी पशुचिकित्साविदों के पंजीकरण की कार्यवाही की जा रही है।

जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना :-

जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना नेशनल लाईवस्टाक मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में क्रियान्वित है।

योजनान्तर्गत स्वदेशी/संकर दुधारू पशु, भारवाहक पशु (घोड़ा, गधा, खच्चर, ऊँट, टट्टू एवं नर भैसा/सांड़) एवं अन्य पशु (बकरी, भेड़, सूकर, खरगोश आदि) आच्छादित है। इस योजना के अन्तर्गत सब्सिडी का लाभ समस्त पशुओं (भेड़, सूकर एवं खरगोश को छोड़कर) हेतु पशु प्रति लाभार्थी प्रति परिवार तक सीमित रहेगा। भेड़, बकरी, सूकर एवं खरगोश के लिये पशु इकाई को भेड़/बकरी /सूकर/खरगोश के बराबर माना जायेगा। सब्सिडी का लाभ पशु इकाई प्रति लाभार्थी प्रति परिवार तक सीमित रहेगा। यदि लाभार्थी के पास से कम पशु/ पशु इकाई है तो भी उसे सब्सिडी लाभ प्राप्त होगा। जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना जी.एस.टी. से मुक्त है।

पशु विकास कार्यक्रम अन्तर्गत चालू योजनाएँ/नवाचार योजनाएँ :-

1. पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु आरोग्य शिविर/मेला (मण्डल स्तर) की योजना।
2. पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु आरोग्य शिविर/मेला (न्याय पंचायत स्तर) की योजना।
3. पशु/भैंसों में अनुर्वरता एवं बांझपन निवारण की योजना (राज्य योजना)।
4. डेयरी किसानों को पशु आहार एवं खनिज मिश्रण/पूरक आहार (नई मांग) 2025-26 से वितरण की योजना।
5. कृत्रिम गर्भाधान की योजना (रा.यो.)
6. अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र की योजना।
7. जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना
8. गोवंशीय पशुओं में सेक्स्ड सॉर्टेड सीमेन की योजना।
9. प्रक्षेत्र एवं डी.फ.एस. केन्द्रों पर वीर्य स्टाज विपणन केन्द्र की स्थापना (राजस्व)
10. प्रक्षेत्र एवं डी.फ.एस. केन्द्रों पर वीर्य स्टाज विपणन केन्द्र की स्थापना (पूँजीगत)
11. अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, रहमान खेड़ा, लखनऊ पर बोवाइन पशुओं में सैक्स्ड/

सॉर्टेड सीमैन के उपयोग की योजना (राज्य योजना)।

12. जनपद बरेली में पशु उत्थान वर्ण संकर केन्द्र योजना (राज्य योजना)।
13. ई.एस.वी.एच.डी. मोबाइल वेटरिनरी यूनिट अन्तर्गत क्रायोकेन उपलब्ध कराने की योजना राजस्व मद।
14. विकास खण्ड स्तर पर आई.टी. इनैबल्ड गर्भ परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित कराने जाने की योजना (रा.यो.)।
15. जनपद स्तर पर कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं के लिए तरल नत्रजन की उपलब्धता हेतु क्रायोवेसल लगाये जाने की योजना (रा.यो.) राजस्व मद।

पशुपालन विभाग उ.प्र. चारा नीति (2024-29) :-

पशुपालन विभाग उ.प्र. चारा नीति (2024-29) को निम्न उद्देश्य की पूर्ति हेतु लागू किया गया है :

1. प्रदेश में चारा उत्पादन में वृद्धि करना।
2. प्रदेश में वर्ष-पर्यन्त गुणवत्तापरक व पौष्टिक चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना।
3. पशुओं की उत्पादकता बढ़ाकर कृषकों की आय में वृद्धि करना।
4. प्रदेश में चारा के क्षेत्र में उद्यमिता एवं क्षमता विकास करना।
5. प्रदर्शन/प्रशिक्षण/जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से चारा फसलों के विकास एवं प्रसार के क्षेत्र में वृद्धि करना।
6. चारे को संरक्षित कर आपदा की स्थिति में उपयोग में लाने हेतु एवं साइलेज के रूप में तैयार कर उपयोग करने हेतु कृषकों को जागरूक करना।

प्रचार प्रसार तथा प्रशिक्षण :-

प्रदेश में संचालित विभिन्न पशुपालन के कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार अति आवश्यक है इसका मुख्य उद्देश्य पशुपालकों को नवीनतम तकनीकी को ग्राह्य करवाना तथा जन सामान्य को पशुधन पदार्थों की उपलब्धता बढ़ाना है। इसके साथ ही प्राचीन रूढ़ियों को समाप्त कर पशुपालन के विभिन्न आयामों को लाभप्रद दिशा प्रदान करना है।

उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निम्न कार्यक्रमों का प्रचार एवं प्रसार किया जा रहा है :-

1. अखिल भारतीय पशुधन एवं कुक्कुट प्रदर्शनी तथा अन्य पशुधन प्रदर्शनियों में भाग लेना।
2. मंडल/जनपद स्तर की पशुधन प्रदर्शनियों, पशुपालन, गोष्ठियों का आयोजन।
3. प्रचार प्रसार साहित्य का प्रकाशन, प्रेक्ष्य निर्माण एवं प्रदर्शन आदि।
4. गोष्ठी पशुपालक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन।

●

दुग्ध विकास

दुग्ध विकास विभाग की स्वतंत्र रूप से स्थापना वर्ष में हुई। इससे पूर्व दुग्ध विकास कार्यक्रम सहकारिता विभाग का एक अंग था। वर्ष में ही राज्य दुग्ध परिषद का गठन उ0प्र0 दुग्ध अधिनियम की धारा- के अधीन एक निगमित निकाय के रूप में किया गया। इसका प्रमुख कार्यकलाप मुख्यतः दुग्ध संघों को आर्थिक एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना, क्षेत्र आरक्षण, दुग्ध मूल्य निर्धारण एवं दुग्ध उत्पाद विनियमन आदेश लागू करना आदि निर्धारित किया गया।

प्रारम्भ में दुग्ध विकास कार्यक्रम के प्रभावी संचालन हेतु वर्ष में प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन (पी0सी0डी0एफ0) को एक शीर्ष दुग्ध सहकारी संस्था के रूप में उ0प्र0 सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत गठन किया गया, जिसके द्वारा शिशु दुग्ध आहार, निर्माणशाला, मुरादाबाद की स्थापना कर उसका संचालन प्रारम्भ किया गया।

दुग्ध विकास कार्यक्रम को गतिशीलता प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन फ्लड योजना वर्ष - से प्रदेश के जनपदों में चलाई जानी प्रस्तावित हुई, योजना संचालन के प्रारम्भिक चरण में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु पी0सी0डी0एफ0 को क्रियान्वयन एजेन्सी घोषित किया गया। मात्र तीन जनपद वाराणसी, मेरठ तथा आंशिक रूप से बलिया में वर्ष से ऑपरेशन फ्लड योजना प्रारम्भ की गयी। इसके बाद ऑपरेशन फ्लड द्वितीय चरण का कार्यक्रम वर्ष - से - तक तथा ऑपरेशन फ्लड तृतीय चरण वर्ष - तक चला। इसके अन्तर्गत दुग्ध उपार्जन की प्रबल सम्भावनाओं से युक्त प्रदेश के जनपदों का चयन कर उनमें दुग्ध संघों का गठन कर ऑपरेशन फ्लड योजना को क्रियान्वित किया गया।

प्रदेश के शेष जनपदों, जो दुग्ध उपार्जन के क्षेत्र में अपेक्षाकृत पिछड़े हुए थे, को नान ऑपरेशन फ्लड योजना के अन्तर्गत आच्छादित कर उनके विकास हेतु दुग्ध विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन वर्ष से (राज्य दुग्ध परिषद द्वारा) प्रारम्भ किया गया।

वर्तमान में सहकारिता के माध्यम से दुग्ध विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु प्रादेशिक कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि0, लखनऊ क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में कार्यरत है, जिसके माध्यम से सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों के दुग्ध संघों का विलयन करते हुए दुग्ध संघों के माध्यम से दुग्धशाला विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अन्तर्गत सहकारी दुग्ध समितियों का गठन, पुनर्गठन, उनसे दुग्ध उपार्जन व प्रक्रिया उपरान्त नगरीय उपभोक्ताओं को दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। समितियों के दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी निवेश सेवाएं, कृत्रिम गर्भाधान व पशु स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध करायी

जाती हैं, ताकि दुग्ध उत्पादन में तदनुसार वृद्धि सुनिश्चित होने के साथ दुग्ध उत्पादकों की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हो।

दुग्ध विकास विभाग के उद्देश्यः-

दुग्ध विकास विभाग का मूल उद्देश्य प्रदेश के ग्रामीण अंचलों के निर्बल वर्ग के कृषकों, कृषक मजदूरों एवं भूमिहीनों को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके गाँव में ही दुग्ध सहकारिताओं का गठन कर उनके ही माध्यम से दुग्ध उपार्जन से संबंधित कार्यकम लागू कर उन्हें अतिरिक्त रोज़गार प्रदान करना एवं अधिकतम दुग्ध उपार्जन कर नगरीय क्षेत्र तथा अन्य उपभोक्ताओं को स्वच्छ, शुद्ध एवं विसंक्रमित दूध एवं विभिन्न प्रकार के दुग्ध उत्पादों को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना है।

विभाग के कार्यकलापः-

विभाग द्वारा संचालित किये जा रहे विभिन्न कार्यकलाप मुख्य रूप से निम्नानुसार तीन भागों में विभाजित हैं :-

(क) **रेग्यूलेटरी कार्यकलाप**- इसके अन्तर्गत विभिन्न नियम/अधिनियम लागू करना, यथा- सहकारी समितियों का निबन्धन, ऑडिट, पंजीयन, निरीक्षण, इंजीनियरिंग आदि कार्य सम्मिलित हैं।

(ख) **विकास संबंधी कार्य**- प्रदेश में दुग्धशाला विकास के साथ-साथ दुग्ध उत्पादन में वृद्धि कराना।

(ग) **व्यावसायिक** क्रम- दुग्ध उपार्जन एवं विपणन का क्रियान्वयन दुग्ध सहकारिताओं के माध्यम से कराना।

राज्य दुग्ध परिषद का गठनः-

"उत्तर प्रदेश दुग्ध अधिनियम, " की धारा- के अन्तर्गत एक निगमित निकाय के रूप में "उ0प्र0 राज्य दुग्ध परिषद" का गठन किया गया जिसे प्रदेश में दुग्धशाला विकास कार्यकम को गतिशील बनाने का दायित्व सौंपा गया। इस संगठन द्वारा लाइसेसिंग कार्यों के साथ-साथ दुग्धशाला विकास कार्यक्रमों में भी गति प्रदान की गयी। परिषद को प्रथम बार वर्ष में गैर ऑपरेशन फ्लड जनपदों, जिन्हें दुग्ध परिषद जनपद कहा गया, में दुग्धशाला विकास कार्यकमों को संचालित करने हेतु क्रियान्वयन एजेन्सी घोषित किया गया। इस प्रकार दुग्ध संघों पर प्रभावी नियंत्रण के फलस्वरूप विकास कार्यों में आशातीत सफलता मिली। वर्ष में दुग्ध विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन व व्यावसायिक कार्यों का संचालन समान रूप से ऑपरेशन फ्लड जनपदों एवं गैर ऑपरेशन फ्लड जनपदों में करने हेतु प्रादेशिक को-ऑपरेटिव डेरी फेडरेशन को क्रियान्वयन एजेन्सी घोषित किया गया। परिषद के कार्यकलापों में क्षेत्र आरक्षण, दुग्ध मूल्य निर्धारण एवं दुग्ध उत्पाद विनिमय आदेश लागू करना मुख्य है।

राज्य योजनायें/जिला योजनायें:-

1. सूचना तकनीक एवं कम्प्यूटरीकरण योजनाः-

इस योजना में दुग्धशाला विकास विभाग के जनपदीय/ मण्डलीय कार्यालयों तथा दुग्ध आयुक्त कार्यालय के क्रियाकलापों को आधुनिक पद्धति पर एकरूपता लाने हेतु संचार व्यवस्था व कम्प्यूटरीकरण व्यवस्था करते हुए मुख्यालय से सभी संस्थानों/कार्यालयों में नेटवर्क स्थापित किये जाने का कार्यक्रम आच्छादित है।

2. दुग्ध उत्पादक सदस्यों को सहकारिताओं के अन्तर्गत प्रोत्साहित करना (गोकुल पुरस्कार)

इस योजना के अन्तर्गत दुग्ध सहकारिताओं से सम्बद्ध दुग्ध उत्पादकों को उनके मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने एवं दुधारू पशुओं के अच्छे रख-रखाव हेतु प्रोत्साहित कर अधिक दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश के जनपदों में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादित कर दुग्ध समिति के माध्यम से दुग्ध संघों को सर्वाधिक दूध विक्रय करने वाले दुग्ध उत्पादक को जनपद स्तर पर रु. नकद एवं प्रदेश स्तर पर सर्वाधिक दुग्ध उत्पादित करने वाले प्रथम दो दुग्ध उत्पादकों को प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार क्रमशः रु. . लाख, रु. . लाख नकद तथा गाय-बछड़ा के साथ श्रीकृष्ण की मूर्ति/शील्ड प्रदान की जाती है।

3. नन्द बाबा पुरस्कारः-

"देशी नस्ल की गाय के माध्यम से दुग्ध उत्पादन करने वाले दुग्ध उत्पादक सदस्यों को सहकारिता के अन्तर्गत प्रोत्साहित करना (नन्द बाबा पुरस्कार)" के अन्तर्गत वर्ष - के आधार पर प्रदेश के जनपदों में सहकारी दुग्ध समितियों को सर्वाधिक देशी नस्ल की गाय के दुग्ध की आपूर्ति करने वाले दुग्ध उत्पादकों को (नन्द बाबा पुरस्कार) से सम्मानित किया जाना प्रस्तावित है।

इस योजना में देशी नस्ल की गाय से सर्वाधिक दूध, दुग्ध समितियों के माध्यम से दुग्ध संघ को वर्ष में कम से कम ली. दूध का विक्रय करने वाले उत्पादक को नन्द बाबा पुरस्कार वितरण हेतु विकास खण्ड स्तर/जनपद स्तर/राज्य स्तर पर क्रमशः धनराशि रु. . , रु. . रु. . पुरस्कार तथा प्रत्येक लाभार्थी को प्रमाण-पत्र एवं प्रतीक चिन्ह के रूप में पीतल की धातु पर भारतीय गोवंश की गाय एवं बछड़े के साथ नन्द बाबा की मूर्ति पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है।

4. उ0प्र0 राज्य दुग्ध परिषद को वित्तीय सहायताः-

उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद के संचालन एवं सुदृढ़ किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष - में उक्त मद में अनुदान संख्या- में रु. . लाख का बजट प्राविधान है। जिसके सापेक्ष रु. . लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत हो चुकी है।

5. दुग्ध संघों/समितियों के सुदृढ़ीकरण, पुनर्गठन एवं विस्तार (जिला योजना सामान्य/एस0सी0पी0):-

इस योजना का मुख्य उद्देश्य दुग्ध उत्पादन में दुग्ध उत्पादक सदस्यों की भागीदारी बढ़ाने हेतु दुग्ध संघों/समितियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है। इसके अन्तर्गत ग्रामीण अंचलों में दुग्ध सहकारी समितियों को गठित व बन्द दुग्ध समितियों को पुनर्गठित कर ग्रामीण दुग्ध समितियों को संचालित करने के लिए कार्यशील पूँजी, प्रबन्धकीय अनुदान, यातायात अनुदान, हेड लोड अनुदान दुग्ध केन्द्रों एवं समिति पर वांछित अन्य आवश्यक उपकरण वाहन, दुग्धशाला/अवशीतन केन्द्रों की स्थापना, विस्तार एवं भूमि क्रय आदि की व्यवस्था है।

6. दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी निवेश योजना (जिला योजना) (सामान्य/एस0सी0पी0):-

इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश की समस्त दुग्ध समितियों के दुग्ध उत्पादकों के दुधारू पशुओं को तकनीकी निवेश सुविधाएं (पशु प्रजनन एवं पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम) यथा डीवार्मिंग, प्रचार-प्रसार, काफरैली आदि सुविधा उपलब्ध कराते हुए उनके पशुओं के स्वास्थ्य, नस्ल सुधार करके दुग्ध उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाया जाना है।

तकनीकी निवेश कार्यक्रम के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादकों के पशुओं के बेहतर पशु प्रबन्धन पोषण व स्वस्थ रखने के दृष्टिगत पशुआहार, डिवर्मर, मैस्ट्राइटिस से बचाव व टिक कन्ट्रोल की दवायें वितरित की जाती है।

7. कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम (सामान्य/एस0सी0पी0):-

दुग्ध विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित सहकारी प्रशिक्षण संस्थाओं में ए0आई0 कार्यकर्ता, प्रबन्ध कमेटी सदस्य, ए0आई0 रिफ्रेसर, प्रोग्रेसिव प्रोडयूसर, क्लीन मिल्क प्रोडयूसर, मार्केटिंग स्टाफ, ए0एम0सी0यू0 व बी0एम0सी0 ऑपरेटर, कार्मिकों व प्रबन्धकों आदि के प्रशिक्षण कार्य आच्छादित है, साथ ही उपभेक्ताओं एवं दुग्ध उत्पादकों के जागरूकता हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किये जा रहे हैं।

8. उ0प्र0 दुग्ध नीति 2018:-

शासनादेश दिनांक जून द्वारा उ0प्र0 दुग्ध नीति- लागू की गयी है। दुग्ध नीति के द्वारा प्रदेश में ग्रामीण अंचल के किसानों को दुग्ध व्यवसाय में अभिरुचि पैदा कर स्वरोज़गार में स्थापित करना, दुग्ध उत्पादकों के हितों की रक्षा करना, दुग्ध उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता के दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ उपलब्ध कराना, नये रोज़गार का सृजन करना तथा दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करने के लिए अवस्थापना सुविधाओं का विकास, पूँजी निवेश एवं तकनीकी उन्नयन का प्रोत्साहन, मानव संसाधन विकास, बाजार विकास, अनुसंधान एवं विकास प्रोत्साहन, गुणवत्ता एवं प्रमाणीकरण तथा अनुदान, ऋण एवं रियायतें आदि कार्यक्रम सन्निहित हैं।

9. उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन नीति-2022:-

उत्तर प्रदेश शासन दुग्ध विकास अनुभाग- की अधिसूचना दिनांक अक्टूबर, द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति- जो प्रख्यापन तिथि से पाँच वर्ष तक की अवधि तक प्रभावी रहेगी। उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति- के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित होने वाले दुग्ध उद्योग की इकाइयों को अनुमन्य वित्तीय अनुदान एवं रियायतें, मानव संसाधन विकास, डेडीकेटेड पोर्टल एवं डेटाबेस मैनेजमेन्ट एण्ड प्रोजेक्ट फैसिलिटेशन सेन्टर प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन लि. (पी0सी0डी0एफ0) का सुधार आदि कार्यक्रम सन्निहित है।

10. मथुरा में नवीन डेयरी की स्थापनाः-

जनपद मथुरा में प्रस्तावित . लीटर प्रतिदिन क्षमता (विस्तारीकरण लाख लीटर प्रतिदिन) के नवीन डेरी प्लान्ट की स्थापना हेतु शासन द्वारा मै. आई0डी0एम0सी0 लि0, गुजरात को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। दिनांक 21.10.2024 को पीआईवी की 97वीं बैठक में मथुरा डेयरी प्रयोजना के सम्बन्ध में प्रस्तावित लागत रु. 72.01 करोड़ के सापेक्ष आंकलित लागत रु. 67.3219 करोड़ पर संस्तुति प्रदान की गयी है।

11. पीसीडीएफ के कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु पीसीडीएफ को ऋणः-

वित्तीय वर्ष - में उक्त मद में अनुदान संख्या- में रू. . लाख का आय-व्ययक प्राविधानित है।

12. नन्द बाबा दुग्ध मिशनः-

लोक कल्याण संकल्प पत्र में नन्द बाबा दुग्ध मिशन के संचालन के सम्बन्ध में संकल्प लिया गया है-

"हम अगले 05 वर्षों में रु. 1000.00 करोड़ की लागत द्वारा प्रदेश को नन्द बाबा दुग्ध मिशन के अन्तर्गत, दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य बनाये रखेंगे। इसके लिये हम गाँवों में दुग्ध सहकारी समितियाँ गठित कर दुग्ध उत्पादकों को गाँव में ही उनके दूध के उचित मूल्य पर विक्रय की सुविधा उपलब्ध करायेंगे।"

मिशन के अन्तर्गत स्वदेशी नस्ल की गायों दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि/नस्ल सुधार के साथ-साथ प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने, पशुपालकों द्वारा उत्पादित दूध के विक्रय की सुविधा उपलब्ध कराना तथा पशुपालकों को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न योजनाएं वर्तमान में क्रियान्वयन की जा रही है। वित्तीय वर्ष - में महत्वपूर्ण योजनाओं के संचालन का निर्णय लिया गया है, जो निम्नवत् हैं-

. नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना,

. मिनी नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना,

. मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना,

. प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में 4000 प्रारम्भिक दुग्ध सहकारी समितियों का गठन,

. मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना,

. डेयरी हितधारकों के लिए प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता उन्नयन योजना,

. पशु स्वास्थ्य एवं दुग्ध गुणवत्ता परीक्षण किट,

. राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अन्तर्गत संचालित ए0बी0आई0पी0-आई0वी0एफ0 योजना में गैप फण्डिंग,

. अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र रहमानखेड़ा लखनऊ में बोवाईन पशुओं में सेक्सड/सार्टेड सीमेन उत्पादन की परियोजना के निर्माण हेतु गैप फण्डिंग।

. डिजीटाइजेशन ऑफ ए.आई. सर्विसेज फॉर इन्श्योर्ड प्रेग्नेन्सी इन कैटिल।

. स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेन्ट यूनिट का संचालन।

. 18 मण्डल मुख्यालय जनपदों में डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजमेन्ट यूनिट का संचालन।

●

मत्स्य विकास

मत्स्य विकास कार्यों को सुनियोजित रूप से सम्पादित किये जाने की दृष्टि से वर्ष में उ0प्र0 मत्स्य विभाग की स्थापना पशुपालन विभाग के अन्तर्गत की गयी थी। वर्ष में मत्स्य विभाग, पशुपालन विभाग से पृथक हुआ और स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना अवधि में जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् कुछ तालाब मत्स्य विभाग को हस्तान्तरित हुए, जिनमें विकास कार्य प्रारम्भ किया गया। मत्स्य विकास कार्यों को छठी पंचवर्षीय योजना में मत्स्य पालक विकास अभिकरणों की स्थापना के बाद विशेष गतिमयता प्राप्त हुयी। प्रदेश में मत्स्य बीज की बढ़ती माँग की पूर्ति के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम के द्वारा बड़े आकार की हैचरियों की स्थापना करायी गयी। वीं पंचवर्षीय योजना में प्रदेश के सभी जनपदों में मत्स्य पालक विकास अभिकरणों की स्थापना करायी गयी और अभिकरणों के माध्यम से मत्स्य पालकों को तालाबों के सुधार/नये तालाबों के निर्माण तथा प्रथम वर्ष के उत्पादन निवेशों हेतु बैंकों से ऋण व शासकीय अनुदान, अल्पकालीन प्रशिक्षण व निःशुल्क तकनीकी जानकारी की सुविधा उपलब्ध करायी जाती थी। वित्तीय वर्ष - में माह-जून, तक यह योजना संचालित थी। भारत सरकार द्वारा वर्ष - में उपरोक्त समस्त केन्द्र पुरोनिधानित/केन्द्र पोषित योजनाओं को एक छतरी में लाते हुए नयी सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम "ब्लू रिवोल्यूशनः इन्टीग्रेटेड डेवलपमेन्ट एण्ड मैनेजमेन्ट आफ फिशरीज योजना" संचालित रही। इसके पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष - में इस योजना के स्थान पर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (**पी.एम.एम.एस. वाई.**) आरम्भ की गयी है, जिसके अन्तर्गत मत्स्य विकास की विभिन्न परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं।

विभाग के मूल उद्देश्य व कार्यक्रमों की भौतिक प्रगतिः-

विभाग द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों का मूल उद्देश्य प्रदेश में उपलब्ध जल संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए मत्स्य उत्पादन के साथ-साथ रोजगार के अतिरिक्त साधनों का सृजन तथा स्वरोजगार के संसाधन उपलब्ध कराना है। इसके अतिरिक्त मछुआ तथा मत्स्य पालन से जुड़े व्यक्तियों को उनके सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु दुर्घटना बीमा/ऋण आदि की सुविधाएं भी सुलभ करायी जाती हैं। इसी प्रकार मत्स्य पालकों की आय में वृद्धि लाये जाने तथा उद्यमिता के विकास हेतु मत्स्य पालन विविधीकरण के अभिनव कार्यक्रम संचालित कराये जा रहे हैं।

प्रदेश में उपलब्ध वृहद एवं मध्यमाकार जलाशयों, प्राकृतिक झीलों तथा ग्रामीण अंचलों के तालाबों का कुल . लाख हेक्टेयर जलक्षेत्र उपलब्ध है।

1. ग्रामीण अंचल में मत्स्य पालन को बढ़ावाः-

भारत सरकार द्वारा वर्ष - से ब्लू रिवोल्यूशनः इन्टीग्रेटेड डेवलपमेन्ट एण्ड मैनेजमेन्ट ऑफ फिशरीज योजना के स्थान पर **प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)** आरंभ की गयी, जिसके अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों यथा-निजी क्षेत्र में तालाब निर्माण, खारे पानी में मत्स्य पालन, रियरिंग तालाबों का निर्माण, बायोफ्लाक पॉण्ड का निर्माण, रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम यूनिटों की स्थापना, मत्स्य हैचरियों की स्थापना, मोटर साइकिल विद आइस बाक्स, साइकिल विद आइस बाक्स, थ्री-व्हीलर विद आइस बाक्स, इन्सुलेटेड वाहन, फिश फीड मिलों की स्थापना, फिश फीड प्लान्ट तथा कियोस्क का निर्माण आदि का मानकीकरण करते हुए प्रदेश में मत्स्य विकास हेतु परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। जलाशयों से मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि लाने के लिए विभाग द्वारा केज कल्चर (पिजड़ों में मत्स्य पालन) के माध्यम से मत्स्य पालकों/व्यवसायियों को इस विधि को अपनाने हेतु प्रेरित किया जा रहा है जिसके अनुकूल परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। केन्द्र सरकार द्वारा लाभार्थीपरक उपयोजनाओं में परियोजना हेतु निर्धारित इकाई लागत की अधिकतम सीमा के सापेक्ष सामान्य वर्ग के लाभार्थी को परियोजना लागत का प्रतिशत केन्द्रीय सहायता, प्रतिशत राज्यांश तथा प्रतिशत सम्बन्धित लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किये जाने तथा महिला एवं अनुसूचित जाति/जनजाति लाभार्थी को परियोजना लागत का प्रतिशत केन्द्रीय सहायता, प्रतिशत राज्यांश तथा प्रतिशत सम्बन्धित लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किये जाने की व्यवस्था की गयी है। वर्ष - में मत्स्य उत्पादकता का स्तर कि0ग्रा0/हेक्टेयर/वर्ष था, जिसको वर्ष - में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से कि0ग्रा0/हेक्टेयर/वर्ष के स्तर तक पहुंचाए जाने का लक्ष्य है। वर्ष - में मत्स्य उत्पादकता का लक्ष्य कि0ग्रा0/हेक्टेयर/वर्ष प्रस्तावित है।

2. मत्स्य बीज उत्पादन एवं वितरणः-

तालाबों में उत्तम मत्स्य प्रजातियों के गुणवत्तायुक्त मत्स्य बीज का संचय मत्स्य पालन कार्यक्रम की सफलता के लिए नितान्त आवश्यक है। मत्स्य बीज उत्पादन का कार्य मत्स्य विकास निगम द्वारा निर्मित बड़े आकार की हैचरियों, मत्स्य विभाग के प्रक्षेत्रों एवं निजी क्षेत्र में स्थापित छोटे आकार की हैचरियों द्वारा किया जा रहा है तथा प्रदेश को मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में स्वावलम्बी बनाने हेतु निजी क्षेत्र में मिनी हैचरियों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वर्ष - में . लाख मत्स्य बीज वितरण कराये जाने का लक्ष्य प्रस्तावित है। वर्ष - में . लाख मत्स्य बीज संचय कराये जाने का लक्ष्य प्रस्तावित है।

3. जलाशयों में मत्स्य विकासः-

मत्स्य विकास व मत्स्याखेट की दृष्टि से भारत सरकार एवं राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड के मैनुअल के अनुसार जलाशयों को क्षेत्रफल के आधार पर श्रेणी में विभक्त किया गया है तथा उन्हें वर्ष हेतु ई-निविदा/निविदा के माध्यम से निस्तारित किये जाने की व्यवस्था है। श्रेणी एवं के जलाशयों का ठेका उच्चतम ई-निविदा पर पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति/ ठेकेदार को ई-निविदा पद्धति से दिये जाने की व्यवस्था है। श्रेणी- के जलाशयों तथा श्रेणी- के विभागीय

तालाबों के निस्तारण की प्रक्रिया के प्रथम चक्र में पंजीकृत मत्स्य जीवी सहकारी समितियों के मध्य निस्तारित किये जाने तथा वांछित मूल्य प्राप्त न होने की दशा में समितियों के साथ-साथ ठेकेदारों को भी सम्मिलित किये जाने एवं उच्चतम निविदा के माध्यम से ठेका दिये जाने की व्यवस्था है।

इन जलाशयों/तालाबों का निस्तारण ई-निविदा/निविदा के माध्यम से कराये जाने हेतु विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है। मत्स्य विभाग की प्रबन्ध व्यवस्था में जलाशय एवं तालाब हैं। उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 के तथा उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 के जलाशय हैं। जलाशयों में मत्स्य उत्पादन वृद्धि हेतु जलाशयों में केज कल्चर की परियोजना संचालित की जा रही है।

4. मछुआ समुदाय के कल्याणार्थ कार्यक्रमः-

पिछड़े तथा आर्थिक रूप से कमजोर मछुआ समुदाय के आर्थिक व सामाजिक उत्थान हेतु मत्स्य जीवी सहकारी समितियों का गठन व पंजीकरण एवं मछुआ दुर्घटना बीमा योजना क्रियान्वित की जा रही है। प्रदेश में प्राथमिक समितियां, जनपद स्तरीय संघ एवं प्रदेशीय संघ की स्थापना की गयी है। प्रदेश में मछुआ दुर्घटना बीमा योजना वर्ष - से प्रारम्भ की गयी है। योजनान्तर्गत आच्छादित सदस्यों की दुर्घटनावश मृत्यु/स्थाई अपंगता की दशा में रु. . लाख तथा दुर्घटना में आंशिक स्थाई अपंग होने की दशा में रु. . लाख बीमित राशि का भुगतान किया जाता था। वर्ष - में यह योजना प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) में समाहित कर ली गयी है तथा भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड को नोडल एजेन्सी नामित किया गया है। योजनान्तर्गत आच्छादित सदस्यों की दुर्घटनावश मृत्यु/स्थाई अपंगता की दशा में रु. . लाख, दुर्घटना में आंशिक स्थाई अपंग होने की दशा में रु. . लाख तथा दुर्घटना के पश्चात अस्पताल में उपचार हेतु रु. . लाख बीमित राशि का भुगतान किया जाता है। वर्ष - में बीमा धनराशि का प्रीमियम रु. . (रु. . भारत सरकार व रु. . राज्य सरकार) प्रति व्यक्ति निर्धारित है। वर्ष - में कुल मत्स्य पालकों को आच्छादित किया गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत मछुआ समुदाय के लिए सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना में अब तक कुल प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिन्हें नोडल एजेन्सी राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड को अग्रसारित किया गया है, जिसके अनुमोदन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

5. मत्स्य उत्पादनः-

प्रदेश में वर्ष - में मत्स्य उत्पादन का स्तर . लाख मी0 टन था। वर्ष - में वार्षिक लक्ष्य . लाख मी0 टन के सापेक्ष दिसम्बर तक . लाख मी0 टन मत्स्य उत्पादन किया गया है। वर्ष - में मत्स्य उत्पादन का स्तर . लाख मी0 टन प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0):-

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को प्रतिशत अनुदान धनराशि अनुमन्य है जिसमें केन्द्रांश प्रतिशत व राज्यांश प्रतिशत

सम्मिलित है। महिला, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को अनुदान धनराशि प्रतिशत जिसमें केन्द्रांश प्रतिशत व राज्यांश प्रतिशत सम्मिलित है, की अनुदान सहायता निर्धारित है। अवशेष धनराशि लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन की जायेगी। यह योजना प्रोजेक्ट/डी0पी0आर0 आधारित है। इस योजना के संचालन हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक परियोजना की विस्तृत योजना विवरण (डी0पी0आर0) बनाते हुए लाभार्थीपरक योजना हेतु लाभार्थी द्वारा कार्य कराये जाने की व्यवस्था है।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत योजना प्रारम्भ से लेकर अब तक 2099.32 हेक्टेयर तालाब निर्माण, 86.14 हेक्टेयर खारे पानी में तालाब निर्माण, 282.30 हेक्टेयर रियरिंग यूनिट का निर्माण, 203 बृहद आर.ए.एस., 225 मध्यमाकार आर.ए.एस., 608 लघु आर.ए.एस., 46 इन्सुलेटेड वाहन, 318 मोटर साइकिल विथ आइसबाक्स, 2225 साइकिल विथ आइसबाक्स, 102 थ्री व्हीलर विथ आइसबाक्स, 86 लघु फीड मिल, 35 मध्यमाकार फीड मिल, 21 वृहद फीड मिल, 06 फीड प्लान्ट, 65 हैचरियों का निर्माण, 65 कियोस्क की स्थापना, 1397 बैकयार्ड आर.ए.एस., 1003 बायोफ्लॉक पॉण्ड, 08 पेन कल्चर, 04 मोबाइल लैब की स्थापना, आइस प्लान्ट 01, बैकयार्ड सजावटी मछली रियरिंग यूनिट 02, मीडियम स्केल सजावटी मछली रियरिंग यूनिट 02, इन्टीग्रेटेड सजावट मछली यूनिट 01, मत्स्य सेवा केन्द 01, तथा 89 जिन्दा मछली विक्रय केन्द्र का निर्माण/स्थापना करायी जा चुकी है।

मछुआ समुदाय के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु सहकारी समितियों का गठनः-

मत्स्य व्यवसाय से जुड़े मछुआ समुदाय के व्यक्तियों के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर में सुधार लाने हेतु सहकारिता के माध्यम से उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से त्रिस्तरीय ढांचा तैयार किया गया है। प्रदेश स्तर पर मत्स्य जीवी सहकारी संघ, जनपद स्तर पर जिला सहकारी मत्स्य विकास एवं विपणन फेडरेशन तथा न्याय पंचायत स्तर पर प्राथमिक मत्स्य जीवी सहकारी समितियाँ गठित की गई हैं। वर्तमान में प्राइमरी समितियाँ, जिला फेडरेशन व प्रादेशिक मत्स्य सहकारी संघ प्रदेश में कार्यरत हैं।

मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनाः-

प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में स्थित ग्राम सभा के उथले एवं अव्यवस्थित पट्टे के तालाबों में मत्स्य पालन का कार्य स्थानीय मछुआरों व पट्टाधारकों द्वारा वर्तमान में परम्परागत तरीके से किया जा रहा है, जिसके कारण उन तालाबों की वार्षिक मत्स्य उत्पादकता मात्र - कुं./हे. है। इन तालाबों का मनरेगा कन्वर्जेन्स के माध्यम से सुधार कराते हुए मत्स्य पालन हेतु प्रथम वर्ष निवेश द्वारा अनुदान धनराशि उपलब्ध कराते हुए मत्स्य उत्पादकता को कुं. प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष तक बढ़ाकर ग्राम सभा के तालाबों के पट्टाधारकों व मछुआरों की आय में वृद्धि व उनकी आर्थिक व सामाजिक उत्थान किये जाने के उद्देश्य से प्रदेश में मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना संचालित है। इस योजना के तहत निम्नलिखित दो परियोजनाएं संचालित हैं-

(क) मनरेगा कनवर्जेन्स के माध्यम से सुधारे गये ग्राम सभा के पट्टे के तालाबों में मत्स्य बीज बैंक की स्थापना की योजना।

(ख) मनरेगा कनवर्जेन्स के माध्यम से सुधारे गये ग्राम सभा के पट्टे के तालाबों में प्रथम वर्ष निवेश पर अनुदान की योजना।

इन दोनों परियोजनाओं में समस्त वर्गों को अधिकतम . हे. तक परियोजना लागत का प्रतिशत अनुदान देय है। परियोजना की कुल इकाई लागत रु. . लाख प्रति हे. है, जिस पर कुल प्रतिशत अर्थात रु. . लाख अनुदान अनुमन्य है तथा शेष प्रतिशत अर्थात रु. . लाख लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जाता है।

निषादराज बोट योजनाः-

प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में निवास करने वाले मछुआ समुदाय के ग्राम सभा के तालाबों के पट्टाधारकों/मछुआरों को नाव क्रय हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार प्रदान किये जाने हेतु प्रदेश में निषादराज बोट योजना संचालित है।

उक्त योजनान्तर्गत मछुआ समुदाय के ग्राम सभा के तालाबों के पट्टाधारकों/मछुआरों को जलस्रोतों से मत्स्य आखेट, मत्स्य आहार के पोषण एवं मत्स्य संपदा के रखरखाव व प्रबन्धन हेतु उन्हें नाव, जाल आदि उपलब्ध कराये जाने की नवीन योजना संचालित की जा रही है, जिसमें परियोजना की अधिकतम इकाई लागत रु. . लाख निर्धारित की गयी है। प्रतिवर्ष उक्त सामग्री के क्रय मूल्य में संभावित वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए आगामी वित्तीय वर्षों में प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए योजना के पांचवे वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 2026-27 में इकाई लागत में कुल 20 प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस योजना से ऐसे मत्स्य पट्टाधारकों/मछुआरों, जिनकी आजीविका मात्र मत्स्य आखेट पर ही निर्भर है और निर्धनता के कारण नाव क्रय करने में असमर्थ हैं, को नाव क्रय करने हेतु प्रतिशत अनुदान के रूप में आर्थिक सहायता देय है।

ई गवर्नेन्स के क्रियान्वयन की प्रगतिः-

समस्त जनपदों से ई-मेल, व्हाटसएप और एस0एम0एस0 के माध्यम से विभिन्न पटलों द्वारा सूचनाएं प्राप्त करने व भेजने की सुविधा है। मत्स्य पालकों की सुविधा एवं समस्या निवारण हेतु हेल्पलाइन नम्बर- - की भी सुविधा दी गयी है। किसानों को योजनाओं की जानकारी हेतु विभागीय वेबसाइट http isheries.up.gov.in विकसित करायी गयी है। जिसके माध्यम से मत्स्य विभाग की समस्त योजनाओं को आनलाइन करने, उनका एम0आई0एस0 साफ्टवेयर विकसित करने, आम जनमानस को विभाग की योजनाओं का लाभ प्राप्त कराने के साथ-साथ विभाग की समस्त योजनाओं में लाभार्थियों को भुगतान डी0बी0टी0 के माध्यम से किया जा रहा है।

भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं अनुशासनात्मक कार्यवाहीः-

भ्रष्टाचार उन्मूलन से संबंधित विभाग में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है। उक्त के अतिरिक्त वर्ष - की स्थिति के अनुसार विभाग में प्रकरण अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु विचाराधीन है, जिसमें प्रकरणों में जाँच आख्या प्राप्त हो चुकी है। शेष प्रकरण में जाँच की कार्यवाही प्रगति पर है।

●

सहकारिता

सहकारिता विभाग उ.प्र. की शीर्ष सहकारी संस्थायें, निगम एवं संगठनः-

- उ.प्र. कोआपरेटिव फेडरेशन लि.
- उ.प्र. सहकारी ग्राम विकास बैंक लि.
- उ.प्र. कोआपरेटिव यूनियन लि.
- उ.प्र. कोआपरेटिव बैंक लि.
- उ.प्र. उपभोक्ता सहकारी संघ लि.
- उ.प्र. सहकारी जूट एवं कृषि विकास संघ लि.
- उ.प्र. राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि.
- उ.प्र. राज्य निर्माण सहकारी संघ लि.

निगम एवं संगठनः-

- उ.प्र. राज्य भण्डारण निगम
- आई.सी.सी. एम.आर.टी.
- उ.प्र. सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल

सहकारिता विभाग द्वारा त्रिस्तरीय सहकारी साख ढांचे के माध्यम से किसानों को लाभान्वित किया जाता है। राज्य स्तर पर उ.प्र. सहकारी बैंक तथा जनपद स्तर पर जिला सहकारी बैंक तथा न्याय पंचायत स्तर पर बी.पैक्स समितियों से प्रमुखतः किसानों को अल्पकालीन फसली ऋण एवं सहकारी बिक्री केन्द्रों के द्वारा कृषि निवेशों यथा उर्वरक, उन्नतिशील बीज तथा कीटनाशक दवाओं आदि का वितरण किया जाता है। साथ ही सहकारी क्रय केन्द्रों के माध्यम से उनके प्रमुख कृषि उत्पादों यथा धान एवं गेहूँ का मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत क्रय भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त भूमि के सिंचन की क्षमता में वृद्धि एवं कृषकों की अतिरिक्त आय के स्रोत सृजित करने के लिये उ.प्र. सहकारी ग्राम विकास बैंक के माध्यम से दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था की जाती है।

विभाग द्वारा संचालित महत्वपूर्ण योजनाएं/कार्यक्रमः-

01. सहकार से समृद्धि योजनाः-

1. कम्प्यूटरीकरण योजनाः-

➢ भारत सरकार द्वारा प्रायोजित पैक्स कम्प्यूटराइजेशन योजनान्तर्गत प्रदेश की कार्यशील

समितियों के कम्प्यूटराइजेशन हेतु नाबार्ड को tate ro ect onitoring nit ( ) एवं शीर्ष बैंक को tate esignated gency ( ) नामित किया गया है।

- योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रदेश स्तर पर राज्य स्तरीय निगरानी एवं कार्यान्वयन समिति ( ) एवं जनपद स्तर पर जिला स्तरीय निगरानी एवं कार्यान्वयन समिति ( ) का गठन किया गया है।
- पैक्स कम्प्यूटराइजेशन योजना के लिये भारत सरकार द्वारा प्रतिशत एवं राज्य सरकार द्वारा प्रतिशत अनुदान दिये जाने की व्यवस्था की गयी है।
- योजना के तृतीय चरण में 47 जिला सहकारी बैंकों से सम्बन्धित 70 जनपदों कि 3351 बी-पैक्स चयनित की गयी है। दिनांक 31.03.2025 तक पैक्स-कम्प्यूटरीकरण मद में सरकार द्वारा कुल 3092.60 लाख रु. की वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है।

2. R कम्प्यूटरीकरणः-

भारत सरकार की केंद्र पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 16.11.2023 द्वारा कम्प्यूटराइजेशन हेतु दिशा निर्देश निर्गत किये गये। बैंक कम्प्यूटराइजेशन हेतु कुल शाखाएं-323 (प्रति शाखा 02 यूनिट), मण्डलीय कार्यालय-18 (प्रति कार्यालय 03 यूनिट) एवं प्रधान कार्यालय (40 यूनिट) कुल 342 यूनिट हेतु 740 कम्प्यूटर इकाइयां क्रय की जाती हैं।

3. R i es कम्प्यूटरीकरणः-

ices omputeri ation हेतु समस्त प्रक्रिया सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गयी समयावधि में पूर्ण कर ली जायेगी। हार्डवेयर क्रय प्रक्रियाधीन है।

4. कॉमन सर्विस सेन्टर (सी.एस.सी.):-

प्रदेश में जन सुविधा केंद्र (सी.एस.सी.) हेतु 5314 बी-पैक्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिनमें से 5170 बी-पैक्स की सी.एस.सी. आई.डी. प्राप्त की जा चुकी है। 5125 बी-पैक्स द्वारा 18.17 करोड़ रुपये का ट्रान्जेक्शन किया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि सी.एस.सी. ट्रान्जेक्शन में उ.प्र. सर्वाधिक धनराशि का ट्रान्जेक्शन करने वाला राज्य है।

5. विश्व की सबसे बड़ी अनाज भण्डारण योजनाः-

सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भण्डारण योजना के अन्तर्गत पायलेट प्रोजेक्ट के लिए चयनित मिर्जापुर जिला की कोटवा पांडे किसान सेवा सहकारी समिति में निर्माण कार्य दिसम्बर, 2023 में पूर्ण कर लिया गया है तथा प्रदेश के 11 अन्य बी-पैक्स के साथ उक्त योजना हेतु नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन NBCC के साथ MOU हस्ताक्षरित किये जा चुके हैं।

6. पीएम जन औषधि केन्द्रः-

पीएम जन औषधि केंद्र योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में पाँच पीएम जन औषधि केंद्र खोले जाने की अपेक्षा की गयी है जिसके अन्तर्गत जन औषधि केन्द्र खोलने हेतु 971 बी-पैक्स द्वारा आवेदन किये गये जिसके सापेक्ष 573 बी-पैक्स पर प्राथमिक स्वीकृति (nitial approval) प्राप्त हुई। कुल प्राथमिक स्वीकृति के सापेक्ष 288 ड्रग लाइसेंस पी.एम.बी.आई. द्वारा निर्गत किये गये हैं। ड्रग लाइसेंस स्वीकृति के उपरान्त 203 स्टोर कोड पी.एम.बी.आई. द्वारा निर्गत किये गये हैं तथा कुल 98 बी-पैक्स जनऔषधि केन्द्र के रूप में संचालित हो गये हैं।

7. राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लि. (एन.सी.ई.एल.), राष्ट्रीय सहकारी जैविक लि. (एन.सी.ओ.एल.) और राष्ट्रीय भारतीय बीज सहकारी समिति लि. (बी.बी.एस.एस.एल.) के लिए तीन नई राष्ट्रीय स्तर की बहु-राज्य सहकारी समिति :-

- निर्यात समिति में -363 बी-पैक्स सदस्य बनाये गये हैं।
- जैविक समिति में -331 बी-पैक्स सदस्य बनाये गये हैं।
- बीज समिति में -4047 बी-पैक्स सदस्य बनाये गये हैं।

8. सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नेशनल को-आपरेटिव डाटाबेस का संक्षिप्त विवरणः-

एन.सी.डी. पोर्टल पर उत्तर प्रदेश में जनपदीय नोडल अधिकारियों द्वारा कुल 45160 सहकारी समितियां एवं 19572340 सदस्यों की सूचना फीड की गयी है।

9. प्रत्येक पंचायत/गांव में बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी, मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना :-

भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं को प्राथमिक सहकारी समितियों के स्तर पर केंद्रीकृत किया जाएगा जिसके क्रम में उ.प्र. राज्य में 100 प्रतिशत पंचायतों को कवरेज सुनिश्चित करते हुए सभी 58102 ग्राम पंचायतों को एनसीडी पोर्टल पर मैप किया गया है।

10. बी-पैक्स द्वारा मॉडल बाईलाजः-

प्रदेश के सभी 75 जनपदों के 7910 बी-पैक्स द्वारा मॉडल बाईलाज पंजीकृत किया जा चुका है।

11. पैक्स के द्वारा नए किसान उत्पादक संगठन (S) का गठन-

प्रदेश में 34 एफ.पी.ओ. पंजीकृत हैं, जिसमें 07 कार्यात्मक एफ.पी.ओ. द्वारा प्रति माह रु. 25.24 लाख का लेन-देन किया जा रहा है।

12. पीएम किसान समृद्धि केन्द्रः-

वर्तमान में 6467 बी.पैक्स को पी.एम. किसान समृद्धि के रूप में विकसित किया गया है। बी-पैक्स द्वारा उर्वरक वितरण का कार्य किया जा रहा है एवं लक्ष्य के अनुसार बी-पैक्स द्वारा Fertilizer distribution के साथ Training एवं Soiltesting कार्य प्रस्तावित है। बी-पैक्स का

वर्ष के दौरान प्रतिमाह व्यवसाय रुपये 27.04 करोड़ है।

13. विशिष्ट ड्रोन प्रशिक्षण कार्यक्रमः-

संस्थान द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में 266 महिलाओं को विशिष्ट ड्रोन प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।

14. सोलर रूफटॉप योजनाः-

प्रथम चरण में वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित/सौर ऊर्जा योजना के अन्तर्गत सोलर रूफटॉप स्थापना कार्य के अन्तर्गत चयनित प्रदेश की 258 बी.-पैक्स समितियों पर सोलर रूफटॉप स्थापना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

15. सहकार से समृद्धि योजना के तहत प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरणः-

इस कार्य हेतु शासन द्वारा नामित कार्यदायी संस्था उ.प्र. राज्य निर्माण सहकारी संघ लि. लखनऊ द्वारा प्रशिक्षण केन्द्र अयोध्या एवं वाराणसी के सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण का कार्य कराया जा रहा है।

02. अधिकोषण योजनाः-

(1) अल्पकालीन ऋण वितरणः-

वर्ष 2024-25 में अल्पकालीन ऋण वितरण के लक्ष्य मु.रु.12500.00 करोड़ रुपये के सापेक्ष दिनांक 31.03.2025 तक मु.रु. 11533.37 करोड़ रुपये का ऋण वितरण किया गया जो वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष 92.27 प्रतिशत है। अल्पकालीन ऋण वितरण द्वारा कुल 18.22 लाख कृषकों को लाभान्वित किया गया।

(2) दीर्घकालीन ऋण वितरणः-

वर्ष 2024-25 में दीर्घकालीन ऋण वितरण के लक्ष्य मु.रु. 550.00 करोड़ रुपये के सापेक्ष दिनांक 31.03.2025 तक मु.रु. 393.17 करोड़ रुपये का ऋण वितरण किया गया जो वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष 71.49 प्रतिशत है। दीर्घकालीन ऋण वितरण द्वारा कुल 13741 लाख कृषकों को लाभान्वित किया गया।

पैक्स के माध्यम से कृषकों को कम ब्याज दर पर फसली ऋण वितरण हेतु "ब्याज अनुदान" के लिए वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक प्राविधानः-

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006-07 से संचालित "ब्याज अनुदान" योजनान्तर्गत प्रदेश में कृषि ऋण हेतु नाबार्ड के माध्यम से 4.50 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर राज्य सहकारी बैंक को पुनर्वित्त इस शर्त के साथ प्राप्त होता है कि सहकारी साख संस्थाओं द्वारा स्वयं के संसाधनों से आधार स्तर पर किसानों को रु. 3.00 लाख तक फसली ऋण अधिकतम 7 प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा।

16. 16 कमज़ोर जिला सहकारी बैंकों को अंशपूँजी की वित्तीय सहायता प्रदान करनाः-

16 कमज़ोर जिला सहकारी बैंक में से सीतापुर, आजमगढ़ बलिया, फतेहपुर, गाज़ीपुर, हरदोई एवं वाराणसी को 9 प्रतिशत सी.आर.ए.आर. के मानक को पूर्ण करने हेतु उ.प्र. शासन

द्वारा वर्ष 2024-25 में रु. 2795.77 लाख अंशपूँजी की सहायता प्रदान की गयी है।

17. कमजोर जिला सहकारी बैंकों को समृद्ध करनाः-

34 जिला सहकारी बैंकों में से 16 जिला सहकारी बैंक यथा-मैनपुरी, मथुरा, बदायूँ, अलीगढ़, प्रतापगढ़ एवं मऊ सी.आर.ए.आर. के मानक को पूर्ण नहीं कर रहे थे। वित्तीय वर्ष 2024-25 में अंशपूँजी मद में रु. 14000.00 लाख शासन द्वारा अवमुक्त किया गया जिससे बैंकों की वित्तीय स्थिति में अपेक्षित सुधार हुआ है एवं सभी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के मानक 9 प्रतिशत सी.आर.ए.आर. को पूर्ण करने में सक्षम हो गये हैं।

18. ऋण मोचन योजना-2024ः-

उ.प्र. सहकारी ग्राम विकास बैंक लि. में मृतक ऋणी सदस्यों हेतु ऋण मोचन योजना-2024 को शासन द्वारा दिनांक 01.10.2024 से 31.03.2025 तक विस्तारित किया गया है। मार्च 2025 तक योजना से 5556 मृतक ऋणी सदस्यों के वारिसान/हितधारकों को लाभान्वित करते हुए ब्याज में 106.99 करोड़ रु. छूट का लाभ दिया गया है।

03 कृषि निवेश योजनाः-

खरीफ अभियान वर्ष 2024-2025 में यूरिया का कुल लक्ष्य 11.27 लाख मै.टन एवं फास्फेटिक का कुल 5.76 लाख मै.टन निर्धारित था, जिसके सापेक्ष कुल उपलब्धता 14.11 लाख मै.टन यूरिया एवं 7.67 लाख मै.टन फास्फेटिक की रही। जिसके सापेक्ष 9.26 लाख मै.टन यूरिया एवं 4.79 लाख मै.टन फास्फेटिक का वितरण किया गया है, प्रमाणित बीज का कुल लक्ष्य 1300 कु. है जिसके सापेक्ष उपलब्धता 108.30 कु. एवं वितरण 108.30 कु. किया गया है।

रबी अभियान वर्ष 2024-2025 में यूरिया का कुल लक्ष्य 15.84 लाख मै.टन एवं फास्फेटिक का कुल 8.50 लाख मै.टन निर्धारित है, दिनांक 31.03.2025 तक कुल उपलब्धता यूरिया की 15.02 लाख मै.टन एवं फास्फेटिक की 9.60 लाख मै.टन है। जिसके सापेक्ष 12.39 लाख मै.टन यूरिया एवं 8.00 लाख मै.टन फास्फेटिक का वितरण किया गया है, प्रमाणित गेहूँ बीज का कुल लक्ष्य 7761.98 कु. है जिसके सापेक्ष उपलब्धता 7761.98 कु. एवं वितरण 7761.98 है। उर्वरक वितरण बढ़ाये जाने हेतु समितियों की क्रेडिट लिमिट 10 लाख रूपया कर दिया गया है।

04- क्रय-विक्रय योजनाः-

कृषकों को उनकी उपजों का उचित मूल्य दिलाने एवं बिचौलियों के शोषण से उन्हें मुक्त कराने के उद्देश्य से क्रय-विक्रय योजनान्तर्गत मूल्य समर्थन योजना का संचालन किया जाता है, जिसमें कृषकों से उनकी प्रमुख उपज-गेहूँ एवं धान की खरीद की जाती है। मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत वर्ष 2024-25 में गेहूँ एवं धान की ख़रीद का विवरण अधोलिखित है-

उत्तर प्रदेश-2025

(मात्रा मै.टन में)

वर्ष	गेहूँ	धान
2024-25	429155.21	2553921.45

05- उपभोक्ता योजनाः-

इस योजनान्तर्गत न्याय पंचायत स्तर पर 302 पैक्स, जनपद स्तर पर 48 केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डार एवं प्रदेश पर उ.प्र. उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा कार्य किया जा रहा है। इन सहकारी समितियों एवं इनसे सम्बद्ध दुकानों द्वारा जिनमें ग्रामीण क्षेत्र में 431 एवं शहरी क्षेत्र में 1088 दुकानें हैं। इन समितियों द्वारा वर्ष 2024-25 हेतु निर्धारित वार्षिक लक्ष्य रु. 28132.00 लाख के सापेक्ष दिनांक 31.03.2025 तक मु. 29935.86 लाख रु. का उपभोक्ता व्यवसाय किया गया है, जिसमें ग्रामीण उपभोक्ता व्यवसाय रु.2563.38 लाख तथा नगरीय उपभोक्ता व्यवसाय रु. 27372.4 लाख है।

06- ग्रामीण गोदाम अनुभागः-

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत निर्मित/निर्माणाधीन गोदामों एवं भण्डारण योजनान्तर्गत कराये जा रहे मरम्मत/सुदृढ़ीकरण का प्रगति विवरण-

भण्डारण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में रु.2500.00 लाख मरम्मत/सुदृढ़ीकरण हेतु प्राविधानित किया गया है, जिसके क्रम में बी-पैक्स/संस्थाओं में कार्यदायी संस्था-यू.पी.आर. एन.एस.एस.लि. द्वारा 140 पैक्स एवं यू.पी.सी.एल.डी.एफ.लि. लखनऊ द्वारा 149 कुल 289 गोदामों के मरम्मत व सुदृढ़ीकरण का कार्य आवंटित किया गया है। कार्यदायी संस्था-यू.पी.सी.एल. डी.एफ. द्वारा 149 गोदामों धनराशि रु. 1249.86 लाख एवं यू.पी.आर.एन.एस.एस.लि. द्वारा 140 पैक्स के गोदामों की धनराशि रु. 1249.70 लाख कुल धनराशि रु. 2499.56 लाख की धनराशि अवमुक्त की है।

07- उ.प्र. राज्य भण्डारण निगम लि. के अन्तर्गत साइलो/गोदाम निर्माणः-

पी.ई.जी. योजनान्तर्गत जनपद कौशाम्बी में 15,000 मै.टन क्षमता एवं जनपद सुल्तानपुर में 5,000 मै.टन कुल 20,000 मै.टन क्षमता की गोदाम तथा जनपद बस्ती में भारतीय खाद्य निगम द्वारा 50000 मै.टन क्षमता का साईलो निर्माण दिनांक 31.03.2025 तक किया गया है।

●

नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग
(राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन)
(राज्य स्वच्छ गंगा मिशन)
(भूगर्भ जल विभाग)
(लघु सिंचाई विभाग)

राज्य स्वच्छ गंगा मिशन-उत्तर प्रदेश
नमामि गंगे कार्यक्रम

१. राज्य में 73 सीवर शोधन की परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं, जिनमें से 38 पूर्ण की जा चुकी हैं तथा शेष 23 का कार्य प्रगति पर है।

2. कुल 73 परियोजना हेतु स्वीकृत धनराशि रुपये 16050.71 करोड़ है।

3. उपरोक्त 73 परियोजनाओं के पूर्ण होने से 2283 MLD सीवेज शोधित हो सकेगा।

4. वर्तमान में राज्य में नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत 32 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (23 प्रगतिशील योजनाओं में) निर्माणाधीन है, जिनकी क्षमता 900.10 MLD है।

5. नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में अब तक कुल 36 STP (38 परियोजनाओं में) का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है, जिनकी कुल शोधन क्षमता 795.20 MLD है। उक्त के अतिरिक्त जनपद उन्नाव, मुज्जफ्फरनगर, लखनऊ एवं अयोध्या में 05 STP शोधन क्षमता 141.50 MLD का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। इस प्रकार वर्तमान तक कुल 41 STP कुल शोधन क्षमता का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। इस प्रकार वर्तमान तक कुल 41 STP कुल शोधन क्षमता 936.70 MLD का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है।

6. वर्तमान में राज्य में कुल 152 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिनकी क्षमता 4651.60 MLD है, जल शोधन हेतु संचालित (ट्रायल रन में योजनाओं को शामिल करते हुए) हैं।

7. उ.प्र. में औद्योगिक उत्प्रवाह शोधन संबंधी 05 योजनाएं कानपुर, उन्नाव, बन्थर, मथुरा तथा गोरखपुर में पूर्व में स्वीकृत हुई थी, जिसमें से मथुरा औद्योगिक क्षेत्र की परियोजना का कार्य पूर्व में पूर्ण हो चुका है कानपुर (जाजमऊ टेनरी कलस्टर) की परियोजना इस अवधि में पूर्ण

कर संचालित की गयी।

8. उक्त के अतिरिक्त प्रयागराज में 07 घाटों (1. दशाश्वमेध घाट, 2. किला घाट, 3. नौकायन घाट, 4. ज्ञान गंगा आश्रम घाट, 5. सरस्वती घाट, 6. महेवा घाट, 7. रसूलाबाद घाट का महाकुम्भ के दृष्टिगत निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। फतेहपुर (बागेश्वर धाम आश्रम घाट) तथा बलिया में घाट निर्माण का कार्य स्वीकृत कर प्रारम्भ कराया गया है।
9. उपरोक्त के अतिरिक्त घाट, शवदाहगृह एवं कुंडो का निर्माण एवं पुनरुद्धार का कार्य भी किया जा रहा है।
10. इस क्रम में 73 घाटों एवं 15 शवदाहगृह का कार्य पूर्ण किया गया है।
11. वाराणसी में 26 नहाने वाले घाटों का पुनरुद्धार किया गया है।
12. वाराणसी में 08 कुंडों का पुनरुद्धार व सौंदर्यीयकरण का कार्य भी पूर्ण किया गया है।
13. वृन्दावन क्षेत्र में 09 कुंडों के पुनरुद्धार हेतु परियोजना संकल्पित कर को स्वीकृति हेतु प्रेषित है। स्वीकृति शीघ्र होने की संभावना है।
14. उत्तर प्रदेश राज्य के 25 शहरी निकाय प्लेटफार्म पर बोर्ड किये जा चुके हैं।
15. जिला गंगा समितियों द्वारा मासिक बैठकों का आयोजन किया जा रहा है।
16. राज्य में 07 गंगा बायोडायवर्सिटी पार्क की भी स्थापना की जा रही है।
17. उत्तर प्रदेश में CAMPA के तहत 1643.33 हेक्टेयर में 8.90 लाख पौधारोपण एवं 17 गंगा नर्सरी स्थापित की गई है।
18. नदी जल की गुणवत्ता की जाँच हेतु उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पूर्व निर्धारित 43 स्थानों पर प्रोटोकॉल के अनुसार समय समय पर नदी जल की जाँच की जाती है।
19. शोधित जल को कीटाणु रहित करने हेतु क्लोरीन गैस का उपयोग किया जा रहा है। कुछ स्थानों पर अल्ट्रा वायलेट किरणों का भी उपयोग किया जा रहा है।
20. गंगा नदी के समीप कुल 231 आर्द्रभूमि चिह्नांकित की गयी है। इन 231 आर्द्रभूमि के प्रबधन हेतु उनका मूल्यांकन कर प्रबंधन हेतु कार्यवाही प्रचलन में है।
21. जनजागरूकता अभियान के अन्तर्गत प्रदेश में गंगा बेसिन जिलों में लोगों तक गंगा संरक्षण का संदेश पहुंचाने हेतु स्वच्छता पखवाड़ा, गंगा स्वच्छता संकल्प दिवस, गंगा निरीक्षण अभियान, गंगा वृक्षारोपण सप्ताह, होम गार्ड के सहयोग से "नमामि गंगे" जागृति यात्रा, "स्वच्छता ही सेवा, गंगा मंथन" प्रतियोगिता का आयोजन, गंगा सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
22. गंगा व यमुना में प्रवाहित हो रहे नालों व सीवेज के शोधन कार्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
23. वर्ष 2025 में प्रयागराज में महाकुम्भ का आयोजन एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही, जिसमें

नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल रु. 238.00 करोड़ स्वच्छता, सीवेज एवं जन संचार प्रबन्धन कार्य में आर्थिक सहायता प्रदत्त करते हुए सघन निगरानी द्वारा प्रयागराज में गंगा व यमुना नदियों को प्रदूषण मुक्त रखा गया, जिसके कारण कुम्भ मेले में पधारे करोड़ों श्रृद्धालुओं को निर्मल एवं स्वच्छ जल प्राप्त हुआ।

24. राज्य स्वच्छ गंगा मिशन-उ.प्र. के अन्तर्गत प्रयागराज जिला गंगा समिति द्वारा नुक्कड़ नाटक, स्वच्छता अभियान रैली आदि का भी आयोजना कराया जा रहा है। इसी के साथ राज्य स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा महाकुम्भ मेला के दौरान स्वच्छता निगरानी हेतु 1500 गंगा दूत नियुक्त किए गए हैं जो मेले में लगाए गए शौचालयों की स्वच्छता की निगरानी एप के माध्यम से कर रहे हैं।

25. महाकुम्भ में स्वच्छता तथा नमामि गंगे कार्यक्रम के बारे में जनजागरूकता तथा नमामि गंगे कार्यक्रम के बारे में जन जागरूकता हेतु एक माह तक रेडियो कैम्पेन भी चलाया जा रहा है।

26. राज्य में गंगा एवं उसकी सहायक नदियों की निर्मलता एवं अविरलता को सुनिश्चित करने हेतु जन जन को नदियों से जोड़ने के प्रयास में "अर्थ गंगा" की अवधारणा को राज्य के विभिन्न विभागों के साथ समन्वय कर मूर्त रूप प्रदान किया जा रहा है।

27. नमामि गंगे कार्यक्रम का राज्य में सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किये जाने हेतु "जल" श्रेणी में "नदी पुनरोद्धार" के लिए "गोल्ड स्कॉच" पुरस्कार वर्ष 2023-24 में प्राप्त हुआ है।

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अन्तर्गत कराये गये सर्वेक्षण तथा वर्तमान में भारत सरकार द्वारा संचालित पोर्टल के अनुसार प्रदेश में कुल 97073 आबाद ग्राम हैं, जिनकी पोर्टल के अनुसार वर्तमान जनसंख्या 16.60 करोड़ है। प्रदेश में कुल बस्तियों की संख्या 254122 है।

भारत सरकार द्वारा पूर्व में संचालित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना को वर्ष 2019-2020 में समाहित करते हुए जल जीवन मिशन प्रारम्भ किया गया है। प्रदेश में पूर्व में विश्व बैंक सहायतित 14 जनपदों में नीर निर्मल परियोजना भी चलायी गयी। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप द्वारा पेयजल की आपूर्ति हेतु राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम भी संचालित किया गया है। भारत सरकार द्वारा संचालित जल जीवन मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2024 तक पाइप पेयजल योजना द्वारा हर घर जल" उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति हेतु केन्द्र सहायतित जल जीवन मिशन का संचालन केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा 50:50 प्रतिशत वित्त पोषण के आधार पर किया जा रहा है। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत हर घर को जल उपलब्ध कराया जाना है।

सामान्य आच्छादनः-

प्रदेश की समस्त बस्तियों को मानक के अनुसार 40 लि. प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के आधार

पर पेयजल सुविधा हैण्डपम्प/पाइप योजना के माध्यम से उपलब्ध कराई जा चुकी है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 28,95,361 हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं। प्रदेश में वर्तमान में लगभग प्रत्येक 58 व्यक्ति पर एक हैण्डपम्प स्थापित किया गया है। इस प्रकार पेयजल की न्यूनतम आवश्यकता 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मानक की दृष्टि से प्रदेश की सम्पूर्ण ग्राम/बस्तियों को संतृप्त किया जा चुका है।

पाइप पेयजल योजना से आच्छादनः-

भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत समस्त ग्रामीण परिवारों लगभग 267.21 लाख को पाइप पेयजल योजनाओं द्वारा 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मानक को दृष्टिगत रखते हुए क्रियाशील गृह नल संयोजन (एफ.एच.टी.सी.) दिये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसके सापेक्ष वर्तमान में लगभग 239.87 लाख (89.59%) एफ.एच.टी.सी. का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।

जल जीवन मिशन 'हर घर जल' कार्यक्रम

प्रदेश में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति हेतु केन्द्र सहायतित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का संचालन केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा 50:50 प्रतिशत वित्त पोषण के आधार पर किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत 'हर घर को नल से जल' उपलब्ध कराया जाना है। भारत सरकार द्वारा प्रदेश के समस्त अनाच्छादित बस्तियों को पाइप पेयजल योजनाओं से वर्ष 2028 तक आच्छादित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की उपलब्धियों का विवरण निम्नवत् हैः-

- प्रदेश में कुल 267.21 लाख घरों को शुद्ध पाइप पेयजल से आच्छादित किया जाना लक्षित है।
- अगस्त 2019 तक प्रदेश में मात्र 05.16 लाख (1.93%) एफ.एच.टी.सी. के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल उपलब्ध कराया जा सका था।
- प्रदेश में 31 मार्च, 2025 तक लगभग 237.89 लाख (89.03%) एफ.एच.टी.सी. के माध्यम से ग्रामीण आबादी को पाइप पेयजल योजना से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा चुका है तथा अवशेष लगभग 29.32 लाख दरों में एफ.एच.टी.सी. का अवशेष कार्य प्रगति पर है।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 41 सतही स्रोत जल आधारित एवं 423 भूजल आधारित पाइप पेयजल परियोजनाओं के माध्यम से कुल 3748 राजस्व ग्रामों में 1429893 घरों के सापेक्ष 1420865 शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा चुकी है।
- विन्ध्य क्षेत्र में 21 सतही स्रोत जल परियोजनाओं एवं 140 भूजल आधारित परियोजनाओं के माध्यम से 2998 राजस्व ग्रामों में 669006 घरों के सापेक्ष 633408 शुद्ध पेयजल हेतु एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध कराया जा चुका है। अवशेष कार्य प्रगति पर है।
- वित्तीय वर्ष 2024-25 में 22,55,938 एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध कराया गया है।

नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति

- प्रदेश में गुणवत्ता प्रभावित जनपदों आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, बलिया, उन्नाव, प्रयागराज एवं चन्दौली के 6814 राजस्व ग्रामों में 14 सतही स्त्रोत आधारित योजनाओं का कार्य चयनित फर्मों द्वारा कराया जा रहा है।
- प्रदेश में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत परियोजनाओं के निर्माण में लगभग 5.60 लाख किमी. से अधिक जल वितरण प्रणाली बिछायी जानी है, जिसके सापेक्ष अब तक 5.13 लाख किमी. जल वितरण प्रणाली बिछायी जा चुकी है।
- उल्लेखनीय है कि जल वितरण प्रणाली बिछाये जाने के दौरान विभिन्न प्रकार के लगभग 1 लाख 95 हजार किमी. रोड डिस्मेंटल किये गये हैं, जिसके सापेक्ष अब तक 1 लाख 89 हजार किमी. डिस्मेंटल रोड को रिस्टोर कराया गया है।
- प्रदेश में 33157 (80 प्रतिशत) ग्रामीण पाइप पेयजल परियोजनायें सौर ऊर्जा आधारित बनायी गयी है, जिनपर 900 मेगावॉट के सोलर पैनल अधिस्थापित किये गए हैं। सौर ऊर्जा आधारित परियोजनाओं के निर्माण के कारण परियोजनायें दीर्घकालिक रूप से स्थाई होगी तथा परियोजनाओं का संचालन एवं अनुरक्षण मितव्ययी होगा। साथ ही लगभग 13 लाख मेट्रिकटन कार्बन डाई आक्साइड का उत्सृजन प्रतिवर्ष कम होगा जो पर्यावरण के संतुलन हेतु लाभदायी होगा।
- उत्तर प्रदेश में समस्त 75 जनपदों की 57,759 ग्राम पंचायतों में 97073 राजस्व ग्राम में कुल 161 आई.एस.ए. संस्थाओं को कार्य आवंटित किया गया था। कार्य को सुचारु रूप से न किये जाने के कारण 24 सूचीबद्ध संस्थाओं का जनपद से आवंटन निरस्त किया जा चुका है।
- प्रथम चरण में कार्यान्वयन सहायता एजेंसियों (ISAs) द्वारा सामुदायिक सहभागिता पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया। इस चरण की लगभग 98% गतिविधियाँ पूर्ण की जा चुकी हैं, जो प्रभावी सामुदायिक सहभागिता को दर्शाता है।
- द्वितीय चरण में पाइप जलापूर्ति योजना के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान किया जाता है। इस चरण की 81% गतिविधियाँ पूर्ण हो चुकी हैं।
- तृतीय चरण में योजना के क्रियान्वयन के उपरान्त (ISAs) द्वारा घर-घर नल कनेक्शन की कार्यशीलता सुनिश्चित की गई। इस चरण की 42% गतिविधियाँ पूर्ण की जा चुकी हैं, वर्तमान में ध्यान दीर्घकालिक संचालन क्षमता एवं सामुदायिक उत्तरदायित्व पर केन्द्रित है।
- दिनांक 01 जुलाई, 2024 से प्रारंभ बृहद वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में कुल 5,41,908 पौधों का रोपण किया गया।
- दिनांक 10 जुलाई, 2024 से भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित Stop Diarrhoea Compaign-2024 के अंतर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा समस्त जनपदों में कार्यरत ISAs के माध्यम से दिनांक 29 जुलाई,

2024 से 31 अगस्त, 2024 तक ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों का आयोजन किया गया।

- दिनांक 24 अक्टूबर, 2024 से 28 अक्टूबर, 2024 तक 'हर घर जल' पोषित/प्रमाणित ग्रामों में "जल दीपोत्सव" कार्यक्रम के अन्तर्गत सायं 05.00 बजे से 07.00 बजे तक ग्राम पंचायत एवं ओवरहेड टैंक परिसर में दीप प्रज्जवलन कर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- दिनांक 02 दिसम्बर, 2024 से 07 दिसबर, 2024 तक "पेयजल सप्ताह" का आयोजन किया गया, जिसमें जलापूर्ति की उपलब्धता के पश्चात् समुदाय में जागरूकता हेतु विशेष अभियान चलाया गया।
- दिनांक 26 जनवरी, 2025 को देवरिया, रायबरेली, गोरखपुर, मिर्जापुर एवं बुलन्दशहर जनपदों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जल समिति के सदस्यों को गणतंत्र दिवस समारोह-2025 के अवसर पर कर्तव्य पथ, नई दिल्ली में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित कर सम्मानित किया गया।
- दिनांक 24 मार्च, 2025 से 26 मार्च, 2025 के मध्य राज्य सरकार के 08 वर्ष एवं भारत सरकार के 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जनपद प्रशासन के सहयोग से उपलब्धियों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।
- जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक राजस्व ग्राम में 05 महिलाओं को जल गुणवत्ता की जांच हेतु को एफ.टी.के. के माध्यम से (अब तक कुल 5,53,645 महिलाओं को) प्रशिक्षित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 38,40,188 पेयजल स्रोतों की जांच की गयी।
- प्रदेश में जल जीवन मिशन एवं अन्य योजनाओं के माध्यम से कुल 116340 स्कूलों एवं 155136 आंगनबाड़ी केन्द्रों में पाइप द्वारा पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित कराई गयी।
- सरकारी फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के अन्तर्गत 28,606 ए.एन.एम., 60,102 आशा बाबू, 1,10,949 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, 1,10,453 स्कूल अध्यापक तथा 1,66,509 एस.एच.जी. मेम्बर्स तब मिलाकर 4,76,614 सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया।
- जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 6 ट्रेड में 13 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। प्रदेश में अब तक 1,16,037 प्लम्बर, 1,16,007 पम्प ऑपरेट, 1,15,505 मोटर मैकेनिक, 1,16,078 फिटर, 1,16,667 इलेक्ट्रीशियन तथा 1,75,880 मेशन कुल 7,56,174 कर्मियों को प्रशिक्षित करते हुए स्वरोजगार उपलब्ध कराने का कार्य किया गया है।
- योजना को भविष्य में सही दिशा में चलाये रखने हेतु पंचायती राज इस्टीट्यूशन्स का प्रशिक्षण वर्तमान में चल रहा है जिसमें 56246 प्रधान, 671240 वार्ड मेम्बर्स, 75616 बी.डी.सी. मेम्बर्स, 11798 जिला पंचायत सदस्य, 11860 सचिव, 9022 लेखपाल, 99459

सामाजिक कार्यकर्ता तथा 33027 रोजगार सेवक को प्रशिक्षित किया गया है।

- प्रदेश में बच्चों को पानी के महत्व को समझाने हेतु स्कूल छात्र/छात्राओं के लिए जिले में जल ज्ञान यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। वर्तमान तक 42 जनपदों के कुल 454 विद्यालयों के 609 अध्यापकों एवं 4659 विद्यार्थियों को जल ज्ञान यात्रा से लाभान्वित किया जा चुका है।
- वित्तीय वर्ष 2024 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत रु. 22,000 करोड़ का बजट प्रावधान कराया गया।

लघु सिंचाई विभाग

लघु सिंचाई विभाग का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु कृषकों को सिंचाई के मामले में आत्म निर्भर बनाना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में मुख्यतः उथले नलकूप का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बुन्देलखण्ड तथा प्रदेश के पठारी, कठिन एवं गहरे स्ट्रेटा वाले क्षेत्रों में रिंग मशीनों से गहरी बोरिंग तथा एल्यूवियल क्षेत्रों में मध्यम गहराई के नलकूपों के निर्माण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भूगर्भ जल रिचार्ज हेतु वर्षा जल संचयन एवं भूजल संवर्द्धन तथा ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग/चेकडैमों के निर्माण की योजना संचालित है।

लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित हैंः-

1. मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजनाः-

प्रदेश सरकार के 'संकल्प पत्र-2022' में कृषकों की आय दोगुनी करने के उद्‌देश्य से अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन एवं कृषि उत्पादकता में वृद्धि हेतु लघु एवं सीमान्त कृषकों को अनुदान प्रदान करने के दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा रु. 5000.00 करोड़ की लागत से मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना का संचालन किया जा रहा है। इस हेतु वर्ष 2024-25 के लिए रु. 102000.00 लाख के बजट प्रावधान के सापेक्ष कार्य कराये गये हैं। इस योजना हेतु वर्ष 2025-26 के लिए रु. 110000.00 लाख का बजट प्रावधान है। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के घटकवार विवरण निम्नवत् हैः-

(अ) **उथले नलकूप :-** योजना में अधिकतम 30 मीटर गहराई में बोरिंग सेट द्वारा बोरिंग की जाती है। इसमें सामान्य श्रेणी के लघु, सीमान्त तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लघु एवं सीमान्त कृषकों हेतु बोरिंग के अनुदान क्रमशः रु. 11,000.00, रु. 15,400.00, एवं रु. 19,800.00 अधिकतम अनुदान अनुमन्य है। इसके अतिरिक्त पम्पसेट की स्थापना पर सामान्य श्रेणी के लघु एवं सीमान्त तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लघु सीमान्त कृषकों को पम्पसेट पर अधिकतम क्रमशः रु. 18,000.00, रु. 25,200.00 एवं रु. 32,400.00 का अनुदान देय है। उक्त वर्णित अनुदान के अतिरिक्त सभी श्रेणी के 25 प्रतिशत लाभार्थियों को जल वितरण हेतु अधिकतम रु. 4800.00 का अनुदान दिया जा रहा है।

(ब) **मध्यम गहरे नलकूप :-** योजनान्तर्गत 31 मीटर से 60 मीटर तक की गहराई की बोरिंग

की जाती है। इसमें लागत का प्रतिशत अधिकतम रु. . का अनुदान कृषकों को दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक नलकूप पर जल वितरण के लिए एच.डी.पी.ई. पाइप सिंचाई प्रणाली योजना हेतु लागत का 50% अधिकतम रु. 14,000.00 का अनुदान भी पृथक से दिया जा रहा है। उपरोक्त वर्णित अनुदान के अतिरिक्त निर्मित नलकूपों के ऊर्जीकरण हेतु विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित प्रति नलकूप अनुमन्य अनुदान की धनराशि रु. 68,000.00 भी दिया जा रहा है। इस प्रकार मध्यम गहरी बोरिंग योजना में अधिकतम रु. 2,57,000.00 का अनुदान अनुमन्य है।

(स) **गहरी बोरिंग :-** योजना में मीटर से मीटर गहराई की बोरिंग हैवीरिंग मशीन से की जाती है। इसमें लागत का प्रतिशत अधिकतम रु. . का अनुदान कृषकों को दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक नलकूप पर जल वितरण के लिए एच.डी.पी.ई. पाइप सिंचाई प्रणाली योजना हेतु लागत का-50 प्रतिशत अधिकतम रु. 14,000.00 का अनुदान पृथक से दिया जा रहा है। उपरोक्त वर्णित अनुदान के अतिरिक्त निर्मित नलकूपों के ऊर्जीकरण हेतु विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित प्रति नलकूल अनुमन्य अनुदान की धनराशि रु. 68,000.00 भी दिया जा रहा है। इस प्रकार गहरी बोरिंग योजना में अधिकतम रु. 3,47,000.00 का अनुदान अनुमन्य है।

(द) **लघु सीमान्त कृषकों हेतु एवं निर्मित उथले नलकूपों पर पम्पसेट, वाटर टैंक (हौज) व जल वितरण प्रणाली की स्थापनाः-** योजनान्तर्गत ऐसे कृषक, जो बोरिंग करवाने के उपरान्त किराये के पम्पसेट से सिंचाई का कार्य करते हैं, परन्तु आवश्यकता के समय पम्पसेट किराये पर न मिलने के कारण उनकी कृषि उत्पादकता एवं आय प्रभावित होती है। ऐसे कृषकों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु लघु/सीमान्त श्रेणी के कृषक लाभार्थी, जो विभागीय योजनाओं में वर्ष 2015-16 से लाभान्वित हुए हो, को पूर्व निर्मित उथले नलकूपों पर पम्पसेट हेतु सामान्य श्रेणी के लघु एवं सीमान्त तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों को पम्पसेट पर अधिकतम क्रमशः रु. 18,000.00, रु. 25,200.00 एवं रु. 32,400.00 का अनुदान देय है। इसके अतिरिक्त वाटर टैंक हौज निर्माण हेतु सभी श्रेणी के कृषकों को रु. 31,500 का अधिकतम अनुदान अनुमन्य है। जल वितरण प्रणाली की स्थापना हेतु सभी श्रेणी के कृषकों को रु. 4800.00 का अनुदान अनुमन्य है।

(य) **05 वर्ष से अधिक के पूर्व निर्मित चेकडैमों की मरम्मत :-** योजना में ऐसे चेकडैम, जिनके निर्माण में 05 वर्ष से अधिक का समय हो गया है, उनकी मरम्मत कर उनको उपयोगी बनाये रखने का प्रस्ताव है।

(र) **विन्ध्य व बुन्देलखण्ड के पठारी क्षेत्र हेतु नये ब्लास्ट कूप का निर्माण कार्य :-** योजना में सभी श्रेणी के कृषकों को ब्लास्ट कूप निर्माण हेतु अधिकतम रु.1000000.00, पम्पसेट स्थापना हेतु रु. 32400.00 एवं जल वितरण प्रणाली स्थापना हेतु रु. 27000.00 का अनुदान अनुमन्य है।

नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति

(ल) **वर्षा जल सम्भरण/रिचार्ज की महत्ता के दृष्टिगत रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना :-** योजना में प्रदेश के सरकारी/अर्द्धसरकारी भवनों पर रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना कर छत पर प्राप्त होने वाले वर्षा जल को भूजल संभरण में उपयोग हेतु कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

(व) **पूर्व निर्मित उथले/मध्यम/गहरे नलकूपों पर सोलर पम्पसेट स्थापना का कार्य :-** योजना में 03 हार्सपावर से 7.50 हार्सपावर तक के सोलर पम्पसेटों हेतु इकाई लागत का 60 प्रतिशत अधिकतम अनुदान अनुमन्य है। शेष 40 प्रतिशत कृषक द्वारा वहन किया जायेगा।

(श) **चेकडैम/तालाबों पर भूस्तरीय सिंचाई सुविधा के रूप में ट्राली माउन्टेड 02 एच.पी. के सोलर पम्पसेट स्थापना का कार्य :-** योजना में 02 एच.पी. के सोलर पम्पसेट पर इकाई लागत का 60 प्रतिशत अधिकतम अनुदान अनुमन्य हैं तथा ट्राली पर लागत का (75000/-) का 90 प्रतिशत अधिकतम अनुदान अनुमन्य हैं। शेष लागत कृषक द्वारा वहन की जाती है।

2. वर्षा जल संचयन एवं भूजल संवर्धनः-

वर्तमान में प्रदेश के अतिदोहित एवं क्रिटिकल विकास खण्ड हैं। उक्त विकास खण्डों के अतिदोहित/क्रिटिकल की श्रेणी में आ जाने के कारण भूजल स्त्रोतों की निरंतरता को कायम रखना प्रदेश के कृषि विकास के लिए अति आवश्यक है। अतः यह अपरिहार्य हो जाता है कि इन विकास खण्डों में भूगर्भ जल उपलब्धता की संकटग्रस्त स्थिति को वर्षा जल संचयन एवं रिचार्जिंग योजनाओं के माध्यम से प्रभावी ढंग से सुधारा जाए। प्रदेश के सेमी क्रिटिकल विकास खण्डों को सुधारने के उपाय भी किये जाने होंगे, ताकि वह समय के साथ अतिदोहित/क्रिटिकल श्रेणी में आने से बचे रहें। दिन-प्रतिदिन भूजल के गहराते संकट के दृष्टिगत वर्षा जल संचयन, भूजल संवर्द्धन एवं जल संरक्षण आज की महती आवश्यकता है। योजनान्तर्गत सामुदायिक तालाबों का पुनर्विकास एवं प्रबन्धन का कार्य भी किया जाना है। योजना के अन्तर्गत हेक्टेयर से हेक्टेयर क्षेत्रफल के तालाबों का पुनर्विकास एवं प्रबन्धन किया जा रहा है।

3. ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग अन्तर्गत चेकडैम के निर्माण की योजनाः-

प्रदेश में वर्षा जल के इष्टतम उपयोग तथा सिंचाई के साथ-साथ भूगर्भ जल रिचार्ज में अभिवृद्धि हेतु विशेष रूप से बुन्देलखण्ड एवं अन्य पठारी क्षेत्रों में स्थानीय नदी/नालों पर चेकडैम बनाकर यह कार्य किये जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस योजना के अन्तर्गत रु. 6500.00 लाख के बजट प्रावधान से 199 चेकडैम निर्माण का कार्य किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस योजना में रु. 7500.00 लाख का बजट प्रावधान है।

भूगर्भ जल विभाग, उ.प्र.

भूगर्भ जल विभाग की स्थापना वर्ष में एक पृथक विभाग के रूप में कृषि उत्पादन आयुक्त, उ.प्र. शासन के प्रशासनिक नियंत्रण में की गयी। राज्य में भूगर्भ जल संसाधनों के निरन्तर

बढ़ते महत्त्व एवं इसके प्रभावी प्रबंधन के दृष्टिगत भूगर्भ जल विभाग को प्रदेश की भूजल सम्पदा के सर्वेक्षण, अनुसंधान, नियोजन, विकास व प्रबन्धन तथा भूगर्भ जल दोहन के नियंत्रण एवं भूगर्भ जल संरक्षण, संचयन व विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही रिचार्ज योजनाओं के समन्वय तथा अनुश्रवण हेतु वर्ष   में 'नोडल एजेंसी' घोषित किया गया।

विभाग के मुख्य कार्य दायित्व प्रदेश की भूजल सम्पदा का सर्वेक्षण, आकलन, प्रबंधन व नियोजन तथा उससे जुड़ी समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन, भूगर्भ जल दोहन पर नियंत्रण, भूजल संरक्षण, संचयन तथा रिचार्ज योजनाओं का तकनीकी समन्वय व अनुश्रवण करना है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 की उपलब्धियां एवं 2025-26 की योजनाओं का संक्षिप्त विवरणः-

1. भूजल संसाधन का विकास, आकलन एवं सुदृढ़ीकरणः-

इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष   -   में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में भूजल स्तर मापन कार्य के अन्तर्गत प्री-मानसून तथा पोस्ट-मानसून का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा निध ारित लक्ष्यों के क्रम में 184 नं. अक्रियाशील पीजोमीटर के स्थान पर नये पीजोमीटर की स्थापना एवं 200 नं. पीजोमीटर के रख-रखाव/अनुरक्षण का कार्य भी शत-प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में अक्रियाशील पीजोमीटर के स्थान पर नये पीजोमीटर की स्थापना लक्ष 233 नं. तथा पीजोमीटर के रख-रखाव/अनुरक्षण हेतु लक्ष्य 200 नं. का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

2. शासकीय भवनों पर रूफटाप रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणालीः-

वित्तीय वर्ष 2024-25 में संकटग्रस्त शहरों में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप शासकीय भवनों का चयन करते हुए लगभग 50,000 वर्ग मीटर की छत के क्षेत्रफल को आच्छादित कर रूफटाप रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना का पूर्ण किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2,50,000 वर्ग मीटर की छत के क्षेत्रफल को आच्छादित कर रूफटाफ रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

3. भूजल संसाधनों की गुणवत्ता का अनुश्रवण एवं मैपिंगः-

वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु यमुना बेसिन के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के चयनित विकासखण्डों के प्री-मानसून एवं पोस्ट मानसून अवधि में कुल 1368 नं. नमूनों का एकत्रीकरण कर रसायनिक विश्लेषण का कार्य लखनऊ विश्वविद्यालय के माध्यम से पूर्ण कराया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु अवशेष यमुना बेसिन के अन्तर्गत जनपद- आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा, एटा, हाथरस, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, औरैया, कन्नौज एवं जालौन के चयनित विकासखण्डों के प्री-मानसून एवं पोस्ट मानसून अवधि में कुल 1368 नं. नमूनों का एकत्रीकरण कर रसायनिक विश्लेषण का कार्य लखनऊ विश्वविद्यालय के माध्यम से कराया जाना प्रस्तावित है।

नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति

4. भूजल जन-जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार योजनाः-

भूजल जन-जागरूकता की आवश्यकता को देखते हुए यह योजना सतत रूप से संचालित की जा रही है। स्कूली छात्र-छात्राओं, शिक्षकों, विभिन्न स्टेकहोल्डर्स, गैर सरकारी संगठनों सहित जनसामान्य को शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में भूगर्भ जल के आसन्न संकट, बढ़ते भूजल प्रदूषण के प्रति जागरुकता इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 18 नं. जन-जागरूकता कार्यक्रम एवं 150 नं. भूजल लघु गोष्ठी रैली के आयोजन का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में निर्धारित लक्ष्य 19 नं. जन-लागरूकता कार्यक्रम उपं 300 नं. भूजल लघु गोष्ठी/रैली का आयोजन कराया जाना प्रस्तावित है।

5. नये पीजोमीटर की स्थापना निर्माणः-

प्रदेश के समस्त जनपदों में भूजल स्तर मापन हेतु सतत रूप से मानीटरिंग हेतु निर्धारित ग्रिड के अनुसार असंतृप्त क्षेत्रों में पूर्व चयनित कूपों के सूख जाने के फलस्वरूप अतिरिक्त पीजोमीटर की स्थापना की गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में निर्धारित लक्ष्य 500 नं. नये पीजोमीटर की स्थापना/निर्माण के सापेक्ष शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वित्तीय वर्ष - में निर्धारित लक्ष्य कुल नं. नये पीजोमीटर का निर्माण के कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

6. डिजिटल वाटर लेवल रिकार्डर की स्थापनाः-

विभाग में पूर्व से स्थापित अवशेष 4500 नं. पीजोमीटर के उच्चीकरण एवं नये पीजोमीटर की स्थापना योजना के अन्तर्गत नव-निर्मित किये जाने वाले 3000 नं. पीजोमीटर, इस प्रकार कुल 7500 नं. पीजोमीटर पर डी.डब्लू.एल.आर. की स्थापना किये जाने हेतु "डिजिटल वाटर लेबल रिकार्डर की स्थापना" योजना नई मांग के माध्यम से आगामी 05 वर्षों हेतु स्वीकृति की गयी है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में योजनान्तर्गत 690 नं. डी.डब्लू.एल.आर. की स्थापना को कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में निर्धारित लक्ष्य 700 नं. डी.डब्लू.एल.आर. की स्थापना का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

7. भूगर्भ जल निधि से जल संचयन एवं संवर्धन के कार्यः-

प्रदेश सरकार द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं एवं भूगर्भ जल परिस्थितियों के अनुरूप उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन एवं विनियमन) अधिनियम, 2019 प्रख्यापित किया गया है। अधिनियम की धारा-48 के द्वारा अधिनियम के विभिन्न प्राविधानों के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के भूजल उपभोक्ताओं द्वारा शुल्क, इत्यादि जमा करने हेतु राज्य सरकार द्वारा "भूगर्भ जल निधि" को सृजित किया गया है।

8. इण्डिया-इजराइल बुन्देलखण्ड वाटर प्रोजेक्टः-

इस परियोजना के अन्तर्गत जनपद-झांसी में स्थित पहुज डैम के रिजर्वायर को सिंचाई हेतु इन्टीग्रेटेड ड्रिप इरीगेशन से युक्त किया जायेगा। इस योजना में बुन्देलखण्ड परिक्षेत्र के 25 गाँव को सम्मिलित किया गया है। इजरायली फर्म द्वारा मिनी पायलेट प्रोजेक्ट उपलब्ध कराया गया है,

जिस पर से अनुमोदन के उपरांत निविदा आमंत्रण तथा मूल्यांकन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा अनुबन्ध हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है।

9. उत्तर प्रदेश अटल भूजल योजनाः-

वर्तमान में अटल भूजल योजना के अन्तर्गत प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 06 जनपद तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 04 जनपदों के 26 विकास खण्डों की 550 ग्राम पंचायतों का चयन करते हुए जन-सहभागिता के माध्यम से जल संचयन के विभिन्न कार्य कराये जा रहे है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य चयनित क्षेत्रों के कुशल भूजल प्रबन्धन द्वारा गिरते भूजल स्तर में आपेक्षित सुधार लाना है।

मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा इस परियोजना की समीक्षा करते हुए परियोजना से सम्पूर्ण प्रदेश को लाभान्वित करने के निर्देश दिये गये है, जिसके क्रम में प्रदेश के अवशेष 65 जनपदों हेतु "उ.प्र. अटल भूजल योजना" लागू की गई है।

अन्य योजनाएंः-

विभागीय योजनाओं के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा संचालित एवं विश्व बैंक पोषित दो अन्य परियोजनाएं भी हैंः-

अटल भूजल योजनाः-

- अटल भूजल योजना जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है।
- योजना के अन्तर्गत प्रदेश में बुन्देलखण्ड क्षेत्र के महोबा, झाँसी, बाँदा, चित्रकूट, हमीरपुर तथा ललितपुर जनपदों के 20 विकास खण्ड तथा परिश्चमी उत्तर प्रदेश के मुज्जफरनगर, शामली, बागपत, मेरठ जनपद के 06 विकास खण्ड इस प्रकार कुल 26 विकास खण्ड, चयनित किए गए हैं।

नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्टः-

- परियोजना के अन्तर्गत कुल 460 नं. पीजोमीटर (Monitoring Wells) की स्थापना की गई। Geophysical Logging हेतु डिजिटल डाटा लॉगर वाहन सहित क्रय किया गया।
- विभाग द्वारा स्थापित पीजोमीटर्स पर निरन्तर एवं शीघ्र भूजल स्तर आकड़ों के Real Time Data Monitoring हेतु कुल 1266 नं. DWLRs की स्थापना का कार्य पूर्ण किया गया है।

●

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण

प्रदेश में फल उत्पादन, फल उपयोग, बागवानी तथा आलू शाकभाजी कार्यक्रमों को गति देने के उद्देश्य से शासनादेश दिनांक 03.01.1974 द्वारा फल उपयोग विभाग तथा कृषि विभाग के अन्तर्गत संचालित उद्यान शाकभाजी एवं आलू के कार्य से सम्बन्धित योजनाओं/पदों को सम्मिलित करके उद्यान एवं फल उपयोग विभाग, उत्तर प्रदेश परिवर्तित नाम उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश का गठन किया, तत्पश्चात् शासनादेश दिनांक 06.04.1989, द्वारा मैदानी क्षेत्र तथा पर्वतीय क्षेत्र अलग-अलग विभाग, अर्थात उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग (मैदानी क्षेत्र), उत्तर प्रदेश तथा उद्याान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, (पर्वतीय क्षेत्र) उत्तर प्रदेश का गठन किया गया। उत्तरांचल राज्य गठन के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश में उद्याान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग सेवारत है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 की उपलब्धियांः-

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, प्रदेश में फल, शाकभाजी, आलू, मसाला, फूल आदि औद्यानिक फसलों के विकास, फल-सब्ज़ी संरक्षण विधियों के प्रचार के साथ-साथ मौनपालन, खाद्य प्रसंस्करण, कुकरी, बेकरी, पान तथा मशरूम की खेती हेतु प्रशिक्षण प्रदान कराने के साथ ही विभिन्न योजनाओं को सुनियोजित ढंग से कार्यान्वित कर रहा है। बागवानी फसलों का कृषि एवं संवर्गीय क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है। बागवानी का क्षेत्र कृषि के विविधीकरण का आर्थिक एवं पोषणीय दृष्टि से एक सक्षम विकल्प के रूप में उभरा है। प्रदेश की विभिन्न कृषि जलवायु परिस्थितियों में उपयुक्त एवं अनुकूल फसल चक्र अपनाकर अधिक आय, रोजगार एवु पोषण सुरक्षा प्राप्त की जा रही है।

प्रदेश में बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समेकित विकास हेतु पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रोइरीगेशन के अधीन ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई, एकीकृत बागवानी विकास मिशन, राष्ट्रीय कृषि योजना, अनुसूचित जाति जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में औद्यानिक विकास (राज्य सेक्टर), फलपट्टी विकास योजना (राज्य सेक्टर), गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों औद्यानिक विकास एवं खाद्य प्रसंस्करण ईकाइयों की स्थापना के प्रोत्साहन हेतु मानव संसाधन एवं कौशल अभिवृद्धि हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। इन जनोपयोगी कार्यक्रमों में उपलब्ध सुविधाओं एवं तकनीकों का लाभ उठाते हुए औद्यानिक फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के साथ ही कृषक अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं।

विभागीय योजनाओं का किसानों से पारदर्शी तरीके से लाभ पहुंचाने हेतु पारदर्शी किसान सेवा

योजना के पोर्टल http d t.uphorticulture.in एवं पर ड्राप मोर क्रॉप-माइक्रोइरीगेशन हेतु http upmip.in पोर्टल विकसित किये गये हैं, जिन पर ऑन लाइन पंजीकरण एवं प्रथम आवक-प्रथम पावक के आधार पर लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

उद्यान सेक्टरः-

- एकीकृत बागवानी विकास मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तथा राज्य सेक्टर की औद्यानिक विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 61737 हेक्टेयर क्षेत्रफल में नवीन उद्यान रोपण, शाकभाजी, पुष्प एवं मसाला के क्षेत्र में विस्तार कार्यक्रम सम्पादित किया गया।
- एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अन्तर्गत आफ सीजन में महंगी एवं पुष्प उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पॉली हाउस एवं शेडनेट हाउस का निर्माण कराते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 में संरक्षित खेती (ग्रीन हाउस/पॉली हाउस) के कार्यक्रम 43.60 हेक्टेयर की पूर्ति की गई है।
- वित्तीय वर्ष 2024-25 में एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजनान्तर्गत पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट (पैक हाउस, कोल्ड रूम, शीतगृह, रिफर वैन, प्रोसेसिंग यूनिट एवं प्याज़ भण्डार गृह) में 994 कार्यक्रम तथा 600 मी.टीन में राइपेनिंग चेम्बर के कार्यक्रम कराये जा चुके हैं।
- प्रदेश के किसानों को उच्च गुणवत्ता के फल एवं सब्ज़ी के पौधों की उपलब्धता तथा नवीन तकनीकी हस्तान्तरण के उद्देश्य से इज़रायल सरकार के सहयोग से जनपद कौशाम्बी में सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स फॉर फ्रूट्स तथा चन्दौली में सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स फॉर वेजीटेबल्स की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है। जनपद सहारनपुर में सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स फॉर फ्रूट्स एण्ड वेजीटेबल्स तथा लखनऊ में सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स फॉर आर्नामेन्टल प्लाण्ट्स संचालित है।
- प्रदेश में गुणवत्तायुक्त सब्ज़ी पौध उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 14 मिनी सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स (हाईटेक नर्सरी) का कार्य पूर्ण एवं 09 निर्माणाधीन हैं। प्रदेश के समस्त जनपदों में मनरेगा के अन्तर्गत 02-02 हाईटेक नर्सरी की स्थापना कराये जाने हेतु कुल 150 मिनी सेंटर ऑफ एक्सीलेन्स/हाईटेक नर्सरी के सापेक्ष चयनित 133 साइट के सापेक्ष 59 साइट पर हाईटेक नर्सरी/मिनी सेंटर ऑफ एक्सीलेन्स का कार्य पूर्ण एवं 09 साइट पर हाईटेक नर्सरी का कार्य प्रगति पर है।
- आलू के उच्च गुणवत्तायुक्त बीज उत्पादन एवं तकनीक उपलब्ध कराने हेतु हापुड़ एवं कुशीनगर में आलू के लिए सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना की जा रही है।
- वित्तीय वर्ष 2024-25 में एकीकृत बागवानी विकास मिशन एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत 527 यूनिट मौनपालन (पॉलीनेशन थ्रू बी-कीपिंग) कार्यक्रम कराये गये।
- एकीकृत बागवानी विकास मिशन एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष

2024-25 में 10550 कृषकों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम कराये गये।

- राज्य सेक्टर की फल पट्टी विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 195 पावर नैपसैक स्प्रेयर, 17 ग्रेडिंग पैकिंग सेन्टर, 47 हेक्टेयर क्षेत्रफल में कैनोपी प्रबन्धन, 729 हेक्टेयर क्षेत्रफल में आई.पी.एम.15 ट्रैक्टर माउण्टेड एवं 500 कृषकों को प्रशिक्षण आदि कार्यक्रमों की पूर्ति करायी गयी।
- ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई का कार्य अधिक लागत जन्य होने के कारण प्रदेश के कृषकों को प्रोत्साहित किये जाने के उद्‌देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा ड्रिप सिंचाई (ड्रिप/मिनी/माइक्रो) में इकाई लागत के सापेक्ष लघु/सीमान्त कृष्कों को 90 प्रतिशत एवं अन्य कृषकों को 80 प्रतिशत एवं स्प्रिकलर सिंचाई हेतु लघु/सीमान्त कृषकों की 75 प्रतिशत एवं अन्य कृषकों को 65 प्रतिशत अनुदान की सुविधा दी जा रही है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1.366 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल आच्छादन लक्षित है, जिसके सापेक्ष अद्यतन 102331 में ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति के कार्यक्रम कराये गये।

प्रदेश की अर्थ व्यवस्था में कृषि एवं सम्बद्ध सेक्टर के विकास में लगभग 28 प्रतिशत योगदान औद्यानिक फसलों से है।

खाद्य प्रसंस्करण सेक्टरः-

उ.प्र. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के मुख्य आकर्षण बिन्दुः-

- खाद्य प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करने के लिए 12.5 एकड़ से अधिक भूमि ख़रीदने की अनुमति।
- गैर-कृषि उपयोग घोषणा के लिए सर्कल रेट पर मूल्य का 2 प्रतिशत शुल्क के रूप में जमा करने से छूट।
- परियोजना स्थल में आने वाली सरकारी भूमि के विनिमय (Exchange) में अनिवार्य रूप से भूमि के मूल्य का 25 प्रतिशत धनराशि जमा किये जाने पर छूट।
- भूमि उपयोग का रूपांतरण पर 50 प्रतिशत की छूट।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों पर बाहरी विकास शुल्क (External Development Charge) में 75 प्रतिशत की छूट।
- खाद्य प्रसंस्करण इकाई हेतु स्टांप शुल्क की शत् प्रतिशत प्रतिपूर्ति।
- प्रसंस्करण के लिए मण्डी का लाइसेन्स प्रदेश की किसी भी मण्डी का लाइसेन्स पूरे प्रदेश में कार्य करने के लिए अधिकृत होगा।
- प्रसंस्करण इकाइयों के लिए राज्य के बाहर लाये गये कृषि उत्पाद के लिए मण्डी शुल्क और उपकार से छूट।
- प्रसंस्करण इकाइयों को सीधे बेचे जाने वाले कृषि उत्पाद के लिए मंडी शुल्क और उपकर से छूट।

- किसी क्षेत्र को रोग मुक्त प्रमाणित/घोषित करने के लिए उदाहरणतः डयूरम गेहूँ-बुंदेलखंड और आलू आगरा-कन्नौज के विषय पर अध्ययन को प्रायोजित करना।
- प्रसंस्करण इकाइयों को बिजली आपूर्ति के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 75 के.वी.ए. तक लागत का 50 प्रतिशत, महिला उद्यमी हेतु लागत का 90 प्रतिशत सौर उर्जा परियोजना पर सब्सिडी।
- निर्यात हेतु परिवहन सब्सिडी (नेपाल, बांग्लादेश एवं भूटान को छोड़कर) खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों द्वारा निर्यात किये जाने वाले उत्पाद पर परियोजना की वास्तविक लागत का 25 प्रतिशत।

पूंजीगत सब्सिडीः-

1. राज्य में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के संबंध में संयंत्र, मशीनरी और तकनीकी सिविल कार्य पर किए गए व्यय का 35 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी अधिकतम सीमा रु.05 करोड़।
2. राज्य में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के विस्तार और आधुनिकीकरण/उन्नयन के संबंध में संयंत्र, मशीनरी और तकनीकी सिविल कार्य पर लागत का 35 प्रतिशत अधिकतम सीमा रु. 01 करोड़।
3. मूल्य वर्धन और कोल्ड चैन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए परियोजना लागत का 35 से 50 प्रतिशत अधिकतम धनराशि रु. 10 करोड़।
4. कृषि प्रसंस्करण कलस्टर के लिए न्यूनतम 05 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए न्यूनतम निवेश 25 करोड़ परियोजना लागत का 35 प्रतिशत अधिकतम रु. 10 करोड़।
5. बैकवर्ड और फारवर्ड लिकेज हेतु परियोजना लागत का 35 प्रतिशत अधिकतम रु 05 करोड़।
6. रीफर वाहनों और मोबाइल प्री-कूलिंग बैन की खरीद के लिए ऋण पर ब्याज के लिए 05 वर्ष तक अधिकतम रु.50 लाख तक की प्रतिपूर्ति।
7. आधुनिक प्रौद्योगिकी का लाभ हेतु प्रतिष्ठित संगठनों को अधिकतम रु. 05 करोड़ की परियोजना स्वीकृत की जायेगी।
8. विकेंद्रित प्रसंस्करण और भंडारण को बढ़ावा देने हेतु स्वयं सहायता समूह, एफ.पी.ओ./कृषक द्वारा विकेंद्रीकृत ख़रीद, भण्डारण और प्रसंस्करण हेतु परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु. 50 लाख छूट प्रदान की जायेगी।

- आत्म निर्भर भारत अभियान के अन्तर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पी.एम.एफ.एम.ई.) भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एक नवीन योजना है। जिसका वित्त पोषण भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 60:40 के अनुपात में किया जा रहा है।
- प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पी.एम.एफ.एम.ई.) के अन्तर्गत वर्ष 2024-25 में व्यक्तिगत उद्यमियों/स्वयं सहायता समूहों/एफ.पी.ओ. तथा को-आपरेटिव

को प्रदेश के सभी जनपदों में तकनीकी/ई.डी.पी. प्रशिक्षण प्रदान किये जाने का लक्ष्य है।

- योजनान्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों में लगे स्वयं सहायता समूह मेम्बर्स को फेसिलीटेंट करने हेतु रु. 40,000/ः प्रति सदस्य की दर से प्रारम्भिक पूंजी (सीड कैपिटल) प्रदान किए जाने का लक्ष्य है।
- योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश में 21000 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के उन्नयन लक्ष्य के सापेक्ष 16694 मौजूदा इकाइयों की स्थापना के कार्यक्रम पूर्ण हो चुके हैं। ओ.डी.ओ.पी. उत्पाद इकाइयों को प्राथमिकता दी जायेगी।
- इसके अन्तर्गत सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना/उन्नयन पर अनुमन्य परियोजना लागत का 35 प्रतिशत अधिकतम रु. 10 लाख क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी अनुमन्य है। इसमें लाभार्थी का योगदान न्यूनतम 10 प्रतिशत और अवशेष ऋण के माध्यम से किया जा सकता है।
- योजनान्तर्गत डी.पी.आर. तैयार करने, कौशल प्रशिक्षण, बैंक ऋण प्राप्त करने, एफ.एस.एस.ए.आई/स्थानीय निकाय लाइसेंस, उद्योग आधार आदि के लिए हैण्ड होल्डिंग सपोर्ट भी उपलब्ध कराया जायेगा।

वित्तीय वर्ष-2025-26 के लिए प्रस्तावित प्रमुख औद्यानिक विकास योजनाएं

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण द्वारा प्रदेश में फल, शाकभाजी, आलू, मसाला, पुष्प आदि औद्यानिक फसलों के विकास, फल-शाकभाजी संरक्षण विधियों के प्रचार के साथ-साथ मधुमक्खी पालन, खाद्य प्रसंस्करण, कुकरी, बेकरी एवं कन्फेक्शनरी आदि विधाओं में प्रशिक्षण, औषधीय एवं सगन्ध फसलों की खेती का विकास तथा पान की खेती को प्रोत्साहन तथा अनुपूरक उद्यम के रूप में मशरूम उत्पादन के सुनियोजित विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम संचालित हैं। बागवानी फसलें प्रदेश के अधिकांश छोटी जोत के कृषकों के लिए कृषि के विविधीकरण का सशक्त विकल्प है, जिन्हें अपनाकर इकाई क्षेत्र से अधिक आय, पोषण एवं रोजगार उपलब्ध कराये जा सकते हैं। प्रदेश की उपयुक्त कृषि जलवायु सभी प्रकार की बागवानी फसलों के उत्पादन के लिए अनुकूल हैं। जन साधारण की आय में वृद्धि से बागवानी फसलों की मांग के सापेक्ष उत्पादन में गुणात्मक वृद्धि एवं वर्ष भर उपलब्धता की चुनौती ने बागवानी के चतुर्दिक विकास के नये अवसर प्रदान किये हैं।

विभाग द्वारा संचालित योजनाएं

बागवानी विकासः-

- एकीकृत बागवानी विकास मिशन
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
- गुणवत्तायुक्त पान उत्पादन को प्रोत्साहन
- हर्बल गार्डेन की स्थापना
- राष्ट्रीय आयुष मिशन उद्यान घटक
- फलपट्टी विकास योजना

- मौनपालन प्रोत्साहन

खाद्य प्रसंस्करणः-

- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफई) के अन्तर्गत सूक्ष्म/लघु इकाइयों का उन्नयन करने का कार्यक्रम।
- उ.प्र. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु विभिन्न अनुदान एवं रियायतें।
- खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने हेतु राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा फूड टेक्नालॉजी में स्नातकोत्तर डिग्री।
- राजकीय खाद्य विज्ञान केन्द्रों पर ट्रेड डिप्लोमा/प्रशिक्षण।
- राजकीय सामुदायिक बल संरक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा फल-सब्ज़ी प्रसंस्करण प्रशिक्षण।

विभाग के थ्रस्ट एरियाः-

- फल विकास।
- आलू एवं शाकभाजी विकास।
- मसाला एवं पुष्प विकास।
- संरक्षित खेती को प्रोत्साहन।
- ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई को प्रोत्साहन।
- उत्कृष्ठता आधारित केन्द्रों के माध्यम से नवीन तकनीकी हस्तान्तरण।
- अनुपूरक उद्यम के रूप में मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन तथा पान की खेती को प्रोत्साहन।
- औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्रों पर किसानों को निःशुल्क परामर्श सेवायें तथा प्रशिक्षण।
- खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहन तथा रोज़गार सृजन।
- राजकीय प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान में एम.एस.सी. (फूड टेक्नालॉजी) कोर्स का संचालन।
- खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्रों पर एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स तथा फल संरक्षण, कुकरी, बेकरी, कन्फैक्शनरी के अल्प एवं दीर्घकालिक प्रशिक्षण की सुविधा।
- फल संरक्षण केन्द्रों पर फल सब्ज़ी संरक्षण कार्य के साथ-साथ 15 दिवसीय प्रशिक्षण, 100 दिवसीय उद्यमिता विकास तथा तीन दिवसीय खाद्य प्रसंस्करण जागरूकता शिविर/एक माह का उद्यमिता विकास प्रशिक्षण।

●

परती भूमि विकास

उ.प्र. भूमि सुधार निगम का संक्षिप्त परिचय- राज्य सरकार द्वारा दिनांक मार्च, को "उ.प्र. भूमि सुधार निगम" की स्थापना की गयी जो कम्पनी अधिनियम की धारा- के अन्तर्गत पंजीकृत उ.प्र. सरकार का उपक्रम है। निगम के पास विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ में स्वयं का अपना मुख्यालय है तथा जनपदों में स्वयं के जिला स्तरीय कार्यालय स्थापित हैं। उ.प्र. भूमि सुधार निगम की स्थापना अपघटित भूमि के स्थायी सुधार तथा अकृष्य भूमि यथा-ऊसर, बंजर एवं बीहड़ को कृषि योग्य बनाने के उद्देश्य से की गयी थी। उ.प्र. भूमि सुधार निगम द्वारा विश्व-बैंक के वित्त पोषण से उत्तर प्रदेश सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन की निम्न परियोजनाएँ कृषकों के हित में सफलतापूर्वक संचालित की गयीं :-

1. **उत्तर प्रदेश सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन-प्रथम** परियोजना वर्ष - तक संचालित की गयी, जिसमें कृषकों की . हे. ऊसर भूमि का सुधार कर कृषकों की सहभागिता से कृषि योग्य बनाया गया।
2. **उत्तर प्रदेश सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन-द्वितीय परियोजना** वर्ष - तक संचालित की गयी, जिसमें कृषकों की हे. ऊसर भूमि का सुधार कर कृषकों की सहभागिता से कृषि योग्य बनाया गया।
3. **उत्तर प्रदेश सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन-तृतीय परियोजना** वर्ष - से दिसम्बर, तक प्रदेश के ऊसर प्रभावित जनपदों यथा अलीगढ़, बुन्लदशहर, प्रयागराज, कौशाम्बी, आजमगढ़, भदोही (संत रविदासनगर), एटा, कासगंज, इटावा, औरैया, मैनपुरी, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, सुल्तानपुर, अमेठी, अम्बेडकरनगर, फैजाबाद, प्रतापगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, कन्नौज एवं वाराणसी में संचालित की गयी जिसमें . लाख हे. ऊसर भूमि का सुधार किया गया।

- दिसम्बर 2018 में उत्तर प्रदेश सोडिक लैण्ड रिकलेमेशन तृतीय परियोजना के अवसान के उपरान्त निगम में कोई परियोजना संचालित नहीं है, द्वितीयक कार्य के रूप में मण्डी परिषद द्वारा निगम को उपलब्ध कराये जा रहे रिवौलिवंग फण्ड से कृषि विभाग को उनके द्वारा की गयी माँग के अनुरूप विभिन्न जनपदों में जिप्सम आपूर्ति का कार्य निगम द्वारा किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 व 2023-24 के कार्यों का विवरण :-

. मण्डी परिषद द्वारा निगम को उपलब्ध कराये गये रिवौल्विंग फण्ड रु. . करोड़ से वर्ष - में निगम द्वारा कृषि विभाग को जनपदों में . मै.टन जिप्सम आपूर्ति की गयी।

. मण्डी परिषद द्वारा निगम को उपलब्ध कराये गये रिवौल्विंग फण्ड रु. . करोड़ से वर्ष - में निगम द्वारा कृषि विभाग को जनपदों में . मै.टन जिप्सम आपूर्ति की गयी।

. मण्डी परिषद द्वारा निगम को उपलब्ध कराये गये रिवौल्विंग फण्ड रु. . करोड़ से वर्ष - में निगम द्वारा कृषि विभाग को जनपदों में . मै.टन जिप्सम आपूर्ति की आपूर्ति का कार्य अद्यदिनांक तक किया जा चुका है।

राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी, परती भूमि विकास विभाग

वाटरशेड डेवलपमेन्ट कम्पोनेन्ट प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना .
(डब्लू.डी.सी.-पी.एम.के.एस.वाई. .)

विभाग का संक्षिप्त इतिहास :-

भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग उ.प्र. सरकार के कार्यालय/ज्ञाप दिनांक . . द्वारा भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम कर प्रदेश में क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने हेतु राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी (एस.एल. एन.ए.) का गठन किया गया है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में वर्षा जल संसाधन मृदा एवं जल संरक्षण कृषि उत्पादन प्रणाली तथा आजीविका विकास के समेकित कार्यों की योजना तैयार कराते हुये निधियाँ प्राप्त कर ग्रामीण सहभागिता के आधार पर परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.ए.) के माध्यम से क्रियान्वित कराया जाना है। वित्तीय वर्ष - से समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (आई.डब्लू.एम.पी.) प्रदेश में आरम्भ की गयी है। जो वर्तमान में वाटरशेड विकास घटक-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना . के रूप में प्राख्यापित है।

वित्त पोषण अनुपात एवं योजना लागत :-

- योजना के प्रारम्भ वर्ष - से वर्ष - तक भारत सरकार एवं राज्य सरकार का वित्त पोषण के अनुपात में तथा वर्ष - से अद्यतन वर्ष में वित्त पोषण का अनुपात कर दिया गया है।
- भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वाटरशेड विकास कार्यक्रम हेतु फर्स्ट फेज प्रारम्भ वर्ष - से वर्ष - तक रु. प्रति हे. की धनराशि अनुमन्य की गई है।
- सेकण्ड फेज प्रारम्भ वर्ष - से रु. प्रति हे. की धनराशि अनुमन्य की गई है।

योजना का कार्यक्षेत्र :-

सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश का वर्षा आधारित क्षेत्र।

वर्ष 2021-22 में स्वीकृत संचालित परियोजनाओं के जनपदों का विवरण :-

भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक . . द्वारा वाटरशेड विकास की परियोजनाएं जनपदों क्रमशः कन्नौज, आजमगढ़, कानपुर नगर, जौनपुर, बिजनौर, रामपुर, बुलन्दशहर, अमरोहा, महोबा, मैनपुरी, कुशीनगर, एटा, इटावा, देवरिया, चित्रकूट, कौशाम्बी, लखनऊ, मथुरा, वाराणसी, सोनभद्र, हमीरपुर, फतेहपुर, रायबरेली, मिर्जापुर, बदायूँ, प्रतापगढ़, अमेठी, प्रयागराज, बरेली, सम्भल, सहारनपुर, मुरादाबाद, बागपत एवं हापुड़ में स्वीकृत एवं संचालित हैं।

योजना प्रारम्भ से मार्च 2019 तक मुख्य भौतिक उपलब्धियाँ :-

- . लाख हेक्टेयर भूमि क्षेत्र उपचारित,
- स्वयं सहायता समूहों का गठन तथा रु. - करोड़ रिवाल्विंग फंड वितरित,
- नई जल संरक्षण-संरचनाओं का निर्माण
- पुरानी जल संचयन संरचनाओं का जीर्णोद्धार,
- कृषकों को सीधे लाभान्वित किया गया (अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति एवं अन्य)
- हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन,
- भुवन पोर्टल पर कृत कार्यों के फोटोग्राफ्स अपलोड।

●

ग्रामीण अभियन्त्रण

विभाग का परिचय एवं कार्य

स्थापना :

वर्ष-1972	04 अप्रैल, 1972 में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा का गठन सामुदायिक विकास विभाग के अन्तर्गत कार्यदायी संस्था के रूप में हुआ था।
वर्ष-1979	सामुदायिक विकास विभाग से पंचायतीराज विभाग के अलग होने पर ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, ग्राम विकास विभाग के अन्तर्गत आ गया।
वर्ष-1993	लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के नाम से पृथक विभाग का गठन किया गया।
वर्ष-1997	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के नाम से पृथक विभाग का गठन किया गया।
वर्ष-2011	08 जुलाई, 2011 को ग्रामीण अभियंत्रण सेवा का नाम बदल कर ग्रामीण अभियंत्रण विभाग कर दिया गया।

उद्देश्य :

1. सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न शासकीय विभागों के मार्गों एवं भवनों का निर्माण।
2. ग्राम विकास विभाग के अन्तर्गत समस्त निर्माण।
3. जिला प्रशासन एवं त्रिस्त्रीय पंचायती संस्थाओं को निर्माण कार्यों में तकनीकी परामर्श एवं सहयोग।

बजट :

आयोजनागत (PLAN) मद में विभाग को कोई बजट प्राविधान नहीं है। अन्य शासकीय विभागों से डिपाजिट के रूप में प्राप्त धनराशि से विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था के रूप में निर्माण कार्य सम्पादित कराये जाते हैं। वेतन भत्तों एवं अन्य अधिष्ठान मदों में विभाग को लगभग रु. 709.53 करोड़ प्रति वर्ष प्राप्त होता है।

विभाग द्वारा वर्तमान में कराये जा रहे निर्माण कार्य :

1. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का निर्माण नई तकनीक एफ.डी.आर. से लगभग 724 मार्ग, लम्बाई 5627.30 में से 606 मार्ग, लम्बाई 5132.106 किमी. पूर्ण एवं 118 मार्ग, लम्बाई 517.13 किमी. का उच्चीकरण किया जा रहा है।
2. त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत प्रत्येक विधानसभा में मार्गों का निर्माण।

3. अन्य विभाग/योजनाओं के अंतर्गत मार्ग एवं भवनों का निर्माण पर्यटन विभाग, राजस्व विभाग, विधायक निधि, सांसद निधि, पूर्वांचल विकास निधि, बुन्देलखण्ड विकास निधि, गृह विभाग, उद्यान विभाग, व्यावसायिक शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, खेल कूद विभाग एवं युवा कल्याण ग्राम्य विकास विभाग एवं कृषि विभाग आदि के कार्य।

गुणवत्ता नियंत्रण

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना :

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण का प्राविधान है।

प्रथम स्तर विभागीय अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से कार्यों का निरीक्षण एवं निर्धारित मात्रा में गुणवत्ता परीक्षण।

द्वितीय स्तर स्टेट क्वालिटी मानिटर (SQM) द्वारा समय-समय पर कार्यों का निरीक्षण एवं गुणवत्ता परीक्षण।

तृतीय स्तर नेशनल क्वालिटी मानिटर (NQM) द्वारा समय-समय पर कार्यों का निरीक्षण एवं गुणवत्ता परीक्षण।

अन्य योजनायें :

अन्य योजनाओं के अंतर्गत भी 3 स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण का प्राविधान है।

प्रथम स्तर विभागीय अधिकारियों द्वारा समय-समय पर कार्यों का निरीक्षण एवं निर्धारित मात्रा में गुणवत्ता परीक्षण एवं जांच की जाती है, प्रत्येक मण्डल स्तर पर विभागीय प्रयोगशालायें भी स्थापित की गयी हैं।

द्वितीय स्तर शासन के अधीन गठित टेक्निकल आडिट सेल (TAC) द्वारा समय-समय पर कार्यों का निरीक्षण एवं आडिट किया जाता है एवं शिकायतों की जांच की जाती है।

तृतीय स्तर प्रदेश के इंजीनियरिंग कालेजों के माध्यम से थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कराया जाता है।

मापन योग्य ( ) एवं प्राप्त किये जा सकने वाले ( ) लक्ष्य (2025-26)

- वित्तीय लक्ष्य - 3500 करोड़
- भौतिक लक्ष्य

क्र.सं.	मद	संख्या	लम्बाई
1.	भवन निर्माण	5000	
2.	मार्ग निर्माण	9000	3000 किमी.
3.	पुलिया निर्माण	100	
4.	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मार्ग निर्माण (अवशेष मार्ग)	202	1056 किमी.

बेसिक शिक्षा

प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु बेसिक शिक्षा विभाग संकल्पबद्ध है। प्रदेश में बेसिक शिक्षा के अधीन शासकीय तथा अशासकीय लगभग 2,23,712 विद्यालय संचालित हैं। राज्य सरकार द्वारा 6-14 वर्ष के बच्चों के शिक्षा हेतु सुनियोजित तथा प्रभावी प्रयास किये हैं। प्रदेश का कोई भी बच्चा, स्कूली शिक्षा से वंचित न रहे, इस हेतु प्रत्येक वर्ष "स्कूल चलो अभियान" संचालित किया जाता है तथा 'शारदा' (स्कूल हर दिन आये) आनलाईन पोर्टल कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्वे में चिन्हित किये गये आउट ऑफ स्कूल बच्चों का विद्यालयों में नामांकन कराया जाता है। इसके फलस्वरूप विगत वर्षों में छात्र नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। शैक्षिक सत्र 2024-25 में परिषदीय विद्यालयों एवं सहायता प्राप्त जू.हा. स्कूलों में कक्षा 1-8 में अध्ययनरत 148.00 लाख छात्र-छात्राओं का नामांकन किया गया। शैक्षिक सत्र 2024-25 में भी कक्षा 01 से 08 तक अध्ययनरत पात्र छात्र-छात्राओं के उपयोगार्थ निःशुल्क यूनीफार्म, स्वेटर, स्कूल बैग एवं जूता-मोज़ा एवं स्टेशनरी के क्रय से संबंधित धनराशि उनके माता/पिता/अभिभावकों के आधार सीडेड बैंक खातों में डी.बी.टी. माध्यम से हस्तान्तरित किये जाने की कार्यवाही की गई। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए विद्यालयों में छात्र संख्या के आधार पर अध्यापकों की तैनाती, छात्रों एवं अध्यापकों की नियमित उपस्थिति, पठन-पाठन की नियमित व्यवस्था एवं छात्र-छात्राओं के शैक्षिक सम्प्राप्ति (लर्निंग आउटकम) में वृद्धि के लिए विभाग लगातार प्रयासरत है। गवर्नेन्स एवं अनुश्रवण की व्यवस्था को सुधारने एवं संस्थागत स्वरूप प्रदान करने के उद्देश्य से बेसिक शिक्षा विभाग का एकीकृत 'प्रेरणा' पोर्टल एवं 'मानव सम्पदा' पोर्टल विकसित कर इसे पूरे प्रदेश में लागू किया गया है। 'मानव सम्पदा' पोर्टल के अन्तर्गत शिक्षकों का सेवा-विवरण, समस्त प्रकार के अवकाश, सेवा-पुस्तिका, जी.पी.एफ. प्रशिक्षण एवं पेंशन आदि सम्बन्धी कार्यों हेतु त्वरित एवं पारदर्शी ऑनलाइन व्यवस्था प्रारम्भ की गयी है। प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाकर, ऑनलाइन प्रणाली से 1,26,371 शिक्षकों को नियुक्ति प्रदान करते हुए उन्हें आवश्यकता वाले विद्यालयों में तैनाती दी गयी। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए 21वीं सदी के लिए उपयुक्त शिक्षा की व्यवस्था करने के उद्देश्य से 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020' का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

प्राथमिक शिक्षा एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा

प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु बेसिक शिक्षा विभाग संकल्पबद्ध है। प्रदेश में बेसिक शिक्षा के अधीन शासकीय एवं अशासकीय लगभग 2,23,712 विद्यालय संचालित हैं तथा

6-14 वर्ष के बच्चों के लिए 01 से 03 किलोमीटर की परिधि में विद्यालय की सुविधा उपलब्ध है।

1 स्कूल चलो अभियान तथा छात्र नामांकन :-

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 के अन्तर्गत, **"सब पढ़ें, सब बढ़ें"** के संकल्प को पूरा करने के लिए विद्यालयों में बच्चों का शत्-प्रतिशत नामांकन कराया गया। **शारदा (स्कूल हर दिन आयें) "ऑनलाइन पोर्टल"** के माध्यम से प्रदेश के 'आउट ऑफ स्कूल'/ड्रॉप आउट बच्चों का चिह्नांकन करके उनका नामांकन कराया गया। शैक्षिक सत्र 2022-23 में, परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/कम्पोजिट विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के नामांकन में वृद्धि हेतु "स्कूल चलो अभियान" का 04 अप्रैल, 2022 से प्रारम्भ किया गया था। वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 1.47 करोड़ छात्रों को प्रवेश कराया गया है।

2 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम- 2009 की धारा-12(1) ग के अन्तर्गत वंचित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों का नामांकन/प्रवेश :-

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा- 12(1) ग के अन्तर्गत सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के बच्चों का नामांकन/प्रवेश कराया जाता है। शैक्षिक सत्र 2024-25 में अद्यतन 1,13,984 बच्चों को प्रवेश दिलाया गया है।

3 अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय :-

सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ.प्र. प्रयागराज के पत्रांक दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में से कुल 5000 अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय संचालित करने का निर्णय लिया गया था। उल्लेखनीय है कि अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों के संचालन से परिषदीय विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के नामांकन में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है तथा विद्यालयों में बच्चों के ठहराव में भी वृद्धि देखी गई है।

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में लगभग 15000 परिषदीय विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम से संचालित किया गया है, जिसके कारण छात्र-छात्राओं के नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

4 डी.बी.टी. के माध्यम से छात्र-छात्राओं के माता/पिता/अभिभावकों के आधार सीडेड बैंक खाते में धनराशि का हस्तान्तरण :-

बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षिक सत्र 2023-24 में प्रदेश में परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक विद्यालयों कक्षा-1 से 08 तक अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के उपयोगार्थ निःशुल्क यूनिफार्म, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता-मोज़ा एवं स्टेशनरी हेतु धनराशि पी.एफ.एम.एस.-डी.बी.टी. मॉड्यूल के माध्यम से सीधे छात्र-छात्राओं के माता/पिता/अभिभावकों के आधार सीडेड बैंक खाते में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रथम चरण में अद्यतन लगभग 1.30 करोड़ छात्र-छात्राएं लाभान्वित किये जा चुके हैं। शेष पात्र छात्र-छात्राओं को लाभान्वित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

5 वनटांगिया ग्रामों में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण :-

प्रदेश के सभी वनटांगिया गाँव में, जहाँ मानकों के अनुरूप विद्यालयों की आवश्यकता है, वहाँ विद्यालय खोलने की कार्यवाही की गई है। वनटांगिया गावों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से उन गांवों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करायी जा रही है।

उक्त योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 में गोरखपुर जनपद के 7 वनटांगिया ग्रामों में 5 प्राथमिक और 2 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कराया गया तथा जनपद महराजगंज के 26 वनटांगिया ग्रामों में 17 प्राथमिक व 9 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कराया गया है।

6 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित एक ही परिसर में स्थित विद्यालयों का संविलियन :-

एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक परिषदीय विद्यालयों का संविलियन किया जा रहा है। (प्रेरणा) पोर्टल की सूचना के आधार पर अब तक कुल 24,391 विद्यालयों का संविलियन कर कम्पोजिट विद्यालय बनाया गया है, जिससे बच्चों को बेहतर मूलभूत सुविधाएँ प्राप्त हो सकें तथा विद्यालयों में अध्यापकों की कमी को पूरा किया जा सके।

7 राज्य शिक्षक पुरस्कार :-

उ.प्र. सरकार द्वारा शिक्षक पुरस्कार-2022-23 के लिए प्रदेश के 75 अध्यापकों को राज्य शिक्षक पुरस्कार दिए जाने के लिए चयनित किया गया। उत्कृष्ट कार्य करने वाले अध्यापकों को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा राज्य अध्यापक पुरस्कारों की संख्या 17 से बढ़ाकर 75 एवं पुरस्कार धनराशि रु.10,000/- से बढ़ाकर रु. 25,000/- की गयी है।

8 निजी प्रबन्धतंत्र द्वारा स्थापित किये जाने वाले विद्यालयों की मान्यता हेतु ऑनलाइन प्रक्रिया :-

प्रदेश में निजी प्रबन्धतंत्र द्वारा स्थापित किये जाने वाले विद्यालयों को मान्यता प्रदान किये जाने की पूर्व प्रचलित व्यवस्था को समाप्त करते हुए, 'ऑनलाइन' माध्यम से किये जाने हेतु पोर्टल तैयार किया गया है, जिसमें मान्यता हेतु आवेदन किये जाने से प्रारम्भ कर मान्यता आदेश निर्गत किये जाने की समस्त कार्यवाही ऑनलाइन सम्पादित की जाती है।

9 महत्वाकांक्षी जनपद :-

नीति आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश के विकास दौड़ में पिछड़े 08 जनपदों (सोनभद्र, चित्रकूट, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, चंदौली एवं फतेहपुर) को महत्वाकांक्षी जनपदों के रूप में चयनित किया गया है। इन जनपदों को रूपान्तरण निर्धारित निष्पादन संकेतकों के आधार पर किया जा रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से उक्त जनपदों को विकास की दौड़ में अन्य जनपदों के समान लाये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

10 महत्वाकांक्षी विकास खण्ड :-

नीति आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश के 108 आकांक्षात्मक विकास खण्डों की प्रगति का अनुश्रवण 05 विषयगत क्षेत्र यथा-चिकित्सा एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन एवं

कौशल विकास तथा आधारभूत अवसंरचना के अन्तर्गत कुल 75 इंडीकेटर्स के आधार पर किया जाता है। उल्लेखनीय है कि बेसिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित इंडीकेटर्स की संख्या 11 है। 108 विकासखण्डों की प्रगति के अनुश्रवण हेतु 75 इंडीकेटर्स की डेटा इंट्री हेतु ऑनलाइन पोटर्स/डैशबोर्ड उपलब्ध हैं। बेसिक विभाग के अन्तर्गत आने वाले इंडीकेटर पेयजल में सभी ब्लॉकों में 100 प्रतिशतता प्राप्त कर ली गयी है साथ ही ब्लाकों के स्कूलों में बालिकाओं हेतु संचालित शौचालयों की उपलब्धता लगभग 100 प्रतिशत है।

समग्र शिक्षा

समग्र शिक्षाः-

- समग्र शिक्षा भारत सरकार की केन्द्र पुरोनिधानित योजना है एवं राज्य के सभी जनपदों में संचालित है। वित्तीय पोषण का स्वरूप-भारत सरकार का अंश 60 प्रतिशत एवं राज्य सरकार का अंश 40 प्रतिशत है।

निर्माण कार्यः-

- पी.एम.श्री विद्यालय योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 1565 बेसिक विद्यालयों में आधुनिक अवस्थापना सुविधाएं-स्मार्ट क्लासरूम, आई.सी.टी. लैब आदि शैक्षणिक सुविधाएं स्थापित करते हुए आदर्श विद्यालय विकसित किये जा रहे हैं।
- वर्ष 2024-25 में स्वीकृत 1350 अतिरिक्त कक्षा-कक्षों के सापेक्ष 1111 कक्षा-बच्चों का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। शेष निर्माण कार्य विभिन्न स्तर पर जनपदों में गतिमान है।
- वर्ष 2024-25 में स्वीकृत 123 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पुननिर्माण के सापेक्ष 38 विद्यालयों के पुनर्निमाण का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है तथा 82 विद्यालयों का कार्य विभिन्न स्तर पर जनपदों में गतिमान है।
- वर्ष 2024-25 में स्वीकृत 354 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के वृहद मरम्मत कार्य के सापेक्ष 61 विद्यालयों के मरम्मत कार्य पूर्ण कराया जा चुका है तथा 273 विद्यालयों का कार्य विभिन्न स्तर पर जनपदों में गतिमान है।
- राज्य सरकार द्वारा अपने स्रोतों से 57 जनपदों में मुख्यमंत्री मंडल कम्पोजिट विद्यालय की 'स्थापना' की जा रही है, जिनमें प्री-प्राइमरी के साथ-साथ कक्षा 01-12 तक की पृथक-पृथक कक्षाओं का संचालन किया जायेगा।
- राज्य सरकार द्वारा अपने स्रोतों से 377 परिषदीय विद्यालयों को आधुनिक अवस्थापना एवं शैक्षणिक सुविधाओं के साथ मुख्यमंत्री अभ्युदय कम्पोजिट विद्यालय (प्री-प्राइमरी एवं कक्षा 01 से 08) के रूप में उच्चीकरण किया जा रहा है।

सामुदायिक सहभागिताः-

- प्रदेश में संचालित परिषद प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों, राजकीय विद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा-1 से कक्षा-8 तक अध्ययनरत

छात्र-छात्राओं को 02 सेट यूनीफार्म, जूता मोजा, स्वेटर, स्कूल बैग एवं स्टेशनरी के क्रय से सम्बन्धित धनराशि बच्चों के माता/पिता/अभिभावक के आधार सीडेड बैंक खातों में डी.बी.टी. के माध्यम से प्रति छात्र-छात्रा रु. 1200/- की दर से धनराशि अन्तरित की गयी है।

बालिका शिक्षाः-

- प्रदेश में संचालित सभी 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं एवं मानव संसाधन सुनिश्चित कराया जा रहा है। इन विद्यालयों में 82,629 छात्राएं नामांकित हैं।
- कक्षा 8 पास छात्राओं को माध्यमिक शिक्षा से जोड़ने हेतु 680 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को कक्षा-12 तक आवासीय सुविधा के साथ उच्चीकृत किया गया है।

पूर्व प्राथमिक शिक्षाः-

- 5722 विद्यालय, जिनमें को-लोकेटेंड आँगनबाड़ी केन्द्र अवस्थित हैं, में आउटडोर प्ले मैटेरियल के रूप में झूले उपलब्ध कराये जा रहे हैं एवं 5436 को-लोकेटंड आंगनबाड़ी केन्द्रों को बाला फीचर्स से सुसज्जित किया गया है।
- 9900 विद्यालय, जिनमें को-लोकेटेंड आंगनबाड़ी केन्द्र अवस्थित हैं, में लर्निंग कार्नर उपलब्ध कराये गये हैं।

मानव सम्पदाः-

- सभी शिक्षकों का सेवा विवरण एन.आई.सी. के सहयोग से मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड कर, पे-रोल मॉडयूल के माध्यम से वेतन भुगतान, अवकाश मॉडयूल के माध्यम से अवकाश प्रकरणों का निस्तारण, शिक्षकों के स्थानान्तरण, स्थानान्तरण/नवीन नियुक्ति के उपरान्त विद्यालय आवंटन, निलंबन से बहाली के उपरान्त विद्यालय आवंटन, एरियर मॉडयूल के माध्यम से समस्त प्रकार के अवशेष भुगतान तथा समूह-क एवं ख के अधिकारियों का ए.सी.आर. अंकन इत्यादि की कार्यवाही मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है।

मध्याह्न भोजन योजना से आच्छादित विद्यालयों की श्रेणी एवं बच्चों की संख्याः-

मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत वर्ष 2024-25 में प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कुल 142022 विद्यालय योजना से आच्छादित हैं, जिसमें लगभग 1.74 छात्र-छात्राएं योजना से आच्छादित हैं। यह संख्या देश में सर्वाधिक है।

नव भारत साक्षरता कार्यक्रम

"नव भारत साक्षरता कार्यक्रम" 01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2027 (कुल पाँच वर्ष) तक चलाया जायेगा। उक्त कार्यक्रम प्रदेश के सभी 75 जनपदों में ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में एक साथ चलाने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त कार्यक्रम के माध्यम से अपेक्षित साक्षरता दर को प्राप्त करने के उद्‌देश्य से 15+ वय

वर्ग की, विशेषकर महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों, दिव्यांगजन एवं श्रमिक आदि की साक्षरता में अपेक्षित वृद्धि हेतु प्रदेश के समस्त 75 जनपदों का ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों का चयन वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 15+ वय वर्ग की महिलाओं की साक्षरता दर 60 प्रतिशत से कम है, वहां निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर किया जा रहा है।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, लखनऊ

भारत सरकार की शैक्षिक नीति के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश शासन वर्ष- 1981 में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गयी। परिषद की स्थापना का मूल उद्देश्य शैक्षिक शोध, सर्वेक्षण, सेवापूर्व एवं सेवारत् प्रशिक्षण की व्यवस्था, प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों का विकास तथा उनका संशोधन एवं पुनरीक्षण आदि हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित मूल्यों एवं माननीय मूल्यों तथा प्रारम्भिक, माध्यमिक एवं शिक्षक-शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता सम्वर्द्धन हेतु परिषद सतत् प्रयासरत है।

➢ **परिषद के उद्देश्य और प्रमुख कार्यः-**

- शिक्षा के गुणात्मक-उन्नयन की दृष्टि से क्रियात्मक अनुसंधान करना, अनुसंधानों का समन्वयन व क्रियान्वयन करना तथा उन्हें प्रोत्साहन देना।
- सेवापूर्व/सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण का आयोजन तथा शिक्षक-प्रशिक्षण के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को आवश्यक परामर्श एवं निर्देशन देना।
- नवीनतम शिक्षण विधियों तथा विशिष्ट कार्यक्रमों एवं उसके क्रियान्वयन से सम्बन्धित योजनाओं को विद्यालयों तथा शैक्षिक आयोजकों तक पहुँचाना।
- शैक्षिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु राज्य के शिक्षा विभाग, विश्वविद्यालयों, अन्य शैक्षिक संस्थाओं और कतिपय अभिकरणों से सहयोग प्राप्त करना।
- विद्यालयी शिक्षा के स्तर को उन्नत बनाने की दृष्टि से राज्य प्रशासन तथा अन्य अभिकरणों को परामर्श देना।
- पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों, शिक्षक-सदर्शिका, प्रशिक्षण मॉड्यूल, शिक्षण-सामग्री तथा अन्य उपयोगी साहित्य का विकास, प्रकाशन एवं प्रचार-प्रसार करना।
- सरकार द्वारा संदर्भित शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संबंधी अन्य कार्यक्रमों का आयोजन।

➢ **परिषद की इकाइयांः-**

- उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान (आई.ए.एस.ई.), उ.प्र. प्रयागराज
- कॉलेज ऑफ टीचर एजूकेशन (सी.टी.ई.), वाराणसी
- राज्य शिक्षा संस्थान, उ.प्र. प्रयागराज
- राज्य हिन्दी संस्थान, उ.प्र. वाराणसी
- राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, उ.प्र. प्रयागराज
- आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, उ.प्र. प्रयागराज

- मनोविज्ञानशाला, उ.प्र., प्रयागराज
- राजकीय शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय, उ.प्र., आगरा
- राजकीय शिशु प्रशिक्षण महिला महाविद्यालय, उ.प्र., प्रयागराज
- राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, उ.प्र., रामपुर
- राजकीय महिला शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय उ.प्र., प्रयागराज
- जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डायट)

➢ **सेवापूर्ण प्रशिक्षण :-**

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	अवधि
1.	डी.एल.एड. (डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजूकेशन)	2 वर्ष
2.	सी.टी. (नर्सरी) (सार्टीफिकेट इन टीचिंग)	2 वर्ष
3.	डी.पी.एड. (डिप्लोमा इन फिजिकल एजूकेशन)	2 वर्ष
4.	डी.जी.पी. (डिप्लोमा इन गाइडेन्स एण्ड साइकोलॉजी)	9 माह
5.	एन.आई.ओ.एस. द्वारा संचालित डी.एल.एड. प्रशिक्षण (ऑन लाइन)	2 वर्ष

➢ **सेवारत शिक्षक-प्रशिक्षण एवं अन्य कार्यक्रम :-**

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित शिक्षक शिक्षा योजना एवं समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदानित बजट से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता उन्नयन हेतु नवीन अवधारणाओं तथा आवश्यकताओं को चिन्हांकित करते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कराये जाते हैं। कक्षा शिक्षण प्रक्रिया को जीवंत बनाने, विभिन्न विषयों में नवीन शैक्षिक प्रक्रियाओं/गतिविधियों का समावेश करने, विभिन्न विषयों में शिक्षकों को संवेदीकृत करने तथा छात्र-छात्राओं को शैक्षिक सम्प्राप्ति में वृद्धि के लिए एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल्स का विकास कराकर शिक्षक प्रशिक्षण के साथ-साथ अन्य कार्यक्रम एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है।

●

माध्यमिक शिक्षा

भारत सरकार द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना को समग्र शिक्षा अभियान के रूप में संचालित किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत निम्न महत्वपूर्ण केन्द्र पुरोनिधानित कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है।

1. राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के व्यवसायिक शिक्षा के विभिन्न ट्रेडों का संचालन।
2. बालिका छात्रावास योजना।
3. दिव्यांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा योजना।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण योजनाएँ संचालित की जा रही हैं:-

1. सैनिक स्कूल की स्थापना।
2. मण्डल/जिला स्तर पर शिक्षा कार्यालय तथा आवासीय भवनों का निर्माण।
3. राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के भवनों का निर्माण, विस्तार, विद्युतीकरण तथा भूमि/भवन क्रय। (प्रोजेक्ट अलंकार)
4. सहायता प्राप्त अशासकीय अनुदानित माघ्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधा।
5. एन.सी.सी. प्रशिक्षण अकादमी गोरखपुर।
6. नवीन केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना/भवन निर्माण।

विभाग की प्रमुख योजनाएं

माध्यमिक शिक्षा का सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था में विशेष महत्व है। किशोर बालक/बालिकाओं में ज्ञानवर्धन के साथ-साथ सामाजिक सद्गुणों का विकास, अधिकारों एवं कर्तव्यों का ज्ञान, राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता के प्रति जागरूकता, आत्मनिर्भरता और आत्मविकास आदि चारित्रिक गुणों का विकास करना माध्यमिक शिक्षा का मूल उद्देश्य है। वर्तमान में प्रदेश में कुल 28796 माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं, जिसमें 2542 राजकीय, 4512 अशासकीय तथा 21742 वित्तविहीन, अशासकीय माध्यमिक विद्यालय हैं। संस्कृत शिक्षा के लिये 02 राजकीय, 971 सहायता प्राप्त एवं 267 वित्तविहीन, कुल 1240 विद्यालय संचालित हैं।

1- बालिका शिक्षा संबंधी योजनाएँ :-

माध्यमिक शिक्षा में महिला सशक्तीकरण के अन्तर्गत निम्नलिखित योजनाएँ संचालित हैं :-

(अ) असेवित विकासखण्डों में निजी प्रबंधतंत्रों द्वारा कन्या माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना :-

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1998 तक निर्धारित मानक के पूर्ण करने पर कन्या माध्यमिक विद्यालय खोलने के लिये निजी प्रबन्ध तन्त्र को रु. 05-05 लाख की दो समान किश्तों में रु. 10 लाख का अनावर्तक अनुदान दिये जाने की व्यवस्था थी। सरकार द्वारा दिनांक 28 दिसम्बर, 1998 से अनावर्तक अनुदान को बढ़ाकर रु. 20.00 लाख कर दिया गया जिसके अन्तर्गत रु. 10-10 लाख की दो समान किश्तों में धनराशि प्रदान करने का प्रावधान किया गया।

(ब) एक कन्या विद्यालय सेवित विकास खण्ड की तथा दूसरी न्याय पंचायत में निजी प्रबंध तंत्रों द्वारा कन्या विद्यालय हेतु अनावर्तक अनुदान :-

उक्त योजनान्तर्गत एक कन्या विद्यालय सेवित विकास खण्ड की दूसरी न्याय पंचायत में निजी प्रबन्धतन्त्र द्वारा कन्या विद्यालय की स्थापना हेतु रु. 20.00 लाख की दर से (दो समान किश्तों में निर्धारित मानक को पूर्ण करने पर) अनुदान स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था है।

2- राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सुदृढ़ीकरण एवं अवस्थापना संबंधी योजनायें :-

(अ) माध्यमिक विद्यालयों के भवनों का निर्माण, विस्तार, विद्युतीकरण तथा भूमि, भवन क्रय योजना :-

उक्त के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 तक 10 विद्यालयों में निर्माण कार्य, कराया गया था। वर्ष 2025-26 में रु. 47949.11 लाख प्रावधान है।

(ब) जिला स्तर पर शिक्षा कार्यालय एवं आवासीय भवनों का निर्माण :-

क्षेत्रीय कार्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद, गोरखपुर, मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, बस्ती तथा कन्नौज, सुल्तानपुर एवं शामली के जनपदीय कार्यालयों का निर्माण कराया गया है।

3- उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा योजनाः-

प्रदेश में योजना का आरम्भ - 1989-90 चयनित विद्यालयों की संख्या -892

नकल विहीन परीक्षा हेतु किये गये अभिनव कार्य

- बोर्ड परीक्षा सम्पादन एवं अन्य कार्यों में सुधार के लिए ऑनलाइन केन्द्र निर्धारण, अग्रिम पंजीकरण, मान्यता एवं डुप्लीकेट अंक पत्र/प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी।
- कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी लगाने एवं देयकों का त्वरित निस्तारण करने के लिए एप्लीकेशन माड्यूल "http://upegov.in/UPBoardExam" की व्यवस्था करायी गयी।
- आंतरिक परीक्षा/प्री बोर्ड के अंकों हेतु पोर्टल।
- वर्तमान वर्ष 2025 में 13 कार्य दिवस में परीक्षा सम्पन्न कराने के साथ ही बोर्ड परीक्षा 2025 में सामूहिक नकल कराये जाने, प्रश्नपत्रों के पूर्व प्रकटन, प्रश्नपत्रों के वायरल किये जाने की कोई अप्रिय घटना घटित नहीं हुयी।
- स्मार्ट आई प्रोजेक्टः समस्त 75 जनपद एवं राज्य स्तर पर समस्त तकनीकी आवश्यक सुविधाओं से युक्त कन्ट्रोल एवं मॉनीटरिंग सेंटर की स्थापना कराकर सभी 8140 परीक्षा

केन्द्रों एवं 75 जनपद-स्तरीय कन्ट्रोल एवं मॉनीटरिंग सेंटर की वॉयस रिकॉर्डर के साथ संस्थापित सीसीटीवी कैमरों की इमेजिंग के माध्यम से राज्य स्तरीय कन्ट्रोल रूम से वेब-कास्टिंग द्वारा लाइव मॉनीटरिंग करायी गयी।

- वर्ष 2025 में परीक्षार्थियों एवं जनसामान्य की शिकायतों का त्वरित निदान हेतु राज्य कन्ट्रोल एवं मानीटरिंग सेंटर पर एक काल सेन्टर भी संचालित किया गया जिसमें 02 हेल्पलाइन नम्बरों नं. 1800-180-6607 एवं 1800-180-6608, एक समर्पित ई-मेल आई डी upboardexam2022@gmail.com की व्यवस्था की गयी।
- कन्ट्रोल रूम, टोलफ्री नम्बर, ई-मेल, ट्विटर हैन्डल, सूचना विश्लेषण एवं संप्रेषण से सम्बन्धित कार्यों की मॉनीटरिंग के लिए निदेशालय स्तर से अधिकारी तैनात किए गये जिनके द्वारा प्रतिदिन परीक्षा समाप्ति के उपरान्त बैठक की गयी जिसमें दैनिक सूचनाओं एवं गतिविधियों पर चर्चा के उपरान्त जनपदों को यथोचित निर्देश प्रदान किये गये।
- संवेदनशील एवं अति संवेदनशील परीक्षा केन्द्रों की निगरानी हेतु एस.टी.एफ. एवं स्थानीय अभिसूचना इकाई (एल.आई.यू.) को सम्पूर्ण परीक्षा अवधि तक सक्रिय रखा गया, जिससे परीक्षा केन्द्रों पर प्रश्न-पत्रों के प्रकटन के प्रयास की सम्भावना पर पूर्ण अंकुश लगाया गया।

संस्कृत शिक्षा का सुदृढ़ीकरण :-

- उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद्, लखनऊ राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान (NIOS) की समकक्षता सूची में सम्मिलित। N.I.O.S. की वेबसाइट nios.ac.in के पेज Prospectus 2023-24 पर प्रदर्शित।
- संस्कृत शिक्षा में रोजगारपरक डिप्लोमा पाठ्यक्रम, पौरोहित्य (कर्मकाण्ड), व्यवहारिक वास्तुशास्त्र, व्यवहारिक ज्योतिष एवं योग विज्ञानम् का संचालन। अद्यतन 32 संस्थाओं को डिप्लोमा पाठ्यक्रम के संचालन की मान्यता प्रदान।
- संस्कृत विद्यालयों में प्रथमा से शास्त्री आचार्य तक अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान करने की व्यवस्था।
- नियमित शिक्षकों के आने तक मानदेय के आधार पर शिक्षक योजित करने की व्यवस्था। उक्त के अतिरिक्त सेवानिवृत शिक्षकों के पूल से रिक्त पदों पर मानदेय के आधार पर सत्रांत तक शिक्षण व्यवस्था। 1020 मानदेय शिक्षकों को पूर्व मध्यमा स्तर तक के शिक्षकों को रु. 12000.00 से रु. 20000.00 तथा उत्तर मध्यमा स्तर के शिक्षकों को रु.15000.00 से रु. 25000.00 की वृद्धि।
- राष्ट्रीय स्तर पर कई वर्षों के पश्चात वर्तमान में प्रतिवर्ष माध्यमिक स्तर के शिक्षकों या राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु चयन।
- अतिथि विषय विशेषज्ञ के मासिक मानदेय की धनराशि हाईस्कूल स्तर पर रु. 8,000.00 से बढ़ाकर रु. 12,000.00 और इण्टरमीडिएट स्तर पर रु. 10,000.00 से बढ़ाकर रु. 15,000.00 किया गया।

मेधावी विद्यार्थी सम्मानः- उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् प्रयागराज द्वारा वर्ष 2024 में प्रदेश स्तर पर प्रथम पांच स्थान प्राप्त, उ.प्र. माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, लखनऊ के प्रदेश स्तर पर प्रथम 10 स्थान प्राप्त, काउन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सार्टीफिकेट्स इग्जामिनेशन्स, नई दिल्ली के प्रदेश स्तर पर प्रथम 10 स्थान प्राप्त तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के प्रदेश स्तर पर प्रथम 10 स्थान प्राप्त हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट बोर्ड परीक्षा कुल 170 मेधावी विद्यार्थियों को मा. मुख्यमंत्री जी के कर-कमलों द्वारा दिनांक 29.06.2024 को लोकभवन स्थित सभागार से रु. एक लाख, टैबलेट, प्रशस्ति-पत्र तथा मेडल एवं उनके अभिभावकों को शॉल एवं पगड़ी से सम्मानित किया गया।

पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकें:-

- राजकीय विद्यार्थियों को वोकेशनल ट्रेनिंग और जाब रेडी स्किल्स के लिए कौशल विकास मिशन के साथ प्रोजेक्ट प्रवीण संचालन हेतु अनुबन्ध (एम.ओ.यू.)
- राजकीय विद्यालयों में वाई-फाई की सुविधा प्रारम्भ
- विद्यार्थियों को ईमेल आई.डी. सृजन प्रारम्भ
- राजकीय विद्यालयों में उपस्थिति हेतु बायोमेट्रिक डिवाइस स्थापना प्रारम्भ
- विद्यालय भवन नवीन मानकीकरण की कार्ययोजना विकसित
- अध्यापक पुरस्कार हेतु मानकों में संशोधन की कार्ययोजना विकसित
- प्रोजेक्ट अलंकार-विद्यालयों की संसाधन मैपिंग
- 77 बालिका छात्रावास संचालन
- 84 निर्मित विद्यालयों का संचालन
- नवीन स्कूल निर्वाण कार्ययोजना विकसित
- शिक्षकों/अधिकारियों के रिक्त पद अधियाचित/प्रोन्नति
- सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों व शिक्षकों के चयन प्रक्रिया का निर्धारण

कार्ययोजना की अन्य उपलब्धियाँ :-

- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूर्वांचल के प्रथम एवं प्रदेश के दूसरे सैनिक स्कूल जनपद गोरखपुर की स्थापना एवं दिनांक 01 जुलाई 2024 से संचालन करना है।
- एन.सी.सी. प्रशिक्षण अकादमी का जनपद गोरखपुर में निर्माण प्रारम्भ।
- कैप्टन मनोजन कुमार पाण्डेय उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल, लखनऊ की क्षमता दोगुनी किये जाने हेतु सुदृढ़ीकरण एवं नवीन कार्य कराये जा रहे हैं, जो सितम्बर, 2025 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। 225 छात्र एवं 150 छात्राओं की क्षमता युक्त नवीन छात्रावास और छात्राओं के क्रीड़ा स्थल की बाउंड्रीवॉल का निर्माण, नवीन सभागार का निर्माण।
- स्वीकृत 778 आई.सी.टी. लैब स्थापित एवं क्रियाशील 101 अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना।

- असेवित क्षेत्रों में 39 हाईस्कूल और 14 नवीन कालेजों का निर्माण।
- 383 नवीन राजकीय इण्टर कालेज एवं हाईस्कूल का संचालन (366 नये इण्टर कालेज व 17 राजकीय हाईस्कूल)।
- 154 विद्यालयों में रसायन विज्ञान प्रयोगशाला, 214 विद्यालयों में जीव विज्ञान प्रयोगशाला एवं 137 कम्प्यूटर लैब का निर्माण पूर्ण।
- 1070 राजकीय विद्यालयों में निर्बाध विद्युत आूर्ति हेतु सोलर पैनल की स्थापना एवं क्रियाशील।
- प्रोजेक्ट अलंकार के अन्तर्गत प्रदेश के 480 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालय कक्ष, 272 प्रयोगशाला, 1116 मल्टीपरपज हाल, 577 शौचालय, 1006 पेयजल, 464 अतिरिक्त कक्षा-कक्ष तथा 1167 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में चाहरदीवारी एवं 184 विद्यालयों में विद्युतीकरण की सुविधाओं से संतृप्त किया जा रहा है।
- सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के तीर्णोद्धार, अनुरक्षण और सुविधाओं के विकास के लिए सहयोगी अनुदान योजनान्तर्गत वर्ष 2024-25 में रु. 141.75 करोड़ की धनराशि स्वीकृत।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति की संस्तुतियों के अनुरूप प्रदेश की 635 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में व्ययवसायिक शिक्षण कार्यक्रम संचालित कराया गया।

मिशन रोजगारः-

- सरकार द्वारा मिशन रोजगार के अन्तर्गत योग्य शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए साक्षत्कार समाप्त कर लिखित परीक्षा के आधार पर चयन किया गया है। विगत 08 वर्षों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 6314 सहायक अध्यापकों, 1890 प्रवक्ताओं तथा 219 प्रधानाचार्यों कुल 8423 अभ्यर्थियों को मिशन रोजगार के अन्तर्गत मा. मुख्यमंत्री जी के कर-कमलों से नियुक्ति पत्र/पद स्थापन आदेश प्रदान किये गये है।
- निष्पक्ष एवं पादर्शी प्रक्रिया अपनाते हुये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित 494 सहायक अध्यापक तथा 49 प्रवक्ताओं कुल 543 अभ्यर्थियों को मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 05 मई 2025 को नियुक्ति पत्र/पदस्थापन आदेश प्रदान किया गया। इस प्रकार अद्यतन 6808 सहायक अध्यापक, 1939 प्रवक्ता एवं 219 प्रधानाचार्यों सहित कुल 8966 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र/पदस्थान आदेश प्रदान किये गये हैं।
- वर्ष 2017 से अब तक अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कुल 34074 शिक्षकों का चयन किया गया है।

त्रैमासिक पत्रिका प्रबोधन का विमोचनः-

- माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा किये जा रहे विभिन्न उत्कृष्ट कार्यों, विशिष्ट उपलब्धियों तथा नवाचारों को जन-जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से 'माध्यमिक प्रबोधन' त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भ किया गया है। इसे E-Magazine के रूप में भी प्रकाशित किया जा रहा है।

समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अन्य उपलब्धियाँः-

- प्रदेश के सभी राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध कराये जा चुके हैं।
- राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत 4.8 लाख विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर राज्य स्तरीय गुणवत्ता शिक्षा समूह गठित किया गया।
- गुणवत्तापरक शिक्षा हेतु जनपद के अच्छे शिक्षकों का चिन्हीकरण कर राज्य स्तरीय गुणवत्ता शिक्षा समूह गठित किया गया।
- समसामयिक विषयों तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विषयों से परिचित कराने हेतु प्रदेश के शिक्षाधिकारियों का दो दिवसीय प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन एकाडमी में कराया गया।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति की संस्तुतियों के अनुरूप प्रदेश की 289 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में व्यवसायिक शिक्षण कार्यक्रम संचालित कराया गया।
- नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने हेतु मुख्यालय में अधिकारियों की (National Calcurraum Frame Work) से सम्बन्धित कार्यशाला दिनांक 25.08.2023 को आयोजित की गयी। जिसमें नई शिक्षा नीति को लागू करने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान किये गये।

विभागीय प्राथमिकताओं के नियोजन हेतु मंथन कार्यशालाः-

- विभागीय प्राथमिकताओं के नियोजन हेतु दिनांक 08 नवम्बर, 2019 को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, उ.प्र. लखनऊ के सभाकक्ष में एक दिवसीय मंथन कार्यशाला में माध्यमिक शिक्षा के विकास, विभागीय प्राथमिकताओं, समय-सीमा, मापक योग्य एवं प्राप्त किये जा सकने वाले लक्ष्यों की पहचान, आने वाली कठिनाईयों के चिन्हांकन एवं उनका निवारण हेतु समूह परिचर्चा तथा अपने-अपनें अनुभवों, जनपदों में अपनायी जा रही बेस्ट प्रैक्टिसेज (Best Practices) तथा नवाचार (Innovation) को एक दूसरे से साझा किया गया।

प्रदेश के 18 जनपदों के 23 राजकीय इण्टर कालेजों (बालक/बालिका) में खेल सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु इण्डोर मिनी स्टेडियम के निर्माणः-

- प्रदेश के जनपद मुख्यालय पर स्थित ऐसे राजकीय इण्टर कालेज (बालक/बालिका) जिनमें 2500 वर्ग मीटर से अधिक भूमि रिक्त है, पर खेल सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण तथा छात्र/छात्राओं में खेल के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से रु. 4.92 करोड़ की लागत से 18 जनपदों के 23 राजकीय इण्टर कालेज (बालक/बालिका) में इण्डोर मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत। दिनांक 08.05.2025 का 18 जनपदों के 23 राजकीय इण्टर कालेज (बालक/बालिका) में इण्डोर मिनी स्टेडियम का मा. मुख्यमंत्री के कर-कमलों से शिलान्यास किया जा चुका है।

सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए सहयोगी अनुदान योजनाः- सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के जीवर्णोद्धार, अनुरक्षण और सुविधाओं के विकास के लिए प्रथम बार प्रबंध तंत्र के लिए सहयोगी

अनुदान योजना के अंतर्गत धनराशि आवंटित (प्रोजेक्ट अलंकार)।

माध्यमिक शिक्षा विभाग उपलब्धियों का विवरण :-

1. **विद्यालय ऑनलाइन अनुश्रवण-श्रेणीकरण हेतु पोर्टल परख विकसितः-** शैक्षिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए राजकीय माध्यमिक विद्यालय के प्रदर्शन का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण करने और विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों एवं आवश्यकताओं की नियमित जानकारी प्राप्त कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए परख पोर्टल विकसित किया गया है।

2. **ई-लाइब्रेरी पोर्टल प्रज्ञान विकसितः-** विद्यार्थियों और जन सामान्य को सहजतापूर्वक सम-सामयिक एवं संदर्भ सामग्री उपलब्ध कराने के लिए ई-लाइब्रेरी पोर्टल प्रज्ञान और मोबाइल एप विकसित किया गया है। पोर्टल पर ई-पुस्तकों के विशाल संग्रह के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं, उद्यमिता व स्टार्ट-अप, एन.आई.सी. ई-ग्रन्थालय एवं उ.प्र. लाइब्रेरी नेटवर्क की जानकारी उपलब्ध है।

3. **विद्यालयों की वेबपेज/वेबसाइट निर्माण हेतु पोर्टल परिचय प्रारम्भ :-** अभिभावकों एवं जन सामान्य को विद्यालय की मूलभूत सुविधाओं की जानकारी की सुलभता के लिए सभी माध्यमिक विद्यालयों का वेबपेज/वेबसाइट निर्माण प्रारम्भ किया गया। इस व्यवस्था से शैक्षिक नियोजन, प्रबन्धन एवं प्रशासन में सुगमता होगी।

4. **असेवित बस्ती का चिन्हीकरण (स्कूल मैपिंग) हेतु पोर्टल पहुँच विकसित :-** विद्यालयों की स्थापना के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा के प्रसार एवं संतृप्तीकरण हेतु असेवित बस्तियों का चिन्हीकरण करने के लिए स्कूल मैपिंग साफ्टवेयर और पोर्टल पहुँच भाष्कराचार्य नेशनल इन्स्टीट्यूट फार स्पेस एप्लीकेशन एण्ड जिओ इन्फारमेटिक्स (BISAG) गांधीनगर गुजरात के सहयोग से विकसित किया गया है।

5. **विद्यार्थियों की कैरियर काउन्सिलिंग हेतु पोर्टल पंख विकसित :-**

   विद्यार्थियों को उनकी आकांक्षाओं, रूचि और रूझान से मेल खाने वाले विभिन्न कैरियर पथ का चयन करने और उन्हें कालेज, छात्रवृत्ति, कौशल विकास कार्यक्रम, इन्टर्नशिप और शिक्षा के विषय में उपलब्ध विकल्पों के बारे में बेहतर सलाह प्रदान करने के लिए करियर पोर्टल पंख विकसित किया गया है।

6. **लोक सेवा प्रबंधन अनुभाग द्वारा निर्गत उ.प्र. जनहित गांरटी अधिनियम 2011 :-**

   द्वारा यथासंशोधित में 10 सेवाओं सहित अन्य प्रकार की समस्त विभागीय सेवाओं के सम्बन्ध में निस्तारण की समय सीमा निर्धारित करने हेतु दिनांक 05.03.2025 से नागरिक घोषणापत्र (सिटिजन चार्टर) लागू।

7. **केन्द्र सरकार द्वारा संचालित इन्सपायर अवार्ड मानकः-** योजना वर्ष 2024-25 में प्रदेश द्वारा लगभग 2.10 लाख, वीरगाथा प्रोजेक्ट 4.0 में 47.15 लाख तथा परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के अन्तर्गत 86.78 लाख विद्यार्थियों का पंजीकरण, नामांकन कराया गया जो देश में सर्वाधिक है।

●

उच्च शिक्षा

- बहुसंस्कृतिवादी मूल्यों की अवस्थापना एवं नैतिक, मानवीय और संवैधानिक मूल्यों का संरक्षण करना।
- वैश्विक प्रतिस्पर्धानुकूल शिक्षा हेतु तकनीक के यथासम्भव उपयोग पर जोर।
- वैश्विक पटल पर अंकित उच्च शिक्षा केन्द्रों व संस्थाओं की नवीनतम अध्ययन पद्धति, पाठ्यक्रम व शोध संबंधी उपलब्धियों को संकलित कर उनका विश्लेषण व संवर्धन करना।
- राष्ट्रीय चेतना, अस्तित्वबोध समरसता, धर्मनिरपेक्षता व वैज्ञानिक दृष्टिकोण को केन्द्र में रखते हुए राष्ट्र समर्पित पीढ़ी तैयार करना।
- समानता व न्याय से संपृक्त मूल्यों को संवर्धित करने वाली शिक्षा पद्धति स्थापित करना।
- शैक्षिक विशेषज्ञों द्वारा निरन्तर अनुसंधान और नियमित मूल्यांकन के आधार पर प्रगति की सतत समीक्षा।
- बहुविषयक ज्ञान के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी और खेल के बीच एक बहुविषयक और समग्र शिक्षा का विकास।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश कटिबद्ध व तत्पर है।

इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शासन द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि प्रदेश के उच्च शिक्षा की संस्थाओं को आधुनिकतम संसाधनों से परिपूर्ण उच्च कोटि की शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध हो, साथ ही इस बात पर विशेष बल दिया जा रहा है कि छात्र/छात्राओं को व्यवसायपरक कौशल विकास शिक्षा प्रदान की जाय, जिससे प्रदेश का युवा वर्ग स्वावलम्बी बन सके। शिक्षित युवाओं की सरकारी सेवाओं पर निर्भरता में उत्तरोत्तर कमी और उनका देश की समृद्धि में योगदान सुनिश्चित करने के लिए रोजगापरक पाठ्यक्रमों के विकास पर बल दिया जा रहा है साथ ही निरोग रहने हेतु योग को एक विषय के रूप में शिक्षा प्रदान करने को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस समय शासन विशेष सक्रियता के साथ सुयोग्य प्राध्यापकों की नियुक्ति, भवन निर्माण/विस्तार, ई-पुस्तकालयों की स्थापना, महाविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार, सुसज्जित प्रयोगशाला तथा सूचना क्रान्ति की चुनौतियों से निपटने के लिए महाविद्यालयों के कम्प्यूटरीकरण, पुस्तकालयों में मुफ्त वाई-फाई की व्यवस्था, वर्चुवल एवं स्मार्ट क्लास रूम की स्थापना पर बल दे रहा है। राष्ट्रीय

उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत आधारभूत सुविधाओं के विस्तार एवं नये महाविद्यालयों के भवन निर्माण पर विशेष बल दिया जा रहा है। प्राथमिकता के आधार पर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी पूँजी निवेश एवं सहभागिता को प्रोत्साहित करते हुए असेवित क्षेत्रों में महाविद्यालयों की स्थापना पर भी बल दिया जा रहा है। गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा के विकास के लिए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को प्रोत्साहित करते हुए मानक निर्धारित किये गये हैं।

राजकीय महाविद्यालयों के भवनों का निर्माण

प्रथम पंचवर्षीय योजना अवधि में केवल तीन राजकीय महाविद्यालय संचालित थे, जिनकी संख्या बढ़कर हो गई है। वर्तमान में राजकीय महाविद्यालयों के भवनों का निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराया जा रहा है।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण के राजकीय महाविद्यालयों की आधारभूत सुविधाओं हेतु स्वीकृत अनुदान में से महविद्यालयों को पूरा अनुदान प्राप्त कर लिया गया है एवं रूसा द्वितीय चरण में महाविद्यालयों हेतु अनुदान प्राप्त किया जाना प्रक्रियाधीन है। इसी प्रकार प्रदेश में नवनिर्मित राजकीय मॉडल महाविद्यालयों के हस्तान्तरण का शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त कर लिया गया है, जिसमें से महाविद्यालयों के हस्तान्तरण की कार्यवाही पूर्ण है तथा महाविद्यालयों के हस्तान्तरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शिक्षण कार्य राजकीय मॉडल महाविद्यालयों में प्रारम्भ हो चुका है।

विश्वविद्यालयों में से विश्वविद्यालयों को पूरा अनुदान प्राप्त कर लिया गया है। विश्वविद्यालय का अनुदान प्राप्त करना प्रक्रियाधीन है। प्राप्त अनुदान से विश्वविद्यालय एवं राजकीय महाविद्यालयों में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न प्रयोगशालाओं, मीडिया सेन्टर, स्पोर्ट सेन्टर, बायोटेक्नालोजी पार्क, स्मार्ट/डिजिटल क्लासरूम, लाइब्रेरी ऑटोमेशन के साथ-साथ नये संकायों के शिक्षण कक्षों का निर्माण लगभग पूर्ण कर लिया गया है, अनुदान के उपरान्त महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के साथ-साथ शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि हुई है।

प्रदेश के विश्वविद्यालयों, शासकीय महाविद्यालयों एवं अशासकीय महाविद्यालयों की संख्याः-

प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन विश्वविद्यालय हैं, जिसमें मुक्त विश्वविद्यालय और डीम्ड विश्वविद्यालय संचालित हैं। सम्प्रति प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय हैं। शासन द्वारा निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में आवश्यक गाइडलाइन्स शासनादेशों के माध्यम से निर्धारित की गई है। प्रदेश में संचालित शासकीय महाविद्यालयों की कुल संख्या 171 है, जिसमें स्नातकोत्तर महाविद्यालयों की संख्या 42 तथा स्नातक महाविद्यालयों की संख्या 129 है। वर्ष 2024-25 में अशासकीय महाविद्यालयों की कुल संख्या 7813 हो गई है। इन महाविद्यालयों में सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों की संख्या 331 है तथा अनानुदानित/स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों की संख्या 7482 है।

राजकीय पब्लिक लाइब्रेरी, प्रयागराज

राजकीय पब्लिक लाइब्रेरी, प्रयागराज की स्थापना ब्रिटिश शासन के दौरान वर्ष में तत्कालीन लेफ्टिनेन्ट गर्वनर की स्वीकृति से की गयी थी। अपने गौरवमय अतीत विशिष्ट स्थापत्य शैली, विशाल विविध संग्रह एवं लोकप्रियता के कारण यह देश ही नहीं अपितु अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति की संस्था है। तत्कालीन उत्तर पश्चिम प्रान्त के विधान मण्डल "लेजिस्टलेटिव काउन्सिल फॉर द नार्थवेस्टर्न प्राविंसेज ऑफ अवध" की प्रथम बैठक इस पुस्तकालय भवन में सम्पन्न हुई। वर्तमान में वर्ष में पुस्तकालय द्वारा अपनी स्थापना के वर्ष पूरे किये गये तथा यह गौरव प्राप्त करने वाला यह देश के कुछ पुस्तकालयों में से एक है। पुस्तकालय का सम्बन्ध देश विदेश के शीर्ष बुद्धिजीवियों, साहित्यकारों, राजनीतिज्ञों, न्यायविदों तथा प्रशासकों से रहा है। कई राष्ट्रध्यक्षों, राजदूतों, राज्यपालों तथा अन्य गणमान्य लोगों द्वारा पुस्तकालय का नियमित रूप से भ्रमण किया जाता रहा है। पुस्तकालय का महत्व इस तथ्य से रेखांकित होता है कि वर्ष में शताब्दी समारोह में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व. श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की गरिमापूर्ण उपस्थिति में सम्पन्न हुआ था तथा उस दौरान दिए गए अपने सम्बोधन में गंगा, जमुना एवं सरस्वती की त्रिवेणी के समान इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं राजकीय पब्लिक लाइब्रेरी, प्रयागराज को आधुनिक त्रिवेणी की संज्ञा प्रदान की गई थी।

वर्तमान परिदृश्य :-

राज्य सरकार द्वारा में पुस्तकालय का प्रान्तीयकरण करते हुए इसे उच्च शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में शामिल किया गया। पुस्तकालय के व्यवस्थित संचालन हेतु महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा मण्डलायुक्त प्रयागराज मण्डल की अध्यक्षता में दस सदस्यीय पुस्तकालय प्रबन्ध समिति का गठन किया गया है। पुस्तकालय के व्यवस्थित संचालन हेतु वित्तीय वर्ष - में विभिन्न मानक मदों के अन्तर्गत धनराशि रु. . लाख का बजट प्राविधान किया गया है। पुस्तकालय में विभिन्न श्रेणियों के कुल पद सृजित हैं। पुस्तकालय में विभिन्न विषय क्षेत्रों एवं भाषाओं में लगभग पत्रिकायें एवं समाचार पत्र पाठकों के सुलभ संदर्भ हेतु उपलब्ध है। गत वर्ष लगभग हजार पाठकों द्वारा पाठ्य सामग्रियों का उपयोग किया गया। पाठकों की मांग पर लगभग छायाप्रतियां उपलब्ध कराई गयीं।

पुस्तक संग्रह :-

पुस्तक का संग्रह पुस्तकालय भवन की भांति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। यहाँ पर महत्त्वपूर्ण दुर्लभ पाठ्य सामग्री के साथ ही नवीन पुस्तकों का ऐसा विपुल भण्डार है, जो अन्यत्र उपलब्ध नहीं है। पुस्तकालय के संग्रह में लगभग सभी विषय क्षेत्रों से सम्बन्धित हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, बंगला, फ्रेंच व अन्य भाषाओं में पुस्तकों की विस्तृत शृंखला उपलब्ध है। पुस्तकालय के संग्रह में विभिन्न विषयों पर लगभग . लाख पुस्तकें उपलब्ध हैं।

पुस्तकालय द्वारा अर्जित महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ :-

- इन्टरनेट, सोशल मीडिया तथा अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यमों की चुनौतियों के बावजूद विगत वर्षों

में इस पुस्तकालय की पाठक संख्या में प्रति वर्ष उल्लेखनीय वृद्धि हुयी है तथा वर्तमान समय में यह उत्तर भारत के सर्वाधिक पाठक संख्या वाले पुस्तकालयों में से एक है।

- प्रसिद्ध ऑनलाइन जर्नल ''द सिटीजन'' द्वारा जारी विवरण के अनुसार यह पुस्तकालय देश के दस सर्वाधिक सुन्दर पुस्तकालयों में शामिल है।
- इण्डिया टुडे द्वारा जारी ऑनलाइन रिपोर्ट में इस पुस्तकालय को देश में छठवां स्थान प्राप्त है।
- विश्वविद्यालय ऑनलाइन ज्ञानकोश विकीपीडिया द्वारा इस पुस्तकालय को महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है।
- विश्व प्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रीय सूचना डायरेक्टरी ''यूरोपा वर्ड ऑफ लर्निंग'' द्वारा भी इस पुस्तकालय को स्थान प्रदान किया गया है।
- पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में विश्व की सर्वोच्च संस्था आई.एफ.एल.ए. द्वारा इस पुस्तकालय में पदस्थ पुस्तकालयध्क्ष को उनके विशिष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित आई.एफ.एल.ए. की सूची में प्रदान किया गया है।

राष्ट्रीय सेवा योजना

प्रदेश में भारत सरकार के निर्देश पर राष्ट्रीय सेवा योजना वर्ष - में प्रथम बार लागू की गयी। सर्वप्रथम यह योजना स्नातक स्तर के छात्र/छात्राओं पर लागू की गई जिसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार सामान्य कार्यक्रमों के लिए रु. /- प्रति छात्र और विशेष शिविरों के कार्यक्रमों के लिए रु. /- प्रति छात्र सात दिवसीय विशेष शिविर हेतु अनुदान दिया जा रहा है।

उच्च्च शिक्षा निदेशालय के दायित्व एवं कर्तव्य

. प्रदेश के क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालयों तथा समस्त राजकीय महाविद्यालयों के प्रबन्धन, नियन्त्रण तथा उनके विकास कार्य का दायित्व।

. प्रदेश के समस्त सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में शासकीय व्यवस्था के माध्यम से वेतन वितरण एवं उनसे सम्बन्धित अन्य प्रशासनिक कार्य तथा समय-समय पर पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन निर्धारण।

. सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के अध्यापकों की वर्तमान रिक्तियों तथा आने वाले शिक्षा सत्र के अन्तर्गत संभावित रिक्तियों की सूचना महाविद्यालय से प्राप्त करना तथा सूचित रिक्तियों की विषयवार समेकित सूची उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रयागराज को विज्ञापन एवं चयन हेतु प्रेषित करना।

. उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित एवं संस्तुत अभ्यर्थियों को रिक्तियों की निर्दिष्ट सूची में से शासन-व्यवस्था हेतु प्रबन्धतन्त्र को नियुक्ति आदेश निर्गत करने हेतु नाम प्रेषित करना।

. सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम एवं अंतिम भुगतान की स्वीकृति।

. सेवानिवृत्त होने पर पेंशन भुगतान आदेश निर्गत करना।

. उच्च शिक्षा से सम्बन्धित न्यायालयीय वादों का निस्तारण कराना।

. विश्वविद्यालयों के साथ समन्वय रखते हुए उच्च शिक्षा के नियमों, परिनियमों एवं अधिनियमों तथा विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के दायित्व का निर्वहन।

. शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों के अभिलेखों का मुख्यालय की आडिट इकाई द्वारा आन्तरिक सम्प्रेक्षण।

. महाविद्यालयों में उद्घाटित प्रबन्धकीय एवं वित्तीय अनियमितताओं का निवारण।

. प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में प्राधिकृत नियंत्रक/प्रशासक नियुक्त कराये जाने से सम्बन्धित कार्यवाही।

. प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के तीन वर्ष से अधिक समय से रिक्त पदों को पुनर्जीवित करते हुये अनुज्ञा प्रदान करना तथा शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना।

. प्रदेश के राजकीय/सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के मृतक आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियमों के अधीन सेवायोजित किया जाना।

उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा सम्पादित किये जा रहे प्रमुख कार्यों का विवरण

क. अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित कार्य :-

. शिक्षकों तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतनादि भुगतान हेतु अनुदान का आवंटन किया जाना।

. शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के नये पदों के सृजन सम्बन्धी कार्यवाही, रिक्त होने वाले पदों का सततीकरण, पदों का स्थायीकरण तथा तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण।

. शिक्षकों तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का वेतन निर्धारण, चयन वेतनमान स्वीकृत किया जाना तथा वेतन सम्बन्धी विवाद का निस्तारण।

. सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की पेन्शन की स्वीकृति, सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम की स्वीकृति तथा सेवानिवृत्ति पर भविष्य निधि की राशि का अंतिम भुगतान।

. महाविद्यालयों का आडिट कराना तथा आडिट आपत्तियों का निराकरण, अनियमितताओं की जांच कराना, विभिन्न स्रोतों से शासन को प्राप्त शिकायतों की जांच कराना तथा तद्नुसार कार्यवाही कराना।

. महाविद्यालयों में प्राधिकृत नियंत्रक/प्रशासक नियुक्त कराये जाने से संबंधित कार्यवाही।

. महाविद्यालयों के अध्यापकों की वर्तमान रिक्तियों और आने वाले शिक्षा वर्ष के दौरान संभावित रिक्तियों की सूचना महाविद्यालयों से प्राप्त करना।

. संसूचित रिक्तियों की विषयवार समेकित सूची (अधियाचन) उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रयागराज को विज्ञापन एवं चयन हेतु प्रेषित करना।

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा चयनित एवं संस्तुत अभ्यर्थियों को रिक्तियों की निर्दिष्ट सूची में से आसन-व्यवस्था कर अभ्यर्थियों का नाम प्रबन्धतंत्र को नियुक्ति हेतु प्रेषित करना।

. बर्सर, उपपुस्तकालयाध्यक्ष, कार्यालय अधीक्षक एवं कैटलागर के पदों की नियुक्तियों का अनुमोदन प्रदान करना।

. महाविद्यालयों के शिक्षकों के एकल स्थानान्तरण से संबंधित कार्य।

ख. राजकीय महाविद्यालयों से संबंधित कार्य :-

. राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों की तैनाती/स्थानान्तरण तथा प्रोन्नति के मामले।

. राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं प्राचार्यों से संबंधित शिकायतों की जांच एवं अनुशासनिक/प्रशासनिक कार्रवाई।

. राजकीय महाविद्यालयों के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की तैनाती/स्थानान्तरण तथा प्रोन्नति के मामले।

. नये पदों का सृजन तथा नये राजकीय महाविद्यालयों का खोला जाना।

. शिक्षकों/कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के अवकाश की स्वीकृति।

. शिक्षकों/कर्मचारियों को भविष्य निधि के अन्तिम भुगतान तथा विभिन्न प्रकार के अग्रिम की स्वीकृति। सेवानिवृत्ति के उपरान्त जी.पी.एफ. की धनराशि का प्रतिशत निदेशालय से स्वीकृत किया जाता है। शेष प्रतिशत की धनराशि महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा स्वीकृत होता है।

. राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों/शिक्षकों के पेंशन प्रपत्रों को निदेशक, पेंशन को अग्रसारित किया जाना।

. महाविद्यालयों के विकास हेतु आवर्तक/अनावर्तक अनुदान के आवंटन आदेश निर्गत करना।

. प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों यथा- शिक्षकों, बर्सरों, कार्यालय अधीक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों, उप पुस्तकालयाध्यक्षों तथा को-आर्डिनेटरों आदि के वेतन निर्धारण का कार्य किया जाता है।

. राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों/प्राचार्यों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण कार्य भी निदेशालय द्वारा किया जाता है।

ग. विविध :-

. महाविद्यालयों से संबंधित न्यायालयों में चल रहे वादों की पैरवी।

. उच्च शिक्षा से संबंधित आंकड़े एकत्रित करना और विकास हेतु योजना बनाना।

. उच्च शिक्षा का वार्षिक बजट तैयार करना।

. विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों से संबंधित पेन्शन कार्य।

- . महाविद्यालयों में रोवर्स/रेंजर्स के कार्यक्रमों का संचालन।
- . राजकीय महाविद्यालयों से संबंधित समस्याओं के सम्बन्ध में शासन को परामर्श देना एवं उनसे संबंधित विधान मण्डल में उठाये गये प्रश्नों इत्यादि के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाती है।
- . निजी प्रबन्धतंत्रों द्वारा असेवित क्षेत्रों में महाविद्यालय खोलने हेतु अनुदान दिये जाने सम्बन्धी कार्य।

निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालयों की स्थापना के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश

प्रदेश शासन के संसाधनों के अभाव को दृष्टिगत रखते हुए तथा प्रतिस्पर्धात्मक गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं उच्च शिक्षा के विस्तार के उद्देश्य से निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालयों की स्थापना के मानक निर्धारित किये गये हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य में उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु नये निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना करने और विद्यमान निजी विश्वविद्यालयों को निगमित करने तथा उनके कृत्यों को विनियमित करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए शासनादेश दिनांक अगस्त, द्वारा उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, प्राख्यापित किया गया है।

●

प्राविधिक शिक्षा

प्राविधिक शिक्षा के नियोजित, क्रमबद्ध एवं समन्वित विकास तथा अभियांत्रिकी, प्रबन्धन एवं तकनीक के क्षेत्र में प्रशिक्षित मानव-शक्ति तैयार करने के उद्‌देश्य से वर्ष 1961 में उद्योग विभाग से पृथक् कर स्वतंत्र रूप से प्राविधिक शिक्षा विभाग की स्थापना हुई। विभाग की मुख्य उपलब्धियाँ निम्नवत् हैं :-

1. प्राविधिक शिक्षा विभाग (डिप्लोमा सेक्टर) के अन्तर्गत शासन द्वारा 220 पॉलीटेक्निक संस्थायें स्वीकृत हैं, जिसमें से मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 14.08.2018 को की गयी घोषणा से आच्छादित 02 संस्थायें यथा-राजकीय पालीटेक्निक, मारहरा, एटा एवं राजकीय पालीटेक्निक, रोहनिया, वाराणसी संस्थाओं का निर्माण अनारम्भ/अपूर्ण की स्थिति में मुख्यमंत्री कार्यालय के आदेश दिनांक 02.09.2024 द्वारा मुख्यमंत्री घोषणा पोर्टल से निरस्त करते हुये विलोपित कर दिया गया है। इस प्रकार 218 पालीटेक्निक संस्थायें स्वीकृत हैं जिसमें से 34 नवीन राजकीय पालीटेक्निकों के भवन निर्माणाधीन/अवस्थापना की प्रक्रिया में हैं तथा 147 राजकीय एवं निजी क्षेत्र की सहभागिता से पी.पी.पी. मोड पर 18 राजकीय संस्थाओं सहित 165 राजकीय तथा 19 सहायता प्राप्त पालीटेक्निक अर्थात कुल 184 राजकीय संस्थाओं सहित 165 राजकीय तथा 19 सहायता प्राप्त पालीटेक्निक अर्थात् कुल 184 राजकीय/अनुदानित पालीटेक्निक और 1616 निजी पालीटेक्निक संस्थायें संचालित हैं। जिनमें वर्ष 2024-25 में प्रवेश हेतु कुल वार्षिक प्रवेश क्षमता 2,70,785 निर्धारित हैं।
2. प्राविधिक शिक्षा विभाग से सम्बद्ध डिप्लोमा स्तरीय पॉलीटेक्निक शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा-2024 में कुल 4,12,759 अभ्यर्थी पंजीकृत हुये एवं परीक्षा में 3,04,382 परीक्षार्थी सम्मिलित हुये जिसके सापेक्ष 3,04,329 परीक्षार्थी सफल घोषित हुये। ऑन-लाइन कांउसिलिंग के माध्यम से कुल 1,15,444 अभ्यर्थियों को शैक्षिक सत्र 2024-25 में प्रवेश दिया गया।
3. राजकीय पॉलीटेक्निकों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को कम समय में अधिक ज्ञान अर्जन के दृष्टिगत आधुनिक तकनीकी आधारित ई-लर्निंग प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु 47 राजकीय संस्थाओं में वर्चुअल क्लास रूम स्थापित होकर क्रियाशील हैं। इसके अतिरिक्त राजकीय पालीटेक्निकों में 251 स्मार्ट क्लास रूप स्थापित होकर क्रियाशील हैं।
4. मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से 147 राजकीय एवं 19 अनुदानित कुल 166 संस्थाओं में कार्यरत नियमित कार्मिकों से संबंधित सेवा विवरण अपलोडिंग कर सेवा प्रदान की जा रही है

जिसके माध्यम से कार्मिक अवकाश/स्थानान्तरण से संबंधित आवेदन ऑनलाइन प्रेषित कर सकता है।

5. राजकीय पॉलीटेक्निकों के छात्रों में निःशुल्क सॉफ्ट स्किल्स, इन्टरव्यू स्किल्स, इन्टप्रेन्योरशिप क्वालिटी बढ़ाने एवं न्यूनतम 67 प्रतिशत प्लेसमेंट सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ.प्र., लखनऊ में राज्य स्तरीय ट्रेनिंग एण्ड प्लेसमेंट सेल की स्थापना की गई है।

6. अध्ययनरत छात्रों में कम्यूनिकेशन स्किल, साफ्ट स्किल आदि की वृद्धि के लिये 89 राजकीय पॉलीटेक्निकों में एक-एक लैंग्वेज लैब की स्थापना की गयी है।

7. प्रदेश को वन ट्रिलियन इकोनामी बनाने के दृष्टिगत प्रदेश में स्थापित होने वाले उद्योगों को आधुनिक प्रौद्योगिकी में दक्ष मैन पावर उपलब्ध कराने हेतु सत्र 2022-23 से न्यू एज कोर्स के अन्तर्गत 23 राजकीय (पुरुष/महिला) संस्थाओं में एक वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा स्तरीय 04 पाठ्यक्रमों यथा-डाटा साइंस एवं मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सिक्योरिटी तथा ड्रोन टेक्नालॉजी में प्रशिक्षण प्रारम्भ किया गया है।

8. यू.पी. ग्लोबल इन्वेस्टर समिति (यू.पी.जी.आई.एस.)-2023 के परिप्रेक्ष्य में प्राविधिक शिक्षा विभाग को रु. 5000.00 करोड़ निवेश कराये जाने का लक्ष्य आवंटित हुआ है। लक्ष्य की पूर्ति हेतु प्राविधिक शिक्षा विभाग के साथ स्टार्ट अप प्रशिक्षण एवं रोजगार सृजन कार्य के लिये 265 निवेशकों द्वारा प्रस्तावित धनराशि रु. 6609.80 करोड़ निवेश करने पर एम.ओ.यू. किया गया है। जिसके क्रम में टाटा टेक्नोलॉजी लि. द्वारा 137 राजकीय/अनुदानित संस्थाओं में एक्सीलेंस सेंटर स्थापित कराये जाने का प्रस्ताव दिया गया है।

9. जनपद सोनभद्र, कन्नौज एवं मैनपुरी में निर्माणाधीन राजकीय इंजीनियरिंग कालेज अपने-अपने भवनों में संचालित हो चुके हैं। जनपद गोण्डा एवं बस्ती में रूसा योजना के अन्तर्गत एक-एक राजकीय इंजीनियरिंग कालेज तथा राज्य के आय-व्ययक से जनपद मिर्जापुर एवं प्रतापगढ़ में एक-एक इंजीनियरिंग कॉलेज निर्माणाधीन है।

10. इंजीनियरिंग कालेजों में शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार हेतु अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के माध्यम से आर्थिक सहायता दिलायी जा रही है।

11. पॉलीटेक्निक छात्रों के प्रवेश से लेकर उनके अध्ययन, परीक्षा, परिणाम तथा प्लेसमेंट तक के विभिन्न चरणों से संबंधित छात्र सुविधाओं को एकीकृत रूप उपलब्ध कराने हेतु एक पोर्टल 'यूराइज' का निर्माण कराया गया है।

उद्देश्य :-

वर्तमान युग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का उत्कर्षकाल है। नित्य नई प्राविधियाँ विकसित हो रही हैं तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्पर्द्धा से श्रेष्ठता व गुणवत्ता के नवीन आयाम जन्म ले रहे हैं। विकास के ऐसे क्रान्तिक परिदृश्य में प्राविधिक शिक्षा के स्वरूप व स्तर की प्रासंगिकता का विशेष महत्व है। प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा समन्वित विकास के लक्ष्यपरक संकल्प व प्रदेश में प्राविधिक शिक्षा प्रणाली की क्षमता में सुधार, प्रसार तथा गुणवत्ता में उत्तरोत्तर सुधार की प्रतिबद्धता के साथ उच्च स्तर के

तकनीशियन विकसित करके कार्य क्षेत्र की आकांक्षाओं के अनुरूप उनकी सुसंगत आपूर्ति करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। प्रदेश के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास के लिये तकनीकी शिक्षा की मूलभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु समय-समय पर इंजीनियरिंग कालेजों एवं डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं की स्थापना कर सर्वाजनिक एवं निजी क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों की तकनीकी जनशक्ति की आपूर्ति एवं क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने की दिशा में प्राविधिक शिक्षा विभाग निरन्तर प्रयत्नशील रहा है। प्राविधिक शिक्षा विभाग प्रौद्योगिक के आधुनिक विषयों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने एवं दिव्यांग छात्र/छात्राओं को प्राविधिक शिक्षा में सहभागी बनाने के लिये सतत् प्रयत्नशील है।

उत्तर प्रदेश में वर्तमान में प्राविधिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन शासन द्वारा वित्त पोषित 16 स्नातक/स्नातकोत्तर स्तरीय संस्थायें तथा 184 डिप्लोमा स्तरीय (राजकीय/अनुदानित) संस्थायें संचालित हैं, इसके अतिरिक्त 34 डिप्लोमा स्तरीय राजकीय संस्थायें अवस्थापना की स्थिति में हैं। प्राविधिक शिक्षा विभाग के गुणात्मक सुधार एवं त्वरित विकास हेतु शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, डिप्लोमा स्तरीय परीक्षा सम्पन्न कराने हेतु प्राविधिक शिक्षा परिषद तथा संस्थाओं में सुयोग्य छात्रों के प्रवेश हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद का गठन किया गया है।

ाािािक िशािाालय :-

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2000 में हुयी थी, जिसे वर्ष 2010 में दो भागों में विभक्त कर दिया तत्पश्चात् पूर्ववर्ती महामाया प्राविधिक विश्ववि ाालय, गौतमबुद्ध नगर तथा गौतमबुद्ध प्राविधिक विश्ववि ाालय, लखनऊ को मर्ज कर दिनांक . . को उ.प्र. प्राविधिक विश्ववि ाालय, लखनऊ की स्थापना की गयी वर्तमान में यह डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्ववि ाालय, उ.प्र. लखनऊ के नाम से जाना जाता है इस विश्ववि ाालय का मुख्य कार्य प्रदेश में स्थापित ऐसे निजी एवं सरकारी संस्थान जो बी.टेक. बी.फार्मा. बी.आर्क. बी डेस बी वाक बी डी बी एम.बी.ए. एम.सी.ए. होटल मैनेजमेंट एम.फार्मा. एम.टेक. म आक फार्मा.डी म य आर पी वं म डेस पाठ्यक्रम संचालित करते ह, को सम्बद्धता प्रदान करना, प्रवेश परीक्षा आयोजित करना, पाठ्यक्रम को निर्धारित करना तथा परीक्षा के उपरान्त अध्ययनरत ात्रों को डिग्री प्रदान करना है

मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर को ड़की विश्ववि ाालय की भांति मदन मोहन मालवीय प्रौ ोगिकी विश्ववि ाालय, गोरखपुर बनाया गया है जो दिनांक . . से क्रियाशील है

हरकोर्ट बटलर टेक्नोलाजिकल इंस्टीट्यूट (एच.बी.टी.आई.), कानपुर को उपर्युक्त की भांति हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्ववि ाालय, कानपुर बनाया गया है जो दिनांक . . से क्रियाशील है

रा ीय उ ा र शिक्षा अभियान (सा) योजना :-

यह योजना भारत सरकार राज्य सरकार ारा क्रमशः प्रतिशत वित ा पो ित थी परन्तु वर्तमान में भारत सरकार ारा अनुदान का प्रतिशत परिवर्तित कर प्रतिशत कर दिया गया है योजना का उद्देश्य महावि ाालय तकनीकी संस्थानों में शिक्षा के स्तर गुणवत्ता में वद्धि कर पर्याप्त मात्रा में तकनीकी शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना करना है, जिससे युवाओं को गुणवत्तारक शिक्षा उपलब्ध करायी जा सके प्रावि ाक ािक्षा विभाग के अंतर्गत डिग्री सेक्टर में स योजना के अन्तगत राजकीय ंजीनियरिंग कालेज ब ती वं गोण्डा का निमाण कराया जा रहा है।

त के अतिरि त हरको ब लर प्राविाक वि ववि ालय कानपुर त ा मदन मोहन मालवीय प्रौ ोगिकी वि ववि ालय गोर ापुर के सुदृढ़ीकरण विकास के काय करा जा रहे हैं।

अनुर्सा ा जाा, अनुर्सा ा जनजाा, अन्य ा ा ग, अल ासंख्यक ग ां आथिक दा से कमजोर सामान्य ाग के ात्रों के लि सुा ायें :-

प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत चल रही समस्त डि लोमा तरीय संस्थाओं में प्रवेश हेतु अनूसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए प्रतिशत, अन्य पि ड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए प्रतिशत वं सामान्य वग के आाक प से कमजोर वग के ला ा ा ड ल स के अ याियों के लि प्रति ात आरक्षण की यव ा है। ा ाओं हेतु डिग्री में प्रवे ा हेतु ासनादे ानुसार प्रति ात क्षैतिज आरक्षण की यव ा है वं दि यांग अ याियों हेतु प्रति ात सैनिक आा त के अ याियों के लिये प्रति ात वतं ता संग्राम सेनानी के आा तों के लिये प्रति ात क्षैतिज आरक्षण की यव ा है। जबकि राजकीय ंजीनियरिंग कालेज बादा बिजनौर आजमगढ़ व अ बेडकर नगर में वि ो ा आरक्षण के आ ार पर अनुसा त जाति वं अनसा त जनजाति के अ याियों के लि प्रति ात अन्य पि ड़े वग के अ याियों के लि प्रति ात सामान्य वग के अ याियों के लि प्रति ात आरक्षण की यव ा है।

अनूसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आर्थिक दाट से कमजोर सामान्य वर्ग के पात्र ात्रों को समाज कल्याण विभाग, अन्य पि ड़े वर्ग के ात्रों को पि ड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के ात्रों को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से ात्रवत्ति वं ु क प्रतिपति की सुवि ा प्रदान की जाती है।

ई-गवर्नेन्स :-

डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उ.प्र. लखनऊ से लगभग 753 संस्थान सम्बद्ध है जिनमें लगभग 2,30,000 छात्र अध्ययनरत हैं। विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्ध संस्थाओं में बी.टेक. बी.फार्मा. बी.आर्क. बी डेस बी वाक बी डी बै लर आ हो ल मैनेजमेन ण्ड कै रिंग े नोलाजी एम.बी.ए. एम.सी.ए. एम.फार्मा. एम.टेक. म आक फार्मा.डी म य आर पी वं म डेस आदि पाठयक्रम लाये जा रहे हैं। वि ववि ालय ारा विािन्न सं ााओं की ौक्षिक गतिविाियों पर निगरानी वं नियं ण करने के लिये वि ववि ालय ने क न रैा व वेब लीके ान की संर ना की है।

नके अतिरि त वि ववि ालय ारा अन्य सामान्य काय वं प्रवे ा परीक्षा के परान्त विािन्न सं ााओं में प्रवे ा हेतु आनला न का ंसिलिंग का काय आदि वि ववि ालय ारा किये जा रहे हैं। स कां सिलिंग की प ति के कारण ा विािन्न ाानों पर अनाव यक या ा वं असुवि ााओं से ब जाते हैं। वि ववि ालय ारा अपने से स ब सं ााओं के ौक्षिक नियं ण हेतु स वेब लीके ान का ारपर प्रयोग किया जा रहा है।

महानिदेशक प्राविधिक शिक्षा :-

प्राविधिक शिक्षा विभाग के प्रशासन तथा संचालन का सम्पूर्ण दायित्व महानिदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश का है।

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय :-

प्रदेश में चल रही डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं के प्रशासन तथा संचालन का सम्पूर्ण दायित्व प्राविधिक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश, कानपुर का है, जिसके प्रमुख निदेशक प्राविधिक शिक्षा हैं। उक्त के अतिरिक्त चार क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी, लखनऊ, दोराला (मेरठ) एवं झाँसी में हैं।

प्राविधिक शिक्षा परिषद :-

इस कार्यालय का प्रमुख, परिषद का सचिव होता है तथा इसके अध्यक्ष/उपाध्यक्ष शासन द्वारा नामित किये जाते हैं। प्राविधिक शिक्षा परिषद का कार्य प्रदेश की पॉलीटेक्निकों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों की परीक्षा आयोजित कराना तथा निजी क्षेत्र की पालीटेक्निकों को सम्बद्धता प्रदान करना है।

शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान :-

संस्थान का प्रमुख, संस्था का निदेशक होता है। संस्थान का कार्य संकाय प्रशिक्षण, पाठ्यचर्या विकास/प्रशिक्षण, पाठ्य संसाधन विकास एवं शैक्षिक व तकनीकी कार्य करना है।

संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद :-

यह एक स्वशासी स्ववित्त पोषित संस्था है तथा सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अधीन पंजीकृत है। इस परिषद का विभागाध्यक्ष निदेशक, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद होता है तथा प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन इस परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं। यह संस्था प्रदेश की सभी पॉलीटेक्निकों में प्रवेश के लिये प्रदेश स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन कराती है।

डिप्लोमा स्तर की संस्थायें :-

प्रदेश में विभाग की अधीनस्थ 165 राजकीय एवं 19 अनुदानित संस्थाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है तथा इनके अतिरिक्त 34 राजकीय पालीटेक्निक संस्थायें अभी अवस्थापना प्रक्रिया में हैं।

महिला पालीटेक्निकों की स्थापना :-

तकनीकी शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने एवं तकनीकी शिक्षा के आधुनिक विषयों में महिलाओं को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से प्रदेश में महिलाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विकास एवं नई संस्थाओं की स्थापना पर बल दिया गया है। वर्तमान में 21 महिला पालीटेक्निक (19 राजकीय एवं 02 सहायता प्राप्त) संचालित हैं, सत्र 2024-2025 में इन महिला पालीटेक्निक संस्थाओं की कुल प्रवेश क्षमता 6190 रही है।

स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम :-

स्ववित्त पोषण के आधार पर प्रदेश की 12 सहायता प्राप्त पालीटेक्निक संस्थाओं यथा-जवाहर लाल नेहरू पालीटेक्निक, महमूदाबाद (सीतापुर), फिरोज गांधी पालीटेक्निक, रायबरेली, श्री रामदेवी रामदयाल त्रिपाठी महिला पालीटेक्निक, कानपुर, एम.जी. पालीटेक्निक, हाथरस, श्री अनारदेवी खण्डेलवाल महिला पालीटेक्निक, मथुरा, इंडिया पालीटेक्निक, हंडिया, डी.जे. पालीटेक्निक, बड़ौत, डी.एन. पालीटेक्निक, मेरठ, बी.आर.ई.आई. बिचपुरी, आगरा, एम.पी. पालीटेक्निक,

गोरखपुर, हीवेट पालीटेक्निक, लखनऊ एवं जनता पालीटेक्निक, जहाँगीराबाद में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनकी शैक्षणिक सत्र 2024-2025 में कुल प्रवेश क्षमता 1336 रही है।

भारत सरकार के सहयोग से पालीटेक्निकों का सुदृढ़ीकरण :-

भारत सरकार की योजना "सब मिशन ऑन पालीटेक्निक अन्डर दि को-आर्डिनेटेड एक्सन फॉर स्किल्स डेवलेपमेंट के अन्तर्गत पालीटेक्निकों के सुदृढ़ीकरण/अवस्थापना विकास हेतु भारत सरकार से प्राप्त धनराशि को आय-व्ययक के माध्यम से स्वीकृत की जाती है। पालीटेक्निकों के सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत द्वितीय फेस में 48 संस्थानों में वित्तीय वर्ष 2023-24 तक रु. 24.02 करोड़ साज-सज्जा, उपकरणों/मशीनों एवं फर्नीचर आदि के क्रय की कार्यवाही की गयी है। नवीन संस्थानों की अवस्थापना विकास हेतु 39 संस्थानों में वित्तीय वर्ष 2023-24 तक रु. 67.80 करोड़ के साज-सज्जा, उपकरणों/मशीनों एवं फर्नीचर आदि के क्रय की कार्यवाही की गयी है।

महिलाओं हेतु सुरक्षित शिक्षण-प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के दृष्टिगत उन्हें छात्रावासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट भारत सरकार को प्रेषित की गई है जिसके परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार द्वारा 52 संस्थाओं (पुरूष/महिला) में 60 सीटेड महिला छात्रावास निर्माण हेतु सीधी केन्द्रीय सहायता प्रति संस्था रु. 1.00 करोड़ की दर से किश्तों में प्रदान की जा रही है, जिसका अधिकांश अंश भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। अवशेष निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस योजना हेतु रु. 217.21 लाख का आय-व्ययक प्रावधान है।

पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया :-

डिप्लोमा स्तर की संस्थाओं में छात्रों के प्रवेश सामान्यतः संयुक्त परीक्षा परिषद, उ.प्र. लखनऊ के माध्यम से होते हैं। राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त तथा निजी क्षेत्र की पालीटेक्निक संस्थाओं की प्रवेश क्षमता 2,70,785 के विरूद्ध आयोजित प्रवेश परीक्षा-2024 में कुल 4,12,759 अभ्यर्थी पंजीकृत हुए एवं परीक्षा में 3,04,382 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए, जिसके सापेक्ष 3,04,329 परीक्षार्थी सफल घोषित हुये। आनलाइन कांउसिलिंग के माध्यम से कुल 1,15,444 अभ्यर्थियों को शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु प्रवेश दिया गया।

विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता :-

डिप्लोमा स्तर की राजकीय तथा अनुदानित संस्थाओं की संख्या एवं प्रवेश क्षमता वर्ष 1950-51 में क्रमशः 11 एवं 655 में उत्तरोत्तर वृद्धि कर वर्तमान में क्रमशः 184 संस्थायें एवं 55127 प्रवेश क्षमता हो गई है। निजी क्षेत्र की गैर अनुदानित 1616 संस्थाओं में कुल प्रवेश क्षमता 1,06,656 है।

भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना

कम्युनिटी डेवलपमेन्ट थ्रू पालीटेक्निक स्कीम :-

यह योजना भारत सरकार द्वारा शत-प्रतिशत वित्त पोषित है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण अंचलों के निवासियों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने, उनकी सामाजिक, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये स्थानीय आवश्यकतानुसार अल्पकालीन रोजगारपरक व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा लाभ पहुँचाना है। उक्त योजना वर्ष 2009-10 में भारत सरकार द्वारा

प्रारम्भ की गयी थी जिसमें वर्तमान में कुल 59 संस्थाओं में सी.डी.टी.पी. योजना संचालित है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर सामान्य वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिये सुविधायें :-

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर सामान्य वर्ग के पात्र छात्रों को समाज कल्याण विभाग, अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान की जाती है।

शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान :-

प्रौद्योगिकी, उद्योग एवं प्रबन्धन के क्षेत्र में हो रहे त्वरित विकास व रचनात्मक परिवर्तनों के परिप्रेक्ष्य में डिप्लोमा स्तरीय तकनीशियन शिक्षा की प्रासंगिकता व गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु संकाय प्रशिक्षण पाठ्यचर्या विकास/पुनरीक्षण, पाठ्य संसाधन विकास व शैक्षिक व प्रौद्योगिकी शोध आदि कार्यों के सम्पादन हेतु इस संस्थान की स्थापना वर्ष 1978 में प्राविधिक शिक्षा निदेशालय में एक प्रकोष्ठ के रूप में की गयी थीं, जिसे वर्ष 1984-85 में एक स्वतंन्त्र संगठन के रूप में पुनर्गठित किया गया।

संस्थान के कार्य कलाप प्रमुख रूप से तीन प्रकोष्ठों द्वारा क्रियान्वित किये जाते हैं:-

1. स्टाफ प्रशिक्षण प्रकोष्ठ
2. पाठ्यचर्या विकास प्रकोष्ठ
3. पाठ्य संसाधन विकास प्रकोष्ठ

●

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण

चिकित्सा शिक्षा विभाग का मुख्य उद्देश्य उच्चकोटि की विशिष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के साथ-साथ पर्याप्त प्रशिक्षित चिकित्सक, चिकित्सा शिक्षक एवं पैरामेडिकल स्टाफ आदि मानव संसाधन उपलब्ध कराना है। वस्तुतः लोक स्वास्थ्य में अपेक्षित सुधार के अभाव में मानव जीवन स्तर को उच्च नहीं किया जा सकता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु चिकित्सा शिक्षा विभाग को उन्नत किया जाना आवश्यक है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए चिकित्सा शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए वर्ष 1984 से चिकित्सा शिक्षा विभाग को एक अलग विभाग के रूप में स्थापित किया गया है।

1. प्रदेश में 13 राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज, कानपुर, आगरा, मेरठ, झाँसी, गोरखपुर, अम्बेडकरनगर, कन्नौज, जालौन, सहारनपुर, आजमगढ़, बाँदा एवं बदायूँ, 03 चिकित्सा विश्वविद्यालय- किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा एवं अटल बिहारी वाजपेयी राज्य चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ, 06 स्वायत्तशासी संस्थान- संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ, डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा, सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं स्नातकोत्तर शिक्षण संस्था, नोएडा, सेन्टर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च, लखनऊ एवं कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ संचालित हैं। सभी मेडिकल कॉलेजों से सम्बद्ध चिकित्सालय भी हैं, जहाँ रोगियों को चिकित्सा सुविधायें भी प्रदान की जाती हैं।
2. प्रारम्भ में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेज विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध थे, जिस कारण इनके पाठ्यक्रमों एवं इनकी परीक्षा के स्तर में एकरूपता न हो पाने के दृष्टिगत सम्पूर्ण प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के पाठ्यक्रमों, परीक्षाओं के स्तर एवं उनके प्रशासनिक नियंत्रण में एकरूपता लाए जाने का निर्णय लिया गया। तदनुसार ही प्रदेश के सभी राजकीय तथा निजी मेडिकल कॉलेजों, डेन्टल कॉलेजों एवं अन्य पैरा मेडिकल कॉलेजों को किसी चिकित्सा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किये जाने के उपरान्त प्रदेश के चिकित्सा का समुचित विकास हो सकेगा और चिकित्सा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा एवं ज्ञान की खोज में समूह ज्ञान और समूह के प्रयासों के प्रचार-प्रसार हेतु एक सक्रिय वातावरण के लिए मार्ग प्रशस्त होगा। इससे

चिकित्सा क्षेत्र के शोध एवं अनुसंधान की दिशा में भी विकास हो सकेगा। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ही अटल बिहारी वाजपेयी राज्य चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ की स्थापना की गई है। अटल बिहारी वाजपेयी राज्य चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना के पश्चात् राज्य के कई मेडिकल, डेन्टल नर्सिंग एवं अन्य चिकित्सा पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता अटल बिहारी बाजपेयी राज्य चिकित्सा विद्यालय से हो रही है।

3, इसके अतिरिक्त केन्द्र पुरोनिधानित योजनान्तर्गत प्रदेश में स्थापित जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत करते हुए स्वायत्तशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय बनाये जाने हेतु फेज-1 के अन्तर्गत 05 जिला चिकित्सालयों, यथा-बस्ती, बहराइच, शाहजहाँपुर, अयोध्या एवं फिरोजाबाद का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। जिनमें शैक्षणिक सत्र 2019-20 से प्रत्येक कॉलेजों में 100-100 एम.बी.बी.एस. सीटों पर नीट के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ है। फेज-2 के 09 कालेजों यथा-एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर एवं जौनपुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण है, जिनमें शैक्षणिक सत्र 2021-22, से एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम प्रवेश दिये जा चुके हैं। फेज-3 के अन्तर्गत 13 जिला चिकित्सालयों यथा- बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोण्डा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चन्दौली, बुलन्दशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात तथा कौशाम्बी को उच्चीकृत कर मेडिकल कॉलेज बनाये जाने हेतु निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हैं।

4. प्रदेश के 16 असेवित जनपदों, क्रमशः बागपत, बलिया, भदोही, चित्रकूट, हमीरपुर, हाथरस, कासगंज, महाराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मऊ, रामपुर, सम्भल, सन्तकबीरनगर, शामली एवं श्रावस्ती, जहाँ शासकीय अथवा निजी क्षेत्र के कोई भी मेडिकल कॉलेज स्थापित नहीं हैं, के निवासियों को निकटस्थ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसमें 3 जनपद महाराजगंज, सम्भल, शामली में कालेज स्थापना हेतु सम्बन्धित प्राइवेट पार्टनर्स का चयन करते हुए मोड-ए एग्रीमेन्ट हो चुका है तथा प्रथम बैच प्रवेशित है, तथा शेष जनपदों में निर्धारित नीति के अनुसार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर कालेज स्थापना की कार्यवाही प्रचलित है।

5. प्रदेश में एम.बी.बी.एस. एवं पी.जी. सीटों में वृद्धि के दृष्टिगत आवश्यक प्राविधान बजट में स्वीकृत है, जिससे प्रदेश में व्याप्त चिकित्सकों की कमी को दूर किया जा सकेगा।

●

व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता

"सबको हुनर-सबको काम" :-

उत्तर प्रदेश सरकार का व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग राज्य में युवाओं को तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनाने हेतु कार्यरत है। इस विभाग का मुख्य उद्देश्य है- युवाओं को ऐसे व्यावहारिक और तकनीकी कौशल से लैस करना जिससे वे रोजगार प्राप्त कर सकें या स्वयं का उद्यम स्थापित कर सकें।

मुख्य कार्य :-

1. उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार कौशल आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन
2. सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी के माध्यम से प्रशिक्षण केंन्द्रों की स्थापना।
3. प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए जॉब फेयर और प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन।

यह विभाग उत्तर प्रदेश के युवाओं को एक मज़बूत कौशल आधार प्रदान कर उन्हें न केवल रोज़गार के योग्य बनाता है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अग्रसर भी करता है। यह विभाग उत्तर प्रदेश राज्य के प्रशिक्षण केंद्रों एवं औद्योगिक साझेदारों के साथ समन्वित रूप से कार्यरत है। विभाग की कार्यक्षेत्र में लंबी अवधि की ट्रेड-प्रशिक्षण योजनाएं (ITI पाठ्यक्रम), प्रशिक्षक प्रशिक्षण तथा शिक्षुता (अप्रेंटिसशिप) कार्यक्रम आदि रोज़गारोन्मुखी प्रशिक्षण शामिल हैं। इनके माध्यम से युवाओं को प्रमाणित पाठ्यक्रमों में शिक्षा-प्रशिक्षण एवं औद्योगिक अनुभव प्रदान करके उन्हें स्वरोज़गार या उद्योगों से जोड़ने का प्रयास किया जाता है।

विभागीय इकाइयां

प्रशिक्षण निदेशालयः-

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित समस्त राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के संचालन एवं दैनिक क्रिया-कलापों का अनुश्रवण का समस्त कार्य प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उ.प्र. लखनऊ के द्वारा सम्पादित किया जाता है। इसके अतिरिक्त निदेशालय द्वारा प्रदेश में संचालित हो रहे निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के दैनिक क्रिया-कलापों को अनुश्रवण भी निदेशालय के माध्यम से सम्पादित किया जाता है।

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों हेतु केन्द्र व राज्य सरकार की समस्त योजनाओं के

सफलतापूर्वक संचालन/सम्पादन में प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उ.प्र., लखनऊ एक सेतु के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त निदेशालय द्वारा राजकीय एवं निजी प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न शासकीय गतिविधियों का समय बद्ध क्रियान्वयन एवं निस्तारण सुनिश्चित कराया जाता है।

राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एस.सी.वी.टी.), उ.प्र.:-

भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के अधीन संचालित प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा सम्पूर्ण देश में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन से सम्बन्धित दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं। प्रशिक्षण महानिदेशालय के अन्तर्गत गठित राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.वी.टी.) द्वारा राज्यों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना व उनके संचालन हेतु मानक तैयार कर जारी किये जाते हैं। एन.सी.वी.टी. द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले दिशा-निर्देशों को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों पर लागू कराने का सम्पूर्ण दायित्व राज्य निदेशालयों का होता है।

प्रदेश में एन.सी.वी.टी. से सम्बन्धन प्राप्त राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में **प्रवेश, परीक्षा व प्रमाणीकरण** के सम्बन्धित समस्त कार्यों के सफल संचालन/सम्पादन हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एस.सी.वी.टी.) की स्थापना की गयी है। एस.सी.वी.टी. को सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया है एवं इसका मुख्यालय राजकीय आई.टी.आई., अलीगंज, लखनऊ के परिसर में निर्मित भवन में स्थापित है।

प्रादेशिक स्टॉफ प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र:-

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अलीगंज, लखनऊ परिसर में निर्मित किये गये प्रादेशिक स्टाफ प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र के भवन में राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.वी.टी.) द्वारा संचालित शिल्पकार अनुदेशक प्रशिक्षण कार्यक्रम (सी.आई.टी.एस.) के अन्तर्गत 10 व्यवसायों यथा फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक रेफ्रीज़रेशन एण्ड एयर-कन्डीशनर, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, कॉसमेटोलॉजी तथा सीविंग टेक्नोलॉजी (महिलाओं हेतु) में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये एन.सी.वी.टी. से सम्बन्धन प्राप्त किया गया है। 10 स्वीकृत व्यवसायों हेतु एन.सी.वी.टी. के मानकों के अनुसार आधुनिक तकनीकी से परिपूर्ण आवश्यक मशीनें और साज-सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र को क्रय कर स्थापित किया गया है। 2460 से अधिक प्रशिक्षकों को सी.आई.टी.एस. के अन्तर्गत प्रशिक्षित कराया जा चुका है।

सी.आई.टी.एस. के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अतिरिक्त प्रादेशिक स्टाफ प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र के द्वारा विभाग में कार्यरत समस्त अधिकारियों, प्रशिक्षण कार्मिकों तथा अन्य कार्मिकों में से 2198 से अधिक को तकनीकी व प्रबन्धन के क्षेत्र अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया है।

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन:-

प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष   से प्रख्यापित की गयी "उत्तर प्रदेश कौशल विकास नीति"

के अनुक्रम में "उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन" की स्थापना व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास नीति विभाग के अधीन एक पंजीकृत समिति के रूप में की गयी है। उ.प्र. देश का प्रथम राज्य है, जहाँ इस नीति के अन्तर्गत विभिन्न विभागों की केन्द्र सहायतित (जिसमें राज्यांश भी सम्मिलित है) योजनाओं तथा राज्य सरकार की योजनाओं को समेकित रूप से उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के माध्यम से संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है। मिशन द्वारा संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा से आयु वर्ग के युवाओं के अल्पशिक्षित एवं विद्यालयीय शिक्षा से विरत (ड्रापआउट), (जिनमें महिलाओं, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, शारीरिक रूप से अक्षम, ग़रीब और कम पढ़े लोग सम्मिलित हैं) को प्रशिक्षित कर सेवायोजित कराने हेतु विभिन्न योजनाओं को एकीकृत रूप से मानकीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत संचालित किया जा रहा है।

मिशन के माध्यम से 39 सेक्टर में 1385 कोर्सेज संचालित किये जा रहे हैं। मिशन द्वारा प्राइवेट ट्रेनिंग पार्टनर को आबद्ध कर प्रदेश में ब्लॉक स्तर तक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

व्यावसायिक प्रशिक्षण से सम्बन्धित प्रमुख गतिविधियाँ

भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के अन्तर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय के अधीन राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.वी.टी.), नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक अधिष्ठानों तथा राजकीय व निजी प्रशिक्षण प्रदाताओं के माध्यम से निम्नलिखित प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों का संचालन व क्रियान्वयन किया जाता हैः-

1. शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सी.टी.एस.)
2. शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (ए.टी.एस.)
3. शिल्पकार अनुदेशक प्रशिक्षण योजना (सी.आई.टी.एस.)
4. अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम (उ.प्र. कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित)

केन्द्र सरकार के सहयोग से संचालित योजनायेंः-

केन्द्र पुरोनिधानित प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पी.एम.के.वी.वाई. तथा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डी.डी.यू.-जी.के.वाई.) के अन्तर्गत विभिन्न विधाओं में अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन उ.प्र. कौशल विकास मिशन के माध्यम से कराया जा रहा है। डी.डी.यू.-जी.के.वाई. के अन्तर्गत प्रशिक्षार्थियों हेतु छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है।

उपलब्धियां

. उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन को अपनी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए पिछले 05 वर्षों में 05 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिनमें एसोचैम द्वारा वर्ष 2018-19 में बेस्ट स्टेट इन स्किलिंग की गोल्ड ट्राफी, वर्ष 2020-21 में इलैट्स द्वारा 17वीं वर्ल्ड एजूकेशन समिट,

2020 में कोर्से राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय ऑन लाइन लर्निंग प्लेटफार्म के माध्यम से प्रदेश के 50 हज़ार छात्रों को निःशुल्क प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ रिक्ग्रीशन, स्कॉच ग्रुप द्वारा स्किल इनीशिएटिवस् लिए गोल्ड सर्टीफिकेट तथा कम्प्यूटर सोसाइटी ऑफ इण्डिया द्वारा ई-गवर्नेन्स श्रेणी में एवार्ड ऑफ एप्रीसिएशन सम्मिलित है।

. उ.प्र. प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा प्रदेश के समस्त विकास खण्डों में विकास खण्ड स्तरीय रोज़गार मेलों को माह जनवरी, 2024 में आयोजित कराया गया है, जिनके माध्यम से लगभग 1.35 लाख अभ्यर्थियों को सेवायोजन हेतु ऑफरलेटर प्राप्त हुआ है।

. अगस्त से सितम्बर 2024 में 09 जनपदों के एक एक विधान सभा क्षेत्र में आयोजित हुए 09 वृहद् रोज़गार मेलों में कुल 50451 युवाओं को सेवायोजन के ऑफर प्राप्त हुए हैं।

. प्रदेश में स्टार्टअप्स को कौशल प्रशिक्षण की मुख्य धारा से जोड़ने तथा उन्हें प्रशिक्षण प्रदाता के रूप में अनुबंधित करने के मिशन द्वारा पहल की गयी है तथा उन्हें प्रशिक्षण प्रदाता के रूप में मिशन के साथ जोड़ा जा रहा है।

. प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वर्ष तक 01 ट्रिलियन डॉलर के स्तर तक ले जाने के उद्देश्य से आयोजित की गई यू.पी.जी.आई.एस., 2023 में विभाग हेतु 71 निवेश के प्रस्ताव प्राप्त कराये गये जिनसे की 7031 करोड़ की धनराशि का निवेश अग्रेतर वर्षों में होने की सम्भावना है।

. प्रदेश के राजकीय आई.टी.आई. का इण्डस्ट्री 4.0 की आकांक्षाओं के अनुरूप उन्नयन किये जाने के उद्देश्य से टाटा टेक्नोलॉजीज लि. के साथ एम.ओ.ए. हस्ताक्षरित किया गया है। टाटा टेक्नोलॉजीज लि. द्वारा 150 राजकीय आई.टी.आई. के उन्नयन हेतु विभाग द्वारा कराये गये निर्माण कार्य के उपरान्त मशीनों की स्थापना का कार्य पूर्ण कराकर 11 दीर्घकालीन एवं 23 शार्ट टर्म कोर्सेस में प्रशिक्षण प्रारम्भ किया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 62 अन्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कौशलम केन्द्र खोलने हेतु मा. मंत्री परिषद के अनुमोदन उपरान्त टी.टी.एल. के साथ अनुबन्ध स्थापित किया जा रहा है।

. प्रदेश के 150 राजकीय आई.टी.आई. में आधुनिक प्रकृति की नवीन कार्यशाला व स्मार्ट क्लास रूम के निर्माण की स्वीकृति को जारी किया गया है।

. शत प्रतिशत केन्द्र पुरोनिधानित "स्किल्स स्ट्रैन्थिनिंग फॉर इण्डस्ट्रियल वैल्यू एनहैंसमेंट" अर्थात स्ट्राइव परियोजना (विश्व बैंक फण्डिंग) के अन्तर्गत 29 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उद्योगों के समन्वय से उच्चीकृत किये जाने हेतु चयनित कराया गया है। केन्द्र सरकार के सहयोग से संचालित पब्लिक प्राइवेट पार्टनशिप योजना के अन्तर्गत चयनित 115 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उच्चीकरण कार्य कराया गया है।

. प्रदेश के 06 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यथा साकेत-मेरठ, करौंदी-वाराणसी, अयोध्या, बस्ती, चन्दौली व नौगढ़-सिद्धार्थनगर को केन्द्र पुरोनिधानित परियोजना "राजकीय

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का मॉडल आई.टी.आई. के रूप में उच्चीकरण (के.70/रा. 30)" के अन्तर्गत मॉडल आई.टी.आई. के रूप में विकसित किये जाने सम्बन्धी कार्य सम्पादित कराये जा रहे हैं।

. प्रदेश के समस्त जनपदों में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार/स्वरोजगार से जोड़ने तथा प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाने के उद्देश्य से केन्द्र पुरोनिधानित स्किल्स एक्वीजीशन एण्ड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाईविलीहुडनेस (संकल्प) योजना" (के.60/रा.40) को उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के माध्यम से क्रियान्वित किया गया है।

. प्रदेश के 28 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 40 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हेतु धनराशि जारी कर कार्य प्रारम्भ कराया गया है।

. प्रदेश के समस्त राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेशित प्रशिक्षार्थियों के निःशुल्क वर्दी/डांगरी तथा पुस्तकें प्रदान करायी गयी हैं तथा संस्थानों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता संवर्धन के उद्देश्य से आई.टी. लैब तथा स्मार्ट क्लास रूम स्थापित कराकर संचालित किये गये हैं।

. प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों व शिशिशु प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत कुल 40,093 सफल प्रशिक्षार्थियों/अभ्यर्थियों को कैम्पस प्लेसमेंट/रोजगार मेलों (माह अप्रैल, 2023 से जनवरी, 2024 तक) के माध्यम से सेवायोजित कराया गया है।

. उ.प्र. कौशल विकास मिशन द्वारा स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्टार्ट-अप प्रशिक्षण नीति को प्रारम्भ किया गया है।

भविष्य की कार्ययोजना

. टाटा टेक्नोलॉजी लि. के सहयोग से फेज-2 के अन्तर्गत धनराशि रु. 3274.427872 करोड़ (GST सहित) के निवेश से 62 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन एवं 05 सेंटर फॉर इनोवेशन, इंक्यूबेशन एण्ड ट्रेनिंग (CIIIT) की स्थापना का क्रियान्वयन।

. अप्रेन्टिसशिप के माध्यम से युवाओं को उद्योगों व एम.एस.एम.ई. में 1,00,000 युवाओं को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान कराये जाने का लक्ष्य, जिसमें युवाओं को एन.ए.पी.एस. के अन्तर्गत सम्बन्धित उद्योग व अधिष्ठान द्वारा प्रदान की जाने वाली मासिक पत्रिका की 25 प्रतिशत धनराशि (अधिकतम रु. 1500/. प्रति माह) की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा एवं मुख्य शिशिक्षुता प्रोत्साहन योजना (सी.एम.ए.पी.एस.) के अन्तर्गत एन.ए.पी.एस. में पंजीकृत प्रत्येक शिशिक्षु पर रु. 1000.00/- प्रतिमाह की अतिरिक्त प्रतिपूर्ति प्रदेश सरकार द्वारा की जायेगी।

. प्रदेश के नवयुवकों को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान कराये जाने हेतु राज्य स्तरीय इंटर्नशिप योजना का क्रियान्वयन।

- टाटा टेक्नोलॉजी लि. के सहयोग से फेज-1 के अन्तर्गत 149 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं 01 प्रादेशिक स्टाफ प्रशिक्षण एवं शोध केंद्र, अलीगंज-लखनऊ में 100 एम.बी.पी.एस. डेडीकेटेड लीज लाइन इन्टरनेट कनेक्शन की स्थापना।
- प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के आधारभूत संरचना एवं टूल्स, मशीनरी एवं उपकरणों का चरणबद्ध तरीके से नवीनीकरण किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक अनुमान के सापेक्ष वृहद निर्माण कार्यों की तीन गुना की कार्ययोजना वित्त विभाग को प्रस्तुत एवं उपरोक्तानुसार बजट आवंटन का प्रयास।
- विभाग के अन्तर्गत संचालित सभी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, संयुक्त निदेशक कार्यालयों एवं निदेशालय में ई-ऑफिस व्यवस्था से पत्रावलियों का व्यवहरण करने का लक्ष्य।
- प्रदेश में संचालित 286 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से शेष 73 संस्थानों में प्रदेश की नीति के अनुसार ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट की स्थापना का लक्ष्य।
- विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न संयुक्त निदेशक कार्यालयों एवं संस्थानों में प्रभावी अनुश्रवण हेतु मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किये जाने का लक्ष्य।
- नई शिक्षा नीति 2020 के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुपालनः- भारत सरकार द्वारा जारी नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रदेश के प्रत्येक युवा हेतु "One Vocational Course for Every Student" की अवधारणा को लागू करना प्रस्तावित है।
- ऑडिटोरियम को निर्माणः- प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं के समग्र विकास हेतु प्रदेश के मुख्यालय में स्थित संस्थानों में ऑडिटोरियम का निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।
- कॉमन हॉल का निर्माणः- राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत कार्मिकों को स्वाध्याय, इंडोर गेम्स, पत्र-पत्रिकाएं सहित अन्य सुवधाएं प्रदान करने हेतु कॉमन हॉल का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।
- अतिथि गृह का निर्माणः- राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न कार्यों यथा निरक्षण, बैठक इत्यादि हेतु उच्च अधिकारियों का आगमन होता है, इस हेतु प्रत्येक जनपद के मुख्यालय पर अतिथि गृह का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।
- छात्रावास का निर्माणः- प्रदेश के विभिन्न राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अत्यधिक दूरी से प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण हेतु आते हैं, जिससे उनकी उपस्थिति प्रभावित होती है। उपस्थित को सुदृढ़ किये जाने हेतु संस्थानों में छात्रावास का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।
- इंडस्ट्री 4.0 के अनुरूप विभिन्न व्यवसायों का उच्चीकरणः- राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं हेतु औद्योगिक प्रतिष्ठानों की आवश्यकता के अनुरूप कौशल उन्नयन हेतु व्यवसायों का उच्चीकरण आधुनिक मशीनों एवं उपकरणों को

स्थापित कराया जाना प्रस्तावित है।

- डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापनाः- प्रदेश की राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षार्थियों के तकनीकी कौशल में वृद्धि करने तथा उनको औद्योगिक अधिष्ठानों में प्रयोग की जाने वाली युक्तिओं से परिचय कराने तथा उसका प्रयोग कैसे किया जाए, से अवगत कराने के लिए संस्थानों में डिजिटिल लाइब्रेरी को स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।
- प्रदेश में 62 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा फेज 2 में मशीनों, उपकरणों, साज-सज्जा आदि की स्थापना तथा आधुनिक कार्यशालाओं का निर्माण।

'व्यावसायिक शिक्षा की ओर, पकड़ें रोजगार की डोर'

●

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

स्वस्थ नागरिक राष्ट्र की समृद्धि के आधार स्तम्भ होते हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग . करोड़ है। इसमें हर जाति, वर्ग, सम्प्रदाय के लोग निवास करते हैं। किसी भी देश अथवा प्रदेश की प्रगति का मापदण्ड उस देश अथवा प्रदेश में निवास करने वाले नागरिकों के स्वास्थ्य की स्थिति से ही जाना जाता है। अपने प्रदेश के नागरिकों को स्वस्थ रखने एवं जीवन स्तर सुधारने हेतु स्वास्थ्य विभाग उत्तम सेवाएँ प्रदान करने के लिये कृत संकल्प है। प्रदेश के निरोधात्मक, उपचारात्मक एवं संवर्धनात्मक स्वास्थ्य सेवाओं का पर्याप्त रूप से विकास एवं प्रचार करके लोगों को स्वस्थ रखने के लिये अधिकाधिक सफलता प्राप्त की जा रही है। निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवाओं के अन्तर्गत रोके जा सकने वाले संचारी रोग से प्रभावित रोगियों की संख्या एवं होने वाली मृत्यु को कम करने में वास्तविक प्रगति हुई है। पूरे प्रदेश एवं देश से चेचक एवं पोलियो रोग का उन्मूलन हो गया है। मलेरिया नियंत्रण में महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए प्रदेश कैटेगरी-2 से कैटेगरी-1 राज्यों की श्रेणी में सम्मिलित हो गया है, जिसके लिए भारत सरकार की ओर से प्रदेश सरकार को प्रशस्ति पत्र भी दिया गया है। फाईलेरिया एवं मस्तिष्क ज्वर पर प्रभावी नियंत्रण किया जा रहा है। मस्तिष्क ज्वर (एईएस) में वर्ष 2017 की तुलना में एईएस रोगियों की संख्या में 85.94 प्रतिशत की कमी आयी है एवं मृत्यु दर में 99.54 प्रतिशत की कमी हो गयी है। जैपनीज इसेंफिलाइटिस (जे.ई.) के रोगियों की संख्या में वर्ष 2017 की तुलना में 92.78 प्रतिशत की कमी आई है तथा मृत्युदर में 97.85 प्रतिशत की कमी आयी है। कालाजार में उन्मूलन लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है जो कि कालाजार केसों की संख्या प्रति 10 हज़ार की आबादी पर 1 से कम है। अन्धापन, क्षयरोग, कुष्ठरोग एवं आयोडीन की कमी से होने वाले रोग जैसी प्रमुख स्वास्थ्य समस्याओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिये इन्हें राष्ट्रीय कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया था। प्रदेश में इन रोगों से प्रभावित होने वाले रोगियों की संख्या प्रतिवर्ष घटती जा रही है। प्रदेश के समस्त जनपदों में 05 वर्ष तक के बच्चों को 12 जानलेवा बीमारियों (पोलियो, क्षयरोग, गलाघोंटू, टिटनेस, काली खाँसी, हिब, हिपेटाइटिस-बी, निमोनिया, जे.ई., खसरा, रूबेला एवं डायरिया) से बचाव तथा गर्भवती महिलाओं को टिटनेस से बचाव हेतु नियमित रूप से निःशुल्क टीकाकरण किया जाता है। प्रदेश सरकार की विकास नीति ग्रामोन्मुखी है। ग्रामीण क्षेत्रों में घर के निकट ही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला सेक्टर योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण स्वास्थ्य इकाइयों की व्यापक व्यवस्था की गयी है, इस कड़ी में सबसे निचले स्तर पर परिवार कल्याण उप केन्द्र स्थापित हैं, जो स्वास्थ्य सेवायें भी प्रदान करते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य

केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा उपचारात्मक एवं निरोगात्मक सेवाओं के साथ-साथ विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाता है, जन सामान्य को उच्च स्तरीय उपचारात्मक सेवायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला एवं मण्डल स्तर पर जिला चिकित्सालय तथा अन्य चिकित्सालयों में विशिष्ट एवं अति विशिष्ट सेवा इकाइयाँ स्थापित की गयी हैं, जन सामान्य को आपात चिकित्सा सेवा पहुँचाने हेतु ई.एम.टी.एस. सेवाओं के अन्तर्गत 108 एम्बुलेन्स सेवा संचालित की जा रही है।

108 ई.एम.टी.एस. एम्बुलेंस सेवा :-

- एम्बुलेंस सेवा कॉल सेण्टर पर आधारित एम्बुलेंस सेवा है, जिसमें किसी भी आमजन द्वारा टोल फ्री नम्बर डायल करके आकस्मिक परिस्थितियों में एम्बुलेंस की मांग की जा सकती है। एम्बुलेंस सेवा x आधार पर दिवस हेतु उपलब्ध रहती है।
- माह सितम्बर, में प्रारम्भ की गयी ई.एम.टी.एस. एम्बुलेंस सेवा के प्रथम चरण में एम्बुलेंस को शहरी क्षेत्र में एवं ग्रामीण क्षेत्र में मिनट में रोगी तक पहुँचने का प्राविधान किया गया था। जुलाई, से प्रारम्भ हुए द्वितीय चरण हेतु निष्पादित अनुबंध में उक्त अवधि को शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिये घटाकर रोगी तक एम्बुलेंस को मिनट में पहुंचाये जाने का प्राविधान कर दिया गया है।
- उक्त अवधि में एम्बुलेंस के रोगी तक पहुंचने की व्यवस्था को सुनिश्चित किये जाने हेतु एम्बुलेंसों की फ्लीट को से बढ़ाकर कर दिया गया है।
- एम्बुलेंस सेवा को अधिक सुलभ बनाये जाने के उद्देय से उपरोक्तानुसार एम्बुलेंसों की संख्या में वृद्धि के साथ ही प्रतिदिन प्रति एम्बुलेंस संचालित किये जाने वाले ट्रिप्स की संख्या में वृद्धि कर इसे ट्रिप्स से बढ़ाकर ट्रिप्स प्रतिदिन कर दिया गया है।
- एम्बुलेंस सेवा के माह जनवरी, (दिनांक 14.09.2012 से 31.01.2025) तक लाभान्वित कुल रोगियों की संख्या- , , , है।
- ई.एम.टी.एस. एम्बुलेंस सेवा में माह जनवरी, में एम्बुलेंसों का रिस्पॉन्स टाइम 07.30 मिनट है।

ए.एल.एस. एम्बुलेंस सेवा :-

- गम्भीर रोगियों की जीवनरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सुरक्षित परिवहन के लिए आधुनिक जीवनरक्षक प्रणाली से युक्त (एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम) एम्बुलेंसों का संचालन दिनांक . . से प्रारम्भ किया गया था। उक्त सेवा की उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए ए.एल.एस. एम्बुलेंस सेवा में अतिरिक्त एम्बुलेंसों को दिनांक - - से सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार उक्त सेवा में वर्तमान में ए.एल.एस. एम्बुलेंस संचालित हैं।
- ए.एल.एस. सेवा का संचालन मेडकेयर मेडिकल सर्विसेज प्रा.लि. के माध्यम से किया जा रहा है। परियोजना की अवधि वर्ष की है।

- जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/नामित अधिकारी के काल के आधार पर कन्ट्रोल रूम से मरीजों को एम्बुलेंस उपलब्ध करायी जाती है।
- पर प्राप्त होने वाली सामान्य जनता की कॉलों हेतु आवश्यकतानुसार ए.एल.एस. एम्बुलेंस उपलब्ध करायी जाती है।
- इमरजेंसी कॉल सेंटर (ई.आर.सी.) पर सूचना प्राप्त होने पर गम्भीर रोगियों को एम्बुलेंस में एडवांस उपचार के साथ-साथ उच्च स्तरीय इकाई पर पहुंचाया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है।
- दिल्ली और चण्डीगढ़ से किलोमीटर के अन्दर से आने वाले जनपदों के मरीज़ों को दिल्ली और चण्डीगढ़ के चिकित्सालयों में ही भेजा जा सकता है।
- एम्बुलेंस में एडवांस उपकरण जैसे कि वेंटीलेटर, डिफिब्रिलेटर, फीटल डाप्लर आदि उपचार हेतु औषधियाँ, उपचार से सम्बन्धित मेडिकल कन्ज़्यूमेबल्स तथा एक प्रशिक्षित एडवांस इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की व्यवस्था की गयी है।
- प्रदेश की जनता को निःशुल्क सेवा उपलब्ध करायी जा रही है।
- ए.एल.एस. एम्बुलेंस सेवा द्वारा माह अप्रैल से माह जनवरी, तक , , रोगियों को सेवा प्रदान की गयी है।

नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट सेवा :-

- प्रदेश के दूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में रोगियों को चिकित्सा सेवायें उनके द्वार पर उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से मोबाइल मेडिकल यूनिट सेवा का शुभारम्भ दिनांक 18.02.2019 से किया गया है।
- उक्त सेवा के अन्तर्गत मोबाइल मेडिकल यूनिट सचल चिकित्सालय की भाँति कार्य करती है तथा सम्बंधित जनपद के सूदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों जहाँ पर पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधायें नहीं हैं, वहां पहुँचती हैं एवं स्थानीय ग्रामीण जनता को चिकित्सीय जांच एवं प्राथमिक उपचार की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराती है।
- वर्तमान में प्रदेश के 54 जनपदों में 170 मोबाइल मेडिकल यूनिट का संचालन किया जा रहा है।
- नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट सेवा के अन्तर्गत प्रत्येक मोबाइल मेडिकल यूनिट में एक डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट, एक स्टाफ नर्स एवं लैब टेक्निशियन उपलब्ध्य रहता है।
- रोगियों के उपचार हेतु प्रत्येक मोबाइल, मेडिकल यूनिट में प्रकार की औषधियां एवं जांच हेतु ई.सी.जी., सेमी आटो एनालाइज़र, ग्लूकोमीटर, माइक्रोस्कोप एवं ऑप्थेलमोस्कोप की सुविथा उपलब्ध है।
- मोबाइल मेडिकल यूनिट सेवा के माध्यम से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में माह फरवरी 2019 से जनवरी, 2025 तक कुल 1,58,20,847 रोगियों को उपचारित किया गया है।

स्वतंत्र विद्युत फीडर :-

- प्रदेश के 147 जिला पुरुष एवं महिला चिकित्सालयों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु स्वतंत्र विद्युत फीडर की स्थापना करायी जा चुकी है। शेष 8 जिला पुरुष एवं महिला चिकित्सालयों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु स्वतंत्र विद्युत फीडर की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।
- वर्ष 2024-25 में 04 चिकित्सालयों स्वतंत्र विद्युत फीडर की स्थापना कराया जाना प्रस्तावित है।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था :-

- प्रदेश के समस्त 328 चिकित्सालयों में अग्निशमन विभाग द्वारा फायर ऑडिट कराया जा चुका है। फायर ऑडिट में पायी गयी कमियों में सुधारात्मक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
- वर्तमान में 32 जिला चिकित्सालयों में अग्निशमन व्यवस्था का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं चिकित्सालयों में अग्निशमन व्यवस्था का कार्य प्रगति पर है। उक्त के अतिरिक्त विशिष्ट चिकित्सालयों में अग्निशमन व्यवस्था स्थापित है।
- वर्तमान में प्रदेश के 228 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अग्निशमन व्यवस्था का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अग्निशमन व्यवस्था का कार्य प्रगति पर है।

प्रदेश की आधारभूत चिकित्सा इकाइयाँ :-

क्रमांक	इकाई का नाम	संख्या
1	2	3
1	जिला/महिला/संयुक्त/अन्य चिकित्सालय	108
2	विशिष्ट चिकित्सालय	259
3	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	972
4	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/ब्लाक स्तरीय स्वास्थ्य केन्द्र	3735

प्रदेश में राजकीय चिकित्सालयों में वाह्य एवं अन्तः रोगियों का विवरण (संख्या लाख में)

इकाई का नाम	रोगी	वर्ष 2021	वर्ष 2022	वर्ष 2023	वर्ष 2024
1	2	3	4	5	6
जिला पुरुष/महिला /संयुक्त/अन्य	वाह्य	287.93	370.32	291.54	252.19
चिकित्सालय	अन्तः	21.93	22.44	15.53	15.19
प्रा./सामु.	वाह्य	462.21	565.59	700.00	846.67
स्वास्थ्य केन्द्र	अन्तः	28.18	28.53	27.86	17.05

विद्युत एवं यांत्रिक सेल :-

विद्युत एवं यांत्रिक अनुरक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना वर्ष 1974 में इस उद्देश्य से की गयी थी कि प्रदेश में स्थित राजकीय क्षेत्र के शहरी एवं ग्रामीण चिकित्सालयों में उपलब्ध उपकरणों तथा भवनों की विद्युत व्यवस्था का समुचित रख-रखाव किया जा सके। उक्त परिपेक्ष्य में प्रकोष्ठ द्वारा उपलब्ध उपकरणों की मरम्मत, समयबद्ध रखरखाव तथा निष्प्रयोज्य हो चुके उपकरणों एवं साज-सज्जा की पुनर्स्थापना की कार्यवाही में विभाग को आवश्यक तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराया जाता है। इसी प्रकार प्रदेश के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में स्थित चिकित्सालयों के भवनों की विद्युत व्यवस्था का रख-रखाव एवं निर्मित होने वाले चिकित्सालय भवनों हेतु आवश्यक विद्युत व्यवस्था उक्त चिकित्सालय में प्रस्तावित उपकरणों आदि विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये आंकलित किया जाता है।

उपरोक्त मूल कार्यकलापों के अतिरिक्त चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में हो रहे आधुनिक परिवर्तन से सामंजस्य बनाये रखने के लिए यथा आवश्यकतानुसार आधुनिक उपकरणों आदि की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में भी तकनीकी सहयोग विभाग को उपलब्ध कराया जाता है, जिससे कि प्रदेश की आम जनता को बेहतर आधुनिक चिकित्सा सेवाएं राजकीय चिकित्सालयों के द्वारा उपलब्ध करायी जा सकें।

विद्युत एवं यांत्रिक अनुरक्षण प्रकोष्ठ के स्तर पर 108 ई.एम.टी.एस., ए.एल.एस एम्बुलेंस सेवा, नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट सेवा (एन.एम.एम.यू.) एवं बायोमेडिकल इक्यूपमेंट मेंटीनेन्स प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण कार्य व्यवहरित किया जाता है।

मानसिक रोग उपचार :-

मानसिक रोग उपचार के लिए इस समय प्रदेश में दो मानसिक चिकित्सालय, बरेली तथा वाराणसी में कार्यरत हैं। इन चिकित्सालयों में आन्तरिक मानसिक रोगियों का भी उपचार किया जाता है। चार मानसिक रोग रूजालय मेडिकल कालेज कानपुर, मेरठ, इलाहाबाद तथा लखनऊ में कार्यरत हैं।

राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम की उपलब्धियाँ

- प्रदेश में 25 नोडल ड्रग रेजिस्टेन्ट टी.वी. केन्द्र एवं 56 जनपदीय ड्रग रेजिस्टेन्ट टी.वी. केन्द्र दवा प्रतिरोधी टीबी का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है।
- टीबी मुक्त स्थिति की दशा में प्रगति के उपराष्ट्रीय प्रमाणन के तहत 7 जिलों (हापुड़, कौशाम्बी, संत रविदास नगर, शामली, बलरामपुर, उन्नाव, सोनभद्र) को कांस्य पदक से और 4 जिलों (जालौन, मुजफ्फरनगर, बुलन्दशहर, पीलीभीत) को रजत पदक से वर्ष - में भारत सरकार द्वारा विश्व क्षय दिवस 24 मार्च, 2023 के अवसर पर सम्मानित किया गया।
- प्रदेश के समस्त जनपदों में क्षय रोगियों के नमूनों को माइक्रोस्कोपिक सेन्टर से जनपद मुख्यालय तथा कल्चर प्रयोगशाला तक पहुँचाने हेतु डाक विभाग से राज्य स्तर पर अनुबंध

किया गया है। जिससे संबंधित प्रयोगशाला में नमूनों को पहुँचाया जा रहा है।

- आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आम) पर प्रत्येक माह की तारीख को निःक्षय दिवस मनाया जा रहा है जिसमें संभावित क्षय रोगियों को चिन्हित कर उनका उपचार शुरू करना, टीबी के इलाज छोड़ चुके मरीजों को पुनः उपचार में लाना एवं निःक्षय पोषण योजना डी.बी.टी. हेतु बैंक विवरण की इन्ट्री करना सम्मिलित हैं।
- प्रधान मंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अन्तर्गत क्षय रोगियों को प्रदेश में विभिन्न सामाजिक संगठनों/लोकोपकारी संस्थानों/व्यक्तियों द्वारा गोद लिया जा रहा है। दिनांक 17 फरवरी 2025 (निःक्षय पोर्टल के आंकड़ानुसार) को प्रदेश के समस्त जनपदों में कुल 3. लाख क्षय रोगियों को गोद लिया गया है।
- प्रदेश में जून 2021 से प्रति माह दो बार दवा प्रतिरोधी टीबी के जटिल मामलों पर 'डिफिकल्ट टू ट्रीट टी.बी. क्लीनिक' वर्चुअल माध्यम से चर्चा की जा रही है एवं उसका समाधान करने के लिए प्रदेश के समस्त मेडिकल कालेज के क्षय रोग के विशेषज्ञ द्वारा जटिल क्षय रोग केस की विस्तृत चर्चा से समाधान करते हैं।
- प्रदेश के चार ड्रग स्टोर आगरा, लखनऊ, बरेली तथा वाराणसी से सम्बद्ध जनपदों को आवंटित औषधियों/जनपदीय ड्रग स्टोर के माध्यम से समस्त क्षय रोगियों को उपलब्ध करायी जाती है।
- स्टेट टी.बी. डिमॉन्सट्रेशन एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर (एस.टी.डी.सी.) आगरा को राज्य स्तरीय प्रशिक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु "उत्कृष्टता केन्द्र" के रूप में विकसित किया जा रहा है तथा समस्त एन.टी.ई.पी. के कर्मचारियों एवं चिकित्सकों को प्रशिक्षण आवश्यकतानुसार किया जा रहा है। वर्तमान में एस.टी.डी.सी.-एस.जी.पी.जी.बाई.- लखनऊ एवं 100 शैय्या टीबी अस्पताल/चारू चंद्र दास मेमोरियल टीबी अस्पताल गोरखपुर में स्थापित किया जा रहा है।
- प्रदेश के समस्त क्षय रोगियों की एच.आई.वी. की जाँच एवं उपचार निःशुल्क, टी.बी.-एच. आई.वी. समन्वय कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षय रोगियों की एच.आई.वी. की जाँच शत् प्रतिशत सुनिश्चित की जा रही है।

राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम का वर्तमान प्रदर्शनः-

- भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024 में 6.50 लाख क्षय रोगियों के निर्धारित नोटीफिकेशन लक्ष्य के सापेक्ष कुल 6,81,655 क्षय रोगी निःक्षय पोर्टल पर पंजीकृत किये गये।
- इलाज की सफलता दर वर्ष 2017 में 79 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में 94 प्रतिशत हो गई है।
- दिनांक 01.04.2018 से भारत सरकार द्वारा निःक्षय पोषण योजना के अन्तर्गत पंजीकृत समस्त क्षय रोगियों को डी.बी.टी. के माध्यम से रु. 500/- प्रति माह की दर को बढ़ाकर नवम्बर से सं रु. /- प्रतिमाह कर दिया गया हैं। दिनांक . .

तक 28.31 लाख क्षय लाभार्थी रु. 820.32 करोड़ का भुगतान किया गया।

- टी.बी. रोगियों में से 99 प्रतिशत मरीजों की एच.आई.वी. और 97 प्रतिशत मरीजों की मधुमेह की स्थिति ज्ञात है।
- प्रदेश में 05 क्षेत्रीय क्षय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई (आर.टी.पी.एम.यू.) आगरा-17, लखनऊ-19, बरेली-18, गोरखपुर-10 एवं वाराणसी-11 से सम्बन्धित जनपदों के एन. टी.ई.पी. के संकेतांकों की समीक्षा एवं पर्यवेक्षण करते हैं।

राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रमः-

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम कुष्ठ रोग के निवारण अर्थात 01 रोगी प्रति 10,000 से कम व्यापकता दर का स्तर प्राप्त करने के राष्ट्रीय संकल्प के अन्तर्गत संचालित है।

राष्ट्रीय अंधता एवं दृष्टिक्षीणता नियंत्रण कार्यक्रम-उत्तर प्रदेशः-

प्रदेश में यह कार्यक्रम भारत सरकार की सहायता से वर्ष 1977 से भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार 2005 से ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत समायोजित कर चलाया जा रहा है। कार्यक्रम का लक्ष्य प्रदेश की वर्तमान दृष्टिहीनता दर 1.0% को घटाकर 0.3% लाना है। मोतियाबिन्द जनित अंधता को शल्यक्रिया द्वारा दूर किया जा सकता है। भारत सरकार द्वारा कराये गये अंधता हेतु सर्वेक्षण द्वारा परिणाम प्राप्त हुए हैं कि 62% अंधता, मोतियाबिन्द तथा 20% रिफैक्टिव एरर के कारण होती है, जिसे दूर करने के लिए भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार मोतियाबिन्द की शल्यक्रिया करने तथा 8 से 14 वर्ष के बच्चों की दृष्टिदोष को दूर करने हेतु स्कूल आई स्क्रीनिंग तथा नेत्र बैंकों के माध्यम से कार्निया प्रत्यारोपण का कार्य कराया जाता है। वर्ष 2015-2019 में भारत सरकार द्वारा कराये गये सर्वे के अनुसार उत्तर प्रदेश की अंधता की व्यापकता दर 1 प्रतिशत से कम (0.36%) हो गई है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक 3 वर्षीय विशेष राष्ट्रीय नेत्र ज्योति अभियान का संचालन किया जा रहा है।

प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं तथा स्वास्थ्य निरीक्षकों का प्रशिक्षण (राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ):-

इस संस्थान में 3 अनुभाग है, जिसमें प्रयोगशाला, प्रशिक्षण एवं राष्ट्रीय कार्यक्रमों (राष्ट्रीय आई.डी.डी. नियंत्रण कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय फ्लोरोसिस एवं बचाव नियंत्रण कार्यक्रम) का अनुश्रवण कार्य होता है।

सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्रः-

सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, स्वास्थ्य विभाग के बजट पर कार्यरत है, जो 1997-98 में परिवार कल्याण बजट पर स्थानान्तरित होकर आये हैं। इन केन्द्रों पर परिवार कल्याण, महिलाओं, शिशुओं के स्वास्थ्य लाभ सम्बन्धी प्रशिक्षण विभागीय कर्मचारियों को दिया जाता है।

कुम्भ मेलाः-

इस मेले में देश-विदेश के कोने-कोने से तीर्थ यात्री पवित्र स्नान के पर्व पर आते हैं। इस पर्व पर यात्रियों के लिए पूर्व वर्षों की भाँति चिकित्सा एवं स्वच्छता के पूर्ण प्रबन्ध किये जाते हैं। कुम्भ मेले का प्रबन्ध अपर निदेशक, इलाहाबाद मण्डल तथा माघ मेले का प्रबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण में किया जाता हैं। माघ मेला के अधिष्ठान को छोड़कर अन्य व्यय शासन के नगर विकास विभाग द्वारा किये जाते हैं।

महामारी निरोधक क्रियायें :-

संक्रामक रोग शाखा में मुख्यतः गैस्ट्रो, हैजा, मस्तिष्क ज्वर, डेंगू आदि पर निरोधात्मक एवं उपचारात्मक कार्यवाहियों का संचालन एवं निर्देशन शासन द्वारा जारी संक्रामक रोग नियंत्रण कार्य योजना में निहित निर्देशों के अन्तर्गत किया जाता है। संक्रामक रोग शाखा में प्रत्येक वर्ष राज्य स्तरीय संक्रामक रोग नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर प्रदेश में संक्रामक रोगों का अनुश्रवण किया जाता है तथा प्रभावित क्षेत्रों में विशेषज्ञों का सचल दस्ता भेजकर नियंत्रण कार्यवाही की जाती है। समय समय महामारी के समय जनपदों की औषधियों विसंक्रमकों की त्वरित आपूर्ति की जाती है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की संक्रामक रोग शाखा किसी भी प्रकार की दैवी-आपदा जैसे-बाढ़, सूखा एवं महामारी पर त्वरित कार्यवाहियाँ किये जाने हेतु प्रतिबद्ध है।

संक्रामक रोग चिकित्सालय :-

प्रदेश के तीन स्थानों पर (मथुरा, अयोध्या, मिर्जापुर) पर संक्रामक रोग चिकित्सालय कार्यरत है, जिसमें गैस्ट्रो (अतिसार) तथा हैजा आदि संक्रामक रोगों का उपचार होता है। लखनऊ का संक्रामक रोग चिकित्सालय, चिकित्सा विश्वविद्यालय के नियंत्रण में हस्तान्तरित कर दिया गया है।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासनः-

प्रदेश में नकली, अधोमानक एवं मिथ्याछाप औषधियों के निर्माण एवं विक्रय तथा मिलावटी खाद्य पदार्थों की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने तथा इस सम्बन्ध में औषधि एवं प्रशासन सामग्री अधिनियम 1940 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली, 1945 खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 तथा तत्सम्बन्धी नियमावली 1955 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के नियंत्रणाधीन महानिदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से पृथक आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन का गठन वर्ष 2009 में किया गया है।

खाद्य अनुभागः-

प्रदेश सरकार द्वारा मिलावट रोकने के लिए समस्त जनपदों में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वर्ष 2024-25 में माह नवम्बर, 2024 तक चलाये गये अभियान में 14462 मामलों में वाद दायर कर विधिक कार्यवाही की गयी। 10032 निर्णित वादों में 125 मिलावटखोरों को कारावास से दण्डित कराया गया तथा रु. 36,78,12,200 अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।

औषधि अनुभागः-

वर्ष 2024-25 में माह नवम्बर, 2024 तक औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के अन्तर्गत किये गये प्रवर्तन कार्यों में 856 छापे डाले गये, 27 मामलों में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए 58 व्यक्तियों को निरुद्ध किया गया था तथा रु. 27,12,36,485/- मूल्य की औषधियां अभिरक्षा में ली गयीं। उक्त अवधि में 05 निर्माण इकाइयों के लाइसेंस निरस्त किये गये तथा 31 निर्माण इकाई के लाइसेन्स निलम्बित किये गये। 648 विक्रय लाइसेंस निरस्त तथा 2693 विक्रय लाइसेंस निलम्बित किये गये।

जन्म मृत्यु आंकड़ों का पंजीयन और संग्रहणः-

स्वास्थ्य सांख्यिकीय तथा अनुसंधान कार्य-कलाप के अन्तर्गत जन्म मरण सम्बन्धी आंकड़ों का पंजीयन एवं संग्रहण का कार्य होता हैं। इस व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिनियम-1969 यथा संशोधित, 2023 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत विभिन्न जनपदों में जन्म-मृत्यु सम्बन्धित पंजीयन से सम्बन्धित क्रिया कलाप किया जाता है।

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थानः-

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ जो वर्ष 1997-98 में परिवार कल्याण बजट पर शासन द्वारा स्थानान्तरित किया गया है। इस केन्द्र पर अधिकारियों पर परिवार कल्याण तथा स्वास्थ्य सम्बन्धित विभागीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

●

आयुष

सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया।

भारतीय चिकित्सा पद्धति के माध्यम से प्रदेश के जन-जन तक स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराना प्रदेश सरकार के संकल्पों में से एक है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु शासन द्वारा वर्ष 2017 में स्वतंत्र आयुष विभाग स्थापित किया गया है, जिसके अन्तर्गत आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथ चिकित्सा विधा के मूल सिद्धातों के आधार पर रोगियों को रोग मुक्त कराना एवं स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखने का कार्य किया जा रहा है।

आयुष चिकित्सा बेहतर, सस्ती, रोगों को समूल नष्ट करने वाली त्वरित प्रभावकारी एवं स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न डालने वाली चिकित्सा पद्धति होने के कारण आम जनता विशेषकर ग्रामीण जनता जिनमें अधिकतर गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाली जनता है, जिसकी व्यय वहन क्षमता अत्यन्त न्यून है, में बेहद उपयोगी होने के फलस्वरूप इसकी लोकप्रियता में निर्बाध रूप से उत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्त करते हुए जनमानस में तीव्र गति से ग्राह्य हो रही है। विगत वर्षों में कोविड संक्रमण काल में आयुष के सिद्धातों व आयुष औषधियों के प्रयोग से व्याधि के संक्रमण की रोकथाम में अभूतपूर्व सफलता मिली है।

आयुर्वेदिक एवं यूनानी पद्धति के अन्तर्गत प्रदेश में 2364 राजकीय चिकित्सालय एवं 08 आयुर्वेदिक एवं 02 यूनानी कालेज संचालित हैं।

होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के अन्तर्गत प्रदेश के 121 शहरी तथा 1464 ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 1585 राजकीय चिकित्सालय संचालित हैं तथा प्रदेश में 9 राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज संचालित हैं।

प्रदेश में आयुष विधाओं को और अधिक सुदृढ़ किये जाने हेतु राष्ट्रीय आयुष मिशन के अन्तर्गत योजनाओं का क्रियान्वयन किये जाने हेतु प्रदेश में राष्ट्रीय आयुष मिशन उत्तर प्रदेश लखनऊ का गठन किया गया है। जिसके दिशा-निर्देशन में मिशन की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही की जा रही है। मिशन की गाइड लाइन के अनुसार विभिन्न योजनाओं में प्रमुख रूप से औषधियों की उपलब्धता, राजकीय मेडिकल कालेजों एवं चिकित्सालयों का सुदृढ़ीकरण, योग वेलनेस सेण्टर्स व आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) की स्थापना, नये मेडिकल कालेजों, 50 शैय्या युक्त एकीकृत आयुष चिकित्सालयों की स्थापना के कार्यक्रम संचालित हैं।

प्रदेश में संचालित राजकीय एवं निजी आयुष महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र के नियमन एवं प्रदेश में एकरूपता तथा योग एवं नेचुरोपैथी में उत्कृष्ट शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में जनपद-गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, जिसके भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति

गतिविधियाँ एवं क्रिया-कलाप

भारतीय चिकित्सा पद्धति के माध्यम से प्रदेश के जन-जन तक स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराना प्रदेश सरकार के संकल्पों में से एक है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु शासन द्वारा आयुर्वेदिक एवं यूनानी पद्धतियों के सर्वांगीण विकास के लिये गत वर्षों में अनेकानेक महत्त्वपूर्ण योजनाएं क्रियान्वित की जाती रही हैं, जिसका सुखद परिणाम है कि वर्तमान में इन विधाओं का एक समेकित समन्वित तथा सुगठित तंत्र प्रदेश के सुदूर ग्रामीण अंचलों तक विकसित हो सका है।

भारतीय चिकित्सा पद्धतियों (आयुर्वेद/यूनानी) के कार्यकलापों एवं गतिविधियों के संक्षेपतः निम्न 3 आयाम हैं -

1. चिकित्सकीय क्रिया-कलाप

उत्तर प्रदेश में वर्तमान में आयुर्वेद एवं यूनानी विधा के जनपद स्तर पर 2110 राजकीय आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरी/चिकित्सालय एवं 08 चिकित्सालय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय के अन्तर्गत संचालित हैं। इन चिकित्सालयों में कुल 10072 शैय्याएं रोगियों की चिकित्सा हेतु उपलब्ध हैं एवं प्रतिवर्ष लगभग 2.50 करोड़ रोगियों को आयुर्वेदिक पद्धति से इन शासकीय चिकित्सालयों के माध्यम से चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध करायी गई हैं।

2. औषधि निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण

प्रदेश के सभी राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों को प्रमाणित एवं गुणकारी औषधियों की आपूर्ति की दृष्टि से वर्तमान में लखनऊ एवं पीलीभीत में राजकीय औषधि निर्माणशाला संचालित है। जिनको सुदृढ़ करते हुए इसकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश में लखनऊ में एक ड्रग टेस्टिंग लैब भी है जो प्रदेश में उपयोग में लायी जा रही औषधियों के संघटन, गुण-दोष आदि का निर्धारण कर गुणवत्ता नियंत्रण में अपनी उपयोगिता सिद्ध करती है।

3. शिक्षा तथा प्रशिक्षण

प्रदेश में भारतीय चिकित्सा पद्धति के निष्णात् स्नातकों के प्रशिक्षण हेतु लखनऊ, पीलीभीत, झाँसी, बरेली, मुजफ्फरनगर, अतर्रा-बांदा, हंडिया-प्रयागराज तथा वाराणसी में 8 राजकीय आयुर्वेदिक कालेजों एवं हॉस्पिटल का संचालन किया जा रहा है।

4. आयुर्वेदिक, यूनानी तथा तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उत्तर प्रदेश

यह संस्था प्रदेश में आयुर्वेदिक/यूनानी पद्धति से चिकित्सा व्यवसाय कर रहे वैद्यों/हकीमों के पंजीकरण की एकमात्र संस्था है, जो उत्तर प्रदेश इण्डियन मेडिसिन एक्ट 1939 के प्रावधानों के अधीन इनके पंजीकरण का कार्य करती है। शासनादेश दिनांक 26 फरवरी, 2024 द्वारा विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ नैचुरोपैथी एण्ड यौगिक साइन्सेज (बी.एन.वाई.एस.) पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले स्नातकों को आयुर्वेदिक तथा तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ.प्र. लखनऊ को पृथक रजिस्टर में पंजीकरण किये जाने की व्यवस्था की गई है।

आयुर्वेद एवं यूनानी विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 की उपलब्धि एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 का लक्ष्य

वित्तीय वर्ष 2024-2025 की उपलब्धि (कार्यक्रम):-

1. प्रदेश में संचालित राजकीय एवं निजी आयुष महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र के नियमन एवं प्रवेश में एकरुपता तथा योग एवं नेचुरोपैथी में उत्कृष्ट शोध को बढ़ावा देने के उद्‌देश्य से प्रदेश में महायोगी गुरू गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है।
2. वर्तमान में 17 जनपदों (लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर, कानपुर देहात, बरेली, कौशाम्बी, ललितपुर, संतकबीरनगर, सोनभद्र, अमेठी, देवरिया, रायबरेली, बस्ती, जालौन, बागपत, बुलन्दशहर एवं बलिया) से 50 शैय्या एकीकृत आयुष चिकित्सालय संचालित किये जा चुके हैं तथा 08 जनपदों यथा फतेहपुर, उन्नाव, श्रावस्ती, हरदोई, गोरखपुर, सम्भल एवं मिर्जापुर, मेरठ से निर्माण कार्य प्रगति पर हैं।
3. राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं महाविद्यालय, लखनऊ, वाराणसी, अतर्रा (बांदा) मुजफ्फरनगर एवं प्रयागराज में ई-लाईब्रेरी की स्थापना की गई है।
4. उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में वर्तमान में कुल 225 योग वेलनेस सेण्टर संचालित किये जा रहे हैं।
5. दशम् अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून 2024 को प्रदेश जनपद मुख्यालयों, तहसीलों, नगर निगम, ग्राम पंचायतो एवं अमृत सरोवरों के किनारे सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित हुये, जिसमें एक करोड़ छः लाख लोगों द्वारा योगाभ्यास किया गया।
6. फाइलेरिया कार्यक्रम प्रदेश के 02 स्थानों 1. राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, वाराणसी एवं 2. केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, (सी.सी.आर.ए.एस.) लखनऊ केन्द्र पर he ill elinda ates oundation के वित्तीय सहयोग एवं इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड डर्मेटोलॉजी कासरगोड (केरल) के सहयोग से सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है।
7. जन-सामान्य को 'स्वास्थ्य हेतु हितकर जीवन शैली' का अनुसरण करने को प्रेरित करने एवं ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के निवासियों को योग एवं आयुर्वेद सम्बंधी लाभ पहुँचाने के उद्‌देश्य से "आयुष्मान भारत" कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में 1035 राजकीय आयुर्वेदिक, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सालयों को चयनित कर आयुष्मान आरोग्य मन्दिर (आयुष हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर) के रूप में संचालित किये जा रहे हैं।
8. प्रदेश में आयुर्वेदिक विधा को और अधिक सुदृढ़ किये जाने, छात्र-छात्राओं को आयुर्वेद चिकित्सा सुलभ कराये जाने के उद्‌देश्य से आयुष मिशन के माध्यम से जनपद अयोध्या में एक नये राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित किया जा रहा है।
9. राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, मुजफ्फरनगर व पीलीभीत में छात्रा-छात्रावास का निर्माण पूर्ण हो चुका है।

यूनानी विभाग

वित्तीय वर्ष 2024-2025 की उपलब्धि :-

1. राजकीय तकमील-उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ तथा राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, प्रयागराज को एन.सी.आई.एस.एम. नई दिल्ली के मानकों के अनुरूप निर्माण कार्य हेतु धनराशि रु. 500.00 लाख की व्यवस्था की गयी है।
2. राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ/प्रयागराज में मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र की स्थापना हेतु धनराशि रु. 200.00 लाख की व्यवस्था की गयी है।
3. शहरी क्षेत्रों के अन्तर्गत यूनानी चिकित्सालयों के भवनों/बाउन्ड्रीवाल के चालू निर्माण कार्य हेतु रु. 20.00 लाख का प्रावधान किया गया है।
4. ग्रामीण क्षेत्रों के अन्तर्गत यूनानी चिकित्सालयों के जर्जर भवनों का निर्माण/बाउन्ड्रीवाल निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2025-2026 का लक्ष्य :-

1. राजकीय तकमील-उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ तथा राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, प्रयागराज को एन.सी.आई.एस.एम. नई दिल्ली के मानकों के अनुरूप चालू निर्माण कार्यों को पूर्ण कराने हेतु रु. 500.00 लाख की धनराशि की व्यवस्था करायी गयी है।
2. राजकीय तकमील-उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ तथा राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, प्रयागराज को एन.सी.आई.एस.एम. दिल्ली के मानकों को पूर्ण किये जाने हेतु मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र की स्थापना हेतु रु. 200.00 लाख की धनराशि की व्यवस्था करायी गयी है।
3. वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में सम्मिलित किये जाने वाली "व्यय की नई मदों" में संस्था राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ/प्रयागराज में अनुसंधान, उपचार एवं शोध केन्द्र की स्थापना के अन्तर्गत रु. 25.85 लाख की धनराशि की व्यवस्था करायी गयी है।

होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति

होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के माध्यम से प्रदेश के जन-जन तक स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराना प्रदेश सरकार के संकल्पों में से एक है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु होम्योपैथिक निदेशालय वर्ष 1981 से एक स्वतंत्र विभाग के रूप में कार्यरत है। होम्योपैथिक चिकित्सा विधा "समः समे समयति" के मूल सिद्धान्त के आधार पर रोगियों को रोगमुक्त करने में सहयोग देती है। प्रदेश की जनता को बेहतर, सस्ती, रोगों को समूल नष्ट करने वाली त्वरित प्रभावकारी एवं स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न डालने वाली चिकित्सा पद्धति होने के कारण आम जनता विशेष कर ग्रामीण जनता जिनमें अधिकतर गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाली जनता जिसकी व्यय-वहन क्षमता अत्यन्त न्यून है, में बेहद उपयोगी होने के फलस्वरूप इसकी लोकप्रियता में निर्बाध रूप से उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है तथा जनमानस में तीव्र गति से ग्राह्य हो रही है।

होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के कार्यकलापों एवं गतिविधियों के संक्षणतः निम्न तीन आयाम हैं:-

1. होम्योपैथिक निदेशालय, 2. होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा, 3. होम्योपैथिक चिकित्सा शिक्षा।

होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा :-

वर्ष 1981 में पृथक् होम्योपैथी विभाग की स्थापना के समय विद्यमान मात्र 329 राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों के सापेक्ष वर्तमान में यह संख्या 1585 है। उक्त चिकित्सालयों में 121 चिकित्सालय शहरी क्षेत्रों में तथा शेष 1464 चिकित्सालय सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित हैं।

होम्योपैथिक चिकित्सा शिक्षा :-

वर्तमान में प्रदेश में कुल 09 होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय जो लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, अयोध्या, गाजीपुर, आजमगढ़, मुरादाबाद, अलीगढ़ एवं गोरखपुर जनपदों में स्थापित/ संचालित हैं। इन सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में बी.एच.एम.एस. डिग्री पाठ्यक्रम संचालित है जिसमे कुल प्रवेश क्षमता 889 छात्र प्रति वर्ष है। प्रथम वर्ष में प्रवेश नीट मेरिट के आधार पर किया जाता है। उक्त सभी कालेज सहयोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर से सम्बद्ध हैं।

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड :-

इस संस्था के माध्यम से प्रदेश के होम्योपैथिक चिकित्सकों तथा फार्मासिस्टों का पंजीकरण किया जाता है। बोर्ड के द्वारा डिप्लोमा फार्मेसी कोर्स की मान्यता व उसका संचालन किया जाता है।

विभाग के प्रमुख उद्देश्य :-

1. होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के माध्यम से प्रदेश के जन-जन तक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना।
2. गुणवत्तापरक होम्योपैथिक औषधियाँ उपलब्ध कराया जाना।
3. होम्योपैथिक कालेजों में अपेक्षित अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराते हुए शिक्षण कार्यो को प्रोत्साहन देना।
4. गम्भीर व संक्रामक रोगों के प्रति जागरूकता, बचाव एवं चिकित्सा उपचार।
5. शिशु मृत्युदर एवं मातृ मृत्युदर को होम्योपैथिक चिकित्सा के माध्यम से कम करना।
6. जन साधारण विशेषकर निर्धन वर्ग व संवेदनशील वर्ग को गुणवत्ता कारक होम्योपैथिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना।
7. आयुष मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति।

होम्योपैथी विभाग में वित्तीय वर्ष 2024-25 की उपलब्धि एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 का लक्ष्य

वित्तीय वर्ष 2024-2025 की उपलब्धियाँ:-

वर्तमान में प्रदेश में कुल 1585 (121 शहरी तथा 1464 ग्रामीण क्षेत्रों में) राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय संचालित हैं तथा 09 राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल स्थापित हैं।

1. राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में मानकों की पूर्ति हेतु अधूरे भवनों के निर्माण आदि कार्य हेतु प्राविधानित धनराशि रु. 3000.00 लाख से लखनऊ कालेज में सीवर लाइन जल

आपूर्ति पाइप लाइन, डीप बोरिंग, यू.जी.टी. हेतु रु. 124.50 लाख की स्वीकृतियां निर्गत की गयी हैं, लखनऊ कालेज में सभागार निर्माण हेतु रु. 368.93 लाख की स्वीकृतियां निर्गत की गयी हैं, प्रयागराज कालेज में महिला छात्रावास एवं 04 लेक्चर हाल के निर्माण हेतु अवशेष देयता के सापेक्ष कुल रु. 24.07 लाख की स्वीकृतियां निर्गत की गयी हैं। इसके अतिरिक्त प्रयागराज कालेज के मूल कार्य के निर्माण हेतु अवशेष देयता रु. 336.42 लाख, प्रयागराज कालेज में सीवर लाइन निर्माण, नाली निर्माण एवं ओ.पी.डी. एवं शैक्षणिक भवन के उच्चीकरण हेतु अवशेष देयता रु. 557.94 लाख, नेशनल कालेज में आवासीय भवनों के निर्माण हेतु अवशेष देयता रु. 28.46 लाख तथा अलीगढ़ कालेज में निर्माणाधीन महिला छात्रावास के भवन निर्माण हेतु अवशेष देयता रु. 474.31 लाख के सापेक्ष धनराशि स्वीकृति हेतु कार्यवाही प्रचलन में है। उक्त के अतिरिक्त अलीगढ़, गोरखपुर एवं आजमगढ़ में पुरुष छात्रावास एवं आजमगढ़ में महिला छात्रावासों के निर्माण कराये जाने की योजना है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

2. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के कार्यालय महोबा के अधूरे निर्माण को पूर्ण किये जाने हेतु अवशेष देयता रु.55.98 लाख के सापेक्ष स्वीकृति हेतु कार्यवाही प्रचलन में है। उक्त के अतिरिक्त जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी कार्यालय प्रतापगढ़ एवं शामली के नये भवनों के निर्माण कराये जाने की योजना है। कार्यवाही प्रक्रिया में है।

3. शहरी क्षेत्र के राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों, ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों एवं कालेजों में पूंजीगत मद के अन्तर्गत मशीन, साज-सज्जा एवं उपकरण हेतु क्रमशः रु. 25.00 लाख, रु 45.00 लाख तथा रु 50.00 लाख की स्वीकृतियां निर्गत की गयी हैं।

वित्तीय वर्ष 2025-2026 का लक्ष्य :-

1. राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज अलीगढ़, गोरखपुर, आजमगढ़ में छात्रावासों का निर्माण, लखनऊ मेडिकल कालेज में सभागार निर्माण कार्य व कालेजों के अन्य आवश्यक कार्य कराया जाना है।
2. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी कार्यालयों महोबा, उन्नाव, प्रतापगढ़ एवं शामली के भवनों के निर्माण हेतु रु. 200.00 लाख की बजट व्यवस्था है।
3. प्रदेश में स्थित राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों का जहां भूमि उपलब्ध हैं वहां पर रु. 200.00 लाख की धनराशि से चिकित्सालयों के भवन निर्माण कराये जाने का लक्ष्य है।
4. विभिन्न लघुनिर्माण कार्यों हेतु शहरी क्षेत्र के चिकित्सालयों को रु. 100.00 लाख की लागत से एवं ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों को रु. 50.00 लाख की लागत से सुदृढ़ किये जाने का लक्ष्य है।
5. रु. 25.00 लाख की लागत से शहरी क्षेत्र में राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों एवं रु. 45.00 लाख की लागत से ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों हेतु आवश्यक मशीन, साज-सज्जा, उपकरण की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने का लक्ष्य है।
6. राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में मानकों की पूर्ति हेतु रु. 60.00 लाख की लागत से आवश्यक मशीन, साज-सज्जा, उपकरण की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने का लक्ष्य है।

●

परिवार कल्याण

जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से परिवार नियोजन कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा पूरे देश में वर्ष से प्रारम्भ किया गया था। प्रदेश में इसका शुभारम्भ वर्ष में हुआ। चूंकि उस समय प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं तत्समय स्थापित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय से चलायी जाती थी, अतः केन्द्र सरकार का शत् प्रतिशत पोषित यह कार्यक्रम उसी निदेशालय से संचालित किया गया। शनैः-शनैः कार्यक्रम का विस्तार हुआ, अतः उसके सुचारु संचालन के लिए स्वास्थ्य निदेशालय में एक पृथक् "राज्य परिवार नियोजन ब्यूरो" की स्थापना वर्ष में की गई। जिसका शीर्षस्थ नियंत्रक अधिकारी संयुक्त निदेशक स्तर का अधिकारी होता था। वर्ष में परिवार नियोजन का नाम बदल कर परिवार कल्याण कर दिया गया है। प्रदेश में कार्यक्रम के विस्तार के साथ ब्यूरो को वर्ष में परिवार कल्याण निदेशालय तथा वर्ष में अलग 'परिवार कल्याण महानिदेशालय' के रूप में उच्चीकृत किया गया और उसके अनुरूप प्रभारी के पद को भी उच्चीकृत किया गया। वर्तमान में परिवार कल्याण महानिदेशालय पृथक् नियंत्रण इकाई के रूप में कार्य कर रहा है, जिसके कार्यक्रम के विभिन्न घटकों के लिए अलग-अलग कार्यक्रम अधिकारी हैं।

उद्देश्यः-

परिवार कल्याण महानिदेशालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में परिवार कल्याण कार्यक्रम को भारत सरकार के समय-समय पर निर्गत निर्देशों के अधीन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, समीक्षा तथा मूल्यांकन करना और परिवार कल्याण की सेवाओं के विस्तार के लिए अभिनव परियोजनाओं का निर्माण कर उन्हें क्रियान्वित करना है।

कार्यक्रमः-

परिवार कल्याण महानिदेशालय के माध्यम से सम्पूर्ण प्रदेश में परिवार कल्याण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित सेवायें प्रदान की जा रही हैं:-

1. माताओं के स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवायेंः-

इसके अन्तर्गत गर्भवती माताओं का पंजीकरण, टेटनेस से बचाव के दो टीके, रक्त अल्पता से बचाव एवं उपचार हेतु आयरन फोलिक ऐसिड की गोलियों का वितरण, प्रसव पूर्व परीक्षण, जटिल प्रसवों का चिन्हीकरण, सुरक्षित प्रसव, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा, आपातकालीन प्रसवों का सन्दर्भन एवं उनकी व्यवस्था, प्रसवोत्तर देखभाल तथा दो बच्चों के बीच समयान्तर हेतु

गर्भ निरोधकों आदि की सेवायें उपलब्ध करायी जाती हैं।

2. नियमित टीकाकरण कार्यक्रम (उ.प्र.):-

प्रदेश के समस्त जनपदों में से वर्ष तक के बच्चों को जानलेवा बीमारियों (पोलियो, टी.बी., गलाघोंटू, टिटनेस, काली खाँसी, हिब, हैपेटाइटिस-बी, निमोनिया, जे.ई., खसरा, रूबेला एवं डायरिया) से बचाव तथा गर्भवती महिलाओं को टिटनेस से बचाव हेतु नियमित रूप से निःशुल्क टीकाकरण किया जाता है।

स्कूल आधारित टी.डी./डी.पी.टी. टीकाकरण अभियानः-

- दिनांक सितम्बर, 2024 से अक्टूबर, तक स्कूल आधारित टी.डी./डी.पी.टी. टीकाकरण अभियान चलाया गया जिसके अन्तर्गत कुल बच्चों को टी.पी.टी. प्रथम बूस्टर, बच्चों को टी.डी.- एवं बच्चों को टी.डी.- से आच्छादित किया गया।

एम.आर. कैच अप अभियानः-

- प्रदेश में ब्लाक/शहरी क्षेत्रों के 05 वर्ष तक के छूटे हुये सभी बच्चों को दिनांक 25 नवम्बर, से 06 दिसम्बर, 2024 एम.आर. कैच अप अभियान चलाया, जिसके अन्तर्गत एम.आर.-1 से 103648 एवं एम.आर.-02 से 96240 बच्चों को प्रतिरक्षित किया गया।

पल्स पोलियोः-

- प्रदेश के समस्त जनपदों में दिनांक दिसम्बर, से पल्स पोलियो एन.आई.डी. अभियान चलाया गया जिसके अन्तर्गत कुल बच्चों को पोलियो ड्राप पिलायी गयी।

विटामिन-ए सम्पूरण कार्यक्रमः-

- प्रदेश के समस्त जनपदों में विटामिन-ए सम्पूरण कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों में रतौंधी व रोगाणु से लड़ने की क्षमता बढ़ाने हेतु वर्ष में दो बार माह जून व दिसम्बर में 9 माह से 5 वर्ष के बच्चों को विटामिन-ए की खुराक से निःशुल्क आच्छादित किया जाता है।

कोल्ड चेनः-

- प्रदेश में कुल कोल्ड चन प्वाइन्ट स्थापित हैं, उन सभी कोल्ड चेन प्वाइन्ट से वैक्सीन का वितरण किया जाता है।

यू-विनः-

- भारत सरकार द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में नियमित टीकाकरण की सूचनाओं को डिजिटलाइज़ करने के लिए प्रदेश में दिनांक 13 मार्च, 2024 को 'यू-विन' पोर्टल लागू किया गया है। वर्तमान तक 0-5 वर्ष तक के कुल 1,32,08,448 बच्चों एवं 36,63,219 गर्भवती महिलाओं को टीकों से आच्छादित किया गया।

3. मिशन परिवार विकासः-

शासनादेश दिनांक अप्रैल के माध्यम से प्रदेश के उच्च सकल प्रजनन दर वाले जनपदों में लागू मिशन परिवार विकास योजना को शासनादेश दिनांक जुलाई के माध्यम से विस्तार करते हुए वित्तीय वर्ष - से अब प्रदेश के समस्त जनपदों में मिशन परिवार विकास योजना लागू की गयी है।

गर्भ निरोधक सेवाएंः-

इसके अन्तर्गत दो बच्चों में अन्तर बनाये रखने हेतु अस्थाई गर्भ निरोधकों, जैसे-ओरलपिल्स, निरोध तथा कॉपर-टी और परिवार नियोजन की स्थाई विधि महिला तथा पुरुष नसबन्दी की सेवाएं दी जा रही हैं। महिला नसबन्दी की नयी लैप्रोस्कोपिक विधि प्रदेश में बहुत प्रचलित है। अब पुरुष नसबन्दी की भी नयी विधि "नो स्केलपल वैसेक्टामी" का विस्तार किया जा रहा है। नसबन्दी के उपरान्त बच्चों की मृत्यु हो जाने पर महिला तथा पुरुष नस जोड़ने की सेवाएं भी निःशुल्क उपलब्ध करायी ज़ाती हैं। अनचाहे गर्भ से मुक्ति पाने हेतु सुरक्षित गर्भसमापन की निःशुल्क सेवाएं भी सरकारी अस्पतालों में प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त नियत दिवस पर नसबन्दी, कॉपर-टी की सेवायें प्रदान की जाती हैं इसके अतिरिक्त प्रसव के पश्चात् लूप निवेशन की सेवायें भी प्रशिक्षित सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।

परिवार नियोजन इनडेमिनिटी योजनाः-

नसबन्दी के उपरान्त होने वाली मृत्यु, जटिलताओं एवं असफल नसबन्दी के मुआवज़े हेतु परिवार नियोजन इनडेमिनिटी योजना के अन्तर्गत व्यवस्था है।

4. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशनः-

मिशन के उद्देश्यः-

मिशन का उद्देश्य प्रदेश के सभी नागरिकों (शहरी एवं ग्रामीण) विशेषतः निर्धन वर्ग तथा समाज का वह संवेदनशील वर्ग, जो सामान्य स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित है, उसे सुलभ तथा गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मुख्यतः निम्न योजनायें संचालित हैंः-

● जननी सुरक्षा योजना। ● जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। ● शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम।● प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। ● एम.डी.एस.आर. कार्यक्रम। ● सुमन कार्यक्रम। ● राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ● राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। ● परिवार नियोजन कार्यक्रम।● नियमित टीकाकरण कार्यक्रम। ● एम्बुलेन्स सेवाएं। ● राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम। ● राष्ट्रीय कार्यक्रम (कम्युनिकेबिल डिज़ीज़ प्रोग्राम्स)। ● राष्ट्रीय कार्यक्रम (नॉन कम्युनिकेबिल डिज़ीज़ प्रोग्राम्स)।

5. राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशनः-

महानगरों/नगरों में स्थापित नगरीय प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में शहरी ग़रीबों को स्वास्थ्य की मूलभूत निःशुल्क सेवायें प्रदान की जा रही हैं।

6. जननी सुरक्षा योजनाः-

- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष से जननी सुरक्षा योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में संचालित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य स्तरीय राजकीय चिकित्सालय के जनरल वार्ड में संस्थागत प्रसव कराने वाली महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्र में रु. , व शहरी क्षेत्र में रु. /- एवं बी.पी.एल. श्रेणी के घरेलू प्रसव हेतु रु. /- सहायता राशि के रूप में दिये जाते हैं।
- आशा कार्यकर्त्री पंजीकरण से लेकर प्रसव पूर्व, प्रसव कालीन व प्रसवोत्तर सभी सेवायें उपलब्ध करवाती है तो आशा को इस कार्य हेतु ग्रामीण क्षेत्र में कुल रु. /- एवं शहरी क्षेत्र में कुल रु. /- दिये जाते हैं।

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रमः-

- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम प्रदेश के समस्त जनपदों में अगस्त से लागू है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रसव हेतु आने वाली गर्भवती महिलाओं को गारन्टीज़ कैशलेस डिलिवरी सेवा प्रदान करना है।

मातृ मृत्यु समीक्षा कार्यक्रमः-

- प्रदेश में मातृ मृत्यु सर्विलान्स समीक्षा कार्यक्रम समस्त जनपदों में संचालित किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य मातृ मृत्यु की समीक्षा कर उनके कारणों एवं कारकों (स्वास्थ्य इकाई, समुदाय, जनपद एवं स्तर पर) की विस्तृत जानकारी एकत्र कर एक रणनीति तैयार करते हुए महत्त्वपूर्ण स्तरों में सुधार कर मातृ मृत्यु में कमी लाना है।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियानः-

- "प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान" प्रत्येक माह की , , एवं तारीख को "एक कदम सुरक्षित मातृत्व की ओर" ब्लॉक स्तरीय चिकित्सालयों में चलाया जाता है।
- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पी.एम.एस.एम.ए.) का मुख्य उद्देश्य निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं को सभी गर्भवती महिलाओं तक पहुँचाना और उन्हें सुरक्षित संस्थागत प्रसव के लिये प्रेरित करना है।

7. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमः-

बच्चों में बीमारियों एवं मृत्युदर में कमी तथा उनके सर्वांगीण विकास हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों में **"राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम"** का संचालन वर्ष - से किया जा रहा है। कार्यक्रम के अन्तर्गत जन्म से वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों का डी- जन्मजात दोष, पोषक तत्वों की कमी, बीमारियां और विकास में देरी संबंधी समस्या के दृष्टिगत स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार एवं आवश्यकतानुसार संदर्भन सुनिश्चित किया जा रहा है।

8. राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रमः-

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम मौजूदा क्लीनिक- आधारित दृष्टिकोण के स्थान पर एक

समग्र मॉडल की ओर केंद्रित है। इसके अन्तर्गत समुदाय आधारित स्वास्थ्य संवर्धन पर ज़ोर दिया जायेगा जिसके द्वारा निरोधात्मक, नैदानिक और उपचारात्मक सेवाओं को मज़बूत बनाया जा सकेगा। इसमें स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, वस्तुओं और सेवाओं को समुदाय स्तर पर उपलब्ध करवाने का प्रावधान तथा त्रिस्तरीय लोक स्वास्थ्य प्रणाली द्वारा सन्दर्भन के लिंकेजेज़ बनाना सम्मिलित है। इस रणनीति के अन्तर्गत किशोरों और क्षेत्रीय सेवा प्रदाताओं (जैसे कि अध्यापक, मान्यता प्रात सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता-आशा, ए.एन.एम. आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और नेहरू युवा केन्द्र संगठनों के स्वयं सेवक आदि) का समन्वित प्रयास होगा, ताकि किशोरों तक सेवाएं पहुँच सकें।

किशोरों के स्वास्थ्य के छः प्राथमिकता क्षेत्रः-

- पोषण, ● यौन और प्रजनन स्वास्थ्य, ● असंक्रामक बीमारियां, ● नशावृति,
- शारीरिक चोट एवं लिंग आधारित हिंसा, ● मानसिक स्वास्थ्य।

किशोरी सुरक्षा योजनाः-

किशोरी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में सरकारी/परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाली कक्षा से तक की छात्राओं को प्रत्येक माह निःशुल्क सेनेटरी नैपकिन्स का एक पैक दिया जा रहा है जिससे स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को माहवारी के दौरान स्वच्छ व्यवहार, सशक्तीकरण तथा आत्मविश्वास में वृद्धि हो सके।

8. "102" नेशनल एम्बुलेन्स सेवाः-

प्रदेश में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा जनवरी को नेशनल एम्बुलेंस सेवा एन.ए.एस. प्रारम्भ किया गया। यह सुविधा पूरे प्रदेश में गर्भवती महिलाओं एवं एक वर्ष के आयु तक के शिशुओं को निःशुल्क घर से चिकित्सालय तथा चिकित्सालय से घर तक परिवहित करने के लिए है। इसके अतिरिक्त योजनान्तर्गत सितम्बर से कैम्पों में नसबन्दी कराने वाली महिलाओं को सरकारी अस्पताल से घर छोड़ने हेतु भी निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा प्रदान की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में काल करने पर एम्बुलेंस पहुंचने का अधिकतम समय मिनट निर्धारित किया गया है जबकि शहरी क्षेत्रों में यह अवधि मिनट है। यह सुविधा प्रदेश के सभी जनपदों में पूरे घंटे उपलब्ध है। वर्तमान में योजनान्तर्गत कुल एम्बुलेंस संचालित हैं। इस योजना से दिसम्बर तक . लाख लाभार्थियों को सुविधा प्रदान की जा चुकी है।

10. मातृ मृत्यु दर को कम करने की योजनाओं का विवरणः-

- विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों में ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवसों (वी.एच.एस.एन.डी.) के माध्यम से सभी गर्भवती महिलाओं का शीघ्र पंजीकरण कराया जा रहा है जिससे गर्भवती महिला को ससमय समस्त जाँचें एवं औषधियाँ उपलब्ध कराते हुए माँ एवं नवजात शिशु को बेहतर स्वास्थ्य सेवायें प्रदान की जा सकें।
- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अन्तर्गत समस्त गर्भवती एवं उच्च जोखिमयुक्त

गर्भावस्था (एच.आर.पी.) महिलाओं को माह की प्रत्येक 1, एवं तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान दिवस पर जाँचें, उपचार, परामर्श एवं संदर्भन निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है।

- जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत संस्थागत प्रसवों को बढ़ावा दिये जाने हेतु सरकार द्वारा राजकीय चिकित्सालयों में प्रसव कराने वाली गर्भवती महिलाओं को प्रसव के उपरान्त लाभान्वित किया जा रहा है।
- प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना में प्रथम बार गर्भधारण करने वाली महिलाओं को 5000/- रु. की तीन किस्तों में आर्थिक मदद प्रदान की जा रही है।
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्त गर्भवती महिलाओं एवं प्रसूताओं को निःशुल्क भोजन, जाँच, औषधि एवं परिवहन एवं आवश्यकतानुसार ब्लड ट्रान्सफ्यूजन आदि सुविधायें प्रदान की जा रही हैं।
- सुमन कार्यक्रम के अन्तर्गत 104 कॉल सेण्टर के माध्यम से ऑनलाइन मातृ मृत्यु की प्रथम सूचना देने वाले (राजकीय कर्मी को छोड़कर) को 1000 रु. के प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है।
- प्रथम सन्दर्भन इकाई (एफ.आर.यू.) को पूर्ण रूप से क्रियाशील बनाने हेतु मानव संसाधन, जीवन रक्षक उपकरणों एवं दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये समय समय पर समीक्षा कर सुधार हेतु निर्देशित किया जा रहा है।
- बच्चों के बीच जन्म अन्तराल हेतु माह की प्रत्येक 21 तारीख को खुशहाल परिवार दिवस के अन्तर्गत समुदाय में परिवार नियोजन कार्यक्रमों की जागरूकता एवं बास्केट ऑफ च्वाइस के अन्तर्गत गर्भनिरोधकों का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है।
- प्रदेश में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से भारत सरकार की स्वीकृति के उपरान्त ग्रामीण क्षेत्रों में सुगम व गुणवत्तापरक चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 5000 नए उपकेन्द्रों की भी स्थापना की गयी है जिसे सम्मिलित करते हुये वर्तमान में प्रदेश में कुल 25573 उपकेन्द्र स्थापित हैं।

11. शिशु मृत्यु दर को कम करने की योजनाएंः-

i. न्यू बार्न केयर कार्नर (एन.बी.सी.सी.)-

प्रदेश के समस्त जिला महिला चिकित्सालयों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रत्येक प्रसव कक्ष में नवजात शिक्षु देखभाल स्थान (न्यू बार्न केयर कार्नर) चरणबद्ध रूप से तैयार किये जा रहे हैं। प्रदेश में वर्तमान में नवजात शिशु देखभाल स्थान क्रियाशील हैं।

ii. नवजात शिशु स्थिरीकरण इकाई (एन.बी.एस.यू.)-

प्रसव के पश्चात् कमज़ोर तथा गंभीर नवजात जिन्हें चिकित्सालय में गहन देखरेख में रखना

आवश्यक है के लिये वर्तमान में प्रदेश में सन्दर्भन इकाइयों/जिला महिला चिकित्सालयों में (एफ.बी.एन.सी. पोर्टल रिपोर्ट के अनुसार) नवजात शिशु स्थिरीकरण इकाई क्रियाशील हैं।

iii. सिक न्यू बार्न केयर यूनिट (एस.एन.सी.यू.)-

अति गंभीर शिशुओं की विशेष देखभाल हेतु वर्तमान में प्रदेश के चयनित जिला महिला चिकित्सालयों व मेडिकल कॉलेजों में एस.एन.सी.यू. स्थापित है। वर्तमान में कुल एस.एन.सी.यू. जनपदों में स्थापित हैं।

iv. कंगारू मदर केयर (के.एम.सी.)-

वर्तमान में जनपदों में के.एम.सी. स्थापित हैं। अप्रैल से अक्टूबर तक बच्चे के.एम.सी. का लाभ प्राप्त कर चुके हैं।

v. पोषण पुनर्वास केन्द्र (एन.आर.सी.)-

05 वर्ष तक के अति कुपोषित बच्चों में कुपोषण जैसी गंभीर समस्या से निपटने हेतु प्रदेश के चयनित जनपदों के जिला पुरुष चिकित्सालयों व मेडिकल कॉलेजों में कुपोषित बच्चों का उपचार करने हेतु पोषण पुनर्वास केन्द्र स्थापित है। वर्तमान में एन.आर.सी. जनपदों में स्थापित हैं।

vi. होम बेस्ड न्यू बार्न केयर कार्यक्रम (एच.बी.एन.सी.)-

वर्तमान में सभी जनपदों में यह लागू कर लिया गया है। माह अप्रैल से अक्टूबर तक आशा द्वारा बच्चों का गृह भ्रमण किया जा चुका है।

vii. होम बेस्ड यंग चाइल्ड केयर (एच.बी.वाई.सी.)-

शिशुओं की गृह आधारित देखभाल (एच.बी.एन.सी.) के लिये / गृह भ्रमण के साथ-साथ दिनों के पश्चात् शिशुओं की वृद्धि, विकास एवं पोषण सुनिश्चित करने हेतु शिशु की आयु , , , एवं माह होने पर आशा द्वारा अतिरिक्त त्रैमासिक गृह भ्रमण की व्यवस्था भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश के सभी जनपदों में की जा रही है।

viii. डायरिया एवं न्यूमोनिया कार्यक्रम-

डायरिया से होने वाली मृत्यु को रोकने के लिये जिंक एवं ओ.आर.एस. पैकेट आशाओं के माध्यम से बांटे जा रहे हैं तथा न्यूमोनिया को रोकने के लिये आशाओं के माध्यम से टेबलेट एमाक्सीसीलिन उपलब्ध करायी जा रही है।

. आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनाः-

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का संचालन स्टेट एजेन्सी फॉर कॉम्प्रीहेन्सिव हेल्थ एण्ड इन्ट्रीग्रेटेड सर्विसेज (साचीज) द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में दिनांक . . से एश्योरेन्स मोड (ट्रस्ट मोड) के अनुसार किया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत एस.ई.सी.

सी. डाटा के अन्तर्गत , , , लाभार्थी परिवारों को प्रतिवर्ष रु. . लाख धनराशि तक की फ्लोटर के आधार पर निःशुल्क चिकित्सा सुविधा सूचीबद्ध राजकीय एवं निजी चिकित्सालयों के माध्यम से प्रदान किया जा रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिनांक 27.11.2024 से 70 वर्ष व 70 वर्ष से अधिक वरिष्ठ नागरिकों, जिनकी संख्या 66.71 लाख लाभार्थी परिवार हैं व लगभग 5 लाख आशा कार्यकत्रियों, आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों आदि को योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार लाभाथी परिवारों की संख्या लगभग 2.02 करोड़ है। अद्यतन योजना के अन्तर्गत , , लाभार्थियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किया जा चुका है तथा , , , लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाये जा चुके हैं।

●

नगर विकास

सभ्यता के विकास के साथ शहरीकरण की प्रवृत्ति भी बढ़ी है। शहरी क्षेत्रों में अवस्थापना तथा मूलभूत नागरिक सुविधाओं पर अपेक्षाकृत अधिक दबाव होने के कारण कालान्तर से ही शहरों के सुनियोजित विकास की आवश्यकता का अनुभव किया जाता रहा है। इसी क्रम में प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों को एक स्वतंत्र इकाई, नगरीय स्थानीय निकाय के रूप में अंगीकार किया गया है। नगरीय स्थानीय निकायों के क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या को मूलभूत नागरिक सुविधाएं यथा-स्वच्छ पेयजलापूर्ति, सड़कें/गलियाँ, जल निकासी, सफाई व्यवस्था, कूड़ा निस्तारण, सीवरेज व्यवस्था, मार्ग प्रकाश, पार्क, स्वच्छ पर्यावरण आदि उपलब्ध कराया जाना इन स्थानीय निकायों का कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व है। प्रदेश की नागर स्थानीय निकायों के कार्यों पर प्रशासकीय नियंत्रण के साथ नगरीय क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं विस्तार हेतु विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु नगर विकास विभाग का गठन किया गया है। नगर विकास विभाग द्वारा उक्त कार्यों के अतिरिक्त शहरों में सेनिटेशन, पर्यावरण संरक्षण तथा नदियों एवं झीलों में प्रदूषण नियंत्रण आदि का कार्य भी किया जा रहा है।

- **नगरीय निकाय निदेशालयः-**

  भारत सरकार द्वारा गठित रूरल अरबन रिलेशनशिप कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर उ.प्र. शासन द्वारा सर्वप्रथम वर्ष में स्थानीय निकाय निदेशालय के गठन की परिकल्पना की गई जो व्यावहारिक रूप में वर्ष में गठित किया गया। स्थानीय निकाय निदेशालय में एक निदेशक होता है, जो अपने अधीनस्थ अन्य कार्मिकों के सहयोग से विभिन्न प्रशासनिक व वित्तीय कार्यों का निर्वहन करता है। वर्तमान में इसे नगरीय निकाय निदेशालय के नाम से जाना जाता है।

उत्तर प्रदेश- नागर स्थानीय निकायों व शहरी परिदृश्य का विवरणः-

प्रदेश की कुल जनसंख्या (. करोड़) में से . करोड़ आबादी शहरी क्षेत्रों में निवास करती है जो कि कुल आबादी का . प्रतिशत है। शहरी आबादी को बुनियादी गुणवत्तापरक सुविधाओं को उनकी जरूरतों के अनुसार मुहैया कराने की जिम्मेदारी नगरीय निकायों पर है। नगर विकास विभाग द्वारा हाल ही में 31 नयी नगर पंचायतों का गठन किया गया है। साथ ही, वाराणसी नगर निगम के सीमा विस्तार के कारण नवसृजित नगर पंचायत लोहता का विलय उसमें हो गया है। इस प्रकार प्रदेश में कुल 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद व 545 नगर पंचायतें हैं, जो नगरीय क्षेत्रों में सतत विकास तथा औद्योगिकीकरण के दृष्टिगत

जनसुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा आमजनों को साफ पीने का पानी, उपयुक्त प्रकाश व्यवस्था, सड़क, सीवर एवं सफाई तथा कूड़ा उठाने की व्यवस्था, जल निकासी की व्यवस्था इत्यादि मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के मकसद से विभिन्न योजनाएं चलायी जा रही हैं, जिनका क्रियान्वयन नगरीय निकायों के द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान समय में चार मूल सेवा क्षेत्रों जलापूर्ति, नल-जल व्यवस्था, वर्षा जल निकासी और ठोस अपशिष्ट पदार्थों के प्रबन्ध में सेवाओं का मानकीकरण किया जा रहा है।

- प्रदेश में 17 नगर निगम हैं :- लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, आगरा, झाँसी, मुरादाबाद, गोरखपुर, अलीगढ़, बरेली, गाजियाबाद, सहारनपुर, फिरोजाबाद, अयोध्या, मथुरा-वृन्दावन तथा शाहजहाँपुर।
- प्रदेश के शहरी क्षेत्रों को बेहतर बनाने के लिए केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित अनेक योजनाएं प्रदेश में संचालित की जा रही हैं।
- प्रदेश में एक लाख से अधिक जनसंख्या वाली निकायों में अमृत योजना संचालित की जा रही है, जो मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में पेयजल, सीवरेज, पार्क इत्यादि की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए संचालित है।
- प्रदेश के   शहरों को स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत चयनित किया गया है। जिसमें कार्य त्वरित गति से हो रहा है।
- स्वच्छ भारत मिशन प्रदेश के सभी निकायों में संचालित किया जा रहा है।
- राज्य सरकार द्वारा भी सात शहरों को राज्य स्मार्ट सिटी के अंतर्गत चयनित किया गया है।
- **जल संस्थान/जलकलः-**

जलकल (सम्बन्धित नगर निगम के अधीन) लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद, गोरखपुर व सहारनपुर में नगर निगमों के अधीन जलकल।

जल संस्थान- झाँसी मण्डल, चित्रकूट धाम मण्डल

- **क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द :-**

भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय के अन्तर्गत 1968 में स्थापित इस केन्द्र को प्रदेश सरकार द्वारा 1976 से वित्तीय सहयोग दिया जा रहा है। प्रदेश की नागर निकायों के जनप्रतिनिधियों एवं केन्द्रीयित सेवाओं के अधिकारियों की क्षमता विकास हेतु इस केन्द्र के माध्यम से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि का आयोजन किया जाता है। उक्त के अतिरिक्त भारत सरकार के शहरी विकास तथा आवास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालयों के तत्वाधान में संचालित समस्त योजनाओं के अधीन प्रदेश के अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन इस केन्द्र द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह केन्द्र राज्य सरकार एवं नगर निकायों को परामर्शी सेवाओं एवं शोध अध्ययन का प्रतिपादन करके नगर विकास के नीति निर्माण एवं कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु योगदान देता है।

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)

(1) आच्छादनः-

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन- (अमृत) कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 60 शहर आच्छादित हैं-

(1) 7 शहर (जनसंख्या 10 लाख से अधिक)

(2) 53 शहर (जनसंख्या 1 लाख से 10 लाख तक)

- उक्त का क्रियान्वयन नगर विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है।

(2) प्रमुख क्षेत्रः-

- जलापूर्ति,
- सीवरेज सुविधाएं और सेप्टेज प्रबंधन,
- विशेषतः बच्चों के लिए हरित स्थलों और पार्कों और मनोरंजन केन्द्रों का निर्माण और उन्नयन करके शहरों की भव्यता बढ़ाना।

(3) मिशन घटकः-

अमृत के घटकों में क्षमता निर्माण, सुधार कार्यान्वयन, जलापूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबन्धन, वर्षा, जल निकासी, शहरी परिवहन और हरित स्थल और पार्क शामिल है। आयोजन के दौरान, शहरी स्थानीय निकायों को भौतिक अवसंरचना घटकों में कुछ स्मार्ट विशेषताओं को शामिल करने का प्रयास करना होगा।

(4) कार्य निष्पादनः-

परियोजनाओं का निष्पादन यू.एल.बी. द्वारा किया जायेगा। यू.एल.बी. के पास परियोजना के कार्यान्वयन की पर्याप्त क्षमता न होने की सूरत में यू.एल.बी. द्वारा एक संकल्प पारित करने पर राज्य सरकार एस.ए.ए.पी. में यह सिफारिश कर सकती है कि परियोजना का निष्पादन राज्य अथवा केन्द्र सरकार की विशिष्ट पैरास्टेटल एजेंसियों द्वारा किया जायेगा। ऐसी व्यवस्था राज्य सरकार, विशिष्ट पैरास्टेटल एजेंसी और संबंधित नगरपालिका के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता करार (एम.ओ.यू.) के माध्यम से निष्पादित की जानी चाहिए। ऐसे मामले में, यू.एल.बी की क्षमता को अमृत क्षमता निर्माण संघटक द्वारा बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार सृजित परिसम्पत्तियों को अनुरक्षण और रख-रखाव की जिम्मेदारी यू.एल.बी. और राज्य सरकार की होगी।

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत-2.0)

मुख्य उद्देश्यः-

भारत सरकार द्वारा अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत-2.0) का आरम्भ अक्टूबर, 2021 में किया गया। अमृत-2.0 योजना की अवधि वर्ष 2021 से 2026 तक रखी गयी है। अमृत-2.0 मिशन के अन्तर्गत समस्त नगरीय निकायों को सम्मिलित किया

गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 762 नगरीय निकायों में प्रत्येक परिवार को स्वच्छ जलापूर्ति, घर-घर निःशुल्क टैपवाटर (नल) कनेक्शन तथा 60 अमृत शहरों में सीवर कनेक्शन व सैप्टेज की व्यवस्था करना हरित क्षेत्र और सुव्यवस्थित खुले मैदान अर्थात् पार्क विकसित करके शहरों और नागरिकों के स्वास्थ्य में सुधार करना है। साथ-साथ उनमें रैन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की पर्याप्त वृद्धि करना है।

अद्यतन प्रगति :-

पेयजल एवं सीवरेज के कार्य हेतु शासन द्वारा उ.प्र. जल निगम (नगरीय) को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है तथा 05 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल वाले अमृत सरोवर के जीर्णोद्धार (e uvenation o ater odies) कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाईन सर्विसेज (सी.एण्ड.डी.एस.)/उ.प्र. प्रोजेक्ट कार्पोरेशन एवं 05 एकड़ से कम क्षेत्रफल वाले अमृत सरोवर के लीर्णोद्धार (e uvenation o ater odies) के कार्य सम्बन्धित नगरीय निकायों द्वारा किये जा रहे हैं।

अमृत-2.0 के अन्तर्गत रिफॉर्म्स (Re s) :-

अनिवार्य सुधार (d Re s)

1. सम्पत्ति करः-

सम्पत्ति कर में स्टेट जी.डी.पी. के समान समुचित वृद्धि की जानी है, जिसके लिये फ्लोर रेट (मासिक किराया दर) कर पुनरीक्षण आवश्यक है। छूटे भवनों को शत-प्रतिशत की कर की परिधि में लाना।

2. यूजर चार्जेसः-

नगरीय निकायों (ULB) द्वारा दी जाने वाली सेवाओं जैसेः-पेयजल, सीवर, सैप्टेज एवं डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन इत्यादि के सापेक्ष यूजर चार्ज का आरोपण एवं प्रभावी वसूली।

इन्सेन्टिव ग्रान्ट हेतु प्रमुख रिफॉर्म (e ivised Re s)

1. ऑनलाइन Municipal Services.
2. अमृत सरोवरों का पुनर्जीवन (e uvenation o ater odies).
3. ecycle euse o treated used (waste) water.
4. on- evenue ater ( ) को 20 प्रतिशत तक कम करना।
5. सम्पत्ति कर में समुचित वृद्धि एवं वसूली हेतु जी.आई.एस. आधारित मैपिंग।
6. निकायों में unicipal onds को निर्गत (ssue) किया जाना।

स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय

- भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 02 अक्टूबर 2021 को स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय 2.0 योजना का आरम्भ किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य समस्त निकायों को गार्बेज फ्री सिटी बनाया जाना है। स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय 2.0 में शौचालय, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, कैपेसिटी बिल्डिंग, आई.ई.सी. एवं नया घटक यूज्ड वाटर मैनेजमेन्ट है।

- "स्वच्छ भारत मिशन नगरीय 2.0 कार्यक्रम" के अन्तर्गत राज्य स्तरीय तकनीकी समिति एवं राज्य स्तरीय उच्चाधिकार समिति गठित है।
- स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के 762 नगर निकायों द्वारा **"खुले में शौच से मुक्त"** (ओ.डी.एफ.) स्वघोषित किया जा चुका है एवं जिसमें से 652 निकायों को थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन कराकर ओ.डी.एफ. प्रमाण पत्र दिया जा चुका है। साथ ही प्रदेश के 435 निकायों को ओ.डी.एफ. प्लस एवं 129 निकायों द्वारा ओ.डी.एफ. प्लस प्लस व 02 निकाय वाटर प्लस घोषित हैं। शेष निकायों में ओ.डी.एफ. प्लस एवं ओ.डी.एफ. प्लस प्लस की कार्यवाही की जा रही है।
- प्रदेश के नगरीय निकायों द्वारा 13924 वार्डों में डोर-टू-डोर अपशिष्ट संग्रहण का कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सफाई अभियान के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त नगर स्थानीय निकायों में कूड़े के कलेक्शन स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन आदि कार्यों को तत्परता से किया जा रहा है।
- मिशन के अन्तर्गत व्यक्तिगत शौचालयों, सामुदायिक शौचालयों, सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण सहित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट की परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना है।
- स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय 2.0 के अन्तर्गत अधिक आवाजाही वाले स्थलों पर आकांक्षी सार्वजनिक शौचालय एवं यूरिनल निर्माण हेतु निकायों को वित्त पोषित किया गया है। उक्त के अतिरिक्त नवगठित निकायों को महिला पिंक शौचालय एवं सार्वजनिक शौचालय निर्माण हेतु वित्त पोषित किया गया है।
- स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय 2.0 के अन्तर्गत यूज्ड वाटर मैनेजमेंट को एक मुख्य घटक के रूप में जोड़ा गया है, ऐसी 670 नगरीय निकाय, जिनकी आबादी एक लाख से कम (जनसंख्या-2011 के अनुसार) हो, उनमें एस.टी.पी.-कम-एफ.एस.टी.पी. पर निर्माण कराया जाना है। इसके अतिरिक्त 34 नगरीय निकायों को डिस्लजिंग वेहिकल क्रय किये जाने हेतु प्रत्येक निकाय का रूपये बीस लाख की धनराशि आवंटित की गई है।
- स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत निर्धारित कार्य प्रदेश में समयबद्ध रूप से किये जा रहे हैं तथा की जा रही कार्यवाहियों को भारत सरकार की अधिकारिक वेबसाइट/पोर्टल पर नियमित अपलोड किया जा रहा है।
- प्रदेश के समस्त नागर निकायों में स्वच्छता अभियान चलाये जाने हेतु निर्देश प्रसारित किये गये हैं। व्यवहार परिवर्तन एवं सम्पूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त किये जाने हेतु जन जागरूकता अभियान प्रदेश के नागर निकायों में चलाये जा रहे हैं। प्रत्येक नगरीय निकाय में एम.आर.एफ. (मैटेरियल रिकबरी के लिए) हेतु धनराशि अवमुक्त की गई है। निकायों द्वारा कुल 800 यूनिट एम.आर.एफ. का निर्माण करा लिया गया है एवं 740 एम.आर.एफ. सेन्टर संचालित हैं।
- स्वच्छ भारत मिशन- नगरीय अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न निकायों में बड़े-2 म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लान्ट का निर्माण कराया गया है, जिसके संचालन हेतु आवश्यक मशीनरी क्रय

की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है एवं कुल 133 लाख टन लिगेसी वेस्ट चिह्नित किया गया है, जिसमें से 103.65 लाख टन का निस्तारण करा लिया गया है। शेष कार्यवाही गतिमान है।

- स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत प्रदेश में 898833 व्यक्तिगत शौचालयों, 35708 सामुदायिक शौचालयों तथा 33673 सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कराया गया।
- स्वच्छ सर्वेक्षण- 2023 में प्रदेश कीं रैंक दसवीं थी। स्वच्छ सर्वेक्षण-2023 में प्रदेश की रैंक नवम् घोषित की गयी है। इस प्रकार स्वच्छ सर्वेक्षण में बेहतर सुधार हुआ है।

स्मार्ट सिटी मिशन

- स्मार्ट सिटी मिशन भारत सरकार द्वारा संचालित केन्द्र पुरोनिधानित योजना है, जिसके अन्तर्गत नागरिकों की आकांक्षाओं, आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुरूप शहर को आदर्श रूप में विकसित करना है। इसका उद्देश्य उन प्रमुख शहरों को प्रोत्साहित करना है जो अपने नागरिकों को गुणवत्तापरक जीवन स्तर के साथ स्वच्छ और सुस्थिर वातावरण प्रदान करते हैं तथा "स्मार्ट" समाधान लागू करते हैं। योजना की अवधि वर्ष तक है। योजना का उद्देश्य निकाय में चयनित क्षेत्र का आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचा प्रदान करते हुये नागरिकों के लिये बेहतर जीवन स्तर के साथ-साथ स्वच्छ एवं सुस्थिर वातावरण प्रदान करना और स्मार्ट एप्लीकेशन का प्रयोग करना है।
- स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत प्रदेश की निकायों को चयनित किया गया है। लखनऊ, कानपुर, आगरा एवं वाराणसी मार्च, तक स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित किये गये थे। सरकार के सतत प्रयास के फलस्वरूप अलीगढ़, झांसी एवं प्रयागराज नगरीय निकाय जून, में स्मार्ट सिटी कार्यक्रम में चयनित हुए हैं। उक्त के अतिरिक्त अन्य निकायों यथा- मुरादाबाद, सहारनपुर एवं बरेली को जनवरी, में चयनित किया गया है। उक्त चयनित कुल निकायों में आगरा, बरेली व झांसी द्वारा समस्त कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है।
- स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत विभिन्न 6 श्रेणियों यथा- (1) ईज ऑफ लिविंग, (2) कल्चर व लाइफ स्टाइल, (3) ई-गर्वेनेन्स व सिटीज सर्विसेज, (4) वाटर, सेनीटेशन व हेल्थ, (5) ट्रांसफोर्मिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर व यूटिलिटिज तथा (6) न्यु ऐज ट्रांसपोर्ट व मोबिलिटी के अन्तर्गत समस्त परियोजनाओं को चयनित किया गया है।
- उक्त दस शहरों के अतिरिक्त केन्द्र पुरोनिधानित स्मार्ट सिटी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश ने प्रदेश के अन्य 7 नगर निगमों (अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, गाजियाबाद, मथुरा-वृन्दावन, मेरठ व शाहजहांपुर) को राज्य स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की अभिनव पहल की है।
- राज्य स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 6 नगर निगमों में रु. 270.00 करोड़ की लागत से आई.टी.एम.एस. (इन्टीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेन्ट सिस्टम) परियोजना का कार्यान्वयन कराया जा चुका है एवं इनके माध्यम से ई-चालान की कार्यवाही की जा रही है।

- इस योजना के अन्तर्गत चयनित शहरों में स्मार्ट रोड, स्मार्ट पार्किंग, स्मार्ट क्लास, हरित शवदाह गृह, सूर्य नमस्कार, सीनियर केयर सेन्टर, जोनल कार्यालय, सोलर स्ट्रीट लाइट, हेल्थ ए.टी.एम., सी.सी.टी.वी. कैमरों का कमाण्ड सेन्टर से इन्टीग्रेशन, मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग मशीनों की आपूर्ति, चौराहों का सौन्दर्यीकरण आदि लगभग कुल रु. 744.00 करोड़ की धनराशि के कार्य पूर्ण/प्रगति पर हैं।
- राज्य स्मार्ट सिटी के क्रियान्वयन में सहयोग हेतु राज्य स्तर पर टेक्नीकल सपोर्ट ग्रुप के रूप में के.पी.एम.जी. फर्म का चयन किया गया है।

राज्य वित्त आयोग

पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर प्रदेश के शुद्ध कर राजस्व की 7.50 प्रतिशत धनराशि नगरीय स्थानीय निकायों को दिये जाने का प्राविधान है। जिसमें नगर निगम का 45 प्रतिशत, नगर पालिका परिषदों का 35 प्रतिशत एवं नगर पंचायतों का 20 प्रतिशत अंश पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है।

15वां वित्त आयोग

15 वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्रदेश की समस्त नगर स्थानीय निकायों को नगरों के विकास आदि के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में रु. 5118.00 करोड़ का बजट प्राविधान है।

राज्य सेक्टर/जिला सेक्टर की प्रमुख योजनाएं/कार्यक्रम

वैश्विक नगरोदय योजनाः-

नगरीय स्थानीय निकायों में संचालित विभिन्न योजनाओं और अन्य मिशनों को मिशन टू मूवमेन्ट के रूप में विस्तारित कर अभिनव तकनीकों/नवाचारों का प्रयोग करते हुए नगरीय जीवन के सर्वांगीण विकास एवं नगरीय स्थानीय निकायों के राजस्व संग्रहण में वृद्धि करने हेतु प्रोत्साहन आधारित योजना नगरीय सेवायें और अवस्थापना विकास परियोजनाएं मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना-CM-VNY के रूप में प्रारम्भ की गयी है। योजनान्तर्गत निकायों में वर्किंग वूमन हॉस्टल, कौशल विकास केन्द्र, बारात घर, रिटायरमेंट होम, कम्यूनिटी सेन्टर को-वर्किंग स्पेस, फूड स्ट्रीट हब/रात्रि/साप्ताहिक बाजार, टाउन हॉल, पेट क्लीनिक, निराश्रित गृह/रैन बसेरा, पुस्तकालय/डिजिटल पुस्तकालय तथा ओपेन जिम आदि कार्य कराये जाते हैं।

कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजनाः-

प्रदेश में आवारा पशुओं के खुले में घूमने के कारण होने वाले दुर्घटनाओं के फलस्वरूप पशुओं तथा जनसामान्य को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा ऐसे पशुओं के पुनर्वास हेतु "कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना" नाम से योजना प्रारम्भ की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत नागर निकायों में कान्हा गौशाला की स्थापना की जायेगी।

आकांक्षी नगर योजनाः-

आकांक्षी नगर योजना प्रदेश के सर्वाधिक पिछड़े 100 नगरीय निकायों के सम्पूर्ण वहनयोग्य

विकास (Holistic Sustainable Development) को प्रतिस्पर्धा के माध्यम से नगर विकास विभाग की सेवाओं की उपलब्धता तथा नागरिकों तक पहुंच आर्थिक अवसर और नियोजित शहरी विकास के लिये अच्छे ढंग से त्वरित प्रगति एवं सतत् विकास प्राप्त करना। आकांक्षी विकास खण्ड योजना की भांति सभी चयनित 100 आकांक्षी शहरों में मुख्यमंत्री शहरी फैलो की नियुक्ति किये जाने का प्राविधान किया गया है जो योजना को सर्वेक्षण, आंकड़ों का संकलन, सत्यापन, ऑनलाइन डेटा फीडिंग, परियोजनाओं के बनाने, राज्य सरकार से समन्वय, अनुश्रवण तथा अभिलेखों के रख-रखाव करेंगे साथ ही योजनाओं के संचालन में आ रही चुनौतियों के निराकरण तथा जनमानस को अपेक्षित लाभ पहुंचाने में सुझाव प्रदान करेंगें। आकांक्षी शहरी निकायों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने हेतु प्रदर्शन आधारित धनराशि की भी व्यवस्था की गयी है।

पं. दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना :-

प्रदेश की छोटी नगर निकायों में अवस्थापना सुविधाओं यथा पेयजल, सैपटेज मैनेजमेंट, सड़क, साइड पटरी, नाली, जल निकासी, फुटपाथ, सोलर लाइट/एलईडी लाइट, सार्वजनिक शौचालयों, तालाब, संरक्षण एवं सौन्दर्यीकरण, चौराहों का निर्माण, पार्क/खेल मैदान का निर्माण/सुधार, सामुदायिक केन्द्र गौशाला का निर्माण आदि सार्वजनिक सुविधाओं का सृजन कर नागरिकों को गुणवत्ता पूर्ण सुविधाओं को प्रदान करने तथा नगरों/कस्बों के समेकित एवं नियोजित विकास को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से पं. दीनदयाल आदर्श नगर पंचायत योजना लागू की गयी है।

मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना (CM-NSY):-

प्रदेश में शहरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति के दृष्टिगत नवसृजित/उच्चीकृत/विस्तारित नगरीय स्थानीय निकायों में निवास करने वाले नागरिकों को मूलभूत नागरिक सुविधायें यथा-पेयजल आपूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, रोड मार्ग प्रकाश व्यवस्था की मूलभूत आवश्यक सुविधाओं के विकास/सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना लागू की गयी है।

पी.एफ.एम.एस. (पब्लिक फाइनेन्शियल मैनेजमेंट सिस्टम) :-

पी.एफ.एम.एस. जिसका पूरा नाम पब्लिक फाइनेन्सियल मैनेजमेन्ट सिस्टम है। यह पोर्टल वेब ऑनलाइन साफ्टवेयर है, जिसे कन्ट्रोलर जनरल ऑफ एकाउन्ट्स वित्त मंत्रालय, भारत सरकार एवं एन.आई.सी. की सहायता से तैयार किया गया है। इस साफ्टवेयर की मदद से सरकार की विभिन्न योजनाओं की धनराशि का अन्तरण विभाग के अन्तर्गत कार्यरत सबसे निचले स्तर तक सुगमतापूर्वक किया जाता है साथ ही साथ इसकी एकाउन्टिंग भी की जा सकती है। इसके अतिरिक्त उच्च स्तर से योजनाओं के अन्तर्गत किये जा रहे व्यय का पर्यवेक्षण किया जा सकता है।

नगरीय परिवहन निदेशालय

नगरीय परिवहन व्यवस्था के कुशल संचालन हेतु नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 20.04.2009 द्वारा नगरीय परिवहन निदेशालय की स्थापना की गयी। वर्तमान में प्रदेश के 04 शहरों यथा- लखनऊ, कानपुर, वाराणसी एवं मेरठ में एस.पी.वी. के माध्यम से सी.एन.जी./डीजल नगरीय बसों का संचालन किया जा रहा है। एस.पी.वी. में नगरीय बसों के संचालन से हो रहे घाटे की प्रतिपूर्ति उ.प्र. समर्पित नगरीय निधि नियमावली- के अन्तर्गत मुख्य सचिव

महोदय की अध्यक्षता में गठित "निधि प्रबन्ध समिति" के निर्देश पर की जा रही है।

उपलब्धियाँ :-

नगरीय परिवहन निदेशालय द्वारा कराये जा रहे कार्यकलापों का विवरणः-

1. इलेक्ट्रिक बसों का संचालनः-

- फेम-II योजनान्तर्गत प्रदेश के 14 शहरों में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पी.पी.पी.) की सहभागिता से जी.सी.सी. (ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट) मोड के अन्तर्गत 360 इलेक्ट्रिक बसों की आपूर्ति प्राप्त कर संचालन आरम्भ कराया गया।
- 740 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन करने वाला उत्तर प्रदेश देश भर का अग्रणी राज्य है।

2. डिजिटल प्रावधानों को बढ़ावाः-

- डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नगरीय परिवहन की बसों हेतु कॉमन मोबिल्टी कार्ड 'वन यूपी वन कार्ड' का शुभारम्भ अक्टूबर 2003 में किया गया था। इस कार्ड से यात्रा किये जाने पर यात्रियों को किराये में 10 प्रतिशत की छूट का लाभ प्राप्त हो रहा है। दिसम्बर, 2024 तक 'वन यूपी वन कार्ड' के माध्यम से रु. 6.76 करोड़ के टिकट द्वारा 25.81 लाख यात्रियों द्वारा यात्रा की गई।

3. यात्री सुरक्षा को बढ़ावाः-

- यात्रियों की सुरक्षा (विशेष रूप से महिलाओं) के दृष्टिगत इलेक्ट्रिक बसों में 05 सी.सी.टी.वी. एवं 10 पैनिक बटन की व्यवस्था की गयी है। इन्हें सेफ सिटी परियोजना के अन्तर्गत पुलिस हेल्पलाइन डायल यू.पी.-112 से जोड़ा जा रहा है।
- यात्रियों के सुविधार्थ सभी डिपो में 24X7 कन्ट्रोल रूम की स्थापना भी कराई गयी है।

4. महिला सशक्तीकरण एवं अंतिम छोर तक यात्रा की सुविधाः-

- प्रदेश के 07 शहरों में महिला सशक्तिकरण एवं अंतिम छोर तक यात्रा की सुविधा दिये जाने हेतु पी.पी.पी. आधार पर 500 ई-ऑटो का संचालन कराये जाने की कार्यवाही गतिशील है, जिसमें 50 प्रतिशत ई-ऑटो का संचालन महिला चालकों द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।

5. अयोध्या में ई-बसों का संचालनः-

- अयोध्या शहर में श्रीराम जन्म भूमि मंन्दिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में श्रद्धालुओं एवं दर्शनार्थियों की सुविधा हेतु दिनांक 14.01.2024 से 03 माह तक 225 वातानुकूलित ई-बसों को संचालन किया गया, जिससे लगभग 20 लाख से अधिक श्रद्धालुओं एवं दर्शनार्थियों द्वारा नगरीय बसों से यात्रा की गई।

6. नैमिषारण्य तक ई-बसों का संचालनः-

- नैमिषारण्य के पौराणिक महत्व के दृष्टिगत तीर्थ यात्रियों को प्रदूषण मुक्त वातानूकूलित बस यात्रा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से नैमिषारण्य तक ई-बस का संचालन सफल एवं सुचारु रूप से किया जा रहा है।

नगर विकास

7. पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों का विकासः-

- उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक नोबिलिटी को बढ़ावा देने हेतु प्रदेश के 17 शहरों में 334 स्थानों पर इलेक्ट्रिक वाहनों (दो, तीन एवं चार पहिया) हेतु चार्जिंग स्टेशनों का विकास किया जाना प्रस्तावित है।

8. पर्यावरण सुधार को बढ़ावाः-

- 740 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से प्रतिदिन लगभग 31,516 ली. डीजल (Fossil Fuel) की बचत की जा रही है, जिससे प्रतिवर्ष लगभग 1,15,03,340 ली. डीजल (Fossil Fuel) की बचत की जा रही है।

9. पुरस्कार एवं सम्मानः-

- नगरीय परिवहन निदेशालय द्वारा यात्रियों को वातानुकूलित, प्रदूषण रहित, उच्च कोटि की परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्कॉच ग्रुप द्वारा ट्रान्सपोर्ट श्रेणी के अन्तर्गत मई, 2023 में आर्डर ऑफ मेरिट एवं सिल्वर एवार्ड प्रदान किया गया।

10. शहरी परिवहन के सुधार हेतु काम्प्रीहेन्सिव मोबिलिटी प्लान का विकासः-

- नगरीय परिवहन निदेशालय द्वारा शहरी परिवहन एवं यातायात को सुलभ बनाने हेतु 07 शहरों (अलीगढ़, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहाँपुर, अयोध्या, सहारनपुर एवं झाँसी) में काम्प्रीहेन्सिव मोबिलिटी प्लान (CMP) बनाये जाने की कार्यवाही गतिशील है। सभी शहरों की अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है।
- लखनऊ, मेरठ, कानपुर एवं आगरा शहरों की पुनरीक्षित काम्प्रीहेन्सिव, मोबिलिटी प्लान (CMP) बनाये जाने की कार्यवाही की जा रही है, जिसमें सभी 04 शहरों की इन्सेप्शन रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है।

11. महाकुम्भ-2025 में 200 ई-बसों का संचालनः-

- मा. प्रधानमंत्री एवं मा. मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप महाकुम्भ-2025 में आने वाले श्रद्धालुओं एवं दर्शनार्थियों को उच्च कोटि की वातानुकूलित एवं प्रदूषण रहित यात्रा उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रयागराज में दिनांक 08.01.2025 से 200 ई.बसों का संचालन किया जा रहा है।

●

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के समन्वित, संतुलित एवं त्वरित विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण संवेदनशीलता के साथ प्रयासरत है। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के संतुलित एवं त्वरित विकास के दृष्टिगत नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं और नगर निगम क्षेत्रों के समेकित विकास के साथ ही राज्य सरकार प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में निवासित विशेषकर मलिन बस्तियों (स्लम्स), अल्पविकसित अथवा मूलभूत सुविधाओं से वंचित बस्तियों में निवासित सभी नागरिकों को आवास, बुनियादी सुविधाएं, स्वरोजगार उपलब्ध कराकर नगरीय निर्धनों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाकर समाज की मुख्य धारा में शामिल किये जाने हेतु कृत संकल्प है।

शहरी निर्धनों के सर्वांगीण विकास के निमित्त प्रदेश सरकार की प्राथमिकता के दृष्टिगत अनेक महत्वाकांक्षी एवं कल्याणकारी योजनाएं नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के अन्तर्गत अधीनस्थ राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) के माध्यम से प्रदेश के समस्त जनपदीय जिला नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) के द्वारा क्रियान्वित की जा रही है।

1. प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) मिशनः-

शहरी गरीबों की बुनियादी जरूरत 'अपना निजी आवास' की आवश्यकता की पूर्ति हेतु देश के अन्य प्रदेशों की भांति उत्तर प्रदेश में भी प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) मिशन-1.0 त्वरित गति से क्रियान्वित की गयी है। इस योजना का प्रारम्भ भारत सरकार द्वारा दिनांक 25.06.2015 को किया गया था। योजनान्तर्गत 60 प्रतिशत धनराशि केन्द्र सरकार एवं 40 प्रतिशत धनराशि उ.प्र. सरकार द्वारा वहन की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस योजना हेतु पुनर्विनियोग के पश्चात रु. 250513.70 लाख का आय-व्ययक प्रावधान है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)-1.0 माह दिसम्बर 2025 तक वितरित की गयी है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस योजना हेतु 45000.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान प्रस्तावित है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)- 2.0 सितम्बर, 2024 में प्रारंभ करने की घोषणा की गयी है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में पुनर्विनियोग के पश्चात रु. 356168.22 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 मे इस योजना हेतु 733189.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान प्रस्तावित है।

2. दीनदयाल जन आजीविका योजना (शहरी):-

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गरीबों के सर्वांगीण विकास हेतु इस

योजना का शुभारम्भ अक्टूबर 2024 को किया गया है। वर्तमान में दीनदयाल जन आजीविका योजना (शहरी) में प्रदेश के तीन पायलट शहर (लखनऊ, वाराणसी, आगरा) में संचालन किया जा रहा है। जिसकी अवधि दिसम्बर 2025 तक विस्तावित की गयी है। प्रस्तावित नवीन मिशन का सुचारू रूप से संचालन किये जाने हेतु विगत वित्तीय वर्ष के सापेक्ष सम्भावित धनराशि पर अनुमन्य राज्य की धनराशि को संकलित कर आय-व्ययक बजट प्रेषित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिये अनुदान संख्या-37 में अनुमानित बजट रु. 10500.00 लाख का आय-व्ययक प्रस्तावित है।

3. मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनाः-

प्रदेश के शहरी गरीबों के हितार्थ प्रदेश सरकार द्वारा वित्त पोषित मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना का भी क्रियान्वयन सूडा द्वारा किया जा रहा है। योजनान्तर्गत सी.सी. रोड अथवा इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण, नाली, पेय जल, मार्ग प्रकाश व अन्य बुनियादी सुविधाओं की स्थापना सम्बन्धी कार्य किया जा रहा है। यह योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में क्रियान्वित है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत अनुदान सं.-37 में रु. 20000.00 लाख एवं अनुदान सं.-83 में रु. 20000.00 लाख अर्थात कुल रु. 40000.00 लाख का बजट प्रावधान है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत अनुदान सं.-37 में रु. 59200.00 लाख एवं अनुदान सं.-83 में रु. 47625.00 लाख अर्थात कुल रु. 106825.00 लाख का बजट प्रावधान प्रस्तावित है।

●

जल सम्पूर्ति

प्रदेश में जल सम्पूर्ति एवं जलोत्सारण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 1927 में जन स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का गठन किया गया था। वर्ष 1946 में इसका नाम स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग कर दिया गया। जून 1975 में यह विभाग उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 (अधिनियम संख्या-43, सन् 1975) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश जल निगम में परिवर्तित किया गया।

उक्त अधिनियम के अन्तर्गत 5 कवाल नगरों, बुन्देलखण्ड, गढ़वाल तथा कुमायूं क्षेत्रों के लिए एक-एक जल संस्थान भी स्थापित किये गये। वर्तमान में बुन्देलखण्ड क्षेत्र हेतु झांसी एवं चित्रकूट जल संस्थान कार्यरत हैं। गढ़वाल तथा कुमायूं जल संस्थान उत्तराखण्ड राज्य में सम्मिलत है। सम्प्रति पांच बड़े नगरों हेतु गठित जल संस्थान का विलय सम्बन्धित नगर निगम लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज व आगरा में हो चुका है एवं इनके द्वारा अपने क्षेत्रों में समस्त पेयजल/जलोत्सारण कार्यों का रख-रखाव किया जाता है। प्रदेश के नगरों में जल सम्पूर्ति/जलोत्सारण के निर्माण कार्य जल निगम (नगरीय) द्वारा कराये जाते हैं। नागर क्षेत्रों में कार्यों को पूर्ण कराकर स्थानीय निकायों/जल संस्थानों को रख-रखाव हेतु सौंप दिया जाता है।

उ०प्र० जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम-2021 दिनांक-24.08.2021 द्वारा निर्गत किया गया है। इस अधिनियम के प्राविधानानुसार उ०प्र० जल निगम का उ०प्र० जल निगम (नगरीय) तथा उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के रूप में विभाजन किया गया है।

उद्देश्य एवं कार्यकलापः-

- राज्य सरकार के निर्देशों पर जल सम्भरण, सीवर व्यवस्था और मल निस्तारण के लिए योजनाएं तैयार करना, उनका निष्पादन करना तथा उनका उन्नयन करना।
- राज्य सरकार और नगरीय स्थानीय निकायों को निजी संस्था या व्यक्तियों के अनुरोध पर जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था के संबंध में सभी आवश्यक सेवाओं की व्यवस्थाएं करना।
- राज्य सरकार के निर्देशों पर जल सम्भरण, सीवर व्यवस्था तथा जल निकासी के लिए राज्य योजनाएं तैयार करना।
- जल संस्थानों और नगरीय स्थानीय निकायों, जिन्होंने धारा 46 के अधीन निगम के साथ कोई करार किया हो, क्षेत्रों के भीतर टैरिफ, करों तथा जल सम्भरण प्रभारों के समीक्षा करना और

उन पर सलाह देना।

- अपेक्षित सामग्री का निर्धारण और उन्हें प्राप्त करने तथा उसका उपयोग किए जाने का प्रबंध करना।
- जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था सेवाओं के लिए राज्य मानक स्थापित करना।
- नगरीय क्षेत्रों में ऐसे सभी कृत्य करना, जो यहां पर उल्लिखित न हों और जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व तत्कालीन उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा किये जा रहे थे।
- प्रत्येक जल संस्थान या स्थानीय निकाय, जो धारा 46 के अधीन निगम के साथ कोई करार किया हो। जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था प्रणाली के तकनीकी, आर्थिक तथा अन्य पहलुओं की वार्षिक समीक्षा करना।
- राज्य में प्रत्येक जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था योजना के तकनीकी, वित्तीय, आर्थिक तथा अन्य संगत पहलुओं की समीक्षा तथा मूल्यांकन करने की सुविधा को स्थापित करना तथा अनुरक्षण करना।
- जब राज्य सरकार द्वारा निर्देश दिया जाए तब किसी जलकल तथा सीवर व्यवस्था प्रणाली को ऐसी निबन्धन तथा शर्तों पर और ऐसी अवधि के लिए, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, संचालित करना, चलाना और अनुरक्षण करना।
- राज्य में जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था संबंधी सेवाओं के संबंध में अपेक्षित जन-शक्ति तथा प्रशिक्षण निर्धारित करना।
- निगम अथवा किसी जल संस्थान के कृत्यों को दक्षतापूर्वक निस्तारित करने के लिए व्यावहारिक अनुसंधान कराना।
- इस अधिनियम द्वारा या तद्धीन निगम को सौंपे गये किन्ही कृत्यों को करना।
- ऐसे अन्य कृत्य करना जो गजट में अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार द्वारा निगम को सौंपे जाएं।

जल निगम (नगरीय) की शक्ति :-

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 की धारा 15(1) के अन्तर्गत जल निगम (नगरीय) की शक्तियां परिभाषित हैं।

- (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्याधीन निगम को ऐसा कोई भी कार्य करने की शक्ति होगी, जो इसके लिए इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक अथवा समीचीन हो।

  (2) पूर्ववर्ती उपबन्ध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अपनी अधिकारिता क्षेत्र में ऐसी शक्ति के अन्तर्गत उसकी निम्नलिखित शक्तियां भी होंगी :-
- समस्त जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था सुविधाओं का, चाहे जिसके द्वारा भी संचालित होती हों, निरीक्षण करना।

. किसी सम्बन्धित स्थानीय निकाय तथा संचालन अधिकरण से ऐसी आवधिक अथवा विनिर्दिष्ट सूचना प्राप्त करना, जिसे वह आवश्यक समझे।

. अपने स्वयं के कार्मिकों के साथ-साथ स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।

. जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था योजनाएं तैयार करना और उन्हें कार्यान्वित करना।

. राज्य सरकार, स्थानीय निकायों, संस्थाओं या व्यक्तियों को निगम द्वारा प्रदान की गई समस्त सेवाओं के लिए फीस की अनुसूची निर्धारित करना।

. किसी व्यक्ति, फर्म या संस्था के साथ ऐसी संविदा या करार करना, जिसे निगम, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन करने के लिए आवश्यक समझे।

. स्वयं वार्षिक बजट अभिस्वीकृत करना।

. जल संस्थानों की अधिकारिता में समाविष्ट सम्बन्धित स्थानीय क्षेत्रों और ऐसे स्थानीय निकायों पर जिन्होंने धारा 46 के अधीन निगम के साथ करार किया हो, लागू जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था संबंधी सेवाओं के लिए टैरिफ का अनुमोदन करना।

. धन उधार लेना, ऋण पत्र जारी करना, वित्तीय सहायता और अनुदान प्राप्त करना तथा अपनी निधियों का प्रबंध करना।

. स्थानीय निकायों को उनकी जल सम्भरण योजना तथा सीवर व्यवस्था सम्बन्धी योजना के लिए ऋण वितरण करना।

. इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का सम्पादन करने के लिए व्यय करना और ऐसे व्यक्तियों या प्राधिकारियों, जिन्हें निगम आवश्यक समझे, ऋण और अग्रिम स्वीकृत करना।

नगर जल सम्पूर्ति

प्रदेश में कुल 734 नगर स्थानीय निकाय हैं, जिनकी 2011 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या 4.65 करोड़ है, जो प्रदेश की कुल जनसंख्या 19.98 करोड़ का लगभग 23.3 प्रतिशत है। हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा 84 नये नगरीय निकाय घोषित किये गये हैं था 64 स्थानीय निकायों का बिस्तार किया गया है। वर्तमान में कुल 762 स्थानीय निकाय हैं। उक्त 762 नगरों में पाइप पेयजल सुविधा की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है :-

निकाय	**नगरों में पाइप पेयजल आपूर्ति की दिसम्बर 2024 तक की स्थिति**	
	कुल	आच्छादित
नगर निगम	17	17
नगर पालिका परिषद	194	194
नगर पंचायत	551	542
योग	**762**	**753**

आच्छादित नगरों की संख्या 09

नवसृजित नगरीय निकायों हेतु नगरीय मानक के अनुसार प्रति व्यक्ति पेयजल सम्पूर्ति की दरों का विवरण निम्न तालिका में दिया जा रहा है।

क्र. सं	**नगरों का जनसंख्यावार वर्गीकरण**	**पेयजल आपूर्ति का निर्धारित मानक (लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन)**	**नगरों की संख्या**	**सीवर व्यवस्था युक्त नगरों की संख्या**
1.	10 लाख से अधिक	150	17	16
2.	1 लाख से अधिक (तथा जिन नगरों में सीवर व्यवस्था है अथवा संभावित है)	135	54	29
3.	20 हजार से 1 लाख तक	135 /70	277	19
4.	20 हजार से कम	135 /70	414	1
	योग		**762**	**65**

* जलोत्सारण हेतु

राज्य सेक्टर कार्यक्रम :-

प्रदेश के विभिन्न नगरों में पेयजल आपूर्ति में सुधार हेतु राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत नगरीय निकायों हेतु अनुदान के रूप में धनराशि उपलब्ध करायी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति व्यय वित्त समिति/परियोजना संरचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, उ.प्र. शासन द्वारा प्रदान की जाती है। परियोजना का चयन एवं विरचन कार्य सम्बन्धित निकाय की सहमति से जल निगम द्वारा किया जाता है।

दिसम्बर 2024 तक 78 निर्माणाधीन योजनाओं के विरुद्ध रु.1537.01 करोड़ की वित्तीय स्वीकृतियां शासन द्वारा निर्गत की गई हैं। जिसमें से 61 योजनायें पूर्ण कर जनोपयोगी बनायी गयी तथा 17 योजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं। शासन से अवमुक्त धनराशि रु. 1332.32 करोड़ के सापेक्ष रु. 1083.68 करोड़ का व्यय किया गया है।

नगर जलोत्सारण :-

प्रदेश के कुल 762 नागर स्थानीय निकाय हैं, जिनमें जलोत्सारण व्यवस्था की वर्तमान स्थिति निम्न है:-

निकाय	कुल नगर	नगर जिनमें सीवर व्यवस्था है	नगर जिनमें सीवर व्यवस्था नहीं है
नगर निगम	17	16	1
नगर पालिका परिषद	194	46	148
नगर पंचायत	551	3	548
योग	**762**	**65**	**697**

झांसी भौगोलिक स्थिति सीवर नेटवर्क के लिए उत्तम नहीं है।

उपरोक्त सभी 65 नगरों में आंशिक रूप से ही सीवर व्यवस्था उपलब्ध है तथा पूर्ण रूप से सीवर व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु कार्यवाही करायी जा रही है।

राज्य सेक्टर कार्यक्रम :-

दिसम्बर 2024 तक कुल 34 जलोत्सारण योजनाओं के सापेक्ष रु. 868.89 करोड़ की वित्तीय स्वीकृतियां शासन द्वारा निर्गत की गई हैं। जिनमें से 27 योजनाओं का सम्पूर्ण कार्य पूर्ण कर जनोपयोगी किया गया है तथा शेष 07 योजनाओं का कार्य प्रगति पर है। शासन से अवमुक्त रु. 788.89 करोड़ के सापेक्ष रु. 710.30 करोड़ व्यय किया गया है।

जल निकासी कार्यक्रम

राज्य सेक्टर कार्यक्रम :-

दिसम्बर 2024 तक कुल 25 जलनिकासी योजनाओं के विरुद्ध रु. 343.93 करोड़ की वित्तीय स्वीकृतियां शासन द्वारा निर्गत की गई हैं। जिसमें से 15 योजनाओं का कार्य पूर्ण कर जनोपयोगी किया गया हे तथा शेष 10 योजनाओं का कार्य प्रगति पर है। शासन से अवमुक्त रु. 271.07 करोड़ के सापेक्ष रु. 229.67 करोड़ व्यय किया गया है।

अमृत (अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन) :-

राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में शहरी परिवारों को बुनियादी सेवाएं (जलापूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन इत्यादि) उपलब्ध कराये जाने के उद्‌देश्य से शहरी विकास भारत सरकार द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित योजना के रूप में दिनांक 25.06.2015 को अमृत योजना प्रारम्भ की गयी है जिसमें एक लाख की जनसंख्या से अधिक के नगरीय निकाय चयनित किये गये हैं। प्रदेश के 60 नगरीय निकाय इस योजना में आच्छादित हैं, योजना की अवधि 2015-2020 (5 वर्ष) की है।

योजना के अन्तर्गत जलापूर्ति एवं सीवरेज तथा सेप्टेज प्रबंधन का योजना की अवधि में सार्वभौमिक आच्छादीकरण करना है।

अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल, जलोत्सारण, जल निकासी एवं ठोस कूड़ा प्रबंधन के प्राक्कलन विरचन व निर्माण के कार्य सम्पादित कराये जाने हेतु उ०प्र० जल निगम/सी० एण्ड

डी०एस० को नामित किया गया है।

अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत दिसंबर 2024 तक पेयजल की 169 योजनाएं, सीवरेज की 105 एवं सेप्टेज की 57 योजनाएं, कुल 331 योजनाएं स्वीकृत हैं, जिसमें से पेयजल की 163 योजनाएं पूर्ण कर जनोपयोगी की जा चुकी है तथा 06 योजनाएं निर्माणाधीन हैं।

सीवरेज की 86 योजनाएं पूर्ण कर जनोपयोगी की जा चुकी हैं, तथा 19 योजनाएं निर्माणाधीन हैं सेप्टेज की 54 योजनाएं पूर्ण कर जनोपयोगी की जा चुकी हैं। अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 331 योजनाओं में से 303 पूर्ण कर जनोपयोगी की जा चुकी हैं।

अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत दिसम्बर 2024 तक कुल रु. 10994.64 करोड़ (कार्य सेन्टेज) के विरुद्ध रु. 10932.97 करोड़ (कार्य सेन्टेज) व्यय किया जा चुका है, जिसके सापेक्ष पेयजल के 9.20 लाख नग गृह संयोजन तथा सीवरेज के 8.79 लाख नग गृह संयोजन पूर्ण किये जा चुके हैं।

झील प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम

रामगढ़ ताल (गोरखपुर नगर) की योजना भारत सरकार, पर्यावरण एवम् वन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत, स्वीकृत लागत रु. 124.32 करोड़ व पुनरीक्षित स्वीकृत लागत रु. 196.57 करोड़ है। योजना के अन्तर्गत 2 नग एस.टी.पी. क्षमता एवम् एम.एल.डी. का निर्माण पूर्ण है, सीवेज का शोधन हो रहा है। योजना की अद्यतन भौतिक प्रगति . प्रतिशत है। कुल अवमुक्त धनराशि रु. . करोड़ के सापेक्ष रु. . करोड़ व्यय हो चुका है। योजना के अन्तर्गत स्वीकृत न्यूट्रीयन्ट इन एक्टिवेशन, गार्डन एरिया, स्नैक ज्वाइंट, आब्जरवेशन टावर तथा पैडल बोट्स के कार्य को समाप्त तथा एरियेशन सिस्टम के सापेक्ष फ्लोटिंग फॉउन्टेन की स्थापना की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो गयी है तथा योजना के समस्त कार्य पूर्ण कराकर क्रियाशील करा दिया गया है।

लक्ष्मी ताल (झाँसी) की परियोजना की स्वीकृति भारत सरकार के पत्र दिनांक / . . द्वारा रु. . करोड़ प्रदान की गयी है जिसमें भारत सरकार का अंश रु. . करोड़ है। योजना में प्रस्तावित एम.एल.डी. सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट निर्माणाधीन हैं। कुल अवमुक्त धनराशि रु. . करोड़ के सापेक्ष योजना पर रु. . करोड़ व्यय हुआ है। योजना के समस्त कार्य पूर्ण करा लिये गये हैं तथा योजना ट्रायल रन पर संचालित की जा रही है।

- **संचालन एवं अनुरक्षण कार्य - (एस.टी.पी.)**

  एक शहर एक संचालक सिद्धान्त पर प्रदेश के नगरों में कुछ . एम.एल.डी. क्षमता के एस.टी.पी. व तत्सम्बन्धित कार्यों का संचालन एवं अनुरक्षण कार्य प्राइवेट ऐजन्सी के माध्यम से कराये जा रहे हैं तथा जल निगम द्वारा इनका पर्ववेक्षण किया जाता है। कार्य लागत पर प्रतिशत की दर से पर्यवेक्षण शुल्क जल निगम को प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त जल निगम द्वारा . एम.एल.डी. कुल क्षमता के एस.टी.पी. व तत्सम्बन्धित कार्यों का संचालन एवं अनुरक्षण कार्य जल निगम द्वारा कराये जा रहे हैं। संचालन एवं अनुरक्षण कार्यों पर वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जाती है।

अमृत 2.0

अमृत 2.0 ट्रेंच-1

राज्य स्तरीय तकनीकी स्वीकृति द्वारा स्वीकृत 98 परियोजनाओं के प्राक्कथन में से दिनांक 23.01.2025 तक 98 परियोजनाओं की ई-निविदा आमंत्रित की जा चुकी है, जिसमें से 98 परियोजनाओं की ई-निविदा सक्षम स्तर से स्वीकृत कर राज्य मिशन निदेशक के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की गयीं, जिसके सापेक्ष 93 परियोजनाओं की निविदा का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है और सम्बन्धित फर्मों/ठेकेदारों को एल.ओ.आई. निर्गत किया जा चुका है।

अमृत 2.0 ट्रेंच-2

1 24 7 पेयजल परियोजना, जलोत्सारण योजना, पेयजल परियोजना (कवरेज मद), री-यूज की योजना।

राज्य स्तरीय तकनीकी स्वीकृत समिति द्वारा स्वीकृत 202 परियोजनाओं के प्राक्कलन में से दिनांक 23 01 2025 तक 197 परियोजनाओं की ई-निविदा आमंत्रित की जा चुकी है, जिसके सापेक्ष 160 परियोजनाओं की निविदा का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है और सम्बन्धित फर्मों/ठेकेदारों को एल.ओ.आई. निर्गत कर बांड की कार्यवाही पूर्ण कराते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

अमृत 2.0 ट्रेंच-2

जनपद-गोरखपुर के गोड़दईया नाला एवं रामगढ़ ताल के जीर्णोद्धार तथा नाले के इण्टरसेप्शन, डायवर्जन एवं ट्रीटमेण्ट के निर्माण की परियोजना :-

परियोजना के क्रियान्वयन हेतु दिनांक 08.11.2022 को ई-निविदा आमंत्रित की गयी ई-निविदा की कार्यवाही पूर्ण कर निर्माण कार्य प्रगति पर है।

अमृत 2.0 ट्रेंच-3

स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय 2.0 (एस.बी.एम.-यू **2 0)**

स्वीकृत CSAP के अन्तर्गत 4 नगरीय निकायों के डी.पी.आर. में सम्मिलित इन्टरसेप्शन एवं डायवर्जन कार्य को दिनांक 09.11.2023 को राज्य स्तरीय तकनीकी समिति की बैठक में स्वीकृत किया जा चुका है, जिसकी अनुमानित लागत रु. 281.92 करोड़ है।

डिपाजिट कार्य

उ.प्र. जल निगम (नगरीय) प्रदेश की पेयजल एवं सीवरेज कार्यों की अग्रणी संस्था है जिसे इस क्षेत्र में पर्याप्त तकनीकी अनुभव एवं दक्षता प्राप्त है। जल निगम द्वारा अपने कार्य भार को बढ़ाने के उद्देश्य से नगरीय क्षेत्रों में नगर निगम, नगर पालिका एवं अन्य विभागों से कार्य प्राप्त कर अपने कार्य भार को बढ़ाये जाने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 2024-25 में उ.प्र. जल निगम द्वारा डिपाजिट कार्य के रूप में रु.158 परियोजनाएं स्वीकृत लागत

रु.144927.50 लाख के कार्य क्रियान्वित किये जा रहे हैं, जिसके सापेक्ष कुल धनराशि रु. 80186.85 लाख का व्यय करते हुए 98 परियोजनाओं का कार्य शतप्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। अवशेष 60 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है, जिसे मार्च 2025 तक पूर्ण किया जा जाना है।

कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ.प्र. जल निगम (नगरीय) का कार्य कलाप

सी. एण्ड डी.एस., उ.प्र. जल निगम का सृजन वर्ष 1989-90 में उ.प्र. जल निगम की विंग के रूप में प्रदेश के अन्दर एवं प्रदेश के बाहर भवन निर्माण एवं आधारभूत संरचना के कार्यों को प्राप्त कर जल निगम के कार्यभार में वृद्धि के उद्देश्य से किया गया था, सी. एण्ड डी.एस. उ.प्र. जल निगम की शासनादेश दिनांक 06.06.1991 द्वारा शासकीय निर्माण ऐजेन्सी के रूप में मान्यता प्रदान की गई। शासनादेश दिनांक 12.02.2013 द्वारा सी. एण्ड डी.एस., उ.प्र. जल निगम को प्रथम श्रेणी की कार्यदायी संस्था की श्रेणी में रखते हुए किसी भी सीमा के निर्माण कार्यों हेतु अधिकृत किया गया।

- उत्तर प्रदेश सरकार के अतिरिक्त भारत सरकार के विभागों यथा- जवाहर नवोदय विद्यालय समिति तथा प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों जैसे- मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, पांडिचेरी, जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तराखण्ड, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, बिहार, कर्नाटक, पंजाब एवं पूर्वोत्तर राज्यों आदि में भी सी. एण्ड डी.एस. को उसकी ख्याति के आधार पर कार्य प्राप्त हुए हैं, जिनका सफलतापूर्वक सम्पादन किया गया/जा रहा है। विभिन्न परियोजनाओं के लगभग रु. 500 करोड़ के कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न कराये जा चुके हैं तथा लगभग रु. 400 करोड़ के कार्य निर्माणाधीन हैं।
- सिविल निर्माण से अलग हटकर पिछले वित्तीय वर्षों में सी. एण्ड डी.एस. को नागरिक उड्डयन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेण्ट एवं विद्युत क्षेत्र में विद्युत उपकेन्द्रों की स्थापना के कार्य भी प्राप्त हुए जिनका सफल सम्पादन किया गया/जा रहा है। सी.एण्ड डी. एस. की कार्य कुशलता को देखते हुए वर्ष 2020-2021, 2021-22 में विभाग को प्रदेश के 36 नगरीय निकायों में जनित ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण एवं निस्तारण हेतु नवीन प्लान्ट के अधिष्ठापन कार्य हेतु लगभग रु. 300 करोड़ के कार्य प्राप्त हुए।

निर्माण एवं परिकल्प सेवाएं (वि./याँ. विंग) का उद्देश्य एवं कार्यकलाप

उत्तर प्रदेश जल निगम, उ.प्र. शासन के अधीन एक ऐसी संस्था है जो प्रदेश के निवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक निर्माण कार्यों में क्रियान्वयन के साथ नगरों की ड्रेनेज व जलोत्सारण योजनाओं का निर्माण कार्य कराती है। उत्तर प्रदेश जल निगम में कार्यभार की कमी को देखते हुए निदेशक मण्डल, उ.प्र. जल निगम की 118वीं बैठक के मद संख्या 118.21 में लिये गये निर्णय एवं प्रबंध निदेशक, उ.प्र. जल निगम, लखनऊ के कार्यकारी आदेश दिनांक 27.07.96 के द्वारा ''निर्माण एवं परिकल्प सेवाएं, वि./याँ. नलकूप विंग, उ.प्र. जल निगम'' नाम से एक विंग का सृजन किया गया। निदेशक मण्डल उ.प्र. जल निगम (नगरीय) की द्वितीय बैठक

में मद संख्या 02.15 द्वारा निर्माण एवं परिकल्प सेवांए (वि./यॉ.) नलकूप विंग, उ.प्र. जल निगम (नगरीय) का नाम परिवर्तित करके निर्माण एवं परिकल्प सेवांए (वि./यॉ. विंग), उ.प्र. जल निगम (नगरीय) किए जाने का निर्णय लिया गया। वि./यॉ. विंग के सृजन का उद्देश्य उत्तर प्रदेश एवं अन्य प्रदेशों में नलकूप निर्माण एवं तत्संबंधित कार्य तथा अन्य विद्युत/यांत्रिक कार्यों को डिपाजिट कार्य के रूप में प्राप्त कर उ.प्र. जल निगम के कार्यभार में वृद्धि करने हेतु किया गया।

राज्य मानव संसाधन विकास प्रकोष्ठ
उ.प्र. जल निगम (नगरीय), लखनऊ

राजीव गाँधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन, भारत सरकार के दिशा-निर्देश पर राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास कार्यक्रमों के आयोजन हेतु विभागीय आदेश दिनांक 13.05.96 के क्रम में शासनादेश दिनांक अप्रैल 26, 1999 द्वारा गठित मानव संसाधन विकास प्रकोष्ठ, ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण जागरूकता एवं सामुदायिक सहभागिता आदि के क्षेत्र में चल रहे समस्त मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के समन्वयक/नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने हेतु एक अधिकृत प्रकोष्ठ है, प्रकोष्ठ द्वारा वर्ष 1996 से वर्ष 2008 के मध्य राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के 68 जनपदों में 60,000 से अधिक प्रदेश के ग्रामीण उद्यमियों को न केवल हैण्डपम्प मैकेनिक, राजगीर, स्वास्थ्य एवं सामुदायिक सहभागिता प्रेरकों को प्रशिक्षित कर ग्रामीण पंचायतों की क्षमता का विकास किया गया, अपितु प्रदेश के 35,000 से अधिक ग्रामों में जन-जागरूकता/आई.ई.सी. कार्यक्रमों के साथ-साथ 275 विकास खण्डों में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य विषय पर कार्यशालाओं का आयोजन कराकर 16,000 ग्रामों में ग्राम स्तरीय जल एवं स्वच्छता समितियों (वी.डब्लू.एस.सी.) का गठन भी कराया गया।

●

आवास एवं शहरी नियोजन

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग का उद्देश्य :-

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग का मूल उद्देश्य नगरीय क्षेत्रों के सुनियोजित विकास के साथ-साथ आवासीय समस्या के समाधान हेतु प्रयास करना एवं इस दिशा में किये जा रहे विकास को गति प्रदान करना है। यह विभाग नगरों की आवासीय एवं अन्य समस्याओं के निदान हेतु जहां एक ओर नीतियाँ निर्धारित करता है, वहीं दूसरी तरफ विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से तीव्र गति से बढ़ रही नगरीय जनसंख्या को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने में भी योगदान प्रदान करता है।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद :-

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद का गठन वर्ष 1966 में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 के अधीन किया गया है। परिषद का गठन विभिन्न आवास एवं विकास योजनाओं को नियोजित ढंग से कार्यान्वित करने तथा राष्ट्रीय एवं राज्य आवास नीति के अनुसार आवास सम्बन्धी कार्यों में समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया है।

विकास प्राधिकरण :-

प्रदेश के विकासशील नगरों का महायोजना के अनुसार सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने हेतु "उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973" के अधीन विकास प्राधिकरणों का गठन किया गया है। प्रदेश में 29 विकास प्राधिकरण का गठन किया गया था किन्तु बुलन्दशहर व खुर्जा विकास प्राधिकरण को संयुक्त रूप देते हुए बुलन्दशहर-खुर्जा विकास प्राधिकरण किये जाने के फलस्चरूप वर्तमान में 29 विकास प्राधिकरण कार्यरत है।

विकास प्राधिकरणों के प्रमुख कार्य-कलाप :-

(1) विकास क्षेत्र के सुनियोजित विकास हेतु महायोजना/परिक्षेत्रीय योजना तैयार करना और उसके अनुसार विकास सुनिश्चित करना।

(2) आवासीय एवं अन्य योजनाओं के लिए भूमि और अन्य सम्पत्ति का अर्जन, धारण, प्रबन्धन एवं निस्तारण।

(3) अवस्थापना सुविधाओं यथा जल-आपूर्ति, विद्युत-आपूर्ति, जल एवं मल-निस्तारण तथा अन्य जन-सुविधाओं के प्राविधान हेतु निर्माण, अभियान्त्रिकी, खनन एवं अन्य क्रियायें कार्यान्वित करना।

(4) विकास व निर्माण कार्यों हेतु विकास/निर्माण अनुज्ञा जारी करना तथा विकास एवं निर्माण कार्यों का विनियमन।

विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण :-

प्रदेश के विशिष्ट महत्त्व के क्षेत्रों का सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने हेतु उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 के अधीन विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों का गठन किया गया है। वर्तमान में प्रदेश में 04 विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कार्यरत हैं।

विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के प्रमुख कार्य-कलाप :-

(1) विशेष विकास क्षेत्र के लिये योजना तैयार करना और उसके अनुसार सुनियोजित रीति से विकास को बढ़ावा देना एवं सुनिश्चित करना।

(2) विकास योजना को लागू करने के प्रयोजनार्थ, भूमि और अन्य सम्पत्ति को अर्जित करना, धारित करना, विकास करना, प्रबन्ध करना व निस्तारण करना।

(3) अवस्थापना सुविधाओं के सम्बन्ध में उपबन्ध करने हेतु कार्यों का निष्पादन करना।

(4) राज्य सरकार द्वारा अपेक्षा किये जाने पर विशेष क्षेत्र के प्रबन्धन के लिए उसी रीति से उपबन्ध करना जो नगर पालिकाओं द्वारा उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 के अधीन उपबन्धित हैं।

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग :-

वर्तमान में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के दो प्रमुख भाग हैं। पहला भाग मुख्य संगठन तथा दूसरा भाग सम्भागीय नियोजन योजना है। मुख्य संगठन का कार्य स्थानीय एवं निरन्तर प्रक्रिया के रूप में सम्पादित किया जाता है, जिसके द्वारा प्रदेश के नियोजित विकास के हित में प्राविधिक निदेशन के रूप में सहायता प्रदान की जाती है। मुख्य संगठन के अन्तर्गत मुख्यतः चार प्रभाग कार्यरत हैं (1) नगर नियोजन प्रभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न विकास प्राधिकरणों, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, स्थानीय निकायों, आदि से सम्बन्धित क्षेत्रों के भौतिक विकास को सुनियोजित व नियन्त्रित करने में परामर्श देना व सहायता प्रदान करना है (2) वास्तुकला प्रभाग द्वारा भवन डिजाइन व स्थल नियोजन सम्बन्धी योजनायें निर्धारित शुल्क लेकर तैयार करना है (3) प्राविधिक प्रभाग द्वारा आवास एवं नगर विकास के क्षेत्र की योजनाओं के प्राक्कलनों की जाँच, निर्माण योजनाओं का आवश्यकतानुसार निरीक्षण व प्रगति के अनुश्रवण का कार्य सम्पन्न किया जाता है (4) अनुश्रवण प्रभाग द्वारा राज्य सेक्टर की योजनाओं का अनुश्रवण, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की पंचवर्षीय/वार्षिक योजना, आदि के कार्य सम्पन्न किया जाता है।

महायोजना की प्रगति :-

प्रदेश में विभिन्न अधिनियमों के अधीन गठित विनियमित क्षेत्रों, विकास क्षेत्रों एवं विशेष विकास क्षेत्रों की महायोजनाएं नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा सम्बन्धित प्राधिकरणों/नियन्त्रक प्राधिकारियों के अनुरोध पर तैयार की जाती हैं। नगरों की महायोजनाएं तैयार किये जाने का कार्य

एक निरन्तर प्रक्रिया के अन्तर्गत सम्पादित किया जाता है। सम्बन्धित अभिकरण के अनुरोध पर महायोजना अवधि पूर्ण हो जाने पर उस नगर की पुनरीक्षित महायोजना तैयार की जाती है। प्रदेश में वर्ष 2021 के अनुसार कुल 934 जनगणना नगर हैं, जिसमें आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधीन विभिन्न नियोजन अधिनियमों यथा-उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत 28 विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत 72 विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत 04 विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिसूचित हैं, जिनमें कुल 203 नगर शामिल हैं। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. के नियंत्रणाधीन अभिकरणों के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्रों हेतु 89 महायोजनाएं वर्तमान में प्रभावी हैं (जिनमें अमृत योजनान्तर्गत चयनित नगर भी सम्मिलित है) जिसमें 161 नगर आच्छादित है। अमृत योजनान्तर्गत 59 नगरों में से शेष 28 नगरों की महायोजनायें अन्तिम चरणों में है। अमृत 2.0 योजना के अन्तर्गत 63 नगरों का चयन हुआ है जिनकी महायोजना संरचना का कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है साथ ही अमृत 2.0 योजना में 31 नगरों को सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया जा रहा है।

अटल मिशन फॉर रिजूवनेशन एवं अर्बन ट्रान्सफॉरमेशन के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के चयनित 59 नगरों में जी.आई.एस. बेस्ड मास्टर प्लान बनाया जाना :-

भारत सरकार द्वारा पुरोनिधानित योजना अमृत के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के चयनित नगरों की जी.आई.एस. तकनीक पर महायोजनाएं तैयार किये जाने हेतु नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश को नोडल विभाग नामित किया गया है। अमृत योजनान्तर्गत महायोजना तैयार करने के कम्पोनेंट में निम्न तीन घटक सम्मिलित हैं:-

(क) सैटेलाईट इमेज़ आधारित बेसमैप्स

(ख) जी.आई.एस. आधारित महायोजनाएं

(ग) जी.आई.एस., तकनीकी का प्रशिक्षण।

महायोजनायें तैयार करने हेतु सेटेलाइट इमेज आधारित बेसमैप्स तैयार करने का कार्य भारत सरकार द्वारा नेशनल रिमोट सेंसिंग, सेण्टर हैदराबाद को आवंटित किया जा चुका है। जी.आई.एस. आधारित महायोजनायें तैयार करने का कार्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग (नोडल विभाग) द्वारा किया जा रहा है।

महायोजनायें तैयार किये जाने सम्बन्धित स्टेट एक्शन प्लान (एस.ए.पी.) भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हो चुका है, जिसके क्रम में निविदायें आमंत्रिधनराशि केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत हो चुका है, जिसके क्रम में निविदायें आमंत्रित कर चयनित कन्सल्टेन्ट्स के साथ अनुबन्ध निष्पादित किया जा चुका है। चयनित कन्सल्टेन्ट्स द्वारा समस्त नगरों की प्रारूप महायोजनायें तैयार की जा चुकी हैं एवं प्रारूप महायोजनाओं का परीक्षण शासकीय समिति द्वारा किया जा चुका है। 31 महायोजनायें शासन द्वारा स्वीकृत की जा चुकी हैं। शेष 28 नगरों की प्रारूप महायोजनाओं का कार्य अन्तिम चरण में है।

अमृत 2.0 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के चयनित द्वितीय श्रेणी के 63 नगरों में जी.आई.एस. बेस्ड मास्टर प्लान बनाया जाना :-

भारत सरकार द्वारा पुरोनिधानित योजना अमृत 2.0 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के चयनित नगरों की जी.आई.एस. तकनीक पर महायोजनाएं तैयार किये जाने हेतु नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश को नोडल विभाग नामित किया गया है। अमृत योजनान्तर्गत महायोजना तैयार करने के कम्पोनेंट में निम्न तीन घटक सम्मिलित हैं:-

(क) ड्रोन इमेज़ आधारित बेसमैप्स

(ख) जी.आई.एस. आधारित महायोजनाएं

(ग) जी.आई.एस., तकनीकी का प्रशिक्षण।

महायोजनायें तैयार करने हेतु सेटेलाइट इमेज आधारित बेसमैप्स तैयार करने का कार्य भारत सरकार द्वारा भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारत सरकार को आवंटित किया जा चुका है। जी.आई.एस. आधारित महायोजनायें तैयार करने का कार्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग (नोडल विभाग) द्वारा किया जा रहा है।

उक्त कार्य पर आने वाला व्यय केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। भारत सरकार की सैद्धान्तिक सहमति के क्रम में चयनित 63 नगरों के अतिरिक्त अन्य नगरों की जी.आई. एस. आधारित महायोजना संरचना हेतु प्रस्ताव राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एस.एल.टी.सी.) द्वारा अनुमोदित किया गया है। अग्रिम कार्यवाही प्रगति पर है।

जोनल डेवलपमेन्ट प्लान्स की प्रगतिः-

महायोजना के क्रियान्वयन हेतु जोनल डेवलपमेन्ट प्लान्स/सेक्टर प्लान्स तैयार किया जाना आवश्यक है, जिस हेतु अधिनियमों के अधीन प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। जोनल प्लान्स, महायोजना की रूपरेखा के अन्तर्गत तैयार की जाने वाली एक विस्तृत कार्य योजना है, जिसमें जोन्स/सेक्टर स्तर पर भू-उपयोग, सड़कें, पार्क एवं खुले क्षेत्र, सामुदायिक सुविधाएं, सेवायें, सार्वजनिक उपयोगिताओं के प्रस्ताव शामिल होते हैं। शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में आगरा महायोजना- 2021 के अन्तर्गत दो जोन (जोन-2 एवं जोन-6), इलाहाबाद महायोजना-2021 के अन्तर्गत एक जोन (जोन-बी-4) तथा गाजियाबाद महायोजना-2021 के अन्तर्गत एक जोन (जोन-1) का जोनल प्लान शासन द्वारा स्वीकृत है। महायोजना में चिन्हित जोन्स के जोनल डेवलपमेंट प्लान, बनाये जाने हेतु शासनादेशों के माध्यम से अभिकरणों को निर्देश जारी किये गये है तथा अभिकरणों द्वारा प्राथमिकता वाले जोन्स के जोनल प्लान्ट आउटसोर्सिंग/कन्सल्टेंट के माध्यम से तैयार कराये जाने हेतु निविदा, आमंत्रण, कार्यदेश जारी किये गये हैं। जोनल प्लान तैयार किये जाने का कार्य अभिकरण स्तर पर किया जा रहा है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश प्रभाग :-

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की क्षेत्रीय योजना-2041 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा तैयार किया जा रहा है, जिसमें प्रक्षेपित जनसंख्या 11.3 करोड़ सम्भावित की गयी

है। इस क्षेत्र के भावी जनसंख्या के सुविधाओं के दृष्टिगत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की क्षेत्रीय योजना-2041 (प्रारूप) को तैयार किया गया है। इस सम्बन्ध में योजना के प्रारूप पर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित उपरान्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा अंतिम रूप दिया जाना है।

शासन के कार्यों में विभाग की सहभागिता :-

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा शासन के निर्देशों के क्रम में विभिन्न नीतियों के आलेख तैयार करने का कार्य, अधिनियमों/नियमों में संशोधन का कार्य, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तैयार करना एवं उसमें संशोधन का कार्य, जोनिंग रेगुलेशन्स में संशोधन का कार्य एवं विभिन्न शासनादेशों के आलेख तैयार करने का कार्य किया जाता है। विभाग द्वारा किये गये कतिपय कार्यों का विवरण निम्नवत है :-

- उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (नामान्तरण प्रभार निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली-2022
- उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (जल शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली-2022
- उत्तर प्रदेश ट्रांजिट ओरिएन्टेड डेवलपमेन्ट नीति, 2022
- विकास प्राधिकरण (हतान्तरणीय विकास अधिकारों की अनुज्ञा) उपविधि, 2022
- उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के अधीन लागू महायोजनाओं के जोनिंग के जोनिंग रेगुलेशन्स में "यातायात एवं परिवहन" भू-उपयोग में "सार्वजनिक-निजी सहभागिता (पी.पी.पी.)" के आधार पर विकसित किए जाने वाले बस स्टेशन के अन्तर्गत क्रियाओं की अनुमन्यता सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक 31.10.2013 में संशोधन।
- उत्तर प्रदेश न्यू टाउनशिप नीति, 2023
- भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित) में संशोधन।
- हस्तान्तरणीय विकास अधिकारों की अनुज्ञा (टी.डी.आर.) उपविधि, 2022 के प्राविधानों का क्रियान्वयन।
- उत्तर प्रदेश न्यू टाउनशिप नीति, 2023 के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक मानक प्रपत्र।
- भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.11.2016 द्वारा प्रख्यापित भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 में भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 07.08.2023 द्वारा किये गये संशोधन।
- उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास (संशोधन) अधिनियम, 2023।
- उत्तर प्रदेश न्यू टाउनशिप नीति, 2023 के अधीन टाउनशिप परियोजना में महायोजना-अन्तर्गत 'कृषि' उपयोग से 'आवासीय' में भू-उपयोग परिवर्तन के लिए शक्तियों का प्रतिनिधायन।

- मण्डल स्तर पर एकीकृत मण्डलीय कार्यालय के निर्माण हेतु निर्णय।
- उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 के अधीन विकास क्षेत्रों के सुनिश्चित एवं सुव्यवस्थित विकास के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।
- उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2024 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 2024)।
- 'उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण एवं अन्य क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों के लिए कार्यकारी समूह' (वर्किंग ग्रुप) का गठन।
- 'उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण' का गठन।
- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत भूमि का उपयोग कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए घोषित किये जाने से पूर्व विकास प्राधिकरण की अनुज्ञा अनिवार्यतः प्राप्त किया जाना।
- 'ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस' मानचित्र स्वीकृत प्रक्रिया का सरलीकरण एवं ऑन-लाईन किये जाने की कार्यवाही।

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अन्तर्गत वृक्षारोपण एवं पर्यावरण सुधार 2023-24 :-

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग नगरीय पर्यावरण के सुधार की दशा में सतत् प्रयत्नशील है। इस क्रम में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद एवं प्राधिकरणों ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-5 के शासनादेश दिनांक 24 मई, 2024 द्वारा वर्ष 2024-25 में 5.38 लाख निर्धारित लक्ष्य को शासनादेश दिनांक 11 जुलाई, 2024 द्वारा संशोधित कर वर्ष 2024-25 में 8.38 लाख निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष अभी तक 7.97 लाख पौधों का रोपण किया जा चुका है।

नगर भूमि सीमारोपण :-

नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम , उत्तर प्रदेश राज्य में फरवरी, में लागू किया गया था। अधिनियम का मूल उद्देश्य बड़े शहरों में अधिनियम के प्राविधानों के अधीन निर्धारित सीमा से अधिक रिक्त भूमि धारकों से अधिग्रहीत कर इसे आवासहीन निर्बल आय-वर्ग को आवास हेतु उपलब्ध कराना, बड़े शहरों में आवासीय समस्या का समाधान करना तथा शासकीय कार्य हेतु भूमि की आवश्यकता की पूर्ति कराना था। वर्ष में उत्तर प्रदेश में इस अधिनियम के अधीन नगर भूमि सीमा रोपण विभाग के कार्यालय प्रयागराज, आगरा, अलीगढ़, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर, मेरठ एवं देहरादून (वर्तमान में उत्तराखण्ड में) स्थापित किये गये।

आवास बन्धु :-

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, प्रदेश में सुनियोजित नगरीय विकास एवं जन सामान्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास प्राधिकरणों तथा आवास विकास परिषद के

माध्यम से आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रयासरत हैं। वर्तमान सरकार द्वारा मध्यम एवं कमजोर वर्ग के लोगों को आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु उपरोक्त संस्थाओं के साथ-साथ निजी क्षेत्र के बिल्डर्स एवं डेवलपर्स को भी अच्छी गुणवत्ता की आवासीय कालोनियों एवं आवासों के निर्माण हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। आवासीय सुविधाओं के साथ-साथ पार्कों, उपवन, वृक्षारोपण व वाटर कन्जर्वेशन आदि क्षेत्रों में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने कई उल्लेखनीय कार्यों को सम्पादित कराया है। विभाग के विभिन्न कार्यकलापों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः-

मुख्य कार्य-कलाप :-

- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)।
- मॉस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम
- कानपुर मेट्रो
- आगरा मेट्रो।
- रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आर.आर.टी.एस.) नमो भारत ट्रेन।
- वाराणसी रोप-वे परियोजना।
- अमृत योजना के अन्तर्गत 59 नगरों की जीआईएस बेस्ड महायोजना संरचना।
- ग्लोबल इन्वेर्स्ट समिट।
- मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नए शहर प्रोत्साहन योजना।
- 100 नई टाउनशिप का विकास।
- कन्वेंशन सेंटर्स का विकास।
- 13 नगरों का सिटी डेवलपमेंट प्लान।
- सरलीकृत ऑन लाईन भवन मानचित्र स्वीकृति प्रणाली फास्टपास लागू किया जाना।
- नगर नियोजन सम्बन्धी क्षमता का सुदृढ़ीकरण।
- उ.प्र. राज्य राजधानी क्षेत्र का गठन।
- उ.प्र. नगर एवं ग्राम नियोजन विधेयक 2024 तैयार किया जाना।
- उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति (लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध और उपयोग) अध्यादेश, 2024
- राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय बजट में नगरीय सुधारों हेतु प्रस्तावित विशेष सहायता के अन्तर्गत केन्द्र सरकार को प्रस्ताव प्रेषित।
- प्रदेश में भू-माफियाओं से रिक्त करायी गयी भूमि पर निर्धनों हेतु भवनों का निर्माण।
- लैण्ड पुलिंग के माध्यम से भूमि जुटाव करते हुए 'लैण्ड पुलिंग नीति-2024' का ड्राफ्ट तैयार।

विनियमित क्षेत्र :-

प्रदेश के द्रुत गति से बढ़ रहे ऐसे महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र जहाँ विकास प्राधिकरणों का गठन

अभी व्यवहारिक नहीं है, वे अव्यवस्थित विकास को नियंत्रित करने, महायोजना बनाने तथा महायोजना के अनुरूप सुनियोजित विकास सुनिश्चित किये जाने हेतु उ.प्र. (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 के अधीन विनियमित क्षेत्रों का गठन किया गया है। प्रदेश में कुल 72 विनियमित क्षेत्र कार्यरत हैं। विनियमित क्षेत्रों के मुख्य कार्य-कलाप निम्नानुसार हैं :-

(1) विनियमित क्षेत्र में अव्यवस्थित विकास और निम्न मापदण्ड वाली कालोनियों के निर्माण पर नियंत्रण।

(2) विनियमित क्षेत्र हेतु महायोजना तैयार करना एवं उसके अनुसार सुनियोजित विकास सुनिश्चित करना।

(3) विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत विकास एवं निर्माण कार्यों हेतु अनुज्ञा प्रदान करना।

उ.प्र. मेट्रो रेल कारपोरेशन :-

उ.प्र. मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत दिनांक 25.11.2023 से एक स्पेशल पर्पज व्हीकल के रूप में निर्मित किया गया, जो उत्तर प्रदेश में और उसके आस-पास एक रेल आधारित मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की स्थापना, प्रबंधन, संचालन और रख-रखाव हेतु कार्य करेगा ताकि जनता को एक तेज विश्वसनीय, सुविधाजनक, कुशल, आधुनिक और किफायती परिवहन सुविधा प्राप्त हो। कंपनी का स्वामित्व भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त रूप में है।

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण :-

भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2016 को भारत सरकार द्वारा दिनांक 25 मार्च, 2016 को लागू करने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा 27 अक्टूबर 2016 को तत्क्रम में उ.प्र. भू- सम्पदा (विनियमन एवं विकास) नियमावली 2016 लागू की गयी एवं अधिसूचना दिनांक 28.10.2016 के माध्यम से उ.प्र. भू-सम्पदा विनियमक प्राधिकरण (उ.प्र. रेरा) का गठन किया गया। अधिसूचना दिनांक 03 मई, 2017 उ.प्र. द्वारा अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन को अन्तरिम रूप से रेगुलेटरी अथोरिटी के रूप में यथा-अभिहित करने के आदेश जारी किये गए।

उ.प्र. रेरा में नियमित अध्यक्ष एवं सदस्यगणों की तैनाती सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक 04 अगस्त, 2018 के उपरान्त नियमित प्राधिकरण द्वारा कार्य प्रारम्भ कर दिया गया। शासन द्वारा दिनांक 24 जनवरी 2018 से राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण द्वारा उ.प्र. रेरा के आदेशों से सम्बन्धित अपील सुनने हेतु यथा-अभिहित किया गया एवं आदेश दिनांक 22 सितम्बर 2018 के माध्यम से नियमित रूप से रेरा के अपीलीय अधिकरण का गठन कर दिया गया।

होम वायर्स की सुविधा एवं प्रदेश में भू-सम्पदा क्षेत्र की कुल शिकायतों में से लगभग 75 प्रतिशत शिकायतें एन.सी.आर. क्षेत्र की परियोजनाओं से जुड़ी होने के कारण प्राधिकरण के सुझाव पर राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के रूप में ग्रेटर नोयडा, गौतमबुद्धनगर में उ.प्र. रेरा का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया गया है।

होम बायर्स/प्रमोटर की समस्याओं/शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के ई-कोर्ट प्रणाली फरवरी, 2020 में लागू की गयी। ई-कोर्ट सुनवाई में अधिवक्ताओं/शिकायतकर्ताओं द्वारा अभिलेखों को ई-कोर्ट सिस्टम पर अपलोड करने की व्यवस्था है।

इसके अतिरिक्त उ.प्र. रेरा द्वारा मई, 2020 से रेरा संवाद प्रारम्भ किया गया है। रेरा संवाद के अन्तर्गत कोई भी शिकायतकर्ता/प्रमोटर एवं जनमानस वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से अपनी शिकायत/पक्ष/सुझाव रेरा के प्राधिकारियों/अधिकारियों को दे सकता है। रेरा संवाद से रेरा के प्राधिकारियों एवं अधिकारियों से सीधे सम्पर्क कर समस्याओं का निस्तारण किया जा सकता है।

अन्य योजनाएं

वित्तीय वर्ष - में आयोजनागत परियोजनाओं हेतु पूंजी लेखा के अन्तर्गत रु. . लाख का परिव्यय प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष प्रमुख योजनाओं का विवरण निम्नवत है:-

- सिविल सर्विसेज इन्स्टीट्यूट के टॉवर्स का निर्माण।
- लखनऊ विकास क्षेत्र तथा उत्तर प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं के विकास सम्बन्धी कार्यों हेतु धनराशि की व्यवस्था (चालू कार्य)।
- गोमती नगर लखनऊ में जय प्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना।
- संस्कृति स्कूल, लखनऊ का निर्माण।
- अयोध्या व अन्य का सर्वांगीण विकास।
- कानपुर मेट्रो रेल परियोजना।
- वाराणसी, गोरखपुर एवं अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना।
- आगरा मेट्रो रेल परियोजना।
- दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरीडोर रीजनल रैपिड ट्रांन्जिट सिस्टम परियोजना।
- राज्य की राजधानी का विकास (लखनऊ में "राष्ट्र प्रेरणा स्थल" निर्माण कार्य)
- गोरखपुर नगर स्थित गोडघोइया नाला एवं रामगढ़ताल के जीर्णोद्धार तथा इण्टर सेक्शन डायवर्जन एवं ट्रीटमेंट संबंधी परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण।
- लखनऊ विकास क्षेत्र तथा उत्तर प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास तथा वाराणसी व अन्य शहरों में रोप-वे विकसित करना।
- प्रदेश के विकास प्राधिकरणों/उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद में कन्वेंशन सेंटर का निर्माण 24-बृहत निर्माण कार्य।
- जनपद अयोध्या में नगरनिगम, अयोध्या एवं विकास प्राधिकरण, अयोध्या के संयुक्त नवीन कार्यालय भवन का निर्माण।

ई-गवर्नेन्स

शासन की पूर्ण पारदर्शिता एवं जनसामान्य को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से अद्यतन प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर आई.टी. एवं ई-गवर्नेंस में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किये गये एवं किये जा रहे प्रयासों का विवरण निम्नवत् है:-

(1) **विभागीय टीम का गठनः-** आवास एवं शहरी नियोजन विभाग में अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु की अध्यक्षता में विभागीय मिशन टीम का गठन किया गया है।

(2) **नोडल अधिकारी की नियुक्तिः-** आवास एवं शहरी नियोजन विभाग में नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है।

(3) **यथास्थिति का सर्वेः-** आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा अप्रैल, 2022 में विभागीय वेबसाइट लॉन्च की गई थी, जिसमें जनसामान्य हेतु निम्न व्यवस्थाएँ उपलब्ध हैं:-

   (1) विभाग द्वारा जारी सिटीजन चार्टर जिसमें प्राधिकरणों तथा आवास एवं विकास परिषद द्वारा जनसामान्य हेतु सम्पादित किये जाने वाले समस्त कार्यों की समयावधि व उत्तरदायी अधिकारी के सम्बन्ध में सम्पूर्ण जानकारी प्रदान की गई है।

   (2) विभाग द्वारा जारी समस्त महत्त्वपूर्ण शासनादेश।

   (3) प्राधिकरणों में भवन मानचित्रों की स्वीकृति हेतु आवश्यक उपविधियाँ, नियम एवं मानचित्र स्वीकृति की निर्धारित प्रक्रिया।

   (4) नगरीय क्षेत्रों में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा सम्पादित किये जाने वाले समस्त कार्यों के अन्तर्गत आवश्यक समस्त एक्ट, नियम एवं अधिनियम।

   (5) भवन निर्माण/भवन क्रय इत्यादि में भूकम्परोधी व्यवस्थाओं/नियमों इत्यादित की जानकारी जनसामान्य को समझाने की दृष्टि से सरल भाषा में रेखाचित्रों सहित उपलब्ध है।

   (6) प्रत्येक विकास प्राधिकरणों वाले नगरों में कराये जा रहे अवस्थापना सुविधा विकास कार्यों की सूचना।

   (7) विभाग के अधीन समस्त विभागों द्वारा जारी किये जाने वाले टेण्डर्स/नोटिस को प्रकाशित किये जाने की सुविधा।

   (8) विभाग के अधीन समस्त विभागों के ई-मेल एवं वेबसाईट के पते।

   (9) सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 में किये गये प्राविधानों के अनुसार विभाग का वार्षिक बजट, सूचना अधिकारी का विवरण, विभाग के विभिन्न अनुभागों के मध्य कार्य बँटवारा तथा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग एवं इसके नियंत्रणाधीन अभिकरणों के अपीलीय अधिकारी का विवरण वेबसाईट पर उपलब्ध है।

(4) आवास एवं शहरी नियोजन विभाग एवं आवास बन्धु, उ.प्र. में लोकल एरिया नेटवर्क की स्थापना वर्ष 2001 में की जा चुकी है तथा यहाँ समस्त कार्य कम्प्यूटर के माध्यम से सम्पादित किये जा रहे हैं।

खाद्य एवं रसद, उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप

संक्षिप्त इतिहासः-

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता एवं उनको उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से "नागरिक आपूर्ति एवं राशनिंग विभाग" की स्थापना की गयी थी। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर वर्ष 1946 में उपरोक्त दोनो विभागों को संविलियन कर प्रथम बार "खाद्य एवं रसद विभाग" की स्थापना की गयी तथा आयुक्त, नागरिक आपूर्ति एवं आयुक्त, राशनिंग को "सचिव" खाद्य एवं रसद विभाग के अधीन कर दिया गया। वर्ष 1947 में पुनः पुनर्गठन करते हुए सचिव एवं आयुक्त के पद को एक कर दिया गया। शनैः-शनैः विभाग के विस्तार एवं कार्यवृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए "विभागाध्यक्ष" की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए, विभागाध्यक्ष के पूर्णकालिक आयुक्त, खाद्य एवं रसद के पद का सृजन 20 अप्रैल, 1967 को किया गया, लेकिन उक्त व्यवस्था अगस्त 1967 को पुनः समाप्त कर दी गयी और आयुक्त के पद को पुनः सचिव के पद के साथ मिलाकर एक कर दिया गया।

वर्ष 1973 में पृथक रूप से खाद्य आयुक्त कार्यालय की स्थापना की गई, परन्तु सचिव एवं आयुक्त का पद एक ही रहा। अप्रैल, 1981 में खाद्य आयुक्त के स्थान पर अल्प अवधि के लिए निदेशक की तैनाती भी की गयी, परन्तु यह व्यवस्था भी जुलाई 1981 तक सीमित रही, तब से लगातार खाद्यायुक्त कार्यालय कार्यरत है। वर्ष 1997 से पृथक रूप से खाद्य आयुक्त के पद पर पूर्णकालिक तैनाती की गयी तथा उक्त व्यवस्था वर्तमान में भी प्रभावी है, जिसके अन्तर्गत विभागाध्यक्ष के रूप में "खाद्य आयुक्त" तथा शासन स्तर पर "प्रमुख सचिव, खाद्य तथा रसद" कार्यरत हैं।

1. न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत गेहूँ की खरीद-

इस वर्ष भारत सरकार द्वारा गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य रु. 2275 प्रति कुं. निर्धारित किया गया। गेहूँ की खरीद हेतु प्रदेश में कुल 6488 क्रय केन्द्र स्थापित किये गये। वर्ष 2024-25 में गेहूँ खरीद योजना में कुल 180083 किसानों को रु. 2133.65 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है।

किसानों की सुविधा के लिए विभाग द्वारा टोल फ्री नं.18001800150 एवं खाद्यायुक्त कार्यालय- लखनऊ में स्थापित खाद्य नियंत्रण कक्ष में दूरभाष नम्बर-0522-2288906 स्थापित किया गया। किसानों की सुख-सुविधा हेतु क्रय केन्द्रों पर पानी पीने की, बैठने की, छाया की व्यवस्था

की गयी। योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने के लिए फ्लैक्सी बैनर, पर्चे व पोस्टर तथा इलेक्ट्रानिक व प्रिन्ट मीडिया का उपयोग किया गया।

2. न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत धान की खरीद-

धान को दो श्रेणियों- 1. कॉमन तथा 2. ग्रेड-ए में वर्गीकृत किया गया है, जिसका न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में भारत सरकार द्वारा श्रेणीवार निम्नवत निर्धारित किया गया है।

क्र.सं.	श्रेणी	धान का मूल्य (रु. प्रति कुं.)
1.	सामान्य	रु. 2300/-
2.	ग्रेड-ए	रु. 2320/-

प्रदेश में दिनांक 29.01.2025 तक कुल 4372 क्रय केन्द्र संचालित हो रहे हैं। वर्ष 2024-25 में धान खरीद योजना में दिनांक 29.01-2025 तक कुल 738407 किसानों को रु. 12003.71 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है।

3. न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत मक्का की खरीद-

भारत सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य रु. 2225 प्रति कु. निर्धारित किया गया है। शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत मक्का खरीद, हेतु 15 हजार मी. टन क्रय लक्ष्य निर्धारित किया गया। प्रदेश के अधिक मक्का उत्पादन वाले 19 जनपदों में खाद्य विभाग की विपणन शाखा द्वारा 73 मक्का क्रय केन्द्र स्थापित किये गए। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में मक्का का बाजार भाव एम.एस.पी. से अधिक होने के कारण खरीद शून्य है।

4. न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में प्रदेश में बाजरा खरीद का लक्ष्य व खरीद मात्रा-

प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 से मोटे अनाजों के अन्तर्गत पहली बार बाजरा की खरीद प्रारम्भ की गयी है। भारत सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 हेतु बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य रु. 2625 प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत प्रदेश में अधिक बाजरा उत्पादन वाले 33 जनपदों में किसानों से बाजरा क्रय हेतु लक्ष्य 2.20 लाख मी.टन निर्धारित किया गया है। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में बाजरा क्रय हेतु प्रदेश में 306 क्रय केन्द्र स्थापित किये गए।

प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत 19030 किसानों से 101311.07 मी. टन बाजरा खरीद की गयी, जिसके सापेक्ष किसानों के आधार लिंक बैंक खातें में पी.एफ.एम.एस. पोर्टल के माध्यम से रु.26,699.31 लाख का सीधे भुगतान किया जा चुका है।

5. न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में प्रदेश में ज्वार खरीद का लक्ष्य व खरीद मात्रा-

भारत सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 हेतु ज्वार का न्यूनतम समर्थन मूल्य रु. 3371 प्रति कुन्तल (हाइब्रिड) एवं रु. 3421 प्रति कुन्तल (मालदाण्डी) निर्धारित किया गया है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत प्रदेश में अधिक ज्वार उत्पादन वाले 11 जनपदों में किसानों से ज्वार क्रय हेतु लक्ष्य 45 हजार मी.टन निर्धारित किया गया। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में ज्वार क्रय हेतु प्रदेश में 79 क्रय केन्द्र स्थापित किये गए।

प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत 10731 किसानों से 47015.45 मी. टन ज्वार खरीद की गयी, जिसके सापेक्ष किसानों के आधार लिंक बैंक खातें में पी.एफ.एम.एस. पोर्टल के माध्यम से रु.15895.25 लाख का सीधे भुगतान किया जा चुका है।

आपूर्ति शाखा

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 सम्पूर्ण प्रदेश में दिनांक 01 मार्च, 2016 से लागू किया गया है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत ग्रामीण जनसंख्या का 79.56 प्रतिशत एवं नगरीय जनसंख्या का 64.43 प्रतिशत आच्छादित किया जाना लक्षित है। इस प्रकार प्रदेश की कुल आबादी 19.96 करोड़ (2011 की जनगणना के अनुसार) के सापेक्ष 15.20 करोड़ जनसंख्या को उक्त योजना के अन्तर्गत आच्छादित किया जाना है। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों की कुल आबादी में 12,28,91,046 (79.06 प्रतिशत) एवं नगरीय क्षेत्रों की आबादी में 2,74,43,261 (61.80 प्रतिशत) कुल 15.03 करोड़ जनसंख्या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम- 2013 के अन्तर्गत आच्छादित है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत लाभार्थियों की दो श्रेणियां है- अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी। अन्त्योदय श्रेणी के लाभार्थियों को 35 किग्रा. खाद्यान्न, जिसके अन्तर्गत गेहूँ, चावल और मोटे अनाज (चयनित जनपदों में उपलब्धतानुसार) प्रति परिवार प्रतिमाह उपलब्ध कराया जा रहा है तथा पात्र गृहस्थी के लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति/प्रति यूनिट 05 किग्रा. खाद्यान्न जिसके अन्तर्गत गेहूँ, चावल व मोटे अनाज (चयनित जनपदों में उपलब्धतानुसार) प्रतिमाह उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 (अप्रैल 2024 से दिसम्बर, 2024 तक) में कुल 69.13 लाख मी.टन निःशुल्क खाद्य वितरण कराया गया है। भारत सरकार द्वारा दिये गए निर्देश के क्रम में राज्य सरकार द्वारा 1 जनवरी 2024 से 05 वर्ष तक के लिए खाद्यान्न निःशुल्क वितरित कराया जा रहा है।

2. शिकायत निवारण तंत्र- सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत एवं पारदर्शी बनाये जाने हेतु प्रत्येक जिले में टोल-फ्री नम्बर, ऑनलाइन शिकायत प्रणाली तथा प्रत्येक पात्र व्यक्ति की हकदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य जिला शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति की गयी है, जिसके द्वारा 30 दिनों से अनधिक अवधि के भीतर हकदारी निर्धारित की जाती है।

3. सतर्कता समितियाँ- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत खाद्यान्न वितरण की प्रभावी ढंग से लागू किये जाने के उद्देश्य से जन प्रतिनिधि/अधिकारी की अध्यक्षता में सतर्कता समितियाँ गठित की गयी है।

सतर्कता समितियों द्वारा कलेन्डर वर्ष के प्रत्येक 0.3 माह में कम से कम एक बार बैठक की जाती है।

4. एफ.पी.एस. ऑटोमेशन- सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था को नया आयाम प्रदान करते हुए प्रदेश की समस्त उचित दर दुकानों में नवीन एवं उन्नत ई-पॉस मशीनें जो ई-वेईंग स्केल से लिंक रहती हैं, की स्थापना व संचालन का कार्य माह मार्च, 2024 में पूर्ण किया गया तथा अप्रैल, 2024 में यह प्रणाली सम्पूर्ण प्रदेश में क्रियाशील है। सम्पूर्ण प्रदेश में वितरण ई-बेईंग स्केल से लिंक्ड ई-पॉस मशीनों से किया जा रहा है।

माह दिसम्बर 2024, में उचित दर दुकानों पर ई-पॉस के माध्यम से कुल 3,34,99,357 राशन कार्ड धारकों द्वारा खाद्यान्न प्राप्त किया गया, जिसमें से 99.84 प्रतिशत (3,34,44,786) आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से किया गया है।

5. आधार सीडिंग कार्य की प्रगति- वर्तमान में प्रचलित राशनकार्डों की संख्या 3,57,10,923 है तथा उनसे सम्बद्ध यूनिटों की संख्या 15,03,34,307 है। वर्तमान में प्रदेश स्तर पर राशनकार्ड मुखिया के आधार फीडिंग की प्रगति 99.97 प्रतिशत है तथा परिवार के सभी सदस्यों के आधार फीडिंग की प्रगति 99.98 प्रतिशत है।

लाभार्थियों के राशनकार्ड डाटाबेस में उनके आधार फीडिंग के उपरान्त यू.आई.डी.ए.आई. के माध्यम से आधार वेलिडेशन/सीडिंग का कार्य पूर्ण किया जा रहा है। वर्तमान में मुखिया स्तर पर 99.84 प्रतिशत तथा समस्त स्तर पर 99.92 प्रतिशत आधार वेलिडेशन/सीडिंग का कार्य किया जा चुका है।

6. वन नेशन वन कार्ड योजना- भारत सरकार की 'वन नेशन वन राशनकार्ड' योजना को उत्तर प्रदेश द्वारा मई, 2020 से लागू किया गया है जिसके द्वारा कार्डधारक अन्य राज्यों में किसी भी उचित दर दुकान से अपना खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है तथा अन्य राज्यों के लाभार्थी उत्तर प्रदेश में किसी भी उचित दर दुकान से अपना खा़द्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। योजना के लागू होने (मई, 2020) से अब तक अन्य राज्यों के 71,917 राशन कार्डधारकों द्वारा उत्तर प्रदेश से तथा उत्तर प्रदेश के 67,93,925 कार्डधारकों द्वारा अन्य राज्यों से अपना खाद्यान्न प्राप्त किया गया है।

7. प्रधानमंत्री उज्जवला योजना- प्रधानमंत्री उज्जवला योजना ने समाज के कमजोर वर्ग के परिवारों, खासकर महिलाओं को बहुत राहत मिली है। प्रदेश में अब तक कुल 1.85 करोड़ उज्जवला के कनेक्शन उपलब्ध कराये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में योजनान्तर्गत आच्छादित लाभार्थियों को 02 सिलेण्डर रिफिल, निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। 01.10.2024 से 31.12.2024 तक 89.44 लाख उज्जवला लाभार्थियों को निःशुल्क रिफिल सिलेण्डर प्रदान किया गया है।

8. मॉडल उचित दर दुकानों का निर्माण- वित्तीय वर्ष-2024-25 के सापेक्ष प्रदेश में 1,578 मॉडल उचित दर दुकानों हेतु भूमि चिन्हित कर ली गयी है। जिनमें से 221 मॉडल उचित दर दुकानों पर निर्माण कार्य आरम्भ हो चुका है।

9. स्वयं सहायता समूह- प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 153 उचित दर की दुकानें स्वयं सहायता समूह के पक्ष में आवंटित की गयी हैं।

10. ई-के.वाई.सी.- राशनकार्ड लाभार्थियों द्वारा ई-के.वाई.सी. हेतु प्रदेश की किसी भी उचित दर दुकान पर भौतिक रूप से उपस्थित होकर ई-पॉस मशीनो के माध्यम से अपना बायोमेट्रिक ऑथेन्टिकेशन (फिंगर प्रिन्ट स्कैन/आइरिस स्कैन) कराया जा रहा है। सफल ऑथेन्टिकेशन होने पर ई-के.वाई.सी. डाटा विभागीय सर्वर पर संकलित हो जाएगा। दिनांक 30.01.2025 तक प्रदेश में 11,04,94,627 यूनिट/लाभार्थियों (74.16 प्रतिशत) का ई-के.वाई.सी. सम्पन्न हो चुका है। उत्तर प्रदेश के 8,07,940 लाभार्थियों द्वारा अन्य प्रदेशों में ई-के.वाई.सी. करायी गई है।

खाद्य एवं रसद विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन हेतु लेखा शाखा से सम्बन्धित क्रिया कलापों का संक्षिप्त विवरण वित्तीय वर्ष 2024-25 (माह दिसम्बर, 2024 तक)

कार्यकलापः

1. खाद्य तथा रसद विभाग की विपणन शाखा, आपूर्ति शाखा, खाद्य प्रकोष्ठ को वित्तीय प्रकरणों में परामर्श देना, वित्तीय नियंत्रण (बजट कन्ट्रोल) लेखा अभिलेखों का अनुरक्षण, अंकेक्षण एवं पर्यवेक्षण करना।
2. लेखा शाखा द्वारा कृषक/पंजीकृत समिति/मल्टी सेक्टोरल इत्यादि से विकेन्द्रीकृत गेहूँ/धान/मक्का/बाजरा एवं ज्वार खरीद योजना का पी.एफ.एम.एस. पोर्टल के माध्यम से आन-लाईन भुगतान तथा चीनी इत्यादि की बिक्री से प्राप्त धनराशि को जमा करना।
3. खाद्यान्न तथा चीनी हेतु भारत सरकार से प्रासंगिक व्यय के निर्धारण के प्रस्ताव तैयार करना एवं भारत सरकार से संक्षिप्त जन-वितरण प्रणाली हेतु खाद्यान्न के उठान के सापेक्ष सब्सिडी प्राप्त करना।
4. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत वितरित निःशुल्क खाद्यान्नों के हैण्डलिंग/परिवहन, मार्जिन मनी, ई-पास मशीन के माध्यम से किये जाने वाले वितरण के संबंध में भारत सरकार के एस.एन.ए. व्यवस्था के अन्तर्गत भुगतान किया जा रहा है।
5. प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों का वर्ष में 02 निःशुल्क सिलेण्डर के वितरण एवं स्मार्ट-पी.डी.एस. योजना हेतु वित्तीय व्यवस्था कराना।

खाद्य प्रकोष्ठ

खाद्य तथा रसद विभाग के अधीन खाद्य प्रकोष्ठ की स्थापना शासनादेश दिनांक 22.02.1974 द्वारा की गई थी। शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07.01.1975 के अनुसार अपर आयुक्त एवं पदेन पुलिस उपमहानिरीक्षक, खाद्य तथा रसद विभाग के निम्नालिखित कर्तव्य निर्धारित

किये गये हैः-

(अ) खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत सृजित पुलिस प्रकोष्ठ के कार्यों का सकार्य तथा इस प्रकोष्ठ के समस्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों का प्रशासनिक पर्यवेक्षण।

(ब) खाद्य तथा रसद विभाग सम्बन्धी विभिन्न नियंत्रण आदेशों के प्रवर्तन सम्बन्धी कार्यों, जिसमें जमा खोरी, तस्करी तथा मुनाफाखोरी के विरूद्ध कार्यवाही सम्मिलित है, का समन्वय तथा तस्करी रोकने के लिये पुलिस से सम्पर्क स्थापित करके छापे आयोजित करना।

(स) आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत चल रहे मुकदमों की देखरेख।

(द) अन्य कार्य जो आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग तथा पुलिस महानिदेशक द्वारा अभिदिष्ट किये जायें।

वर्तमान में खाद्य प्रकोष्ठ द्वारा शासन एवं आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ.प्र. द्वारा अभिदिष्ट खाद्य तथा रसद विभाग से सम्बन्धित शिकायतों की जाँच की कार्यवाही सम्पादित की जाती है।

वर्ष 2024-25 में खाद्य प्रकोष्ठ को अब तक शासन एवं आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ.प्र. द्वारा 27 प्रकरण जांच हेतु अभिदिष्ट किये गये हैं तथा पूर्व से 120 प्रकरण जांच हेतु लम्बित थे, जिनमें से वर्ष 2024-25 में अब तक कुल 36 प्रकरणों में जांच कार्यवाही पूर्ण कर जांच आख्या सम्बन्धित को प्रेषित की जा चुकी है।

उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम

उ.प्र. राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम की स्थापना कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत 22 अक्टूबर, 1974 को हुई थी। स्थापना के समय इस निगम को एक करोड़ की अधिकृत अंशपूँजी तथा 50 लाख रुपये की प्रदत्त अंशपूँजी स्वीकृति की गयी थी। वर्तमान में निगम की अधिकृत अंशपूँजी बढ़कर रुपया 5 करोड़ हो गयी है, जिसके विरुद्ध प्रदत्त अंशपूँजी भी रूपया 5 करोड़ हो गयी है तथा अंशपूँजी के विरुद्ध अग्रिम (आवेदन राशि) रुपया 733.86 लाख है।

शासनादेश दिनांक 16.10.2023 द्वारा निगम के पांच जनपद (रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, अलीगढ़ तथा हाथरस) का कार्य खाद्य तथा रसद विभाग की विपणन शाखा को सौंप दिया गया है। इस प्रकार निगम अब किसी जनपद में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य नहीं कर रहा है और न ही गेहूँ/धान खरीद योजना में एजेंसी के रूप में काम कर रहा है। वर्तमान में लखनऊ में कूकिंग गैस की एक एजेन्सी (स्टैफको गैस सर्विस लखनऊ) का संचालन किया जा रहा है।

●

राज्य भण्डारण निगम

निगम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उद्देश्य एवं कार्यकलापों का विवरण :-

राष्ट्रीय भण्डारण नीति के अन्तर्गत 'दि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस (डेवलपमेंट एण्ड वेयरहाउसिंग) कार्पोरेशन्स एक्ट " के तहत राज्य सरकार द्वारा वर्ष में स्थापित। यह एक्ट बाद में रिपील होकर "दि वेयरहाउसिंग कारपोरेशन्स एक्ट, " के रूप में प्रतिस्थापित हुआ। पुनः उ.प्र. राज्यपुनर्गठन अधिनियम की धारा- की उपधारा के अधीन राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या / - - - ( )- लखनऊ, मई, द्वारा अप्रैल, में स्थापित इस निगम के समानुपातिक अंशधारी राज्य सरकार तथा केन्द्रीय भण्डारण निगम हैं।

केन्द्रीय अधिनियम "दि वेयरहाउसिंग कारपोरेशन्स एक्ट, " में निगम की स्थापना के निम्न उद्देश्य/कार्यों का उल्लेख है:-

( ) प्रदेश में केन्द्रीय भंडारण निगम से परामर्श के बाद विभिन्न स्थानों पर गोदाम/भंडारगृहों का अधिग्रहण एवं निर्माण कराना,

( ) प्रदेश में कृषि-उपज, बीज, खाद, उर्वरक, कृषि यंत्रों तथा अधिसूचित वस्तुओं के भंडारण हेतु भंडारगृहों का संचालन करना,

( ) कृषि उपज, बीज, खाद, उर्वरक, कृषि यंत्रों तथा अधिसूचित वस्तुओं को भण्डारगृह पर लाने तथा वहां से ले जाने के लिए परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराना,

( ) कृषि उपज, बीज, खाद, उर्वरक, कृषि यंत्रों तथा अधिसूचित वस्तुओं के क्रय-विक्रय, भंडारण एवं वितरण हेतु, केन्द्रीय भण्डारण निगम अथवा सरकार के एजेन्ट के रुप में कार्य करना,

( ) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से केन्द्रीय भण्डारण निगम के साथ ज्वाइन्ट वैन्चर्स में शामिल होना,

( ) इसी प्रकार के अन्य ऐसे कार्य जो निर्धारित किये जायें।

समवाय ज्ञापिका/समवाय नियम :

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम एक सांविधिक निगम है। इसका कार्य संचालन केन्द्रीय सरकार द्वारा पारित "दि वेयरहाउसिंग कारपोरेशन्स एक्ट, " के प्रावधानों तथा उसके अन्तर्गत शासन द्वारा बनाये गये रूल्स के अनुसार निगम के दोनों अंशधारियों यथा- उत्तर प्रदेश सरकार तथा केन्द्रीय भण्डारण निगम द्वारा नामित संचालक मण्डल द्वारा पदेन प्रबन्ध निदेशक के माध्यम से किया जाता है। उक्त अधिनियम में निगम का पंजीकरण रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज के

यहाँ कराने की व्यवस्था नहीं है।

संगठनात्मक ढाँचों की रूपरेखा :-

निगम का कार्य संचालन "दि वेयरहाउसिंग कारपोरेशन्स एक्ट, " के प्राविधानों के अनुसार गठित संचालक मण्डल द्वारा किया जाता है, जिसमें निदेशक केन्द्रीय भण्डारण निगम, नई दिल्ली तथा निदेशक राज्य सरकार द्वारा नामित होते हैं। प्रबन्ध निदेशक संचालक मण्डल में पदेन सदस्य हैं। निगम का मुख्यालय अपने निजी कार्यालय भवन में लखनऊ में स्थित है। वर्तमान में निगम के क्षेत्रीय कार्यालय यथा- आगरा, अलीगढ, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज, झाँसी, वाराणसी, गोरखपुर एवं विन्ध्याचल में स्थित थे, जिनसे उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर कार्यरत भण्डारगृहों का नियंत्रण एवं संचालन किया जा रहा है।

क्वालिटी कॉसिल ऑफ इण्डिया (क्यू.सी.आई.) :-

भा.खा.नि. द्वारा भण्डारगृहों का मानकीकरण हेतु क्यू.सी.आई. द्वारा निरीक्षण कराया गया। जिसमें उ.प्र. राज्य भण्डारण निगम के वर्तमान उत्तम रेटिंग में भण्डारगृह, रेटिंग में भण्डारगृह, रेटिंग में भण्डारगृह, रेटिंग में भण्डारगृह एवं रेटिंग में भण्डारगृह हैं।

●

समाज कल्याण

समाज कल्याण विभाग का मूल उ ेश्य वर्तमान सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में निर्बल वगा के चतुर्दिक विकास की योजनायें बनाना एवं उनको उक्त वर्ग के हितार्थ क्रियान्वित करना है

ि भाग के मल उ ेश्य, काय क्रम ां उ ालि ाया -

वर्तमान में समाज कल्याण विभाग ारा अनुसूचित जातियों के कल्याण सेक्टर के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों विमु ़ जातियों के कल्याण हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाएँ चलाई जा रही ह, जिन्हें मुख्यतः शैक्षिक, आाथक, सामाजिक एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत वगाकत किया जा सकता है विभाग ारा संचालित योजनाओं का मुख्य उ ेश्य यह है कि सदियों से पि ड़े व उपेक्षित, असहाय एवं दुर्बल लोगों का जीवन स्तर इस योग्य बनाया जा सके कि वे भी समाज के अन्य विकसित एवं उन्नत लोगों की बराबरी के स्तर पर आ सकें तथा खुशहाली का जीवन व्यतीत करने के लिए उन सभी आवश्यक आवश्यकताओं की पूात उन्हें की जा सके, जिसके लिए वे स्वतन्त्र भारत के नागरिक होने के नाते प्राप्त करने के अधिकारी ह

विभाग ारा संचालित योजनाओं में ात्रवा योजना, बुक-बैंक योजना, वि ालयों को अनुदान, राजकीय आश्रम पद्धति वि ालयों एवं ात्रावासों की स्थापना तथा उत्पीड़न की ाटनाओं में आर्थिक सहायता, पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान दिया जाना मुख्य है अनुसूचित जाति सब-प्लान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति वि ा एवं विकास निगम ारा स्वतः रोज़गार योजना, निःशुल्क भूमि दुकान निर्माण अनुसूचित जाति बाहुल्य ामों में आधारभूत सुविधाओं के विकास की योजनाएं संचालित की जा रही ह इसके अतिरिक्त विभाग ारा निःशुल्क बोरिंग योजना भी संचालित की जा रही ह उ ार प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम ारा विभागीय निर्माण काया का सम्पादन किया जाता है

ई गवर्नेन्स की प्रगति -

समाज कल्याण विभाग में ई- गवर्नेन्स की कार्य प्रणाली के अन्तर्गत कार्य किये जा रहे हैं। इस क्रम में छात्रवृत्ति तथा पेंशन की धनराशि कम्प्यूटर के माध्यम से जनपदों तथा लाभार्थियों के खाते में स्थानान्तरित की जाती है। विभाग की योजनाओं के सफल संचालन एवं अनुश्रवण समीक्षा हेतु सूचना विज्ञान की प्रचलित आधुनिकतम तकनीकी का अधिकतम उपयोग विभाग में शत-प्रतिशत ई- गवर्नेन्स स्थापित करके किया जा रहा है।

पारदर्शिता -

विभाग द्वारा संचालित योजना में पारदर्शिता बनाये रखने व छात्रवृत्ति वितरण हेतु परिवर्तित

विकेन्द्रीकृत की प्रक्रिया लागू की गयी है। पूर्वदशम (कक्षा 9 व 10) तथा दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति उनके बैंक आधार सीडेड खाते में कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से सीधे स्थानान्तरित की जा रही है।

शैक्षिक काय क्रम -

प्रदेश सरकार ारा राज्य के अनुसूचित जाति के ात्रों को शिक्षा के प्रति अभिप्रेरित करने एवं उन्हें समाज में प्रति ापरक स्थान दिलाने के उ ेश्य से इन वगा के बालक बालिकाओं को प्रत्येक स्तर पर ात्रवा ि दिये जाने की योजना संचालित की जा रही है योजना के प्रारम्भ में ात्रवा ि स्वीकति एवं वितरण का कार्य जनपद स्तर पर किया जाता था किन्तु अक्टूबर में इस प्रक्रिया को विकेन्द्रीकत करते हुए वि ालय को स्वीकति एवं ात्रवा ि वितरण हेतु अधिकार प्रदान किया गया था वर्तमान में कक्षा से कक्षा तक योजना संचालित नहीं है

1- ा ादशम कक्षा 9 ा 10 के ात्र ात्राओं को ात्र ात्ति योजना -

अनुसूचित जाति पूर्वदशम (कक्षा -) ात्रवा ि योजना केन्द्र पुरोनिधानित योजना है जिसके अन्तगत शत प्रतिशत वि ीय व्यवस्था केन्द्र सरकार के माध्यम से व ा - से सुनिश्चित की जा रही है व ा - से वित्तीय प ति प्रति ात केन्द्रां ा व प्रति ात राज्यां ा किया गया है। व ा - में प्र अनुस ि त जाति व अन्य हेतु पवद ाम ा वृत्ति योजना प्र ाम सं ाे ान नियमावली दिनांक को जारी की गयी है। नियमावली के अन्तगत अ व पे ा में लगे य ि तयों के ब ों को ा वृत्ति प्रदान किये जाने हेतु क पोनेन्ट में समाहित किया गया है। क पोनेन्ट के अन्तगत अनुस ि त जाति के ा ा ाओं जिनके माता पिता अ ि ाावक की वा िक आय लाख तक है, उन्हें ात्रवा ि दिये जाने की व्यवस्था है क पोनेन्ट के अन्तगत आने वाले ा ा ाओं जिनके माता पिता अ ि ाावक की वा िक आय हेतु को सीमा नि ाारित नहीं है।

2- अनुस ि ा ा जा ि दशमोत्तर ात्र ात्ति योजना -

दशमो ार कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के ात्र ात्राओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है व ा - से दशमो ार कक्षाओं में पढ़ने वाले जिन ात्र ात्राओं के अभिभावकों की वा िक आय सीमा रु. . लाख तक है, उन्हें उ ार प्रदेश शासन, समाज कल्याण अनुभाग- से दिनांक . . को जारी नियमावली व दिनांक . . को जारी सं ाे ाित नियमावली के अनुसार ात्रवा ि दिये जाने की व्यवस्था की गई है

3- प्राविधिक शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें -

अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के नवयुवकों को तकनीकी ज्ञान कराने हेतु विभाग द्वारा निम्न औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र एवं एक पॉलीटेक्निक संचालित है।

. गोविन्द वल्लभ पन्त पॉलीटेक्निक, मोहन रोड, लखनऊ, . औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, बक्शी का तालाब, लखनऊ, . औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, लाल डिग्गी पार्क, गोरखपुर।

4- विभाग द्वारा सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति के वर्तमान पुस्तकालयों, छात्रावासों और पाठशालाओं का सुधार एवं विस्तार -

ऐसे संगठन जो अनुसूचित जाति के बच्चों की शिक्षा में गहरी रूचि लेते हैं और प्राइमरी पाठशालाओं को संचालित कर शिक्षा देते हैं, उन्हें शासन की वित्तीय स्थिति तथा नीतियों के

अनुसार आवर्तक अनुदान दिया जाता है, ऐसी संस्थायें जो अनुसूचित जाति में शिक्षा के प्रसार हेतु वाचनालयों/पुस्तकालयों एवं छात्रावासों की भी सुविधायें देते हैं, उन्हें ही अनुदान दिया जाता है।

5- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को राज्य सेवाओं की परीक्षा में प्रशिक्षण योजना:-

ग्रामीण तथा मध्यम वर्गीय कम आय वाले अनुसूचित जाति, जनजाति के परिवारों के बच्चे प्रतिभावान, मेधावी, लगनशील तथा परिश्रमी होते हुए भी उचित प्रशिक्षण, मार्गदर्शन एवं पाठ्यक्रम से सम्बन्धित उचित पुस्तकों की जानकारी के अभाव में आई.ए.एस., पी.सी.एस. परीक्षाओं की गुणवत्ता पूर्ण तैयारी नहीं कर पाते हैं। आ . स पी सी स से स बन्ि त आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के अत्यन्त कोि के तर त ा अ तन परिवतित परिवि ति होने वाले पाठयक्रमों के अनु प वि ाय वि ो ा ों के मागद ान में प्रति प ाात्मक तैयारी के निमित्त कोि ग केन्द्र के मा यम से त वग के अ यि ायों को तरीय प्र ाक्षण प्रदान किया जाता है ताकि स वग के अ य ाी पण आत्मवि वास वं तैयारी के सा ा न परीक्षाओं में ााग ले सकें वं न सेवाओं में स वग का ि त प्रतिनिि ात्व समाहित हो सके। योजना अन्तर्गत प्रशिक्षण केन्द्रों में अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाता है। प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है।

- ि ामुक ा जाि ायों के लि औ ाोगिक प्रशिक्षण केन्‍ :-

विमुक्त जातियों के लिए औ ाोगिक प्रशिक्षण केन्द्र अप्रैल, से लालगंज, प्रतापगढ़ में चलाया जा रहा है इस केन्द्र में विमुक्त जातियों को तीन व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाता है:-

. हैण्डलूम से सूती वस्त्रों की बुनाई, . सिलाई का प्रशिक्षण, . हिन्दी टंकण का प्रशिक्षण

- प्रदेश के अनुसि ा ा जाि ायों के कल्याण े ा ु ि ाभाग ारा राजकीय औ ाोगिक आस्थानों का सं ाालन:-

प्रदेश में अनुसूचित जाति के व्यि ाियों को शहरी क्षेत्रों में उ ाोग स्थापित करने हेतु विभाग ारा जनपदों . रामपुर, . गाजीपुर, . फतेहपुर, . हरदोई, . रानोपाली (अयोध्या), . कालपी (जालौन), . मुजफ्फरनगर, . रामनगर (वाराणसी) एवं . बदायूं में औ ाोगिक आस्थान संचालित ह

8- राजकीय उन्नयन ारि ायों का रख-रखा ा:-

व ा में ब्रिटिश काल में ाोि ात अधिनियम के अंतर्गत अपराधीन जातियों को बसाने के उ े श्य से उन्नयन बस्तियों की स्थापना की गयी स्वतन्त्रता के बाद उन्हें अन्य नागरिकों की भांति स्वतन्त्र कर दिया गया इनको भूमि तथा कारखाने में कार्य दिलाकर बसाया गया है ताकि वे अपनी प्रवि ा को बदल कर कार्य करें एवं रोज़ी-रोटी में लग कर आदर्श नागरिक के प में जीवन-यापन कर सकें

कल्याणपुर (कानपुर), फजलपुर (मुरादाबाद) तथा साहबगंज (लखीमपुर खीरी) में उपनिवेश बनाकर इस जाति के लोगों को रोज़गार एवं खेतीबाड़ी में लगाकर पुनर्वासित किया गया है

9- अनुसि ा ा जाि अ या ार नि ारण अि नियम 1989 का ि ़ियान ायन:-

उ ार प्रदेश में व ि की जनगणना के अनुसार संख्या , , , है इन जातियों के प्रति सामान्य अस्पश्यता ुआ ूत की भावना को समाप्त करने के उ ेश्य से नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम तथा अनूसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का क्रियान्वयन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है इस अधिनियम के अंतर्गत उत्पीड़ित अनुसूचित जाति के यि तयों को सहायता प्रदान की जाती है। विभिन्न प्रकार की उत्पीड़न की घटनाओं में न्यूनतम रु. 85,000/- से अधिकतम रु. 8.25 लाख की आर्थिक सहायता विभिन्न चरणों में दिये जाने का प्राविधान किया गया है।

10- जय प्रकाश नारायण स ादय ि ालयों का सं ालन:-

प्रदेश में अनुसूचित जाति, विमु ़ जाति, पि ड़ी जाति एवं सामान्य वर्ग के बालक बालिकाओं के शैक्षिक उत्थान के लिए समाज कल्याण विभाग ारा जय प्रकाश नारायण सवादय वि ालयों की स्थापना की गयी है

वर्तमान में समाज कल्याण विभाग ारा वि ालय बालकों हेतु तथा वि ालय बालिकाओं हेतु कुल जय प्रकाश नारायण सवादय वि ालय संचालित ह

11- अनुसूचित जाति छात्र/छात्राओं हेतु छात्रावासों का संचालन:-

अपने ार से दर रहकर अ ययन करने वाले अनुसि त जाति के ा ा ाओं के आवासीय सम या के निदान हेतु समाज क याण वि ाग ारा ा ावासों का निमाण कराया जाता है। न ा ावासों को नि ु क आवासीय यव ा नी र वि ुत की सुवि ा पल ा करायी जाती है। समाज क याण वि ाग ारा कुल ा ावास निमित कराये गये हैं। ा ावास सं ालित हो रहे हैं अव ेा ा ावासों को सं ालित करने की कायवाही की जा रही है।

12- संत रविदास मिशन योजना के अन्तर्गत राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का निर्माण:-

त्तर प्रदे ा में निवास कर रहे अनुसि त जाति वं अनुसि त जनजातियों अन्य पि ड़ा वग त ा सामान्य वग के ग़रीबी रे ा के नी े जीवन यापन करने वाले ा ा ाओं को नि ु क आवासीय ि क्षा प्रदान किये जाने हेतु सरकार ारा असेवित जनपदों बागपत ामली मुज रनगर गौतमबु नगर ाहजहापुर कन्नौज व म में संत रविदास मि ान के अन्तगत राजकीय आ म प ति वि ालय ोले जा रहे हैं।

13- सामुदायिक विकास केन्द्र का निर्माण/एकीकृत विकास योजना:-

अति पि ड़े अनुसि त जाति बाहु य ग्रामों में कीकृत विकास योजनान्तगत त्सव ाम की तज़ पर सामाजिक काय मांगलिक काय वं रोज़गार प्रि क्षण त ा प्राकृतिक आपदाओं के समय ग्रामवासियों के पयोगा ा सामुदायिक विकास केन्द्रों का निमाण कराया जाना प्र तावित है।

14- अनुसूचित जाति के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक योजना:-

अनुसि त जाति के नि ान यि तयों की पुि यों की ादी हेतु आि क योजना के अन्तगत ाल वित्तीय व ा में अनुपरक अनुदानों की मांग के क्रम में ानराि ला ा की

यव ा की गयी है।

15- अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजनाः-

जाति वि ोद न्मलन त ा सामाजिक सौहाद को बढ़ावा देने के लि गैर अनुसि त हिन्द जातियों के युवक युवती से अनुसि त जाति के युवक युवती के ारा अन्तजातीय विवाह योजनान्तगत युगल के सु ाद दा पत्य जीवन को सुनि त करने के प्रयोजन से पति पत्नी के दा पत्य जीवन के निवहन के प्रयोजना ा संयु त बैंक ाते के मा यम से ानरा ि ला ा अन्तजातीय विवाह प्रोत्साहन योजनान्तगत देय होगी।

छत्रपति शाहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, भागीदारी भवन, गोमतीनगर, लखनऊ

सं ान में वतमान समय में अनुसि त जाति के प्रति ात अनुसि त जनजाति के प्रति ात वं अन्य पि ड़ा वग के प्रति ात अ यि ायों को परीक्षा पव को िग हेतु यन कर प्रवे ा दिये जाने की यव ा है। सं ान में कुल अ यि ायों के प्रवे ा हेतु वीकृत क्षमता है।

सं ान में को िग काय दिनांक से प्रार ा किया गया। सं ान में अब तक वें बै तक कुल अ य ाी जिनमें प्रारि ाक परीक्षाओं के पव त ा प्र ान परीक्षाओं के पव अ य ाी को िग ले ुके हैं जिनमें से कुल प्रारि ाक परीक्षा मु य परीक्षा अ य ाी वि ान्न सेवाओं की परीक्षाओं में त्तीण हु हैं त ा अ य ाी अन्तिम प से वि ान्न सेवाओं हेतु यनित हो ुके हैं।

समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति सब प्लान के अन्तर्गत उ.प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि. द्वारा संचालित योजनायें :-

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि. की स्थापना कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत मार्च, 1975 में हुयी।

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय (पी.एम.अजय योजना):-

भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जातियों के सामाजिक परिवेश के आधारभूत एवं अवसंरचनात्मक, शैक्षणिक, आर्थिक एवं कौशल विकास हेतु पूर्व में एस.सी.ए. टू.एस.सी.एस.पी. के माध्यम से पूर्व संचालित व्यक्तिगतपरक/लाभार्थीपरक समस्त योजनायें यथा-प. दीनदयाल उपाध्याय स्वरोज़गार योजना, नगरीय क्षेत्र दुकान योजना, लाण्ड्री एवं ड्राईक्लीनिंग योजना, टेलरिंग शॉप योजना, बैंकिंग सुविधा प्रदाता योजना, आटा मसाला चक्की योजना को समाहित करते हुये नवघोषित योजना प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय (पी.एम.अजय) नई योजना शुरू की गयी है। इस योजना के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश दिनांक 06 जून, 2022 को भारत सरकार द्वारा जारी किये गये हैं।

(1) प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना:-

इसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य गाँवों का आदर्श ग्राम के रूप में विकास करना लक्षित

किया गया है। भारत सरकार के प्रत्येक चयनित गाँव के लिये रु. 21.00 लाख प्रति गाँव की दर से धनराशि प्रदान करेगी, जिसमें से रु. 20.00 लाख की धनराशि चयनित गाँव में अन्तर पाटन के अन्तर्गत कार्यकलापों के लिये निर्धारित की जायेगी, शेष रु. 1.00 लाख की धनराशि प्रति गाँव प्रशासनिक एवं अन्य खर्चों तकनीकी स्रोत सहायता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, जागरूकता सृजन प्रचार आदि के लिये केन्द्र, राज्य, जिला एवं गाँव स्तर पर अनुपात के अनुसार खर्च की जायेगी, जबकि अन्य योजनाओं को विभिन्न सम्बन्धित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर अभिरण के द्वारा संतृप्त किया जायेगा। योजना के तहत अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के निवासियों के गरिमामय जीवन यापन के लिये आवश्यक सभी बुनियादी सुविधाओं से युक्त आदर्श ग्राम की स्थापना की जायेगी।

(2) ग्राण्ट इन एड (सहायता अनुदान):-

इस महत्वाकांक्षी योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिये उद्यमिता विकास के माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं की स्थापना की जायेगी, जिसमें अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का क्लस्टर/समूहों का चयन किया जायेगा एवं कलस्टर/समूह द्वारा प्रस्तुत परियोजना के सफल संचालन के लिये उन्हें प्रशिक्षण भी प्रदान किया जायेगा। बैकवर्ड/फारवर्ड लिकेज की व्यवस्था सहित उनके उत्पादों को बाज़ार प्रदान करने की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को क्लस्टर (समूह) के रूप में परियोजनाओं को स्थापित कराकर आय का सृजन करने के लिये प्रति व्यक्ति रु.50,000/- अथवा प्रोजेक्ट धनराशि का 50 प्रतिशत जो भी कम हो, सहायता अनुदान के रूप में प्रदान की जायेगी।

इस निगम की स्थापना कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत 25 जून, 1976 को हुयी थी। कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय वर्तमान में टी.सी. 46-V विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ में है।

समाज कल्याण विभाग के कार्य:-

1. **छात्र/छात्रा छात्रावास (केन्द्र वित्त पोषित):-**

   यू.पी. स्टेट कन्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि. के पास वर्ष 2024-25 में अनुसूचित जाति के केन्द्र वित्त पोषित छात्र/छात्रा छात्रावासों के 10 कार्य हैं, जिसमें 06 नग नवीन कार्य हैं, जो कि माह जनवरी, 2025 में स्वीकृत किये गये तथा तीन छात्रावासों को उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष पूर्ण कराया जा चुका है तथा कतिपय कार्य अवशेष है। राजकीय छात्रावास लाल डिग्गी, गोरखपुर का कार्य प्रगति पर है।

2. **490 क्षमता बालिका आश्रम पद्धति विद्यालय:-**

   वर्ष 2024-25 में निगम के पास 14 बालिका आश्रम पद्धति विद्यालयों (490 क्षमता) का कार्य है। 13 आश्रम पद्धति विद्यालय निर्माणाधीन हैं तथा 01 नग नवीन कार्य है, जिसकी टेण्डर प्रक्रिया से सम्बन्धित कार्यवाही की जा रही है।

3. **480 क्षमता आश्रम पद्धति विद्यालय (बालक):-**

   वर्ष 2024-25 में निगम के पास 3 मण्डलीय/जनपदीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के कार्य

हैं। उक्त में से 02 कार्य पूर्ण हैं, एवं 01 कार्य निर्माणाधीन है।

4. **480 क्षमता आश्रम पद्धति विद्यालयः-**

वर्ष 2024-25 में 480 क्षमता बालिका आश्रम पद्धति विद्यालय के 06 नग कार्य निगम को स्वीकृत हैं। उक्त में से 02 आश्रम पद्धति विद्यालय का कार्य पूर्ण है तथा अवशेष 04 नग कार्य निर्माणाधीन हैं।

5. **आश्रम पद्धति विद्यालय (मरम्मत कार्य):-**

वर्ष 2024-25 में निगम के पास आश्रम पद्धति विद्यालयों के मरम्मत/सुदृढ़ीकरण के 62 कार्य हैं। माह जनवरी 2025 तक कार्य निर्माणाधीन हैं एवं नग नवीन कार्य तथा 06 नग कार्य हस्तान्तरित हैं।

6. **आश्रम पद्धति विद्यालयों में आवासीय भवनों का निर्माणः-**

वर्ष 2024-25 में निगम के पास 36 आश्रम पद्धति विद्यालयों आवासीय भवनों (ट्रांजिट हास्टल) का निर्माण कराया जा रहा है। माह जनवरी 2025 तक नग हस्तान्तरित हैं एवं नग निर्माणाधीन हैं।

7. **छात्रावास अनुरक्षणः-**

वर्ष 2024-25 में निगम के पास 119 छात्रावासों के अनुरक्षण का कार्य है। माह जनवरी 2025 तक छात्रावासों में मरम्मत कार्य प्रगति पर है एवं नग नवीन कार्य हैं जिसकी निविदा सम्बन्धित कार्यवाही की जा रही है तथा 01 नग कार्य पूर्ण है।

8. **समाज कल्याण विभाग के विविध कार्यः-**

वर्ष 2024-25 में निगम को आई.ए.एस./पी.सी.एस. कोचिंग सेन्टर एवं आ.प.वि. में फर्निशिंग कार्य तथा लैब किट उच्चीकरण कार्य हेतु नग कार्य कराये जा रहे हैं।

9. **जनजाति विकासः-**

निगम के पास जनजाति विकास के वर्ष 2024-25 में 05 आश्रम पद्धति विद्यालय, 04 छात्रावास एवं 01 नग एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय एवं नग एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय में विभिन्न निर्माण कार्य तथा 54 विभिन्न भवनों को निर्माण/अनुरक्षण एवं पी.एम. जन मन तथा संविधान की धारा 275(1) के अन्तर्गत निर्माण कार्य स्वीकृत है।

समाज कल्याण सेक्टर (द्वितीय भाग) (सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण)

समाज कल्याण सेक्टर पहले पृथक निदेशालय के रूप में था, परन्तु वर्ष 1961 में इसे हरिजन कल्याण विभाग के साथ संयुक्त करके एक ही निदेशक के अधीन कर दिया गया। जनवरी 1978 से इन दोनों विभागों की सभी स्तरों पर विलीनीकरण कर 'हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग' से बदलकर समाज कल्याण विभाग कर दिया गया। वर्ष 1987-88 में इस विभाग से बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार कार्यक्रम को पृथक कर बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय स्थापित किया गया। तदन्तर वर्ष 1989-90 में महिला कल्याण निदेशालय की अलग स्थापना की गई तथा इस विभाग द्वारा चलाये जा रहे महिला एवं बाल कल्याण के कतिपय कार्यक्रम इस निदेशालय को स्थान्तरित किये गये तथा शासनादेश दिनांक 25 अक्टूबर 1994 से विभाग की बाल कल्याण एवं महिला

कल्याण सम्बन्धी 23 तथा प्रोबेशन सेवाओं की 9 इस प्रकार कुल 32 योजनायें महिला एवं बाल विकास निदेशालय को स्थानान्तरित कर दी गयी है। तदन्तर सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग-1 की विज्ञप्ति दिनांक 12 अगस्त 1995 द्वारा नवगठित विकलांग कल्याण विभाग से सम्बन्धित योजनाओं को स्थानान्तरित कर दिया गया।

समाज कल्याण विभाग द्वारा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित योजनायें संचालित हैंः-

1- मंत्री के विवेकाधीन कोष से अनुदानः-

इस योजना के अन्तर्गत समाज कल्याण मंत्री अपने विवेक से निर्धन व्यक्तियों को अनुदान स्वीकृत करते हैं।

2- कश्मीरी विस्थापितों को सहायताः-

कश्मीर राज्य से भागकर आये प्रदेश के विभिन्न भागों में से कश्मीरी परिवार के ऐसे व्यक्तियों को जिनके परिवार का एक भी सदस्य नौकरी नहीं करता अथवा कोई भी व्यवसाय नहीं कर रहा है, राज्य सरकार द्वारा रु. 750/- प्रति परिवार की दर से सहायता दी जाती है।

3- वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिए आवासीय गृह संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायताः-

यह योजना वित्तीय वर्ष - से प्रारम्भ की गई है। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम- के अनुपालन में उत्तर प्रदेश माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण कल्याण नियमावली- प्रख्यापित कर दी गयी है, जिसमें अंकित बिन्दु संख्या- के क्रम में प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में वृद्धाश्रम स्थापित किये गये हैं। जिन्हें पी.पी.पी. मॉडल के तौर पर स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से वृद्ध गृह संचालित किये जा रहे हैं।

4- राजकीय वृद्ध एवं अशक्त गृहों का संचालनः-

वृद्ध एवं अशक्त जनों के लिए 50 क्षमता वाला राजकीय आवासीय गृह का संचालन लखनऊ में हो रहा है। 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वृद्ध व्यक्तियों को आवासीय सुविधा तथा दैनिक जीवन निर्वहन हेतु शासनादेश दिनांक 07.12.2010 द्वारा रु. 1200/- प्रति माह भरण-पोषण हेतु, रु. 200/- प्रतिमाह औषधि हेतु तथा मृत्योपरान्त दाह संस्कार हेतु रु. 4000/- दिये जाने की व्यवस्था की गयी है।

5- राजकीय भिक्षुक गृहों का संचालनः-

भिक्षावृत्ति जैसी सामाजिक कु-प्रथा को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 1975 से प्रदेश सरकार ने भिक्षावृत्ति प्रतिषेध अधिनियम लागू किया है, इसके अन्तर्गत प्रदेश के 7 जनपदों वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा, कानपुर नगर एवं मथुरा में एक तथा अयोध्या में दो भिक्षुक गृह संचालित हैं। (महिलाओं एवं पुरुषों हेतु पृथक-पृथक हैं) इस प्रकार कुल 8 भिक्षु गृहों की स्थापना की गयी है, जिनमें प्रत्येक की क्षमता 200 भिक्षुकों की निर्धारित है।

6- प्राविधिक तथा तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्रों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भत्तों हेतु राज्य सहायताः-

प्रदेश में संचालित 48 मान्यता प्राप्त औद्योगिक एवं प्राविधिक शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थाओं को समाज कल्याण विभाग द्वारा आवर्तक अनुदान दिया जाता है।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एवं अन्य मुख्य योजनायें

क इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजनाः-

भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार ारा पोित तथा समाज कल्याण विभाग ारा संचालित इन्दिरा गाधी रा ीय वद्धावस्था किसान पेंशन योजना के अन्तर्गत से आयु वर्ग के वद्धजनों को शासनादेश दिनांक दिसम्बर ारा पें ान की ानरा ि प्रतिमाह प्रति ला ा ी से बढ़ाकर प्रतिमाह प्रति ला ा ी की गयी है। बढ़ी हु पें ान की त दर दिनांक से प्र ावी है।

ख रा ीय ारि ारिक लाभ योजनाः-

रा ीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत ग़रीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार के मुख्य कमाऊ मुखिया महिला पु ा की मत्यु होने पर उसके आश्रित को रु. , - की एकमुश्त सहायता दिये जाने की व्यवस्था है मृतक की आयु सीमा से अ िक वं व ा से कम हो।

3 सामान्य दशमोत्तर ात्र ात्ति योजना :-

सामान्य वग दशमो ार ात्रव ि योजनान्तर्गत दशमो ार कक्षाओं में अध्ययन करने वाले सामान्य वग के वि ार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ाासनादे ा दिनांक ारा जुला से द ामोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले जिन ा ा ाओं के अ ि ाावकों की वा िक आय सीमा ला ा पया दो ला ा मा तक है न्हें त्तर प्रदे ा ाासन समाज क याण अनु ाग के कायालय ाप दिनांक जनवरी त ा वित्तीय व ा में सामान्य वग द ामोत्तर ा वृत्ति नियमावली य ा सं ाे ान दिनांक वं कायालय ाप दिनांक सित बर ारा प्र सामान्य वग द ामोत्तर ा वृत्ति नियमावली नवम सं ाे ान से प्र यापित नियमावली के अनुसार नि नानुसार ा वृत्ति दिये जाने की यव ा की ग है। सामान्य वग द ामोत्तर ा वृत्ति योजना में पाठयक्रमों में ाु क प्रतिपति की समह में अ ाकितम सीमा समह में सीमा समह में समह में नि ाारित की गयी है।

8- सामान्य वर्ग ा ादशम (ा) ात्र ात्ति योजनाः-

वित्तीय व ा में ग़रीबी रे ा के नी े जीवन यापन करने वाले सामान्य वग के ा ों ारा आनला ान आवेदन के आ ाार पर मु य स ि व त्तर प्रदे ा ाासन के तर से निगत ाासनादे ा दिनांक वं ाासनादे ा दिनांक सित बर के क्रम में सामान्य वग के ा ा ाओं जिनके माता पिता अ ि ाावक की वा िक आय ला ा तक है न्हें ा वृत्ति दिये जाने की यव ा है।

9 मान ाा िकार नन के प्रकरणों में आथिक स ाय ाः-

प्रदेश सरकार ारा मानवाधिकार हनन के प्रकरणों में आर्थिक सहायता दिये जाने हेतु वित्तीय व ा

हेतु . ला । का प्रावि ।ान है।

10 मुख्यमंत्री सामा कि ।ा योजनाः-

वित्तीय व । में मु यमं ी सामहिक विवाह योजना का प्रार । किया गया है। योजनान्तर्गत प्रदेश के सामान्य वर्ग, अन्य पि ड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के निर्धन व्यि यों की पुत्रियों के विवाह की व्यवस्था की गयी है ।ासनादे । दिनांक ।रा योजनान्तगत आवेदक के परिवार की वाि क आय सीमा ला । नि ।ारित की गयी है। ।ासनादे । दिनांक ।रा प्रति जोड़ो को दिये जाने की यव ।ा की गयी है जिसके अन्तगत कन्या के बैंक ।ाते में अन्तरित किया जायेगा त ।ा आव यक सामग्री कपड़े बि या ंदी की पायल त ।ा बतन के लिये वं कायक्रम के आयोजन हेतु की ।नरा ि यय की जायेगी। सहायता रा ि की त यव ।ा वि ।वा परित्य ता तलाक ुदा के पुनविवाह के मामले में ।ी समान प से लाग होगी।

11 ो नाः-

वित्तीय व । में दिनांक से अ युदय योजना का प्रार । किया गया है। अ युदय योजना का मु य ददे य प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे सिविल सेवा पी सी स जे नी न डी सी डी स त्यादि परीक्षाओं हेतु प्रति ।ा ।ाली त ।ा त्साही वि ।ाियों को नि ु क साक्षात प्रि ।क्षण आनला न प्रि ।क्षण सलाह प्रदान किया जाना है। यह योजना प्रदे । के सम त जनपदों में सं ।ालित है। मण्डलायु त ।रा मण्डल मु यालय पर राजकीय अनुदानित सं ।ाओं को ि ि त कर मा लासेज त ।ा अति ि प्रव ताओं की यव ।ा की गयी है।

12 ा लिं ी टा स े र ि ों े ि ारों ि ों ी र ।ा ं ल ा ा री ो नाः-

।ारत सरकार के सामाजिक न्याय और अ ि ।कारिता मं ।ालय की अ ि स ना दिनांक के क्रम में त्तर प्रदे । सरकार ।रा ।यलिंगी य ि तियों के अ ि ।कारों वं हितों की रक्षा करने और न्हें सरकार ।रा बनायी गयी कीमों त ।ा क याण स ब न्ि ।ी पायों के प्रयोजना । नके लिये वित्तीय व । में ला । का प्रावि ।ान है।

13 रि ना रि ल ा ा नि ि

प्र ।ासन समाज क याण अनु ।ाग के प दिनांक मा ।रा जारी प्र राज्य वरि ठ नागरकि नीति में निहित यव ।ा के क्रम में प्र राज्य वरि ठ नागरिक क याण नि ि समिति का गठन किया गया है जिसका मु य ददे य प्रदे । में निवासरत वरि ठ नागरिकों का वि ि न्न कायक्रमों के मा यम से ।ान्तिपवक सुरक्षित वं स मानजनक ढंग से जीवन यापन करने हेतु आ ि क सहायता प्रदान करेगी।

14 सामा शा ी न ान ो ना

सामान्य वग ।ादी अनुदान योजना के अन्तगत वित्तीय व । में ला । का प्रावि ।ान है।

●

अनुसूचित जनजाति विकास

भारत सरकार द्वारा वर्ष में अनुसूचित जनजातियों के अन्तर्गत प्रदेश में कुल पांच जातियों थारू, बुक्सा, भोटिया, जौनसारी एवं राजी को सूचीबद्ध किया गया। वर्ष तदोपरान्त वर्ष 2022 में ही भारत सरकार द्वारा प्रदेश में निम्नलिखित जातियों को कतिपय जनपदों में अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या , , है :-

क्र०सं०	जाति	जनपद जिसमें निवास करते हैं
.	गोंड (धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड)	महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही, चन्दौली, संतकबीर नगर एवं कुशीनगर।
.	खरवार/खैरवार	देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी एवं सोनभद्र।
.	सहरिया	ललितपुर।
.	परहिया	सोनभद्र।
.	बैगा	सोनभद्र।
.	पंखा, पनिका	सोनभद्र एवं मिर्जापुर।
.	अगरिया	सोनभद्र।
.	पटारी	सोनभद्र
.	चेरो	सोनभद्र एवं वाराणसी
.	भुइया, भुनिया	सोनभद्र

वर्ष - तक अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक उत्थान के विभिन्न कार्यक्रम/योजनाओं को समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया जाता था, तत्पश्चात् जनजाति विकास निदेशालय द्वारा किया जा रहा है। जनजाति विकास निदेशालय पूर्व में समाज कल्याण के भवन में स्थापित था, जो माह सितम्बर से भवन संख्या / सी, सेक्टर ए, मन्दिर मार्ग महानगर, लखनऊ में संचालित किया जा रहा है।

विभाग के मूलभूत उद्देश्य

जनजाति विकास निदेशालय की स्थापना निम्नलिखित मूलभूत उद्देश्यों को लेकर की गयी है :-

- . गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जनजातीय परिवारों के व्यवसायिक जीवन पद्धति का आंकलन कर उनकी आर्थिक उन्नति हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन।
- . जनजातीय समुदाय के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक स्तर में सुधार।
- . जनजातीय समुदाय हेतु मानव संसाधन विकास संबंधी योजनाओं को क्रियान्वित कर रोजगार के अवसर सुलभ कराना।
- . जनजातीय समुदाय को समाज की मुख्य सामाजिक, आर्थिक धारा में समाहित करना तथा गरीबी रेखा से ऊपर उठाना।
- . जनजातीय समुदाय को आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक शोषण से सुरक्षा प्रदान करना।
- . शिक्षा के स्तर में सुधार एवं साक्षरता दर में वृद्धि हेतु छात्रवृत्ति, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय एवं छात्रावासों का संचालन, तकनीकी शिक्षा, कुशल कारीगरी, शिल्प उद्योग के क्षेत्र में प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रमों का समावेश तथा स्वतः रोजगार के अवसरों में वृद्धि हेतु कार्यक्रमों का संचालन।

ई-गवर्नेन्स की प्रगति

जनजाति विभाग में ई-गवर्नेन्स की कार्य प्रणाली के आधार पर कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में विभाग की अधिकांश योजनाएं आनलाइन हैं। विभाग का यह लक्ष्य है कि योजनाओं के सफल संचालन एवं अनुश्रवण की समीक्षा हेतु सूचना विज्ञान की प्रचलित आधुनिकतम तकनीकों का अधिकतम उपयोग कर विभाग से शत्-प्रतिशत् ई-गवर्नेन्स स्थापित किया जा सके। शत् प्रतिशत् ई-पेमेन्ट के माध्यम से शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जा रहा है। बैठकें तथा अनुश्रवण की कार्यवाही वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जा रही हैं। विभागीय वेबसाइट http uptdd.gov.in विकसित करते हुए समस्त विभागीय सूचनाएं/योजनाओं का विवरण प्रदर्शित किया जा रहा है।

पारदर्शिता

वर्तमान में पूर्वदशम एवं दशमोत्तर कक्षाओं की छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति तथा शादी अनुदान की धनराशि पब्लिक फाइनेन्शियल मैनेजमेंट सिस्टम (पी०एफ०एम०एस०) साफ्टवेयर के माध्यम से ई-ट्रान्सफर के अन्तर्गत छात्रों/लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे अन्तरित की जा रही है। विभागीय क्रय प्रक्रियाओं में जेम पोर्टल का अधिकतम उपयोग किया जा रहा है।

अनुसूचित जनजातियों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम

1 दशमोत्तर कक्षाओं की छात्रवृत्ति :-

दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष - से दशमोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले जिन छात्र/छात्राओं के अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा रु० , , /- तक है उन्हें उत्तर प्रदेश शासन समाज कल्याण अनुभाग- द्वारा निर्गत नियमावली दिनांक . . तथा समय-समय पर जारी संशोधनों में उल्लिखित नियमों के अनुसार छात्रवृत्ति की सुविधा निम्नवत् दरों के आधार पर

अनुमन्य किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

क्र०सं०	ग्रुप का नाम	छात्रवृत्ति की दरें (प्रतिमाह)	
		अनावासीय	छात्रावासीय
.	ग्रुप-	-	-
.	ग्रुप-	-	-
.	ग्रुप-	-	-
.	ग्रुप-	-	-

2 मेरिट उच्चीकृत योजनान्तर्गत सहायता :-

अनुसूचित जनजाति के कक्षा से तक के छात्र/छात्राओं के लिए मेरिट उच्चीकृत योजना वर्ष - में स्वीकृत की गयी है। जो भारत सरकार की शत्-प्रतिशत् सहायता से संचालित की जायेगी।

3 संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत विकास कार्यक्रमों का संचालन :-

संविधान के अनुच्छेद ( ) के अन्तर्गत प्राप्त केन्द्रीय सहायता से एकीकृत जनजाति विकास परियोजना, चन्दनचौकी, खीरी तथा थारू विकास परियोजना, बलरामपुर द्वारा संचालित कार्यक्रमों का व्यय भारित है। उक्त परियोजनाओं द्वारा जनजाति के लोगों के शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के कार्यक्रमों सम्बन्धी अवस्थापना मदों पर व्यय किया जाता है।

4 पॉकेट प्लान तथा प्रिमिटिव ग्रुप्स योजना :-

पाकेट प्लान तथा प्रिमिटिव ग्रुप्स योजना के अन्तर्गत एकीकृत जनजाति विकास परियोजना, चन्दनचौकी, खीरी तथा थारू विकास परियोजना, विशुनपुर-विश्राम, जनपद बलरामपुर द्वारा संचालित योजनाओं के लिये शत्-प्रतिशत् भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त होती है। यह परियोजना वर्ष - से तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम द्वारा संचालित की जा रही थी, जिसे जून, से निदेशालय, जनजाति विकास द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस परियोजना द्वारा जन-चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय, स्टाक मैन सेन्टर संचालित है। इसके अतिरिक्त परियोजना के माध्यम से परिवारोन्मुखी आर्थिक विकास कार्यकम, कम्प्यूटर व अन्य प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। जनजाति समुदाय के लोगों को कृषि एवं लघु /कुटीर उद्योगों की स्थापना हेतु ट्राइफेड तथा एफ०पी०ओ० के माध्यम से प्रशिक्षण एवं सहयोग प्रदान करते हुए प्रोत्साहित किया जाना प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में योजना का स्वरूप "धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान" में परिवर्तित होने के कारण आय-व्ययक में प्रावधान प्रस्तावित नहीं है।

5 बुक्सा आदिम जनजाति उत्थान :-

बुक्सा जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम समूह घोषित किया गया है। इस योजना हेतु भारत सरकार द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है। बुक्सा आदिम जनजाति

विशेषतः जनपद बिजनौर के नजीबाबाद क्षेत्र में निवास करती हैं। यह परियोजना वर्ष - से तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम द्वारा संचालित की जा रही थी, जिसे जून से निदेशालय जनजाति विकास द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस परियोजना के माध्यम से परिवारोन्मुखी आर्थिक विकास कार्यक्रम, कम्प्यूटर व अन्य प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष - में योजना का स्वरूप "पीएमजनमन" में परिवर्तित होने के कारण आय-व्ययक में प्रावधान प्रस्तावित नहीं है।

6 बिखरी आबादी वाली जनजातियों का विकास :-

इस योजना से प्रदेश के अधिकांश जनजाति बाहुल्य जनपदों में निवासरत् अनुसूचित जनजातियों को लाभान्वित किया जाता है। यह परियोजना वर्ष - से तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम द्वारा संचालित की जा रही थी, जिसे जून, से निदेशालय जनजाति विकास द्वारा संचालित किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के माध्यम से परिवारोन्मुखी आर्थिक विकास कार्यक्रम, कम्प्यूटर व अन्य प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में योजना का स्वरूप "धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान" में परिवर्तित होने के कारण आय-व्ययक में प्रावधान प्रस्तावित नहीं है।

7 वन बन्धु कल्याण योजना :-

जनजातीय कार्य मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति के लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए वन बन्धु कल्याण योजना की अवधारणा की गयी है। इस योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति के लोगों का शैक्षिक, आर्थिक तथा सामाजिक विकास किया जा रहा है।

8 मुख्यालय अधिष्ठान :-

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु निदेशालय स्तर पर अधिकारी/कर्मचारी तैनात हैं, जिनके लिए स्थापना अधिष्ठान मद पर व्यय हेतु धनराशि की व्यवस्था की जाती है।

9 एकीकृत परियोजनाओं के अन्तर्गत चिकित्सालयों का संचालन :-

जनपद खीरी एवं बलरामपुर में संचालित परियोजनाओं द्वारा जनजाति विकास हेतु चिकित्सालयों के संचालनार्थ राज्य सहायता के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष - में रु. . लाख का आय-व्ययक में प्रावधान प्रस्तावित है।

10 एकीकृत जनजाति विकास परियोजना का क्रियान्वयन :-

अनुसूचित जनजातियों में नई जातियों को सूचीबद्ध किये जाने के उपरान्त अनुसूचित जनजातियों के समग्र विकास हेतु विभिन्न जनपदों (सोनभद्र, लखीमपुर-खीरी, बलरामपुर, बहराइच, महराजगंज एवं बिजनौर) में स्थिापित कार्यालयों हेतु समग्र रूप से वर्तमान में बजट अनुमान प्रेषित किए गए हैं।

11 जिला कार्यालय का जनजाति विकास संबंधी अधिष्ठान :-

इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु संचालित योजनाओं के

संचालनार्थ कार्मिकों के लिए स्थापना अधिष्ठान मद पर व्यय हेतु धनराशि की व्यवस्था की जाती है।

12 गैर अनुसूचित जनजातियां जो अनुसूचित जातियों की सूची में हैं, के लिए सहायक अनुदान :-

प्रदेश में निवास करने वाली ऐसी जातियाँ यथा- कोल, घासिया, धनगर/ओरांव जो इस समय अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित हैं, के व्यक्तियों को जो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, को कृषि, बागवानी तथा कुटीर उद्योग कार्यक्रमों द्वारा लाभान्वित किया जाता है।

13 छात्रावासों का निर्माण एवं संचालन :-

प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के छात्रों को निःशुल्क आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जनपद बलरामपुर के मुख्यालय पर छात्रावास संचालित है। इसके अतिरिक्त महराजगंज, बलरामपुर, गोरखपुर, खीरी, गोण्डा में छात्रावास संचालन प्रारम्भ किया जाना है तथा खीरी में 01, बलिया में 01, चन्दौली में 02, मिर्जापुर में 01 व सोनभद्र में 01 छात्रावास निर्माणाधीन हैं।

14 जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय (पूर्व नाम राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय) का निर्माण एवं संचालन :-

अनुसूचित जनजातियों के बालक/बालिकाओं के शैक्षिक विकास एवं उत्थान के लिये उचित ढंग से शिक्षा दिये जाने के उद्देश्य से प्रदेश में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित किये गये हैं, जहां पर बालक/बालिकाओं की शिक्षा, भोजन, वस्त्र, आवास एवं पुस्तकें आदि की सभी सुविधायें निःशुल्क प्रदान की जाती हैं।

15 बुक बैंक की स्थापना :-

वित्तीय वर्ष - में यह योजना प्रारम्भ की गई। इस योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है।

16 पूर्वदशम कक्षाओं में विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्ती सहायता :-

कक्षा 9 व 10 में पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय पूर्व में रु. 2,00,000/- तक थी, जिसे वित्तीय वर्ष 2018-19 से बढ़ाकर रु. 2,50,000/- की गयी है, छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। कक्षा 9 व 10 में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को रु.3000/- वार्षिक छात्रवृत्ति की धनराशि का भुगतान पी.एफ.एम.एस. प्रणाली के माध्यम से किया जा रहा है।

17 अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को यूनीफार्म एवं साइकिल अनुदान :-

कक्षा , व की अनुसूचित जनजाति की छात्राएं जो विभाग द्वारा संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों या अन्य किसी आवासीय विद्यालयों में नहीं पढ़ती हैं, बल्कि किसी दूसरे विद्यालय में पढ़ती हैं, को प्रोत्साहन स्वरूप यूनीफार्म एवं बाइसिकिल निःशुल्क उपलब्ध कराने हेतु

यूनीफार्म एवं साइकिल योजना वित्तीय वर्ष - से स्वीकृत की गयी है, जिसमें पूर्व में निर्धारित दरों में परिवर्तन करते हुए वर्ष - से साइकिल हेतु रु० , /- तथा यूनीफार्म हेतु रु० /- कुल रु० /- प्रति छात्रा हेतु निर्धारित है।

18 स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा विद्यालयों के रख-रखाव हेतु सहायता :-

अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में शासन द्वारा चयनित स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से संचालित प्राइमरी पाठशालाओं में कार्यरत शैक्षणिक संवर्ग के कार्मिकों के वेतन भुगतान हेतु सहायता अनुदान स्वीकृत करने की योजना वर्ष - से संचालित है।

19 अत्याचारों से उत्पीड़ित अनु० जनजातियों की सहायता :-

इस योजनान्तर्गत अत्याचारों से उत्पीड़ित जनजाति परिवारों को तत्काल अधिकतम धनराशि रु० , , तक की सहायता उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। यह योजना केन्द्र सरकार एवं राज्य द्वारा संचालित योजनान्तर्गत अत्याचार से उत्पीड़ित अनुसूचित जनजाति के लोगों को सहायता अन्य प्रदेशों की भांति संचालित है।

20 लघुवन उपजों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना :-

उक्त योजना वर्ष- - से भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी। योजनान्तर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश क्रमशः एवं प्रतिशत है। योजना संचालन हेतु केन्द्र सरकार की ओर से ट्रायफेड एवं प्रदेश सरकार की ओर से जनजाति विकास निदेशालय के मध्य अनुबन्ध किया गया है। योजना हेतु जनजाति विकास निदेशालय नोडल विभाग व उ०प्र० वन निगम को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

योजनान्तर्गत नान टिम्बर लघु वन उपजों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय करने हेतु भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा अपने निर्धारित अंश के अनुसार धनराशि उपलब्ध करायी जाती है जिसे कार्यदायी संस्था उ.प्र. वन निगम को हस्तानान्तरित कर दिया जाता है। योजनान्तर्गत लघुवन उपजों के विपणन हेतु हाट बाजारों के सुदृढ़ीकरण व गोदामों का निर्माण कार्य भी प्रस्तावित है।

21 आदिम जनजाति समूहों का विकास :-

जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा उत्तर प्रदेश में बुक्सा तथा राजी जनजाति को आदिम जनजाति समूहों (पी.वी.टी.जी.) की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। मंत्रालय द्वारा आदिम जनजाति समूहों के विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं, जिसके क्रम में उत्तर प्रदेश की आदिम जनजाति समूहों के विकास हेतु योजना को वित्तीय वर्ष - में संचालित की गयी। वित्तीय वर्ष - में योजना का स्वरूप "प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महाभियान-पीएमजनमन" में परिवतर्तित होने के कारण आय-व्ययक में प्रावधान प्रस्तावित नहीं है।

22 पीएमजनमन :-

मा. प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनांक नवम्बर, को प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान "पीएम-जनमन" का शुभारम्भ किया गया है, जिसके अन्तर्गत विशेष रूप से

कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का समग्र विकास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जनपद बिजनौर में निवासरत् बुक्सा जनजाति को उक्त अभियान के अन्तर्गत लाभ प्रदान किये जा रहे हैं। जनजाति विकास विभाग द्वारा जनपद बिजनौर की बुक्सा बाहुल्य 4 ग्रामों में बहुउद्देशीय केन्द्र एवं 5 वनधन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।

23 धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियानः-

"धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान" का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनांक 2 अक्टूबर, 2024 को किया गया है। योजना का उद्देश्य जनजातीय बाहुल्य ग्रामों तथा आकांक्षी जनपदों के जनजातीय ग्रामों को 18 विभागों के 25 peci ied nterventions से संतृप्त किया जाना है। 500 या उससे अधिक जनसंख्या के ग्राम जिसमें अनुसूचित जनजाति की कम से कम 50 प्रतिशत जनसंख्या हो, योजना से आच्छादित होंगे।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ.प्र., लखनऊ

प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ.प्र. लखनऊ की स्थापना वर्ष - में शासनादेश दिनांक जनवरी, द्वारा की गयी। यह संस्थान अन्य प्रदेशों की भाँति जनजाति कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की शोध प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत स्थापित है।

संस्थान के उद्देश्य तथा निर्धारित कार्य :-

. पिछड़े वर्गों- जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, खानाबदोश जाति तथा अन्य पिछड़ी जातियां सम्मिलित हैं, के लिए आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक विकास की योजनाओं हेतु शोध तथा सर्वेक्षण कार्य करना।

. विभिन्न विकास योजनाओं के परिकल्पन, नियोजन तथा क्रियान्वयन की प्रकिया-विधि का विकास करना।

. पिछड़े वर्गों के कल्याण के कार्य पर लगे कार्मिकों (अधिकारियों तथा कर्मचारियों) को विभिन्न विकास योजनाओं को तैयार करने व उनके सुचारु कियान्वयन के परिप्रेक्ष्य में प्रशिक्षित करना।

. पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु चलाये जा रहे विकास कार्यक्रमों का अध्ययन, मूल्यांकन करना तथा उसमें संशोधन/परिवर्धन तथा सुधार की सिफारिश करना।

. पिछड़े वर्गों के कल्याण/विकास के संबंध में बहुआयामी सामग्री का संचय तथा प्रकाशन करना।

. आवश्यकता होने पर पिछड़े वर्गों के लिए व्यवहारिक योजनाएं तैयार करना।

●

महिला कल्याण तथा बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार

महिलाओं को विभिन्न विकास-सम्बन्धी कार्यक्रमों से सम्बद्ध करके उनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति सुधारने में मदद करने के उद्देश्य से वर्ष 1989 में शासन स्तर पर एक अलग महिला एवं बाल विकास विभाग का गठन किया गया, उसके साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा महिलाओं के कल्याण सम्बन्धी किये जा रहे कार्यों की समीक्षा/समन्वय एवं महिलाओं के विकास हेतु पृथक से महिला कल्याण निदेशालय की स्थापना वर्ष 1989-90 में की गयी।

विभिन्न प्रकार की आपदाओं से ग्रस्त, सामाजिक कुरीतियों की शिकार महिलाओं एवं बच्चों को विविध प्रकार की आर्थिक सहायता, शिक्षा एवं प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान कर सुसंस्कृत एवं विकसित व्यक्तित्व प्रदान करने जैसा गुरूतर कार्य भी इस विभाग द्वारा किया जा रहा है। महिलाओं व बच्चों से सम्बन्धित विषयों पर प्रभावी नीतियों का निर्माण, विभिन्न कानूनों के पालन तथा नीतियों एवं कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन के माध्यम से महिलाओं तथा बच्चों को उनके विकास के सर्वांगीण अवसर प्रदान करना। महिलाओं व बच्चों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण व संपूर्ण विकास हेतु उनके अधिकारों का संरक्षण करते हुए उन्हें संस्थागत एवं गैर संस्थागत समर्थन प्रदान करना।

बच्चों से सम्बन्धित योजनाओं का विवरण व क्रियान्वयनः-

- **मिशन वात्सल्य (60:40 के अनुपात में राज्य द्वारा वित्त पोषित) :-**
  - प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा चाईल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज (सी.पी.एस.) योजना (समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.) दिनांक 24.11.2010 से प्रदेश में संचालित की जा रही है। जो वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2022-23 से मिशन वात्सल्य योजना के नाम संचालित है।
  - किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार देखरेख की आवश्यकता एवं संरक्षण तथा विधि विरूद्ध कार्यों में लिप्त बच्चों के संरक्षण, कल्याण एवं पुनःस्थापन को सुनिश्चित करने, बच्चों के संरक्षण हेतु आधुनिक तकनीक, शिक्षा के बेहतर अवसर, कौशल विकास व रोजगार से लिंकेज की उच्च स्तरीय सुविधाओं के साथ संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश में कुल 59 राजकीय बाल देख रेख संस्थायें संचालित हैं। प्रदेश में दत्तक ग्रहण के लिये अनाथ, परित्यक्त या अभ्यर्पित बच्चों के पालन-पोषण, देखभाल सहायता हेतु बच्चों को पुनर्वासित किये जाने हेतु प्रदेश

के समस्त 75 जनपदों में 75 राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण का भी संचालन किया जा रहा है। साथ ही पी.पी.पी. माडल के अन्तर्गत स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से जनपद लखनऊ में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए 03 राजकीय एवं 03 स्वैच्छिक संगठन के माध्यम से विशेषीकृत संस्थायें संचालित हैं।

- वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2025-26 में अभी तक कुल 1818 बालकों को दत्तक ग्रहण के माध्यम से पुनर्वासित किया गया है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 199 बच्चों को दत्तक ग्रहण के माध्यम से पुनर्वासित किया गया। गत वर्ष से अभी तक 42,776 बच्चों को स्पॉसरशिप से तथा 11 बच्चों को फॉस्टर केयर के अंतर्गत लाभान्वित किया गया है। प्रदेश में वर्ष 2017-18 से 2024-25 में अभी तक लगभग 1,00,000 लाख से अधिक बच्चों को उनके माता-पिता/अभिभावकों से मिलाया गया। साथ ही विगत वर्षों में इन गृहों से 5,000 से अधिक किशोर-किशोरियों और महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया गया है।

- चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 (शत प्रतिशत केन्द्र पोषित):-
  - वित्तीय वर्ष 2023-24 में बच्चों को 24 घण्टे आकस्मिक सहायता प्रदान करने हेतु चाइल्ड हेल्पलाइन योजना का आरम्भ किया गया जिसमें राज्य स्तर पर कन्ट्रोल रूम, समस्त जनपदों में 75 चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट, 19 रेलवे स्टेशन यूनिट व 2 बस स्टैण्ड यूनिट की स्थापना की गयी है।
  - उक्त के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त करते हुए 09 नवीन रेलवे स्टेशन यूनिट व 09 बस स्टैण्ड यूनिट की स्थापना की गयी है। जिसमें 02 नवीन यूनिट बस स्टैण्ड एवं 04 नवीन यूनिट रेलवे स्टेशन का संचालन आरम्भ किया गया है एवं शेष 05 नवीन रेलवे स्टेशन यूनिट व 07 नवीन बस स्टैण्ड यूनिट को क्रियाशील किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है जिन्हें इस वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ कर दिया जाएगा।
  - संचालन की तिथि से अभी तक कुल 14.36 लाख कॉल्स प्राप्त हुयी हैं तथा 73432 बच्चों को सहायता प्रदान की गई है।

- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना (शत प्रतिशत केन्द्र वित्त पोषित):-

योजना का उद्देश्यः-

- बालिकाओं के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना।
- लिंग-चयन की प्रक्रिया को समाप्त कर बालिकाओं को सुरक्षित करना और बाल लिंग अनुपात (CSR) में सुधार लाना।
- शिक्षा के माध्यम से बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाना तथा उनकी उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करना।

- बालिकाओं से जुड़े विषयों यथा सुरक्षा, पोषण, स्वास्थ्य आदि के संबंध में जागरूकता लाना।

गतिविधियाँः-

- अभिमुखीकरण एवं संवेदीकरण कार्यक्रमों के माध्यम से जिला एवं ब्लाक स्तर के अधिकारियों/कार्मिकों तथा जनसामान्य को महिलाओं सम्बंधी विभिन्न विषयों के प्रति जागरूक करना।
- महिला संबंधी अधिनियमों यथा पॉश-अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, PCPNDT अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम आदि पर विभिन्न हितधारकों की संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन।
- प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्द्धन गतिविधियों के माध्यम से फील्ड में कार्यरत कार्मिकों जैसे- आशा ए.एन.एम. आदि को महिलाओं संबंधी विषयों में प्रशिक्षित व संवेदीकृत करना।
- सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से जन समुदाय में प्रचार-प्रसार गतिविधियों का आयोजन।
- लड़कियों और सह-शिक्षा शैक्षणिक संस्थानों में जागरूकता और लिंग संवेदीकरण गतिविधियों का आयोजन।
- गाँव ब्लाक और जिला स्तर पर लड़कियों के लिए खेल प्रतियोगिता तथा वृक्षारोपण कार्यक्रमों का आयोजन।
- बाल देखरेख संस्थाओं, कस्तूरबा विद्यालय आदि की बालिकाओं के लिए ऐतिहासिक स्मारकों, शैक्षणिक संस्थानों, प्राकृतिक स्थलों, संग्रहालयों, प्लेनेटोरियम आदि का भ्रमण कार्यक्रमों का आयोजन।

उपलब्धियाँः-

- वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2024-25 में कुल 334176 गतिविधियों के माध्यम से 258.5 लाख महिलाओं तथा बालिकाओं को जागरूक किया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 16203 गतिविधियों के माध्यम से 16.71 लाख महिलाओं तथा बालिकाओं को जागरूक किया गया है।
- प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में प्रत्येक माह के प्रथम व तृतीय सोमवार को जिला अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर जन्मी बालिकाओं के जन्म को समारोह के रूप में मनाने के लिए कन्या जन्मोत्सव के आयोजन को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बेस्ट प्रेक्टिस के रूप में चिन्हांकित किया गया।
- प्रदेश में अब तक कुल 3822 कन्या जन्मोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 36,000 कन्याओं के जन्मोत्सव मनाया गया।

- **मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना (शतप्रतिशत राज्य पोषित):-**
  - प्रदेश में समान लिंगानुपात स्थापित करने, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने, बालिकाओं के स्वास्थ्य व शिक्षा को सुदृढ़ करने, बालिकाओं के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने तथा बालिका के जन्म के प्रति आम जन में सकारात्मक सोच विकसित करने हेतु वर्ष 2019 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना शुरू की गयी है। योजना के अन्तर्गत ऐसे लाभार्थी पात्र होते हैं, जिनका परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो, जिनकी परिवारिक वार्षिक आय अधिकतम रु.3.00 लाख तथा जिनके परिवार में अधिकतम दो बच्चे हों।
  - वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में योजनान्तर्गत लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली धनराशि को प्रदेश सरकार द्वारा रु.15,000/- से बढ़ाकर रु.25,000/- किया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत 6 श्रेणियों में कुल रु.25,000/- की धनराशि बालिकाओं को प्रदान की जाती है। श्रेणी-1 वर्तमान के जन्म के समय रु. 5,000/-, श्रेणी-2 एक वर्ष के टीकरण पूर्ण करने पर रु.2,000/-, श्रेणी-3 कक्षा-1 में प्रवेश के समय रु. 3,000/-, श्रेणी-4 कक्षा-6 में प्रवेश के समय रु. 3,000/-, श्रेणी-5 कक्षा-9 में प्रवेश के समय रु. 5,000/- तथा श्रेणी-6 दसवीं/बारहवीं परीक्षा उत्तीर्ण कर डिग्री या दो वर्षीय या अधिक के डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लेने पर रु.7,000/- प्रदान किये जाते हैं।
  - योजना के अन्तर्गत अब तक कुल 23.76 लाख पात्र बालिकाओं को कुल रु.528.62 करोड़ की धनराशि का व्यय करते हुए लाभान्वित किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में योजनान्तर्गत 4.13 लाख लाभार्थियों को रु. 157 करोड़ की धनराशि अंतरित की गयी।
- **उ.प्र. मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड) (शतप्रतिशत राज्य पोषित):-**
  - प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2021-22 से कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को उनके भरण-पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में उ.प्र. मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना प्रारम्भ की गयी है। ऐसे बच्चों को रु. 4,000/- प्रतिमाह की सहायता दी जा रही है। 11 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को कक्षा 12 तक की निःशुल्क शिक्षा हेतु अटल आवासीय विद्यालयों तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में प्रवेश कराया जाएगा। प्रदेश सरकार उपरोक्त प्रकार की बालिकाओं के शादी योग्य होने पर शादी हेतु रु.1,01,000/- (रु. एक लाख एक हजार मात्र) की राशि उपलब्ध करा रही है। जिसमें 41 शादी योग्य बालिकाओं को धनराशि प्रदान की गयी है। साथ ही उपरोक्त श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले कक्षा-9 या इससे ऊपर की कक्षा में अथवा व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे 18 वर्ष तक के बच्चों को Tablet/Laptop की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। योजना के अंतर्गत कुल 18,990 ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता दोनों या माता या पिता में से किसी एक की

मृत्यु कोविड से हुयी है, को चिन्हित कर, निरंतर त्रैमासिक रूप में अग्रिम धनराशि प्रेषित की जा रही है एवं 6348 बच्चों को लैपटाप वितरित किये जा चुके हैं।

- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में योजना के अन्तर्गत कुल 12,099/- बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है एवं शादी योग्य 24 बालिकाओं को धनराशि रु. 1,01,000/- (प्रति बालिका) प्रदान की गयी है तथा उपरोक्त श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले कक्षा-9 या इससे ऊपर की कक्षा में अथवा व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे 18 वर्ष तक के 1955 बच्चों को Tablet/Laptop की सुविधा उपलब्ध करायी गयी।

- **उ.प्र. मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) (शतप्रतिशत राज्य पोषित):-**
  - सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) शुरू की गई है। योजना के अंतर्गत 18 साल से कम उम्र के ऐसे बच्चे जिन्होंने कोरोना से इतर कारणों से 01 मार्च, 2020 के बाद माता-पिता दोनों या किसी एक को अथवा अभिभावक को खोया है, उनको प्रति माह 2500 रूपये की मदद पहुंचाई जा रही है। उक्त श्रेणी में आने वाले 18 से 23 साल के किशोर, जो कक्षा-12 की परीक्षा उत्तीर्ण कर राजकीय डिग्री कालेज, विश्वविद्यालय अथवा तकनीकी संस्थान से स्नातक की डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त करना चाह रहे हैं, उन्हें लाभान्वित किया जायेगा। इसके अलावा नीट, जेईई व कलैट जैसे राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले मेधावी छात्रों को 23 वर्ष की आयु पूरी होने या स्नातक शिक्षा अथवा मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थान से डिप्लोमा प्राप्त करने में जो भी पहले हो, तक इस योजना का लाभ दिया जायेगा। योजना के अंतर्गत कुल 66753 बच्चों को चिन्हित कर लाभान्वित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में बच्चों के पालन-पोषण, देखभाल तथा सुरक्षित आश्रय प्रदान किये जाने हेतु प्रारम्भ की गयी शत प्रतिशत राज्य पोषित योजना-

- **मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना (शत प्रतिशत राज्य पोषित):-**
  - वित्तीय वर्ष 2024-25 में विधि से संघर्षरत तथा अनाथ, परित्यक्त, अभ्यर्पित एवं विपरीत परिस्थितियों में प्राप्त बच्चों के पालन-पोषण, देखभाल सुरक्षित आश्रय प्रदान किये जाने के उद्देश्य से रु.100 करोड़ की मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना प्रारम्भ की गयी है, जिसके अन्तर्गत प्रदेश के 10 जनपदों में विभिन्न श्रेणी के कुल 10 नवीन गृहों यथाः वाराणसी में संप्रेक्षण गृह (किशोर) किशोर न्याय बोर्ड सहित, गोरखपुर में संप्रेक्षण गृह (किशोर) किशोर न्याय बोर्ड सहित, लखनऊ में संप्रेक्षण गृह (किशोर) किशोर न्याय बोर्ड सहित, झांसी में बाल गृह (बालिका), कानपुर देहात में संप्रेक्षण गृह (किशोर) किशोर न्याय बोर्ड सहित, अयोध्या में संप्रेक्षण गृह (किशोर) किशोर न्याय बोर्ड सहित, अमेठी में संप्रेक्षण गृह (किशोर) किशोर न्याय बोर्ड सहित, मथुरा में बाल गृह (बालिका), फिरोजाबाद बाल गृह (बालक) एवं बस्ती में संप्रेक्षण गृह (किशोर) किशोर न्याय बोर्ड सहित का निर्माण

प्रस्तावित है।

महिलाओं से सम्बन्धित योजनाओं का विवरण व क्रियान्वयन-

- **पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन (शतप्रतिशत राज्य पोषित):-**
  - ➢ इस योजना के अन्तर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु की ऐसी महिलाएं जो उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी हों व उनके पति की मृत्यु हो चुकी हो तथा उनकी पारिवारिक वार्षिक आय रु.2.00 लाख से अधिक न हो को, पात्र लाभार्थियों के रूप में उनके आधार लिंक बैंक खाते में हस्तान्तरित की जाती है। योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 में रु. 500/- प्रतिमाह प्रति लाभार्थी की दर से पेंशन भुगतान की कार्यवाही की जाती थी, वर्ष 2021-22 से पात्र लाभार्थियों को रु. 1000/- प्रतिमाह प्रति लाभार्थी की दर पेंशन का भुगतान किया जा रहा था। वित्तीय वर्ष 2016-17 में पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना के अन्तर्गत कुल 17.31 लाख लाभार्थियों को पेंशन का लाभ प्रदान किया जा रहा था। जबकि मात्र 8 वर्षों में ही, इस योजना के अन्तर्गत कुल 17.99 लाख नए लाभार्थी महिलाओं को चिन्हित कर योजना से जोड़ा गया है।
  - ➢ वित्तीय वर्ष 2024-25 से योजनान्तर्गत लाभार्थियों को आधार बेस्ड भुगतान प्रारम्भ किया गया है।
  - ➢ इस प्रकार योजना के अंतर्गत अब कुल 35.30 लाख महिलाओं को पेंशन दी जा रही है।
- **रानी लक्ष्मीबाई बाल एवं महिला सम्मान कोष शतप्रतिशत राज्य पोषितः-**
  - ➢ महिलाओं व बालिकाओं के विरूद्ध होने वाले जघन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं के प्रति प्रदेश सरकार अत्यंत संवेदनशील है। कोष के अंतर्गत 09 जघन्य अपराध से पीड़ित महिलाओं व बालिकाओं को 1 लाख से 10 लाख रुपये की आर्थिक क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है। साथ ही निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का भी प्रावधान किया गया है। योजना के अन्तर्गत 2017 से अब तक कुल 9,547 महिलाओं तथा बालिकाओं को रु.346.01 करोड़ की धनराशि क्षतपूर्ति के रूप में प्रदान की गई है।

  उपलब्धियाँः-

  - ➢ वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2830 पीड़िताओं को 100.00 करोड़ की क्षतिपूर्ति प्रदान की गयी है।
- **वन स्टाप सेंटर (शतप्रतिशत राज्य पोषित):-**
  - ➢ इस योजना का संचालन वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ किया गया है जो भारत सरकार की शतप्रतिशत वित्त पोषित योजना है, जिसके अन्तर्गत हिंसा से पीड़ित महिलाओं को समस्त आवश्यक सेवायें जैसे पीड़ित महिला को अल्प प्रयास (पाँच दिवस), चिकित्सकीय सहायता, परामर्शी सेवायें, विधिक सहायता एवं पुलिस सहायता इत्यादि एक

ही छत के नीचे उपलब्ध करायी जाती है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश के 75 जनपदों में 84 वन स्टॉप सेंटर संचालित हैं।

- ➢ भारत सरकार द्वारा प्रदेश की बड़ी जनसंख्या के दृष्टिगत संकटग्रस्त महिलाओं को तत्कालिक सहायता सुगमता से उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में 17 अतिरिक्त नवीन यूनिट जनपद लखनऊ से 02 नवीन यूनिट, वाराणसी में 02, प्रयागराज में 02, तथा लखीमपुर खीरी में 02 अतिरिक्त नवीन वन स्टॉप सेंटर के संचालन की स्वीकृति तथा जनपद बरेली, कानपुर नगर, गौतमबुद्धनगर, मेरठ, गोरखपुर, सहारनपुर, झाँसी, आगरा एवं बिजनौर में एक-एक नवीन सेंटर की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसके संचालन की कार्यवाही प्रक्रियागत है।
- ➢ वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में माह फरवरी, 2025 से प्रत्येक वन स्टॉप सेंटर पर आकस्मिक सेवा हेतु एक-एक वाहन की व्यवस्था की गयी है। योजना के प्रारंभ से अब तक वन स्टॉप केन्द्रों को कुल 2.13 लाख केस संदर्भित किये गये हैं।

- **181-महिला हेल्पलाइन (शतप्रतिशत केन्द्र पोषित):-**
  - ➢ महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा तथा सामाजिक व आर्थिक सशक्तीकरण हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 181-महिला हेल्पलाइन के रूप में पहल की गयी है। इस हेल्पलाइन का संचालन 2016-17 से किया जा रहा है। 181 एक टोल फ्री नम्बर है, जो 24x7 कार्य करता है। महिला हेल्पलाईन पर कोई भी महिला एवं बालिका जो विषम परिस्थितियों से ग्रस्त हो अथवा उसको किसी भी अन्य प्रकार की समस्या, आवश्यकता की पूर्ति या सलाह की आवश्यकता हो, टोल फ्री नम्बर पर कॉल कर सहायता प्राप्त कर सकती है। इस हेल्पलाइन को वर्ष 2020-21 में 112 केन्द्रीयकृत कॉल सेन्टर, लखनऊ के साथ समेकित किया गया है। विषम परिस्थिति से ग्रस्त महिला द्वारा कॉल करने पर कॉल सेन्टर की प्रशिक्षित परामर्शदाताओं द्वारा महिला को परामर्श दिया जाता है।
  - ➢ योजना के प्रारंभ से अभी तक योजना के अन्तर्गत 7.78 लाख महिलाओं को सहायता प्रदान की गई है।
- **हब फॉर इम्पावरमेंट ऑफ वूमेन (60:40 के अनुपात में केन्द्र व राज्य द्वारा वित्त पोषित):-**

  योजना का उद्‌देश्यः-
  - ➢ महिलाओं से सम्बन्धित विभिन्न मुद्‌दों जैसे-घरेलू हिंसा, दहेज, शिक्षा, स्वास्थ्य, अधिकार, जेंडर, यौन हिंसा आदि के संबंध में जागरूकता।
  - ➢ ग्रामीण महिलाओं और किशोरियों को सरकारी योजनाओं से लिंक्ड करना।
  - ➢ बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओ योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में सहयोग करना।
  - ➢ योजना के संचालन के लिए प्रदेश स्तर पर 8 एवं प्रत्येक जनपद में 07 कार्मिकों का प्रावधान।

गतिविधियां:-

- महिलाओं के लिए उपलब्ध योजनाओं और सुविधाओं के संबंध में महिलाओं को जानकारी प्रदान करना तथा उनका लाभ प्राप्त करने में सहायता करना।
- जिला/ब्लॉक स्तर पर सरकारी पदाधिकारियों को संवेदनशील बनाना और उन्हें ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बनाई गई विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के बारे में उन्मुख करना।
- लैंगिक समानता के लिए जमीनी स्तर पर जागरूकता अभियान आयोजित करना।
- बीपीएल सर्वेक्षण, आधार (यूआईडी), मनरेगा नामांकन जैसे मौजूदा सरकारी तंत्रों के माध्यम से सरकारी कार्यक्रमों में नामांकन हेतु महिलाओं को सहायता प्रदान करना।
- शौर्य दल जैसे समूहों में शामिल होने के लिए महिलाओं को एकजुट करना और ग्रामीण स्तर पर मौजूदा समूहों को मजबूत करने में मदद करना आदि।
- योजना वित्तीय वर्ष 2022-23 से संचालित है, उक्त योजना में 2022-23 से 2024-25 तक कुल 13069 गतिविधियों के माध्यम से 20.63 लाख महिलाओं तथा बालिकाओं को सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया।

- **कृष्ण कुटीर (शतप्रतिशत केन्द्र पोषित):-**
  - महिला कल्याण निगम के अन्तर्गत जनपद मथुरा में निराश्रित महिलाओं को आश्रय प्रदान करने के उद्देश्य से 1000 की क्षमता के कृष्ण कुटीर आश्रय सदन, वृन्दावन का संचालन वर्ष 2018-19 से महिला कल्याण निगम के माध्यम से किया जा रहा है। इस आश्रय सदन में निराश्रित महिलाओं को निःशुल्क भरण-पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, वस्त्र विस्तर आदि की व्यवस्था है। साथ ही आवासित महिलाओं की काउन्सिलिंग कर उनके परिवार/रिश्तेदार के साथ पुनर्वासित कराया जाता है। वर्तमान में कृष्ण कुटीर आश्रय सदन, मथुरा में 392 महिलाएं निवासरत हैं।

- **राजकीय महिला शरणालय (शतप्रतिशत राज्य पोषित):-**
  - महिला कल्याण विभाग के अन्तर्गत महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु प्रदेश में राजकीय महिला शरणालय/संरक्षण गृह का संचालन किया जा रहा है, जिसमें भारतीय दण्ड संहिता में वांछित साक्ष्य हेतु प्रस्तुत की जाने वाली पीड़ित महिलाओं, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत पीड़ित महिलाओं, भटकी हुई नैतिक संकट से ग्रसित संरक्षण की आवश्यकता वाली एवं जरूरतमंद, महिलाओं को रखे जाने का प्राविधान है। इन गृहों में महिलाओं को निःशुल्क भरण-पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, वस्त्र, बिस्तर, कौशल विकास प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था है।
  - इस योजना के अन्तर्गत वर्तमान प्रदेश के 08 जनपदों यथा- गोरखपुर, मथुरा, अयोध्या, मुरादाबाद, मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज एवं बरेली में राजकीय महिला शरणालय, 01 जनपद- यथा आगरा में राजकीय संरक्षण गृह (महिला) तथा 01 जनपद-यथा बरेली में

मानसिक रूप से अविकसित महिलाओं के प्रकोष्ठ का संचालन किया जा रहा है। इन गृहों में वर्तमान में भिन्न-भिन्न समस्याओं से पीड़ित 246 संवासिनी एवं 25 उनके बच्चे आवासित है।

- इसके अतिरिक्त प्रदेश में 18 वर्ष व उससे अधिक आयु की मानसिक मन्दित महिलाओं को आश्रय प्रदान करने के उद्देश्य से जनपद लखनऊ में स्वैच्छिक संगठन के माध्यम से 100-100 की क्षमता के 02 आश्रय गृहों का संचालन माह अक्टूबर, 2022 से किया जा रहा है। इन आश्रय गृहों में संवासियों को निःशुल्क उच्च कोटि की आवासीय, भोजन, शिक्षण-प्रशिक्षण, चिकित्सा एवं पुनर्वासन की समुचित व्यवस्था है। इन गृहों में वर्तमान में 228 महिलाएं निवासरत हैं।

- **मिशन शक्ति अभियानः-**
  - उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मा. मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में "महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, सशक्तिकरण व सम्मान" के उद्देश्यों के साथ "मिशन शक्ति" के रूप में बृहद अभियान के पहले चरण की शुरूवात 17 अक्टूबर 2020 को की गई थी तथा अभी तक 5 चरणों में इसका संचालन किया जा चुका है। मिशन शक्ति के अन्तर्गत प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग, गृह विभाग सहित 28 विभागों, समाज-सेवी संस्थाओं तथा शैक्षणिक संस्थानों द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। "मिशन शक्ति" के माध्यम से महिलाओं से संबंधित सभी मुद्दों पर सरकार में शामिल प्रतिनिधियों, विभिन्न विभागों में कार्यरत् अधिकारियों व कार्मिकों सहित जनसामान्य को जागरूक करने हेतु विभाग द्वारा प्रभावी प्रयास किये गये हैं। महिला एवं बाल विकास द्वारा मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत कुल लगभग 9 करोड़ व्यक्तियों तक पहुँचकर उन्हें प्रदेश में महिलाओं तथा बच्चों हेतु संचालित कल्याणकारी योजनाओं/सुविधाओं तथा कानूनों के बारे में संवेदनशील करने का प्रयास किया गया है।
  - मुख्य गतिविधियों के अंतर्गत स्थानीय प्रशासन तथा जनसामान्य के मध्य दूरी को कम करने तथा महिलाओं को खुलकर अपनी समस्यायें व सुझाव रखने हेतु जहाँ एक ओर "हक की बात जिलाधिकारी के साथ" जैसे कार्यक्रमों का समय-समय पर आयोजन किया गया, वहीं दूसरी ओर बच्चों तथा महिलाओं के मुद्दों को ग्राम पंचायत विकास योजनाओं में शामिल करने हेतु संरक्षण समितियों को सक्रिय किया गया। "स्वालम्बन कैम्प" के माध्यम से सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुँचाने के प्रयास किये जा रहे हैं। युवाओं मुख्य रूप से बालिकाओं को आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बनाने व उन्हें विभिन्न प्रशासनिक पदों तथा व्यवसायों में शामिल होने हेतु प्रशासन की पाठशाला का आयोजन भी किया गया और प्रदेश में मानसिक स्वास्थ्य में मनोसामाजिक परामर्श के मुद्दों के प्रति भी समाज को जागरूक किया गया।

- **बच्चों तथा महिलाओं संबंधी विभिन्न अधिनियमों का क्रियान्वयनः-**
  - हानिकारक प्रथाओं जैसे कि समय पूर्व बाल-विवाह, बाल श्रम, बाल भिक्षावृति, बाल यौन

शोषण सहित महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, दहेज, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न आदि मुद्दों से संबंधित अधिनियमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा विभिन्न गतिविधियों को संचालन, प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा संवेदीकरण कार्यशालायें की जा रही हैं। जनपद स्तर दहेज प्रतिबंध अधिकारियों, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न रोकने हेतु अधिनियम के अंतर्गत ऐसे सभी राजकीय व गैर सरकारी/निजी कार्यालयों जहां कार्मिकों की संख्या 10 या उससे अधिक है, में आंतरिक परिवाद समिति तथा जनपद स्तर पर स्थानीय परिवाद समितियों का गठन कराया गया है। बाल विवाह अधिनियम 2006 के अन्तर्गत बाल विवाह की रोकथाम हेतु प्रदेश में राज्य स्तरीय निगरानी समिति तथा जनपद स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है।

- 1707 से अधिक संभावित बाल विवाह रूकवाये गये है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में महिलाओं की सुरक्षा तथा सामाजिक व आर्थिक सशक्तीकरण प्रदान किये जाने हेतु प्रारम्भ की गयी नवीन योजनाएं-

- **सखी निवास (60:40 के अनुपात में केन्द्र व राज्य द्वारा वित्त पोषित):-**
  - मिशन शक्ति योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा विभाग के माध्यम से जनपद गोरखपुर, मथुरा, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, आगरा, बरेली, मेरठ, गौतमबुद्धनगर एवं गाजियाबाद में 50-50 की क्षमता के 14 सखी निवास का संचालन इस वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ कर दिया जायेगा।
- **शक्ति सदन (60:40 के अनुपात में केन्द्र व राज्य द्वारा वित्त पोषित):-**
  - मिशन शक्ति योजना की उप योजना सामर्थ के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा विभाग के माध्यम से 13 जनपदों अलीगढ़, आजमगढ़, कानपुर नगर, चित्रकूट, झांसी, गोंडा, बस्ती, मिर्जापुर, वाराणसी, मऊ, मथुरा, बुलन्दशहर एवं सहारनपुर में 50 की क्षमता के 13 शक्ति सदन इस वित्तीय वर्ष में संचालित किये जाने हैं, जिनमें विभिन्न श्रेणी की संकटग्रस्त, घरेलू हिंसा से पीड़ित, आपदा प्रभावित आदि महिलाओं को सुरक्षित आवासीय परिसर, निशुल्क भोजन, वस्त्र, बिस्तर तथा व्यक्तिगत उपयोग की अन्य वस्तुएं उपलब्ध करायी जाती हैं। साथ ही संवासिनियों को यथावश्यक परामर्श, शिक्षा, कानूनी सेवाएं, चिकित्सकीय सुविधाएं व व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
- **नारी अदालत (शत प्रतिशत केन्द्र पोषित):-**
  - योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर विभागीय योजनाएं यथा-वन स्टॉप सेन्टर, 181-वूमेन हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि के संबंध में 07-11 महिलाओं का समूह बनाकर आम जनमानस को जागरूक किया जाना है। यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश के 08 आकांक्षात्मक जनपदों यथा बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर एवं सोनभद्र में प्रारम्भ की गयी है। इस योजना

के क्रियान्वयन से ग्रामीण स्तर/दूर दराज तक की महिलाओं को विभागीय योजनाओं की जानकारी दी जाएगी।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य में महिला कामगारों को प्रोत्साहन तथा सुरक्षित आश्रय प्रदान किये जाने हेतु प्रारम्भ की गयी योजनाएं-

- **श्रमजीवी महिला छात्रावास-S S I (S S I) (भारत सरकार द्वारा सहायतित):-**
  - ➢ महिला कल्याण विभाग द्वारा महिला सशक्तिकरण के अन्तर्गत प्रदेश की कामकाजी महिलाओं को नगरीय/शहरीय क्षेत्र में सस्ती दरों पर आवासीय सुविधा के साथ-साथ सुरक्षा एवं संरक्षण के मानकों के अनुरूप CCTV कैमरा, सुरक्षा गार्ड, अग्निशमन यंत्र, कामकाजी महिलाओं के शिशुओं हेतु शिशु-सदन (क्रेंच), अनवरत विद्युत आपूर्ति हेतु जनरेटर/इनवर्टर, जिम सेन्टर, आडिटोरियम, लॉन्ड्री सुविधा, अन्तःवासियों एवं आगन्तुकों हेतु वाहन पार्किंग, पब्लिक ट्रान्सपोर्टेशन हेतु वाहन, कैन्टीन, डिपार्टमेन्टल/किराना स्टोर आदि सुविधाओं के साथ-साथ मिशन शक्ति की गाइडलाइन के मानकों के अनुसार वार्डेन, सुरक्षा स्टाफ, हाउसकीपिंग स्टाफ एवं आवश्यकतानुार अन्य कार्मिकों की तैनाती सुनिश्चित की जायेगी।
  - ➢ इस हेतु भारत सरकार द्वारा Special Assistance to States for Capital Investment (SASCI) के अन्तर्गत प्रदेश के जनपद लखनऊ, गौतमबुद्धनगर तथा गाजियाबाद में 500-500 की क्षमता के अत्याधुनिक सुविधायुक्त 08 कामकाजी महिला छात्रावास का निर्माण किया जाना है। इस हेतु उक्त तीनों जनपदों में समस्त 08 छात्रावासों के निर्माण हेतु विभाग के पक्ष में रु. 1 प्रति वर्ष की लीज पर रिहायसी व नगर से सुसम्बद्ध स्थानों पर स्थित भूमि के हस्तान्तरण की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है।
  - ➢ छात्रावास के निर्माण कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा प्राविधान रु.381.56 करोड़ के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में रु. 251.83 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है।
- **मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास योजना (शत प्रतिशत राज्य पोषित):-**
  - ➢ उपर्युक्तानुसार भारत सरकार द्वारा (SASCI) के अन्तर्गत निर्मित किये जाने वाले छात्रावासों के अनुरूप ही प्रदेश सरकार द्वारा शतप्रतिशत वित्त पोषित मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास योजना प्रारम्भ की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 07 जनपदों यथा वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर नगर, झांसी एवं आगरा में 500-500 की क्षमता के श्रमजीवी महिला छात्रावासों का निर्माण कराया जाएगा।
  - ➢ इन छात्रावासों के निर्माण हेतु रु. 170 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

●

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक़्फ़

अल्पसंख्यक वर्गों की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में उनकी विशिष्ट समस्याओं का निराकरण करने तथा उनका शैक्षिक, सामाजिक विकास करके उन्हें राष्ट्र एवं समाज की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से शासन द्वारा अनेक योजनायें चलाई जा रही हैं। ऐसी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, संचालन तथा समन्वय के लिये उत्तर प्रदेश शासन की विज्ञप्ति दिनांक 12 अगस्त, 1995 द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ़ विभाग का गठन किया गया।

प्रदेश शासन की अधिसूचना दिनांक 07.10.1994 द्वारा मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध एवं पारसी समुदायों तथा अधिसूचना दिनांक 29 मार्च, 2003 द्वारा जैन समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय अधिसूचित किया गया है।

विभाग के उद्देश्यः-

1. प्रदेश के अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल तथा कौशल विकास से जुड़ी सुविधाओं का सृजन कर इन क्षेत्रों के निवासियों हेतु विकास के अवसर सृजित करना।
2. अल्पसंख्यकों में स्कूल छोड़ देने (ड्राप-आउट) की प्रवृत्ति नियंत्रित करने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के समान छात्रवृत्ति वितरित कर शिक्षा का प्रसार करना।
3. मदरसों में व्यावसायिक शिक्षा व कम्प्यूटर शिक्षा को प्रभावी ढंग से लागू करना, जिससे कि इन परम्परागत शिक्षण संस्थाओं से शिक्षण प्राप्त अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चे राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ सकें।
4. वक़्फ़ सम्पत्तियों का विकास कर उनसे होने वाली आय को बढ़ाना ताकि वक़्फ़ वाकिफ़ की इच्छानुसार परोपकारी (सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक) संस्थाओं के रूप में प्रभावी योगदान कर सकें।
5. मातृ/शिशु तथा वृद्धों से सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाओं की अल्पसंख्यकों में पहुँच बढ़ाना।
6. निजी/अर्द्धसरकारी तथा सरकारी क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों के सेवायोजन की स्थिति में सुधार हेतु चलायी जा रही योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू कराना।
7. उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से स्वरोज़गार हेतु ऋण दिलाने के लिए मार्जिन मनी उपलब्ध कराना, टर्मलोन देना तथा मेधावी छात्रों को उच्च व्यावसायिक शिक्षा के लिये ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराना।

अधीनस्थ विभागों के कार्यकलाप

1. सर्वे कमिश्नर, वक़्फ़ः-

उत्तर प्रदेश वक़्फ़ अधिनियम-1960 के अन्तर्गत सर्वे कमिश्नर वक़्फ़ संगठन की स्थापना वर्ष 1976 में की गयी। इस योजना के अन्तर्गत अपंजीकृत छिपे हुए औकाफ़ों का पता लगाकर उनको पंजीकृत करना, औकाफ़ों का सर्वेक्षण करना, पंजीकृत औकाफ़ों से अनाधिकृत कब्जे हटवाने, राजस्व अभिलेखों में सम्पत्तियों को दर्ज़ कराने की कार्यवाही सम्बन्धित वक़्फ़ बोर्ड से कराया जाना प्रमुख है। वक्फ़ अधिनियम 1995 (यथा संशोधित 2013) के अनुसार पंजीकृत वक़्फ़ सम्पत्तियों का रख-रखाव सम्बन्धित वक़्फ़ बोर्ड द्वारा किया जाता है।

2. अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालयः-

निदेशालय तथा इसके अधीनस्थ क्षेत्रीय (फील्ड) कार्यालयों का गठन वर्ष 1995-96 में किया गया है। निदेशालय द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों के प्रशासनिक नियंत्रण के साथ-साथ प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिये छात्रवृत्ति योजना, पुत्री के विवाह हेतु अनुदान तथा अरबी, फारसी मदरसों से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन एवं संचालन किया जाता है।

3. उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेडः-

अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु भारत सरकार के 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम का गठन 17 नवम्बर, 1984 को कम्पनी के रूप में किया गया। निगम की अधिकृत पूँजी रु. 30.00 करोड़ है। इसका रजिस्टर्ड कार्यालय सातवां तल, जवाहर भवन, लखनऊ है। जिला स्तर पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी निगम के पदेन जिला प्रबन्धक के रूप में कार्य करते हैं। निगम द्वारा टर्मलोन योजना अपनी अंश पूंजी तथा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम से प्राप्त ऋण से संचालित की जाती है। व्यावसायिक प्रशिक्षण/कौशल सुधार योजना तथा परीक्षा पूर्व कोचिंग योजना शासन से प्राप्त अनुदान से चलायी जाती है। इसके अतिरिक्त निगम द्वारा ब्याज रहित शैक्षिक ऋण योजना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम के सहयोग से चलायी जाती है।

4. उत्तर प्रदेश वक़्फ़ विकास निगम लिमिटेडः-

प्रदेश में स्थित औकाफ के विकास, उनकी आर्थिक स्थिति को मज़बूत बनाने के उद्‌देश्य से उ.प्र. वक़्फ़ विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 27 अप्रैल, 1987 को रु. पांच करोड़ की अधिकृत अंशपूँजी से की गयी थी। वर्तमान में निगम की अंश पूँजी रु.10.00 करोड़ है।

5. उत्तर प्रदेश राज्य हज समितिः-

हज-2024 के आवेदन हेतु समस्त जिलों में हज ई- सुविधा केन्द्र जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की देख-रेख में स्थापित कराये गये, जहाँ पर यात्रियों को निःशुल्क आवेदन की व्यवस्था उपलब्ध करायी गयी। जिला स्तर पर प्रशिक्षित प्रशिक्षकों द्वारा चयनित हज आवेदनकर्ताओं को यात्रा से पूर्व प्रशिक्षण दिलाया गया। जिला स्तर पर यात्रियों के टीकाकरण एवं मेडिकल फिटनेस कैम्प

जिला अस्पताल व प्रशिक्षण केन्द्रों पर लगाकर सभी यात्रियों को टीकाकरण व फिटनेस प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये गये। उड़ान स्थल पर यात्रियों के ठहरने हेतु स्थल को वातानुकूलित कराया गया, पेयजल की विशेष व्यवस्था के अन्तर्गत वाटर ए.टी.एम. लगाये गये। यात्रियों को हज हाउस पर ही समस्त औपचारिकतायें पूर्ण किये जाने उपरान्त सीधे लो फ्लोर ए.सी. बसों से उड़ान हेतु एयरपोर्ट भेजा गया। एयरपोर्ट पर भी अतिरिक्त वालेन्टियर्स व कर्मचारी तैनात कर यात्रियों के कार्यों को सुविधाजनक बनाया गया।

6. उत्तर प्रदेश सुन्नी सेन्ट्रल वक़्फ़ बोर्डः-

वक़्फ़ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत उ.प्र. सुन्नी सेण्ट्रल वक़्फ़ बोर्ड का गठन वर्ष 1999 में किया गया। वर्तमान बोर्ड का गठन अधिसूचना दिनांक 30.10.2009 द्वारा किया गया था।

7. उत्तर प्रदेश शिया सेन्ट्रल वक़्फ़ बोर्डः-

वक़्फ़ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत उ.प्र. शिया सेण्ट्रल वक्फ बोर्ड का गठन वर्ष 2021 में किया गया। शिया वक़्फ़ बोर्ड के निर्वाचन हेतु दिनांक 14 नवम्बर 2021 द्वारा अधिसूचना निर्गत कर बोर्ड का गठन किया गया।

8. उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोगः-

अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों एवं उनके हितों के संरक्षण करने, उनकी समस्याओं का अध्ययन करके समय-समय पर सरकार को परामर्श देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन वर्ष 1969 में किया गया, वर्ष 1994 में इसे वैधानिक दर्ज़ा देते हुए उत्तर प्रदेश अल्संख्यक आयोग अधिनियम- "1994" बनाया गया आयोग के कामकाज को प्रभावी एवं बेहतर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम- "1994" यथासंशोधित अधिनियम-2013 प्रख्यापित किया गया।

9. वसीका कार्यालय हुसैनाबाद, लखनऊः-

वसीका कार्यालय द्वारा आठ प्रकार के वसीकों, 11 प्रकार के राजनीतिक पेन्शनों तथा 13 प्रकार के अमानती नोट पर ब्याज के भुगतान किये जाने के साथ-साथ काला इमामबाड़ा तथा मिर्जा अली खाँ के मकबरे के नियन्त्रण/देखरेख का कार्य भी किया जाता है।

10. उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेशः-

उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मान्यता अनुदानित/गैर अनुदानित अरबी तथा फारसी मदरसों के निरीक्षण एवं उसके प्रशासनिक कार्यों की देख-रेख के लिए निरीक्षक तथा अरबी- फारसी मदरसों की मुंशी, मौलवी, आलिम, कामिल तथा फाजिल परीक्षाओं के लिए पदेन रजिस्ट्रार, अरबी-फारसी परीक्षाएं, उत्तर प्रदेश भी है।

प्रदेश शासन द्वारा उ.प्र. मदरसा शिक्षा परिषद की मुन्शी तथा मौलवी को राजकीय सेवाओं के प्रयोजनार्थ हाईस्कूल तथा आलिम परीक्षा को इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष मान्यता का स्वरूप प्रदान किया गया है।

11. उत्तर प्रदेश वक़्फ़ न्यायाधिकरणः-

प्रदेश में स्थित वक़्फ़ सम्पत्तियों के विवादों के निस्तारण हेतु शासन द्वारा अधिसूचना दिनांक 03.03.2014 के माध्यम से उ.प्र. वक़्फ़ न्यायाधिकरण लखनऊ का गठन किया गया है।

विभाग द्वारा संचालित मुख्य कार्यक्रम

निदेशालय द्वारा संचालित योजनायेंः-

1. पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजनाः-

पूर्वदशम् कक्षाओं कक्षा 9 एवं 10 में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं हेतु योजनान्तर्गत निर्गत शासनादेश दिनांक 27.09.2023 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे सभी छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था के अन्तर्गत छात्रवृत्ति का भुगतान पी.एफ.एम.एस. पोर्टल के माध्यम से आधार आधारित भुगतान द्वारा छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में डी.बी.टी. के माध्यम से अंतरित किये जाने की व्यवस्था है, जिनके अभिभावकों की अधिकतम वार्षिक आय रु. 2.50 लाख है, को अधिकतम रु. 3000.00 वार्षिक की छात्रवृत्ति से लाभान्वित किये जाने का प्राविधान है।

2. दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनाः-

दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं को आगे की शिक्षा के लिए प्रेरित किये जाने के उद्देश्य से योजनान्तर्गत निर्गत संशोधित शासनादेश/नियमावली दिनांक 27.09.2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार जिनके अभिभावकों की अधिकतम वार्षिक आय रु. 2.00 लाख तक है, योजनान्तर्गत अर्ह/पात्र माने जायेंगे।

3. मेडिकल/इंजीनियरिंग की परीक्षा पूर्व कोचिंग योजनाः-

जनपद लखनऊ में 100 छात्र/छात्राओं को मेडिकल/इंजीनियरिंग की कोचिंग योजना के लिये कुल फीस (अधिकतम रु. 15000.00 प्रति अभ्यर्थी) दी जाती है। अभ्यर्थी को कोचिंग में प्रवेश के समय 50 प्रतिशत राशि एवं कोर्स समाप्ति पर 50 प्रतिशत का भुगतान किया जाता है।

4. अरबी फारसी मदरसों को मान्यता एवं अनुदानः-

अरबी फारसी मदरसों को मान्यता प्रदान करने तथा इनकी परीक्षाओं को संचालित करने हेतु प्रदेश स्तर पर मदरसा शिक्षा परिषद स्थापित हैं। प्रदेश के तहतानियां, फौकानियां तथा उच्च श्रेणी के मदरसों को मान्यता रजिस्ट्रार स्तर से प्रदान की जाती है।

5. अनुदानित मदरसों को पोषण अनुदान दिये जाने की योजनाः-

अनुदानित मदरसों में एन.सी.ई.आर.टी. की पुस्तकें, विद्युत व्यय, जल/भूमिकर, पुस्तक एवं लेखन सामग्री, काष्ठोपकरण, आनुषंगिक व्यय तथा भवन के जीर्णोद्धार के लिये निर्धारित शर्तों एवं मानक के अनुसार अनुदान दिया जाता है।

6. प्रदेश के मान्यता प्राप्त मदरसों में वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम (मिनी आई.टी.आई.):-

प्रदेश के मान्यता प्राप्त मदरसों में परम्परागत शिक्षा के साथ-साथ अध्ययनरत बालक/बालिकाओं

को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम (मिनी आई.टी.आई.) प्रारम्भ की गयी है, जिसके प्रथम चरण में 140 मदरसों में मिनी आई.टी.आई. की स्थापना कर मदरसा प्रबन्ध-तंत्र को परम्परागत शिक्षा के साथ-साथ बालक/बालिकाओं को उनकी अभिरुचि के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

7. अरबी फारसी मदरसों के अध्यापकों/अध्यापिकाओं के लिए राज्य अध्यापक पुरस्कार योजनाः-

इस योजना के अन्तर्गत तीन श्रेणी के पुरस्कार होंगे, तहतानिया स्तर के 03, फौकानिया स्तर के 03 एवं आलिया स्तर के 03 कुल 09 अरबी फारसी मदरसों के अध्यापक/अध्यापिकाओं को राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु प्रति वर्ष चयनित किए जाने की व्यवस्था है।

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (मल्टीसेक्टोरल डेवलपमेंट प्लान)ः-

यह योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2007-12 के अन्तर्गत मल्टी सेक्टोरल डवलपमेन्ट कार्यक्रम के नाम से प्रदेश स्तर पर ऐसे 21 जनपदों, जिनमें अल्पसंख्यक जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक है, में लागू की गयी थी। वर्ष 2022-23 से यह योजना प्रदेश के सभी जनपदों में लागू कर दी गई है। अल्पसंख्यक समुदाय में शिक्षा, रोजगार और अन्य मूलभूत सुविधाओं के अन्तर को दूर करने के लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश निरन्तर प्रयत्नशील है। कार्यक्रम के अन्तर्गत अब शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं के सृजन पर अधिकाधिक बल दिया जा रहा है। यह प्रयास है कि परियोजनाओं को तय समय में पूर्ण करके क्रियाशील बनाया जाय जिससे जन सामान्य को इसका लाभ मिल सके। योजना के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पेयजल इत्यादि क्षेत्रों की 01 अप्रैल 2022 को कुल 1218 परियोजनाएं निर्माणाधीन थीं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल 400 निर्माणाधीन परियोजनाओं के पूर्ण किये जाने के लक्ष्य के सापेक्ष माह जनवरी, 2025 के अन्त तक 335 परियोजनाएं पूर्ण की गयीं।

●

पिछड़ा वर्ग कल्याण

- पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की स्थापना की गई है। पिछड़ा वर्ग कल्याण के अन्तर्गत वर्तमान में पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम तथा उ.प्र. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग स्थापित है।
- धर्म निरपेक्षता और प्रजातांत्रिक प्रणाली को आधार मानकर भारतीय संविधान में देश के सभी नागरिकों को जहां समानता का अधिकार दिया गया है वहीं समाज के कमजोर और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक रूप से ऊंचा उठाने हेतु संविधान की धारा , , , , , , , तथा का प्राविधान किया गया है। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के हितार्थ विभिन्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। वर्ष 95-96 तक यह कार्यक्रम प्रदेश के समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाये जा रहे थे। अन्य पिछड़े वर्ग की जनसंख्या के विकास एवं कल्याण हेतु निःसंदेह ही एक स्वतंत्र विभाग की आवश्यकता का अनुभव बहुत पहले से किया जा रहा था। अतः वर्ष 1995-96 में, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश दिनांक 12 अगस्त, 1995 द्वारा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की स्थापना स्वतंत्र रूप से की गयी।
- उ.प्र. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन का शासनादेश दिनांक 09 मार्च, 1993 द्वारा किया गया था जो राज्याधीन सेवाओं में पिछड़े वर्ग हेतु अनुमन्य आरक्षण सुनिश्चित कराने तथा पिछड़े वर्ग की सूची में अपेक्षित जातियों का समावेश करने अथवा निष्कासित करने की संस्तुति शासन को भेजने का कार्य कर रहा है। वर्तमान में 79 जातियाँ पिछड़ी जाति के रूप में अधिसूचित हैं।
- उ.प्र. पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की स्थापना शासनादेश दिनांक 20 सितम्बर, 1989 द्वारा की गयी हैं, जो पिछड़े वर्ग के कमजोर लोगों के आर्थिक उत्थान हेतु परियोजनाएं स्थापित करने के लिए उन्हें ऋण उपलब्ध कराने का कार्य कर रहा है।

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित प्रमुख कार्य योजनाएं

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत निदेशालय के माध्यम से मुख्यतः पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना, दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना, शुल्क प्रतिपूर्ति योजना, शादी अनुदान योजना, कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना पूर्णतया आनलाइन संचालित है तथा छात्रावास निर्माण योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से एवं छात्रावास अनुरक्षण योजना राज्य सरकार के सहयोग से संचालित है।

पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजनाः-

समस्त राजकीय विद्यालय, राजकीय सहायता प्राप्त एवं निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, जो उत्तर प्रदेश में स्थित हो, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी ऐसे अध्ययनरत् छात्र/छात्रायें जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय सीमा रु- . लाख या उससे कम हो, को पूर्वदशम् छात्रवृत्ति बजट की उपलब्ध सीमा तक दिये जाने का प्राविधान है। इस हेतु छात्र को छात्रवृत्ति प्रबन्धन प्रणाली की वेबसाइट scholarship.up.gov.in पर निर्धारित समयान्तर्गत आनलाइन आवेदन किया जाना होता है। वर्तमान में कक्षा 1-8 की छात्रवृति योजना स्थगित है, केवल 9-10 हेतु संचालित है। कक्षा 9 व 10 तक रु.150 प्रतिमाह- अधिकतम 10 माह हेतु एवं वार्षिक तदर्थ अनुदान रु 750/- एकमुश्त, अधिकतम रु. 2250/-वार्षिक पी.एफ.एम.एस. पोर्टल के माध्यम से सीधे छात्रों के बैंक खाते में दिए जाने का प्राविधान है।

दशमोत्तर छात्रवृतित/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनाः-

समस्त राजकीय विद्यालय, राजकीय सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, जो उत्तर प्रदेश में स्थित हो, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी ऐसे अध्ययनरत् छात्र/छात्रायें जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय सीमा रु- . लाख या उससे कम हो, को दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति/बजट की उपलब्ध सीमा तक दिये जाने का प्राविधान है। इस हेतु छात्र को छात्रवृत्ति प्रबन्धन प्रणाली की वेबसाइट scholarship.up.gov.in पर निर्धारित समयान्तर्गत आनलाइन आवेदन किया जाना होता है। कोर्स ग्रुप समूह-1 में बी.टेक, एम.बी.ए., एम.बी.बी.एस कोर्स, समूह-2 में एम.एस.सी., एम.ए., बी.बी.ए., पी.जी. डिप्लोमा आदि कोर्स, समूह-3 में बी.ए.,बी.एस.सी., बी.काम. आदि कोर्स तथा समूह-4 में इण्टरमीडिएट, आई.टी.आई., पालीटेक्निक आदि कोर्स सम्मिलत है, जिन्हें कोर्स ग्रुपवार निर्धारित दरों के अनुसार छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान पी.एफ.एम.एस. पोर्टल के माध्यम से सीघे छात्रों के बैंक खातों में दिए जाने का प्राविधान है। शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में कोर्सग्रुप-1 के छात्रों को अधिकतम रु. 50 हजार कोर्सग्रुप-2 के छात्रों को अधिकतम रु. 30 हजार, कोर्सग्रुप-3 में अध्ययनरत छात्रों को अधिकतम रु. 20 हजार व कोर्सग्रुप-4 के में अध्ययनरत छात्रों को अधिकतम रु. 10 हजार अथवा संस्था की सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क अथवा छात्र द्वारा मांग की गई शुल्क, इनमें से जो न्यूनतम हो, दिए जाने का प्राविधान है।

शादी अनुदान योजनाः-

इस योजनान्तर्गत आवेदक की आवेदन हेतु निर्धारित आय शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम रु. 1,00,000/- (रु. एक लाख) है। शादी योजना में रु. 20,000/- प्रति शादी की सहायता दी जाती है। शादी योजना में लड़की की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष एवं लड़के की 21 वर्ष होना आवश्यक है। योजनान्तर्गत विकलांग, विधवा, दैवीय आपदा से ग्रसित एवं भूमिहीनों को प्राथमिकता दी जाती है। यह योजना वर्ष 2016-17 से पूर्णतया आनलाइन है, जिसमें लाभार्थी पुत्री की शादी की तिथि के 90 दिन पूर्व तक अथवा 90 दिन बाद तक आनलाइन आवेदन कर सकता है, जिसका सत्यापन व अग्रसारण खण्ड विकास अधिकारी (ग्रामीण क्षेत्र हेतु)/उपजिलाधिकारी

(शहरी क्षेत्र हेतु) के द्वारा आनलाइन किया जाता है। लाभार्थी को अनुदान का भुगतान पी.एफ.एम.एस. पोर्टल के माध्यम से सीधे बैंक खातों में दिए जाने का प्राविधान है। लाभार्थियों के चयन के लिए जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित है जिसमें मुख्य विकास अधिकारी–उपाध्यक्ष, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी–सदस्य/सचिव और जनपद के समस्त मा. सांसदगण एवं मा. विधायकगण अथवा उनके नामित प्रतिनिधि सदस्य के रूप में नामित है।

कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजनाः–

अन्य पिछड़े वर्ग के इण्टरमीडिएट पास बेरोजगार युवक/युवतियों, जिनके माता–पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय रु. एक लाख तक अथवा उससे कम है, को भारत सरकार की नीलिट से मान्यता प्राप्त संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किये जाने का प्राविधान है। 'ओ' लेवल कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु भुगतान की जाने वाली धनराशि अधिकतम रु. 15,000/- प्रति प्रशिक्षार्थी तथा सी.सी.सी. कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु रु. 3,500/- अधिकतम सीधे संस्था को भुगतान किये जाने की व्यवस्था है। यदि लाभार्थी द्वारा संस्था को पूरी फीस जमा कर दी गई हो तो जमा रसीद को संस्था से सत्यापित कराने के बाद भुगतान विभाग द्वारा सीधे लाभार्थी को किये जाने की व्यवस्था है। 'ओ' लेवल कम्प्यूटर प्रशिक्षण की अवधि 01 वर्ष तथा 'सी.सी.सी.' कम्प्यूटर प्रशिक्षण की अवधि 03 माह होती है। कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु संस्थाओं के चयन की कार्यवाही निदेशक की अध्यक्षता में एवं लाभार्थियों के चयन के लिए जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से की जाती है।

छात्रावास निर्माण योजनाः–

योजना का उद्देश्य अन्य पिछड़े वर्ग के निर्धन छात्र/छात्राओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना है। छात्रावासों का निर्माण शैक्षिक संस्था के परिसर में किया जाता है। वर्तमान में छात्रावासों का निर्माण / छात्र/छात्राओं की क्षमता के कराये जाते हैं। वर्तमान में 100 छात्र क्षमता के 01 छात्रावास की निर्माण लागत रु. 407.36 लाख एवं 50 छात्र क्षमता के छात्रावास की निर्माण लागत रु. 276.47 लाख निर्धारित है। यह योजना केन्द्र/राज्य पोषित योजना है। राजकीय शिक्षण संस्थाओं में वित्त पोषण का अनुपात छात्राओं के लिए छात्रावास हेतु 90:10 केन्द्रांश व राज्यांश है और छात्रों के लिए छात्रावास हेतु 60:40 केन्द्रांश व राज्यांश है। योजनान्तर्गत 33 प्रतिशत छात्रावासों का निर्माण छात्राओं हेतु किये जाने का प्राविधान है।

छात्रावास अनुरक्षण योजनाः–

अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों हेतु निर्मित छात्रावासों में आवश्यकतानुसार अनुरक्षण का कार्य कार्यदायी संस्था के माध्यम से कराया जाता है। यह योजना वर्ष 2023-24 से संचालित की गयी है।

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की वर्ष 2024-25 की उपलब्धियां एवं 2025-26 हेतु प्रस्तावित बजट विवरण

➢ **पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजनाः–** पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में कक्षा 9-10 के कुल 8,62,790 पिछड़े वर्ग के छात्रों हेतु धनराशि रु. 183.26 करोड़

व्यय करते हुए पी.एफ.एम.एस. पोर्टल के माध्यम से कोषागार के ई-पेमेन्ट/एस.एन.ए. (Single Nodal Agency) के माध्यम से छात्रों के आधार बेस्ड/एकाउन्ट बेस खातों में धनराशि हस्तान्तरित कराकर लाभान्वित कराया गया है।

पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु रु. 325.00 करोड़ का बजट प्राविधान कराया गया है, जिससे इस वित्तीय वर्ष में लगभग 10.00 लाख से अधिक छात्र लाभान्वित होंगे।

दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 23,59,704 पिछड़े वर्ग के छात्रों हेतु धनराशि रु. 2248.73 करोड़ व्यय करते हुए पी.एफ.एम.एस. पोर्टल के माध्यम से कोषागार के ई-पेमेन्ट/ एस.एन.ए. के माध्यम से छात्रों के आधार बेस्ड/एकाउन्ट बेस खातों में धनराशि हस्तान्तरित कराकर लाभान्वित कराया गया है।

दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु 2500.00 करोड़ का बजट प्राविधान कराया गया है, जिससे इस वित्तीय वर्ष में लगभग 25.00 लाख से अधिक छात्र लाभान्वित होंगे।

- **शादी अनुदान योजनाः-** वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1,00,000 लाभार्थियों हेतु धनराशि रु. 100.00 करोड़ लाभार्थियों के खातों में पी.एफ.एम.एस. प्रणाली के माध्यम से व्यय कराकर लाभान्वित कराया गया है।

  वित्तीय वर्ष 2025-26 में रु. 200.00 करोड़ का प्राविधान है, जिससे 100000 लाभार्थी लाभान्वित होगें।

- **कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजनाः-** वित्तीय वर्ष 2024-25 में कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजनान्तर्गत 'ओ' लेवल के 22578 एवं सी.सी.सी. के साथ 7191 कुल 29769 प्रशिक्षणार्थियों को गुणवत्तापरक प्रशिक्षण प्रदान कराया गया। इस हेतु कुल रु. 32.92 करोड़ की धनराशि व्यय की गयी।

  वित्तीय वर्ष 2025-26 में रु. 35.00 करोड़ का प्राविधान है, जिससे लगभग 32000 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण से लाभान्वित होंगे।

- **छात्रावास अनुरक्षण योजनाः-** छात्रावासों के अनुरक्षण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में रु. 1.98 करोड़ से 06 छात्रावासों का अनुरक्षण कराया जा रहा है।

  वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस योजना में रु. 5.00 करोड़ का प्राविधान है।

●

दिव्यांगजन सशक्तीकरण

समाज के असहाय, सुविधाविहीन एवं कमजोर वित्तीय स्थिति वाले दिव्यांग व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास एवं उनके लाभ तथा सहायता के लिए बनाई गयी योजनाओं के सुचारु संचालन हेतु प्रदेश सरकार द्वारा अगस्त, को अलग से दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग का गठन किया गया।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के मुख्य दायित्व :-

. दिव्यांगजन के सम्बंध में नीति का निर्धारण करना एवं प्रभावशाली कियान्वयन सुनिश्चित करना।

. योजनाओं के माध्यम से दिव्यांगजन का सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक पुनर्वास कर समाज की मुख्य धारा में शामिल करना।

. दिव्यांगजन के विकास संबंध में निर्धारित राष्ट्रीय नीतियों, कार्यकमों, संस्थाओं के साथ समन्वय कर प्रदेश में प्रभावशाली तरीके से क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

. दिव्यांगजन के विकास संबंधी कार्य हेतु अन्तर्विभागीय समन्वय के साथ-साथ गैर सरकारी संस्थाओं को प्रोत्साहित करना।

. सेवाओं में दिव्यांगजन का आरक्षण एवं उनके सेवायोजन का पर्यवेक्षण करना आदि।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगजन हितार्थ संचालित महत्वपूर्ण योजनायें/कार्यक्रम
(दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश)
टोल फ्री हेल्पलाइन नं.-18001801995

- **दिव्यांग व्यक्तियों हेतु भरण-पोषण अनुदान (दिव्यांग पेंशन) योजना** : सभी पात्र निराश्रित दिव्यांग व्यक्ति, जिनकी आय गरीबी की रेखा हेतु निर्धारित आय सीमा में हो एवं दिव्यांगता प्रतिशत अथवा अधिक है, को रु. - प्रतिमाह की दर से दिव्यांग पेंशन दी जाती है। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु वेबपोर्टल www.sspy-up.gov.in पर आवेदन किया जा सकता है।
- **कुष्ठावस्था पेंशन योजना** : कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांगता से ग्रसित दिव्यांग जन जिनकी आय गरीबी की रेखा हेतु निर्धारित आय सीमा में हो एवं दिव्यांगता का प्रतिशत चाहे कुछ भी हो को रु. - प्रतिमाह की दर से अनुदान अनुमन्य है। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु वेबपोर्टल www.sspy-up.gov.in पर आवेदन किया जा सकता है।

- **कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण योजना :** न्यूनतम प्रतिशत दिव्यांगता वाले ऐसे दिव्यांगजन जिनकी आय गरीबी की रेखा हेतु निर्धारित आय सीमा में हो, को अधिकतम अनुदान रु. - से बढ़ा कर अगस्त, से रु. /- कर दिया गया है। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु वेबपोर्टल www.divyang anup.upsdc. gov.in पर आवेदन किया जा सकता है। वर्तमान में प्रासंगिक उपकरणों यथा- स्मार्ट फोन, टैब्लेट एवं डीजीप्लेयर प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी है।
- **दिव्यांगजन से शादी करने पर पुरस्कार :** शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत न्यूनतम प्रतिशत दिव्यांगता वाले ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति में से युवक के दिव्यांग होने की दशा में रु. - युवती के दिव्यांग होने की दशा में रु. - तथा युवक व युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में रु. - की धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जाती है। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु वेबपोर्टल www.divyang an.upsdc. gov.in पर आवेदन किया जा सकता है।
- **दुकान निर्माण/संचालन योजना :-** दुकान निर्माण/संचालन योजना के अंतर्गत न्यूनतम प्रतिशत दिव्यांगता वाले दिव्यांगजन को दुकान निर्माण हेतु रु. - एवं दुकान/खोखा/गुमटी/हाथ ठेला संचालन हेतु रु. - की धनराशि प्रदान की जाती है। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन www.divyang andukan.upsdc.gov.in पर किया जाता है।
- **दिव्यांगता निवारण हेतु शल्य चिकित्सा अनुदान :-** दिव्यांगता निवारण के लिए शल्य चिकित्सा हेतु राजकीय चिकित्सालय को उपलब्ध कराये गये अनुमानित व्यय के अनुसार अधिकतम रु. - एवं श्रवण बाधित बच्चों के कॉक्लियर इम्पलान्ट हेतु अधिकतम रु. . लाख प्रति लाभार्थी की दर से अनुदान प्रदान किया जाता है।
- **उ.प्र. राज्य सड़क परिवहन निगम की दिव्यांगजन की निःशुल्क बस यात्रा सुविधा :-** उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की सामान्य श्रेणी की बसों में न्यूनतम प्रतिशत दिव्यांगता वाले सभी दिव्यांगजन अकेले तथा प्रतिशत या उससे अधिक अथवा बहुदिव्यांगता से ग्रसित दिव्यांगजन को एक सहवर्ती के साथ निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जा रही है।
- **डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय (लखनऊ) :-** दिव्यांगजन की उच्च शिक्षा को सुगम बनाने के दृष्टिगत जनपद लखनऊ में डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय संचालित हैं, जहाँ समस्त पाठ्यक्रमों में प्रतिशत सीटें दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए आरक्षित हैं।
- **विशिष्ट दिव्यांगजन को राज्य स्तरीय पुरस्कार :-** प्रदेश के दक्ष दिव्यांग कर्मचारियों/स्वतः रोजगाररत दिव्यांग व्यक्तियों, दिव्यांगजन के सेवायोजकों/संस्थाओं एवं उत्कृष्ट प्लेसमेंट

अधिकारियों को प्रति वर्ष विश्व दिव्यांग दिवस दिसम्बर के अवसर पर श्रेणियों में राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं। पुरस्कार के रूप में प्रदत्त श्रेणियों में रु. - की धनराशि दी जाती है।

- **दिव्यांगजन हेतु विशेष विद्यालयों का संचालन :-** उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगजन हेतु विशेष विद्यालय- 'प्रयास' (शारीरिक रूप से अक्षम बालकों के लिये राजकीय विद्यालय), 'संकेत' (राजकीय मूक बधिर विद्यालय), 'ममता' (मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त बालकों/बालिकाओं का राजकीय विद्यालय) तथा 'स्पर्श' (राजकीय दृष्टिबाधित विद्यालय) का संचालन किया जा रहा है।
- **बचपन डे केयर सेन्टर्स :-** से वर्ष के श्रवणबाधित, मानसिक मंदित तथा दृष्टिबाधित दिव्यांग बच्चों के प्री-स्कूल रेडीनेस हेतु मण्डलीय जनपदों में बचपन डे केयर सेन्टर्स का संचालन किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभाग के महत्त्वपूर्ण लक्ष्य

. दिव्यांग पेंशन योजना के अन्तर्गत रु. . लाख की प्राविधानित धनराशि से लगभग दिव्यांगजन को पेंशन दिए जाने का लक्ष्य है।

. कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांगजन को रु. . लाख की प्राविधानित धनराशि से लगभग दिव्यांगजन को पेंशन दिए जाने का लक्ष्य है।

. कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण अनुदान योजना में रु. . लाख के प्रविधान से लगभग दिव्यांगजन को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।

. विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार देने हेतु रु. . लाख की धनराशि से लगभग दम्पत्तियों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।

. दुकान निर्माण/संचालन योजना के अन्तर्गत रु. . लाख की धनराशि से लगभग दिव्यांगजन को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।

. प्रदेश के विभिन्न उपयोगी सार्वजनिक कार्यालय/भवनों को चरणबद्ध ढंग से दिव्यांगजन हेतु सुगम्य बनाने एवं वहाँ बाधारहित वातावरण सृजित कर दिव्यांगजन को आसान पहुँच हेतु सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से सिपडा योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष - हेतु रु. . लाख पूंजीगत पक्ष धनराशि का प्राविधान किया गया है।

. सुगम्य भारत अभियान योजनान्तर्गत चिहित शासकीय एवं जनउपयोगी भवनों का एक्सेस ऑडिट तथा विभिन्न विभागों को दिव्यांगजन के हितार्थ बनाये जाने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष - हेतु राजस्व पक्ष में रु. . लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है।

. मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रुग्ण निराश्रित दिव्यांगजन के लिए आश्रय-गृह सह-

प्रशिक्षण केन्द्र संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान किये जाने हेतु कुल रु. . लाख का प्राविधान किया गया है।

. डिस्लेक्सिया व अटेंशन डैफिसिट एण्ड हाइपर एक्विटी सिन्ड्रोम से प्रभावित बच्चों की पहचान हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षण दिये जाने हेतु रु. . लाख का प्राविधान किया गया है।

. सभी मण्डल मुख्यालयों पर समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना किये जाने के उद्देश्य से समेकित विद्यालयों की स्थापना किये जाने हेतु कुल रु. . लाख का प्रावधान है।

. संकेत मूकबधिर बालक/बालिकाओं के लिये आवासीय राजकीय विद्यालयों के भवन निर्माण एवं साज सज्जा हेतु कुल रु. . लाख का प्राविधान है।

. डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में अतिरिक्त एकेडेमिक ब्लाक- के लिए बृहद निर्माण कार्य हेतु रु. . लाख का प्राविधान है।

. दिव्यांगजनों के लिए निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल योजना के अन्तर्गत रु. . लाख के प्राविधान से प्रति जनपद मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल का भौतिक लक्ष्य निर्धारित करते हुए प्रदेश में मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल का वितरण किये जाने का लक्ष्य है।

●

सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास

अभ्युदय-विकास तथा उद्देश्यः-

उत्तर प्रदेश के पूर्व सैनिकों, अपंग सैनिकों, युद्ध शहीदों तथा उनके आश्रितों के लिए कल्याण एवं पुनर्वास की सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु सैनिक कल्याण विभाग के अधीन निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उत्तर प्रदेश एवं निदेशालय के अधीन जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों की स्थापना की गई। इसके सहयोगी संगठनों के रूप में उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि. एवं उत्तर प्रदेश सैनिक पुनर्वास निधि कार्यरत हैं। केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं से मिलने वाली सुविधाओं से पात्र लाभार्थियों को अनुमन्य आर्थिक सहायता दिलाना, पुनर्वास तथा पुनर्योजन कराना भी इस विभाग के उद्देश्यों में सम्मिलित है।

कार्यक्रमः-

पुरस्कार एवं सहायताः-

प्रदेश में रहने वाले थल सेना, नौ-सेना तथा वायु सेना के उन कार्मिकों को, जिन्हें वीरता के कार्यों के लिए राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न अलंकरण प्रदान किये जाते हैं, राज्य सरकार द्वारा सम्मान स्वरूप नकद अनुदान तथा तीस वर्षों तक वार्षिकी दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में इन दरों में भारी वृद्धि की गयी है। पुनरीक्षित दरें निम्नवत हैं :-

क्र.सं.	पुरस्कार का नाम	नकद अनुदान (एक मुश्त धनराशि रुपये में)	वार्षिकी की धनराशि रुपये प्रतिवर्ष (30 वर्षों तक)
1.	परमवीर चक्र	52,00,000	3,12,000
2.	महावीर चक्र	31,00,000	2,37,000
3.	वीर चक्र	20,80,000	1,37,000
4.	सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल	3,12,000	12,000
5.	उत्तम युद्ध सेवा मेडल	2,60,000	11,000
6.	युद्ध सेवा मेडल	83,200	10,000
7.	सेना, नौसेना तथा वायु सेवा मेडल वीरता	1,00,000	15,000
8.	मेशन इन डिस्पैच	52,000	13,000

अशोक चक्र श्रृंखला			(आजीवन)
1.	अशोक चक्र	32,50,000	1,56,000
2.	कीर्ति चक्र	19,50,000	1,30,000
3.	शौर्य चक्र	13,00,000	65,000

अशोक चक्र श्रृंखला के अन्तर्गत दी जाने वाली धनराशि सामान्य प्रशासन अनुभाग से आवंटित की जाती है।

विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर्ताओं को वित्तीय वर्ष 2018-19 से दिया जाने वाला अनुदान निम्नवत है।

क्र.सं.	पुरस्कार का नाम	(एक मुश्त धनराशि रु.)	वार्षिकी की धनराशि (30 वर्षों तक)
1.	परम विशिष्ट सेवा मेडल	2,39,000	11,000
2.	अति विशिष्ट सेवा मेडल	1,18,000	10,000
3.	विशिष्ट सेवा मेडल	47,000	9,000
4.	सेना मेडल विशिष्ट	90,000	9,000

द्वितीय विश्व युद्ध पेंशनः-

उत्तर प्रदेश के निवासी द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों एवं दिवंगत सैनिकों की पत्नियों, जिन्हें किसी अन्य स्रोत से पेंशन नहीं मिल रही है, को राज्य सरकार द्वारा 01 अगस्त 1990 से पेंशन दी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में इस पेंशन की दरों में लगभग डेढ़ गुना वृद्धि की गयी है। लाभार्थियों की शनैः-शनैः मृत्यु होते जाने से उनकी संख्या निरन्तर कम हो रही है।

भूतपूर्व सैनिकों का रजिस्ट्रेशनः-

1. वर्ष 1982 से पूर्व सैनिकों के पुनर्योजन का कार्य सेवायोजन कार्यालय के स्थान पर इस विभाग को सौंप दिया गया है, जिसके फलस्वरूप पंजीकरण तथा सम्प्रेषण की पूरी प्रक्रिया जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय द्वारा करायी जाती है। संबंधित जनपद के जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों में रोजगार हेतु पंजीकरण कराये जाने से संबंधित प्रक्रिया पूर्ण कर जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों द्वारा संबंधित पूर्व सैनिक का डिस्चार्ज बुक एवं पी.पी.ओ. का अवलोकन कर अभिलेखों के परीक्षण के पश्चात् रोजगार हेतु पंजीयन किया जाता है।
2. संबंधित जनपद के सेवायोजन कार्यालयों में भी पंजीकरण कराया जाता है।
3. मांग के आधार पर केन्द्र सरकार, केन्द्र सरकार के उपक्रम, राज्य सरकार के उपक्रम, बैंक, लोकल बॉडी, प्राइवेट संस्थाओं में सेवायोजन हेतु नाम वरीयता क्रम के अनुसार प्रेषित किये जाते हैं।

योजनाओं के कार्यक्रमों का विवरणः-

1. लेखा शीर्ष सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, अन्य कार्यक्रम , शहीद/पूर्व सैनिकों के आश्रितों को रोजगार परक प्रशिक्षण, अन्य व्यय- के अन्तर्गत योजनाएं क्रमशः (इनफारमेशन टेक्नोलॉजी, कम्प्यूटर फैशन डिजाइनिंग, टैली प्रशिक्षण एवं एस.एस.बी. प्रशिक्षण) के अन्तर्गत रु. . लाख का बजट प्राविधान प्रस्तावित किया गया है।
2. वित्तीय वर्ष - के लिए जिला सैनिक कल्याण के कार्यालय भवन, विश्राम गृह एवं आवासीय भवनों के बृहत निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु रु. . लाख का प्रावधान किया गया।
3. आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जिला सैनिक कल्याण के कार्यालय भवन, विश्राम गृह एवं आवासीय भवन के वृहत निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु रु. 1200.00 लाख का प्रावधान आय-व्ययक में प्रस्तावित किया गया है।

केन्द्रांश की प्रतिपूर्तिः-

1. निदेशालय एवं जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास के अन्तर्गत स्थापित सैनिक विश्राम गृह के निर्माण हेतु व्यय का 50 प्रतिशत केन्द्रांश की प्रतिपूर्ति आडिटेड व्यय विवरण के आधार पर भारत सरकार रक्षा मंत्रालय, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड नई दिल्ली द्वारा की जाती है।
2. वित्तीय वर्ष 2022-23 तक केन्द्रांश की प्रतिपूर्ति हेतु प्राप्त धनराशि राज्य सरकार के राज्यकोष में जमा करा दी गयी है।

कम्प्यूटरीकरण एवं ई-गवर्नेन्सः-

1. विभागीय 05 स्कीमों को सी.एम. दर्पण पोर्टल के अन्तर्गत ऑनलाइन सेवायें प्रदान की जा रही हैं। साथ ही ई. ऑफिस के माध्यम से निदेशालय स्तर पर कार्य किया जा रहा है। ई. गवर्नेन्स के उद्देश्य को पूरा करते हुये प्रत्येक माह जिला कार्यालयों के साथ विडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभागीय कार्यों का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
2. सैनिक कल्याण विभाग से सम्बन्धित सूचना को सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, आदि के द्वारा प्रचार प्रसार किया जाता है। साथ ही विभाग सम्बंधी आवश्यक सूचनायें विभागीय वेबसाईट www.skpn.up.gov-in पर उपलब्ध है।

उत्तर प्रदेश सैनिक पुनर्वास निधि

निधि का गठनः-

उत्तर प्रदेश शासन के नोटीफिकेशन दिनांक 15 फरवरी, 1983 द्वारा उत्तर प्रदेश पोस्टवार सर्विसेज रिकन्स्ट्रक्शन फण्ड ट्रस्ट तथा उत्तर प्रदेश स्पेशल फण्ड फार रिकन्स्ट्रक्शन एण्ड रिहैबिलीटेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन को मिलाकर उत्तर प्रदेश सैनिक पुनर्वास निधि का गठन किया गया है। निधि माननीय श्री राज्यपाल, उ.प्र. की अध्यक्षता में संचालित है। निधि की स्थापना पूर्व

सैनिकों/उनके आश्रितों/दिवंगत सैनिकों की पत्नियों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आर्थिक सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से की गई है। निधि के आय के स्रोत विनियोजन से प्राप्त आय, निधि द्वारा निर्मित दुकानों का किराया तथा उत्तर प्रदेश शासन से (निधि मुख्यालय की स्थापना) प्राप्त अनुदान है।

निधि द्वारा पूर्व सैनिकों के लिए निम्नांकित योजनाएं चलाई जाती हैं:-

1. शैक्षिक सहायता।
2. पूर्व सैनिकों-द्वारा पुनर्वास हेतु लिये गये ऋण में छूट।
3. दिवंगत सैनिकों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक अनुदान।
4. निधि कार्यालय से अनकवर्ड स्कीम ग्रान्ट का भुगतान।
5. एन.डी.ए./आई.एम.ए./ओ.टी.ए. इत्यादि हेतु आर्थिक अनुदान।

उक्त के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2023-24 से संचालित होने वाली नवीन योजनायें निम्नवत् हैं-

1. पूर्व सैनिकों के आश्रित एवं उनकी विधवायें जो ई.सी.एच.एस. योजना से आच्छादित नहीं है, को इलाज हेतु चिकित्सा व्यय हेतु सहायता अनुदान।
2. प्राकृतिक आपदा से प्रभावित पूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं को एकमुश्त आर्थिक सहायता।
3. पूर्व सैनिकों के एक अनाथ बच्चे को पेंशन की सुविधा उपलब्ध होने तक एक मुश्त आर्थिक सहायता।
4. पूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं के दिव्यांग आश्रितों एवं पूर्व सैनिक की दिव्यांग पत्नी को अनुदान।

●

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण एवं राजनैतिक पेंशन

राजनैतिक पेंशन विभाग में मुख्यतः उ.प्र. के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी/आश्रित एवं लोकतंत्र सेनानी/उत्तराधिकारी (यथास्थिति-पति/पत्नी) को पेंशन राशि/सम्मान राशि दिये जाने का कार्य संपादित किया जाता है।

उ.प्र. के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी/आश्रित हेतु वर्तमान में दी जा रही अन्य सुविधाओं का विवरण

क्र.सं.	दी जा रही सुविधा	उ.प्र. के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी/आश्रित हेतु
1.	पेंशन/सम्मान राशि	उ.प्र. के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी/आश्रित हेतु रु. 20,176/- प्रतिमाह पेंशन राशि दी जा रही है।
2.	निःशुल्क परिवहन सुविधा	उ.प्र. के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी/आश्रित (यथास्थिति-पति/पत्नी) हेतु एक सहचर के साथ उ.प्र. राज्य परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा अनुमन्य है।
3.	निःशुल्क चिकित्सा सुविधा	उ.प्र. के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्य को राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा अनुमन्य है।
4.	दाह संस्कार हेतु दिये जाने वाले शासकीय अनुदान	उ.प्र. के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हेतु दाह संस्कार हेतु दिये जाने वाले शासकीय अनुदान धनराशि रु. 12,000/- दिया जाता है।
5.	राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि क्रिया	उ.प्र. के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हेतु राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि क्रिया किये जाने का प्राविधान है।
6.	सेवा सदन लखनऊ/मथुरा में प्रदत्त सुविधायें	उ.प्र. के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हेतु उनके प्रवास के दौरान आवास एवं भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है।

7.	स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों के स्मारकों/स्तम्भों के निर्माण एवं प्रतिमाओं की स्थापना	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संस्थान द्वारा शहीदों के स्मारकों/स्तम्भों के निर्माण एवं प्रतिमाओं की स्थापना संबंधी कार्य किया जाता है। सम्प्रति वर्तमान में मूर्ति/स्तम्भ स्थापना कार्य मा. न्यायालय के आदेश के अनुपालन में सुनिश्चित किया जाता है।

उ.प्र. के लोकतंत्र सेनानी/उत्तराधिकारी (यथास्थिति-पति/पत्नी) हेतु वर्तमान में दी जा रही अन्य सुविधाओं का विवरण

क्र.सं.	दी जा रही सुविधा	उ.प्र. के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी/आश्रित हेतु
1.	पेंशन/सम्मान राशि	उ.प्र. के लोकतंत्र सेनानी/उत्तराधिकारी (यथास्थिति-पति/पत्नी) हेतु रु.20,000/- प्रतिमाह पेंशन राशि के रूप में दिया जा रहा है।
2.	निःशुल्क परिवहन सुविधा	उ.प्र. के लोकतंत्र सेनानी/उत्तराधिकारी (यथास्थिति-पति/पत्नी) हेतु एक सहचर के साथ उ.प्र. राज्य परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा अनुमन्य है।
3.	निःशुल्क चिकित्सा सुविधा	उ.प्र. के लोकतंत्र सेनानी/उत्तराधिकारी (यथास्थिति-पति/पत्नी) हेतु उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम, 2016 में राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने का प्राविधान है।
4.	राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि क्रिया	उ.प्र. लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम, 2016 में लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु की दशा में उसकी अंत्येष्टि क्रिया राजकीय सम्मान के साथ किये जाने का प्राविधान है।

राजनैतिक पेंशन विभाग की वित्तीय वर्ष 2024-25 की उपलब्धियां

- त्तर प्रदे ा में स प्रति वतं ता संग्राम सेनानी आ ि तों की कुल सं या है जिन्हें पये प्रतिमाह की दर से वित्तीय व ा में कुल आवं ि त ानरा ि पये करोड़ के सापेक्ष करोड़ का ुगतान किया गया है।
- त्तर प्रदे ा में स प्रति लोकतं सेनानी लोकतं सेनानी आ ि त की कुल सं है जिन्हें पये प्रतिमाह की दर से स मान रा ि के प में वित्तीय व ा में कुल आवं ि त ानरा ि अरब करोड़ के सापेक्ष अरब करोड़ का ुगतान किया गया है।

- दिवंगत वतं ता संग्राम सेनानियों के दाह सं कार के लि वित्तीय व ा हेतु पये पां ला ा मा की निगत ानरा ि के सापेक्ष हज़ार का ुगतान किया गया है।
- लोकतं सेनानियों त्तरा ािकारी य ाा पत्नी पति को स मान रा ि वं त्तर प्रदे ा राज्य सड़क परिवहन निगम की सा ाारण ेणी में क सह र के सा ा नि ु क या ा सुवि ाा हेतु वित्तीय व ा में कुल आवं ि त ानरा ि करोड़ के सापेक्ष ला ा का ुगतान किया गया है।
- तं ता संग्राम सेनानियों को त्तर प्रदे ा राज्य सड़क परिवहन की बसों से नि ु क या ा की सुवि ाा के लि निगम को ुगतान हेतु वित्तीय व ा में कुल आवं ि त ानरा ि ला ा के सापेक्ष हज़ार का ुगतान किया गया है।

नोट यह ाी ले ानीय है कि राजनैतिक पें ान वि ााग में किसी योजना परियोजना का सं ालन नहीं किया जाता है।

●

श्रमिक कल्याण एवं सेवायोजन

प्रदेश शासन के श्रम विभाग के अन्तर्गत श्रम आयुक्त संगठन द्वारा श्रमिक हितों के संरक्षण और संवर्धन के लिये निम्नलिखित प्रमुख उद्‌देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में अपेक्षित कार्य निष्पादित किये जा रहे हैं:-

1. संसाधन तंत्र के माध्यम से औद्योगिक विवादों का त्वरित गति से निस्तारण किया जाना ताकि इकाईयों के कर्मचारियों और उनके नियोजकों के मध्य सौहार्दपूर्ण औद्योगिक सम्बन्ध स्थापित किये जा सकें तथा औद्योगिक उत्पादन का स्तर बनाये रखते हुए श्रमिक हित संरक्षित हो सके।
2. विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत संगठित व असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिये सुनिश्चित हित-लाभ एवं विधिसंगत अधिकारों को संरक्षित रखना और औद्योगिक इकाईयों में सुरक्षित कार्य-पर्यावरण उपलब्ध कराने की कार्यवाही किया जाना।
3. श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने, सेवा-शर्तों का विनियमित किये जाने, सुरक्षित एवं स्वस्थ कार्य-पर्यावरण उपलब्ध कराये जाने, सुनिश्चित वित्तीय हित-लाभ सहित वेतन का समय से भुगतान सुनिश्चित कराये जाने के लिये श्रम आयुक्त संगठन सतत् प्रयासरत् रहता है।

श्रम आयुक्त संगठन के मुख्यालय में निम्नलिखित प्रभाग स्थापित हैं :-

1. स्थापना प्रभाग (प्रशिक्षण/चरित्र पंजिका प्रकोष्ठ/परिवाद प्रकोष्ठ/जनसूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)। 2. नजारत प्रभाग (फैक्स/स्टोर/फोटो कापी)। 3. लेखा प्रभाग। 4. फण्ड प्रभाग। 5. पेंशन एवं ऑडिट प्रभाग। 6. औद्योगिक सम्बन्ध प्रभाग(ग्रेच्युटी/बोनस)। 7. औद्योगिक सम्बन्ध ा (रिट) प्रभाग। 8. प्रश्न प्रकोष्ठ। 9. प्रवर्तन प्रभाग। 10. संख्या प्रभाग (नियोजन/ प्रवासी भारतीय कर्मकार प्रकोष्ठ)। 11. ब्वायलर प्रभाग। 12. ट्रेड यूनियन प्रभाग। 13. शाखा सचिवालय प्रभाग। 14. बाल श्रम/बंधुआ श्रम/महिला श्रम प्रभाग। 15. कार्यकुशलता प्रभाग (प्रचार/पुस्तकालय)। 16. अभिलेख प्रभाग। 17. गृह एवं हितकारी प्रभाग (औद्योगिक श्रमिक बस्ती/अनुरक्षण/श्रम हितकारी केन्द्र)। 18. भवन एवं अन्य सन्निर्माण प्रभाग (बी.ओ.सी.) प्रभाग। 19. कारखाना निदेशालय। 20. श्रमायुक्त अनुश्रवण प्रकोष्ठ।

ई-गवर्नेंस के क्रियान्वयन की प्रगति (श्रमायुक्त संगठन)

ई-गवर्नेंस/ईज ऑफ डुइंग बिजनेस के अधीन उद्योगों/प्रतिष्ठानों को त्वरित प्रक्रिया के

अन्तर्गत स्वीकृतियाँ/अनुमतियाँ/अनापत्तियाँ/रजिस्ट्रेशन/लाइसेन्सिंग इत्यादि निर्धारित समय में समयबद्धता के साथ उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से, कारखाना अधिनियम-1948 में पंजीयन एवं भारतीय ब्यायलर अधिनियम-1923 में पंजीयन व नवीनीकरण को छोड़ कर शेष समस्त अधिनियमों के अन्तर्गत स्वीकृतियाँ/अनुमतियाँ/अनापत्तियाँ/रजिस्ट्रेशन/लाइसेन्सिंग इत्यादि निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से स्वचालित प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन जारी किये जा रहे हैं। इस व्यवस्था को श्रम सुविधा पोर्टल भारत सरकार तथा सिंगल विन्डों सिस्टम से भी जोड़ा गया है। नवीन निरीक्षण प्रणाली के अन्तर्गत निरीक्षण साफ्टवेयर के माध्यम से रेण्डम आधार पर अन्य सम्बन्धित विभागों को सम्मिलित करते हुये समयबद्ध किये जा रहे हैं।

विभागीय वेबसाइट :-

श्रम आयुक्त संगठन के क्रियाकलापों को सम्मिलित करते हुये श्रम विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट यूपीलेबरडॉटजीओवीडॉटइन प्रदेश सरकार के डाटा सेन्टर पर स्थापित है। इस वेबसाइट में श्रम आयुक्त संगठन द्वारा विभिन्न श्रम कानूनों का उल्लेख करते हुए विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं एवं समय-समय पर कार्यालय द्वारा जारी शासनादेश, अधिसूचनाएं एवं महंगाई भत्तों से सम्बन्धित आदेश व विभागीय क्रियाकलापों की प्रगति इत्यादि का समावेश किया गया है।

कार्यकुशलता प्रभाग

कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश में कार्यकुशलता (तकनीकी) प्रभाग वर्ष 1953-54 से स्थापित है। इस तकनीकी प्रभाग का प्रमुख कार्य औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत कारखानों में समय-समय पर उत्पन्न होने वाली औद्योगिक अभियंत्रण से संबंधित तकनीकी विवादों एवं विषयों पर स्थलीय अध्ययन/जाँच के आधार पर तकनीकी अध्ययन/जाँच रिपोर्ट तथा आवश्यकतानुसार तकनीकी सलाह देना है।

प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों में उत्पादकता वृद्धि एवं वर्ककल्चर सुदृढ़ीकरण के लिए उत्पादकता विषयक गोष्ठी एवं तकनीकी योजनाओं को क्षेत्रीय अधिकारियों के माध्यम से लागू कराये जाने में यथावश्यक तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाता है।

क्वालिटी सर्किल योजना

क्वालिटी सर्किल एक जैसे कार्य करने वाले ऐसे 5 से 10 लोगों का स्वैच्छिक समूह है जो अपने कार्यक्षेत्र की गुणवत्ता, उत्पादकता, लागत घटाना और अन्य समस्याओं का पता लगाने, उनका विश्लेषण व समाधान करने के लिए नियमित रूप से आपस में विचार-विमर्श करते हैं और उनका हल ढूढने का प्रयास करते हैं। इससे उनके कार्य में सुधार होता है। तथा श्रमिकों में प्रतिष्ठान के प्रति लगाव की भावना जागृत होती है। इससे प्रतिष्ठान की उत्पादकता एवं श्रमिकों की कार्यकुशलता तथा कार्य की गुणवत्ता में वृद्धि के साथ-साथ उनमें टीम भावना के साथ कार्यस्थल की तकनीकी समस्याओं को सुलझाने की प्रेरणा का विकास होता है क्वालिटी सर्किल योजना के गठन में सदस्य, समन्वयक, सुविधाकर्ता, संचालन समिति एवं उच्च्य प्रबन्धन महत्वपूर्ण अंग होते हैं।

उत्पादन प्रोत्साहन योजना

निर्धारित समय में मानक उत्पादन से अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन हेतु प्रतिष्ठानों

में यह योजना लागू की जाती है, जिसके फलस्वरूप उत्पादन के साथ-साथ उत्पादकता में वृद्धि होती है एवं श्रमिकों को भी अधिक लाभ होता है। मानक उत्पादन निर्धारण औद्योगिक अभियंत्रण/कार्य अध्ययन द्वारा निर्धारित करने के पश्चात योजनाओं के माडल को प्रतिष्ठान के प्रबन्धक एवं श्रमिक प्रतिनिधियों द्वारा आपसी विचार-विमर्श/समझौते के आधार पर निर्धारित किया जाता है। प्रतिष्ठान में एक या एक से अधिक प्रकार की उत्पादन प्रोत्साहन योजनायें अलग-अलग कार्यों की प्रकृति के अनुसार लागू की जा सकती हैं।

कार्यस्थल रखरखाव के लिए "5-एस" योजना

1. पहला 'एस' सेरी- जिसका अर्थ है कार्यस्थल से अनावश्यक वस्तुऐं छांटना और उन्हें अलग कर देना है।
2. दूसरा 'एस' सीटन- जिसका अर्थ है आवश्यक वस्तुओं को क्रमबद्ध रूप से रखना ताकि उपयोग हेतु उन्हें आसानी से उठाया जा सके।
3. तीसरा 'एस' सीसो- जिसका अर्थ है अपने कार्यस्थल को पूर्णरूपेण स्वच्छ करना ताकि फर्श, मशीन और उपकरणों के आसपास स्वच्छ कार्यस्थल रहे।
4. चौथा 'एस' सिकेत्सु- जिसका अर्थ है रखरखाव व्यवस्था तथा कार्यस्थल व्यवस्थापन के उच्च मापदण्ड को बनाये रखना।
5. पांचवा 'एस' सित्सुके-जिसका अर्थ है लोगों को स्वयंमेव रखरखाव व्यवस्था अपनाने के लिए प्रशिक्षित करना।

कैजेन योजना

कैजेन जापानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है- निरन्तर सुधार। इसके अन्तर्गत किसी भी प्रतिष्ठान में कार्यरत् सभी लोग जैसे- श्रमिक, सुपरवाइजर, मिडिल मैनेजमेंट एवं टॉप मैनेजमेंट को शामिल करके प्रतिष्ठान के विभिन्न क्षेत्रों/कार्यस्थलों/कार्य पद्धति में वर्तमान में चल रही टेक्निकल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, मैनेजेरियल एवं आपरेटिंग स्टैण्डर्ड को मेन्टेन रखना एवं वर्तमान में प्रचलित स्टैण्डर्ड को निरन्तर सुधार करते रहना है।

कैजेन के द्वारा किसी भी प्रतिष्ठान में स्टैण्डर्ड को मेन्टेन करते हुए पुनः सुधार की प्रक्रिया की पुनरावृत्ति होती रहती है, जिससे प्रतिष्ठान में कार्यरत् लोग निरन्तर सुधार के कारण कार्यकुशलता एवं उत्पादकता में वृद्धि के लिए प्रोत्साहित एवं स्वयं के प्रति अनुशासित हो जाते हैं।

श्रम अधिनियमों का प्रवर्तन

विभिन्न श्रम अधिनियमों का प्रभावी एवं व्यापक प्रवर्तन श्रम विभाग की महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता है। श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत प्रदत्त व्यवस्थाएं श्रमिकों के हितों में प्रवर्तित एवं संवर्द्धित करने के प्रति विभाग दृढ़ संकल्पित है। मुख्य रूप से श्रम आयुक्त संगठन द्वारा विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत प्रवर्तन तन्त्र के माध्यम से कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के मूलभूत हितों के संरक्षण तथा उन्हें विधिजन्य सुविधायें सुलभ कराये जाने के प्रति संगठन पूर्ण रूप से सजग एवं संकल्पित है।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अन्तर्गत 74 अनुसूचित नियोजनों में देय परिवर्तनीय मँहगाई भत्ताः- विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रतिमाह मूल मजदूरी परिवर्तनीय मंहगाई

भत्ता, मासिक एवं दैनिक मजदूरी की दरें निम्नवत हैं-

क्रमांक	श्रेणी	प्रतिमाह मूल मजदूरी रुपये में	दिनांक 01.04.2024 से 30.9.2024 तक	प्रतिमाह परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता रुपये में	दिनांक 01.10.2024 से 30.09.2025 तक	
				दिनांक 1.10.2024 से 31.03.2025 तक	कुल मजदूरी (रुपये में) (3 5)	दैनिक मजदूरी (रुपये में) (1 26)
.	अकुशल					
.	अर्धकुशल					
.	कुशल					

उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 :-

शासकीय अधिसूचना दिनांक . . द्वारा दुकानों एवं वाणिज्यिक अधिष्ठानों हेतु नवीनीकरण की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है।

बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 का प्रवर्तन

बोनस भुगतान अधिनियम-1965 प्रत्येक ऐसे कारखाने में लागू हैं, जो कारखाना अधिनियम की धारा-2 (एम) के अन्तर्गत परिभाषित है तथा ऐसे प्रतिष्ठानों पर भी लागू है जिसमें 20 या 20 से अधिक कर्मचारी नियोजित है। दिनांक 29 जुलाई, 1981 द्वारा प्रदेश के समस्त सिनेमा घरों एवं गेस्ट हाउस, कोचिंग सेन्टर स्कूल, नर्सिंग होम/क्लीनिक, प्रशिक्षण केन्द्र, जो व्यवसायिक प्रयोजन से स्थापित है, जिनमें 10 या इससे अधिक कर्मचारी नियोजित हैं, पर भी बोनस भुगतान-अधिनियम-1965 के उपबन्ध लागू कर दिये हैं।

औद्योगिक सम्बन्ध (रिट) प्रभाग

विभिन्न श्रम अधिनियमों यथा- वेतन संदाय अधिनियम-1936, आनुतोषिक भुगतान अधिनियम-1972, उ.प्र. औद्योगिक विवाद अधिनियम-1947, उ.प्र. औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथासमय संदाय) अधिनियम-1978, बोनस भुगतान अधिनियम-1965 आदि के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले श्रम आयुक्त संगठन के विरुद्ध मा. उच्च/उच्चतम न्यायालय में योजित याचिकाओं के सम्बन्ध में प्रभाग द्वारा प्रदेश में विभिन्न उक्त श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले श्रम विवादों के निपटारे हेतु श्रम न्यायालयों/औद्योगिक न्यायाधिकरण स्थापित है।

औद्योगिक सम्बन्ध प्रभाग

उत्तर प्रदेश एक विशाल क्षेत्र वाला राज्य है। प्रदेश में वर्तमान में कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत लगभग 26386 कारखाने पंजीकृत हैं। इसके साथ-साथ प्रदेश में असंगठित क्षेत्र में व्यवसायिक प्रतिष्ठान एवं लघु इकाईयाँ स्थापित हैं। प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए यह

आवश्यक है कि इकाईयों में औद्योगिक विवाद उत्पन्न न हो तथा श्रमिक की माँगों/समस्याओं के निराकरण के साथ-साथ उत्पादकता में वृद्धि हो। उद्योगों में श्रम अशान्ति, हड़ताल, तालाबन्दी को रोकना तथा अपरिहार्य परिस्थिति में इनके उत्पन्न होने की स्थिति में निराकरण कराने में श्रम विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

कारखानों में कार्यरत् श्रमिकों की कार्य स्थितियाँ एवं सुरक्षा

1. कारखानों के पंजीयन :- प्रदेश की मौजूदा सरकार के **"वन ट्रिलियन डालर इकोनॉमी"** बनाये जाने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु शासन से प्राप्त दिशा-निर्देशों के क्रम में पारदर्शी व्यवस्था प्रभावी रखते हुये एवं सकारात्मक वातावरण तैयार करके प्रदेश में अधिक से अधिक कारखानों का पंजीयन कराकर औद्योगिकीकरण को गति प्रदान की जा रही है।

कारखाना अधिनियम-1948 के अन्तर्गत पारदर्शी तरीके से कारखानों के पंजीयन कराये जाने हेतु कारखानेदारों की सुगमता के दृष्टिगत निवेश मित्र, सिंगल विण्डो पोर्टल सिस्टम के माध्यम से कारखानों के पंजीयन की ऑनलाइन व्यवस्था द्वारा पंजीयन कराया जाता है।

2. लाईसेन्स नवीनीकरण की आटोमेटेड प्रक्रिया :- कारखानों के लाइसेंस नवीनीकरण हेतु स्वतः (आटोमेटेड) नवीनीकरण की व्यवस्था लागू की गयी है, जिसके अन्तर्गत कारखानों द्वारा आनलाईन नवीनीकरण का आवेदन करने एवं निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरान्त मानवीय हस्ताक्षेप के बिना लाईसेंस स्वतः नवीनीकरण होता है।

3. कारखानों में नियोजित श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सम्बन्धी प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु कारखानों के सम्पादित निरीक्षणें का विवरण :- प्रदेश में स्थापित पंजीकृत कारखानों में कार्यरत् कर्मकारों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराये जाने एवं उनकी कार्य दशाओं में उपयुक्त सुधार हेतु तथा श्रमिक हितों के दृष्टिगत समय-समय पर केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली के अन्तर्गत गठित टीम द्वारा संयुक्त निरीक्षण किये जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में (07-01-2025 तक) में 1219 निरीक्षण सम्पादित किये जा चुके हैं तथा कुल 14 अभियोग कारखानेदारों के विरुद्ध अब तक दायर किये जा चुके हैं।

4. कारखानों में रात्रि पाली में महिला कर्मचारों को कार्य करने/नियोजित करने संबंधी छूट प्रदान किये जाने के प्रविधान लागू किया जाना :- महिला कर्मकारों को रात्रि पाली अर्थात सायं 7.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे के मध्य कार्य समय के दौरान कम से कम 03 महिलाओं के नियोजन एवं सी.सी.टी.वी. कैमरे व महिला कर्मकारों के लिए उपयोग किये जाने वाले परिवहन में जी.पी.एस. प्रौद्योगिकी सहित अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं को लागू किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

5. उद्यमिता के सुगमता हेतु वांछित प्रपत्रों एवं पत्रजातों को ऑनलाईन अपलोड किये जाने की सुविधा प्रदान किया जाना :- उद्यमियों को कारखाना अधिनियम-1948 के अनतर्गत कार्यालय में पत्रजात दाखिल करने से उत्पन्न होने वाली अनावश्यक भागदौड़ एवं समय की बचत के दृष्टिगत तथा उनके कार्यों को और अधिक सुगम बनाने हेतु फार्म-21 (वार्षिक रिटर्न) व फार्म 22 (अर्द्धवार्षिक रिटर्न) फार्म-11 व कारखाना बंदी की सूचना विभागीय पोर्टल पर आनलाईन अपलोड किये जाने की व्यवस्था प्रवर्तित की गयी है।

6. कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत चिन्हित कतिपय खतरनाक प्रक्रियाओं में महिलाओं के नियोजन हेतु छूट प्रदान किया जाना :- उद्योगों में महिलाओं की अधिक सहभागिता एवं उन्हें रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश कारखाना नियमावली-1950 के नियम 109 में प्राविधानित खतरनाक प्रक्रियाओं, जिनमें महिला कर्मकारों का नियोजन प्रतिनिषिद्ध है, में से कतिपय प्रक्रियाओं में महिला कर्मकारों को कार्य करने/नियोजित किये जाने हेतु छूट दिये जाने के दृष्टिगत शासन द्वारा अधिसूचना निर्गत कर दी गयी है।

स्टीम ब्वायलर के निरीक्षक

ब्वायलर एक उच्च दाब एवं ताप पर स्टीम बनाने वाला संयंत्र है। ब्वायलर में दुर्घटना हो जाने की स्थिति में स्थल पर कार्यरत् श्रमिकों की जान एवं कारखाने की सम्पत्ति को हानि पहुंचने की सम्भावना रहती है। श्रमिकों की सुरक्षा के उद्देश्य को लेकर के प्रदेश में ब्वायलर निदेशालय वर्ष 1915 से कार्यरत है। पूरे देश में एकरूपता लाने के उद्देश्य से भारतीय ब्वायलर अधिनियम, 1923 (संशोधित अधिनियम, 2007) बनाया गया।

ब्वायलर निदेशालय उत्तर प्रदेश द्वारा निम्नांकित अधिनियम व नियमावलियों के विभिन्न प्रविधानों का पालन सुनिश्चित कराया जाता हैः-

(1) भारतीय ब्वायलर अधिनियम, 1923 (संशोधित, 2007) व इण्डियन ब्वायलर रेगुलेशन, 1950

(2) उत्तर प्रदेश ब्वायलर नियमावली, 1969

(3) उत्तर प्रदेश इकोनोमाइजर नियमावली, 1959

(4) ब्वायलर प्रचालन इंजीनियर नियम, 2011

(5) ब्वायलर परिचर नियम, 2011

बंधुआ श्रम पुनर्वासन योजना-2016

भारत सरकार द्वारा पूर्व में संचालित बंधुआ श्रमिकों का पुनर्वासन नामक योजना (50 प्रतिशत केन्द्र पोषित) पूर्णरूप से केन्द्रीय वित्त पोषित योजना हो गयी है। संशोधिक योजना दिनांक 17-05-2016 से प्रभावी है। योजना को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिसमें पुनर्वासन धनराशि रु. 1.00 लाख, रु. 2.00 लाख तथा रु. 3.00 लाख निर्धारित की गई है।

बाल श्रम

बाल श्रम के उन्मूलन हेतु शासन पूर्णतया दृढ़-संकल्पित है। बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 (संशोधित अधिनियम-2016) की धारा-3 के अंतर्गत 18 व्यवसायों एवं 65 प्रक्रियाओं में 14 वर्ष के बच्चों के खदानों, ज्वलनशील पदार्थ बनाने वाली फैक्ट्रियों एवं कारखाना अधिनियम-1948 के अन्तर्गत खतरनाक घोषित व्यवसायों में कार्य करने पर प्रतिबन्ध है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में माह दिसम्बर, 2024 तक खतरनाक व्यवसायों तथा प्रक्रियाओं में 794 एवं गैर खतरनाक व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में 7883 बाल श्रमिक अर्थात् कुल 8677 बाल श्रमिक चिन्हांकित किये गये। सम्बन्धित 4834 नियोजकों के विरुद्ध प्राभियोजन दायर किये गये तथा 322 नियोजकों के विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये गये। इसी अवधि में नियोजकों

से रुपये 12.69 करोड़ की धनराशि वसूल की गई।

बाल श्रमिक विद्या योजना (कण्डीशनल कैश ट्रान्सफर योजना)

योजना के अन्तर्गत ऐसे बाल श्रमिकों, जिनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है अथवा वे किसी गंभीर रोग से ग्रस्त होने के कारण कार्य करने की स्थिति में नहीं है। ऐसे कामकाजी बच्चों के लिए आर्थिक सहायता की धनराशि प्रत्येक माह रु. 1000/- बालकों के लिए व रु. 1200/- बालिकाओं के लिये देय होगी। लाभार्थी कामकाजी बालक/बालिका व किशोर/किशोरी योजना के अन्तर्गत कक्षा-8, 9, 10 तक की शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उन्हें कक्षा-8 उत्तीर्ण करने पर रु. 6000/- की अतिरिक्त धनराशि प्रोत्साहन के रूप में देय होगी। योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष 8-18 आयु वर्ग के 2000 कामकाजी बच्चों/किशोर-किशोरियों को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

बाल श्रमिकों का सर्वेक्षण

बाल श्रम समस्या का आंकलन कराने हेतु सर्वेक्षण में चिन्हांकित 09-14 आयु वर्ग के खतरनाक व्यवसायों/प्रक्रियाओं में चिन्हांकित बाल श्रमिकों के शैक्षिक पुनर्वासन हेतु स्वीकृत प्राप्त करने की योजना राज्य सेक्टर से स्वीकृत की गई है।

महिला श्रम

प्रदेश में संगठित/असंगठित क्षेत्र में नियोजित महिला श्रमिकों की कार्यदशाओं तथा उन्हें समान कार्य के लिये समान वेतन की देयता सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रमुख अधिनियम समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 प्रदेश में लागू है। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत महिला श्रमिकों के नियोजन में लिंग के आधार पर विभेद न किये जाने तथा समान कार्य के लिये समान वेतन दिये जाने का प्राविधान है।

उ.प्र. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

कार्यालय उ.प्र. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, लखनऊ द्वारा किए जा रहे कार्यों की अद्यतन स्थिति :-

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों में संलग्न श्रमिकों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाने के उद्‌देश्य से भारत सरकार द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण (नियोजन तथा सेवाशर्त विनियमन) कर्मकार अधिनियम, 1996 तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 लागू किया गया है, जिसके क्रम में दिनांक 04 फरवरी, 2009 को उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण (नियोजन तथा सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम, 2009 नियमावली प्रख्यापित की जा चुकी है। अधिनियम में मुख्यतः तीन प्रकार की कार्यवाही की जानी है- (1) निर्माण स्थलों का पंजीयन, (2) निर्माण श्रमिकों का पंजीयन, (3) उपकर की वसूली एवं निर्माण श्रमिकों के हितार्थ योजनायें लागू करना और उन्हें क्रियान्वित करना।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि

उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक प्रकार के निर्माण कराने वाले सेवायोजक से निर्माण लागत का एक प्रतिशत उपकर लिया जाना प्राविधानित है। अधिनियम में समस्त निर्माण कार्यों के

लिए उपकर निर्धारण किए जाने की व्यवस्था है। जनपदों से प्राप्त सूचना के आधार पर माह दिसम्बर, 2023 तक कुल 9310.31 करोड़ रुपये की धनराशि सेस के मद में बोर्ड के खाते में जमा हो चुकी है।

असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों का पंजीयन एवं अभिलेखीकरण

असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 की धारा 6(1) में तद्‌विषय उ.प्र. असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा नियमावली 2016 के नियम 2 (ख) के प्रविधानों के अन्तर्गत उ.प्र. राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन दिनांक 06-08-2018 को किया गया है। 30 सदस्यीय बोर्ड के अध्यक्ष मा. श्रम मंत्री श्रम एवं सेवायोजन तथा बोर्ड के सचिव, प्रमुख सचिव, श्रम एवं सेवायोजन हैं। बोर्ड का कार्यालय इन्दिरा भवन, लखनऊ में स्थित है।

उ.प्र. राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का मुख्य कार्य असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कामगारों यथा धोबी, माली, दर्जी, मोची, नाई, बुनकर, जुलाहा, रिक्शा चालक, घरेलू कामगार, फुटपाथ पर काम करने वाले, कूड़ा बीनने वाले, फेरीवाले, मछुआरा, कुली तथा इसी श्रेणी के अन्य कार्य करने वाले श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

असंगठित कर्मकार कल्याण निधि

अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित एवं संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्राप्त होने वाली धनराशि एवं अन्य स्रोतों/अंशदान से प्राप्त होने वाली धनराशि संचित किये जाने हेतु "असंगठित कर्मकार कल्याण निधि" का गठन किया गया है।

मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना

वित्तीय वर्ष 2025-26 में मा. मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुरूप असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना लागू की जानी है।

मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना

मा. मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुरूप असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ साचीज के माध्यम से दिये जाने हेतु बजट प्रविधान वित्तीय वर्ष 2024-25 में किया गया है। बोर्ड द्वारा योजना को अधिसूचित कराकर लागू कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

अटल आवासीय विद्यालय में अनाथ बच्चों के प्रवेश शुल्क हेतु

अटल आवासीय विद्यालयों में अनाथ बच्चों के प्रवेश शुल्क हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष यथावश्यकतानुसार वित्तीय स्वीकृति प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने हेतु महानिदेशक, अटल आवासीय विद्यालय, उ.प्र. से अनुरोध किया गया है।

ट्रेड यूनियन प्रभाग

मुख्यालय स्तर पर ट्रेड यूनियन प्रभाग के प्रभागाध्यक्ष रजिस्ट्रार, ट्रेड यूनियन्स, उत्तर प्रदेश हैं। प्रदेश के समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त क्रमशः अपर/उप रजिस्ट्रार, ट्रेड यूनियन नामित हैं, जिन्हें शासनादेश दिनांक 27.11.1990 के अनुसार ट्रेड यूनियन अधिनियम-1926 की धारा-8, 10, 23, व 24 को छोड़कर रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां प्रदत्त हैं।

अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में वर्तमान में लगभग 50 लाख से अधिक निर्माण श्रमिक पंजीकृत हैं। निर्माण श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क, गुणवत्तापूर्ण एवं उद्देश्यपरक शिक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से "जवाहार नवोदय विद्यालय" की तर्ज पर मानको के अनुरूप प्रदेश के 18 मण्डलों में से प्रत्येक मण्डल में एक अटल आवासीय विद्यालय स्थापित किये गये हैं, जिसकी कुल निर्माण लागत रु. 1267/- करोड़ है।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवा का संक्षिप्त परिचय

भूमिकाः-

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अधीन सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम का उत्तर प्रदेश में 24 फरवरी, 1952 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू के करकमलों द्वारा कानपुर में शुभारम्भ हुआ था। यह योजना कम से कम 10 कर्मचारी कार्य करने वाले कारखानों/प्रतिष्ठानों में लागू है। जिसके अन्तर्गत कामगारों व उनके सेवायोजकों से अंशदान की कटौती कर धनराशि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (भारत सरकार) के खाते में जमा की जाती है। आच्छादित श्रमिकों के वेतन से 0.75 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से तथा सेवायोजक से आच्छादित श्रमिकों के वेतन का 3.25 प्रतिशत कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान कर्मचारी राज्य बीमा निगम भारत सरकार के खाते में जमा किया जाता है।

मूलभूत उद्देश्य व लाभः-

योजना का मूल उद्देश्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों में लगे हुए कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित कामगारों एवं उनके परिवार के सदस्यों को योजना में हितलाभ प्रदान करना है।

चिकित्सा हितलाभ की सुविधा प्रदेश सरकार के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती है तथा अन्य हितलाभ कर्मचारी राज्य बीमा निगम अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध कराती है। वर्तमान में प्रदेश में लगभग 2954850 बीमांकित व्यक्तियों एवं उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। वर्ष 1985 के पूर्व कर्मचारी राज्य बीमा सेवाओं का संचालन प्रदेश सरकार द्वारा चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के अधीन किया जाता था। वर्ष 1985 के बाद यह योजना प्रदेश सरकार के श्रम विभाग के नियंत्रणाधीन संचालित हो रही हैं।

चिकित्सा उपचार सुविधायें :-

प्रदेश के चिकित्सालयों एवं औषधालयों द्वारा निम्नलिखित उपचार की सुविधायें प्रदान की जा रही हैं।

1. कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय द्वारा प्राथमिक चिकित्सा देखरेख। 2. कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालयों द्वारा विशेषज्ञ परामर्श सहित सेकेन्डरी केयर उपचार की सुविधा। 3. स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से फैक्ट्री/प्रतिष्ठानों में कामगारों के स्वास्थ्य परीक्षण एवं औषधि का वितरण। 4. एक्सरे एवं पैथालाजी जाँच। 5. अन्तः रोगी सुविधायें। 6. औषधियाँ, मरहम-पट्टी एवं कृत्रिम अंगों की

आपूर्ति। 7. प्रसव से पूर्व, प्रसव पश्चात सेवायें। 8. आवश्यक चिकित्सा प्रमाणीकरण। 9. सुपर स्पेसिलिटी उपचार (क) क.रा.बी. निगम द्वारा अनुबंधित चिकित्सा संस्थानों/डायग्नोस्टिक सेन्टर्स से (ख) सरकारी अतिविशिष्ट चिकित्सा संस्थानों/मेडिकल कॉलेजों में अग्रिम उपलब्ध कराकर 10. बीमितों एवं आश्रितों द्वारा किये गये चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति।

सेवायोजन विभाग के प्रमुख कार्य

पुनर्वास एवं रोजगार महानिदेशालय के अधीन रोजगार कार्यालयों की स्थापना जुलाई, 1945 में की गई। वर्ष 1952 में गठित शिवाराव समिति की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1956 से रोजगार कार्यालयों का दैनिक प्रशासन प्रदेश सरकारों को स्थानान्तरित कर दिया गया। रोजगार बाजार में उपलब्ध मानवशक्ति की आवश्यकता, सेवारत मानवशक्ति का विवरण एकत्र करने हेतु वर्ष 1959 में संसद द्वारा सेवायोजन कार्यालय (रिक्तियों को अनिवार्य अधिसूचन) अधिनियम-1959 पारित किया गया।

सेवायोजन कार्यालय के प्रमुख कार्य निम्नवत् हैं :-

1. रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों का रोजगार हेतु तथा नियोजकों को मानवशक्ति की आवश्यकता हेतु आन लाईन पंजीयन की व्यवस्था कराना।
2. रोजगार मेलों के माध्यम से निजी क्षेत्रों में जॉबसीकर्स को रोजगार के अवसर प्रदान करना।
3. कैरियर काउन्सिलिंग कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार के अवसर, प्रशिक्षण व उच्च शिक्षा के अवसरों की उपलब्धता के सम्बन्ध में जॉबसीकर्स को सम्यक एवं उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराना तथा रोजगार बाजार में उपलब्ध रोजगार एवं रोजगारपरक पाठ्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध कराना।
4. सेवायोजन विभाग द्वारा तैयार किये गये सेवामित्र पोर्टल **सेवामित्रडॉटयूपीडॉटजीओवीडॉटइन**/एप पर सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से पोर्टल पर पंजीकृत कौशल प्राप्त कामगारों यथा- इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, कारपेन्टर इत्यादि के द्वारा आम नागरिकों के द्वार पर ही स्थानीय सेवाएं उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था कराना।
5. रोजगार/जाबसीकर्स के विभिन्न आयामों के सम्बन्ध में सूचनाओं का संकलन कराना।
6. अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों की रोजगारपरकता में वृद्धि हेतु शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र संचालित करना।
7. दिव्यांग अभ्यर्थियों को रोजगार सहायता प्रदान करना।
8. भारत सरकार के नेशनल कॅरियर सर्विस प्रोजेक्ट के अंतर्गत मॉडल कॅरियर सेन्टर का संचालन करना।

सेवायोजन सहायता कार्यक्रम

- सेवायोजन विभाग के अधीन संचालित प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है।
- सेवायोजन विभाग द्वारा रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये

जाने हेतु वेबपोर्टल **सेवायोजनडॉटयूपीडॉटएनआईसीडॉटइन** तथा **रोजगारसंगमडाटयूपीडाटजीओवीडाटइन** पोर्टलों का विकास कराया गया है। इन वेबपोर्टलों में जॉबसीकर्स एवं सेवायोजकों को ऑनलाइन पंजीकृत करने की व्यवस्था विकसित की गयी है।

उत्तर प्रदेश कामगार एवं श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) आयोग

शासनादेश दिनांक 16 जून, 2020 द्वारा कामगारों/श्रमिकों के सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा के लिए तथा उनके सर्वांगीण विकास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उ.प्र. के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश कामगार एवं श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) आयोग का गठन किया गया है।

मिशन रोजगार

शासनादेश दिनांक 03.12.2020 द्वारा प्रदेश में रोजगार, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण तथा अप्रेन्टिसशिप के माध्यम से रोजगार एव स्वरोजगार के विशेष अवसर सृजन किये जाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 05 दिसम्बर, 2020 से "मिशन रोजगार" अभियान चलाया गया है।

रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम

रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के अन्तर्गत संगठित क्षेत्र के सेवायोजकों से उनके यहाँ त्रैमासिक आधार पर उनके अधिष्ठान में कार्यरत कार्मिकों के बारे में सूचना एकत्र करने के उपरान्त संकलित कर प्रसारित की जाती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सूचनाएं सेवायोजन कार्यालय (रिक्तियों का अनिवार्य अधिसूचन) अधिनियम-1959 में निहित प्राविधानों के अनुपालन में एकत्र की जाती है। इस प्रकार की सूचनाएँ नियमित रूप से प्राप्त करने का एक मात्र स्रोत सेवायोजन कार्यालय ही है।

कॅरियर काउन्सिलिंग कार्यक्रम व मॉडल कॅरियर सेन्टर

बेरोजगारी के मुख्य कारणों में से एक कारण छात्रों द्वारा निरुद्देश्य शिक्षा प्राप्त करना है। छात्रों को रोजगार बाजार में उपलब्ध रोजगार के अवसरों के अनुरूप उच्च शिक्षा/प्रशिक्षण ग्रहण करना चाहिए। इसके निमित्त सेवायोजन विभाग द्वारा कैरियर काउन्सिलिंग कार्यक्रमों का आयोजन कर बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार अवसरों के अनुरूप विषय चयन में सहायता, रोजगार बाजार में उपलब्ध अवसरों की जानकारी प्रदान कराना, रोजगारपरक पाठ्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध कराना तथा योग्यताओं/क्षमताओं में वृद्धि हेतु अल्पकालिक/पूर्णकालिक प्रशिक्षणों एवं पाठ्यक्रमों की जानकारी प्रदान की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में 31 जनवरी, 2025 तक कुल 3,670 कैरियर काउन्सिलिंग कार्यक्रम आयोजित किये गये, जिसमें 4,89,545 प्रतिभागी कैरियर मार्गदर्शन हेतु सम्मिलित हुए।

रोजगार मेला

प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा रोजगार मेलों के माध्यम से प्रदेश के जॉबसीकर्स को

निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराये जा रहे हैं :-

- रोजगार बाजार में उपलब्ध अवसरों एवं उपलब्ध जनशक्ति को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना।
- निजी क्षेत्र के नियोजकों एवं जॉबसीकर्स को एक स्थान पर आमंत्रित कर रोजगार मेलों का आयोजन करना।
- रोजगार मेलों से प्राप्त फीड बैक प्राप्त कर जॉबसीकर्स की कैरियर काउन्सिलिंग करना।

वर्ष 2024-25 में 31 जनवरी, 2025 तक प्रदेश के विभिन्न सेवायोजन कार्यालयों द्वारा 2,284 रोजगार मेले आयोजित किए गए, जिनमें 2,47,091 अभ्यर्थी रोजगार हेतु चयनित हुए।

शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्र

समाज के अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को मार्ग दर्शन एवं प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु 52 शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्रों द्वारा निम्नलिखित कार्य सम्पादित किये जाते हैं :-

1. सचिवीय पद्धति, भाषा, आशुलिपिक एवं टंकण में प्रशिक्षण। 2. प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं के संबंध में मार्गदर्शन। 3. कम्प्यूटर। 4. सामान्य ज्ञान। 5. सामान्य गणित।

केन्द्र का मुख्य उद्देश्य समाज के अनुसूचित जाति/जन जाति एवं पिछड़े वर्ग के बेरोजगारों को मार्ग दर्शन प्रदान कर उन्हें रोजगार हेतु स्वावलम्बी बनाना है। इसमें भाषा, सचिवीय पद्धति, कम्प्यूटर, आशुलिपि एवं सामान्य-ज्ञान में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। वर्तमान में प्रदेश के 52 जनपदों में केन्द्र स्थापित हैं। प्रदेश के लिए इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण होना आवश्यक है, तथा प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जाता है व इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति/जन जाति के प्रशिक्षणार्थियों को मानदेय, निःशुल्क प्रतियोगी साहित्य व साथ ही अभ्यर्थियों को स्वतः नियोजन हेतु प्रेरित किया जाता है।

सत्र वर्ष 2023-24 में शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्रों द्वारा 958 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया गया, जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के 720 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के 238 अभ्यर्थी प्रशिक्षित हुए।

सेवामित्र

कुशल कामगारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने एवं जन सामान्य व शासकीय विभागों को स्थानीय सेवाएं यथा इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, कारपेन्टर आदि प्रदान करने हेतु सेवामित्र प्लेटफार्म पोर्टल **सेवामित्रडॉटयूपीडॉटजीओवीडॉटइन**/एप/कॉलसेन्टर की व्यवस्था सेवायोजन विभाग द्वारा विकसित करायी गयी है।

- **सेवामित्र पोर्टल पर पंजीकरण की स्थिति (दिनांक 13 फरवरी, 2025 तक):-**

1. कुशल कामगारों की संख्या	-	52,164
2. सेवा प्रदाताओं की संख्या	-	932
3. सेवामित्रों की संख्या	-	5,023

●

खेल

स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश में खेल गतिविधियों का संचालन उत्तर प्रदेश क्रीड़ा परिषद द्वारा किया जाता था, जिसका वर्ष में उसका अधिग्रहण करके खेल विभाग की स्थापना की गयी। अब प्रदेश में खेल विभाग द्वारा विभिन्न खेल संघों व विभागों के समन्वय एवं खेल प्रेमियों के सहयोग से प्रदेश में खेल सुविधाओं के विकास एवं प्रोत्साहन का कार्य बजटीय व्यवस्था के अनुसार किया जाता है। खेल के प्रति उचित वातावरण तैयार करने, क्रीड़ा प्रतिष्ठानों की स्थापना, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को चिन्हित करने एवं उनके प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिताओं की व्यवस्था प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक जनपद में की जा रही है।

उद्देश्य एवं सिद्धान्त

खेल संस्कृति के विस्तार हेतु समस्त आयु वर्गों के व्यक्तियों को खेल अवस्थापनाओं एवं अन्य खेल से संबंधित सुविधाओं को उपलब्ध कराते हुए खिलाड़ियों की प्रतिभागिता तथा उत्कृष्टता को प्रोत्साहन देना। "ऑल फार स्पोर्ट्स एण्ड स्पोर्ट्स फार ऑल"।

प्रशिक्षण

खेल विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों में निर्मित विभागीय खेल अवस्थापनाओं यथा-स्पोर्ट्स स्टेडियम, बहुउद्देशीय क्रीड़ा हाल, जिम्नेजियम, तरणताल, सिन्थेटिक बास्केटबाल कोर्ट, हॉकी एस्ट्रोटर्फ (कृत्रिम घास का मैदान) आदि का नियमित एवं अधिकाधिक सदुपयोग करने एवं बालक/बालिकाओं को खेल का ज्ञान देने व उन्हें उच्च स्तर का खिलाड़ी बनाने हेतु लोकप्रिय खेलों में प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाता हैं। खेल विभाग में तैनात विभागीय प्रशिक्षकों (क्रीड़ाधिकारी, सहायक प्रशिक्षक) द्वारा अपने खेल का प्रशिक्षण शिविर पूरे वर्ष संचालित किया जाता है। जिन जनपदों में खेल विशेष के विभागीय प्रशिक्षक तैनात नहीं होते हैं, वहाँ अंशकालिक मानदेय प्रशिक्षकों को नियमानुसार तैनात कर प्रशिक्षण शिविरों का संचालन कराया जाता है। अंशकालिक मानदेय प्रशिक्षकों को उनकी योग्यतानुसार मानदेय का भुगतान किया जाता है।

विशेष प्रशिक्षण शिविर एवं किट की व्यवस्था :-

प्रदेशीय खेल संघों द्वारा चयनित प्रदेशीय टीमों को राष्ट्रीय चैम्पियशिपों में भाग लेने के लिए भेजा जाता है। खेल विभाग द्वारा प्रदेशीय टीमों को राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों में भाग लेने से पूर्व - दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर की सुविधा प्रदान की जाती है, जिससे टीम में तालमेल बन सके एवं उनके खेल में सुधार आ सकें तथा राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों में अच्छा प्रदर्शन कर प्रदेश का नाम गौरवान्वित कर सकें। प्रशिक्षण अवधि में खिलाड़ियों के भोजन एवं आवास आदि की सुविधा

पर होने वाले व्यय को खेल विभाग द्वारा वहन किया जाता है। इन प्रदेशीय टीमों के खिलाड़ियों हेतु किट तथा राष्ट्रीय चैम्पियनशिप के आयोजन स्थल पर आने-जाने का रेल किराया दोनों ओर का शासनादेश दिनांक अप्रैल, के क्रम में ए.सी.- टियर की सुविधा प्रदान किये जाने की व्यवस्था उपलब्ध है।

एक जनपद एक खेल :-

जनपदों में खेलो इण्डिया "एक जनपद एक खेल" योजना के अन्तर्गत मानदेय प्रशिक्षक (रु. /- प्रतिमाह मानदेय) के माध्यम से खेलो इण्डिया सेण्टर संचालित कराया जा रहा है।

आवासीय क्रीड़ा छात्रावास :-

खेल विभाग की महत्त्वपूर्ण योजनाओं में से एक योजना आवासीय क्रीड़ा छात्रावास है। जिसके अन्तर्गत जिला स्तर, मण्डल स्तर व प्रदेश स्तर पर चयन करके उदीयमान खिलाड़ियों का 15 दिवसीय केन्द्रीय प्रशिक्षण शिविर संचालित कराया जाता है। इस शिविर के अन्तिम दिवसों में क्रीड़ा छात्रावासों में प्रवेश हेतु उदीयमान खिलाड़ियों का चयन खेल विशेषज्ञों की समिति द्वारा किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न खेलों में बालक/बालिकाओं को प्रवेश दिया जाता है जिसके अन्तर्गत उन्हें आवासीय सुविधा सहित भोजन, शिक्षा, चिकित्सा, खेल किट, उपकरण आदि की निःशुल्क सुविधा प्रदान की जाती है। एक खिलाड़ी पर प्रतिवर्ष रु. , , /- व्यय होता है। वर्तमान में जनपदों में खेलों के छात्रावास हैं। इनमें विभिन्न खेल छात्रावासों में बालकों की संख्या- एवं बालिकाओं की संख्या- कुल निर्धारित हैं।

केन्द्रीय प्रशिक्षण शिविर :-

केन्द्रीय प्रशिक्षण शिविर छात्रावास का एक अंग है। आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों में प्रवेश हेतु आयोजित राज्य स्तरीय चयन/ट्रायल्स में निर्धारित संख्या के अनुसार चयनित बालक एवं बालिकाओं का दिवसीय केन्द्रीय प्रशिक्षण शिविर संचालित कराया जाता है, जिसमें खिलाड़ियों को प्रगाढ़ प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। केन्द्रीय प्रशिक्षण शिविर के अन्तिम दो दिवसों में अंतिम चयन/ट्रायल्स आयोजित किया जाता है। उक्त चयन/ट्रायल्स में प्राप्त अंकों के आधार पर गठित चयन समिति द्वारा मेरिट सूची बनाई जाती है। आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों में रिक्त स्थानों के सापेक्ष मेरिट के आधार पर छात्रावासों में प्रवेश दिया जाता है।

उ.प्र. स्पोर्ट्स कॉलेजेज सोसाइटी की स्थापना तथा उद्देश्य :-

उ.प्र. सरकार द्वारा उ.प्र. स्पोर्ट्स कॉलेजेज सोसाइटी लखनऊ की स्थापना वर्ष में की गयी थी, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र के से वर्ष आयु वर्ग के उदीयमान खिलाड़ी बालक/बालिकाओं का चयन कर उन्हें आवश्यक सुविधाएं प्रदान कर खेल का वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान कर एक अच्छा खिलाड़ी बनाना, पठन-पाठन के साथ उनका सर्वांगीण विकास कर स्वस्थ नागरिक बनाना एवं प्रदेश में खेल का विकास कर प्रदेश एवं देश के खेल स्तर को ऊँचा उठाना है। साथ ही खिलाड़ी छात्र एवं छात्राओं को माध्यमिक शिक्षा परिषद,

उ.प्र. (यू.पी. बोर्ड-हिन्दी माध्यम) द्वारा कक्षा- से तक मानविकी वर्ग में शिक्षा प्रदान की जा रही है।

कॉलेजों का संचालन :-

उ.प्र. स्पोर्ट्स कॉलेजेज सोसाइटी लखनऊ के अध्यक्ष माननीय मंत्री जी, खेल विभाग, उ.प्र. सरकार होते हैं तथा उपाध्यक्ष, प्रमुख सचिव, खेल विभाग, उ.प्र. शासन होते हैं। उ.प्र. स्पोर्ट्स कॉलेजेज सोसाइटी, लखनऊ के अधीन स्पोर्ट्स कॉलेज, लखनऊ/गोरखपुर/सैफई (इटावा) संचालित है तथा खेल विभाग, उ.प्र. शासन द्वारा पूर्णतया अनुदानित है।

स्पोर्ट्स कॉलेजों में प्रवेश चयन प्रक्रिया :-

उ०प्र० स्पोर्ट्स कॉलेजेज सोसाइटी, लखनऊ के अधीन संचालित तीनों स्पोर्ट्स कॉलेजों में कक्षा-6 में प्रवेश प्रदान किया जाता है। प्रवेश चयन प्रक्रिया तीन चरणों में सम्पादित की जाती है। प्रथम चरण में प्रारम्भिक चयन परीक्षा का आयोजन किया जाता है जो माह मार्च, 2025 में प्रारम्भ होना प्रस्तावित है। प्रारम्भिक चयन परीक्षा संयुक्त रूप से प्रदेश के समस्त क्षेत्रीय/मण्डलीय खेल कार्यालय स्थित स्टेडियम में, लखनऊ मण्डल की गुरु गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, लखनऊ में, गोरखपुर मण्डल की बीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, गोरखपुर में तथा कानपुर मण्डल की मेजर ध्यानचन्द्र स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई जनपद इटावा में प्रातः 10.00 बजे से आयोजित होती है। प्रारम्भिक चयन परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों की प्राप्त अंकों के आधार पर प्रदेश स्तरीय खेलवार श्रेष्ठता सूची तैयार की जाती है और इसी सूची के आधार पर मुख्य चयन परीक्षा हेतु खेलवार सम्बन्धित कॉलेज द्वारा अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र भेजा जाता है तथा चयनित अभ्यर्थियों की सूची कॉलेज वेबसाइट www. sportscollegelko.in पर उपलब्ध कराई जाती है।

खेल विभाग-उत्तर प्रदेश :-

मुख्य चयन परीक्षा खेलवार सम्बन्धित स्पोर्ट्स कॉलेजों में आयोजित होती है। मुख्य चयन परीक्षा में शारीरिक, खेल तकनीक व खेल परीक्षा आयोजित होती है। मुख्य चयन परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों द्वारा खेलवार प्राप्त अंकों के आधार पर तीनों कॉलेजों की खेलवार रिक्त सीटों के सापेक्ष श्रेष्ठता सूची से चयनित व प्रतीक्षा सूची तैयार की जाती है जिसे कॉलेज वेबसाइट www.sportscollegelko.in पर उपलब्ध कराया जाता है। चयनित सूची के अभ्यर्थियों की काउन्ससिंग हेतु खेलवार सम्बन्धित कॉलेज द्वारा पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है। काउन्सलिंग समिति द्वारा वांछित प्रपत्रों की जांच कर छात्रों को प्रवेश प्रदान किये जाने की कार्यवाही सम्पादित की जाती है।

निर्माणाधीन स्पोर्ट्स कालेज :-

जनपद सहारनपुर, फतेहपुर एवं बलिया में स्पोर्ट्स कॉलेज निर्माणाधीन हैं।

स्पोर्ट्स कॉलेज के विद्यार्थियों ने यथा- क्रिकेट में सुरेश रैना, आर०पी० सिंह, नरेन्द्र हिरवानी, आदित्य सिंह, हॉकी में मोहिन्दर पाल सिंह, जगबीर सिंह, राम प्रकाश सिंह, रजनीश मिश्रा, दानिश मुजतबा, प्रीति दुबे, अजीत यादव व राहुल राजभर, एथलेटिक्स में अजित सिंह भदौरिया, सुरेश कुमार पटेल, अजित कुमार, शाहरूख खान, खेल फुटबाल में गणेश प्रसाद काला, कमन नयन

बर्थवाल, आकाश मिश्रा, वालीबाल में हरीश मोहन बंगारी, अजय भदौरिया, इशरत अली, रजत सिंह, बैडमिण्टन में सौरभ अग्रवाल जैसे खिलाड़ियों ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने खेल कौशल का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश एवं प्रदेश को गौरवान्वित किया है।

सक्षमता, विकास व प्रोत्साहन (स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, उत्कृष्टता) :-

विभागीय प्रतियोगिताएं

विभिन्न प्रशिक्षण शिविरों के संचालन स्वरूप जो बच्चे सामने आते हैं उनको प्रतिस्पर्धा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभाग द्वारा विभिन्न जनपदों में विभिन्न खेलों की जिला तथा प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाता है, जिससे उन प्रतियोगिताओं को देखकर बच्चों में खेल के प्रति रुचि उत्पन्न हो व तकनीकी ज्ञान प्राप्त कर सकें।

राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार :-

प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है तथा राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कीर्तिमान स्थापित करने वाले खिलाड़ियों को भी नकद पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार एकल एवं टीम गेम्स में अलग-अलग प्रदान किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं जैसेः- ओलम्पिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, विश्व कप, एशियन गेम्स, एफ्रो एशियन गेम्स तथा सैफ गेम्स में प्रदेश के पद विजेता खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार की व्यवस्था की गयी है।

राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के प्रशिक्षकों के सम्मान की व्यवस्था :-

राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रदक प्राप्त करने वाले उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों के प्रशिक्षकों को प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान करने के लिए व्यवस्था लागू की गयी है।

उत्तर प्रदेश खेल विकास प्रोत्साहन समिति का विवरण :-

उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक जुलाई, द्वारा "जिला खेलकूद प्रोत्साहन समिति नियमावली " को संशोधित करते हुए "उत्तर प्रदेश खेल विकास एवं प्रोत्साहन नियमावली, " प्रख्यापित की गयी है, जिसका कार्यक्षेत्र समस्त उत्तर प्रदेश रहेगा। गाँव स्तर से राज्य स्तर तक युवाओं एवं खिलाड़ियों का चिन्हांकन कर खेलों में प्रतिभागिता वृद्धि, खेल कौशल में उत्कृष्टता लाने एवं स्थानीय परम्परागत खेलों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश खेल विकास एवं प्रोत्साहन नियमावली को उत्तर प्रदेश के समस्त तहसीलों, जनपद, मण्डल तथा राज्य में लागू किया जाना है। उत्तर प्रदेश खेल विकास एवं प्रोत्साहन नियमावली, के उद्देश्य व लक्ष्य निम्नवत् निर्धारित किये गये हैं-

. खेल संस्कृति का समस्त वर्गों यथा- महिलाओं, दिव्यांगजन इत्यादि में बढ़ावा देना।

. खेलों का विस्तार एवं प्रतिभागिता प्रतिशत बढ़ाना।

. खेल प्रतिभाओं का चिन्हींकरण एवं बहुमुखी क्षमता विकास करना जिससे वह चयनित खेल में विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करें।

- एक सुनियोजित ढंग से प्रशिक्षण व क्षमता विकास, आधुनिक टेस्टिंग मानकों/मनोवैज्ञानिक प्रचार-प्रसार व तकनीक के माध्यम से किया जायेगा।
- सभी सम्बन्धित घटकों, खेल संघों/संस्थाओं, विभागों यथा- युवा कल्याण, शिक्षा, समाज कल्याण, महिला कल्याण, स्वास्थ्य, नगर विकास, उद्योग, सेना, रेलवे आदि के मध्य समन्वय रखते हुए खेलों का समग्र विकास करना।

उक्त उद्देश्यों का यह लक्ष्य है कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से प्रदेश के उदीयमान खिलाड़ियों का प्रतिभागिता प्रतिशत विभिन्न राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में बढ़े जिससे राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक पुरस्कृत खिलाड़ियों की संख्या में वृद्धि हो।

खेलो इण्डिया ऐप का प्रचार प्रसार :-

खेल प्रतिभाओं की खोज एवं उनकी क्षमता का आंकलन कर खेल गतिविधियों में बढ़ोत्तरी एवं राज्य प्रतिनिधित्व में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत "खेलो इण्डिया ऐप" पर सभी जिलों के छात्रों/खिलाड़ियों एवं कोचेज (बेसिक, माध्यमिक, उच्च समाज कल्याण, श्रम विद्यालयों, पॉलीटेक्निक, प्राइवेट कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चिकित्सा संस्थानों, खेल संघों, क्लबों आदि) के अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन कराये जाने हेतु खेल विभाग के अधीनस्थ समस्त जनपदीय अधिकारियों एवं प्रधानाचार्य स्पोर्ट्स कॉलेजेज को निर्देशित किया गया।

उक्त के अनुपालन में अधिकारियों द्वारा प्रयास करते हुये अपने जनपद के जिलाधिकारी से समन्वय कर सभी सम्बन्धित विभागों के सक्षम अधिकारियों के सहयोग से भारतीय खेल प्राधिकरण के "खेलो इण्डिया ऐप" पर कुल- कोचेज एवं खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कराया गया है। खेल साथी पोर्टल पर खेल अवस्थापनाओं, मानवीय एवं भौतिक संसाधनों की मैपिंग करायी जा रही है।

खेल दिवस (29 अगस्त) का कार्यक्रम :-

हॉकी के जादूगर स्व. मेजर ध्यान चन्द के जन्म दिवस पर (अगस्त) खेल दिवस के अवसर पर वर्ष से कम आयु के बालकों की हॉकी प्रतियोगिता) प्रत्येक जनपद में करायी जाती है।

निजी सहभागिता से खेल अकादमियों को विकसित करने की नीति :-

प्रदेश में खेलों के विकास हेतु शासनादेश दिनांक अक्टूबर, द्वारा राज्य में निजी सहभागिता से खेल अकादमियों को विकसित करने की नीति निर्धारित है। जिसके अन्तर्गत खेल संघ/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों द्वारा भूमि का चिन्हांकन प्राधिकरणों/जिलाधिकारी द्वारा कराते हुए औचित्यपूर्ण प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने पर मान्यता प्राप्त खेलों में एकेडमी विकसित किये जाने हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है।

सामान्य खिलाड़ियों की भाँति दिव्यांगजन खिलाड़ियों को पुरस्कार तथा सुविधायें :-

शासनादेश दिनांक सितम्बर, द्वारा प्रदेश के सामान्य खिलाड़ियों को दी जाने वाली सुविधा पुरस्कार, विशेष प्रशिक्षण, किट, लक्ष्मण/रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, प्रदेश के भूतपूर्व प्रसिद्ध

खिलाड़ियों तथा पहलवानों को वित्तीय सहायता, प्रदेशीय क्रीड़ा संघो, क्लबों को प्रतियोगिता के आयोजन हेतु आर्थिक सहायता हेतु शासनदेश में अनुमन्य व्यवस्था/नियमों के अधीन उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन खिलाड़ियों को सुविधाएं प्रदान किये जाने की व्यवस्था है।

भूतपूर्व खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता :-

विभाग द्वारा प्रदेश के खिलाड़ियों के कल्याणार्थ चलायी जाने वाली योजना के अन्तर्गत वृद्ध, अशक्त एवं विपदाग्रस्त खिलाड़ियों को निम्नानुसार आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

1- राज्य स्तर के वे खिलाड़ी जिन्होंने प्रदेश की अधिकृत टीम का प्रतिनिधित्व किया हो- रु. 4000/-

2- राष्ट्रीय स्तर के वे खिलाड़ी जिन्होंने राष्ट्र की अधिकृत टीम का प्रतिनिधितव किया हो- रु.6000/-

3- अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के वे खिलाड़ी जिन्होंने राष्ट्र की अधिकृत टीम मके सदस्य होकर ओलम्पिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स तथा विश्व कप खेलों में राष्ट्र का प्रतिनिधितव किया हो- रु.-10,000/-

वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल-220 भूतपूर्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों तथा पहलवानों को प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।

खेल विभाग द्वारा अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य, ध्यानचंद पुरस्कार एवं खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को अथवा खेल जगत में उपलब्धियों के दृष्टिगत पद्मश्री एवं पद्मभूषण से सम्मानित महानुभाव खिलाड़ियों को रु. , /- प्रतिमास की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

अभिनव प्रयास

1. जनपद मेरठ में मेजर ध्यान चन्द खेल विश्वविद्यालय :-

खेलों के विकास एवं उदीयमान खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण उपलब्ध कराने एवं पेशेवर डिग्री हासिल करने तथा पेशेवर व्यवसाय हेतु मेजर ध्यान चन्द स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना जनपद मेरठ के सरधना में रकबा . हे. (लगभग . एकड़) भूमि पर की जा रही है। यह जनपद राष्ट्रीय राजधानी के समीप होने के कारण प्रदेश के साथ हरियाणा, पंजाब एवं उत्तराखण्ड के निकट होने से अन्य प्रदेशों के खिलाड़ियों/विद्यार्थियों को लाभ होगा। यह खेल विश्वविद्यालय युवाओं में खेल संस्कृति विकसित करने एवं उन्हें खेलों के प्रति प्रेरित करने पर ध्यान केन्द्रित करेगा, इससे ग्रामीण भारत के युवाओं को आधुनिक खेल प्रशिक्षण सुविधाओं तक पहुंचने में मदद मिलेगी।

2. उत्तर प्रदेश खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति :-

खेलों के विकास एवं खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु "उत्तर प्रदेश खेल विकास एवं प्रोत्साहन नियमावली- " प्रख्यापित की गयी है, जिसमें उदीयमान खिलाड़ियों का चयन किया जायेगा,

जिसके लिए तहसील, जिला एवं मण्डल स्तर पर सरकार द्वारा कुल रु. . करोड़ की व्यवस्था प्रतियोगिता आयोजित कराने हेतु की गयी है।

3. एकलव्य क्रीड़ा कोष (खेल एवं खिलाड़ियों का प्रोत्साहन तथा संवर्द्धन) :-

प्रदेश सरकार द्वारा खेलों के प्रति संकल्प रखते हुए एकलव्य क्रीड़ा कोष नियमावली 2021 प्रख्यापित की गई है। इसमें खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रदर्शन एवं संवर्द्धन हेतु फेलोशिप प्रदान करना, ओलम्पिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, वर्ल्ड कप, एफ्रो एशियन गेम्स, सैफ गेम्स व राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में पदक विजेता खिलाड़ी तैयार कर खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के परीक्षण की व्यवस्था तथा खिलाड़ियों का स्वास्थ्य बीमा कराना इत्यादि सम्मिलित है।

4 पारदर्शिता एवं सुचिता :-

खेल विभाग द्वारा सेवाओं का क्रय तथा खेल उपकरणों इत्यादि का क्रय जेम पोर्टल से किया जाता है। खेल विभाग की अवस्थापनाओं, प्रतियोगिताओं एवं अन्य योजनाएं वेबसाइट/पोर्टल पर प्रदर्शित हो इसके लिए वेबसाइट/पोर्टल का नवीनीकरण कराया जा रहा है।

5 सांसद खेल स्पर्धा योजना :-

खेल संस्कृति को घर-घर तक पहुँचाने के उद्देश्य से "सांसद खेल स्पर्धा" के अन्तर्गत विभिन्न विभागों के सहयोग से प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में ग्राम स्तर से लेकर मुख्यालय स्तर तक प्रतियोगिताएँ आयोजित करायी गयीं। उक्त प्रतियोगिता के आयोजन से जनमानस में खेल के प्रति अभिरुचि बढ़ी है। उक्त प्रतियोगिता में बालक एवं बालिका कुल खिलाड़ी प्रतिभाग किये।

6 खेल साथी ऐप :-

खेल विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा खेल जगत में होनहार प्रतिभाओं को विकसित और प्रोत्साहित करने के लिए खेल साथी ऐप को विकसित किया गया है। ऐप का उद्देश्य प्रदेश में सामुदायिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से खेलों को मजबूत करना है। खेल साथी एप की मदद से लोग खेल विभाग की भौतिक घटनाओं, गतिविधियों और कार्यो के निष्पादन हेतु स्वेच्छा से मंत्रालय के नेतृत्व वाली पहल से जुड़ सकते हैं। इससे महत्वपूर्ण सूचनाओं की जानकारी सिंगल क्लिक पर उपलब्ध रहेगी। खेल साथी ऐप को एड्रायड एवं आई.ओ.एस. दोनों प्लेटफार्म हेतु विकसित किया गया है, जिसे गूगल एप्पल स्टोर एवं एपस्टोर से डाउनलोड कर उपयोग किया जा सकता है।

7 खेल साथी पोर्टल :-

खेल साथी उत्तर प्रदेश खेल विभाग द्वारा खेल से संबंधित सेवाओं तक पहुंच को सरल बनाने के लिए शुरू किया गया एक अभिनव वेब-आधारित पोर्टल है। यह एथलीटों, नागरिकों और लाभार्थियों के लिए एक व्यापक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है, जो पारदर्शिता, दक्षता और पहुंच को बढ़ता है। वित्तीय सहायता, पुरस्कार नामांकन, सीधी भर्ती और खेल महाविद्यालयों

और छात्रावासों में प्रवेश सहित सेवाओं की एक विस्तृत शृंखला की पेशकश करते हुए, पोर्टल निर्बाध पंजीकरण, वास्तविक समय की स्थिति ट्रैकिंग और इंटरैक्टिव संचार सुनिश्चित करता है। खिलाड़ियों को सशक्त बनाने और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के द्वारा, खेल साथी खेलों में डिजिटल शासन की परिवर्तनकारी शक्ति का एक वसीयतनामा है।

8 स्पोर्ट्स साइन्स एण्ड इन्जरी मैनेजमेन्ट सेन्टर :-

खिलाड़ियों के चोट प्रबन्धन हेतु प्रदेश स्तर पर एक स्पोर्ट्स साइन्स एण्ड इन्जरी मैनेजमेन्ट सेन्टर की स्थापना गुरु गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ में होना प्रस्तावित है।

9 पी०एम०यू० का गठन :-

खेल विभाग, उत्तर प्रदेश के द्वारा एक परियोजना प्रबंधन इकाई (पी०एम०यू०) स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिसमें खेल के क्षेत्र में अनुभवी और योग्य विशेषज्ञ पेशेवरों की एक टीम शामिल होगी, ताकि प्रदेश में अग्रणी खेल हब बनाने के लिए विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन करने में मदद मिल सके।

10 सेण्टर ऑफ एक्सीलेन्स :-

गुरु गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ को सेण्टर ऑफ एक्सीलेन्स ( ) के रूप में विकसित किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा सहमति प्रदान की गयी हैं, जिसके अन्तर्गत 14 ओलम्पिक खेलों में से 03 खेलों के लिए एक्सीलेन्स सेण्टर स्थापित किया जायेगा। उक्त सेण्टर हेतु कोचिंग, स्टाफ, उपकरण तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी तथा धनराशि भारत सरकार द्वारा प्रदान की जायेंगी।

11 भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) :-

जनपद लखनऊ के सरोजनीनगर में भारतीय खेल प्राधिकरण का क्षेत्रीय खेल कार्यालय स्थापित है। खेल विभाग द्वारा उक्त कार्यालय से समन्वय स्थापित कर भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को प्रतिपादित करने में सहयोग लिया जाता है, इसके अतिरिक्त जनपद रायबरेली, इटावा, वाराणसी, बरेली में साई के ट्रेनिंग सेन्टर स्थापित हैं तथा जनपद लखनऊ, गोण्डा, बागपत, मेरठ, वाराणसी में स्माल खेलो इण्डिया सेन्टर स्थापित है, जिसमें खिलाड़ियों को प्रशिक्षण की सुविधायें प्रदान की जाती हैं।

12 उ.प्र. खेल नीति-2023 :-

उत्तर प्रदेश शासन, खेल अनुभाग के शासनादेश दिनांक . . के द्वारा उ.प्र. खेल नीति- प्रख्यापित की गई, जिसका मुख्य विजन प्रतिस्पर्धा उत्कृष्टता की खोज में एथलीटों को सुविधा प्रदान करके एक सम्पन्न समावेशी स्पोर्ट्स इको सिस्टम स्थापित करना है। जिससे खेल एवं सक्रिय जीवन शैली की संस्कृति को बढ़ावा प्रदान करते हुए एक खेल उद्योग के विकास को प्रोत्साहित करना है।

●

प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल एवं युवा कल्याण

प्रान्तीय रक्षक दल का गठन शासनादेश दिनांक 20.10.1947 के अधीन किया गया था। इसका उद्देश्य सरकारी प्रेरणा से रचनात्मक प्रगति एवं साम्प्रदायिक भेदभाव रहित युवा स्वयं सेवकों का एक शक्तिशाली एवं सुगठित संगठन स्थापित करना था, जिससे ग्रामीणों में आत्मबल और साम्प्रदायिक मेलजोल बढ़े और समस्त जनता में आत्म-सुरक्षा, आत्म-निर्भरता, अनुशासन तथा अपराधों की रोकथाम का भाव उभर करके पारस्परिक सहयोग की भावना युवा वर्ग में विशेष रूप से आये और उन्हें तदनुसार अभ्यस्त किया जा सके। तदोपरान्त 1948 में उत्तर प्रदेश प्रान्तीय रक्षक दल अधिनियम, 1948 के माध्यम से प्रान्तीय रक्षक दल को वैधानिक दर्जा देते हुये इसकी भूमिका शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु पुष्टीकृत भी कर दिया गया।

वर्ष 1952 में कौंसिल आफ फिजिकल कल्चर को प्रान्तीय रक्षक दल में विलीन कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप ग्रामीण खेलकूद, व्यायामशालाओं एवं शारीरिक संवर्द्धन के अन्य मामलों के निर्वहन का कार्य भी प्रान्तीय रक्षक दल को सौंप दिया गया। प्रदेश में युवा आन्दोलन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 'सामुदायिक योजना प्रशासन' समिति की संस्तुतियों के आधार पर वर्ष-1956 में 'युवा आन्दोलन संगठन' की स्थापना की गई, जिससे उत्तर प्रदेश में विभाग द्वारा ग्रामीण युवाओं को संगठित कर ग्राम पंचायत स्तर पर 'युवक मंगल दल' बनाने का कार्य प्रारम्भ किया गया।

वर्ष- 1974 में श्रम साधनों के समुचित एवं गौरवपूर्ण उपयोग हेतु 'जनशक्ति संचालन योजना निदेशालय' की स्थापना की गयी। कालान्तर में वर्ष 1982 में इस जनशक्ति संचालन निदेशालय को 'युवा कल्याण निदेशालय' के रूप में परिवर्तित करते हुये प्रान्तीय रक्षक दल के साथ सम्मिलित कर विभाग के वर्तमान स्वरूप युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल की स्थापना की गयी। इसी के उपरान्त ग्राम पंचायत स्तर पर महिला मंगल दलों के गठन का कार्य भी प्रारम्भ किया गया।

वित्तीय वर्ष 2024-25 की उपलब्धियों का अद्यतन/संक्षिप्त विवरण

1. ग्रामीण स्टेडियमों/खेल अवस्थापना सुविधाओं का विकासः-

पूर्व से विभाग में 80 ग्रामीण स्टेडियम स्थापित हैं। इसके उपरान्त वर्ष 2017 से वर्तमान तक कुल 36 ग्रामीण स्टेडियम/मल्टीपरपज हॉल निर्मित होकर विभाग को हस्तान्तरित हो चुके है।

2. ग्रामीण स्टेडियमों का संचालनः-

वर्तमान में कुल 120 ग्रामीण स्टेडियम/मल्टीपरपज हॉल संचालित किए जा रहे है। इन खेल

अवस्थापनाओं हेतु प्रत्येक वर्ष खेल उपकरणों के क्रय एवं अनुरक्षण हेतु धनराशि की व्यवस्था की जा रही है। आउटसोर्सिंग के माध्यम से खेल प्रशिक्षक रखे जाने की भी व्यवस्था की गयी है।

3. युवक एवं महिला मंगल दलों का गठनः-

विभाग में ग्राम पंचायत स्तर पर 15 से 35 आयुवर्ग के युवक एवं युवतियों को संगठित कर युवक एवं महिला मंगल दलों का गठन कर उन्हें राष्ट्रीय एवं सामाजिक कार्यों से जोड़ा जाता है।

युवाओं को मंगल दलों के गठन हेतु सुलभ व्यवस्था पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी है। वर्तमान में विभागीय पोर्टल पर कुल 54,153 युवक मंगल दल एवं 52,529 महिला मंगल का पंजीकरण कराया जा चुका है।

4. मंगल दलों को प्रोत्साहन सामग्री वितरण :-

इस योजना के माध्यम से युवाओं को खेल गतिविधियों हेतु प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्व पूर्ण कार्य किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में धनराशि रु. 20.00 करोड़ से 16,000 मंगल दलों को प्रोत्साहन सामग्री उपलब्ध कराने की कार्यवाही की गयी है।

5. विवेकानन्द यूथ अवार्ड वितरणः-

प्रदेश में वर्ष 1996-97 से मंगल दल हेतु स्थगित राज्य स्तरीय विवेकानन्द यूथ एवार्ड योजना को वर्ष 2017-18 से पुनः संचालित किया गया है। इसके साथ ही विकास खण्ड स्तरीय एवं जनपद स्तरीय विवेकानन्द यूथ एवार्ड का वितरण भी वर्ष 2017-18 से प्रारम्भ किया गया।

वित्तीय वर्ष 2019-20 से व्यक्तिगत श्रेणी में भी राज्य स्तरीय विवेकानन्द यूथ एवार्ड प्रारम्भ किया गया है, जिसके अन्तर्गत 10 युवाओं को रु. 50,000 नकद पुरस्कार, स्मृति चिन्ह, शाल एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है।

राज्य स्तरीय विवेकानन्द यूथ एवार्ड में मंगल दलों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार हेतु क्रमशः रु. 1.00 लाख, रु. 50,000/: एवं रु. 25,000/- की धनराशि दी जाती है। इस वर्ष 2024-25 के राज्य स्तरीय विवेकानन्द यूथ एवार्ड का वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 12 जनवरी, 2025 को लोक भवन में किया गया।

6. उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग का आयोजनः-

इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग (UPRSL) का संचालन करते हुए सब जूनियर, जूनियर एवं सीनियर आयु वर्ग के ग्रामीण खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से 08 खेल विधाओं, एथलेटिक्स, बालीबाल, कबड्डी, भारोत्तोलन, कुश्ती, फुटबाल, बैडमिन्टन एवं जुड़ों में प्रतियोगिताओं का आयोजन ब्लाक, जनपद,जोन एवं राज्य स्तर पर आयोजित ग्रामीण खेल कूद प्रतियोगिताओं के पश्चात् उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग (UPRSL) के अन्तर्गत जनपद, जोन एवं राज्य स्तर की ग्रामीण खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया गया है, जिसमें दो लाख से अधिक युवाओं द्वारा प्रतिभाग किया गया है।

7. युवा उत्सव का आयोजनः-

जनपद, मण्डल, राज्य स्तर पर भारत सरकार के निर्देशानुसार निर्धारित विधाओं में प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाता है। वर्ष 2024-25 में सांस्कृतिक-विधाएं-लोकगीत व लोकनृत्य की समूह व एकल प्रतियोगितायें तथा थीमैथिक घटक के अन्तर्गत साइंस मेला का आयोजन एवं जीवन कौशल के अन्तर्गत डिक्लेमेशन, कहानी लेखन, कविता, पेंटिंग में दिनांक 03,04 व 05 जनवरी, 2025 को महानिदेशालय लखनऊ पर राज्य युवा उत्सव का आयोजन किया गया। दिनांक 11 व 12 जनवरी 2025 को भारत मण्डपम, नई दिल्ली में प्रवेश के युवा कलाकारों द्वारा 28वें राष्ट्रीय युवा उत्सव में प्रतिभाग किया गया।

8. माई भारत पोर्टल के माध्यम से युवाओं की विभिन्न गतिविधियों में प्रतिभागिताः-

माई भारत पोर्टल के माध्यम से युवाओं की विभिन्न गतिविधियों में प्रतिभाग करने हेतु प्लेटफार्म उपलब्ध कराया गया है। वर्तमान में इस पोर्टल पर 16 लाख से अधिक युवाओं का पंजीकरण कराया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में विकसित भारत युवा नेता संवाद कार्यक्रम के अन्तर्गत युवाओं द्वारा निबन्ध लेखन प्रतियोगिता में पोर्टल के माध्यम से प्रतिभाग किया गया। इसके उपरान्त स्टेट चैम्पियनशिप के अन्तर्गत, लखनऊ विश्वविद्यालय को नोडल एजेंसी नामित करते हुए निबन्ध लेखन के प्रतिभागियों का मूल्यांकन कराने के उपरान्त विजन पिच प्रजेंटेशन के माध्यम से 10 विषयों पर कुल 30 युवाओं को चयनित कर राष्ट्रीय स्तर पर 10 से 12 जनवरी, 2025 तक विकसित भारत युवा नेता संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग कराया गया। राष्ट्रीय युवा उत्सव में कुल आठ प्रतिभागी विधाओं में से तीन विधाओं-कहानी लेखन, कविता लेखन एवं पेंटिंग में गोल्ड मैडल तथा कहानी लेखन में ब्रॉन्ज मेडेल उत्तर प्रदेश की टीम द्वारा अर्जित किया गया।

9. युवाओं में आई.ई.सी. गतिविधियों का संचालनः-

(क) ग्रामीण युवाओं में नेतृत्व के गुणों का विकास करने, उनमें साम्प्रदायिक सौहार्द तथा सामाजिक कार्यों/सेवाओं में रूचि उत्पन्न करने एवं समाज के प्रति संवदेनशील बनाने के उद्देश्य से अधिक से अधिक युवाओं को कार्यक्रम में लाभान्वित कराये जाने हेतु महानिदेशालय पर विभिन्न क्षेत्रों के सफल एवं प्रेरणादायक व्यक्तियों को अनियन्त्रित कर उनसे वार्ता कर उनके सफल जीवन यात्रा के विषय में पॉडकास्टिंग के माध्यम से सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर प्रसारित किया गया।

(क) युवाओं को शासकीय योजनाओं से लाभान्वित करने हेतु इन्टीग्रेटेड प्लेटफार्म के रूप में 'युवा साथी' पोर्टल का विकास कराया गया है। इस पोर्टल को आर्टिफिसियल इन्टेलीजेंस से इनेबल्ड कराते हुए युवा साथी पोर्टल की इस सुविधा का शुभारम्भ माननीय मुख्यमंत्री के कर-कमलों से दिनांक 12 जनवरी, 2025 को कराया गया।

(ग) महाकुंभ मेला- 2025 के दौरान सांस्कृतिक पांडाल की स्थापना कर प्रदेश के युवा कलाकारों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक विधाओं का प्रदर्शन कराया गया। मेला क्षेत्र में स्थापित एल. ई.डी. वाल के माध्यम से सरकार द्वारा युवाओं हेतु संचालित योजनाओं एवं युवाओं के उत्कृष्ट कार्यों का वीडियो प्रदर्शन कराया गया।

10. पी.आर.डी. ड्यूटी संचालनः-

वित्तीय वर्ष 2024-25 में 280.00 करोड़ के बजट की व्यवस्था कराकर 20,800 पी. आर.डी. स्वयंसेवकों की ड्यूटी प्रदेश के समस्त थानों, यातायात संचालन, महिला थाना, शासकीय भवन एवं परिसम्पत्तियों की सुरक्षा हेतु लगायी गयी है। पी.आर.डी. स्वयं सेवकों के दक्षता में सुधार होने के दृष्टिगत विभिन्न सरकारी विभागों एवं संस्थानों द्वारा पी.आर.डी. स्वयंसेवकों की ड्यूटी लगाने की मांग लगातार की जा रही है। विगत वित्तीय वर्ष में अन्य विभागों के बजट से 7,268 पी.आर.डी. स्वयंसेवकों की ड्यूटी संचालित की गयी। पी.आर.डी. स्वयंसेवकों के डाटा फीडिंग एवं ड्यूटी संचालन हेतु पोर्टल का विकास यू.पी.डेस्को के माध्यम से कराकर पोर्टल के माध्यम से पी. आर.डी. स्वयंसेवकों की ड्यूटी का संचालन पूर्ण पारदर्शी रूप में किया जा रहा है।

11. पी.आर.डी. स्वयंसेवकों का प्रारम्भिक एवं पुर्नप्रशिक्षणः-

शासनादेश दिनांक 24 सितम्बर, 2021 के माध्यम से मृतक/स्थायी रूप से अपंग पी.आर. डी. स्वयंसेवकों के पात्र आश्रितों को प्रान्तीय रक्षक दल में चयनित कर उनका 45-दिवसीय प्रारंभिक प्रशिक्षण कराकर ड्यूटी प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 74 चयनित आश्रितों का प्रारंभिक प्रशिक्षण कराया गया। उक्त के अतिरिक्त 166 व्यक्तियों को भी प्रारंभिक प्रशिक्षण प्रदान कर पी.आर.डी. में विनियमित किया गया।

पी.आर.डी. स्वयं सेवकों को ड्यूटी हेतु फिट रखने एवं उनके दक्षता संवर्द्धन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 से नियमित 15-दिवसीय पुनर्प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रारम्भ की गयी है। चरणबद्ध रूप से पी.आर.डी. स्वयंसेवकों को 15-दिवसीय प्रुनर्प्रशिक्षण की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 3,825 पी.आर.डी. स्वयंसेवकों को 15-दिवसीय पुनर्प्रशिक्षण एवं राज्य स्तर पर 109 पी.आर.डी. स्वयंसेवकों का भीड़ नियंत्रण, प्रोटोकॉल एवं भवन सुरक्षा का 15-दिवसीय प्रशिक्षण कोर्स संचालित किया गया।

12. पी.आर.डी. स्वयंसेवकों की मासिक रिफ्रेशर परेडः-

वर्ष 2020-21 से पी.आर.डी. स्वयं सेवकों का टर्नआउट सही रखने एवं उन्हें अनुशासित रखने के उद्देश्य से प्रत्येक माह के निर्धारित दिवस पर विकास खण्ड/कम्पनी स्तर पर उनका मासिक रिफ्रेशर परेड का आयोजन कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 9506 रिफ्रेशर परेड कम्पनी स्तर पर एवं 18 रिफ्रेशर परेड सी.टी.आई. स्तर पर आयोजित की गई।

13. पी.आर.डी. केन्द्रीय प्रशिक्षण का निर्माण एवं संचालनः-

पी.आर.डी. स्वयंसेवकों एवं विभागीय अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण वर्ष 2022-23 से प्रारम्भ किया गया जो कि वर्तमान में निर्माणाधीन है। पी.आर.डी. केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान का संचालन वर्ष 2022-23 से एक अन्य विभागीय भवन में सरोजनी नगर, लखनऊ में प्रारम्भ किया जा चुका है। उक्त संस्थान में पी.आर.डी. स्वयंसेवकों के प्रारंभिक प्रशिक्षण एवं रिफ्रेशर कोर्स, स्थापना दिवस परेड प्रशिक्षण, गणतंत्र दिवस परेड प्रशिक्षण/अभ्यास, आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षण आदि की कार्यवाही संचालित की जा रही है।

14. पी.आर.डी. टुकड़ी की गणतंत्र दिवस परेड में सहभागिताः-

पी.आर.डी. टुकड़ी की गणतंत्र दिवस में सहभागिता वर्ष 2021 से प्रारम्भ की गयी है। पी. आर.डी. स्वयंसेवकों को यथोचित प्रशिक्षण एवं अभ्यास के फलस्वरूप पी.आर.डी. की पुरुष, महिला एवं बैण्ड टुकड़ी द्वारा विधान सभा मार्ग पर गणतंत्र दिवस परेड में प्रतिभाग कर सराहनीय प्रदर्शन किया जाता है। विगत गणतंत्र दिवस 2024 में पी.आर.डी. की महिला टुकड़ी को पुलिस श्रेणी में तृतीय स्थान एवं पी.आर.डी. ब्रास बैण्ड को आल फोर्सेज श्रेणी में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ था। इस वर्ष गणतंत्र दिवस 2025 परेड में पी.आर.डी. की महिला टुकड़ी को ऑल फोर्सेज श्रेणी में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ।

15. महाकुम्भ 2025:-

महाकुम्भ-2025 में लगभग 2000 पी.आर.डी. स्वयंसेवकों को शांति सुरक्षा व्यवस्था ड्यूटी पर व्यवस्थापित किया गया। प्रयागराज संगम तट पर पी.आर.डी. लाइन्स की स्थापना की गयी। विभाग द्वारा प्रयागराज संगम तट पर साँस्कृतिक पाण्डाल स्थापित किया गया, जिसमें सॉस्कृतिक विरासत की प्रदर्शनी लगायी गयी। LED डिस्पले वॉल के माध्यम से युवाओं हेतु संचालन योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया।

●

उत्तर ादेश ुनग न समन ाय

यह वि ाग अवि ाजित प्र में पहले पवतीय विकास वि ाग वं तत्प ात त्तरां ल समन्वय वि ाग के प में ापित ा। नव बर में त्तरां ल राज्य को प्र से पृ ाक कर नवीन राज्य के प में गठित कर दिये जाने के परान्त यह वि ाग प्र पुनगठन समन्वय वि ाग के प में ापित है।

यह वि ाग प्र वं त्तरा ण्ड राज्य के म य कामिकों के राज्यावं न त ा आ तियों वं दायित्वों के वि ाजन का समन्वय वि ाग मा है जो कामिक वं प्र ाक्षण वि ाग ारत सरकार ारा गठित समिति के स िवालय के प में काय कर रहा है। यह क बज रहित वि ाग है।

लि ा ां

त्तर प्रदे ा वं त्तरा ण्ड राज्य के म य आ तियों वं दायित्वों के वि ाजन के स बं ा में मु य स िव महोदय की अ यक्षता में दिनांक को दोनों राज्यों के मु य स िवों की संयु त बैठक देहरादन में आयोजित की गयी ी जिसमें दी ाकाल से ल बित वि ागों के संबं ित प्रकरणों पर निणय लिया गया। तदक्रम में निगत कायवृत्त पर मा मु यमं ी जी का आदे ा प्रा त करते हुये स बन्ि ात वि ागों को तदनुसार कायवाही सुनि ित करने का निदे ा दिया गया। स हेतु मु य स िव महोदय के तर पर ollow p बैठकें ी करायी गयी हैं।

त्तर प्रदे ा वं त्तरा ण्ड राज्य के म य कामिकों के राज्य आवं न के स बन् ा में ारत सरकार की अ यक्षता में गठित पराम ीय समिति की बैठक आहत किये जाने के स बं ा में ारत सरकार की अपेक्षानुसार ल बित प्रकरणों के नि तारण हेतु स बन्ि ात वि ागों की समन्वय बैठक बार आहत करायी गयी त ा क बैठक में ारत सरकार के प्रतिनि ि को ी आमं ित किया गया जिसका संयु त कायवृत्त निगत करते हुये स बन्ि ात वि ागों से अपेक्षा की गयी कि वह अपने से स बन्ि ात स ना नि ित समयाव ि में पल ा करा दें। स प्रकार प्रा त स ना के क्रम में ारत सरकार को निणय हेतु ेजेण्डा तैयार कर ोजा गया। स पर ारत सरकार के तर पर निणय लिया जाना है।

●

लोक निर्माण

उत्तर प्रदेश भौगोलिक तथा जनसंख्या के दृष्टिकोण से देश का महत्वपूर्ण राज्य है। प्रदेश के औद्योगिक, आर्थिक तथा प्रदेशवासियों के सामाजिक विकास के लिए प्रत्येक गाँव तथा आबादी का मुख्य मार्गों से जुड़ना नितान्त आवश्यक है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मार्गों, राज्य मार्गों तथा जिला मार्गों का चौड़ीकरण तथा उनका उचित गुणवत्ता से सुधार कराया जाना आवागमन के दृष्टिकोण से विशेष महत्व रखता है। लोक निर्माण विभाग द्वारा ग्रामीण अंचलों में सम्पर्क मार्गों का निर्माण तथा सुधार, अन्य जिला मार्ग, प्रमुख जिला मार्ग तथा राज्य मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुधार, ग्रामीण अंचलों में पुलों का निर्माण तथा मुख्य मार्गों पर संकरे तथा जर्जर पुलों के पुनर्निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर सम्पादित कराये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश के 36 जनपदों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के भी कार्य कराये जा रहे हैं। विभाग में मार्गों के निर्माण/सुधार हेतु अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग प्रारम्भ किया गया है।

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत कार्यरत निगम एवं प्राधिकरण :-

प्रदेश में सेतुओं के निर्माण, भवनों के निर्माण तथा पी.पी.पी./बी.ओ.टी. पद्धति पर मार्गों के सुधार एवं अनुरक्षण आदि के लिए निम्नवत् निगमों एवं प्राधिकरण की स्थापना की गई है :-

(क) उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लि. :-

प्रदेश में पुलों के निर्माण में तीव्रता लाने के लिये वर्ष 1973 में इस निगम की स्थापना की गई थी। राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 60 मीटर से अधिक दर (स्पान) के सेतुओं का निर्माण सेतु निगम द्वारा किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 101 सेतुओं के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

(ख) उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम :-

भवन कार्यों में आधुनिक तकनीक का प्रयोग व निर्माण कार्य में तीव्रता लाने के लिये 1975 में इस निगम की स्थापना की गई थी। वित्तीय वर्ष - में राजकीय निर्माण निगम का लक्ष्य रु. 3500 करोड़ रखा जाना सम्भावित है।

(ग) उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण :-

प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2004-05 में प्रदेश के राज्य मार्गों के निजी सहयोग से विकास के लिए इस प्राधिकरण का गठन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक निजी सहभागिता के आधार पर पी.पी.पी./बी.ओ.टी. पद्धति पर मार्गों एवं सेतुओं का विकास करना है।

मार्ग विकास

प्रदेश के विकास के लिए अवस्थापना सुविधाओं को उपलब्ध कराने में मार्ग व्यवस्था का विशेष महत्व है। मार्गों का विकास प्रदेश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु नितांत आवश्यक है। इस महत्वाकांक्षी योजना को मूर्त रूप देने में लोक निर्माण विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश में दिनांक 31-03-2024 को विभाग द्वारा अनुरक्षित मार्गों की कुल लम्बाई 2,79,327 किमी. है।

मार्ग विकास नीति

यातायात का वर्तमान परिदृश्य तथा भविष्य में मार्ग यातायात में उत्तरोत्तर होने वाली सम्भावित वृद्धि और सामाजिक व आर्थिक दृष्टिकोण से प्रदेश के विकास को गति प्रदान करने हेतु वर्ष 1998 में लागू मार्ग विकास नीति का पुनरीक्षण करते हुए नई मार्ग विकास नीति को प्रख्यापित किया गया है जिसमें मार्ग यातायात के क्षेत्र में हुए तकनीकी विकास एवं प्रचलित नवीन तकनीकों को भी अपनाया जाना है। प्रस्तावित मार्ग विकास नीति के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं :-

- महत्वपूर्ण निर्णय लेने हेतु कम्प्यूटर आधारित भौगोलिक सूचना प्रणाली तथा मार्ग अनुरक्षण प्रबन्धन प्रणाली का समावेश।
- असेट प्रबन्धन प्रणाली का समावेश।
- मार्गों का कोर नेटवर्क सहित राष्ट्रीय मार्ग, राज्य मार्ग, मुख्य जिला मार्ग, अन्य जिला मार्ग तथा ग्रामीण मार्ग में वर्गीकरण।
- विभिन्न श्रेणी के मार्गों का ज्यामितीय एवं तकनीकी संरचना में इन्डियन रोड कांग्रेस के मानकों का समावेश।
- विशिष्ट क्षेत्र जैसे क्वैरी अथवा बार्डर रोड्स हेतु विशेष मापदण्ड।
- सड़क सुरक्षा एवं सड़क दुर्घटनाओं को कम करने पर विशेष बल।
- पारदर्शिता के उद्देश्य से इलेक्ट्रानिक निविदा प्रणाली का उपयोग।
- मार्ग निर्माण के विभिन्न गतिविधियों में निश्चित समय सीमा निर्धारण एवं कार्यान्वयन।
- मार्गों के अनुरक्षण के उद्देश्य से विभिन्न विभागों के बीच में स्वामित्व निर्धारण हेतु नीति।
- सेतुओं के निर्माण, अनुरक्षण एवं विस्तारीकरण नीति।
- सूचना तकनीक के अधिकाधिक उपयोग पर बल।
- मार्ग निर्माण में निजी संस्थानों की सहभागिता की नीति।
- गुणवत्ता नियंत्रण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर स्पष्ट नीति।

उत्तर प्रदेश ग्राम सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण नीति

ग्रामीण सम्पर्क मार्गों के समुचित अनुरक्षण हेतु प्रदेश में प्रथम बार ''उत्तर प्रदेश ग्राम सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण नीति, 2013'' प्रदेश में शासनादेश दि. 22 नवम्बर, 2013 द्वारा (अद्यतन संशोधनों सहित) प्रचलन में है। इस नीति के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं :-

- निर्माण करने वाले विभाग द्वारा ही अनुरक्षण का कार्य कराया जायेगा।
- ग्रामीण सम्पर्क मार्गों पर सतह नवीनीकरण 05 वर्ष के चक्रानुसार किया जायेगा।
- समस्त विभागों द्वारा सम्पर्क मार्गों की इनवेन्ट्री कम्प्यूटरीकृत डाटा बैंक के रूप में रखा जायेगा तथा समय-समय पर अपडेट किया जायेगा।
- सम्पर्क मार्गों के अनुरक्षण हेतु मार्गों का चयन रोड कन्डीशन इन्डेक्स, स्थानीय आवश्यकताओं एवं जन प्रतिनिधियों के सुझाव के आधार पर किया जायेगा।
- विभागों द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष हेतु निर्धारित चक्रानुक्रम के अनुसार नवीनीकरण सम्बन्धी कार्य योजना माह मार्च तक अन्तिम कर ली जायेगी। अब ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का नवीनीकरण सामान्यतः प्रीमिक्स कार्पेट द्वारा किया जायेगा।
- विशेष मरम्मत सम्बन्धी कार्य योजना दो चरणों में माह अप्रैल तथा माह अक्टूबर में अन्तिम की जायेगी।
- स्वीकृति कार्यों पर पूर्ण धनराशि यथासंभव एक बार में अवमुक्त की जायेगी जिससे टाईम ओवररन तथा कास्ट ओवररन न हो।
- प्रत्येक विभाग द्वारा ग्राम सम्पर्क मार्गों को क्लब करते हुये आवश्यकतानुसार बैच मेन्टीनेन्स कान्ट्रैक्ट जैसी व्यवस्था लागू की जायेगी।
- नवीनीकरण/विशेष मरम्मत कार्यों पर डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड दो वर्ष का होगा।
- अनुश्रवण हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में अनुश्रवण समिति की बैठक प्रत्येक 03 माह एवं शासन स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समीक्षा समिति की बैठक प्रत्येक 06 माह में अनिवार्य रूप से की जायेगी।

महत्वपूर्ण मार्ग विकास योजनाएं

मार्ग कार्य :-

1. औद्योगिक लाजिस्टिक योजना :-

औद्योगिक लाजिस्टिक योजना में प्रदेश के वन ट्रिलियन डालर के लक्ष्य एवं पी०एम० गति शक्ति के अनतर्गत लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रदान करने के दृष्टिगत प्रदेश के इन्डस्ट्रियल पार्क, लाजिस्टिक पार्क को 04 लेन/न्यूनतम 02 लेन चौड़े मार्गों से जोड़े जाने का लक्ष्य है, जिससे प्रदेश की औद्योगिक गतिविधियों को गति प्रदान की जा सके एवं उनके निर्बाध प्रगति हेतु चौड़े मार्ग उपलब्ध हो सके। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में नया मद सृजित किया गया है। वर्ष 2023-24 से अब तक कुल 16 कार्यों की स्वीकृति प्राप्त है, जो वर्ममान समय में प्रगति में है।

2. धर्मार्थ-मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण, नवनिर्माण एवं विकास योजना :-

धर्मार्थ-मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण, नवनिर्माण एवं विकास योजना के अन्तर्गत पौराणिक एवं धार्मिक स्थलों के विकास/पर्यटन के उद्देश्य से महत्वपूर्ण मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु धर्मार्थ विभाग के अनुमोदन से प्राप्त करते हुए, वर्ष 2022-23 से अब तक स्वीकृत कुल 64 कार्यों

के सापेक्ष 30 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं एवं शेष 34 कार्य प्रगति में हैं।

3. चीनी मिल मार्ग योजनाः-

चीनी मिल मार्ग योजना के अन्तर्गत चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु गन्ना विकास विभाग से हस्तान्तरित मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण/नवनिर्माण/पुनर्निर्माण कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में नया मद सृजित किया गया है। वर्ष 2023-24 से अब तक स्वीकृत कुल 1609 कार्यों के सापेक्ष अब तक 888 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं एवं शेष 721 कार्य प्रगति में हैं।

4. नार्थ साउथ कारीडोर के विकास हेतु मार्गों का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण/नवनिर्माण/ पुनर्निर्माण :-

वर्तमान म्रें राज्य में निर्मित अधिकांश राष्ट्रीय राजमार्ग एवं एक्सप्रेस-वे पूर्व से पश्चिम की दिशा में चलते हैं। उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास, सामाजिक एवं सामरिक दृष्टिकोण के अन्तर्गत नेपाल बार्डर से सटे जनपदों से प्रारम्भ कर, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर उ०प्र० के महत्वपूर्ण जनपदों को जोड़ते हुए, देश के अन्य प्रदेशों यथा- मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना इत्यादि को जोड़ने के दृष्टिगत नार्थ साउथ कारीडेर में मार्गों के नवनिर्माण/चौड़करण एवं सुदृढ़ीकरण/पुनर्निर्माण का कार्य इस योजना के अन्तर्गत कराया जाना प्रस्तावित है।

5. अन्तर्राष्ट्रीय/अन्तर्राज्यीय मार्गों का विकास एवं सीमा पर स्वागत द्वार निर्माण :-

प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने एवं जन-सामान्य को सुविधा देने के उद्देश्य से प्रदेश से जुड़ने वाले अन्य प्रदेशों/देश की सीमाओं तक जाने वाले महत्वपूर्ण मार्गों को विकसित करने का एवं सीमा पर स्वागत द्वार बनाने तथा अन्य सौन्दर्यीकरण कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

मार्गों के विकास हेतु 108 मार्गों पर 1251 किमी० लम्बाई में रु० 2545.00 करोड़ की लागत से कार्य कराया जा रहा है, जिसके सापेक्ष अब तक 90 कार्यों को शतप्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है, शेष कार्य प्रगति में है।

अन्तर्राष्ट्रीय/अन्तर्राज्यीय सीमा पर स्वागत द्वार निर्माण हेतु 112 मार्गों पर रु० 155.85 करोड़ की लागत से कार्य कराया जा रहा है, जिसके सापेक्ष अब तक 59 कार्यों को शत-प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है, शेष कार्य प्रगति में है।

6. केन्द्रीय मार्ग निधि/केन्द्रीय मार्ग एवं अवसंरचना निधि योजना :-

भारत सरकार द्वारा सड़कों के विकास हेतु पेट्रोल व डीजल पर सेस के माध्यम से प्राप्त होने वाली धनराशि से प्रोषित केन्द्रीय मार्ग निधि/केन्द्रीय मार्ग एवं अवसंरचना निधि योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश सरकारों को उनके क्षेत्र के अन्तर्गत प्रमुख मार्गों के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उत्तर प्रदेश में इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के महत्वपूर्ण राज्य मार्गों/प्रमुख जिला मार्गों/अन्य जिला मार्गों का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण का कार्य एवं इन कार्यों पर पड़ने वाले सेतुओं/उपरिगामी सेतुओं के निर्माण का कार्य कराया जा रहा है।

7. उत्तर प्रदेश में इण्डो-नेपाल सीमा पर मार्ग का निर्माण :-

गृहइ मंत्रालय, भारत सरकार,, नई दिल्ली द्वारा सामारिक महत्व की भारत-नेपाल सीमा पर स्थित सशस्त्र सीमा बल की चौकियों को जोड़ने के उद्देश्य से 07 जनपदों क्रमशः पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर एवं महाराजगंज में कुल 640 किमी० लंबाई में रु० 1621.00 करोड़ की लागत से वर्ष 2010-11 में परियोजना का सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया गया।

परियोजना के अन्तर्गत भूमि अध्याप्ति के कार्यों हेतु रू० 503.05 करोड़ की लागत से प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त है। परियोजना के अन्तर्गत आपसी समझौते से भूमि क्रय की कार्यवाही की जा रही है। प्रारम्भ से दिसम्बर, 2024 तक रु० 407.73 करोड़ की धनराशि व्यय करते हुये कुल आवश्यक 249.00 किमी० लंबाई के सापेक्ष 221.65 किमी० लंबाई में मार्ग निर्माण हेतु भूमि क्रय किया जा चुका है।

8. तहसील मुख्यालयों को 2 लेन चौड़े मार्ग से जोड़ा जाना :-

वर्ष 2017 से अब तक 26 तहसील मुख्यालयों को 2 लेन मार्ग से जोड़ने हेतु लम्बाई 270 किमी० व रु० 391.00 करोड़ की लागत से चौड़ीकरण हेतु स्वीकृतियां निर्गत की गयी हैं, जिसके सापेक्ष समस्त 26 कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है।

9. विकास खण्ड मुख्यालयों को 2 लेन चौड़े मार्ग से जोड़ा जाना :-

वर्ष 2017 से अब तक 168 विकास खण्ड मुख्यालयों को 2 लेन मार्ग से जोड़ने हेतु लम्बाई 1425 किमी० व लागत रु० 2443.00 करोड़ से चौड़ीकरण की स्वीकृतियां निर्गत की गयी हैं, जिसके सापेक्ष अब तक 149 कार्यों को शतप्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है, शेष कार्य प्रगति में है।

10. विभिन्न श्रेणी के मार्गों का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण/सौन्दर्यीकरण/उच्चीकरण के कार्यों हेतु संक्षिप्त टिप्पणी :-

लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में कुल 2,67,561 किमी० लम्बाई के मार्ग जिसमें 10168 किमी० राज्य राजमार्ग, 6446 किमी० प्रमुख जिला मार्ग, 56929 किमी० अन्य जिला मार्ग तथा 194018 किमी० ग्रामीण मार्ग हैं। प्रदेश में यातायात में निरन्तर वृद्धि होने के फलस्वरूप प्रदेश के राज्य मार्गों, प्रमुख जिला मार्ग एवं अन्य जिला मार्गों का यातायात सर्वे के आधार पर अपेक्षित चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण किया जाना आवश्यक है।

11. विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत ग्रामों/बसावटों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने/चौड़ीकरण के सम्बन्ध में :-

वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 250 से अधिक आबादी के अनजुड़े राजस्व ग्राम/बसावटों की संख्या 10,610 थी, इनमें से गत वर्ष 2023-24 के अन्त तक विभिन्न योजनान्तर्गत कुल 6217 राजस्व ग्रामों/बसावटों के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु कार्य स्वीकृत किये गये थे, जिसमें से अब तक 4577 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं एवं 1640 कार्य निर्माणाधीन हैं।

वर्ष 2024-25 में पं० दीनदयाल उपाध्याय योजना के अन्तर्गत 827 कार्य लम्बाई 649 किमी० एवं लागत रु० 455.00 करोड़ के स्वीकृत किये गये हैं।

वर्ष 2025-26 में नाबार्ड मद के अन्तर्गत एस०सी०पी० सहित रु० 210.50 करोड़, कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण मार्गों का निर्माण मद के अन्तर्गत रु० 160.00 करोड़ एवं पं० दीन दयाल उपाध्याय मद के अन्तर्गत रु० 11.00 करोड़ जिला योजना मद के अन्तर्गत नवनिर्माण/पुनः निर्माण रु० 101 करोड़ एवं स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत 0.50 करोड़ का प्रविधान प्रस्तावित है।

12. मार्गों का अनुरक्षण :-

विभाग के अन्तर्गत सड़कों की कुल लम्बाई 2,79,327 किमी० है, जिसमें से 11,766 किमी० राष्ट्रीय मार्ग, 10,168 किमी०, राज्य राजमार्ग, 6,446 किमी०, प्रमुख जिला मार्ग, 56,929 किमी० अन्य जिला मार्ग व 1,94,018 किमी० ग्रामीण मार्ग सम्मिलित हैं। इन मार्गों में राष्ट्रीय मार्गों को छोड़कर शेष श्रेणी के सभी मार्गों का रख रखाव लो०नि०वि० के बजट से ही किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश के मार्गों पर गड्ढामुक्ति अभियान चलाया गया, इस अभियान के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग के लगभग 40,044 किमी० से अधिक लम्बाई के मार्गों को गड्ढामुक्त किया गया है।

विश्व बैंक पोषित परियोजना

1. विश्व बैंक की सहायता से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क परियोजना के डी.पी. आर. गठन हेतु नियुक्त सलाहकार संस्था हेतु एकमुश्त व्यवस्था (चालू कार्य) :-

परियोजना की कुल लागत 570 मिलियन यू०एस० डालर में से विश्व बैंक का अंश (70) 400 मिलियन यू०एस० डालर एवं उ०प्र० सरकार का अंश (30) 170 मिलियन यू.एस. डालर था। दिनांक 19-10-2019 विनिमय दरों में परिवर्तन होने के कारण उक्त ऋण में से 70 मिलियन यू.एस. डालर समर्पित किया गया। जिसके पश्चात परियोजना की कुल लागत 500 मिलियन यू.एस. डालर (570-70) में से विश्व बैंक का अंश 330 मिलियन यू.एस. डालर (400-70) एवं उ०प्र० सरकार का आंश 170 मिलियन यू.एस. डालर शेष रही। ऋण अनुबंध पर 11 नवम्बर, 2019 में हस्ताक्षर हुए।

विश्व बैंक पोषित उ०प्र० कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेन्ट परियोजना के अंतर्गत प्राप्त ऋण के सापेक्ष अप्रयुक्त ऋण को समर्पण कर दिया गया है। उक्त कार्य का अनुबंध दिनांक 16-03-2024 को समाप्त किया जा चुका है।

2. विश्व बैंक की सहायता से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क परियोजना के मार्ग निर्माण कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था :-

परियोजना के अंतर्गत सभी प्रथम चरण के चार कार्य पर रु० 1421.37 करोड़ के सिविल कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त है। सभी के निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा सभी मार्ग पंच वर्षीय अनुरक्षण के अन्तर्गत वर्ष 2027 तक अनुरक्षित किये जा रहे हैं।

3. एशियन डेवलपमेन्ट बैंक की सहायता से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश मुख्य जिला सड़क विकास परियोजना के डी०पी०आर० गठन सलाहकार संस्था की नियुक्ति हेतु (चालू कार्य) एकमुश्त व्यवस्था :-

प्रदेश के 430 किमी० लम्बाई के प्रमुख मार्गों के उच्चीकरण हेतु एशियन विकास बैंक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य दिनांक 27 जून 2017 को रु० 300 मिलियन यू.एस. डालर के ऋण पर हस्ताक्षर हुये। विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण इसमें से 105 मिलियन यू.एस. डालर का समर्पण कर दिया गया। इस प्रकार ऋण की धनराशि 195 मिलियन यू.एस. डालर रह गयी। उ०प्र० सरकार का अंश 128 मिलियन यू.एस. डालर था। इस प्रकार परियोजना की कुल लागत रु० 323 मिलियन यू.एस. डालर है। एशियन विकास बैंक की सहायता से प्रस्तावित उ०प्र० मुख्य जिला मार्ग सुधार परियोजना के सभी सिविल कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

4 एशियन डेवलपमेन्ट बैंक की सहायता से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश मुख्य जिला विकास परियोजना के मार्ग निर्माण कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था :-

प्रदेश के 430 किमी० लम्बाई के प्रमुख मार्गों के उच्चीकरण हेतु एशियन विकास बैंक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य दिनांक 27 जून 2017 को रु० 300 मिलियन यू.एस. डालर के ऋण पर हस्ताक्षर हुये। विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण इसमें से 105 मिलियन यू.एस. डालर का समर्पण कर दिया गया। इस प्रकार ऋण की धनराशि 195 मिलियन यू.एस. डालर रह गयी। उ०प्र० सरकार का अंश 128 मिलियन यू.एस. डालर था। इस प्रकार परियोजना की कुल लागत रु० 323 मिलियन यू.एस. डालर है। एशियन विकास बैंक की सहायता से प्रस्तावित उ०प्र० मुख्य जिला मार्ग सुधार परियोजना के सभी सिविल कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

राष्ट्रीय मार्ग

उत्तर प्रदेश में कुल 89 राष्ट्रीय मार्ग है, जिनकी कुल लम्बाई 11766 किमी. है इसमें से लोक निर्माण विभाग के अधीन 4212 किमी. एवं पी.आई.यू. मोर्थ के अधीन 301 किमी., भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन 7253 किमी. है।

राष्ट्रीय मार्गों पर परियोजनाओं का विवरण

वर्ष 2024-25 में दिनांक 31.12.2024 तक 11.95 किमी. नवीनीकरण, 98.59 किमी. 2-लेन विद पेव्डशोल्डर/आंशिक 4 लेन चौड़ीकरण का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

सेतु कार्य

राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत 60 मीटर से अधिक लम्बाई के दीर्घ सेतुओं का निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड द्वारा 60 मीटर से कम लम्बाई के लघु सेतुओं का निर्माण लो.नि.वि. द्वारा किया जाता है। रेल उपरिगामी सेतुओं का निर्माण उत्तर

प्रदेश राज्य सेतु निगम द्वारा कराया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में 12 नदी सेतु, 14 रेल उपरिगामी सेतु एवं 170 लघु सेतु इस प्रकार कुल 196 सेतु कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में 46 नदी सेतु, 42 रेल उपरिगामी सेतु एवं 260 लघु सेतु इस प्रकार कुल 348 सेतु कार्यों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

भवन विंग संगठन एवं विवरण

(अ) भवन निर्माण :-

भवन विंग द्वारा राज्य के विभिन्न विभागों यथा व्यवसायिक शिक्षा, न्याय विभाग, समग्र शिक्षा, पर्यटन विभाग, आपदा प्रबन्धन विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, प्राविधिक शिक्षा, सैनिक कल्याण, गृह (पुलिस), राजस्व एवं राज्यकर इत्यादि विभागों के रु. 50.00 करोड़ से कम लागत के विभिन्न प्रकार के आवासीय एवं अनावासीय भवनों का निर्माण कार्य तथा अनुदान संख्या-55 के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वयं की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निर्माण कार्यों का सम्पादन किया जाता है।

(ब) भवन अनुरक्षण :-

विभाग द्वारा लखनऊ में राज्य सम्पत्ति विभाग के सभी भवनों का अनुरक्षण कार्य तथा राजभवन, मा. उच्च न्यायालय, लखनऊ एवं लोक सेवा आयोग, लखनऊ, लोक निर्माण विभाग की स्वयं की सभी आवासीय कालोनियों के रख-रखाव का कार्य भी सम्पादित कराया जाता है। अन्य जनपदों में पूल्ड आवास तथा लो.नि.वि. के अन्य सभी भवनों तथा सर्किट हाउस व निरीक्षण भवनों के रख-रखाव का कार्य भी विभाग द्वारा किया जाता है। जनपद प्रयागराज में मा. उच्च न्यायालय व लोक सेवा आयोग के भवनों का रख-रखाव भी विभाग द्वारा सम्पादित कराया जाता है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

भारत सरकार द्वारा दिसम्बर, 2000 में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास तथा आवागमन की सुविधा को ध्यान में रखते हुये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारम्भ की गयी। प्रदेश में इस योजना का संचालन ग्राम्य विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। योजना के प्रारम्भ में अनजुड़ी बसावटें/मजरों को जोड़ने का प्रविधान था। वर्तमान में लोक निर्माण विभाग 35 जनपदों में कार्यदायी संस्था है। पी.एम.जी.एस.वाई.-3 की गाइड लाइन के अनुसार वर्तमान में मार्गों के उच्चीकरण, चौड़ीकरण एवं नवीनीकरण कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत आच्छादित हैं।

इस योजना के अन्तर्गत गठित अनुबन्ध में पांच वर्षीय अनुरक्षण के कार्य भी सम्मिलित है। भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार प्रस्तावित मार्गों जिनकी लम्बाई 5.00 किमी. या उससे अधिक हो, चौड़ाई 5.50 मीटर तक तथा मार्ग पर पड़ने वाले 150 मीटर लम्बाई तक के सेतुओं का निर्माण भी कराया जा रहा है। मार्गों के निर्माण के बाद पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त अगले 05 वर्ष (छठवें से दसवें वर्ष) का कार्य उक्त योजना में सम्मिलित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत 76 कार्य (04 सेतुओं सहित), लम्बाई 387.86 किमी. को रु. 36043.08 लाख की धनराशि में कार्य पूर्ण कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके सापेक्ष 31 दिसंबर, 2024 तक रु. 23908.53 लाख का व्यय करते हुए 50 कार्य एवं लम्बाई 256.38 किमी० को पूर्ण किया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत 03 कार्य, लम्बाई 55.80 किमी० को रु. 3458.00 लाख की धनराशि में पूर्ण कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त पी०एम०जी०एस०वाई के अन्तर्गत पीरियाडिक रिनीवल के अधीन 29 जनपदों में 152 मार्ग, लम्बाई 961.13 किमी० एवं लागत रु० 23422.98 लाख की प्राप्त हुई है। पी०एम०जी०एस०वाई०-4 की गाइड लाइन के अनुसार वर्तमान में अनजुड़ी बसावटों को जोड़ने हेतु सर्वे का कार्य किया जा रहा है।

क्वालिटी प्रमोशन सेल

क्वालिटी प्रमोशन सेल संगठन में मुख्यालय पर स्थापित प्रयोगशालाएं- रिजिड पेवमेन्ट (रासायनिक विश्लेषण), फ्लेक्सिबल पेवमेन्ट (बिटुमिन एवं टेनिंग), भौतिक तथा जियाटेक्निकल एण्ड स्वॉयल प्रयोगशाला है। परीक्षण की गोपनीयता को बनाये रखने हेतु क्वालिटी प्रमोशन सेल में एक कोडिंग सेक्शन है, जिसमें डिजाइन तथा मिट्टी के नमूनों को छोड़कर क्षेत्रों से प्राप्त अन्य निर्माण सामग्री प्राप्त की जाती है। कोडिंग करने के पश्चात् इन नमूनों को प्रयोगशालाओं में प्रेषित किया जाता है। परीक्षण के उपरान्त ग्रुपिंग व डीकोडिंग प्रक्रिया के बाद नमूना प्रेषक को परीक्षण परिणाम प्रेषित किये जाते हैं।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

निम्न संस्थानों द्वारा सम्पादित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अवर अभियन्ताओं, सहायक अभियन्ताओं एवं उच्च स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है :-

1. राष्ट्रीय राजमार्ग अभियन्ता प्रशिक्षण संस्थान, नोएडा। 2. केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, दिल्ली। 3. नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ। 4. राज्य नियोजन प्रशिक्षण संस्थान, कालाकांकर भवन, लखनऊ। 5. राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नई दिल्ली। 6. नेशनल काउन्सिल फॉर सीमेण्ट एण्ड बिल्डिंग मैटीरियल, हैदराबाद। 7. उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, अलीगंज, लखनऊ। 8. भारतीय इंजीनियरिंग स्टाफ कालेज, हैदराबाद। 9. केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की।

ई-गवर्नेन्स

लोक निर्माण विभाग लम्बे समय से मार्गों का निर्माण व अनुरक्षण कार्य सम्पादित कर रहा है। आई.टी. क्षेत्र में तीव्र रफ्तार से हो रहे वैश्विक परिवर्तनों को दृष्टिगत रखते हुए विभाग द्वारा कराये जाने वाले कार्यों में पारदर्शिता लाने हेतु विभागीय वेबसाईट विकसित की गयी है। विभागीय वेब साईट को शासन के निर्देशानुसार जी.आई.जी.डब्लू. गाईडलाईन्स के अनुरूप जनोपयोगी बनाने

हेतु रि-डिजाईन का कार्य किया जा चुका है। जनपदों में स्थित खण्डों को विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत निर्गत स्वीकृतियों एवं आवंटित धनराशि को सर्वसुलभ करने हेतु सूचनायें ऑनलाईन उपलब्ध हैं।

मार्गों का जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम आधारित रोड इन्फॉर्मेशन सिस्टम विकसित किया जा रहा है। जिसमें वेब-बेस्ड एप्लीकेशन में खण्डों द्वारा आनलाईन प्रविष्टियाँ की जा रही हैं। डाटा प्रविष्टि हो जाने पर डाटा संकलन तथा तकनीकी निर्णयों हेतु विश्लेषण त्वरित हो सकेंगे।

उत्तर प्रदेश शासन की **''ईज ऑफ डूइंग बिजनेस''** की नीति के दृष्टिगत विभाग द्वारा रोड कटिंग साफ्टवेयर विकसित कराया गया है, जिसको उत्तर प्रदेश में निदेशकों की सुविधाओं हेतु विकसित सिंगल विन्डो सिस्टम (निवेश मित्र) से इंटीग्रेट कर दिया गया है, ताकि भावी निवेशकों को विभाग द्वारा रोड कटिंग से सम्बन्धित अनुमोदन व भुगतान सम्बन्धी सुविधायें ऑनलाइन उपलब्ध करायी जा सकें।

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लि० की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1973 में प्रदेश के विकास हेतु सेतुओं का निर्माण उच्चतम गुणवत्ता तथा तीव्र गति से कराने हेतु की गयी थी। सेतु निगम ने अपने कार्यकलापों को प्रदेश एवं देश में ही सीमित न रखकर नेपाल, ईराक, यमन आदि तक बढ़ाये हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (उपशा)

उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-19, सन् 2004 द्वारा किया गया था। उपशा के मुख्य कार्य राज्य राजमार्गों तथा राज्य सरकार द्वारा सौंपें गये अन्य मार्गों का विकास, अनुरक्षण एवं प्रबन्धन एवं रोड सेक्टर में निजी एवं (अन्तर्राष्ट्रीय सहित) संस्थागत निवेश के लिए मॉडल विकसित करना और इन राजमार्गो के अनुरक्षण एवं उच्चीकरण हेतु संस्थागत संसाधन जुटाना है।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि० को, उत्तर प्रदेश सरकार के एक उपक्रम के रूप में अगस्त 1975 में स्थापित किया गया था। निर्माण निगम द्वारा अपने स्थापना के 48 वर्षों में प्रदेश में उत्कृष्टता के नये आयाम स्थापित करने के साथ-साथ पूरे देश में भवन निर्माण के क्षेत्र में एक उच्च स्थान प्राप्त किया जा चुका है।

●

राज्य सम्पत्ति

प्रमुख कार्य-कलाप

राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा राज्य मुख्यालय पर मा. मंत्रीगण, मा. विधायकगण, लखनऊ में कार्यरत सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों की आवासीय व्यवस्था तथा लखनऊ में सरकारी कार्यालय भवन यथा- विधान भवन, लोक भवन, लाल बहादुर शास्त्री भवन (एनेक्सी), बापू भवन, योजना भवन तथा जवाहर भवन एवं इंदिरा भवन के रख-रखाव की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। राज्य से दिल्ली, कोलकाता एवं मुम्बई जाने वाले मा. मंत्रीगण, मा. विधायकगण, अधिकारियों एवं अन्य महानुभावों के ठहरने हेतु अतिथि गृह अवस्थित हैं। इसी प्रकार मा. सांसदों तथा अधिकारियों एवं अन्य महानुभावों के लिए लखनऊ में अतिथि गृह अवस्थित हैं। इन अतिथि गृहों की प्रबन्धकीय तथा रख-रखाव की व्यवस्था भी विभाग द्वारा सम्पादित की जाती है। राज्य सरकार के मा. मंत्रीगण हेतु वाहनों की व्यवस्था भी की जाती है। राज्य अतिथियों एवं भारत सरकार के मा. मंत्रीगण के प्रदेश (लखनऊ) आगमन पर उनकी सुविधानुसार आवास एवं भोजन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाती है।

विभाग के आधारभूत तथ्य -

(1) अतिथिगृहों, विधायक निवासों, आवासीय कॉलोनियों एवं अनावासीय भवनों की संख्या

.	अतिथि गृहों की संख्या
.	विधायक निवासों की संख्या
.	आवासीय कॉलोनियों की संख्या
.	अनावासीय कार्यालय भवनों की संख्या
.	सरकारी वाहनों की संख्या

(2) अनावासीय भवन (कार्यालय भवन)

( ) उत्तर प्रदेश विधान सभा/विधान परिषद भवन।

( ) सचिवालय भवन (मुख्य भवन, नवीन भवन, बहुखण्डीय भवन, लाल बहादुर शास्त्री भवन, लोक भवन, विकास भवन, बापू भवन, सचिव भवन, अधिकारी भवन, दरबारी लाल शर्मा भवन एवं योजना भवन)।

( ) इन्दिरा भवन, जवाहर भवन।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य सम्पत्ति विभाग की अनावासीय/आवासीय योजनाओं के लिए प्रस्तावित आय-व्यय प्राविधानः-

(पूँजीलेखा के अन्तर्गत अनुदान संख्या- के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष- में रु. . लाख, मुख्य शीर्ष- में रु. . लाख तथा मुख्य शीर्ष-4070 में 650-00 लाख की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है)

(क) मुख्य अनावासीय योजनाएँ :-

(1) अयोध्या, नोएडा एवं प्रयागराज में अति विशिष्ट अतिथि गृह का निर्माण कार्य :-

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन अयोध्या एवं प्रयागराज में अति विशिष्ट अतिथि गृह हेतु प्राप्त भूमि पर भवन निर्माण कार्य कराने हेतु कुल रूपये 14 . लाख धनराशि की व्यवस्था वित्तीय वर्ष - में कराया जाना प्रस्तावित है।

(2) नई दिल्ली एवं नोएडा में अति विशिष्ट अतिथि गृह हेतु भूमि क्रय तथा निर्माण कार्य :-

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन नई दिल्ली एवं नोएडा में अति विशिष्ट अतिथि गृह हेतु भूमि क्रय करने एवं भवन निर्माण कार्य कराने हेतु कुल रूपये 7500.00 लाख धनराशि की व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2025-26 में कराया जाना प्रस्तावित है।

(3) विधान भवन स्थित विधान सभा मण्डप तथा उससे सम्बद्ध लॉबी, गलियारों, कार्यालय कक्षों, कैन्टीन आदि की साज-सज्जा सहित उच्च स्तरीय आधुनिकीकरण का कार्य :-

रु. 55.75 लाख धनराशि की व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2025-26 में कराया जाना प्रस्तावित है।

(4) सचिवालय भवन एवं योजना भवन का उन्नयन सम्बन्धी कार्य :-

श्री लाल बहादुर शास्त्री भवन, नवीन भवन, बहुखण्डीय भवन, बापू भवन, योजना भवन, मुख्य सचिवालय परिसर तथा सचिवालय के अन्य भवनों एवं उनके अनुभागों तथा अन्य कार्यालयों के सुधारीकरण के लिए वित्तीय वर्ष - के आय-व्यय में रु. . लाख धनराशि की व्यवस्था कराया जाना प्रस्तावित है।

(5) सचिवालय भवनों में केन्द्रीयकृत वातानुकूलन :-

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन सचिवालय भवनों में स्थापित वातानुकूलन संयन्त्रों का जीर्णोद्धार/सुधारीकरण सम्बन्धी कार्यों को आवश्यकतानुसार कराए जाने के लिए वित्तीय वर्ष - में रु. . लाख धनराशि की व्यवस्था कराया जाना प्रस्तावित है।

(6) अनावासीय भवनों के जीर्णोद्धार एवं जल वितरण कार्य हेतु एकमुश्त व्यवस्था :-

अनावासीय भवनों में समुचित एवं पर्याप्त जलापूर्ति सुनिश्चित करने हेतु वांछित उच्चीकरण एवं सुधारीकरण के कार्यों के सम्पादनार्थ वित्तीय वर्ष - के आय-व्यय में रु. .

लाख धनराशि की व्यवस्था कराया जाना प्रस्तावित है।

(7) यू.पी. भवन/यू.पी. सदन एवं अन्य अतिथि गृहों का जीर्णोद्धार/सौन्दर्यीकरणः-

इस योजना के अन्तर्गत नई दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता तथा मुम्बई स्थित अतिथि गृहों के जीर्णोद्धार/सौन्दर्यीकरण का कार्य कराया जाता है। प्रश्नगत योजना के लिए रु. . लाख धनराशि की व्यवस्था आय-व्ययक - में कराया जाना प्रस्तावित है।

(8) राज्य सम्पत्ति विभाग के अनावासीय भवनों तथा इनमें लगे उपकरणों का जीर्णोद्धार/सुधारीकरण कार्य :-

इन कार्यों हेतु धनराशि रु. . लाख धनराशि की व्यवस्था आय-व्ययक - में कराया जाना प्रस्तावित है।

(ख) मुख्य आवासीय योजनाएँः-

(1) राज्य सम्पत्ति विभाग की कालोनियों का उन्नयन/जीर्णोद्धार/सुधारीकरण कार्य :-

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन अधिकांश कॉलोनियां - वर्ष पुरानी हो जाने के कारण इनमें अवस्थित आवासों का उन्नयन/जीर्णोद्धार एवं सुधारीकरण का कार्य कराया जा रहा है। उक्त योजना के अन्तर्गत कॉलोनियों के उन्नयन कार्यों हेतु रु. . लाख तथा आवासीय भवनों तथा इनमें लगे उपकरणों के जीर्णोद्धार/सुधारीकरण कार्यों हेतु रु. . लाख की धनराशि आय-व्ययक - में कराया जाना प्रस्तावित है।

(2) राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन श्रेणी-2 एवं श्रेणी-3 के आवासों का निर्माण कार्य :-

इन कार्यों हेतु धनराशि रु. . लाख धनराशि की व्यवस्था वित्तीय वर्ष - में कराया जाना प्रस्तावित है।

(3) लखनऊ स्थित विधायक निवास-3 (ओ.सी.आर.) परिसर में श्रेणी-2 एवं श्रेणी-3 के नए आवासीय भवनों का निर्माण कार्य :-

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन लखनऊ स्थित विधायक निवास- (ओ.सी.आर.) परिसर में असुरक्षित, जीर्णशीर्ण विधायक आवास एवं श्रेणी- के जर्जर आवासों को ध्वस्त कर उनके स्थान पर श्रेणी- एवं श्रेणी- के नए आवासीय भवनों को निर्माण कराया जा रहा है। इन कार्यों हेतु रु. . लाख धनराशि की व्यवस्था वित्तीय वर्ष - में कराया जाना प्रस्तावित है।

(4) राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन श्रेणी-5 एवं श्रेणी-6 के आवासों का निर्माण कार्य :-

लखनऊ स्थित सचिवालय कॉलोनी महानगर छन्नीलाल चौराहे के निकट श्रेणी- के जर्जर असुरक्षित आवास एवं गुलिस्ताँ कालोनी में स्थित वाँ वृत्त पुराना असुरक्षित कार्यालय भवन एवं जीर्णशीर्ण गैराज तथा बटलर पैलेस कॉलोनी में जीर्णशीर्ण असुरक्षित आवासों को ध्वस्त कराकर उक्त स्थल पर टाईप- एवं टाईप- के आवासों का निर्माण कराया जाना है। इन कार्यों हेतु

रूपये- . लाख की धनराशि की व्यवस्था वित्तीय वर्ष - में कराया जाना प्रस्तावित है।

(5) लखनऊ स्थित तालकटोरा कॉलोनी में श्रेणी-2 के नए आवासीय भवनां का निर्माण कार्यः-

तालकटोरा कॉलोनी के टाईप- के जीर्णशीर्ण पुराने असुरक्षित आवासों को ध्वस्त कराकर उक्त स्थल पर टाईप- के आवासों का निर्माण कराया जाना है। परियोजना को प्रारम्भ करने हेतु रूपये 5.00 लाख धनराशि की व्यवस्था व्यवस्था वित्तीय वर्ष - में कराया जाना प्रस्तावित है।

(6) लखनऊ स्थित बादशाहनगर राजकीय कालोनी में श्रेणी-3 का एक ब्लॉक (54 आवास) एवं श्रेणी-2 के तीन ब्लाक (216 आवास) के नए बहुखण्डीय भवनों का निर्माण कार्यः-

बादशाहनगर कॉलोनी के ब्लाक संख्या यू-1 से यू-17 के श्रेणी-3 के 85 असुरक्षित आवासों को ध्वस्तीकरण कर इनके स्थान पर श्रेणी-3 के एक ब्लाक (54 आवास) एवं श्रेणी-2 के तीन ब्लाक (216 आवास) के नए बहुखण्डीय भवनों का निर्माण कराया जाना है। इन कार्यों हेतु रूपये 1652.12 लाख की धनराशि नई मांग के माध्यम से व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2025-26 में कराया जाना प्रस्तावित है।

(क) वाहन क्रयः-

वर्तमान में राज्य सम्पत्ति विभाग के अन्तर्गत 232 वाहन है, उक्त वाहनों में से दस वर्ष पुराने वाहन अथवा एक्सीडेंटल वाहन जो वी.आई.पी. ड्यूटी उपयोग हेतु स्तरीय नहीं रह जाते उक्त को भी निष्प्रयोज्य घोषित कर उनके स्थान पर नए वाहनों को क्रय किए जाने हेतु रूपये 650.00 लाख की व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2025-26 में कराया जाना प्रस्तावित है।

●

ऊर्जा

ऊर्जा क्षेत्र का संगठनात्मक ढांचा :-

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेडः-

उ.प्र.पा.का.लि. राज्य क्षेत्र की समस्त वितरण कम्पनियों की होल्डिंग कम्पनी है। यह ऊर्जा क्षेत्र में बल्क पावर क्रय-विक्रय तथा नियोजन एवं नियंत्रण हेतु उत्तरदायी है। उ.प्र.पा.का.लि. में वर्तमान में वितरण कम्पनियों के कर्मचारियों को सम्मिलित करते हुए 31,285 कार्मिक कार्यरत हैं।

राज्य क्षेत्र की वितरण कम्पनियाँ :-

- पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि. वाराणसी।
- मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि. लखनऊ।
- दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि. आगरा।
- पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि. मेरठ।
- केस्को, कानपुर।

उपरोक्त वितरण कम्पनियाँ अपने-अपने क्षेत्र में वितरण नेटवर्क का रख-रखाव, उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति, बिलिंग एवं विद्युत बिल वसूली के साथ उपभोक्ताओं की विद्युत एवं बिलिंग इत्यादि सम्बन्धी समस्त समस्याओं के निराकरण हेतु उत्तरदायी हैं।

उ.प्र. राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. :-

यह निगम राज्य में तापीय विद्युत उत्पादन के लिये उत्तरदायी है, जिसके अधीन छः परियोजनाएं क्रमशः अनपरा (सोनभद्र), ओबरा (सोनभद्र), पारीछा (झाँसी), हरदुआगंज (अलीगढ़), जवाहरपुर (एटा) तथा पनकी (कानपुर) में स्थापित हैं। पनकी (कानपुर) की इकाइयों को डिलीट कर दिया गया है, जिसके स्थान पर 660 मे.वा. की एक इकाई निर्माणाधीन है। पाँच परियोजनाओं पर वर्तमान में 22 इकाईयाँ स्थापित हैं जिनकी कुल अधिष्ठापित क्षमता 7,140 मे.वा. है। उक्त अधिष्ठापित क्षमता के अतिरिक्त तीन निर्माणाधीन इकाईया 3x660 मे.वा. की ओबरा 'सी' जवाहर तापीय परियोजना एवं पनकी तापीय परियोजनाओं में वाणिज्यिक उत्पादन की अर्हता दिनांक 25.01.2025 को प्राप्त कर ली है। उत्पादन निगम लि. में वर्तमान में 6,027 कार्मिक कार्यरत हैं।

उ.प्र. जल विद्युत निगम लि. :-

उ.प्र. जल विद्युत निगम लि. द्वारा प्रदेश में स्थापित जल विद्युत गृहों के परिचालन, रख-रखाव के कार्यों के साथ-साथ नई जल विद्युत परियोजनाओं के स्थापना सम्बन्धी कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं। उ.प्र. जल विद्युत निगम लि. में वर्तमान में कुल 484 कार्मिक कार्यरत हैं।

उ.प्र. पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि.:-

उ.प्र. पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि. जुलाई, 2006 में अस्तित्व में आया। यह कारपोरेशन 132 के.वी. एवं इससे ऊपर की विभव के विद्युत उपकेन्द्रों एवं लाइनों के निर्माण व परिचालन के लिये उत्तरदायी है। ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि. में वर्तमान में 6,714 कार्मिक कार्यरत हैं।

उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि.:-

1. उत्तर प्रदेश में कुल 358.66 लाख विद्युत उपभोक्ता हैं जिनका श्रेणीवार विवरण निम्नवत् हैः-

विद्या	श्रेणी	उपभोक्ताओं की संख्या (लाख में)	विद्युत भार (मे.वा.)
एल.एम.वी.-01	घरेलू	312.65	49676.613
एल.एम.वी.-02	वाणिज्य	22.80	6576.912
एल.एम.वी.-05	निजी नलकूप	15.40	8858.928
एल.एम.वी.-06	लघु एवं मध्यम औद्योगिक	1.93	2424.221
एच.वी.-01	गैर-औद्योगिक बल्क लोड	0.08	2469.081
एच.वी.-02	वृहद एवं भारी औद्योगिक	0.17	6055.413
अन्य	अन्य	5.63	3319.781

2. प्रदेश में उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति प्रदान करने हेतु निम्नलिखित संरचनायें विकसित की गयी हैं एवं इस पर अग्रेतर कार्य भी प्रक्रियाधीन है।

i. **33/11 के.वी. विद्युत उपकेन्द्र**

कुल योग (संख्या)	स्थापित क्षमता (एम.वी.ए.)
4564	60841

वितरण परिवर्तकः-

प्रदेश में वर्तमान में कुल 27,18,113 वितरण परिवर्तक स्थापित हैं।

3. विभिन्न केन्द्र सहायतित परियोजनाओं में कराये गये कार्यः-

- बी.पी.एल. घरों का विद्युतीकरण - 29,08,553

➢ सौभाग्य योजना में निर्गत विद्युत संयोजन	-	62.18 लाख
➢ मजरों का विद्युतीकरण	-	1,81,781
➢ ऊर्जीकृत नये 33/11 के.वी. विद्युत उपकेन्द्र	-	489
➢ क्षमतावृद्धि किये गये उपकेन्द्र (संख्या)	-	1,720
➢ 33 के.वी. नई लाइन (सर्किट कि.मी.)	-	4,363
➢ 11 के.वी. नई लाइन (सर्किट कि.मी.)	-	28,149
➢ एल.टी.नई लाइन (सर्किट कि.मी.)	-	12,481
➢ वितरण परिवर्तकों की स्थापना (संख्या)	-	1,56,451
➢ एल.टी.ए.बी. केबल (संख्या)	-	50,009
➢ पोषक पृथक्कीकरण (संख्या)	-	2,227
➢ भूमिगत केबलिंग (सर्किट कि.मी.)	-	3,622

4. आई.पी.डी.एस. योजनान्तर्गत जनपद-अयोध्या में भूमिगत केबलिंग :-

आई.पी.डी.एस. योजनान्तर्गत जनपद-अयोध्या में उपरिगामी वितरण तंत्र को भूमिगत कराए जाने हेतु रु. 240.00 करोड़ की धनराशि मेसर्स पी.एफ.सी. नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत की गई है। योजनान्तर्गत निम्न कार्य कराये गये :-

33 केवी भूमिगत केबलिंग	-	125.04 स.कि.मी.
11 केवी भूमिगत केबलिंग	-	63.58 स.कि.मी.
एल.टी. लाइन	-	581.61 स.कि.मी.

योजना का क्लोजर किया जा चुका है।

5. निजी नलकूपों का ऊर्जीकरण :-

सामान्य योजना – वर्तमान में वित्त पोषण उपलब्ध न होने के कारण सामान्य योजना स्थगित है।

पूर्ण जमा योजना– पूर्ण जमा योजना के अन्तर्गत विभागीय पी.टी.डब्लू. पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से आवेदकों द्वारा निजी नलकूप संयोजन लिये जाने हेतु पंजीकरण किये जा रहे हैं एवं आवेदकों द्वारा टी.सी. की धनराशि जमा करने के उपरान्त निजी नलकूप विद्युत संयोजन निर्गत किये जा रहे हैं। वर्ष 2022-23 में पूर्ण जमा योजना के अन्तर्गत कुल 58,982 संयोजन निर्गत किये गये। मुख्य मंत्री लघु सिंचाई योजना सहित पूर्ण जमा योजना में वर्ष 2023-24 में 63,489 आवेदकों तथा वर्ष 2024-25 से माह जनवरी, 2025 तक 1,95,798 निजी नलकूप संयोजन निर्गत किये गये।

डार्क/क्रिटिकल श्रेणी के 172 विकास खण्डों में निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण पर लगे प्रतिबन्ध को शासनादेश दिनांक 10 जनवरी, 2018 द्वारा समाप्त कर दिया गया है।

6. विद्युत वितरण तन्त्र में सुधार हेतु एशियन डेवलपमेन्ट बैंक द्वारा वित्त पोषित उत्तर प्रदेश पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रिहैबिलीटेशन प्रोजेक्ट :-

- योजना का वित्त पोषण एशियन डेवलपमेन्ट बैंक से प्राप्त होने वाले यू.एस. डॉलर 430 मिलियन (रु. 3,179.9 करोड़) के ऋण की धनराशि से कराया जा रहा है।
- योजना के अन्तर्गत प्रदेश के पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि.- वाराणसी व मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि.-लखनऊ में चयनित 20,067 मजरों में पूर्व में खुले तारों वाली एल.टी. विद्युत लाईनों को एल.टी. एरियल बन्च केबिल से प्रतिस्थापना का कार्य कराया जा चुका है।
- इसी योजना में प्रदेश के पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि.-मेरठ एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि.-आगरा में 562 ग्रामीण 11 केवी पोषकों को नलकूप एवं बत्ती-पंखा के पृथक-पृथक पोषकों में पृथक्कीकरण के लक्ष्य के सापेक्ष 562 नये कृषि पोषकों का निर्माण कार्य कराया जा चुका है।

7. पी.एस.डी.एफ. वित्त पोषित कैपेसिटर बैंक स्थापना :-

वोल्टेज प्रोफाइल में सुधार एवं गुणवत्तापरक विद्युत आपूर्ति के उद्देश्य से केन्द्र सहायतित पी.एस.डी.एफ. योजना के अन्तर्गत रु. 225.35 करोड़ की स्वीकृत लागत से 33/11 के. वी. विद्युत उपकेन्द्रों पर कुल 457 (नग क्षमता 1,211.8 एम.वी.आर.) कैपेसिटर बैंक स्थापित किये जा चुके हैं।

8. रिवैम्प्ड रिफार्म-बेस्ड एण्ड रिजल्ट-लिंक्ड, डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम :-

भारत सरकार द्वारा दिनांक 20.07.2021 को आर.डी.एस.एस. (रिवैम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम) की अधिसूचना जारी की गयी, जिसकी स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दिनांक 28.03.2022 को की गयी।

इस योजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं को आधुनिक एवं सुदृढ़ वितरण तंत्र के माध्यम से गुणवत्ता परक निर्बाध विद्युत आपूर्ति किया जाना है। योजना की कार्यान्वयन अवधि वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक है, वर्ष 2024-25 तक ए.टी. एण्ड सी. हानियों (ए.टी. एण्ड सी.) को 12-15 प्रतिशत तक लाना तथा ए.सी.एस. एण्ड ए.आर.आर. के अन्तर को शून्य किया जाना लक्षित है।

योजना के प्रमुख कार्यों में स्मार्ट मीटरिंग, वितरण हानियों को कम करने के कार्य लास रिडक्शन एवं आधुनिकीकरण सम्मिलित हैं।

9. राज्य सरकार एवं विभागीय बजट से कराये जाने वाले प्रणाली सुदृढ़ीकरण के कार्य:- प्रस्तावित कार्य-

1. 33 के.वी., 11 के.वी. एवं एल.टी. लाइन का सुदृढ़ीकरण।
2. पावर ट्रान्सफार्मर एवं वितरण ट्रान्सफार्मर की क्षमतावृद्धि।
3. निर्बाध विद्युत, आपूर्ति हेतु 33/11 के.वी. उपकेन्द्रों पर कराये जाने वाले आवश्यक

कार्य यथा स्विचगीयर, केबिल, प्रोटेक्शन सिस्टम आदि से सम्बन्धित कार्य।

10. विद्युत उपभोक्ताओं को प्रदान की जा रही सुविधाएं :-

i. टोल-फ्री हेल्पलाईन '1912'

उपभोक्ता निम्नलिखित प्रकार के शिकायतें ट्रोल फ्री नम्बर पर दर्ज करा सकता है:-

● अपनी बिल सम्बन्धी शिकायत। ● विद्युत आपूर्ति व्यवधान सम्बन्धी शिकायत।

● ट्रांसफार्मर खराब सम्बन्धी शिकायत। ● मीटर की खराबी सम्बन्धी शिकायत। ● नये कनेक्शन के सम्बन्ध में शिकायत। ● विद्युत चोरी के सम्बन्ध में शिकायत।

❖ उपभोक्ताओं के लिए Whatsapp Chat Bot की सुविधा प्रारंभ कर दी गयी है।

i. औद्योगिक विद्युत उपभोक्ताओं/इकाईयों समबन्धी सुविधाएं।

ii. बहुमंजिला अपार्टमेंट में प्वाइन्ट विद्युत संयोजन की व्यवस्था।

iii. स्मार्ट मीटर

प्रदेश में 40 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाने की योजना मेसर्स ई.ई.एस.एल. द्वारा चलाई जा रही है। अभी तक प्रदेश के 12 शहरों में लगभग 12.04 लाख स्मार्ट मीटर लगाये जा चुके हैं।

iv. विभिन्न माध्यमों से विद्युत बिल जमा कराने की व्यवस्था।

उपभोक्ताओं तक नियमित रूप से सही विद्युत बिल उपलब्ध कराने तथा विभाग एवं उपभोक्ताओं के मध्य प्रभावी संवाद स्थापित करने हेतु निम्न कदम उठाये गये हैं:-

➢ शहरी क्षेत्रों की भांति ग्रामीण क्षेत्रों में भी विद्युत बिल का सृजन ऑनलाइन मोबाईल एप के माध्यम से प्रत्येक माह किया जा रहा है और मौके पर ही विद्युत उपभोक्ताओं का विद्युत बिल उपलब्ध एवं जमा कराने की व्यवस्था है।

➢ पूर्व उपभोक्ताओं से विद्युत बिल मैनुअल रसीद के माध्यम से प्राप्त किये जाते थे, जिसमें त्रुटि होने की सम्भावना बनी रहती थी। इसको समाप्त कर समस्त बीजों के भुगतान आनलाइन प्रणाली के माध्यम से किये जा रहे हैं।

➢ उपभोक्ताओं द्वारा उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अधिकृत मोबाइल ऐप (यू.पी.पी.सी.एल. कंज्यूमर ऐप) एवं वेबसाइट (डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट यू पी पी सी एल डॉट ओ आर जी) के माध्यम से बिल संशोधन सम्बन्धी शिकायत का आवेदन, बिल भुगतान करने तथा स्वयं रीडिंग दर्ज कर बिल सृजन कर सकने (ट्रस्ट बिलिंग) की व्यवस्था लागू की गयी है।

➢ 20 कि.वा. भार तक के घरेलू तथा वाणिज्यिक श्रेणी के उपभोक्ताओं द्वारा उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अधिकृत मोबाइल ऐप (यू.पी.पी.सी.एल. कंज्यूमर ऐप) एवं वेबसाइट (डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट यू पी पी सी एल डॉट ओ आर जी) के माध्यम से स्वयं अपने संयोजन की भार वृद्धि किये जा सकने की व्यवस्था लागू की गयी है।

एकमुश्त समाधान योजना :-

दिनांक 01.04.2023 से प्रदेश के किसानों को सिंचाई हेतु 'मुफ्त विद्युत आपूर्ति योजना लागू है। वर्तमान में इस योजना का लाभ लेने हेतु 9,24,165 किसान उपभोक्ता पंजीकरण करा चुके हैं।

समस्त विद्युत भार के घरेलू (एल.एम.वी.-1), वाणिज्यिक (एल.एम.वी.-2), निजी संस्थान (एल.एम.वी.-4बी.) एवं औद्योगिक (एल.एम.वी.-6) श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को विलम्बित भुगतान अधिभार से छूट देने हेतु दिनांक 15-12-2024 से "एकमुश्त समाधान योजना-2024-25" लागू है। इस योजना में सरचार्ज में अधिकतम 100 प्रतिशत की छूट की सुविधा प्रदान की गयी है, जिसमें अब तक 44,16,392 उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराकर योजना का लाभ लिया है।

संयोजन प्राप्त करने के लिए समयबद्ध ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था (झटपट कनेक्शन सुविधा):-

प्रदेश की जनता नया विद्युत संयोजन लेने के लिए घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकती है। विद्युत विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा आवेदन प्राप्ति से संयोजन निर्गत होने तक की प्रगति का अनुश्रवण किया जा रहा है। आवेदक भी संयोजन निर्गत होने के प्रत्येक चरण की प्रगति "झटपट पोर्टल" पर ऑनलाइन घर बैठे देख सकता है। इस पोर्टल पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिनांक 31.12.2024 तक 12,87,704 नये विद्युत संयोजन निर्गत किये जा चुके हैं।

नये विजिलेन्स दलों का गठन :-

विद्युत विभाग में वर्तमान में 88 रेड टीमें कार्यरत हैं। जिससे विद्युत चोरी को प्रभावी ढंग से रोका जा सके एवं ए.टी. एण्ड सी. लॉस को कम से कम किया जा सके।

नये विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थाने का गठन :-

प्रदेश में 75 जिलों में विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थाने क्रियाशील कराये जा चुके हैं।

अन्य जनोपयोगी बिन्दुः-

1 कि.वा. तक के छोटे घरेलू एवं वाणिज्यिक संयोजनों/गैर संयोजनों में विद्युत चोरी के प्रकरणों में लगने वाले शमन शुल्क को आधा करते हुए क्रमशः रु. 4 हजार प्रति कि.वा. के स्थान पर रु. 2 हजार तथा रु. 10 हजार प्रति कि.वा. के स्थान पर रु. 5 हजार कर दिया गया है, जिससे गरीब श्रेणी के उपभोक्ता सरलता से धनराशि जमा कर सकें।

●

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत

ार दे ा नवीन वं नवीकरणीय जा विकास अ ािकरण यपीनेडा ार दे ा ाासन के अतिरि जा स्रोत वि ााग के अ ाीन क वाय ा ाासी सं ाा के प में कायरत है। जनपदीय तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये परियोजना कायालयों की ाापना की ग है। दे ा के जनपदों में योजनाओं का क्रियान्वयन परियोजना कायालयों के मा यम से किया जा रहा है।

ार दे ा नवीन वं नवीकरणीय जा विकास अ ािकरण ारा जा के नवीन वं नवीकरणीय स्रोतों पर आ ाारित पयु जा योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। सौर जा बायो जा ल ाु जल वि ुत जा जैसे अपार परिक जा स्रोतों के दोहन हेतु पयु तकनीक के विकास वं सार के लि ेसी वि ािन्न योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है जिनसे नगरीय वं ग्रामीण दोनों ही क्षे ों में जा की आव यकता की पति हो सके।

यपीनेडा ारा ला ाा ाीपरक योजनाओं का सं ालन वं क्रियान्वयन करने के सा ा सा ा वि ुत त्पादन वं जा संरक्षण से संबं ाित योजनाओं के विकास का काय ाी किया जाता है।

ार दे ा नवीन वं नवीकरणीय जा विकास अ ािकरण ारा िनह जनपद ल ान ाोसी जनपद म वं कन्नौज में ाो ा विकास वं ािक्षण के न्े ों का सं ालन किया जा रहा है। न ािक्षण के न्े ों पर नवीन वं नवीकरणीय जा स्रोतों पर आ ाारित संयं ों परियोजनाओं की ाापना सं ालन अनुरक्षण वं सविसिंग के वि ाय में दक्षता के विकास हेतु वि ािन्न तरों के ािक्षण कायक्रम आयोजित किये जाते हैं।

ार दे ा ाासन ारा यपीनेडा को जा संरक्षण अ ाानियम में निहित ाव ाानों को ार दे ा में क्रियान्वित कराये जाने हेतु े डेजी ने ेड जेन्सी सडी नामित किया गया है। स ाी सरकारी वाणिज्यिक ावनों में जा संरक्षण के ेय से जा संरक्षण ावन संहिता यपी सीबीसी की अ ािस ना जारी की गयी जिसके अन्तगत स ाी सरकारी वाणिज्यिक ावनों का निमाण सीबीसी मानकों के अनु प किया जा रहा है। आवास वं ाहरी नियोजन ारा सके अ ाीन विकास ाािकरणों औ ोगिक ाािकरणों वं वि ाो ा क्षे ाािकरणों के ावन संहिता में यपी सीबीसी जनवरी में अंगीकार कर लिया गया है। जा संरक्षण के ति जनमानस में जाग कता त्पन्न करने के ेय से वि ािन्न वि ायों पर काय ााालाओं का आयोजन जा संरक्षण पुर कार दिये जाने की योजना लाग की गयी है।

म ा म ं ेना ें

लि ा सो ों से ि ा न ा म

सार ा ाारि ि ा न

ि सं ेि सार ा नीि

लो ल ामिं ार ला रि न ी सम ा ें ` ट ार रि ा े ा ा ि ` ाने ` ` से ` ा सर ार ारा र `श सार ा नीि 2022 ाि ी ी

नीति के तहत व ा तक सौर जा परियोजनाओं से मेगावा क्षमता वि ुत त्पादन का लक्ष्य र ाा गया है। स लक्ष्य को राज्य में मेगावा यि लि ी केल सौर पावर प्रोजे स अ ा मेगा सोलर पावर पाकस मेगावा सोलर ाप वं मेगावा क्षमता पी म कुसुम योजनान्तगत निजी आनग्रिड प प का सोलरा जे ान वं पृ ाक कृ ि वि ुत ीडरों को सोलरा जे ान कराया जायेगा।

सोलर ा

दे ा में मेगावा क्षमता के सोलर पाक जनपद जालौन कानपुर देहात मिजापुर वं यागराज में विकसित किये गये हैं जनपद मिजापुर में मेगावा यागराज में मेगावा जालौन में मेगावा वं कानपुर देहात में मेगावा कुल मेगावा क्षमता के सोलर पाक ल ान सोलर पावर डवलपमें कारपोरे ान लि ारा विकसित किये जा ुके हैं। जनपद कानपुर नगर में मेंगावा वं जनपद कानपुर देहात में मेगावा के सोलर पाक म नआर ाारत सरकार ारा सै ांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया है।

ल्टा मे ा रि ल इन ी ा र ा

नवीन वं नवीकरणीय जा मं ालय ाारत सरकार की अ ा मेगा रिन्यबल नजी पावर पाक योजना के अन्तगत यपीनेडा वं ी डीसीआ ल के म य ा गठित संयु त पक्रम को लिमि `ड को जनपद ांसी वं ललितपुर में मेगावा क्षमता वं ि क में मेगावा के अ ा मेगा रिन्युबल सोलर पावर पाक की ाापना हेतु सै ान्तिक अनुमोदन प्रा त हुआ है। ु को लिमि `ड ारा जनपद ांसी वं ललितपुर में ाापित किये जाने वाले मेगावा क्षमता के सोलर पाक की डीपीआर म नआर ाारत सरकार ारा अनुमोदित की जा ुकी है।

यपीनेडा वं न पीसी लिमि `ड के म य ा गठित संयु त पक्रम बुन्देल ाण्ड सौर जा लिमि `ड बी सय ल को मेगावा क्षमता का अ ा मेगा रिन्यबल पावर पाक की ाापना जनपद जालौन से करने हेतु म नआर ाारत सरकार से प्र ाासनिक अनुमोदन प्रा त हुआ है। स पाक की डीपीआर म नआर ाारत सरकार ारा अनुमोदित की जा ुकी है। बी सय ल ारा मेगावा कालपी जालौन सोलर पाक की ाापना करायी जा ुकी है।

ि सं ोि फटा सोलर ा र लांट

प्रदे ा सरकार ारा ग्रिड संयोजित ाप सोलर ो वो ा क सोलर पावर लान्ट की ापना को बढ़ावा दिये जाने के ददे य से सौर जा नीति प्र यापित की गयी है। ाप सोलर पावर लाण्ट से त्पादित जा का पयोग बि डिंग में प ो ता ारा किया जा सकता है। न परियोजनाओं की ापना से पार परिक वि ुत जा में नि ारता कम होने के सा ा सा ा निजी प ो ताओं के वि ुत बिलों में ी कमी आयेगी।

ार ेश रा ा नीि

त्तर प्रदे ा सरकार ारा त्तर प्रदे ा राज्य जैव जा नीति ोि त की गयी है जिसमें कृ ि अपि ा प ु ान अपि ा ीनी मिलों में प्रेसमड नगर निगम के ठोस अपि ा त्यादि जैसे वि िन्न जैव अपि ा ों का पयोग क प्रे बायो गैस लाण्ट बायोकोल पैले स वं ब्रिके स बायो डीजल बायो ेनाल की ापना के लि निवे ा को प्रोत्साहित किया गया है।

ा सं ों र न ान

स अनुदान का प्रयोग लाण्ट वं म ीनरी बुनियादी ढां ा निमाण काय वि ुत आपति त ा पारे ाण तं के लि किया जा सकता है। यह अनुदान संयं ारा नि ारित क्षमता पर त्पादन प्रार ा करने की द ा में अवमु त किया जा गा।

ा सं ों र ोसा न

स नीति के अन्तगत ापित स ी संयं ों को वाणिज्यिक त्पादन प्रार ा होने की ति ि से व ों तक वि ुत ु क परियोजनाओं के लि ामि अ िग्रहण क्रय अ ावा प े पर नि ारित ा प डय ी में ात प्रति ात प्रदान की जा गी त ा ामि के किसी विकास प्रा िकरण क्षे में आने की द ा में संबं ित विकास प्रा िकरण ारा को विकास ु क नहीं लिया जा गा। लैंड सीलिंग से डी ड त ा ा पयोग में परिवतन हेतु डी ड के लि वै ानिक प्राव ानों के अन्तगत कायवाही की जा गी।

रि न े रा सा ा

यदि विकासकता ारा नीति के अन्तगत जैव जा संयं ों की ापना पर करोड़ या ससे अ िक निवे ा किया जाता है तो प्रदे ा सरकार ारा आव यकता के आ ार पर अ िकतम किमी तक संयं से मु य माग तक पहु माग का निमाण कराया जा रहा है।

ा ेमास ाारि ि रि ो नाें

1 ास ाारि ि रि ो नाें

प्रदे ा की ीनी मिलों में पल ा बगास ो से को जनरे ान ारा अतिरि त वि ुत त्पादन किया जा रहा है। दे ा में ीनी मिलों में लग ाग मेगावा क्षमता की वि ुत परियोजनायें अ ि ठापित हैं।

2 नान ास ाारि ि रि ो नार्ें

दे ा में बगास के अलावा अन्य बायोमास ग्रो रेसीड का पयोग कर वि ान्न तकनीक य ाा गैसीि के ान सह त्पादन त ाा क ब ान पर आ ाारित वि ान्न क्षमता की वि ुत परियोजनायें ाापित की जा रही हैं। दे ा में वि ान्न ोगों में मेगावा के ग्रिड कै ि व पावर ोजे ाापित किये गये हैं।

ा ाि ाि ट ाारि ि रि ो नार्ें

दे ा में वि ान्न औ ोगिक का यों ारा कुल मेगावा क्षमता की वि ुत परियोजनायें ाापित की गयी हैं।

ीन ाइ ो न ा म

ाारत सरकार ारा ाोि ात ग्रीन हा डोजन मि ान के अन्तगत जा मं ालय ाारत सरकार ारा दिनांक को अ ासि ित ग्रीन हा डोजन नीति वं जनवरी में ग्रीन हा डोजन मि ान का व ा तक का रोडमैप वं दि ाा निदे ा जारी किये गये हैं।

न ा ा म

म न ारइ ाार सर ार े ि रिसोस सेसमे ट े रा टी न ा सं ाान नी े ेनइ ेमा म से मीटर े ि मानिटरिं टेशन ी ाा ना

व ा में जनपद ललितपुर में ाापित मी र े विन्ड मानि रिंग मा के मा य से क व ा तक किये गये विन्ड नजी डा ा कले ान वं डा ा नालिसित के आ ाार पर विन्ड पावर प्रोजे स हेतु समु ि त विन्ड पीड नहीं पायी गयी।

ाानमं ी ि सान ा सर ाा ं ाान म ाि ा ान

नवीन वं नवीकरणीय जा मं ालय ाारत सरकार ारा कृ ाकों की आय में बढ़ोत्तरी के ददे य से मह वाकांक्षी प्र ाानमं ी किसान जा सुरक्षा वं ाान महाि ायान प्र ाानमं ी कुसुम योजना ाोि ात की गयी है। पी म कुसुम योजना के अन्तगत तीन क पोनेन्‍ बी वं सी हैं।

सोलर सिटी ा म

त्तर प्रदे ा सौर जा नीति के अन्तगत नगर निगम वं नोयडा सि ी को म नआर ाारत सरकार की परि ाा ाा के अनु प सोलर सि ी के प में विकसित किया जाना प्र तावित है।

सार ा ा म

ानि सोलर फटा लांट

स योजना के अन्तगत दे ा के सरकारी अ सरकारी ावनों में ने मी रिंग आ ाारित आनग्रिड सोलर पावर लाण् ने मी रिंग आ ाारित आनग्रिड हा ब्रिड सोलर पावर लां की ाापना का काय कराया जा रहा है।

ाफि सोलर फटा लांट

दे ा के वि ि न्न सरकारी अ सरकारी ावनों में वि ुत क ौती के समय ाण े बैकअप हेतु आ ग्रिड सोलर पावर लाण की ापना का काय कराया जा रहा है। गत व ा में मेगावा क्षमता के आ ग्रिड सोलर पावर लाण की ापना वि ि न्न राजकीय आ म प ति वि ालय राजकीय औ ोगिक प्र ि क्षण सं ान सामुदायिक वा य केन्द्रों प्रा ामिक वा य केन्द्र आयु मान आरो य मंदिर केन्द्र त्यादि में करायी गयी है। परियोजना हेतु नरा ि स बन्ि ात वि ागों सं ानों रा पल ा करायी जाती है।

लइ ी ाारि सोलर टीट लाइट

ग्रामीण क्षे ों में सामुदायिक का ा की सुवि ाा पल ा कराने हेतु सोलर ी ला संयं ों की ापना क्रियान्वित की जा रही है। यह संयं सया त होते ही वत जल जाता है वं सयोदय होने पर वत बंद हो जाता है। अ ि ाकिरण रा नि नानुसार वि ि न्न योजनाओं के अन्तगत दे ा में अब तक लग ाग ला ा सोलर ी ला ों की ापना करायी जा ुकी है।

- **ं ीन ाल ा ा सोलर टीट लाइट ो ना**

  योजनान्तगत वतमान तक अदद सोलर ी ला ों की ापना की जा ुकी है।

- **म मं ी सम ाम ि ास ो ना**

  योजनान्तगत प्रदे ा के जनपदों के राज व ग्रामों में ला ों के लक्ष्य के सापेक्ष अदद सोलर ी ला ों की ापना करायी जा ुकी है।

- **ा ी ल ा ा सिं ाम नि ो ना**

  योजनान्तगत व ा में अदद त ाा व ा में अदद वं में अदद स प्रकार कुल अदद सोलर ी ला ों की ापना की कायवाही की गयी है।

- **ो े टमो रा ान ान**

  योजनान्तगत सोलर ी ला ों के अ ि ाठापन हेतु ाासन रा प्रति संय की दर से राज्यानुदान अनुमन्य है।

सोलर ाइमा ट लाइटिं सं ं

अब तक अदद सोलर हा मा ला ि ंग संयं ों की ापना करायी गयी है।

ि से टलाइ ि टी टे नरे ान ी ी ी ा म े ि ी ामों म रों सा टों में सोलर ा र े मा म से ि ी रा

ण्डो नेपाल सीमा अ ावा प्रदे ा के अन्य जनपदों में ि ात े से वि ुत सम याग्र त वि ुतविहीन ग्रामों मजरों बसाव ों जिनमें प्र पावर कारपोरे ान लि रा वि ुतीकरण कराया जाना स ाव नहीं है के ला ा ा ी परिवारों के आवास पर सोलर पावर पैक संयं की ापना डिसेन् ला ज्ड डि ी य े ड जनरे ान डीडीजी कायक्रम के अंतगत कर न्हें वि ुतीकरण का ला ा दिया जाता है।

ा ो स ाारि ा र नरेशन ा म

स योजना के अन्तगत ारत सरकार के सहयोग से डेयरी ामों में बायोगैस से पावर जनरे ान वं ामल पयोग की योजना सं ालित की जा रही है। योजना के अन्तगत गौ ाालाओं अवा से बायोगैस का निमाण कर त्पादित बायोगैस से वि ुत जा का त्पादन किया जाता है।

ा संर ा ा ा म

फोम ी टे ट ा म

पै योजना बाजार आ ारित क क्रिया है जिसके मा यम से अ िक जा ापत वाले ोगों ारा नजी सेविंग स ि के स स स का यापार करते हु जा दक्षता को परिव ात किया जा सकता है।

ेसाइट ल ल ल ीसे स न ी ाम

प्रदे ा के जनसामान्य को यपी सडी ारा क्रियान्वित जा संरक्षण वि ान्न गतिवि ायों वं जा संरक्षण के प्रति जाग क करने के दृ ि गत वेबसा ड यड यड य यपीसे स नजी काम सं ालित की जा रही है।

ा ों ी ा संर ा ा ो में ेसिटी ि लि ं ा म

त्तर प्रदे ा के कृ ाकों की जा संरक्षण क्षे में कैपेसि ी बि िडंग हेतु प्रदे ा के कृ ि वि ान केन्द्रों के मा यम से जा संरक्षण कायक्रम आयोजित किये ग ।

न ी ेशन ि लि ं ो इसी ीसी

त्तर प्रदे ा ासन ारा नजी कन्जवे ान बि िडंग कोड सीबीसी हेतु अ िस ना दिनांक जुला जारी की ग है। त अ िस ना में यह ी प्रावि ाान है कि राज्य के ेसे सरकारी ावनों का निमाण जिनके अ िक पन काय पण न किये गये हो वे त्तर प्रदे ा जा संरक्षण ावन संहिता यपी सीबीसी के कायक्षे से आ ादित होंगे। निजी आवासीय ावनों पर सीबीसी कोड लाग नहीं होगा।

ा संर ा ा ि मा टेशन ा म

प्रदे ा में जा संरक्षण पकरण के बारे में जाग कता बढ़ाने के ददे य से प्रदे ा के क तरबा गा ी बालिका वि ालयों में से वि ालयों के स ी ला वं पं ाों को ल डी ला वं बी लडीसी पं ाों से प्रति ाापित किया जा ुका है।

प्रदे ा के सरकारी अ पतालों में से अ पतालों को यन कर सका नजी आडि कराया गया।

न ी ा ि ट

प्रदे ा के ंजीनियरिंग कालेज पालि ेि निक वं ल ा ु ोग का नजी आडि कराया गया है। सा ा ही ल ा ु ोगों का वाक ्रो नजी आडि कराया गया।

ा शाला ं शि ा ा ा म

प्रदे ा में स व ा काय ााला ं नोवे ि व े नोलाजीज त ाा आ सओ वेबिनार

वं प्रशिक्षण कायक्रम लघु वं मयम ोग बड़े ोग वं प्राविधिक सं ानों आयोजित किये गये।

ासंराा र ार ं ासंराािस ा ाोन

दिनांक दिस बर को जा संरक्षण दिवस का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न ोगों को नके ारा की गयी जा ब त के क्रम में जा संरक्षण पुर कार से स मानित किया गया।

स मि शिाा ा म

त्तर प्रदे ा सरकार ारा सौर जा को बढ़ावा देने के ददे य से सौर जा नीति प्र यापित की गयी है। प्र यापित नीति में सौर जा के क्षे में मानव ाति को सौर जा की विभिन्न वि ााओं में प्रशिक्षित कर पारंगत किया जाना है। जो प्रशिक्षणोपरांत सौर जा की विभिन्न संयं ों की ाापना अनुरक्षण और सं ालन के सा ा सा ा वत रोजगार प्रदान करने में सक्षम हो सकेंगे। प्र याति सौर जा नीति में व ाों की अवधि में सयमि ों का प्रशिक्षित किये जाने का लक्ष्य नि ाारित है।

स सी शिाा ा म

सके अन्तगत महिलाओं को सयस ी के प में प्रशिक्षित कराये जाने हेतु अनुबन्ध किया गया है। ले ानीय है कि प्रशिक्षण पण होने के प ात प्र ाारत का पहला राज्य होगा जिसमें सौर जा के क्षे में हर ग्राम पं ायत में सयस ी की पल ाता वि मान रहेगी।

टेनिं ाफ टेनर

सका मु य ददे य सौर जा के क्षे में ग्राम पं ायत लाक जनपद तर पर मा र ेनर का समह विकसित किया जाये ताकि अधिक से अधिक सं या में सयमि सयसधियों को कायक्रम जनपद तर पर ी प्रार ा कराया जा सके।

●

राज्य सड़क परिवहन

- उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए परिवहन एवं संचार की सुदृढ़ एवं व्यापक व्यवस्था आवश्यक तो है ही साथ ही यह प्रदेशवासियों को सुखी एवं समृद्ध जीवनयापन सुलभ कराने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। राज्य सरकार द्वारा इसके सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार के लिये यथासम्भव प्रयास किये जा रहे हैं। यद्यपि परिवहन एवं संचार व्यवस्था को अधिक उपयोगी बनाने की दृष्टि से देश तथा उत्तर प्रदेश में रेलमार्गों, वायुमार्गों, जलमार्गों एवं राजमार्गों का भी विकास किया जा रहा है, किन्तु प्रदेश की परिवहन एवं संचार व्यवस्था में सड़क-यातायात का विशेष एवं महत्त्वपूर्ण स्थान है और मोटरगाड़ियां प्रदेश के आर्थिक विकास एवं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र का आवश्यक अंग बन गयी है। प्रदेश के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में समाहित क्षेत्र तथा उनमें रहने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता एवं संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुये सरकार परिवहन-व्यवस्था के विस्तार की ओर सतत प्रयत्नशील है।
- प्रदेश में मोटरगाड़ियों की संख्या में हो रही उत्तरोत्तर वृद्धि व इनके नियन्त्रण में प्राविधिक ज्ञान की उपयोगिता को देखते हुए वर्ष में वाहन के संचालन को नियमित करने के उद्देश्य से मोटरयान अधिनियम, की धारा- 'ए' के प्रावधानों के अन्तर्गत परिवहन विभाग की स्थापना की गयी। विभाग द्वारा यह भी अनुभव किया गया कि व्यावसायिक वाहनों के आर्थिक एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा आदि के कारण उनके संचालन को नियमित करने हेतु विशेष प्राविधान की आवश्यकता है। इस तथ्य के दृष्टिगत मोटरगाड़ी अधिनियम- के अध्याय- के क्रियान्वयन हेतु राज्य परिवहन प्राधिकरण एवं सम्भागीय परिवहन प्राधिकरणों का गठन किया गया, जो व्यावसायिक वाहनों के संचालन को नियंत्रित करते हैं।
- वर्ष से प्रचलित मोटरगाड़ी अधिनियम एवं नियमावलियों के प्राविधानों के अंतर्गत सड़क परिवहन के क्षेत्र में हुये अनुसंधान, विकास एवं आर्थिक तकनीकी प्रगति के सापेक्ष सामंजस्य स्थापित करने में कालान्तर में कठिनाई के अनुभव होने पर दिनांक जुलाई, से मोटरयान अधिनियम- व उ.प्र. मोटरगाड़ी नियमावली- के स्थान पर क्रमशः मोटरयान अधिनियम- व उ.प्र. मोटरयान नियमावली- लागू की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर एकरूपता स्थापित करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय मोटरयान नियमावली- लागू की गयी है। उक्त अधिनियम एवं नियमावलियों के लागू हो जाने के फलस्वरूप अनेक वाहनों के पंजीकरण, चालक/परिचालक लाईसेंस एवं व्यावसायिक वाहनों

के स्वस्थता-प्रमाणपत्र आदि जारी करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया एवं तद्विषयक शुल्कों की दरों में पूरे देश में एकरूपता स्थापित हो गयी है। राज्य सरकार द्वारा प्रशमन शुल्क की दरें अधिसूचना दिनांक . . द्वारा निर्धारित की गयी हैं।

- प्रदेश में आवागमन एवं यातायात-व्यवस्था में होने वाली प्रगति का अनुमान प्रदेश में मोटरगाड़ी उद्योग में वर्षानुवर्ष प्रत्येक क्षेत्र में हो रहे व्यापक विकास एवं नये पंजीकृत मोटर वाहनों एवं मार्गों पर चलने वाले वाहनों की वर्ष-प्रतिवर्ष बढ़ रही संख्या से लगाया जा सकता है। वर्ष - में जहाँ मार्ग पर चालित सभी प्रकार की मोटर गाड़ियों की संख्या (वर्तमान उत्तराखण्ड राज्य के वाहनों को सम्मिलित करके) , , थी और अब (वर्तमान उत्तराखण्ड को छोड़कर) यह संख्या बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024-25 के माह दिसम्बर- 2024 तक , , , /- हो गयी है। इस प्रकार विगत वर्षों में इनकी संख्या में लगभग गुने से भी अधिक वृद्धि हुई है।
- यह भी एक महत्त्वपूर्ण तथ्य है कि परिवहन आयुक्त संगठन प्रदेश के राजस्व प्राप्ति में बहुमूल्य योगदान देता है। चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में आय पक्ष हेतु रु. 12504.73 करोड़ राजस्व अर्जन का लक्ष्य निर्धारित है। जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर 2024 तक रु. 8056.94 करोड़ का राजस्व अर्जित कर राजकोष में जमा कराया जा चुका है। आय-व्ययक वर्ष 2025-26 हेतु रु. 14000.00 करोड़ राजस्व अर्जन का लक्ष्य निर्धारित है।
- प्रशासन की दृष्टि से विभाग को 6 जोन, 19 सम्भागों एवं 75 उपसंभागों में बांटा गया है। जोन स्तर पर उप परिवहन आयुक्त एवं सम्भागों के स्तर पर सम्भागीय परिवहन अधिकारियों द्वारा प्रशासनिक नियंत्रण रखा जाता है। उप संभागों पर सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी का संगठन प्रशासन हेतु उत्तरदायी है।

चालक एवं परिचालक लाइसेन्स का निर्गमन :-

- चालकों एवं परिचालकों को लाइसेंस देने का कार्य मोटर वाहन अधिनियम-- की धारा क्रमशः- , एवं के अन्तर्गत लाइसेंसिंग अधिकारी द्वारा किया जाता है। चालकों/परिचालकों को लाइसेंस जारी करने हेतु उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली- के नियम- के तहत सभागीय/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, लाइसेंसिंग प्राधिकारी के रूप में अधिकृत है। संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारा अधिकृत होने पर संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) द्वारा भी लाइसेसिंग प्राधिकारी के रूप में कार्य किया जा सकता है। वर्तमान विभागीय अन्य सेवाओं के साथ ही लाइसेंस सम्बन्धी सेवाएं केवल ऑन-लाइन माध्यम से parivahan.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
- वर्तमान में अब तक 27711482 स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस तथा 2723939 कामार्शियल ड्राइविंग लाइसेंस जारी किये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में माह दिसम्बर तक कुल 11,06,947 स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस तथा 1,06,943 कामर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस जारी किये गये हैं।

राज्य सड़क परिवहन

वाहन-पंजीयन की प्रक्रिया :-

- वाहन पंजीयन एवं स्वस्थता प्रमाण का निर्गमन- मोटरयान अधिनियम, की धारा- के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रत्येक मोटरगाड़ी को प्रयोग में लाने से पूर्व पंजीकृत कराना आवश्यक है। ट्रान्सपोर्ट गाड़ियों का पंजीयन उस समय तक वैध नहीं माना जाता जब तक कि गाड़ी को विधिवत स्वस्थता-प्रमाणपत्र धारा- के अन्तर्गत फार्म- में प्राप्त नहीं हो जाता है। प्रदेश के समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) तथा संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) मोटर गाड़ियों के पंजीयन के लिए पंजीयन अधिकारी हैं।
- आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन/पंजीयन की प्रक्रिया पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उन्नाव कार्यालय में दिनांक 14.09.2021 से प्रारम्भ की गयी। यह व्यवस्था जन उपयोगी सिद्ध होने के कारण इसका विस्तारीकरण कर दिनांक 10.12.2021 से प्रदेश के समस्त परिवहन कार्यालयों में लागू किया गया। इस व्यवस्था में डीलर प्वाइंट पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण करते ही नये वाहनों का पंजीयन चिन्ह तुरन्त आवंटित हो जाता है। वाहन डीलर द्वारा ही प्रदेश के किसी भी जनपद, जहाँ का वाहन क्रेता निवासी हो, पंजीयन चिन्ह आवंटित होगा। अब उत्तर प्रदेश में वाहन क्रय करने पर उत्तर प्रदेश राज्य में ही पंजीयन कराने पर अस्थायी पंजीयन चिन्ह की आवश्यकता समाप्त हो गयी है।

वाहन क्रय/निष्प्रयोज्यता एवं स्वस्थता-प्रमाण सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण निर्देशः-

परिवहन आयुक्त संगठन की प्राविधिक शाखा शासकीय वाहनों से संबंधित प्राविधिक कार्यों का नियंत्रण-केन्द्र है। शासकीय वाहन की मरम्मत-हेतु गैराजों (मोटरवाहनों की मरम्मत करने वाले वर्कशाप) को मान्यता व मरम्मत-हेतु श्रम-दरें इसी शाखा द्वारा निर्धारित की जाती है। इस संबंध में आवश्यक शासनादेश एवं प्रक्रिया निम्न प्रकार हैः-

- उ.प्र. के शासकीय विभागों को **वाहनों के क्रय का अधिकार** शासनादेश दिनांक 12.11.1986 द्वारा विकेन्द्रीकरण की नीति के अनुसार विभागाध्यक्षों को प्रदान किये गये हैं।
- शासकीय वाहनों की मरम्मत के सम्बन्ध में नवीन शासनादेश दिनांक . . द्वारा मरम्मत की नीति व प्रक्रिया निर्धारित की गयी है तथा इसी के अनुसार शासकीय वाहनों की मरम्मत कार्य सम्पन्न होते हैं। शासनादेशानुसार वाहनों के अनुरक्षण एवं मरम्मत हेतु रु. . लाख तक मरम्मत का अधिकार विभागाध्यक्ष स्तर के अधिकारियों को प्रदान किया गया है।

मोटर दुर्घटनाओं में आर्थिक सहायता :-

- उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 की धारा-8 के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान नियमावली- 1998 के नियम-30 एवं 31 में किये गये प्रावधान के अनुसार किसी "सार्वजनिक यान" (इसके अन्तर्गत) ऐसा कोई मोटरयान अभिप्रेत है, जिसका उपयोग भाड़े या पारिश्रमिक पर यात्रियों का वहन करने के लिए किया जाता है या जिसे उपयोग के अनुकूल बना लिया गया है तथा इसके अन्तर्गत बड़ी टैक्सी, मोटर टैक्सी, ठेका

गाड़ी और मंजिली गाड़ी भी सम्मिलित हैं) से दुर्घटना होने की दशा में पीड़ित यात्री या अन्य किसी व्यक्ति के उत्तराधिकारी को राहत देने हेतु जिस जिला मजिस्ट्रेट की अधिकारिता में दुर्घटना हुई हो, उस जिले के जिलाधिकारी राहत के लिए व्यक्तियों की हकदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यथासाध्य किसी ऐसे अधिकारी से जाँच करायेगा, जो सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट से निम्न श्रेणी का न हो एवं राहत की धनराशि के आवंटन के सम्बन्ध में अपनी स्पष्ट संस्तुति परिवहन आयुक्त को उपलब्ध कराने का प्राविधान है।

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणः-

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जनहित याचिका संख्या- / में पारित निर्णय दिनांक . . के अनुपालन में मोटरयान अधिनियम की धारा- के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा मोटर दुर्घटना से सम्बन्धित मामलों के निस्तारण के लिए अधिसूचना दिनाक . . द्वारा जनपदों (श्रावस्ती, शामली, अमेठी व अम्बेड़कर नगर को छोड़कर) में कुल मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों की स्थापना का निर्णय लिया गया है। जिन जनपदों में अधिकरण की स्थापना नहीं की गयी है, इन जनपदों के वादों का निस्तारण भौगोलिक दृष्टि से निकटस्थ जनपद के अधिकरण क्रमशः बलरामपुर, मुजफ्फरनगर, सुल्तानपुर व अयोध्या के अधिकरण की सीमाक्षेत्र में समाहित किया गया है। लम्बित वादों की संख्या के आधार पर लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर-नगर एवं मेरठ में दो-दो मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण एवं अन्य जनपदों में एक-एक मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के कार्यालय को स्थापित/संचालित किया जा रहा है। प्रदेश में अब तक जनपदों में अधिकरण स्थापित हो चुके हैं, जिनमें से समस्त अधिकरण क्रियाशील हैं।

राज्य/संभागीय परिवहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेशः-

ट्रान्सपोर्ट गाड़ियों के संचालन पर नियंत्रण मोटरगाड़ी अधिनियम- 1988 के अध्याय-5 की धारा-68 के अन्तर्गत गठित राज्य परिवहन प्राधिकरण तथा संभागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा किया जाता है।

- मोटरयान अधिनियम- 1988 जो 01 जुलाई 1989 से प्रभावी हुआ है। अधिनियम में निहित प्राविधानों एवं शर्तों के अन्तर्गत सभी प्रकार के लोक सेवायानों को परमिट उदारनीति के अन्तर्गत जारी किये जाते हैं।
- अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक गाड़ी के परमिट के लिए प्रार्थना पत्र यथास्थिति सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण अथवा राज्य परिवहन प्राधिकरण को दिया जाना है। यदि मार्ग अन्तः सम्भागीय है, तो ऐसे मार्गों के लिए प्रार्थना-पत्र उस संभाग के संभागीय परिवहन प्राधिकरण को दिया जाता है, जिसमें मार्ग का अधिकांश भाग पड़ता है। अन्तर्राज्यीय मार्गों पर सवारी गाड़ियों के परमिट राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश द्वारा ही जारी किये जाते हैं।
- अन्तर्राज्यीय मार्गों के लिए परमिट उत्तर प्रदेश तथा सम्बन्धित राज्य के बीच हुए पारस्परिक परिवहन समझौते के आधार पर स्वीकृत/जारी किये जाते हैं। अन्तर्राज्यीय मार्गों पर जारी होने वाले परमिटों की संख्या समझौतों में दी गयी संख्या से सीमित हो जाती है। ऐसे समझौते

समय-समय पर पुनरीक्षित किये जाते हैं।

- अधिसूचित (राष्ट्रीयकृत) मार्गों पर केवल उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को ही परमिट दिये जाने की व्यवस्था है। योजना की अधिसूचना में प्राविधान होने पर ही ऐसे मार्ग या उसके भाग पर अन्य को भी परमिट स्वीकृत किया जा सकता है।
- राज्य परिवहन प्राधिकरण तथा समस्त संभागीय परिवहन प्राधिकरणों द्वारा परमिट जारी किये जाने की व्यवस्था को पूर्णतः ऑन-लाइन कर दिया गया है।
- प्राधिकरणों द्वारा विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक वाहनों के प्रति परमिट जारी किये जा रहे हैं। जनभार-वाहनों के प्रति नेशनल परिमिट विभिन्न संभागीय परिवहन प्राधिकरणों द्वारा जारी किये जाते हैं।

मोटर गाड़ी कानून का प्रवर्तन :-

- मोटरगाड़ी से सम्बन्धित विभिन्न अधिनियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से मुख्यालय पर अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) तथा प्रदेश के 06 परिक्षेत्रों में तैनात उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) की देख-रेख में 114 सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) तथा   यात्रीकर अधिकारी के सचल प्रवर्तन दलों की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त मुख्यालय पर दो विशेष प्रवर्तन दल कार्यरत हैं। मार्गों पर वाहनों की चेकिंग हेतु प्रत्येक दल में एक राजपत्रित सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), एक प्रवर्तन पर्यवेक्षक एवं 3 प्रवर्तन सिपाही के अतिरिक्त चालकयुक्त एक स्टाफ कार का भी प्राविधान है। प्रवर्तन शाखा के मुख्य कार्यों में मोटर व्हैकिल एक्ट एवं उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम के प्रविधानों का कार्यान्वयन सुनिश्चित कराना, नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कराना एवं वाहनों द्वारा होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण कराना तथा प्रवर्तन दलों पर नियंत्रण रखना है।
- मोटरयान अधिनियम, 1988 तथा उसके अधीन बनायी गयी केन्द्रीय मोटरयान नियमावाली, 1989 तथा उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के प्राविधानों के उल्लंघन के सम्बन्ध में किये गये चालानों के निस्तारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 213(5) (इ) के अधीन चालान न्यायालय को भेजे जाने की व्यवस्था है। न्यायालय भेजे जाने वाले ऐसे अपराधों में से कतिपय अपराध उक्त अधिनियम की धारा 200 के अधीन शमनीय है। ऐसे अपराधों को प्रशमित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रशमन की दरें निर्धारित की जाती रहीं है। इस संबंध में अन्तिम बार दरें अधिसूचना दिनांक 30.07.2020 द्वारा निर्धारित की गयी हैं।

जल परिवहन का विकासः-

प्रदेश में जल परिवहन के विकास हेतु सरकार की योजना के संबंध में अद्यतन स्थिति/आख्या निम्न प्रकार हैः-

- भारत सरकार द्वारा घोषित   राष्ट्रीय जलमार्गों में से ग्यारह राष्ट्रीय जलमार्ग उत्तर प्रदेश

में हैं, जो गंगा, गण्डक, अस्सी, बेतवा, चंबल, घाघरा, गोमती, टोंस, वरूणा, कर्मनाशा तथा यमुना नदी पर हैं।

- राष्ट्रीय जल मार्ग के विकास एवं रख-रखाव के लिए भारत सरकार ने अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, के तहत भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया है।
- भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के सापेक्ष प्रदेश में जल परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, (उ.प्र. अधिनियम संख्या- सन्) की अधिसूचना दिनांक . . को गजट में प्रकाशित करते हुए उक्त अधिनियम को प्रख्यापित/अधिसूचित कर दिया गया है। अधिनियम प्रख्यापन के उपरान्त संबंधित नियमावली के प्रख्यापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
- जनपद वाराणसी में मल्टीमॉडल टर्मिनल के निर्माण तथा जनपद चंदौली एवं मीरजापुर में फ्रेट विपेज के निर्माण से संबंधित भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की आख्या भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, वाराणसी कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी है।

वायु प्रदूषण पर प्रभावी नियन्त्रण

- देश में बढ़ते वाहनों की संख्या तथा उनसे उत्पन्न वायुमण्डलीय प्रदूषण विगत कतिपय वर्षों से विकराल रूप धारण कर रहा है। इस समस्या के महत्त्व को समझते हुए केन्द्र सरकार द्वारा मोटरयान अधिनियम, में प्रदूषण उत्पन्न करने वाले वाहनों को एक अपराध के रूप में स्वीकारते हुए इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाई गई केन्द्रीय मोटरयान नियमावली- के नियम में प्रदूषण-नियंत्रण हेतु मानकों का निर्धारण किया गया है।
- अप्रैल 2019 से प्रदूषण मुक्त प्रमाण-पत्र जारी करने की व्यवस्था ऑन-लाइन हो गयी है, जिसमें प्रदूषण जाँच के उपरान्त वाहन 4.0 साफ्ट्वेयर के माध्यम से प्रदूषण प्रमाण-पत्र निर्गत किये जा रहे हैं।
- वाहनों से निकलने वाले धूम्र की जाँच हेतु प्रदूषण जाँच केन्द्र स्थापित करने के लिये उत्तर प्रदेश शासन, परिवहन अनुभाग-4 द्वारा कार्यालय ज्ञाप दिनांक 20.10.2020 द्वारा "उत्तर प्रदेश ऑनलाइन मोटरयान प्रदूषण जाँच केन्द्र योजना-2020" निर्गत की गयी है।
- उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति, 2022:- के प्राविधानों के क्रम में नीति अधिसूचित किये जाने के 03 वर्ष के भीतर उत्तर प्रदेश राज्य में क्रय एवं पंजीकृत किये गये इलेक्ट्रिक वाहनों (ई०वी०) के क्रय एवं पंजीकरण पर एवं नीति की प्रभावी अवधि के चौथे एवं पांचवे वर्ष में उत्तर प्रदेश में विनिर्मित, क्रय किये गये एवं पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी 100 प्रतिशत की दर से पंजीकरण शुंल्क एवं रोड टैक्स से छूट प्रदान कर दी गयी है। इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु इलेक्ट्रिक वाहन क्रेताओं को सब्सिडी प्रदान करने के लिये उत्तर प्रदेश क्रय सब्सिडी पोर्टल विकसित कर दिनांक 19.07.2023 से लाइव कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में दिनांक 31.12.2024 तक निजी एवं व्यावसिकय श्रेणी के कुल 10,19,735 इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हुये हैं।

राज्य सड़क परिवहन

सड़क सुरक्षाः-

1. उत्तर प्रदेश राज्य में निरन्तर बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं एवं उनमें हो रही मृत्यु के कारण राज्य सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा विषय को राज्य की उच्च प्राथमिकताओं में सम्मिलित किया गया है। सड़क दुर्घटना में नागरिकों की बड़ी संख्या में होने वाली मृत्यु को कम करने के लिये राज्य सरकार द्वारा एक सुचिन्तित एवं सुविचारित सड़क सुरक्षा नीति का निर्माण वर्ष 2014 में किया गया।

2. दिनांक 16 जून, 2014 को अस्तित्व में आयी सड़क सुरक्षा नीति के महत्त्वपूर्ण उद्देश्य निम्नवत हैं :-

   ● सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता ● संस्थागत व्यवस्थाओं का सुदृढ़ीकरण ● सड़क सुरक्षा सूचना डेटाबेस की स्थापना ● सुरक्षित सड़क अवस्थापना सुनिश्चित करना ● सुरक्षित वाहन ● सुरक्षित चालक ● असुरक्षित सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा ● सड़क सुरक्षा शिक्षा एवं प्रशिक्षण ● यातायात संबंधी कानूनों का प्रवर्तन ● सड़क दुर्घटना में घायलों हेतु आपात चिकित्सीय सहायता ● सड़क सुरक्षा अनुसंधान।

परिवहन विभाग की महत्त्वपूर्ण योजनायें

"परिवहन विभाग की क्रियान्वित ई-परियोजनाएँ"

1. वेबबेस्ड वाहन 4.0 व्यवस्थाः-

- उत्तर प्रदेश के सभी परिवहन कार्यालयों में क्रियान्वित।

लाभः-

क. पूरे देश की वाहन पंजीयन व्यवस्था के लिये सिंगल वेब प्लेटफार्म तैयार होना, जिससे चोरी के वाहनों अथवा पंजीयन निरस्त वाहनों के विवरण को ट्रैक करने की सुविधा।

ख. वाहन पंजीयन, फिटनेस, टैक्स पेमेन्ट आदि की सूचना एस.एम.एस. के माध्यम से वाहन स्वामी को उपलब्ध कराने की सुविधा।

ग. जन सामान्य को परिवहन विभाग की ज्यादा से ज्यादा सेवाएं ऑन-लाइन माध्यम से प्रदान किये जाने की सुविधा।

2. वेबबेस्ड सारथी 4.0 व्यवस्थाः-

- उत्तर प्रदेश के सभी परिवहन कार्यालयों में क्रियान्वित।

लाभः-

क. मैनुअल आवेदन की व्यवस्था पूर्णतः समाप्त।

ख. लाइसेन्स सम्बन्धी सभी सेवाएँ ऑन-लाइन।

ग. लाइसेन्स की डुप्लीकेसी को ट्रैक करने की सुविधा।

घ. लर्नर लाइसेन्स ऑन-लाइन प्रिन्ट करने की सुविधा।

3. मोबाइल एप्प बेस्ड ई-चालान व्यवस्थाः-

- ई-चालान व्यवस्था की शुरूआत करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य।
- उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में जून- से शत-प्रतिशत क्रियान्वित।

लाभः-

क. एप्प के माध्यम से अभियोग का आरोपण तथा पेनाल्टी का आगणन।

ख. वाहन . डाटाबेस से वाहन का विवरण प्राप्त करने की व्यवस्था।

ग. चालान होने पर सम्बन्धित अभियोग की "वाहन . /सारथी . " डाटाबेस में स्वतः दर्ज़ होने की व्यवस्था।

घ. वाहन स्वामी अथवा चालकों को भी अपने चालान से सम्बन्धित विवरण को ई-चालान वेबसाइट www.echallanwe .in पर देखने की व्यवस्था।

ड. ई-चालान का ऑन-लाइन भुगतान करने की सुविधा।

4. ऑनलाइन परमिट व्यवस्थाः-

- यह व्यवस्था लागू करने वाला प्रदेश हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश देश का दूसरा राज्य।
- परमिट सबगंबंधी सेवाओं- नया परमिट, डुप्लीकेट परमिट, परमिट नवीनीकरण, अस्थायी परमिट, स्पेशल परमिट, नेशनल परमिट आथराइजेशन नवीनीकरण में आनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध।

लाभः-

क. परमिट की व्यवस्था पारदर्शी व सरल।

ख. कार्यालय आने से वाहन स्वामी को मुक्ति।

ग. आवेदकों के समय व धन की बचत।

घ. आवेदन व शुल्क जमा करने हेतु लाइन में लगने से मुक्ति।

ड. किसी भी समय एवं कहीं से भी आवेदन की सुविधा उपलब्ध।

5. वाहन पंजीयन हेतु ऑन-लाइन डीलर प्वाइंट व्यवस्था में डाक्यूमेंट मैनेजमेन्ट सिस्टम लागू किया जानाः-

- नए वाहनों के पंजीयन के समय डीलर द्वारा वाहन पंजीयन के लिए आवश्यक प्रपत्र को ऑन-लाइन अपलोड की व्यवस्था।
- प्रदेश के समस्त जनपदों में डीलर प्वाइंट पर डाक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम शत-प्रतिशत लागू।

लाभः-

क. फिजिकल फाइल आर.टी.ओ. कार्यालय में ले जाने से मुक्ति।

ख. आर.सी. डिलीवरी में कम समय लगना।

ग. आर.सी. रिकार्ड रखने की समस्या से निदान।

घ. डीलर एवं आर.टी.ओ. के बीच में मानवीय हस्तक्षेप की समाप्ति।

राज्य सड़क परिवहन

6. ऑन-लाइन प्रदूषण प्रमाण-पत्र निर्गमन व्यवस्थाः-

- पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लखनऊ के एक प्रदूषण जांच केन्द्र पर यह व्यवस्था 20 फरवरी, 2019 से प्रारम्भ हुई।
- 06 मार्च, 2019 से मण्डलीय मुख्यालय एवं एनसीआर वाले जनपदों में चरणवार क्रियान्वयन प्रारम्भ किया गया।
- वर्तमान में प्रदेश के समस्त प्रदूषण जांच केन्द्रों में ऑनलाइन प्रदूषण प्रमाण-पत्र व्यवस्था लागू।

लाभः-

क. प्रदूषण प्रमाण-पत्र निर्गमन में पारदर्शिता।

ख. प्रदूषण प्रमाण-पत्र के सही अथवा गलत होने की ऑन-लाइन जाँच किये जाने की सुविधा।

ग. प्रदूषण जांच के समय वाहन प्रस्तुत होने पर ही प्रदूषण प्रमाण-पत्र निर्गमन की व्यवस्था।

7. वीआईपी नम्बरों की बुकिंग हेतु ई-ऑक्शन व्यवस्थाः-

- पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लखनऊ टी.पी. नगर में जनवरी, 2019 के अंतिम सप्ताह में प्रारम्भ।
- 06 मार्च, 2019 से प्रदेश में चरणवार ढंग से क्रियान्वयन प्रारम्भ किया गया।
- वर्तमान में प्रदेश के समस्त जनपदों में वी.आई.पी. नम्बरों की बुकिंग हेतु ई-ऑक्शन व्यवस्था शत-प्रतिशत क्रियान्वित।

लाभः-

क. ई-नीलामी प्रक्रिया में वी.आई.पी. नम्बर बुकिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता।

ख. ई-नीलामी प्रक्रिया प्रारम्भ होने से विभाग के राजस्व में बढ़ोत्तरी।

8. आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से शिक्षार्थी लाइसेन्स निर्गमन की व्यवस्थाः-

- पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बाराबंकी कार्यालय में दिनांक 24.08.2021 से प्रारम्भ।
- 06 जनवरी 2022 से प्रदेश के समस्त परिवहन कार्यालयों में इस व्यवस्था को प्रारम्भ किया गया।
- 18 अप्रैल 2022 से प्रदेश के समस्त परिवहन कार्यालयों में आधार प्रमाणीकरण में प्रॉक्टरिंग की सुविधा को प्रारम्भ किया गया।
- प्रदेश में आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से शिक्षार्थी लाइसेन्स (ई-केवाईसी) हेतु आटो अप्रूवल की व्यवस्था दिनांक 08-05-2023 से लागू की गयी।

लाभः-

क. इस व्यवस्था में आवेदक द्वारा आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से घर बैठे ही ऑन-लाइन टेस्ट देते हुये लर्नर लाइसेन्स प्राप्त किया जा सकता है।

9. जी.एस.आर. 240(ई) एवं आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन की नवीन व्यवस्थाः-

- पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उन्नाव कार्यालय में दिनांक 14.09.2021 से प्रारम्भ।
- 10 दिसम्बर 2021 से प्रदेश के समस्त परिवहन कार्यालयों में इस व्यवस्था को प्रारम्भ किया गया।

लाभः-

क. डीलर प्वाइंट पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण करते ही नये वाहनों का पंजीयन चिन्ह तुरन्त आबंटित।

ख. वाहन डीलर द्वारा ही प्रदेश के किसी भी जनपद, जहाँ का वाहन क्रेता निवासी हो, पंजीयन चिन्ह आबंटित होगा।

ग. उत्तर प्रदेश में क्रय कर उत्तर प्रदेश राज्य में ही पंजीयन कराने पर अस्थायी पंजीयन चिन्ह की आवश्यकता समाप्त।

10. ऑनलाइन फिटनेस व्यवस्थाः-

- पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बाराबंकी कार्यालय में दिनांक 30 अक्टूबर, 2018 से प्रारम्भ।
- 06 मार्च, 2019 से प्रदेश के समस्त संभागीय कार्यालय एवं एनसीआर के समस्त परिवहन कार्यालयों (कुल 25 कार्यालय) में इस व्यवस्था को प्रारम्भ किया गया।
- प्रदेश के सभी जनपदों में ऑनलाइन फिटनेस व्यवस्था दिनांक 11.04.2019 से शत-प्रतिशत क्रियान्वित।

लाभः-

क. वाहन स्वामियों को ही अपने वाहन के फिटनेस जाँच की तिथि के चयन का अवसर प्राप्त।

ख. एक वर्ष पूर्व फिटनेस जाँच तिथि की निर्धारण व्यवस्था समाप्त।

ग. फिटनेस जाँच तिथि एवं फीस पेमेन्ट की ऑन-लाइन व्यवस्था से कार्यालय के कार्यभार में कमी।

घ. ऑन-लाइन व्यवस्था सरल व पारदर्शी।

वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस योजनाः-

- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा व्हैकिल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस योजना के संचालन हेतु स्थापित निर्भया फण्ड के माध्यम से बजट का प्रावधान किया गया है।
- विभाग द्वारा डीम्स (Delhi Integrated Multi Modal Transit System Limited) को योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट कनसल्टेन्ट नियुक्त किया गया है। योजनान्तर्गत परिवहन आयुक्त कार्यालय में नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जा चुकी है।

●

नागरिक उड्डयन

(1) संक्षिप्त इतिहास/परिचय :-

नागरिक उड्डयन विभाग की स्थापना वर्ष 1980 में की गई थी। विभाग का मुख्य कार्य शासकीय उड़ान प्रतिबद्धताओं को पूरा करना, एविएशन संबंधी बुनियादी ढाँचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर) का निर्माण/विकास करना, एविएशन के क्षेत्र में दक्ष श्रमशक्ति सुनिश्चित करना और राज्य की उड्डयन नीति निर्धारित व क्रियान्वित करना है।

(2) मुख्य कार्यकलाप :-

अ- उड़ान प्रतिबद्धताएँ :-

शासकीय उड़ान प्रतिबद्धताओं की पूर्ति हेतु वर्तमान में नागरिक उड्डयन विभाग की फ्लीट में 03 वायुयान तथा 03 हेलीकॉप्टर उपलब्ध हैं।

सभी विमानों के सुरक्षित संचालन, अनुरक्षण, एवं विमानों की उड़ान योग्यता को सुनिश्चित करने हेतु नागरिक उड्डयन विभाग आत्मनिर्भर है तथा उपरोक्त समस्त प्रक्रिया नागर विमानन विभाग, भारत सरकार से अनुमोदित है। राजकीय वायुयानों एवं हेलीकॉप्टरों का अनुरक्षण नागरिक उड्डयन निदेशालय, लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ द्वारा किया जाता है। राजकीय विमानों के परिचालन एवं अनुरक्षण हेतु कुशल पायलटों एवं अभियन्ताओं की टीम है।

ब- एविएशन ढाँचे का विकास :-

प्रदेश में एविएशन ढाँचे के अन्तर्गत लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर तथा अयोध्या में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे हैं तथा जेवर में अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का विकास राज्य सरकार द्वारा कराया जा रहा है।

प्रदेश के 08 स्थानों जैसे गोरखपुर, आगरा, प्रयागराज, कानपुर नगर (चकेरी), सहारनपुर (सरसावा), बरेली, गाजियाबाद (हिण्डन) तथा लखनऊ (बक्शी का तालाब) में भारतीय वायुसेना के अधीन हवाई अड्डे हैं। उक्त के अतिरिक्त प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में 09 हवाई पट्टियाँ हैं जो आपरेशनल हैं:-

1. अम्बेडकरनगर, 2. गाजीपुर, 3. सुल्तानपुर, 4. मेरठ (AAI को हस्तांतरित है), 5. फर्रूखाबाद, 6. खीरी, 7. इटावा, 8. झाँसी, 9. कानपुर देहात।

एविएशन ढाँचे के विकास हेतु प्रदेश में स्थित एयरपोर्ट्स/हवाई पट्टियों को विकसित किया जा रहा है जिसका उल्लेख प्रमुख कार्य योजनाओं के अन्तर्गत किया गया है।

स- एविएशन के क्षेत्र में दक्ष श्रमशक्ति सुनिश्चित करनाः-

नागरिक उड्डयन विभाग के अधीन लखनऊ एयरपोर्ट परिसर में एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्रियाशील है।

(3) प्रमुख कार्य योजनाएँ :-

अ- रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत एयरपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकासः-

उत्तर प्रदेश में अप्रैल 2017 में 4 एयरपोर्ट्स- लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर व आगरा एयरपोर्ट से व्यवसायिक वायु सेवाएं संचालित हो रही थी।

केन्द्र सरकार की नेशनल सिविल एवियशन पॉलिसी के अधीन उड़ान स्कीम के अन्तर्गत 4 एयरपोर्ट्स- **आगरा, कानपुर, प्रयागराज तथा बरेली** में वायु सेना के हवाई अड्डों पर सिविल एयर टर्मिनल बिल्डिंग बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराई गई, जिसमें से प्रयागराज, बरेली तथा कानपुर में सिविल इन्क्लेव का कार्य पूर्ण कर इसका लोकार्पण भी किया जा चुका है तथा आगरा में कार्य प्रशस्त है।

वायुसेना के गाजियाबाद स्थित **हिंडन** एयरपोर्ट पर उड़ान स्कीम के अंतर्गत सिविल एयर टर्मिनल बिल्डिंग बनाने तथा अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़क, बिजली, ड्रेनेज आदि विकसित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सहयोग किया गया। हिंडन एयरपोर्ट पर सिविल एयर टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण पूर्ण कर इसका लोकार्पण भी किया जा चुका है तथा हिंडन एयरपोर्ट से उड़ाने संचालित हैं।

वर्तमान में उत्तर प्रदेश के आपरेशनल एयरपोर्ट्स- लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा, प्रयागराज, कानपुर, हिण्डन, बरेली तथा कुशीनगर, अयोध्या, अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, श्रावस्ती, मुरादाबाद तथा सरसावा (सहारनपुर) की संख्या 16 हो गयी है।

राज्य सरकार की विभिन्न जनपदों में हवाई पट्टियां मौजूद हैं। इन सभी हवाई पट्टियों को उड़ान स्कीम के अंतर्गत एयरपोर्ट में अपग्रेड करने के लिए प्रस्तावित करते हुए वहाँ से वायु सेवाओं का संचालन प्रारंभ करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बिडिंग प्रक्रिया के माध्यम से इच्छुक एयरलाइन कंपनियों का चयन किया गया। इसमें उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक हवाई पट्टियों का चयन किया गया है।

ब- विकसित किए जा रहे अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट :-

(1)- नोएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर (जनपद गौतमबुद्धनगर) का विकासः-

- राज्य सरकार द्वारा जनपद गौतमबुद्धनगर के जेवर में 'नोएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट' का विकास पी.पी.पी. मोड पर कराया जा रहा है। इस हेतु समस्त वैधानिक अनापत्तियाँ/क्लीयरेन्स प्राप्त हो गए हैं।
- एयरपोर्ट की स्थापना हेतु "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदार्शिता का अधिकार अधिनियम-2013" के अन्तर्गत प्रथम चरण हेतु रु. 4000 करोड़ से अधिक की लागत से 1334 हे. भूमि एयरपोर्ट के विकास हेतु तथा एयरपोर्ट की भूमि

से संबंधित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु आवश्यक 48.0970 हे. भूमि का अर्जन कर लिया गया है।

- नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर के विकास हेतु विकासकर्ता Zurich Airport International AG को भूमि उपलब्ध कराई जा चुकी है। विकासकर्ता द्वारा एयरपोर्ट विकास का प्रथम चरण का कार्य कराया जा रहा है जो अक्टूबर, 2024 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। एयरपोर्ट का विकास पी.पी.पी. मॉडल के अनुसार चार चरणों में किया जाना है। जब यह एयरपोर्ट प्रारम्भ होगा तो 12 मिलियन पैसेन्जर से शुरू होगा जो चरणवार बढ़कर वर्ष 2040-50 मे बढ़ कर 70 मिलियन टन हो जायेगा। जेवर एयरपोर्ट कार्गो एयरपोर्ट भी है, 2040-50 तक 2.6 मिलियन टन कार्गो की क्षमता का विकास होगा। इससे व्यापार और उद्योगों को एक नई दिशा मिलेगी।
- जेवर एयरपोर्ट की स्थापना से कई लाख लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा तथा जेवर एयरपोर्ट की स्थापना से प्रत्यक्ष निवेश में बढ़ोत्तरी के कारण अर्थव्यवस्था में Multi Fold यानी गुणोत्तर वृद्धि होगी।
- राज्य सरकार द्वारा जेवर एयरपोर्ट में बनने वाले रनवे की संख्या 2 से बढ़ाकर 5 किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय के अनुपालन में आवश्यक भूमि के अर्जन की कार्यवाही प्रशस्त है।

(2)- अयोध्या हवाई पट्टी का एयरपोर्ट के रूप में विकास :-

- जनपद अयोध्या में 1500 मी. X 30 मी. रनवे आकार की हवाई पट्टी, जहाँ पर राजकीय वायुयानों तथा चार्टर उड़ानें सम्पादित होती थीं, को एयरपोर्ट के रूप में विकसित किए जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।
- हवाई पट्टी को प्रथम चरण में ATR-72, द्वितीय चरण में A-321 तथा तृतीय चरण में B-777-300 वायुयानों के संचालन के अनुसार विकसित किया जाना है।
- एयरपोर्ट के विकास में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण के लिए कुल 821.3394 एकड़ भूमि सम्मिलित है, जिसमें से 182.171 एकड़ भूमि पूर्व से नागरिक उड्डयन के नाम दर्ज है। शेष भूमि क्रय/अर्जित की जा चुकी है।
- प्रथम चरण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। महानिदेशक, नागर विमानन, भारत सरकार से एयरड्रोम लाइसेन्स प्राप्त करने के उपरान्त दिनांक 30 दिसम्बर, 2023 को एयरपोर्ट का लोकार्पण किया गया। द्वितीय चरण के विकास हेतु कार्यवाही प्रशस्त है।

स- अन्य एयरपोर्ट :-

ललितपुर एयरपोर्ट : बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा ललितपुर हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में - प्रकार के वायुयानों के संचालन हेतु विकसित किये जाने का निर्णय लिया गया है। लगभग रु. करोड़ की लागत से भूमि का क्रय किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 की उपलब्धियाँ :-

क- एयरपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास : वित्तीय वर्ष 2024-25 में निम्नलिखित एयरपोर्ट्स का विकास कार्य पूर्ण कराया गया:-

क्र.सं.	जनपद	परियोजना का नाम
1.	सरसावा (सहारनपुर)	सरसावा (सहारनपुर) के एयरपोर्ट पर एक नए सिविल इन्क्लेव का विकास

राज्य सरकार द्वारा अलीगढ़ एवं श्रावस्ती एयरपोर्ट का विकास A-321 प्रकार के वायुयानों के संचालन के अनुसार कराए जाने का निर्णय लिया गया है। तद्नुसार उक्त एयरपोर्ट्स के विस्तारीकरण हेतु भूमि क्रय के लिए आवश्यक धनराशि से भूमि क्रय की कार्यवाही प्रशस्त है। इसके अतिरिक्त वाराणसी एयरपोर्ट तथा खीरी हवाई पट्टी के विस्तारीकरण हेतु भूमि क्रय की जा रही है।

ख- एयर कनेक्टिविटी में वृद्धि :-

उड़ानों एवं शहरों की कनेक्टिविटी :

उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों से वायु मार्ग से जुड़े हुए राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय डेस्टिनेशंस की संख्या में भी विगत वर्षों में आशातीत सफलता प्राप्त हुई है। जहाँ अप्रैल में उत्तर प्रदेश के सभी शहर मिलाकर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस से कनेक्टेड थे वहीं - तक डोमेस्टिक इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस से कनेक्टेड थे।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तावित योजनाएँ :-

नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा वर्ष 2025-26 में निम्नलिखित चालू योजनाओं को पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है:-

क्र.सं.	जनपद	परियोजना का नाम	अभ्युक्ति
1.	चित्रकूट	चित्रकूट एयरपोर्ट का विस्तारीकरण	चित्रकूट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण योजना के अन्तर्गत नए रनवे एवं सम्बद्ध कार्यों को 2025-26 में पूर्ण किया जाना लक्षित है।

विभाग की नीति :-

(1) उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति :

भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम को प्रदेश में बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा **उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति, 2017** जारी की गई है। उक्त नीति के अन्तर्गत आर.सी.एस. तथा नॉन-आर.सी.एस. उड़ानों के लिए विमानन कम्पनियों को विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन दिए जाने की व्यवस्था है।

जहाँ इस नीति से पूर्व रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम की प्रथम चरण की बिडिंग में एयरपोर्ट

तथा एयररूट चयनित हुए, वहीं इस नीति के जारी होने के बाद हुई द्वितीय चरण की बिडिंग में एयरपोर्ट तथा एयररूट चयनित हुए। विशेषतया इलाहाबाद से शहरों के लिए तथा मंडल मुख्यालयों से नई उड़ान सेवा प्रारम्भ होंगी। इस नीति के अन्तर्गत प्रदेश के सभी मण्डल मुख्यालयों को लखनऊ द्वारा हवाई सेवा से जोड़े जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उक्त नीति के अन्तर्गत प्रदेश में एविएशन सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए आर.सी.एस. तथा नॉन-आर.सी.एस. उड़ानों के लिए विभिन्न रियायतें/प्रोत्साहन प्रदान किये गये हैं।

उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति, के माध्यम से प्रदेश में एविएशन सेक्टर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में स्थित एयरपोर्ट्स/एयरस्ट्रिप्स को विकसित करने की दिशा में नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। इस सराहनीय कार्य के लिए 'विंग्स इण्डिया, ' तथा विंग्स इण्डिया, 2024 में प्रदेश सरकार को ost ro- ctive tate overnment under अवार्ड भी प्राप्त हुआ है।

आर.सी.एस.- . की बिडिंग में tate ponsored routes की श्रेणी में रूट्स चयनित किये गये हैं। इन रूट्स पर प्रतिशत वायबिलिटी गैप फण्डिंग प्रदान किये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।

भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम तथा उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति, के माध्यम से प्रदेश में एविएशन सेक्टर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में स्थित एयरपोर्ट्स/एयरस्ट्रिप्स को विकसित करने तथा प्रदेश के विभिन्न एयरपोर्ट्स से एयर कनेक्टिविटी बढ़ाए जाने की दिशा में नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है।

2. i e e, Re i ve (R) नीति-2022 :-

राज्य में वायुयानों के aintenace epair verhaul ( ) सुविधाओं के विकास के सम्बन्ध में नीति का निर्धारण किया गया है, जिसके अन्तर्गत राज्य में एम.आर.ओ. की स्थापना के लिए सभी एम.आर.ओ. इकाईयों को पूँजी निवेश के लिए प्रोत्साहन (incentives) दिए जाने की व्यवस्था की गयी है।

3. उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की हवाई पट्टियों के उपयोग हेतु नीति-: 2023

प्रदेश में सरकार के स्वामित्व की हवाई पट्टियों एवं वहाँ पर अन्य परिसम्पत्तियों को निजी संस्थाओं द्वारा उड्डयन क्षेत्र में (lying raining rganisation) (aintenace epair verhaul (ir ra t aintenance ngineer) व अन्य गतिविधियाँ संचालित करने के लिए अनुमति दिए जाने के सम्बन्ध में नीति प्रख्यापित की गयी है। इस नीति के अन्तर्गत 2023 में की गयी बिडिंग प्रक्रिया के उपरान्त 08 हवाई पट्टियों हेतु एफ.टी.ओ. संचालन के लिए निजी संस्थाओं को चयनित किया गया है। द्वितीय बिडिंग की कार्यवाही गतिमान है।

●

औद्योगिक विकास

वृहद उद्योग का विकासः-

किसी भी देश अथवा प्रदेश के त्वरित आर्थिक विकास में औद्योगिक विकास की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। उद्योगों की स्थापना व विकास से न केवल तीव्र आर्थिक प्रगति प्राप्त होती है, बल्कि भारी संख्या में रोजगार के अवसर भी सुलभ होते हैं। इस प्रकार उद्योगों की अधिकाधिक स्थापना से बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है। वृहद उद्योगों का प्रदेश के विकास में अहम योगदान है। वृहद उद्योग जिस क्षेत्र में स्थापित होते हैं, उस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की संभावना बलवती हो जाती है।

प्रदेश के त्वरित औद्योगिक विकास में अवस्थापना सुविधाओं का महत्त्वपूर्ण योगदान है, अतः उद्योगों को विश्व स्तरीय अवस्थापना सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। चूंकि औद्योगिक विकास में सरकार का मुख्य उद्देश्य विकासयुक्त वातावरण सृजित करने का है, जिसके दृष्टिगत समस्त जनपद मुख्यालयों को आपस में फोर लेन सड़क मार्गों से जोड़ना, यमुना एक्सप्रेस वे एवं आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे के निर्माण के क्रम में लखनऊ से गाजीपुर तक एक्सप्रेस-वे का निर्माण, लखनऊ पी.पी.पी. के माध्यम से अन्य एक्सप्रेस वेज का निर्माण, राजकीय राजमार्गों का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण, केन्द्र सरकार की दिल्ली-मुंबई इण्डस्ट्रीयल कारीडोर व ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर प्रदेश से पास होने हैं इन योजनाओं का अधिकाधिक लाभ प्रदेश के उद्यमियों को उपलब्ध कराना, जेवर (बुलन्दशहर) व कुशीनगर में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे का विकास, उद्योगों को गैस पाइप लाइन से अधिकाधिक गैस उपलब्ध कराना, कैप्टिव पावर जेनेरेशन को प्रोत्साहित करना, औद्योगिक क्षेत्रों में 24 घण्टे निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना, प्रदेश में नयी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु लैण्ड बैंक के आंकड़ों को सुदृढ़ कर ई-गवर्नेन्स के माध्यम से उद्यमियों को उपलब्ध कराना व निजी क्षेत्र में औद्योगिक आस्थानों का विकास इत्यादि कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश के विकास को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।

सरकार द्वारा उद्योगों के विकास को फैसिलिटेट करने के उद्देश्य से विश्व स्तरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। वृहद उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा उ.प्र. औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 प्रख्यापित की गयी है। नीति के अन्तर्गत निवेशकर्ताओं एवं उद्यमियों को विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए गये हैं।

इन्वेस्ट यू.पी.

इन्वेस्ट यू.पी. (पूर्व नाम उद्योग बन्धु) का गठन शासनादेश दिनांक 11 जून, 2020 द्वारा किया गया है। उक्त के क्रम में शासनादेश दिनांक 02 जुलाई 2020 द्वारा उद्योग बन्धु का संविलियन (मर्ज) इन्वेस्ट यू.पी. में किया गया है। इन्वेस्ट यू.पी. उ.प्र. सरकार को निवेश प्रोत्साहन एक फैसिलिटेशन एजेन्सी के रूप में कार्यरत है। साथ ही इन्वेस्ट यू.पी. के मुख्य कार्य निम्नवत हैं:-

1. उ.प्र. को निवेशकों हेतु सर्वाधिक पसंदीदा एवं निवेशोन्मुख गन्तव्य बनाया जाना।
2. उ.प्र. सरकार एवं निवेशकों के मध्य मुख्य संस्था के रूप में कार्य करना।
3. उ.प्र. में निवेश करने वाले निवेशकों कम्पनियों को प्रारम्भ से अंत तक सहयोग करना।
4. प्रदेश में व्यवसाय के वातावरण (इज आफ डूइंग बिजनेस) एवं अवस्थापना विकास हेतु राज्य सरकार को संस्तुतियाँ प्रदान करना।
5. सिंगल विन्डो पोर्टल-निवेश मित्र, ओ.आई.एम.एस. एवं निवेश सारथी पोर्टल के क्रियान्वयन हेतु नोडल संस्था।
6. पी.एम. गतिशक्ति हेतु नोडल संस्था।
7. लीड्स हेतु नोडल संस्था।
8. उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 हेतु नोडल संस्था।
9. उत्तर प्रदेश फारेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (एफ.डी.आई.), फार्च्यून ग्लोबल 500 एवं फार्च्यून इण्डिया 500 प्रोत्साहन नीति-2023 हेतु नोडल संस्था।
10. उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन वि-निर्माण एवं गतिशीलता नीति-2023 हेतु नोडल संस्था।
11. मा. मुख्य मंत्री उद्यमी मित्र योजना के अंतर्गत प्रदेश में निवेशकों की सहायता एवं हैण्ड होल्डिंग हेतु नियुक्त किये गए उद्यमी मित्रों से सम्बन्धित समस्त कार्य।
12. विश्व आर्थिक मंत्र (वर्ल्ड इकोनामिक फोरम एन्ड डब्लू.ई.एफ) दावोस क्लोस्तेर्स स्विट्जरलैंड, मोटो जी.पी., एवं देश विदेश में निवेश व्यापार से सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण आयोजनों में नोडल एजेंसी के रूप में प्रतिभाग किया जाना।

वर्तमान में इन्वेस्ट यू.पी. का कार्य संचालन, आपरेटिंग मैनुअल एवं अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित "स्टीयरिंग कमेटी" द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णय के अनुसार किया जाता है।

मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा वर्ष 2027-28 तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 01 ट्रिलियन डॉलर बनाये जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विभिन्न विभागों द्वारा 30 से अधिक नीतियाँ प्रख्यापित की गयी है। जिनका निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्राप्त कर अग्रतर कार्यवाही की जाती है तथा निवेशकों को 43 विभागों की 500 से अधिक सेवाएँ ऑनलाइन प्रदान की जा रही हैं।

प्रदेश में निवेश को बढ़ाये जाने हेतु इन्वेस्ट यूपी द्वारा वर्ष 2018 में यूपी इन्वेस्टर्स समिट का सफल आयोजन किया गया था। जुलाई 2018 में प्रथम ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी, जुलाई 2019 द्वितीय ग्राउन्ड ब्रेकिंग सेरेमनी, जुन 2022 में तृतीय ग्राउन्ड ब्रेकिंग सेरेमनी का सफल आयोजन किया गया था। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 एवं ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी-2024 का आयोजन किया गया है। जिसके माध्यम से प्रदेश में 19,000 से अधिक के एम.ओ.यूज. हस्ताक्षरित हुए हैं तथा लगभग 33.5 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 10 लाख करोड़ के प्रस्तावों पर लाने हेतु माह फरवरी, 2024 में ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी-2024 का सफल आयोजन किया गया है।

यूपी ग्लोबल इन्वेर्स्ट समिट-2023 के उपरान्त अब तक (20 फरवरी, 2025 तक) रु. 37,62,372.37 करोड़ के 28.598 एमओयूज हो चुके हैं, जिनमें 1,07,83,361 रोजगार के अवसर अनुमानित हैं, जिसका विवरण निम्नवत है:-

कुल हस्ताक्षरित एमओयूज़ (अद्यतन)

कुल एमओयूज	प्रस्तावित निवेश (रु. करोड़)	अनुमानित रोज़गार
28,598	37,62,372.37	1,07,83,761

क्षेत्रवार निवेशः- प्राप्त निवेश प्रस्तावों का 30.3% प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में, 14.5% मध्यांचल में, 5% बुन्देलखण्ड तथ 50% पश्चिमांचल में प्रस्तावित है। अब तक हस्ताक्षरित एमओयूज में से कुल निवेश का लगभग 31.9% गौतमबुद्ध नगर में सबसे अधिक है। इसके बाद लखनऊ (9.1%), झाँसी (6.1%), सोनभद्र (5.4%), अयोध्या (4.3%), गाजियाबाद (3.5%), ललितपुर (3.4%), वाराणसी (2.8%) और गोरखपुर में (2.2%) निवेश प्रस्तावित है।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस

सिंगल विंडो निवेश मित्र पोर्टल

1. राज्य सरकार द्वारा व्यवसाय में सहजता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) में सुधार हेतु उठाए गए प्रमुख कदमों में भारत के सबसे बड़े डिजिटल सिंगल विंडो पोर्टलों में से एक-'निवेश मित्र' का कार्यान्वयन है, जिसके माध्यम से उद्यमियों को 43 विभागों की 500 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जा रही है। यह देश के उन अग्रणी पोर्टलों में से एक है, जिन्हें नेशनल सिंगल विण्डों सिस्टम में एकीकृत किया गया है। 'निवेश मित्र' में निरंतर अन्य सेवाएं जोड़ी जा रही है तथा सभी प्रकार की स्वीकृतियों/अनापत्तियों को एक ही स्थान पर (वन-स्टॉप सॉल्यूशन) उपलब्ध कराने हेतु कार्य किया जा रहा है।

2. गत वर्ष में निवेश मित्र पोर्टल में विभिन्न सेक्टोरोल अनुमोदनों की सेवाओं को सम्मिलित किया गया है, जैसे मेडिकल ईस्टैब्लिशमेंट, कृषि, उद्यान, एमएसएमई, फिल्म एवं मनोरंजन, आबकारी औषधि तथा भूतत्व एवं खनिकर्म आदि।

3. उद्यमियों से लाइसेंस हेतु प्राप्त आवेदनों को 97 प्रतिशत से अधिक निस्तारण दर के साथ

निवेश मित्र देश में वर्तमान में कार्यरत सबसे कुशल सिंगल विंडो पोर्टलों में से एक बन गया है। इसके माध्यम से अब तक 17 लाख से अधिक स्वीकृतियां डिजिटल रूप से जारी की गई हैं।

4. प्रभावी एवं कुशल ऑनलाइन अनुमोदन प्रणाली की स्थापना हेतु न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन की दृष्टि से निवेश मित्र में विभिन्न शासकीय सुधार लागू किए गए हैं। लाइसेंस प्राप्त करने हेतु समस्त आवेदन अनिवार्य रूप से केवल निवेश मित्र के माध्यम से स्वीकार किए जाते हैं, भौतिक रूप से या विभाग के स्तर पर आवेदन स्वीकार नहीं किए जाते हैं। संबंधित विभागों द्वारा प्राप्त किए गए आवेदनों एवं समस्त स्वीकृतियों से संबंधित पृच्छाएं आवेदन प्राप्त होने के बाद केवल 07 दिनों के भीतर एक बार की जा सकती है।

5. इसी प्रकार निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से उपयोगकर्ता फीडबैक सुविधा के अंतर्गत निवेश मित्र से 96 प्रतिशत उपयोगकर्ता 'संतुष्ट' हैं।

उ०प्र० एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा)

उ.प्र. एक्सप्रेस वेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) का गठन औद्योगिक विकास अनुभाग-4 उ.प्र. शासन की अधिसूचना दिनांक 27 दिसम्बर, 2007 द्वारा 'उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976' की धारा 3 के अधीन उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) का गठन किया गया था। ग्रेटर नोएडा से बलिया तक 08 लेन प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेस वे परियोजनाओं के स्वामित्व एवं क्रियान्वयन हेतु किया गया है। तत्पश्चात् शासन द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न शासनादेशों/अधिसूयना द्वारा यूपीडा को एक्सप्रेसवे परियोजनाओं हेतु अधिकृत किया गया है जो निम्नवत है-

यूपीडा द्वारा क्रियान्वित परियोजनाओं का विवरण-

1- आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित 06 लेन एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना-

उल्लेखनीय है कि आगरा से लखनऊ तक 302 कि.मी. ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण ई.पी.सी. पद्धति पर 05 पैकेजों में विभक्त कर वर्ष 2015 से 2018 के मध्य कराया गया, एक्सप्रेसवे का निर्माण वित्तीय वर्ष 2018 में पूर्ण हो गया था, तत्पश्चात 05 वर्षों तक, ई.पी.सी कन्ट्रेक्टर द्वारा अनुरक्षण किया गया है इसकी अनुरक्षण अवधि वित्तीय वर्ष 2022-23 को समाप्त हो गयी है। एक्सप्रेसवे पर यातायात हेतु सुरक्षित रूप से संचालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्य किया जाना है। इस हेतु एक्सप्रेसवे के आगामी 05 वर्षों के लिए मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य हेतु अनुबंधित कन्सलटेन्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव, जिसमें समान रखरखाव एवं सड़क की सर्फेन्स कन्डीशन को ध्यान में रखते हुये पूरे मार्ग पर सतह का नवीनीकरण करने के लिए 01 लेयर ओवर ले तथा वृक्षारोपण अनुरक्षण का कार्य किया जाना है। जिसमें नियमित अनुरक्षण, आवश्यकता अनुसार ओवर-ले एवं अन्य कार्य, वृक्षारोपण अनुरक्षण, आकस्मिक व्यय, सुपरवीजन चार्जेज, एजेन्सी चार्जेज तथा रोड शेफ्टी ऑडिट हेतु धनराशि सम्मिलित है।

2- पूर्वान्चल प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना-

परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूंजीगत परिव्यय के लेखाशीर्षक 5054-03-337-

04-24 के अन्तर्गत धनराशि रु. 37373.00 लाख की व्यवस्था शासन द्वारा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। इस प्रस्ताव में परियोजना के 08 निर्माणकर्ताओं के अनुरक्षण कार्यों के सम्भावित देयक, अथारिटी इंजीनियर के सम्भावित देयक सुपरवीजन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कन्सलटेन्ट व्यय, एटीएमएस के संचालन एवं अनुरक्षण से संबंधित भुगतान एजेंसी चार्जेज एवं परियोजना पर प्रचलित आरविटेसन केस हेतु माननीय आर्बिट्रेटर तथा अधिवक्ताओं के सम्भावित देयक आदि हेतु धनराशि सम्मिलित है।

3. बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना-

परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूंजीगत परिव्यय के लेखाशीर्षक 5054-03-337-06-24 के अन्तर्गत धनराशि रु. 31701.00 लाख की व्यवस्था शासन द्वारा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। इस प्रस्ताव में परियोजना के 06 निर्माणकर्ताओं के अनुरक्षण कार्यों के सम्भावित देयक, अथारिटी इंजीनियर के सम्भावित देयक सुपरवीजन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कन्सलटेन्ट व्यय, एटीएमएस के संचालन एवं अनुरक्षण से संबंधित भुगतान एजेंसी चार्जेज आदि हेतु धनराशि सम्मिलित है।

4. गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना

परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूंजीगत परिव्यय के लेखाशीर्षक 5054-03-337-07-24 के अन्तर्गत धनराशि रु. 31795.00 लाख की व्यवस्था शासन द्वारा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। इस प्रस्ताव में परियोजना के निर्माणकर्ताओं के निर्माण कार्य तथा अनुरक्षण कार्यों के सम्भावित देयक, अथारिटी इंजीनियर के सम्भावित देयक सुपरवीजन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कन्सलटेन्ट व्यय, एटीएमएस के संचालन एवं एजेंसी चार्जेज आदि हेतु का प्राविधान सम्मिलित है।

5. गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ)

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ परियोजना) हेतु पूँजीगत परिव्यय के लेखाशीर्षक 5054-03-337-07-24 के अन्तर्गत रु. 123274.00 लाख धनराशि की व्यवस्था कराये जाने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव में अथॉरिटी इंजीनियर के सम्भावित देयक यूटीलिटी शिफ्टिंग एवं एजेंसी चार्जेज अनुबंध के अनुसार चेंज ऑफ स्कोप के संभावित देयक सम्मिलित है।

6. चित्रकूट लिंक विकसित किये जाने हेतु-

परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूँजीगत परिव्यय के लेखाशीर्षक 5054-03-337-16-24 के अन्तर्गत रु. 30085.00 लाख धनराशि की व्यवस्था कराये जाने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव में अथारिटी इंजीनियर के सम्भावित देयक, यूटीलिटी शिफ्टिंग एवं एजेंसी चार्जेज आदि के संभावित देयक सम्मिलित है।

7. आगरा-लखनऊ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तक "लिंक" एक्सप्रेसवे

वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूँजीगत परिव्यय के लेखाशीर्षक 5054-03-337- 18-24 के अन्तर्गत धनराशि रु. 13600.00 लाख की व्यवस्था कराये जाने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव में अथारिटी इंजीनियर के सम्भावित देयक, निर्माण कार्य, यूटीलिटी शिफ्टिंग एवं एजेंसी चार्जेज आदि के संभावित देयक सम्मिलित है।

औद्योगिक विकास

8. बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एक्सप्रेसवें के साथ डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना हेतु कुल रु.46098.32 लाख प्राविधान किये जाने का प्रस्ताव है जिसमें पूँजीगत परिव्यय के लेखाशीर्षक 5054-03-337-08-24 के अन्तर्गत रु. 21098.32 लाख (जिसमें कैरी ओवर वर्क्स (वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में स्वीकृत कार्य) हेतु रु.14648.32 लाख, वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुमोदित कार्य योजना के कार्य जो स्वीकृत नहीं हुये हैं, हेतु रु.3450.00 लाख तथा नवीन कार्य हेतु रु. 3000.00 लाख) तथा डिफेंस कारिडोर के द्वितीय फेज हेतु अतिरिक्त भूमि क्रय किये जाने हेतु पूंजीगत परिव्यय के लेखाशीर्षक 5054-03-337-08-60 के अन्तर्गत रु. 25000.00 लाख (संलग्नक) की व्यवस्था कराये जाने का प्रस्ताव है।

9. झांसी लिंक विकसित किये जाने हेतु-

वित्तीय वर्ष 2025-26 में झांसी लिंक परियोजना हेतु पूँजीगत परिव्यय के लेखाशीर्षक 5054-03-337-15-24 के अन्तर्गत धनराशि रु. 175300.00 लाख की व्यवस्था कराये जाने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव में निर्माण कार्य, अथॉरिटी इंजीनियर के सम्भावित देयक, यूटीलिटी शिफ्टिंग एवं एजेंसी चार्जेज आदि के संभावित देयक सम्मिलित है। तथा लेखाशीर्षक 5054-03-337-15-24 (भूमि क्रय) के लिए धनराशि रु. 101200.00 लाख की व्यवस्था कराये जाने का प्रस्ताव है।

10. एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के समीप औद्योगिक विकास एवं पूंजी निवेश हेतु औद्योगिक कॉरिडोर विकसित किये जाने हेतु-

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के समीप औद्योगिक विकास एवं पूंजी निवेश हेतु औद्योगिक कॉरिडोर किये जाने हेतु औद्योगिक गलियारा हेतु 28 जनपदों के चिन्हित 29 स्थलों में भूमि क्रय/अर्जन हेतु धनराशि शासन द्वारा उपलब्ध करायी जा रही है। वर्तमान में 05 जनपदों यथा हरदोई, सम्भल, बाराबंकी, उन्नाव एवं मेरठ औ्द्योगिक नोड्स में अधिग्रहीत की गयीं भूमि पर बुनियादी ढांचे के विकास यथा सीएनजी कार्य, आंतरिक सड़क निर्माण, सब्स्टेशन का निर्माण कार्य, आन्तरिक प्रकाश व्यवस्था का कार्य, जल आपूर्ति, अग्निशमन, एरिया ड्रेनेज, सीवरेज ट्रीटमेंट, फायर स्टेशन इत्यादि का कार्य, उक्त के अलावा प्री-फिजीबिलिटी हेतु परामर्शी के संभावित देयक प्रस्तावित हैं।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में नई मांग के रूप-

1. बुलन्दशहर होते हुये जेवर एअरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने हेतु लिंक एक्सप्रेसवे-

जेवर एयरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेसवे वाया बुलन्दशहर संपर्क एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रस्तावित है। एक्सप्रेसवे की कुल परिकल्पित लम्बाई 76 (छिहत्तर) कि.मी. है एवं इसका अन्तिम बिन्दु गंगा एक्सप्रेसवे के चैनेज 44+800 पर परिकल्पित है।

2. आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे (चैनेज 133 800), से गंगा एक्सप्रेसवे (चैनेज 282 845), कौसिया, जनपद हरदोई वाया फर्रुखाबाद तक प्रस्तावित प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से वाया फर्रुखाबाद जोड़ा जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित एक्सप्रेसवे का प्रारम्भिक बिन्दु आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे एवं बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के जंक्शन

पर प्रस्तावित है। प्रस्तावित एक्सप्रेसवे फर्रुखाबाद जनपद में मोहम्मदाबाद विकासखण्ड अवस्थित नीमकरौरीधाम के निकट से होता हुआ गंगा एक्सप्रेसवे पर सवायजपुर, जनपद हरदोई पर समाप्त होनो प्रस्तावित है एवं इसकी अनुमानित लं. लगभग 93 कि.मी. है।

3. बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे पर ई-वे हब की स्थापना-

एक्सप्रेसवे पर जनसुविधा हेतु जनसुविधा परिसरों का निर्माण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। जनसुविधा परिसरों के निर्माण हेतु 04 स्थलों में प्रत्येक स्थल पर उपलब्ध 10 हेक्टे. भूमि को छोटे भूखण्डों में विभक्त करते हुयें पी.पी.पी. मोड पर ई-वे हब का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इस मोड में भूमि निविदा के माध्यम से चयनित आवेदकों को लीज-रेन्ट के आधार पर आवंटित की जानी है। परिसर के विकास हेतु आवश्यक मार्गों, ड्रैनेज, सीवरेज, जलापूर्ति, विद्युत व्यवस्था आदि कार्य यूपीडा द्वारा किये जाने प्रस्तावित है।

4. पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ई-वे हब की स्थापना-

एक्सप्रेसवे पर जनसुविधा हेतु जनसुविधा परिसरों का निर्माण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। जनसुविधा परिसरों के निर्माण हेतु 08 स्थलों में प्रत्येक स्थल पर उपलब्ध 10 हेक्टे. भूमि को छोटे भूखण्डों में विभक्त करते हुए पी.पी.पी. पद्धति पर ई-वे हब का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इस पद्धति में निविदा के माध्यम से चयनित आवेदकों को लीज रेन्ट के आधार पर, भूमि आवंटित की जानी है। परिसर के विकास हेतु आवश्यक मार्गों, ड्रेनेज, सवीरेज, जलापूर्ति, विद्युत व्यवस्था आदि कार्य यूपीडा द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।

5. गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चन्दौली होते हुये सोनभद्र तक (विन्ध्य एक्सप्रेसवे) निर्माण-

गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज मिर्जापुर, वाराणसी, चन्दौली होते हुये सोनभद्र तक (विन्ध्य एक्सप्रेसवे) का निर्माण प्रस्तावित है। एक्सप्रेसवे की कुल परिकल्पित लं. 320 कि.मी. है एवं इसका अन्तिम बिन्दु सोनभद्र में एन.एच.-75 पर परिकल्पित है।

6. विन्ध्य एक्सप्रेसवे पर चन्दौली जनपद से प्रारम्भ होकर गाजीपुर तक पूर्वांचल लिंक स्पर के निर्माण-

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अन्तिम बिन्दु गाजीपुर जनपद से प्रारम्भ होकर चन्दौली जनपद में प्रस्तावित विन्ध्य एक्सप्रेसवे तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लिंक स्पर का निर्माण प्रस्तावित है। एक्सप्रेसवे की कुल परिकल्पित लं. 100 कि.मी. है।

7. गंगा एक्सप्रेसवे विस्तारीकरण (मेरठ से हरिद्वार तक) एक्सप्रेसवे के निर्माण-

गंगा एक्सप्रेसवे विस्तारीकरण (मेरठ से हरिद्वार तक) एक्सप्रेसवे के निर्माण प्रस्तावित हैं। एक्सप्रेसवे की कुल परिकल्पित लं. 120 कि.मी. है, समीपवर्ती राज्यों यथा दिल्ली एवं उत्तराखंड से द्रुतगामी एवं सुगम सम्पर्क हो जायेगा।

8. बुन्देलखण्ड-रीवा (एन.एच.-30 लिंक) एक्सप्रेसवे के निर्माण-

बुन्देलखण्ड-रीवा (एन.एच.-30 लिंक) एक्सप्रेसवे के निर्माण प्रस्तावित है। एक्सप्रेसवे की कुल

परिकल्पित लं. 70 कि.मी. है, जिसमें जनपद चित्रकूट एवं प्रयागराज आच्छादित है।

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोयडा)

उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम-1976 के अन्तर्गत संस्थापित नोएडा (नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सीमावर्ती उत्तर प्रदेश की सीमा में उत्तर में एन.एच.-24, पश्चिम में यमुना नदी एवं पूर्व में हिण्डन नदी से बंधे हुए क्षेत्र में नवीन ओखला औद्योगिक विकास क्षेत्र (नोएडा) का सृजन किया गया था, जो कि आज एक सुनियोजित एकीकृत एवं आधुनिक औद्योगिक शहर के रूप में जाना जाता है, जो अपने बहुआयामी विकास की ओर निरन्तर प्रगतिरत है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पड़ने वाले 81 ग्रामों को सम्मिलित करते हुए लगभग 20,316.00 हेक्टेयर (203.16 वर्ग किलोमीटर) क्षेत्रफल पर विकास की रूप रेखा निर्धारित करने के लिए वर्ष 2031 तक के लिए महायोजना तैयार की गयी है। नोएडा प्राधिकरण के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य का औद्योगिक क्षेत्र सर्वाधिक विकसित है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदेश की प्रगति का परिचायक है।

ग्रेटर नोएडा

औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अभ्युदय, विकास तथा उसके मूलभूल उद्दश्यों से सम्बन्धित विवरण

महायोजना-2021-2041 का संक्षिप्त विवरण-

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 के अधीन वर्ष 1991 में किया गया, जिसमें तहसील सिकन्दराबाद जिला बुलन्दशहर के 75 गाँव तथा तहसील दादरी जिला गाजियाबाद के 49 गाँव अधिसूचित किए गए थे। वर्ष 2006 में 185 गांव फेज-II हेतु अधिसूचित किए गये जिसमें गाजियाबाद व हापुड़ तहसील के ग्राम सम्मिलित थे। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन हुए 34 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। देश का यह औद्योगिक विकास प्राधिकरण नियोजन व अवस्थापना सुविधाओं की मिसाल है। वर्तमान में प्राधिकरण क्षरा वर्ष 2041 की महायोजना तैयार की गयी है जिसका अनुमोदन उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदान कर दिया गया है। ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में वास्तुशिल्प एवं अभियान्त्रिकी की आधुनिकतम तकनीकी पर आधारित है तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों के अनुरूप ग्रेटर नोएडा का विकास किया जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र के साथ-साथ यहाँ आवश्यक सुविधाओं, व्यावसायिक क्षेत्रों, व्यापार केन्द्रों, कार्यालयों, सेकेन्ड्री स्कूलों, तकनीकी एवं प्राविधिक संस्थानों, अस्पतालों और चिकित्सा सेवा सुविधाओं तथा मनोरंजन के क्षेत्रों का एक आधुनिक एवं व्यापक मूल ढांचा भी उपलब्ध होगा। क्षेत्र के सुनियोजित विकास हेतु भूमि अर्जन कर वाह्य एवं आन्तरिक सड़कों का निर्माण एवं जल निकासी, पेयजल व्यवस्था, विद्युतीकरण, मल निकासी एवं सीवरेज ट्रीटमेंन्ट प्लांट की स्थापना, सॉलिड वेस्ट मैंनेजमेंट, उद्यानों का विकास एवं पर्यावरण सुधार हेतु वृक्षारोपण आदि प्राधिकरण के मुख्य कार्यक्रम हैं। समस्त नगरीय मूलभूत सुविधाओं का विकास एवं अनुरक्षण का कार्य प्राधिकरण की मुख्य गतिविधियों में सम्मिलित है।

इस क्षेत्र का विकास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उत्तर प्रदेश उप क्षेत्रीय योजना 2021 के प्राविधानों के अनुरूप किया जा रहा है। योजना के प्रथम चरण (2001-2011) में लगभग 8500 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि का विकास किया जाना प्रस्तावित है। महायोजना 2021 के अनुसार वर्ष 2021 तक कुल 2255 हेक्टेयर भूमि को विकसित करने का प्रस्ताव है। महायोजना 2021 के अनुसार क्षेत्र की आबादी लगभग 7 लाख तथा महायोजना 2041 के अनुसार क्षेत्र की आबादी लगभग 40 लाख होगी जिसमें क्षेत्र में पड़ने वाले ग्रामों की आबादी भी सम्मिलित है।

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6,1976) की धारा 2 के खण्ड (ध) के अधीन ''औद्योगिक विकास क्षेत्र'' घोषित किया गया एवं राज्यपाल द्वारा अग्रेतर उक्त अधिनियम की धारा-3 के अधीन अधिनियम के प्रयोजनार्थ ताज एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। यमुना एक्सप्रेसवे के अधिसूचित क्षेत्र में जनपद गौतमबुद्धनगर, बुलन्दशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा व आगरा के कुल 1187 ग्राम अधिसूचित हैं। यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 165.537 किलोमीटर लम्बाई में 06 लेन (08 लेन तक विस्तारणीय) के एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य कराया जाना।

यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की कार्य योजना में आगरा के साथ ही पश्चिमी उ0प्र0 के अधिकांश भागों को देश की राजधानी से जोड़ना है। यमुना नदी के पूर्वी भाग पर मुख्य टाउनशिप स्थापित करना तथा प्राधिकरण क्षेत्र के सुनियोजित विकास में औद्योगिक, आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत, सरकारी एवं अर्द्धसरकारी क्रियाकलापों में भौतिक मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराया जाना है।

परियोजना हेतु काश्तकारों से उचित दर पर भू-अर्जन के प्रतिकर भुगतान के अतिरिक्त प्रभावित काश्तकारी को पुनर्वास एवं पुर्नस्थापना सुविधायें प्रदान की जा रही हैं। अधिग्रहण से प्रभावित मूल काश्तकारों को उनकी अधिग्रहीत भूमि का 07 प्रतिशत भूमि आबादी हेतु आवंटन तथा इन ग्रामों में अवस्थापना सुविधाओं में स्कूल, बारात घर, सामुदायिक केन्द्र, सड़क, नाली व सीवर आदि का विकास कराये जाने का प्रावधान है।

प्राधिकरण की उपलब्धियों एवं परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण

- यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना उत्तर प्रदेश आद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम-1976 की धारा-3 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना दिनांक 24.04.2001 के माध्यम से की गयी। गठन के समय प्राधिकरण का नाम ताज एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण था, जिसे अधिसूचना दिनांक 11.07.2008 द्वारा यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण कर दिया गया।
- वर्ष 2007 में यमुना एक्सप्रेस वे के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

- यमुना एक्सप्रेसवे परियोजना पी0पी0पी0 मॉडल पर ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 165 किलोमीटर लम्बाई में 06 लेन एक्सप्रेस वे का निर्माण बिल्ड, ऑपरेट एण्ड ट्रांसफर (बी. ओ.टी) परियोजना के अन्तर्गत जेपी इन्फाट्रेक लि. द्वारा कराया गया है, जिस पर वर्तमान में आवागमन जारी है।
- इस एक्सप्रेस वे में 6 स्थानों पर इन्टरचेन्ज (जीरो प्वान्ट, जेवर, टप्पल, मथुरा, सादाबाद रोड तथा आगरा) बनाये गये हैं। एक्सप्रेस वे के तीन स्थानों (जेवर, मथुरा व आगरा) पर टोल प्लाजा का निर्माण किया गया है।
- जनपद हाथरस एवं आगरा के अधिसूचित क्षेत्र में प्रस्तावित अर्बन नोड की महायोजना तैयार का कार्य प्रगति पर है।
- यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास का 06 जनपदों में कुल 3352 वर्गकिमी. अधिसूचित क्षेत्र है।
- अधिसूचित क्षेत्रान्तर्गत आने वाले 06 जनपदों में कुल 13397 हे. भूमि अर्जन/आपसी सहमति से क्रय/पुनर्ग्रहण/हस्तांतरण द्वारा प्राप्त की गई है।

उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा), कानपुर

निगम/प्राधिकरण द्वारा प्रमुख रूप से औद्योगिक क्षेत्रों का विकास व अवस्थापना सुविधाओं हेतु निजी क्षेत्रों की भागीदारी सुनिश्चित कराने का कार्य प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है।

प्राधिकरण की महत्त्वपूर्ण परियोजनाएं

1. **ट्रान्स गंगा सिटी परियोजना** - जनपद उन्नाव में कानपुर के निकट स्थित 1140 एकड़ भूमि पर निगम द्वारा एकीकृत औद्योगिक नगरी विकसित की जा रही है। जिसमें विकास कार्य लगभग 45 प्रतिशत किया जा चुका है। अब तक 805 आवासीय एवं 02 औद्योगिक भूखण्डों का आवंटन किया जा चुका है एवं यथाशीघ्र आगामी वित्तीय वर्ष में विकास कार्य पूर्ण कर औद्योगिक, व्यवसायिक, अवस्थापना एवं सामाजिक सुविधाओं हेतु भूमि क्षेत्रों का आवंटन विपणन किया जाएगा।
2. **सरस्वती हाईटेक सिटी** - प्रयागराज के नैनी में 495.504 हेक्टेयर राजकीय भूमि हस्तान्तरित कराकर एक औद्योगिक नगरी को विकसित करने का कार्य किया जा रहा है। निगम/प्राधिकरण द्वारा अब तक स्टेट यूनिवर्सिटी को 132.64 एकड़ तथा आवासीय भूखण्डों हेतु 35.34 एकड़ भूमि का आवंटन किया जा चुका है एवं आगामी वित्तीय वर्ष में औद्योगिक, व्यवसायिक भूखण्डों का आवंटन प्रारम्भ किया जाएगा।
3. **आई एम सी आगरा** - निगम/प्राधिकरण द्वारा आगरा में ग्राम रायपुर एवं रहनकला में 192.43 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहीत कर तथा आगरा विकास प्राधिकरण से 236.66 हेक्टेयर भूमि प्राप्त कर विकसित किये जाने का कार्य किया जा रहा है तथा वर्तमान में टेण्डर की कार्यवाही प्रगति पर है।
4. **जनपद पीलीभीत में औद्योगिक हब भरा पचपेड़ा की स्थापना**- जनपद पीलीभीत के ग्राम

भरा पचपेड़ा में 1196.121 एकड़ गाँव सभा की सामान्य व सार्वजनिक उपयोग की भूमि के पुर्नग्रहण शासनादेश दिनांक 06.07.2015 को जारी किया जा चुका है। स्थल पर भौतिक कब्जा प्राप्त हो गया है। परियोजना को विकसित करने की कार्यवाही प्रगति पर है।

5. **जनपद बरेली में मेगा फूड पार्क की स्थापना-** जनपद बरेली में तहसील बहेडी के ग्राम भुडियामुकर्रमपुर की 250.16 एकड़ ग्रामीण सीलिंग की भूमि पर निगम/प्राधिकरण द्वारा पार्क स्थापित किया जा रहा है। विकास सम्बन्धी 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। आगामी वित्तीय वर्ष में यूपीसीडा द्वारा उक्त भूमि पर मेगा फूड पार्क का विकास कर भूखण्डों का आवंटन किया जाना प्रस्तावित है।

6. **औरैया में प्लास्टिक सिटी-** जिला मुख्यालय औरैया से कंचौसी राजमार्ग पर 03 किलोमीटर दूर ग्राम उसरारी एवं लखनपुर की 359.38 एकड़ भूमि में से 274.45 एकड़ भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र एवं 64.93 एकड़ भूमि पर आवासीय सेक्टर विकसित किया गया है जिसमें से 76 औद्योगिक भूखण्ड एवं 109 आवासीय भूखण्ड आवंटित किये जा चुके हैं।

7. **फार्मा पार्क, ललितपुर-** यूपीसीडा द्वारा ललितपुर में 1472 एकड़ दो चरणों में फार्मा पार्क का विकास किया जा रहा है। प्रथम चरण में 352.91 एकड़ भमि का तथा द्वितीय चरण में, 1119.42 एकड़ भूमि का विकास किया जायेगा। यह पार्क फार्माक्यूटिकल्स उत्पादों के लिये विनिर्माण पावर हाउस के रूप में काम करेगा तथा पार्क को वैश्विक माप दण्डों के आधार पर विकसित किया जायेगा। वर्तमान में परियोजना के सापेक्ष टेण्डर निकालने सम्बन्धी कार्यवाही की जा रही है।

8. **स्पिनिंग मिल, बाराबंकी-** जनपद बाराबंकी में स्थित स्पिनिंग मिल की भूमि का विकास यूपीसीडा के माध्यम से आईटी/आईटीएस आदि हेतु किया जायेगा, जिसके अन्तर्गत आईटी/आईटीएस, वेयरहाऊसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स, फूड प्रोसेसिंग आदि हेतु भी प्रयोग किया जायेगा।

9. **सलेमपुर, हाथरस-** हाथरस के सलेमपुर को औद्योगिक क्षेत्र रूप में विकसित किया जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र 483 एकड़ में विकसित किया जायेगा। यूपीसीडा द्वारा सलेमपुर के विकास कार्यों को इन्जीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट व कान्सट्रक्शन (ईपीसी) के माध्यम से दो फेज में कराया जायेगा।

10. **जनपद कन्नौज में इत्र संग्रहालय एवं पार्क की स्थापना-** जनपद कन्नौज में परम्परागत इत्र उद्योग को बढ़ावा देने, तकनीकी उत्सर्जन एवं विश्व में इसकी लोकप्रियता बढ़ाने हेतु आधुनिक परफ्यूम पार्क का विकास किये जाने की घोषणा के कम से कम में लगभग 100 एकड़ जिला प्रशासन के सहयोग से चिन्हित भूमि पर चारदिवारी का कार्य प्रगति पर है।

प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ यू.पी. लि., लखनऊ (पिकप)

- पिकप की स्थापना कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत राज्य सरकार की कम्पनी के रूप में वर्ष 1972 में की गई।
- पिकप का उद्देश्य प्रदेश के औद्योगिकीकरण हेतु मध्यम एवं बृहद उद्योगों को दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराना था।

- निगम की वर्तमान अंश पूंजी रु. 150 करोड़ है एवं निगम की चुकता अंश पूंजी रु. 135.57 करोड़ है।
- पिकप द्वारा शासन को अब तक रु. 10.52 करोड़ का लाभांश दिया गया है।
- निगम द्वारा संयुक्त क्षेत्र एव सहायतित क्षेत्र में 17 ईकाइयां भारत के प्रतिष्ठित औद्योगिक घरानों जैसे रौनक, गोयनका एवं भारतीयाज ग्रुप इत्यादि के साथ मिलकर संयुक्त रूप से उद्योग स्थापित किये गये।
- भारत सरकार ने दिनांक 23.02.2004 को जारी गजट द्वारा पिकप को 'पब्लिक फाईनेन्शियल इंस्टीट्यूशन' घोषित किया गया है।
- पिकप द्वारा कुल 1100 इकाईयों को रु. 1420.00 करोड़ का सर्वाधिक ऋण वितरण किया गया।
- पिकप द्वारा 877 इकाईयों से रु.1249.41 करोड़ की वसूली की जा युकी है। शेष 223 इकाइयों को रु. 170.59 करोड़ मूल धनराशि की वसूली हेतु समग्र प्रयास किये जा रहे हैं।
- पिकप का वर्ष 2002 से ऋण प्रदायी कार्य रूद्ध है।

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा)

1. **गीडा की स्थापना** - गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) का सृजन पूर्वान्चल के समग्र एवं सुनियोजित औद्योगिक विकास हेतु उ.प्र. शासन द्वारा ''उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा-3'' के अन्तर्गत 30 नवम्बर, 1989 में किया गया था।
2. **अधिसूचित ग्राम** - योजना के विकास हेतु कुल 100 राजस्व ग्राम अधिसूचित किये गये हैं।
3. **गीडा विकास योजना** - गीडा विकास योजना 2012-2032 (डेवलपमेन्ट प्लान) के अन्तर्गत तहसील-सहजनवाँ एवं सदर के अधिसूचित 100 ग्रामों की लगभग 13,135.00 एकड़ भूमि वर्ष- 2032 तक अधिग्रहित कर समग्र अवस्थापना सुविधाओं के साथ विकसित की जानी प्रस्तावित है। गीडा के विस्तारीकरण हेतु तहसील-गोला के अन्तर्गत 18 नये ग्रामों की अधिसूचना वर्तमान विकास योजना से लगभग 35 किमी. की दूरी पर स्थित है, की अधिसूचना दिनांक 02.09.2019 को जारी हुई है। गीडा के तकनीकी सलाहाकार मै. ई.एण्ड.वाई. से आर.एफ.पी. तैयार कराकर निविदा के माध्यम से कार्यदायी संस्था मै. रूद्राभिषेक इण्टरप्राइजेज लि. को कार्य आवंटित किया गया है। कार्यदायी संस्था द्वारा ड्राफ्ट मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है। जिसका प्रस्तुतीकरण दिनांक 21.04.2022 को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के समक्ष किया गया। ड्राफ्ट मास्टर प्लान में पायी गयी कमियों का निराकरण कार्यदायी संस्था द्वारा किया जा रहा है। औद्योगिक लैण्ड बैंक की कमी एवं एवं समय-समय पर औद्योगिक भूखण्डों की मांग एवं आवश्यकता के दृष्टिगत अधिसूचित ग्राम-भीटी रावत जिसका भू-उपयोग महायोजना 2012-2032 में निर्धारित नहीं था, का भू-उपयोग औद्योगिक

नियोजित किया गया है, जिसके ले-आउट का अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा किये जाने के उपरान्त विकास का कार्य प्रगति पर है। विकसित भूखण्डों का आवंटन भी किया जा चुका है।

4. **विकास योजना में कुल सेक्टरों का विवरण-** वर्तमान में लागू विकास योजना को 33 सेक्टरों में विभक्त किया गया है, जिसमें 11 सेक्टर आवासीय, 4 आवासीय/व्यावसायिक, 1 आवासीय/औद्योगिक, 1 ट्रांसपोर्ट नगर/व्यावसायिक, 2 संस्थागत, 1 संस्थागत/व्यावसायिक एवं 13 सेक्टर औद्योगिक उपयोग हेतु प्राविधानित हैं।
5. **अधिग्रहीत भूमि-** वर्तमान समय में गीडा द्वारा अधिग्रहीत एवं समझौते से लगभग 3216.00 एकड़ भूमि अर्जित की जा चुकी है।
6. **विकसित भूमि-** अब तक गीडा द्वारा लगभग 2000 एकड़ भूमि विकसित कर ली गयी है।
7. **आवंटित भूमि-** अब तक गीडा द्वारा लगभग 1400.00 एकड़ भूमि आवंटित की जा चुकी है।

इन्स्टीट्यूट ऑफ टूल रूम ट्रेनिंग उ.प्र.

इन्स्टीट्यूट ऑफ टूल रूम ट्रेनिंग उ.प्र. (इटप) लखनऊ की स्थापना वर्ष 1981 में भारत-जर्मन के मध्य तकनीकी सहयोग के अनुबन्ध के क्रम में की गयी थी, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश के नवयुवकों को टूल एण्ड मोल्ड मेकिंग विषय में प्रशिक्षण प्रदान कर उनको प्रदेश के औद्योगिक विकास में योगदान के लिए तैयार करना तथा औद्योगिक इकाइयों को उनके उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार और विस्तार हेतु तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराना व उनकी आवश्यकता के अनुसार टूल निर्मित कर उपलब्ध कराना इत्यादि था। वर्ष 2005 में पुनर्वासन किए जाने के उपरान्त से इटप संस्थान, लखनऊ, केवल एक तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान के रूप में औद्योगिक विकास विभाग, उ.प्र. शासन के प्रशासनिक नियंत्रण एवं बजटरी अनुदान सर्वोट से संचालित हो रहा है।

●

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन

उत्तर प्रदेश प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों की दृष्टि से औद्योगिक विकास हेतु अत्यन्त संभावनाशील प्रदेश है। प्रदेश की विशाल जनसंख्या जहाँ एक ओर कुशल मानव संसाधन उपलब्ध कराती है वहीं दूसरी ओर एक विशाल बाजार भी उपलब्ध कराती है। इसी प्रकार प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता प्रदेश को औद्योगिक दृष्टि से अग्रणी बनाने हेतु अवसर प्रदान कराती है। ऐसे में प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों के कुशलतम उपयोग द्वारा प्रदेश को औद्योगिक दृष्टि से देश का अग्रणी राज्य बनाने एवं इस प्रकार व्यापक पूँजी निवेश एवं रोजगार सृजन करते हुए प्रदेश की विशाल जनसंख्या का जीवन स्तर समुन्नत करने के दृष्टिकोण से लघु उद्योग विभाग की स्थापना की गई जो कि अब सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग के नाम से जाना जा रहा है। वैश्वीकरण एवं उदारीकरण के परिणामस्वरूप निरन्तर परिवर्तित हो रहे परिदृश्य में समावेशी विकास सुनिश्चित करने में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की भूमिका का विशेष महत्त्व हो गया है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम जहाँ एक ओर कम पूंजी एवं कम स्थान में व्यापक स्तर पर रोजगार सृजित करते हुए उद्यम स्थापना की सुविधा प्रदान करते हैं वहीं दूसरी ओर पर्यावरणीय दृष्टि से भी अधिक अनुकूल होते हैं। इस प्रकार इन उद्यमों के विकास से जहाँ प्रदेश का समावेशी एवं बहुआयामी विकास होता है वहीं रोजगार सृजन की असीम सम्भावनाएं भी उत्पन्न होती हैं।

विभाग का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में प्रोत्साहनात्मक औद्योगिक वातावरण का सृजन करते हुए उद्यमियों को उद्यम स्थापना से लेकर उत्पादों के विपणन/निर्यात तक हर संभव सहायता प्रदान करना है। प्रदेश में आयुक्त एवं निदेशक उद्योग के अधीन "उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय'' के अतिरिक्त मण्डलीय स्तर पर परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय तथा जिला स्तर पर ''जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र" स्थापित हैं। इसके अतिरिक्त लघु उद्योगों के विकास तथा हस्तशिल्प एवं निर्यात प्रोत्साहन में उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम, भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण तथा उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद, उ.प्र. डिजाइन एवं शोध संसाधन एवं उद्यमिता संस्थान आदि की भी प्रमुख भूमिका है, जो प्रदेश में लघु उद्योग के विकास तथा निर्यात प्रोत्साहन को बढ़ावा देने हेतु सतत प्रयत्नशील हैं।

भारत सरकार की गवर्नमेन्ट ई-मार्केट प्लेस योजना (जेम पोर्टल) को विभाग द्वारा अंगीकृत किया गया है। अब सरकारी विभागों के लिये जेम पोर्टल पर मौजूद उत्पादों का क्रय अनिवार्य हो

गया है।

प्रदेश में निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना तथा वायुयान भाड़ा युक्तिकरण सहायता योजना के अन्तर्गत निर्यातकों को अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेने हेतु तथा अपना माल विदेशों में भेजने हेतु भाड़े के मद में वित्तीय सहायता दी जा रही है। देश के निर्यात में प्रदेश की भागीदारी को दो गुना करके प्रदेश के आर्थिक विकास के पथ को प्रशस्त करने के उद्देश्य से "नई निर्यात नीति-2020-25" प्रख्यापित की गयी है। इसी क्रम में "एक्सपो मार्ट, लखनऊ एवं ग्रेटर नोयडा" की स्थापना भी की गयी है। विश्व प्रसिद्ध भदोही के कलात्मक ऊनी कालीनों एवं ऊनी दरियों के उत्पादन एवं निर्यात की अभिवृद्धि हेतु भदोही में "भदोही कार्पेट बाजार (एक्सपो मार्ट)" की स्थापना की गयी है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना

प्रदेश की अर्थ व्यवस्था में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। प्रदेश सरकार द्वारा अधिकाधिक उद्यमों की स्थापना हेतु प्रोत्साहनात्मक वातावरण का सृजन किया गया है। निवेश मित्र के माध्यम से उद्यमियों को उद्यम स्थापना के क्रम में वांछित अनापत्ति/लाइसेन्स/अनुमति आदि को प्राप्त करने की पूर्णतया आनलाइन व्यवस्था की गयी है जिससे उद्यमी समयबद्ध रूप से स्वीकृतियाँ आदि प्राप्त कर रहे हैं।

लघु उद्योगों के विकास से सम्बन्धित योजनाओं का विवरण

उ.प्र. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम पुरस्कार योजना

प्रदेश के सफल एवं उत्कृष्ट लघु उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह योजना शासनादेश दिनांक 17 अगस्त, 2009 द्वारा प्रारम्भ की गई। उक्त योजनान्तर्गत प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के अधिक से अधिक उद्यमियों को उनके हाई टर्न ओवर सफल एवं उत्कृष्ट उत्पाद, गुणवत्ता, अनुसंधान एवं विकास हेतु पुरस्कार दिये जाते हैं।

क्लस्टर विकास (एम.एस.ई.-सी.डी.पी.) योजना

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के उद्यमियों कारीगरों, हस्तशिल्पियों को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के युग में अपनी इकाईयों के उत्पादन क्षमता एवं गुणवत्ता का उच्चीकरण हेतु भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 24.05.2006 के द्वारा क्लस्टर विकास योजना का शुभारम्भ किया। इस परियोजना के मुख्यतः दो घटक-1 कॉमन फैसिलिटी सेंटर, 2-अवसंरचनागत विकास।

उ.प्र. सूक्ष्म एवं लघु उद्योग तकनीकी उन्नयन योजना

तकनीकी क्षेत्र में निरन्तर हो रहे द्रुत विकास एवं पर्यावरण तथा तकनीकी मानकों के प्रति वैश्विक स्तर पर अपनाये जा रहे उच्चीकृत मानकों को ध्यान में रखते हुए पूर्व में लागू तकनीकी उन्नयन योजना को पुनर्निर्मित करते हुए शासनादेश दिनांक 15.02.2019 एवं शासनादेश 01.10.2024 द्वारा यह योजना प्रख्यापित की गयी है जिससे कि महत्तम ढंग से उच्चीकृत तकनीकी को विभिन्न क्षेत्रों जैसे- उत्पाद गुणवत्ता सुधार, श्रम सुरक्षा, ऊर्जा दक्षता, गुणवत्ता पैकेजिंग सुविधाओं को बढ़ावा मिल सके तथा सूक्ष्म व लघु इकाइयों को घरेलू व विदेशी बाजारों

हेतु प्रतिस्पर्धा योग्य बनाया जा सके।

प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु अध्ययन/परियोजना संरचना

विभिन्न प्रकार के अध्ययनकर्त्ताओं/परामर्शदाताओं/विषय विशेषज्ञों/कन्सलटेन्सों की सेवाओं का उपभोग वैश्विक स्तर पर निर्यात संवर्धन, प्रदेश में निवेश वृद्धि व उद्यमियों/हस्तशिल्पियों के विकास, पर्यावरण अनुकूल उद्यमों के सृजन हेतु अध्ययन एवं परियोजना संरचना योजना की स्थापना की गई है।

एम.एस.एम.ई. पोर्टल का विकास

आज के प्रौद्योगिकी युग में, विश्व एक 'ग्लोबल विलेज' बन गया है, जहाँ आमजन अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भर हो गया है। इन परिस्थितियों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वे इस आधुनिक और तकनीकी आधारित दुनिया के अनुरूप खुद को ढालें।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों, स्वरोजगारियों और शिल्पकारों को बहुआयामी योजनाओं और सेवाओं का लाभ सुलभ कराना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभाग निरंतर प्रयासरत है और योजनाओं को सरल और सुलभ बनाने के लिए कार्य कर रहा है।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना

योजनान्तर्गत उद्योग क्षेत्र का रु. 25.00 लाख की कुल परियोजना लागत की सूक्ष्म इकाईयों तथा सेवा क्षेत्र की रु. 10.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत उद्योग क्षेत्र हेतु अधिकतम रु. 06.25 लाख तथा सेवा क्षेत्र हेतु अधिकतम रु. 02.50 लाख की सीमा तक मार्जिन मनी उपलब्ध कराया जायेगा, जो उद्यम के 02 वर्ष तक सफल संचालन के उपरान्त अनुदान में परिवर्तित हो जायेगा। आवेदक उ.प्र. का मूल निवासी, उसकी आयु 18 से 40 वर्ष तक तथा योग्यता हाईस्कूल एवं किसी बैंक/वित्तीय संस्थान का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।

मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना

प्रदेश सरकार द्वारा एम.एस.एम.ई. को प्रोत्साहित करने एवं अपरिहार्य परिस्थितियों में सूक्ष्म उद्यमियों को सहायता प्रदान करने हेतु शासनादेश दिनांक 30 जून, 2023 के माध्यम से मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना प्रदेश में लागू की गयी है। सूक्ष्म उद्यमी की किसी दुर्घटना से असामयिक मृत्यु होने पर इस योजना के अन्तर्गत रु. 5.00 लाख तक का बीमा कवर प्रदान किये जाने का प्रविधान है।

उ.प्र. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति-2022

प्रदेश का सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र प्रदेश के आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाइयों की संख्या की दृष्टि से देश में तीसरा स्थान रखता है एवं प्रति वर्ष लाखों रोजगार के अवसर सृजित करता है। प्रदेश के समग्र विकास एवं रोजगार सृजन हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाइयों की स्थापना को

प्रोत्साहित किया जाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की अधिकाधिक नवीन इकाईयों की स्थापना के लिए उ.प्र. को पूंजी निवेश के लिए राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आकर्षक क्षेत्र के रूप में स्थापित करना परिणाम स्वरूप 15 प्रतिशत वार्षिक विकास दर प्राप्त करना। नवीन इकाईयों में अधिकाधिक रोजगार सृजन तथा पूर्व से स्थापित इकाईयों के विस्तार एवं उन्नयन से रोजगार में 15 प्रतिशत वार्षिक विकास दर प्राप्त करना। उद्यमिता रोजगार एवं प्रतिव्यक्ति आय के मानकों पर क्षेत्रीय, असमानताओं एवं समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य व्याप्त असमानताओं को कम करने का प्रयास करना। पूर्व में स्थापित इकाईयों के उन्नयन एवं उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण के लिए उत्कृष्ट आधुनिक तकनीकी युक्त संवेदनशील प्रशासकीय व्यवस्था करना। वर्तमान में विद्यमान उद्यमों के विस्तार एवं तकनीकी उन्नयन के लिए संसाधनों को उपलब्ध कराना अवस्थापना सुविधाओं को सुदृढ़ करना एवं निर्मित उत्पादों के विपणन में सहायता करना। नवीन उद्यमों की स्थापना के लिए भूमि/स्थान उपलब्धता सुलभ बनाना, नवीन अवस्थापना सुविधाओं का विकास करना तथा विद्यमान सुविधाओं का उन्नयन। सुगमता एवं सहजता के साथ व्यापार करने के लिए अनुकूल औद्योगिक वातावरण का निर्माण करना।

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एम.एस.एम.ई. इकाइयों हेतु विभिन्न प्रकार की सब्सिडी यथा- पूँजी उत्पादन, ब्याज उपादान, ई.पी.एफ. प्रतिपूर्ति, गुणवत्ता परख उत्पादों के निर्माण पर सहायता, पेटेंट एवं जी.आई. रजिस्ट्री शुल्क की प्रतिपूर्ति, क्लीन उत्पादन तकनीक पर प्रतिपूर्ति इत्यादि लाभ प्रदान किए जाने का प्रविधान है।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान

योजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के शिक्षित व प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजित करना है।

"एक जनपद एक उत्पाद" (कार्यक्रम)

योजनान्तर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों तथा हस्तशिल्पी इकाईयों के माध्यम से प्रदेश के समावेशी एवं सतत् आर्थिक विकास हेतु प्रत्येक जनपद से विशिष्ट पहचान रखने वाले उत्पादों का चयन करते हुए उनके कुशलतापूर्वक उत्पादन एवं विपणन हेतु वित्त पोषण, कौशल विकास, उत्पादन पद्धति/तकनीक/डिजाइन में सुधार, अवस्थापना एवं विपणन सुविधाओं का विकास, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी, आवश्यक सुविधाओं का विकास किया जाना।

1. 'एक जनपद-एक उत्पाद' कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्त पोषण सहायता योजना-

जनपद के चिन्हित ओ.डी.ओ.पी. उत्पादों के समग्र विकास हेतु विभिन्न विधाओं में कार्यरत अथवा कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिये वित्त पोषण की योजना लागू की गयी है, जिसके अन्तर्गत अधिकतम 25 प्रतिशत तक का उपादान देय है। योजनान्तर्गत वित्त पोषण के माध्यम से सहायता प्रदान करते हुए आर्थिक क्षमता में वृद्धि एवं अधिक से अधिक रोजगार सृजित करना

मुख्य उद्देश्य है।

2. 'एक जनपद-एक उत्पाद' कौशल उन्नयन व टूल-किट योजना-

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ओ.डी.ओ.पी. उत्पादों के निर्माण हेतु चिन्हित उत्पाद की विधा में उचित प्रशिक्षण एवं निःशुल्क आधुनिक टूल किट उपलब्ध कराकर उत्पाद की गुणवत्ता सुधार के साथ-साथ कम श्रम, लागत एवं कम समय में गुणात्मक उत्पादन सुनिश्चित कराया जा रहा है।

3. 'एक जनपद-एक उत्पाद' सामान्य सुविधा केन्द्र प्रोत्साहन योजना-

इस योजना के अन्तर्गत जनपद के चिन्हित उत्पादों के उत्पादन से लेकर विपणन तक के अवयवों जैसे- कच्चा माल, डिजाइन, गुणवत्ता सुधार, अनुसंधान एवं विकास, पर्यावरण एवं ऊर्जा संरक्षण, पैकेजिंग आदि की सुविधायें हेतु सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापित किये जाने का प्रविधान है। कुल 15 करोड़ रु. तक के लागत की परियोजनायें योजनान्तर्गत स्थापित की जा सकती है। उक्त हेतु प्रदेश सरकार द्वारा कुल परियोजना लागत का 90 प्रतिशत राज्य सरकार के अंशदान के रूप में उपलब्ध कराया जाता है।

4. 'एक जनपद-एक उत्पाद' विपणन प्रोत्साहन योजना-

इस योजना के अन्तर्गत चिन्हित उत्पादों को एक ब्राण्ड के रूप में स्थापित करने तथा विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मेला प्रदर्शनियों में प्रतिभाग करने तथा ई-मार्केटिंग के माध्यम से विपणन हेतु सुविधा प्रदान किये जाने का प्रविधान है। योजनान्तर्गत उक्त मेलों/प्रदर्शनियों में प्रतिभाग करने वाले इच्छुक हस्तशिल्पियों/उद्यमियों को मेला स्थल तक माल ढुलाई, स्टाल चार्जेज, यात्रा हेतु किया गया व्यय आदि हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उक्त के अतिरिक्त इलेक्ट्रानिक कामर्स की प्रतिष्ठित वेबसाईट अथवा पोर्टल के माध्यम से किये गये व्यवसाय में हुए व्यय का 75 प्रतिशत प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

हस्तकला विकास हेतु योजनाओं का विवरण

हस्तशिल्प उद्योग

उत्तर प्रदेश में हस्तशिल्प उद्योग की अपार सफलताएं एवं सम्भावनायें हैं और उत्तर प्रदेश अपनी परम्परागत शैली के कारण अपने हस्तशिल्प उद्योगों में विशिष्ट स्थान रखता है। मुख्यतः बनारसी शिल्प में ब्रोकड, भदोही व मिर्जापुर में कालीन, लखनऊ में चिकन तथा आगरा का कलात्मक संगमरमर का सामान, मुरादाबाद तथा वाराणसी में पीतल के पात्र, फिरोजाबाद में कलात्मक काँच की वस्तुयें एवं काँच की चूड़ियाँ तथा सहारनपुर में नक्काशीदार लकड़ी का सामान आदि की मांग अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक है। राज्य सरकार ऐसे हस्तशिल्प उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये अनवरत रूप से प्रयत्नशील रही है तथा इसके समुचित विकास हेतु योजनाबद्ध रूप से निम्न योजनायें चलायी जा रही हैं।

1. विशिष्ट हस्तशिल्प प्रादेशिक पुरस्कार योजना-

इस योजना का नाम विशिष्ट हस्तशिल्प प्रादेशिक पुरस्कार है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के उत्कृष्ट हस्तशिल्पियों को उच्च-कोटि की कलात्मक वस्तुओं के उत्पादन हेतु प्रोत्साहित

करना है। इसी उद्देश्य से उनके द्वारा निर्मित कलाकृतियों को उत्कृष्टता के आधार पर चयन कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

2. अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह का मनाया जाना-

यह योजना वर्ष 1961-62 से प्रारम्भ की गई। प्रदेश के विभिन्न हस्तशिल्पियों द्वारा निर्मित वस्तुओं को लोकप्रियता में उत्तरोत्तर वृद्धि करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार देश एवं प्रदेश में एक साथ दिनांक 8 दिसम्बर से 15 दिसम्बर तक अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रदर्शनी/गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है तथा जनपद के ख्याति प्राप्त अनुभवी शिल्पकारों की कार्य शालाओं का आयोजन किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में योजनान्तर्गत प्रदेश के 75 जिलों में उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र के द्वारा हस्तशिल्प सप्ताह दिनांक 8 दिसम्बर 2023 से 15 दिसम्बर 2023 तक मनाया गया है।

3. विशिष्ट शिल्पकारों के लिये पेंशन योजना-

शिल्पियों की बहुलता एवं उनके कला कौशल ने प्रदेश की शिल्प विधा एवं कलाकृतियों को अन्तर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है, किन्तु अपनी कार्य-परिस्थितियों व अस्वास्थ्यकर परिवेश में कार्य करने के कारण दस्तकारों की शारीरिक क्षमता अन्य क्षेत्रों के सापेक्ष समय से पहले ही कम हो जाती है। वे गिरते स्वास्थ्य एवं बढ़ती आयु के कारण शारीरिक रूप से शिथिल हो जाते हैं। फलतः उनकी आय जनन क्षमता भी घट जाती है। अतः उनके अनुत्पादक शेष जीवनकाल में राज्य सरकार से आर्थिक सहयोग आवश्यक है। इसी उद्देश्य से विशिष्ट शिल्पकारों के लिये पेंशन योजना संचालित की जा रही है।

4. हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना-

इसके अन्तर्गत शिल्पियों को कार्यशाला से प्रदर्शनी स्थल तक ले जाने वाले माल पर आने वाले परिवहन व्यय एवं स्टॉल के किराया की प्रतिपूर्ति हेतु अधिकतम रु. 10,000/- राज्य सहायता प्रदान की जायेगी।

सन्त रविदास नगर (भदोही) में कारपेट बाजार की स्थापना-

भदोही एक्सपो मार्ट की स्थापना का उद्देश्य इस स्थान पर निकटवर्ती क्षेत्रों से कारपेट और हैण्डलूम तथा अन्य हस्तशिल्प से जुड़े आर्टीजन्स के उत्पादों की प्रदर्शनी देशी व विदेशी क्रेता-विक्रेता सम्मेलन का आयोजन करेगा ताकि इस क्षेत्र में हस्तशिल्प व कालीन उत्पाद के विपणन को प्रोत्साहन प्राप्त हो और उत्पादकों को सीधे विपणन व निर्यात की सुविधा प्राप्त हो सके।

मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना-

हस्तशिल्पियों के जीवन स्तर व उनकी आर्थिक स्थिति में गुणात्मक सुधार लाने तथा पारम्परिक कलाओं को अक्षुण बनाये रखने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना लागू की गई है। योजनान्तर्गत चयनित हस्तशिल्पियों को रु. 500/- प्रतिमाह पेंशन दी जायेगी।

औद्योगिक आस्थान योजना

औद्योगिक आस्थान योजनान्तर्गत उद्योग विभाग द्वारा लघु उद्योगों के विकास हेतु प्रारम्भिक अवस्थापना आवश्यकता हेतु दीर्घ कालिक 15 वर्षों के आसान किश्तों पर भूखण्ड/शेड उपलब्ध कराये जाते हैं। औद्योगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक आस्थान योजना का शुभारम्भ द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया था। औद्योगिक आस्थान योजना के अन्तर्गत प्रदेश में लघु उद्योगों की स्थापना, विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए इच्छुक उद्यमियों को भूखण्ड एवं शेडों के साथ-साथ उनमें आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं को सुसज्जित कर उपलब्ध कराया जाता है।

औद्योगिक आस्थानों/मिनी औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं को उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की योजना

औद्योगिक आस्थानों में प्रारम्भ में विकसित की गयी अवस्थापना सुविधाएं (सड़क, सम्पर्क मार्ग, जल निकास, पुलिया, विद्युत फीडर एवं विद्युत लाइन) अत्यन्त क्षीण/जर्जर अवस्था में हो जाने के कारण विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा के युग में औद्योगिक आस्थानों में स्थापित लघु उद्यमियों को अपनी इकाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की नितान्त आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा "औद्योगिक आस्थानों की अवस्थापना सुविधाओं के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण" की योजनान्तर्गत वर्ष 2007-2008 से प्रत्येक वर्ष धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है।

निजी औद्योगिक पार्क विकास योजना (प्लेज)

प्रदेश के आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रदेश के नियोजित औद्योगिक विकास में निजी क्षेत्र के सहयोग की महती आवश्यकता के दृष्टिगत (प्लेज) निजी औद्योगिक आस्थानों के विकास की योजना प्रारम्भ की गयी है।

उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु उक्त योजना निजी प्रवर्तक के द्वारा बिल्ड, आउन, ऑपरेट (बीओओ) के आधार पर संचालित की जायेगी।

जिला उद्योग केन्द्र योजना

जिला उद्योग केन्द्र योजना का शुभारम्भ वर्ष 1978-79 में किया गया है। इस योजना का प्रारम्भ निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया है :

1. लघु एवं ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहित करके रोजगारों का अधिकाधिक सृजन एवं औद्योगीकरण की गति में अधिक तीव्रता लाना।

2. उद्योगों की स्थापना हेतु इच्छुक उद्यमियों को एक ही छत के नीचे उद्योग स्थापना की समस्त जानकारी एवं सभी सुविधाएं उपलब्ध कराना।

3. लघु एवं छोटे उद्योगों के विकास के लिये अवस्थापना का प्रबन्धन, तकनीकी उद्यमिता विकास तथा सर्वेक्षण करना।

4. लघु उद्यमियों की विभिन्न स्तरों पर अनुमतियाँ/स्वीकृतियाँ शीघ्र जारी करने के उद्देश्य से जिला उद्योग बन्धु की स्थापना प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में की गई है।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति को कार्यरूप देने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जनपद में

जिला उद्योग केन्द्र की स्थापना की गयी, जिन्हें अब जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्रों के नाम से जाना जाता है। इन जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्रों में लघु उद्योगों के अस्थायी/स्थायी पंजीकरण भूमि एवं भवन, कच्चा माल, मशीन यंत्र, उपकरण संयत्र तकनीकी मार्गदर्शन, ऋण एवं विद्युत आदि की सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।

जिला स्तर पर सिंगल टेबुल "निवेश मित्र पोर्ट" योजना

प्रदेश के आद्योगिक विकास में तीव्रता लाने एवं अनुकूल वातावरण सृजन करने, उद्यमियों की जिज्ञासाओं व समस्याओं को विभिन्न सम्बन्धित विभागों के निराकरण कराने एवं स्वीकृतियाँ प्रदान कराने इत्यादि को दृष्टिगत रखते हुए एकल मेज व्यवस्था के कार्यान्वियन का गठन शासन द्वारा किया गया है। इस योजना को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु निवेश मित्र पोर्टल का गठन किया गया है, जिसमें समस्त प्रक्रिया उद्यमी स्तर से ऑनलाइन की जाती है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला उद्योग बन्धु की बैठकें उद्यमियों की समस्याओं को समाधान कराने तथा एकल मेज व्यवस्था के अन्तर्गत समय से स्वीकृतियां जारी कराने के लिए प्रत्येक माह आयोजित की जाती है।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों के स्वरोजगार हेतु सामूहिक प्रशिक्षण योजना-

यह योजना विशेष रूप से अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के लिए क्रियान्वित की जा रही है। इस समुदाय के अधिकांश व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं तथा इनमें से अधिकांश व्यक्ति दूर-दराज गाँवों में रहते हैं। अतः यह आवश्यकता प्रतीत हुई कि ऐसे व्यक्तियों को चयनित कर उनमें स्किल्स डेवलपमेंट पैदा करने हेतु स्थानीय स्तर पर उद्यमियों की माँग के अनुसार व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाय। यह तभी सम्भव था, जब प्रशिक्षार्थियों को उनके घर से ट्रेनिंग सेन्टर तक आने जाने का किराया तथा दोपहर का भोजन एवं सायंकाल की चाय आदि के व्यय वहन किया जाय ताकि प्रशिक्षार्थियों पर किसी प्रकार का वित्तीय भार भी न आने पाये तथा वे प्रशिक्षणोंपरान्त स्वयं का उद्यम स्थापित कर रोजगारयुक्त हो सकें अथवा स्थानीय स्तर पर स्थापित/स्थापित होने वाले उद्योगों में सुगमता से रोजगार प्राप्त कर सकें। इस योजना के अन्तर्गत यह प्रयास है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अधिक से अधिक व्यक्तियों को योजना में आच्छादित किया जाय, ताकि वे प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रशिक्षणोंपरान्त एक कुशल कारीगर बन सकें।

अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों हेतु सामूहिक प्रशिक्षण योजना-

यह योजना अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए लागू की जा रही है। अन्य पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार युवाओं का स्किल डेवलपमेंन्ट कराकर उनकों स्वरोजगार से जोड़ना इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। योजनान्तर्गत प्रत्येक जिले की स्थानीय माँग के अनुरूप ट्रेडों का चयन कर विषय विशेषज्ञों/तकनीकी एक्सपर्ट के माध्यम से प्रशिक्षण कराया जाता है।

उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम-

प्रदेश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को दृष्टिगत रखते हुए औद्योगिक विकास को गति देने तथा

बेरोजगार शिक्षित/प्रशिक्षित एवं तकनीकी (कुशल/अकुशल) व्यक्तियों को अपना उद्यम स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करने एवं उन्हें स्वरोजगार युक्त बनाये जाने के दृष्टिकोण से यह योजना संचालित की जा रही है।

औद्योगिक इकाईयों को स्थापित करने तथा उनके सुगमतापूर्वक संचालन के लिए उद्यमियों को सभी प्रकार की जानकारी हो इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप उद्यमकर्ता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर उद्यमियों को प्रशिक्षण देकर उद्योग स्थापित करने हेतु प्रेरित किया जाता है। यह योजना जिला स्तर पर चलायी जा रही है। योजनान्तर्गत निर्धारित कार्यक्रमों का सम्पादन उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों के माध्यम से तथा प्रशिक्षणदायी संस्था उद्यमिता विकास संस्थान सरोजनी नगर लखनऊ द्वारा कराया जाता है।

उ.प्र. इन्स्टीट्यूट आफ डिजाइन (यू.पी.आई.डी.)-

प्रदेश के हस्तशिल्प व हैण्डलूम क्षेत्र में प्रशिक्षित डिजाइनरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ डिजाइन, अहमदाबाद के मार्गदर्शन में यू.पी.आई.डी.आर. की स्थापना की गयी है। यू.पी.आई.डी.आर., सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग के अधीन एक स्वायतशासी संस्था है जिसका उद्देश्य डिजाइन क्षेत्र में सार्टीफिकेट कोर्स, डिप्लोमा/स्नातक/परास्नातक कोर्सेज संचालित कर डिजाइन के क्षेत्र में प्रशिक्षित मैन पावर उपलब्ध कराना है।

केन्द्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान, खुर्जा, बुलन्दशहर (सी.जी.सी.आर.आई.)-

प्रदेश में निर्यातोन्मुखी पॉटरी उद्योग के गुणात्मक तकनीकी तथा उत्पादकता से जुड़े आधुनिकीकरण गुणवत्ता में नवीनता तथा नये उत्पादों हेतु प्रशिक्षार्थियों के प्रशिक्षण आदि क्रियाकलापों हेतु यह योजना वर्ष 1981-82 से संचालित है। इस संस्थान के वार्षिक व्ययों का 50 प्रतिशत अंश केन्द्रांश तथा 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा रु. 20.00 लाख मात्र राज्यांश के रूप में वहन किया जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश शासन एवं सी.जी.सी.आर.आई./सी.एम.आर. आई. के उच्चाधिकारियों के मध्य वर्ष 1979 से निर्णीत हैं।

उत्तर प्रदेश व्यापार प्रोत्साहन प्राधिकरण-

उद्योग निदेशालय के तत्वावधान में राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1994 में उ.प्र. व्यापार प्रोत्साहन प्राधिकरण का गठन सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम सं.-21, 1860 के अन्तर्गत उद्यमियों को प्रोत्साहित करने, इकाइयों की स्थापना किये जाने तथा उनके विपणन विषयक सहायता करने के उद्देश्य से किया गया था। देश की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने हेतु निर्यात उन्मूलक प्रभावी कदम उठाये गये है। जिसके क्रियान्वयन में उ.प्र. व्यापार प्रोत्साहन प्राधिकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है।

उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो-

प्रदेश से निर्यात में वृद्धि एवं निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य तथा निर्यातकों को उनके द्वारा किये जा रहे निर्यात से सम्बन्धित कार्यों हेतु राज्य/केन्द्र सरकार के अधीनस्थ विभिन्न विभागों से होने वाली कठिनाइयों/समस्याओं के निराकरण एवं सम्बन्धित विभागों के मध्य आपसी सामंजस्य बनाने तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु

वर्ष 1999 में निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो का गठन किया गया।

उद्यमिता विकास संस्थान, उ.प्र., लखनऊ-

उद्यमिता विकास संस्थान, उ.प्र. लखनऊ में उद्यमीय वातारवरण के सृजन एवं उद्यमिता विकास के क्षेत्र में एक शीर्ष संस्थान है। प्रशिक्षण, शोध, प्रकाशन, कार्यशाला, सेमीनार व गोष्ठी आदि के माध्यम से उद्यमिता संस्कृति को विकसित करना संस्थान का मुख्य उद्देश्य है। संस्थान की स्थापना उ.प्र. शासन द्वारा केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं (भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम) एवं दो व्यवसायिक बैंकों (भारतीय स्टेट बैंक तथा पंजाब नेशनल बैंक) के सहयोग से वर्ष 1986 में एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में की गई। संस्थान का मुख्यालय लखनऊ में एवं शाखा कार्यालय गोरखपुर, वाराणसी एवं गाजियाबाद में स्थित है। संस्थान द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सम्पादन के अतिरिक्त प्रदेश की आर्थिक व सामाजिक विकास की दिशा में विभिन्न स्तरों पर नीतिगत परामर्श एवं सुझाव दिये जाते हैं। संस्थान द्वारा भावी एवं कार्यशील उद्यमियों, शिक्षित-बेरोजगार युवाओं एवं युवतियों, अकुशल एवं अर्धकुशल कारीगरों, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों, विभिन्न संस्थाओं, महाविद्यालयों, तकनीकी संस्थाओं एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रशिक्षक, शिक्षकों एवं उत्प्रेरकों, औद्योगिक विकास से जुड़े विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं के अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय में ई-गवर्नेन्स की प्रगति-

प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने, वर्तमान योजनाओं का लाभ जन-जन तक सुलभ कराने, पूँजीनिवेश को बढ़ावा देने के लिए एवं उद्योग स्थापित करने को और अधिक सरल, सुगम बनाने के उद्देश्य से स्थापित वेब आधारित एकलमेज व्यवस्था "निवेशमित्र" के माध्यम से उद्यमियों को स्वीकृतियाँ/अनुमतियाँ/अनापत्तियाँ/प्रमाणपत्र समयबद्ध रूप से निर्गत करने की व्यवस्था सफलता पूर्वक समस्त जिलों में लागू है। शासकीय विभागों में सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेन्ट ई-मार्केटप्लेस (जेम) को भी विभाग द्वारा अंगीकृत किया गया है। उक्त के अतिरिक्त राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) के माध्यम से विकसित पोर्टल एमएसएमई डाट यूपी डाट जीओवी डाट इन के माध्यम से विभाग की महत्त्वपूर्ण योजनाओं/सेवाओं/व्यवस्थाओं यथा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद मार्जिन मनी योजना, एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना, एक जनपद एक उत्पाद सामान्य सुविधा केन्द्र (सीएफसी) प्रोत्साहन योजना, अनुसूचित जाति/जन जाति हेतु प्रशिक्षण योजना, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु प्रशिक्षण योजना, ओडीओपी विपणन विकास सहायता (एम.डी.ए.) योजना, मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना, विशिष्ट शिल्पकारों के लिए पेंशन योजना, उत्तर प्रदेश सूक्ष्म एवं लघु उद्योग तकनीकी उन्नयन योजना, हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना व 72 घण्टे में अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र निर्गमन व मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के आनलाइन संस्करण को भी आवेदन कर्ताओं हेतु सुलभ कराया गया।

●

सा ाजनिक उ ाम विभाग यरो

संक्षिप्त इतिहास :-

राज्य सरकार ने सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 15 जुलाई, 1974 द्वारा संशोधित सामान्य (प्रशासन पुनर्संगठन) विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 21 फरवरी, 1974 के माध्यम से सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को सचिवालय की मुख्य सचिव शाखा में एक प्रशासकीय इकाई के रूप में स्थापित किया। कालान्तर में सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों की संख्या में वृद्धि के प्रबन्धन कार्य में व्यवसायिक दृष्टिकोण एवं अधिक लचीलापन लाने के उद्देश्य से सचिवालय से पृथम ब्यूरो की एक तकनीकी शाखा के रूप में शासनादेा दिनांक 31.03.1981 द्वारा सार्वजनिक उद्यम विभाग के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को निदेशालय का स्तर प्रदान किया गया।

मुख्य कार्य योजनाएंः-

सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो/विभाग राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के नियमों/उपक्रमों एवं उनके प्रशासनिक विभागों के लिये तकनीकी परामर्शदाता के रूप में कार्य कर रहा है। सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो/विभाग द्वारा कोई विकास योजनायें आदि संचालित नहीं की जा रही हैं।

सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा किये जा रहे कार्यों का संक्षिप्त विवरणः-

सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो/विभाग प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों तथा उनके प्रशासनिक विभाग को विशेषज्ञ तकनीकी परामर्श प्रदान कर रहा है। वर्तमान में सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा मुख्यतः प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में शासनादेश में दी गयी व्यवस्थाओं के अन्तर्गत सातवां वेतनमान, छठा वेतनमान तथा विभिन्न वेतनमानों में मंहगाई भत्ते की अद्यतन किश्त लागू कराये जाने सम्बन्धी कार्य, सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के शीर्ष पदों पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति/चयन किये गये, उपक्रमों/निगमों के अवशेष लेखों को पूर्ण कराये जाने हेतु आवश्यक अनुसरण आदि मुख्य कार्यकलाप संचालित किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो/विभाग द्वारा उपक्रमों /निगमों एवं उनके प्रशासनिक विभाग द्वारा संदर्भित प्रकरणों पर निर्धारित नीतियों के अन्तर्गत परामर्श भी समय-समय पर प्रदान किया जाता है। वर्षानुवर्ष सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो में परामर्श सम्बन्धी कार्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है जो निम्नवत् हैः-

(क) अनुसरण एवं गहन अध्ययनः

सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उ.प्र. द्वारा उपक्रमों/निगमों के कार्य निष्पादन का त्रैमासिक आधार पर अनुश्रवण किया जाता है। इसके लिये ब्यूरो द्वारा उपक्रम विशेष के कार्यकलापों के अनुरूप रूप-पत्रों का निर्धारण किया जाता है। निगमों/उपक्रमों से इस रूप पत्रों पर सूचना प्राप्त कर उनका अनुश्रवण किया जाता है।

(ख) कार्मिक नीतियों के सम्बन्ध में:

समस्त सार्वजनिक उपक्रमों के कार्मिक नीतियों में एकरूपता लाने एवं उनके कार्यान्वयन में सिंगतियों के कम करने के उद्देश्य से वार्षिक नीतियों यथा संगठनात्मक ढांचा सेवा शर्तों तथा वेतन एवं भत्ते इत्यादि के सम्बन्ध में निर्देश जारी किया जाता है।

(ग) वित्तीय प्रबन्धः

सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो की परिधि में आने वाले उपक्रमों/निगमों द्वारा प्रेषित वित्तीय परिणामों के आधार पर फ्लैश रिजल्ट्स तैयार करना, वित्त आयोग तथा योजना आयोग से सम्बन्धित कार्य निगमों के अवशेष लेखों के अनुसरण इत्यादि का कार्य किया जाता है।

सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उ.प्र. द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में सम्पादित कार्यों का संक्षिप्त विवरणः

1. सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में मंहगाई भत्ता दिये जाने के प्रकरणों पर सार्वजनिक उद्यम विभाग पर गठित अधिकृत समिति द्वारा निगमों से प्राप्त प्रस्तावों पर बैठकें कराकर निर्णय लिये गये।
2. सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों से समबन्धित कार्मिक, वित्तीय एवं विधिक प्रकरणों पर निगमों के प्रशासनिक विभाग से प्राप्त प्रस्तावों पर शासन को विशेषज्ञ परामर्श प्रदान किया गया।
3. सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा कार्यरत 40 उपक्रमों/निगमों की वित्तीय स्थिति एवं कार्य चालन परिणाम के आधार पर फ्लैश रिजल्ट्स का संकलन कर प्राप्त सूचना का विश्लेषण एवं संहतीकरण कर इसके आचार पर संहत वित्तीय स्थिति बनायी गयी।
4. सार्वजनिक उपक्रमों की आहूत संचालक मण्डल की बैठकों में अधिकारियों द्वारा भाग लेकर विभागीय नीतियों एवं शासनादेशों का दृढ़ता पूर्वक प्रतिपादित किया गया।
5. सार्वजनिक उद्यम विभाग स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा विभिन्न उपक्रमों/निगमों के उच्च अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों के चयन की कार्यवाही करायी गयी।
6. सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों कार्यरत कार्मिक द्वारा समय-समय पर मा. न्यायालय में दाखिल की गयी रिट याचिकाओं के सम्बन्ध में ससमय प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया।
7. सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के कार्यकलापों की त्रैमासिक रिपोर्ट के आधार पर समीक्षा एवं अनुश्रवण किया गया।
8. सूचना का अधिकारी से सम्बन्धित प्रकरणों में सूचना उपलब्ध करायी गयी।
9. सार्वजनिक उद्यम विभाग के अधीन आडिट प्रकोष्ठ (वाणिज्यिक) स्थापित है विधान मण्डल स्तर पर गठित सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों की संयुक्त समिति द्वारा आयोजित बैठकों में समिति को सहयोग प्रदान किया गया।

●

भूतत्व एवं खनिकर्म

प्रदेश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के प्रमुख घटक खनिज संसाधनों की खोज एवं उनके व्यावसायिक स्तर के खनिज भण्डारों पर आधारित उद्योग की स्थापना हेतु शोध व अन्वेषण कार्य के निष्पादन के लिए वर्ष में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की स्थापना की गयी थी। वर्ष में इस निदेशालय को खनिजों एवं उप खनिजों के विकास व दोहन पर प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु खनन प्रशासन का दायित्व सौंपा गया है। वर्ष में निदेशालय में अभियांत्रिकी भू-विज्ञान से सम्बंधित अध्ययन तथा सर्वेक्षण का दायित्व सौंपा गया, जिससे कि क्षेत्रीय विकास में त्वरित गति से हो रहे निर्माण कार्यो के होने के फलस्वरूप पर्यावरण को होने वाली सम्भावित क्षति के कारणों का अध्ययन करके उसे न्यूनतम स्तर तक बनाये रखा जा सके। प्रदेश में खनिज सम्पदा का विकास व खनिज अनुसंधान के अन्तर्गत प्रदेश में पाये जाने वाले खनिज सम्पदा की खोज भूविज्ञान, भूभौतिकी रसायन एवं वेधन विधाओं के एकीकृत प्रयास से किया जाता है। खनिज सेक्टर में खनिज विकास के बढ़ते कार्यकलापों को उचित मार्गदर्शन करने हेतु वर्ष में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म को खनिज सेक्टर का विभागाध्यक्ष घोषित किया गया। वर्ष में पहली बार खनिजों के संतुलित विकास एवं खनिज आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु खनिज नीति घोषित की गयी और उसका समय-समय पर मूल्यांकन भी किया जा रहा है। खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए महत्त्वपूर्ण सूचनाएं निदेशालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करायी गयी हैं। इसके अतिरिक्त इच्छुक उद्यमियों को आवश्यकतानुसार खनिज आधारित उद्योग की स्थापना हेतु निदेशालय/शासन स्तर पर लगातार प्रयास किया जा रहा है।

जनपद सोनभद्र में कोयले के भण्डारों का दोहन भारत सरकार के संस्थान द्वारा किया जा रहा है।

विभाग के मूलभूत उद्देश्य

(क) खनिज अन्वेषण

प्रदेश में औद्योगिक विकास तथा व्यावसायिक दृष्टिकोण से उपयोगी खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु खनिज अन्वेषण कार्यक्रमों के अन्तर्गत नये खनिज भण्डारों की खोज एवं उपयुक्त खनिज भण्डारों का सिद्धीकरण किया जाना है।

(ख) खनन प्रशासन

खनन प्रशासन के अन्तर्गत खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम- ,

खनिज परिहार नियमावली , उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली- एवं उ0प्र0 खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, आदि के प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुये प्रदेश के विभिन्न जनपदों में ख़निजों के वैज्ञानिक ढंग से दोहन किये जाने के लिये परिहार पर स्वीकृत किये जाने हेतु विभाग द्वारा क्षेत्र की उपलब्धता, उपयुक्तता पर टिप्पणी सहित तकनीकी संस्तुतियां जिलाधिकारी/शासन को उपलब्ध करायी जाती हैं। खनिज परिहार पर स्वीकृत क्षेत्रों में हो रहे खनन कार्यों का समय-समय पर निरीक्षण/पर्यवेक्षण कर खानों को विनियमित किये जाने का कार्य सम्पादित किया जाता है, ताकि खनिज क्षेत्र का समुचित विकास हो सके एवं खनिजों के खनन से प्रदेश को अधिकाधिक राजस्व की प्राप्ति हो सके। वर्तमान में क्षेत्रीय कार्यालयों एवं क्वेरी कार्यालयों के माध्यम से खनिज क्षेत्रों को परिहार पर स्वीकृत कराये जाने हेतु संस्तुति की जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य जनपदों में भी निदेशालय के प्राविधिक कर्मचारियों को तैनात कर जिलाधिकारियों को खनन परिहार हेतु तकनीकी मार्गदर्शन/प्राविधिक आख्या/संस्तुति प्रदान की जाती है।

प्रदेश में खनन उद्योग में लगे खनन व्यवसायियों को प्रोत्साहित करने, खनन उद्योग में अधिक से अधिक रोज़गार सृजन, खनिज की उपलब्धता बनाये रखने तथा आम उपभोक्ताओं को सस्ते एवं सुलभ रूप में उपखनिज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभाग द्वारा निम्नवत् प्रयास किये गये हैं:-

1. उपखनिजों के परिवहन हेतु सिक्यूरिटी पेपर पर ई-एम0एम0-11 लागू किये जाने की व्यवस्था दिनांक 15.05.2023 से भण्डारण स्थल से उपखनिजों के परिवहन हेतु ई-फार्म-सी की व्यवस्था दिनांक 01.07.2020 से लागू की गयी है।
2. प्रदेश में अन्य राज्यों से आने वाले उपखनिजों के वाहनों पर विभागीय पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन विनियमन शुल्क जमा करा कर अन्तर्राज्यीय परिवहन प्रपत्र (आई0एस0टी0पी0) जनित किये जाने का प्राविधान माह, फरवरी, 2020 से किया गया है।
3. बालू/मोरम एवं स्वस्थाने चट्टान किस्म के उपखनिजों के खनन पट्टाधारकों को ऑनलाइन माध्यम से देय मासिक किश्तों के अग्रिम भुगतान की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।
4. खनिज से सम्बन्धित सेवाओं के ऑनलाइन निस्तारण के लिए माह जुलाई, 2020 में इन्टीग्रेटेड यूनिफाइड सिंगल इण्टरफेस ''यू.पी. माइन मित्रा'' ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है, जिसे यू0पी0 निवेश मित्रा से भी जोड़ा गया है। उक्त पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन क्रमशः निजी भूमि, कृषि भूमि, भवन एवं विकास परियोजना, भण्डारण लाइसेंस, साधारण मिट्टी की अनुमति प्रारम्भ की गयी है। ऑनलाइन आवेदित भूमि के सत्यापन हेतु राजस्व विभाग के भूलेख को ए.पी.आई. के. माध्यम से विभागीय पोर्टल से जोड़ा गया है।
5. खनिज वाहनों के ऑनलाइन जांच हेतु वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न जनपदों क्रमशः आगरा, बागपत, बलिया, बाँदा, बिजनौर, चित्रकूट, चंदौली, इटावा, फतेहपुर, हमीरपुर, जालौन, झाँसी, कौशाम्बी, ललितपुर, महोबा, मुरादाबाद, मिर्जापुर, मथुरा, प्रयागराज, रामपुर, सहारनपुर, सोनभद्र, शामली व उन्नाव में 56 स्थानों पर कैमरे एवं आर.एफ.आई.डी. रीडर

युक्त मानव रहित आई ओ टी/ ए आई आधारित चेक गेट स्थापित हैं, जिनसे प्राप्त डाटा के आधार पर ऑनलाइन ई-नोटिस,/चालान तथा ई-पेमेण्ट की कार्यवाही की जाती है। ई-एम. एम.-11 मॉड्यूल एन.आई.सी. द्वारा विकसित किया गया है, जिसे परिवहन मंत्रालय भारत सरकार के ए.पी.आई. से पोर्टल को जोड़ा गया है। परिवहन प्रपत्रों की वैधानिकता की जाँच के विभाग द्वारा मोबाइल एप "एम-चेक" विकसित किया गया है। प्रदेश के समस्त जनपदों को "एम-चेक" युक्त आर.एफ.आई.डी. हैण्ड रीडर दिये गये हैं, जिससे विभागीय अधिकारी सुगमता से खनिज वाहनों की वैधानिकता की जांच करते हैं। चेक गेट एवं एम-चेक एप के माध्यम से अवैध परिवहन की जाँच के क्रम में दिनांक 01.09.2021 से 31.12.2024 तक 1,61,241 खनिज लदे वाहनों में अनियमितता पाये जाने पर ई-नोटिस जारी कर रु. 657.96 करोड़ जुर्माने की वसूली की गयी है।

6. अवैध खनन/परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु इन्ट्रीग्रेटेड माईनिंग सर्विलांस सिस्टम (आई.एम.एस.एस.) विकसित किया गया है जिसके अन्तर्गत खनन क्षेत्रों की जियोफेंसिंग, कार्यरत बालू मोरम की खदानों पर पी.टी. जेड कैमरा, खनन क्षेत्र से निकासी स्थल पर खनिजों के वाहनों के तौल हेतु कैमरे युक्त वे ब्रिज स्थापित करते हुए इसे निदेशालय स्थित कमाण्ड सेण्टर से इन्ट्रीग्रेटेड किया गया है।

7. डी.एम.एफ. रूल्स में संशोधन कर डी.एम.एफ. से अवैध खनन/परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु तकनीकी अवसंरचनाओं के सृजन हेतु आवश्यक उपकरण एवं कार्मिक के मद में व्यय किये जाने का अधिकार जिलाधिकारियों को प्रदत्त हैं। जिसके अन्तर्गत कई जनपदों में ऑटोमेटेड चेकगेट कैमरे एवं अन्य संसाधन का उपयोग किया जा रहा है।

8. कार्यदायी संस्थाओं में आपूर्तित उपखनिजों के सापेक्ष ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत उ.प्र. के परिवहन प्रपत्र, अन्य प्रदेश के परिवहन प्रपत्र व अन्तर्राज्यीय परिवहन प्रपत्र (आई.एस.टी.पी.) का कार्यदायी संस्थाओं द्वारा स्वयं ऑनलाइन सत्यापन की व्यवस्था विभागीय पोर्टल यूपीएम आईएनईएस.यूपीएसडीसी.जीओवी.इन पर की गयी है।

9. कृषि भूमि का भूमिधर अपनी भूमि पर जमा बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी जो मिलीजुली अवस्था में हो, को हटाने के लिए तीन माह से अनाधिक अवधि के लिए भूमिधर के पक्ष में स्वामित्व की दो गुनी धनराशि को अग्रिम रूप से जमा कराकर, खनन अनुज्ञा-पत्र आनलाइन माध्यम से स्वीकृत किये जाने का प्राविधान किया गया है।

10. ईंट-मिट्टी पर देय रायल्टी के स्थान पर विनियमन शुल्क लिये जाने का प्राविधान किया गया है। उ.प्र. उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 यथासंशोधित के नियम-3 स्पष्टीकरण के अनुसार ईंट एवं मिट्टी के बर्तन बनाने हेतु साधारण मृदा एवं साधारण मिट्टी की खुदाई या उसके निष्कर्षण को खनन संक्रिया के रूप में नहीं माना गया है, जिससे ईंट मिट्टी निकासी की प्रक्रिया सुगम हुयी है। इसके साथ ही ईंट भट्ठों से विनियमन शुल्क ऑनलाइन जमा कराने की व्यवस्था विभागीय पोर्टल यूपीएमआईएनईएसयूपीएसडीसी.जीओवी.इन पर की गयी है।

11. उपखनिजों के ऑनलाइन बिक्री हेतु यूपी मिनिरल मार्ट, ई-कामर्स प्लेटफार्म फार बायर एण्ड सेलर (लेसी/स्टाकिस्ट) पोर्टल विकसित किया गया है।
12. वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु वार्षिक लक्ष्य रु. 5000.00 करोड़ निर्धारित थी, जिसके सापेक्ष रु0 3987.31 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो निर्धारित लक्ष्य का 79.74 प्रतिशत है।
13. प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में माह दिसम्बर, 2024 तक में अवैध खनन/परिवहन पर की गयी कार्यवाही का विवरणः-

क्र.सं.	वर्ष	प्रकरणों की संख्या	राजस्व क्षतिपूर्ति (रु. करोड़ में)	एफ.आई.आर./ परिवाद की सं.
1.	2023-24	57539	196.25	788
2.	2024-25 (माह दिसम्बर 2024 तक)	44103	180.53	1003

राजस्व वृद्धि के सम्बन्ध में विभाग द्वारा किये गये प्रयास :-

- दिनांक . . से उपखनिजों के परिवहन हेतु सिक्योरिटी पेपर पर ई-एम.एम.- तथा दिनांक 01.07.2020 से भण्डारण स्थल से परिवहन हेतु ई-फार्म-सी की व्यवस्था की गयी है।
- नये खनन क्षेत्रों को डी.एस.आर. में सम्मिलित किया जाना एवं डी.एस.आर. मोडिफिकेशन का कार्य निदेशालय की संस्तुति पर शासन के अनुमोदन से किया जाता था। वर्तमान में मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश एवं भारत सरकार की गाइड लाईन के अनुसार डी.एस. आर. अनुमोदन/मोडिफिकेशन/अपडेशन का कार्य एस.ई.आई.ए.ए. द्वारा किया जाता है।
- शासनादेश दिनांक 23.05.2020 द्वारा नदी तल स्थित उपखनिजों के निष्क्रिय खनन पट्टों को निरस्त कर तथा पूर्व में निरस्त किये गये खनन पट्टों से उत्पन्न स्थित क्षेत्रों को उपखनिज की उपलब्धता के दृष्टिगत ई निविदा के माध्यम से अल्प कालीन व्यवस्था अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र अधिकतम 06 माह की अवधि हेतु स्वीकृत करने के निर्देश समस्त जिलाधिकारियों को दिये गये।
- जनपद में डी.एस.आर. उपलब्ध उपखनिज के क्षेत्रों को दीर्घकालीन अथवा अल्पकालीन व्यवस्था के अन्तर्गत खनन परिहार पर व्यवस्थित करने हेतु निर्गत शासनादेशों के अन्तर्गत खनिज परिहार पर व्यवस्थित करने हेतु विज्ञप्ति कराये जाने के लिए जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है।
- नदी तल स्थित उपखनिज बालू/मोरम के खनन पट्टों पर देय धनराशि जो कि अग्रिम रूप से त्रैमासिक किश्त के रूप में लिये जाने के प्राविधान के कारण अधिकांशतः पट्टाधारकों द्वारा एकमुश्त बड़ी धनराशि को समय से जमा करने में असमर्थता के फलस्वरूप शासकीय देय काफी बढ़ रहा था। उक्त के दृष्टिगत दिनांक 01.06.2020 से मासिक किश्त का ऑनलाइन भुगतान किये जाने का प्राविधान किया गया, जिससे पट्टाधारकों द्वारा ससमय किश्तों के

भुगतान में वृद्धि हुई है।

- प्रदेश में इमारती पत्थर के स्वीकृत खनन पट्टों में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि के कारण पट्टाधारकों द्वारा खनन पट्टा विलेख के निष्पादन में रुचि नहीं ली जा रही थी, जिसके दृष्टिगत अधिसूचना दिनांक 24.09.2020 द्वारा स्वस्थाने चट्टान किस्म के पत्थर के खनिजों पर प्रथम 10 वर्षों के लिए संदेय धनराशि, बोलीदर अथवा समय-समय पर नियमावली में विनिर्दिष्ट रायल्टी दर जो भी अधिक हो, के आधार पर धनराशि जमा कराये जाने का प्राविधान किया गया है। इससे खनन पट्टा विलेख के निष्पादन में वृद्धि के साथ राज्य सरकार को प्राप्त होने वाले स्टाम्प ड्यूटी एवं राजस्व में वृद्धि हुयी है।
- जन सामान्य को उपलब्ध कराये जाने वाली समस्त सेवाओं को इज आफ डूइंग बिजनेस के अन्तर्गत एक छतरी के नीचे लाने हेतु यू.पी. माइनमित्रा पोर्टल एवं माइन मित्रा एप विकसित किया गया है। माइन मित्रा अन्तर्गत जन सामान्य/कृषकों हेतु ई-सेवाएं यथा आनलाइन लाईसेंस/आनलाइन परमिट की व्यवस्था है। कृषि भूमि, निजी भूमि, साधारण मिट्टी भवन/विकास परियोजनाओं हेतु खनन/परिवहन के लिए विभागीय पोर्टल पर आनलाइन आवेदन के माध्यम से खनन अनुज्ञा पर स्वीकृति किये जा रहे हैं।
- शासनादेश दिनांक 18.09.2020 जिसके द्वारा विभागीय पोर्टल यूपीमाइनमित्रा.इन पर साधारण मिट्टी के खनन एवं परिवहन हेतु पंजीकरण/आनलाइन आवेदन की पारदर्शी व्यवस्था दी गयी है।
- ईंट-भट्ठों का विवरण पोर्टल पर फीड करते हुए फरवरी, 2021 से विनियमन शुल्क ऑनलाइन जमा कराने हेतु समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है जिससे ईंट-भट्ठे की शत्-प्रतिशत धनराशि जमा हो सके।
- अवैध खनन/परिवहन तथा ओवरलोडिंग पर निगरानी एवं नियंत्रण हेतु शासनादेश दिनांक 29.11.2023 द्वारा आठ सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिससे पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, परिवहन विभाग, वन विभाग तथा खनन विभाग के अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल हैं।
- ऑनलाइन माध्यम से खनन योजना का अनुमोदन प्रदान किये जाने की सुविधा दिनांक 05.02.2021 से प्रारम्भ की गयी है।
- खनन संक्रिया से प्रभावित क्षेत्रों, व्यक्तियों के विकास एवं सुविधाओं हेतु "जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास नियमावली-2017" प्रख्यापित कर प्रदेश के प्रत्येक जनपदों में खनन क्षेत्रों के विकास का कार्य करते हुए कोविड-19 संक्रमण काल में डी.एम.एफ. निधि से चिकित्सा सम्बन्धी उपकरणों यथा ऑक्सीजन प्लाण्ट लगाने तथा दवाइयों के खरीद की सुविधा दी गयी।
- जनपद ललितपुर के सोनरई क्षेत्र में बिजावर समूह की चट्टानों में पाये जाने वाले फास्फोराइड के 05 भण्डारों को ग्लोबल टेण्डर के माध्यम से परिहार पर व्यवस्थित किया गया, जिसमें 05 क्षेत्रों में आशय पत्र (एल.ओ.आई.) निर्गत है।

- अवैध खनन/परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु इन्ट्रीग्रेटेड माईनिंग सर्विलांस सिस्टम विकसित किया गया है जिसके अन्तर्गत खनन क्षेत्रों की जियो-फेंसिंग, कार्यरत बालू/मोरम की खदानों पर पी टी जेड कैमरा खनन क्षेत्र से निकासी स्थल पर खनिजों के वाहनों के तौल हेतु कैमरे युक्त वे-ब्रिज स्थापित कराते हुए इसे निदेशालय स्थित कमाण्ड सेन्टर से इन्ट्रीग्रेट किया गया है। तथा वाहनों में वैहृकिल ट्रैकिंग सिस्टम (वी.टी.एस.) लगाया जाना प्रक्रियाधीन है।

कार्यक्रम/कार्यकलापवार उद्देश्यों की पूर्ति हेतु गत पाँच वित्तीय वर्षों के लक्ष्य व उपलब्धि तथा प्राविधानित परिव्यय व व्यय का विवरणः-

(क) खनिज अन्वेषणः-

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग एवं भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, उत्तरी क्षेत्र, लखनऊ भारत सरकार द्वारा प्रदेश के चुनिन्दा क्षेत्रों जैसे-बुन्देलखण्ड एवं दक्षिणी-पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुख्य खनिज के ब्लॉक खोजकर उनका ऑक्शन किया गया है।

उत्तर प्रदेश में अब तक चार चरणों की ई-नीलामी सम्पन्न हुई है, जिसमें से 06 ब्लॉक कम्पोजिट लाइसेन्स (सी.एल.) पर एवं 01 ब्लॉक खनन पट्टे (एम.एल.) पर नीलाम हुआ है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा प्रदेश के 03 ब्लॉकों की ई-नीलामी की गयी है। इस प्रकार प्रदेश में कुल 10 ब्लॉक नीलाम हुये हैं जिसें उर्वरक खनिज फास्फेट के 05 ब्लॉक, पोटाश खनिज का 01 ब्लॉक, लौह अयस्क का 02 ब्लॉक एवं स्वर्ण धातु के 02 ब्लॉक हैं। कम्पोजिट लाइसेन्स पर नीलाम हुये ब्लॉकों में भण्डार सिद्धिकरण का कार्य किया जा रहा है एवं खनन पट्टे के ब्लॉक हेतु पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त किया जाना प्रक्रियाधीन है।

प्रदेश में कुल 03 ब्लॉकों में से लाइमस्टोन का 01 ब्लॉक एवं लौह अयस्क का 02 ब्लॉक के ऑक्शन की तैयारी की जा रही है।

नेशनल मिनिरल एक्स्प्लोरेशन ट्रस्ट (एन.एम.ई.टी.) द्वारा दिये गये फन्ड से प्रदेश में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अन्वेषण संस्थाओं यथा जियोवेल, पश्चिम बंगाल द्वारा जनपद ललितपुर में बहुधात्विक खनिज का 01 ब्लॉक एवं जियोएक्पोर कर्नाटक द्वारा जनपद सोनभद्र में लौह अयस्क के 01 ब्लॉक के अन्वेषण का कार्य किया जा रहा है।

(ख) खनन प्रशासनः-

खनन प्रशासन कार्यों के अन्तर्गत मुख्यतः प्राविधिक दृष्टि से खनन क्षेत्रों का गठन, उनका नियमन, खनिजों से राजस्व प्राप्ति, उप खनिज सर्वेक्षण, खनन योजनाओं का अनुमोदन संबंधित कार्यों के अतिरिक्त खनन क्षेत्रों तथा जनपद कार्यालयों का निरीक्षण, खनिज राजस्व का अनुश्रवण एवं विभिन्न मा. न्यायालयों में लम्बित वादों का निस्तारण भी सम्मिलित है, आदि कार्य किये जाते हैं।

विकास के आगामी लक्ष्य तथा चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित कार्यक्रमः-

(क) खनिज अन्वेषण

वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभाग द्वारा खनिज अन्वेषण योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित 01 पुराने एवं 02 नये कुल 03 अन्वेषण कार्यक्रम निर्धारित हैं, जिन्हें राज्य भूवैज्ञानिक कार्यक्रयी

परिषद् के अनुमोदन के उपरान्त वर्ष 2025-26 में भी किया जाना प्रस्तावित है।

1. जनपद ललितपुर में पिपरिया व हंसरा क्षेत्र में ग्रेनेटिक काम्पलेक्स में प्लेटिनम समूह की धातुओं की खोज हेतु प्रारम्भिक अन्वेषण सम्बन्धी कार्य।
2. ललितपुर में अवस्थित विभिन्न प्रकार के ग्रेनाईट में खनिजों की जाँच हेतु प्रारम्भिक अन्वेषण सम्बन्धी कार्य।
3. जनपद सोनभद्र के तहसील दुद्धी एवं ओबरा में फ्लक्स/एस.एम.एस. ग्रेड डोलोमाइट के क्षेत्रों का प्रारम्भिक अन्वेषण सम्बन्धी कार्य।

(ख) खनन प्रशासनः-

खनन प्रशासन कार्यों के अन्तर्गत मुख्यतः प्राविधिक दृष्टि से खनन क्षेत्रों का गठन, उनका नियमन, खनिजों से राजस्व प्राप्ति, उप खनिज सर्वेक्षण, खनन योजनाओं का अनुमोदन संबंधित कार्यों के अतिरिक्त खनन क्षेत्रों तथा जनपद कार्यालयों का निरीक्षण, खनिज राजस्व का अनुश्रवण एवं विभिन्न मा. न्यायालयों में लम्बित वादों का निस्तारण भी सम्मिलित है, आदि कार्य किये जाते हैं।

आगामी लक्ष्य :-

प्रदेश में उपलब्ध उपखनिजों के अधिक से अधिक परिहार स्वीकृत किये जाने के दृष्टिगत बालू/मोरम एवं इमारती पत्थर के रिक्त क्षेत्रों को ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से विज्ञापित कर खनन पट्टे आवंटन की कार्यवाही की प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में शासन द्वारा रु. 5500.00 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। माह जनवरी, 2025 तक निर्धारित लक्ष्य रु. 4400.00 करोड़ के सापेक्ष रु. 3314.54 करोड़ की राजस्व प्राप्ति हुई है, जो माह जनवरी, 2025 तक निर्धारित लक्ष्य का 75.33 प्रतिशत है।

ई-गवर्नेन्स

निदेशालय अन्तर्गत ई-गवर्नेन्स को सफलतापूर्वक लागू करने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा तैयार किये गये मानव सम्पदा पोर्टल पर निदेशालय के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों की ई-सर्विस बुक तैयार की जा चुकी है। उक्त के अतिरिक्त मानव सम्पदा पोर्टल पर समूह-क व ख की वर्ष 2023-24 की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों का वर्क फलो तैयार कर वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों का मानव सम्पदा पोर्टल पर वर्ष 2023 के सापेक्ष चल अचल सम्पत्ति का विवरण शत-प्रतिशत दर्ज करवाया जा चुका है व वर्ष 2024 के सापेक्ष चल अचल सम्पत्ति का विवरण दर्ज करवाने की कार्यवाही प्रचलित है। ई-गर्वेन्स व शासन की मंशा के अनुरूप, पेपरलेस व्यवस्था को लागू करने के उद्देश्य से निदेशालय के अन्तर्गत समस्त अनुभागों से ई-ऑफिस व्यवस्था को लागू किया जा चुका है। जनसामान्य को विभागीय वेबसाइट डीजीएमयूपी.जीओवी.इन के माध्यम से विभाग से सम्बन्धित अधिसूचनाएं यथा खनन सम्बन्धी अधिसूचनाएँ, शासनादेश, नीतियों, प्रदेश में उपलब्ध अन्य खनिजों, मुख्य खनिज, अन्वेषण कार्यों, रासायनिक प्रयोगशाला सम्बन्धी जानकारी आदि उपलब्ध है।

●

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग द्वारा वर्तमान में कपड़े की वैश्विक एवं घरेलू बाजार में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा एवं उत्पादन क्षेत्र के तकनीकी विकास के परिदृश्य को ध्यान में रखते हुये ऐसी नीतियाँ और कार्यक्रम क्रियान्वित करने की योजना है, जिससे इस उद्योग में कार्यरत वस्त्र इकाइयों एवं बुनकरों को सहायता, समर्थन, प्रोत्साहन और तकनीकी सुविधा प्रदान की जा सके।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग द्वारा संचालित किये जा रहे कार्यक्रमों/योजनाओं का संक्षिप्त विवरणः-

1. राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रमः-

भारत सरकार द्वारा वी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यह पूर्ण रूप से केन्द्र सरकार की योजना है। योजनान्तर्गत प्रस्ताव राज्य सरकार के माध्यम से भारत सरकार को स्वीकृत हेतु प्रेषित किया जाता है। कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्न उप-घटक सम्मिलित हैं:

(1) क्लस्टर विकास कार्यकमः-

(i) स्माल कलस्टरः-

इस उप-घटक में ब्लाक स्तर पर हथकरघा बुनकरों को सम्मिलित कर स्माल क्लस्टर विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा क्लस्टर प्रदेश के विभिन्न जनपदों जैसे- कानपुर, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, अलीगढ़, हापुड़, चन्दौली, वाराणसी, बरेली, पीलीभीत, गाजीपुर, ललितपुर, मुरादाबाद, शामली, मेरठ, मऊ, आजमगढ़, झाँसी और अमरोहा में संचालित हैं।

(ii) मेगा हैण्डलूम कलस्टरः-

राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम अन्तर्गत मुरादाबाद एवं बिजनौर के हथकरघा बुनकरों को सम्मिलित करते हुये एक मेगा हैण्डलूम कलस्टर का प्रस्ताव परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त- मुरादाबाद के माध्यम से तैयार किया गया है। मेगा हैण्डलूम कलस्टर से लगभग , बुनकरों को लाभ होने की उम्मीद है।

(2) विपणन प्रोत्साहनः-

विपणन प्रोत्साहन उप-घटक के लाभ के लिये प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी समिति, शीर्ष बुनकर सहकारी समिति एवं राष्ट्रीय हथकरघा संगठन आदि को विगत तीन वर्षो के औसत बिक्री कारोबार का प्रतिशत की दर से प्रोत्साहन देय होगा। इसमें भारत सरकार का अंश

प्रतिशत तथा राज्य सरकार का अंश प्रतिशत का होगा।

(3) हथकरघा विपणन सहायता (मार्केटिंग प्रमोशन):-

हथकरघा विपणन सहायता योजना केन्द्र सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत हथकरघा समितियों/संस्थाओं को उनके उत्पादों की बिकी हेतु स्थल/स्टाल उपलब्ध कराया जाता है। भारत सरकार द्वारा स्पेशल हैण्डलूम एक्सपो/राष्ट्रीय स्तर के मेले, प्रदर्शनी लगाने हेतु शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्पेशल हैण्डलूम एक्सपो/राष्ट्रीय स्तर के मेले/प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है।

2. रियायती ऋण/बुनकर मुद्रा योजनाः-

भारत सरकार की इस योजना का उद्देश्य हथकरघा सेक्टर को बैंकों से रियायती ब्याज दर पर ऋण समय से उपलब्ध कराना है। योजनान्तर्गत व्यक्तिगत हथकरघा बुनकर, हथकरघा उद्यमी, स्वयं सहायता समूह, हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों सहित हथकरघा संगठन तथा हथकरघा उत्पादक कम्पनियाँ ऋण प्राप्त कर सकती हैं। योजनान्तर्गत अधिकतम 7 प्रतिशत ब्याज उपादान के साथ 6 प्रतिशत ब्याज दर पर हथकरघा बुनकरों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। मार्जिन मनी ऋण धनराशि का 2 प्रतिशत, व्यक्तिगत हथकरघा बुनकरों को अधिकतम रु 25, तक एवं हथकरघा संगठनों को अधिकतम रु 2 . लाख तक (प्रति 1 बुनकरों को रु 2 लाख की दर से) देय हैं।

3. बुनकरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सामूहिक बीमा योजनाः-

बुनकरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सामूहिक बीमा योजना भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से संचालित की जा रही है। योजना के घटक निम्नवत् हैं :-

विकास आयुक्त, हथकरघा वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा वित्तीय वर्ष - से - के लिए एन.एच.डी.पी. योजना की नई गाइड लाइन निर्गत की गयी है। जिसमें हथकरघा बुनकर कल्याण योजना के अन्तर्गत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पी.एम.जे.जे.बी.वाई.) एवं प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पी.एम.जे.जे.बी.वाई.) संचालित की जा रही है।

(राज्य सरकार की योजनायें)

1. उत्तर प्रदेश वस्त्र उद्योग नीति-2014 के अन्तर्गत ब्याज उपादान योजनाः-

योजनान्तर्गत पूर्वांचल, मध्यांचल एवं बुन्देलखंड में स्थापित होने वाली नई/विस्तारीकृत/विविधीकृत वस्त्र उद्योग यथा कताई (स्पिनिंग) निर्माण इकाइयों को इकाई की स्थापना हेतु बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर पर प्रतिशत की दर से अधिकतम वर्ष तक प्रतिपूर्ति किये जाने का प्राविधान है। इसकी अधिकतम सीमा प्रति वर्ष प्रति इकाई रु. करोड़ होगी। स्पिनिंग यूनिट को छोड़कर अन्य वस्त्र उद्योग की इकाईयों पर यह उपादान प्रतिशत की दर से अधिकतम वर्षों के लिए प्रति यूनिट अधिकतम . करोड़ होगी। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में स्थापित होने वाले वस्त्रोद्योगों को लिए प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा प्रति वर्ष प्रति इकाई रु. . लाख होगी।

2. पी.एम. मित्र पार्क के संचालन से सम्बन्धित विविध व्यय योजनाः-

पी.एम. मित्र पार्क के संचालन से सम्बन्धित विविध व्यय योजनान्तर्गत एस.पी.वी. का कार्यालय व्यय, योजना के प्रचार-प्रसार तथा समारोहों का आयोजन, पार्क की आवश्यक वैधानिक क्लियरेन्स हेतु शुल्क, कन्सल्टैनस का भुगतान, पी.एम.ए. एवं कम्पनी सेक्रेटरी, सी.ए. को सेवा शुल्क का भुगतान एवं अन्य व्यय सम्मिलित हैं।

3. हथकरघा क्षेत्र के प्रशिक्षार्थियों को सहायताः-

योजनान्तर्गत भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान चौकाघाट वाराणसी के द्वारा संचालित पाठ्यक्रम त्रिवर्षीय डिप्लोमा कोर्स के प्रशिक्षार्थियों हेतु प्रति वर्ष निर्धारित सीटों के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के प्रशिक्षार्थियों को : के आधार पर छात्रवृत्ति की धनराशि प्रदान की जाती है। जिसमें राज्यांश के रूप में प्रथम वर्ष,द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए रु. . प्रति छात्र की दर से माह (जुलाई से अप्रैल) के लिए छात्रवृत्ति की धनराशि प्रदान की जाती है।

4. राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मेलों का आयोजन एवं प्रतिभाग योजनाः-

प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-2025 में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मेलों के अन्तर्गत भारत टेक्स एवं यू.पी. इण्टरनेशनल ट्रेड महा कुम्भ मेला एवं अन्य मेलों का आयोजन किया जायेगा। हथकरघा वस्त्र उत्पादों, पावरलूम वस्त्रों, वस्त्र इकाईयों द्वारा उत्पादित विभिन्न प्रकार के वस्त्रों एवं तकनीकी वस्त्रों के राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार-प्रसार एवं मेलों का आयोजन किया जाता है, जिससे राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश के वस्त्र उत्पादों को ख्याति मिलेगी एवं वस्त्र उत्पादों की मांग बढ़ेगी तथा प्रदेश में वस्त्र क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी एवं प्रदेश में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

5. संत कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार योजनाः-

प्रदेश के हथकरघा बुनकरों को प्रोत्साहित करने एवं बुनकरों में प्रतिस्पर्धा लाने तथा उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित करने के लिये योजना संचालित की जा रही है। योजनान्तर्गत परिक्षेत्र स्तरीय तथा राज्य स्तरीय पुरस्कारों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी के लिये नगद पुरस्कार के साथ शील्ड, अंगवस्त्रम, प्रमाण-पत्र प्रदान करने की व्यवस्था है। परिक्षेत्रीय स्तर पर कुल पुरस्कार में प्रथम श्रेणी के बुनकरों को रु. , . प्रति बुनकर, द्वितीय श्रेणी के बुनकरों को रु. , . प्रति बुनकर एवं तृतीय श्रेणी के बुनकरों को रु. , . प्रति बुनकर तथा राज्य स्तर पर चयनित कुल बुनकरों को प्रथम श्रेणी के बुनकरों को रु. , . प्रति बुनकर द्वितीय श्रेणी के बुनकरों को रु. , . प्रति बुनकर एवं तृतीय श्रेणी के बुनकरों को रु. , . प्रति बुनकरों को पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

6. मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजनाः-

प्रदेश सरकार द्वारा पावरलूम बुनकरों की परम्परागत ऊर्जा स्रोत (बिजली) पर निर्भरता कम कर सौर ऊर्जा की तरफ से ले जाने हेतु योजना का संचालन किया जा रहा है। पावरलूम बुनकरों

को गैर पारम्परिक सौर ऊर्जा का लाभ दिलाने, पर्यावरण की रक्षा एवं बुनकरों को वस्त्र उत्पादन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा में बनाये रखने हेतु अनुदानित दर पर यूपीनेडा के माध्यम से आपूर्तिकर्ता का चयन कराकर आफ ग्रिड सोलर पावर प्लान्ट बैटरी सहित एवं आन ग्रिड सोलर पावर प्लान्ट, बैटरी रहित सोलर इन्वर्टर लाभार्थियों को प्रदान किये जायेंगें।

7. हथकरघा बुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्तिः-

योजनान्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष - से हथकरघा बुनकरों को पावरलूम बुनकरों की भांति विद्युत सब्सिडी उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है। योजनान्तर्गत बुनकरों को रु. /- प्रतिमाह एवं रु. /- वार्षिक की दर से विद्युत बिलों में छूट प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष - में धनराशि रु. . लाख की स्वीकृति शासन से प्राप्त हुई। स्वीकृति धनराशि से 12703 हथकरघा बुनकरों को लाभान्वित कराने हेतु प्रथम किस्त रु. 1968/- प्रति बुनकर की दर से कुल रु. . लाख का व्यय किया गया तथा धनराशि सीधे हथकरघा बुनकरों के खाते में स्थानान्तरित की जा चुकी है। द्वितीय किस्त की धनराशि का भुगतान मार्च- में किया जायेगा।

8. धुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति योजनाः-

योजनान्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रदेश के धुनकरों को विद्युत दर में छूट दिये जाने का निर्णय लिया गया था। योजना की नई गाइड लाइन्स के अनुसार कोई भी लाभार्थी पात्रता की श्रेणी में नहीं आ रहा है। योजना की नई गाइडलाइन्स के अनुसार प्रस्ताव प्राप्त होने की प्रत्याशा में वित्तीय वर्ष 2025-2026 में धुनकरों को विद्युत कर में छूट की प्रतिपूर्ति का संचालन किया जा रहा है।

9. मुख्यमंत्री पावरलूम उद्योग विकास योजनाः-

योजनान्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री पावरलूम विकास योजना प्रदेश के परम्परागत पावरलूम उद्योग एवं हैण्डलूम उद्योग को आधुनिक एवं उच्चीकृत कर आधुनिक पावरलूम एवं हैण्डलूम में परिवर्तित कर उनके आर्थिक व सामाजिक जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु संचालित किया जाना प्रस्तावित है। योजनान्तर्गत पावरलूम बुनकरों को निम्नलिखित मदों में लाभान्वित कराया जायेगा। . आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण . कार्यशाला का निर्माण . उच्चीकृत पावरलूम की स्थापना जिसमें प्रतिशत प्रदेश सरकार द्वारा तथा प्रतिशत बुनकर अंश के रूप में वहन किये जाने का प्रस्ताव है एवं हथकरघा बुनकरों को कार्यशाला निर्माण एवं उच्चीकृत हथकरघा की स्थापना आदि में उच्चीकृत आधुनिक हथकरघा की स्थापना में प्रतिशत तथा राज्य सरकार प्रतिशत बुनकर अंश के रूप में वहन किये जाने का प्रस्ताव है।

10. प्रदेश में संचालित पावलूमों की जियोटैगिंग योजना :-

योजनान्तर्गत उ.प्र. के पावरलूम उद्योग में पावरलूम की पहचान करने में पावरलूम के तकनीकी उन्नयन एवं इस क्षेत्र में विभिन्न नीतिगत निर्णयों को लागू कराने के लिये उनका सर्वेक्षण किया जाना आवश्यक है। इसी दिशा में तेलांगना राज्य द्वारा पावरलूमों के विभिन्न डाटा की

जियोटैगिंग करायी जा चुकी है। भारत सरकार द्वारा अन्य राज्यों से भी पावरलूमों की जियोटैगिंग कराने हेतु अपेक्षित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया है। वर्तमान में यूपिकार्न संस्था द्वारा प्रदेश में संचालित पावरलूमों की जियोटैगिंग का कार्य कराया जा रहा है।

11. अटल बिहारी बाजपेई पावरलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजनाः-

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के पावरलूम बुनकरों के विद्युत बिलों में छूट दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 से अटल बिहारी बाजपेई पावरलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है। योजना का क्रियान्वयन हथकरघा विभाग द्वारा परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त एवं ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के सहयोग से पावरलूम बुनकरों को लाभान्वित कराया जाता है।

12. उत्तर प्रदेश हथकरघा, पावरलूम रेशम, एवं वस्त्र नीति-2017ः-

योजनान्तर्गत वस्त्र इकाईयों के प्राप्त प्रस्तावों से सम्बन्धित टेक्सटाइल एवं गारमेटिंग पालिसी-2017 के अन्तर्गत वित्तीय सुविधायें यथा पूँजीगत उपादान, ब्याज उपादान, माल-भाड़े की प्रतिपूर्ति ई.पी.एफ. प्रतिपूर्ति आदि प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में वस्त्र उद्योग इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने एवं पूँजी निवेश को आकर्षित करने तथा अधिकाधिक रोजगार सृजन करने हेतु वस्त्र एवं गारमेन्टिंग पालिसी के अन्तर्गत सभी वित्तीय सुविधाएं एवं उपादान योजनाओं का लाभ अनुमन्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में उत्तर प्रदेश हथकरघा, पावरलूम, रेशम एवं वस्त्र नीति-2017 के अन्तर्गत धनराशि रु. 2500.00 लाख (रुपये पच्चीस करोड़ मात्र) का बजट प्राविधान कराया गया है।

13. उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं गारमेन्टिंग पालिसी-2022ः-

राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में वस्त्र उद्योग इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने एवं पूंजी निवेश को आकर्षित करने तथा अधिकाधिक रोजगार सृजन करने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष - में "उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं गारमेन्टिंग पॉलिसी- " को शासन द्वारा दिनांक अक्टूबर, को प्रख्यापित की जा चुकी है। नीति के अन्तर्गत वस्त्र इकाईयों को निम्न वित्तीय सुविधायें अनुमन्य की गई हैः-

. भूमि लागत अनुदान . स्टाम्प ड्यूटी में छूट . पूँजीगत उपादान . अवस्थापना सुविधाओं हेतु अनुदान . प्लान्ट एवं मशीनरी हेतु ब्याज उपादान . रोजगार सृजन अनुदान . मालभाड़ा प्रतिपूर्ति . विपणन प्रोत्साहन।

14. निजी टेक्सटाइल पार्क में सड़क विद्युत लाइन, स्वतन्त्र विद्युत फीडर, ट्रांसफार्मर/विद्युत उपकेन्द्र की व्यवस्थाः-

उ.प्र. वस्त्र एवं गारमेंन्टिंग पालिसी- के अन्तर्गत अधिक से अधिक रोजगार सृजित करने हेतु सरकार एफ्लूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान तथा प्लग एण्ड प्ले सुविधाओं के साथ न्यूनतम एकड़ क्षेत्रफल में सार्वजनिक निजी भागीदारी रीति से एकीकृत वस्त्र एवं परिधान पार्क के विकास को बढ़ावा दिये जाने की व्यवस्था उ.प्र. वस्त्र एवं गारमेन्टिंग पॉलिसी में की गयी है। इसके साथ

ही पॉलिसी के अन्तर्गत यह भी प्राविधान किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा टेक्सटाईल पार्क को जोड़ने वाली मौजूदा सड़क को मजबूत करने एवं निजी पार्क के लिए आवश्यक विद्युत लाइन तथा अलग से स्वतंत्र विद्युत फीडर एवं ट्रांसफार्मर/विद्युत उपकेन्द्र की व्यवस्था की जायेगी।

15. पी.एम. मित्र योजनान्तर्गत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना से सम्बन्धित विविध व्ययः-

पी.एम. मित्र योजनान्तर्गत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना से सम्बन्धित अन्य विविध व्ययों का भुगतान योजनान्तर्गत ऐसे व्यय जिनसे पूंजी का सृजन सम्भावित है, का वहन इस योजनान्तर्गत किया जायेगा। योजनान्तर्गत जल की व्यवस्था एवं विद्युत सब-स्टेशन की स्थापना, बाउण्ड्री आदि सम्मिलित है। पार्क में स्थापित होने वाली इकाईयों के औद्योगिक उपयोग हेतु जल की व्यवस्था हेतु आवश्यक धनराशि का भुगतान सिंचाई विभाग को किया जायेगा। विद्युत सब-स्टेशन की स्थापना हेतु आवश्यक धनराशि का भुगतान उ.प्र पावर कारपोरेशन को किया जायेगा।

16. झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावरलूम विकास योजना (एस.सी.पी.):-

प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के हथकरघा एवं पावरलूम बुनकरों को परम्परागत हथकरघा एवं पावरलूम को स्थान पर उच्चीकृत हथकरघा एवं उच्चीकृत नवीन पावरलूम, सेमी आटोमेटिक पावरलूम तथा आटोमेटिक पावरलूम स्थापित कर उनके आर्थिक एवं सामाजिक जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु प्रस्तावित की गई है। योजनान्तर्गत हथकरघा/पावरलूम बुनकरों को निम्नलिखित मदों में लाभान्वित कराया जाना है। तकनीकी प्रशिक्षण, कार्यशाला निर्माण हथकरघा अथवा उच्चीकृत पावरलूम की स्थापना आदि। हथकरघा की स्थापना में प्रदेश सरकार तथा बुनकर अंश के रूप में वहन किये जाने का प्रस्ताव है तथा उच्चीकृत पावरलूम की स्थापना में प्रदेश सरकार, लाभार्थी अंश तथा बैंक से ऋण के रूप में वहन किये जाने का प्रस्ताव है।

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिये प्रस्तावित नई योजनायें

उत्तर प्रदेश सरकार का उद्देश्य वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र को सशक्त बनाना है। इस योजना का उद्देश्य विश्वस्तरीय वस्त्र एवं परिधान पार्क विकसित करना है, जो प्रदेश में वस्त्र उद्योग को अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा और व्यवसायिक प्रतिस्पर्द्धा हेतु वैश्विक स्तर का वातावरण प्रदान करेगा। इस योजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की भागीदारी से राज्य सरकार की उपलब्ध भूमि पर वस्त्र एवं परिधान पार्क स्थापित किया जायेगा। इस योजना के माध्यम से प्रदेश में सार्वजनिक-निजी-सहभागिता से उपलब्ध सरकारी भूमि पर विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त टेक्सटाइल एवं अपैरल पार्क स्थापित किया जाना है, जिससे कि प्रदेश में स्थापित होने वाली टेक्सटाइल एवं अपैरल इकाइयों को कम लागत पर भूमि प्रदान किया जाना सम्भव हो सके।

●

खादी एवं ग्रामोद्योग

उ.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्डः-

बोर्ड का संक्षिप्त विवरणः-

प्रदेश में खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र के चतुर्मुखी विकास के लिए उ.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग अधिनियम- (अधिनियम संख्या- सन्) के अन्तर्गत बोर्ड का गठन एक सलाहकार परिषद के रूप में हुआ था। तदोपरान्त उ.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) अधिनियम- (अधिनियम संख्या- सन्) द्वारा बोर्ड को खादी तथा ग्रामोद्योग की योजनाओं को क्रियान्वित करने का अधिकार भी प्रदान किया गया। इस प्रकार उ.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड एक कानूनी निकाय के रूप में पुनर्गठित हुआ तथा अप्रैल, में उद्योग निदेशालय, उ.प्र. से समस्त खादी व ग्रामोद्योगी योजनाएं बोर्ड को स्थानान्तरित कर दी गयीं।

बोर्ड के उद्देश्यः-

खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कम पूँजी निवेश वाले छोटे-छोटे उद्योगों की स्थापना के माध्यम से अधिक से अधिक रोज़गार के अवसरों का सृजन कराना तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत बनाना है।

वित्त पोषण हेतु अनुमन्य उद्योग धन्धे-

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा खादी एवं ग्राम उद्योगों को निम्न सात वर्गो में बांटा गया हैः-

1. कृषि आधारित उद्योग-खादी, मौनपालन, तेलघानी, गुड़-खांडसारी, अनाजदाल, जड़ी-बूटी, फल-प्रशोधन आदि।
2. खनिज आधारित उद्योग-कुम्हारी, चूना, पत्थर की वस्तुएं आदि।
3. वनाधारित उद्योग-हाथ कागज़, माचिस/अगरबत्ती, लाख, बांस-बेंत, कत्था, गोंद, रेजिन, आयुर्वेदिक दवाइयां, रेशा उद्योग आदि।
4. पॉलीमार तथा रसायन-अखाद्य तेल, साबुन, खाद्य तेल उत्पादन, रबर आधारित उद्योग, हाथी दांत आदि।
5. यांत्रिक एवं वैकल्पिक ऊर्जा-लौह, काष्ठ, अल्यूमिनियम, तांबे, पीतल आधारित उद्योग, काँसे के बर्तन आदि।
6. वस्त्र उद्योग-सिलाई, पोलीवस्त्र, होज़री आदि।
7. सेवा उद्योग-धोबी, नाई, सौन्दर्य प्रसाधन केन्द्र, नलसाजी, बिजली उपकरण, आडियो तथा

डीजल इंजन मरम्मत आदि।

खादी तथा ग्रामोद्योग की परिभाषायें:-

"खादी" का तात्पर्य, कपास, रेशम या ऊन के हाथ कते सूत अथवा इनमें से दो या सभी प्रकार के सूतों के मिश्रण से भारत में हथकरघे पर बुने गये वस्त्र से है।

"ग्रामोद्योग" का तात्पर्य किसी ऐसे उद्योग जो ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हो तथा जो विद्युत के उपयोग या बिना उपयोग के कोई माल तैयार करता हो या कोई सेवा प्रदान करता हो तथा जिसमें स्थाई पूँजीनिवेश (संयंत्र तथा मशीनरी एवं भूमि भवन) प्रति कारीगर एक लाख रुपये से अधिक न हो, से है। "ग्रामीण क्षेत्र" का तात्पर्य समस्त राजस्व ग्राम तथा 20 हज़ार तक की आबादी वाले कस्बों से है।

विभागीय कार्यकलाप

खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का उद्‌देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कम पूंजी निवेश वाले छोटे-छोटे उद्योगों की स्थापना के माध्यम से अधिक से अधिक रोज़गार के अवसरों का सृजन करना तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत बनाना है।

बोर्ड के कार्यों को संक्षिप्त विवरण:-

बोर्ड अधिनियम की धारा-15 के अनुसार बोर्ड के निम्नलिखित कार्य हैं:-

1. प्रदेश में खादी तथा ग्रामोद्योग की स्थापना, इसका संगठन विकास एवं विनियमन करना तथा अपने द्वारा बनायी गई योजनाओं को क्रियान्वित करना।
2. खादी के उत्पादन एवं अन्य ग्रामोद्योग में लगे हुए अथवा उसमें अभिरूचि रखने वाले व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना बनाना तथा उनका संगठन करना।
3. कच्चे माल तथा उपकरणों की व्यवस्था के लिये सुरक्षित भण्डार बनवाना और उन्हें खादी के उत्पादन अथवा ग्रामोद्योग में लगे हुए व्यक्तियों को ऐसी मितव्ययी दरों पर देना जो बोर्ड की राय में उपयुक्त हों।
4. खादी एवं ग्रामोद्योगी वस्तुओं के प्रचार तथा क्रय-विक्रय की व्यवस्था करना।
5. खादी उत्पादन की विधियों में अनुसंधान करना एवं अन्य ग्रामोद्योग विकास से सम्बन्धित समस्याओं के लिए समाधान सुनिश्चित करना।
6. खादी तथा ग्रामोद्योग वस्तुओं के विकास के लिये स्थापित संस्थाओं का अनुश्रवण करना या उनके अनुरक्षण में सहायता करना।
7. खादी एवं ग्रामोद्योगी वस्तुओं का उत्पादन कार्य करना, उनके लिये सहायता देना और प्रोत्साहन प्रदान करना।
8. खादी के कार्य तथा ग्रामोद्योग में लगे व्यक्तियों और संस्थाओं जिनके अन्तर्गत सहकारी समितियां भी हैं, से समन्वय करना।
9. खादी निर्माताओं द्वारा ग्रामोद्योगों में लगे व्यक्तियों से सहकारी प्रयास को बढ़ावा देना तथा उसे प्रोत्साहित करना।

10. किसी अन्य विषय का कार्यान्वयन, जो राज्य सरकार द्वारा नियमों के अन्तर्गत निर्धारित किया जाय।

विभाग द्वारा संचालित योजनाएं

1. मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना :-

उ.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित/तकनीकी/व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त बेरोज़गार नवयुवकों एवं नवयुवितियों को गांव में ही रोज़गार उपलब्ध कराने के उद्देख्य से मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोज़गार योजना वर्ष 2005 से संचालित है। योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के परम्परागत कारीगरों, बेरोज़गार नवयुवक/नवयुवतियों को रु. 10.00 लाख तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है तथा पूंजीगत ऋण पर सामान्य (पुरूष) श्रेणी के उद्यमियों को 4 प्रतिशत ब्याज से ऊपर का ब्याज एवं आरक्षित श्रेणी के उद्यमियों द्वारा बैंकों को देय समस्त ब्याज, अनुदान के रूप में भुगतान किये जाने का प्राविधान है।

2. प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम योजनाः-

प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम योजना पूर्णतया भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एक महत्वपूर्ण स्वरोज़गार की योजना है, जिसका संचालन प्रदेश में तीन एजेन्सियों क्रमशः जिला उद्योग केन्द्र, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, एवं उ.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा किया जाता है। योजनान्तर्गत रु. 50.00 लाख तक की परियोजनाओं हेतु ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के उद्यमियों को बैंकों के माध यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। परियोजना लागत के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र के सामान्य पुरूष को 25 प्रतिशत व महिला एवं आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों को 35 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्र के उद्यमियों को क्रमशः 15 एवं 25 प्रतिशत का मार्जिन मनी अनुदान उपलब्ध कराया जाता है, जो इकाई के सफलतापूर्वक 03 वर्ष तक संचालित रहने पर छूट में परिवर्तित हो जाती है।

3. पं. दीनदयाल ग्रामोद्योग रोज़गार योजनाः-

योजनान्तर्गत प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम की वित्तपोषित ग्रामीण क्षेत्र की रु. 25.00 लाख तक की परियोजना पर मार्जिन मनी सब्सिडी एवं उद्यमी अंशदान को घटाने के बाद अवशेष ऋण धनराशि पर ब्याज उपादान (अधिकतम 13 प्रतिशत तक) की सुविधा ऋण के प्रथम वितरण की तिथि से तीन वर्षों तक प्रदान की जाती है।

4. पं. दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता योजनाः-

योजनान्तर्गत खादी संस्थाओं को खादी उत्पादन पर 15 प्रतिशत की छूट पूरे वर्ष उपलब्ध करायी जाती है जिसमें 1/3 भाग सीधे कत्तिन एवं बुनकरों को उनके द्वारा उत्पादित खादी (धागा एवं वस्त्र) के अनुपात में उपलब्ध करायी जाती है तथा 1/3 भाग संस्था को बिक्री प्रमोशन के लिए एवं 1/3 भाग संस्था को उत्पादन बढ़ाये जाने हेतु अवस्थापना व्यय के रूप में दी जाती है।

5. व्यवहारिक प्रशिक्षण योजनाः-

मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोज़गार योजनान्तर्गत मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से 10 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित कर वित्त पोषित इकाईयों हेतु उद्यमियों को उद्योग स्थापना से संबंधित समस्त

जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। प्रशिक्षण में कच्चे माल से लेकर उत्पादन, विपणन तथा समस्त करों के संबंध में विशेषज्ञों के माध्यम से जानकारी प्रदान की जाती है ताकि उद्यमी अपना उद्योग सुचारू रूप से संचालित करते हुए आत्मनिर्भर बन सके।

6. कौशल सुधार प्रशिक्षण योजनाः-

योजनान्तर्गत सामान्य, पिछड़ी, अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के 18 से 40 वर्ष के पुरूष व महिला लाभार्भियों को उनमें निहित कौशल विकास हेतु "स्किल अपग्रेडेशन एण्ड प्रमोशन हेतु प्रदेश से सभी 75 जनपदों में स्थापित 11 मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से संचालित किये जाते हैं।" प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थियों/उद्यमियों को उत्पादन से लेकर बिक्री करने की पूर्ण जानकारी देते हुए उन्हें स्वरोज़गार स्थापित कर स्वावलम्बी बनाने हेतु प्रेरित किया जाता है जिससे वे स्वयं का उद्योग स्थापित कर सकें। उद्योग लगाने के इच्छुक उद्यमियों को वित्तीय सहायता हेतु प्रदेश सरकार/भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के संबंध में भी पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराकर उद्योग स्थापना तक सहयोग किया जाता है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से जहाँ लाभार्थियों के आधुनिक तकनीक की जानकारी एवं उनके कौशल में वृद्धि होती है, वहीं उद्यमियों को अच्छे एवं गुणवत्तायुक्त उत्पाद तैयार करने में सहायता मिलती है।

7. ग्रामोद्योग प्रदर्शनियों एवं जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजनः-

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु जनपदों में जागरूकता कार्यक्रमों तथा खादी एवं ग्रामोद्योगी इकाइयों को प्रदेश के विभिन्न मण्डलों/जनपदों में आयोजित होने वाली प्रदर्शनियों के माध्यम से उनके द्वारा निर्मित उत्पादों के प्रदर्शन एवं विपणन की सुविधा उपलब्ध कराना तथा सफल उद्यमियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता एवं अन्य तकनीकी जानकारी प्रदान करना है, ताकि वे अपने उत्पादों में बाज़ार की माँग के अनुरूप सुधार कर सकें, साथ ही ग्रामोद्योगी इकाइयों के उत्पादों की बिक्री करने का सशक्त मंच उन्हें प्राप्त हो सके।

8. विभागीय कम्बल उत्पादन केन्द्र :-

उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थित विभाग कम्बल उत्पादन केन्द्र काफी लम्बे समय से बन्द चल रहे थे। वित्तीय वर्ष 2018-19 में समस्त कम्बल कारखानों का पुनरूद्धार कराते हुए कम्बल कारखानों को संचालित कराया गया है तथा वर्तमान में उत्पादन कार्य प्रारम्भ है।

9. खादी के शोध, डिज़ाइन, मानकीकरण एवं प्रचार-प्रसारः-

खादी वस्त्रों को लोकप्रिय बनाये जाने हेतु विभाग द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टैक्नोलॉजी (निफ्ट), रायबरेली के सहयोग से खादी वस्त्रों की डिज़ानिंग, कटिंग, सिलाई, पैकेजिंग इत्यादि का प्रशिक्षण दिलाया जाता है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में धनराशि रु.36.00 लाख के व्यय से 40 कामगारों को प्रशिक्षण दिलाया गया।

10. उत्पाद विकास मानकीकरण एवं गुणवत्ता, विनिश्चयः-

योजनान्तर्गत प्रदेश में शहद उत्पादन को बढ़ावा दिये जाने हेतु उक्त कार्य में लगे लाभार्थियों को 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिलाकर हनी बॉक्स मधुमक्खी सहित एवं सम्बन्धित टूल-किट्स (1 यूनिट) का वितरण कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक 564 लाभार्थियों को

3320 हनी बॉक्स (स्मोकर, मुंह रक्षक जाली, हनी एक्स्ट्रैक्टर एवं स्टैण्ड) मधुमक्खी सहित वितरण कराया गया।

11. ग्रामीण उद्यमियों का पुरस्कार योजना :-

खादी ग्रामोद्योग सेक्टर में उत्कृष्ट कार्य करने वाले उद्यमियों, एक्सपोर्ट तथा विपणन विकास में अग्रणी संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उन्हें पुरस्कार के माध्यम से प्रोत्साहित किये जाने से उक्त योजना संचालित है।

12. हाथ कागज़ उत्पादन केन्द्र, कालपी-जालौनः-

हाथ कागज उद्योग भारत का प्राचीन उद्योग है जिसे अपशिष्ट उत्पादों को रिसाइकिलिंग कर तैयार किया जाता है। जहाँ एक ओर हाथ कागज़ पर्यावरण के अनुकूल एवं प्रदूषण मुक्त है, वहीं दूसरी ओर एसिड की एवं फैक्ट्रियों में निर्मित होने वाले कागज़ की तुलना में अत्यधिक मज़बूत एवं उच्च गुणवत्तायुक्त होता है। हाथ कागज़ की इसी गुणवत्ता के दृष्टिगत वर्ष 1960 में जनपद कालपी में हाथ कागज़ उत्पादन केन्द्र की स्थापना की गयी थी। उक्त केन्द्र पर सूती कपड़ों की कटिंग एवं वेस्टेज पेपर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हुए कागज़ तैयार कराया जाता है।

13. खादी एवं ग्रामोद्योग विकास सतत रोज़गार प्रोत्साहन नीतिः-

प्रदेश में प्रथम बार खादी एवं ग्रामोद्योग के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में खादी एवं ग्रामोद्योग विकास सतत् रोज़गार प्रोत्साहन नीति का निर्धारण किया गया। नीति के अन्तर्गत पूंजीनिवेश करते हुए ग्रामोद्योगों की स्थापना एवं तत्क्रम में रोज़गार सृजन से सम्बन्धित कार्य किया जा रहा है।

क- सोलर चर्खा वितरण एवं प्रशिक्षण

ख- टूल-किट वितरण/मशीन वितरण

(ख-1) दोना मेकिंग मशीन वितरण

(ख-2) पॉपकार्न मेकिंग मशीन वितरण

ग- जनपद-मथुरा में तुलसी माला मेकिंग मशीन का निःशुल्क वितरण

घ- ग्रामोद्योग समाधान सेल

14. जनपद प्रयागराज में ऊनी धागा उत्पादन केन्द्र की स्थापनाः-

जनपद प्रयागराज के ग्राम सभा, गाजा में ऊनी धागा प्रशोधन/उत्पादन केन्द्र की स्थापना करायी गयी है। उत्पादन केन्द्र की स्थापना का उद्देश्य प्रदेश में भेड़ पालकों को भेड़ पालन हेतु प्रोत्साहित करना तथा उनके उत्पादों का समुचित मूल्य प्राप्त हो एवं उस ऊन के प्रशोधन के उपरान्त कम्बलों का उत्पादन कराया जा सके। केन्द्र हेतु राज्य सरकार द्वारा भूमि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी है। उत्पादन केन्द्र की स्थापना से लगभग 3000 भेड़ पालकों को प्रत्यक्ष रूप से ऊन का समुचित मूल्य प्राप्त होगा तथा ऊन के खादी एवं कम्बल बुनाई से अनुमानित 3000 से 4000 लोगों को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार प्राप्त होगा। वर्तमान में ऊनी धागा उत्पादन केन्द्र पूर्णतया संचालित है।

15. जनपद प्रयागराज में गोबर गैस संयत्र की स्थापनाः-

जनपद प्रयागराज के ग्राम मण्डारदेह माफी में 720 घन मीटर क्षमता का गोबर गैस प्लांट स्थापित किया गया है जिससे लगभग 300 परिवारों को ईंधन एवं गोबर से निर्मित जैविक खाद प्राप्त होगी तथा गोबर से गोपालकों को अतिरिक्त आय होगी। गोबर गैस का उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने तथा उसे संपीडित कर छोटे सिलिंडर आदि भरने का कार्य किया जाएगा। उक्त प्लांट से लगभग 200 लोगों को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार प्राप्त होगा। वर्तमान में बायोगैस प्लांट को क्रियाशील करने की प्रक्रिया चल रही है।

16. कॉमन फैसेलिटी कुशीनगर में खादी उत्पादन एवं बिक्रीः-

उ.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को भगवान गौतमबुद्ध की तपोस्थली एवं परिनिर्वाण स्थल कसया, जनपद-कुशीनगर में शासन एवं जिला प्रशासन से एक भूमि गाटा संख्या 723, क्षेत्रफल 0.405 हेक्टेयर आवंटित है, जिस पर वर्तमान में कॉमन फैसेलिटी सेण्टर (सामान्य सुविधा केन्द्र) का एक भवन निर्मित है। कॉमन फैसेलिटी सेण्टर में खाली पड़ी भूमि पर खादी उत्पादन केन्द्र एवं बिक्री भण्डार का निर्माण कराया गया है।

उत्तर प्रदेश माटीकला बोर्ड

बोर्ड के प्रमुख उद्देश्य :-

माटीकला एवं माटी शिल्पकला से सम्बन्धित उद्योगों के विकास के लिए नीति तैयार करना, मिट्टी की उपलब्धता की नीति, तकनीकी उन्नयन एवं आधुनिकीकरण की प्रभावी योजना बनाना, तत्सम्बन्धी उद्योगों की समस्याओं के निराकरण हेतु सुझाव देना, रोज़गार प्रदान करने हेतु कार्य करने वाली केन्द्रीय एवं प्रांतीय संस्थाओं से समन्वय स्थापित करना, व्यवसाय में वृद्धि एवं आर्थिक विकास के लिए कार्य करना, विपणन सुविधा उपलब्ध कराना, स्वरोज़गार के अवसर में वृद्धि करना, कच्चे माल की प्राप्ति के लिए नियमों में सरलीकरण हेतु सुझाव देना एवं जिन्हें पट्टे आवंटित हैं उन रिकार्ड की सूचना राजस्व विभाग से प्राप्त कर संरक्षित रखना आदि सुनिश्चित किया गया है।

बोर्ड का गठन :-

उ.प्र. माटीकला बोर्ड का गठन उत्तर प्रदेश शासन, खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-1 की अधिसूचना सं. 475/59-1-2018, दिनांक 19 जुलाई, 2018 द्वारा किया गया है। प्रदेश में मिट्टी का कार्य करने वाले कारीगरों एवं शिल्पियों के व्यवसाय में वृद्धि करने तथा परम्परागत उद्योगों को नवाचार के माध्यम से संरक्षित एवं संवर्धित करते हुए अधिकाधिक लोगों को रोज़गार का अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वशासी निकाय के रूप में 'उ.प्र. माटीकला बोर्ड' का गठन किया गया है।

बोर्ड के मुख्य कार्य :-

माटीकला तथा माटी शिल्पकला विषयक उद्योगों से सम्बन्धित अधोसंरचना की व्यवस्था करना, प्रदेश में अथवा प्रदेश के बाहर उ.प्र. माटीकला बोर्ड के कार्यालय, इम्पोरियम तथा एजेन्सी नियुक्त व स्थापित करना, स्वरोज़गार के अवसर उपलब्ध कराना, इस हेतु प्रशिक्षण तकनीकी कार्यशालाएं, अन्य आवश्यक विकासात्मक गतिविधियां नवीनतम तकनीक एवं उपकरण आदि की

उपलब्धता सुनिश्चित करना, बैंक ऋण एवं मार्जिनमनी सहायता उपलब्ध कराना, शिल्पियों को विपणन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रचार-प्रसार तथा प्रदर्शनियों के आयोजन में प्रतिभाग कराना, सर्वांगीण विकास के लिए नीतियां बनाना, शासन से विभिन्न योजनाएं स्वीकृत कराना, बजट प्राप्त करना तथा योजनाओं का क्रियान्वयन कराना, कारीगरों एवं उद्योगों की समस्याओं का निराकरण कराते हुए सामाजिक सुरक्षा प्रदान कराना, उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु मण्डल एवं राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण की योजना संचालित करना, निःशुल्क पट्टों के आवंटन के सम्बन्ध में राजस्व विभाग से समन्वय करना, सरकारी कार्यालयों व सार्वजनिक स्थानों पर मिट्टी के कुल्हड़ों के प्रयोग हेतु प्रोत्साहित करना, तकनीकी सहायता/आधुनिकीकरण हेतु मार्गदर्शक, प्रशिक्षण एवं विशेषज्ञतापूर्ण सलाह उपलब्ध कराना आदि।

बोर्ड की योजनाओं का क्रियान्वयन

1. मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना :-

माटीकला कार्य से जुड़े ग्रामीण/शहरी क्षेत्र के परम्परागत कारीगरों/शिल्पकारों को योजनान्तर्गत रु. 10.00 लाख तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें लाभार्थियों को बैंक द्वारा प्रदत्त पूंजीगत ऋण पर 25 प्रतिशत मार्जिनमनी अनुदान के रूप में भुगतान किये जाने का प्राविधान है।

2. माटीकला टूल-किट्स वितरण योजना :-

योजनान्तर्गत माटीकला के कार्य से जुड़े ग्रामीण/शहरी क्षेत्र के परम्परागत कारीगरों/शिल्पियों को उन्हें प्रोत्साहित किये जाने एवं उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार लाये जाने के उद्देश्य से निःशुल्क टूल-किट्स प्रदान किये जाने का प्राविधान है।

3. माटीकला कौशल विकास योजना :-

योजनान्तर्गत खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के 11 मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से परम्परागत माटीकला कारीगरों को मिट्टी की सजावटी वस्तुएं, चित्रकारी, नक्काशी आदि आधुनिक विधाओं की जानकारी हेतु 15 दिवसीय शिल्पकारी प्रशिक्षण तथा मुख्यमंत्री माटीकला रोज़गार योजना के नये उद्यमियों/कारीगरों को उद्योग लगाने हेतु व्यवहारिक जानकारी के लिए 07 दिवसीय व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। योजनान्तर्गत विगत पांच वर्षों 2019-20 से 2023-24 तक 19674 लाभार्थियों को माटीकला का प्रशिक्षण दिलाया गया है।

4. माटीकला माइक्रो कॉमन फैसिलिटी सेन्टर योजना :-

योजनान्तर्गत प्रदेश के जनपदों में परम्परागत माटीकला कारीगरों की सहकारी समिति खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड से पंजीकृत कराने के उपरान्त उन्हें सी.एफ.सी. स्थापना हेतु रु. 10.00 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने का प्राविधान है।

विगत पांच वर्षों में जनपद-पीलीभीत, अमरोहा, रामपुर, बाराबंकी, कन्नौज एवं फिरोज़ाबाद में कॉमन फैसिलिटी सेण्टर की स्थापना करायी गयी है।

●

रेशम विकास

रेशम उत्पादन कार्यक्रम कृषि पर आधारित कुटीर उद्योगों में प्रमुख स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, जलवायु एवं जैव विविधता रेशम उद्योग हेतु पूर्णतया अनुकूल एवं उपयुक्त है। प्रदेश में शहतूती, टसर, एरी तीन प्रकार का रेशम उत्पादन होता है, जो प्रदेश के 57 जनपदों में संचालित है।

विभाग के प्रमुख क्रिया-कलापों का विवरण

- शहतूत एवं अर्जुन नर्सरी स्थापना।
- यहतूत, अर्जुन वृक्षारोपण एवं अरण्डी की खेती।
- रेशम कीटाण्ड उत्पादन।
- चाकी कीटपालन।
- प्रौढ़ावस्था रेशम कीटपालन।
- रेशम कोया उत्पादन।
- रेशम धागाकरण।
- वस्त्र निर्माण।

विभागीय प्राथमिकतायेंः-

- रेशम कीट बीज संगठन का सुदृढ़ीकरण एवं बीजागार का संचालन।
- अधिक पत्ती उत्पादन क्षमता वाली शहतूत प्रजातियों का वृक्षारोपण।
- प्रतिस्पर्धात्मक एवं आकर्षक मूल्य पर कोया विपणन, कोया उत्पादकों/रेशम कृषकों को त्वरित भुगतान।
- विभागीय कार्यक्रमों का नियमित अनुश्रवण एवं प्रभावी समीक्षा।
- बाईवोल्टीन रेशम कोया एवं ए-ग्रेड के रेशम धागा का उत्पादन।
- रेशम धागे की मांग एवं आपूर्ति के अन्तर को कम करना।
- राजकीय रेशम फार्मों की क्षमता के अनुसार प्रभावी बनाने एवं बेहतर प्रबंधन के लिए ऑनलाइन फॉर्म मैनेजमेन्ट मॉडयूल तैयार करना।
- प्रदेश में उत्पादित ककून का रेशमी धागा उत्तर प्रदेश में ही तैयार हो सके तथा प्रदेश में

ही खपत हो सके इसलिए विभाग द्वारा रेशम धागाकरण कार्य के लिए मल्टीइण्ड रीलिंग इकाईयों की स्थापना करना।

- केन्द्र एवं राज्य पोषित संचालित योजनाओं से लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों के लिये पारदर्शी सुविधा उपलब्ध कराने हेतु रेशम मित्र पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा लागू करना।
- कर्मचारियों की समयबद्धता एवं जवाबदेही तय किये जाने हेतु ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित किया जाना।

विभागीय क्रिया-कलापों में परिणामी सफलता प्राप्त हेतु रणनीतिः-

- वर्तमान उत्पादन लागत को कम करते हुए कोये की गुणवत्ता एवं उत्पादकता में वृद्धि।
- रेशम विकास कार्यक्रमों में महिलाओं एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की सहभागिता बढ़ाना।
- प्रदेश में स्थापित बीजागारों से स्थानीय कीटपालकों की आवश्यकता तथा जलवायु के अनुसार रेशम कीटाण्डों का उत्पादन एवं विपणन।
- कोया उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि।
- रेशम उत्पादन से जुड़े लाभार्थियों को नवीन प्रौद्योगिकी में फार्म स्तरीय एवं अन्तर्राज्यीय प्रशिक्षण प्रदत्त कराना।
- रेशम कीटाण्ड उत्पादन हेतु टसर, एरी एवं शहतूती नये बीजागारों का संचालन।
- भारत सरकार सहायतित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं का सृजन।
- रेशम उत्पादन से जुड़े कृषकों को जनपद मिर्जापुर में स्थापित प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।

रेशम विकास विभाग की उपलब्धियाँ (वर्ष 2024-25):-

- कीटपालकों द्वारा उत्पादित रेशम कोयो के मूल्य में वृद्धि हेतु राजकीय क्षेत्र में 7 जनपद यथा लखीमपुर खीरी, गोण्डा, श्रावस्ती, बलरामपुर, कुशीनगर, पीलीभीत एवं बहराइच तथा निजी क्षेत्र में जनपद गोरखपुर में एक रीलिंग इकाईयों की स्थापना।
- केन्द्र एवं राज्य पोषित संचालित योजनाओं से लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों के लिये पारदर्शी सुविधा उपलब्ध कराने हेतु रेशम मित्र पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा लागू की गयी जिस पर इच्छुक लाभार्थी पंजीकरण कराते हुए विभाग की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं।
- एन.जी.ओ., एफ.पी.ओ. समितियों एवं स्वयं सहायता समूहों को रेशम उत्पादन से जोड़ना।
- **दिनांक 22.10.2024** से **28.10.2024** तक इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान, गोमती नगर,

लखनऊ में आयोजित किये गये **सिल्क एक्सपो-2024** में **दिनांक 22.10.2024** को मा. मुख्यमुत्री उ.प्र. द्वारा में रेशम उत्पादन एवं व्यापार संबंधी क्रियाकलापों के प्रचार-प्रसार हेतु **"रेशम मित्र पत्रिका"** का विमोचन किया गया।

- जागरूकता एवं प्रशिक्षण योजनान्तर्गत प्रशिक्षणार्थियों के चयन, प्रशिक्षण तिथियां एवं प्रमाण पत्र आदि ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से करते हुए 484 लाभार्थियों को **राज्यीय प्रशिक्षण** अन्तर्गत **मिर्जापुर में स्थापित लौह पुरूष सरदार बल्लभ भाई पटेल राजकीय रेशम प्रशिक्षण संस्थान, बरकछा** में निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु विभाग एवं एस.आर.एल.एम. के अन्तर्गत 5 वर्षों में 5000 समूहों की 50000 महिलाओं को **रेशम सखी** के रूप में रेशम उत्पादन से जोड़ने हेतु **दिनांक 08.03.2025 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस** के अवसर पर इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान, गोमती नगर, लखनऊ में **मा. उप मुख्यमंत्री, उ.प्र.** की उपस्थिति में एन.आर. एल.एम. एवं रेशम विभाग उ.प्र. के मध्य एम.ओ.यू. का सम्पादित किया गया है।
- मा. मुख्यमंत्री, उ.प्र. के कुशल मार्गदर्शन एवं मा. मंत्री जी के अथक प्रयासों से प्रदेश में जनपद बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर, सीतापुर, गोण्डा, बलरामपुर, बस्ती, महराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, बिजनौर एवं सहारनपुर में प्रथम बार राज्य पोषित **"मुख्यमंत्री रेशम विकास योजना"** वर्ष 2025-26 हेतु रु. 100.00 लाख बजट की स्वीकृति प्राप्त हुई है।
- रेशम निदेशालय, उ.प्र. में Soil to Silk के प्रदर्शन एवं शुद्ध सिल्क की पहचान के लिए **सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स** के निर्माण का कार्य कराया जा रहा है।
- **दिनांक 22.10.2024** को इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान, गोमती नगर, लखनऊ **मा. मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश** द्वारा कुल **08 श्रेणियों** में प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार अन्तर्गत **18 पुरस्कार** एवं ककून उत्पादन (किसानों द्वारा), श्रेणी (ब)- ककून उत्पादन में नवाचार (कार्मिकों द्वारा), श्रेणी (स)-रेशम से तैयार उत्पाद में नवाचार (व्यापारी/एन.जी.ओ. /बुनकर/कम्पनी/ट्रस्ट/ को-ऑपरेटिव सोसाइटी इत्यादि), श्रेणी (अ)-सर्वोच्च कोया क्रेता/धागा विक्रय, श्रेणी (ब)-सर्वाधिक वस्त्र विक्रेता (रेशम फिनिश्ड प्रोडक्ट), श्रेणी- (अ)-सर्वोत्तम डिजाइनिंग (रेशम निर्मित परिधान), श्रेणी- (ब)- सर्वोत्तम डिजाइनिंग (रेशम निर्मित अन्य उत्पाद) एवं श्रेणी- - लाइफ अचीवमेंट रेशम रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया।
- प्रदेश में उत्पादित ककून को पारदर्शी तरीके से विक्रय करने हेतु **se i e. ese vi es .i** पर ककून की ई-मार्केटिंग की व्यवस्था आरम्भ कर दी गयी है।
- रेशम उत्पादन में वर्ष 2023-24 के सापेक्ष वर्ष 2024-25 में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

- प्रदेश को रेशम उत्पादन में आत्म निर्भर बनाने हेतु सिल्क समग्र-2 योजनान्तर्गत शहतूती सेक्टर के दो तथा एरी सेक्टर के एक एफ.पी.ओ. के 300 किसानों को रेशम उत्पादन से जोड़ने हेतु रु. 542.312 लाख की परियोजनायें प्रारम्भ की गयी।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2024-25 में अवस्थापना सुविधा के अन्तर्गत 03 रीलिंग मशीनों को क्रय कर इन्स्टालेशन कराया गया। प्रदेश के राजकीय रेशम मार्गों पर 11 चाकी कीटपालन भवन निर्माण हेतु आवश्यक उपकरण क्रय, 16 सामुदायिक कीटपालन भवन निर्माण हेतु आवश्यक उपकरण क्रय, 01 सिंचाई सुविधा हेतु डीजल इंजन चालित बोरिंग हेतु एसेसरीज क्रय एवं बीजागार संबंधी उपकरण क्रय किये गये।
- एग्रोफारेस्ट्री अन्तर्गत जनपद सोनभद्र में टसर रेशम उत्पादन हेतु 60 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 1.12 लाख वृक्षारोपण कराया गया।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में क्रियान्वित की जा रही योजनायें

(क) राज्य योजनायें

- अधिष्ठान व्यय-रेशम निदेशालय।
- प्रादेशिक को-आपरेटिव सेरीकल्चर फेडरेशन लि. लखनऊ को सहायता योजना।
- माडल चाकी कीटपालन शहतूत उद्यानों की स्थापना।
- टसर रेशम विकास योजना।
- एरी रेशम विकास योजना (जिला योजना)।
- जागरूकता एवं प्रशिक्षण की योजना।
- रेशम कीटाण्ड के विकास की योजना।
- टसर रेशम के लिये नर्सरी पौध उत्पादन की योजना।
- शहतूती रेशम के लिए नर्सरी पौध उत्पादन की योजना।
- लौह पुरूष सरदार बल्लभ भाई पटेल राजकीय रेशम प्रशिक्षण संस्थान, बरकछा मिर्जापुर।
- केन्द्रीय रेशम बोर्ड सहायतित रेशम विकास योजना (राज्यांश)।
- मुख्यमंत्री रेशम विकास योजना (नई योजना)

(ख) भारत सरकार सहायतित योजनायें

- केन्द्रीय रेशम बोर्ड से सहायतित सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम (सिल्क समग्र योजना)।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना।
- मनरेगा अन्तर्गत मनरेगा इण्टर सेक्टोरल कनवर्जेन्स।
- राज्य कृषि विकास योजना।

विभागीय s e s का चिन्हांकन

- संकर प्रजाति के रेशम कीटाण्ड उत्पादन में आत्मनिर्भरता।
- अधिक उत्पादकता वाले शहतूत, अर्जुन एवं अरण्डी की उन्नत प्रजातियों का रोपण।
- कीटपालकों की कौशल अभिवृद्धि।
- विपणन (मार्केटिंग) प्रबन्धन।
- अनुसंधान एवं विकास।
- रेशम क्रियाकलापों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर अधिकाधिक रोजगार के अवसरों का सृजन।
- रेशम उत्पादन लागत को कम करते हुए रेशम कोये की गुणवत्ता एवं उत्पादकता में वृद्धि।
- प्रदेश को सिल्क उत्पादन में आत्म निर्भर बनाना।
- आम जन को शुद्ध रेशम उत्पादों की उपलब्धता।

●

मुद्रण एवं लेखन सामग्री

मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ.प्र. प्रयागराज की स्थापना 1857 में की गयी थी जिसके अधीनस्थ राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ की स्थापना 1949 ई. में हुई इसके अतिरिक्त मुद्रणालयों के निरन्तर विकास एवं प्रसार के फलस्वरूप ऐशबाग, लखनऊ के अन्तर्गत शाखा मुद्रणालय, हजरतगंत, लखनऊ का विस्तार किया गया। राजकीय मुद्रणालय, रामपुर की स्थापना 1976 ई. तथा राजकीय मुद्रणालय वाराणसी की स्थापना 1979 में की गयी। प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के परिणामस्वरूप शासन के दिनों-दिन बढ़ते हुए मुद्रण कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए महामहिम राज्यपाल के दैनिक कार्यक्रम के मुद्रण हेतु राजभवन मिनी प्रेस, राजभवन सचिवालय परिसर, लखनऊ तथा मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के काजलिस्ट के मुद्रण हेतु उच्च न्यायालय मिनी प्रेस, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के परिसर में स्थापित किया गया। इसके अतिरिक्त राजकीय मुद्रणालयों के कार्यों में निरन्तर वृद्धि को दृष्टि में रखते हुए स्वतंत्र रूप से निदेशालय की स्थापना 1990 में की गयी तत्पश्चात् राजकीय विभागों के मुख्यालय लखनऊ में स्थित होने के कारण तथा उनसे समन्वय स्थापित करने के लिये राजकीय शाखा मुद्रणालय, हजरतगंज, लखनऊ के परिसर में शिविर कार्यालय की स्थापना वर्ष 2006 में की गयी जिसके द्वारा समय-समय पर समस्त मुद्रणालयों की कार्य प्रगति की समीक्षा भी की जाती है।

मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग का मुख्य उद्देश्य राज्याधीन विभागों के विभिन्न प्रकार के श्रृंखलाओं के 1600 पंजीकृत प्रपत्र/रजिस्टरों तथा विभिन्न विभागों के लगभग 300 प्रकार के अपंजीकृत प्रपत्र/रजिस्टरों जैसे शिक्षा, गज़ेटियर, साधारण, असाधारण, उर्दू गजट, महालेखाकार के वित्तीय आडिट रिपोर्ट, बजट, परफारमेन्स बजट, माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं, परीक्षा सम्बन्धी विभिन्न प्रपत्रों लोक सेवा आयोग के कार्यों, माननीय उच्च न्यायालय के काजलिस्ट एवं अन्य प्रपत्र समयानुसार लोक सभा, विधान सभा, स्थानीय निकाय एवं पंचायत के निर्वाचन मतपत्रों, विधान मण्डल/परिषद की कार्यवाहियाँ, एजेण्डा आदि का मुद्रण/प्रकाशन एवं महामहिम श्री राज्यपाल सचिवालय, सचिवालय प्रशासन विधान सभा/परिषद की लेखन सामग्री आदि की सम्पूर्ति का कार्य किया जाता है। उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रान्त के अधीन विभागों के गोपनीय कार्य-कार्मिक विभाग के कार्यादेशों, राजाज्ञा, नियुक्तियां, प्रतिवेदन, पुलिस विभाग के जी.डी., सी.डी., गोपनीय आख्या, कोषागार एवं विभागीय परीक्षाओं के मुद्रण एवं प्रकाशन के कार्य मांगाधिकारियों के अनुरूप मुद्रण/आपूर्ति किये जाते हैं।

जनहित के उपयोगार्थ शासकीय प्रपत्रों की आपूर्ति में शीघ्रता, गुणवत्ता एवं उत्कृष्टता लाने

के उद्देश्य से मुद्रण कार्यों में अत्याधुनिक कम्प्यूटराइज्ड टेक्नालाजी एवं साज-सज्जाओं से सुसज्जित करने हेतु राजकीय मुद्रणालयों को प्रदेश सरकार द्वारा आधुनिकीकरण करने का निर्णय लिया गया है।

निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ.प्र. के विभागाध्यक्ष हैं। निदेशालय द्वारा लेखन सामग्री, प्रपत्र तथा राजकीय प्रकाशनों के मुद्रण, सम्पूर्ति सम्बन्धी निर्धारित नीतियों के कार्यान्वयन, बजट आवंटन एवं विभागीय वित्तीय नियंत्रण का कार्य, प्रदेश के नीतिगत मामलों के क्रियान्वयन के साथ विभाग के महत्त्वपूर्ण कार्यों के निस्तारण का दायित्व निर्वहन किया जाता है। विभाग के अन्तर्गत चार राजकीय मुद्रणालय स्थापित हैं। जिसकी देख-रेख पृथक-पृथक इकाइयों में नियुक्ति पदों के वरिष्ठतम अधिकारियों द्वारा की जाती है।

कार्यक्रम तथा कार्यकलापों का विवरण

निदेशन तथा प्रशासन :-

निदेशालय द्वारा सभी मुद्रणालयों के लिए बजट की व्यवस्था सुनिश्चित कराना, कागज, स्याही एवं सचिवालय के उपयोग हेतु समस्त लेखन सामग्री की क्रय व्यवस्था एवं सम्पूर्ति की जाती है। उक्त सामग्रियों की थोक क्रय व्यवस्था, प्रपत्रों की उपलब्धि एवं पूरे प्रदेश को सम्पूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इसके साथ समस्त शाखाओं पर प्रभावी नियंत्रण रखना है।

मुद्रण-राजकीय मुद्रणालयों का मुद्रण कार्य :-

मुद्रणालय द्वारा प्रदेश के समस्त माँगाधिकारियों को उनके उपयोगार्थ विभिन्न प्रकार के पंजीकृत एवं अपंजीकृत प्रपत्रों, रजिस्टरों, जिला गज़ेटियर, साधारण गज़ट, असाधारण गज़ट, उर्दू गजट, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के वित्तीय लेखे एवं आडिट रिपोर्ट विषयक पुस्तकें, बजट साहित्य, माध्यमिक शिक्षा परिषद के हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकायें एवं विभिन्न संस्थाओं के परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं एवं अन्य परीक्षा से सम्बन्धित प्रपत्र वित्तीय हस्त पुस्तिकाओं का मुद्रण विभिन्न विभागों के परीक्षा सम्बन्धी गोपनीय कार्य, लोक सभा, विधान सभा, पंचायत एवं स्थानीय निकाय हेतु मत पत्रों का मुद्रण एवं नम्बरिंग, विधान मण्डल की कार्यवाही, एजेण्डों का मुद्रण/प्रकाशन, सामयिक प्रकाशनों का मुद्रण कार्य प्रमुख है, साथ ही अत्यंत महत्त्वपूर्ण कार्यों का मुद्रण, उच्च न्यायालय काजलिस्ट का मुद्रण समयबद्ध एवं अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त वाणिज्य स्तर पर कार्य करने वाले शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यालयों के मुद्रित प्रपत्रों की सम्पूर्ति कर नगद धनराशि जमा करा ली जाती है तथा अपंजीकृत प्रपत्रों/रजिस्टरों का मुद्रण सशुल्क किये जाने की व्यवस्था है, जिसके परिणामस्वरूप विभाग को राजस्व प्राप्तियां प्राप्त होती हैं।

राजकीय मुद्रणालय, प्रयागराज :-

राजकीय मुद्रणालय, प्रयागराज में पंजीकृत/अपंजीकृत प्रपत्रों/रजिस्टरों का मुद्रण, लोक सेवा आयोग एवं माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं का निर्माण एवं मुद्रण, विभिन्न प्रकार के परीक्षा सम्बन्धी प्रपत्र, वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं का मुद्रण,

सामयिक प्रकाशन, साधारण/असाधारण गज़टों का हिन्दी, अंग्रेजी एवं उर्दू में मुद्रण, महालेखाकार के वित्तीय लेखें आडिट आपत्तियों का मुद्रण, अत्यन्त गोपनीय परीक्षा सम्बन्धी प्रपत्रों, माननीय उच्च न्यायालय के काजलिस्टों का मुद्रण आदि महत्त्वपूर्ण कार्य है। मुद्रित वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं, गजट एवं अन्य सामयिक प्रकाशनों के भंडारण की व्यवस्था है, जिन्हें सम्बन्धित माँगाधिकारियों को सम्पूर्ति किया जाता है, तथा नगद बिक्री की व्यवस्था है। पंजीकृत प्रपत्रों का भण्डारण वर्तमान में राजकीय मुद्रणालय प्रयागराज के बिक्री कक्ष में किया जाता हे। यहाँ से जनपद प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, इटावा, औरेया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर नगर, झाँसी, बाँदा, हमीरपुर, चित्रकूट, जालौन, ललितपुर, महोबा, आगरा, अलीगढ़, हाथरस, एटा, मैनपुरी, मथुरा, फिरोजाबाद, कानपुर देहात, कांसगंज एवं कौशाम्बी के कतिपय माँगाधिकारियों को सम्पूर्ति करने की व्यवस्था है।

राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ (ऐशबाग/हजरतगंज) :-

ऐशबाग लखनऊ मुद्रणालय द्वारा पंजीकृत/अपंजीकृत प्रपत्रों/रजिस्टरों के मुद्रण तथा सचिवालय व सूचना विभाग के आवश्यक मुद्रण कार्य, बजट साहित्य, कार्यपूर्ति दिग्दर्शक बजट प्लान, माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं, विभागीय परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र आदि का मुद्रण कार्य प्रमुख रूप से किया जाता है। शाखा मुद्रणालय हजरतगंज, लखनऊ द्वारा विधान सभा एवं विधान परिषद की कार्यवाहियों सहित विभिन्न प्रकार के उपयोगी प्रपत्रों/रजिस्टरों का मुद्रण होता है। राजभवन शाखा प्रेस लखनऊ में महामहिम राज्यपाल सचिवालय के कार्य विषयक सामग्री का मुद्रण होता है तथा महामहिम राज्यपाल के दैनिक कार्यक्रम का मुद्रण प्रमुख रूप से किया जाता है। मुद्रित प्रपत्रों का भंडारण किया जाता है तथा प्रदेश के जनपद लखनऊ, हरदोई, खीरी, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, बहराइच, बाराबंकी, गोण्डा, श्रावस्ती, बलरामपुर, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर एवं अमेठी को सम्पूर्ति किये जाने की व्यवस्था है।

राजकीय मुद्रणालय, रामपुर :-

राजकीय मुद्रणालय रामपुर द्वारा पंजीकृत/अपंजीकृत प्रपत्रों/रजिस्टरों का मुद्रण एवं निर्माण, माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मुद्रण एवं निर्माण, सामयिक प्रकाशन आदि कार्यों का मुद्रण होता है, मुद्रित प्रपत्रों के भण्डारण की व्यवस्था है। यहाँ से प्रदेश के बरेली, बदायूँ, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, मेरठ, बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, गाजियाबाद, ज्योतिबाफूले नगर, बागपत, गौतमबुद्धनगर, हापुड़ सम्भल, शामली के कतिपय माँगाधिकारियों को सम्पूर्ति किये जाने की व्यवस्था है।

राजकीय मुद्रणालय, वाराणसी :-

वाराणसी शाखा द्वारा पंजीकृत/अपंजीकृत प्रपत्रों/रजिस्टरों का मुद्रण एवं निर्माण, माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मुद्रण एवं निर्माण, सामयिक प्रकाशन आदि कार्यों का मुद्रण होता है, मुद्रित प्रपत्रों के भण्डारण की व्यवस्था है। यहाँ से प्रदेश के गोरखपुर, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी, आजमगढ़, बस्ती, देवरिया, मऊ, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, चन्दौली, संतरविदास नगर, कुशीनगर, सन्तकबीर नगर

के कतिपय माँगाधिकारियों को आवश्यक प्रपत्रों एवं रजिस्टरों की आपूर्ति किये जाने की व्यवस्था है।

उपरोक्त अंकित विभिन्न प्रेसों के निर्धारित मासिक/वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्त उत्पादन-उपलब्धि की मूल्यांकन/समीक्षा मुद्रण निदेशक द्वारा की जाती है तदनुसार उनके परीक्षण उपरान्त विभिन्न शाखा प्रेसों को निर्धारित मानक के अनुरूप लक्ष्य पूर्ति हेतु आवश्यक दिशा निर्देश/आदेश निर्गत किये जाते हैं।

विकास की योजनायें :-

राजकीय मुद्रणालयों प्रयागराज, लखनऊ (हजरतगंज एवं ऐशबाग), रामपुर एवं वाराणसी का आधुनिकीकरण किये जाने के दृष्टिगत अत्याधुनिक कम्प्यूटराइज्ड टेक्नालाजी की मशीनों एवं साज सज्जा के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु. 500.00 लाख का परिव्यय स्वीकृत हुआ है जिससे नवीनतम तकनीक की कम्प्यूटराइज्ड मशीनों एवं उससे संबंधित उपकरणों को क्रय किया जाना प्रस्तावित है ताकि मुद्रण कार्यों को अल्प अवधि में और अधिक प्रभावशाली बनाने के साथ-साथ गतिशीलता प्रदान की जा सके।

शिशिक्षुओं एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण :-

मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में मुद्रण कार्य प्रणाली में कम्प्यूटर प्रशिक्षण औद्योगिक एवं कार्यालयीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण की व्यवस्था है। इसके अलावा सचिवालय प्रशिक्षण विभाग के अन्तर्गत प्रशिक्षित कराया जा रहा है एवं आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत जो मशीन लग रही उनको चलाने हेतु मशीन स्थापना के समय प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है।

कार्यपूर्ति दिग्दर्शन (परफार्मेन्स बजट) की वस्तुस्थिति तथा विभाग के कार्यों में प्रगति लाने के लिए अधीनस्थ मुद्रणालयों से उनसे संबंधित विवरण प्राप्त कर समय-समय पर उसका परीक्षण भी किया जाता है।

ई-गवर्नेन्स की प्रगति :-

नेशनल इन्फार्मेटिंक सेन्टर लखनऊ द्वारा मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तर प्रदेश विभाग की वेबसाइट **एच.टी.टी.पी.//डीपीएसयू.पी.एनआईसी.इन** पर विभाग की कार्य-प्रणाली की सम्पूर्ण सूचनाएं तथा ई-गवर्नेन्स प्लान के अन्तर्गत ई-प्रोक्योरमेन्ट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली द्वारा होने वाले टेण्डरों से सम्बन्धित सूचनाएं (बिड डाक्यूमेन्ट नियम शर्तों सहित) वेब-साइट पर उपलब्ध है। राजकीय मुद्रणालय, प्रयागराज/लखनऊ द्वारा उ.प्र. सरकार के असाधारण/साधारण गजट का प्रकाशन विभाग की वेबसाइट **एच.टी.टी.पी.://डीपीएसयू.पी.एनआईसी.इन** पर आनलाइन अपलोड किया जा रहा है, जिसे यूपीडेस्को द्वारा वेबसाइट **डीपीएसयू.पी.एनआईसी.इन** के रूप में अपग्रेड किया जा चुका है। विभाग की उक्त वेबसाइट भारत सरकार की वेबसाइट **एच.टी.टी.पी.://ईगजट.एनआईसी.इन** से भी लिंक है, जिस पर समस्त सूचनाएं पारदर्शी रूप से उपलब्ध है।

●

ीनी उ ोग ां गन्ना िकास

गन्ना िकास का अभ्युदय

गन्ने का उद्भव स्थान भारतव ि है पौराणिक कथाओं तथा भारत के प्राचीन ग्रंथों में गन्ना व इससे तैयार की जाने वाली वस्तुओं का उल्लेख पाया जाता है विश्व के मध्य पूर्वी देशों सहित अनेक स्थानों में भारत से ही इस उपयोगी पौधों को ले जाया गया प्राचीन काल से गन्ना भारत में गुड़ तथा राब बनाने के काम आता रहा है।

सन् 1920 में भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल ने चीनी व्यवसाय के उज्ज्वल भवि य की कल्पना करते हुये इण्डियन शुगर कमेटी की स्थापना की थी व ि 1930 में भारतीय क ि अनुसंधान परि ाद की गन्ना उपसमिति की सिफारिश पर एक टैरिफ बोर्ड की स्थापना की गयी, जिसने भारत सरकार से चीनी उ ोग को आरम्भ में 15 व ोिं के लिए संरक्षण देने की सिफारिश की फलत भारत में सन् 1931 में चीनी उ ोग को संरक्षण प्रदान किया गया

उत ार प्रदेश में य ापि देवरिया के प्रतापपुर नामक स्थान पर 1903 में ही भारत की प्रथम प्राचीनतम चीनी मिल स्थापित हो चुकी थी, परन्तु गन्ना क्रय-विक्रय की किसी संस्थापित पद्धति के अभाव में गन्ना किसानों को अनेक कठिनाइयां होती थीं भारत सरकार ारा पारित शुगरकेन एक्ट, 1934 ारा प्रदेशीय सरकारों को क ि क्षेत्र को नियंत्रित करते हुए वैक्यूम पैन चीनी मिलों ारा प्रयुक्त होने वाले गन्ने के न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने के लिए अधिकत किया गया

उत ार प्रदेश में गन्ना विकास विभाग की स्थापना सन् 1935 में की गयी इसके उपरान्त सन् 1938 में चीनी विभाग की स्थापना की गयी। सरकार ने गन्ना क ाकों की मदद की द टि से शुगर फैक्टीज कंटोल एक्ट 1938 लागू किया व ि 1953-54 में इसके स्थान पर उत ार प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 एवं उत ार प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) नियमावली, 1954 लागू हुई उ.प्र. सरकार ारा गन्ना किसानों एवं चीनी मिलों के पारस्परिक हितों को द टिगत रखते हुए इन नियमों के अतिरिक्त उ.प्र. शुगर फैक्टीज लाइसेसिंग आदेश, 1969 उ.प्र. गन्ना आपूर्ति एवं खरीद आदेश, 1954 एवं अन्य सुसंगत नियम बनाये गये हैं तथा सामयिक आवश्यकता के अनु प उसमें आवश्यक संशोधन किये गये हैं प्रदेश में भारत सरकार ारा गन्ना किसानों एवं चीनी मिलों के पारस्परिक हितों के सम्बन्ध में बनाये गये शुगरकेन (कन्टोल) आर्डर, 1966 के प्रावधान भी अपनाये गये हैं

गन्ना िकास िभाग का मुख्य उददेश्य ां काय

1. गन्ना विकास कार्यक्रमों ारा क ि निवेशों के समुचित उपयोग से प्रति इकाई भूमि पर अधिकतम

गन्ना उत्पादन प्राप्त करना

2. गन्ना क ाकों व चीनी मिलों के आवश्यकतानुसार उन्नतशील गन्ना प्रजातियों का विकास करना
3. क ाकों की उन्नतशील प्रजाति के स्वस्थ बीज उपलब्ध कराना तथा गन्ने की खेती की विविध तकनीकों को विकसित करना
4. चीनी मिलों को उनकी आवश्यकतानुसार गन्ने की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु पर्याप्त गन्ने का आवंटन करना
5. गन्ना किसानों को उनके ारा उत्पादित गन्ने का समितियों के माध्यम से चीनी मिलों को समय से गन्ना आपूर्ति कराना तथा आपूर्ति किये गये गन्ने के मूल्य का भुगतान कराया जाना
6. पूर्व में चीनी मिल गेट से 15 कि.मी. क्षेत्र के बाहर खांडसारी इकाइयों की स्थापना हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचारोपरान्त लाइसेन्स देना वर्तमान में यह दूरी 7.5 किमी कर दी गयी है।
7. किसानों को उन्नतिशील गन्ना खेती की नवीनतम् विधियों की जानकारी देना तथा गन्ना क ाकों, मिल व विभागीय कर्मचारियों अधिकारियों को प्रशिक्षण देना
8. गन्ना किसानों को आवश्यकतानुसार क ि निवेश, त्र ण तथा अनुदान उपलब्ध कराना
9. प्रदेश में उपलब्ध गन्ना क्षेत्रफल एवं उत्पादन के अनुमान हेतु मिलवार गन्ना क्षेत्र का सर्वेक्षण करना गन्ने की खड़ी फसल के रेन्डम सैंपल की क्राप कटिंग कराकर प्रति हेक्टेयर गन्ना उपज का आंकलन कराना।
10. चीनी मिल क्षेत्रों में नवीनतम गन्ना प्रजातियों की पौधशालायें स्थापित कर गन्ना क ाकों को स्वस्थ एवं गुणवत ापूर्ण गन्ना बीज उपलब्ध कराना
11. गन्ने की फसल पर रोग एवं कीटों के नियंत्रण हेतु क ाकों को जानकारी देना तथा कीटनाशकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना
12. प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक से अधिक गन्ना उपज प्राप्त करने के लिए क ाकों को प्रोत्साहित करने हेतु गन्ना फसल प्रतियोगितायें आयोजित कराना तथा चीनी मिल क्षेत्रों प्रदेशों में अधिकतम गन्ना उपज का आंकलन करना
13. प्रशिक्षण, विजिट एवं गोष्ठियों के माध्यम से कृषकों को खेती की नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराना।
14. कृषकों के गन्ना उत्पादन की लागत में कमी तथा उत्पादकता बढ़ाने के उपायों को लागू कर कृषकों की आय बढ़ाने का प्रयास करना।

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग की संस्थाएं व कार्य

नाम संस्था	इकाईयों की संख्या	प्रमुख कार्य
1. उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि.	संचालित चीनी मिलें (23)	गन्ना आपूर्ति, गन्ना मूल्य भुगतान।

2. उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., लखनऊ	संचालित चीनी मिलें (03)	गन्ना आपूर्ति, गन्ना मूल्य भुगतान।
3. उ.प्र. गन्ना शोध परिषद्	उपकेन्द्र 09	गन्ना खेती हेतु नवीनतम, उन्नतशील प्रजातियों का विकास, फसल की सुरक्षा के उपाय का प्रचार-प्रसार करना।
4. लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, लखनऊ	उपकेन्द्र 05	गन्ना कृषकों, विभागीय एवं चीनी मिल कार्मिकों का प्रशिक्षण एवं एक्सपोजर विजिट कराना।
5. सहकारी गन्ना विकास समितियाँ	158	गन्ना कृषकों की गन्ना आपूर्ति कराना तथा कृषि निवेश उपलब्ध कराना।
6. गन्ना विकास परिषदें	152	गन्ना विकास से जुड़ी योजनाओं/कार्यक्रमों का संचालन कर क्षेत्र में गन्ने का विकास कराना।

गन्ना विकास विभाग में संचालित विकास योजनाएं

गन्ना विकास विभाग द्वारा कृषकों के हित में गन्ने की उत्पादकता बढ़ाने, अधिक चीनी उत्पादन व गन्ने की चीनी परता का प्रतिशत बढ़ाने तथा गन्ने की प्रजातीय बदलाव हेतु केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के सहयोग से विभिन्न योजनाएं संचालित हैं। जिसके फलस्वरूप गन्ना उत्पादन, चीनी परता एवं शीघ्र पकने वाली प्रजातियों के गन्ना प्रतिशत में आशातीत बृद्धि हुई है।

1. गन्ना विकास की योजना जिला योजना :- यह योजना पूर्णतया राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इस योजना के अन्तर्गत निम्न कार्यक्रम संचालित हैं, जिनका विवरण निम्नवत हैः-

1.1 आधार पौधशाला बीज वितरण कार्यक्रमः- प्रदेश के गन्ना शोध केन्द्र यथा शाहजहाँपुर, मुजफ्फरनगर, सेवरही, गोरखपुर, कटया सादात, अमहट, गोला, बलरामपुर, सिरसा, महोला पर उत्पादित किये गये अभिजनक गन्ना बीज का आवंटन गन्ना आयुक्त द्वारा प्रदेश की समस्त चीनी मिलों/गन्ना विकास परिषदों के माध्यम से गन्ना कृषकों को दिया जाता है जिससे चीनी मिल क्षेत्र के गन्ना कृषकों के खेत पर आधार पौधशालाएं स्थापित कराई जाती हैं। इस पौधशाला को आधार पौधशाला कहते हैं। जिस कृषक के यहाँ आधार पौधशाला स्थापित की जाती है, उनके लिए राज्य सरकार द्वारा रु. 50/कु. की दर से कृषकों को बीज वितरण पर अनुदान दिया जाता है। यह अनुदान इसलिए दिया जाता है कि कृषक शुद्ध एवं निरोग बीज का उत्पादन कर सकें एवं ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक द्वारा निर्दिष्ट कृषकों को गन्ना बीज उपलब्ध कराया जा सकें। इस पौधशाला का निरीक्षण एवं तकनीकी परामर्श गन्ना पर्यवेक्षक/गन्ना विकास निरीक्षक/ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक/बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा किया जाता है, बीज का प्रमाणीकरण बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा किया जाता है एवं प्रमाणित बीज पर ही अनुदान दिया जाता है।

1.2 प्राथमिक पौधशाला बीज वितरण कार्यक्रमः- आधार पौधशाला में उत्पन्न हुए बीज से मिल क्षेत्र के गन्ना कृषकों के यहाँ प्राथमिक पौधशाला स्थापित की जाती है और इस पौधशाला से उत्पन्न बीज को सामान्य कृषकों में व्यवसायिक खेती के लिए उपलब्ध कराया जाता है और इसमें रु.25/कु. की दर से पौधशाला धारकों को बीज वितरण पर अनुदान दिया जाता है यह अनुदान इसलिए दिया जाता है कि कृषक शुद्ध एवं निरोग बीज का उत्पादन कर सकें। इस बीज का आवंटन प्रमाणीकरण के बाद सामान्य कृषकों को विभागीय नीति से ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक द्वारा किया जाता है। इस पौधशाला का प्रमाणीकरण ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक द्वारा किया जाता है। उपरोक्त दोनों तरह की पौधशालाओं को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि कृषकों को शुद्ध एवं निरोग व स्वीकृति प्रजाति का बीज कृषक को अधिक उत्पादन एवं चीनी मिल को अधिक चीनी परता वाली प्रजातियाँ उपलब्ध हो सकें एवं पुरानी तथा रोग से प्रभावित गन्ना प्रजातियों को हटाया जा सके।

1.3 अभिजनक बीज यातायात कार्यक्रमः- प्रदेश में गन्ना शोध केन्द्र यथा शाहजहाँपुर, मुजफ्फरनगर, सेवरही, गोरखपुर, कटया सादात, अमहट, गोला, बलरामपुर, सिरसा, महोला पर उत्पादित किये गये अभिजनक गन्ना बीज का आंवटन गन्ना आयुक्त द्वारा प्रदेश की समस्त चीनी मिल/गन्ना विकास परिषदों के माध्यम से कृषकों को किया जाता है चीनी मिल क्षेत्र के गन्ना कृषकों के खेत पर पौधशालायें स्थापित कराई जाती है। यह बीज कृषकों द्वारा अपने खेत में लाया जाता है बीज लाने हेतु अभिजनक बीज के यातायात पर रू.15 प्रति कुन्टल की दर से अनुदान कृषकों को दिया जाता है।

1.4 आधार बीज यातायात कार्यक्रम कार्यक्रमः- अभिजनक बीज से उत्पादित आधार गन्ना बीज को प्राथमिक पौधशाला हेतु प्रयोग किया जाता है आधार पौधशालाओं में उत्पादित बीज का आवंटन प्राथमिक पौधशाला धारक कृषकों में किया जाता है। यह बीज कृषकों द्वारा अपने खेत में लाया जाता है, बीज लाने हेतु आधार बीज के यातायात पर रु. 7 प्रति कुन्टल की दर से कृषकों को दिया जाता है।

1.5 बीज एवं भूमि उपचार तथा पेड़ी प्रबन्धन कार्यक्रमः- के अन्तर्गत प्रयुक्त किये जाने वाले रसायनों की कुल कीमत का 50 प्रतिशत अथवा सम्मिलित रूप से अधिकतम रू. 900 प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान की व्यवस्था है।

1.6 जैव उर्वरक एवं वर्मी कम्पोस्ट का प्रयोग कार्यक्रमः- भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने तथा रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में कमी लाने के लिए जैव उर्वरक एवं वर्मी कम्पोस्ट के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है इस हेतु लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रु. 600.00 प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान लाभार्थी कृषकों को दिया जाता है।

2. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना :- भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित यह योजना भी प्रदेश में गन्ने की उत्पादकता एवं चीनी परता को बढ़ाने के लिए संचालित है, ताकि

गन्ना कृषकों एवं चीनी मिलों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। यह योजना गन्ना विभाग में वर्ष 2011-12 में आरम्भ की गयी थी और मार्च 2015 तक भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्तपोषण किया जाता रहा है परन्तु अप्रैल, 2015 से 60 प्रतिशत वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा तथा 40 प्रतिशत वित्त पोषण राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत निम्न कार्यक्रम संचालित है जिसका विवरण निम्नवत हैः-

2.1 ब्रीडर शीड उत्पादन एवं वितरण योजनाः- इसके अन्तर्गत गन्ना शोध केन्द्रों पर ब्रीडर शीड का उत्पादन कर कृषकों में वितरित किया जाता है जिसके लिए शोध केन्द्र को कृषि विभाग द्वारा 40000 रु. प्रति हेक्टेयर अनुदान दिया जाता है। ब्रीडर सीड उत्पादन का कार्यक्रम गन्ना शोध परिषद के वैज्ञानिकों की देख-रेख में किया जाता है।

2.2 आधार पौधशाला बीज वितरण कार्यक्रमः- प्रदेश के गन्ना शोध केन्द्र यथा शाहजहाँपुर, मुजफ्फरनगर, सेवरही, गोरखपुर, कटया सादात, अमहट, गोला, बलरामपुर, सिरसा, महोला पर उत्पादित किये गये अभिजनक गन्ना बीज का आवंटन गन्ना आयुक्त द्वारा प्रदेश की समस्त चीनी मिल/गन्ना विकास परिषदों के माध्यम से गन्ना कृषकों को दिया जाता है जिससे चीनी मिल क्षेत्र के गन्ना कृषकों के खेत पर आधार पौधशालाएं स्थापित कराई जाती है। इस पौधशाला को आधार पौधशाला कहते हैं। जिस कृषक के यहाँ आधार पौधशाला स्थापित की जाती है, उनके लिए राज्य सरकार द्वारा रु. 50/कुन्टल की दर से कृषकों को बीज वितरण पर अनुदान दिया जाता है। यह अनुदान इसलिए दिया जाता है कि कृषक शुद्ध एवं निरोग बीज का उत्पादन कर सकें एवं ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक द्वारा निर्दिष्ट कृषकों को गन्ना बीज उपलब्ध कराया जा सके। इस पौधशाला का निरीक्षण एवं तकनीकी परामर्श गन्ना पर्यवेक्षक/गन्ना विकास निरीक्षक/ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक/बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा किया जाता है, बीज का प्रमाणीकरण बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा किया जाता है एवं प्रमाणित बीज पर ही अनुदान दिया जाता है।

2.3 प्राथमिक पौधशाला बीज वितरण कार्यक्रमः- आधार पौधशाला में उत्पन्न हुए बीज से मिल क्षेत्र के गन्ना कृषकों के यहाँ प्राथमिक पौधशाला स्थापित की जाती है और इस पौधशाला से उत्पन्न बीज को सामान्य कृषकों में व्यवसायिक खेती के लिए उपलब्ध कराया जाता है और इसमें रु. 25/कुन्टल की दर से पौधशाला धारकों को बीज वितरण पर अनुदान दिया जाता है। यह अनुदान इसलिए दिया जाता है कि कृषक शुद्ध एवं निरोग बीज का उत्पादन कर सकें। इस बीज का आवंटन प्रमाणीकरण के बाद सामान्य कृषकों को विभागीय नीति से ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक द्वारा किया जाता है। इस पौधशाला का प्रमाणीकरण ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक द्वारा किया जाता है। उपरोक्त दोनों तरह की पौधशालाओं को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि कृषकों को शुद्ध एवं निरोग स्वीकृति प्रजाति का बीज कृषक को अधिक उत्पादन एवं चीनी मिल को अधिक

चीनी परता वाली प्रजातियाँ उपलब्ध हो सकें एवं पुरानी तथा रोग से प्रभावित गन्ना प्रजातियों को हटाया जा सके।

2.4 क्षेत्र प्रदर्शनः- कृषकों के बीच परस्पर प्रतिस्पर्धा के दृष्टिगत वैज्ञानिक संस्तुतियों के अनुसार गन्ने की खेती करने वाले गन्ना कृषकों का चयन किया जाता है, जिससे प्रदर्शन प्लाट को अन्य कृषक देख कर प्रेरित हो सके। जिसमें प्रदर्शन धारक कृषकों को रूपये 9,000 प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान की व्यवस्था है।

2.5 यंत्र वितरण कार्यक्रमः- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषकों में गन्ने की खेती में काम आने वाले यंत्रों का वितरण किया जाता है।Submission on Agricultural Mechancation (SMAM) के अनुसार अनुदान की व्यवस्था है।

2.6 माईक्रोन्यूट्रियेन्ट वितरणः- गन्ने की खेती में प्रयुक्त होने वाले उर्वरकों के अतिरिक्त अन्य आवश्यक सूक्ष्म तत्वों की पूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु कृषकों को माईक्रोन्यूट्रियेन्ट वितरण पर रूपये 500 प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान की व्यवस्था है।

2.7 ग्रामीण महिला शक्ति द्वारा उन्नत गन्ना बीज वितरण कार्यक्रम (Improved Cane Seed Distribution through Rural Women Source Programme) के अन्तर्गत बड़ चिप विधि से उत्पादित सीडलिंग के विक्रय मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा प्रति सीडलिंग अधिकतम रु. 1.50 तथा सिंगल बड विधि से उत्पादित सीडलिंग के विक्रय मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा प्रति सीडलिंग अधिकतम रू. 1.30 का अनुदान की व्यवस्था है।

2.8 किसान गोष्ठीः- कृषकों को जागरूक एवं प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से जनपद स्तर पर कृषक गोष्ठी/मेले की व्यवस्था है, जिसके लिए रूपये 1.00 लाख प्रत्येक गन्ना उत्पादक जनपद को व्यय करने हेतु प्राविधान है।

2.9 उत्पादकता पुरस्कारः- गन्ने की उत्पादकता एवं चीनी परता बढ़ाने एवं कृषकों को प्रोत्साहित करने हेतु जनपद एवं राज्य स्तर पर उत्पादकता पुरस्कार का प्राविधान है, जनपद स्तर पर पेड़ी व पौधा गन्ना हेतु क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार हेतु क्रमशः 25,000 रूपये एवं 15,000 रूपये की व्यवस्था है। राज्य स्तरीय पुरस्कार के अन्तर्गत पेड़ी व पौधा गन्ना में सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त करने वाले गन्ना कृषक को रूपये 50,000 की धनराशि की व्यवस्था है।

2.10 प्रशिक्षण एवं एक्सपोजर विजिट गन्ना कृषकों/विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों हेतु गन्ने की वैज्ञानिक एवं विशिष्ट जानकारी से परिचय कराने के लिए अन्तर्जनपदीय/अन्तर्राज्यीय प्रशिक्षण एवं भ्रमण की व्यवस्था है।

3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन :-

3.1 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अन्तर्गत गन्ने के साथ दलहन/तिलहन फसलों की सिंगल बड चिप टेकनोलॉजी के साथ अन्तःफसली कार्यक्रम हेतु रु.9000 प्रति हे. की दर से

अनुदान की व्यवस्था है।

3.2 कृषि रक्षा रसायन एवं बायोएजेन्ट्स का उपयोग :- फसलों को कीटो, रोगों एवं खरपतवारों से सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। कृषि रक्षा रसायनों में कीटनाशक, रोगनाशक एवं खरपतवारनाशक शामिल होते हैं, जो रासायनिक विधियों से फसलों की रक्षा करते हैं। वहीं बायोएजेन्ट्स जैविक नियंत्रण के माध्यम होते हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा, बैसिलस, नीम आधारित उत्पाद एवं परजीवी कीट, जो पर्यावरण के लिए अधिक सुरक्षित होते हैं। इसके अन्तर्गत कृषकों को कृषि रक्षा रसायन एवं बायोएजेन्ट्स पर रूपये 500 प्रति अथवा मूल्य का 50 प्रतिशत जो भी कम हो की दर से अनुदान की व्यवस्था है।

चीनी विभाग का अभ्युदय :-

चीनी विभाग की स्थापना वर्ष 1938 में हुई। उत्तर प्रदेश में यद्यपि देवरिया के प्रतापपुर नामक स्थान पर 1903 में ही भारत की प्रथम प्राचीनतम चीनी मिल स्थापित हो चुकी थी, परन्तु गन्ना क्रय-विक्रय की किसी संस्थापित पद्धति के अभाव में गन्ना किसानों को अनेक कठिनाइयां होती थीं। भारत सरकार द्वारा पारित शुगरकेन एक्ट, 1934 द्वारा प्रदेशीय सरकारों को इस क्षेत्र को नियंत्रित करते हुए वैक्यूम पैन चीनी मिलों द्वारा प्रयुक्त होने वाले गन्ने के न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया गया।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गन्ना कृषकों की मदद की दृष्टि से शुगर फैक्ट्रीज कन्ट्रोल एक्ट 1938 में लागू किया गया। वर्ष 1953-54 में इसके स्थान पर उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम 1953 एवं उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) नियमावली, 1954 लागू हुआ। उ.प्र. सरकार द्वारा गन्ना किसानों एवं चीनी मिलों के पारस्परिक हितों को दृष्टिगत रखते हुए इन नियमों के अतिरिक्त उ.प्र. शुगर फैक्ट्रीज लाइसेंसिंग आदेश 1969, खाण्डसारी इकाइयों को लाइसेंस देने की आज्ञा, 1967, उ.प्र. गन्ना आपूर्ति एवं खरीद आदेश, 1954 एवं अन्य सुसंगत नियम बनाये गये हैं तथा समय की आवश्यकता के अनुरूप उसमें आवश्यक संशोधन किये गये हैं।

क्रियाकलाप :-

चीनी विभाग में गन्ना अधिनियम एवं नियम का परिवर्तन कराये जाने के साथ मुख्यतः खाण्डसारी इकाइयों के लाइसेंसिंग एवं नियमन, गन्ना विकास कमीशन की वसूली (यद्यपि स्थगित) की गयी अपीलों के निस्तारण, खाण्डसारी इकाइयों के निरीक्षण एवं पायी गयी अनियमितताओं पर कार्यवाही तथा चीनी मिलों के द्वारा संस्थापित गन्ना क्रय केन्द्रों के निरीक्षणों पर विधिक कार्यवाही सम्पन्न कराने के साथ तौल लिपिकों को लाइसेंस सम्बन्धी कार्यवाही सम्पन्न की जाती है।

●

पर्यटन

पर्यटन के बहुआयामी आकर्षणों से परिपूर्ण उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है, जहाँ पर्यटन-विकास के साथ-साथ निजी क्षेत्र के लिये भी पूँजी-निवेश हेतु विपुल संभावनाएं विद्यमान हैं। ऐसी विशेषताओं के कारण ही इस प्रदेश में हर आयु, वर्ग, सम्प्रदाय तथा क्षेत्र के पर्यटक प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में भ्रमणार्थ आते हैं।

उद्देश्यः-

पर्यटन विभाग के प्रमुख उद्देश्य निम्नवत हैं :-

- प्रदेश के समन्वित पर्यटन-विकास व प्रचार-प्रसार के लिए पर्यटन-परिपथों का चिन्हांकन और उनके बृहद् विकास के लिए पर्यटन महत्व के स्थानों का चयन कर पर्यटन संबंधी अवस्थापना सुविधाएँ सुलभ कराने हेतु योजनाओं की संरचना करके उन्हें राज्य/केन्द्र सरकार के संसाधनों से केन्द्रीय योजना, राज्य योजना एवं जिला योजना के माध्यम से कार्यान्वित कराना ताकि प्रदेश में पर्यटकों को अधिकाधिक सुविधाएँ प्राप्त होने के साथ-साथ उनके आगमन में वृद्धि हो सके।
- प्रदेश सरकार द्वारा जिला योजना के अन्तर्गत पर्यटन-विकास के लिए ऐसे पर्यटक स्थलों का विकास किया जाना, जहाँ कम से कम हजार पर्यटक प्रतिवर्ष भ्रमण हेतु आते हों।
- राज्य योजना के अन्तर्गत ऐसे पर्यटक स्थलों का चयन, जो मुख्य परिपथ के अन्तर्गत आते हों, जहाँ विदेशी व भारतीय पर्यटकों का आवागमन वर्ष भर बना रहता है।
- उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक परम्परा को संरक्षण व प्रोत्साहन प्रदान करना।
- पर्यटकों को परिवहन, आवास, भोजन एवं मनोरंजन हेतु अच्छी सुविधाएं प्रदान करना एवं प्रदेश भ्रमण की सुखद अनुभूति कराना।
- पर्यटकों के मार्ग-दर्शन हेतु उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थलों-स्मारकों एवं संस्कृति-कला-शिल्पजनित विशेषताओं को प्रदर्शित करने वाले तथ्यपूर्ण एवं ज्ञानवर्द्धक पर्यटन साहित्य छपवाना व पर्यटकों को उपलब्ध कराना।
- राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए उत्तर प्रदेश को आदर्श गन्तव्य केन्द्र के रूप में विकसित कराने के प्रयत्नों के क्रम में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देना।

- पर्यटकों को प्रदेश की विशिष्ट सांस्कृतिक परम्परा के माध्यम से अधिकाधिक संख्या में उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से विभिन्न मेले-महोत्सवों एवं संगोष्ठियों का आयोजन करवाना।
- रोजगार-सृजन, गरीबी उन्मूलन, स्वच्छता मिशन एवं पूँजीनिवेश जैसे महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों को पर्यटन के माध्यम से आगे बढ़ाते हुए पर्यटन को उद्योग के रूप में स्थापित करना।

उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थलों पर आये पर्यटकों की संख्या

वर्ष	भारतीय पर्यटक/विजिटर्स	विदेशी पर्यटक/विजिटर्स	योग
	.	.	.
	.	.	.
	.	.	.
	.	.	.
	.	.	.
	.	.	.

नोट- आँकड़े लाख में हैं।

सार्वजनिक निजी सहभागिता के अन्तर्गत प्रमुख परियोजनाएँ

हेलीकॉप्टर सेवाः-

- प्रदेश के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ने एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पी.पी.पी. मोड पर प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थलों यथा- लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, मथुरा, कपिलवस्तु, अयोध्या एवं नैमिषारण्य में पर्यटन विभाग द्वारा हेलीकॉप्टर सेवाओं का संचालन कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
- जनपद आगरा एवं मथुरा स्थित हेलीपोर्ट को सार्वजनिक निजी सहभागिता (पी.पी.पी.) मोड पर संचालित कराये जाने हेतु निजी निवेशक का चयन कर लिया गया है।
- इस क्रम में जनपद लखनऊ, प्रयागराज, कपिलवस्तु, वाराणसी, नैमिषारण्य एवं अयोध्या स्थित हैलीपैड को पी.पी.पी. मोड पर संचालित कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

लीज पर संचालित पर्यटन इकाईयाँः-

उत्तर प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों के विकास एंव पर्यटकों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उ.प्र. सरकार द्वारा पर्यटन विभाग की बन्द/असंचालित/घाटे में चल रही इकाईयों को निजी निवेशकों के माध्यम से - वर्ष के लीज पर संचालन का निर्णय लिया गया।

- वर्ष में पर्यटन विभाग की निम्न पर्यटक आवास गृहों इकाईयों को उत्तर प्रदेश पी.पी.पी. गाईडलाइन के अनुसार वर्ष की अवधि के लिए लीज पर विकसित एवं संचालन

किये जाने हेतु दिया जा चुका है।

- 12 पर्यटक आवास गृहो के निजी निवेशकों का पी.पी.पी. मोड पर विकसित व संचालित कराये जाने हेतु अनुबन्ध निष्पादित।
- 09 पर्यटक आवास गृहों के निजी निवेशकों का पी.पी.पी. मोड पर विकसित व संचालित कराये जाने के लिए अनुबन्ध निष्पादन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रदेश के ऐतिहासिक धरोहरों/किलों को अनुकूली पुनः उपयोग (एडाप्टिव री-यूज) के अन्तर्गत विकसित किये जाने सम्बन्धीः-

- प्रदेश के ऐतिहासिक धरोहरों/किलों को अनुकूली पुनः उपयोग (एडाप्टिव री-यूज) के अन्तर्गत सांस्कृतिक संरक्षण एवं पर्यटन की दृष्टि से पी.पी.पी. नीति के अन्तर्गत विकसित किये जाने हेतु 06 विरासत सम्पत्तियों के सापेक्ष विकासकर्ता का चयन कर लिया गया है। जिस पर मा. मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त कर चयनित विकासकर्ताओं को एल.ओ.आई. निर्गत किया जा चुका है एवं कन्शेसन अनुबन्ध निष्पादित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
- उक्त के अतिरिक्त प्रदेश के 13 ऐतिहासिक धरोहरों/किलों को अनुकूली पुनः उपयोग (एडाप्टिव री-यूज) के अन्तर्गत विकसित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

पर्यटन विभाग के अन्तर्गत संचालित केन्द्र पोषित योजनाओं की अद्यतन स्थिति

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार की स्वदेश दर्शन स्कीम :-

- स्वदेश दर्शन स्कीम के रामायण सर्किट के अन्तर्गत श्रृंगवेरपुर (जनपद-प्रयागराज) एवं चित्रकूट धाम के पर्यटन विकास हेतु पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार से कुल रु. 69.45 करोड़ की धनराशि स्वीकृत कराई गई, जिसका कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
- स्वदेश दर्शन स्कीम के रामायण सर्किट के अन्तर्गत अयोध्या के समेकित पर्यटन विकास हेतु पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार से कुल रु. 127.21 करोड़ की धनराशि स्वीकृति कराई गई, जिसका कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
- स्वदेश दर्शन स्कीम के बुद्धिस्ट सर्किट के अन्तर्गत कुशीनगर, कपिलवस्तु एवं श्रावस्ती का समेकित पर्यटन विकास हेतु पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार से कुल रु. 87.89 करोड़ की धनराशि स्वीकृत कराई गई, जिसका कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
- स्वदेश दर्शन स्कीम के स्पिरीचुअल सर्किट-1 योजना के अन्तर्गत विभिन्न पर्यटन स्थलों-आहर, अलीगढ़, कासगंज, उन्नाव, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, मीरजापुर, गोरखपुर, डुमरियागंज, बस्ती, बाराबंकी, आजमगढ़, कैराना, बागपत एवं शाहजहाँपुर के पर्यटन विकास हेतु पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार से कुल रु. 65.61 करोड़ की धनराशि स्वीकृत कराई गई, जिसका कार्य पूर्ण हो चुका है।
- स्वदेश दर्शन स्कीम के स्पिरीचुअल सर्किट-2 योजना के अन्तर्गत बिजनौर, मेरठ, कानपुर, कानपुर देहात, बाँदा, गाजीपुर, सलेमपुर, घोसी, बलिया, अम्बेडकर नगर, अलीगढ़,

फतेहपुर, देवरिया, महोबा, सोनभद्र, चन्दौली, मिश्रिख एवं भदोही के पर्यटन स्थलों के पर्यटन विकास हेतु रु. 67.51 करोड़ की योजना स्वीकृत कराई गई, जिसका कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

- पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार की स्वदेश दर्शन स्कीम के हेरिटेज सर्किट योजना के अन्तर्गत मगहर धाम (संतकबीर नगर), चौरी चौरा, शहीद स्थल (फतेहपुर), महावर स्थल (घोसी), सोलम चौपाल (मुजफ्फरनगर), शहीद स्मारक (मेरठ) एवं कालिन्जर किला (बाँदा) पर्यटन स्थलों के पर्यटन विकास हेतु रु. 33.17 करोड़ की योजना स्वीकृत कराई गई, जिसका कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
- स्वदेश दर्शन स्कीम की स्पिरिचुअल सर्किट योजना के अन्तर्गत गोरखपुर-देवीपाटन-डुमरियागंज के पर्यटन विकास हेतु रु. 18.30 करोड़ की योजना स्वीकृत कराई गई है, जिसका कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
- स्वदेश दर्शन स्कीम के स्पिरिचुअल सर्किट योजना के अन्तर्गत जेवर-दादरी-सिकन्दराबाद-नोएडा-खुर्जा-बाँदा के पर्यटन विकास हेतु रु. 12.03 करोड़ की योजना स्वीकृत कराई गई है, जिसका कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार की प्रासाद स्कीम :-

- प्रासाद स्कीम के अन्तर्गत वाराणसी में अस्सी घाट से राज घाट तक क्रूज बोट के संचालन की योजना हेतु कुल रु. 10.71 करोड़ की योजना स्वीकृत कराई गई। उक्त क्रूज बोट का निर्माण कार्य गोवा शिपयार्ड के द्वारा पूर्ण कर लिया गया है तथा क्रूज बोट का संचालन प्रारम्भ किया जा चुका है।
- प्रासाद स्कीम के अन्तर्गत वाराणसी के समेकित पर्यटन विकास फेज-2 रु. 44.60 करोड़ की योजना कराई गई, जिसका कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
- प्रासाद स्कीम के अन्तर्गत जनपद-मथुरा स्थित गोवर्धन के पर्यटन विकास हेतु रु. 37.39 करोड़ की योजना स्वीकृत कराई गई, जिसका कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की म्यूजियम ग्राण्ट स्कीम :-

- संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की म्यूजियम ग्राण्ट स्कीम के अन्तर्गत अयोध्या में रामकथा संग्रहालय में डिजिटल इण्टरवेंशन/रामायण गैलरी के विकास की योजना रु. 13.48 करोड़ की योजना स्वीकृत करायी गई, जिसका कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार की स्वदेश दर्शन स्कीम 2 0 :-

- पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार की स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 के अन्तर्गत चयनित स्थल प्रयागराज में आजाद पार्क एवं देखो प्रयागराज ट्रेल एक्सपीरियन्स योजना हेतु रु.1302.07 लाख एवं नैमिषारण्य में वैदिक वेलनेस एक्सपीरियन्स योजना हेतु रु. 1594.52 लाख की धनराशि स्वीकृत करायी गई।

- पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 की सब स्कीम चैलेन्ज बेस्ड डेस्टिनेशन डेवेलेपमेन्ट की कल्चर एवं हेरिटेज केटेगरी के अन्तर्गत महोबा के पर्यटन विकास हेतु रु. 25.00 करोड़ की योजना स्वीकृत करायी गई।

प्रशासनिक व्यवस्था

प्रदेश की पर्यटन-विकास सम्बन्धी योजनाओं को तैयार करने तथा उनके कार्यान्वयन हेतु **पर्यटन निदेशालय** की स्थापना वर्ष में की गई थी। यह विभाग भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, महानिदेशक पर्यटन के अधीन संचालित होता है। पर्यटन के विकास हेतु आवश्यक वाणिज्यिक कार्यों की देख-रेख के लिये वर्ष में **"उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम"** की स्थापना की गई, जिसके प्रबन्ध निदेशक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं। इस प्रकार प्रदेश की पर्यटन-योजनाओं को तैयार कराने व उन्हें कार्यान्वित कराने का दायित्य महानिदेशक पर्यटन, उत्तर प्रदेश का है।

प्रदेश के विभिन्न नगरों एवं प्रमुख स्थलों पर पयर्टन स्थलों पर पर्यटन कार्यालय स्थापित हैं। स्वदेशी पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश के बाहर स्थित प्रमुख नगरों में भी पर्यटन कार्यालय स्थापित है।

पर्यटन-व्यवसाय एवं रोजगार हेतु इच्छुक व्यक्तियों को पर्यटन सम्बन्धी शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से **लखनऊ में मान्यवर कांशीराम पर्यटन प्रबन्ध संस्थान तथा जनपद अलीगढ़ में फूड क्राफ्ट इन्स्टीट्यूट संस्थान** पर्यटन विभाग के अधीन संचालित हो रहा है।

उक्त के अतिरिक्त प्रदेश के महत्वपूर्ण तीर्थस्थलों के सर्वांगीण विकास हेतु उ.प्र. ब्रजतीर्थ विकास परिषद, उ.प्र. श्री चित्रकूटधाम तीर्थ विकास परिषद, उ.प्र. विन्ध्यधाम तीर्थ विकास परिषद, उ.प्र. श्री नैमिषारण्यधाम तीर्थ विकास परिषद्, उ.प्र. श्री अयोध्याजी तीर्थ विकास परिषद उ.प्र. श्री देवीपाटनधाम तीर्थ विकास परिषद तथा उ.प्र. श्री शुक्र तीर्थ विकास परिषद का भी गठन किया गया है।

ट्रैवल ट्रेड अनुभाग

1. **अंतर्राष्ट्रीय-राष्ट्रीय मार्ट/सेमिनार/कान्फ्रेंस/कन्वेंशन-** पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा पर्यटन के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय, पर्यटन मार्टस्/सम्मेलनों आदि में भाग लिया गया, जिससे उ.प्र. पर्यटन को और व्यापक किया जा सके जिसके अन्तर्गत अरेबियन ट्रैवल मार्केट दुबई के.आई.टी.एस. (कोरिया इण्टरनेशनल टूरिज्म शो-2024), पाटा थाईलैण्ड बैंकाक, आई.एफ.टी.एम. टॉप रेसा पेरिस फ्रांस, जाटा टोक्यों जापान, आई.टी.बी. सिंगापुर, डब्ल्यू.टी.एम. लंदन, आईफीमा, मैडरिड फितूर-2025 आयटो कन्वेशन भोपाल, जी.आई.टी.बी. जयपुर राजस्थान, टी.टी.एफ. पटना, आई.टी.एम. लखनऊ, आई.आई.टी.एम. चेन्नई, आई.आई.टी.एम.बैंगलौर, टी.टी.एफ.-कोलकाता एवं अहमदाबाद, बी.टी.एफ.-कोलकाता, साटे-2025, यू.पी. इण्टरनेशनल हेड-शो नोएडा,

रिस्पोंसिबल टूरिज्म कार्यशाला, लखनऊ, एग्री रूरल टूरिज्म स्टांक होल्डर वर्कशाप, इको पर्यटन संवाद, उ.प्र. संवाद कार्यक्रम, आदि प्रतिभाग किया गया।

2. **दीपोत्सव अयोध्या-** छोटी दीपावली के अवसर पर दिनांक 28 से 30 अक्टूबर को अयोध्या में राम की पैड़ी पर इस वर्ष 25,12,585 दीप जलाकर एक बार फिर से वर्ल्ड रिकार्ड बनाया गया, इस अवसर पर सरयू नदी पर भव्य राम लीला मंचन, लेजर-शो, 3डी होलोग्राफिक-शो, फायरवर्क्स आदि का आयोजन किया गया।

3. **देव दीपावली-** काशी में देव दीपावली का आयोजन इस वर्ष दिनांक 13 से 15 नवम्बर -2024 तक परम्परागत रूप से वाराणसी में राजघाट से अस्सीघाट के मध्य दीपोत्सव के रूप में किया गया। उक्त आयोजन में प्रतिदिन स्थानीय कलाकारों के अतिरिक्त ख्याति प्राप्त कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गयी। जिसमें हॉट एयर बैलूनिंग शो, लेजर शो, फॉयर क्रैकर शो आदि का आयोजन किया गया। देव दीपावली को देखने के लिए देश-विदेश से लाखों की संख्या में श्रृद्धालु/पर्यटक वाराणसी पधारते हैं।

4. **रंगोत्सव-** मथुरा में स्थित बरसाना में होली का आयोजन माह मार्च में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा किया गया। होली का पर्व सम्पूर्ण ब्रज क्षेत्र में अत्यंत उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। ब्रज में होली का त्यौहार बसंत पंचमी से प्रारम्भ होकर चैत्र कृष्ण पक्ष तृतीया के मध्य विविध स्थानों पर भिन्न-भिन्न रूप से मनाया गया। होली के प्रमुख आयोजन बरसाना तथा नन्दगांव की लट्ठमार होली, टेसू होली, फूलों की होली, दाऊजी का हुरंगा आदि हैं। मथुरा में ब्रजराज उत्सव का भव्य एवं व्यापक रूप से आयोजन किया गया।

5. **अतिथि सत्कार एवं परिचयात्मक भ्रमण-** इसके अन्तर्गत विभाग द्वारा ट्रैवल ट्रेड से जुड़े लोगों, जैसे- ट्रैवल राइटर, ट्रैवेल एजेन्ट, होटेलियर एवं विशिष्ट अतिथियों तथा पर्यटन-विकास से संबंधित अतिथियों को अतिथि-सत्कार की सुविधा प्रदान की गई।

6. **मेले/महोत्सवों का आयोजन-** प्रदेश के विभिन्न जनपदों से प्राप्त प्रस्तावों के सापेक्ष जनपदों के स्थापना दिवस, मेले महोत्सव, दैनिक आरती का आयोजन पर्यटन विभाग एवं समितियों के द्वारा प्रशासन के सहयोग से आयोजित किया जाता है, यथा-गंगा महोत्सव, देव दीपावली-वाराणसी, दैनिक सरयू-आरती, देव-दीपावली-अम्बेडकरनगर, इटावा महोत्सव, जौनपुर महोत्सव, बहराईच महोत्सव, आजमगढ़ महोत्सव, औरैया महोत्सव, झांसी महोत्सव, मौनी बाबा महोत्सव, कन्नौज महोत्सव, हाथरस महोत्सव, अयोध्या महोत्सव, होली एरच महोत्सव झांसी, गोरखपुर महोत्सव, राष्ट्रीय रामायण मेला श्रंगवेरपुर धाम प्रयागराज, स्वामी दयानन्द सरस्वती स्मरोणोत्सव, फिरोजाबाद, द्वाबा महोत्सव, सिद्धार्थनगर, कार्तिकपूर्णिमा मेला गुढ़मुक्तेशवर, हापुड़, देवकली-औरैया महोत्सव, ताज महोत्सव आगरा, आदि का आयोजन किया गया।

7. **पर्यटन पुलिस का गठन-** उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन-पुलिस का गठन किया गया है। वर्तमान में पर्यटकों के आवागमन को दृष्टिगत रखते हुए उनके सुविधार्थ/सहायतार्थ आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा, झाँसी एवं लखनऊ, में पर्यटन पुलिस की व्यवस्था की गयी है।

8. **टूरिस्ट गाइड लाइसेन्स प्रदान किया जाना-** मा. उच्च न्यायालय, प्रयागराज के दिनांक 27.02.2009 के निर्णय एवं शासनादेश दिनांक 19.06.2009 के अनुपालन में 850 राज्य स्तरीय गाइडों का चयन् किया गया है, जो आगरा एवं वाराणसी, लखनऊ, कुशीनगर परिक्षेत्र में गाइडों द्वारा गाइडिंग का कार्य किया जा रहा है।

9. **पेइंग गेस्ट योजना-** इस योजना के माध्यम से किसी निजी भवन-स्वामी द्वारा अपने घर का भाग (अधिकतम पांच कमरे) पर्यटकों को किराये पर उपलब्ध कराये जा सकते हैं।

10. **बेड एण्ड ब्रेकफास्ट योजना-** पेइंग गेस्ट योजना के समान भारत सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा बेड एवं ब्रेकफास्ट की नवीन योजना तैयार की गयी है, जिसका उद्देश्य भारतीय-विदेशी पर्यटकों को भारतीय परिवारों के साथ आवास-भोजन की सुविधा सुलभ कराया जाना है, जिससे उन्हें भारतीय परम्पराओं एवं रीति-रिवाजों से परिचित कराया जा सके।

11. **विश्व पर्यटन दिवस-** 27 सितम्बर को सम्पूर्ण विश्व में मानये जाने वाले विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन विभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालयों में विश्व पर्यटन दिवस-2024 का सफलता पूर्वक आयोजन किया गया है।

जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद्

उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद का गठन प्रदेश के सभी जनपदों में किया गया है, सभी परिषदों को पंजीकृत कराकर उसका संचालन सुचारू रूप से किया जा रहा है। पर्यटन एवं संस्कृति विभाग की वर्तमान में निष्प्रयोज्य सम्पत्तियों को अनुरक्षण, प्रबंधन, संचालन, विकास/विस्तारण जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया है ताकि पर्यटन एवं संस्कृति विभाग की वर्तमान में निष्प्रयोज्य सम्पत्तियों का पर्यटन विकास हेतु सदुपयोग किया जा सके।

उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022

प्रदेश में पर्यटकों हेतु बेहतर आतिथ्य सत्कार उपलब्ध कराने एवं पर्यटन के बहुमुखी विकास हेतु उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति-2022 प्रख्यापित की गई है। निवेशकों को पर्यटन नीति 2022 के अन्तर्गत निर्मित विभागीय पोर्टल पर 1072 पर्यटन इकाइयों को पंजीकरण प्रमाण पत्र निर्गत किये जा चुके हैं, जिनके द्वारा कुल रु. 27064.04 करोड़ का निवेश किया जाना प्रस्तावित है।

उत्तर प्रदेश ईको टूरिज्म विकास बोर्ड

उत्तर प्रदेश इको-पर्यटन विकास बोर्ड ने हाल ही में ग्रेटर नोएडा में आयोजित यूपी

इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 में भाग लिया, जिसमें उत्तर प्रदेश की विशाल इको-टूरिज्म क्षमता का प्रदर्शन किया गया। यह आयोजन 25 से 29 सितम्बर 2024 तक चला। उत्तर प्रदेश इको-टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड (यूपीईटीडीबी) का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में इको-टूरिज्म के बारे में जागरूकता बढ़ाना, बोर्ड द्वारा की गई विकास पहलों को प्रस्तुत करना, और सहयोगी अवसरों के लिए निवेशकों को आमंत्रित करना है।

युवा पर्यटन

विभाग द्वारा पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियों को आयोजन करने तथा देश की समृद्ध सांस्कृतिक, आध्यात्मिक ऐतिहासिक एवं पारिस्थितिक विरासत के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के शासकीय एवं गैर शासकीय शैक्षणिक संस्थानों में युवा पर्यटन क्लब का गठन किया गया है, जिसके क्रम में प्रदेश के सभी जिलों में युवा पर्यटन क्लबों का गठन किया जा चुका है। इन क्लबों के समस्त सदस्य पर्यटन मित्र के रूप में स्वैच्छिक आधार पर कार्य करेंगे।

ग्रामीण पर्यटन

मा. मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं के अन्तर्गत 75 ग्रामों को ग्राम्य पर्यटन हेतु चयनित कराके उन ग्रामों में पर्यटन का विकास किया जाना प्रस्तावित है। पर्यटन विभाग द्वारा कृषि एवं ग्राम्य पर्यटन की अवधारणा को साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश में अवस्थित विशिष्ट ग्रामों को पर्यटकों के लिए सतत् आकर्षण का केन्द्र बनाने के दृष्टिगत 229 गांव चयनित किये गये हैं। ग्रामीण पर्यटन के क्षेत्र में कार्य किये जाने से स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन होगा तथा लोगों के जीवन स्तर का भी उन्नयन हो सकेगा।

पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष-2024 में हेरिटेज कैटेगरी में बेस्ट टूरिज्म विलेज -पुरामहादेवा बागपत गांव को पुरस्कृत किया गया।

उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड

वर्ष 1974 में निगम की स्थापना के उपरान्त शासन ने पर्यटन निदेशालय द्वारा संचालित की जा रही 08 इकाईयों-वाराणसी, सारनाथ, प्रयागराज, महोबा, अयोध्या, हरिद्वार, लखनऊ तथा आगरा को संचालन हेतु निगम को हस्तान्तरित किया था। निगम को संचालन हेतु उपलब्ध करायी गयी इकाइयों की संख्या में लगातार वृद्धि हुयी है और वर्ष 2024-25 में निगम द्वारा 33 इकाईयों का संचालन स्वयं के संसाधनों से किया जा रहा है। वर्तमान में बन्द इकाईयों पर सुरक्षा व्यवस्था हेतु केवल एक-एक कर्मचारी तैनात है। निगम की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य हैं- पर्यटन को बढ़ावा देना, पर्यटकों हेतु आवास गृहों, जलपान-गृहों, मार्गीय सुविधा तथा मनोरंजन स्थलों का संचालन करना है।

●

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन

वनों का महत्व व लाभः-

वन प्रकृति की अनुपम देन है। ये न केवल, लकड़ी, चारा, फल, फूल, दवा, शहद, मोम आदि दैनिक उपयोग की वस्तुएं प्रदान करते हैं बल्कि जलवायु परिवर्तन व वैश्विक तापमान में वृद्धि की दर न्यून करने, पर्यावरण शुद्ध रखने, भूमि एवं जल संरक्षण तथा वन्य जीवों को आश्रय दने जैसे परोक्ष, परन्तु अधिक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। जन जीवन को बाढ़, भूस्खलन, सूखा, प्रदूषण व अन्य प्राकृतिक आपदाओं से मुक्त रखने व जल स्त्रोतों को जीवित रखने का सबसे सरल उपाय वनावरण में वृद्धि है। वनावरण हम सबके सम्मिलित प्रयासों से ही संभव है।

वनों के प्रत्यक्ष व परोक्ष प्रभाव सर्वविदित हैं। प्रत्यक्ष प्रभावों में मनुष्य विभिन्न आर्थिक लाभों यथा चारा, जलौनी, फल, जड़ी-बूटी उद्योगों हेतु कच्चा माल, निर्माण हेतु प्रकोष्ठ से लाभान्वित होने के साथ-साथ आजीविका प्राप्त करता है। परोक्ष प्रभावों में वन, ऑक्सीजन उत्सर्जन, जल व मृदा संरक्षण कर मानवता को लाभान्वित करते हैं। इसके अतिरिक्त वन, भू-क्षरण, वायु व जल प्रदूषण निवारण में मददगार हैं व तापमान तथा वर्षा नियंत्रित कर मानव जीवन की रक्षा करते हैं। राष्ट्रीय वन नीति-2017 के अनुसार एक तिहाई क्षेत्रफल वनों से आच्छादित होना चाहिए परन्तु उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र 6.91 प्रतिशत, वनावरण 6.15 प्रतिशत एवं कृषि योग्य गैर वन भूमि में वृक्षावरण मात्र 3.08 प्रतिशत है। इस प्रकार प्रदेश में कुल वनाच्छादित व वृक्षाच्छादित क्षेत्र का 9.23 प्रतिशत है।

उत्तर प्रदेश वन एवं वन्यजीव विभाग के सम्बन्ध में कुल अद्वितीय तथ्यः-

- चित्रकूट जनपद के अन्तर्गत विन्ध्य पर्वतमाला स्थित लगभग 53000 हेक्टेयर का विशालकाय तथा रमणीय वन क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण दिनांक 19.10.2022 को रानीपुर टाइगर रिजर्व के नाम से प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया।
- जैव विविधता प्रबन्ध समितियों के सक्रिय सहयोग व सहभागिता से 100 वर्ष से अधिक ऐतिहासिक, पौराणिक एवं सास्कृतिक महत्वपूर्ण अवसरों से जुड़े प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में वन क्षेत्र के बाहर सामुदायिक भूमि पर अवस्थित 28 प्रजातियों के 948 वृक्षों को विरासत वृक्ष घोषित किया गया।
- वर्तमान में प्रदेश स्थित कुल 10 वेटलैण्ड रामसर साइट घोषित है।

- वर्तमान में प्रदेश पाये जाने वाले बारासिघों की कुल संख्या 6665 है जिनमें से अधिकांश (3579) दुधवा टाइगर रिजर्व, लखीमपुर खीरी में पाए जाते हैं।
- देश में सारस सर्वाधिक संख्या में हमारे देश में पाए जाते हैं। वर्ष 2022 की सारस गणना के अनुसार वर्तमान में प्रदेश में सारसों की संख्या 19522 है।

उत्तर प्रदेश के वन-एक दृष्टिः-

उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल	:	2,40,928 वर्ग किमी.
प्रदेश का वन क्षेत्र	:	16710 वर्ग किमी. (भौगोलिक क्षेंत्रफल) का 6.91 प्रतिशत)
प्रदेश में वनावरण	:	14818 वर्ग किमी. (भौगोलिक क्षेंत्रफल) का 6.15 प्रतिशत)
प्रदेश में कृषि योग्य गैर वनभूमि में वृक्षावरण	:	7421 वर्ग किमी. (भौगोलिक क्षेंत्रफल) का 3.08 प्रतिशत)
प्रदेश में कुल वृक्षावरण एवं वनावरण	:	22,239 वर्ग किमी. (भौगोलिक क्षेंत्रफल) का 9.23 प्रतिशत) (स्त्रोत भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून की स्थिति रिपोर्ट-2021)

दृष्टि विजनः-

समाज के व्यापक हित के लिए विश्व स्तरीय वन प्रबन्धन के माध्यम सेः-

- जैव विविधता संरक्षण।
- लाभों एवं सेवाओं की निरन्तर उपलब्धता।

मिशनः-

- जन मानस में जैव विविधता संरक्षण की सोच स्थापित करने हेतु अभिनव प्रयास।
- वन कर्मियों को वन प्रबन्ध की आधुनिकतम व विश्वस्तरीय तकनीक में दक्षता प्राप्त कराना।

संकल्पः-

- हम वानिकी क्षेत्र में विश्व स्तरीय मानक प्राप्त करने के लिए सतत् प्रयत्नशील रहेंगे।

उत्तर प्रदेश राज्य वन नीति-2017 के मुख्य बिन्दुः-

- वनवासियों एवं स्थानीय समुदाय का विश्वास अर्जित करना।
- इन वर्गों की वन संरक्षण और वानिकी में सकारात्मक भागीदारी, सीधा लाभ प्रदान कर आय में वृद्धि एवं क्षमता विकास।
- विभिन्न गतिविधियों यथा वन संरक्षण, मूल्य संवर्धन, वन उपज प्रसंस्करण, मार्केट लिकेज,

वन प्रबन्ध में भागीदारी सहित विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से आदिवासियों एवं स्थानीय समुदायों की क्षमता विकास व आय में वृद्धि।

- पारदर्शिता, समयबद्धता, आन लाईन व्यवस्था, मजदूरी अथवा अन्य सहायता की धनराशि सीधे बैंक खाते में जमा कर आदिवासियों एवं स्थानीय समुदाय को समय से भुगतान करना।
- वनवासियों के समग्र विकास, आजीविका तथा खाद्य सुरक्षा हेतु वन केन्द्रित सुविधाएं प्रदान किया जाना।
- प्रदेशवासियों, विशेषकर विद्यार्थियों व युवाओं में प्राकृतिक संसाधनों के प्रति अभिरूचि जागृत करने एवं कृषकों की आय में बढ़ोत्तरी किया जाना।

उद्देश्यः-

- वनों एवं जैवविविधता का संरक्षण, विकास एवं वैज्ञानिक व विवेकपूर्ण प्रबन्धन, आदिवासी एवं वनवासी केन्द्रित वन प्रबन्ध पर विशेष बल।
- हरित आवरण में वृद्धि करते हुये कृषकों की आय में वृद्धि।
- नदियों विशेषकर राष्ट्रीय नदी गंगा को प्रदूषण मुक्त करना एवं अविरल प्रवाह बनाये रखना।
- वृक्षों की खेती को आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद बनाना।
- प्रकाष्ठ एवं अन्य वन उपज का कुशल उपयोग एवं इनके वैकल्पिक साधनों के उपयोग को बढ़ावा।
- ईको टूरिज्म डेस्टीनेशन का विकास।
- महिलाओं, विद्यार्थियों, कृषकों, पूर्व सैनिकों एवं वनों के समीप रहने वाले ग्रामवासियों के सहयोग से वानिकी को जनांदोलन बनाया जाना।
- महिलाओं, विद्यार्थियों, कृषकों, सैनिकों एवं वनों के समीप रहने वाले ग्रामवासियों के सहयोग से वानिकी को जनांदोलन बनाया जाना।

उक्त समस्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य में वृहद् स्तर पर एक जन सहभागिता अभियान चलाया जाना जिसमें महिलाओं, विद्यार्थियों, कृषकों, पूर्व सैनिकों एवं वनों के समीप रहने वाले ग्रामवासियों का सहयोग विशेष रूप से प्राप्त करना।

राज्य वन नीति का प्रमुख उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता एवं परिस्थितिकी संतुलन को सुनिश्चित करना है। इस प्रमुख उद्देश्य की पूर्ति के सापेक्ष वनों से आर्थिक लाभ प्राप्त करना गौण है।

वन प्रबन्ध के महत्वपूर्ण सिद्धान्तः-

- नार्मल (Normal) वन की स्थापना।
- वनों की उत्पादकता में वृद्धि।

- वनवासियों के विकास केन्द्रित प्रबन्धन।
- वनों एवं ग्रामों के मध्य ग्रीन कॉरीडोर का सृजन।
- मानव वन्य जीव संघर्ष न्यून करना।

उत्तर प्रदेश वन निगम

उत्तर प्रदेश के वनों के अधिक प्रभावी परिरक्षण, विकास तथा वनोपज के वैज्ञानिक विदोहन के लिये स्थानीय प्राधिकरण के रूप में उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम 1974 के अन्तर्गत 25 नवम्बर, 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना हुई थी। इसी के साथ वैज्ञानिक पद्धति से वनों में से वनोपज का विदोहन कार्य Sustainable Yield के सिद्धान्तों के अनुरूप उत्तर प्रदेश में प्रारम्भ किया गया था। उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा मुख्य रूप से प्रकाष्ठ, जलौनी, तेन्दूपत्ता एवं आंशिक रूप से बाँस के विदोहन का कार्य किया जाता है। यह नियम का परम्परिक कार्य है।

उत्तर प्रदेश वन निगम के milestones:-

- 1977-78 - बांस का संग्रहण एवं विक्रय कार्य प्रारम्भ।
- 1983 - उत्तर प्रदेश तेन्दूपत्ता व्यापार विनियम अधिनियम 1972 के अन्तर्गत तेन्दूपत्ता व्यापार के लिये एवं मात्र अधिकृत एजेण्ट नामित।
- 1997-98 - जड़ी बूटी का संग्रहण प्रारम्भ।
- 2013 - इकोटूरिज्म हेतु नोडल एजेन्सी नामित।
- 2019-20 - प्रधान मंत्री वनधन योजना हेतु क्रियान्वयन संस्था नामित।

उत्तर प्रदेश वन एवं वन्यजीव विभाग की प्राथमिकतांः-

- पर्यावरण वृक्षारोपण में वृद्धि।
- वनों की सुरक्षा (अवैध कटान, अवैध खनन, अतिक्रमण पर नियंत्रण)।
- वन्यजीव एवं जैव विविधता संरक्षण।
- वानिकी कर्मियों की कार्यकुशलता में वृद्धि।
- ईको पर्यटन का बढ़ावा।
- कृषि वानिकी को बढ़ावा।

वृक्षारोपण योजनायें

विभागीय योजनाएं

(क) वृक्षारोपण योजनायें

(1) सामाजिक वानिकीः-

प्रदेश के समस्त जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रकाष्ठ, ईंधन, चारा पत्ती तथा लघु वन उपज

की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की भूमि तथा अवनत वन क्षेत्र, सामुदायिक भूमि, नहर, रेल तथा सड़क के किनारे उपलब्ध भूमि पर वृक्षारोपण कराया जाता है।

(2) शहरी क्षेत्रों में सामाजिक वानिकीः-

प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण एवं सौन्दर्य को दृष्टिगत रखते हुए सड़कों के किनारे खाली पड़ी भूमि एवं पार्कों की भूमि पर इस योजना के अन्तर्गत पर्यावरण दृष्टिकोण से उपयोगी तथा शोभाकार वृक्षों का रोपण किया जाता है।

(3) पौधशाला प्रबन्धन योजनाः-

वन एव वन्य जीव विभाग की पौधशालाओं में उच्च गुणवत्ता की पौध तैयार करने हेतु पौधशाला प्रबन्धन योजना क्रियान्वित की जा रही है। परियोजना में आगामी वर्षों के वृक्षारोपण के लिए उच्च गुणवत्ता के पौधों को पौधशाला में तैयार किया जाता है। प्रदेश के समस्त जनपदों में यह योजना क्रियान्वित की जा रही है।

(4) नेशनल बैम्बू मिशन योजना (केन्द्र पुरोनिधानित):-

नेशनल बैम्बू मिशन एक केन्द्र पुरोनिधानित योजना है जिसमें 60 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 40 प्रतिशत राज्यांश का प्राविधान है। इस योजना में वन क्षेत्रों तथा गैर वन क्षेत्रों में बांस वृक्षारोपण कर बांस क्षेत्र को बढ़ाना है। इस योजना के मुख्य कार्यों में बांस वृक्षारोपण हेतु उच्च गुणवत्ता युक्त रोपण सामग्री हेतु पौधशालाओं का विकास, वन क्षेत्रों में बांस वृक्षारोपण, गैर वन क्षेत्रों में बांस वृक्षारोपण, बैम्बू ट्रीटमेंट प्लान्ट/प्रोसेसिंग यूनिट फार वैल्यू एडीसन/प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट/काटेज इन्डस्ट्री/फर्नीचर मेकिंग (प्राइवेट एवं सरकारी)/ज्वेलरी मेकिंग/स्टिक मेकिंग/डिमोस्ट्रेशन प्लाट/रूरल हाट (प्राइवेट)/कार्बोनाइजेशन प्लान्ट/बिजनेस इन्कूवेटर्स/कामन फैसलिटी सेन्टर/बैम्बू डिपो/बैम्बू बाजार/इन्क्यूवेशन सेन्टर (सरकारी) प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास तथा प्रचार-प्रसार सम्मिलित है। इस योजना से कृषकों के उत्पादकता, रोजगार के अवसर, आय सृजन, ग्रामीण परिवारों विशेष रूप से छोटे किसानों की आजीविका के संसाधनों में वृद्धि होगी।

(5) विन्ध्य एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र में छोड़ी गयी खदानों तथा पठारी/पहाड़ी क्षेत्र में वृक्षारोपणः-

विन्ध्य एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र का अधिकांश भाग पठारी है तथा इस क्षेत्र में वर्षा भी बहुत कम होती है, जिसके कारण इस क्षेत्र में सामान्यतः सूखे की स्थिति बनी रहती है। भू-गर्भ जल का स्तर भी काफी नीचे चला जाता है। उत्तर प्रदेश के विन्ध्य एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र में ऐसे पुरानी खदानें हैं, जिनमें वृक्षारोपण भूमि उपलब्ध हो सकती है। वन एवं वन्यजीव विभाग द्वारा वृक्षारोपण कर वनावरण का बढ़ावा तथा पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जा सकता है। ईंधन चारा एवं इमारती लकड़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो सकती है। वृक्षारोपण करने से मृदा संरक्षण हो सकेगा तथा जल की निरन्तरता बढ़ेगी। ग्रीन हाऊस गैसों की मात्रा को सीमित कर जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित किया जा सकता है।

(6) ग्रीन इण्डिया मिशन योजना (केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित):-

केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित ग्रीन इण्डिया मिशन योजना के अन्तर्गत हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन (जी.आई.एम.), जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एन.ए.पी.सी.सी.) के तहत आठ मिशनों में से एक मुख्य रूप से अनुकूलन और समन उपायों के संयोजन के माध्यम से जलवायु परिवर्तन का जवाब देना है जो निरंतर कार्बन सिंक को बढ़ाएगा, प्रबंधित वनों और अन्य परिस्थितिक तन्त्रों को बदलते हुए अनुकूलन में मदद करते हैं और वन पर निर्भर स्थानीय समुदायों को जलवायु परिवर्तन अनुकूलन बनाने में मदद करते हैं। मिशन में 5 उपमिशन शामिल हैं। वन आवरण की गुणवत्ता में वृद्धि पारिस्थिकीय तन्त्र सेवा में सुधार, पारिस्थिकीय तन्त्र की बहाली और वन आवरण में वृद्धि, संस्थागत भूमि सहित शहर व शहर के आस-पास वाले वनों के क्षेत्रों में आवरण को बढ़ाना, कृषि वानिकी व सामाजिक वानिकी (बायोमास बढ़ाना और कार्बन सिंक बनाना), और आर्द्र भूमि की बहाली। उक्त के अतिरिक्त मिशन के मुख्य उद्देश्य घरेलू उपयोग के लिए उर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को बढ़ावा देने, सामुदायिक आजीविका बढ़ाने के उपायों, खंडित वन जीवों के आवासों को जोड़ने, सामुदायिक संरक्षित क्षेत्रों, पवित्र उपवनों और विशेष जैविक क्षेत्रों की पहचान करने और उनकी रक्षा करने के लिए ग्रास-कटिंग आदि है।

ख- केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें:-

(1) प्रोजेक्ट टाइगर एलीफैन्ट :-

भारत सरकार के पत्रांक दिनांक 20.04.2023 द्वारा पूर्व में संचालित केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित प्रोजेक्ट टाइगर तथा प्रोजेक्ट एलीफैन्ट योजनाओं को संविलियन कर योजना का नया नाम प्रोजक्ट टाइगर एण्ड एलीफैन्ट (पी.टी. एण्ड पी.ई.) कर दिया गया है। यह योजना भारत सरकार एवं राज्य सरकार के संयुक्त वित्त पोषण से क्रियान्वित की जा रही है।

(2) इन्टीग्रेटेड डेवलपमेन्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबीटेट्स:-

यह योजना भारत सरकार की सहायता से प्रदेश के समस्त पक्षी विहारों एवं वन्य जीव विहारों के विकास एवं प्रबन्धन हेतु क्रियान्वित की जा रही है। यह योजना भारत सरकार एवं राज्य सरकार के संयुक्त वित्त पोषण से क्रियान्वित की जा रही है।

(3) नेशनल प्लान फॉर कन्जरवेशन ऑफ एक्वेटिक इको सिस्टम:-

यह योजना भारत सरकार के नेशनल वेटलैण्ड कन्जरवेशन प्रोग्राम के तहत चलाई जा रही है। यह योजना भारत सरकार एवं राज्य सरकार के संयुक्त वित्त पोषण से क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य संरक्षित तथा गैर संरक्षित वेटलेण्ड की सुरक्षा, प्राकृतवास सुधार, कैचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट, स्थानीय समुदायों के साथ भागीदार प्रबन्ध एवं जल गुणवत्ता अनुश्रवण आदि मदों में सहायता पहुँचाना है।

(4) फारेस्ट फायर प्रिवेन्शन एण्ड मैजेजमेंट स्कीम:-

यह योजना भारत सरकार एवं राज्य सरकार के संयुक्त वित्त पोषण से क्रियान्वित की जा रही है। योजनान्तर्गत वनों की अग्नि से सुरक्षा, वनों की सुरक्षा हेतु आवश्यक सुविधाओं का

सुदृढ़ीकरण एवं प्रबन्ध योजना का निरूपण, फील्ड सर्वे, सीमांकन आदि से सम्बन्धित कार्य कराए जाते हैं।

ग- वन्यजीव संरक्षण की योजनाएंः-

(1) गोरखपुर में चिड़ियाघर की स्थापना :-

वन्य जीवों के प्रति जन मानस में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जनपद गोरखपुर में चिड़ियाघर का निर्माण किया गया है। प्राणि उद्यान गोरखपुर 121.34 एकड़ भूमि में स्थापित किया गया है, जिसमें वन्यजीव यथा- बाघ, बब्बर शेर, लेपर्ड, भालू, गैण्डा, बारासिंघा, काला हिरन, चीता, सांभर, जेब्रा, दरियाई घोड़ा, घड़ियाल विभिन्न प्रजातियों के तीतर आदि को प्रदर्शित किया जा रहा है।

(2) संरक्षित क्षेत्र के बाहर वन्य जीवों का प्रबन्धनः-

उत्तर प्रदेश में संरक्षित क्षेत्र जहां वन्य जीवों की अधिकता है, इनके संरक्षण के उद्देश्य से विभिन्न संसाधनों को उपलब्ध कराने हेतु यह योजना क्रियान्वित है। निरन्तर विकास से वन्यजीव के प्राकृतवास पर बढ़ते जैव दबाव के कारण समग्र प्रदेश में मानव वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं के निराकरण हेतु कार्य किये जाते हैं।

(3) बर्ड फेस्टिबल का आयोजनः-

उत्तर प्रदेश राज्य में पक्षियों के प्रति आम जनता में जागरूकता उत्पन्न करने एवं विद्यार्थियों को पक्षियों के वास स्थल, क्रियाकलाप तथा विदेशी पक्षियों के माइग्रेशन के विषय में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय वेटलैण्ड दिवस 02 फरवरी को प्रदेश के समस्त जनपदों में बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। बर्ड फेस्टिबल के आयोजन में वन विभाग के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग, सूचना विभाग, एफ.आई.सी.सी.आई., गैर-सरकारी संस्थाओं एवं स्थानीय जनता को भी शामिल किया जाता है।

(4) वैटलैण्ड्स का पारिस्थितिकीय एवं अवस्थापना विकासः-

प्रदेश के विभिन्न वैटलैण्ड्स के पारिस्थितिकीय विकास हेतु वैटलैण्ड्स की सफाई हानिकारक खर-पतवार निकालना, पौध रोपण एवं बीज बुआन, बंधो का निर्माण तथा अवस्थापना विकास सम्बन्धी कार्य कराये जाते हैं।

(5) सारनाथ डियर पार्क में वन जीवों का प्रबन्धन एवं पर्यटक सुविधाओं का विकासः-

सारनाथ डियर पार्क में वन जीवों का प्रबंधन एवं पर्यटक सुविधाओं का विकास योजना से सारनाथ मिनी जू को जनपद वाराणसी में एक महत्वपूर्ण इको पर्यटन के रूप में विकसित किया जायेगा।

(6) उत्तर प्रदेश राज्य में गैण्डों एवं अन्य अतिमहत्वपूर्ण/संकटपन्न वन्य जीवों एवं उनके प्राकृतवास का दीर्घकालीन एवं बृहद संरक्षणः-

इस योजना से गैण्डों का संरक्षण अभियान को प्राप्त शिकार रोधी प्रयासों, अवैध व्यापार

की कड़ियों के नियमित अनुश्रवण एवं उन पर नियंत्रण, विधिक सहायता की उपलब्धता एवं स्थानीय समुदायों के सक्रिय भागीदारी के माध्यम से सुदृढ़ किया जायेगा।

(7) राज्य आद्रभूमि प्राधिकरण का संचालन एवं आद्रभूमि संरक्षण एवं प्रबन्धनः-

उत्तर प्रदेश में स्थित विभिन्न महत्वपूर्ण आद्र भूमियों जिनमें बड़ी संख्या में स्थानीय तथा प्रवासी पक्षी निवास करते हैं, के विकास हेतु विभिन्न कार्यों जैसे-आद्रभूमि की सफाई, हानिकारक खर-पतवार निकालना, ईको पर्यटन सुविधाओं का विकास, बन्धों का निर्माण तथा अन्य विविध कार्य कराये जायेंगे जिससे बड़ी संख्या में प्रवासी तथा अप्रवासी पक्षी क्षेत्र में स्वस्थ पर्यावरण में निवास कर सकेंगे।

(8) कछुआ प्रजनन केन्द्र सारनाथ में वन्य जीवों का प्रबन्धन एवं पर्यटक सुविधाओं का विकास :-

इस योजना से प्राचीनतम धार्मिक एवं सांस्कृतिक नगरी वाराणसी के किनारे प्रवाहमान गंगा नदी में कछुओं की विलुप्त हो रही माँसाहारी प्रजातियों के संरक्षण, संवर्धन एवं विकास तथा गंगा नदी में मृत पशुओं, जले-अधजले शवों के प्रवाह के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियन्त्रित करने के उद्देश्य से प्रस्तावित की जा रही है।

(9) जनपद लखनऊ स्थित कुकरैल वन क्षेत्र में कुकरैल नाईट सफारी पार्क की स्थापना :-

सिंगापुर की विश्व की पहली नाइट सफारी की तर्ज पर 2027.46 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैले कुकरैल वन क्षेत्र में 350 एकड़ में नाईट सफारी विकसित की जायेगी और 150 एकड़ में प्राणी उद्यान बनाया जायेगा। विश्व स्तरीय सुविधाओं के तहत नाईट सफारी में स्थानीय गाइड के साथ ट्रेन की सवारी और जीप की सवारी भी की जा सकेगी। इसके अलावा कैनोपी वाक, कैंपिंग गतिविधि, माउंटेन बाइक ट्रैक, दीवार पर्वतारोहण, ट्री, रेस्टोरेंट, नेचर ट्रेल और फूड कोर्ट आदि सुविधाएं विकसित की जायेंगी।

घ- विभाग में कार्यान्वित राज्य पोषित अन्य योजनाएंः-

(1) जनपद मऊ में वन देवी जैवविविधता का संरक्षण एवं विकास व वन देवी पार्क का जीर्णोद्धार तथा वन देवी में गेस्ट हाउस के निर्माण की योजना :-

मऊ जनपद में एक मात्र वन मनोरंजन पार्क का जीर्णोद्धार करके, यहाँ की जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध कराना। जनपद के आस-पास के स्कूली बच्चों को पर्यावरणीय शिक्षा प्रदान करना तथा विद्यार्थियों को पर्यावरण के प्रति जागरुक बनाना। वन देवी में आने वाली जनता को एक स्वस्थ प्राकृतिक वातावरण प्रदान करके प्रकृति के प्रति उन्हें जागरूक बनाना तथा उनमें जिज्ञासा का संचार करना। वन देवी स्थित वन क्षेत्र की सुरक्षा संरक्षण एवं विकास की परियोजनाओं के निरीक्षण के लिए वन विश्राम गृह का निर्माण कराया जा रहा है।

(2) भवन निर्माणः-

वनों में कार्यरत वन कर्मियों के लिये आवासीय भवनों तथा विभागीय कार्यालयों एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु यह योजना संचालित की जा रही है।

(3) वन सम्बन्धी शोध कार्य एवं प्रसारः-

विभागीय वृक्षारोपण, अन्य एजेंसियों अथवा निजी भूमि पर कृषकों द्वारा किए जाने वाले वृक्षारोपण की उत्पादकता में वृद्धि लाने के लिए आवश्यक है कि उच्च गुणवत्तायुक्त पौध उपलब्ध हो। उच्च गुणवत्तायुक्त पौध तैयार करने के लिए चयनित बीज स्रोतों से ही बीज आपूर्ति का विशेष महत्व है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए वन सम्बन्धी शोध कार्य एवं प्रसार योजनान्तर्गत उच्च गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री उपलब्ध कराने हेतु उच्च कोटि की पौधशाला में उच्च कोटि की पौध तैयार कराई जाती है तथा उच्च गुणवत्ता के चयनित बीज स्रोतों से उच्च कोटि का बीज एकत्रित कर वृक्षारोपण हेतु वितरित किया जाता है।

(4) ईको पर्यटन का विकासः-

प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह योजना प्रदेश के उन क्षेत्रों में लागू की गई है, जहाँ प्राकृतिक सौन्दर्य की छटा हो, वन एवं वन्य जीवों की बहुतायत हो और पर्यटकों के लिए क्षेत्र आकर्षक हो। परियोजना के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ स्थानीय जनता को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं।

(5) मूसाबाग वन क्षेत्र, लखनऊ, का संरक्षण एवं विकास :-

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित अवध वन प्रभाग की लखनऊ रेंज के अन्तर्गत एल.आई.टी. (मूसाबाग) वन ब्लाक मूसाबाग वन क्षेत्र में वर्ष 1970 के दशक में स्थापित एल.आई. टी. वन विश्राम गृह, वन क्षेत्राधिकारी कार्यालय, कर्मचारी आवासीय परिसर, दर्शकों के मनोरंजन हेतु वन चेतना केन्द्र, चिल्ड्रेन पार्क, बुद्धा पार्क, कैन्टीन तक पहुँचने हेतु आर.सी.सी. पुल, पुरूष एवं महिला शौचालय, पेय जल सुविधा, पौधशाला, वाटर चैनल एवं इको टूरिज्म आदि कार्यों को बढ़ावा देने हेतु यह योजना क्रियान्वित की जा रही है।

(6) आचार्य नरेन्द्र देव स्मृति पार्क की स्थापना :-

जन साधारण को वानिकी कार्यों की जानकारी देने व उनमें अभिरूचि पैदा करने तथा उनको मानसिक शान्ति प्रदान करने हेतु जनपद सीतापुर में इलियासग्रांट वन भूमि में आचार्य नरेन्द्र देव स्मृति पार्क की स्थापना तथा विकास का कार्य किया जा रहा है।

(7) उत्तर प्रदेश प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण की वार्षिक प्रचालन योजना :-

इस योजना के अन्तर्गत वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अनुसार वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग विषयक प्रस्तावों में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित की गयी शर्तों के अनुपालन में याचक विभागों से क्षतिपूरक वृक्षारोपण, दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण, अतिरिक्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण, शुद्ध वर्तमान मूल्य, कैचमेंट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान निधि, वन्यजीव क्षेत्रों के हस्तान्तरण/उपयोग आदि मदों में व अन्य विशेष शर्तों के अनुसार धनराशि प्राप्त की जायेगी, जिसे प्रतिकरात्मक वनरोपण अधिनियम 2016 (2016 का 38) में दिये गये प्रविधानों के अधीन राज्य प्रतिकरात्मक वन रोपण

निधि में स्थानान्तरित/जमा किया जायेगा। प्रतिकरात्मक वन रोपण अधिनियम 2016 (2016 का 38) में दिये गये प्राविधानों के अनुसार उक्त जमा धनराशि एवं अर्जित व्याज की धनराशि से क्षतिपूरक वनीकरण, शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) एवं अन्य मदों में प्रयोग किया जायेगा।

(8) वन विभाग के वन विश्राम गृहों का जीर्णोद्धार योजना :-

इस योजना में विभाग के 173 वन विश्राम (बुन्देलखण्ड स्थित विश्राम भवनों को छोड़कर) भवनों के जीर्णोद्धार हेतु यह योजना प्रारम्भ की गई है।

(9) वन विभाग के आवासीय तथा अनावासीय भवनों का अनुरक्षण एवं उच्चीकरण :-

विभाग के कार्यालय भवनों तथा आवासीय भवनों की स्थिति ठीक नहीं है। भवन काफी पुराने व जीर्ण-शीर्ण हो गये हैं। कतिपय भवन विभाग की धरोहर के रूप में स्थापित हैं। अतः इस योजनान्तर्गत भवनों के जीर्णोद्धार हेतु कुल रु. 2550.00 लाख की नयी योजना प्रस्तावित की गई है।

(10) मुख्यालय स्थिति वन विभाग के कार्यालय भवन "अरण्य भवन" के स्थान पर ग्रीन इको फ्रेण्डली कार्यालय का नव निर्माणः-

मुख्यालय स्थित वन विभाग के कार्यालय भवन "अरण्य भवन" के स्थान पर ग्रीन इको फ्रेण्डली कार्यालय के नव निर्माण हेतु पुराने/जर्जर भवन के स्थान पर नए अत्याधुनिक भवन का निर्माण कराया जाना है।

(11) वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर में महिला छात्रावास निर्माणः-

इस योजना में उत्तर प्रदेश सरकार की नीति के अनुसार महिलाओं की नियुक्ति विभिन्न पदों पर की जाती है, जिसका प्रशिक्षण वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर में कराया जाता है।

(12) जनपद गोरखपुर में स्थित शहीद अशफाक उल्ला खाँ प्राणि उद्यान में एक्वेरियम की स्थापनाः-

उत्तर प्रदेश संभावनाओं का एक प्रदेश है, जिसमें समय-समय पर शासन द्वारा नई-योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जाता रहता है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र स्थित जनपद -गोरखपुर आध्यात्मिक एवं भौगोलिक परिपेक्ष्य के साथ-साथ ईको-टूरिज्म के क्षेत्र में एक अहम स्थान रखता है। गोरखपुर में प्रत्येक वर्ष 07 लाख से अधिक आगंतुक भ्रमण हेतु आते हैं तथा वन्यजीवों को देखते हैं एवं उनके विषय विभिन्न जानकारी प्राप्त करते हैं। ऐसे में इसका निर्माण पूर्वांचल के विकास में एक नई कहानी लिखने के साथ-साथ उत्तर प्रदेश में आने वाले आगंतुकों/पर्यटकों को एक नया अनुभव देगा। यह निर्माण रोजगार-परख होने के साथ-साथ पूर्वांचल में ईको-टूरिज्म को एक नया ऊँचाई प्राप्त कराएगा।

नई योजनाएं

(1) राजभवन में स्थापित पंचतंत्र वन में पं. विष्णु शर्मा रचित शिक्षाप्रद कहानियों के निर्माण एवं संयोजनः-

राजभवन में पंचतंत्र वन पूर्व में स्थापित है। जिसमें पं. विष्णु शर्मा द्वारा रचित शिक्षाप्रद 05

अतिरिक्त कहानियों के निर्माण एवं संयोजन किया जाना है जिनका विवरण निम्नानुसार है-

1. मेमने की चतुराई, 2. खरगोश और कछुआ, 3-कुटिल कौआ, 4. एकता में बल, 5-चालाक लोमड़ी।

उपरोक्त पांचो शिक्षाप्रद कहानियों के निर्माण से राजभवन में समय-समय पर आयोजित की जाने वाली प्रदर्शनी से स्कूली बच्चों के ज्ञानवर्धन में सहयोग प्राप्त होगा।

(2) उ.प्र. वानिकी, उद्यानिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुरः-

मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 06.09.2024 को जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केन्द्र कैम्पियरगंज के लोकार्पण के दौरान जनपद गोरखपुर में उ.प्र. वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गयी थी, जिसके क्रम में उ.प्र. शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-1 के पत्रांक दिनांक 25.11.2024 द्वारा उ.प्र. वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की सैद्धांतिक स्वीकृति का आदेश निर्गत किया गया है। उ.प्र. वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना भारी वैसी वन ब्लाक, कैम्पियगंज रेंज गोरखपुर वन प्रभाग में की जायेगी। उक्त चयनित स्थल पुराना आरक्षित वन होने के कारण वानिकी विश्वविद्यालय बनाने हेतु "वन संरक्षण अधिनियम-2023" के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत भारत सरकार से अनुमति प्राप्त करनी होगी। साथ ही उक्त गैर वन भूमि पर प्रतिपूरक वन रोपण (Compensatory Afforestation एवं NPV) हेतु धनराशि देय होगी।

वानिकी विश्वविद्यालय के अधीन वानिकी विज्ञान, वन्यजीव तथा जलवायु परिवर्तन एवं उससे सम्बन्धित विषयों में डिग्री शिक्षण पाठ्यक्रम शिक्षण एवं अनुसंधान कार्यक्रमों के संचालन हेतु सिल्वीकल्चर एवं एग्रोफारेस्ट्री विभाग, प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन एवं सरंक्षण विभाग, वन उपज एवं उनके उपयोग विभाग, प्राथमिक सामाजिक विज्ञान विभाग, पारिस्थितिकीय, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, वन्यजीव विज्ञान एवं संरक्षण विभाग तथा बुनियादी और सामाजिक विज्ञान विभाग आदि का गठन किया जायेगा।

●

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना :-

भारत सरकार द्वारा जन स्वास्थ्य की समग्र सुरक्षा के उद्देश्य एवं प्रदूषण की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रदूषण जनित समस्याओं के प्रभावी निराकरण हेतु अधिनियमित जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, की धारा ( ) के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा फरवरी, को "उत्तर प्रदेश जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड" का गठन किया गया। वर्ष में भारत सरकार द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, अधिनियमित किया गया। इस अधिनियम की धारा- के प्रावधानों के अन्तर्गत जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, के अन्तर्गत गठित राज्य बोर्ड को ही वायु प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण का दायित्व सौंपा गया। जुलाई, से राज्य सरकार द्वारा उक्त राज्य बोर्ड का नाम बदलकर "उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" विनिर्दिष्ट कर दिया गया। राज्य बोर्ड के वित्तीय संसाधन सुदृढ़ करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, पारित किया गया। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, भी अधिनियमित किया गया जिसके अन्तर्गत विहित प्राविधानों के अनुसरण में तत्सम्बन्धी शक्तियाँ भी भारत सरकार द्वारा राज्य बोर्ड को प्रत्यायोजित की गयी। प्रदेश में प्रदूषण की रोकथाम के लिए लखनऊ स्थित मुख्यालय के अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की गई है एवं उनके क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है।

प्रमुख दायित्व एवं कर्तव्य :-

. राज्य में नदियों और कुओं के जल की गुणवत्ता बनाये रखना तथा नियंत्रित क्षेत्रों में वायु प्रदूषण रोकने, नियंत्रित करने, उसे कम करने के लिए व्यापक कार्यक्रम की योजना बनाना तथा उसका निष्पादन सुनिश्चित करना है।

. प्रदूषण निवारण, नियंत्रण या उसे कम करने के लिए सम्बद्ध विषयों पर जानकारी एकत्र करना, उसका प्रसार करना, राज्य सरकार को सलाह देना, उससे संबंधित अन्वेषण और अनुसंधान को बढ़ावा देना, उसका संचालन करना, उसमें भाग लेना।

. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ मिलकर प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण संबंधी कार्य में लगे या लगाये जाने वाले व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के साथ-साथ सार्वजनिक शिक्षा के कार्यक्रम बनाना।

. मल तथा व्यवसायिक बहिःस्राव व उत्सर्जन के शुद्धीकरण संयंत्रों की जाँच तथा निरीक्षण करना तथा स्थानीय निकायों व औद्योगिक प्रतिष्ठानों को वर्तमान या नये उत्प्रवाहों व उत्सर्जनों के

निस्तारण हेतु सहमति देना।

. बहिःस्राव व उत्सर्जन के मानक अधिकथित करना और राज्य में जल एवं वायु प्रदूषण का अनुश्रवण करना।

. मल तथा व्यवसायिक उत्प्रवाहों के शुद्धिकरण हेतु ऐसी प्रक्रियाओं का विकास करना जो टिकाऊ व सस्ता होने के साथ ही साथ कृषि तथा स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल हो।

. उद्योगों तथा स्थानीय निकायों से दिनाँक जून तक के जल उपकर का निर्धारण कर जल उपकर एकत्र करना तथा उसे केन्द्रीय सरकार को भेजना।

. ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो केन्द्रीय बोर्ड या राज्य सरकार द्वारा विहित किये जायें या उसे समय-समय पर सौंपे जायें।

. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, के अन्तर्गत समय-समय पर बोर्ड को सौंपे गये कार्यो का निष्पादन।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में मुख्य कार्यक्रमों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति एवं आय व्ययक के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धि :-

नमूने एकत्रित किया जाना एवं उनका परीक्षण :-

विभिन्न उद्योगों के उत्प्रवाह द्वारा हो रहे प्रदूषण की स्थिति एवं प्रकार ज्ञात करने तथा नदियों के जल की गुणवत्ता की जाँच करने के लिए नमूने एकत्र कर भौतिक, रसायनिक एवं जीवाणु परीक्षण हेतु राज्य बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट प्रयोगशालाओं में भेजकर उनकी जाँच करायी जाती है।

वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 12,239 औद्योगिक नमूनों की जाँच की गयी तथा सतही जल के 37,651 नमूनों की जाँच की गयी। इसके अतिरिक्त 592 औद्योगिक उत्सर्जन नमूनों की भी जाँच की गयी।

बोर्ड द्वारा वातावरण में परिवेशीय वायु गुणता अनुश्रवण का कार्य प्रदेश के शहरों- आगरा, मुरादाबाद, बरेली, गोरखपुर, प्रयागराज, मेरठ, कानपुर, सोनभद्र, वाराणसी, रायबरेली, मथुरा, उन्नाव, सहारनपुर, लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, झाँसी, कानपुर देहात, बाँदा, अलीगढ़, बुलन्दशहर, अयोध्या, बस्ती, आजमगढ़, बिजनौर, नोएडा व केन्द्रीय प्रयोगशाला आदि नगरों में स्थलों पर किया जा रहा है।

उद्योगों को सहमति प्रदान करने हेतु नीति का सरलीकरण एवम् अधिकारों का प्रतिनिधायनः-

पूर्व में बोर्ड मुख्यालय द्वारा समस्त जल एवं वायु सहमति प्रकरणों का निस्तारण किया जाता था तथा क्षेत्रीय कार्यालयों को सहमति आवेदनों के निस्तारण हेतु अधिकृत नहीं किया गया था। तदोपरान्त प्रक्रिया के सरलीकरण व प्रतिनिधायन की प्रक्रिया के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक - - को किये गये वर्गीकरण के अनुसार प्रदूषण के स्तर के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत किया गया है, उक्तानुसार लाल श्रेणी में प्रकार के उद्योगों, नारंगी श्रेणी में प्रकार के उद्योगों, हरी श्रेणी में प्रकार के उद्योगों एवं सफेद श्रेणी में प्रकार के उद्योगों को चिन्हित किया गया है तथा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा हरी श्रेणी में संशोधन करते हुए सी0पी0सी0बी0 द्वारा चिन्हित प्रकार के उद्योगों के साथ प्रकार के उद्योगों को

सम्मिलित करते हुए कुल हरी श्रेणी में प्रकार के उद्योग एवं सफेद श्रेणी में सी0पी0सी0बी0 के श्रेणी के चिन्हित उद्योगों के साथ प्रकार के उद्योगों को चिन्हित करते हुए कुल प्रकार के उद्योगों को चिन्हित किया गया है। यह भी प्राविधानित किया गया है कि हरी एवं नारंगी श्रेणी में चिन्हित उद्योगों का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सहमति प्रकरण क्षेत्रीय कार्यालय स्तर से तथा लाल श्रेणी में चिन्हित उद्योगों का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सहमति प्रकरण का निस्तारण मुख्यालय स्तर से किया जायेगा।

सहमति (जल/वायु) आवेदन के निस्तारण की स्थिति :-

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, एवं संशोधित जल अधिनियम, के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न औद्योगिक इकाइयाँ जो मानकों के अनुरूप अपने उत्प्रवाहों को सरिता, भूमि या सीवर में छोड़ रहे हैं या नये उद्योगों को जिनके द्वारा उत्प्रवाहों का निस्तारण उपरोक्त स्थलों में किया जाना प्रस्तावित है, बोर्ड द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र पर आवेदन करने के उपरान्त सहमति प्राप्त कर लेना अनिवार्य है। सहमति आवेदन पत्र के साथ बोर्ड द्वारा निर्धारित सहमति शुल्क भी लिया जाता है।

जल उपकर :-

केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न राज्य बोर्डों के आर्थिक संसाधन सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, लागू किया गया है। इसके अन्तर्गत बोर्ड द्वारा स्थानीय निकायों एवं उद्योगों से उनके जल उपभोग की मात्रा के आधार पर उपकर वसूल किये जाने का प्रावधान किया गया है। भारत सरकार द्वारा जी0एस0टी0 प्रभावी होने की तिथि (. .) से नये उद्योगों के उपकर को रिपील करके जी0एस0टी0 में सम्मिलित कर दिया गया है।

अनापत्ति प्रमाण पत्र :-

प्रदेश में नये लगाये जाने वाले उद्योगों तथा वर्तमान उद्योगों में क्षमता विस्तार के लिए यह व्यवस्था की गयी है कि उद्यमी उद्योग लगाने से पूर्व उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से, पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें। अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का प्रमुख उद्देश्य यह है कि जिस स्थान पर उद्योग लगाया जाना प्रस्तावित है, वहाँ उसकी स्थापना से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या तो नहीं हो जायेगी। अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने से पूर्व उद्योग से प्रदूषण नियंत्रण के प्रस्ताव प्राप्त किये जाते है एवं उनकी विस्तृत जाँच कर, अगर प्रस्ताव उपयुक्त हो तो अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करते समय आवश्यकतानुसार शर्तें लगा दी जाती हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उद्योग द्वारा उत्पादन प्रारम्भ करने से पूर्व व्यवसायिक उत्प्रवाह, घरेलू उत्प्रवाह एवं वायु उत्सर्जन की शुद्धीकरण व्यवस्था अवश्य कर ली जाये।

परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबन्धन एवं निस्तारण :-

प्रदेश में परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबन्धन व सीमापार संचालन नियम, के अन्तर्गत उद्योग वर्तमान में आच्छादित हैं। इन सभी उद्योगों से जनित परिसंकटमय अपशिष्ट के भण्डारण एवं सुरक्षित निस्तारण के लिए उद्योगों को प्राधिकार निर्गमन हेतु राज्य बोर्ड को प्राधिकृत

किया गया है।

17 श्रेणी (वृहद एवं मध्यम) के उद्योगों की कार्ययोजना :-

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उद्योगों से हो रहे प्रदूषण की रोकथाम हेतु एक कार्य योजना, में तैयार की गई थी, जिसमें प्रकार के वृहद एवं मध्यम श्रेणी के अधिक प्रदूषणकारी उद्योगों को चिन्हित किया गया था- . आसवनी, . चीनी उद्योग, . सीमेन्ट उद्योग, . लुगदी एवं कागज, . उर्वरक, . चमड़ा उद्योग, . कीटनाशक, . एल्यूमिनियम स्मैल्टर, . कापर स्मैल्टर, . जिंक स्मैल्टर, . लोहा तथा स्टील, . डाइज एण्ड डाई इण्टरमीडिएट, . पेट्रो केमिकल्स, . रिफाइनरी, . थर्मल पावर प्लान्ट, . कास्टिक सोडा उद्योग, . औषधीय उद्योग। इन श्रेणी के सभी उद्योगों को आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था लगाने तथा बोर्ड के निर्धारित मानकों को प्राप्त करने हेतु बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्देश दिये जाते रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में स्थित ग्रॉसली प्रदूषणकारी उद्योगों के सम्बन्ध में आख्या :-

वर्तमान में उत्तर प्रदेश में ग्रॉसली प्रदूषणकारी उद्योगों (ऐसे उद्योग जिनका बी0ओ0डी0 लोड किग्रा./दिन से ज्यादा या जहरीला उत्प्रवाह है) को चिन्हित किया गया है। यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियों (गंगा, यमुना, गोमती, रामगंगा, हिण्डन, सरयू, काली ईस्ट, काली वेस्ट, घाघरा, राप्ती, सई, रिहन्द एवं शारदा) एवं विभिन्न तालों में अपना उत्प्रवाह निस्तारित करते हैं।

मानकों की प्राप्ति न करने वाले उद्योगों की जल सहमति अस्वीकृत कर दी गई है एवं साथ ही उद्योग को पर्यावरणीय अधिनियमों के पालन करने के निर्देश दिये गये हैं। प्रदूषण नियंत्रण के अधिनियमों का नियमित रूप से उल्लंघन करने वाले दोषी उद्योगों के विरुद्ध बन्दी की कार्यवाही एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति भी अधिरोपित की जाती है। इन अत्यन्त प्रदूषणकारी उद्योगों की समीक्षा समय-समय पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा भी की जाती है।

जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन :-

जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंध और हैंडलिंग) नियम, यथासंशोधित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, के अन्तर्गत प्रदेश में कुल अस्पताल/नर्सिंग होम तथा अन्य संस्थान चिन्हित किये गये हैं जिनमें से समस्त अस्पतालों/नर्सिंग होम्स व अन्य संस्थानों द्वारा एकल उपचार व्यवस्था कर ली गई अथवा सामूहिक उपचार व्यवस्था से सम्बद्ध है। इनमें से अस्पतालों/नर्सिंग होम तथा अन्य संस्थानों द्वारा प्राधिकार प्राप्त किये गये हैं।

नगरीय ठोस अपशिष्ट :-

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, एवं तत्पश्चात् प्रख्यापित नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम, को अधिसूचना दिनांक - - द्वारा अधिक्रांत करते हुए ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु नया नियम लागू किया गया है, जिन्हें ''ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, कहा गया है। यह नियम दिनांक 08.04.2016 से प्रवृत्त है।

अभियोजनात्मक कार्यवाही :-

बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, के अन्तर्गत विभिन्न उद्योगों/स्थानीय निकायों के विरुद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही की जाती है।

प्रयोगशाला एवं जल-वायु गुणता का अनुश्रवण :-

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में केन्द्रीय प्रयोगशाला तथा क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं स्थापित हैं। प्रयोगशालाओं द्वारा वर्तमान में औद्योगिक उत्प्रवाहों के नमूने, नदियों, नालों एवं भूगर्भ जल के नमूनों का परीक्षण तथा परिवेशीय वायु गुणवत्ता एवं ध्वनि प्रदूषण के अनुश्रवण का कार्य संपादित किया जाता है। इन कार्यों के अतिरिक्त बोर्ड द्वारा अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं के अन्तर्गत भी जल स्रोतों का अनुश्रवण तथा परिवेशीय वायु गुणता का अनुश्रवण किया जा रहा है।

ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम :-

भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, एवं इससे संबंधित नियमावली के अन्तर्गत ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, एवं संशोधित प्रख्यापित किये गये हैं जो राजपत्र में प्रकाशन की तिथि . . से प्रवृत्त हो गये हैं।

कम्प्यूटर प्रकोष्ठ की स्थापना :-

उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सूचना एवं संचार प्रणाली को सुदृढ़ किये जाने के उद्देश्य से बोर्ड कार्यालय के आधुनिकीकरण की एक विस्तृत योजना लागू की गयी है।

बोर्ड द्वारा एन.सी.आर. क्षेत्र में जन-सामान्य की समस्या/शिकायत के त्वरित निस्तारण हेतु ग्रेडेड रेसपॉन्स एक्शन प्लान (जी.आर.ए.पी.) का विरचन कर कार्यवाही की जा रही है। बोर्ड द्वारा जन-जागरूकता हेतु वेबसाइट http www.uppc .com इन्टरनेट पर होस्ट है, जिसमें बोर्ड से संबंधित महत्वपूर्ण अद्यतन जानकारी दी जाती है बोर्ड की ई-मेल (in o@uppc .in) सेवा भी उपलब्ध है।

प्लास्टिक वेस्ट प्रबन्धन :-

. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक - - द्वारा अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, अधिसूचित किये गये हैं जो राजपत्र के प्रकाशन की तिथि दिनांक - - से प्रभावी है, जो कि वर्ष में संशोधित किये गये हैं।

. अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, के प्रावधानों के अनुसार प्लास्टिक अपशिष्ट के पृथक्करण, संग्रहण, भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण और व्ययन की अवसंरचना को विकसित करने और स्थापना के लिए निकाय उत्तरदायी है।

. अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, के प्रावधानों के अनुसार प्लास्टिक उत्पादों और बहुस्तरीय पैकेजिंग के विर्निमाण, अपशिष्ट प्लास्टिक के प्रसंस्करण और व्ययन से सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को प्रवृत्त करने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विहित प्राधिकारी है।

. उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट uppc .up पर जुलाई से प्रतिबंधित एवं एसयूपी प्रदर्शित हो रहा है।

. उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उत्तर प्रदेश प्लास्टिक एवं अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) नियम, को उत्तर प्रदेश अध्यादेश स0- सन् दिनांक - - द्वारा संशोधित कर उत्तर प्रदेश प्लास्टिक एवं अन्य जैव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, जारी किया गया है।

ई-वेस्ट प्रबन्धन :-

ई-वेस्ट प्रबन्धन (मैनेजमेंट) रूल्स- के प्रावधानों के अंतर्गत वर्ष - में राज्य बोर्ड में कुल ई-वेस्ट प्रसंस्करण करने वाली इकाइयों द्वारा रिसाइक्लिंग/डिस्मेंटलिंग/रिफर्बिशिंग/कलेक्शन सेंटर श्रेणी में प्राधिकार प्राप्त है। प्राधिकृम ई-वेस्ट इकाइयों में से इकाइयाँ रीसाइक्लिंग जिनकी प्रोसेसिंग क्षमता टन/वर्ष, इकाइयाँ डिस्मेंटलिंग में जिनकी प्रोसेसिंग क्षमता टन/वर्ष व अन्य श्रेणी में इकाइयों जिनकी प्रोसेसिंग क्षमता टन/वर्ष हेतु प्राधिकार प्राप्त है। ई-वेस्ट प्रसंस्करण करने वाली इकाइयों में ई-वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स- मे निहित प्रावधानों का अनुपालन कराए जाने हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा धारा- ( )( )के अंतर्गत राज्य बोर्ड को निर्देश किये गए है। उक्त निर्देश का अनुपालन कराए जाने के संबध में बोर्ड द्वारा प्रदेश मे प्राधिकार प्राप्त ई-वेस्ट प्रसंस्करण करने वाली इकाइयों तथा ई0पी0आर0 के अंतर्गत प्राधिकृत इकाइयों के आकस्मिक निरीक्षण कराए जाने संबंधी कार्य प्रगति पर हैं।

अपशिष्ट बैटरी प्रबन्धन :-

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना दिनाँक - - द्वारा प्रख्यापित "अपशिष्ट बैटरी प्रबन्धन नियम " के प्रावधानों का अनुपालन हेतु नई नियमावली के नियम के अन्तर्गत बोर्ड को अपशिष्ट बैटरी के नवीनीकरण और पुनः चक्रण करने वाली प्रत्येक इकाइयों के ई0पी0आर0 रजिस्ट्रेशन हेतु ई.पी.आर. पोर्टल निर्मित किया जाना हैं। नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत बिना ई.पी.आर. रजिस्ट्रेशन कराये हुए संचालित अपशिष्ट बैटरी का उचित प्रबन्धन नहीं करने वाली तथा मिथ्या जानकारी देने वाली ईकाइयों पर ollution ays rincipal के सिद्धान्त पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का अधिरोपित किया जाता है तथा अपशिष्ट बैटरी के नवीनीकरण और पुनः चक्रण करने वाली प्रत्येक इकाइयों के निरीक्षण एवं आवधिक लेखा परीक्षा के माध्यम से नियमावली का अनुपालन कराया जाता है।

प्रदेश के महानगरों की वायु गुणता में सुधार लाने एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु किये गये प्रमुख कार्य :-

प्रदेश के महानगरों में वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत वाहन प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, भवन निर्मांण कार्यों से जनित होने वाली धूल, कृषि अपशिष्ट को जलाये जाने से जनित उत्सर्जन आदि हैं।

वाहन प्रदूषण के नियंत्रण हेतु वाहनों में ईंधन के लिए स्वच्छ ईंधन सी0एन0जी0 की आपूर्ति विभिन्न ऑयल कम्पनियों द्वारा प्रदेश के प्रमुख शहरों जैसे- लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बरेली, मेरठ, फिरोजाबाद आदि में की जा रही है एवं वाहनों से जनित उत्सर्जन की जाँच सम्बन्धित विभागों द्वारा पी0यू0सी0 प्रमाण पत्र के माध्यम से करायी जाती है। इसके अतिरिक्त राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा दिये जाने हेतु इन्हें परमिट से छूट दी गयी है तथा प्रथम एक लाख वाहनों को रोड टैक्स में प्रतिशत से प्रतिशत तक की छूट दी गयी है।

औद्योगिक प्रदूषण के प्रभावी नियंत्रण हेतु चिन्हित प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों में वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं की स्थापना एवं प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों की नियमित जाँच कराते हुए और गैसीय उत्सर्जन के अनुश्रवण का कार्य कराया जाता है।

भवन निर्माण परियोजनाओं में निर्माण कार्य के दौरान जनित होने वाले डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण के लिए इन परियोजनाओं के अनापत्ति प्रमाण पत्र में यह शर्त अधिरोपित की जाती है कि निर्माण क्षेत्र को कवर्ड अवस्था में रखा जाये, यथा आवश्यक जल छिड़काव किया जाये तथा प्रमुख कार्य स्थलों पर पी0टी0जेड0 कैमरा एवं एन्टी स्मॉग गन की स्थापना किया जाना एवं सेल्फ एसेसमेंट हंतु पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराकर अनुश्रवण/सेल्फ आइडेन्टिफिकेशन कराएं। एन.सी.आर. क्षेत्र में चिन्हित 2263 ईट भट्ठों को जिगजैग टेक्नालाजी में परिवर्तित कर लिया गया है। शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु बोर्ड द्वारा "मोबाइल ऐप" (स्वच्छ वायु एप) विकसित किया गया है। एन.सी.आर. क्षेत्र में वर्तमान में 17 मैनुअल एवं 18 रियल टाइम एयर क्वालिटी मॉनीटरिंग स्टेशन कार्यरत हैं।

मिशन लाईफ ( )

मिशन लाइफ एक सराहनीय पहल है, जो भारतीय संस्कृति और पारंपरिक जीवनशैली में निहित स्थिरता को उजागर करती है।

मिशन लाइफ के तीन चरण :-

प्रत्येक चरण में स्थिरता की ओर हमारी दृष्टिकोण में एक मौलिक बदलाव की आवश्यकता होती है :-

1. मांग में बदलाव (प्रथम चरण) 2. आपूर्ति में बदलाव (द्वितीय चरण) 3. नीति में बदलाव (तृतीय चरण)

उत्तर प्रदेश द्वारा मिशन लाइफ के तहत किए गए प्रगति कार्य :-

यूपीसीबी द्वारा, मिशन लाइफ के अन्तर्गत विभिन्न जनमानस को जोड़ने व पर्यावरणीय अनुकूल जीवन शैली की महत्व को प्रदर्शित करने हेतु विभिन्न कार्यक्रम पूरे वर्ष आयोजित किये गये।

●

सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स

विभाग का संक्षिप्त इतिहासः-

सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग वर्तमान समय का सर्वाधिक विकासमान उद्योग है। कम्प्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, यद्यपि इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की ही एक शाखा कही जा सकती है किन्तु उसकी महत्वपूर्ण स्थिति ने उसे इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग से पृथक एक स्वतन्त्र उद्योग की स्थिति प्रदान की है। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की छह मुख्य शाखायें यथा उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्प्यूटर्स, संचार एवं प्रसारण, प्रतिरक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स तथा कम्पोनेन्ट्स हैं। कम्प्यूटर्स और संचार उपकरणों के पारस्परिक समन्वय (Interfacing) से सूचना प्रौद्योगिकी का उद्भव हुआ है।

आठवें दशक के प्रारम्भिक वर्षों तक उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स अपेक्षाकृत एक अपरिचित उद्योग था, अतः वर्ष 1974 में राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के प्रोत्साहन एवं विकास हेतु 'यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड' की स्थापना की गई थी।

लगभग वर्ष 1984 के अन्त तक उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के प्रोत्साहन एवं विकास के समस्त प्रयास यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के एकाकी रूप में थे, जिन्हें राज्य सरकार के समर्थन से कार्यान्वित किया जा रहा था। वर्ष   में उत्तर प्रदेश शासन में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग हेतु स्वतन्त्र 'इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग' (उद्योग अनुभाग-5) का गठन किया गया था तथा वर्ष 1998 में विभाग को ''आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग'' का नाम दिया गया।

विभाग के अन्तर्गत यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी), यूपी डेवलपमेन्ट सिस्टम्स कॉरपोरेशन (यूपीडेस्को), श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड तथा अपट्रान पावरट्रॉनिक्स लि. कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त सेन्टर फॉर ई-गवर्नेन्स भी विभाग के अधीन कार्यरत हैं।

प्रमुख विभागीय कार्यकलाप, योजनायें तथा उपलब्धियाँ

(क) यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के कार्यकलाप

आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की विभागीय नीतियाँः-

आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए लगातार प्रयत्नशील रहा है तथा उसके द्वारा प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए नित नये प्रयास किये जा रहे हैं। प्रदेश में अधिकाधिक निवेश के लिए निवेशकों को आकर्षित किये जाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा प्रख्यापित "उ.प्र. इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति-2020 (प्रथम संशोधन)", "उ.प्र. स्टार्टअप नीति-2020

(प्रथम संशोधन)" तथा "उ.प्र. डाटा सेन्टर (प्रथम संशोधन) नीति-2021" तथा उ.प्र. सूचना प्रौद्योगिकी एवं सू.प्रौ. जनित सेवा नीति-2022 प्रचलित है। प्रदेश सरकार द्वारा सेमी कण्डक्टर उद्योग के लिए भी एक स्वतंत्र नीति जनवरी 2024 में प्रख्यापित की गई है। प्रदेश सरकार की आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स नीति बनाई जा रही है और शीघ्र ही प्रख्यापित कर दिये जाने की आशा है।

उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति-2021ः-

उ.प्र. डाटा सेन्टर नीति-2021 को संशोधित कर नीति लक्ष्यों को उच्चीकृत किया गया है तथा पूर्व परिलक्षित 03 डाटा सेन्टर पार्क्स के स्थान पर 08 डाटा सेन्टर पार्क्स, तथा प्रदेश में रु. 30,000 करोड़ के अनुमानित निवेश से 900 मेगावॉट क्षमता का पुनरीक्षित लक्ष्य निर्धारित किया गया है। माह फरवरी 2023 में लखनऊ में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान कुल रु. 1,15,424 करोड़ की निवेश परियोजनाओं हेतु 27 समझौता ज्ञापन (गौतमबुद्ध नगर-16, लखनऊ-6, गाजियाबाद-1) हस्ताक्षरित किये गये हैं। संशोधित नीति के अन्तर्गत परिलक्षित लक्ष्य रु. 30,000 करोड़ निवेश तथा 900 मेगावाट क्षमता के सापेक्ष, वर्तमान में 644 मेगावाट क्षमता सहित लगभग रु.21,343 करोड़ के निवेश हेतु 6 डाटा सेन्टर पार्क्स तथा 40 मेगावाट से कम क्षमता वाले 2 डाटा सेन्टर इकाइयों हेतु निवेशकों की निवेश परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इनमें से 5 परियोजनायें कार्यरत हो चुकी हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्रः-

उ.प्र. इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति-2017 के अन्तर्गत 05 वर्ष हेतु निर्धारित लक्ष्यों को 03 वर्ष में ही अर्जित कर लिये जाने के पश्चात उ.प्र. इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति-2020 (प्रथम संशोधन) के अन्तर्गत पांच वर्षों में रु. 40,000 करोड़ का निवेश और चार लाख व्यक्तियों के लिए रोज़गार सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया तथा संशोधित नीति दिनांक 18 नवम्बर, 2022 को अधिसूचित की गई है। अब सम्पूर्ण राज्य इस नीति के अन्तर्गत आच्छादित है।

दिनांक 10-12 फरवरी को लखनऊ में आयोजित उ.प्र. ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट- में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र के सम्भावित निवेशकों से लगभग रु. . लाख करोड़ के निवेश और लगभग . लाख व्यक्तियों हेतु रोज़गार सम्भावनाओं युक्त अभिरुचियां प्राप्त हुईं।

उ.प्र. इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति- (प्रथम संशोधन) के अन्तर्गत कुल रु. . करोड़ निवेश तथा लगभग 40,360 रोज़गार सम्भावना वाली परियोजनाओं की स्थापना के प्रस्तावों हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें से 24 परियोजनायें परिचालनरत हो चुकी है।

निवेशकों के लिए आवेदन पत्र अनुमोदन प्रक्रिया हेतु एक डेडीकेटेड ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है।

प्रदेश में स्टार्टअप ईकोसिस्टम का विकासः-

विगत कुछ वर्षों में राज्य एक सुदृढ़ स्टार्टअप इकोसिस्टम के निर्माण की ओर तेजी से अग्रसर है। उ.प्र. स्टार्टअप नीति-2020 दिनांक 15 जुलाई 2020 को अधिसूचित की गई थी जिसमें 10,000 स्टार्टअप्स का एक ईकोसिस्टम तथा सम्पूर्ण राज्य में सभी उद्योग क्षेत्रों के कम से कम 100 इन्क्यूबेटर्स का एक नेटवर्क बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य था। स्टार्टअप सेक्टर में तेज़ी से हुए विकास और ईकोसिस्टम में हुए बदलाव के कारण नीति की समीक्षा के पश्चात युवाओं के बीच उद्यमशीलता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 09 नवम्बर 2022 को "उ.प्र. स्टार्टअप नीति- 2020 (प्रथम संशोधन)" अधिसूचित की गई।

उद्योग संबर्द्धन और आन्तरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), भारत सरकार द्वारा पंजीकृत 15,000 से अधिक स्टार्टअप सहित, उत्तर प्रदेश में ईकोसिस्टम का तीव्र गति से विस्तार हो रहा है। इनमें से 1,950 से अधिक स्टार्टअप "स्टार्ट-इन-यूपी" में पंजीकृत है। उल्लेखनीय रूप से, डीपीआईआईटी द्वारा पंजीकृत स्टार्टअप में से महिलाओं के नेतृत्व अधीन, 4,900 से अधिक स्टार्टअप हैं, जो उद्यमिता में शैक्षिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाता है।

उत्तर प्रदेश भारत के चौथे विशालतम स्टार्टअप ईकोसिस्टम के रूप में प्रतिष्ठित हुआ है। प्रदेश ने डीपीआईआईटी की वार्षिक स्टार्टअप रैकिंग में "लीडर्स" श्रेणी की रैकिंग भी अर्जित की है, जो इसकी राष्ट्रीय स्टार्टअप परिदृश्य में बह रही प्रमुखता को रेखांकित करता है।

उत्तर प्रदेश सेमीकण्डक्टर नीति-2024ः-

सेमीकण्डक्टर विनिर्माण में निवेश आकर्षित करने हेतु भारत सरकार की पहल के अनुरूप सेमीकण्डक्टर क्षेत्र में वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक स्वतंत्र सेमीकण्डक्टर नीति प्रख्यापित की गई है। नीति के माध्यम से सेमीकण्डक्टर क्षेत्र के निवेशकों को औचित्यपूर्ण छूट और प्रोत्साहन प्रदान किया जाना प्रस्तावित है, ताकि उत्तर प्रदेश में सेमीकण्डक्टर इकाइयों की स्थापना हो सके। सेमीकण्डक्टर इकाइयों के लिए डेडीकेटेड प्रावधान आरम्भ करने वाला उत्तर प्रदेश चौथा राज्य है। इससे उत्तर प्रदेश को सेमीकण्डक्टर ईकोसिस्टम का केन्द्र बनने, रोज़गार सृजन करने, कौशल विकसित करने तथा राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास में मदद मिलेगी।

प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, आईटी पार्क्स/सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्सः-

आईटी और आईटीईएस क्षेत्र विशेष रूप से विकासशील देशों में अपार सम्भावनाओं के साथ बड़े पैमाने पर विकास चालक के रूप में उभरा है। 400 से अधिक एसटीपीआई पंजीकृत सूचना प्रौद्योगिक एवं यू.पी. सू.प्र. जनित सेवा इकाइयों तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 में लगभग रु. 72,000 करोड़ के सॉफ्टवेयर निर्यात सहित, उत्तर प्रदेश भारत के छठे सबसे बड़े आईटी ईकोसिस्टम में रूप में प्रतिष्ठित है। इन इकाइयों ने उत्तर प्रदेश में लगभग 3.55 लाख व्यक्तियों (2022-23) को रोज़गार दिया है।

प्रदेश में आईटी और आईटीईएस क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए प्रदेश में भारत सरकार के उपक्रम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इण्डिया के सहयोग में आईटी पार्क्स की स्थापना की जा रही है। वर्तमान में नोएडा, मेरठ, लखनऊ, कानपुर प्रयागराज एवं आगरा में आईटीपार्क्स/एसटीपीआई केन्द्र परिचालनरत है तथा वाराणसी, बरेली तथा गोरखपुर मे एसटीपीआई केन्द्र विकसित किए जा रहे हैं।

प्रदेश शासन द्वारा उद्घोषित "उ.प्र. सूचना प्रौद्योगिकी एवं सू.प्रौ. जनित सेवा नीति-2022" के अन्तर्गत गौतमबुद्ध नगर तथा गाजियाबाद जिलों को छोड़कर राज्य सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक राजस्व मण्डल में एक ग्रीनफील्ड आईटी पार्क के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने का प्राविधान है। ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र से सम्बन्धित मण्डलों में प्रस्तावित आईटी पार्क की स्थापना ताज ट्रेपेजिय क्षेत्र में जनपद आच्छादित किसी जनपद में कराई जायेगी। राज्य सरकार द्वारा पश्चिमांचल (ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र के आगरा जनपद), मध्यांचल, पूर्वांचल तथा बुन्देलखण्ड- प्रत्येक क्षेत्र में एक आईटी सिटी विकसित करने और इस प्रकार सम्पूर्ण राज्य में आईटी इकाइयों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास है।

आईटी सिटी लखनऊः-

लखनऊ में आईटी सिटी परियोजना की स्थापना सुल्तानपुर रोड, गंजरिया फार्म स्थित 100 एकड़ भूमि पर पीपीपी मॉडल पर विकसित की जा रही है तथा मेसर्स एचसीएल आईटी सिटी लखनऊ प्राइवेट लिमिटेड इस परियोजना के विकासकर्ता हैं। इस परियोजना के अन्तर्गत कौशल विकास केन्द्र तथा सूचना प्रोद्योगिकी इकाइयां परिचालनरत हैं। 10 वर्षों की अवधि में दो चरणों में क्रियान्वित की जाने वाली इस परियोजना के अन्तर्गत परियोजना के प्रथम चरण का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा द्वितीय चरण का विकास कार्य प्रगति में है।

लखनऊ में ए.आई. सिटी की स्थापना का प्रस्तावः-

उत्तर प्रदेश ने लखनऊ में देश का पहला ए.आई. सिटी बनाने और ए.आई. ईकोसिस्टम को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। ए.आई. सिटी की परिकल्पना राज्य में ए.आई. ईकोसिस्टम को पोषित करने और बढ़ावा देने के लिए की गई है ताकि शहर को एक नए प्रौद्योगिकी केन्द्र के रूप में विकसित किया जा सके। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जिसकी परिकल्पना भविष्य के ए. आई. सिटी के रूप में की गई है, दिनांक 20 फरवरी 2024 को मेगा ए.आई. सेशन का आयोजन किया गया।

प्रदेश का वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाया जानाः-

उद्योग जगत के प्रमुख व्यक्तियों, उद्योग संघों और प्रतिष्ठित शिक्षाविदों को सम्मिलित करते हुए एक आईटी और आईटीईएस परामर्शदायी समिति का गठन किया गया है। लखनऊ में आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स (एआई) सिटी के डिज़ाइन, विकास और संचालन के लिए एक्शप्रेशन ऑफ इन्ट्रेस्ट जारी की गई है।

शासकीय विभागों में ई-टेण्डरिंग प्रणाली :-

पारदर्शी और स्वच्छ प्रशासन तथा शासकीय विभागों में निर्माण कार्यों, सेवाओं/जॉब-वर्क एवं सामग्री के क्रय में प्रतिस्पर्द्धा सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रदेश के सभी शासकीय विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/विकास प्राधिकरणों/नगर निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/निकायों इत्यादि में एन.आई.सी. के ई-प्रोक्योरमेण्ट प्लेटफार्म का प्रयोग करते हुए सभी निर्माण कार्यों, सेवाओं/जॉब-वर्क एवं सामग्री के क्रय, चालू अनुबन्ध एवं दर अनुबन्ध हेतु ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू की गई है तथा दिनॉक 01 सितम्बर 2017 के उपरान्त इसे बाध्यकारी कर दिया गया है। रु.10 लाख से अधिक मूल्य की शासकीय निविदायें ई-टेण्डरिंग प्रणाली से आमंत्रित किया जाना अनिवार्य है।

ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू किए जाने के उपरान्त उत्तर प्रदेश का स्थान निरन्तर ई-टेण्डरिंग के क्षेत्र में देश अग्रणी राज्यों में रहा है।

सचिवालय से सम्बद्ध विभागाध्यक्ष कार्यालयों तथा निदेशालयों मे ई-ऑफिस प्रणाली :-

सचिवालय परिसर स्थित 21 विभागों में दिनांक 27.10.2017 से ई-आफिस प्रणाली प्रारम्भ की गई है तथा दिनांक 07 मई 2018 से शेष विभागों में ई-ऑफिस प्रणाली कार्यान्वित कर दी गई है।

ई-ऑफिस प्रणाली लागू हो जाने पर, समस्त जनपदों/विभागाध्यक्ष कार्यालयों तथा शासन के मध्य पत्राचार, ट्रॉजेक्शन तथा सूचनाओं का (Two-Way) आदान-प्रदान ऑन-लाइन किया जायेगा तथा पत्रावलियों का आदान-प्रदान मैनुअली नहीं किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 के अन्तर्गत आच्छादित 10 सेवायें, जिनका लाभ शासकीय कर्मचारियों को प्राप्त होता है, जैसे कि चिकित्सा अवकाश की स्वीकृति, पेन्शन की स्वीकृति, जी.पी.एफ. की स्वीकृति, चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति, अर्जित अवकाश की स्वीकृति, वेतन का भुगतान, गोपनीय प्रविष्टियों पर निर्णय, पदोन्नति पर निर्णय आदि समस्त कार्यवाही इसी प्रणाली द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही सम्पादित की जायेंगी।

सचिवालय से सम्बद्ध विभागाध्यक्ष कार्यालयों तथा निदेशालयों में ई-ऑफिस प्रणाली लागू किये जाने के कार्य के अन्तर्गत प्रदेश के 18 मण्डलायुक्त कार्यालयों, 75 जिलाधिकारी कार्यालयों, 75 मुख्य विकास अधिकारी कार्यालयों एवं अन्य जनपदीय कार्यालयों, 248 निदेशालयों/विभागाध्यक्ष कार्यालयों/सार्वजनिक उपक्रमों/संस्थानों/संगठनों तथा पुलिस विभाग के अन्तर्गत 180 कार्यालयों सहित कुल कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली क्रियाशील करा दी गई है।

राइट ऑफ वे अनुमतियों हेतु नवीन पोर्टलः-

भारत सरकार द्वारा पारित दूरसंचार अधिनियम 2023 के अनुरूप दूरसंचार विभाग द्वारा अधिसूचित Telecommunication Right of Way Rules (Row) 2024 दिनांक 01, जनवरी 2025 में प्रभावी हुआ है और पूर्व प्रचलित Right of Wary Rules समाप्त हो गये, अब भारत सरकार द्वारा राज्यों के प्रचलित राइट ऑफ वे पोर्टल को दिनांक 01 जनवरी 2025 तक

उच्चीकृत कर दिये जाने के निर्देशों के क्रम में नये राइट ऑफ वे पोर्टल का निर्माण कराया गया है।

उत्तर प्रदेश डेवलपमेन्ट सिस्टम कॉरपोरेशन लि. (यूपीडेस्को):-

उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कारपोरेशन लि. (यूपीडेस्को) की कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 21 के अन्तर्गत 15 मार्च, 1977 को नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन, के नियंत्रणाधीन स्थापना की गई थी जिसको परिवर्तित कर 23 दिसम्बर, 1999 से आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के अधीन किया गया। यह निगम शासन द्वारा अधिकृत कम्पनी है।

निगम के प्रमुख कार्यः-

शासन की परियोजनाओं जैसे सीएम हेल्पलाइन, उ.प्र. स्टेट डाटा सेन्टर, यूपी स्वान, स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजनान्तर्गत टैबलेट/स्मार्टफोन का वितरण आदि के लिए नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करना। विभागों की माँग पर आई.टी. एवं आई.टी.ई.एस. आधारित क्षेत्रों में तकनीकी परामर्श के अन्तर्गत कम्प्यूटरीकरण की कार्य-योजना, हार्डवेयर क्रय, सॉफ्टवेयर विकास एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण के सम्बन्ध में प्रस्ताव तैयार कराने में सहयोग करना। विभागों से उपरोक्त क्षेत्रों के प्राप्त कार्यादेशों के अनुरूप ई-निविदा के माध्यम से कार्यदायी संस्थाओं का चयन कर आवश्यक कार्यवाहियां सम्पन्न कराना। फ्रेंचाइजी नेटवर्क के माध्यम से शासकीय कर्मियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करना। विभागों में तकनीकी एवं अन्य जनशक्ति के रूप में अपने विशेषज्ञों की तैनाती के माध्यम से सेवाएँ प्रदान करना। आई.टी. एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के लिए फील्ड आर्गेनाईजेशन के रूप में कार्य करते हुए सहयोग प्रदान किया जाना। शासन द्वारा समय-समय पर आवंटित कार्यों/योजनाओं का निष्पादन।

शासन द्वारा समय-समय पर आवंटित योजनाओं/कार्यों के सापेक्ष महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ :-

उ.प्र. स्टेट डाटा सेन्टर (यूपीएसडीसी):-

नेशनल ई-गवर्नेन्स प्लान के अन्तर्गत स्टेट डाटा सेन्टर की स्थापना राज्य में की गई है जिसमे विभिन्न जी सी, जी जी सेवाओं को इलेकट्रॉनिक डिलीवरी के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने हेतु राज्य के विभिन्न विभागों के डाटा एवं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को केन्द्रीकृत रूप से रखा जा रहा है यह योजना ई-गवर्नेन्स के क्षेत्र में राज्य की एक महत्वपूर्ण कोर इन्फ्रास्ट्रचर योजना है। इस प्रकार यह सेन्टर राज्य के डाटा डिपोजिटरी के रूप में संचालित है। यूपीडेस्को द्वारा इम्पलीमेंटेशन एजेन्सी के रूप में स्टेट डाटा सेन्टर को स्थापित कराते हुए दिनांक . . से इसे गो-लाइव कराया गया। अभी तक 65 विभागों की लगभग 265 से अधिक सेवायें विभिन्न एप्लीकेशन्स के माध्यम से आपरेशन में हैं।

यूपीएसडीसी राज्य का एक ऐसा प्लेटफार्म है जिसकी विभागों द्वारा बराबर आवश्यकता बताते हुए इसमें स्पेस की मांग की जाती है। विस्तारीकरण के प्रथम चरण अन्तर्गत नॉन आईटी उपकरणों की स्थापना का कार्य पूर्ण हो गया है जिसके अन्तर्गत 2200 के.वी.ए. के 02 ट्रान्सफार्मर, 1250 के.बी.ए.के 03 जेनसेट, 400 के.बी.ए. के 06 यूपीएस, एचटी/एलटी पैनल की स्थापना के साथ

साथ अन्य सहवर्ती उपकरणों की स्थापना मै. इम्पल्स माइक्रोइलेक्ट्रानिक्स प्रा. लि. लखनऊ के माध यम से परिपूर्ण हो गयी है। विस्तारीकरण योजना के द्वितीय चरण में 36 नवीन रैक्स जिसका विद्युत भार क्षमता 14 किलोवाट से 21 किलोवाट है, मै. आईटी कम्पोनेन्ट यथा नेटवर्किंग उपकरणों, सर्वर, स्टोरेज की आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य कराया गया है।

यू.पी. स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (यूपीस्वान-2.0):-

इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (माईटी) भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित नेशनल ई-गवर्नेन्स एक्शन प्लान के अन्तर्गत जनवरी, से प्रदेश में स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (यूपीसवान) आपरेशन हुआ। दिनांक 01.10.2019 में गो लाइव कर यूपीस्वान 2.0 का संचालन आरम्भ किया गया। यूपीस्वान-2.0 योजनान्तर्गत उपलब्ध करायी जा रही बैण्डविड्थ का विभिन्न विभागों के जनपद तहसील एवं विकास खण्ड स्तरीय कार्यालयों द्वारा राज्य में संचालित शासकीय योजनाओं/सेवाओं-ई-ऑफिस, ई-डिस्ट्रिक्ट, मनरेगा, भू-लेख, जनसुनवाई, स्कॉलरशिप, कृषि आदि हेतु वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है। राज्य में दैनिक क्रियाकलापों के अतिरिक्त विशेष आवश्कताओं जैसे चुनावों आदि के समय सम्बन्धित विभागों द्वारा यूपीस्वान का समुचित/यथावश्यक उपयोग किया जाता है।

यूपीस्वान-3.0 योजना के क्रियान्वयन हेतु मैनेज्ड सर्विस प्रोवाइडर (सिस्टम इन्टीग्रेटर) का ई-निविदा में चयन करने हेतु अनुमोदन की कार्यवाहियां प्रक्रियाधीन हैं।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन (1076) योजना:-

आपातकालीन हेल्पलाइन जैसे, 102,108,112, एवं 1912 के साथ मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का इन्टीग्रेशन किया गया है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन (1076) योजनान्तर्गत विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से आउट-ब्राउन्ड कॉलिंग कर फीडबैक लिए जाने की कार्यवाही करायी जा रही है। उ.प्र. शासन के आदेश के क्रम में दिनांक 25.10.2024 से "जीरो पावर्टी-उत्तर प्रदेश" अभियान के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की सेवाओं का उपयोग हो रहा है। 01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से पंजीकृत 20.67 लाख संदर्भों के सापेक्ष 13.79 लाख का सन्तुष्टिपरक, 5.12 लाख का स्पेशल क्लोज तथा 1.55 लाख का आंशिक निस्तारण हुआ है।

सेंटर फॉर ई-गवर्नेन्स कार्यालय अन्तर्गत संचालित योजनाओं की अद्यतन स्थिति:-

ई-गवर्नेन्स योजना के अन्तर्गत आम नागरिकों को उनके द्वार अथवा समीप के स्थान पर विभिन्न शासकीय सेवायें जैसे-आय, जाति, निवास, विभिन्न पेंशन, छात्रवृत्ति से सम्बन्धित सूचनायें/अभिलेख, खतौनी इत्यादि इलेक्ट्रानिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा पारदर्शी ढंग से उपलब्ध करायी जा रही है।

ई-डिस्ट्रिक:-

प्रदेश के आम जनमानस को उनके द्वार के समीप उच्च मांगों वाली शासकीय सेवायें उपलब्ध

करायें जाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा 54 विभागों की 350 शासकीय सेवायें जन सेवा केन्द्र तथा सीधे इन्टरनेट के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही। प्रदेश में लगभग 39.21 करोड़ आम जनमानस को लाभान्वित किया गया है। ई-साथी मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा से शासकीय सेवाओं हेतु आवेदन एवं किये गये आवेदन की स्थिति की सूचना प्राप्त कर सकता है।

कॉमन सर्विस सेन्टरः-

सी.एस.सी. . योजनान्तर्गत प्रति जनपद डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर (डी.एस.पी.) संस्थाओं का चयन करते हुए प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायतों में न्यूनतम जनसेवा केन्द्र की स्थापना की जा रही है। जिनके माध्यम से प्रदेश सरकार के 54 शासकीय विभागों की 350 सेवायें आम जनमानस को उनके द्वारा के समीप उपलब्ध करायी जा रही है। इस क्रम में सी.एस.सी. . योजनान्तर्गत निर्धारित लक्ष्य जन सेवा केन्द्रों की संख्या . लाख के सापेक्ष . लाख से अधिक जन सेवा केन्द्र राज्य में संचालित हैं। राज्य में स्थापित समस्त जनसेवा केन्द्रों को डिजिटल पेमेन्ट को बढ़ावा देने के लिए भीम एप से एकीकृत कर दिया गया है।

कैपेसिटी बिल्डिंगः-

प्रदेश में साइबर सिक्योरिटी अन्तर्गत विभागों में नामित नोडल अधिकारी ( ) की 03 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन करते हुये प्रशिक्षण प्रदान किया गया। दिनांक 22.07.2024 को विषय पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। माइक्रोसाफ्ट संस्था के साथ सम्बद्ध करते हुये सचिवालय प्रशासन के अनुभाग अधिकारी, समीक्षा अधिकारियों, सहायक समीक्षा अधिकारी, निजी सचिव, अपर निजी सचिव एवं संयुक्त सचिव को विषय पर दिनांक 13.08.2024 से बैच अनुसार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ए- .सी.एल. संस्था के साथ सम्बद्ध करते हुए विशेष सचिव सतर के प्रशासनिक अधिकारियों को आर्टीफिशियल इंटेलीजेंस बूटकैंप विषय पर दिनांक 29.08.2024 को प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बाधवानी फाउण्डेशन संस्था के साथ सम्बद्ध करते हुए अपर मुख्य सचिव/प्रुमख सचिव सतर के प्रशासनिक अधिकारियों को इमरिजंग टेक्नालॉजी विषय पर दिनांक 06.09.2024 को प्रशिक्षण का कार्यक्रम कर आयोजन किया गया। प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों हेतु दिनांक 21.10.2024 को y er ecurity विषय पर अर्द्ध दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रदेश में साइबर सिक्योरिटी अन्तर्गत विभागों में नामित नोडल अधिकारी ( ) की 01 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन दिनांक 22.10.2024 को किया गया। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (एन.ई.जी.डी.), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय (eity), भारत सरकार के माध्यम से दिनांक 25.11.2024 को tate onsultation orkshop का आयोजन किया गया।

ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर शासकीय सेवाओं का विस्तारः-

मत्स्य विभाग, वन विभाग, खनन विभाग, खेल, सैनिक कल्याण, हथकरघा, रेशम एवं युवा कल्याण विभाग की सेवायें ई-डिर्स्टिक्ट पोर्टल से इंटीग्रेड की गयी है, जिनके परिणामस्वरूप

तद्‌दिनांक तक ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर प्रदेश सरकार के 54 शासकीय विभागों की 350 सेवायें आम जनमानस को उनके द्वारा के समीप उपलब्ध करायी जा रही है।

आई.टी. पूल फण्ड की स्थापनाः-

प्रदेश के ऐसे विभागों, जिनके पास आई.टी. सेवाओं के विकास के लिये संसाधनों की कमी है एवं ऐसी सेवायें जिनके लिये पूर्व में बजट में कोई प्रावधान नही किया गया है, ऐसे विभागों और सेवाओं के लिये आई.टी. पूल फण्ड की स्थापना की गयी है। उक्त योजना के अन्तर्गत यूपीएसआरटीसी, यूपीपीसीएफ एवं युवा कल्याण विभाग को आईटी पूल फण्ड से तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग प्रदान किया गया है।

●

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

संक्षिप्त परिचयः-

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उ.प्र. शासन के प्रशासनिक नियंत्रण में सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट-1860 के अन्तर्गत पंजीकृत स्वायत्तशासी संस्था है, जो वर्तमान स्वरूप में वर्ष 1975 से कार्य कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास व इसके उपयोग को प्रोत्साहन देना है। परिषद द्वारा शोध परियोजनाओं का क्रियान्वयन प्रदेश स्थित विश्वविद्यालयों, कृषि विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेजों, उ.प्र. तकनीकी विश्वविद्यालय, चिकित्सा विश्वविद्यालयों, शोध एवं विकास संस्थानों तथा स्नातकोत्तर महाविद्यालयों आदि के माध्यम से कराया जाता है। शोध परियोजनाओं के अतिरिक्त विज्ञान लोकप्रियकरण, तीन नक्षत्रशालाओं का संचालन, नवप्रवर्तन, सीएसटीयूपी इंजीनियरिंग स्टूडेन्ट प्रोजेक्ट ग्रान्ट स्कीम, सीएसटीयूपी समर रिसर्च फैलोशिप स्कीम एवं बायोटेक्नोलॉजी प्रोत्साहन के क्षेत्र में कार्य परिषद की मुख्य गतिविधियां हैं।

वर्ष 2024-25 की परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति तथा उपलब्धियाँः-

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में शोध परियोजनाओं का क्रियान्वयनः-

इसके अन्तर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रदेश के जनमानस की समस्याओं के समाधान तथा आर्थिक एवं सामाजिक विकास में उपयोगी शोध परियोजनाओं को प्रदेश में स्थित विश्वविद्यालयों, चिकित्सा विश्वविद्यालयों, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों, परास्नातक महाविद्यालयों, शोध संस्थानों एवं उच्च शैक्षिक संस्थानों के माध्यम से क्रियान्वित कराये जाने हेतु वित्त पोषण किया जाता है। शोध परियोजनायें परिषद के वेबपोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्त की जाती हैं, जिनका मूल्यांकन विषय-विशेषज्ञों से कराये जाने के उपरान्त सलाहकार समिति की संस्तुतियों के आधार पर परिषद कार्यकारिणी समिति द्वारा वित्त पोषण हेतु अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूर्व से संचालित शोध परियोजनाओं के अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं वित्तपोषण के साथ-साथ लगभग 175 नई शोध परियोजनायें स्वीकृत की जानी प्रस्तावित हैं।

सीएसटीयूपी-समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्रामः-

समर रिसर्च फैलोशिप का उद्देश्य प्रदेश में विज्ञान परास्नातक स्तर पर अध्ययनरत

विद्यार्थियों को शोध एवं विकास के क्षेत्र में प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन देना है। इस फैलोशिप के अन्तर्गत प्रदेश में विज्ञान के क्षेत्र में परास्नातक के विद्यार्थियों को प्रदेश एवं देश के प्रतिष्ठित शोध संस्थानों/विश्वविद्यालयों में ख्याति प्राप्त वैज्ञानिकों/प्रोफेसर्स के साथ माह की अवधि के लिए रिसर्च ट्रेनिंग हेतु अवसर उपलब्ध कराया जाता है। चयनित विद्यार्थियों को माह के लिए रु. /- मासिक फैलोशिप प्रदान की जाती है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में समर रिसर्च फैलोशिप प्रोग्राम के अन्तर्गत कुल 90 विद्यार्थियों को समर रिसर्च ट्रेनिंग का अवसर प्रदान किया गया। आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 में 60 विद्यार्थियों को फैलोशिप प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी परियोजनायें:-

वित्तीय वर्ष 2024-25 में अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी की 24 परियोजनायें प्रदेश के अलग-अलग जनपदों में स्थित विश्वविद्यालयों/इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए स्वीकृत की गयी है।

विज्ञान लोकप्रियकरण:-

विद्यार्थियों एवं जनसामान्य में विज्ञान के प्रति अभिरूचि उत्पन्न करने, तार्किक क्षमता एवं कल्पनाशीलता बढ़ाने एवं वैज्ञानिक सोच विकसित करने के उद्‌देश्य से परिषद द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में विज्ञान लोकप्रियकरण के कार्यक्रमों का आयोजन कराया जाता है। विज्ञान लोकप्रियकरण के अन्तर्गत वैज्ञानिक मेले, वैज्ञानिक व्याख्यान, मॉडल प्रतियोगिता, वैज्ञानिक सम्मान, सेमिनार, सिम्पोजिया, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक संस्थाओं का भ्रमण, क्विज़, पोस्टर- मेकिंग इत्यादि से सम्बन्धित कार्यक्रमों का आयोजन कराया जाता है। इस प्रकार के कार्यक्रम विशेष रूप से महत्वपूर्ण दिवसों यथा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, पर्यावरण दिवस, गणित दिवस इत्यादि के अवसर पर आयोजित कराए जाते हैं। जनपद व मण्डल स्तर पर आयोजित किये जाने वाले सभी कार्यक्रम जनपदों में गठित जिला विज्ञान क्लब तथा परिषद द्वारा स्थापित क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केन्द्रों के माध्यम से आयोजित कराये जाते हैं।

जैव प्रौद्योगिकी-संगठनात्मक ढांचा एवं क्षमता विकास:-

इसके अन्तर्गत संचालित महत्वपूर्ण परियोजनाओं का विवरण निम्नवत् है :-

- बायोटेक नेटवर्किंग फैसिलिटी केन्द्र, लखनऊ।
- टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला।
- बीज प्रसंस्करण इकाई।
- बायो-डीजल डेमॉन्स्ट्रेशन इकाई।
- नील हरित शैवाल जैव उर्वरक एवं एजोला उत्पादन व उपयोग परियोजना।
- बायोटेक्नोलॉजी ग्लोबल बायो इण्डिया-2024।
- सेन्टर-स्टेट कॉन्क्लेव ऑन बायो ई-3 पॉलिसी।

नक्षत्रशाला-समाज विशेषकर बच्चों के लिये शैक्षिक साधनः-

. **इंदिरा गाँधी नक्षत्रशाला, लखनऊ :**

इंदिरा गाँधी नक्षत्रशाला, लखनऊ दिनांक मई, से जनसामान्य हेतु संचालित है।

. **वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला, गोरखपुर :**

वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला, गोरखपुर दिनांक . . से जनसामान्य हेतु संचालित की जा रही है।

. **आर्यभट्ट प्लेनिटोरियम, रामपुर :**

आर्यभट्ट प्लेनिटोरियम, रामपुर दिनांक . . से संचालित है।

. **विज्ञान पार्क :** जनपद गाजियाबाद में विज्ञान पार्क की स्थापना परिषद द्वारा करायी गयी है। जिसका संचालन दिनांक . . को प्रारम्भ किया गया।

बौद्धिक सम्पदा संरक्षण कार्यक्रम

परिषद में पेटेण्ट सूचना केन्द्र निम्न उद्देश्यों पर केन्द्रित होकर कार्य सम्पादित कर रहा है-

. प्रदेश में बौद्धिक सम्पदा के विकास एवं इसके संरक्षण के विषय में जागरूकता उत्पन्न करना।

. पेटेण्ट सूचना का विश्लेषण कर उसका उपयोग शोध एवं विकास कार्यक्रम हेतु परामर्शित करना।

. प्रदेश स्थित विश्वद्यिालयों, शोध संस्थाओं, सरकारी विभागों एवं उद्योगों को पेटेण्ट सर्च की सुविधा उपलब्ध कराना।

. अन्वेषकों को बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के संरक्षण के प्रति मार्गदर्शन प्रदान करना।

नवप्रवर्तन प्रोत्साहन

नवप्रवर्तन प्रोत्साहन कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा वर्ष 2024-25 के मध्य निम्न गतिविधियों का आयोजन किया गया-

नवप्रवर्तन जन-जागरूकता कार्यक्रम-2024-25

नवप्रवर्तन जागरूकता के अंतर्गत प्रदेश के 66 जनपदों में असंगठित क्षेत्र के नवप्रवर्तकों हेतु जिला स्तरीय नवप्रवर्तन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।

ई-गवर्नेन्स का क्रियान्वयन

ई-गवर्नेन्स के अन्तर्गत परिषद की बेबपोर्टलः https://cst.up.gov.in का डिज़ाइन एवं विकास किया गया है। परिषद के रूल्स एवं रेगुलेशन, शोध परियोजनाओं हेतु गाइडलाइन्स गत 05 वर्षों में पूर्ण हुई शोध परियोजनाओं का विवरण, समर रिसर्च फैलोशिप के लाभार्थियों की सूची एवं उनके कार्य, इंजीनियरिंग स्टूडेन्ट ग्रान्ट स्कीम के लाभार्थियों की सूची, वैज्ञानिक सम्मान से सम्मानित वैज्ञानिकों की सूची भी परिषद के वेबपोर्टल पर अपलोड की गयी है। परिषद द्वारा संचालित शोध परियोजना के अन्तर्गत शोध प्रस्ताव समर रिसर्च फैलोशिप, इंजीनियरिंग स्टूडेन्ट

ग्रान्ट स्कीम एवं विज्ञान सम्मान हेतु आवेदन परिषद के वेबपोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्त किये जाते हैं।

परिषद द्वारा 23 जनवरी, 2024 से ई-ऑफिस का संचालन प्रारम्भ किया गया है। भविष्य में परिषद कार्यालय के समस्त कार्यक्रमों/गतिविधियों से सम्बन्धित पत्रावलियों का व्यवहरण ई-ऑफिस के माध्यम से किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन्स सेन्टर उत्तर प्रदेश

लगभग चार दशक पूर्व प्रदेश सरकार द्वारा 14 मई, 1982 को लखनऊ में देश के प्रथम राज्य स्तरीय सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र, (रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन्स सेन्टर) उत्तर प्रदेश की स्थापना एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में की गयी थी।

- कृषि संसाधन।
- सतही जल संसाधन।
- भूजल संसाधन।
- भू संसाधन।
- मृदा संसाधन।
- वन संसाधन, पर्यावरण एवं परिस्थितिकी।
- भूमि उपयोगिता एवं नगरीय सर्वेक्षण।
- कम्प्यूटर एवं इमेज प्रोसेसिंग।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- स्कूल ऑफ जियोइन्फॉरमेटिक्स।
- जियोस्पेशियल डाटा बैंक।

●

कानून व्यवस्था

अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध जीरो टालरेंस :-

1. प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति और अधिक बेहतर बनाने तथा अपराधियों के विरुद्ध जीरो टालरेंस की नीति जारी।
2. प्रदेश में बढ़ रहे साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु 18 परिक्षेत्रीय साइबर क्राइम थाने, 1530 जनपदीय थानों में साइबर सेल का गठन, हेल्पलाइन नं.- 1930 का संचालन एवं हेल्पलाइन की सहायता से वर्ष 2017 से अब तक 179.23 करोड़ रुपये की धनराशि संबंधित बैंकों में फ्रीज/होल्ड कराई गयी। प्रदेश के 75 जनपदों में साइबर क्राइम थाना संचालित हैं।
3. प्रदेश में लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, कानपुर नगर, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद तथा प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था लागू।
4. यू.पी.-112 परियोजना को और अधिक जन उपयोगी बनाने के साथ-साथ इसके संसाधनों में बढ़ोत्तरी कर कई नयी परियोजना जोड़ी गई है। औद्योगिक प्रतिष्ठानों को सुरक्षित माहौल देने के लिए लिंक सेवा शुरू करने का निर्णय, वोमेन पावर लाइन 1090, जी.आर.पी., फायर सर्विस, महिला हेल्पलाईन 181 सेवा का एकीकरण।
5. महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं पर पूर्णतया अंकुश लगाने के लिए प्रदेश के प्रत्येक जिले में एण्टी रोमियो स्क्वायड का गठन कर दिनांक 22.03.2017 से 27.12.2024 तक 3,90,64,523 व्यक्तियों की चेकिंग करते हुए 1,44,06,253 व्यक्तियों को चेतावनी एवं 32,077 व्यक्तियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही।
6. प्रदेश में कानून एवं शान्ति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी हेतु 03 महिला पी.ए.सी. बटालियन का गठन।
7. राज्य के महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानों आदि की सुरक्षा व्यवस्था प्रोफेशनल तरीके से सुनिश्चित किये जाने हेतु पृथक से उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स नामक नये सुरक्षा बल का गठन।
8. ई-प्रॉसीक्यूशन प्रणाली के उपयोग में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर।
9. प्रदेश के विभिन्न जनपदों के दुर्दान्त अपराधियों के विरूद्ध पुलिस कार्यवाही में दिनांक 20.03.2017 से 28.12.2024 तक 217 अपराधी मुठभेड़ में मारे गये एवं 7799

घायल। 28,085 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, जिनमें से 19,955 इनामिया अपराधी हैं। 78,977 अपराधियों के विरूद्ध गैंगेस्टर अधिनियम तथा 914 अपराधियों के विरूद्ध एन.एस.ए. की कार्यवाही। गैंगेस्टर अधिनियम के अन्तर्गत 140 अरब 90 करोड़ 50 लाख रुपये से अधिक लागत मूल्य की चल अचल अवैध सम्पत्तियों का जब्तीकरण।

10. प्रदेश स्तर पर चिन्हित 68 माफिया व उनके गैंग के सदस्यों/सहयोगियों में कुल 1391 के विरूद्ध 782 अभियोग पंजीकृत तथा 611 की गिरफ्तारी, 359 शस्त्र लाइसेंस के निरस्तीकरण की कार्यवाही, 18 के विरूद्ध एन.एस.ए., 752 के विरूद्ध गैंगेस्टर एक्ट। माफिया एवं अपराधियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित रु. 4067 करोड़ से अधिक की सम्पत्ति के जब्तीकरण/अवमुक्त। साथ ही 31 माफिया व 74 सहअपराधी को सघन पैरवी कराकर दण्डित।

11. ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत दिनांक-01.07.2023 से 29.12.2024 तक विभिन्न अपराधों में कुल-68486 अभियुक्तों को सजा करायी गयी। विभिन्न अपराधों में 51 प्रकरणों में मृत्युदण्ड, 6281 प्रकरणों में आजीवन कारावास, 1090 प्रकरणों में 20 वर्ष से अधिक सजा, 74 प्रकरणों में 15 से 19 वर्ष की सजा, 3785 प्रकरणों में 10 से 14 वर्ष की सजा, 5783 प्रकरणों में 05 से 09 वर्ष की सजा, 23300 प्रकरणों में 05 वर्ष से कम की सजा कुल- 68486 प्रकरणों में मा. न्यायालयों द्वारा सजा करायी गयी। माफिया विजय मिश्रा, मुख्तार अंसारी, अनुपम दुबे, सऊद अख्तर, धर्मेन्द्र व संजय सिंघला आदि को सजा करायी गयी।

12. प्रदेश में 126 नये थाने, 07 महिला पुलिस थानों की स्वीकृति, 86 नई पुलिस चौकियों, 78 महिला पुलिस चौकी परामर्श केन्द्र , 04 पुलिस चौकी, 75 विद्युत निरोधक पुलिस थाना, 10 सर्तकता अधिष्ठान थाना, 04 आर्थिक अपराध इकाई थाने, 06 यू.पी.एस.एस.एफ. की स्थापना, 75 साईबर क्राइम थाना व 06 नये नारकोटिक्स थाने।

13. बिजली चोरी की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण हेतु सभी जनपदों में एक-एक विद्युत निरोधक पुलिस थाना स्थापित। मानव तस्करी की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण हेतु 75 एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट थानों में परिवर्तित।

14. 1,55,855 विभिन्न पदों पर पुलिस कर्मियों की भर्ती तथा 1,42,908 विभिन्न पदों पर पदोन्नति। प्रदेश में 1518 थानों में कुल 15130 महिला पुलिस कर्मियों को नियुक्त करते हुए 10378 महिला बीटों का आवंटन।

15. मा. उच्च न्यायालय के निर्णय/धार्मिक स्थलों पर निर्धारित मानक के अनुसार ध्वनि प्रसारित हो, के अनुपालन में अभियान के अन्तर्गत धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकरों की ध्वनि निर्धारित मानक के अनुरूप न पाये जाने पर 1,08,037 लाउडस्पीकर हटवाये गये तथा 1,53,417 लाउडस्पीकरों की ध्वनि मानक के अनुसार कम करायी गयी।

16. हमारे पास देश का सबसे अच्छा व जुझारू युवा। युवा पीढ़ी के सामने नशा एक बड़ी चुनौती है। अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध के पर्यवेक्षण में एण्टी नारकोटिक्स फोर्स का भी गठन 04 अगस्त, 2022 को किया गया है। राज्य स्तर पर आवश्यकतानुसार जोन क्षेत्रीय स्तर पर 06 नारकोटिक्स पुलिस स्टेशन की तथा जोन स्तर पर 08 यूनिट स्थापित हैं।

17. यू.पी.-112 द्वारा दिनांक 01.01.2017 से 30.11.2024 तक त्वरित आपातकालीन सहायता के तहत 5,11,78,627 आपात सहायता इवेंट तैयार कराकर उन्हें आपात सहायता प्रदान की गयी। यू.पी.-112 द्वारा संचालित पी.आर.वी का रिस्पॉन्स टाइम वर्तमान में 00.07.50 हैं।

18. महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत यू.पी.-112 द्वारा पूरे प्रदेश में 314 महिला पीआरवी की सतत उपलब्धता सुनिश्चित की गयी जिनमें महिला पुलिस स्टाफ नियुक्त है। इनके द्वारा महिला सम्बन्धी सूचनाओं पर त्वरित सहायता प्रदान की जाती है।

19. प्रदेश की आम जनता से प्रभावी संवाद हेतु C-Plan App से 20,31,229 सदस्य जोड़े जा चुके हैं।

20. 12 जनपदों लखनऊ, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद, झाँसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कन्नौज, अलीगढ़, बरेली, गोण्डा तथा मुरादाबाद में विधि विज्ञान प्रयोगशाला क्रियाशील।

21. जन जागरूकता अभियान तथा अफवाहों पर नियंत्रण हेतु 5 लाख डिजिटल वालन्टियर को चिन्हित करके डिजिटल माध्यम से सक्रिय किया गया।

ऑपरेशन त्रिनेत्रः-

ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत प्रदेश में दिनांक 10.07.2023 के पूर्व 93,878 सीसीटीवी कैमरों तथा दिनांक 10.07.2023 से 29.12.2024 तक 10,86,632 सीसीटीवी कैमरें अधिष्ठापित किये जा चुके। इस प्रकार ऑपरेशन त्रिनेत्र अभियान के अंतर्गत अब तक कुल 11,80,510 सीसीटीवी कैमरों का अधिष्ठापन किया जा चुका है।

अभियान के अन्तर्गत तकनीकी सेवाएं द्वारा विकसित किये गये ऑपरेशन त्रिनेत्र पोर्टल पर प्रदेश में 10,02,055 सीसीटीवी कैमरों की फीडिंग की जा चुकी है। उक्त अभियान के अन्तर्गत अधिष्ठापित सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से प्रदेश में हत्या, डकैती, अपहरण, स्नैचिंग, टप्पेबाजी आदि से सम्बन्धित कुल-2,121 अपराधों का सफल अनावरण किया जा चुका है।

●

कारागार प्रशासन एवं सुधार

उद्देश्य :-

कारागार प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन भी न्यायपालिका के साथ आपराधिक न्याय प्रणाली का महत्त्वपूर्ण अंग है। समाज में कानून के शासन एवं शान्ति व्यवस्था की स्थापना में महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। कारागारों में निरुद्ध बंदियों का सुरक्षित रख-रखाव, सुधार, व्यवहार परिमार्जन के विभिन्न कार्यक्रमों एवं गतिविधियों का संचालन करने के साथ-साथ उन्हें पुनर्वासन हेतु तैयार करना विभाग का प्रमुख उद्देश्य है ताकि इनसे लाभान्वित होकर रिहाई के उपरान्त वे समाज में पुनर्स्थापित होने योग्य हो सकें। कारागारों में सुरक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु अवस्थापना सुविधाओं का सृजन करने के साथ ही बंदियों हेतु साक्षरता, शैक्षिक एवं कौशल विकास कार्यक्रम, योग, खेलकूद, व्यायाम एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का निरन्तर आयोजन किया जा रहा है।

कारागार संस्थायें तथा वर्गीकरण :-

बंदी क्षमता तथा बंदियों को दिये गये दण्ड की अवधि के आधार पर कारागारों का वर्गीकरण किया गया है। प्रदेश में वर्तमान में विभिन्न श्रेणी की कारागारें संचालित हैं, इसके साथ ही कारागार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु डॉ. सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ एवं कारागारों में उत्पादित वस्तुओं के विक्रय एवं जनता में प्रदर्शन हेतु अमीनाबाद, लखनऊ में जेल डिपो स्थापित है। कारागारों के सफल संचालन हेतु इन्हें परिक्षेत्रों के अधीन रखा गया है।

कारागार संस्थाओं का संक्षिप्त परिचय :-

(1) आदर्श कारागार, लखनऊ :-

प्रदेश की विभिन्न कारागारों में निरुद्ध अच्छे आचरण के वर्ष से कम आयु के सिद्धदोष बंदियों, जिन्होंने किसी कारागार में कम से कम वर्ष की सजा व्यतीत कर ली हो, को आदर्श कारागार में निरुद्ध करने का प्रावधान है। लखनऊ जनपद में संचालित केन्द्रीय कारागार को वर्ष में आदर्श कारागार बनाया गया। यहाँ निरुद्ध बंदियों को सुधार के सोपानों क्रमशः स्वागत भवन, यमुना भवन, गंगा भवन, आजाद बैरक तथा कृषि फार्म में रखा जाता है।

(2) केन्द्रीय कारागार :-

वर्तमान में प्रदेश में केन्द्रीय कारागार संचालित हैं जिसमें केन्द्रीय कारागार आगरा, बरेली-1, बरेली-2, फतेहगढ़, इटावा, वाराणसी, नैनी (प्रयागराज) तथा महिला केन्द्रीय कारागार

बरेली है। केन्द्रीय कारागार, आगरा की स्थापना वर्ष में हुई, यह देश की सर्वप्रथम केन्द्रीय कारागार थी। इसके पश्चात् वर्ष में केन्द्रीय कारागार बरेली प्रथम, वर्ष में केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़, वर्ष में केन्द्रीय कारागार नैनी (प्रयागराज) तथा वर्ष में केन्द्रीय कारागार वाराणसी की स्थापना हुयी। शासन के संज्ञान में लाये जाने पर कि प्रदेश में वर्ष के पश्चात् किसी केन्द्रीय कारागार का निर्माण नहीं हुआ है। प्रदेश की जिला कारागारों में ऐसे बंदियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होने के कारण जो केन्द्रीय कारागारों में निरुद्धि के पात्र हैं, के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा केन्द्रीय कारागारों की संख्या में वृद्धि की गयी है।

वर्ष में शासन द्वारा नवनिर्मित जिला कारागार बरेली को केन्द्रीय कारागार बरेली (द्वितीय) एवं नवनिर्मित जिला कारागार बरेली परिसर में ही संचालित महिला कारागार को प्रदेश में प्रथम महिला केन्द्रीय कारागार के रूप में संचालन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। नवनिर्मित जिला कारागार इटावा को वर्ष में केन्द्रीय कारागार के रूप में अधिसूचित किया गया। केन्द्रीय कारागार, इटावा के संचालन के पश्चात प्रदेश में केन्द्रीय कारागारों की संख्या हो गयी है।

(3) जिला कारागार :-

आपराधिक न्याय प्रणाली के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद में मा. न्यायालय, पुलिस प्रशासन एवं कारागार की व्यवस्था होना आवश्यक है ताकि अपराध नियन्त्रण हेतु जनपद में ही इन तीनों संस्थाओं की भूमिका की उपलब्धता रहे।

प्रदेश की वर्तमान में क्रियाशील जिला कारागारों में बंदियों को निरुद्ध करने की क्षमता है के सापेक्ष कुल बंदी निरुद्ध है जो . गुना है।

(4) उप कारागार :-

प्रदेश में उप कारागारें क्रमशः उप कारागार महोबा तथा देवबन्द क्रियाशील हैं। उप कारागार देवबन्द की बंदी क्षमता के सापेक्ष (. गुना) तथा उप कारागार महोबा की बंदी क्षमता के सापेक्ष (. गुना) बंदी निरुद्ध हैं।

(5) नारी बंदी निकेतन, लखनऊ :-

प्रदेश की कारागारों में निरुद्ध वर्ष से अधिक की सजा से दण्डित सिद्धदोष महिला बंदियों को नारी बंदी निकेतन लखनऊ में निरुद्ध किये जाने की व्यवस्था है तथा उनके कल्याण, सुधार तथा रिहाई के उपरान्त समाज में पुनर्स्थापित तथा पुनर्वासित होने के लिये विभिन्न रोजगारपरक उद्यम संचालित हैं। इन उद्यमों में निर्धारित दरों पर श्रम के एवज में बंदी पारिश्रमिक दिया जाता है। महिला बंदियों एवं उनके साथ रह रहे बच्चों के लिये पृथक् रसोईघर/पाकशाला, स्वास्थ्य परीक्षण कक्ष/अस्पताल, क्रेच तथा चिल्ड्रेन पार्क की सुविधा उपलब्ध है।

( ) किशोर सदन, बरेली :-

वर्ष से अधिक सजा अवधि एवं से वर्ष की आयु के सिद्धदोष अल्प वयस्क बंदियों को किशोर सदन, बरेली में निरुद्ध करने की व्यवस्था है परन्तु वर्तमान में स्टाफ की कमी

तथा अन्य कारणों से किशोर सदन बरेली के बंदी केन्द्रीय कारागार बरेली में निरुद्ध किये जा रहे हैं।

(7) डॉ. सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ :-

जनपद लखनऊ वर्ष में स्थापित कारागार प्रशिक्षण विद्यालय को वर्ष में डॉ0 सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान के रूप में उच्चीकृत किया गया। प्रशिक्षण संस्थान में प्रदेश एवं अन्य राज्यों के सीधी भर्ती के कारागार अधीक्षक, उप कारापाल तथा जेल वार्डर संवर्ग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

(8) जेल डिपो, अमीनाबाद, लखनऊ :-

प्रदेश की विभिन्न कारागारों में उत्पादित औद्योगिक उत्पादों का कारागारों में प्रयोग एवं अन्य शासकीय विभागों की मांग पर आपूर्ति की व्यवस्था है। इनका आम जनता में प्रदर्शन तथा विक्रय हेतु अमीनाबाद लखनऊ में जेल डिपो संचालित है। डिपो के माध्यम से उत्पादित सामग्री तथा बंदियों की कृतियों का प्रदर्शन लखनऊ महोत्सव, कुम्भ एवं अन्य मेलों में किया जाता है। इनमें उत्पादों का विक्रय किया जाता है।

बंदी क्षमता तथा जनसंख्या :-

दिनांक 31.01.2025 की स्थिति के अनुसार प्रदेश में संचालित विभिन्न श्रेणी की 76 कारागारों की उपलब्ध कुल 76,475 बंदी क्षमता के सापेक्ष कारागारों में 89,256 बंदी निरुद्ध हैं।

साक्षरता तथा शैक्षिक कार्यक्रम एवं पुस्तकालयों की व्यवस्था :-

कारागारों में निरुद्ध निरक्षर बन्दियों को साक्षर करने हेतु "एक पढ़ाये एक" तथा "नया सवेरा" कार्यक्रम संचालित हैं। कारागारों में प्रवेश करने वाले सभी निरक्षर बंदियों को साक्षर किया जाता है। बंदियों के लिये संचालित शैक्षिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत निरुद्ध इच्छुक बंदियों के लिये प्राथमिक, बेसिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों में पंजीकरण तथा परीक्षा देने हेतु कारागारों में ही परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं। प्रदेश की समस्त कारागारों में बंदियों के साक्षरता एवं शैक्षिक कार्यक्रम के संचालन तथा बंदियों हेतु नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा हेतु पठन-पाठन की सामग्री से युक्त पुस्तकालय स्थापित हैं।

व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम :-

सुधारात्मक कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रदेश की कारागारों में निरुद्ध बंदियों के शैक्षिक उन्नयन के कार्यक्रमों के संचालन के साथ-साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा कौशल विकास कार्यक्रम निरन्तर क्रियान्वित हो रहे हैं। प्रदेश की सभी केन्द्रीय कारागारों, आदर्श कारागार एवं नारी बंदी निकेतन लखनऊ तथा जिला कारागार उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली तथा गोरखपुर आदि कारागारों में संचालित विभिन्न उद्योगों में तैनात प्रशिक्षकों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है तथा निर्धारित दरों पर पारिश्रमिक अर्जन की सुविधा है।

बंदी पारिश्रमिक :-

कारागारों में बंदियों से लिये जाने वाले श्रम हेतु पारिश्रमिक प्रदान किये जाने की व्यवस्था निर्धारित की गयी है। बंदियों को श्रेणियों क्रमशः कुशल, अर्द्धकुशल तथा अकुशल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मंहगाई को देखते हुए बंदियों को वर्तमान में दिये जा रहे पारिश्रमिक में दुगने की वृद्धि करते हुये कुशल बंदी हेतु रु. /- अर्द्धकुशल बंदी रु. /- तथा अकुशल बंदी हेतु रु. /- निर्धारित किया गया है।

बंदियो हेतु विविध सुधार व मनोरंजनात्मक कार्यक्रम :-

कारागारों में निरुद्ध बंदी अपने पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन से दूर रहता है, यहाँ वह नितान्त एकाकी जीवन व्यतीत करता है। इस एकाकी जीवन के खालीपन को दूर करने हेतु प्रत्येक बंदी को किसी न किसी गतिविधि में लगाये रखने हेतु कारागार प्रशासन कटिबद्ध है। बंदियों को इस एकाकीपन से दूर रखने हेतु कारागारों में प्रिजन रूटीन निर्धारित है। इसके अनुसार यह प्रयास किया जाता है कि कोई बंदी किसी न किसी गतिविधि में प्रत्येक समय सन्नद्ध रहे। सभी कारागारों में बंदियों के लिये व्यायाम, खेलकूद, प्रतिष्ठित संस्थाओं/व्यक्तियों के माध्यम से योग तथा ध्यान के कार्यक्रम संचालित कराये जा रहे हैं। मनोरंजन हेतु भजन, कीर्तन, लोकगीत एवं संगीत व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के सतत आयोजन की व्यवस्था है। प्रतिष्ठित संस्थाओं/व्यक्तियों/धर्मगुरूओं के माध्यम से प्रवचन, व्याख्यान देने की व्यवस्था है, इसे कारागारों में स्थापित पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से सभी बंदियों को उनकी निरूद्धि की बैरकों/अहातों में ही लाभान्वित कराया जाता है। बंदियों के भीतर अन्तर्निहित प्रतिभाओं एवं कौशल को प्रस्तुत करने हेतु समय-समय पर कला एवं लेखन, लोक गायन, कविता एवं कहानी की प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाता है। बंदियों को विचार अभिव्यक्त करने हेतु प्रत्येक कारागार में अभिव्यक्ति पटल की व्यवस्था करायी गयी है।

बंदियों के मानवाधिकारों का संरक्षण :-

कारागार प्रशासन एवं प्रबन्ध व्यवस्था का उद्देश्य कारागारों में विभिन्न सुधारात्मक कार्यक्रमों के आयोजन से बंदियों का सुधार करने के साथ-साथ उनकी मानवीय गरिमा एवं उनकी मूलभूत आवश्यकताओं तथा उनके अधिकारों का संरक्षण करना है, इसके लिये प्रत्येक स्तर पर कारागार विभाग चिंतनशील एवं कटिबद्ध है।

बंदियों हेतु भोजन की व्यवस्था :-

कारागारों में निरुद्ध बंदियों को भोजन उपलब्ध कराने हेतु उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल में भोजन की मात्रा निर्धारित है, तद्नुसार निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप बंदियों को भोजन उपलब्ध कराया जाता है। प्रत्येक रविवार एवं त्यौहारों में विशेष भोजन देने की व्यवस्था है।

मुलाकात व्यवस्था :-

कारागारों में निरुद्ध बंदियों के मुलाकातियों की सुविधा हेतु मुलाकात व्यवस्था में निरन्तर सुधार हो रहे हैं। मुलाकात व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, पक्षपात रहित एवं न्यायपूर्ण तरीके

से सुलभ कराने के प्रयास किये गये हैं। मुलाकात के नियमों की जानकारी प्रदान करने हेतु कारागार के मुख्य द्वार के पास सूचना पट लगाये गये हैं तथा किसी प्रकार की असुविधा तथा कठिनाई होने पर शिकायत दर्ज कराने हेतु कारागारों के मुख्य स्थलों पर शिकायत पेटिका लगायी गयी है। जिनमें प्राप्त शिकायतों पर प्रतिदिन निराकरण करने के निर्देश हैं।

बंदियों की चिकित्सा व्यवस्था :-

प्रदेश की सभी कारागारों में बंदियों के चिकित्सा उपचार हेतु अस्पताल भवन निर्मित हैं। बंदियों की निरन्तर बढ़ रही संख्या के दृष्टिगत अस्पतालों में बिस्तर क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं का सृजन किया जा रहा है। प्रारम्भिक जाँच से सम्बन्धित सभी प्रकार के चिकित्सा उपकरण तथा जीवन रक्षा हेतु ऑक्सीजन की व्यवस्था करायी गयी है।

कारागार उद्योग :-

प्रदेश की कारागारों में स्थापित उद्योगों के संचालन का मुख्य उद्देश्य कारागारों में निरुद्ध बंदियों की आवश्यकतानुसार सामग्री के उत्पादन के साथ-साथ बंदियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना है, ताकि वे कारागार से रिहाई के उपरान्त स्वावलम्बी बनकर अर्जित कार्य अनुभव व कुशलता से जीवन यापन कर सकें। कारागारों में स्थापित उद्योगों से उत्पादित सामग्री से विभागीय आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ मांग के अनुरूप अन्य सरकारी/गैर-सरकारी विभागों को इसकी आपूर्ति की जाती है। कारागारों में उत्पादित दरी, चादर, गमछे, डस्टर तथा फिनायल आदि वस्तुओं की बिक्री कारागार स्तर पर एवं अमीनाबाद लखनऊ में स्थापित जेल डिपो के माध्यम से आम जनता को भी की जाती है। कारागारों में बंदियों द्वारा निर्मित उत्पादों को बाजार में फुटकर बिक्री हेतु आउटलेट की व्यवस्था की जा रही है।

कारागार कृषि :-

प्रदेश की विभिन्न कारागारों में लगभग . एकड़ कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है। जिसमें खरीफ, रबी तथा जायद की फसलों में मुख्य रूप से बंदियों हेतु विभिन्न प्रकार की ठोस एवं हरी सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। कृषि कार्य हेतु प्रदेश की कारागारों में ट्रैक्टर, नलकूप तथा पम्पिंग सेट/समरसेबल क्रियाशील हैं। वर्ष - के दौरान प्रदेश की कारागारों में . कुन्टल आलू तथा . कुन्तल हरी सब्जियों का उत्पादन हुआ है।

गौशाला :-

वर्तमान में प्रदेश की कारागारों में गौशालायें संचालित हैं।

कारागार प्रबन्ध व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु उपकरणों की व्यवस्था :-

कारागार प्रशासन एवं प्रबन्ध व्यवस्था को निरन्तर सुदृढ़ करने की कार्यवाही प्रचलित है। इस कार्य हेतु कारागारों में सुरक्षा, तलाशी, संचार, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स के साथ-साथ बंदी सुविधाओं के उन्नयन हेतु विभिन्न उपकरणों की व्यवस्था करायी जा रही है। कारागारों में स्थापित उपकरणों के सम्बन्ध में संक्षिप्त टिप्पणी निम्नवत् है :-

(1) वीडियो कान्फ्रेन्सिंग :-

प्रदेश की कारागारों में निरुद्ध विचाराधीन बंदियों की रिमाण्ड वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से कराये जाने हेतु वीडियो कान्फ्रेसिंग इकाइयाँ (कारागार एवं जनपद न्यायालय) स्थापित हैं।

(2) मोबाइल फोन जैमर :-

प्रदेश की कारागारों में निरुद्ध माफिया, आतंकवादी, तस्कर तथा अन्य खतरनाक प्रकृति के बंदियों द्वारा मोबाइल फोन के उपयोग से आपराधिक नेटवर्क के संचालन पर पूर्ण अंकुश हेतु चरणों में कारागारों में मोबाइल फोन जैमर स्थापित हैं।

(3) सीसीटीवी सर्विलांस इकाई :-

कारागारों की सुरक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु चरणबद्ध रूप से सीसीटीवी सर्विलान्स इकाइयों की स्थापना करायी गयी है। कारागारों में संवेदनशील स्थलों का चिन्हीकरण करते हुए प्रत्येक कारागार में कम से कम कैमरे स्थापित हैं। वर्तमान में सभी कारागारों में लगभग से अधिक सीसीटीवी कैमरे स्थापित हैं।

(4) तलाशी व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण :-

कारागार में प्रवेश के समय सभी व्यक्तियों तथा सामग्री की सघन तलाशी की व्यवस्था करायी गयी है ताकि कारागार में कोई भी अनधिकृत व्यक्ति एवं निषिद्ध सामग्री कारागारों में किसी भी दशा में न पहुँचे। इस हेतु सभी कारागारों में हैण्डहेल्ड, डोरफ्रेम तथा डीप सर्च मेटल डिटेक्टर एवं पोल मेटल डिटेक्शन सिस्टम की व्यवस्था करायी गयी है।

(5) आन्तरिक संचार व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण :-

समय-समय पर कारागारों में वायरलेस सेट तथा इण्टरकाम प्रणाली की समुचित व्यवस्था करायी गयी है। अधिकांश कारागारों में अत्याधुनिक इण्टरकाम सिस्टम लगाये गये हैं।

(6) बंदी पीसीओ की स्थापना :-

देश के अन्य राज्यों की कारागारों में प्रचलित व्यवस्था के अनुसार उत्तर प्रदेश की कारागारों में भी बंदियों को अपने परिजनों से बात करने की सुविधा हेतु सभी कारागारों में बंदी पीसीओ स्थापित कराये गये हैं।

(7) ई-प्रिजन कार्ययोजना का संचालन :-

एनआईसी के सहयोग से कारागारों में ई-प्रिजन कार्ययोजना संचालित करायी जा रही है। ई-प्रिजन पोर्टल में बनाये गये विभिन्न मॉड्यूल में से प्रदेश की कारागारों में प्रिजनर्स इन्फारमेशन मैनेजमेण्ट सिस्टम (पीआईएमएस) मॉड्यूल के अन्तर्गत बंदियों की समस्त सूचनाओं की बैकलॉग डेटा की फीडिंग को पूर्ण कराते हुये अब प्रतिदिन प्रवेश करने वाले बंदियों की सूचनाओं की प्रविष्टि के साथ-साथ रिहा होने वाले बंदियों की रिहाई की प्रविष्टि करायी जा रही है।

(8) बंदी सुविधाओं का उन्नयन :-

बंदी सुविधाओं में शुद्ध पेयजल हेतु आर.ओ. प्लाण्ट, कपड़ों की धुलाई हेतु हैवी ड्यूटी वाशिंग मशीन, मुलाकातियों की पारदर्शी मुलाकात हेतु बंदी पीसीओ, व्याख्यान, भजन तथा नैतिक उपदेश हेतु पब्लिक एण्ड्रेस सिस्टम, मनोरंजन हेतु एलईडी टेलीविजन तथा जेल रेडियों की व्यवस्था, पुस्तकालयों का उन्नयन, कारागार पाकशालाओं में रोटी मेकर, फूड वार्मर, स्वच्छता तथा सफाई हेतु आधुनिक मशीनों की व्यवस्था एवं समुचित वेण्टीलेशन हेतु इलेक्ट्रानिक चिमनी एवं एक्जास्ट पंखों की व्यवस्था करायी गयी है।

विभागीय क्रियाकलापों का प्रचार-प्रसार :-

सोशल मीडिया की उपयोगिता एवं प्रासंगिकता के दृष्टिगत विभाग में हो रहे अच्छे क्रियाकलापों तथा रचनात्मक कार्यों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। विभागीय वेबसाइट में परिवर्तित सूचनायें निरन्तर अद्यतन की जा रही हैं। विभागीय सूचनाओं के आदान-प्रदान तथा अच्छे कार्यो के सम्बन्ध में समस्त विभागीय अधिकारियों को जानकारी देने हेतु प्रिजन ऑफीसर व्हाट्स एप ग्रुप तथा विभागीय रचनात्मक क्रियाकलापों की सूचना, फोटोग्राफ हेतु जेल पब्लिसिटी-ग्रुप भी संचालित किया गया है।

बंदियों के कौशल विकास :-

समाज में प्रतिष्ठित उद्यमियों को बंदी कल्याण की दिशा में अपना योगदान देने के लिये अभिप्रेरित करते हुये प्रदेश की अनेक कारागारों में छोटे उद्यमों की स्थापना हेतु संस्थाओं/व्यक्तियों से एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित कराये गये हैं। इन उद्यमों में लगे हुये बंदियों को कार्य सीखने के साथ-साथ अच्छी दरों पर मजदूरी प्राप्त करने के अवसर प्राप्त हो रहे हैं।

विभागीय महत्त्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय कार्य :-

(1) उत्तर प्रदेश कारागार नियम संग्रह (मैनुअल)-2022 का प्राख्यापन :-

प्रदेश की जेल की व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालन हेतु ब्रिटिश शासन से प्रचलित जेल मैनुअल में वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधन करते हुये नवीन उत्तर प्रदेश कारागार नियम संग्रह (जेल मैनुअल-2022) अधिसूचित किया गया है।

(2) कारागारों में अनुशासन हेतु प्रिजन्स एक्ट-1894 में संशोधन :-

कारागारों में बंदियों द्वारा मोबाइल फोन एवं अन्य इलेक्ट्रानिक्स डिवाइस के उपयोग करने की संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध की श्रेणी में लाते हुए दण्ड के प्रावधानों में वृद्धि किये जाने हेतु प्रिजन्स एक्ट- की धारा- , धारा- तथा धारा- में संशोधन कर वर्ष तक के कारावास तथा रु. /- तक जुर्माना तथा वर्ष तक कारावास तथा रु. /- तक के जुर्माने की व्यवस्था की गयी है।

(3) कमाण्ड सेण्टर तथा वीडियो वॉल की स्थापना :-

प्रदेश में संचालित समस्त कारागारों में लगभग से अधिक सीसीटीवी कैमरे स्थापित

हैं। प्रत्येक कारागार के संवेदनशील स्थानों पर कम से कम   सीसीटीवी कैमरे स्थापित किये गये हैं, जिसे चरणबद्ध रूप से 60 किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। कारागार स्तर पर अच्छी अनुश्रवण व्यवस्था हेतु सभी कारागारों में मिनी वीडियो वॉल तथा कारागार मुख्यालय में कारागारों में स्थापित कैमरों की फीड प्राप्त कर सुपर वीडियो वॉल की स्थापना करायी गयी है।

(4) बंदियों से सीधा संवाद :-

संवाद में बंदियों को उनके परिवार से जोड़कर एहसास कराया गया कि आपकी एक गलती के कारण परिवार बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहा है। इस संवाद का उनके जीवन पर काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है तथा समाज एवं परिवार के प्रति कर्तव्य बोध व अपराध के प्रति पश्चाताप की भावना उत्पन्न हुयी है।

(5) बंदियों के आचरण व व्यवहार में सुधार के कार्य :-

प्रदेश की समस्त कारागारों में निरुद्ध बन्दियों हेतु प्रवचन, सुन्दर काण्ड का पाठ एवं योग प्रशिक्षण कार्यक्रम कराया जा रहा है, जिसका कैदियों के जीवन एवं उनके आचरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

(6) सम्मान चिन्ह तथा प्रशस्ति पत्र देने की व्यवस्था :-

पुलिस विभाग की भांति विभाग में पुलिस महानिदेशक कारागार द्वारा स्वतंत्रता दिवस तथा गणतन्त्र दिवस पर अधीनस्थ अधिकारियों तथा कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने तथा उनकी कार्यदक्षता में वृद्धि के दृष्टिगत पुलिस महानिरीक्षक/महानिदेशक कारागार का सम्मान चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र देने की स्थायी व्यवस्था कारागार विभाग में तैनात अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उनके अच्छे तथा सराहनीय कार्य के लिये 15 अगस्त 2019 से लागू की गयी है।

(7) स्वयं सेवी संस्थाओं/व्यक्तियों को सम्मानित करने की व्यवस्था :-

इन संस्थाओं/व्यक्तियों द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में बंदियों के लिये आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम, पुस्तकालयों में पुस्तकों तथा अन्य सामग्रियों की व्यवस्था, साक्षरता तथा शैक्षिक व कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन, निःशुल्क विधिक सहायता, सजा पूरी करने के बाद निर्धारित जुर्माने की राशि अदा कर बंदियों की रिहाई आदि प्रमुख है।

(8) कार्मिकों की पदोन्नति :-

कुल 577 कार्मिकों को पदोन्नति प्रदान की गई।

(9) तीन नये कानून :-

भारतीय न्याय संहिता-2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के अन्तर्गत कारागार अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

(10) विगत 05 वर्षों में सिद्धदोष बंदियों की समयपूर्व रिहाई :-

प्रदेश की कारागारों में निरुद्ध सिद्धदोष बंदियों की रिहाई हेतु गणतन्त्र दिवस (26 जनवरी),

महिला दिवस (08 मार्च), विश्व स्वास्थ्य दिवस (07 अप्रैल), मजदूर दिवस (01 मई), विश्व योग दिवस (21 जून), स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त), शिक्षक दिवस (05 सितम्बर), गाँधी जयन्ती (02 अक्टूबर), अन्तर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, (16 नवम्बर) एवं अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस (10 दिसम्बर) के अवसरों पर स्थायी नीति के अन्तर्गत बंदियों की रिहाई होती है, इसके अतिरिक्त विभिन्न माध्यमों से सिद्धदोष बंदियों की रिहाई भी की जाती है।

(11) अर्थदण्ड :-

वर्ष 2024 से जुर्माने की राशि न जमा कर पाने वाले बंदियों को स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से अर्थदण्ड की राशि जमा कराकर कुल 552 बंदियों को रिहा किया गया। 26 जनवरी 2025 के शुभ अवसर पर जुर्माने की राशि व जमा कर पाने वाले 51 बंदियों को भी कारागार से रिहा किया, इस प्रकार कुल 603 बंदी लाभान्वित हुये।

(12) कुख्यात बंदियों पर नियंत्रण :-

प्रदेश की विभिन्न कारागारों में निरुद्ध, माफिया, तस्कर, आतंकवादी तथा अन्य कुख्यात बंदियों के निरुद्धिकरण हेतु प्रदेश की कारागारों क्रमशः जिला कारागार लखनऊ, आजमगढ़ चित्रकूट, बरेली तथा गौतमबुद्धनगर को उच्च सुरक्षा कारागार के रूप में उच्चीकृत किया जा रहा है।

(13) कारागार में बच्चों की शिक्षा :-

कारागार में निरुद्ध महिला बन्दियों के साथ रह रहे बच्चों की शिक्षा-दीक्षा हेतु कारागारों में अध्यापकों के कुल सृजित पदों के सापेक्ष कुल 43 अध्यापक तैनात है। महिला बन्दियों के साथ निवास कर रहे बच्चों के लिए 39 कारागारों में क्रेच स्थापित हैं, जिससे कारागार में निवास कर रहे बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास हो सके।

(14) वृक्षारोपण :-

वर्ष 2024 में प्रदेश की कारागारों में खाली पड़े स्थानों पर कुल 15,179 वृक्षारोपण किया गया।

●

न्याय प्रशासन

न्याय विभाग उत्तर प्रदेश सरकार का एक महत्वपूर्ण विभाग है। इस विभाग के अन्तर्गत मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं खण्डपीठ लखनऊ में शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति, दीवानी एवं फौजदारी वादों से संबंधित कार्य, अधिवक्ता कल्याण से संबंधित कार्य, अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित कार्य जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। न्याय विभाग के अंतर्गत कुल अनुभाग है।

. न्याय अनुभाग- (उच्च न्यायालय)

. न्याय अनुभाग- (अधीनस्थ न्यायालय)

. न्याय अनुभाग- (नियुक्तियाँ)

. न्याय अनुभाग- (दीवानी वाद)

. न्याय अनुभाग- (फौजदारी वाद)

. न्याय अनुभाग- (विधि मंत्रणा)

. न्याय अनुभाग- (कल्याण निधि)

. न्याय अनुभाग- (लेखा)

. न्याय अनुभाग- (बजट)

न्याय, विधायी एवं संसदीय विभागों के सफल संचालन और विधिक ज्ञान के लिए एक विधि परामर्शी पुस्तकालय स्थापित है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 की उपलब्धियाँ

. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज का प्रथम सत्र जुलाई, से प्रारम्भ हो चुका है।

. प्रदेश के लिए स्वीकृत ग्राम न्यायालयों के सापेक्ष कुल ग्राम न्यायालय क्रियाशील हो चुके हैं।

. पेट्टी आफेन्सेस के ट्रायल हेतु न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों (स्पेशल जूडिशियल मजिस्ट्रेट/स्पेशल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के मानदेय में वृद्धि कर रु. , /- प्रतिमाह एवं रु. , /- प्रतिमाह वाहन भत्ते के रूप में नियत किया गया है।)

. प्रदेश के जनपदों गौतमबुद्ध नगर, मेरठ, आगरा एवं लखनऊ में अतिरिक्त

वाणिज्यिक न्यायालयों का सृजन किया गया। इस प्रकार प्रदेश से कुल वाणिज्यिक न्यायालयों का सृजन किया गया। इस प्रकार प्रदेश में कुल वाणिज्यिक न्यायालय क्रियाशील हैं।

. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, के अन्तर्गत प्रदेश के जनपदों यथा भदोही, बिजनौर, हापुड़, महराजगंज, महोबा, रामपुर, सहारनपुर, सम्भल एवं शामली में एक-एक अनन्य विशेष न्यायालयों/सहवर्ती पदों का सृजन किया गया। इस प्रकार प्रदेश के सभी जनपदों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एक्ट के विशेष न्यायालय क्रियाशील हैं।

. वर्तमान में जनपद झांसी की तहसील गरौठा में अतिरिक्त वाह्य न्यायालयों का सृजन किया गया है।

. जनपद गौतमबुद्धनगर में अतिरिक्त न्यायालयों का सृजन किया गया है।

. मा. न्यायमूर्तिगण की स्वीकृत संख्या- के सापेक्ष प्रभावी संख्या- मानकर निजी सचिव संवर्ग के कुल अस्थायी पदों का सृजन किया गया है।

. मा. न्यायमूर्तिगण की स्वीकृत संख्या- के सापेक्ष प्रभावी संख्या- मानकर बेंच सेक्रेटरी संवर्ग के कुल अस्थायी पदों का सृजन किया गया तथा मा. न्यायमूर्तिगण की स्वीकृत संख्या- के सापेक्ष प्रभावी संख्या- मानकर बेंच सेक्रेटरी संवर्ग के सृजित अस्थायी पदों का वर्गीकरण किया गया। इस प्रकार बेंच सेक्रेटरी के कुल अस्थायी पदों का सृजन किया गया।

. मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में जनरल आफिस कैडर के पदों का सृजन किया गया।

. मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में कार्यरत न्यायिक अधिकारियों हेतु अपर निजी सचिव के पदों का सृजन किया गया है।

. प्रदेश के कुल जिलों में कुल ग्राम न्यायालय क्रियाशील हो चुके हैं।

. जनपद न्यायालय हापुड़ के इन्टीग्रेटेड कोर्ट काम्पलेक्स के निर्माण हेतु आवश्यक भूमि के अधिग्रहण किये जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति पर सक्षम स्तर का अनुमोदन पास किया जा चुका है।

. राज्य सरकार की ओर से प्रभावी पैरवी करने हेतु मा. उच्चतम न्यायालय एवं दिल्ली स्थित अन्य न्यायालयों में अपर महाधिवक्ता, एडवोकेट ऑन रिकार्ड, विशेष पैनल अधिवक्ता, वरिष्ठ पैनल अधिक्ता एवं कनिष्ठ पैनल अधिवक्तागण आबद्ध किये गये हैं।

. राज्य सरकार की ओर से प्रभावी पैरवी करने हेतु मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं खण्डपीठ लखनऊ में अपर महाधिवक्ता, मुख्य स्थायी अधिवक्ता, शासकीय

अधिवक्ता, अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता, स्थायी अधिवक्ता, ब्रीफ होल्डर, अपर शासकीय अधिवक्ता-प्रथम एवं अपर शासकीय अधिवक्तागतण आबद्ध किये गये हैं।

. जिला न्यायालयों में शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति एवं उनके कार्यालय का नवीनीकरण निरन्तर रूप से किये जा रहे हैं।

. प्रदेश में नोटरी अधिवक्ताओं की नियुक्ति एवं नवीनीकरण निरन्तर किये जा रहे हैं।

. नोटरी अधिवक्ताओं के चयन एवं नवीनीकरण हेतु आनलाइन पोर्टल क्रियाशील किया गया है।

. नोटरी के नवसृजित पदों के चयन की प्रक्रिया गतिमान है।

. प्रदेश के जनपद न्यायालयों में अनावासीय भवनों के अन्तर्गत कोर्टरूम का निर्माण पूर्ण कराया जा चुका है तथा निर्माणाधीन कोर्टरूम के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष - में रु. लाख की धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

. जनपद न्यायालय जहाँ न्यायालय परिसर में सी.सी.टी.वी. कैमरा अधिष्ठापित नहीं है वहाँ न्यायालय कक्ष के अतिरिक्त न्यायालय परिसर में भी सी.सी.टी.वी. कैमरों का अधिष्ठापन प्रक्रियाधीन है।

. प्रदेश के जनपदों शामली, महोबा, चन्दौली, हाथरस, हापुड़, औरैया, संभल, चित्रकूट, अमेठी तथा सोनभद्र में इन्टीग्रेटेड कोर्ट काम्पलेक्स के निर्माण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इस हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष - में रु. करोड़ की बजट व्यवस्था करायी गयी।

. मा. सर्वोच्च न्यायालय/मा. उच्च न्यायालय/मा. लोक सेवा अधिकरण में लम्बित सेवा सम्बन्धी ऐसे वादों जिनमें सरकार पक्षकार है, के त्वरित निस्तारण हेतु गठित विभागीय विवाद समाधान फोरम के स्थान पर एक विभागीय विवाद, समाधान फोरम का गठन शासनादेश दिनांक . . द्वारा किया गया है।

. मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं खण्ड पीठ लखनऊ में लम्बित वादों में प्रभावी पैरवी किये जाने के लिए विशेष सचिव से अनिम्न स्तर के विभागीय नोडल अधिकारी नामित करने तथा उनके नाम, ई-मेल आई.डी. शासन की साइट पर अंकित किये जाने के संबंध में शासनादेश दिनांक . . जारी किया गया है।

. मा. उच्च न्यायालय में योजित वादों के त्वरित निस्तारण हेतु महाधिवक्ता कार्यालय हेतु विकसित किये जा रहे ऑनलाइन रिट पिटीशन पोर्टल के माध्यम से शासकीय मुकदमों की प्रभावी पैरवी किये जाने के संबंध में शासनादेश दिनांक . . जारी किया गया है।

. मा. उच्च न्यायालय में लम्बित जिन वादों में राज्य सरकार प्रभावी पक्षकार है, उन वादों में प्रतिशपथ पत्र या अन्य कथन सम्बन्धित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव द्वारा

अनुमोदित/हस्ताक्षरित प्रस्तरवार आख्या के आधार पर तैयार किए जाने सम्बन्धी आदेश अनुश्रवण प्रकोष्ठ, न्याय विभाग के पत्र दिनांक जून, द्वारा निर्गत किए गए।

. मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद/लखनऊ बैंच में लम्वित वादों में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में जारी शासनादेश का अनुपालन कराये जाने हेतु अनुश्रवण प्रकोष्ठ, न्याय विभाग के पत्र दिनांक फरवरी, द्वारा आदेश निर्गत किए गए।

. संविधान के अनुच्छेद क की मूल भावना के अनुरूप केन्द्रीय संसद द्वारा पारित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, के अन्तर्गत सम्पूर्ण भारत वर्ष में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों तथा तहसील सेवा समितियों का गठन किया गया है।

उत्तर प्रदेश में निरन्तर राष्ट्रीय लोक आदालत एवं विशेष लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जनमानस को विधिक साक्षरता शिविरों के माध्यम से विधिक जागरूकता एवं सहायता उपलब्ध करायी जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तावित योजनायें निम्नलिखित हैं:-

. जनपद लखनऊ में मा. न्यायमूर्तिगण हेतु गोमती नगर हनी मैन चौराहे के पास आवास निर्माण का कार्य।

. जनपद प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का निर्माण।

. जनपद प्रयागराज में मा. न्यायमूर्तिगण हेतु क्लाइव रोड प्रयागराज में फ्लैटो के स्थान पर बंगलों का निर्माण कार्य।

. जनपद प्रयागराज मेलीडर रोड पर टाईप- एवं टाईप- आवासों का निर्माण कार्य।

. प्रदेश के जनपदों (महोबा, हापुड़ औरैया, सोनभद्र, सम्भल, चित्रकूट, अमेठी, शामली, चन्दौली एवं हाथरस) में इन्टीग्रेटेड कोर्ट काम्पलेक्स।

. मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं लखनऊ खंडपीठ में सी.सी.टी.वी. कैमरा अधिष्ठापन।

. हैरिटेज बिल्डिंग, मा. उच्च न्यायालय के जीर्णोद्धार का कार्य।

●

लोक आयुक्त

भारतवर्ष एक विकासशील देश है और प्रत्येक प्रदेश में मुख्यतः उत्तर प्रदेश में पिछले कई वर्षों में विकास की गति तीव्र हुई है। देश अथवा प्रदेश के विकास में भ्रष्टाचार एक बाधा के रूप में सामने आता है, जिसका प्रभाव विकास के परिणामस्वरूप सामान्य नागरिकों को मिलने वाली सुख-सुविधाओं पर पड़ता है। आम आदमी को शासन के क्रिया-कलापों से उत्पन्न होने वाली शिकायतों के निराकरण एवं लोक सेवकों की स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण करते हुए, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने हेतु लोक आयुक्त प्रशासन एक अत्यन्त सरल, प्रभावी एवं उपयुक्त संस्था के रूप में अपना प्रभाव प्रदर्शित कर रहा है।

वर्ष में प्रशासनिक सुधार आयोग की संस्तुतियों पर उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त विधेयक, पर महामहिम श्री राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद के अधीन दिनांक . . को अनुमति प्रदान की गयी। प्रथम लोक आयुक्त को दिनांक सितम्बर, को महामहिम श्री राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण कराने के उपरांत लोक आयुक्त संस्था अस्तित्व में आया। लोक आयुक्त संगठन द्वारा निरन्तर भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन पर अंकुश रखने में सरकार के हाथों को मजबूती प्रदान कर रही है।

लोक आयुक्त की परिधि में प्रदेश के न केवल मन्त्रीगण, राज्य मन्त्रीगण, विधान मण्डल के सदस्य, शासन के सभी अधिकारी एवं कर्मचारीगण आते हैं वरन् स्वयंशासी संस्थायें, निगम व परिषदों के अध्यक्ष व कर्मचारीगण भी आते हैं। ऐसे समस्त लोक सेवकों के विरुद्ध शिकायतों या अभिकथनों को प्रस्तुत करने का अधिकार समस्त नागरिकों को प्राप्त है। लोक आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले परिवाद/अभिकथन पर अन्वेषणोपरान्त् अपेक्षित कार्यवाही हेतु शासन को संस्तुति प्रेषित करने का अधिकार लोक आयुक्त को प्राप्त है।

लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त की कार्यप्रणाली एवं क्षेत्राधिकार

संक्षिप्त रूप में लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त के समक्ष उत्तर प्रदेश शासन के मंत्रियों, विधायकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पक्षपातपूर्ण कार्यवाहियों, भ्रष्टाचार, कुप्रशासन से संबंधित शिकायतों या लोक सेवकों के सेवानिवृत्त होने के उपरांत देयकों के भुगतान न होने से संबंधित प्रकरण आम नागरिकों एवं व्यथित व्यक्तियों द्वारा उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, में निर्धारित प्रारूप, शपथ-पत्र व प्रतिभूति की धनराशि जमा कर प्रस्तुत किया जा सकता है। लोक

आयुक्त प्रशासन में   प्रकार के परिवाद प्रस्तुत किये जाते हैं, जोकि निम्न हैं :-

- **शिकायत-** ऐसे परिवाद व्यथित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किये जा सकते हैं। शिकायत की श्रेणी में लोक सेवकों के सेवानिवृत्त होने पर उनके देयकों के भुगतान न होने से संबंधित प्रकरण आते हैं। सेवानिवृत्त लोक सेवक यदि निगम, स्वायत्तशासी संस्था का है, तो उसे प्रतिभूति जमा करनी होगी।
- **अभिकथन-** ऐसे परिवाद जिनमें राज्य सरकार के विभाग के किसी लोक सेवक द्वारा की गई वित्तीय अनियमितता, कुप्रशासन अथवा अनुचित कार्यवाही से शासकीय धन का दुरुपयोग हो रहा है। किसी नागरिक, लोक सेवक, मन्त्री या विधायक से राज्य के किसी मन्त्री, विधायक या किसी स्थानीय निकाय या शीर्षस्थ सहकारी संस्था के अध्यक्ष अथवा राज्य सरकार के कार्यों से सम्बद्ध किसी अधिकारी, कर्मचारी या सार्वजनिक क्षेत्र के किसी उपक्रम/निगम के अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध उसके द्वारा किये गये पद के दुरुपयोग या भ्रष्टाचार की, जिसकी उसे निजी जानकारी हो, के संबंध में प्रस्तुत परिवाद को अभिकथन की श्रेणी मे रखा गया है। अभिकथन के मामले में दो हजार रुपये की धनराशि प्रतिभूति के रूप में जमा कराये जाने का प्राविधान है।

क्षेत्राधिकार में आने वाले पदाधिकारी :-

निम्न के विरुद्ध शिकायत या अभिकथन दोनों प्रकार के परिवाद प्रस्तुत किये जा सकते हैं :-

- प्रदेश के मन्त्रियों, राज्य मन्त्रियों तथा उप मन्त्रियों (मुख्य मन्त्री परिधि में नहीं आते),
- विधान सभा या विधान परिषद के सदस्य,
- शासन के सचिव, जिसमें प्रदेश के अखिल भारतीय सेवा एवं पुलिस प्रशासन के सभी अधिकारी सम्मिलित हैं, विशेष सचिव और संयुक्त सचिव,
- प्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत कोई भी अधिकारी।

निम्न के विरुद्ध केवल अभिकथन रूपी परिवाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है :-

. क्षेत्र समिति के प्रमुख, . जिला परिषद के अध्यक्ष, . नगर महापालिका के नगर प्रमुख, . नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष, . उत्तर प्रदेश सहकारी समिति या शीर्ष समिति के अशासकीय अध्यक्ष या प्रबन्ध निदेशक, . प्रदेश की निम्नलिखित संस्थाओं की सेवा में या वेतनभोगी प्रत्येक व्यक्ति :-

. नगर महापालिकायें, . नगर पालिकायें, . जिला परिषदें, . क्षेत्र समितियाँ, . नगर क्षेत्र समितियाँ, . अधिसूचित क्षेत्र समितियाँ, . विकास प्राधिकरण . औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

उपरोक्त के अलावा राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के निम्नलिखित निगमों की सेवा में वेतनभोगी प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी :-

. उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद, . उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम,

. उत्तर प्रदेश भण्डारागार निगम, . उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, . उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, . उत्तर प्रदेश वन निगम, . उत्तर प्रदेश जल निगम, . कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली सरकारी कम्पनियाँ एवं उसकी सहायक कम्पनियों में सेवारत वेतनभोगी प्रत्येक व्यक्ति।

अधिकांशतः प्राप्त शिकायती प्रकरणः-

1. सेवानिवृत्त लोक सेवकों/अध्यापकों को पेंशन, प्राविडेण्ड फण्ड, सामूहिक बीमा आदि देयकों के लम्बित भुगतान एवं लोक सेवकों की विधवाओं को पारिवारिक पेंशन आदि से संबंधित मामलों का निस्तारण काफी संख्या में सुनिश्चित कराया जाना।
2. मृतकाश्रितों को सेवायोजन दिलाया जाना।
3. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा अंक तालिका या प्रमाण पत्र न जारी करने अथवा योग्य छात्र-छात्राओं को प्राप्त होने वाली छात्रवृत्तियों से संबंधित मामलों में राहत दिलाया जाना।
4. अर्जित भूमि के प्रकरणों में मुआवजा एवं भूमि/आवास के कब्जों के प्रकरणों को शासन, आवास विकास परिषद एवं विकास प्राधिकरणों से निस्तारित कराया जाना।
5. आवास विकास परिषद या विकास प्राधिकरणों में भवन/भूखण्ड आवंटन हेतु जमा धनराशियों को वापस कराया जाना।
6. विकलांग एवं निराश्रित लोगों को शासनादेशों के अनुरूप देय पेंशन में सहायता प्रदान किया जाना।
7. ठेकेदारों के निर्विवाद रूके हुए बिलों का भुगतान।

महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ

राज्य के अन्तर्गत व्याप्त भ्रष्टाचार पर प्राप्त परिवादों पर शीघ्र जाँच करके अनेक महत्त्वपूर्ण लोक सेवकों के विरुद्ध इस संस्था द्वारा त्वरित गति से जाँच पूर्ण करके अपने प्रतिवेदन सक्षम प्राधिकारियों को भेजे गए। सक्षम प्राधिकारी द्वारा लोक आयुक्त प्रशासन द्वारा प्रेषित की संस्तुतियों पर कार्यवाही की जाती है। लोक आयुक्त संस्था की कार्य प्रणाली, सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवादों पर लिए गए त्वरित निर्णय और जनता में इस संस्था के प्रति बढ़े विश्वास एवं जागरूकता के फलस्वरूप परिवादों में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

1. **वर्ष** 2024 **में विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को व्यावहारिक प्रशिक्षणः-** लोक आयुक्त संगठन में विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के विधि के छात्र-छात्रा ग्रीष्मकालीन/शीतकालीन अवकाशों में व्यावहारिक प्रशिक्षण/अध्ययन के लिए आते हैं। उन्हें प्रशिक्षण के दौरान उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 एवं इस संगठन के दायित्व एवं क्रियाकलापों के बारे में जानकारी दी जाती है और उन्हें माननीय उच्च न्यायालय, सचिवालय एवं न्यायिक प्रशिक्षण संस्थान एवं

1090 तथा 112 आदि में भी ले जाकर व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिलाया जाता है। वर्ष 2025 में प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है तथा गत वर्ष 2024 में लोक आयुक्त संगठन द्वारा विधि से सम्बन्धित विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के 250 छात्र-छात्राओं को प्रशिक्षण दिया गया है।

2. **परिवादी/सेवानिवृत्त कार्मिकों को उनके सेवानिवृत्त देयकों का भुगतानः-** वर्ष 2024 में कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी/सेवानिवृत्त कार्मिकों को उनके सेवानिवृत्त देयकों के रूप में कुल धनराशि लगभग **रु. 3 72 01 926/-(रूपया तीन करोड बहत्तर लाख एक हजार नौ सौ छब्बीस)** का भुगतान कराते हुए राहत दिलायी गयी।

3. **प्रतिवेदनों/विशेष प्रतिवेदनों संबंधी ऑकडे :-** उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-10 के अन्तर्गत ग्रहण किये गये नियमित परिवादों में अन्वेषणोंपरान्त अधिनियम की धारा-12(1) एवं 12(3) के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2024 तक **कुल** 31 **प्रतिवेदन,** 04 **विशेष प्रतिवेदन एवं** 20 **संस्तुतियॉ** सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित की गयी हैं। वर्ष 2025 में कार्यवाही प्रचलित है तथा प्रतिवेदनों/विशेष प्रतिवेदनों संबंधी ऑकडे वर्ष की समाप्ति पर संकलित कर आगामी अंक में प्रस्तुत किये जायेगे।

●

लोक से ाा ा ान ान

लोक सेवा प्रबन्धन विभाग का गठन एवं जारी कार्य

- लोक सेवा प्रबंधन विभाग का गठन सचिवालय प्रशासन अनुभाग-1 (अधि.) के कार्यालय ज्ञाप- दिनांक 13.01.2011 में किया गया।
- लोक सेवा प्रबंधन विभाग के अन्तर्गत जनसामान्य को समयबद्ध रूप से सेवायें उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से उ.प्र. जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 लागू किया गया है। इस विभाग में विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्तावानुसार सेवायें अधिसूचित किये जाने का कार्य सम्पादित किया जाता है।
- उ.प्र. जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 की धारा-3 के अन्तर्गत विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने के उपरान्त अब तक 49 विभागों की 392 तथा समस्त विभागों की 10 सेवाएं अर्थात् कुल 402 सेवाएं अधिसूचित की जा चुकी है। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सेवाओं से सम्बन्धित प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों का है।
- उ.प्र. जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 की धारा-3 में जनसामान्य से प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग में नामित किये गये पदाभिहित अधिकारी प्रथम अपीलीय अधिकारी ि तीय अपीलीय अधिकारी ारा समयबद्ध प से किये जाने की व्यवस्था की गयी है
- लोक सेवा प्रबन्धन विभाग के अधीन कोई जिला स्तरीय कार्यालय/निदेशालय स्थापित नहीं है। फलस्वरूप इस विभाग में कोई बजट प्राविधानित नहीं है। न ही कोई योजना संचालित नहीं होती है।

●

सामान्य प्रशासन एवं प्रशासनिक सुधार

प्रशासनिक सुधार विभाग जनता से सीधे जुड़ा हुआ नहीं है। सचिवालय स्तर पर स्थित न्याय, नियोजन, वित्त विभाग की भाँति प्रशासनिक सुधार विभाग भी एक परामर्शी विभाग (Reference Department) है। विभाग में कोई योजना/कार्यक्रम नहीं संचालित किए जाते हैं, जिसके कारण भौतिक लक्ष्य, प्रगति आदि नहीं निर्धारित किए जा सकते। विभाग में कोई योजना/कार्यक्रम संचालित न होने के कारण वार्षिक बजट का प्राविधान केवल वेतन/भत्तों आदि हेतु आयोजनेत्तर (राजस्व मद) क्षेत्र में कराया जाता है।

कार्यों का विवरण :-

वर्तमान में प्रशासनिक सुधार विभाग में शासन स्तर पर दो अनुभाग सृजित हैं जिनमें व्यवहृत किये जा रहे कार्य निम्नवत हैं :-

प्रशासनिक सुधार अनु.-1

(i) उ.प्र. सूचना आयोग का अधिष्ठान तथा बजट सम्बन्धी कार्य।

(ii) राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय, उ.प्र. प्रयागराज का अधिष्ठान तथा बजट से सम्बन्धित कार्य।

(iii) प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उ.प्र लखनऊ का अधिष्ठान तथा बजट से सम्बन्धित कार्य।

(iv) प्रशासनिक सुधार विभाग का अधिष्ठान एवं एतद्सम्बधी अन्य समस्त मामले।

(v) प्रशासनिक सुधार विभाग, सामान्य प्रशासन, सार्वजनिक उद्यम, लोक सेवा प्रबन्धन तथा धर्मार्थ कार्य विभाग का आहरण वितरण सम्बन्धी समस्त कार्य।

(vi) राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय एवं प्रशासनिक सुधार निदेशालय द्वारा किये जाने वाले विभिन्न कार्यों के सम्बन्ध में शासन स्तर पर कार्यवाही किया जाना।

प्रशासनिक सुधार अनु.-2

(i) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का कार्यान्वयन सम्बन्धी समस्त कार्य। (अधिष्ठान तथा बजट को छोड़कर)

(ii) भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रधानमंत्री पुरस्कार दिए जाने सम्बन्धी समस्त कार्य।

(iii) सचिवालय/विभागाध्यक्षों/मण्डलों/जिलों के स्तर पर अपेक्षित प्रशासनिक सुधार सम्बन्धी शासनादेशों का निर्गमन एवं अनुश्रवण।

(iv) भारत सरकार द्वारा समय-समय पर आयोजित किए जाने वाले क्षेत्रीय सम्मेलनों से सम्बन्धित कार्य।

(v) भारत सरकार द्वारा प्रशासनिक सुधारों के सम्बन्ध में आयोजित विभिन्न बैठकों से सम्बन्धित समन्वय कार्य।

वर्तमान में प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत सचिवालय स्तर पर प्रशासनिक सुधार निदेशालय स्थापित है। इसके अतिरिक्त जनपद प्रयागराज में राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय स्थित है तथा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत द्वितीय अपीलों की सुनवाई हेतु उत्तर प्रदेश सूचना आयोग भी लखनऊ में स्थित है।

(अ) प्रशासनिक सुधार निदेशालय का विवरण :-

01 मई, 1976 में नई दिल्ली में हुए मुख्य सचिवों के सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि राज्यों में प्रशासनिक सुधार विभाग का सुदृढ़ीकरण किया जाय। भारत सरकार में हुये सम्मेलन में लिये हुये निर्णयानुसार संगठन एवं विधि प्रभाग को अतिरिक्त पदों की मांग के कार्य के साथ-साथ मुख्यालय, विभागाध्यक्षों, क्षेत्रीय एवं फील्ड स्तर के कार्यालयों की कार्य प्रणाली का गहन अध्ययन का कार्य, प्रशासन में सुधार एवं गतिशीलता लाने के उद्देश्य से अधिकारों के प्रतिनिधायन, कार्य पद्धति में सरलता लाने, प्रारूप एवं विवरणियों के अभिनवीकरण तथा सरलीकरण, रिकार्डस मैनेजमेंट, जनता की शिकायतों का शीघ्र निवारण तथा नई-नई कार्य प्रणालियों के लागू किये जाने आदि महत्वपूर्ण विषय पर कार्य किये जाने का दायित्व सौंपा गया। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रशासनिक सुधार विभाग के संगठन एवं विधि को एक निदेशालय का रूप दिया जाने का निर्णय लिया गया। अतः विभाग के शासनादेश दिनांक 01 अगस्त, 1978 के कार्यालय ज्ञाप द्वारा प्रशासनिक सुधार निदेशालय की स्थापना हुई।

(ब) राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज :-

राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज का गठन शासनादेश दिनांक 11.04.1923 के द्वारा किया गया था। वर्तमान में यह इकाई उत्तर प्रदेश शासन के प्रशासनिक सुधार विभाग के नियंत्रणाधीन प्रयागराज में अवस्थित है। मुख्य निरीक्षक, राजकीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश इसके प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष हैं। निरीक्षणालय के माध्यम से प्रशासन तथा शासकीय प्रणाली में सुधार एवं गतिशीलता लाने, अधिकारों के प्रतिनिधायन, कार्य-पद्धति में सरलता, प्रारूप तथा विवरणियों के अभिनवीकरण तथा सरलीकरण, अभिलेख प्रबन्धन, जन सामान्य की शिकायतों का निस्तारण तथा नयी कार्य-प्रणाली, स्वच्छ, पारदर्शी, प्रभावी, संवेदनशील प्रशासन के लिए जन-सम्पर्क में आने वाले विभागों में जनता को आवश्यक सेवायें/स्वीकृतियों में आसानी से सहायता एवं सूचना उपलब्ध कराने की दिशा, शासन के समस्त प्रशासकीय विभागों के प्रदेश/मण्डल/जनपद/ब्लाक स्तरीय कार्यालय के माध्यम से संचालित विकास कार्यक्रमों एवं रोजगार से जुड़ी हुई योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कार्यालयों में अपनायी जाने

वाली प्रक्रिया, अनुरक्षित अभिलेख आदि का निरीक्षण करके उनमें सुझाव एवं सहायता देने की दिशा में कार्य कराया जाता है। इन कार्यों हेतु मण्डलायुक्त के अधीन प्रत्येक राजस्व मण्डल में 1-1 निरीक्षक भी तैनात है।

(स) उ.प्र. सूचना आयोगः-

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-15 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सूचना आयोग का गठन दिनांक 14 सितम्बर, 2005 को किया गया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त 10 राज्य सूचना आयुक्त कार्यरत हैं। उत्तर प्रदेश सूचना आयोग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत नागरिकों द्वारा दायर की गई द्वितीय अपीलों की सुनवाई की जाती है। इसके अतिरिक्त सूचना उपलब्ध न कराने वाले जन सूचना अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाहियाँ भी की जाती हैं।

●

होमगार्ड्स

होमगार्ड्स संगठन एक स्वयं सेवी संगठन है, जिसकी स्थापना वर्ष 1962 में हुई थी तथा यह संगठन अपने 62 गौरवमयी वर्ष पूर्ण कर चुका है। संगठन की इकाइयां उत्तर प्रदेश राज्य के सभी 75 जनपदों में स्थापित हैं।

1. होमगार्ड्स संगठन में अवैतनिक कम्पनी कमाण्डर, अवैतनिक सहायक कम्पनी कमाण्डर, अवैतनिक प्लाटून कमाण्डर एवं होमगार्ड्स स्वयंसेवक की कुल जनशक्ति 1,18,348 के सापेक्ष वर्तमान में उपलब्ध लगभग 72582 जनशक्ति में से लगभग समस्त होमगार्ड्स जवानों को प्रत्येक दिवस विभिन्न ड्यूटियों पर नियोजित किया जा रहा है।
2. प्रदेश के अन्तर्गत पुलिस एवं प्रशासन के सहयोग हेतु निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रणाली के तहत एन.आई.सी. के द्वारा विकसित "homeguard.up.gov.in" विभागीय वेबसाइट के माध्यम से ड्यूटियों पर होम गार्ड्स स्वयंसेवकों का प्रतिस्थापन नियमित रूप से किया जा रहा रहा है।
3. मानव सम्पदा पोर्टल पर विभाग के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सेवा विवरण प्राथमिकता के आधार पर अपलोड कराये गये तथा मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश स्वीकृत करने के साथ-साथ राजपत्रित अधिकारियों की वार्षिक प्रविष्टियों का अंकन पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है।
4. लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के सापेक्ष उ.प्र. में चरणवार निर्वाचन संचालित किया गया, जिसमें होमगार्ड्स स्वयंसेवकों का प्रतिस्थापन किया गया।
5. उत्तराखंड लोकसभा निर्वाचन-2024 (दिनांक 14.04.2024 से दिनांक 20.04.2024) तक की ड्यूटी में उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न जनपदों से 9048 होमगार्ड्स स्वयंसेवकों का प्रतिस्थापन सुनिश्चित कराते हुए निर्वाचन को सकुशल एवं निष्पक्ष रूप से सम्पन्न कराने में उ.प्र. सरकार की ओर से महत्वपूर्ण योगदान दिया गया।
6. मध्य प्रदेश लोकसभा निर्वाचन-2024 (दिनांक 22.04.2024 से दिनांक 27.04.2024) तक की चुनाव ड्यूटी में उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न जनपदों से 4039 होमगार्ड्स स्वयंसेवकों का प्रतिस्थापन सुनिश्चित कराते हुए निर्वाचन को सकुशल एवं निष्पक्ष रूप से सम्पन्न कराने में उ.प्र. सरकार की ओर से महत्वपूर्ण योगदान दिया गया।
7. हिमांचल प्रदेश लोक सभा निर्वाचन-2024 (दिनांक 27.05.2024 से दिनांक 03.06.

2024 तक) की चुनाव ड्यूटी में उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न जनपदों से 509 होमगार्ड्स स्वयंसेवकों का प्रतिस्थापन सुनिश्चित कराते हुए निर्वाचन को सकुशल एवं निष्पक्ष रूप से सम्पन्न कराने में उ.प्र. सरकार की ओर से महत्वपूर्ण योगदान दिया गया।

8. वर्ष 2024-25 में **"पेड़ लगाओं पेड़ बचाओ"** एवं **"एक पेड़ माँ के नाम"** जन अभियान के अंतर्गत दिनांक 20.07.2024 से दिनांक 15.08.2024 तक विभाग के रोल पर उपलब्ध 73550 होमगाड्र्स स्वयंसेवकों द्वारा न्यूनतम 02-02 पौधे का रोपण अर्थात कुल 1,47,100 (कुल एक लाख सैंतालिस हज़ार एक सौ) पौधों का रोपण किया गया।

9. हरियाणा विधान सभा निर्वाचन-2024 (दिनांक 01.10.2024 से दिनांक 06.10.2024 तक) की चुनाव ड्यूटी में उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न जनपदों से 3045 होम गार्ड्स स्वयंसेवकों का प्रतिस्थापन सुनिश्चित कराते हुए निर्वाचन को सकुशल एवं निष्पक्ष रूप से सम्पन्न कराने में उ.प्र. सरकार की ओर से महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है।

10. उत्तर प्रदेश विधानसभा उपनिर्वाचन-2024 (दिनांक 17.11.2024 से दिनांक 21.11.2024 तक) की चुनाव ड्यूटी में विभिन्न जनपदों से कुल 6867 होम गार्ड्स स्वयंसेवकों का प्रतिस्थापन सुनिश्चित कराते हुए निर्वाचन को सकुशल सम्पन्न कराया गया।

11. दिल्ली विधान सभा निर्वाचन-2025 (दिनांक 01.02.2025 से दिनांक 06.02.2025 तक) की चुनाव ड्यूटी में उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न जनपदों से कुल 9138 होम गार्ड्स स्वयंसेवकों का प्रतिस्थापन सुनिश्चित कराते हुए निर्वाचन को सकुशल एवं निष्पक्ष रूप से सम्पन्न कराने में उ.प्र. सरकार की ओर से महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है।

12. एस.डी.आर.एफ के माध्यम से अब तक 3812 होमगाड्र्स को **"आपदा मित्र प्रशिक्षण"** प्राप्त कराया गया है तथा वर्तमान में अन्य होमगाड्र्स स्वयंसेवकों को भी उक्त प्रशिक्षण प्रदान किए जाने की कार्यवाही प्रचलित है।

13. विश्व प्रसिद्ध महाकुम्भ मेला 2024-25 के अवसर पर लगभग 13300 होमगाड्र्स स्वयंसेवकों का प्रतिस्थापन मेला अवधि हेतु किया गया, जिनके द्वारा मेला को शान्तिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने में महत्वपूर्ण योगदान किया गया।

14. महाकुम्भ मेला 2024-25 के अवसर पर प्रतिस्थापित होमगाड्र्स को शासनादेश दिनांक 24.01.2025 द्वारा रु. 130/- प्रति होमगाड्र्स प्रतिदिन की दर से **"विशेष भत्ता"** अनुमन्य किया गया।

15. उपरोक्त अवधि में शासन द्वारा प्रदत्त स्वीकृतियों के क्रम में निम्नानुसार निर्माण कार्य प्रारम्भ किए गए हैं:-

    (i) होमगाड्र्स मुख्यालय पर रेजिडेन्शियल ब्लाक टाईप-ए (जी +11) के 24 अदद एवं टाईप-बी (जी +11) के 24 अदद अर्थात कुल 48 अदद आवासीय फ्लैटों के निर्माण हेतु शासन द्वारा प्रथम किस्त के रूप में स्वीकृत रु. 1000.00 लाख की धनराशि का भुगतान कार्यदायी संस्था को करते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जा चुका है।

(ii) जिला होमगाड्र्स कार्यालय, कौशाम्बी के निर्माण हेतु शासन द्वारा स्वीकृत रु. 284.46 लाख की धनराशि का भुगतान कार्यदायी संस्था को करते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जा चुका है।

(iii) संयुक्त रूप से जिला/मण्डल कार्यालय होमगाड्र्स, बांदा के निर्माण हेतु शासन द्वारा स्वीकृत रु. 358.88 लाख की धनराशि का भुगतान कार्यदायी संस्था को करते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जा चुका है।

(iv) जिला होमगाड्र्स कार्यालय, शामली के निर्माण हेतु शासन द्वारा स्वीकृत रु. 315.93 लाख की धनराशि का भुगतान कार्यदायी संस्था को करते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जा चुका है।

(v) संयुक्त रूप से जिला/मण्डल कार्यालय होमगाड्र्स, वाराणसी के निर्माण हेतु शासन द्वारा स्वीकृत रु. 462.96 लाख की धनराशि का भुगतान कार्यदायी संस्था को करते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जा चुका है।

(vi) जिला होमगाड्र्स कार्यालय, महराजगंज के निर्माण हेतु शासन द्वारा स्वीकृत रु.335. 90 लाख की धनराशि का भुगतान कार्यदायी संस्था को करते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जा चुका है।

(vii) जिला होमगाड्र्स कार्यालय, सम्भल के निर्माण हेतु शासन द्वारा स्वीकृत रु.335.87 लाख की धनराशि का भुगतान कार्यदायी संस्था को करते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जा चुका है।

(viii) जिला होमगाड्र्स कार्यालय, मथुरा के निर्माण हेतु शासन द्वारा प्रथम किस्त के रूप में स्वीकृत रु. 80.35 लाख की धनराशि का भुगतान कार्यदायी संस्था को करते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जा चुका है।

(ix) जिला होमगाड्र्स कार्यालय, रामपुर के निर्माण हेतु शासन द्वारा प्रथम किस्त के रूप में स्वीकृत रु. 67.74 लाख की धनराशि का भुगतान कार्यदायी संस्था को करते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जा चुका है।

(x) संयुक्त रूप से जिला/मण्डल कार्यालय होमगाड्र्स, मुरादाबाद के निर्माण हेतु शासन द्वारा प्रथम किस्त के रूप में स्वीकृत रु.92.64 लाख की धनराशि का भुगतान कार्यदायी संस्था को करते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जा चुका है।

(xi) जिला होमगाड्र्स कार्यालय, बिजनौर के निर्माण हेतु शासन द्वारा प्रथम किस्त के रूप में स्वीकृत रु.67.23 लाख की धनराशि का भुगतान कार्यदायी संस्था को करते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जा चुका है।

(xii) संयुक्त रूप से जिला/मण्डल कार्यालय होमगाड्र्स, अलीगढ़ के निर्माण हेतु शासन द्वारा प्रथम किस्त के रूप में स्वीकृत रु.98.04 लाख की धनराशि का भुगतान कार्यदायी संस्था को करते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जा चुका है।

16. मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र होमगार्ड्स, गोरखपुर के बैरकों के निर्माण हेतु शासन द्वारा प्रथम किस्त के रूप में स्वीकृत रु. 711.595 लाख की धनराशि का भुगतान कार्यदायी संस्था को करते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जा चुका है।
17. दिनांक 01.07.2024 से दिनांक 31.03.2025 तक की अवधि में कुल 620 मृतक होमगार्ड्स स्वयंसेवकों के आश्रितों का चयन होमगार्ड्स स्वयंसेवकों के अवैतनिक पद पर करते हुए उन्हें 90 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
18. आलोच्य अवधि में होमगार्ड्स विभाग के 02 नियमित कर्मचारियों की मृत्यु के पश्चात अनुकंपा के आधार पर उनके आश्रितों को विभाग के नियमित पदों पर नियमानुसार सेवायोजित करते हुए आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान कराया गया।

उक्त के अतिरिक्त आलोच्य अवधि में रोल पर उपलब्ध शत-प्रतिशत होमगार्ड्स का प्रतिस्थापन प्रत्येक माह में विभिन्न ड्यूटियों यथा-शांति एवं कानून व्यवस्था, यातायात, डायल-112, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा, बोर्ड परीक्षाओं, सेलों तथा अन्य विविध ड्यूटियों पर विभागीय वेबसाइट के माध्यम से आनलाइन करते हुए उनके ड्यूटी भत्तों का ऑनलाइन भुगतान सफलतापूर्वक किया जा रहा है।

●

सि ा ालय ाशासन

सचिवालय प्रदेश सरकार का सर्वोच्च कार्यालय है। कार्य की सुविधा और शीघ्र निष्पादन के लिये यह विभिन्न अनुभागों में विभाजित है जो एक या अधिक विभागों का कार्य देखते हैं। प्रत्येक विभाग एक या अधिक अनुभागों में विभाजित है। अनुभाग ही इस संगठन की मूल इकाई है।

मुख्य सचिव, सम्पूर्ण सचिवालय के कार्य को नियंत्रित करता है। वह सचिवालय संगठन का मुखिया है। सचिवालय के विभिन्न विभाग, प्रमुख सचिव/सचिव के सम्पूर्ण प्रभार के अन्तर्गत कार्य करते हैं। अनुभागों के प्रभारी अनुभाग अधिकारी होते हैं जो राजपत्रित स्तर के होते हैं। अनुभागों में एकाधिक समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, कम्प्यूटर सहायक व अनुसेवक कार्यरत हैं।

वर्ष 2024-25 में सम्पादित महत्त्वपूर्ण कार्य-उपलब्धियाँ

1. सचिवालय सेवा सवंर्ग के विशेष सचिव के 12, संयुक्त सचिव के 24, उप सचिव के 45 एवं अनुसचिव के 59 पदों पर डी.पी.सी. कराकर उपलब्ध पदों के सापेक्ष पदोन्नति आदेश निर्गत किये गये।
2. सचिवालय सेवा लेखा संवर्ग के संयुक्त सचिव के 02, उप सचिव के 04 एवं अनुसचिव के 02 एवं अनुभाग अधिकारी के 10 पदों पर डी.पी.सी. कराकर पदोन्नति आदेश निर्गत किये गये।
3. उ.प्र. सचिवालय संवर्ग के व्यवस्थाधिकारी के 06 रिक्त पदों पर विभागीय चयन समिति की दिनांक 25.07.2024 को बैठक सम्पन्न हुई एवं 01.08.2024 को आदेश निर्गत किये गये।
4. सचिवालय प्रशासन विभाग की प्रमुख कार्ययोजनाओं में सचिवालय परिसर स्थित उद्यानों का उच्चीकरण एवं लैंडस्केप आर्किटेक्चर, सचिवालय इन्टरनेट के नेटवर्क का आई.पी.वी.4 से आई.पी.वी.06 उच्चीकरण, साइबर सुरक्षा, पृथक डाटा सेंटर, आर्काइवल रिकार्ड लाइब्रेरी का डिजिटलीकरण एवं सचिवालय लाइब्रेरी का उच्चीकरण, शिशु सदन का आधुनिकीकरण एवं सचिवालय के भवनों में कॉनसेप्ट/फसाड लाइटिंग, सचिवालय प्रशिक्षण संस्थान हेतु स्वतंत्र भवन एवं सचिवालय कार्मिकों का प्रशिक्षण तथा कैपसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम सम्मिलित है।
5. मृतक आश्रित के रूप में कम्प्यूटर सहायक के पद पर 04 नियुक्तियाँ प्रदान की गई हैं।
6. 07 समूह-घ कार्मिकों को कम्प्यूटर सहायक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई।

7. कुल 10 मृतक आश्रितों को मृतक आश्रित के रूप में उ.प्र. सचिवालय में चतुर्थ श्रेणी के पद पर सेवायोजित किया गया है।
8. उत्तर प्रदेश सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के कुल 2046 पद, सहायक समीक्षा अधिकारी के कुल 816 पद, समीक्षा अधिकारी (लेखा) के कुल 132 पद एवं सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा) के कुल 44 पद सृजित हैं।
9. कुल 21 सहायक समीक्षा अधिकारियों को समीक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी।
10. कुल 48 कम्प्यूटर सहायकों को सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी।
11. समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा) के क्रमशः 31 एवं 06 पदों का अधियाचन भेजा गया है।
12. 08 सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा) सम्प्रति अनुभाग अधिकारी (लेखा) को उनसे कनिष्ठ कार्मिकों के सापेक्ष 08 अधिसंख्य पद सृजित करते हुए नेशनल पदोन्नति प्रदान की गयी।
13. उ.प्र. सचिवालय में कार्यरत सहायक समीक्षा अधिकारी संवर्ग की ज्येष्ठता सूची (भाग-3) दिनांक 09 सितम्बर, 2024 को प्रख्यापित की गयी।
14. 2016 एवं 2017 बैच के समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी तथा समीक्षा अधिकारी (लेखा)/सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा) तथा पदोन्नत के माध्यम से नियुक्त समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी को उनके पद पर स्थायी किया गया।
15. "स्वच्छ सचिवालय अभियान" के अन्तर्गत लगातार 'विशेष स्वच्छता अभियान' चलाया गया।
16. पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती (25 दिसम्बर) के उपलक्ष्य में "सुशासन सप्ताह" के अन्तर्गत दिनांक 19.12.2024 से 25.12.2024 तक तिलक हाल में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किया गया।

नियुकि ा ंकामिक

- वर्ष का अचल सम्पत्ति का विवरण (दिनांक . . के अनुसार) ऑनलाइन माध्यम से जनवरी, तक अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। शासनादेश संख्या- / / / - - / /
- मानव सम्पदा पोर्टल पर राज्य कर्मचारियों द्वारा नियमानुसार चल-अचल सम्पत्ति का विवरण (वर्ष -) दर्ज करायें जाने के संबंध में। शासनादेश संख्या- / / / सैंतालिस-का- -
- उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (चौदहवाँ संशोधन) नियमावली, शासनादेश संख्या- / / / / / / /-का- - /टी.सी. ( )
- समस्त राज्य कर्मचारियों (समूह क ख ग एवं घ) की वार्षिक प्रविष्टियां ऑनलाइन लिखे जाने के सम्बन्ध में। शासनादेश संख्या- / / /सैंतालिस-का- -
- द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली लागू किये जाने विषयक शासनादेश संख्याः / - का- - - / / , दिनांक . . को संशोधित किये जाने के संबंध में। शासनादेश संख्या- / /द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली लागू किये जाने विषयक।
- उत्तर प्रदेश राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कार्मिकों की वार्षिक प्रविष्टि मानव सम्पदा पोर्टल पर ऑनलाइन दाखिल किए जाने के संबंध में। शासनादेश संख्या- / / /सैंतालिस-का- - -( )
- मानव सम्पदा पोर्टल पर राज्य कर्मचारियों द्वारा नियमानुसार चल-अचल सम्पत्ति का विवरण दर्ज कराये जाने के संबंध में। शासनादेश संख्या- / /( )
- राज्याधीन सेवाओं में सृजित/उपलब्ध पदों को भरने हेतु मेरिट आधारित चयनों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में शासनादेश संख्या- / / /सैंतालिस- का- - - ( )/

●

प्रवासी भारतीय (एन.आर.आई.) विभाग

प्रवासी भारतीय (R) विभाग का परिचय :-

- वर्ष में राज्य से सम्बन्धित अनिवासी भारतीयों के हितों का संरक्षण, कल्याण करने तथा उनसे संबंधित मामलों में प्रक्रियात्मक विलम्ब को दूर करने के लिए प्रवासी भारतीय ( ) विभाग की स्थापना की गई।
- विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा में उत्तर प्रदेश के प्रवासी भारतीयों के ज्ञान, कौशल एवं वैश्विक पहुँच का उपयोग करने की परिकल्पना की गई है।
- नवगठित एन.आर.आई. विभाग के अनुमोदित कार्यों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम को कार्यालय ज्ञाप दिनांक . . द्वारा नामित किया गया। तत्क्रम में शासनादेश दिनांक . . द्वारा एन.आर.आई. सेल का गठन उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम में किया गया।

दृग्विषय (isi) :-

उत्तर प्रदेश के अप्रवासी भारतीयों के हितों एवं कल्याण के पर्यवेक्षण हेतु तथा उनसे सम्बन्धित प्रकरणों के समाधान में प्रक्रियागत् विलम्ब को समाप्त करने के उद्देश्य से प्रवासी भारतीय ( ) का गठन किया गया है। यह विभाग राज्य की प्रगति-यात्रा में प्रवासी भारतीयों को सम्मिलित करते हुए उनके ज्ञान, कौशल व वैश्विक पहुँच का लाभ उठाते हुए राज्य के विकास में परस्पर सहयोग की दिशा में कार्य करेगा।

लक्ष्य (issi) :-

- प्रवासी भारतीयों से जुड़ते हुए उन्हें उनकी जड़ों के निकट लाना।
- उत्तर प्रदेश के प्रवासी भारतीयों में मातृभूमि से भावनात्मक सम्बन्ध को प्रोत्साहित करना।
- उत्तर प्रदेश के अप्रवासी भारतीयों में मातृभूमि से भावनात्मक सम्बन्ध को प्रोत्साहित करना।
- उत्तर प्रदेश मूल के प्रवासी भारतीयों (s s) को यू.पी.एन.आर.आई. कार्ड प्रदान कर उनको विशिष्ट पहचान देना।
- राज्य के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास हेतु उत्तर प्रदेश के प्रवासी भारतीयों के तकनीकी, प्रबन्धकीय व वित्तीय संसाधनों तथा राज्य के तकनीकी व व्यावसायिक कौशल एवं मानव संसाधन में सामंजस्य व सहयोग स्थापित करना।
- विश्वभर में उत्तर प्रदेश के प्रवासी भारतीयों से प्रभावी संवाद स्थापित करना तथा उनका

समेकित डाटा-बेस तैयार कर उसका रख-रखाव करना।

- प्रवासी भारतीयों के सामान्य कल्याण तथा संकटकाल में उत्तर प्रदेश के प्रवासी भारतीय समूहों की विशिष्ट समस्याओं का अनुश्रवण तथा यथासम्भव भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना।
- उत्तर प्रदेश के प्रवासी भारतीयों द्वारा, जहाँ वे निवास करते हैं, उस देश में किए गए उत्कृष्ट योगदान हेतु उत्तर प्रदेश एन.आर.आई. सम्मान प्रदान करते हुए मान्यता देना।

कार्यक्षेत्र :-

. प्रदेश के प्रवासी भारतीयों (s s)/उत्प्रवास स्वीकृति प्राप्त व्यक्तियों की सूचना एवं आँकड़े रखना।

. प्रदेश के प्रवासी भारतीयों (s s) से निवेश हेतु एकल खिड़की का प्राविधान करके निवेश को बढ़ावा देना।

. प्रदेश के प्रवासी भारतीयों (s s)/उत्प्रवास स्वीकृति प्राप्त व्यक्तियों के लिए राज्य सरकार की नीति तैयार करना एवं समय-समय पर विभिन्न नीतियों में संशोधन करना।

. प्रदेश के प्रवासी भारतीयों (s s)/उत्प्रवास स्वीकृति प्राप्त व्यक्तियों के लिए लाभकारी/कल्याणकारी योजनाएं बनाना।

. भारत सरकार स्तर से संबंधित विभागों जैसे गृह मंत्रालय, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय आदि से प्रदेश के प्रवासी भारतीयों (s s)/ उत्प्रवास स्वीकृति प्राप्त व्यक्तियों के लिए समन्वय करना तथा भारत सरकार से सम्बन्धित नीतियों का क्रियान्वयन।

. प्रदेश के प्रवासी भारतीयों (s s)/उत्प्रवास स्वीकृति प्राप्त व्यक्तियों से संबंधित विभिन्न देशों के भारतीय दूतावासों एवं भारत स्थित विभिन्न देशों के दूतावासों के साथ समन्वय करना।

. प्रदेश के प्रवासी भारतीयों (s s)/उत्प्रवास स्वीकृति प्राप्त व्यक्तियों से संबंधित संगठनों से समन्वय करना।

. प्रदेश के प्रवासी भारतीयों (s s)/उत्प्रवास स्वीकृति प्राप्त व्यक्तियों के लिए प्रत्येक वर्ष इन्वेस्टर मीट आयोजित करना।

. समय-समय पर प्रदेश के प्रवासी भारतीयों (s s)/उत्प्रवास स्वीकृति प्राप्त व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना।

. विदेश पारगमन के पूर्व प्रदेश के प्रवासी भारतीयों (s s) /उत्प्रवास स्वीकृति प्राप्त व्यक्तियों को कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करना एवं उत्तर प्रदेश में दिये जाने वाली सुविधाओं से अवगत कराना।

. प्रदेश के प्रवासी भारतीयों (s s)/उत्प्रवास स्वीकृति प्राप्त व्यक्तियों के लिए सहायता केन्द्र स्थापित करना।

. सहायता केन्द्र के माध्यम से उनकी समस्याओं का निराकरण अविलम्ब कराना।

प्रदेश के प्रवासी भारतीयों (s s)/उत्प्रवास स्वीकृति प्राप्त व्यक्तियों को वीजा/इमीग्रेशन प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना।

. प्रदेश के प्रवासी भारतीयों (s s)/उत्प्रवास स्वीकृति प्राप्त व्यक्तियों के राजस्व/गृह/श्रम आदि विभागों से सम्बन्धित प्रकरणों को शीघ्रता से निस्तारित करना।

. प्रदेश के प्रवासी भारतीयों (s s)/उत्प्रवास स्वीकृति प्राप्त व्यक्तियों के एन.आर.आई. रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट फण्ड का गठन कर योजनाओं को संचालित करना।

. सुरक्षित एवं वैध इमीग्रेशन से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध कराना।

. एन.आर.आई. कार्ड जारी करना।

प्रमुख उद्‌देश्य :-

1. उत्तर प्रदेश के प्रवासी भारतीयों से सम्पर्क व संवाद :-

- प्रवासियों को उनकी मातृ-भूमि एवं जड़ों से जोड़ना तथा विश्व के विभिन्न भागों में उत्तर प्रदेश के एनआरआई/पीआईओ के साथ प्रभावी संचार स्थापित करना।
- उत्तर प्रदेश एनआरआई/पीआईओ का एक व्यापक डेटाबेस बनाना।
- उत्तर प्रदेश डायस्पोरा से निवेश एवं परोपकार में योगदान आकर्षित करना।

2. प्रवासियों का कल्याण :-

- अनिवासी भारतीयों के सामान्य कल्याण का अनुश्रवण करना एवं भारत सरकार के समन्वय से संकट की स्थितियों का समाधान करना।
- उत्तर प्रदेश आधारित एनआरआई/पीआईओ को यू.पी. एनआरआई कार्ड जारी कर विशिष्ट पहचान प्रदान करना।
- प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करना।

3. प्रवासी भारतीय दिवस एवं सम्मान :-

- प्रवासी भारतीय दिवस का वार्षिक आयोजन।
- यूपी एनआरआई पुरस्कारों के माध्यम से यूपी एनआरआई द्वारा अपने निवास के देश एवं राज्य में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए सम्मानित करना।

उ.प्र. वित्तीय निगम (यूपीएफसी) ओएमआरए का परिचय

- राज्य सरकार द्वारा यूपीएफसी को विदेश में रोजगार के लिए राज्य भर्ती एजेंसी के रूप में पंजीकृत किया गया है। **(लाइसेंस आरसी नं.(बी-0742/यूपी/सीओएम/1000 /**

5/9159/2015) विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के साथ प्रवास **अधिनियम 1983** के अन्तर्गत।) (प्रारंम्भिक लाइसेंस अवधि -)

उद्देश्य :-

. **विदेश में रोजगार सृजन :-**

- उत्तर प्रदेश के लिए विदेश में रोजगार के अवसर सृजित करने तथा विदेशी नियोक्ताओं की श्रमशक्ति की आवश्यकताओं के सापेक्ष उत्तर प्रदेश में उपलब्ध कुशल, अर्ध-कुशल, अकुशल श्रमशक्ति की आपूर्ति में सहायता करना।
- ऐसे देशों एवं उद्योगों को चिन्हित करना जिनमें सभी क्षेत्रों में रोजगार की अच्छी संभावना है, यथा- आतिथ्य, पर्यटन, स्वास्थ्य, सेवा, तेल व गैस, इस्पात, नवीकरणीय ऊर्जा एवं निर्माण उद्योग।

2. **कौशल मैपिंग एवं उन्नयन :-**

- कार्मिकों/पेशेवरों का कौशल/व्यापार-वार डेटा बैंक तैयार करना तथा कौशल उन्नयन कार्यक्रम/कौशल परीक्षण सुविधाओं की व्यवस्था करना।
- विदेशी रोजगार के लिए के लिए जनशक्ति की मांग को पूर्ण करने के लिए विदेशी नियोक्ताओं की नियमित बैठक आयोजित करना।

3. **सुरक्षित एवं वैध उत्प्रवास :-**

- उत्प्रवास अधिनियम (migration ct) के प्राविधानों के अंतर्गत प्रवासियों के संरक्षक, विदेश मंत्रालय के माध्यम से उत्प्रवास निकासी में सहायता करना।
- प्रस्थान से पूर्व अभिविन्यास कार्यक्रमों का आयोजन।

कार्य योजना :-

वर्ष (मार्च, तक)

- उ.प्र. एन.आर.आई/पी.आई.ओ./ओ.सी.आई. डेटाबेस संकलन एवं वैश्विक सम्पर्क- भारतीय दूतावासों ( ), डायस्पोरा एसोसिएशन ( ) तथा उ.प्र. डायस्पोरा (, ,)
- निवेश प्रोत्साहन- उ.प्र. एन.आर.आई/पी.आई.ओ.- उ.प्र. एन.आर.आई/पी.आई.ओ.- सम्भावित निवेशकों से सम्पर्क (संख्या)
- यूपीएफसी प्रवासी जनशक्ति भर्ती संस्था के माध्यम से विदेशी रोजगार- विदेशी नियोक्ताओं (संख्या) के साथ सम्पर्क एवं रोजगार प्रत्याशियों को प्रवासन प्रक्रिया में सुविधा।
- उ.प्र. एन.आर.आई/पी.आई.ओ. के लिए नीति का कार्यान्वयन।
- उ.प्र. प्रवासी दिवस का वार्षिक आयोजन वित्तीय वर्ष- , वित्तीय वर्ष- , वित्तीय वर्ष- , वित्तीय वर्ष- , वित्तीय वर्ष- का आयोजन।

●

ा ा ाा ाा

संक्षि ा ि ा ास

दिनांक 27.10.2006 से पूर्व विधायी विभाग एवं संसदीय कार्य विभाग राज्य के न्याय विभाग का एक अंग था विधायी विभाग राज्य का एक मह वपूर्ण विभाग है, जिसका कार्य प्रदेश की आवश्यकताओं के अनु प विधायिका ारा बनाये जाने वाले नये कानूनों का आलेखन तथा विधीक्षण एवं पुराने कानूनों की समय-समय पर समीक्षा करके यथावश्यकता उसे निरसित किया जाना है। विभाग के मह व को द टिगत रखते हुए व ा 2006 में केन्द्र सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय ारा यह सुझाव दिया गया कि प्रत्येक राज्य में विधायी विभाग एक अलग विभाग हो, जिसमें विशे ा ा विधि-प्रा पकार भी हों भारत सं ा के सुशासन से सम्बंधित डाफ्ट एक्शन प्लान में विधायी विभाग के उपरोक्त बिन्दु को सम्मिलित किया गया और सभी राज्य सरकारों को विधायी विभाग को पथक करने के निर्देश के साथ-साथ इसमें विशे ा ा की नियुक्ति की अपेक्षा की गई

भारत भारत सरकार की अपेक्षानुसार उत्तर प्रदेश शासन का विधायी विभाग दिनांक 27.10.2006 को न्याय विभाग से पथक किया गया है

विधायी विभाग के कार्यों का विवरण :-

विधायी विभाग द्वारा मुख्यतः शासन के विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तावित अध्यादेशों/विधेयकों के आलेखों का विधीक्षण प्रख्यापन एवं अधिनियम तथा नियमों, विनियमों एवं अधिसूचनाओं के आलेखों तथा अभियोजन संबंधी हिन्दी आलेखों को विधीक्षित किये जाने का कार्य किया जाता है। यहाँ पर जनसामान्य के विकास से सम्बन्धित कोई भी योजना/परियोजना संचालित नहीं होती है। विधायी विभाग के अधीन कोई विभागाध्यक्ष कार्यालय/परियोजना संचालित नहीं होती है। विधायी विभाग के अधीन कोई विभागाध्यक्ष कार्यालय/निदेशालय भी कार्यरत नहीं हैं। जन सामान्य तक राज्य सरकार की विधायी विभाग की पहुँच को सुगम बनाने के लिए विधायी विभाग द्वारा पृथक से एक विभागीय वेबसाइट www.upvidhai.gov.in बनायी गयी है, जिस पर राज्य विधानमण्डल द्वारा (वर्ष 1950 से अब तक) पारित अधिनियमों को अपलोड भी कराया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में विधायी विभाग की उपलब्धियाँ निम्नवत हैं :-

(i) विधायी विभाग द्वारा नागरिकों एवं व्यवसाय पर अनुपालन भार को कम करने एवं व्यापार में सुगमता लाने के उद्देश्य से असामयिक एवं अनुपयोगी हो चुके 312 अधिनियमों (46 मूल अधिनियम, 266 संशोधन अधिनियम) को उत्तर प्रदेश (द्वितीय) निरसन अधिनियम, 2021 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 2021) के माध्यम से 5 अधिनियमों (4

मूल अधिनियम, 1 संशोधन अधिनियम) को उत्तर प्रदेश (तृतीय) निरसन अधिनियम, 2021 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 2021) के माध्यम से तथा 11 अधिनियमों (3 मूल अधिनियम, 8 संशोधन अधिनियम) को उत्तर प्रदेश (चतुर्थ) निरसन अधिनियम, 2021 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 36 सन् 2021) के माध्यम से वर्ष 2017 से अब तक कुल 692 राज्य अधिनियम व उनसे सम्बंधित संशोधन अधिनियमों को निरसित किया गया है। इसी क्रम में अन्य अप्रचलित व अप्रासंगिक हो चुके अधिनियमों को भी निरसित किए जाने हेतु प्रशासकीय विभागों का अभिमत/सहमति प्राप्त करके निरसन की कार्यवाही सतत गतिमान है।

(ii) विधायी विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 में कुल 25 अधिनियमों (7 मूल अधिनियम, 13 संशोधन अधिनियम) को उनसे सम्बंधित प्रशासकीय विभागों के प्रस्ताव पर राज्य विधानमंडल से पारित कराकर अधिसूचित किया गया है।

(iii) विधायी विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 में कुल 16 अध्यादेशों को सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों के प्रस्ताव पर श्री राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किए जाने के पश्चात अधिसूचित किया गया है।

(iv) भारत सरकार एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में "इंडिया कोड पोर्टल" पर 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक विधायी विभागों द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त प्रचलित अधिनियमों को विभागवार सर्चेबल पी.डी.एफ./वर्ड फाइल में हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा में पृथक-पृथक यथास्थान अपलोड किया जा चुका है। यह एक सतत प्रक्रिया के रूप में वर्तमान में भी गतिमान है।

(v) उक्त के अतिरिक्त विधायी विभाग के द्वारा उ.प्र. राज्य से सम्बंधित राज्य अधिनियमों को (अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में) संहिताबद्ध किए जाने हेतु **'उत्तर प्रदेश संहिता'** के दशम संस्करण (द्विभाषीय) के 12 खण्डों का राजकीय मुद्रणालय के माध्यम से पुस्तक के रूप में मुद्रण एवं प्रकाशन का कार्य पूर्ण करा लिया गया है। उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि **"उत्तर प्रदेश संहिता"** के दशम संस्करण (द्विभाषीय) के मुद्रण एवं प्रकाशन का कार्य वर्ष 2018 में विधायी विभाग द्वारा प्रारम्भ किया गया था, जिसके प्रथम खण्ड का प्रकाशन वर्ष 2019 में हुआ था तथा जिसका अंतिम खण्ड के रूप में खण्ड-12 का प्रकाशन वर्ष जून, 2024 (कुल 10377 पृष्ठों में) पूर्ण करा लिया गया है। उक्त के सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि **"उत्तर प्रदेश संहिता"** के दशम संस्करण (द्विभाषीय) में उत्तर प्रदेश राज्य के कुल 281 यथा-संशोधित अधिनियमों तथा 101 केन्द्रीय अधिनियमों को समाहित किया गया है, जिसे पुस्तक रूप में विधायी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.upvidhai.gov.in पर पी.डी.एफ. फाइल के रूप में अपलोड भी करा दिया गया है, जो वर्तमान में जन सामान्य के लिये लाइव है।

(vi) मुद्रित हो चुके **"उत्तर प्रदेश संहिता"** के दशम संस्करण (द्विभाषीय) के समस्त 12 खण्डों

की पुस्तकों को विधायी विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त मा. कैबिनेट मंत्रीगणों/मण्डलायुक्तों को प्रेषित की जा चुकी है।

(vii) विधायी विभाग द्वारा विभागीय वेबसाईट www.upvidhai.gov.in पर वर्ष 1947 से उ.प्र. राज्य के समस्त राज्य अधिनियमों (पी.डी.एफ./सॉफ्ट कॉपी के) तथा केन्द्रीय अधिनियमों (समवर्ती सूची से सम्बंधित) में किए गए समस्त राज्य संशोधनों के कुल 1746 अधिनियमों की गजट प्रतियों को पुरालेख (Archive) रूप को अपलोड कराया गया है, जो जनसामान्य के लिए डाउनलोड किए जाने की सुविधा के साथ प्रदर्शनीय है।

(viii)जनहित याचिका संख्या 445/2020 In Re-Regular publication of All the enactments of the state Legislature as well as Rules Framed) Vs State of U.P. & Others में मा. उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों के क्रम में मुख्य सचिव उ.प्र. शासन द्वारा दिए गए आदेशों के अनुपालन में विधायी विभाग की वेबसाईट www.upvidhai.gov.in के अंतर्गत **"यू.पी. कोड पोर्टल"** को विकसित किया गया है। उक्त नवविकसित "यू.पी. कोड पोर्टल" पर अब तक क्रमशः 151 केन्द्रीय अधिनियम (मूल), उससे सम्बन्धित 96 उ.प्र. राज्य संशोधनों तथा उ.प्र. राज्य द्वारा अधिनियमित किए गए 325 मूल (राज्य) अधिनियम एवं 900 संशोधन अधिनियमों को विधायी विभाग के स्तर से अपलोड किया जा चुका है। अधिनियमों से सम्बन्धित अधीनस्थ विधायी प्रलेखों को प्रशासकीय विभागों द्वारा अपलोड किए जाने की कार्यवाही की जा रही है, जिसके सापेक्ष वर्तमान में कुल 3502 अधीनस्थ विधायी प्रलेख यू.पी. कोड पोर्टल पर अपलोड किए जा चुके हैं, जो जनसामान्य द्वारा देखा व डाउनलोड किया जा सकता है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम

(1) भारत सरकार एवं मा. सर्वोच्च न्यायालय, भारत के निर्देशों के अनुपालन में **"इंडिया कोड पोर्टल"** पर विभिन्न विभागों के माध्यम से अधिनियमों तथा उनके अधीनस्थ बनाए गए विधायी प्रलेखों को विभागवार सर्चेबल पी.डी.एफ./वर्ड फाइल में हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा में पृथक-पृथक यथास्थान अपलोड (शत-प्रतिशत) कराए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाएगी।

(2) मुद्रित हो चुकी उत्तर प्रदेश संहिता के दशम संस्करण के खण्डों को, जिनका वितरण वर्तमान में प्रक्रियाधीन है उसे शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराया जाना।

(3) विधायी विभाग की वेबसाईट के अधीन नवनिर्मित/विकसित **"यू.पी.कोड पोर्टल"** पर राज्य के विभागों से सम्बन्धित समस्त मूल अधिनियमों व संशोधन अधिनियमों तथा प्रशासकीय विभागों के माध्यम से उनके अधीनस्थ विधायी प्रलेखों को अद्यावधिक करके अपलोड कराया जाना।

संस्कृति

संस्कृति विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश की गौरवमयी धरोहरों, सांस्कृतिक परम्पराओं, पुरावशेषों एवं स्मारकों तथा लोक एवं शास्त्रीय कलाओं के विकास में अपने तीन निदेशालयों यथा- उ.प्र. संस्कृति निदेशालय, उ.प्र. पुरातत्व निदेशालय एवं उ.प्र. संग्रहालय निदेशालय तथा अपनी अशासकीय संस्थाओं के माध्यम से महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया जा रहा है। प्रदेश की लोक संस्कृति की लुप्त होती विधाओं एवं सांस्कृतिक परम्पराओं को गाँव-गाँव तक पहुँचाना, मंच प्रदान करना एवं इनसे सम्बंधित कार्य भी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों के माध्यम से विभाग द्वारा किया जा रहा है।

प्रदेश के विभिन्न अंचलों में समय-समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश के प्रतिष्ठित कलाकारों के साथ-साथ युवा नवोदित कलाकारों को भी अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन का समुचित अवसर प्राप्त होता है। कला एवं संस्कृति के संवर्धन हेतु विभाग के अधीन स्वायत्तशासी संस्थाएं कार्यरत हैं, जिनके माध्यम से प्रदेश में कला और संस्कृति को जनमानस से जोड़ने के लिए लोक एवं शास्त्रीय कलाओं के साथ-साथ ललित कलाओं के विकास का कार्य एवं सांस्कृतिक उत्सव सम्पन्न कराये जाते हैं।

उ.प्र. सरकार के विभिन्न विभागों एवं अर्द्धशासकीय एवं व्यक्तिगत अधिकारों व स्रोतों से प्राप्त अप्रचलित अभिलेखों के स्थानान्तरण एवं समुचित संरक्षण का कार्य उ.प्र. राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ एवं उसकी इकाइयों द्वारा आधुनिक उपकरणों के माध्यम से वैज्ञानिक ढंग से किया जा रहा है। दुर्लभ पाण्डुलिपियों एवं प्रपत्रों के डिजिटाईजेशन संबंधी कार्य भी सम्पादित किया जा रहा है।

प्रदेश के विभिन्न भागों व अंचलों में बिखरी पड़ी प्राचीन संस्कृति व सम्पदा के अवशेषों को प्रकाश में लाने एवं भावी पीढ़ियों के लिये उन्हें संरक्षित करने, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्त्व के स्थलों/स्मारकों/पुरावशेषों का सर्वेक्षण, प्राचीन स्मारकों के जीर्णोद्धार एवं परिरक्षण, पुरातात्विक महत्त्व के स्थलों का उत्खनन, डाक्यूमेन्टेशन एवं प्रकाशन आदि का कार्य भी उ.प्र. राज्य पुरातत्व निदेशालय द्वारा किया जा रहा है। पुरातत्व की महत्ता के प्रति सामान्यजन में अभिरुचि उत्पन्न करने हेतु पुरातत्व निदेशालय द्वारा विविध कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

विभाग के अधीन प्रदेश में संग्रहालय कार्यरत हैं। जनपद लखनऊ एवं मथुरा संग्रहालय को अपने संग्रह के लिये अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति प्राप्त है। इन संग्रहालयों में प्रस्तर

कलाकृतियां, मृणमूर्तियां, लघुचित्र, सिक्के, हस्तलिखित अभिलेख, पाण्डुलिपियां, धातु, चर्म, कास्ट तथा हाथी दाँत आदि की कलावस्तुएँ भी उपलब्ध हैं। संग्रहालयों द्वारा सांस्कृतिक सम्पदा, पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक धरोहरों का अनुरक्षण, संरक्षण तथा प्रदर्शन का कार्य किया जाता है।

नवीन वीथिकाओं क्रमशः मृणमूर्ति कला वीथिका, मुद्रा वीथिका एवं प्राणिशास्त्र वीथिका का निर्माण कार्य प्रचलन में है। जनसामान्य में संग्रहालय की महत्ता के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से विविध कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

संस्कृति निदेशालय

उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक गतिविधियों से सम्बन्धित कार्यों का सम्पादन, समन्वय का कार्य विभागाध्यक्ष स्तर पर संस्कृति निदेशालय द्वारा किया जाता है। इसके अन्तर्गत उ.प्र. राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ, क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र एवं अनेक स्वायत्तशासी संस्थायें यथा- उ.प्र. राज्य ललित कला अकादमी, उ.प्र. संगीत नाटक अकादमी, भारतेन्दु नाट्य अकादमी लखनऊ, अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान (पूर्व नाम अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या), उ०प्र० जैन विद्या शोध संस्थान, उ०प्र० लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान, बिरजू महाराज कथक संस्थान, लखनऊ सम्मिलित हैं। संस्कृति निदेशालय द्वारा भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय के कार्यों का भी समन्वय किया जा रहा है। साथ ही निदेशालय द्वारा वृन्दावन शोध संस्थान, वृन्दावन, मथुरा को वेतन तथा गैर वेतन मद में अनुदान दिया जाता है।

कला एवं संस्कृति को जनसामान्य से जोड़ने के लिए प्रदेश के विभिन्न स्थानों में संस्कृति निदेशालय द्वारा स्वयं तथा अपनी अधीनस्थ संस्थाओं के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं गतिविधियों का नियमित आयोजन किया जाता है, जिनमें देश एवं प्रदेश के प्रतिष्ठित कलाकारों के साथ-साथ युवा नवोदित कलाकारों को भी अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन-संवर्धन का समुचित अवसर प्राप्त होता है। महाकुम्भ, प्रयागराज-2025, काकोरी ट्रेन ऐक्शन की 100वीं वर्षगांठ, एक भारत-श्रेष्ठ भारत के अन्तर्गत सम्पन्न सांस्कृमिक आयोजनों की दृष्टि से सर्वोच्च रहे हैं।

दिनांक 09 अगस्त 2024 को काकोरी ट्रेन एक्शन की १००वीं वर्षगांठ के अवसर पर सम्पूर्ण प्रदेश में काकोरी ट्रेन ऐक्शन के शहीदों की याद में काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। वर्ष पर्यन्त चलने वाले इस कार्यक्रम में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा। भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी जयन्ती, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जयन्ती, सरदार बल्लभ भाई पटेल जयन्ती, बाल्मीकि जयन्ती, गांधी जयन्ती, भारतरत्न डॉ० भीमराव आंबेडकर जयन्ती, सुशासन दिवस के साथ ही प्रदेश की गौरवशाली परंपरा से आज की युवा पीढ़ी, विद्यार्थियों एवं जनसामान्य को जोड़ने के लिए 24-26 जनवरी 2025 तक 'उत्तर प्रदेश' दिवस का आयोजन किया गया।

संगीत नाटक अकादमी एवं भारतेन्दु नाट्य अकादमी के साझा सहयोग से त्रिदिवसीय नाट्य महोत्सव का आयोजन किया गया। अयोध्या शोध संस्थान द्वारा प्रभु श्री राम के जीवन मूल्यों को जन-जन तक पहुँचाने के लिए 'रामायण कानक्लेव' कार्यक्रम का निरंतर आयोजन किया जा रहा है। उ.प्र. राज्य ललित कला अकादमी द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में चित्रकला कार्यशाला/प्रदर्शनी, राज्य संग्रहालय एवं पुरातत्व द्वारा 'अभिरुचि पाठ्यक्रम' और विद्यार्थी भ्रमण कार्यक्रम लगातार आयोजित

किये जा रहे हैं। विश्व कीर्तिमान के साथ दीपोत्सव-2024 का आयोजन किया गया जो विश्व स्तर पर आकर्षण का केन्द्र रहा।

देश-प्रदेश के विभिन्न अंचलों में समय-समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों यथा- डॉ० भीमराव आम्बेडकर जयन्ती समारोह, कबीर महोत्सव, व्यापारी कल्याण दिवस, काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव, विभाजन विभीषिका दिवस, कजरी महोत्सव, सावन झूला, यू०पी० इन्टरनेशनल ट्रेड शो, दीपोत्सव, अन्तर्राष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जयन्ती, उ०प्र० दिवस, अनवरत रामलीला का अयोजन भी किया जाता है, जिनमें देश के प्रतिष्ठित कलाकारों के साथ-साथ युवा नवोदित/लोक कलाकारों को भी अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन का समुचित अवसर प्रदान किया जाता है। उत्तर प्रदेश की समृद्धशाली संस्कृति के साथ राष्ट्र की गौरवपूर्ण संस्कृति को जोड़ते हुए वाराणसी में तमिल संगमम का अनुपम आयोजन किया गया। नोएडा में आयोजित यू०पी० ट्रेड शो, मेरी माटी मेरा देश आदि में प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर आधारित कार्यक्रमों का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा।

प्रदेश के विभिन्न भागों व अंचलों में बिखरी पड़ी प्राचीन संस्कृति व सम्पदा के अवशेषों को प्रकाश में लाने एवं भावी पीढ़ियों के लिये उन्हें संरक्षित करने, एवं पुरातात्विक महत्व के स्थलों/स्मारकों /पुरावशेषों का सर्वेक्षण, प्राचीन स्मारकों के जीर्णोद्धार एवं परिरक्षण, पुरातात्विक महत्व के स्थलों का उत्खनन, डॉक्यूमेंटेशन एवं प्रकाशन आदि का कार्य उ०प्र० राज्य पुरातत्व निदेशालय द्वारा किया जा रहा है। अंतराष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान, वृन्दावन शोध संस्थान, जैन विद्या शोध संस्थान एवं कबीर अकादमी के द्वारा विषयगत संगोष्ठियों के साथ-साथ संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन वर्ष भर किया गया। भातखण्डे राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय समृद्धशाली सांस्कृतिक परम्परा एवं मूर्त-अमूर्त धरोहरों को रोजगार परक पाठ्यक्रमों के माध्यम से अगली पीढ़ी तक पहुचाने, उनके पल्लवन, प्रदर्शन एवं शोध कार्य के द्वारा बहुउद्देश्यीय दृष्टिकोण के साथ कार्य कर रहा है।

विभाग की कल्याणकारी योजना के अंतर्गत प्रदेश के 60 वर्ष के ऐसे वृद्ध एवं विपन्न कलाकार जो जीवन पर्यन्त कला एवं संस्कृति तथा साहित्य की साधना में संलग्न रहे, किन्तु वृद्धावस्था एवं निम्न स्वास्थ्य के कारण अपनी जीविकोपार्जन में असमर्थ हो गये हैं, उन्हें रु० 2000/- की मासिक पेंशन दी जा रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 406 से अधिक कलाकार उक्त योजना से जुड़े हैं। मासिक पेंशन रु० 4000/- प्रति माह प्रस्तावित है जिसका लाभ शीघ्र ही वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों को प्राप्त होगा। विभाग द्वारा कलाकारों के हितार्थ विस्तृत मानदेय अन्य सुविधाओं सहित निर्धारित किया गया है जिससे उनको सांस्कृति कार्यक्रमों की प्रस्तुति के लिए पूर्व से अधिक मानदेय प्राप्त होगा। जरूरतमंद कलाकारों को अपनी कला के संरक्षण व प्रदर्शन हेतु वाद्ययंत्र क्रय अनुदान योजना के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है। गजल, दादरा, खयाल एवं ठुमरी के क्षेत्र में लब्ध प्रतिष्ठित कलाकारों को बेगम अख्तर पुरस्कार से विभूषित किया जाता है। बी०एम० शाह पुरस्कार के साथ ही कला, संस्कृति एवं साहित्य जगत की महान विभूतियों को उनके योगदान के सम्मान में अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। प्रदेश का महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित

'उ०प्र० गौरव सम्मान' 24 जनवरी, 2025 को प्रदान किया गया। नवीन योजनाओं एवं कार्यक्रमों के साथ प्रदेश की गौरवपूर्ण सांस्कृतिक परम्परा, धरोहरों के संरक्षण, उन्नयन एवं समृद्धशील विकास के लिए विभाग कृत संकल्पित है।

उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार

बी-44, महानगर एक्सटेंशन, लखनऊ

उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार की स्थापना सन् 1949 में सेन्ट्रल रिकार्ड आफिस के रूप में शिक्षा विभाग, उ०प्र० इलाहाबाद के कार्यालय में हुई थी, जिसे पृथक इमारत का आवंटन 53 महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद में सन् 1951 में किया गया। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार अपने नवनिर्मित भवन जो कि बी-44, महानगर विस्तार, लखनऊ में स्थित है, जुलाई 1973 को स्थानान्तरित हुआ। 1973 से ही उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ ने अपना विस्तार प्रारम्भ किया जब इसी वर्ष क्षेत्रीय अभिलेखागार पाण्डुलिपि पुस्तकालय, इलाहाबाद की स्थापना की गयी। विस्तार की यह प्रक्रिया क्षेत्रीय अभिलेखागार, वाराणसी (1976), नैनीताल (1977), आगरा व देहरादून (1980) की स्थापना के साथ ही निरन्तर चलती रही। क्षेत्रीय अभिलेखागार, नैनीताल व देहरादून वर्तमान समय में उत्तराखण्ड राज्य में हैं। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार में सन् 1803 से अभिलेख संरक्षित हैं तथा व्यक्तिगत अधिकार से प्राप्त सन् 1540 से अभिलेख संरक्षित हैं। इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

- उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों, मण्डलीय एवं जिला स्तर के कार्यालयों एवं अर्द्धशासकीय संस्थाओं में उपलब्ध ऐतिहासिक एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण अभिलेखों का स्थानान्तरण तथा स्थानान्तरित अभिलेखों का वर्गीकरण तथा समुचित वैज्ञानिक संरक्षण करके सुव्यवस्थित ढंग से कार्टन बाक्स में रखना।
- शोध-छात्रों को शोध हेतु ऐतिहासिक महत्त्व के अभिलेख एवं शासन को आवश्यक सूचनायें उपलब्ध कराना।
- अभिलेखों की माइक्रोफिल्मिंग एवं फोटोकापी से सम्बन्धित सुविधायें और व्यक्तिगत अधिकारों से दुर्लभ पाण्डुलिपियों एवं प्रपत्रों को प्राप्त करना है।
- उक्त कार्यों की सम्पूर्ति हेतु समय-समय पर विभिन्न सरकारी कार्यालयों के अभिलेखों का सर्वेक्षण करना।
- उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार, शासकीय कार्यालयों, स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं व्यक्तिगत अधिकार में रखे गये अभिलेखों को सुव्यवस्थित ढंग से रखने एवं उनके वैज्ञानिक संरक्षण के लिए परामर्श भी देता है।
- मौखिक इतिहास योजना के अन्तर्गत विशिष्ट व्यक्तियों के संस्मरण टेप कराकर संरक्षित करना।
- राज्य के विभिन्न कार्यालयों के अभिलेख कक्षों में कार्यरत कर्मचारियों को दो सप्ताह का

अभिलेख संरक्षण का प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

. अभिलेखागार द्वारा समय-समय पर संरक्षित अभिलेखों पर आधारित महत्त्वपूर्ण प्रकाशन भी किये जाते हैं।

. प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के एक महत्त्वपूर्ण अंग-अभिलेखीय धरोहर के प्रति जन-सामान्य एवं छात्र-छात्राओं में जागरूकता उत्पन्न करने के निमित्त समय-समय पर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर अभिलेख प्रदर्शनियों एवं संगोष्ठियों आदि का आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त जनपद के विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं हेतु अभिलेख अभिरुचि कार्यक्रम के अन्तर्गत अभिलेखागार भ्रमण एवं अभिलेखों पर आधारित प्रश्नोत्तर कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार की गतिविधियाँ

उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों, मण्डलीय एवं जिला स्तर के कार्यालयों एवं अर्द्धशासकीय संस्थाओं में उपलब्ध ऐतिहासिक एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण अभिलेखों का स्थानान्तरण तथा स्थानान्तरित अभिलेखों का वर्गीकरण तथा समुचित वैज्ञानिक संरक्षण करके सुव्यवस्थित ढंग से कार्टन बाक्स में रखना, शोध-छात्रों को शोध हेतु ऐतिहासिक महत्व के अभिलेख एवं शासन को आवश्यक सूचनायें उपलब्ध कराना, अभिलेखों की माइक्रोफिल्मिंग एवं फोटोकापी से सम्बन्धित सुविधायें और व्यक्तिगत अधिकारों से दुर्लभ पाण्डुलिपियों एवं प्रपत्रों को प्राप्त कराना।

- उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार, शासकीय कार्यालयों, स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं व्यक्तिगत अधिकार में रखे गये अभिलेखों को सुव्यवस्थित ढंग से रखने एवं उनके वैज्ञानिक संरक्षण के लिए परामर्श देना।
- मौखिक इतिहास योजना के अन्तर्गत विशिष्ट व्यक्तियों के संस्मरण टेप कराकर संरक्षित करना।
- राज्य के विभिन्न कार्यालयों में अभिलेख कक्षों में कार्यरत कर्मचारियों को दो सप्ताह का अभिलेख प्रशिक्षण दिया जाना।
- अभिलेखागार द्वारा समय-समय पर संरक्षित अभिलेखों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रकाशन करना।
- प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के एक महत्वपूर्ण अंग-अभिलेखीय धरोहर के प्रति जन-सामान्य एवं छात्र-छात्राओं में जागरूकता उत्पन्न करने के निमित्त समय-समय पर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर अभिलेख प्रदर्शनियों एवं संगोष्ठियों आदि का आयोजन करना।

भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ

1, कैसरबाग, लखनऊ

शास्त्रीय संगीत की विभिन्न विधाओं में अपनी शिक्षण पद्धति एवं विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए सुविख्यात इस महाविद्यालय की स्थापना वर्ष में मैरिस कालेज के नाम से हुई। बाद में इसका

नाम बदलकर भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय कर दिया गया। राज्य सरकार द्वारा दिनांक मार्च, को इसे अपने नियंत्रण में लिया गया और विश्वविद्यालय घोषित होने तक एक शासकीय संस्था के रूप में गतिशील रहा।

भारत सरकार द्वारा दिनांक अक्टूबर, को अपनी अधिसूचना में इसे समविश्वविद्यालय घोषित कर देश में इस संस्थान को संगीत शिक्षा के क्षेत्र में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय होने का गौरव प्रदान किया गया। दिनांक जनवरी को भातखण्डे समविश्वविद्यालय को राज्य सरकार द्वारा अध्यादेश जारी कर इसे राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया तत्पश्चात् भातखण्डे संस्कृति अधिनियम, द्वारा इसे भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है। संगीत शिक्षा के क्षेत्र में अनेक कीर्तिमान स्थापित करने वाले इस महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का स्तर प्रदान कर दिये जाने से संगीत के विद्यार्थियों को प्रदेश में मान्यता प्राप्त उच्च स्तरीय शिक्षा ग्रहण करने का अवसर उपलब्ध हो गया है।

संगीत जैसी प्रदर्शन प्रधान कलाओं को सीखने के लिए कम आयु वर्ग के विद्यार्थियों की उपयुक्तता को ध्यान में रखकर महाविद्यालय में पहले संचालित पाठ्यक्रमों की कक्षाओं को संस्थान में भी यथावत बनाये रखे जाने का निर्णय लिया गया है। ताकि जो विद्यार्थी बी.पी.ए. व एम.पी. ए. के लिए निर्धारित अर्हताएं पूर्ण न करते हों, उन्हें भी संगीत शिक्षा प्राप्त करने में कोई कठिनाई उत्पन्न न हो।

विश्वविद्यालय द्वारा शास्त्रीय (गायन, ताल-वाद्य, स्वर-वाद्य, नृत्य) संगीत की चारों विधाओं में बी.पी.ए., एम.पी.ए. एवं पीएच.डी. की डिग्री/उपाधि तथा प्रवेशिका, परिचय, प्रबुद्ध, पारंगत एवं उपशास्त्रीय गायन (ध्रुपद-धमार, होरी, ठुमरी, दादरा, संवादिनी, की-बोर्ड, सुगम संगीत) में सार्टिफिकेट डिप्लोमा तथा लोकनृत्य में तीन वर्षीय पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है। संगीत के शिक्षण कार्य के साथ-साथ पूर्व में संचालित वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम संगीत अभिरुचि की विशिष्ट कार्यशाला एवं संगीत संध्या का आयोजन कर रहा है।

वर्तमान सत्र से विश्वविद्यालय के विभिन्न घटकों के माध्यम से नाट्य बौद्ध तथा पालि जैसे विषयों में स्नातक एवं परास्नातक के शिक्षण कार्य भी संचालित हो रहे हैं। यहां से प्रशिक्षित अनेक विद्यार्थी देश विदेश में संगीत, कला एवं संस्कृति के प्रचार प्रसार में अपना अमूल्य योगदान सुनिश्चित कर रहे हैं।

विश्वविद्यालय द्वारा सत्र - से विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों के साथ-साथ महाविद्यालय के सार्टिफिकेट/डिप्लोमा की वार्षिक परीक्षाओं का स्वतन्त्र रूप से संचालन किया जा रहा है। पीएच. डी. की उपाधियाँ वर्तमान समय दिसम्बर, तक शोधार्थियों को प्रदान की गयी हैं। विश्वविद्यालय के शिक्षण सत्र 2023-24 में डिग्री डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षा सेमेस्टर पाठ्यक्रमों की सैद्धान्तिक परीक्षाएं सुचारु रूप से संचालित की गयी हैं। परीक्षा परिणाम में डिग्री में 152 विद्यार्थी व डिप्लोमा में 666 विद्यार्थियों को सफल घोषित किया गया है।

राज्य ललित कला अकादमी, उ.प्र.

(निकट पुराना हाईकोर्ट), लाल बारादरी भवन, लखनऊ

राज्य ललित कला अकादमी, उ.प्र. की स्थापना फरवरी, को उत्तर प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग की पूर्णतः वित्त पोषित स्वायत्तशासी इकाई के रूप में हुई थी। अकादमी कला एवं कलाकारों की प्रोन्नति एवं प्रोत्साहन के ध्येय की ओर निरन्तर अग्रसर होती हुई कला जगत में उल्लेखनीय कार्य कर रही है। अकादमी छत्तरमंजिल और पुराना हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) के मध्य ललित कला अकादमी मार्ग पर लाल बारादरी भवन कैसरबाग, लखनऊ में स्थित है। यह भवन उ.प्र. राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित एक पुरातात्विक भवन है। इसका निर्माण सन – के बीच हुआ। स्वतंत्रता के पश्चात् सर्वप्रथम इस भवन में राज्य संग्रहालय स्थापित हुआ। राज्य संग्रहालय का अपने भवन में स्थानान्तरण होने के पश्चात् वर्ष में राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना हुई।

अकादमी द्वारा दृश्य कला से सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रीय, प्रदेश, अखिल भारतीय, अन्तर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनियों, कला व्याख्यान मालाओं, कला शिविरों के आयोजन के साथ ही युवा कलाकारों के लिये छात्रवृत्ति एवं आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अकादमी द्वारा दृश्यकला पर आधारित प्रकाशन, वरिष्ठ कलाकारों को सम्मान एवं युवा पीढ़ी के लिए लोक कलाओं पर आधारित कार्यशालायें तथा कला विषयक ग्रीष्मकालीन कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है।

उ.प्र. संगीत नाटक अकादमी,

विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

अकादमी की स्थापना नवम्बर, को हुई थी। पिछले वर्षों में अकादमी संगीत, नृत्य, नाटक, लोकसंगीत, लोकनाट्य की परम्पराओं के प्रचार-प्रसार, संवर्द्धन एवं परिरक्षण का महत्त्वपूर्ण कार्य कर रही है। प्रदेश में संगीत, नृत्य, नाटक, लोक विधाओं सम्बन्धी परम्पराओं के विषय में अधिक जागरूकता एवं जानकारी, नवोदित प्रतिभाशली युवा कलाकारों को प्रोत्साहन, नवीन प्रतिभाओं का विकास एवं उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण, सांस्कृतिक कार्यकलापों का विकेन्द्रीकरण, प्रदेश के विभिन्न अंचलों में कार्यरत् स्वैच्छिक संस्थानों से सम्पर्क एवं उनके कार्यकलापों में सहायता, लुप्त हो रही विधाओं के परिरक्षण एवं प्रदर्शन की योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर सम्पन्न कराना, साथ ही सर्वेक्षण एवं सर्वेक्षण के आधार पर कार्यक्रमों को तैयार कर उन्हें जनता के समक्ष लाना, अकादमी की गतिविधियों में शामिल है।

दिनांक 13 नवंबर 1963 को उ०प्र० संगीत नाट्य भारती की स्थापना प्रदेश की प्रदर्शनकारी कलाओं के उन्ननन प्रचार प्रसार एवं परिरक्षण हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गयी। दिनांक 02 सितंबर 1969 को इसका नाम परिवर्तित करके "उ०प्र० संगीत नाटक अकादमी" कर दिया गया।

भारतेन्दु नाट्य अकादमी,
गोमती नगर, लखनऊ

आधुनिक हिन्दी नाट्य के जनक भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की स्मृति में नाट्य कला के विभिन्न पक्षों पर गहन व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु 'भारतेन्दु नाट्य केन्द्र' की स्थापना अगस्त 1975 में संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा की गयी। नाट्य विधा में विधिवत प्रक्षिणण कार्य 5 अप्रैल 1976 से प्रारम्भ हुआ। यह संस्थान 1981 में भारतेन्दु नाट्य अकादमी के नाम से अभिहीत किया गया एवं रंगमंच में द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम का प्रारम्भ हुआ। अकादमी एक स्वायत्तशासी संस्थान है जिसे वित्तीय सहायता संस्कृति विभाग से प्राप्त होती है।

नाट्य विधा में दो वर्ष के पाठ्यक्रम में अकादमी द्वारा भारतीय एवं पाश्चात्य नाट्य साहित्य अभिनय स्वर संभाषण, गति संचालन, मूकाभिनय, आषु अभिनय (इम्प्रोवाइजेशन) रंग स्थापत्य मंच सज्जा वेश भूषा एवं रूप सज्जा अभिकल्पना मंच प्रकाश परिकल्पना निर्देशन एवं प्रस्तुति प्रक्रिया आदि का सघन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। अकादमी में नियमित संकाय के साथ ही राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विख्यात रंग विभूतियों को अतिथि संकाय के रूप में आमंत्रित किया जाता है।

अकादमी का अपना चार मंजिला भवन है, इस चार मंजिला भवन में शिक्षण और सीखने का उचित वातावरण निर्मित करने के लिए अकादमी के नियमित संकाय के साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विख्यात रंग विभूतियों को अतिथि संकाय के रूप में आमंत्रित किया जाता है। स्टूडियो थियेटर, अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित दो प्रेक्षाग्रह, अध्ययन व अध्यापन के वातावरण को गहन एवं गंभीर बनाने के लिए आधुनिक कक्षायें आडियो वीडियो तथा रंगमंच से संबंधित नवीनतम पुस्तकों से पूर्ण पुस्तकालय, कम्प्यूटर, इंटरनेट तथा छात्रावास की सुविधा भी अकादमी में उपलब्ध है।

उत्तर प्रदेश के दूरदराज के क्षेत्रों में नाट्य विधा के प्रचार प्रसार के लिए अकादमी द्वारा एक व्यावसायिक रंगमंडल की स्थापना की गयी है। रंगमंडल की प्रस्तुतियां उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त देश के विभिन्न शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भी होती रहती हैं।

रंगमंडल का कार्य नाटक के माध्यम से जनसमुदाय के मूल स्तर तक मनोरंजन प्रदान करने के साथ ही साथ उनमें शैक्षिक जागृत कराना तथा देश/प्रदेश की संस्कृति का बोध कराना है। अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु रंगमंडल द्वारा न केवल प्रदेश के विभिन्न जिलों एवं कस्बों में जनरुचिपरक एवं मनोरंजन नाटकों का मंचन जनसमुदाय के बीच स्वयं जाकर किया जाता है, बल्कि ग्रामीण अंचलों में प्रस्तुतियों का मंचन किया गया है।

विशिष्ट उपलब्धियां

निरंतर उन्नति के सोपान पर बढ़ते हुए वर्तमान सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2022 में संस्कृति विभाग द्वारा अकादमी को भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय के एक घटक के रूप में मान्यता प्रदान की गयी तथा अकादमी के द्वारा प्रशिक्षिण के उपरांत प्रदान किये जाने वाले डिप्लोमा को आधिकारिक रूप में स्नातकोत्तर उपाधि घोषित किया गया है। उक्त स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त

करने के पश्चात् भविष्य में अकादमी से प्रशिक्षित छात्रों को भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में अध्ययन हेतु नियुक्ति के लिए आवेदन करने और पीएच.डी. के लिए पंजीकरण कराने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। अकादमी का मूल उद्देश्य रंगमंच में सघन प्रशिक्षण प्रदान करना है।

अन्तर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान,
तुलसी स्मारक भवन, अयोध्या

अन्तर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान (सम्प्रति अयोध्या शोध संस्थान) की स्थापना संस्कृति विभाग उ०प्र० शासन द्वारा अयोध्या के ऐतिहासिक तुलसी स्मारक भवन में 18 अगस्त, 1986 को की गयी। यह संस्कृति विभाग की स्वायत्तशाषी संस्था है। पूर्व में अयोध्या के प्रमुख संतों एवं बुद्धिजीवियों की विशेष मांग पर जहां गोस्वामी तुलसी दास जी ने मानस की रचना प्रारम्भ की थी, उस स्थान पर गोस्वामी तुलसीदास जी की स्मृति में तुलसी स्मारक भवन के निर्माण की मांग शासन से की गई। शासन द्वारा इस मांग का सम्मान करते हुए अयोध्या में तुलसी स्मारक भवन का निर्माण वर्ष 1969 में करवाया गया। इस भवन में गोस्वामी तुलसीदास की स्मृति को संजोये रखने हेतु उनकी रामचरितमानस के लेखन की मुद्रा में एक छोटी प्रतिमा भी स्थापित है।

अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान प्रमुख रूप से शोध छात्रों के लिये पुस्तकालय का संचालन महत्वपूर्ण शोध कार्य तथा शोध के परिणामों को प्रकाशित करने हेतु प्रकाशन सहायता शोध पत्रिका का प्रकाशन, महापुरुषों की जयन्ती का आयोजन, प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन व प्रस्तुतियां तथा हस्तशिल्प में देश के विभिन्न कोने से रामकथा का संकलन, टेराकोटा के माध्यम से विभिन्न शैलियों में रामकथा अंकन तथा विभिन्न चित्र शैलियों में रामकथा का चित्रांकन और राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन करना है। इसी क्रम में नित्य पारम्परिक रामलीला का मंचन तथा मैदानी रामलीला का दस्तावेजीकरण शोध कार्य संस्थान द्वारा किया जाता है।

उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान,
विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान की स्थापना संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 1991 में की गई। यह संस्कृति विभाग की स्वायत्तशासी संस्था है। संस्थान का उद्देश्य भारत के विभिन्न भागों में प्रचलित जैन विधाओं का राष्ट्रीय सन्दर्भ में अध्ययन तत्संबंधी शोध तथा जैन तीर्थंकरों की सांस्कृतिक महत्व की परम्परागत एवं आधारभूत मान्यताओं, मानवीय मूल्यों, कला अवशेषों का संरक्षण करना।

उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान,
जवाहर भवन, लखनऊ

उत्तर प्रदेश के जनजातीय एवं लोक संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन एवं प्रदर्शन हेतु उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान की स्थापना सन् 1986 में की गई थी जिसके द्वारा लोक कला जनमानस की विचारधारा, आत्म चिंतन एवं जीवन शैली की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है, जो

क्षेत्रीय को अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत करते हुये मानवीय मूल्यों के साथ अनुभूति, कल्पना एवं जन विश्वास के सम्मिश्रण है।

अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान

विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान की स्थापना 28 फरवरी, 1985 में संस्कृति विभाग, उ०प्र० के अधीन स्वायत्तशासी संस्था के रूप में की गई है। भारत के विभिन्न भागों में प्रचलित बौद्ध विधाओं का राष्ट्रीय सन्दर्भ में अध्ययन, तत्संबंधी शोध कार्य, बौद्ध स्थलों की सांस्कृतिक महत्त्व की परम्परागत एवं आधारभूत मान्यताओं, मानवीय मूल्यों, कला अवशेषों का संरक्षण करना तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध बौद्ध संस्कृति से सम्बन्धित सामग्री का संकलन शोध कार्य, उससे सम्बन्धित ग्रन्थों का विकासात्मक अध्ययन एवं उपलब्ध सामग्री का भारतीय भाषाओं तथा अंग्रेजी में प्रमाणित भाषान्तर कार्य आदि।

संत कबीर अकादमी

मगहर, संतकबीर नगर

संत कबीर दास की व्यापक प्रासंगिकता को देखते हुए ही संस्कृति विभाग उ.प्र. के अन्तर्गत स्वायत्तशासी संस्थान के रूप में संत कबीर अकादमी की स्थापना 05 जुलाई, 2018 को की गई। जिसके संशोधित संविधान का पंजीयन मार्च, को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत हुआ।

मगहर संत कबीर नगर में एकड़ भूमि पर संत कबीर अकादमी के भव्य भवनों और परिसर का विकास किया गया है। जिसमें ऑडीटोरियम, प्रशासनिक भवन, हॉस्टल, कैंटीन, लाइब्रेरी, अधिकारी, कर्मचारी आवास, म्यूरल गैलरी आदि का निर्माण किया गया है।

वृन्दावन शोध संस्थान, वृन्दावन

भक्तिवेदांत स्वामी मार्ग, रमण रीति, वृन्दावन

वर्ष में संस्थापित वृन्दावन शोध संस्थान ब्रज संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन एवं ज्ञान संप्रेषण हेतु समर्पित है। इस संस्थान के द्वारा निजी तथा अन्य व्यक्तिगत पाण्डुलिपि संग्रह केन्द्रों की पाण्डुलिपियों को भी वैज्ञानिक विधि द्वारा प्राथमिक तथा पूर्ण संरक्षण प्रदान किया जाता है।

भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा वित्त पोषित, वृन्दावन शोध संस्थान विभिन्न अकादमिक कार्यक्रमों पर कार्य कर रहा है। संस्थान का मुख्य उद्देश्य हस्तलिखित ग्रंथों का संकलन, संरक्षण, शोध एवं प्रकाशन के साथ ही ब्रज संस्कृति के सभी पहलुओं के उन्नयन हेतु कार्य करना है।

बिरजू महाराज कथक संस्थान, लखनऊ

महाराजा महमूदाबाद, कैसरबाग, लखनऊ

बिरजू महाराज कथक संस्थान (पूर्व में राष्ट्रीय कथक संस्थान) की स्थापना संस्कृति विभाग

के अंतर्गत स्वायत्तशासी संस्थान के रूप में वर्ष 1988-89 में की गई थी। संस्थान का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर कथक के विविध घरानों की परंपराओं का अभिलेखीकरण, युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन, वरिष्ठ कलाकारों का संरक्षण, कथक नृत्य का संवर्धन एवं लुप्त हो गए व नवीन पक्षों पर शोध एवं कथक संग्रहालय की स्थापना है।

कला एवं कलाकारों का सर्वेक्षण, अभिलेखीकरण एवं वृद्ध कलाकारों को सहायता योजना

प्रदेश की लोक परम्पराओं को संरक्षित रखने के उद्देश्य से उनका वीडियो अभिलेखीकरण, योग्य छात्रों को कला एवं संस्कृति की व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिये आर्थिक सहायता दिये जाने की तथा वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों को आर्थिक साहयतार्थ पेंशन योजना प्रचलन में है।

लोक कलाकारों को वाद्ययंत्र

भारतीय कला संस्कृति में ग्राम्य संस्कृति का विशिष्ट स्थान है। ग्राम पंचायत स्तर पर स्थानीय लोक कला एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन, संवर्धन, प्रशिक्षण, प्रस्तुतिकरण एवं गुरु-शिष्य परम्परा के निर्वहन हेतु संस्कृति विभाग, उ०प्र० सतत प्रयासरत है। जिस हेतु कलाकार वाद्ययंत्र योजना शुरू की है। इस योजना के द्वारा चरणबद्ध रूप से प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने हेतु विभाग संकल्पित है जिसके अन्तर्गत प्रथम चरण में प्रदेश की चयनित ग्राम पंचायतों को एक-एक सेट वाद्ययंत्र प्रदान किया गया है।

सार्वजनिक रामलीला स्थलों में चाहरदीवारी का निर्माण

रामलीला की पौराणिकता, आध्यात्मिकता एवं विरात को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने के दृष्टिगत प्रदेश के रामलीला मैदानों की चाहरदीवारी का निर्माण कराये जाने की योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

आजादी का अमृत काल महोत्सव

आजादी का अमृत महोत्सव का अयोजन मा० प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से सम्पूर्ण प्रदेश में किया गया। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आजादी के 100 वर्ष तक की अवधि को अमृत काल की संज्ञा देते हुए आगामी 2047 तक संस्कृति विभाग द्वारा कला एवं संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु विभिन्न कार्यक्रम एवं सांस्कृतिक गतिविधियां सम्पूर्ण प्रदेश में करायी जानी प्रस्तावित हैं।

रेडियो जयघोष कर रहा है प्रदेश वासियों के जीवन में सर्वांगीण जयघोष

जिस मीडिया सेंटर की शुरूआत एक वेब रेडियो के रूप में हुई थी वर्तमान में वह एफएम 107.8 के रूप में ही नहीं सोशल साइट्स मीडिया के रूप में भी अत्यंत लोकप्रिय हुआ है। हमारा एक मात्र लक्ष्य "भारतीय संस्कृति का उद्घोष, सभी के जीवन में हो जयघोष" है। इसलिए रेडियो जयघोष संस्कृति, विरासत, परंपरा, पुरातन और नूतन ज्ञान-विज्ञान का शाश्वत विस्तारक है। देश के पहले कल्चरल कम्यूनिटी रेडियो की शुरूआत संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश के द्वारा

9 अगस्त 2022 को काकोरी शहीद दिवस के दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उपमुख्यमंत्री श्री बृजेश पाठक के कर कमलों से हुई थी। यह रेडियो लखनऊ के गोमतीनगर स्थित उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी परिसर के स्टूडियो से सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित किया जा रहा है।

उ०प्र० राज्य पुरातत्व निदेशालय

रोशन-उर्दू दोला कोठी, कैसरबाग लखनऊ

उत्तर दिशा में नागाधिराज हिमालय, दक्षिण में विन्ध्य पर्वत श्रेणियों से घिरा, पश्चिम में यमुना और अरावली से लगा और पूरब में सदानीरा-गंगा संगम और बिहार के भोजपुर जिले तक विस्तृत उत्तर प्रदेश में प्रस्तर युग से ही अनवरत रूप से पुष्पित पल्लवित मानवीय सभ्यता ने लाखों वर्ष में यहाँ की संस्कृति को एक विशेष स्वरूप प्रदान किया है।

प्राचीन देवभूमि, आर्यावर्त और मध्य देश, मोरिय, कोलिय, मल्ल और शाक्य आदि गणतंत्र, कोशल, काशी, कुरू, पंचाल, सूरसेन और वत्स महाजनपद इसी पावन भूमि पर स्थित रहे हैं। गंगा-यमुना के स्रोत अयोध्या, मथुरा और तीन लोक में न्यारा भोले बाबा का धाम काशी, गंगा-यमुना के बीच बसे प्रयागराज, कौशाम्बी, कालिंजर और देवगढ़, जौनपुर, आगरा और सीकरी, लखनऊ और अयोध्या न केवल इस प्रदेश के वरन् सारे देश की अस्मिता के ऐसे अंग हैं जिनके बिना देश की पहचान नहीं बनती। उ.प्र. वह प्रदेश हैं जहाँ की माटी पर पल कर राम, कृष्ण जैसे अवतारी पुरूषों ने ऐसी लीलाएं दिखलायीं और शाक्य सिंह, गौतम बुद्ध ने शान्ति का ऐसा उद्घोष किया कि समस्त भारतीय उप महाद्वीप ही नहीं हिन्दूकुश के उस पार वक्ष (आक्सस) नदी के आस-पास बह्मा देश (वर्मा) के पूरब वियतनाम और जावा-सुमात्रा-बाली, उत्तर में चीन, कोरिया, जापान और तिब्बत और दक्षिण समुद्र में लंका तक पूजे जाने लगे। कबीर, सूर, तुलसी, रसखान और नरोत्तम दास की यह पावन भूमि सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक महत्व के अवशेषों की दृष्टि से अत्यन्त समृद्ध है।

प्रदेश की पुरातात्विक सामग्री और स्थलों/स्मारकों के संरक्षण, यथावश्यक पुरास्थलों के उत्खनन, पुरातत्व विषयक प्रकाशन तथा पुरातत्व और पुरास्थलों में लोकरुचि जगाने के उद्देश्य से सन् 1951 में लखनऊ में पुरातत्व विभाग की स्थापना की गयी। सन् 1970-80 में लखनऊ के बाहर कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों के लिए पहली क्षेत्रीय इकाई गठित हुई। नवें दशक में पौड़ी गढ़वाल और झाँसी तथा तत्पश्चात् आगरा, गोरखपुर, वाराणसी और इलाहाबाद में भी क्षेत्रीय पुरातत्व इकाईयां स्थापित की गयीं। राज्य में पुरातत्व सम्बन्धी गतिविधियों को और अधिक गति प्रदान करने हेतु 27 अगस्त, 1996 को निर्गत संस्कृति अनुभाग की अधिसूचना संख्या 2558/चार-96-6(2)/96, द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व संगठन का नाम 'उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग' तथा निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व संगठन को स्वतंत्र विभागाध्यक्ष घोषित करते हुए सचिव, संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के अधीन रखा गया है।

विभाग द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस सत्र में प्रदेश के मैनपुरी, फतेहपुर

जौनपुर एवं गोण्डा जिले में पुरातात्विक सर्वेक्षण कराया जा रहा है। प्रदेश के इतिहास के अल्पज्ञात पक्षों की जानकारी के लिए विभाग द्वारा मनवाडीह (सीतापुर), जाजमऊ (कानपुर), हुलासखेड़ा एवं दादूपुर (लखनऊ), शनिचरा (सुल्तानपुर), मूसानगर (कानपुर), राजा नल का टीला, नई डीह एवं भगवास (सोनभद्र), मलहर (चन्दौली), लहुरादेवा (संतकबीर नगर), पुरवा उदयी (औरैया) राजधानी (महराजगंज) बनरसिंहा कला (महराजगंज) एवं सोनिक (उन्नाव) में पुरातात्विक उत्खनन कराये गये हैं। प्रदेश के राज्य संरक्षित स्मारकों के परिरक्षण/अनुरक्षण के कार्य कराने के अतिरिक्त शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए एक वार्षिक शोध पत्रिका प्रकाशित कराने तथा जनचेतना जागृत करने हेतु शैक्षिक कार्यक्रमों के आयोजन भी कराये जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश संग्रहालय निदेशालय,

राज्य संग्रहालय परिसर, बनारसीबाग लखनऊ

प्रदेश के समस्त संग्रहालयों के विकास एवं संवर्द्धन, स्वतंत्र नियंत्रण एवं प्रभावी पर्यवेक्षण, नये संग्रहालयों की स्थापना, उनके भवनों का निर्माण, आधुनिकीकरण एवं शुद्धीकरण, कलाकृतियों एवं पुरावशेषों के क्रय, उनके प्रदर्शन तथा कला अभिरुचि के विकास, व्याख्यान, प्रशिक्षण आदि योजनाओं के उन्नयन हेतु अगस्त, को उत्तर प्रदेश संग्रहालय निदेशालय की स्थापना की गई, जो राज्य संग्रहालय, बनारसीबाग, लखनऊ के परिसर में स्थित है। निदेशक, उ.प्र. संग्रहालय निदेशालय, विभागाध्यक्ष के कार्यों व दायित्वों के साथ ही साथ राज्य संग्रहालय लखनऊ के निदेशक के कार्यों एवं दायित्वों का भी निर्वहन करते हैं।

●

रा ीय कीकरण

ि ाा ा संि रि

रा टीय एकीकरण परि ाद् की स्थायी समिति ने 26 नवम्बर, 1968 को दिल्ली में हुई अपनी प्रथम बैठक में की गयी सिफारिश के अनु प व ा 1968 में रा टीय एकीकरण विभाग का गठन किया गया था रा टीय एकीकरण विभाग की योजना ं दी ाकालीन व सतत प्रयास वाली हैं। वि ााग की योजनाओं कायक्रमों से जनमानस में रा ीय कता सा प्रदायिक सद ााव वं सामाजिक समरसता की ाावना जागृत होती है। वि ााग की महत्वपण योजनाओं का आयोजन व ा में क बार अपनी नि ाारित ति ि पर स पन्न होता है अ ावा समय समय पर ाासन ारा लिये गये निणय के अनु प वि ान्न कायक्रमों का आयोजन किया जाता है।

ा ी ि ा संि ि रा

ा ी ाामि ि ा ेसा न े ना

- अन्तर्जातीय अन्तर्धार्मिक विवाह के लिये उत ार प्रदेश अन्तर्जातीय अन्तर्धार्मिक विवाहित दम्पति को प्रोत्साहन देने की नियमावली, 1976 लागू है, जिसके अन्तर्गत ऐसे विवाहित जोड़ों जिनका एक पक्ष अनुसूचित जाति से सम्बन्धित हो, को अन्तर्जातीय विवाह तथा ऐसे विवाहित जोड़ों, जो विवाह के पूर्व अलग-अलग धर्म को मानने वाले रहे हों, को अन्तर्धार्मिक विवाह की श्रेणी में रखा गया है
- ऐसे विवाहित दम्पति को प्रोत्साहन स्व प रुपये 50,000 - का नकद पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है

  स िवालय प्र ाासन अनु ाग के कायालय ाप सं या दिनांक ारा अन्तजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का सं ालन रा ीय कीकरण वि ााग के ाान पर समाज क याण को आवंि त किया गया है।
- वित्तीय व ा में अन्त ाामिक योजना हेतु ला ा की बज यव ाा है।

ला ा सर ार ल्ला ााइ टेल ा म ि स मना ा ाना

- लौह पु ा सरदार ब ल ा ाा प ेल के जन्म दिवस दिनांक अ बर को प्रतिव ा रा ीय अ ाण्डता दिवस के प में मनाया जाता है।
- प्रत्येक जनपद को प्रतिव ा पये की ानरा ि वीकृति निगत की जाती ाी।

- व ा में में जनपदों हेतु प्रति जनपद त ाा राज ाानी ल ान को ला ा कुल ला ा की वज ीय यव ाा की गयी।

ामी ा सा ा ा ा ो न

- ाारत सरकार के दि ाा निदे ाों के क्रम में प्रतिव ा दिनांक से नव बर तक रा ीय सा प्रदायिक सद ााव को बढ़ावा देने के लि कौमी कता स ताह मनाया जाता है।
- प्रदे ा के प्रत्येक जनपद को पये की ानरा ाि प्रतिव ा वीकृत की जाती है। वित्तीय व ा हेतु कुल ला ा की वित्तीय वीकृति निगत की जा ुकी है।

ि ला ी र ा समि ि ों ा न

- रा ीय कता ाा ारा वं ाम निरपेक्ष लोकतं की ाावना बढ़ाने त ाा सा प्रदायिक कता सौहादपण वातावरण निरन्तर कायम र ाने के ददे य से जनपद तर पर अ यक्ष जिला पं ायत की अ यक्षता में जिला कीकरण समिति का गठन किया गया है।
- स मद में प्रतिव ा पये ला ा की बज यव ाा की जाती है जिसमें से प्रत्येक जनपद को ानरा ाि आवं ित किये जाने का प्रावि ाान है।

म ान ि ाि ों ` मनि र राटी ा ं सा ाि स ाा ा मों ा ा ो न

- यह योजना वित्तीय व ा से प्रार ा की ग है। प्रदे ा के जनपदों के `से ात अ ात महानु ााव जिन्होंने ाानीय समाज में ाा ारे की ाावनाओं को विकसित करने त ाा वि ािन्न स प्रदायों के बी आपसी मेल मिलाप के माहौल को सुदृढ़ करने में ले ानीय योगदान दिया हो के निमित्त पये प्रति जनपद ानरा ाि प्रतिव ा वीकृति की जाती है। प्रत्येक वित्तीय व ा में त योजना हेतु ला ा की बज यव ाा वीकृत की गयी है।

ा ा सा ा ीमरा ` र ` म ि स र ि ाि न ा मों ा ा ो न

- यह योजना वित्तीय व ा से प्रार ा की ग है। बाबा साहब डा ीमराव अ बेडकर के जन्मदिवस पर वि ािन्न कायक्रमों के आयोजन हेतु प्रत्येक जनपद को पये की ानरा ाि वीकृति की जाती है।

मालाना ा ा मेमोरि ल ा मी ो न ान

- मौलाना अ ाुल कलाम आजाद ारा द में लि ाित पु तकों ले ाों आदि का हिन्दी वं अन्य ाा ााओं में अनुवाद कर से दे ा के पु तकालयों वं वा नालयों को पल ा कराने के ददे य से मौलाना आजाद मेमोरियल अकादमी ल ान का गठन व ा में गैर सरकारी वैि क सं ाा के प में किया गया है।

- त सं ा को वा िक अनुदान के प में ला ा वीकृत किया जाता है। वित्तीय व ा में मौलाना आजाद मेमोरियल अकादमी ल ान को अनुदान हेतु ला ा की ानरा ा जारी की जा ुकी है।

ो ि सि रा टी ा र ार

दे ा में निवासरत जन सामान्य में से क क महानु ाव जिन्होंने मानवा ाकारों की रक्षा सामाजिक न्याय वं रा ीय कीकरण के क्षे में त्कृ काय किया हो का अ ा ान कर न्हें गु गोविन्द सिंह रा ीय कता पुर कार के प में सावजनिक प से स मानित करने के ेय से ति व ा जनवरी को राज्य सरकार ारा पये क ला ा का नकद पुर कार त ाा ा ति प दान किया जाता है।

- प्रदे ा सरकार ारा यह योजना व ा से प्रार ा की ग है।
- स मद में प्रत्येक व ा ला ा की बज यव ाा का प्रावि ाान है।

●

भाषा

प्रदेश की राजभाषा हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के प्रयोग, प्रचार-प्रसार व विकास का कार्य भाषा विभाग द्वारा किया जा रहा है। शासन स्तर पर इस विभाग द्वारा शासन के समस्त विभागों से प्राप्त अनुवाद कार्य तथा विभागीय मैनुअलों, संकलनों एवं संदर्भ ग्रन्थों आदि का प्रकाशन कार्य कराने के साथ-साथ विभिन्न भाषाओं से सम्बन्धित कार्यकलापों तथा योजनाओं को निम्नलिखित संस्थाओं के माध्यम से संचालित किया जाता है:-

● उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ, ● उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम्, लखनऊ, ● उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी, लखनऊ, ● उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी, लखनऊ, ● उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान, लखनऊ, ● हिन्दुस्तानी एकेडमी, प्रयागराज, ● उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, लखनऊ, ● स्व. फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी, लखनऊ, ● राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान, लखनऊ, ● भाषा प्रकाशन (कोष्ठक) लखनऊ।

उ.प्र. भोजपुरी अकादमी के नाम से एक नयी संस्था के गठन की अधिसूचना जारी कर दी गयी है। स्थापना और नियमावली का प्रख्यापन प्रक्रियाधीन है। भाषा विभाग के नियंत्रणाधीन भाषायी संस्थाओं के कार्यकलापों एवं कार्यरत स्टाफ आदि के वेतन भत्तों के लिए आवश्यक सम्पूर्ण वित्तीय व्यवस्था शासन द्वारा की जाती है। उक्त संस्थाओं के माध्यम से संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यकलापों के अन्तर्गत हिन्दी, उर्दू तथा संस्कृत भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्यकारों को पुरस्कृत करने के साथ-साथ साहित्यकार कल्याण कोष योजना, प्रकाशन अनुदान योजना, उत्कृष्ट ग्रन्थों का प्रकाशन, साहित्यिक समारोह, पाण्डुलिपियों का प्रकाशन, अभावग्रस्त साहित्यकारों को सहायता के साथ-साथ प्रचार-प्रसार हेतु विभिन्न संगोष्ठियों का आयोजन तथा सम्पूर्ण देश में आयोजित पुस्तक प्रदर्शनियों एवं मेलों में प्रतिभाग भी किया जाता है।

राजभाषा हिन्दी

प्रदेश में सर्वप्रथम अक्टूबर, में देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी को अपनी राजभाषा घोषित किया गया था। राजभाषा हिन्दी का प्रयोग प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालयों में जनवरी, से अनिवार्य कर दिया गया है तथा उक्त आदेश का अनुपालन न किया जाना अनुशासनहीनता माना गया है। अंग्रेजी का प्रयोग करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने की व्यवस्था की गयी है जिससे हिन्दी की प्रगति को गतिशीलता मिल सके।

द्वितीय राजभाषा उर्दू

उर्दू भाषी अल्पसंख्यकों की भावनाओं का समादर करते हुए सरकार ने वर्ष में उ.प्र. राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, पारित करके उर्दू को निम्नांकित सात विनिर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु प्रदेश की द्वितीय राजभाषा घोषित किया हैः-

( ) उर्दू में अर्जियों और आवेदन पत्रों की प्राप्ति और उर्दू में उनका उत्तर। ( ) उर्दू में लिखित दस्तावेजों को निबंधन कार्यालयों द्वारा स्वीकार किया जाना। ( ) महत्त्वपूर्ण सरकारी नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं का उर्दू में भी प्रकाशन। ( ) सार्वजनिक महत्त्व के सरकारी आदेशों और परिपत्रों को उर्दू में भी जारी किया जाना। ( ) महत्त्वपूर्ण सरकारी विज्ञापनों का उर्दू में भी प्रकाशन। ( ) गजट के उर्दू रूपान्तर का भी प्रकाशन। ( ) महत्त्वपूर्ण संकेत पट्टों का उर्दू में प्रदर्शन।

उक्त प्रयोजनों के कार्यान्वयन हेतु समस्त विभागाध्यक्षों/जिलाध्यक्षों को समय-समय पर शासनादेश जारी किये गये हैं।

क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं का विकासः-

हिन्दी, संस्कृत एवं उर्दू भाषा के साथ-साथ अन्य भारतीय भाषाओं के प्रचार-प्रसार की भी व्यवस्था की गयी है। इन भाषाओं के प्रोत्साहन हेतु प्रदेश के पांच जनपदों क्रमशः लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, मुरादाबाद और आगरा में कुल पांच भारतीय भाषा केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। इन केन्द्रों में कुल भाषाओं यथा- तमिल, तेलुगु, कन्नड, मलयालम, गुजराती, मराठी, बंगला, उडिया, पंजाबी, सिन्धी, असमिया, कश्मीरी और नेपाली के प्रशिक्षण की व्यवस्था है।

आशुलिपि तथा टंकण प्रशिक्षण केन्द्रः-

भाषा विभाग के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश सचिवालय में राज्य कर्मचारियों के लिए हिन्दी टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सचिवालय तथा लखनऊ स्थित सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों को हिन्दी टंकण एवं आशुलिपि में प्रशिक्षण दिये जाने हेतु दरबारी लाल शर्मा भवन में हिन्दी टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्र चलाया जा रहा है।

उर्दू प्रवीणता परीक्षाः-

सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों में उर्दू भाषा के प्रति रूचि उत्पन्न करने हेतु उर्दू वैकल्पिक प्रवीणता विगत लगभग चालीस वर्षों से शासन द्वारा चलाई जा रही है, जिसके अन्तर्गत जूनियर हाईस्कूल स्तर की उर्दू प्रवीणता परीक्षा में उत्तीर्ण अधिकारियों/कर्मचारियों को क्रमशः 600/-,400/- व 200/- तथा हाईस्कूल स्तर की उर्दू वैकल्पिक प्रवीणता परीक्षा में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को क्रमशः रु. 1400/-, 1000/- व 800/- की धनराशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है तथा दक्षता प्रमाण-पत्र दिया जाता है।

प्रकाशन कार्यः-

भाषा (प्रकाशन) अनुभाग एवं इसके अन्तर्गत स्थापित प्रकाशन कोष्ठक द्वारा शासन के विभागीय मैनुअलों, हैण्डबुकों, नियमावलियों, आदेशों के संकलनों आदि को संशोधित एवं

अद्यावधिक कराकर उन्हें प्रकाशित कराया जाता है। प्रशासनिक विभागों से नियमों-विनियमों आदेशों की सामग्री संकलन हेतु निरन्तर प्रयास किया जाता है तथा सामग्री प्राप्त कर उनके संशोधनों व सम्पादन की कार्यवाही की जाती है।

अनुवाद एवं पत्रावली कार्यः-

शासन की भाषा नीति के अनुरूप राजभाषा हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हिन्दी प्रभाग द्वारा शासन स्तर पर समस्त विभागों से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के सामान्य, प्रकीर्ण एवं विधायी प्रकृति के शासकीय प्रपत्रों/पत्रों का अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद कार्य भाषा विभाग द्वारा सम्पादित किया जाता है।

भाषा विभाग के हिन्दी प्रभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 52 सेवा नियमावलियों के विधिक हिन्दी रूपान्तरण का कार्य किया गया। इसके साथ ही शासन के अधिकांश विभागों से प्राप्त 339 विधीक्षित अधिसूचनाओं, नियमावलियों, परिनियम, उपविधियों, विनियमावलियों एवं 95 विधेयकों/अध्यादेशों का हिन्दी रूपान्तरण किया गया। साथ ही भाषा विभाग द्वारा 589 पृष्ठों का गैर विधायी अनुवाद भी किया गया।

भाषा विभाग के उर्दू विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 486 सरकारी गजट में से 452 असाधारण गजट (अधिनियम/अधिसूचना/विधेयक/अध्यादेश/नियमावली इत्यादि) तथा 34 साधारण गजट का हिन्दी/अंग्रेजी से उर्दू रूपान्तरण किया गया।

उ.प्र. भाषा निधिः-

हिन्दी भाषा एवं साहित्य के संवर्द्धन के उद्देश्य से रु.   .   करोड़ की धनराशि से उ.प्र. भाषा निधि की स्थापना की गयी थी। भाषा निधि के बजट से भारतीय भाषा केन्द्रों एवं भाषा संस्थान की योजनाओं का संचालन किया जाता है।

अकादमियों की स्थापना हेतु अधिसूचनाः-

वित्तीय वर्ष   -   में सूरदास बृजभाषा अकादमी की स्थापना हेतु अधिसूचना जारी की गयी है तथा गोस्वामी तुलसीदास अवधी अकादमी एवं केशवदास बुन्देली अकादमी के गठन की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है।

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान को संकल्प पुरूष, मनीषी, चिन्तक राजभाषा हिन्दी और भारतीय संस्कृति के प्रबल समर्थक राजर्षि पुरूषोत्तम दास टण्डन के नाम का गौरव प्राप्त है। हिन्दी भाषा और साहित्य के सर्वतोन्मुखी उन्नयन एवं संबर्द्धन तथा प्रचार-प्रसार हेतु 30 दिसम्बर, 1976 को उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान की स्थापना हुई, जिसमें तत्कालीन हिन्दी समिति, उत्तर प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी एवं शासन की कतिपय अन्य योजनाओं को एकीकरण किया गया। संस्थान की महत्वपूर्ण प्रकाशन योजना के अन्तर्गत उच्च कोटि के लगभग 750 ग्रन्थ प्रकाशित किये गये हैं। दिवंगत साहित्यकारों की स्मृति में संस्थान ने कई स्मृति ग्रंथ प्रकाशित किये हैं। संस्थान भवन के प्रथम तल पर 'आचार्य रामचन्द्र शुक्ल सार्वजनिक पुस्तकालय' भी स्थापित है, जिसमें पाठकों के पढ़ने व सदस्य बनने की सुविधा

उपलब्ध है। संस्थान द्वारा पुरस्कार, साहित्यिक समारोह, साहित्यकार कल्याण कोष, प्रकाशन अनुदान, संस्थाओं के साथ कार्यशाला, पत्रिका का प्रकाशन, स्मृति संरक्षण, हिन्दीतर भाषा-भाषी क्षेत्रों में भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्थान की सहभागिता, बाल साहित्य संवर्द्धन, पुस्तकालय सुदृढ़ीकरण आदि योजनाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण कार्य किये जा रहे हैं। पत्रिका प्रकाशन योजना के अन्तर्गत "साहित्य भारती" त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है। बाल साहित्य संवर्द्धन योजना के अन्तर्गत "बच्चों की प्रिय पत्रिका बालवाणी" द्वैमासिक पत्रिका का प्रकाशन हो रहा है।

हिन्दी संस्थान में यशस्वी साहित्यकारों को उत्कृष्ट साहित्य सृजन एवं अनवरत हिन्दी सेवा के लिए 'भारत-भारती' सम्मान सहित 55 विशिष्ट सम्मानों से सम्मानित किया जाता है। संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष 38 विधाओं में लिखी गयी पुस्तकों पर प्रदेश स्तर के रचनाकारों को नामित एवं सर्जना पुरस्कार दिये जाते हैं। साहित्यिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए संस्थान परिसर में यशपाल सभागार, प्रेमचन्द्र सभागार, निराला साहित्य केन्द्र एवं सभागार, मुक्ताकाश रैदास मंच निर्मित है, जिनमें विविध साहित्यिक कार्यक्रम समय-समय पर आयोजित होते रहते हैं। हिन्दी हमारी राष्ट्रीय अस्मिता की पहचान है। इसके माध्यम से प्रान्तीय भाषाओं के पारस्परिक आदान-प्रदान द्वारा संस्कृति, अध्यात्म और विज्ञान का नवगीत जन-जन तक पहुँचाया जा सकता है।

उ.प्र. संस्कृत संस्थान

उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम्, लखनऊ भाषा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के अधीन एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में स्थापित है। संस्थान की स्थापना 31 दिसम्बर, 1976 को संस्कृत, पालि एवं प्राकृत भाषाओं तथा उनके साहित्य के समुचित संरक्षण, प्रोत्साहन एवं विकास के लिये की गयी। इसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश है। संस्थान द्वारा संस्कृत भाषा की उन्नति एवं प्रसार हेतु निम्नलिखित कार्य किये जा रहे हैं। स्थापित उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम् निरन्तर प्रगति की ओर अग्रसर है।

- सरल संस्कृत सम्भाषण शिविर योजना
- संस्कृत प्रतिभा खोज
- योग प्रशिक्षण शिविर योजना
- प्रत्येक जनपद में पौरोहित्य कर्मकाण्ड प्रशिक्षण शिविर
- सिविल सेवा परीक्षा निःशुल्क कोचिंग एवं मार्गदर्शन योजना
- पुस्तक प्रकाशन (पर्व पत्रिका, पंचांग प्रचार सामग्री, मासिक पत्रिका इत्यादि)

उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी

उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी का गठन सोसाईटी अधिनियम 1860 के अन्तर्गत दिनांक मार्च, हुआ। अकादमी का मुख्य उद्देश्य पंजाबी भाषा, साहित्य, कला तथा संस्कृति का प्रचार-प्रसार, विकास व संबर्द्धन करना है। उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी अपने उद्देश्यों की

पूर्ति हेतु निरन्तर कार्य कर रही है। जिसमें विद्वद संगोष्ठी, काव्य गोष्ठी, कवि दरबार, पंजाबी भाषा के प्रोत्साहनार्थ छात्र/छात्राओं को पुरस्कृत किया जाना, प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर के कवियों/विद्वानों/साहित्यकारों को आमंत्रित कर कवि सम्मेलन/कीर्तन दरबार का आयोजन कराया जाना तथा पंजाबी भाषा में रूचि बढ़ाने हेतु पंजाबी नाटक, लोकगीत, लोकनृत्य, स्टेज लाईट व साउण्ड शो जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कराया जाता रहा है। इसके अतिरिक्त लेखकों को प्रोत्साहन, पंजाबी भाषा गुरूमुखी लिपि को सिखाने हेतु सेन्टर का संचालन एवं पुस्तकों का प्रकाशन आदि का कार्य मुख्यतया किये जाते हैं।

उत्तर प्रदेश सिन्धी अकादमी, लखनऊ

उत्तर प्रदेश सिन्धी अकादमी द्वारा माह जनवरी, तक सम्पादित कार्यक्रम एवं योजनाओं का विवरणः-

- संगोष्ठी का आयोजन
- आई.ए.एस. कार्यशाला
- सिंधी भजन एवं गायन संध्या
- छात्रों द्वारा गीत गायन एवं सूफी कलाम एवं भजन
- विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस
- सिन्धी भगति का आयोजन
- सिन्धी फिल्म प्रदर्शन
- राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन
- पंजीकृत संस्थाओं को कार्यक्रम हेतु आर्थिक सहयोग
- संगोष्ठी, प्रोत्साहनवृत्ति वितरण एवं शिक्षक सम्मान समारोह
- सिंधी छात्र प्रतियोगिता

उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान, लखनऊ

उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान, भाषा विभाग का एक अभिन्न उपक्रम है, जिसकी स्थापना वर्ष 1994 में की गई। इसका उद्‌देश्य भारतीय भाषाओं एवं उनके साहित्य का प्रचार-प्रसार करना है। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान भारत वर्ष के विभिन्न राज्य व संघीय राज्यों में भाषाओं तथा उनके साहित्य के समुचित संरक्षण प्रोत्साहन एवं विकास के लिए कार्य करता है। संस्थान संविधान के आठवीं अनुसूची के अन्तर्गत इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य, चिकित्सा, तकनीकी, प्रशासनिक, प्रबन्धकीय एवं विधिक तथा अन्य आधुनिक विषयों से संबंधित पाठ्य पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का हिन्दी में मौलिक लेखन अनुवाद एवं प्रकाशन आदि के प्रोत्साहन, गोष्ठियों का आयोजन आदि का कार्य करता आ रहा है।

हिन्दुस्तानी एकेडमी उ.प्र., प्रयागराज

- हिन्दुस्तानी एकेडमी के तत्वाधान में दिनांक 20 मई 2024, सोमवार को गाँधी सभागार, हिन्दुस्तानी एकेडमी उ.प्र. प्रयागराज में छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत की जयंती के अवसर पर "प्रयागराज एवं सुमित्रानंदन पंत" विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया गया।
- हिन्दुस्तानी एकेडमी उ.प्र., प्रयागराज के तत्वावधान में गोरक्षपीठाधीश्वर महंत अवैद्यनाथ की जन्म जयन्ती के अवसर पर दिनांक 28 मई 2024, गाँधी सभागार हिन्दुस्तानी एकेडमी उ.प्र., प्रयागराज में 'सामाजिक समरसता में नाथपंथ का अवदान' विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया गया।
- हिन्दुस्तानी एकेडमी के तत्वावधान में 1 जुलाई 2024, सोमवार को एकेडमी में राजर्षि पुरूषोत्तम दास टंडन की पुण्यतिथि के अवसर पर 'हिन्दी साहित्य में राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन का अवदान' विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया।
- हिन्दुस्तानी एकेडमी उ.प्र., प्रयागराज के तत्वावधान में 31 जुलाई 2024, गाँधी सभागार (हिन्दुस्तानी एकेडमी उ.प्र. प्रयागराज) में मुशी प्रेमचंद की जन्म जयंती के अवसर पर प्रेमचंद के साहित्यिक अवदान के संदर्भ में विचार' विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया।
- हिन्दुस्तानी एकेडमी उ.प्र., प्रयागराज के तत्वावधान में राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त जन्म जयंती दिनांक 03 अगस्त 2024 को "कवि-दिवस" के अवसर पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया।
- हिन्दुस्तानी एकेडमी, प्रयागराज के तत्वावधान में जयशंकर प्रसाद पर केन्द्रित दो दिवसीय 'जयशंकर प्रसाद के साहित्य में भारतबोध' विषयक संगोष्ठी दिनांक 21-22 अक्टूबर, 2024 को गाँधी सभागार को (हिन्दुस्तानी एकेडमी, प्रयागराज) में छः सत्रों में आयोजित किया गया।
- हिन्दुस्तानी एकेडमी, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के तत्वावधान में दिनांक 13 जनवरी, 2025 से 26 फरवरी 2025 तक 44 दिन की पुस्तक प्रदर्शनी एवं प्रतिदिन अलग-अलग कार्यक्रम महाकुम्भ 2025 के अन्तर्गत सेक्टर 1 में सूचना विभाग द्वारा आयोजित विभागीय प्रदर्शनी में आयोजित किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी

उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी देश की सर्वप्रथम उर्दू अकादमी है जिसकी स्थापना वर्ष में शासन द्वारा की गयी थी। इसका उद्देश्य उर्दू भाषा का प्रचार-प्रसार एवं साहित्य का संवर्धन है। समय-समय पर अकादमी के कार्यकलापों में उत्तरोत्तर वृद्धि होने के साथ साथ अकादमी के उद्देश्यों एवं योजनाओं को विस्तृत रूप देने के लिए शासन द्वारा अनुदान में निरन्तर वृद्धि की जाती रही है। उर्दू अकादमी की नवीन योजना के अन्तर्गत विगत नौ वर्षों से सिविल सर्विसेज की तैयारी हेतु उर्दू आई.ए.एस. स्टडी सेन्टर का संचालन भी किया जा रहा है, इसके अतिरिक्त उर्दू

मास कम्यूनिकेशन एण्ड मीडिया सेन्टर की भी स्थापना की गई है, जिसके द्वारा इलेक्ट्रानिक एवं प्रिन्ट मीडिया से सम्बन्धित कार्यों की शिक्षा दी जा रही है।

फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी

फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी का गठन सन 1976 में हुआ था। जिसका मुख्य उद्देश्य पूरे भारतवर्ष में उर्दू का विकास प्रचार-प्रसार करना व कौमी यज्ञ जाति को बढ़ावा देना है। कमेटी पूरे भारतवर्ष के उर्दू विद्वानों लेखकों कवियों द्वारा लिखी गई उनकी महत्वपूर्ण पांडुलिपियों के प्रशासन में आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा पूरे भारत के अधिकांशतः विश्वविद्यालय के कार्यों के लिए पुरस्कार सहायता प्रदान करती है। उर्दू विषय में टॉपर छात्रों व उर्दू से सम्बद्ध शोध कार्यों के लिए पुरस्कार सहायता स्वरूप प्राप्त धनराशि प्रदान कराई जाती है। सम्पूर्ण देश के उर्दू साहित्यकारों लेखकों आदि की पुस्तकों को प्रकाशित कराए जाने हेतु पर्याप्त सहायता दी जाती है।

●

स ाना ां ा ार

उत ार प्रदेश सरकार का सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग प्रदेश सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों, विकास योजनाओं तथा उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने और जनता की प्रतिक्रियाओं को सरकार तक पहुँचाने में एक सुदढ़ सेतु की भूमिका निभा रहा है सूचना विभाग यह कार्य मीडिया की विभिन्न विधाओं जैसे- प्रिंट मीडिया, इलेक्टानिक मीडिया, प्रदर्शनी, होडिंग एल.ई.डी. तथा गीत एवं नाट्य आदि के जरिए जनता तक पहुंचा कर सरकार और जनता के बीच एक प्रभावी समन्वयक की भूमिका निभाता है

शासनादेश दिनांक 30 नवम्बर, 1946 के ारा सूचना निदेशालय की स्थापना की गयी इस विभाग की स्थापना का आशय यह था कि सरकार प्रेस के सम्पर्क में रहे और देखे कि प्रेस में भेजे जाने वाले शासकीय समाचार वास्तविक तथ्यों पर आधारित हों वर्तमान में विभाग का प्रमुख उद्देश्य शासन की जनोपयोगी नीतियों, कार्यकलापों को विभिन्न प्रचार-माध्यमों से आम जनता तक पहुंचाना तथा आम जनता की प्रतिक्रियाओं से सरकार को अवगत कराना है इस प्रकार यह विभाग सरकार व जनता के मध्य सम्पर्क-सूत्र के प में कार्य करता है

सूचना क्रांति के इस युग में, जबकि संचार माध्यम बहुत सशक्त एवं आधुनिक तकनीक पर आधारित हो गये ह और सूचना प्रे ाण की गति अत्यधिक तेज हो गयी है, सूचना विभाग का कार्य-दायित्व और मह व बहुत अधिक बढ़ गया है

विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं, रेडियो, टी.वी. दूरदर्शन, फिल्म, डिजिटल डाक्यूमेंटी, होडिंग एल.ई.डी., प्रदर्शनी, गीत एवं नाट्य तथा प्रेसनोट के माध्यम से यह विभाग सरकार की जनहितकारी नीतियों एवं निर्णयों को विभिन्न स्व पों में जन-जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है यह विभाग विभिन्न प्रचारपरक प्रकाशनों ारा सरकार की नीतियों, संकल्पों, प्रतिबद्धताओं तथा उपलब्धियों की विस्तत एवं प्रामाणिक जानकारी आम जन तक पहुंचाता है, साथ ही ऐसे विचारपरक प्रकाशन भी करता है, जो जनचेतना को विकसित कर सकें

देश में और विशे ा प से उत ार प्रदेश में, ल ु एवं मध्यम समाचार-पत्रों की जहां एक ओर संख्या बहुत अधिक है, वहीं दूसरी ओर इनकी अपनी अनेक सम या ं ाि हैं। सूचना विभाग का अधिकतम प्रयास यह रहता है कि सभी समाचार-पत्रों एवं पत्रकारों के लिए यथा-संभव सुविधायें उपलब्ध हो सकें, ताकि उनकी कार्य-प्रणाली में अधिक गतिशीलता आये और वे अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से समाज को एक सकारात्मक दिशा दे सकें

वर्तमान में सूचना-संकलन एवं इसको अ ातन रखने के साथ-साथ संदर्भ के प में इसके सार्थक उपयोग हेतु इसे जहां संरक्षित किया जाना आवश्यक है, वही सूचनाओं को प्राप्त करने एवं उनके तत्काल

प्रे ाण की व्यवस्था का भी मह व है समय से सूचना न मिलने के कारण उसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती है इस उद्देश्य से ही विभाग को कम्प्यूटरीकत किया गया है इस दिशा में अभी तक लखनऊ स्थित मुख्यालय, मा मुख्यमंत्री सूचना परिसर,सूचना ब्यूरो एवं राज्य सूचना केन्द्र, नई दिल्ली तथा जनपदीय कार्यालयों में कम्प्यूटर स्थापित कराये जा चुके ह और देश के सभी भागों में ई-मेल ारा समाचार व चित्र त्वरित गति से प्रे ित किये जाते हैं।

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग की संरचना कु इस प्रकार से की गयी है कि सरकार की नीतियों, योजनाओं तथा कार्यक्रमों की जानकारी आम जनता तक सीधे पहुंच सके, ताकि वह जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त कर सके

लखनऊ स्थित मुख्यालय ारा विभिन्न जनसंचार माध्यमों से समाज के आखिरी व्यक्ति तक सूचनाएं पहुंच सकें, इस निमित ा पत्र सूचना शाखा तथा मा मुख्यमंत्री सूचना परिसर से प्रेस वि ाप्तियों के अतिरिक्त लेख, फीचर आदि जारी किये जाते ह पारम्परिक जन संचार माध्यम, गीत एवं नाट्य, प्रदर्शनी आदि के माध्यम से दूरस्थ ग्रामीण जनता तक क्षेत्रीय लोक शैलियों के जरिए मनोरंजन करते हुए नाटकों, पकों और सांस्कतिक कार्यक्रमों ारा प्रचार-प्रसार कर कल्याणकारी नीतियों के जनहितकारी संदेश आम जन तक पहुंचाया जाता है फिल्म के माध्यम से भी आम जन को शासन ारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं से अवगत कराया जाता है होडिंग एवं एल.ई.डी. के माध्यम से भी प्रमुख योजनाओं और अ ातन उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाता है फोटो-फिल्म प्रभाग ारा नियमित प से प्रायः सभी मह वपूर्ण कार्यक्रमों से सम्बन्धित फोटो समाचार पत्रों, दूरदर्शन एवं इलेक्टानिक मीडिया को प्रकाशनार्थ एवं प्रसारणार्थ भेजा जाता है

प्रकाशन प्रभाग ारा तीन नियमित मह वपूर्ण मासिक पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती ह, जिनमें विकास परक उत ार प्रदेश संदेश साहित्य, संस्कति और विचार की साहित्यिक पत्रिका उत ार प्रदेश मासिक विशे ा प से उल्लेखनीय ह उर्दू अदब की नया दौर अत्यधिक लोकप्रिय पत्रिका है इनके अतिरिक्त सरकार के कार्यालयों दूरभा ा की उपलब्धियों की संदर्भ पुस्तक उत ार प्रदेश वार्ि ाकी तथा शासन के कार्यालयों दूरभा ा की सूचना से युक्त सूचना डायरी सूचना निदर्शनी का भी नियमित प्रकाशन किया जाता है इसके अतिरिक्त समय-समय पर सरकार के अन्य कार्यक्रमों, उपलब्धियों पर पुस्तकें, प्रसार सामग्री प्रकाशित की जाती है

प्रेस प्रभाग ारा पत्रकारों के कल्याणार्थ अनेक योजनाएं संचालित की जा रही ह समाचारों के संकलन की सुविधा हेतु प्रेस मान्यता प्रदान कर प्रेस कार्ड निर्गत किये जाने की व्यवस्था है सचिवालय एनेक्सी तथा लोक भवन में मीडिया सेन्टर संचालित है, जो विविध पों से पत्रकारगणों को सुविधा प्रदान करता है

समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों को सचिवालय प्रवेश पत्र उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था प्रेस प्रभाग ारा की जाती है मान्यता प्राप्त पत्र प्रतिनिधियों को उत ार प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ारा बसों में रियायती यात्रा सुविधा तथा सरकारी कर्मचारियों की तरह उन्हें तथा उनके परिवार को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है

वि ापन प्रभाग ारा प्रचार-प्रसार हेतु समाचार पत्रों को समय-समय पर सजावटी एवं वर्गीकत वि ापन निर्गत किये जाते ह निरीक्षा शाखा ारा समाचार पत्रों की वि ायवार कतरनों को प्रतिदिन मा. मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगणों तथा सम्बन्धित विभाग के सचिवों को भिजवाये जाने की व्यवस्था है, ताकि मीडिया ारा प्रकाश में लाए गये वि ायों पर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके साथ ही समाचार पत्रों की प्रतिदिन निरीक्षा भी की जाती है

राज्य सूचना केन्द्र, हजरतगंज तथा संदर्भ शाखा ारा मान्यता प्राप्त पत्रकारों की सुविधा के लिए संदर्भ सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है फिल्म नीति के अन्तर्गत गठित फिल्म बन्धु के माध्यम से प्रदेश में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहन देने और स्थानीय प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करने हेतु व्यवस्था की गयी है

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के लखनऊ स्थित मुख्यालय के अतिरि क्षेत्र प्रचार संगठन के अन्तर्गत प्रदेश के 75 जनपदों में से समस्त जनपदों में जिला सूचना कार्यालय संचालित ह, जो स्थानीय स्तर पर शासन की नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार, मुख्यालय से प्राप्त निदशों के अनुसार करते ह जनपद स्तर पर प्रदर्शनी, गीत एवं नाट्य के कार्यक्रमों, प्रेस वि ाप्तियों तथा लेख फीचर आदि ारा प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाता है जिला स्तरीय ये इकाइयां जिलाधिकारी के निदशन में स्थानीय आवश्यकताओं के अनु प मीडिया प्लान बनाकर सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं और उपलब्धियों का समुचित प्रचार-प्रसार करती ह लाल बहादुर शा ी भवन, एनेक्सी तथा लोक भवन में प्रचार-प्रसार के आधुनिक संसाधनों से लैस मीडिया सेण्टर है जिसमें प्रेस कान्फ्रेन्स आयोजित करने के लिए सभागार, पुस्तकालय तथा पत्रकारों के लिए समाचार भेजने हेतु एक अत्याधुनिक कम्प्यूटर म जो इण्टरनेट आदि की सुविधा से यु है, स्थापित है यह मीडिया सेण्टर अपने आप में एक अनूठा एवं मीडियाकर्मियों के लिए सुविधाजनक मीडिया स्थल है इसके अतिरि इलेक्टानिक चैनल्स पर उ ार प्रदेश से सम्बन्धित प्रसारित होने वाले समाचारों की रिकार्डिंग आदि का कार्य इलेक्टानिक मीडिया सेल ारा किया जाता है जिसे और अधिक सु ढ़ करने की कार्यवाही की जा रही है

िभागीय काय-कला ों का ि ारण

ात्र स ाना शाखा

सरकार की नीतियों कार्यक्रमों, योजनाओं. उपलब्धियों त ा ो ाणाओं की जानकारी विभिन्न प्रचार माध्यमों, समाचार-पत्र, इलेक्टानिक मीडिया, दूरदर्शन, आकाशवाणी आदि ारा जनता तक पहुँचाने का कार्य पत्र सूचना ा ा का है स ा ा ारा प्रेस नो ले ा ी र त ा समीक्षात्मक आले ा समय समय पर जारी किये जाते हैं। वतं ता दिवस गणतन्‍ दिवस त ा अन्य वि ो ा अवसरों पर स ा ा ारा वि ो ा ले ा रा ण्ड अप आदि हिन्दी अंग्रेजी त ा द में क सा ा जारी किये जाते हैं। अप्रैल से अब तक कुल वि ितिया जारी की गयीं। समें हिन्दी में द में प्रेस वि ितियों त ा ले ा जारी किये गये। प्रेसनो वि ो ा ले ा आदि हिन्दी रा ीय समा ार प ों आका ावाणी दरद ान त ा समा ार ैनलों को प्रका ाना ा प्रसारणा ा ोजे गये। प्रदे ा में द ा ी जनता को यह जानकारी समु ित प से पल ा कराने का दायित्व वि ााग की द ा ा निवहन करती है। स ा ा में ाापित द यनि ारा प्र ार सामग्री का द अनुवाद किया जाता है। सरकार की वि ितियों व संद ा ि ों को वेबसा पर अपलोड

करने के सा ा ही समा ार प ों को प्रेस नो मेल के मा यम से ोजने का काय ी सी ाा ारा किया जाता है। यह प्र ाग सम त ासकीय प्र ार प्रसार सामग्री को तैयार करने में ी अपनी ामिका का निवाह करता है।

म मं ी स ना रिसर

मु यमं ी स ना परिसर ारा मा मु यमं ी जी के कायक्रमों से स बन्ि त प्रेस वि तियां ले ानिक त ाा प्रिन् मीडिया को विान्नि सं ार मा यमों से पल ा करायी जाती हैं। सके अतिरि त मा मु यमं ी जी के पयोगा ा ााण त ाा नकी ओर से ोजे जाने वाले संदे ा ी तैयार किये जाते हैं। मा मु यमं ी जी के कायक्रमों की प्रेस वि तियों व ो ों को वि ाागीय वेबसा पर अपलोड ी कराया जाता है। मु यमं ी स ना परिसर ारा मा मं परि ाद के निणयों के प्र ार प्रसार का दायित्व निवहन ी किया जाता है।

प्रेस प्रभाग

शासन एवं पत्रकारों के मध्य समन्वय स्थापित करने एवं श्रमजीवी पत्रकारों को समाचार संकलन की सुविधा उपलब्ध कराकर शासन की नीतियों का प्रभावी प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने में सहायता देने के उद्देश्य से प्रेस प्रभाग ारा निम्नलिखित कार्य किये जाते ह-

मीडिया प्रतिनिधियों को प्रेस मान्यता मार्गदर्शिका 2008 के प्रावधानों के अंतर्गत शासन ारा राज्य मुख्यालय और जनपद स्तरीय मान्यता प्रदान करके पत्रकारों को राज्य मुख्यालय तथा प्रदेश के सभी जनपदों में प्रेस मान्यता कार्ड जारी किये जाते ह इन काडा से पत्रकारों को समाचार संकलन के उद्देश्य से विभिन्न स्थानों पर आने-जाने की सुविधा राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा तथा रियायती दरों पर रेल यात्रा की सुविधा प्राप्त होती है जिला तरीय मान्यता प्राप्त पत्रकारों को सरकारी कर्मचारियों की भांति राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधा भी प्राप्त होती है राज्य मुख्यालय पर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को एस.जी.पी.जी.आई. में भी निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध है

सभी जिलों में पत्रकारों तथा जिला प्रशासन के बीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय स्थायी समिति का गठन किया जाता है जिसके सदस्य सचिव संयोजक जिला सूचना अधिकारी होते ह यह समिति समय-समय पर बैठकें आयोजित करके पत्रकारों से उत्पीड़न से सम्बन्धित शिकायतों पर विचार करती है और यदि कोई शिकायत उच्च स्तरीय जांच के लिए भेजी जाती है, तो प्रेस प्रभाग ारा उसमें कार्यवाही की जाती है पत्रकारों ारा सीधे भी यदि कोई शिकायत प्रेस प्रभाग में प्राप्त होती है, तो उसका निस्तारण किया जाता है

महामहिम श्री राज्यपाल, मा. मुख्यमंत्री, मंत्रीगण तथा अन्य विशि व्य ियों और अतिविशि व्यक्तियों ारा आहूत पत्रकार सम्मेलन पत्रकार-भ्रमण आदि के लिए अतिथ्य सत्कार की व्यवस्था भी प्रेस प्रभाग ारा की जाती है

मा मु यमं ी जी की ो ाणा के क्रम में आयु मान ारत प्र ानमं ी जन आरो य योजना के अन्तगत प कारों के परिजनों को ला ा की ि कित्सा सुवि ा प्रदान किये जाने हेतु निदे ा प्रदान किये हैं।

प्रेस से स बन्ि त अन्य आकि मिक काय ी प्रेस प्र ाग ारा स पादित कराया जाता है।

ि ाा ान प्रभाग

सरकार की नीतियों पलि ायों योजनाओं वं विकास कायक्रमों के यापक प्र ार प्रसार की आव यकता वं काय की महत्ता को दृ ि गत र ाते हु समा ार प ों से समय समय पर सजाव ी वगीकृत वि ापन प्रका ित कराये जाते हैं।

1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च 2024 तक कृ ि वि ााग रा ीय वा य मि ान प्र समाज क याण वि ााग जिला पं ायत प्राणी ान प ुपालन वि ााग पुलिस वि ााग प्रावि ाक ि ाक्षा प्रसार ि ाक्षा म आयु त कायालय राज्य योजना आयोग राज्य पि ड़ा वग आयोग राज्य नियोजन सं ाान राज्य पुरातत्व वि ााग राज्य ौक्षिक अनुसं ाान केन्द्र राज्य स पत्ति अनु ााग राजकीय मुद्रणालय राजकीय प ु ान वं कृ ि केन्द्र ोग वि ााग प्र वन निगम न्यायालय अ ि स ना वि ााग अ प सं यक क याण प्र स ि वालय प्र ाासन ि ाक्षा वन वि ााग परिवहन वि ााग बेसिक ि ाक्षा राज्य स पत्ति वि ााग राज व परि ाद प्र रे ाम निदे ाालय सं कृति वि ााग सं ाागत वित्त वं सवहित बीमा निदे ाालय समाज क याण वि ााग परिवार क याण वि ााग लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, मु यमं ी कायालय कम ारी राज्य बीमा योजना म ि कित्सा वं वा य सेवायें ि ाक्षा वं प्रि ाक्षण वि ााग जिला ाकारी कायालय कारागार प्र ाासन वं सु ाार सेवायें केन्द्रीय कारागार म नि ो ा वं समाजो ाान महाले ााकार मा यमिक ि ाक्षा परि ाद को ाागार मु य विकास अ ाकारी कायालय मुद्रण वं ले ान सामग्री म य वि ााग मनोरंजन कर वि ााग प्र सिं ा वि ााग विकलांग क याण वित्तीय प्रब ा वं बज भूमि अध्याप्ति, ातत्व वं ानिकम वि ााग पं ायती राज पी सी प ु जैविक औ ाि सं ाान शिक्षा, ऊर्जा, दुग्ध विकास, अवस्थापना विकास. न सी सी य पी रल रोड डेवलपमें जेन्सी ोल वि ााग प्र क्षे ीय आयुवेदिक वं यनानी सेवायें बीमा निदे ाालय महिला क याण वं बाल विकास वि ााग एवं अन्य विभागों के कुल 24,898 वगाकत एवं 482 ाी ाकीय वि ापन जारी किये गये ह

क्षेत्र प्र ाार प्रभाग

सरकार के विकासपरक कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों को जन-जन तक पहुँचाने तथा मीडिया एवं जिला प्रशासन विभिन्न इकाइयों के माध्यम से जिला स्तर पर जनता से सीधा सम्पर्क बनाये रखने के उद्देश्य से प्रदेश के समस्त 18 मण्डलों वं 75 जनपदों में क्रम ा मण्डलीय त ाा जिला सूचना कार्यालय स्थापित ह। जिला स ना कायालय ारा जनपदों में मा मु यमं ी जी मा मं ी जी व जन प्रतिनि ायों आदि की ्रमण स ब ाी वि ान्न कायक्रमों के प्र ार प्रसार के सा ा ही सरकार की योजनाओं त ाा पलि ायों के यापक प्र ार प्रसार को प्रिं वं ले ानिक मीडिया को अपने तर से प्रेस नो जारी करते हैं।

स ना वं जनस पक वि ााग के ल ान ि ात मु यालय के अतिरि त क्षेत्रीय प्रचार संगठन जनपद तर पर तैनात अ ाकारियों ारा सरकार की नीतियों कायक्रमों और पलि ायों का प्र ार प्रसार मु यालय से प्रा त निदे ाों के अनुसार करते हैं। जनपद तर पर प्रद ानियों गीत वं ना य के कायक्रम प्र ार गो ठियों होडिं स ल डी प्रेस वि ा ितयों त ाा ले ा ी र स लता की कहानी आदि ारा ाी प्र ार प्रसार सुनि ि त किया जाता है। मण्डल वं जिला तरीय त का यां

जिला ाकारी के निदे ान में ाानीय आव यकताओं के अनु प मीडिया लान बनाकर सरकार की नीतियों कायक्रमों योजनाओं और पल ायों का समु ित प्र ार प्रसार करती हैं।

जनपदीय इकाइयों को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जनपदों में सी.यू.जी., कम्प्यूटर प्रिंटर तथा फोटो कापियर, फैक्स, कैमरा वीडियो कैमरा, इनवर्टर एवं प्रचार वाहन आदि उपकरण उपलब्ध कराये गये ह सभी कार्यालय इंटरनेट के माध्यम से मुख्यालय से जोड़े गये ह परिणाम स्व प जिलों से संबंधित मह वपूर्ण ाटनाओं पर आधारित दैनिक एस.एम.एस. व पाक्षिक ीडबैक रिपोर्ट नियमित प से प्राप्त होती है

वतमान में मा मुख्यमंत्री जी की ाो ाणा के क्रम में अयो या में मण्डल के जिला मु यालय में अंतरा ीय मीडिया सेन् र की ाापना की ग है त ाा मण्डल गोर ापुर के जिला मु यालय में जिला स ना कायालय ावन केन्द्र त ाा प्रेस लब का निमाण कराया गया है। सके अतिरि त जनपद ााहजहापुर ि क सि ा ानगर में जिला स ना कायालय ावन केन्द्र त ाा प्रेस लब का संयु त निमाण काय कराया जा रहा है।

परो त के अतिरि त अन्य जनपदों में ाी जिला स ना कायालय के लि ाायी संयु त स ना संकुल ावन बनवाने के लि प्रयास किये जा रहे हैं।

स ाना यरो

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के सूचना ब्यूरो ारा प्रचार-प्रसार के माध्यम से जनता को प्रदेश सरकार की नीतियों, जनकल्याणकारी कार्यक्रमों, विकास योजनाओं उपलब्धियों की समुचित जानकारी करायी जाती हैः-

- हिन्दी, अंग्रेजी के प्रेस नोट
- प्रदेश सरकार के बजट हाईलाइट्स हिन्दी अंग्रेजी व द में तैयार करना
- प्रदेश के विकास एवं जनता के कल्याण से सम्बन्धित फीचर एवं लेख तैयार कराकर प्रकाशित करना
- डिजि ल वेब ले ानिक सं ार मा यमों ारा प्र ार प्रसार किये जाने हेतु प्र ार सामग्री पल ा कराना।
- स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस एवं गाँधी जयंती जैसे रा टीय पर्वों को मनाये जाने संबंधित शासनादेश का आलेख तैयार करना
- विभागीय पुस्तिकाओं, पम्फलेट आदि को तैयार करने हेतु आधार सामग्री उपलब्ध कराना

ाामीण प्रसारण शाखा-आकाश ाणी, लखन

विधान सभा मार्ग आकाशवाणी परिसर स्थित ाामीण प्रसारण शाखा (सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, त्तर प्रदे ा) का मुख्य ददे य केन्द्र प्रदेश एवं सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को रेडियो प्रसारण के माध्यम से जन सामान्य तक पहुँचाना है ताकि आम जनता सरकार की नीतियों से भली भाँति परिचित हो सके और नका लाभ ठाकर अपने जीवन तर में सु ाार कर सके।

इसी कड़ी में अनुभाग ारा आकाशवाणी से दो कार्यक्रम क्रमशः लोकायतन ग्रामीण कायक्रम ााम

6.30 से 6.50 बजे त ा मजदर मण्डल (औ ोगिक कार्यक्रम) ाम 5.45 से 6.20 बजे तक प्रसारित कि जाते हैं। न कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश में चल रही कल्याणकारी योजनाओं और कायक्रमों की जानकारी दी जाती है ताकि अ िक से अ िक लोग नका ला ा लेकर आत्मनि ार बन सकें। साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से भेंटवार्ताएं कर सफलता की कहानी भी प्र तुत की जाती है जिससे अन्य लोग प्रेरित होकर योजनाओं का ला ा ठाने के लि आगे आ ं।

न कार्यक्रमों के अन्तगत महिला शिक्षा और सुरक्षा, बालश्रम उन्मूलन, उपभो ा संरक्षण, पार्यावरण सुरक्षा, पर्यटन, कौशल विकास मिशन, तकनीकी प्रशिक्षण, वद्धजन कल्याण, रा ीय ामीण आजीविका मिशन, शहरी आजीविका मिशन, बुनकर कल्याण, शिक्षा का अधिकार, खा ा प्रसंस्करण उ ोग, औ ोगिक नीति, निर्यात प्रोत्साहन, ल ु उ ोग विकास, खादी ामो ोग, मतदाता जाग कता अ ियान, न ा न्मलन अ ियान प स पोलिया अ ियान सड़क सुरक्षा अ ियान अल्पसंख्यक कल्याण योजना, प्र ानमं ी मातृत्व वंदना योजाना मु यमं ी जन आरो य योजना गंगा हरीतिमा अ ियान मि ान न्द्र ानु ा व तु वं सेवा कर GST दीनदयाल पा याय ग्राम ज्योति योजना महात्मा गां ी रा ीय ग्रामीण रोजगार गारं ी अ ानियम MGNREGA व ारत मि ान सव िक्षा अ ियान पी म पो ाण योजना अनुस ि त जाति जनजाति विकास कायक्रम प्र ानमं ी जन ान योजना सबका सा ा सबका विकास सबका वि वास प्र ानमं ी रोजगार सृजन कायक्रम मेक न ंडिया बे ी ब ाओ बे ी पढ़ाओ क ारत े ठ ारत सा बर अपरा ा से ब ाव अ ियान ारत नेपाल मै ी कायक्रम नमामि गंगे मा सि ी मि ान अ ल नवीनीकरण और ाहरी परिवतन मि ान AMRUT प्र ानमं ी आवास योजना दीनदयाल पा याय मेव जयते कायक्रम प्र ानमं ी जन औ ा ि योजना प्र ानमं ी मुद्रा योजना प्र ानमं ी सल बीमा योजना गरीब क याण योजना पी म कुसुम योजना डिजि ल ंडिया ा अप ंडिया ि किल ंडिया प्र ानमं ी रोजगार प्रोत्साहन योजना जन ान ाता ारकों के लि बीमा योजना ज्वला योजना प्र ानमं ी मयोगी मान ान योजना प्र ानमं ी किसान स मान नि ि योजना अ ल पें ान योजना प्र ानमं ी डिजि ल वा य मि ान रा ीय बाल सुरक्षा मि ान ग्रीन नजी मि ान और प्र ानमं ी नवा ार प्रोत्साहन योजना को प्रसारित किया जाता है।

न स ी योजनाओं के बारे में जानकारी देने के लि वाता ों वाता प्रतिि ठत य ितयों से बात ीत संदे ा आदि प्रसारित कि जाते हैं। सा ा ही कायक्रम को रो क बनाने के लि समें संगीत पक ना क नौ ंकी लोकगीत कविता कहानी और परि ा को ी ामिल किया जाता है।

राज्य स ाना केन्, लखन

ल ान नगर में जि ासु त ा ले ान में ि र ाने वाले नागरिकों वं नके परिवारों की अ ि ि को यान में र ाते हु हजरतगंज में क बहुआयामी तरीय राज्य स ना केन्द्र ापित है। राज्य में विकास संबं ी गतिवि ियों को यापक प्र ारित प्रसारित करने के लि ल ान में यह राज्य तर का केन्द्र है। दुल ा संद ा ग्रन् ों के पल ा होने से स केन्द्र का पु तकालय जहा िक्षारत ो ा ियों के लिये ला ाप्रद है वहीं नमें अ ानियम रिपो स गज वं गजे ियर त ा अन्य विवरण जनता के पयोगा ा पल ा है।

स केन्द्र के पु तकालय में स ी वि ायों पर आ ारित लग ाग हजार पु तकों का संकलन है। पु तकालय की लग ाग हजार पु तकों की डा ा ी क य र में की गयी है। सके ल व प अब पु तकालय में पु तकों की पयोगिता बढ़ी है वहीं सद यों वं आगन्तुकों को क य र में दज पु तकों की जानकारी तुरंत प्रा त हो जाती है। केन्द्र के वा नालय में हिन्दी द बं ला त ा अंग्रेजी ा ा के समा ार प वं स ी आयु वग के पाठकों के लिये प का ं आती है। राज्य तर का यह क ेसा पु तकालय है जहा ो ा ायों वं िक्षा प्रा त कर रहे वि ा ायों हेतु प्रतियोगिता से स बन्ि त अनेक पु तकें प का ं पल ा हैं।

स केन्द्र के पु तकालय व वा नालय में आगन्तुकों पाठकों व सद यों के बैठने अ ययन करने के लिये वि ो ा यव ा पल ा है। ब ों के लिये बाल साहित्य के सा ा सा ा राज्य की कला सं कृति त ा विकास कायक्रमों के प्रद ान के लि ेलीविजन की सुवि ा पल ा है।

राज्य स ना केन्द्र के प्रेम न्द्र कक्ष में िक्षा प्रा त कर रहे वि ा ायों के लिये प्रतियोगिता से स बन्ि त पु तकों वं प काओं की यव ा है। राज्य स ना केन्द्र का वा नालय प्रात से सायं बजे तक लगातार ुला रहता है जबकि पु तकालय की सुवि ा पवाहन बजे से सायं बजे तक पल ा करा जाती है। राज्य स ना केन्द्र ारा स ना वं जनस पक निदे ालय के वि ान्न प्रका ानों को आम जनता के पयोगा ा र ा जाता है जिससे सरकार की नीतियों का प्र ार प्रसार किया जा सके।

राज्य स ना केन्द्र के सद यों आगन्तुकों वं पाठकों को आव यकता अनु प केन्द्र को अ िक यापक बनाने पर वि ाग ारा य ो ि त कदम ठाये जा रहे हैं।

प्रकाशन शाखा-

प्रकाशन ा ा ारा प्रचार-साहित्य के माध्यम से आम जनता को प्रदेश सरकार की नीतियों, जनकल्याणकारी कार्यक्रमों, विकास योजनाओं तथा उपलब्धियों की समुचित जानकारी उपलब्ध करायी जाती है इस शाखा ारा सावधि प्रकाशनों के साथ ही प्रचार-पुस्तिकाएं, फोल्डर, का ी ेबल बुक पुस्तकें आदि प्रकाशित कराये जाते ह इसके साथ ही वि ार परक प्रकाशन एवं मा. मुख्यमंत्री जी के चुने हुए भा ाण भी प्रकाशित किये जाते ह

नियमित प से प्रकाशित होने वाली साहित्यिक पत्रिका **उत्तर प्रदेश** (हिन्दी मासिक), **नया दौर** (उर्दू मासिक) त ा विकासपरक प का **उत्तर प्रदेश संदेश** (हिन्दी मासिक) तथा वि ाग के महत्वपण प्रका ा **ां स ना ा री** का प्रका ान किया जाता है।

लोक आयु त वा ाक प्रतिवेदन नामक प का।

त्तर प्रदे ा न्वे समि नामक पु तक।

पुण्य ामि ान्य ामि वं ा य न य अयो या नामक ो डर से रवा स ।

मा मु यमं ी जी के ा ाणों का संकलन नामक पु तक।

नीति आयोग की ासी परि ाद की नौवीं बैठक न दि ली नामक पु तिका।

हमारा राज ावन नामक पु तक।

राज्यपाल स मेलन पु तक।

ाा ानादे ा अग त अ बर त ाा जनवरी ।

स ा सैन्य समारोह रा ाोज काड।

त्तर प्रदे ा सरकार की पल ायों पर आ ाारित ो डर।

Key Features of Budget 2024-25 बज की मु य वि ो ाता ो डर।

रजि ार म सोसाय ी और ि स त्तर प्रदे ा नामक पु तक।

लोकहित के मु ार वर ाण्ड नामक पु तक।

अन्त्योदय से सवोदय नामक ो डर।

ाांति सुरक्षा सु ाासन नामक ो डर।

मि ान ाि त नामक ो डर प ले ।

ि म नीति त्तर प्रदे ा नामक पु तक।

संवि ाान दिवस आमं ण काड लि ा ा।

त्तर प्रदे ा डायल आपात सेवायें नामक ो डर।

लोकायु त त्तर प्रदे ा वा ाक प्रतिवेदन नामक पु तक।

ेय अ ल बिहारी बाजपेयी जी जन्म ाता दी समारोह काड लि ा ा।

महाकु ा मीडिया पास डय ी पास वं डोरी।

बैग महाकु ा प्रयागराज ज ।

वदे ाी गौ पालन को प्रोत्साहन नामक प ले ।

विवि ाता का वै ाव नामक पु तक।

प्र दु ा ााला वं दु ा त्पाद प्रोत्साहन नीति नामक ो डर।

महाकु ा सनातन का अमृत नान नामक बुकले ।

महाकु ा प्रयागराज दि यता की प्र तावना नामक बुकले ।

महाकु ा दि द ाका नामक पाके बुक।

व सुरक्षित वं सु यव ाित महाकु ा नामक ो डर।

महाकु ा कांलिग नामक ो डर।

ेबल कैलेण्डर महाकु ा ।

अमृत नान महाकु ा प्रयागराज नामक हाड बा न्ड हिन्दी अंग्रेजी का ी ेबल बुक।

महाकु ा नामक कैलेण्डर।

पेन् मा सि ी नामक कैलेण्डर।

सनातन गव महाकु ा पव पर आ ारित सात प्रकार कैलेण्डर।

सनातन गव महाकु ा पव पर आ ारित तेरह प्रकार पो र।

डबल ंजन की सरकार के साढ़े सात व ा नामक हिन्दी अंग्रेजी बुकले ।

स ना पं ाग ।

महाकु ा प्रयागराज नामक पु तक।

मा मुख्यमंत्री रिकार्ि ग यनि

माननीय मुख्यमंत्री जी के भा ाणों के ध्वन्यांकन हेतु गठित यह इकाई भा ाणों की रिकार्डिंग के पश्चात् भा ाणों को लिप्यांतरित कर उन्हें सम्पादित करती है मीडिया के विभिन्न लोगों ारा लिये जाने वाले मा. मुख्यमंत्री जी के साक्षात्कारों तथा उच्चादेशों से अन्य मह वपूर्ण बैठकों, गोि यों की सम्पूर्ण रिकाडिग कराकर उन्हें लिप्यांतरित किया जाता है इसके अतिरिक्त अन्य मह वपूर्ण अवसरों पर प्रचार-प्रसार की ि से विशि व्यक्तियों से लिये गये साक्षात्कार एवं रिपोर्ट आदि भी लिप्यांतरित कर संदर्भ के तौर पर सुरक्षित रखे जाते ह

मा. मुख्यमंत्री जी के सभी भा ाणों को रिकाडिग के पश्चात लिप्यांतरित करके सम्पादन के बाद संदर्भ साम ी के प में सुरक्षित रखा जाता है, साथ ही मह वपूर्ण एवं नीतिगत भा ाणों को ांटकर उनका प्रकाशन भी करवाया जाता है पत्रकारों, संबंधित विभागों के उच्चाधिकारियों एवं वि ि संस्थाओं ारा मांग किए जाने पर भा ाणों की प्रति एवं उनसे संबंधित कैसेट एवं आडियो सी.डी. उपलब्ध करवाई जाती है इसके अतिरि ि मा. मुख्यमंत्री जी के भा ाणों से मुख्य एवं मह वपूर्ण अंश संकलित कर उनका प्रयोग उ ार प्रदेश सन्देश एवं विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रचार माध्यमों के ारा किया जाता है

व ा 2024-25 में मा. मुख्यमंत्री जी के लगभग 214 भा ाण रिकार्ड हुए, जिनको लिप्यांतरित और सम्पादित किया गया

गी ा ं ना य प्रभाग

इस योजना के अन्तर्गत सांस्कतिक कार्यक्रमों यथा- विरहा, आल्हा, भजन, कव्वाली, कठपुतली, नत्य, क्षेत्रीय लोकगीत, जादू, नाटक, नौटंकी आदि विधाओं ारा शासन की नीतियों, निर्णयों एवं उपलब्धियों का विभिन्न स्थानीय बोली तथा भा ा के मा यम से स ना वि ाग में पंजीकृत सांस्कतिक दलों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों के सुदूर ामीण अंचलों तक प्रचार-प्रसार किया जाता है

वित्तीय व ा में गीत ना य प्र ाग में कुल पंजीकृत वि ान्न सां कृतिक दलों य ा ना क नौ ंकी वृहद वि ान्न वि ा पवों सां कृतिक दल ल ु सां कृतिक दल लोकगीत ाजन क वाली आ हा जाद वं पपे के मा यम से केन्द्र सरकार प्रदे ा सरकार की नीतियों निणयों वं पल ा यों का प्र ार प्रसार जिला तहसील लाक त ा सुदर ग्रामीण में कराया गया है।

दिनांक से तक पंजीकृत सां कृतिक दलों ारा कायक्रम परे प्रदे ा में कराये गये हैं। स मा यम से सरकार की वि ान्न जनहितकारी नीतियों निणयों वं पल ा यों मु यमं ी सामहिक विवाह योजना मु यमं ी कन्या सुमंगला योजना प्र ानमं ी किसान

स मान नि ि योजना प्र ाानमं ी ज्वला योजना हर ार नल से जल योजना आदि का प्र ार प्रसार प्रदे ा के सम त जनपदों में कराया गया है।

प्रदशनी

सूचना विभाग समय-समय पर ामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सरकार की नीतियों, उपलब्धियों आदि की जानकारी देने के लिए प्रदर्शनियों का आयोजन करता है प्रदेश की आम जनता को उनकी सांस्कतिक तथा विकास सम्बन्धी गतिविधियों की जानकारी एवं आपसी सद्भाव का संदेश प्रसारित करने के उ ेश्य से प्रदर्शनियों का आयोजन काफी उपयोगी सिद्ध हुआ है सरकार की प्रमुख नीतियों, उपलब्धियों, निर्णयों और भावी योजनाओं को आक कि चित्रों, कोलाज, पैनल, वकिग माडल एवं टांसलाइट के माध्यम से तैयार कराकर उसे जिलों में भी उपलब्ध कराया जाता है, ताकि मेलों तथा अन्य आयोजनों के अवसर पर प्रदर्शनी ारा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सरकार का संदेश पहुंचाया जा सके मुख्यालय ारा सांस्कतिक, ऐतिहासिक तथा रा ीय नेताओं एवं महान विभूतियों के कायो, चिंतन एवं जनहित में उनके क्रियाकलापों को ि गत रखते हुए प्रदर्शनी प्रभाग ारा उन पर नियमित प्रदर्शनी साम ी के माध्यम से प्रदेश में प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है

सके अतिरि त राम नवमी मेला, अयोध्या श्रावण मेला, देवा मेला बाराबंकी, ोटी दीपावली दीपोत्सव अयोध्या,अन्तर्रा ीय व्यापार मेला नई दिल्ली, प्रतापगढ़ में बाबा ु सरना ा ाम रा ीय रामायण मेला ि क मा ा मेला प्रयागराज गोरखपुर महोत्सव गोर ापुर, य पी दिवस वं अन्य महत्वपण अवसरों पर वि ान्न जनपदों में प्रद ानियों का आयोजन किया गया। नो डा गौतमबु नगर ेड ाो ल ान लोबल समि गोर ापुर वं अयो या में स ल वाहन प्रद ानी आयोजित की ग ।

ो ि ग्स ल ी

सरकार की नीतियों एवं उपलब्धियों, कार्यक्रमों एवं योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार विभिन्न माध्यमों से किया जाता है, जिसमें होडिग्स एक सश ्त माध्यम है इस माध्यम से शासन की जनकल्याणकारी नीतियों, निर्णयों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों को जनसाधारण तक व्यापक स्तर पर पहुँचाया जाता है प्र ार के स मा यम में होडिंग के अतिरि त वि ान्न प्रकार वं माप के ैण्डी बाल रैप यनीपोल ु ओवर ब्रिज ैण्डी बाल क ेन किया क पोल बोड आदि की ाापना करायी जाती है।

इसके अतिरिक्त सरकार की नीतियों, उपलब्धियों, कार्यक्रमों एवं योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु लखनऊ तथा प्रदेश के कई जनपदों में एल.ई.डी. वैन व डि पले बोर्ड की ाापना आव यकतानुसार करायी जाती है। सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों को वीडियो ि म डा यक्े ी के मा यम से आमजन तक पहु ाने के ददे य से ल डी वैन व डि पले बोड के मा यम से प्रचार-प्रसार कराया जाता है। इसके अतिरिक्त मा. मुख्यमंत्री जी वं अन्य अति वि ि महानु ाावों के महत्वपण कार्यक्रमों का ला व प्रसारण भी एल.ई.डी. डिस्पले बोर्ड एवं एल.ई.डी. वैन के माध्यम से कराया जाता है। ल डी वैन जनपदों ाहरों क बों त ाा ग्राम तर तक जाकर प्र ार का काय करती है।

रा ीय समारो

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग ारा प्रत्येक व ा गणतंत्र दिवस के अवसर पर उ ार प्रदेश की ओर

से दिल्ली परेड एवं मुख्यालय ारा लखनऊ परेड में भव्य झांकी प्रदर्शित करायी जाती है ये झांकियां उ ार प्रदेश की सांस्कतिक, ऐतिहासिक धरोहर तथा महापुरु ों की जीवनी, उ ोग धन्धे, महत्वपूर्ण तीर्थ ाान अ ावा विकास कार्यों पर आ ारित होती है। विगत पा व ों से वि ाग को पुर कार ी प्रा त हु हैं।

इस व ा गणतंत्र दिवस के अवसर पर दि ली में आयोजित परेड में **म ा ा िम ाार िरास ार ि स** के ी ाक से सम्बन्धित झांकी प्रदर्शित की गई, जिसमें त्तर प्रदे ा को जनता की वो िग में प्र ाम पुर कार प्रदान किया गया। इसी प्रकार लखनऊ में आयोजित परेड में **म ा ा ा रा** शी कि पर आधारित भव्य आक कि झांकी निकाली गई, जिसको ि तीय पुर कार प्रा त हुआ।

सामाजिक सौहाद वं कता की मिसाल हेतु अंजुमन सैर-ए-गुल फरोशा नामक संस्था ारा महरौली, दिल्ली में आयोजित फूल वालों की सैर में प्रतिव ा सांस्कतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। जिसमें देश के अनेक प्रान्त भाग लेते ह उ ार प्रदेश की ओर से सूचना विभाग ारा उ ा कार्यक्रम में सां प्रदायिक सद ावना वं एकता के प्रतीक स्व प एक पंखा सूफी संत हजरत ख्वाजा बख्तयार काकी के मज़ार पर तथा दूसरा पंखा पांडव कालीन योगमाया के मंदिर में चढ़ाया जाता है यह कार्यक्रम हिन्द मु लिम ाा ारे को प्रद ित करता है। कायक्रम में वि ाग को अनेक बार प्र ाम पुर कार प्रा त हु हैं।

अन्वे ाण ां अनुलेखन कक्ष

(सन्दभ ुस्तकालय)

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग में सन्दर्भ पुस्तकालय ाापित है, जिसमें कायालय अ िले ाानुसार लगभग 31,000 सन्दभाय मह व की पुस्तकें ह पुस्तकालय में प्रदेश एवं देश तथा अन्तर्रा ीय वि ायों पर आ ारित मह वपूर्ण सन्दर्भ पुस्तकें ह इयर बुक्स, आर्थिक एवं विकास संबंधी वि ायों पर पर्याप्त पुस्तकें ह साहित्य, संस्कति एवं कला क्षेत्रों से संबंधित मह वपूर्ण पुस्तकें भी पुस्तकालय में उपलब्ध ह गजेटियर, मास मीडिया, कम्प्यूटर, पत्रकारिता, इतिहास, बायो ााफीज आदि वि ायों पर पुस्तकों का बेहतर सं ाह है, जिसका लाभ शोधाथा ा ा ा ं महानु ााव वरि ठ प कार त्यादि पुस्तकालय स्टाफ के माध्यम से प्राप्त करते ह यह पुस्तकालय समय-समय पर वि ाागीय अ िकारियों कम ारियों को आव यकतानुसार संद ा सामग्री पल ा कराता है।

स ना वि ाग प्र के अन्तगत संद ा पु तकालय ारा किये गये कायों का विवरण नि नवत है

संद ा पु तकालय के प्रयोगा ा प्रतिव ा आवं ि त बज के अनुसार संद ीय महत्व की अ तन पु तकें क्रय की गयीं।

संद ा पु तकालय में विजी स य ाा अ िकारियों कम ारियों प कारों ले ाकों ो ाा ियों गणमान्य अति ि ायों पाठकों वं आगन्तुकों को नकी मांगानुसार पाठय वं यनित सामग्री की ो ाकापी त्यादि की सुवि ाा मुहैया करा ग ।

संद ा पु तकालय में नियमित प से आने वाले समा ार प ों हिन्दी अंग्रेजी वं पि काओं सा ताहिक पाक्षिक मासिक को पाठकों को नकी मांगानुसार पल ा कराना।

वा ािकी प्र हिन्दी वं अंग्रेजी सं करण में सि मिलित किये जाने वाली वि ािन्न वि ागों से प्रा त आ ाार ात सामग्री के स पादन प्र रीडिंग त्यादि का काय संद ा पु तकालय रा स पन्न किया गया। सी क्रम में वा ािकी प्र हिन्दी वं अंग्रेजी सं करण के प्रका ान की प्रक्रिया प्रगति पर है।

ाारत सरकार से नियमित प से प्रका ाित होने वाले संद ा ग्रन ा ाारत हिन्दी वं अंग्रेजी सं करण में सि मिलित किये जाने वाले प्र से स बन्ि ात अ याय को संद ाित प्र ााग से अ तन कराकर रिपो संद ा पु तकालय रा ािजवा जाती है। सी क्रम में ाारत - के प्रका ान हेतु प्र से संबंि ात रिपो अ तन कराकर ािजवा गयी।

प्रतिव ा की ाांति मास मीडिया न ण्डिया की रिपो अ तन कराकर ािजवा गयी।

ादे ा के क्रम में यनित पु तकों का ब क प ेज कर निकासी ाा ाा के मा यम से नका जिलों में वितरण कराया गया।

निरीक्षा शाखा के काय

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग का निरीक्षा प्रभाग सूचना सम्बन्धी काया का मह वपूर्ण प्रभाग है विभाग की यह शाखा शासन की प्रिण्ट मीडिया को फीडबैक उपलब्ध कराती है इस प्रभाग का कार्य सामान्यतः प्रातः 5.00 बजे से सायं देर तक दो पालियों में होता है प्रभाग रा त्तर प्रदे ा के सम त जनपदों दिल्ली वं अन्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाले सभी हिन्दी, अं ाेजी तथा उर्दू के प्रमुख समाचार पत्र पत्रिकाओं एवं रा ीय पत्र पत्रिकाओं की निरीक्षा (crutiny) की जाती है वं नमें प्रका ाित जन सम याओं त ाा सरकार से संबंि ात समा ारों सु ावों को तत्काल सरकार के सं ान में लाया जाता है।

निरीक्षा शाखा रा प्रदे ा में प्रका ाित सम त समाचार पत्र पत्रिकाओं की नियमितता आदि का कार्य प्रेस एण्ड रजिस्टेशन आफ बुक्स एक्ट-1876 के प्रावधानों के तहत किया जाता है

- निरीक्षा प्र ााग रा प्रतिदिन प्रात ाानीय वं सायं दि ली से प्रका ाित समा ारों की ि लपिं स की ा स बनाकर महामहिम ी राज्यपाल जी मा मु यमं ी जी मा प मु यमं ी जी सम त मा मं ीगण मु य सि व मा मु यमं ी जी के प्रमु ा सि व स ना गृह स ना निदे ाक सि व प्रमु ा सि व गृह आदि को पल ा करायी जाती है।
- प्रदे ा के सम त जनपदों से प्रतिदिन प्रका ाित समा ारों की ि लपिं स मेल रा मा मु यमं ी कायालय में ाि ाकारियों को पल ा करायी जाती है।
- दि ली के प्रमु ा समा ार प ों में प्रका ाित में प्रमु ा समा ारों की ि लपिं स को तैयार कर ाि ाकारियों को पल ा करायी जाती है।
- वि ािन्न समा ार प ों के पो ल पर प्रका ाित समा ारों की ि लपिं स के बं को तैयार कर ाि ाकारियों को पल ा करायी जाती है।

- प्र ााग ारा वि ो ा अवसरों पर स पन्न कराये ग कायक्रमों के स बन ा में बुकले तैयार कर ाि कारियों को पल ा करायी जाती है।
- मा मं ीगण के सा ा कायरत स ना अ ाि कारियों को ी प्र ााग ारा प्रतिदिन प्रमु ा समा ारों की ि लपिं स की हाड कापी सा कापी पल ा करायी जाती है।
- प्र ााग ारा प्रदे ा वं दि ली के प्रमु ा समा ार प ों का से तैयार कर वं सकी बा िडग के परान्त निरीक्षा ोर में सुरक्षित र ाा जाता है जिससे समय समय पर ाि कारियों ारा मांगे जाने पर सन्द ाित स ना ं पल ा करायी जा सके।
- प्र ााग ारा द समा ार प ों के बिलों का परीक्षण किया जाता है।
- प्र ााग ारा प्रदे ा के सम त जनपदों से प्रका ाित समा ार प पि काओं का अंकन किया जाता है।
- प्र ााग ारा समा ार प पि काओं के अंकन के आ ाार पर समा ार प पि काओं की नियमित अनियमित रिपो स ीब ता प्रेस मान्यता हेतु वि ापन प्र ााग प्रेस प्र ाावग को पल ा करायी जाती है।

फो ो-शाखा

स ाा ाा के अंतगत त्तर प्रदे ा सरकार के महत्वपण कायक्रमों योजनाओं और मा राज्यपाल जी मा मु यमं ी जी त ाा सरकार के मं ि मण्डल के सद यों के कायक्रमों का कवरेज कर समा ार प ों त ाा मांग के अनुसार ो ोग्रा पल ा कराये जाते हैं।

फिल्म शाखा

ि म ाा ाा त्तर प्रदे ा सरकार के स ना वं जनस पक वि ााग त्तर प्रदे ा की क महत्वपण ाा ाा है जिसके मा यम से मा राज्यपाल जी मा मु यमं ी जी त ाा सरकार के मं ि मण्डल के सद यों के कायक्रमों का वीडियो ुेज कराकर दरद ान वं विि ान्न ैनलों को पल कराया गया। वि ााग ारा विि ान्न ैनलों के मा यम से मा मु यमं ी जी के कायकाल की महत्वपण योजनाओं से स बन ाित ि म निमाण कराकर विि ान्न ैनलों के मा यम से प्र ार प्रसार हेतु पल ा कराया गया।

फिल्म ान ाु

प्रदे ा में ि म ोग को प्रोत्साहित करने हेतु सं ाा ाित ि म नीति में दी गयी कल यव ाा के अन्तगत ि म नीति से संब ाित कायों को क्रियान्वित करने हेतु ि म बन ाु प्र का गठन किया गया है।

वर्तमान में फिल्म निर्माताओं को वि ाीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तथा प्रदेश में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश सरकार ारा संशोधित फिल्म नीति-2023 प्रख्यापित की गयी है फिल्म नीति-2023 के बाद से फिल्म बन्धु, उ.प्र. को फिल्म अनुदान के प्रस्ताव प्राप्त हो रहे ह, जिन पर प्रभावी व आवश्यक कार्यवाही की जा रही है इस नीति के माध्यम से प्रदेश में फिल्म निर्माण के साथ ही स्थानीय कलाकारों को रोजगार व फिल्म इन्डस्टी के माध्यम से पूंजी निवेश का मार्ग प्रशस्त हुआ है तथा इसके

सकारात्मक परिणाम ि गोचर हो रहे ह

त्तर प्रदे ा फिल्म नीति-2023 के अन्तर्गत अवधी, ब्रज, बुन्देली, भोजपुरी अथवा हिन्दी फिल्मों के लिए अनुदान की सीमा लागत का क्रमशः अधिकतम 50 प्रतिशत तथा हिन्दी अंग्रेजी त ाा दे ा की अन्य ाााओं में निमित ि मों के लि अनुदान की सीमा लागत का अ ाकतम 25 प्रतिशत तक होगी त्तर प्रदे ा में निमित ि में जिनकी कुल ा िग दिवसों में से कम से कम आ ो दिवस की ा िग त्तर प्रदे ा में की गयी हो के लि अनुदान की अ ाकतम सीमा क्रम ा पये पये क करोड़ मा तक होगी त ाा त्तर प्रदे ा में निमित ि में जिनकी कुल दिवसों में से दो तिहा दिवसों की ा िग त्तर प्रदे ा से की गयी हो के लि अनुदान की अ ाकतम सीमा पये दो करोड़ मा तक होगी।

किसी फिल्म निर्माता ारा प्रदेश में ऐसी फिल्म की शूटिंग की जाती है निर्मित की जाती है, जिसके मुख्य पाँच कलाकार अथवा समस्त कलाकार उ ार प्रदेश के ही हों, उ ा फिल्म हेतु उन कलाकारों को फिल्म पारिश्रमिक के प में दी जाने वाली धनराशि या सम्मिलित प से रु. 25,00,000 - (रु. प ीस लाख मात्र) का अनुदान जो ी कम हो दिये जाने की यव ाा है।

सी प्रकार यदि किसी ि म निमाता ारा प्रदे ा में ेसी ि म ा िग की जाती है निमित की जाती है जिसके सम त कलाकार त्तर प्रदे ा के ही हों तो त ि म हेतु न कलाकारों को ि म पारि मिक के प में दी जाने वाली ानरा ि या स मिलित प से ला ा मा जो ी कम हो अतिरि त अनुदान दिया जा सकेगा। ि म नीति में वेब ि म व वेब सीरीज को प्रति पीसोड ला ा दस ला ा मा अ ावा कुल लागत का प्रति ात जो ी कम हो का अ ाकतम करोड पये क करोड़ मा . अ ावा कुल लागत का प्रति ात जो ी कम हो का अनुदान दिये जाने की यव ाा है।

किसी फिल्म निर्माता ारा फिल्म शूटिंग के उपरान्त फिल्म की प्रोसेसिंग प्रदेश में ही की जाती है, तो उ ा प्रोसेसिंग पर आने वाली लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रु. 50,00,000 प ास ला ा मा का अनुदान, जो भी कम हो, दिये जाने की व्यवस्था है

कोई निवेशक उ ार प्रदेश के बड़े शहरों में (नोएडा ेटर नोएडा को ोड़कर) फिल्म प्रशिक्षण संस्थान खोलता है, तो लागत धनराशि का 50 प्रतिशत अथवा रु. 50.00 लाख में से जो भी कम हो, को अधिकतम अनुदान दिये जाने की यव ाा है।

ि म निमाण के प्रक्रिया को और गति ाील वं सरल बनाने के लि ि म बन्ाु प्र ारा सिंगल विन्डो लीयरेन्स सि म वं आनला न आवेदन प्रा त किये जा रहे हैं।

ि म नीति के प्रभावी क्रियान्वयन तथा फिल्म-निर्माताओं को नियमानुसार आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये जनपद स्तर पर जिला ाकारी की अ यक्षता में ि म प्रमो ान ण्ड फैसेलिटेशन कमेटी का नि नानुसार गठन किया गया है :-

1. जिलाधिकारी अध्यक्ष।
2. पुलिस आयु त वरि पुलिस अधीक्षक पुलिस अधीक्षक अ ावा नके ारा नामित अ ाकारी सद य
3. अपर जिलाधिकारी (जिलाधिकारी ारा नामित)।
4. क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी पर्यटन अधिकारी।

राज्य कर वि ााग के जनपदीय अ ाकारी क सद य पायु त सहायक आयु त राज्य

कर अ िकारी ।

उ ꢓ समिति फिल्म निर्माताओं ारा फिल्म की शूटिंग के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर शूटिंग स्थल की अनुमति, फिल्म यूनिट की सुरक्षा व्यवस्था, नियमानुसार भुगतान करने पर शासकीय गेस्ट हाउस पर्यटन अतिथि गह में उनके ठहरने की व्यवस्था तथा शूटिंग के बाद शूटिंग दिवसों के संबंध में जिलाधिकारी कार्यालय से प्रदान किये जाने वाले प्रमाण पत्र के समयबद्ध निर्गमन आदि का अनुश्रवण करती है तथा जनपद में विभागों के स्तर पर आने वाली कठिनाइयों का त्वरित निराकरण भी करायेगी ि म ा िग से स बन ित आवेदन प्रा त होने के परान्त ि म प्रमो ान ण्ड ेसिलि ेान कमे ी की बैठक आयोजित कर नियमानुसार अपेक्षित कायवाही सुनि ि त करती है।

ारतीय ि म वं ेलीविजन सं ान पुणे वं सत्यजीत रे ि म वं ेलीविजन सं ान कोलकाता में त्तर प्रदे ा के प्र ािक्षणरत वि ा ी को वा िक ा वृत्ति दी जायेगी।

लान सेल

प्लान सेल ारा विभाग की योजनाओं को तैयार करने, उनका अनुश्रवण तथा व्यय से सम्बन्धित आंकड़े तथा सरकार ारा तदसम्बन्धित अपेक्षित अन्य सूचनाएं एवं आंकड़े तैयार कराकर प्रस्तुत किये जाते ह

ी ी शाखा

सूचना निदेशालय में सामुदायिक दूरदर्शन योजना टी.वी. शाखा के तहत पूर्व में केवल वी.आई.पी. टी.वी. यूनिट ही कार्य करती थी परन्तु वर्तमान में समय परिवर्तन एवं तकनीकी परिवर्तन के कारण इस शाखा के अन्तर्गत निम्नलिखित तीन यूनिट कार्य कर रही हः-

1 **ीआ ी ी ी यनि**

2 **से ेला कम्यनिकेशन सेन् र ण के ािल ने ाक यनि**

3 **लेक ानिक मी ि या न्यज रिका ि ग यनि**

ीआ ी ी ी यनि

निदेशालय, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ.प्र., लखनऊ, में चल रही वी.आई.पी. टी.वी. यूनिट के तहत महामहिम राज्यपाल, मा. मुख्यमंत्री, मा. मंत्री, मुख्य सचिव, प्रमु ा स ि वों सचिवों, विधान सभा एवं विधान परि ाद के पदाधिकारियों, विरोधी दल के नेताओं, एडवोकेट जनरल वं अन्य वी.वी.आई.पी. व वी.आई.पी. के यहाँ शासकीय टी.वी. सेटों, एल.सी.डी., टी.वी. सेटों वं डी ी ों की ापना वं र ार ाव का काय किया जाता है।

से ेला कम्यनिकेशन सेन् र ण के ािल ने ाक यनि

आधुनिक युग में इलेक्टानिक मीडिया के अन्तर्गत सेटेलाइट कम्यूनिकेशन और केबिल सिस्टम सूचना क्रान्ति का सबसे मह वपूर्ण माध्यम हो गया है इस सिस्टम में त पर बहुत सारी बड़े-बड़े डिश एन्टीना तथा डी.टी.एच. स्थापित करके सीधे सेटेलाइट से कंटोल म में सिग्नल रिसीव करने के बाद कन्टोल म में ही उस सिग्नल को सं ोि ित किया जाता है उसके उपरान्त सिग्नल को आप्टिकल फाइबर के माध्यम से विभिन्न स्थानों के लिए सं ारित कर दिया जाता है इससे विश्व के एक कोने से दूसरे कोने तक सेकेण्डों में खबरें प्राप्त की जाती ह तथा भेजी जाती ह सूचना विभाग ने इस आधुनिकतम सिस्टम को सचिवालय स्थित अधिकारी भवन के कक्ष संख्या 1, 2 तथा 3 में स्थापित किया है वर्तमान

में इस सेटेलाइट कम्यूनिकेशन सेन्टर एण्ड केबिल नेटवर्क के ारा सचिवालय के समस्त भवनों, योजना भवन, शास्त्री भवन, राजभवन, बापू भवन, अधिकारी भवन, बहुखण्डी भवन, सचिव भवन, विधान भवन, मा. मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग त ा स ना ावन पाक रोड तक स नेटवर्क का जाल बि ाया जा चुका है लोक ावन को ी स कन् ोल म से आ ि कल ा वर ला न से जोड़ दिया गया है। वतमान में इस सेन्टर से 106 सेटेलाइट न्यूज चैनल एवं अन्य चैनलों का प्रसारण आप्टिकल फाइबर लाइनों के माध्यम से किया जा रहा है कन्टोल म में अप ोडेशन का कार्य निरन्तर जारी है साथ ही इसके डिजिटलाइजेशन का प्रयास भी लगातार जारी है इसी **से ेला कम्यनिकेशन से टर ण केि ल ने ाक यनि की आि कल फा ार ला नों के मा यम से ी लोक भ ान में** इलेक्टानिक मीडिया न्यूज रिकाडिग यूनिट में सेटेलाइट न्यूज चैनलों की रिकाडिग एवं मानिटारग की जाती है चैनलों का प्रसारण चौबीस ाण्टे होता है

वतमान में स ना वि ाग का नया ावन पाक रोड पर ही बन गया है जिसका नाम पं दीनदयाल पा याय स ना परिसर र ा गया है। स ावन में ी न्यज ैनलों की मानी रिंग आदि के लि केबिल ी वी ने वक का काय कराया जा रहा है। जिससे वि ाग के स ी कम ारी ी ासन त ा सरकार के समा ारों स नाओं त ा कायों से अवगत रहें।

लेक ानिक मीि या न्यज रिकाि ग यनि

ले ानिक मीडिया के समा ारों की रिकाडिंग पहले वी सी आर पर मैनुवली की जाती ी। अब क य रा ज्ड कर दिया गया है। जिसमें आ ोमेि कली क समा ार ैनलों को क सा ा हाड डि क पर रिकाडिंग की जाती है। सके बाद सकी डिि ग करके डी वी डी बनायी जाती है। डी वी डी प्रतिदिन मा मु यमं ी त ा अन्य वी वी आ पी के अवलोकना ा ोजी जाती है। सके अवलोकन करने के परान्त ासन तुरन्त आव यक कायवाही करता है **ि ा निट शा ी ा न में ा र ी ा में इस निट ो लो ा न में ानां रि र ि ा ा** स यनि ारा मा मु यमं ी हेतु लग ाग स ी से ेला न्यज ैनलों की मानि रिंग ी की जाती है। ले ानिक मीडिया के समा ारों की रिकाडिंग वं ीडबैक की परो त यव ा का पयोग ासन के ला ण्ड आडर में होने के कारण सकी विवे ना ोरेज रिकाडिंग डे ण्ड ा म न्यज डा ा कले ान त्यादि की आव यकता त ा सि नल ब्रेकडा न की सम या को दे ाते हु स से अप को क य रीकृत कराया जा ुका है। जो कि स लता पवक काय कर रहा है। सा ा ही डी वी डी व हाड डि क की वीडियो ला ब्रेरी की ी ापना की गयी है जिसमें ले ानिक मीडिया की स ी न्यजें डी वी डी व हाड डि क पर रिकाड करके ला ब्रेरी में सुरक्षित र ाने की यव ा है।

वतमान में ले निक मीडिया न्यज रिकाडिंग यनि में दिन प्रात से रा ि काय समाि त तक ि ों में काय किया जाता है। समें पे ाल मीडिया के मा यम से ा िकारियों व जिलों के जिला ा िकारियों पुलिस अ ा िकारियों को ाबरें ला व क्रीन ा व बिजुअल का ो ो लेकर नके मोबा ल पर हा सप के मा यम से ोजा जाता है। माननीय मु यमं ी के ला व प्रसारण की मानी रिंग ी क ैनलों को ने से व म स लेयर पर जियो ी वी के मा यम से दे ा जाता है।

पव से ापित रिकाडिंग सवर का ी पुराना हो ुका है जिसकी य पी ले ानिक कारपोरे ान ारा जा की गयी त सवर नके ारा अप्र लित ोि ित कर दिया गया। अत वतमान में ले` ` नोलाजी के क नये रिकाडिंग सवर की ापना की कायवाही जेम पो ल के मा यम से की जा रही है।

उत्तर प्रदेश राज्य स ाना केन्, न दिल्ली

- दि ली से प्रका ित समा ार प ों की निरीक्षा कर ि लिपिं स की ा ल तैयार कर ा ल की स ना सलाहकार सरकार के ा िकारियों ानिक आयु त स ना निदे ाक वं मु यालय में निरीक्षा ा ा ा को मेल वं हा स प ारा प्रे ि ित की जाती है।
- माननीय राज्यपाल महोदया मा मु यमं ी जी वं अन्य मा मं ी गणों के ्रमण कायक्रमों का कवरेज कर तदवि ायक प्रेस वि ा ित व ो ोग्रा स दि ली के प्रिन् वं लै ानिक मीडिया के प्रतिनि ि ियों के सा ा सा ा मु यालय में राज ावन मु यमं ी स ना परिसर वं प्र ारी स ना यरो को मेल वं हा स प के मा यम से ेजी जाती है।
- माननीय राज्यपाल महोदया मा मु यमं ी जी वं अन्य मा मं ी गणों के ्रमण कायक्रमों में मीडिया प्रबन् ान का काय किया जाता है ताकि अ िक से अ िक मीडिया प्रतिनि ि ियों की पि ाति सुनि ि त हो सके।
- मीडिया प्रबन् ान हेतु नियमित प से प्रिन् वं ले ानिक मीडिया कायालयों का ्रमण कर प कारों से स पक किया जाता है त ा नसे ी कायालय आने के लि अनुरो ा कर आमं ि त किया जाता है।
- प्रिन् वं ले ानिक मीडिया के प्रतिनि ि ियों के अलग अलग हा स प ग्रुप क्रिये कर नियमित स पक व स नाओं का आदान प्रदान किया जाता है।
- मु यालय से निगत होने वाली प्रेस वि ि तियों का प्रका ान दि ली के समा ार प ों में ी हो सके लि मीडिया सं ा ानों को प्रेस वि ि ति मेल वं हा स प करने के सा ा ही नका ालो अप ी किया जाता है।
- नकारात्मक ाबरों के प्रका ान पर नियं ण हेतु मीडिया प्रतिनि ि ियों से नियमित स पक में रह कर न्हें सही स ना कन्`न् पल ा करायी जाती है।
- राज्य स ना केन्द्र ारा मीडिया वं जनसामान्य को त्तर प्रदे ा से स बन् ि ात वां ि त स ना समय से पल ा करायी जाती है। त ा न्हें वां ि त जानकारी व नके अनुरो ा पर वाहन की सुवि ा ा ी प्रदान की जाती है।
- मु यालय से प्रा त प्र ार साहित्य वा िकी वं स ना डायरी का स ी प्रिन् वं ले ानिक मीडिया के प्रतिनि ि ियों को समय से वितरण किया जाता है।
- दि ली में वि ाग ारा कराये जाने वाले आ डोर प लिसि ी के कायों का पयवेक्षण वं निरीक्षण किया जाता है।
- त्तर प्रदे ा के विकास वं मा मु यमं ी जी की प्रका ित होने वाली ाबरों को निरन्तर प से अन्य राज्यों में प्रका ित किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।
- मु यालय ारा निदि अन्य काय।

मीडिया सें र

लोक भवन सचिवालय उ ार प्रदेश, लखनऊ के भूतल पर वातानुकूलित मीडिया सेंटर संचालित है यह मीडिया सेंटर सरकार और मीडिया के बीच समन्वय और सुविधा प्रदाता का कार्य करता है इसके अतिरिक्त विधानसभा त ा लालबहादुर ा ी ावन सचिवालय ने सी में क सुसज्जित प्रेस म स्थापित है

मा. मुख्यमंत्री जी, मा. मंत्रीगण तथा शासन के उच्च पदाधिकारियों के मह वपूर्ण सार्वजनिक कार्यक्रमों की सूचना, प्रचार एवं प्रसार हेतु मीडिया को उपलब्ध कराने का कार्य मीडिया सेंटर ारा किया जाता है मीडिया सेंटर में एक सुसज्जित प्रेस कान्फ्रेंस हाल भी है, जहां अल्प सूचना पर प्रेस कान्फ्रेंस आयोजित की जा सकती है

मा. मुख्यमंत्री जी के दिल्ली प्रवास पर आयोजित प्रेस कान्फ्रेंस आदि कार्यक्रमों के सजीव प्रसारण सहित व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार की व्यवस्था की जाती है इसके अतिरि ꠸ प्रदेश की मह वपूर्ण योजनाओं कार्यक्रमों का भी वहद स्तर पर कवरेज की समुचित एवं सुचा व्यवस्था की जाती है प्रातः कालीन सत्र में नई दिल्ली, लखनऊ तथा प्रादेशिक स्तर पर प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में प्रकाशित उ ार प्रदेश से सम्बन्धित ध्यानाक ाण समाचारों की प्रेस कतरनें मा. मुख्यमंत्री जी, स्थानिक आयु ꠸ तथा वरि प्रशासनिक अधिकारियों को ध्यानार्थ अवलोकनार्थ प्रेषित की जाती है

ल ान ित मु यालय वं स ना परिसर में नियमित दैनिक प्रेस वि तियों को ै स ं रने के मा यम से दि ली ित प्रेस प्रति ठानों को सुगमता के सा ा सुल ा कराया जाता है। सके अतिरि त मा मु यमं ी जी के दि ली के ्रमण कायक्रम वं दि ली से स े जनपदों में आयोजित कायक्रमों का ी यापक कवरेज कराया जाता है।

प्रदे ा के ेतिहासिक सां कृतिक पय न त ा औ ोगिक विकास से जुड़े ालों का कवरेज त ा प्रेस कवरेज कराया जाता है। ो ाा ियों प्रदे ा की जानकारी ाहने वालों को अ तन वांि त पयोगी संद ा सामग्री पल ा करायी जाती है।

इले टानि मीि ा सेल

लोक ावन सचिवालय के ातल में ित मा मु यमं ी ले ानिक मीडिया सेल ाापित है जिसमें रा ीय वं प्रादे ाक न्यज ैनलों में प्रसारित समा ारों की मानी रिंग प्रतिदिन ाासकीय दिवसों के सा ा सा ा सावजनिक अवका ा दिवसों में अ ाात दिन लगातार प्रात बजे से म यरा ि बजे तक की जाती है आव यकतानुसार समय समय पर मा मु यमं ी ले ानिक मीडिया सेल ां े सक्रिय रहकर मानी रिंग का काय करती है।

विि ान्न ैनलों में प्रसारित अतिमहत्वपण समा ारों वं नकारात्मक समा ारों को अवलोकन वं आव यक कायवाही हेतु ा िकारियों का दर ाा ा त ा हा सअप के मा यम से तत्काल ोजा जाता है।

आ ाारहीन नकारात्मक प्रसारित समा ारों के स ब ा में स बन्ि ात वरि ठ प्र ाासनिक अ ाकारियों से दर ाा ा के मा यम से वाता करके वा तविकता की जानकारी प्रा त की जाती है वं स बन्ि ात न्यज

ैनलों से ेसे आ ारहीन नकारात्मक समा ारों के ान पर समा ारों की वा तविकता का प्रसारण कि जाने का अनुरो ा किया जाता है ताकि सरकार वं प्र ासन की अनाव यक वि राब न होने पाये।

आि सेल

आडिट सेल ारा विभाग के जनपदीय कार्यालयों के अभिलेखों का सम्परीक्षण कार्य किया जाता है सम्परीक्षण के दौरान पायी गयी गम्भीर अनियमितताओं को निदेशक, शासन एवं वित्त एवं आन्तरिक लेखा परीक्षा निदेशालय के सं ान में लाकर उसे नियमित प से प्रे ित किया जाता है, जिसकी प्रत्येक त्रैमासिक समीक्षा वित्त एवं आन्तरिक लेखा परीक्षा निदेशालय ारा की जाती है

उपर्युक्त के अतिरिक्त एक व ा से अधिक अवधि के कालातीत भुगतानों का सम्परीक्षण कार्य तथा प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) कार्यालय ारा प्रतिव ा के विभागीय अनुदान लेखों पर उठायी गयी आपत ियों के प्रस्तरों की अनुपालन आख्या प्रे ित की जाती है

लेखा प्रभाग

लेखा प्रभाग ारा समस्त विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आय-व्ययक के माध्यम से धन की व्यवस्था करना तथा प्रभागों के प्रस्तावों पर वि ागीय कार्यों से संबं ित प ावलियों का परीक्षण करते हु संबं ित प्र तावों की धनराशियों एवं समाचार पत्रों के बिल बनाकर ई-कुबेर प्रणाली के अन्तर्गत प्रत्याहरण करना समस्त विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन बिल तथा उनके सेवाहित लाभों के बिल निर्मित कर प्रत्याहरण के साथ ही मासिक व्यय विवरण की सूचना सरकार को प्रस्तुत करना तथा भवि य निधि लेखों का रख-रखाव करके ब्याज आदि की गणना कर जमा धनराशि को अ ातन रखना तथा लिये गये अ िमों आदि की वसूली करने के साथ ही समस्त कर्मियों की सेवा पु तिकाओं का रख-रखाव आदि से स बन ित काय सम्पादित किये जाते ह

ा ाना ो ा ा

सम त बिलों पर आहरण वं वितरण अ िकारी के ह ताक्षरोपरान्त को ागार ेजरी में ुगतान हेतु प्र तुत करना त ा आर ओ की ि तीय प्रति हेतु की रसीद निगत करना वं अन्य वि ागों से वि ागीय ाते में प्र ार प्रसार हेतु पल ा करायी गयी नराियों का ेक ारा ुगतान करना सके अतिरि त कै ा बुक में वित्तीय लेनदेन का अंकन कर ारिज करना है।

कम्य र प्र ा

स ना वि ाग की गतिवि ियों प्रक्रियाओं को पारद ी बनाने हेतु वि ाग की अ िकारित वेबसा विकसित की गयी है। स वेबसा पर वि ाग के कायकलापों संबं ित नि नलि ित स ना ं जनमानस के लि प्रद ित की जाती है त ा सा ा ही सा ा दिन प्रतिदिन नका अ तन ी सुनि ित किया जाता है

स ना वि ाग की वेबसा http in ormation.up.gov.in का अ तनीकरण। वेबसा को दि यांगजन ेंडली बनया गया।

वि ागीय नियमित प्रका ान त्तर प्रदे ा मासिक त्तर प्रदे ा नया दौर व संदे ा को नियमित प से वि ागीय वेबसा पर अपलोड करना।

स ना वि ााग के अ िाकारिक वेबसा   in ormation.up.gov.in मा मु यमं ी जी के कायक्रम से संबं ात वीडियों वं   ो ोग्रा   अपलोड करना।

मा मु यमं ी जी   ारा समय समय पर की गयी प्रेस कान् ेंसेज त ाा कैबिने   निणय से संबं ात स नाओं को वि ाागीय वेबसा   पर अपडे   करना।

राज ावन मा मु यमं ी स ना परिसर निदे ाालय स ना यरो वं वि ान्न जनपदों   ारा जारी प्रेस वि तियों को हिन्दी अंग्रेजी वं द का प्रतिदिन वि ाागीय वेबसा   पर नियमित   प से अपलोड करना।

वि ााग   ारा प्रतिदिन जारी होने वाले वगीकृत वं सजाव ी वि ापनों का वि ाागीय वेबसा   पर अ तनीकरण।

वि ााग   ारा अन्य वि ाागों के वेबसा   की जानकारी प्रा त करने वं वेबसा   से जुड़ने हेतु   प्र सरकार की नोडल वेबसा   up.gov.in विकसित करायी गयी हे वं अ तनीकरण काय।

स ना वि ााग   ारा वि ाि नियमावलियों नो ि के ान और गज   के संकलन हेतु वेबसा   http   upkanoon.up.gov.in विकसित करायी गयी है ताकि सरकार की योजनाओं कायक्रमों   वं आदे ाों की स ना आमजन को समय से प्रा त हो सके।

स ीब   समा ार प   प ि काओं को प्रका ान   ाल पर ही वि ापनादे ा आर ओ   और प्रका ान सामग्री   पल ा कराये जाने हेतु वि ापन पो ल को आनला न कर दिया गया है। सके अतिरि त नये समा ार प   प ि काओं को स ीब   कराने की कायवाही   ाी आनला न कर दी गयी है। समा ार प के सम त स पादक प्रका ाक को यजर आ   डी और पासवड   पल ा करा दिये गये है जिसके मा यम से वह पो ल पर लागिन करके वि ापन प्रका ान सामग्री प्रा त कर रहे हैं।

वि ापन पो ल पर समा ार प   प ि काओं के स ीब   ता संबं ाी काग्र त ाा स ीब   वं गैर स ीब प   प ि काओं का डी   वी पी   वि ाागीय दर वि ापन पो ल पर अपडे   करना।

स ना वि ााग में मु यालय   वं जिलों पर तैनात सम त अ िाकारियों क ारियों को माग के अनु   प क य र   वं सहवती   पकरणों का   पल ा कराने स बन् ाी काय।

  निविदा हेतु वि ाागीय अ िाकारियों के डिजि   ल सि ने   र बनवाने संबं ाी काय।

स ना वि ााग के डिजि   ल डायरी के मोबा ल   व के वा ाक अनुरक्षण   वं वि ाागीय कायों के   पयोगा ा कामा ियल   मेल आ डी अनलिमि ेड   ोरेज के नवीनीकरण का काय।

मानव स पदा पो ल पर निदे ाालय में तैनात वि ाागीय अ िाकारियों कम ारियों का सम त विवरण   ीड कराया गया।

वि ान्न वि ाागों से प्रा त आवेदनों के क्रम में स बन् ात वि ााग का   तु ा   ेणी डोमेन रजि   े ान का काय।

वि ााग में   ाापित क य रों की प्रति दिन आने वाली ािकायतों का अनु   वण   वं   नका नि तारण त ाा मेन् ेनेंस का काय।

  आ ि स लाग किये जाने हेतु वि ान्न प्र ाागों के प ावलियों के   कैनिंग व डिजि   ला जे ान का काय

कराया जा रहा है।

समय समय पर वि ाग ारा सौंपे जाने वाले वि िन्न महत्वपण कार्यों के स पादन संबं ी काय।

सोशल मी िया

सूचना विभाग की गतिविधियों प्रक्रियाओं को पारदशा बनाने हेतु विभाग की अधिकारिक वेबसाइट विकसित की गयी है इस वेबसाइट पर विभाग के कार्यकलापों से संबंधित निम्नलिखित सूचनाएं जनमानस के लिये प्रदर्शित की जाती ह तथा साथ ही साथ दिन प्रतिदिन उनका अ ातन भी सुनिि ात किया जाता है

- मा. मुख्यमंत्री सोशल मीडिया हब स्थापित
- त्तर प्रदे ा सरकार के अ िकारिक य यब ैनल www.youtu e.com user ovt icial अ िकारिक ि व र का ₌ https twitter.com upgovt अ िकारिक ेसबुक पेज https www. ace ook.com cmouttarpradesh पर माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों से सम्बंधित विडियोंज वं ो ोग्रा अपलोड करने संबं ी काय।
- प्रदे ा सरकार की महत्वपण स नाओं का सो ाल मीडिया पर प्रतिदिन अपलोड करना। सो ाल मीडिया के मा यम से मा मु यमं ी जी की ो ाणाओं वं सरकारी योजनाओं आदि की जानकारी जनता तक पहुं ाना त ा जनता के वि ारों सु ावों वं ि ाकायतों को ी प्रा त करना।

ा न ं ेली ाोन य ास्था

प्रदेश के जिला सूचना कार्यालयों में वाहनों की बेहतर व्यवस्था कर दिये जाने के फलस्व प सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों एवं कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार को बल मिला है सूचना विभाग के मुख्यालय एवं क्षेत्र प्रचार इकाई के अन्तर्गत जिला सूचना कार्यालयों की संचार व्यवस्था को सुदढ़ करने के उद्देश्य से सी.यू.जी. मोबाइल फोन एवं ब्राडबैण्ड की सुविधा दिये जाने के फलस्व प आलो य वित ीय व ा में समाचारों के आदान-प्रदान तथा प्रचार-प्रसार में काफी सुगमता रही है भवि य में इसकी ी उपयोगिता बढ़ेगी तथा प्रचार-प्रसार के क्षेत्र में प्रभावशाली प्रगति होगी

ि ाभाग के सु ीकरण े ु क ा अन्य काय ा ी

अ ाकारों का प्र ानि ाायन

जिला सूचना कार्यालयों को सु ढ़ एवं अधिकार सम्पन्न बनाकर प्रदेश सरकार के प्रचार-प्रसार को प्रभावी बनाया गया है जिससे कार्य पर प्रभावी नियंत्रण एवं अनुश्रवण बढ़ा है इस प्रकार जनपदीय अधिकारियों को निदेशक के कतिपय वि ीय एवं प्रशासनिक अधिकार का प्रतिनिधायन करके जनपदीय कार्यालयों को अधिक प्रभावी बनाने का कार्य किया गया है विभाग में विचाराधीन सूचना का अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित प्रकरण एवं न्यायालय में लम्बित प्रकरणों का निस्तारण विभागीय पैरवी के माध्यम से तीव्र गति से किया जा रहा है

ारदशा य ास्था

विभागीय गतिविधियों प्रक्रियाओं को पारदशा बनाने हेतु विभाग की वेबसाइट ://
विकसित की गयी है इस वेबसाइट पर विभाग के कार्यकलापों से सम्बन्धित सूचनाएं जनमानस के लिये प्रदर्शित की गयी ह तथा सूचनाओं को निरन्तर अ ातन भी किया जाता है उ.प्र. सरकार के समस्त विभागों से प्राप्त निविदाएं तथा सजावटी वि ापन जो विभाग ारा जारी किए जाते ह, उनको भी सूचना विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है समाचार पत्र पत्रिकाओं से प्राप्त बीजक को एवं वि ापनों के भुगतान आदि की व्यवस्था को कम्प्यूटरीकत कर पारदशा बनाया गया है इसी प्रकार समस्त विभागीय क्रियाकलापों यथा- गीत एवं नाट्य के कार्यक्रमों, स्थापित होडिग्स, जारी किए गये प्रेस नोट्स, समस्त विभागीय प्रकाशन तथा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत समस्त सूचनाओं को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है ताकि विभागीय समस्त गतिविधियों की जानकारी इण्टरनेट के माध्यम से जन सामान्य को आसानी से उपलब्ध हो सके

लेक ानिक मीी या ि ा न

ले ानिक मीडिया वि ापन ारा प्रदे ा सरकार की नीतियों योजनाओं पल ियों वं विकरास कायों का वि ि न्न रा ीय क्षे ीय ी वी ैनलों म रेडियो क यनि ी वीडियो डिजि ल सिनेमा प्रसार ारती दरद ान आका ावाणी वं वि ि न्न प्रोड ान हा सों से डा यमेन् ी निमाण कराकर प्र ार प्रसार का अति महत्वपण काय कराया जाता है।

वित्तीय व ा में ले ानिक मीडिया वि ापन ारा वि ि न्न रा ीय क्षे ीय ी वी ैनलों म रेडियो क यनि ी रेडियो डिजि ल सिनेमा प्रसार ारती दरद ान आका ावाणी वं वि ि न्न प्रोड ान हा सों के मा यम से त्तर प्रदे ा के अंतररा ीय यापार य पी ण रने ानल ेड ो प्रासी य ान प्रणाली के पयोग में त्तर प्रदे ा प्रोजे अलंकार पी म ी कलों का आ ुनिकीकरण पं दीनदयाल पा याय राज्य कम ारी कै ालेस ि कित्सा योजना वि ि वि ान प्रयोग ाला पास के मा यम से ा ान्न वितरण पी म सय ार योजना वृक्षारोपण क पौ ा मा के नाम पी म किसान नि ि पी म मु यमं ी आवास योजना मि ान ा ित अयो या दीपोत्सव य पी नं अयो या दीपोत्सव के बाद नि ारती अयो या प्र सरकार की पल ािया महाकु ा आदि वि ि न्न वि ायों पर प्र ार प्रसार कराया जा रहा है।

त प्र ार प्रसार के अन्तगत वि ि न्न प्रोड ान हा सों के मा यम से लग ाग डा यमेन् ी वं लग ाग रा ीय ी वी ैनलों क्षे ीय ी वी ैनलों के मा यम से डा यमेन् ी का निमाण कर प्रसारण कराया गया त ा त डा यमेन् ी का डिजि ल सिनेमा के मा यम से ी प्रसारण कराया गया सके सा ा ही प्रदे ा के म रेडियो वं क यनि ी रेडियों के मा यम से सरकार के विकास कायों वं महाकु ा पर आ ारित जिंगल का निमाण करा कर प्रसारण कराया गया।

े मीी ा

वेब मीडिया के अन्तगत त्तर प्रदे ा वेब मीडिया नीति य ा सं ोित व के अंतगत वि ि न्न केन्द्रीय सं ार यरो पव में डी वी पी में स ीब प्रा त वेबसा स पर प्रदे ा

सरकार की वि ान्नि योजनाओं कायक्रमों वं अन्य संबं ाी स नाओं का प्र ार प्रसार निरंतर यापक प में किया जाता है।

स अतिरि त वित्तीय व ा में सरकार ारा प्र डिजि ल मीडिया नीति जारी की ग है जिसके अंतगत य यब ेसबुक ाग्राम वं X पव में ि र पर वि ान्नि डिजि ल मीडिया हैन्डल पेज ैनल अका हो डर सं ालक डिजि ल मीडिया न ल सस कं ेन रा र अ ावा ससे संबंा ित जेंसी म के मा यम से नको स ीब करते हु प्रदे ा सरकार की वि ान्नि योजनाओं कायक्रमों वं अन्य संबं ाी स नाओं का प्र ार प्रसार यापक प से किया जाना है।

जन ादीय कायालयों का सु ीकरण

जिला सूचना कार्यालयों के सुदढ़ीकरण हेतु सी0यू0जी0 टेलीफोन की व्यवस्था की गयी है प्रत्येक जनपद कार्यालय के लिए वाहन की व्यवस्था करायी गयी है तथा जिला सूचना कार्यालयों में कम्प्यूटर तथा ब्राडबैण्ड, फैक्स, फोटोस्टेट मशीन आदि की व्यवस्था भी करायी गयी है, जिससे जनपदीय कार्यालयों की दक्षता एवं समाचार प्रे ाण की क्षमता में वद्धि हुई है

अ ाकारियों कम ाारियों के से ाा सम ान् ाी मामलों का निस् ाारण

विभाग में कर्मचारियों अधिकारियों के सेवा एवं प्रोन्नति सम्बन्धी प्रकरणों को निस्तारित किया गया है अधिकारियों कर्मचारियों को कम्प्यूटर का प्रशिक्षण भी दिलाया गया है अधिकारियों कर्मचारियों के कम्प्यूटर प्रशिक्षण से निदेशालय की कार्यशैली में सुधार हुआ है तथा कार्यकुशलता में वद्धि हुई है

स ाना का अ ाकार प्रको (R. . .)

जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 3 के अन्तर्गत सामान्य नागरिकों को भी लोक निकाय से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है उक्त अधिनियम में दिये गये निदशों के क्रियान्वयन करने के लिए विभाग में जन सूचना प्रको का गठन किया गया है अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत सामान्य नागरिकों से प्राप्त आवेदन पत्रों से सम्बन्धित सूचना अधिनियम में निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत सम्बन्धित को सुलभ कराने एवं सूचना मांगकर्ता के अनुरोध एवं मा. आयोग के निदश पर सम्बन्धित को वांि त पत्रावलियों का निरीक्षण अवलोकन सम्बन्धित प्रभागों से कराने के साथ मा. आयोग में लम्बित वादों की सुनवाई का कार्य सम्पादित किया जाता है

अप्रैल- 2024 से मा - 2025 तक

कुल प्राप्त आवेदन- 258

वि ाागीय तर पर नि तारित

सूचना आयोग ारा नि तारित

शासन ाा

स ना वि ाग मु यालय पर कायरत अ ाकारियों कम ारियों के सेवा स बन् ाी प्रकरणों का काय प्र ाासन प्र ााग ारा किया जाता है। अ ाकारियों कम ारियों की पदोन्नति सी पी ि कित्सा प्रतिपति जी पी सम त प्रकार के अवका ा के अतिरि त अ ा ठान स बन् ाी मा न्यायालयों में योजित वादों की पैरवी आदि का काय ाी प्र ाासन प्र ााग ारा किया जाता है।

●

उ.प्र. नागरिक सुरक्षा संगठन

राष्ट्रीय भावना एवं निष्काम कर्म से प्रेरित नागरिक सुरक्षा संगठन एक स्वयंसेवी संगठन है। आधुनिक युद्ध, सीमाओं के साथ-साथ नागरिक आबादी क्षेत्रों पर भी अत्यंत घातक प्रभाव डालता है, वाह्य युद्ध के समय देश की आन्तरिक व्यवस्था में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो और नागरिकों का मनोबल बना रहे, इस हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 1962 में चीनी आक्रमण के बाद नागरिक सुरक्षा विभाग की स्थापना देश तथा प्रदेश के सुभेद्य नगरों में की गयी है। 1968 में भारत सरकार द्वारा **"नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1969"** पारित करके संगठन को कोर का स्वरूप प्रदान किया गया। नागरिक सुरक्षा विभाग का पर्यवेक्षण एवं निर्देशन भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार की नीतियों एवं संकल्पों पर आधारित है। वर्ष 1965 एवं 1971 के युद्धों के समय तथा कारगिल अभियान के दौरान नागरिक सुरक्षा संगठन ने सफलतापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन किया। वर्ष 2010 में भारत सरकार द्वारा "नागरिक सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2009" पारित करके किसी भी प्रकार के **"आपदा प्रबन्धन"** का कार्य वेधानिक रूप से नागरिक सुरक्षा विभाग के कार्यों में सम्मिलित किया गया है। नागरिक सुरक्षा भारत सरकार की योजना है, जिसके क्रियान्वयन का दायित्व प्रदेश सरकारों का होता है। भारत सरकार द्वारा संगठन हेतु निर्धारित नीतियों के अन्तर्गत विभाग का संचालन होता है। भारत सरकार की नीतियों के अंतर्गत प्रदेश के 15 सुभेद्य नगरों में नागरिक सुरक्षा की 17 इकाईयाँ स्थापित हैं।

वित्तीय वर्ष 2024-2025 की उपलब्धियाँः-

शान्तिकाल में नागरिक सुरक्षा गतिविधियों को संचालित करने के लिये विभिन्न स्तरों पर स्वयंसेवकों की बैठकों का आयोजन करके समन्वय स्थापित करना, नागरिक सुरक्षा सेवाओं में स्वयंसेवकों की भर्ती, प्रशिक्षण तथा अभ्यास/प्रदर्शन का आयोजन करना होता है। आलोच्य अवधि में नागरिक सुरक्षा इकाईयों में निम्नलिखित कार्य सम्पादित किये गयेः-

- केन्द्रीय नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, उ.प्र., लखनऊ पर विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों एवं स्वयंसेवकों के अतिरिक्त प्रदेश के विभिन्न विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा केन्द्र सरकार के उत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, एन.ए.पी.पी. तथा एच.ए.एल. के कर्मचारियों को नागरिक सुरक्षा उपायों में प्रशिक्षित किया गया। आलोच्य वर्ष में कुल 31 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर 229 पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

- आलोच्य वर्ष में नागरिक सुरक्षा की विभिन्न सेवाओं में वार्डेन सेवा, अग्निशमन सेवा एवं प्राथमिक चिकित्सा सेवा में कुल स्वयंसेवकों की भर्ती की गई तथा स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया गया। 61 स्वयंसेवकों को पुनः प्रशिक्षण दिया गया।
- विभिन्न स्कूल/कालेजों एवं अन्य शैक्षिक संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं, एन.सी.सी. के 4,423 कैडेटों तथा एन.एस.एस. के 481 स्वयंसेवकों को नागरिक सुरक्षा का सामान्य प्रशिक्षण प्रदान किया गया। औद्योगिक प्रतिष्ठानों में नागरिक सुरक्षा का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके 913 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया।
- आलोच्य वर्ष में होमगार्ड्स के स्वयंसेवकों को नागरिक सुरक्षा विधाओं में प्रशिक्षित किया गया।
- आलोच्य वर्ष के अन्तर्गत नागरिकों को आपदा प्रबन्धन पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित किया गया।
- नागरिक सुरक्षा नगरों में विभिन्न स्तर पर बैठकों का आयोजन करके नागरिक सुरक्षा गतिविधियों से भिज्ञ कराया गया तथा हवाई हमले के क्रियात्मक अभ्यास/प्रदर्शन/174 मॉड्रिल आयोजित किये गये।
- नागरिक सुरक्षा नगरों में आलोच्य वर्ष में उपनियंत्रक, नागरिक सुरक्षा द्वारा अपने अधीनस्थ प्रखण्डीय कार्यालयों के आकस्मिक निरीक्षण एवं भण्डार के आकस्मिक निरीक्षण तथा 38 विस्तृत निरीक्षण किये गये तथा नागरिक सुरक्षा भण्डार के 75 भौतिक सत्यापन किये गये।
- आलोच्य वर्ष में विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये, जिसमें व्यक्तियों को नागरिक सुरक्षा का सामान्य प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

अन्य सामाजिक व जन कल्याणकारी कार्य :-

. नागरिक सुरक्षा के वैतनिक/अवैतनिक पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न अवसरों पर आयोजित होने वाले स्थानीय पर्व एवं त्योहारों/जयन्तियों पर शान्ति व्यवस्था, राष्ट्रीय एकता एवं सौहार्द तथा साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने हेतु जिला प्रशासन को सक्रिय सहयोग दिया गया।

. दिनांक . . से . . तक अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह मनाया गया, जिसमें नागरिक सुरक्षा के विभिन्न इकाईयों द्वारा लगभग 1000 स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया गया तथा आग से बचाव के संबंध में जानकारी दी गयी।

. नागरिक सुरक्षा जनपदों में समस्त वार्डेनों/स्वयंसेवकों द्वारा योग दिवस के अवसर पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पड़ने पार्कों में योगा कर योग दिवस मनाया गया।

. नागरिक सुरक्षा प्रखण्ड कलेक्ट्रेट वाराणसी एवं ई-लाइट कम्प्यूटर इंस्टीट्यूट, जगतगंज, वाराणसी के संयुक्त तत्वाधान में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन पं. दीनदयाल राजकीय चिकित्सालय, वाराणसी के रक्तकोष के सहयोग से दिनांक 14.08.2024 को

सम्पन्न हुआ, जिसमें 26 स्वयंसेवकों द्वारा स्वेच्छा से रक्तदान किया गया। दिनांक 29.09.2024 को नागरिक सुरक्षा, गोरखपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन कर स्वयंसेवकों द्वारा 201 यूनिट रक्तदान किया गया। नागरिक सुरक्षा, मथुरा के 15 स्वयंसेवकों द्वारा रक्तदान किया गया। इसके अतिरिक नागरिक सुरक्षा, लखनऊ तथा आगरा के 08 स्वयंसेवकों द्वारा भी रक्तदान किया गया। नागरिक सुरक्ष, बरेली में दिनांक 05.12.2024 को एक वृहद रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 186 तथा अन्य अवसरों पर 85 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया।

. दिनांक 15.12.2024 को नागरिक सुरक्षा, गोरखपुर में वृहद ब्लैक आऊट एवं मॉकड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें वायुसेना के लड़ाकू विमान, एनेक्सी भवन/तारा मंडल के क्षेत्रों के ऊपर बाम्बिंग का प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम में सराहनीय योगदान करने वाले वैतनिक/अवैतनिक पदाधिकारियों को महानिदेशक महोदय द्वारा "ऑन स्पाट डिस्क" दिये जाने की घोषणा की गई थी।

. लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के अन्तर्गत मतदाता जागरूकता (स्वीप) कार्यक्रम के अंतर्गत नागरिक सुरक्षा इकाईयों द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें आम जनता को मतदान के प्रति जागरूक तथा 18 वर्ष पूर्ण कर चुके युवाओं को वोटर कार्ड बनवाने के लिये प्रेरित किया गया।

. **महाकुंभ मेला-2025 में नागरिक सुरक्षा प्रयागराज में 500 स्वयंसेवकों एवं वैतनिक पदाधिकारियों की ड्यूटी लगायी गयी। कुंभ में आये हुए श्रद्धालुओं की सहायता हेतु कैम्प की स्थापना की गयी। कुंभ क्षेत्र में भगदड़ के दौरान वार्डेनों द्वारा श्रद्धालुओं को प्रदत्त प्राथमिक चिकित्सा एवं बचाव सेवा में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया गया, जिसकी मेला अधिकारी द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की गई।**

. दिनांक - - को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर नागरिक सुरक्षा जनपदों में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर आमजनों को मतदान करने की शपथ दिलवायी गयी तथा मतदाता जागरूकता रैलियाँ निकली गईं।

. नागरिक सुरक्षा जनपदों में वार्डेनों/स्वयंसेवकों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में आम जन मानस को संक्रमण के बचाव हेतु प्रेरित किया गया। इस हेतु नागरिक सुरक्षा जनपदों संक्रमण से बचाव हेतु जानकारी दी गयी।

. दिनांक . . को शहीद दिवस के अवसर पर नागरिक सुरक्षा जनपदों में विभिन्न चिन्हित स्थलों पर पूर्व से स्थापित विद्युत रसायन एवं आवश्यकतानुसार हस्तचलित सायरन को ध्वनित कराकर 02 मिनट का मौन धारण कराया गया। नागरिक सुरक्षा जनपद बरेली, आगरा, गाजियाबाद, नरौरा (बुलन्दशहर) व मथुरा में वाराणसी तथा प्रयागराज में आजादी के अमृत महोत्सव के अन्तर्गत शहीद दिवस के अवसर पर नगर के विभिन्न स्थानों पर नागरिक सुरक्षा वार्डेनों द्वारा दीप प्रज्जवलन कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गयी तथा विचार गोष्ठी का आयोजन कर अमर शहीदों के जीवन पर

प्रकाश डाला गया।

. महाशिवरात्रि पर्व पर नागरिक सुरक्षा जनपदों में प्रमुख शिव मंदिरों पर वार्डेनों/स्वयंसेवकों द्वारा कावंडियों/श्रद्धालुओं के सहयोगार्थ डियूटीरत रहकर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने में जिला प्रशासन को सहयोग प्रदान किया गया।

. नागरिक सुरक्षा जनपदों में होली एवं शबे-बरात पर्व पर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने में वार्डेनों/स्वयंसेवकों द्वारा डियूटीरत रहकर पुलिस एवं जिला प्रशासन को सहयोग प्रदान किया गया।

. इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री के आदेशानुसार एक पेड़ लगाओं पेड़ बचाओं से नागरिक सुरक्षा के विभिन्न इकाईयों में पौधा रोपण किया गया।

. दिनांक . . . . एवं . . को जिलाधिकारी महोदय, बुलन्दशहर की अध्यक्षता में बाढ़ एवं अतिवृष्टि आपदा से निपटने हेतु बैठक आयोजित की गयी। बैठक में दिये गये निर्देशानुसार समस्त वार्डेनों/स्वयंसेवकों को बाढ़ से सचेत रहने हेतु जागरूक किया गया।

. दिनांक . . को प्रातः 08 बजे एवं दिनांक . . को संगम तट पर वी.आई.पी. घाट पर जिलाधिकारी महोदय व आर्मी के कर्नल महोदय की देखरेख में आयोजित बाढ़ राहत मीट का अभ्यास में वार्डेन/स्वयंसेवकों के साथ एन.डी.आर.एफ. /जल पुलिस का सहयोग दिया गया।

. दिनांक 15.08.2024 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में समस्त स्टाफ द्वारा प्रतिभाग किया गया एवं दिनांक 13.08.2024 से 15.08.2024 तक "हर घर तिरंगा" कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रभाग/पोस्टों में आमजन को सम्बंधित प्रतिष्ठानों पर तिरंगाा फहराने हेतु प्रेरित किया गया तथा दिनांक 15.08.2024 को कलेक्ट्रेट प्रांगण के अय़ूयूब खां चौराहा तक मोटर साईकिल तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सिविल लाइन प्रखण्ड के लगभग 55 वार्डेन/स्वयंसेवकों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस अवसर पर पौधारोपण भी किया गया।

. दिनांक 13.10.2024 को प्रखण्ड हजरतगंज के वार्डेन पोस्ट-09 में उदयगंज के एक मकान में भीषण आग लगने पर वार्डेनों द्वारा बचाव का कार्य किया गया।

. दिनांक 23.10.2024 को नागरिक सुरक्षा नियंत्रण केन्द्र, लखनऊ परिसर पर रसल वाइपर सांपा का रेस्क्यू द्वारा श्री मनोज वर्मा, सहायक उपनियंत्रक (व.वे.), नागरिक सुरक्षा, लखनऊ के सहयोग से सांप को रेस्क्यू के माध्यम से बाहर जंगल में भेजा गया।

19. उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी बाजपेयी की जयन्ती के उपलक्ष्य में **"सुशासन सप्ताह"** मनाने हेतु कार्यालय नागरिक सुरक्षा प्रांगण में विशेष स्वच्छता अभियान के अलावा विचार गोष्ठियों का भी आयोजन किया गया।

●

उत्तर प्रदेश नागरिक सुरक्षा संगठन

धर्मार्थ कार्य

ि ाा ा संिा इ िास

ामा ा सं ााओं त ाा मंदिरों की यव ाा आदि से स बन्ि ात कार्यों के नि पादन हेतु दिनांक दिस बर को ामा ा काय का सृजन किया गया त ाा वि ााग की गतिवि ाियों को सु ा प से सं ालित किये जाने हेतु ामा ा काय वि ााग प्र ाासन ारा दिनांक को निदे ाालय की ाापना की ग जिसका प्र ाम मु यालय जनपद वाराणसी में ाापित किया गया तदोपरान्त दिनांक को निदे ाालय का मु यालय जनपद वाराणसी से ाानान्तरित करते हु जनपद ल ान ि ात ंदिरा ावन पं म तल पर ाापित किया गया है। वि ााग की मु य गतिवि ाियों का संक्षि त विवरण नि नवत है

ामा ा ा ि ाा ो नि नलिि ा ि ा ा ंटि

- ामा ा सन्दान अ ाािनयम
- त्तर प्रदे ा ी का ाी वि वना ा मंदिर अ ाािनयम
- मंदिरों वं ाामिक सं ााओं की यव ाा।
- ामा ा सं ााओं को अनुदान।
- विलीनीकृत राज्यों के मंदिरों की यव ाा वं नियं ण त ाा अनुदान।
- वि ाागीय आय ययक अनुदान यव ाा त ाा ले ाा वं लोक ले ाा आपत्तियां।
- प्रदे ा में ि ात अन्य प्रान्तों के मंदिरों त ाा ाामिक सं ााओं की यव ाा आदि।
- प्रदे ा के सम त ाामिक मंदिरों वं सं ााओं से संबंि ात ि ाकायतों आदि की जां त ाा नका नि तारण।
- परो त से संबंि ात संसद वि ाानस ाा त ाा वि ाान परि ाद प्र न।
- प्रदे ा में वि मान लोकमहत्व के ती ा ालों पर ि ात मंदिरों आदि के अ ािग्रहण स बन्ि ाी वि ािक कायवाही।
- परो त अ ाािनयमों के अन्तगत लने वाले वादों या ािकाओं रि ों आदि की पैरवी से संबंि ात काय।
- त्तर प्रदे ा में सावजनिक ाामि पर ि ात व ा से अ ािक पुराने मंदिर मठ ाम ाााला कुण्ड ती ा ाल त्यादि का जीणो ार मर मत त ाा ाजन सं या ाल सत्संग ाल त्यादि।

ि ी ा ी लिा ा ां

- अयो या में सुग्रीव किला प ा से होते हु ाीराम जन्म ाामि मन्दिर तक ार लेन माग ल बा

किमी माग का नाम जन्म ामि प ा ामि क्रय सहित निमाण लागत ला ा माग निमाण का काय त ाा साड काय ाी पण कर लिया गया है।

- अयो या मु य माग से हनुमान गढ़ी होते हु ीराम जन्म ामि तक ार लेन ल बा किमी माग का नाम ा तिप ा ामि क्रय सहित निमाण लागत माग निमाण का काय त ाा साड काय ाी पण कर लिया गया है।
- सहादतगंज नया ाा माग का ौड़ीकरण वं सुदृढ़ीकरण काय ल बा किमी माग का नाम रामप ा ामि क्रय सहित निमाण लागत ला ा मु य माग निमाण का काय त ाा साड काय ाी पण कर लिया गया है।
- को ालेस कुन्ज योजना में प लिक म्रि ीज वं पाकिंग का निमाण काय वीकृत लागत ला ा है। वीकृत लागत के सापेक्ष स पण ानरा ि अवमु त की जा ुकी है। निमाण काय पण।
- ेढ़ी बाजार पवी में पाकिंग व प लिक म्रि ीज का निमाण काय हेतु अनुमोदित लागत ला ा है। निमाण काय पण है।
- ेढ़ी बाजार प ि मी यवसायिक संकुल व पाकिंग का निमाण काय हेतु अनुमोदित लागत ला ा है। निमाण काय पण है।
- अमानीगंज जलकल के सामने ि ात सामुदायिक केन्द्र पर दुकानों और पाकिंग का निमाण काय हेतु वीकृत लागत ला ा है। निमाण काय पण है।
- वित्तीय व ा में अ ाी तक ामा ा मार्गों के ौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण वं विकास हेतु जनपदों से प्रा त प्र तावों को परीक्षणोंपरान्त सं तुति लोक निमाण वि ााग को बज आवं न हेतु प्रेि ात की गयी ाी।

ि ी ा ेलि ाि ो नाें

- जनपद अयो या के जम ारा ि ात प्र तावित वैदिक वेलनेस सि ी से ीराम जन्म ामि मन्दिर पहु माग की प्र तावित लागत ानरा ि ला ा से निमाण कराये जाने की कायवाही प्र लित है।
- जनपद अयो या में मन्दिर के समीप ि ात रामको वं क रा में मैकेना ज्ड मा पाकिंग के निमाण काय की लागत ानरा ि ला ा से निमाण काय कराये जाने की कायवाही प्र लित है।
- जनपद अयो या में ि ात ीराम प ा के दोनों ओर अव ाे ा रि त ामि के सौन्दयीकरण वं विकास काय के स बन ा में अनुमोदित लागत ला ा से काय कराया जा रहा है।
- जनपद अयो या में ौक स जी मण्डी ि ात मुह ला म रह ा की नजल ा ाण्ड पर प लिक म्रि ीज वं जनसुवि ााओं का विकास काय कराये जाने हेतु लागत से काय कराया जा रहा है।
- जनपद अयो या में गोकुल ाम के निक करोड़ की लागत से पाकिंग का निमाण कराया जा रहा है।
- जनपद अयो या में गु कुल सं कृत महावि ालय के निक ानरा ि ला ा की लागत

से पार्किंग का निमाण काय कराया जा रहा है।

- जनपद मीरजापुर के ि कोण परिक्रमाप ा का विकास वं मा विन्‍ यवासिनी मन्दिर मा अ ुजा मन्दिर त ाा मा काली ाोह मन्दिर का नकी महिमा के अनु प मा काली ाोह मन्दिर के सौन्दयीकरण हेतु ानरा ाि ला ा वं ला ा की लागत से सौन्दयीकरण कराया जाना प्र तावित है।
- जनपद मीरजापुर के ि कोणीय क्षे मा विन्‍ यवासिनी मन्दिर मा अ ुजा मन्दिर मा काली ाोह मन्दिर की परिक्रमा प ा वं जन सुवि ाा ालों को विकसित किये जाने हेतु ामि क्रय के लि ानरा ाि ला ा वं ला ा की ानरा ाि निगत कर दी गयी है त ाा ला ा की वित्तीय वीकृति निगत किये जाने की कायवाही प्र लित है।
- जनपद सीतापुर में नैमि ाारण्य ती ा ि त द ाि ी कुण्ड का ानरा ाि ला ा की लागत से जीणो ार कराया जाना प्र तावित है।
- मन्दिर परिप ा र ाारी महोबा का ानरा ाि ला ा की लागत से जीणो ार कराया जाना प्र तावित है।
- वासुदेव मन्दिर र ाारी महोबा का ानरा ाि ला ा की लागत से जीणो ार कराया जाना प्र तावित है।
- जनपद मीरजापुर के ग्राम नेगुरा रिव सिंह में पौराणिक वं ेतिहासिक ांकर जी के मन्दिर का ानरा ाि ला ा की लागत से जीणो ार कराया जाना प्र तावित है।
- ग्राम जलावनपुर परगना हवेली अव ा तहसील सदर जनपद अयो या में पार्किंग ाल हेतु हे ामि क्रय अ ाि ग्रहण के हेतु ानरा ाि ला ा वीकृति किया जाना प्र तावित है।
- संक मो न मन्दिर वाराणसी ि ात ि ानगाराज अना ाालय ाल पर अना ाालय ावन का निमाण काय ानरा ाि ला ा से कराया जाना प्र तावित है।
- संक मो न मन्दिर वाराणसी काम ा ि ात ि ानगाराज दण्डी आ म ाल पर सेवा म का निमाण काय ानरा ाि ला ा से कराया जाना प्र तावित है।

ि ाा ी म ा ा ो नार्ें

- ी कैला ा मानसरोवर की या ा वं अन्य ाामों के ती ा या ि यों को ाासन ारा अनुदान दिये जाने की कायवाही की जाती है त ाा स हेतु जनपद गाजियाबाद में ी कैला ा मानसरोवर या ा ावन निमाण की परियोजना सं ालित की ग ाी जो पण हो ुकी है जिसका लोकापण मा मु यमं ी जी ारा को किया गया। ी कैला ा मानसरोवर या ा कोविड के प ात से ागित कर दी ग ाी जिसे वित्तीय व ा में पुन सं ालित किया गया है त ाा प्रति ती ा या ी ला ा पये अनुदान दिये जाने की कायवाही प्र लित है।
- प्र के सिं ाी समाज के सिन्‍ ाु द ान के ती ा या ि यों के लि हजार प्रति य ि तअनुदान दिये जाने की यव ाा की ग है।
- जनपद वाराणसी में ी का ाी वि वना ा वि ि क्षे विकास परि ाद वाराणसी ारा ी का ाी वि वना ा कारीडोर परियोजना सं ालित की ग जो पण हो ुकी है। ी का ाी वि वना ा मन्दिर

ाम के वि तारीकरण सौन्दयीकरण के प ात ालुओं की सं या में से गुना तक वृि हु है।

- जनपद वाराणसी में का ी हिन्द वि ववि ालय परिसर में वैदिक वि ान केन्द्र की ापना का काय व ा में प्रार ा किया गया वतमान में परियोजना के प्र ाम वं ि तीय रण का काय पण हो ुका है वैदिक वि ान केन्द्र में पठन पाठन का काय प्रार ा हो गया है।
- जनपद ि क वं अयो या में ाजन सं या ाल के निाण का काय पण हो ुका है जनपद प्रयागराज वं गोर ापुर में ाजन सं या ाल के निमाण का काय प्रगति पर है।
- जनपद अयो या में ीराम जन्म ामि मंदिर निमाण के क्रम में मंदिर क्षे के विकास हेतु ामा ा काय वि ााग ारा क परियोजना ं सं ालित है जिसमें मंदिर से स पक मागों के परियोजना पण हो ुकी है वं पलिक मेनि ीज वं जनसुवि ाओं के विकास संबं ी परियोजना गतिमान है।
- जनपद म ुरा में ि ित ी बांके बिहारी मंदिर के विकास की परियोजना वि ारा ीन है।
- प्रदे ा में विलीनीकृत रियासतों के मंदिरों ामिक ालों के जीणों ार की परियोजना प्रक्रियागत है।
- प्रदे ा के महत्वपण ामिक ालों के स पकमागों के ौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण किये जाने की परियोजना लोक निमाण वि ााग के मा यम से करायी जा रही है।
- प्रदे ा के बुजुग संतो पुरोहितों वं पुजारियों के हिता ा वि ो ा बोड के गठन की कायवाही प्र ालित है।
- प्रदे ा के वि ान्न ती ा ालों ामिक ालों पर पलिक मि ीज वं जन सुवि ाओं के विकास कार्यों के लि ी परियोजना वि ारा ीन है।
- प्रदे ा के ग्रामीण क्षे ों में ी पं ायत तर पर ामिक ालों के मंदिरों ामिक ालों के जीणो ार की परियोजना हेतु वि ार किया जा रहा है।
- जनपद मीरजापुर में ि कोणीय क्षे मा विन् यवासिनी मंदिर मा अ ाुजा मंदिर मा काली ाोह मंदिर के परिक्रमा प ा वं जनसुवि ाा ालों को विकसित किया जाना।
- जनपद सीतापुर के नैमि ाारण्य में वेद वि ान केन्द्र की ापना।
- जनोपयोगी संरक्षित मंदिरों का जीणो ार पुननिमाण।

●

भार ा सरकार के संस्थान, संग न ां कायालय

एडवरटाइजिंग एण्ड विजुअल पब्लिसिटी	-	महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ
एयर फोर्स	-	महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ
आल इण्डिया रेडियो	-	विधान सभा मार्ग, लखनऊ
आर्कियोलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया	-	बाइली ग्रार्डन काटेज, लखनऊ
आर्मी सेन्ट्रल कमान्ड	-	महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ
आयुर्वेदिक रिसर्च सेन्टर	-	सीतापुर रोड, लखनऊ
भारत पेट्रोलियम कारर्पोरेशन	-	94, महात्मा गांधी, मार्ग, लखनऊ
सेन्सस प्रोसीजर	-	52, वजीर हसन रोड, लखनऊ
सेन्ट्रल एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड ज्यूडीसरी	-	राना प्रताप मार्ग, लखनऊ
सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन	-	नवल किशोर रोड, लखनऊ
सेन्ट्रल ड्रग रिसर्च इन्स्टीट्यूट	-	छतर मंजिल, लखनऊ
सेन्ट्रल हेल्थ एण्ड प्लानिंग	-	9, राना प्रताप मार्ग, लखनऊ
सेन्ट्रल न्यूज एण्ड ब्रोडकास्टिंग डिपार्ट.	-	एम0 जी0 मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ
सेन्ट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स	-	गोमती नगर, लखनऊ
चीफ पोस्ट मास्टर जनरल	-	हजरतगंज, लखनऊ
सिटी एण्ड विलेज प्लानिंग	-	7, बन्दरिया बाग, लखनऊ
सिविल एविएशन	-	अमौसी, लखनऊ
दूरदर्शन केन्द्र	-	24, अशोक मार्ग, लखनऊ
जियोलोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया	-	(नार्थ इण्डिया) सेक्टर- डी, अलीगंज, लखनऊ
ग्राउण्ड रोजवेज	-	बी- 74, सेक्टर- सी, महानगर लखनऊ
हेल्थ एण्ड फैमिली वेलफेयर	-	महानगर, लखनऊ
हिन्दुस्तान ऐरोनाटिक्स लिमिटेड (एच. ए. एल.)	-	फैजाबाद रोड, लखनऊ
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारर्पोरेशन	-	4, शाहनजफ रोड, लखनऊ
आईबीपी कारर्पोरेशन लिमिटेड	-	विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ
इनकम टैक्स डिपार्टमेण्ट	-	अशोक मार्ग, लखनऊ
इंडियन आयल कारर्पोरेशन लिमिटेड	-	कपूरथला काम्पलैक्स, अलीगंज, लखनऊ
इनफार्मेशन एण्ड ब्राडकास्टिंग सेन्ट्रल	-	महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ
इंडियन स्टेण्डर्ड ब्यूरो	-	नवल किशोर रोड, लखनऊ
खादी ग्रामोद्योग कमीशन	-	कैसरबाग, लखनऊ
नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट	-	राना प्रताप मार्ग, लखनऊ
नेशनल कैडेट कार्प्स (एन.सी.सी.)	-	अशोक मार्ग, लखनऊ
नार्थ ईस्टर्न रेलवे	-	अशोक मार्ग, लखनऊ
नार्दन रेलवे	-	चारबाग, लखनऊ
रोड ट्रांसर्पोट एथोरिटी	-	महानगर, लखनऊ
शुगरकेन रिसर्च सेन्टर	-	रायबरेली रोड, लखनऊ
टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेन्ट	-	13 ए, माल ऐवन्यू, लखनऊ
जी. एम. टेलीकाम	-	हजरतगंज, लखनऊ
जी. एम. (लखनऊ टेलीकाम)	-	गांधी भवन, एम. जी. मार्ग, लखनऊ
डायरेक्टर टेलीकाम सेन्टर	-	हजरतगंज, लखनऊ
टेलीग्राफ स्टोर डिर्पोटमेन्ट	-	तालकटोरा रोड, लखनऊ
जी. एम. प्रोजेक्टस (नार्थ)	-	ए-2, सेक्टर बी, अलीगंज, लखनऊ
टूरिज्म डिपार्टमेन्ट	-	सेक्टर सी, अलीगंज, लखनऊ
वेदर	-	अमौसी, लखनऊ

●

उत्तर प्रदेश के जन ाद क नजर में

1 आगरा

- क्षेत्रफल (2011) 4041 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 4418797
- महिलाएँ (जनसंख्या) 2053844
- पुरुष (जनसंख्या) 2364953
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 22.1 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 868-1000
- जनसंख्या घनत्व 1098 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 71.6 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 05 (शमसाबाद, एत्मादपुर, अछनेरा, फतेहपुर सीकरी, बाह)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 06 (आगरा, एत्मादपुर, खेरगढ़, किरावली, फतेहाबाद, बाह)
- विकास खण्डों की संख्या 15 (फतेहपुर सीकरी, अछनेरा, अकोला, बिचपुरी, बरौली अहीर खंदौली, एत्मादपुर, जगनेर, खेरागढ़, सैंया, शमसादबाद, फतेहाबाद, पिनाहट, बाह, जैतपुरकलाँ)
- आबाद ग्रामों की संख्या 893
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल ताजमहल, लाल किला, सिकन्दरा, फतेहपुर सीकरी, एत्माद्दौला, बटेश्वर, मनकामेश्वर, कैलाश, मजार शहीदे सालिस
- हस्तशिल्प जूता एवं लोहा, पेठा, दालमोठ, कालीन, खेल का सामान

2 अलीगढ़

- क्षेत्रफल 3650 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 3673889
- महिलाएँ (जनसंख्या) 1721893
- पुरुष (जनसंख्या) 1951996
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 22.78 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 882-1000
- जनसंख्या घनत्व 1007 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 67.5 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 02 (खैर, अतरौली)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 05 (इगलास, कोल, अतरौली, खैर, गभाना)
- विकासखण्डों की संख्या 12 (अतरौली, गंगोरी, विजौली, खैर, चन्दौस टम्पल, गोण्डा,

लोधा, जवां, धनीपुर, अकराबाद, इगलास)

- आबाद ग्रामों की संख्या — 1170
- प्रमुख उद्योग — हल्की मशीनरी, ताला

3 एटा

- क्षेत्रफल — 2431 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1774480
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 827141
- पुरुष (जनसंख्या) — 947339
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 15.8 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 873-1000
- जनसंख्या घनत्व — 723 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 70.7 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 04 (एटा, अलीगंज, जलेसर, मारहरा)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 03 (एटा, अलीगंज, जलेसर)
- विकासखण्डों की संख्या — 08 (शीतलपुर, सकीट, जैथरा, अलीगंज, निधौली कलां, अवागढ़, जलेसर, मारहरा)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 853
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — (पटना पक्षी विहार, जलेसर, अतरंजी खेड़ा, मारहरा)
- हस्तशिल्प — खादी वस्त्र, घुंघरू-घंटी, कांचमूँगा मोती, मूँज-बान
- प्रमुख औद्योगिक इकाइयाँ — लिप्टन इंडिया लि., न्यूट्रेशिया, न्योली शुगर फैक्ट्री, स्टैंडर्ड हैण्डलूम टेक्सटाइल्स, पीतल-घुंघरू-घंटी उद्योग, आयरन उद्योग

4 फिरोजाबाद

- क्षेत्रफल — 2407 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 2498156
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1166110
- पुरुष (जनसंख्या) — 1332046
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 19.94 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 867-1000
- जनसंख्या घनत्व — 1038 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 71.9 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 03 (टूण्डला, शिकोहाबाद, सिरसागंज)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 05 (फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, जसराना, टूण्डला, सिरसागंज)
- विकासखण्डों की संख्या — 09 (ओरांव, एका, फिरोजाबाद, हाथवंत, मदनपुर, नारखी, शिकोहाबाद, जसराना, टूण्डला)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 790
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — पाढ़म रपड़ी, शाही-मस्जिद, सांती, फिरोजशाह का मकबरा, दिगम्बर जैन मंदिर, गोपाल आश्रम, महावृक्ष अजान, सूफी शाह का मकबरा
- हस्तशिल्प — काँच एवं पाटरी

5 मैनपुरी

- क्षेत्रफल — 2760 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1868529
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 875152
- पुरुष (जनसंख्या) — 993377
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 17.0 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 881-1000
- जनसंख्या घनत्व — 677 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 76.0 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 01 (मैनपुरी)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 06 (मैनपुरी, भोगांव, करहल, थिरोर, कुरावली, किशनी)
- विकासखण्डों की संख्या — 09 (मैनपुरी, घिरोर, कुरावली, बेवर, किशनी, जागीर, सुल्तानगंज बरनाहल, करहल)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 820
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — समान पक्षी विहार, समान कटरा पर्यटन स्थल, महाराजा तेज सिंह का किला, महाकवि देव स्मारक, कुसमरा व अस्यौली का किला, माँ शीतला देवी मंदिर, च्यवन ऋषि आश्रम, मारकण्डेय ऋषि आश्रम, कपिल मुनि आश्रम, बेवर भीमसेन मंदिर, देव स्मारक

मथुरा

- क्षेत्रफल — 3340 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 2547184
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1180059
- पुरुष (जनसंख्या) — 1367125
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 22.8 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 863-1000
- जनसंख्या घनत्व — 763 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 70.04 प्रतिशत
- नगर निगम — 01(मथुरा-वृन्दावन)
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 01 (कोसीकलां)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 05 (मथुरा, मॉट, छाता, महावन, गोवर्धन)
- विकासखण्डों की संख्या — 10 (मथुरा, फरह, गोवर्धन, नंदगाँव, छाता, चौमुहा, राया, माट, नौहझील, वल्देव)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 730
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — (वृंदावन, राधाकुंड, बरसाना, नंदगाँव, गोवर्धन, गोकुल, महावन, वल्देव)
- हस्तशिल्प — गिलट के आभूषण, कंठीमाला, पोशाक
- प्रमुख उद्योग — साड़ी छपाई, ब्रास टेप्स एण्ड पोक्स, मिल्क पाउडर, गिलट के आभूषण, विटामिन आधारित उद्योग, सूती सिन्थेटिक धागा

आजमगढ़

● क्षेत्रफल	4054 वर्ग किमी.
● जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर)	4613913
● महिलाएँ (जनसंख्या)	2328909
● पुरुष (जनसंख्या)	2285004
● जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर	17.17 प्रतिशत
● स्त्री-पुरुष अनुपात	1019-1000
● जनसंख्या घनत्व	1138 प्रति वर्ग किमी.
● साक्षरता	70.9 प्रतिशत
● नगर पालिका परिषदों की संख्या	03 (आजमगढ़, मुबारकपुर, बिलरियागंज)
● तहसीलों की संख्या एवं नाम	08 (आजमगढ़, सगड़ी, लालगंज, फूलपुर, मेहनगर, मार्टीनगंज, बूढ़नपुर, निजामाबाद)
● विकासखण्डों की संख्या	22 (अतरौलिया, कोयलसा, हरैया, अहिरौला, फूलपुर, पवई, अजमतगढ़, तहबरपुर, सठियाँव, महाराजगंज, लालगंज, मार्टिनगंज, रानी की सराय, पल्हनी, ठेकमा, बिलरियागंज, मेंहनगर, मिर्जापुर, जहानागंज, तरवां, पल्हना, मुहम्मदपुर)
● आबाद ग्रामों की संख्या	3800
● प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल	दुर्वासा आश्रम, देवल आश्रम, चन्द्रमा आश्रम, दतात्रेय आश्रम, पौहारी बाबा, आवंक, पल्हना देवी, बाराहमूर्ति, कोठिया आश्रम, हथियादह, कम्पनीबाग, उद्यान, महामंडलेश्वर
● हस्तशिल्प	काली मिट्‌टी के बर्तन, बनारसी रेशमी साड़ी
● प्रमुख उद्योग	चीनी, रोलिंग, खाद्य तेल, बर्फ, रेशमी साड़ी, काली मिट्‌टी के बर्तन चावल मिल, जनरल इंजीनियरिंग आदि

8 बलिया

● क्षेत्रफल	2981 वर्ग किमी.
● जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर)	3239774
● महिलाएँ (जनसंख्या)	1566872
● पुरुष (जनसंख्या)	1672902
● जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर	17.3 प्रतिशत
● स्त्री-पुरुष अनुपात	937-1000
● जनसंख्या घनत्व	1087 प्रति वर्ग किमी.
● साक्षरता	70.9 प्रतिशत
● नगर पालिका परिषदों की संख्या	02 (बलिया, रसड़ा)
● तहसीलों की संख्या एवं नाम	06 (बलिया, सिकन्दरपुर, रसड़ा, बेल्थरा रोड, बांसडीह, बैरिया)
● विकासखण्डों की संख्या	17 (रसड़ा, नगरा, सीयर, चिलकहर, गड़वार, सोहांव, हनुमानगंज, दुबहड़, बेलहरी, बैरिया, मुरलीछपरा, बांसडीह, बेरुआरबारी, रेवती, मनियर, पन्दह, नवानगर)
● आबाद ग्रामों की संख्या	1843
● प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल	खैराडीह, लखनेश्वरडीह, सुरहाताल, वृत्तिकूट आश्रम, भृगु आश्रम, देवीकुली धाम, परासर मुनि आश्रम, शहीद स्मारक, बसन्तप,

	बालेश्वर शिव मंदिर, असेगानाथ, ब्रह्माइन देवी मंदिर, श्रीनाथ बाबा का मठ, मखदूमइकतुद्दीन आलम की मजार, वृत्तकूट आश्रम पकड़ी, जयप्रकाश नगर, शहीद भवानी, सोनाडीह भवानी, कापिलेश्वरी, जंगली बाबा का मन्दिर, बालकदास बाबा की कुटी, सुदिष्ट बाबा का मन्दिर, डूहा बिहर (मौन बाबा), शहीद पार्क चौक, वैरिया शहीद स्मारक, सुरनापुर शहीद स्थल, शहीद मंगल पाण्डेय
● हस्तशिल्प	टिकुली, सिन्दौरा, हथकरघा, मिट्टी के बर्तन, डलिया, खाची मौनी

9 मऊ

● क्षेत्रफल	1713 वर्ग किमी.
● जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर)	2205968
● महिलाएँ (जनसंख्या)	1091259
● पुरुष (जनसंख्या)	1114709
● जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर	18.8 प्रतिशत
● स्त्री-पुरुष अनुपात	979-1000
● जनसंख्या घनत्व	1285 प्रति वर्ग किमी.
● साक्षरता	73.1 प्रतिशत
● नगर पालिका परिषदों की संख्या	01 (मऊ)
● तहसीलों की संख्या एवं नाम	04 (मऊ, घोसी, मोहम्मदाबाद-गोहना, मधुबन)
● विकासखण्डों की संख्या	09 (परदहा, कोपागंज, घोसी, दोहरीघाट, बड़रांव, फतेहपुर मण्डाव, रतनपुरा, मोहम्मदाबाद गोहना, रानीपुर)
● आबाद ग्रामों की संख्या	1499
● प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल	वन देवी, बेलवरी घाटी, मीर बाबा धाम

10 प्रयागराज

● क्षेत्रफल	5482 वर्ग किमी.
● जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर)	5954391
● महिलाएँ (जनसंख्या)	2822584
● पुरुष (जनसंख्या)	3131807
● जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर	20.71 प्रतिशत
● स्त्री-पुरुष अनुपात	901-1000
● जनसंख्या घनत्व	1086 प्रति वर्ग किमी.
● साक्षरता	72.3 प्रतिशत
● नगर निगम की संख्या	01
● तहसीलों की संख्या एवं नाम	08 (प्रयागराज सदर, फूलपुर, करछना, बारा, मेजा, कोरांव, सोरांव, हण्डिया)
● विकासखण्डों की संख्या	23 (हण्डिया, धनूपुर, प्रतापपुर, सैदाबाद, बहादुरपुर, बहरिया, फूलपुर, होलागढ़, सहसों ृ वेरपुर ाम ागवतपुर, कौढ़िहार, मऊआइमा, सोरांव, चाका, करछना, कौंधियारा, जसरा, शंकरगढ़, कोरांव, माण्डा, मेजा, उरवा)
● आबाद ग्रामों की संख्या	2809

- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — स्वराज भवन, जवाहर प्लेनिटोरियम, भारद्वाज आश्रम, संगम, पातालपुरी मन्दिर, प्रयागराज किला, अशोक स्तम्भ, अक्षयवट, रानीमहल, शिवकुटी, आल सेन्ट्रल कैथेड्रल, प्रयागराज संग्रहालय, प्रयागराज विश्वविद्यालय, खुसरोबाग, मिन्टो पार्क, सरस्वती घाट, नेहरू पार्क, शृंगवेरपुरधाम, प्रतिष्ठानपुरी, लक्ष्यागृह, गढ़वा का किला, मनकामेश्वर मंदिर, सरस्वती कूप, अलोपीदेवी, मंदिर, बेणी माधव मंदिर, नागबासुकी मंदिर, हनुमान मंदिर, शंकर विमान मण्डपम, दुर्वासा ऋषि आश्रम आदि
- प्रमुख उद्योग — राइस मिल, दाल मिल, इलेक्ट्रानिक्स

11 फतेहपुर

- क्षेत्रफल — 4152 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 2632733
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1248011
- पुरुष (जनसंख्या) — 1384722
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 14.05 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 901-1000
- जनसंख्या घनत्व — 634 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 67.4 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 02 (फतेहपुर, बिन्दकी)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 03 (फतेहपुर, बिन्दकी, खागा)
- विकास खण्डों की संख्या — 13 (भिटौरा, तेलियानी, हसवा, असोथर, बहुआ, मलवाँ, अमौली, खजुहा, देवमई, ऐराया, हथगाम, धाता, बिजईपुर)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1352
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — भिटौरा, असनी, शिवराजपुर, बावनइमली
- प्रमुख उद्योग — स्टील, घागा, चमड़ा आदि।
- हस्तशिल्प — लकड़ी एवं मिट्टी के खिलौने

12 प्रतापगढ़

- क्षेत्रफल — 3717 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 3209141
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1603056
- पुरुष (जनसंख्या) — 1606085
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 17.3 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 998-1000
- जनसंख्या घनत्व — 862 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 70.1 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 01 (बेल्हा प्रतापगढ़)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 05 (सदर, पट्टी, रानीगंज, कुण्डा, लालगंज)
- विकासखण्डों की संख्या — 17 (प्रतापगढ़ सदर, मान्धाता, सण्डवा चद्रिका, लालगंज, लक्ष्मणपुर सांगीपुर, पट्टी, आसपुर देवसरा, मगरौरा, शिवगढ़, गौरा, कुण्डा, कालाकांकर, बिहार, बाबागंज, रामपुरसंग्रामगढ़, बाबा बेलखरनाथ,)

- आबाद ग्रामों की संख्या — 2183
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — हण्डौर, पंडवासी, अजगरा, महदहा, बारडीह, नमक सायर, कहला, रूरे, सराय नाहरराय, कालाकाँकर, बाबा घुइसरनाथ, चन्द्रिका देवी, शनिदेश, चौहर्जन देवी, बाबा बेलखरनाथ, बेल्हा देवी, ज्वालादेवी, भयहरननाथ, हैदेश्वरनाथ, अम्बेडकर पक्षी विहार।
- निजी एवं सार्वजनिक औद्योगिक इकाइयाँ — ओम अचार मुरब्बा उद्योग, प्रताप फल संरक्षण एवं मुरब्बा उद्योग, मंजू मुरब्बा उद्योग, कमला ट्रान्सफार्मर, वेस्को रबर इंडस्ट्रीज, अभय ग्रामोद्योग, सरकार फूड प्रोडक्ट्स, परमिल्स फार्मास्युटिकल्स, खण्डेलवाल रबर प्रोडक्ट्स, ममता फूड प्रोडक्ट्स, शिवम फूड प्रोडक्ट्स, खण्डेलवाल फूड प्रोडक्ट्स

13 कानपुर नगर

- क्षेत्रफल — 3155 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 4581268
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 2121462
- पुरुष (जनसंख्या) — 2459806
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 9.9 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 862-1000
- जनसंख्या घनत्व — 1452 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 79.7 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 02 (घाटमपुर, बिल्हौर)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 04 (कानपुर, बिल्हौर, घाटमपुर, नरवल)
- विकासखण्डों की संख्या — 10 (बिधनू, सरसौल, कल्याणपुर, पतारा, घाटमपुर, भीतरगाँव, चौबेपुर, शिवराजपुर, बिल्हौर, ककवन)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 902
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — जाजमऊ, बिठूर, मनकपुर
- प्रमुख उद्योग — चमड़ा, कालीन, सूती, रक्षा सामग्री, मशीनरी, होजरी, वस्त्र, आभूषण

14 कानपुर देहात

- क्षेत्रफल — 3021 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1796184
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 832929
- पुरुष (जनसंख्या) — 963255
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 14.9 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 865-1000
- जनसंख्या घनत्व — 595 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 75.8 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 02 (झींझक, पुखरायां)

- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 06 (अकबरपुर, भोगनीपुर, सिकन्दरा, डेरापुर, रसूलाबाद, मैथा)
- विकासखण्डों की संख्या — 10 (अकबरपुर, सरवनखेड़ा, मैथा, डेरापुर, झींझक, सन्दलपुर राजपुर, अमरौधा, मलासा, रसूलाबाद)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 966
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — शुक्ल तालाब, बानेश्वर महादेव, वन चेतना केन्द्र, औनहां
- हस्तशिल्प — हाथ के पंखे, टोकरी, दरी, कंबल आदि
- प्रमुख उद्योग — साबुन, पेन्ट, वनस्पति घी, चमड़ा, मशीनरी आदि

15 इटावा

- क्षेत्रफल — 2311 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1581810
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 735954
- पुरुष (जनसंख्या) — 845856
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 18.1 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 870-1000
- जनसंख्या घनत्व — 638 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 78.4 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 03 (भरथना, जसवन्तनगर, इटावा)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 06 (जसवन्तनगर, सैफई, इटावा, भरथना, चकरनगर, ताखा)
- विकासखण्डों की संख्या — 08 (जसवन्तनगर, बदपुरा, बसरेहर, ताखा, महेवा, सैफई, भरथाना, चकरनगर)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 686
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — भरेह, पचनदा, मूँज, आसई, चकरनगर, टिक्सी मंदिर, कालीवान, पिलुआ
- हस्तशिल्प — हथकरघा, दरी

1 फर्रुखाबाद

- क्षेत्रफल — 2181 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1885204
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 878964
- पुरुष (जनसंख्या) — 1006240
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 20.0 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 874-1000
- जनसंख्या घनत्व — 864 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 69.0 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 02 (फर्रुखाबाद, कायमगंज)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 03 (सदर, अमृतपुर, कायमगंज)
- विकासखण्डों की संख्या — 07 (बढ़पुर, राजेपुर, कमालगंज, मोहम्मदाबाद, नवाबगंज, शमसाबाद, कायमगंज)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 872

प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल	संकिसा, कम्पिल, सिंगीरामपुर, हनुमान मंदिर, नीम करोरी, दरगाह शेखपुर
हस्तशिल्प	जरदोजी, छपाई का फरमा
प्रमुख उद्योग	आलू, तम्बाकू, चीनी मिल

1 कन्नौज

क्षेत्रफल	2093 वर्ग किमी.
जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर)	1656616
महिलाएँ (जनसंख्या)	774840
पुरुष (जनसंख्या)	881776
जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर	19.37 प्रतिशत
स्त्री-पुरुष अनुपात	879-1000
जनसंख्या घनत्व	792 प्रति वर्ग किमी.
साक्षरता	72.7 प्रतिशत
नगर पालिका परिषदों की संख्या	03
तहसीलों की संख्या एवं नाम	04 (कन्नौज, छिबरामऊ, गुर सहायगंज, हसेरन)
विकासखण्डों की संख्या	08 (कन्नौज, जलालाबाद, गुगरापुर, छिबरामऊ, सौरिख, तालग्राम, उमर्दा, हसेरन)
आबाद ग्रामों की संख्या	688
प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल	खाना गौरी शंकर का शिवलिंग, हाजी शरीफ़ की दरगाह, डेगभभका, अर्द्धनारीश्वर, लाख वहोसी पक्षी विहार, पंचवटी मंदिर, विशनगढ़, किला बारादरी।
प्रमुख उद्योग	इत्र, सेंट

18 गोरखपुर

क्षेत्रफल	3321 वर्ग किमी.
जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर)	4440895
महिलाएँ (जनसंख्या)	2163118
पुरुष (जनसंख्या)	2277777
जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर	17.8 प्रतिशत
स्त्री-पुरुष अनुपात	950-1000
जनसंख्या घनत्व	1337 प्रति वर्ग किमी.
साक्षरता	70.8 प्रतिशत
नगर निगम	01
तहसीलों की संख्या एवं नाम	07 (सदर, बाँसगाँव, चौरीचौरा, सहजनवाँ, खजनी, गोला, कैम्पियरगंज)
विकासखण्डों की संख्या	20 (पिपराइच, बांसगाँव, गोला, पाली, पिपरौली, सहजनवाँ, खौराबार, कौड़ीराम, गगहा, खजनी, भटहट, बेलघाट, सरदार नगर बड़हलगंज, उरुवा, ब्रह्मपुर, जंगल कौड़िया, चरगावाँ, कैम्पियरगंज, भरोहिया)
आबाद ग्रामों की संख्या	2937
प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल	कुसमही जंगल, रामगढ़ताल, चौरीचौरा, डोहरिया कलां, गोरखनाथ मंदिर, इमामबाड़ा, गीता वाटिका, गीता प्रेस
हस्तशिल्प	हथकरघा, टेराकोटा

19 कुशीनगर

- क्षेत्रफल: 2905 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर): 3564544
- महिलाएँ (जनसंख्या): 1746489
- पुरुष (जनसंख्या): 1818055
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर: 23.3 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात: 961-1000
- जनसंख्या घनत्व: 1227 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता: 65.2 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या: 03 (हाटा, कुशीनगर, पडरौना)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम: 06 (पडरौना, कसिया, हाटा, तमकुहीराज, खड्डा, कप्तानगंज)
- विकासखण्डों की संख्या: 14 (पडरौना, बिशुनपुरा, कसया, हाटा, मोतीचक, सेवरही, नेबुहानौरंगिया, खड्डा, दुदही, फाजिलनगर, सुकरौली, कप्तानगंज, रामकोला, तमकुही)
- आबाद ग्रामों की संख्या: 1579
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल: कुशीनगर, बुद्ध की निर्वाण स्थली, फाजिलनगर
- हस्तशिल्प: फर्नीचर, आयल स्पेलर, हथकरघा

20 देवरिया

- क्षेत्रफल: 2540 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर): 3100946
- महिलाएँ (जनसंख्या): 1563510
- पुरुष (जनसंख्या): 1537436
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर: 14.2 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात: 1017-1000
- जनसंख्या घनत्व: 1222 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता: 71.1 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या: 02 (देवरिया, गौरा बरहज)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम: 05 (देवरिया, सलेमपुर, रुद्रपुर, भाटपार रानी, बरहज)
- विकासखण्डों की संख्या: 16 (गौरीबाजार, देवरिया सदर, देसई देवरिया, पथरदेवा, बैतालपुर, रामपुर कारखाना, रुद्रपुर, बरहज, भागलपुर, भटनी, बनकटा, तरकुलवा, भाटपाररानी, भलुअनी, लार, सलेमपुर)
- आबाद ग्रामों की संख्या: 2019
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल: दिगधेश्वरनाथ, दुग्धेश्वरनाथ, देवरहा बाबा, परशुरामधाम

21 महराजगंज

- क्षेत्रफल: 2952 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर): 2684703
- महिलाएँ (जनसंख्या): 1302949
- पुरुष (जनसंख्या): 1381754
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर: 23.5 प्रतिशत

- स्त्री-पुरुष अनुपात — 943-1000
- जनसंख्या घनत्व — 909 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 62.8 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 03 (नौतनवां, महराजगंज, सिसवा बाजार)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 04 (सदर, फरेन्दा, नौतनवां, निचलौल)
- विकासखण्डों की संख्या — 12 (सदर, परतावल, फरेन्दा, पनियरा, बृजमनगंज, लक्ष्मीपुर, नौतनवा (खानपुर), निचलौल, घुघली, सिसवां, मिठौरा, धानी)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1212
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — इटइवा मन्दिर, लेहड़ा

22 चित्रकूट

- क्षेत्रफल — 3216 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 991730
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 464009
- पुरुष (जनसंख्या) — 527721
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 26.9 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 879-1000
- जनसंख्या घनत्व — 313 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 65.1 प्रतिशत
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 04(कर्वी, मऊ, मानिकपुर, राजापुर)
- विकासखण्डों की संख्या — 05 (पहाड़ी, मानिकपुर, मऊ, रामनगर, कर्वी)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 562
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — (राजापुर, तुलसी आश्रम, वाल्मीकि आश्रम, रामघाट, तुलसी स्मारक, गणेशबाग, हनुमान जी मंदिर, शबरी प्रपात, कोठी तालाब)
- नगर पालिका परिषद — 01 (कर्वी)

23 बाँदा

- क्षेत्रफल — 4408 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1799410
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 833534
- पुरुष (जनसंख्या) — 965876
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 19.8 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 863-1000
- जनसंख्या घनत्व — 403 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 66.7 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 02 (बाँदा, अतर्रा)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 05 (बाँदा, अतर्रा, नरैनी, बबेरू, पैलानी)
- विकासखण्डों की संख्या — 08 (तिन्दवारी, जसपुरा, बड़ोखर, खुर्द, नरैनी, महुआ, बबेरू, बिसण्डा, कमासिन)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 657

- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — कालिन्जर का किला
- हस्तशिल्प — सजर पत्थर का कार्य

24 हमीरपुर

- क्षेत्रफल — 4021 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1104285
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 510748
- पुरुष (जनसंख्या) — 593537
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 11.09 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 861-1000
- जनसंख्या घनत्व — 258 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 68.8 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 03 (हमीरपुर, मौदहा, राठ)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 04 (हमीरपुर, मौदहा, राठ, सरीला)
- विकासखण्डों की संख्या — 07 (कुरारा, सुमेरपुर, मौदहा, मुस्करा, राठ, गोहण्डा, सरीला)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 497
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — सिंह महेश्वर मन्दिर, चौरादेवी मंदिर, ब्रह्मानंद आश्रम, सिटी फारेस्ट, गौरइया देवी मन्दिर, मेहर मंदिर, निरंकारी आश्रम गायत्री शक्तिपीठ, खण्डेह मंदिर, सिसोला के शिव मंदिर, समाधि स्थल, दाता साइधाम, भुइयन देवी मन्दिर झलोखर
- हस्तशिल्प — खादी ग्रामोद्योग

25 महोबा

- क्षेत्रफल — 3144 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 875958
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 409600
- पुरुष (जनसंख्या) — 466358
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 15.52 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 878-1000
- जनसंख्या घनत्व — 304 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 65.3 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 02 (महोबा, चरखारी)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 03 (महोबा, कुलपहाड़, चरखारी)
- विकासखण्डों की संख्या — 04 (कवरई, चरखारी, पनवाड़ी, जैतपुर)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 435
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — चन्द्रिका देवी मन्दिर, सूर्य मन्दिर, उर्मिल डेम, खकरहा मठ, जैन तीर्थंकर, शिव ताण्डव, ऊदल चौक, कीरत ताल
- हस्तशिल्प — गौरा पत्थर, गौरिहारी

2 झाँसी

- क्षेत्रफल — 5024 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1998603
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 941167
- पुरुष (जनसंख्या) — 1057436
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 14.5 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 890-1000
- जनसंख्या घनत्व — 398 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 75.0 प्रतिशत
- नगर निगम — 01 (झाँसी)
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 05 (बरुआसागर, मऊरानीपुर, गुरुसराय, समथर, चिरगांव)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 05 (झांसी, मोठ, मऊरानीपुर, गरौठा, टहरौली)
- विकासखण्डों की संख्या — 08 (चिरगांव, गुरसराय, बामौर, बंगरा, बबीना, बड़ागांव, मोठ, मऊरानीपुर)
- आगाद ग्रामों की संख्या — 745
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — झांसी का किला, रानी महल, गंगाधरराव की छतरी, लक्ष्मी मंदिर, गणेश मंदिर, लक्ष्मीताल, नारायन बाग, राजकीय संग्रहालय, कौमासन का मंदिर, जराय का मठ, बरुआसागर का किला, कम्पनीबाग, स्वर्गाश्रम, बरुआसागर जलाशय, सुकवां-ढुकवा, परीछा बाँध, भसनेह जलाशय, करगुवा जी लक्ष्मीबाई पार्क।
- प्रमुख औद्योगिक इकाइयाँ — वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि. जी. निवास फर्टीलाइजर्स लि., डायमंड सीमेंट फैक्ट्री
- हस्तशिल्प — घरेलू उपयोग की वस्तुएँ आदि।

2 जालौन

- क्षेत्रफल — 4565 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1689974
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 783882
- पुरुष (जनसंख्या) — 906092
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 16.2 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 865-1000
- जनसंख्या घनत्व — 370 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 73.7 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 04 (कालपी, जालौन, कोंच, उरई)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 05 (जालौन, उरई, कालपी, कोंच, माधोगढ़)
- विकासखण्डों की संख्या — 09 (कोच, डकोर, कुठोंद, रामपुरा, माधवगंज जालौन, कदौरा, महेवा, नदीगांव)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 942
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — अक्षरादेवी, चौरासी गुम्बद, लंका मीनार, बारा खम्भा, चन्देल दुर्ग, ताई-वाई महल, केवड़ा बाग, गांधी पार्क, व्यास मंदिर
- हस्तशिल्प — कालीन, दरी, चदरा, चटाई, हाथ कागज

28 ललितपुर

● क्षेत्रफल	5039 वर्ग किमी.
● जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर)	1221592
● महिलाएँ (जनसंख्या)	580581
● पुरुष (जनसंख्या)	641011
● जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर	24.9 प्रतिशत
● स्त्री-पुरुष अनुपात	906-1000
● जनसंख्या घनत्व	242 प्रति वर्ग किमी.
● साक्षरता	63.5 प्रतिशत
● नगर पालिका परिषदों की संख्या	01 (ललितपुर)
● तहसीलों की संख्या एवं नाम	05 (ललितपुर, महरौनी, तालबेहट, मंडावरा, पाली)
● विकासखण्डों की संख्या	06 (मंडावरा, महरौनी, बिरघा, बार, तालबेहट, जखौरा)
● आबाद ग्रामों की संख्या	691
● प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल	देवगढ़, दयावतार, माताटीला, राजघाट
● हस्तशिल्प	सिल्क साड़ी, पीतल मूर्तिकला, पत्थर मूर्तिकला
● महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयाँ	ग्रेनाइट (खनन उद्योग), दाल मिल, बारूद फैक्ट्री, भारत एक्सप्लोसिव

29 गोण्डा

● क्षेत्रफल	4003 वर्ग किमी.
● जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर)	3433919
● महिलाएँ (जनसंख्या)	1646773
● पुरुष (जनसंख्या)	1787146
● जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर	23.1 प्रतिशत
● स्त्री-पुरुष अनुपात	922-1000
● जनसंख्या घनत्व	851 प्रति वर्ग किमी.
● साक्षरता	58.6 प्रतिशत
● नगर पालिका परिषदों की संख्या	03 (करनैलगंज, नबाबगंज, गोण्डा)
● तहसीलों की संख्या एवं नाम	04 (करनैलगंज, तरबगंज, गोण्डा, मनकापुर)
● विकासखण्डों की संख्या	16 (रुपईडीहा, कटरा बाजार, हलधरमऊ, झंझरी, पन्डरी कृपाल, इटियाथोक, मुजेंहना, बभनजोत, मनकापुर, छपिया, कर्नलगंज, परसपुर, बेलसर, तरबगंज, वजीरगंज, नवाबगंज)
● आबाद ग्रामों की संख्या	1812
● प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल	तिर्रेमनोरमा, पसका, छपिया, पृथ्वीनाथ, सकरौरा, लकड़मण्डी अरगा, पार्वती
● हस्तशिल्प	मिट्टी के बर्तन, सूत दरी
● प्रमुख उद्योग	चीनी

30 बहराइच

● क्षेत्रफल	5237 वर्ग किमी.

- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 3487731
- महिलाएँ (जनसंख्या) 1643847
- पुरुष (जनसंख्या) 1843884
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 29.5 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 891-1000
- जनसंख्या घनत्व 697 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 49.3 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 02 (बहराइच, नानपारा)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 06 (बहराइच, कैसरगंज, नानपारा, महसी, पयागपुर,मोतीपुर)
- विकासखण्डों की संख्या 14 (चित्तौरा, कैसरगंज, जरवल, तजवापुर, महसी, हुजूरपुर, बलहा, शिवपुर, मिहीपुरवा, नवाबगंज, रिसिया, पयागपुर, विशेश्वरगंज, फखरपुर)
- आबाद ग्रामों की संख्या 1359
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल दरगाह सैय्यद सालार, मसऊद गाजी, राजा सुहेलदेव मंदिर, वन्य जीव विहार (कतर्निया घाट)
- हस्तशिल्प कला कलन चित्रकारी, चिकन इम्ब्राइडरी

31 बलरामपुर

- क्षेत्रफल 3349 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 2148665
- महिलाएँ (जनसंख्या) 1033944
- पुरुष (जनसंख्या) 1114721
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 27.74 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 927-1000
- जनसंख्या घनत्व 642 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 49.5 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 02 (बलरामपुर, उतरौला)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 03 (बलरामपुर, तुलसीपुर, उतरौला)
- विकासखण्डों की संख्या 09 (श्री दत्तगंज, उतरौला, गैण्डासबुजुर्ग, रेहराबाजार, बलरामपुर, तुलसीपुर, गैसड़ी, पचपेड़वा, हरैयासत धरवा)
- आबाद ग्रामों की संख्या 998
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल देवीपाटन मंदिर, तुलसीपुर, विजलेश्वरी मंदिर, बिजुलीपुर, दु:खहरणनाथ मंदिर, बाबा हुर्मतशाह का आस्ताना
- हस्तशिल्प हथकरघा, लकड़ी का कार्य

32 अयोध्या

- क्षेत्रफल 2341 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 2470996
- महिलाएँ (जनसंख्या) 1211368
- पुरुष (जनसंख्या) 1259628

- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 18.3 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 980-1000
- जनसंख्या घनत्व — 962 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 68.7 प्रतिशत
- नगर निगम — 01 (अयोध्या)
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 01 (रुदौली)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 05 (रुदौली, सदर, मिल्कीपुर, सोहावल, बीकापुर)
- विकासखण्डों की संख्या — 11 (मसौधा, पुराबाजार, सोहावल, मयाबाजार, बीकापुर, तारून, रुदौली, मवई, हैरिंगटनगंज, अमानीगंज, मिल्कीपुर)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1235
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — अयोध्याजी, सूरजकुण्ड, भरतकुण्ड, बिल्वहरिघाट, बहू बेगम का मकबरा, गुलाबबाड़ी, गुप्तारघाट, रत्ना गिरि मंदिर (रौनाही) कम्पनी बाग, अयोध्या के जैन मंदिर, नौगजी कब्र, मणिपर्वत देवकाली मन्दिर, मिलेट्री मन्दिर
- हस्तशिल्प — बाँस, चमड़ा

33 बाराबंकी

- क्षेत्रफल — 4402 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 3260699
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1553626
- पुरुष (जनसंख्या) — 1707073
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 22.0 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 910-1000
- जनसंख्या घनत्व — 838 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 61.7 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 01 (नवाबगंज)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 06 (नवाबगंज, फतेहपुर, रामनगर, हैदरगढ़, रामसनेही घाट, सिरौली-गौसपुर)
- विकासखण्डों की संख्या — 15 (निन्दूरा, फतेहपुर, सूरतगंज, रामनगर, देवा, बंकी, हरख, मसौली, सिद्धौर, त्रिवेदीगंज, हैदरगढ़, दरियाबाद, बनीकोडर, पूरेडलई, सिरौली-गौसपुर)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1817
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — श्री लोधेश्वर महादेव, श्री औसामेश्वर महादेव, श्री कुंतेश्वर महादेव, पारिजात वृक्ष, देवाशरीफ, श्री कोटवाधाम, मझगांव शरीफ, दरगाह सैयद सालार शाह, सतरिख, बांसा शरीफ, नाग देवता, मजीठा, नागेश्वर मन्दिर
- हस्तशिल्प — मिट्टी के बर्तन व हथकरघे से निर्मित वस्त्र
- महत्त्वपूर्ण निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयाँ — इण्डियन पालीफाइबर्स लि. सोमैया आर्गेनिक केमिकल्स लि., सुगर मिल हैदरगढ़, उ.प्र. राज्य चीनी निगम, इकाई बुढ़वल

34 सुल्तानपुर

- क्षेत्रफल — 2673 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 2431491
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1204842
- पुरुष (जनसंख्या) — 1226649
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 983-1000
- जनसंख्या घनत्व — 901 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 70.5 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 01 (सुल्तानपुर)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 05 (सदर, लम्भुआ, जयसिंहपुर, कादीपुर, बल्दीराय)
- विकासखण्डों की संख्या एवं नाम — 14 (बल्दीराय, धनपतगंज, कुडवार, कूरेभार, दूबेपुर, मोतिगरपुर, जयसिंहपुर, कादीपुर, अखण्डनगर, दोस्तपुर, करौंदीकला, भदैया, लम्भुआ, प्रतापपुर कमेचा)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1708
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — धोपाप, विजेथुआ महावीरन, सीताकुण्ड, देवी मन्दिर लोहरामऊ
- हस्तशिल्प — बाधमण्डी
- प्रमुख उद्योग — सहकारी चीनी मिल

35 बरेली

- क्षेत्रफल — 4120 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 4448359
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 2090694
- पुरुष (जनसंख्या) — 2357665
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 22.9 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 887-1000
- जनसंख्या घनत्व — 1080 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 58.5 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 04 (आँवला, नवाबगंज, बहेड़ी, फरीदपुर)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 06 (बरेली, फरीदपुर, नवाबगंज, मीरगंज, बहेड़ी, आँवला)
- विकासखण्डों की संख्या — 15 (क्यारा, बिथरीचैनपुर, मीरगंज, भोजीपुरा, फतेहगंज, नवाबगंज, भदपुरा, भुता, फरीदपुर, बहेड़ी, दमखोदा, आलमपुर, जाफराबाद, शेरगढ़, मंझगवा, रामनगर)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1855
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — पुराना किला, शहीद स्मारक, खान बहादुर खान की कब्र, नज्जू खाँ का मकबरा, पार्श्वनाथ जैन मंदिर, काला इमामबाड़ा
- हस्तशिल्प — फर्नीचर, मांझा, जरी, जरदोजी, सुरमा, खेल का सामान

3 बदायूँ

- क्षेत्रफल — 4120 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 3127621

- महिलाएँ (जनसंख्या) 1457266
- पुरुष (जनसंख्या) 1670355
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 18.9 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 872-1000
- जनसंख्या घनत्व 739 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 52.0 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 07 (बदायूं, ककराला, उझांनी, बिल्सी, दातागंज, बिसौली, सहसवान)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 05 (बदायूँ, सहसवान, बिल्सी, दातागंज, बिसौली)
- विकासखण्डों की संख्या 15 (उझानी, सहसवान, दहगवाँ, कादरचौक, सालारपुर, वजीरगंज, बिसौली, आसफपुर, इस्लामनगर, जगत, म्याऊ, उसांवा, दातागंज, समरेर, अम्बियापुर)
- आबाद ग्रामों की संख्या 1476
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल जामा मस्जिद, घंटाघर, सूरज कुण्ड, सरसोता
- महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयाँ बान बनाना, चमड़े का कार्य, खाण्डसारी, मेंथा तेल, खराद, हथकरघा

3 पीलीभीत

- क्षेत्रफल 3686 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 2031007
- महिलाएँ (जनसंख्या) 959005
- पुरुष (जनसंख्या) 1072002
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 17.5 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 895-1000
- जनसंख्या घनत्व 539 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 61.5 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 03 (पूरनपुर, बीसलपुर, पीलीभीत)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 05 (पूरनपुर, बीसलपुर, पीलीभीत,कलीनगर, अमरिया)
- विकासखण्डों की संख्या 07 (अमरिया, ललौरी खेड़ा, मरौरी, पूरनपुर, विलसण्डा, बीसलपुर, बरखेड़ा)
- आबाद ग्रामों की संख्या 1295
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल गौरीशंकर का मंदिर, जामा मस्जिद, हजरतशाह जी मियाँ दरगाह, मैनाकोट, राजा वेणु का किला, देवल का मंदिर, राजा मोरध्वज का टीला, बाबा दुर्गानाथ का मंदिर, गुरुद्वारा श्री गुरुसिंह सभा छटी पातशाही, आयुर्वेदिक कॉलेज, वनौषधि, हरबेरियम फार्मेसी, हर्बल गार्डन, मैथाडिस्ट चर्च, मेन बाजार का गेट, बरेली गेट, जसवन्तरी देवी मंदिर आदि।
- हस्तशिल्प बाँसुरी

38 शाहजहाँपुर

- क्षेत्रफल 4388 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 3006538

- महिलाएँ (जनसंख्या) 1400135
- पुरुष (जनसंख्या) 1606434
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 22.0 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 872-1000
- जनसंख्या घनत्व 657 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 59.5 प्रतिशत
- नगर निगम 01 (शाहजहाँपुर)
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 03 (पुवायां, तिलहर, जलालाबाद)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 05 (शाहजहाँपुर, पुवायां, जलालाबाद, तिलहर, कलान)
- विकासखण्डों की संख्या 15 (भावलखेड़ा, ददरौला, कांठ, मदनापुर, जलालाबाद, तिलहर, जैतीपुर, खुदागंज, निगोही, पुवायां, बण्डा, खुटार, मिर्जापुर कलान, सिधौली)
- आबाद ग्रामों की संख्या 2088
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल शहीद उद्यान, वनखण्डीनाथ मन्दिर, विश्वनाथ मंदिर, बहादुर खाँ मकबरा, मुमछा आश्रम, श्रीरामचन्द्र मिशन प्रार्थना भवन, विसरात घाट, सुनहरी मजार, मजार अमर शहीद राम प्रसाद विस्मिल, स्मारक अमर शहीद रोशन सिंह, निजामशाह की दरगाह, रायसुखा निदान का फाटक, उदासियों का अखाड़ा, चौकसीनाथ, फूलमती देवी का मन्दिर, सत्संग आश्रम
- हस्तशिल्प कालीन, कारचोबी

39 बस्ती

- क्षेत्रफल 2688 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 2464464
- महिलाएँ (जनसंख्या) 1209192
- पुरुष (जनसंख्या) 1255272
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 18.2 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 963-1000
- जनसंख्या घनत्व 839 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 67.2 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 01 (बस्ती)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 04 (बस्ती, रुधौंली, मानपुर, हर्रैया)
- विकासखण्डों की संख्या 14 (परशुरामपुर, गौर, हर्रैया, विक्रमजीत, कप्तानगंज, रामनगर, सल्टौआगोपालपुर, रुधौली, साउंघाट, बस्ती सदर, बनकटी, बहादुरपुर, कुदरहा, दुलौलिया)
- आबाद ग्रामों की संख्या 3160
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल छावनी बाजार, मखैड़ा, अमोढ़ा, नगर बाजार, पैडा, भेद्रेश्वरनाथ, श्रंगीनारी
- प्रमुख उद्योग गन्ना

40 सिद्धार्थनगर

- क्षेत्रफल — 2895 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 2559297
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1264202
- पुरुष (जनसंख्या) — 1295093
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 25.4 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 976-1000
- जनसंख्या घनत्व — 884 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 59.2 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 02 (सिद्धार्थनगर, बांसी)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 05 (नौगढ़, बांसी, डुमरियागंज, इटवा, शोहरतगढ़)
- विकासखण्डों की संख्या — 14 (बांसी, बढ़नी, भनबापुर, बर्डपुर, डुमरियागंज, इटवा, जोगिया, खेसरहा, खुनियांव, मिठवल, नौगढ़, लोटन, उस्काबाजार, शोहरतपुर)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 2336
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — कपिलवस्तु, भारतभारी, पलटादेवी, मजार शाह अब्दुल रसूल (मीरा बाबा)

41 मिर्जापुर

- क्षेत्रफल — 4405 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 2496970
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1184668
- पुरुष (जनसंख्या) — 1312302
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 20.4 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 921-1000
- जनसंख्या घनत्व — 482 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 68.5 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 03 (मिर्जापुर, चुनार, अहरौरा)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 04 (मिर्जापुर, चुनार, लालगंज, मड़िहान)
- विकासखण्डों की संख्या — 12 (नगर सिटी, कोन, छानवे, मझवां, पहाड़ी, लालगंज, हलिया, पटेहरा, नरायनपुर, जमालपुर, राजगढ़, सीखड़)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1745
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — विंध्याचल, विन्डमफाल, लखनियांदरी, सिद्धनाथ की दरी, दुर्गा मन्दिर, टांडाफाल, कुसेहरा काल, सिरसी जलाशय, चुनार किला
- हस्तशिल्प — कालीन, दरी, बर्तन

42 भदोही

- क्षेत्रफल — 1015 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1578213
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 771114

- पुरुष (जनसंख्या) 807099
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 16.6 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 950-1000
- जनसंख्या घनत्व 1555 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 69.0 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 02 (भदोही, गोपीगंज)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 03 (भदोही, ज्ञानपुर, औराई)
- विकासखण्डों की संख्या 06 (सुरियावां, भदोही, ज्ञानपुर, औराई, डीघ, अमोली)
- आबाद ग्रामों की संख्या 1087
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल सीतामणि, सेमराधनाथ, चकवा महावीर, तीलेश्वरनाथ, हरिहरनाथ मंदिर
- हस्तशिल्प कालीन
- महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयाँ भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान, दि काशी सहकारी चीनी मिल

43 सोनभद्र

- क्षेत्रफल 6905 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 1862559
- महिलाएँ (जनसंख्या) 891215
- पुरुष (जनसंख्या) 971344
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 23.9 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 918-1000
- जनसंख्या घनत्व 274 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 64.0 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 01 (राबर्ट्सगंज)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 04 (राबर्ट्सगंज, दुद्धी, घोरावल, ओबरा)
- विकासखण्डों की संख्या 10 (राबर्ट्सगंज, घोरावल, चतरा, नगवां चोपन, दुद्धी, म्योरपुर, बभनी, करमा, कोन)
- आबाद ग्रामों की संख्या 1391

44 मुरादाबाद

- क्षेत्रफल 2271 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 3126507
- महिलाएँ (जनसंख्या) 1489476
- पुरुष (जनसंख्या) 1637031
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 26.1 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 909-1000
- जनसंख्या घनत्व 1370 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 59.7 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 02 (ठाकुरद्वारा, बिलारी)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 04 (मुरादाबाद, कांठ, ठाकुरद्वारा, बिलारी)
- नगर निगम 01 (मुरादाबाद)
- विकासखण्डों की संख्या 08 (बिलारी, कुन्दरकी, ठाकुरद्वारा, बिलारी, मुरादाबाद, मुंडापाण्डे, भगतपुरटाण्डा, छजलैट)

आबाद ग्रामों की संख्या	965
प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल	सम्भल
हस्तशिल्प	लकड़ी का काम, स्वर्णकारी, वस्त्र रंगाई-छपाई, लाख, कसीदाकारी, पीतल का काम, स्याह कलम तथा नक्काशी

45 बिजनौर

क्षेत्रफल	4561 वर्ग किमी.
जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर)	3682713
महिलाएँ (जनसंख्या)	1761498
पुरुष (जनसंख्या)	1921215
जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर	17.64 प्रतिशत
स्त्री-पुरुष अनुपात	917-1000
जनसंख्या घनत्व	807 प्रति वर्ग किमी.
साक्षरता	68.5 प्रतिशत
नगर पालिका परिषदों की संख्या	12 (बिजनौर, चाँदपुर, धामपुर, नगीना, नजीबाबाद, अफजलगढ़, हल्दौर, नहटौर, शेरकोट, किरतपुर, स्योहारा, नूरपुर)
तहसीलों की संख्या एवं नाम	05 (बिजनौर, धामपुर, नगीना, नजीबाबाद, चाँदपुर)
विकासखण्डों की संख्या	11 (मोहम्मदपुर देवमल, हलदौर, जलीलपुर, नूरपुर, कोतवाली, अफजलगढ, नजीबाबाद, किरतपुर, अल्हेपुर, नहटौर, धामपुर, स्योहारा)
आबाद ग्रामों की संख्या	2186
प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल	कण्व आश्रम, बिदुरकुटी, जहानाबाद, दारानगर गंज, सीता का मंदिर, सेना का द्वार, अकबर के नौरत्न, मयूर ध्वज दुर्ग, नजीबुद्दौला का किला, भंडावर का महल, पारसनाथ, ताजपुर का चर्च, नजफे हिन्द (जोगीरामपुरा)
हस्तशिल्प	काष्ठकला, ब्रश, कांच का सामान, हथकरघा

4 रामपुर

क्षेत्रफल	2367 वर्ग किमी.
जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर)	2335819
महिलाएँ (जनसंख्या)	1111930
पुरुष (जनसंख्या)	1223889
जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर	21.40 प्रतिशत
स्त्री-पुरुष अनुपात	909-1000
जनसंख्या घनत्व	987 प्रति वर्ग किमी.
साक्षरता	53.3 प्रतिशत
नगर पालिका परिषदों की संख्या	05 (स्वार, रामपुर, विलासपुर, टाण्डा, मिलक)
तहसीलों की संख्या एवं नाम	06 (रामपुर सदर, विलासपुर, मिलक, शाहबाद, स्वार, टाण्डा)
विकासखण्डों की संख्या	06 (सैदनगर, चमरौआ, बिलासपुर, मिलक, शाहबाद, स्वार)
आबाद ग्रामों की संख्या	1108
प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल	रजा लाइब्रेरी, किला रामपुर, रठौण्डा मन्दिर, मजार भैसोड़ी शरीफ, कोठी खासबाग, बेनजीर कोठी, शिव मंदिर,

	जामा मस्जिद, मजार हाफिज जमातुल्लाह साहब, रामगंगा, कोसी, भाखड़ा, गांगन, सैजनी, पीलाखार
● महत्त्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयाँ	चीनी, डिस्टलरी, उर्वरक, कागज, प्रिंटिंग, मैन्था एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स, जीरॉक्स, टेलीविजन, व्हीलबेल, कैमिकल्स आदि।
● हस्तशिल्प	जरी, जरदोजी, चाकू, पैचवर्क, पतंग व गार्डेन टूल्स

4 मेरठ

● क्षेत्रफल	2559 वर्ग किमी.
● जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर)	3443689
● महिलाएँ (जनसंख्या)	1617946
● पुरुष (जनसंख्या)	1825743
● जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर	15.8 प्रतिशत
● स्त्री-पुरुष अनुपात	886-1000
● जनसंख्या घनत्व	1330 प्रति वर्ग किमी.
● साक्षरता	72.8 प्रतिशत
● नगर निगम	01 (मेरठ)
● नगर पालिका परिषदों की संख्या	02 (सरधना, मवाना)
● तहसीलों की संख्या एवं नाम	03 (मेरठ, सरधना, मवाना)
● विकासखण्डों की संख्या	12 (मेरठ, रजपुरा, रोहटा, जानीखुर्द, खरखोदा, मवाना, हस्तिनापुर परीक्षितगढ़, माछरा, सरघना, सरूरपुरखुर्द, दौराला)
● आबाद ग्रामों की संख्या	604
● प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल	हस्तिनापुर, सरधना, गागोल तथा परीक्षितगढ़
● हस्तशिल्प	होजरी, कैमिकल्स, कारपेट, हस्तशिल्प

48 बुलन्दशहर

● क्षेत्रफल	4512 वर्ग किमी.
● जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर)	3499171
● महिलाएँ (जनसंख्या)	1653911
● पुरुष (जनसंख्या)	1845260
● जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर (1991 के अनुसार)	16.3 प्रतिशत
● स्त्री-पुरुष अनुपात	896-1000
● जनसंख्या घनत्व	804 प्रति वर्ग किमी.
● साक्षरता	68.9 प्रतिशत
● नगर पालिका परिषदों की संख्या	09 (बुलन्दशहर, खुर्जा, सिकन्द्राबाद, गुलावठी स्याना, अनूपशहर, शिकारपुर, डिवाई, जहाँगीराबाद)
● तहसीलों की संख्या एवं नाम	07 (बुलन्दशहर, अनूपशहर, सिकन्द्राबाद, खुर्जा, स्याना, शिकारपुर, डिबाई)
● विकासखण्डों की संख्या	16 (बुलन्दशहर, गुलावठी, स्याना, भवन बहादुर नगर, लखावटी, शिकारपुर, खुर्जा, पहासू, अरनियाँ, सिकन्द्राबाद, अनूपशहर, अगौता, जहाँगीराबाद, ऊँचागाँव, डिबाई, दानपुर)
● आबाद ग्रामों की संख्या	1174
● प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल	नरौरा, अनूपशहर, राजघाट, कालाआम, गुलावठी, कर्णवास,

	रामघाट, मालागढ़, अहार, खुर्जा आदि
● हस्तशिल्प	पाटरी उद्योग

49 गाजियाबाद

● क्षेत्रफल	910 वर्ग किमी.
● जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर)	3343334
● महिलाएँ (जनसंख्या)	1563410
● पुरुष (जनसंख्या)	1779924
● जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर	53.0 प्रतिशत
● स्त्री-पुरुष अनुपात	887-1000
● जनसंख्या घनत्व	3674 प्रति वर्ग किमी.
● साक्षरता	80.5 प्रतिशत
● नगर पालिका परिषदों की संख्या	04 (खोड़ा मकनपुर, मोदीनगर, मुरादनगर, लोनी)
● नगर निगम	01 (गाजियाबाद)
● तहसीलों की संख्या एवं नाम	03 (गाजियाबाद, मोदीनगर, लोनी)
● विकासखण्डों की संख्या	04 (रजापुर, लोनी, भोजपुर, मुरादनगर)
● आबाद ग्रामों की संख्या	183
● प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल	केसरी का टीला, लवणासुर का किला, गढ़मुक्तेश्वर का गंगा मंदिर, पूँठ, दुधेश्वरनाथ मंदिर, गढ़ का नक्का कुआं

50 बागपत

● क्षेत्रफल	1321 वर्ग किमी.
● जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर)	1303048
● महिलाएँ (जनसंख्या)	602978
● पुरुष (जनसंख्या)	700070
● जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर	11.87 प्रतिशत
● स्त्री-पुरुष अनुपात	861-1000
● जनसंख्या घनत्व	986 प्रति वर्ग किमी.
● साक्षरता	72.0 प्रतिशत
● तहसीलों की संख्या एवं नाम	03 (बागपत, बड़ौत, खेकड़ा)
● विकासखण्डों की संख्या	06 (बागपत, बड़ौत, छपरौली, खेकड़ा, पिलाना, बिनौली)
● आबाद ग्रामों की संख्या	290
● प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल	पुरा महादेव, बरनाना, वालैनी, बड़ा गाँव
● नगरपालिका परिषद	2 (बड़ौत, बागपत)

51 लखनऊ

● क्षेत्रफल	2528 वर्ग किमी.

जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर)	4589838
महिलाएँ (जनसंख्या)	2195362
पुरुष (जनसंख्या)	2394476
जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर	25.79 प्रतिशत
स्त्री-पुरुष अनुपात	917-1000
जनसंख्या घनत्व	1816 प्रति वर्ग किमी.
साक्षरता	77.3 प्रतिशत
नगर निगम	01 (लखनऊ)
तहसीलों की संख्या एवं नाम	05 (सदर, मोहनलालगंज, बख्शी का तालाब, मलिहाबाद, सरोजनी नगर)
विकासखण्डों की संख्या	08 (काकोरी, मलिहाबाद, बक्शी का तालाब, गोसाईगंज, सरोजिनी नगर, माल, चिनहट, मोहनलालगंज)
आबाद ग्रामों की संख्या	803
प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल	आसिफुद्दौला इमामबड़ा, रेजीडेन्सी, शाहनजफ इमामबाड़ा, छतर मंजिल, लाल बारादरी, रूमी दरवाजा, विधानभवन, चारबाग रेलवे स्टेशन, शहीद स्मारक, अलीगंज महावीर मंदिर, चंद्रिका देवी मंदिर, बुद्धेश्वर शिव मंदिर, मनकामेश्वर मंदिर, खम्मनपीर मजार, सिकन्दरबाग, बेगम हजरतमहल पार्क, रोशनुद्दौला कोठी, बिजली पासी का किला, काकोरी शहीद स्मारक, लोहिया पार्क, अम्बेडकर स्मारक, अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल द्वार, डॉ. भीमराव अम्बेडकर विहार, समतामूलक चौक, सामाजिक परिवर्तन गैलरी, डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मारक दृश्य स्थल, परिवर्तन चौक, डॉ. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन प्रतीक स्थल, सामाजिक परिवर्तन संग्रहालय, मान्यवर श्री कांशीराम जी स्मारक स्थल तथा बौद्ध विहार शान्ति उपवन।
हस्तशिल्प	चिकन, जरदोजी

52 हरदोई

क्षेत्रफल	5986 वर्ग किमी.
जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर)	4092845
महिलाएँ (जनसंख्या)	1901403
पुरुष (जनसंख्या)	2191442
जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर	20.39 प्रतिशत
स्त्री-पुरुष अनुपात	868-1000
जनसंख्या घनत्व	683 प्रति वर्ग किमी.
साक्षरता	64.6 प्रतिशत
नगर पालिका परिषदों की संख्या	07 (हरदोई, साण्डी, बिलग्राम, शाहाबाद, पिहानी, मल्लावाँ, सण्डीला)
तहसीलों की संख्या एवं नाम	05 (हरदोई, शाहाबाद, संडीला, बिलग्राम, स्वायजपुर)
विकासखण्डों की संख्या	19 (सुरसा, बावन, टड़ियावाँ, हरियावाँ, अहिरोरी, शाहाबाद, पिहानी, टोडरपुर, भरखनी, बिलग्राम, माधौगंज, मल्लावाँ, साण्डी, हरपालपुर, संडीला, भरावन, बेंहदर, कछोना, कोथावाँ)
आबाद ग्रामों की संख्या	1907
प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल	दहरझील, साण्डी

53 लखीमपुर खीरी

क्षेत्रफल	7680 वर्ग किमी.

- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 4021243
- महिलाएँ (जनसंख्या) 1898056
- पुरुष (जनसंख्या) 2123187
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 25.14 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 894-1000
- जनसंख्या घनत्व 524 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 60.6 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 04 (लखीमपुर, गोला, मुहम्मदी, पलिया)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 07 (खीरी, निघासन, मोहम्मदी, धौरहरा, गोलागोकरननाथ, पलिया, मितौली)
- विकासखण्डों की संख्या 15 (लखीमपुर, बेहजम, फूलबेहड़, बाँकेगंज, नकहा, बिजुआ, मोहम्मदी, पसगवाँ, मितौली, कुम्भी (गोला), धौरहरा, ईसानगर, रमियाबेहड़, निघासन, पलिया)
- आबाद ग्रामों की संख्या 1706
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल दुधवा नेशनल पार्क, इन्दिरा मनोरंजन पार्क, मेढक मन्दिर, गोला मंदिर
- हस्तशिल्प पीतल के बर्तन

54 रायबरेली

- क्षेत्रफल 4043 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 2903507
- महिलाएँ (जनसंख्या) 1408263
- पुरुष (जनसंख्या) 1495244
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 18.51 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 942-1000
- जनसंख्या घनत्व 721 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 68.4 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 01 (रायबरेली)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 06 (डलमऊ, लालगंज, महाराजगंज, रायबरेली, ऊँचाहार, सलोन)
- विकासखण्डों की संख्या 18 (राही, सतांव, हरचन्दपुर, अमाबा, लालगंज, सरेनी, खीरों, जगतपुर, डलमऊ, महराजगंज, बछरावां, शिवगढ़, ऊँचाहार, दीनशाहगौरा, रोहनियाँ, डीह, छतोह, सलोन)
- आबाद ग्रामों की संख्या 1535
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल जायसी स्मारक, शहीद स्मारक
- औद्योगिक इकाइयाँ इन्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज, भवानी पेपर मिल, नेशनल थर्मल पावर, बिरला सीमेन्ट फैक्ट्री, स्पिनिंग मिल, विसाका सीमेन्ट उद्योग, राजश्री इण्डस्ट्रीज

55 सीतापुर

- क्षेत्रफल 5743 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 4483992
- महिलाएँ (जनसंख्या) 2108728
- पुरुष (जनसंख्या) 2375264
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 23.9 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 888-1000

- जनसंख्या घनत्व — 781 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 61.1 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 06 (सीतापुर, बिसवां, मिसरिख, खैराबाद, महमूदाबाद, लहरपुर)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 07 (सीतापुर, बिसवां, मिसरिख, सिधौली, महमूदाबाद, लहरपुर, महोली)
- विकासखण्डों की संख्या — 19 (एलिया, हरगाँव, लहरपुर, परसेन्डी, खैराबाद, बिसवां, बेहटा, रेउसा, सकरन, सिधौली, कसमण्डा, पहला, महमूदाबाद, रामपुर मथुरा, मिश्रिख, मछरेहटा, गोंदलामऊ, पिसावाँ, महोली)
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — दधीचि कुंड, व्यास पीठ, नैमिषारण्य, ललिता देवी मंदिर
- हस्तशिल्प — दरी का कार्य
- आबाद ग्रामों की संख्या — 2317

5 उन्नाव

- क्षेत्रफल — 4558 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 3108367
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1478280
- पुरुष (जनसंख्या) — 1630087
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 15.19 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 907-1000
- जनसंख्या घनत्व — 682 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 66.4 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 03 (उन्नाव, गंगाघाट, बांगरमऊ)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 06 (उन्नाव सदर, सफीपुर, हसनगंज, पुरवा, बीघापुर, बांगरमऊ)
- विकासखण्डों की संख्या — 16 (सिकन्दरपुर करन, बिछिया, सफीपुर, फतेहपुर चौरासी, बांगरमऊ, गंजमुरादाबाद, हसनगंज, औरास, मियाँगंज, नवाबगंज, पुरवा, असोहा, हिलौली, बीघापुर, सिकन्दरपुर-सरोसी, सुमेरपुर)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1693
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — बक्सर, परियर, बदरका, सचानकोट, नवाबगंज पक्षी बिहार, राज राजेश्वरी श्री विद्या मंदिर, बाल्मीकि आश्रम, चन्द्रिका देवी, दुर्गा, कुशेहरी
- प्रमुख उद्योग — चमड़ा उद्योग, राइस मिल

5 वाराणसी

- क्षेत्रफल — 1535 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 3676841
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1754984
- पुरुष (जनसंख्या) — 1921857
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 17.1 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 913-1000
- जनसंख्या घनत्व — 2395 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 75.6 प्रतिशत
- नगर निगम — 01 (वाराणसी)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 03 (पिण्डरा, वाराणसी सदर, राजातालाब)

- विकासखण्डों की संख्या — 08 (चिरईगाँव, हरहुआ, पिण्डरा, बड़ागांव, सेवापुरी, काशी विद्यापीठ, अराजीलाइन, चोलापुर)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1258
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — गंगा के 84 घाट, काशी विश्वनाथ मंदिर, मारकण्डेय महादेव, सारनाथ, बौद्ध मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, रामनगर किला, संकटमोचन मन्दिर, दुर्गा मंदिर, काल भैरव मन्दिर, ज्ञानवापी मस्जिद, आलमगीर मस्जिद (बेनी माधव का करहरा) भारत माता मन्दिर।
- हस्तशित्प — बनारसी साड़ी, लकड़ी के खिलौने, काला पंखा, ग्लास बीड्स
- महत्त्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयाँ — डीजल रेल इंजन कारखाना, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि., सिन्नी पंखा, बूटी मिक्सी, राइस व फ्लोर मिल, एच डी पी ई बैग।

58 गाजीपुर

- क्षेत्रफल — 3377 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 3620268
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1765193
- पुरुष (जनसंख्या) — 1855075
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 19.0 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 952-1000
- जनसंख्या घनत्व — 1071 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 71.8 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 03 (गाजीपुर, मुहम्मदाबाद, जमानियां)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 07 (गाजीपुर सदर, जमानिया, जखनिया, मुहम्मदाबाद, सैदपुर, कासिमाबाद, सेवराई)
- विकासखण्डों की संख्या — 16 (गाजीपुर, करण्डा, मरदह, बिरनों, मुहम्मदाबाद, भाँवरकोल, बाराचबर, कासिमाबाद, जमानिया, रेवतीपुर, भदौरा, सैदपुर, देवकली, सादात, मनिहारी, जखनिया)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 2740
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — सैदपुर भितरी, लठिया, लार्ड कार्नवालिस का मकबरा, जलालाबाग का किला, पौहारी बाबा आश्रम कुरथा, हथियाराम मठ, भुड़कुड़ा मठ, मौनी बाबा आश्रम, गंगादास आश्रम बयेपुर, देवकली, देवल
- हस्तशित्प — वाल हैंगिंग
- निजी तथा सार्वजनिक औद्योगिक इकाइयाँ — ओपियम फैक्ट्री, डिस्टलरी, राइस मिलें, बहादुर गंज, कताई मिल

59 जौनपुर

- क्षेत्रफल — 4038 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 4494204
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 2273739
- पुरुष (जनसंख्या) — 2220465
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 14.9 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 1024-1000
- जनसंख्या घनत्व — 1113 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 71.5 प्रतिशत

- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 03 (जौनपुर, मुंगरा बादशाहपुर, शाहगंज)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 06 (सदर, मड़ियाहूँ, मछलीशहर, केराकत, शाहगंज, बदलापुर)
- विकासखण्डों की संख्या — 21 (शाहगंज, सुइथाकला, बदलापुर, खुटहन, महराजगंज, सुजानगंज मुंगरा, बादशाहपुर, मछलीशहर, केराकत, गंज-डोभी, मुफ्तीगंज, जलालपुर, करंजाकला, बक्शा, सिकरारा, धर्मापुर, मडियाहूँ, बरसठी, रामनगर, रामपुर, सिरकोनी)।
- आबाद ग्रामों की संख्या — 3287
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — शाही किला, शाहीपुर, अटाला मस्जिद, जामा मस्जिद, लाल दरवाजा, झझरी मस्जिद, बड़ी मस्जिद, शीतला चौकिया धाम, शारदा मंदिर हनुमान मंदिर, शिव मंदिर, धर्मापुर, काली मंदिर, शिवलिंग गोमतेश्वर महादेव, गौरीशंकर मंदिर, त्रिलोचन महादेव आदि।
- प्रमुख उद्योग — कृषि यन्त्र, खाद्य तेल, राइसमिल, कालीन, ताल जाली, लोहे के समान, फ्लोर मिल

0 सहारनपुर

- क्षेत्रफल — 3689 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 3466382
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1632276
- पुरुष (जनसंख्या) — 1834106
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 19.7 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 890-1000
- जनसंख्या घनत्व — 940 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 70.5 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 04 (गंगोह, नकुड़, देवबन्द, सरसांवा)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 05 (सहारनपुर, रामपुर मनिहारान, देवबन्द, नकुड़, बेहट)
- विकास खण्डों की संख्या — 11 (बलियाखेड़ी, रामपुर मनिहारान, नानौता, देवबन्द, नागल, मुजफ्फराबाद, सढ़ौली कदीम, सरसावा, नकुड़, पुवाँरका, गंगोह)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1243
- हस्तशिल्प — काष्ठ कला, कागज, लुगदी उद्योग, गत्ता उद्योग, घंटी उद्योग

1 मुजफ्फरनगर

- क्षेत्रफल — 2796 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 2829865
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1335505
- पुरुष (जनसंख्या) — 1494360
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 19.2 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 893-1000
- जनसंख्या घनत्व — 957 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 70.2 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 02 (मुजफ्फरनगर, खतौली)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 04 (मुजफ्फरनगर, ातौली जानसठ, बुढ़ाना)

- विकासखण्डों की संख्या — 09 (बघरा, चरथावल, पुरकाजी, खतौली, जानसठ, मोरना, बुढ़ाना, शाहपुर, मुजफ्फर नगर)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 587
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — नेहरू पार्क, शुक्रताल
- प्रमुख उद्योग — रोलिंग, चीनी, स्टील, कागज

2 अमरोहा

- क्षेत्रफल — 2249 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1840221
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 876772
- पुरुष (जनसंख्या) — 963449
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 22.8 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 910-1000
- जनसंख्या घनत्व — 818 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 63.8 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 05 (बछराऊँ, हसनपुर, गजरौला, अमरोहा, घनौरा)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 04 (अमरोहा, घनौरा, हसनपुर, नौगांवा सादत)
- विकास खण्डों की संख्या — 06 (अमरोहा, जौया, घनौरा, गजरौला, हसनपुर, गंगेश्वरी)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 959
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — वासुदेव मन्दिर, बायें का कुआँ, नसीरुद्दीन साहब की मजार, भूरेशाह की दरगाह, शाह विलायत साहब की मजार
- प्रमुख उद्योग — चड्ढा रबड़, शिवालिक सेल्लयूलोज

3 गौतमबुद्धनगर

- क्षेत्रफल — 1282 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1648115
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 757901
- पुरुष (जनसंख्या) — 890214
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 49.1 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 851-1000
- जनसंख्या घनत्व — 1143 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 80.1 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 01 (दादरी)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 03 (गौतमबुद्धनगर, जेवर, दादरी)
- विकासखण्डों की संख्या — 03 (जेवर, विसरख, दादरी)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 304
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — नोएडा फिल्म सिटी, साफ्टवेयर पार्क्स
- प्रमुख उद्योग — आटोमोबाईल, पेण्ट, ऐन्सलियरी इकाइयाँ, न्यूज चैनल्स उद्योग आदि

4 हाथरस

- क्षेत्रफल — 1840 वर्ग किमी.

- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 1564708
- महिलाएँ (जनसंख्या) 728581
- पुरुष (जनसंख्या) 836127
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 17.19 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 871-1000
- जनसंख्या घनत्व 850 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 71.6 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 02 (सिकन्दराराऊ, हाथरस)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 04 (सासनी, हाथरस, सादाबाद, सिकन्दराराऊ)
- विकासखण्डों की संख्या 07 (सासनी, सहपऊ, हाथरस, मुरसान, सादाबाद, सिकन्दराराऊ, हसायन)
- आबाद ग्रामों की संख्या 655
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल दाऊजी महाराज का मन्दिर, महाकाली मन्दिर (शाहपाउ)
- प्रमुख उद्योग एसोफीटीडा (हींग), देशी घी, चीनी, रेडीमेड परिधान, केमिकल्स, कृत्रिम मोती, आर्टवेयर

5 औरैया

- क्षेत्रफल 2016 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 1379545
- महिलाएँ (जनसंख्या) 639505
- पुरुष (जनसंख्या) 740040
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 16.99 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 864-1000
- जनसंख्या घनत्व 685 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 78.9 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 01 (औरैया)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 03 (विघूना, औरैया, अजितमल)
- विकासखण्डों की संख्या 07 (एरवा कटरा, विघूना, अछल्दा, सहार, अजीतमल, भाग्यनगर, औरैया)
- आबाद ग्रामों की संख्या 769
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चयूरी
- प्रमुख उद्योग हैण्डलूम के कपड़ों का उत्पादन

कौशाम्बी

- क्षेत्रफल 1779 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 1599596
- महिलाएँ (जनसंख्या) 761111
- पुरुष (जनसंख्या) 838485
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 23.60 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 908-1000
- जनसंख्या घनत्व 898 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 61.3 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 02 (भरवारी, मंझनपुर)

- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 03 (सिराथू, मंझनपुर, चायल)
- विकासखण्डों की संख्या — 08 (कड़ा, सिराथू, सरसवां, मंझपुर, कौशाम्बी, मुरतगंज, चायल, नेवादा)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 729
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — शीतला शक्तिपीठ मन्दिर, प्रभासगिरि (पभोसा), महाराज उदयन के किले के अवशेष, गढ़वा कोसम, दुर्गा देवी मन्दिर (मंझनपुर), संत मलूकदास की समाधि
- प्रमुख उद्योग — बालू खनन, कोल्ड स्टोरेज, ईंट-भट्टा उद्योग

अम्बेडकर नगर

- क्षेत्रफल — 2350 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 2397888
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1185478
- पुरुष (जनसंख्या) — 1212410
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 18.0 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 978-1000
- जनसंख्या घनत्व — 1018 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 72.2 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 03 (टाण्डा, अकबरपुर, जलालपुर)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 05 (अकबरपुर, भीटी, टाण्डा, जलालपुर, आलापुर)
- विकासखण्डों की संख्या — 09 (भीटी, अकबरपुर, कटेहरी, टाण्डा, बसखारी, रामनगर, जहागीरगंज, जलालपुर, भियाव)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1649
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — शिवलिंगम (बीरी), लोरपुर राजा का किला, एकलव्य स्टेडियम (बसखारी रोड), साहित्य सदन (सेथवा), शिवबाबा
- प्रमुख उद्योग — टाण्डा-टेराकोटा, पावरलूम, थर्मल पावर स्टेशन (एन.टी.पी.सी.), अकबरपुर शुगर मिल, राइस मिल, अचल इण्डस्ट्री

8 श्रावस्ती

- क्षेत्रफल — 1640 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1117361
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 523464
- पुरुष (जनसंख्या) — 593897
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 30.6 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 881-1000
- जनसंख्या घनत्व — 601 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 46.7 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 01 (भिनगा)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 03 (भिनगा, इकौना, जमुनहा)
- विकासखण्डों की संख्या — 05 (जमुनहा, गिलौला, इकौना, हरिहरपुर रानी, सिरसिया)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 509
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — जेतवन, मोनेस्ट्री, बुद्ध विहार, महामंगोल मन्दिर, महावीर मन्दिर, सहेत-महेत, शक्तिपीठ
- प्रमुख उद्योग — कृषि तथा पर्यटन उद्योग

9 सन्त कबीर नगर

- क्षेत्रफल — 1646 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1715183
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 845527
- पुरुष (जनसंख्या) — 869656
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 20.71 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 973-1000
- जनसंख्या घनत्व — 1037 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 66.7 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 01 (खलीलाबाद)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 03 (खलीलाबाद, मेंहदावल, घनघटा)
- विकासखण्डों की संख्या — 09 (सेमरियांवा, मेहदावल, वघौली, खलीलाबाद, नाथनगर, हेसरबाजार, सांथा, बेलहरकला, पौली)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1582
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — तामा, बखीरा, खलीलाबाद और कबीर निर्वाण स्थली मगहर
- प्रमुख उद्योग — पेपर मिल, रिफाइण्ड तेल, काटन टेक्सटाइल, पाटरी, कन्फेक्शनरी, बढ़ईगिरी, ब्रासवेयर, ईंट, एग्रो-उत्पाद, साबुन, मोमबत्ती, खाण्डसारी आदि

0 चंदौली

- क्षेत्रफल — 2541 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1952756
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 934851
- पुरुष (जनसंख्या) — 1017905
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 18.1 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 918-1000
- जनसंख्या घनत्व — 770 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 71.5 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 01 (मुगलसराय)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 05 (सकलडीहा, चन्दौली, चाकिया, मुगलसराय, नौगढ़)
- विकासखण्डों की संख्या — 09 (चहनिया, धानापुर, सकलडीहा, नियामताबाद, चन्दौली, बरहनी चकिया, सहाबगंज, नौगढ़)
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — छहानिया, नवगढ़ के जंगल, जल प्रपात, राजदारी एवं देवदारी जल प्रपात, चकिया, चन्द्र प्रभा डैम, नवगढ़ डैम, अर्वताण्ड जल प्रपात एवं चन्द्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सैंक्चयूरी
- प्रमुख उद्योग — राइस मिल, लकड़ी उद्योग एवं जंगल उत्पाद आधारित उद्योग
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1425

1 कासगंज

- क्षेत्रफल — 1955 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1436719
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 672554

- पुरुष (जनसंख्या) 764165
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 17.05 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 881-1000
- जनसंख्या घनत्व 725 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 61.0 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 03 (कासगंज, सोरों, गंज डुडवारा)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 03 (कासगंज, पटियाली, सहावर)
- विकासखण्डों की संख्या एवं नाम 07 (सोरों, सहावर, पटियाली, कासगंज, गंजडुण्डुवारा, सिढ़पुरा, अमापुर)
- आबाद ग्रामों की संख्या 650
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल भगवान वराह मन्दिर, जामा मस्जिद, नदरई का पुल, प्रभु का पार्क, चामुण्डा मन्दिर आदि
- हस्तशिल्प खादी वस्त्र, घुंघरू घंटी, कांचमूंगा, मोती, मूंगबान
- प्रमुख उद्योग कृषि उत्पाद हेतु शीतगृह, सीमेण्ट कारखाना, राइस मिल, कालीन कारखाना, दुग्ध प्लांट, ईंट भट्टा एवं बेकरी आदि

2 अमेठी

- क्षेत्रफल 2329 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 1867678
- महिलाएँ (जनसंख्या) 922443
- पुरुष (जनसंख्या) 945235
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 18.42 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 976-1000
- जनसंख्या घनत्व 610 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 64.3 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 02 (जायस, गौरीगंज)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 04 (मुसाफिरखाना, अमेठी, गौरीगंज, तिलोई)
- विकासखण्डों की संख्या एवं नाम 13 (मुसाफिरखाना, अमेठी, गौरीगंज, तिलोई, जगदीशपुर, शुकुलबाजार, भादर, भेटुआ, संग्रामपुर, शाहगढ, जामों, बहादुरपुर, सिंह्पुर)
- ग्रामों की संख्या 988
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल मलिक मुहम्मद जायसी की मजार, टीकरमाफी आश्रम, कालिकन धाम, सत्थिन, अहोरवन भवानी
- प्रमुख उद्योग ए.सी.सी. सीमेन्ट फैक्ट्री, भेल, इण्डोगल्फ, एच.ए.एल. गैस प्लान्ट

3 शामली

- क्षेत्रफल 1212 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 1313647
- महिलाएँ (जनसंख्या) 614259
- पुरुष (जनसंख्या) 699388
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 03 (कैराना, शामली, ऊन)
- विकासखण्डों की संख्या 05 (ऊन, थाना भवन, शामली, कैराना, कांधला)
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 03 (कैराना, कांधला, शामली)
- आबाद ग्रामों की संख्या 293
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल हनुमान टीला, जैन मन्दिर (जलालाबाद), गुरुद्वारा (शामली), पीर बिडौली (झिंझाना), कर्ण का तालाब (कैराना)

4 हापुड़

- क्षेत्रफल — 660 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1338311
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 629401
- पुरुष (जनसंख्या) — 708910
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 18.5
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 888-1000
- जनसंख्या घनत्व — 2028 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 71.2 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 03 (गढ़मुक्तेश्वर, पिलखुवा, हापुड़)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 03 (हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर, धौलाना)
- विकासखण्डों की संख्या एवं नाम — 04 (हापुड़, सिम्भावली, गढ़मुक्तेश्वर, धौलाना)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 328
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — चण्डी मन्दिर, दुग्धेश्वरनाथ मन्दिर, सपनावत साईं मन्दिर

5 संभल

- क्षेत्रफल — 2453 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 2199774
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1039728
- पुरुष (जनसंख्या) — 1160046
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 18.5 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 888-1000
- जनसंख्या घनत्व — 2028 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 71.2 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 03 (चन्दौसी, सम्भल, बहजोई)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 03 (संभल, चन्दौसी, गुन्नौर)
- विकासखण्डों की संख्या एवं नाम — 08 (रजपुरा, गुन्नौर, जूनावई, असमौली, संभल, पवासा, बनियाखेड़ा, बहजोई)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 894
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — सूर्यकुण्ड, कुरुक्षेत्र, यमतीर्थ, कल्किमन्दिर, शाही मस्जिद, चक्की-पाट
- प्रमुख उद्योग — मैंथा, हड्डी-सींग, कृषियन्त्र, हैण्डीक्राफ्ट, चाँदी का वरक

स्रोतः सांख्यिकीय डायरी- 2024

●

भार ा के रा ािा

क्रम	नाम	कार्यकाल		
1.	डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद (1884-1963)	26 जनवरी, 1950	से	13 मई, 1962
2.	डॉ0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन् (1888-1975)	13 मई, 1962	से	13 मई, 1967
3.	डॉ0 जाकिर हुसैन (1897-1969)	13 मई, 1967	से	03 मई, 1969
4.	श्री वराहगिरि वेंकट गिरि (1894-1980) (कार्यवाहक)	3 मई, 1969	से	20 जुलाई, 1969
5.	न्यायमूर्ति मुहम्मद हिदायतुल्लाह (1905-1992) (कार्यवाहक)	20 जुलाई, 1969	से	24 अगस्त, 1969
6.	श्री वराहगिरि वेंकट गिरि (1894-1980)	24 अगस्त, 1969	से	24 अगस्त, 1974
7.	डॉ. फखरुद्दीन अली अहमद (1905-1977)	24 अगस्त, 1974	से	11 फरवरी, 1977
8.	श्री बी0डी0 जत्ती (1912-2002) (कार्यवाहक)	11 फरवरी, 1977	से	25 जुलाई, 1977
9.	श्री नीलम संजीव रेड्डी (1913-1996)	25 जुलाई, 1977	से	25 जुलाई, 1982
10.	श्री ज्ञानी जैल सिंह (1916-1994)	25 जुलाई, 1982	से	25 जुलाई, 1987
11.	श्री आर0 वेंकटरामन (1910-2009)	25 जुलाई, 1987	से	25 जुलाई, 1992
12.	डॉ0 शंकर दयाल शर्मा (1918-1999)	25 जुलाई, 1992	से	25 जुलाई, 1997
13.	डॉ0 के0 आर0 नारायणन (1920-2005)	25 जुलाई, 1997	से	25 जुलाई, 2002
14.	डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम (1931-2015)	25 जुलाई, 2002	से	25 जुलाई, 2007
15.	श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल (जन्म 1934)	25 जुलाई, 2007	से	25 जुलाई, 2012
16.	श्री प्रणब मुखर्जी (जन्म 1935-2020)	25 जुलाई, 2012	से	25 जुलाई, 2017
17.	श्री राम नाथ कोविन्द (जन्म 1945)	25 जुलाई, 2017	से	25 जुलाई, 2022
18.	श्रीमती द्रौपदी मुर्मू (जन्म 1958)	25 जुलाई, 2022	से	अब तक

स्रोत : भारत- 2025

●

भार ा के उ ारा ािा

क्रम	नाम	कार्यकाल
1.	डॉ0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन् (1888-1975)	13 मई, 1952 से 12 मई, 1962
2.	डॉ0 जाकिर हुसैन (1897-1969)	13 मई, 1962 से 12 मई, 1967
3.	श्री वी0वी0 गिरि (1894-1980)	13 मई, 1967 से 03 मई, 1969
4.	श्री गोपाल स्वरूप पाठक (1896-1982)	31 अगस्त, 1969 से 30 अगस्त, 1974
5.	श्री बी0 डी0 जत्ती (1912-2002)	31 अगस्त, 1974 से 30 अगस्त, 1979
6.	न्यायमूर्ति एम. हिदायतुल्लाह (1905-1992)	31 अगस्त, 1979 से 30 अगस्त, 1984
7.	श्री आर0 वेंकटरमन (1910-2009)	31 अगस्त, 1984 से 24 जुलाई, 1987
8.	डॉ0 शंकर दयाल शर्मा (1918-1999)	3 सितम्बर, 1987 से 24 जुलाई, 1992
9.	श्री के0 आर0 नारायणन (1920-2005)	21 अगस्त, 1992 से 24 जुलाई, 1997
10.	श्री कृष्णकांत (1927-2002)	21 अगस्त, 1997 से 21 जुलाई, 2002
11.	श्री भैरों सिंह शेखावत (1923-2010)	19 अगस्त, 2002 से 21 जुलाई, 2007
12.	मोहम्मद हामिद अंसारी (जन्म, 1937)	11 अगस्त, 2007 से 10 अगस्त, 2017
13.	श्री एम0 वेंकैया नायडु (जन्म, 1949)	11 अगस्त, 2017 से 10 अगस्त, 2022
14.	श्री जगदीप धनखड़ (जन्म, 1951)	11 अगस्त, 2022 से 21 जुलाई, 2025
15.	श्री सी.पी. राधाकृष्णन (जन्म, 1957)	12 सितम्बर, 2025 से वर्तमान तक

स्रोत : भारत- 2025

●

भार ा के प्र ाानमंत्री

क्रम	नाम	कार्यकाल		
1.	पं. जवाहर लाल नेहरू (1889-1964)	15 अगस्त, 1947	से	27 मई 1964
2.	श्री गुलजारी लाल नंदा (1898-1998) (कार्यवाहक)	27 मई, 1964	से	9 जून, 1964
3.	श्री लाल बहादुर शास्त्री (1904-1966)	9 जून, 1964	से	11 जनवरी, 1966
4.	श्री गुलजारी लाल नंदा (1898-1998) (कार्यवाहक)	11 जनवरी, 1966	से	24 जनवरी, 1966
5.	श्रीमती इंदिरा गांधी (1917-1984)	24 जनवरी, 1966	से	24 मार्च, 1977
6.	श्री मोरारजी देसाई (1896-1995)	24 मार्च, 1977	से	28 जुलाई, 1979
7.	चौ0 चरण सिंह (1902-1987)	28 जुलाई, 1979	से	14 जनवरी, 1980
8.	श्रीमती इंदिरा गांधी (1917-1984)	14 जनवरी, 1980	से	31 अक्टूबर, 1984
9.	श्री राजीव गांधी (1944-1991)	31 अक्टूबर, 1984	से	2 दिसम्बर, 1989
10.	श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (1931-2008)	2 दिसम्बर, 1989	से	10 नवम्बर, 1990
11.	श्री चन्द्रशेखर (1927-2007)	10 नवम्बर, 1990	से	21 जून, 1991
12.	श्री पी0वी0 नरसिम्हा राव (1921-2004)	21 जून, 1991	से	16 मई, 1996
13.	श्री अटल बिहारी वाजपेयी (1924-2018)	16 मई, 1996	से	1 जून, 1996
14.	श्री एच0 डी0 देवेगौड़ा (जन्म- 1933)	1 जून, 1996	से	21 अप्रैल, 1997
15.	श्री इन्द्र कुमार गुजराल (1919-2012)	21 अप्रैल 1997	से	19 मार्च 1998
16.	श्री अटल बिहारी वाजपेयी (1924-2018)	19 मार्च 1998	से	22 मई, 2004
17.	डॉ0 मनमोहन सिंह (जन्म- 1932)	22 मई, 2004	से	26 मई, 2014
18.	श्री नरेन्द्र मोदी (जन्म- 1950)	26 मई, 2014	से	वर्तमान तक

स्रोत : भारत- 2025

●

उत्तर प्रदेश के राज्य ाल

क्र.सं.	नाम	कार्यकाल		
1.	श्रीमती सरोजिनी नायडू	15 अगस्त, 1947	से	02 मार्च, 1949
2.	न्यायमूर्ति श्री बी.बी. मलिक	03 मार्च, 1949	से	01 मई, 1949
3.	श्री एच.पी. मोदी	02 मई, 1949	से	25 जनवरी, 1950
4.	श्री एच.पी. मोदी	26 जनवरी, 1950	से	01 जून, 1952
5.	डा. कन्हैया लाल मानिक लाल मुन्शी	02 जून, 1952	से	09 जून, 1957
6.	श्री वराह गिरि वेंकट गिरि	10 जून, 1957	से	30 जून 1960
7.	डा. बी. रामाक णा राव	01 जुलाई, 1960	से	15 अप्रैल, 1962
8.	श्री विश्वनाथ दास	16 अप्रैल, 1962	से	30 अप्रैल 1967
9.	डा. बेजवाड़ा गोपाला रेड्डी	01 मई, 1967	से	30 जून 1972
10.	न्यायमूर्ति श्री शशी कान्त वर्मा	01 जुलाई, 1972	से	13 नवम्बर 1972
11.	श्री अकबर अली खान	14 नवम्बर, 1972	से	24 अक्टूबर 1974
12.	डा. मारी चेन्ना रेड्डी	25 अक्टूबर, 1974	से	01 अक्टूबर, 1977
13.	श्री गनपत राव देवजी तपासे	02 अक्टूबर, 1977	से	27 फरवरी 1980
14.	श्री सी. पी. एन. सिंह	28 फरवरी, 1980	से	31 मार्च, 1985
15.	श्री मो. उस्मान आरिफ	31 मार्च, 1985	से	11 फरवरी, 1990
16.	श्री बी. सत्यनारायण रेड्डी	12 फरवरी, 1990	से	25 मई, 1993
17.	श्री मोती लाल वोरा	25 मई, 1993	से	03 मई, 1996
18.	श्री मोहम्मद शफी कुरैशी	03 मई, 1996	से	19 जुलाई, 1996
19.	श्री रोमेश भण्डारी	19 जुलाई, 1996	से	17 मार्च, 1998
20.	श्री मोहम्मद शफी कुरैशी	17 मार्च, 1998	से	19 अप्रैल, 1998
21.	श्री सूरज भान	20 अप्रैल, 1998	से	23 नवम्बर, 2000
22.	श्री वि णुकान्त शा ी	24 नवम्बर, 2000	से	02 जुलाई, 2004
23.	श्री सुदर्शन अ ावाल	03 जुलाई, 2004	से	07 जुलाई, 2004
24.	श्री टी.वी. राजेस्वर	08 जुलाई, 2004	से	27 जुलाई, 2009
25.	श्री बी.एल. जोशी	28 जुलाई, 2009	से	23 जून, 2014
26.	डा. अज़ीज़ कुरैशी	23 जून, 2014	से	22 जुलाई, 2014
27.	श्री राम नाईक	22 जुलाई, 2014	से	28 जुलाई, 2019
28.	श्रीमती आनंदीबेन मफतभाई पटेल	29 जुलाई, 2019	से	वर्तमान में

ोत : राजभवन, लखनऊ

●

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री

क्र.सं.	नाम	कार्यकाल		
1.	पं. गोविन्द वल्लभ पंत	01-04-1946	से	27-12-1954
2.	डा. सम्पूर्णानन्द	28-12-1954	से	06-12-1960
3.	श्री चन्द्रभानु गुप्त	07-12-1960	से	01-10-1963
4.	श्रीमती सुचेता कपलानी	02-10-1963	से	13-03-1967
5.	श्री चन्द्रभानु गुप्त	14-03-1967	से	02-04-1967
6.	चौधरी चरण सिंह	03-04-1967	से	25-02-1968
	रा ाि शासन	**25-02-19 8**	**से**	**25-02-19 9**
7.	श्री चन्द्रभानु गुप्त	26-02-1969	से	17-02-1970
8.	चौधरी चरण सिंह	17-02-1970	से	01-10-1970
	रा ाि शासन	**02-10-19 0**	**से**	**18-10-19 0**
9.	श्री त्रिभुवन नारायण सिंह	18-10-1970	से	04-04-1971
10.	श्री कमलापति त्रिपाठी	04-04-1971	से	12-06-1973
	रा ाि शासन	**13-0 -19 3**	**से**	**08-11-19 3**
11.	श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा	08-11-1973	से	30-11-1975
	रा ाि शासन	**30-11-19 5**	**से**	**21-01-19**
12.	श्री नारायण द ा तिवारी	21-01-1976	से	30-04-1977
	रा ाि शासन	**30-04-19**	**से**	**22-0 -19**
13.	श्री रामनरेश यादव	23-06-1977	से	28-02-1979
14.	श्री बनारसी दास	28-02-1979	से	17-02-1980
	रा ाि शासन	**1 -02-1980**	**से**	**09-0 -1980**
15.	श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	09-06-1980	से	19-07-1982
16.	श्री श्रीपति मिश्र	19-07-1982	से	03-08-1984
17.	श्री नारायण द ा तिवारी	03-08-1984	से	10-03-1985
18.	श्री नारायण द ा तिवारी	11-03-1985	से	23-09-1985
19.	श्री वीर बहादुर सिंह	24-09-1985	से	24-06-1988
20.	श्री नारायण द ा तिवारी	25-06-1988	से	05-12-1989
21.	श्री मुलायम सिंह यादव	05-12-1989	से	24-06-1991

22.	श्री कल्याण सिंह	24-06-1991	से	06-12-1992
	रा ाि शासन	**0 -12-1992**	**से**	**04-12-1993**
23.	श्री मुलायम सिंह यादव	04-12-1993	से	03-06-1995 (अपरान्ह)
24.	सुश्री मायावती	03-06-1995	से	17-10-1995
	रा ाि शासन	**18-10-1995**	**से**	**1 -10-199**
	रा ाि शासन	**1 -10-199**	**से**	**21-03-199**
25.	सुश्री मायावती	21-03-1997	से	21-09-1997
26.	श्री कल्याण सिंह	21-09-1997	से	12-11-1999
27.	श्री रामप्रकाश गुप्त	12-11-1999	से	28-10-2000
28.	श्री राजनाथ सिंह	28-10-2000	से	08-03-2002
	रा ाि शासन	**08-03-2002**	**से**	**03-05-2002**
29.	सुश्री मायावती	03-05-2002	से	29-08-2003
30.	श्री मुलायम सिंह यादव	29-08-2003	से	13-05-2007
31.	सुश्री मायावती	13-05-2007	से	14-03-2012
32.	श्री अखिलेश यादव	15-03-2012	से	19-03-2017
33.	श्री योगी आदित्यनाथ	19-03-2017	से	वर्तमान में

ोत : गोपन-1

●

उत्तर प्रदेश ि ानसभा अ यक्ष

क्र.सं.	माननीय अध्यक्ष	कार्यकाल		
1.	श्री पुरु ो ामदास टण्डन	31-07-1937	से	10-08-1950
2.	श्री नफीसुल हसन	21-12-1950	से	19-05-1952
3.	श्री आत्माराम गोविन्द खेर	20-05-1952	से	10-04-1957
4.	श्री आत्माराम गोविन्द खेर	10-04-1957	से	26-03-1962
5.	श्री मदन मोहन वर्मा	26-03-1962	से	16-03-1967
6.	श्री जगदीश शरण अ ावाल	17-03-1967	से	16-03-1969
7.	श्री आत्माराम गोविन्द खेर	17-03-1969	से	18-03-1974
8.	श्री वासुदेव सिंह	18-03-1974	से	12-07-1977
9.	श्री बनारसी दास	12-07-1977	से	26-02-1979
10.	श्री श्रीपति मिश्र	07-07-1980	से	18-07-1982
11.	श्री धरम सिंह	25-08-1982	से	15-03-1985
12.	श्री नियाज हसन	15-03-1985	से	09-01-1990
13.	श्री हरि किशन श्रीवास्तव	09-01-1990	से	30-07-1991
14.	श्री केशरी नाथ त्रिपाठी	30-07-1991	से	15-12-1993
15.	श्री धनीराम वर्मा	15-12-1993	से	20-06-1995
16.	श्री बरखू राम वर्मा	18-07-1995	से	26-03-1997
17.	श्री केशरी नाथ त्रिपाठी	27-03-1997	से	14-05-2002
18.	श्री केशरी नाथ त्रिपाठी	14-05-2002	से	19-05-2004
19.	श्री माता प्रसाद पाण्डेय	26-07-2004	से	18-05-2007
20.	श्री सुखदेव राजभर	18-05-2007	से	13-04-2012
21.	श्री माता प्रसाद पाण्डेय	13-04-2012	से	30-03-2017
22.	श्री दय नरायण दीक्षित	30-03-2017	से	29.03.2022
23.	श्री सतीश महाना	29-03-2022	से	वर्तमान में

कायकारी अ यक्ष

1.	श्री जगन्नाथ प्रसाद	27-02-1979 से 17-02-1980 तक
2.	श्री यादवेन्द्र सिंह	19-07-1982 से 24-08-1982 तक
3.	श्री बरखू राम वर्मा	20-06-1995 से 17-07-1995 तक
4.	डा. वकार अहमद शाह	19-05-2004 से 26-07-2004 तक

* विधानसभा पुस्तकालय में शोध एवं सन्दर्भ अधिकारी ारा प्रमाणित uplegisassem ly.gov.in

●

उत्तर प्रदेश ि ान ारि द के सभा ाि

क्र सं	नाम	कायकाल
1.	श्री चन्द्र भाल	26 जनवरी, 1950 से 5 मई, 1958 तक
2.	श्री निजामु ीन (कार्यकारी सभापति)	6 मई, 1958 से 19 जुलाई, 1958 तक
3.	श्री र ुनाथ विनायक धुलेकर	20 जुलाई, 1958 से 5 मई, 1964 तक
4.	श्री दरबारी लाल शर्मा (प्रोटेम सभापति)	6 मई 1964 से 4 अगस्त, 1964 तक
5.	श्री दरबारी लाल शर्मा	5 अगस्त, 1964 से 5 मई, 1968 तक
6.	श्री दरबारी लाल शर्मा (प्रोटेम सभापति)	6 मई, 1968 से 1 मार्च 1969 तक
7.	श्री वीरेन्द्र स्व प (कार्यकारी सभापति)	2 मार्च, 1969 से 14 मार्च, 1969
8.	श्री वीरेन्द्र स्व प	15 मार्च, 1969 से 5 मई, 1974 तक
9.	श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह (कार्यकारी सभापति)	6 मई 1974 से 10 जून, 1974 तक
10.	श्री वीरेन्द्र स्व प	11 जून, 1974 से 26 फरवरी, 1980 तक
11.	श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह चंदेल (प्रोटेम सभापति)	18 जून, 1980 से 5 अक्टूबर, 1980 तक
12.	श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह चंदेल	6 अक्टूबर,1980 से 5 मई, 1982 तक
13.	श्री शिव प्रसाद गुप्त (कार्यकारी सभापति)	6 मई, 1982 से 2 मार्च 1983 तक
14.	श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह चंदेल	3 मार्च, 1983 से 5 मई, 1988 तक
15.	श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित (प्रोटेम)	6 मई, 1988 से 5 अप्रैल 1989 तक
16.	श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित	6 अप्रैल, 1989 से 7 मार्च, 1990 तक
17.	श्री शिव प्रसाद गुप्त (प्रोटेम)	13 मार्च, 1990 से 8 अप्रैल, 1990 तक
18.	श्री शिव प्रसाद गुप्त (प्रोटेम)	9 अप्रैल, 1990 से 4 जुलाई, 1990 तक
19.	श्री शिव प्रसाद गुप्ता	5 जुलाई, 1990 से 6 जुलाई, 1992 तक
20.	श्री नित्यानन्द स्वामी (कार्यकारी सभापति)	7 जुलाई 1992 से 9 मई, 1996 तक
21.	श्री नित्यानन्द स्वामी (प्रोटेम सभापति)	23 मई, 1996 से 23 अप्रैल, 1997 तक
22.	श्री नित्यानन्द स्वामी	25 अप्रैल, 1997 से 8 नवम्बर, 2000 तक
23.	श्री ओमप्रकाश शर्मा (प्रोटेम सभापति)	17 नवम्बर, 2000 से 5 मई 2002 तक
24.	श्री कुँवर मानवेन्द्र सिंह (प्रोटेम सभापति)	6 मई 2002 से 2 अगस्त, 2004 तक
25.	चौ. सुखराम सिंह यादव	3 अगस्त, 2004 से 15 जनवरी, 2010 तक
26.	श्री कमला कान्त गौतम (प्रोटेम सभापति)	16 जनवरी, 2010 से 20 जनवरी, 2010 तक
27.	श्री गणेश शंकर पाण्डेय	21 जनवरी, 2010 से 15 जनवरी, 2016 तक
28.	श्री रमेश यादव	11 मार्च, 2016 से 30 जनवरी, 2021 तक
29.	श्री कुवर मानवेन्द्र सिंह	31 जनवरी, 2021 से वर्तमान तक

ाेत : upvidhanparishad.nic.in pithasinadhikari-sa hapati.htm

●

ला ा ाद उ ा न्यायालय के मुख्य न्याया ीश

1.	न्यायमूात श्री वाल्टर मोरगन	(1866-1871)
2.	न्यायमूात श्री राबर्ट स्टुअर्ट	(1871-1884)
3.	न्यायमूात श्री विलियम कोमर पेटहेरम	(1884-1886)
4.	न्यायमूात श्री जान एज़	(1886-1898)
5.	न्यायमूात श्री लुईस एडिन कर्शा	(1898)
6.	न्यायमूात श्री आर्थर स्टेची	(1898-1901)
7.	न्यायमूात श्री जान स्टेनली	(1901-1911)
8.	न्यायमूात श्री हेनरी रिचर्ड्स	(1911-1919)
9.	न्यायमूात श्री एडवर्ड ीमवुड मिअर्स	(1919-1932)
10.	न्यायमूात श्री शाह मुहम्मद सुलेमान	(1932-1937)
11.	न्यायमूात श्री जान गिब थाम	(1937-1941)
12.	न्यायमूात श्री इकबाल अहमद	(1941-1946)
13.	न्यायमूात श्री कमलकान्त वर्मा	(1946-1947)
14.	न्यायमूात श्री विधु भू ाण मलिक	(1947-1955)
15.	न्यायमूात श्री ओ.एच. मूथम	(1955-1961)
16.	न्यायमूात श्री मनुलाल चुनिलाल देसाई	(1961-1966)
17.	न्यायमूात श्री वशि भार्गव	(25-02-1966 से 07-08-1966)
18.	न्यायमूात श्री नसीरुल्लाह बेग	(1966-1967)
19.	न्यायमूात श्री वि ाधर गोविन्द ओक	(1967-1971)
20.	न्यायमूात श्री शशिकान्त वर्मा	(1971-1973)
21.	न्यायमूात श्री धात्री शरन माथुर	(1973-1974)
22.	न्यायमूात श्री कुँवर बहादुर अस्थाना	(1974-1977)
23.	न्यायमूात श्री डी.एम. चन्द्रशेखर	(1977-1978)
24.	न्यायमूात श्री सतीश चन्द्रा	(1978-1983)
25.	न्यायमूात श्री महेश नारायण शुक्ल	(1983-1985)
26.	न्यायमूात श्री दयनाथ सेठ	(1986)
27.	न्यायमूात श्री के. जगन्नाथ शे ी	(1986-1987)

28.	न्यायमूात श्री ारका नाथ झा	(1987)
29.	न्यायमूात श्री अमिताव बनजा	(1987-1988)
30.	न्यायमूात श्री ब्र ानाथ काटजू	(1988-1989)
31.	न्यायमूात श्री बी.पी. जीवन रे ी	(1990-1991)
32.	न्यायमूात श्री एम.के. मुखजा	(1991-1993)
33.	न्यायमूात श्री एस.एस. सोढी	(1994-1995)
34.	न्यायमूात श्री ए.एल. राव	(1995-1996)
35.	न्यायमूात श्री डी.पी. मोहापात्र	(1996-1998)
36.	न्यायमूात श्री एन.के. मित्रा	(1999-2000)
37.	न्यायमूात श्री श्यामल कुमार सेन	(8-5-2000 से 24-11-2002)
38.	न्यायमूात श्री तरुन चटजा	(31-1-2003 से 26-08-2004)
39.	न्यायमूात श्री अजय नाथ रे	(11-1-2005 से 26-1-2007)
40.	न्यायमूात श्री एच.एल. गोखले	(7-3-2007 से 8-3-2009)
41.	न्यायमूात श्री चन्द्रमौलि कुमार प्रसाद	(20-3-2009 से 7-2-2010)
42.	न्यायमूात फरदीनो इनासियो रिबेलो	(26-6-2010 से 30-7-2011)
43.	न्यायमूात सैय्यद रफत आलम	(5-8-2011 से 7-8-2012)
44.	न्यायमूात शिवा कीात सिंह	(17-10-2012 से 18-9-2013)
45.	न्यायमूात डा. धनंजय यशवंत चन्द्रचूड़	(31-10-2013 से 12.05.2016)
46.	न्यायमूात दिलीप बाबासाहेब भोसले	(30-07-2016 से 23-10-2018)
47.	न्यायमूात गोविन्द माथुर	(14-11-2018 से 13-04-2021)
48.	न्यायमूात संजय यादव	(13-06-2021 से 25-06-2021)
49.	न्यायमूात राजेश बिंदल	(11-10-2021 से 12-02-2023)
50.	न्यायमूात प्रीतिंकर दिवाकर	(26-03-2023 से 21-11-2023)
51.	न्यायमूात अरुण भंसाली	(05-02-2024 से वर्तमान तक)

ोत : allaha adhighcourt.in

उत्तर प्रदेश के समस ा ि श ा ि ालय

1. आचार्य नरेन्द्र देव क ि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद-अयोध्या-224 229 उ.प्र. (राज्य विश्ववि ालय)
2. अग्रवन हेरीटेज विश्वविद्यालय, बमरौली कटरा, फतेहाबाद रोड, आगरा- उ.प्र. (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
3. अलीगढ़ मुस्लिम विश्ववि ालय, अलीगढ़-202 001 (केन्द्रीय विश्ववि ालय)
4. एमिटी विश्ववि ालय, नोएडा-201 313, सेक्टर-125, उ.प्र. (प्राइवेट विश्ववि ालय)
5. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्ववि ालय, वि ा विहार, रायबरेली रोड, लखनऊ-226 025, उ.प्र. (केन्द्रीय विश्ववि ालय)
6. बाबू बनारसी दास वि0वि0, 55, बाबू बनारसीदास नगर, लखनऊ, उ.प्र. (प्राइवेट विश्ववि ालय)
7. बनारस हिन्दू विश्ववि ालय, वाराणसी-221 005, उ.प्र. (केन्द्रीय विश्ववि ालय)
8. बांदा यूनिवर्सिटी आफ ए ीकल्चर एण्ड टेक्नोलाजी, बांदा-210001, उ.प्र. (राज्य विश्ववि ालय)
9. बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, रुहेलखण्ड पीलीभीत बाईपास रोड, बरेली-243006, उ.प्र. (प्राइवेट विश्ववि ालय)
10. बेनेट यूनिवर्सिटी, प्लाट न0. 8-11 टेक जोन , ोटर नोएडा-201310, उ.प्र. (प्राइवेट विश्ववि ालय)
11. भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, कैसरबाग, लखनऊ-226 001 (राज्य विश्ववि ालय)
12. बुन्देलखण्ड विश्ववि ालय, कानपुर रोड, झाँसी- 284 128 उ.प्र. (राज्य विश्ववि ालय)
13. सेन्टल इन्स्टीट्यूट आफ हायर तिब्बतन स्टडीज, सारनाथ, वाराणसी-221 007 (डीम्ड विश्ववि ालय)
14. चन्द्रशेखर आजाद विश्ववि ालय क ि एवं तकनीकी, नवाबगंज कानपुर- 208002 उ.प्र. (राज्य विश्ववि ालय)
15. चौधरी चरण सिंह विश्ववि ालय, मेरठ, उ.प्र. (राज्य विश्ववि ालय)
16. त्रपति शाहूजी महाराज कानपुर विश्ववि ालय, कल्याणपुर, कानपुर- 208024 उ.प्र. (राज्य विश्ववि ालय)
17. दयालबाग एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट, दयालबाग, आगरा- 282 005 उ.प्र. (डीम्ड विश्ववि ालय)
18. दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्ववि ालय, गोरखपुर- 273 009 उ.प्र. (राज्य विश्ववि ालय)
19. डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम तकनीकी वि0वि0, जानकीपुरम एक्सटेंशन योजना, लखनऊ- 226 031, उ.प्र. (राज्य विश्ववि ालय)
20. डा. बी.आर. अम्बेडकर विश्ववि ालय, पालीवाल पार्क, आगरा-282 004 उ.प्र. (राज्य विश्ववि ालय)
21. डा. राममनोहर लोहिया अवध विश्ववि ालय, इलाहाबाद रोड फैजाबाद, अयोध्या -224 001 उ.प्र. (राज्य विश्ववि ालय)

22. डा. राममनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्स, विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ- 226 010 उ.प्र. (राज्य विश्ववि ालय)
23. डा. राममनोहर लोहिया नेशनल ला विश्ववि ालय, एल.डी.ए. कानपुर रोड स्कीम लखनऊ-226 012 उ.प्र. (राज्य विश्ववि ालय)
24. डा.शकुन्तला मिश्रा, नेशनल रिहैबिलिटेशन विश्ववि ालय, मोहान रोड, लखनऊ-226 017 उ.प्र. (राज्य विश्ववि ालय)
25. एरा यूनिवर्सिटी, सरफराज़गंज हरदोई रोड लखनऊ-226 003 उ.प्र. (प्राइवेट विश्ववि ालय)
26. एफ.एस. विश्वविद्यालय एन.एच.-19 शिकोहाबाद, फिरोजाबाद (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
27. जी.एल.ए. विश्ववि ालय, 17 किमी0 स्टोन, एन.एच-2 दिल्ली-मथुरा रोड, मथुरा-281 406 उ.प्र. (प्राइवेट विश्ववि ालय)
28. गलगोटियाज विश्ववि ालय, प्लाट नं0-2, सेक्टर 17ए, यमुना एक्सप्रेसवे, ेटर नोएडा-203 201, जिला गौतमबुद्ध नगर उ.प्र. (प्राइवेट विश्ववि ालय)
29. गौतमबुद्ध विश्ववि ालय, ग्रेटर नोएडा जिला गौतमबुद्ध नगर-201 308 उ.प्र. (राज्य विश्ववि ालय)
30. हरकोर्ट बटलर तकनीकी विश्ववि ालय, कानपुर-208 002 उ.प्र. (राज्य विश्ववि ालय)
31. आई.एफ.टी.एम. विश्वविद्यालय, लोधीपुर राजपुर, दिल्ली रोड, मुरादाबाद-244 102 उ.प्र. (प्राइवेट विश्ववि ालय)
32. आई.आई.एल.एम. विश्वविद्यालय, प्लाट नं. 16-18 नालेज पार्क-II, ग्रेटर नोएडा-201 308 उ.प्र. (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
33. आई.आई.एम.टी. विश्वविद्यालय, ओ पाकेट, गंगानगर, मवाना रोड मेरठ-245 101 उ.प्र. (प्राइवेट विश्ववि ालय)
34. इन्डियन वेटेरिनरी रिसर्च इन्स्टीट्यूट इज्जत नगर, बरेली (डीम्ड विश्ववि ालय)
35. इन्टी ाल विश्ववि ालय, दसौली, कुसा रोड लखनऊ-226 026 उ.प्र. (प्राइवेट विश्ववि ालय)
36. इन्वर्टिस वि0वि0, इन्वर्टिस ाम, बरेली लखनऊ नेशनल हाइवे-24 बरेली, उ.प्र. (प्राइवेट विश्ववि ालय)
37. जे.एस. विश्ववि ालय, मैनपुरी रोड, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद-283135 उ.प्र. (प्राइवेट विश्ववि ालय)
38. जगत्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग वि0वि0, चित्रकूट-210 204 उ.प्र. (प्राइवेट विश्ववि ालय)
39. जननायक चन्द्रशेखर विश्ववि ालय, बलिया उ.प्र. (राज्य विश्ववि ालय)
40. जे.पी. इन्स्टीट्यूट सूचना प्रौ ोगिकी ए-10 सेक्टर-62 नोएडा-201 309 उ.प्र. (डीम्ड विश्ववि ालय)
41. जे.पी. विश्ववि ालय, अलीगढ़ रोड, अनूप शहर जिला- बुलन्दशहर -203 390 उ.प्र. (प्राइवेट विश्ववि ालय)
42. के.एम.(कृष्ण मोहन) विश्वविद्यालय, पाली डूंगरा, सोंक रोड, मथुरा- उ.प्र. (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
43. ख्वाजा मुइनु ीन चिस्ती, भाषा यूनिवर्सिटी, सीतापुर-हरदोई बाइपास रोड, निकट आई.आई.एम लखनऊ-226 013 उ.प्र. (राज्य विश्ववि ालय)
44. ाकग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ-226 003 उ.प्र. (राज्य विश्ववि ालय)
45. माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर-247 120 उ.प्र. (राज्य विश्वविद्यालय)

46. मदन मोहन मालवीय तकनीकी विश्ववि ालय, गोरखपुर-273 010 उ.प्र. (राज्य विश्ववि ालय)

47. महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, रैदोपुर आजमगढ़- उ.प्र. (राज्य विश्वविद्यालय)

48. मर्हा विश्ववि ालय, सूचना एवं प्रौ ोगिकी, मर्हा बाल वि ा मन्दिर एवं विश्ववि ालय कैम्पस, सीतापुर रोड पोस्ट-ढिबुरिया लखनऊ-226 020 उ.प्र. (प्राइवेट विश्ववि ालय)

49. महात्मा गांधी काशी वि ापीठ, वाराणसी-221 002 उ.प्र. (राज्य विश्ववि ालय)

50. महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, डोली लाल अग्रवाल मार्ग, बरेली़, उ.प्र. (राज्य विश्वविद्यालय)

51. महावीर विश्वविद्यालय, पोहली, सरधना रोड, मेरठ- उ.प्र. (प्राइवेट विश्वविद्यालय)

52. महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय, जनपद गोरखपुर -237007 (प्राइवेट यूनिवर्सिटी)

53. मेजर एस.डी. सिंह विश्वविद्यालय, भोजपुर, कानपुर रोड, फतेहगढ, फर्रूखाबाद- उ.प्र. (प्राइवेट विश्वविद्यालय)

54. मंगलायतन विश्ववि ालय, 33वां मील अलीगढ़ मथुरा हाईवे, पोस्ट- बीसवां, अलीगढ़-202 145 उ.प्र. (प्राइवेट विश्ववि ालय)

55. मोहम्मद अली जौहर युनिवर्सिटी, रामपुर उ.प्र. (प्राइवेट विश्ववि ालय)

56. मोनाड विश्ववि ालय, जिला-हापुड़ - 245 101 उ.प्र. (प्राइवेट विश्ववि ालय)

57. नेह ाम भारती विश्ववि ालय, कोटवा-जमुनीपुर, जिला-प्रयागराज-221 505 उ.प्र. (डीम्ड विश्ववि ालय)

58. नोएडा इण्टरनेशनल युनिवर्सिटी, प्लाट नं0-1 सेक्टर 17ए, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर- 203 201 उ.प्र. (प्राइवेट विश्ववि ालय)

59. प्रो. राजेन्द्र सिंह (रज्जू भैया) (पूर्व में किसान इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय) विश्वविद्यालय, मिर्जापुर रोड, प्रयागराज- उ.प्र. (राज्य विश्वविद्यालय)

60. राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, पलवल रोड, लोधा अलीगढ़-202140, उ.प्र. (राज्य विश्वविद्यालय)

61. राजीव गाँधी नेशनल एविएशन विश्ववि ालय, फुर्सतगंज, जिला- रायबरेली -229302 उ.प्र. (केन्द्रीय विश्ववि ालय)

62. रामा विश्ववि ालय, एन.एच.-91, रामा सिटी, मन्धाना, कानपुर-209 217 उ.प्र. (प्राइवेट विश्ववि ालय)

63. रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय क ि विश्ववि ालय एन.एच.-75 निकट पहुज डैम ग्वालियर रोड झाँसी-284 003 उ.प्र. (केन्द्रीय विश्ववि ालय)

64. सैम हिग्गिनबाटम इन्स्टीट्यूट क ि, तकनीकी एवं वि ान रीवा रोड इलाहाबाद-211 007 उ.प्र. (डीम्ड विश्ववि ालय)

65. सम्पूर्णानन्द संस्कत विश्ववि ालय, वाराणसी-221 002 उ.प्र. (राज्य विश्ववि ालय)

66. संस्कति विश्ववि ालय, 28 किमी0 मथुरा-दिल्ली हाईवे ाता मथुरा उ.प्र. (प्राइवेट विश्ववि ालय)

67. संतो ा विश्ववि ालय, संतो ा नगर गाजियाबाद उ.प्र. (डीम्ड विश्ववि ालय)

68. सरदार वल्लभ भाई पटेल क ि एवं तकनीकी वि.वि., मेरठ-250 110 उ.प्र. (राज्य विश्ववि ालय)

69. एस.डी.जी.आई. ग्लोबल विश्वविद्यालय, एनएच- , दिल्ली-हापुड़ रोड, गाजियाबाद, दिल्ली-एनसीआर-उ.प्र. (प्राइवेट विश्वविद्यालय)

70. शारदा विश्ववि ालय, प्लाट नं.-32-34 नालेज पार्क-3, ेटर नोएडा-201 306 उ.प्र. (प्राइवेट विश्ववि ालय)

71. शोभित इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एवं तकनीकी, दुल्हेरा मार्ग, एनएच- मोदीपुरम, मेरठ-250 110, उ.प्र. (डीम्ड विश्ववि ालय)

72. शोभित विश्ववि ालय, आदर्श विजेन्द्र इन्स्टीट्यूशनल एरिया, बाबू विजेन्द्र मार्ग, गंगोह जिला-सहारनपुर-247 341 उ.प्र. (प्राइवेट विश्ववि ालय)

73. श्री रामस्व प मेमोरियल यूनिवर्सिटी, हदौरी, देवा-लखनऊ रोड, जिला-बाराबंकी उ.प्र. (प्राइवेट विश्ववि ालय)

74. श्री वेंकटेश्वरा विश्ववि ालय एन.एच.-24, रजबपुर, गजरौला, अमरोहा, उ.प्र. (प्राइवेट विश्ववि ालय)

75. सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर-272 202 उ.प्र. (राज्य विश्ववि ालय)

76. स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्ववि ालय, सुभारतीपुरम, एन.एच.-58 दिल्ली-हरि ार बाइपास रोड, मेरठ-250 005 उ.प्र. (प्राइवेट विश्ववि ालय)

77. टी.एस. मिश्रा विश्वविद्यालय, लखनऊ- उ.प्र. (प्राइवेट विश्वविद्यालय)

78. तीथंकर महावीर विश्ववि ालय, एन.एच.-24, दिल्ली रोड मुरादाबाद-244 001 उ.प्र. (प्राइवेट विश्ववि ालय)

79. दि ग्लोकल विश्ववि ालय, सहारनपुर-247 121 उ.प्र. (प्राइवेट विश्ववि ालय)

80. उ.प्र.पं. दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा वि ान विश्ववि ालय एवं गौ अनुसन्धान संस्थान, मथुरा उ.प्र. (राज्य विश्ववि ालय)

81. उ.प्र. राजा ा टण्डन मु त विश्ववि ालय कैम्पस, शान्तिपुरम-(से.-एफ) फाफामऊ, प्रयागराज- 211 013 उ.प्र. (राज्य विश्ववि ालय)

82. यू.पी. किंग जार्ज यूनिवर्सिटी आफ डेण्टल साइन्स, लखनऊ, उ.प्र. (राज्य विश्ववि ालय)

83. यूनाइटेड विश्वविद्यालय, रावतपुर प्रयागराज- उ.प्र. (प्राइवेट विश्वविद्यालय)

84. इलाहाबाद विश्ववि ालय, विश्वविद्यालय रोड, पुराना कटरा, प्रयागराज-211 002 उ.प्र. (केन्द्रीय विश्ववि ालय)

85. लखनऊ विश्ववि ालय, बाबूगंज, हसनगंज, लखनऊ-226 007 उ.प्र. (राज्य विश्ववि ालय)

86. उ.प्र.यूनिवर्सिटी आफ मेडिकल साइंस, सैफई इटावा-206 130 उ.प्र. (राज्य विश्ववि ालय)

87. वीर बहादुर सिंह पूवाचल विश्ववि ालय, शाहगंज रोड, जौनपुर-222 002 उ.प्र. (राज्य विश्ववि ालय)

88. अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनीवर्सिटी विभूतिखण्ड, गोमतीनगर लखनऊ-उ.प्र. (राजकीय विश्वविद्यालय)

89. चंडीगढ़ विश्वविद्यालय-लखनऊ-कानपुर हाइवे, उन्नाव, उ.प्र. (प्राइवेट विश्वविद्यालय)

90. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, नेशनल लॉ विश्वविद्यालय, प्रयागराज-उ.प्र. (राजकीय विश्वविद्यालय)

91. जी.एस. विश्वविद्यालय, हापुड़, उ.प्र. (प्राइवेट विश्वविद्यालय)

92. एच.आर.आई.टी., विश्वविद्यालय-गाजियाबाद, उ.प्र. (प्राइवेट विश्वविद्यालय)

93. जे. एस.एस. विश्वविद्यालय, नोएडा, उ.प्र. (प्राइवेट विश्वविद्यालय)

94. एस.के.एस. इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय, मथुरा, उ.प्र. (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
95. सरोज इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय, लखनऊ, उ.प्र. (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
96. शारदा विश्वविद्यालय, आगरा, उ.प्र. (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
97. वरुण-अर्जुन विश्वविद्यालय, शाहजहाँपुर, उ.प्र. (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
98. डॉ. के.एन. मोदी विश्वविद्यालय, मोदीनगर गाजियाबाद, उ.प्र. (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
99. फयूचर विश्वविद्यालय, बरेली, उ.प्र. (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
100. गुरू जमभेश्वर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद, उ.प्र. (राजकीय विश्वविद्यालय)
101. केन्द्रीय हिन्दी संस्थान आगरा, उ.प्र. (डीम्ड विश्वविद्यालय)
102. कृष्णा इन्स्टीट्यूट इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉली गाजियाबाद, उ.प्र. (डीम्ड विश्वविद्यालय)
103. माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर, उ.प्र. (राजकीय विश्वविद्यालय)
104. माँ विन्ध्यवासिनी विश्वविद्यालय, मिर्जापुर, उ.प्र. (राजकीय विश्वविद्यालय)
105. मेजर ध्यानचन्द खेल विश्वविद्यालय, मेरठ, उ.प्र. (राजकीय विश्वविद्यालय)
106. विद्या विश्वविद्यालय, मेरठ, उ.प्र. (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
107. विवेक विश्वविद्यालय, बिजनौर उ.प्र. (प्राइवेट विश्वविद्यालय)

ोत : ugc.ac.in

●

उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त

क्रम	नाम	कार्यकाल		
1.	न्यायमूर्ति श्री विश्वम्भर दयाल	14.09.1977	से	13.09.1982
2.	पद रिक्त	14.09.1982	से	09.01.1983
3.	न्यायमूर्ति श्री मिर्जा मुहम्मद मुर्तजा हुसैन	10.01.1983	से	10.01.1989
4.	पद रिक्त	11.01.1989	से	27.01.1989
5.	न्यायमूर्ति श्री कैलाश नाथ गोयल	28.01.1989	से	28.01.1995
6.	पद रिक्त	29.01.1995	से	08.02.1995
7.	न्यायमूर्ति श्री राजेश्वर सिंह	09.02.1995	से	13.01.2000
8.	पद रिक्त	14.01.2000	से	15.03.2000
9.	न्यायमूर्ति श्री सुधीर चन्द्र वर्मा	16.03.2000	से	15.03.2006
10.	न्यायमूर्ति श्री नरेन्द्र किशोर मेहरोत्रा	16.03.2006	से	31.01.2016
11.	न्यायमूर्ति श्री संजय मिश्रा	31.01.2016 (अपराहन)	से	वर्तमान तक

●

उत्तर प्रदेश के मुख्य सि ा ा

क्र.	नाम	आई.सी.एस. आई.ए.एस.	कब से		कब तक
1.	श्री भोलानाथ झा	आई.सी.एस.	27-03-1947	से	20-05-1949
2.	श्री भगवान सहाय	आई.सी.एस.	13-07-1949	से	20-03-1951
3.	श्री भोलानाथ झा	आई.सी.एस.	21-03-1951	से	25-02-1953
4.	श्री कालिका प्रसाद भार्गव	आई.सी.एस.	26-02-1953	से	15-08-1954
5.	श्री आदित्य नाथ झा	आई.सी.एस.	16-08-1954	से	02-03-1958
6.	श्री गोविन्द नारायण	आई.सी.एस.	03-03-1958	से	02-07-1961
7.	श्री लक्ष्मी चन्द्र जैन	आई.सी.एस.	03-07-1961	से	08-11-1962
8.	श्री रामेश्वर प्रसाद भार्गव	आई.सी.एस.	09-11-1962	से	09-01-1964
9.	श्री कौशल कुमार दास	आई.सी.एस.	10-01-1964	से	09-03-1967
10.	श्री विपिन बिहारी लाल	आई.सी.एस.	14-03-1967	से	25-11-1969
11.	श्री मुस ी लाल	आई.सी.एस.	26-11-1969	से	31-12-1972
12.	श्री सतीश चन्द्र	आई.सी.एस.	01-01-1973	से	13-06-1973
13.	श्री ाान प्रकाश	आई.ए.एस.	17-06-1973	से	19-11-1973
14.	श्री बी.डी. सनवाल	आई.ए.एस.	30-11-1973	से	31-08-1975
15.	श्री महमूद व	आई.ए.एस.	01-09-1975	से	15-12-1976
16.	श्री कपा नारायण	आई.ए.एस.	16-12-1976	से	31-01-1978
17.	श्री डी.के. भ ाचार्य	आई.ए.एस.	01-02-1978	से	25-03-1980
18.	श्री आर.बी. सक्सेना	आई.ए.एस.	26-03-1980	से	21-09-1980
19.	श्री त्रिभुवन प्रसाद तिवारी	आई.ए.एस.	22-09-1980	से	30-04-1982
20.	श्री आर.पी. खोसला	आई.ए.एस.	01-05-1982	से	01-06-1983
21.	श्री एस.डी. श्रीवास्तव	आई.ए.एस.	02-06-1983	से	08-03-1984
22.	श्री गिरीश मेहरा	आई.ए.एस.	09-03-1984	से	01-12-1985
23.	श्री जे.ए. कल्याण क णन्	आई.ए.एस.	02-12-1985	से	15-10-1988
24.	श्री शिरोमणि शर्मा	आई.ए.एस.	18-10-1988	से	28-12-1989
25.	श्री आर.के. भार्गव	आई.ए.एस.	28-12-1989	से	12-12-1990
26.	डा. वी.के. सक्सेना	आई.ए.एस.	15-12-1990	से	22-12-1992
27.	श्री टी.एस.आर. सुब्र ामण्यन्	आई.ए.एस.	22-12-1992	से	09-08-1994

28.	श्री ब्रजेन्द्र सहाय	आई.ए.एस.	09-08-1994	से	26-06-1995
29.	श्री माता प्रसाद	आई.ए.एस.	26-06-1995	से	23-10-1996
30.	श्री ब्रजेन्द्र सहाय	आई.ए.एस.	23-10-1996	से	31-07-1997
31.	श्री रवीन्द्रशंकर माथुर	आई.ए.एस.	31-07-1997	से	02-04-1998
32.	डा. योगेन्द्र नारायण	आई.ए.एस.	02-04-1998	से	18-10-2000
33.	श्री बी.एन. तिवारी	आई.ए.एस.	01-11-2000	से	31-07-2001
34.	श्री ए.पी. वर्मा	आई.ए.एस.	31-07-2001	से	23-05-2002
35.	श्री डी.एस. बग्गा	आई.ए.एस.	23-05-2002	से	04-09-2003
36.	श्री अखण्ड प्रताप सिंह	आई.ए.एस.	04-09-2003	से	04-12-2003
37.	श्री वी.के. दीवान	आई.ए.एस.	06-12-2003	से	30-04-2004
38.	श्री वी.के. मि ाल	आई.ए.एस.	30-04-2004	से	30-04-2005
39.	श्रीमती नीरा यादव	आई.एस.एस.	30-04-2005	से	06-10-2005
40.	श्री आर. रमणी	आई.ए.एस.	06-10-2005	से	03-04-2006
41.	श्री नवीन चन्द्र बाजपेई	आई.ए.एस.	03-04-2006	से	16-03-2007
42.	श्री शम्भू नाथ	आई.ए.एस.	16-03-2007	से	30-06-2007
43.	श्री पी.के. मिश्र	आई.ए.एस.	01-07-2007	से	23-05-2008
44.	श्री अतुल कुमार गुप्ता	आई.ए.एस.	23-05-2008	से	31-03-2011
45.	श्री अनूप मिश्रा	आई.ए.एस.	31-03-2011	से	23-03-2012
46.	श्री जावेद उस्मानी	आई.ए.एस.	23-03-2012	से	31-05-2014
47.	श्री आलोक रंजन	आई.ए.एस.	31-05-2014	से	30-06-2016
48.	श्री प्रवीर कुमार	आई.ए.एस.	30-06-2016	से	06-07-2016
49.	श्री दीपक सिं ाल	आई.ए.एस.	06-07-2016	से	13-09-2016
50.	श्री राहुल भटनागर	आई.ए.एस.	13-09-2016	से	29-06-2017
51.	श्री राजीव कुमार	आई.ए.एस.	29-06-2017	से	30-06-2018
52.	श्री अनूप चन्द्र पाण्डेय	आई.ए.एस.	30-06-2018	से	31-08-2019
53.	श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी	आई.ए.एस.	31-08-2019	से	30-12-2021
54.	श्री दुर्गा शंकर मिश्र	आई.ए.एस.	30-12-2021	से	30-06-2024
55.	श्री मनोज कुमार सिंह	आई.ए.एस.	30-06-2024	से	01-07-2025
56.	श्री शशि प्रकाश गोयल	आई.ए.एस.	01-07-2025	से	वर्तमान तक

ाेत : मुख्य सचिव कार्यालय, उ. प्र.

●

भार ा के मुख्य न्याया ीश

नाम	कार्यकाल
1. हरिलाल जे. कानिया	26 जनवरी, 1950 - 6 नवम्बर, 1951
2. एम. पतंजलि शास्त्री	7 नवम्बर, 1951 - 3 जनवरी, 1954
3. मेहर चंद महाजन	4 जनवरी, 1954 - 22 दिसम्बर, 1954
4. बी.के. मुखर्जी	23 दिसम्बर, 1954 - 31 जनवरी, 1956
5. एस.आर. दास	1 फरवरी, 1956 - 30 सितम्बर, 1959
6. भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा	1 अक्तूबर, 1959 - 31 जनवरी, 1964
7. पी.बी. गजेंद्रगडकर	1 फरवरी, 1964 - 15 मार्च, 1966
8. ए.के. सरकार	16 मार्च, 1966 - 29 जून, 1966
9. के. सुब्बाराव	30 जून, 1966 - 11 अप्रैल, 1967
10. के.एन. वांचू	12 अप्रैल, 1967 - 24 फरवरी, 1968
11. एम. हिदायतुल्लाह	25 फरवरी, 1968 - 16 दिसम्बर, 1970
12. जे.सी. शाह	17 दिसम्बर, 1970 - 21 जनवरी, 1971
13. एस.एम. सीकरी	22 जनवरी, 1971 - 25 अप्रैल, 1973
14. ए.एन. रे	26 अप्रैल, 1973 - 28 जनवरी, 1977
15. एम.एच. बेग	29 जनवरी, 1977 - 21 फरवरी, 1978
16. वाई.वी. चंद्रचूड़	22 फरवरी, 1978 - 11 जुलाई, 1985
17. पी.एन. भगवती	12 जुलाई, 1985 - 20 दिसम्बर, 1986
18. आर.एस. पाठक	21 दिसम्बर, 1986 - 18 जून, 1989
19. ई.एस. वेंकटरमैया	19 जून, 1989 - 17 दिसम्बर, 1989
20. एस. मुखर्जी	18 दिसम्बर, 1989 - 25 सितम्बर, 1990
21. रंगनाथ मिश्र	25 सितम्बर, 1990 - 24 नवम्बर, 1991
22. के.एन. सिंह	25 नवम्बर, 1991 - 12 दिसम्बर, 1991
23. एम.एच. कानिया	13 दिसम्बर, 1991 - 17 नवम्बर, 1992
24. एल.एम. शर्मा	18 नवम्बर, 1992 - 11 फरवरी, 1993
25. एम.एन. वेंकटचलैया	12 फरवरी, 1993 - 24 अक्टूबर, 1994
26. ए.एम. अहमदी	25 अक्टूबर, 1994 - 24 मार्च, 1997
27. जे.एस. वर्मा	25 मार्च, 1997 - 17 जनवरी, 1998
28. एम.एम. पंछी	18 जनवरी, 1998 - 9 अक्टूबर, 1998
29. ए.एस. आनंद	10 अक्टूबर, 1998 - 31 अक्टूबर, 2001
30. एस.पी. भरूचा	1 नवम्बर 2001 - 5 मई, 2002
31. बी.एन. कृपाल	6 मई, 2002 - 7 नवम्बर, 2002
32. जी.बी. पटनायक	8 नवम्बर, 2002 - 18 दिसम्बर, 2002
33. वी.एन. खरे	19 दिसम्बर, 2002 - 01 मई, 2004

34. एस. राजेन्द्र बाबू	02 मई, 2004	- 31 मई, 2004
35. आर.सी. लाहोटी	1 जून, 2004	- 31 अक्टूबर, 2005
36. वाई.के. सब्बरवाल	1 नवम्बर, 2005	- 13 जनवरी, 2007
37. के.जी. बालाकृष्णन	14 जनवरी, 2007	- 11 मई, 2010
38. एस.एच. कपाड़िया	12 मई, 2010	- 28 सितम्बर, 2012
39. अल्तमश कबीर	29 सितम्बर, 2012	- 18 जुलाई, 2013
40. पी. सदाशिवम	19 जुलाई, 2013	- 26 अप्रैल, 2014
41. आर.एम. लोढ़ा	27 अप्रैल, 2014	- 27 सितम्बर, 2014
42. एच.एल. दत्तू	28 सितम्बर, 2014	- 2 दिसम्बर, 2015
43. टी.एस. ठाकुर	3 दिसम्बर, 2015	- 3 जनवरी, 2017
44. जगदीश सिंह खेहर	4 जनवरी, 2017	- 27 अगस्त, 2017
45. दीपक मिश्रा	28 अगस्त, 2017	- 02 अक्टूबर, 2018
46. रंजन गोगोई	03 अक्टूबर, 2018	- 17 नवम्बर, 2019
47. शरद अरविन्द बोबडे	18 नवम्बर, 2019	- 23 अप्रैल, 2021
48. एन.वी. रमण	24 अप्रैल, 2021	- 26 अगस्त, 2022
49. यू०यू० ललित	27 अगस्त, 2022	- 08 नवम्बर, 2022
50. डी०वाई० चन्द्रचूड़	09 नवम्बर, 2022	- 10 नवम्बर, 2024
51. संजीव खन्ना	11 नवम्बर, 2024	- 13 मई, 2025
52. बी.आर. गवई	14 मई, 2025	- 23 नवम्बर, 2025
53. सूर्य कान्त	24 नवम्बर, 2025 -	से वर्तमान तक

स्रोत : भारत-2025

●

भार ा के मुख्य नि ाा ान आयुक्त

नाम	कार्यकाल
1. सुकुमार सेन	21 मार्च, 1950 - 19 दिसम्बर, 1958
2. के.वी.के. सुंदरम	20 दिसम्बर, 1958 - 30 सितम्बर, 1967
3. एस.पी. सेन वर्मा	01 अक्टूबर, 1967 - 30 सितम्बर, 1972
4. डॉ. नगेंद्र सिंह	01 अक्टूबर, 1972 - 06 फरवरी 1973
5. टी. स्वामीनाथन	07 फरवरी, 1973 - 17 जून, 1977
6. एस.एल. शकधर	18 जून, 1977 - 17 जून 1982
7. आर.के. त्रिवेदी	18 जून, 1982 - 31 दिसम्बर, 1985
8. आर.वी.एस. पेरी शास्त्री	01 जनवरी, 1986 - 25 नवम्बर, 1990
9. श्रीमती वी.एस. रमादेवी	26 नवम्बर, 1990 - 11 दिसम्बर, 1990
10. टी.एन. शेषन	12 दिसम्बर, 1990 - 11 दिसम्बर, 1996
11. एम.एस. गिल	12 दिसम्बर, 1996 - 13 जून, 2001
12. जे.एम. लिंगदोह	14 जून, 2001 - 07 फरवरी, 2004
13. टी.एस. कृष्णामूर्ति	08 फरवरी, 2004 - 15 मई, 2005
14. बी.बी. टण्डन	16 मई, 2005 - 29 जून, 2006
15. एन. गोपालस्वामी	30 जून, 2006 - 20 अप्रैल, 2009
16. नवीन बी. चावला	21 अप्रैल, 2009 - 29 जुलाई, 2010
17. एस.वाई. कुरैशी	30 जुलाई, 2010 - 10 जून, 2012
18. वी.एस. संपत	11 जून, 2012 - 15 जनवरी, 2015
19. एच.एस. ब्रह्मा	16 जनवरी, 2015 - 18 अप्रैल, 2015
20. नसीम जैदी	19 अप्रैल, 2015 - 05 जुलाई, 2017
21. अचल कुमार जोती	06 जुलाई, 2017 - 22 जनवरी, 2018
22. ओम प्रकाश रावत	23 जनवरी, 2018 - 01 दिसम्बर, 2018
23. सुनील अरोड़ा	02 दिसम्बर, 2018 - 12 अप्रैल 2021
24. सुशील चंद्रा	13 अप्रैल, 2021 - 14 मई, 2022
25. राजीव कुमार	15 मई, 2022 - 18 फरवरी, 2025
26. ज्ञानेश कुमार	19 फरवरी, 2025 से अब तक

स्रोत : भारत-2025

सं ा लोक से ाा आयोग के अ यक्ष

क्र.	नाम	पद अवधि
1.	सर रास बार्कर	अक्टूबर 1926 अगस्त 1932
2.	सर डेविड पेटी	अगस्त 1932 1936
3.	सर आयरे गोर्डन	1937 1942
4.	सर एफ. डब्ल्यू रावर्टसन	1942 1947
5.	श्री एच.के. कपलानी	1 अप्रैल 1947 13 जनवरी 1949
6.	श्री आर.एन. बनजा	14 जनवरी 1949 9 मई 1955
7.	श्री एन. गोविन्दराजन	10 मई 1955 9 दिसम्बर 1955
8.	श्री वी.एस. हेजमाड़ी	10 दिसम्बर 1955 9 दिसम्बर 1961
9.	श्री बी.एन. झा	11 दिसम्बर 1961 22 फरवरी 1967
10.	श्री के.आर. दामले	18 अप्रैल 1967 2 मार्च 1971
11.	श्री आर.सी.एस. सरकार	11 मई 1971 1 फरवरी 1973
12.	डा. ए.आर. किदवई	5 फरवरी 1973 4 फरवरी 1979
13.	डा. एम.एल. शहारे	16 फरवरी 1979 16 फरवरी 1985
14.	श्री एच.के.एल. कपूर	18 फरवरी 1985 5 मार्च 1990
15.	श्री जे.पी. गुप्ता	5 मार्च 1990 2 जून 1992
16.	श्रीमती आर.एम. बाथ्यू (खरबुली)	23 सितम्बर 1992 23 अगस्त 1996
17.	श्री एस.जे.एस. छतवाल	23 अगस्त 1996 30 सितम्बर 1996
18.	श्री जे.एम. कुरैशी	30 सितम्बर 1996 11 दिसम्बर 1998
19.	ले.जनरल सुरिन्दर नाथ (सेवानिव ा)	11 दिसम्बर 1998 25 जून 2002
20.	श्री पी.सी. होता	25 जून 2002 8 सितम्बर 2003
21.	श्री माता प्रसाद	8 सितम्बर 2003 4 जनवरी 2005
22.	डा. एस.आर. हाशिम	4 जनवरी 2005 1 अप्रैल 2006
23.	श्री गुरबचन जगत	1 अप्रैल 2006 30 जून 2007
24.	श्री सुबीर द ाा	30 जून 2007 16 अगस्त 2008
25.	प्रो. डी.पी. अ ावाल	16 अगस्त 2008 16 अगस्त 2014
26.	श्रीमती रजनी राजदान	16 अगस्त 2014 22 नवम्बर 2014
27.	श्री दीपक गुप्ता	22 नवम्बर 2014 20 सितम्बर 2016
28.	श्रीमती अल्का सिरोही	20 सितम्बर 2016 3 जनवरी 2017
29.	प्रो. डेविड आर. सिम्लिह	4 जनवरी 2017 21 जनवरी 2018
30.	श्री विनय मित ाल	22 जनवरी 2018 19 जून 2018
31.	श्री अरविन्द सक्सेना (कार्यकारी)	20 जून 2018 28 नवम्बर 2018
32.	श्री अरविन्द सक्सेना	28 नवम्बर 2018 07 अगस्त 2020
33.	प्रो डा प्रदीप कुमार जो ाी	07 अगस्त 2020 04 अप्रैल 2022
34.	श्री मनोज सोनी	05 अप्रैल 2022 31 जुला 2024
35.	ीमती प्रीति सदन	01 अगस्त 2024 29 अप्रैल 2025
36.	डा अजय कुमार	15 मई 2025 से वर्तमान तक

स्रोत : upsc.gov.in

●

मुख्य नि ाा ान अ ाकारी, उत्तर प्रदेश

नाम	कार्यकाल
जे.के. टण्डन	1950 - 1957
मिट्ठन लाल	1957 - 1960
लक्ष्मी प्रसाद निगम	20 सितम्बर, 1960 - 1964
आर. चन्द्रा	1964
कृष्ण चन्द्र पुरी	4 अप्रैल, 1964 - फरवरी, 1967
जगमोहन लाल सिन्हा	1 मार्च, 1967 - 6 मार्च, 1967
गुरूशरण लाल श्रीवास्तव	7 मार्च, 1967 - 14 जनवरी, 1968
कुंज बिहारी लाल श्रीवास्तव	15 जनवरी, 1968 - 7 फरवरी, 1968
ओम प्रकाश त्रिवेदी	8 फरवरी, 1968 - जनवरी, 1969
विशम्भर दयाल माथुर	फरवरी, 1969 - 24 मार्च, 1969
प्रेम प्रकाश	25 मार्च, 1969 - 3 सितम्बर, 1972
कैलाश नाथ गोयल	4 सितम्बर, 1972 - फरवरी, 1978
रमेश चन्द्र देव शर्मा	मई, 1978 - फरवरी, 1981
जगदीश चन्द्र पन्त	मई, 1981 - फरवरी, 1988
अखण्ड प्रताप सिंह	18 अप्रैल, 1988 - 27 सितम्बर, 1988
जगदीश चन्द्र पन्त	28 सितम्बर, 1988 - 11 फरवरी, 1990
कल्याण कुमार बक्शी	12 फरवरी, 1990 - 20 मार्च, 1992
मोहिन्दर सिंह	21 मार्च, 1992
शैवाल कुमार मुखर्जी	1 फरवरी, 1993 - 10 मई, 1994
डा. नूर मुहम्मद	12 मई, 1994 - 6 जनवरी, 2003
रवीन्द्र सिंह	19 फरवरी, 2003 - 18 सितम्बर, 2003
विजय शर्मा	24 सितम्बर, 2003 - 13 जून, 2005
अनुज कुमार बिश्नोई	27 अक्टूबर, 2005 - 24 सितम्बर, 2009
उमेश सिन्हा	24 सितम्बर, 2009 - 04 अप्रैल, 2015
अरुण सिंघल	20 अगस्त, 2015 - 29 जुलाई, 2016
टी. वेंकटेश	30 जुलाई, 2016 - 27 मार्च, 2017
लक्कू वेंकटेश्वरलू	04 अक्टूबर, 2017 से 08 अगस्त, 2019
अजय कुमार शुक्ला	08 अगस्त, 2019 से 23 अगस्त, 2023
नवदीप रिणवा	23 अगस्त, 2023 से वर्तमान तक

ाोत : जनपद सचिवालय, लखनऊ

●

राज्य नि ाा ान आयुक्त

ƒसं	आयुक्त अ यक्ष का नाम	ैना ी का समय
1.	श्री आर.डी. सोनकर	24 अप्रैल 1994 से 09 दिसम्बर 1996 तक
2.	डा. यशपाल सिंह	10 दिसम्बर 1996 से 09 दिसम्बर 2001 तक
3.	श्री अपरमिता प्रसाद सिंह	10 दिसम्बर 2001 से 31 मई 2007 तक
4.	श्री राजेन्द्र भौनवाल	01 जून 2007 से 04 अप्रैल 2012 तक
5.	श्री सतीश कुमार अ ावाल	11 अप्रैल, 2012 से 19 दिसम्बर 2017 तक
6.	श्री मनोज कुमार	18 जनवरी, 2018 से 17 जनवरी 2024 तक
7.	श्री राज प्रताप सिंह	7 मार्च, 2024 से वर्तमान तक

ोत : राज्य निर्वाचन आयोग, उ.प्र.

●

राज्य मुख्य स ाना आयुक्त राज्य स ाना आयुक्त

1. श्री राज कुमार विश्वकर्मा राज्य मुख्य सूचना आयु ƒ
2. श्री सुधीर कुमार सिंह राज्य सूचना आयु ƒ
3. रिक्त
4. श्री दिलीप कुमार अग्निहोत्री, राज्य सूचना आयु ƒ
5. श्री पदुम नारायण द्विवेदी, राज्य सूचना आयु ƒ
6. श्री स्वतंत्र प्रकाश , राज्य सूचना आयु ƒ
7. श्री मोहम्मद नदीम, राज्य सूचना आयु ƒ
8. श्री राजेन्द्र सिंह, राज्य सूचना आयु ƒ
9. श्रीमती शकुन्तला गौतम, राज्य सूचना आयु ƒ
10. श्री राकेश कुमार, राज्य सूचना आयु ा
11. श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, राज्य सूचना आयु ƒ

ोत : राज्य सूचना आयोग, उ.प्र.

●

कमांडर-इन-चीफ

नाम	कार्यकाल
1. जनरल सर रॉब, लोकार्ट	15 अगस्त, 1947 - 31 दिसम्बर, 1947
2. जनरल सर रॉय बूचर	1 जनवरी, 1948 - 14 जनवरी, 1949
3. जनरल (बाद में फील्ड मार्शल) के. एम. करियप्पा	15 जनवरी, 1949 - 14 जनवरी, 1953
4. जनरल महाराज राजेंद्र सिंहजी	15 जनवरी, 1953 - 31 मार्च, 1955

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ

नाम	कार्यकाल
1. जनरल बिपिन रावत	01 जनवरी, 2020 - 8 दिसम्बर, 2021
2. जनरल अनिल चौहान	30 सितम्बर, 2022 - वर्तमान तक

स्रोत : भारत-2025

थलसेना अध्यक्ष

नाम	कार्यकाल
1. जनरल महाराज राजेंद्र सिंहजी	15 जनवरी, 1953 - 14 मई, 1955
2. जनरल एस.एम. श्रीनागेश	15 मई, 1955 - 7 मई, 1957
3. जनरल के.एस. तिमैया	8 मई, 1957 - 7 मई, 1961
4. जनरल पी.एन. थापर	8 मई, 1961 - 19 नवम्बर, 1962
5. जनरल जे.एन. चौधरी	20 नवम्बर, 1962 - 7 जून, 1966
6. जनरल पी.पी. कुमारमंगलम	8 जून, 1966 - 7 जून, 1969
7. फील्ड मार्शल एस.एच.एफ.जे. मानेकशॉ	8 जून, 1969 - 15 जनवरी, 1973
8. जनरल जी.जी. बेवूर	16 जनवरी, 1973 - 31 मई, 1975
9. जनरल टी.एन. रैना	1 जून, 1975 - 31 मई, 1978
10. जनरल ओ.पी. मल्होत्रा	1 जून, 1978 - 31 मई, 1981
11. जनरल के.वी. कृष्णा राव	1 जून, 1981 - 31 जुलाई, 1983
12. जनरल ए.एस. वैद्य	1 अगस्त, 1983 - 31 जनवरी, 1985
13. जनरल के. सुन्दरजी	1 फरवरी, 1985 - 31 मई, 1988
14. जनरल वी.एन. शर्मा	1 जून, 1988 - 30 जून, 1990
15. जनरल एस.एफ. रोड्रिग्स	1 जुलाई, 1990 - 30 जून, 1993
16. जनरल बी.सी. जोशी	1 जुलाई, 1993 - 19 नवम्बर, 1994
17. जनरल एस. रायचौधरी	20 नवम्बर, 1994 - 30 सितम्बर, 1997
18. जनरल वी.पी. मलिक	1 अक्टूबर, 1997 - 30 सितम्बर, 2000
19. जनरल एस. पद्मनाभन	1 अक्टूबर, 2000 - 30 सितम्बर, 2002
20. जनरल एन.सी. विज	31 दिसम्बर, 2002 - 31 जनवरी 2005
21. जनरल जे.जे. सिंह	1 फरवरी 2005 - 30 सितम्बर 2007

22. जनरल दीपक कपूर	30 सितम्बर 2007 - 30 मार्च 2010
23. जनरल वी. के. सिंह	31 मार्च 2010 - 31 मई 2012
24. जनरल बिक्रम सिंह	1 जून 2012 - 31 जुलाई 2014
25. जनरल दलबीर सिंह	1 अगस्त 2014 - 31 दिसम्बर, 2016
26. जनरल बिपिन रावत	1 जनवरी, 2017 - 31 दिसम्बर, 2019
27. जनरल एम.एम. नरवणे	31 दिसम्बर, 2019 - 30 अप्रैल 2022
28. जनरल मनोज पांडे	30 अप्रैल, 2022 - 30 जून 2024
29. जनरल उपेन्द्र द्विवेदी	30 जून, 2024 से वर्तमान तक

स्रोत : भारत-2025

●

नौसेना अध्यक्ष

नाम	कार्यकाल
1. रियर एडमिरल जे. टी. एस. हाल	15 अगस्त, 1947 - 14 अगस्त, 1948
2. एडमिरल सर एडवार्ड पैरी	14 अगस्त, 1948 - 13 अक्टूबर, 1951
3. एडमिरल सर मार्क पीजे	13 अक्टूबर, 1951 - 21 जुलाई, 1955
4. वाइस एडमिरल सर स्टीफन कार्लाइल	21 जुलाई, 1955 - 21 अप्रैल, 1958
5. वाइस एडमिरल आर. डी. कटारी	22 अप्रैल, 1958 - 4 जून, 1962
6. वाइस एडमिरल बी. एस. सोमन	4 जून, 1962 - 3 मार्च, 1966
7. एडमिरल ए. के. चटर्जी	3 मार्च, 1966 - 27 फरवरी, 1970
8. एडमिरल एस. एम. नंदा	28 फरवरी, 1970 - 28 फरवरी, 1973
9. एडमिरल एस. एन. कोहली	28 फरवरी, 1973 - 28 फरवरी, 1976
10. एडमिरल जे. एल. करसेटजी	29 फरवरी, 1976 - 28 फरवरी, 1979
11. एडमिरल आर. एल. परेरा	28 फरवरी, 1979 - 28 फरवरी, 1982
12. एडमिरल ओ. एस. डॉसन	28 फरवरी, 1982 - 30 नवम्बर, 1984
13. एडमिरल आर. एच. तहिलियानी	30 नवम्बर, 1984 - 30 नवम्बर, 1987
14. एडमिरल जे. जी. नादकर्णी	30 नवम्बर, 1987 - 30 नवम्बर, 1990
15. एडमिरल एल. रामदास	30 नवम्बर, 1990 - 30 सितम्बर, 1993
16. एडमिरल वी. एस. शेखावत	30 सितम्बर, 1993 - 30 सितम्बर, 1996
17. एडमिरल विष्णु भागवत	30 सितम्बर, 1996 - 30 दिसम्बर, 1998
18. एडमिरल सुशील कुमार	30 दिसम्बर, 1998 - 29 दिसम्बर, 2001
19. एडमिरल माधवेंद्र सिंह	29 दिसम्बर, 2001 - 31 जुलाई, 2004
20. एडमिरल अरुण प्रकाश	31 जुलाई, 2004 - 30 अक्टूबर, 2006
21. एडमिरल सुरीश मेहता	31 अक्टूबर, 2006 - 31 अगस्त, 2009
22. एडमिरल निर्मल वर्मा	31 अगस्त, 2009 - 31 अगस्त, 2012
23. एडमिरल डी.के. जोशी	31 अगस्त, 2012 - 16 अप्रैल, 2014
24. एडमिरल रॉबिन के. धवन	17 अप्रैल, 2014 - 31 मई, 2016

25.	एडमिरल सुनील लांबा	1 जून, 2016 से - 31 मई, 2019
26.	एडमिरल करमबीर सिंह	31 मई, 2019 से - 30 नवम्बर, 2021
27.	एडमिरल आर. हरि कुमार	30 नवम्बर, 2021 से - 30 अप्रैल, 2024
28.	एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी	30 अप्रैल, 2024 से - वर्तमान तक

स्रोत : भारत-2025

वायुसेना अध्यक्ष

नाम		कार्यकाल
1.	एयर मार्शल सर थॉमस डब्ल्यू. एमहर्स्ट	15 अगस्त, 1947 - 21 फरवरी, 1950
2.	एयर मार्शल सर रोनाल्ड आई. चैपमैन	22 फरवरी, 1950 - 09 दिसम्बर, 1951
3.	एयर मार्शल सर जेराल्ड ई. गिब्स	10 दिसम्बर, 1951 - 31 मार्च, 1954
4.	एयर मार्शल एस. मुखर्जी	01 अप्रैल, 1954, - 08 नवम्बर, 1960
5.	एयर मार्शल ए. एम. इंजीनियर	01 दिसम्बर, 1960 - 31 जुलाई, 1964
6.	एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह	01 अगस्त, 1964 - 15 जुलाई, 1969
7.	एयर चीफ मार्शल पी. सी. लाल	16 जुलाई, 1969 - 15 जनवरी, 1973
8.	एयर चीफ मार्शल ओ. पी. मेहरा	16 जनवरी, 1973 - 31 जनवरी, 1976
9.	एयर चीफ मार्शल एच. मूलगांवकर	01 फरवरी, 1976 - 31 अगस्त, 1978
10.	एयर चीफ मार्शल आई. एच. लतीफ	01 सितम्बर, 1978 - 31 अगस्त, 1981
11.	एयर चीफ मार्शल दिलबाग सिंह	01 सितम्बर, 1981 - 03 सितम्बर, 1984
12.	एयर चीफ मार्शल एल. एम. कात्रे	04 सितम्बर, 1984 - 01 जुलाई, 1985
13.	एयर चीफ मार्शल डी. ए. ला फोंटेन	03 जुलाई, 1985 - 31 जुलाई, 1988
14.	एयर चीफ मार्शल एस. के. मेहरा	01 अगस्त, 1988 - 31 जुलाई, 1991
15.	एयर चीफ मार्शल एन. सी. सूरी	31 जुलाई, 1991 - 31 जुलाई, 1993
16.	एयर चीफ मार्शल एस. के. कौल	01 अगस्त, 1993 - 31 दिसम्बर, 1995
17.	एयर चीफ मार्शल एस. के. सरीन	31 दिसम्बर, 1995 - 31 दिसम्बर, 1998
18.	एयर चीफ मार्शल ए. वाई. टिपणीस	31 दिसम्बर, 1998 - 31 दिसम्बर, 2001
19.	एयर चीफ मार्शल एस. कृष्णास्वामी	31 दिसम्बर, 2001 - 31 दिसम्बर, 2004
20.	एयर चीफ मार्शल एस.पी. त्यागी	31 दिसम्बर, 2004 - 31 मार्च, 2007
21.	एयर चीफ मार्शल एफ.एच. मेजर	31 मार्च, 2007 - 31 मई, 2009
22.	एयर चीफ मार्शल पी.वी. नाइक	31 मई, 2009 - 31 जुलाई, 2011
23.	एयर चीफ मार्शल एन.ए.के. ब्राउन	31 जुलाई, 2011 - 31 दिसम्बर, 2013
24.	एयर चीफ मार्शल अरुप राहा	01 जनवरी, 2014 - 31 दिसम्बर, 2016
25.	एयर चीफ मार्शल बी.एस. धनोआ	01 जनवरी, 2017 - 30 सितम्बर, 2019
26.	एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया	30 सितम्बर, 2019 - 30 सितम्बर, 2021
27.	एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी	30 सितम्बर, 2021 - 30 सितम्बर, 2024
28.	एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह	30 सितम्बर, 2024 - से वर्तमान तक

स्रोत : भारत-2025

●

केन्ीय मंत्रिमण ल

नाम	िभाग

ी नरे मो ी प्र ाानमं ी त ाा नि न मं ालयों के प्र ाारी कामिक लोक ि ाकायत और पें ान मं ालय परमाणु जा वि ााग अंतरिक्ष वि ााग स ाी महत्वपण नीतिगत मुददे और अन्य स ाी वि ााग जो किसी मं ी को आवंि त नहीं कि ग हों।

ि नेट मं ी

नाम	िभाग
ी रा ना ा सिं	रक्षा मं ी।
ी मि शा	गृह मं ी सहकारिता मं ी।
ी नि ि न राम री	सड़क परिवहन और राजमाग मं ी।
ी ाश न ा	वा य और परिवार क याण मं ी त ाा रसायन और वरक मं ी।
ी शि रा सिं ा ान	कृ ि वं किसान क याण मं ी ग्रामीण विकास मं ी।
ीम ी निमला सी ारम ा	वि ा मं ी कारपोरे काय मं ी।
ा स म शं र	विदे ा मं ी।
ी मनो र लाल	आवास और ाहरी काय मं ी त ाा जा मं ी।
ी ी मार ामी	ाारी ोग मं ी पात मं ी।
ी ी ा ो ल	वाणिज्य और ोग मं ी।
ी ामे ाान	ि ाक्षा मं ी।
ी ी न राम मां ी	सक्ष्म ल ाु और म यम म मं ी।
ी रा ी रं न सिं फ ललन सिं	पं ायती राज मं ी त ाा मत य पालन प ाुपालन डेयरी मं ी।
ी स ानं सोनो ाल	पत्तन पोत परिवहन और जलमाग मं ी।
ा ीरे मार	सामाजिक न्याय और अ ाकारिता मं ी।
ी ि ं रा राममो न ना	नागरिक विमानन मं ी।
ी ल ा ोशी	प ाो ता मामले ाा वं सावजनिक वितरण मं ी त ाा नवीन वं नवीकरणीय जा मं ी।
ी ल ोराम	जनजातीय काय मं ी।
ी ि रिरा सिं	व मं ी।
ी श्नी ा	रेल मं ी स ना वं प्रसारण मं ी त ाा ले ानि स वं स ना प्रौ ोगिकी मं ी।
ी ोि राि म सिंि ा	सं ार मं ी त ाा पवोत्तर क्षे विकास मं ी।
ी ा` ा	पयावरण वन वं जलवायु परिवतन मं ी।
ी ` सिं शे ाा	सं कृति मं ी ाा पय न मं ी।
ीम ी न ाा `ी	महिला वं बाल विकास मं ी।
ी ि र ा रिि	संसदीय काय मं ी त ाा अ पसं यक काय मं ी।
ी र ी सिं री	पे ोलियम वं प्राकृतिक गैस मं ी।
ी मनस ा मं ाि ा	म वं रोजगार मं ी त ाा युवा कायक्रम वं ोल मं ी।
ी ी ि शन रे ी	कोयला मं ी त ाा ाान मं ी।
ी ि रा ास ान	ाा प्रसं करण ोग मं ी।
ी सी ार ाटिल	जल ाि त मं ी।

रा मं ी ं ार

ी रा इ ी सिं सां ि यकी वं कायक्रम कायान्वयन मं ालय योजना मं ालय सं कृति मं ालय राज्य मं ी ।

ा ि े सिं वि ान वं प्रौ ोगिकी मं ालय पृ वी वि ान मं ालय प्र ानमं ी कायालय में राज्यमं ी कामिक लोक ि ाकायत वं पें ान मं ालय में राज्य मं ी परमाणु जा वि ाग में राज्य मं ी अंतरिक्ष वि ाग राज्य मं ी ।

ी न राम मे ा ल वि ि वं न्याय मं ालय सं ादीय काय मं ालय राज्य मं ी ।

ी ा रा ा ा आयु ा मं ालय वा य वं परिवार क याण मं ालय राज्य मं ी ।

ी ं ा ारी कौ ाल विकास और मिता मं ालय ि ाक्षा मं ालय राज्य मं ी ।

रा मं ी

ी ि ि न सा वाणिज्य वं ोग मं ालय ले ानि स वं स ना प्रौ ोगिकी मं ालय।

श्री श्रीपाद येसो नाईक विद्युत मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय।

श्री पंकज चौधरी वित्त मंत्रालय।

श्री कृष्ण पाल सहकारिता मंत्रालय।

श्री रामदास अठावले सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय।

श्री रामनाथ ठाकुर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

श्री नित्यानंद राय गृह मंत्रालय।

श्रीमती अनुप्रिया पटेल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय।

श्री वी. सोमन्ना जल शक्ति मंत्रालय रेल मंत्रालय।

डॉ. चन्द्रशेखर पेम्मासानी ग्रामीण विकास मंत्रालय, संचार मंत्रालय।

प्रो. एस.पी. सिंह बघेल मत य पालन प ुपालन और डेयरी मं ालय पंचायती राज।

सुश्री शोभा करंदलाजे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

श्री कीर्तिवर्धन सिंह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय।

श्री बी.एल. वर्मा उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

ी शां न ा र प ान पोत परिवहन और जलमाग मं ालय।

श्री सुरेश गोपी पेट्रोलियम एवं प्रकृति गैस मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय।

डॉ. एल. मुरुगन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय।

श्री अजय टम्टा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय।

श्री बंदी संजय कुमार गृह मंत्रालय।

श्री कमलेश पासवान ग्रामीण विकास मंत्रालय।

श्री भागीरथ चौधरी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

श्री सतीश चंद्र दुबे कोयला मंत्रालय, खान मंत्रालय।

श्री संजय सेठ रक्षा मंत्रालय।

श्री रवनीत सिंह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, रेल मंत्रालय।

श्री दुर्गादास उइके जनजातीय कार्य मंत्रालय।

श्रीमती खडसे रक्षा निखिल युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय।

श्री सुकांता मजूमदार शिक्षा मंत्रालय, उत्तरपूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय।

श्रीमती सावित्री ठाकुर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय।

श्री तोखन साहू आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय।

श्री राज भूषण चौधरी जल शक्ति मंत्रालय।

श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा भारी उद्योग मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय।

श्री हर्ष मल्होत्रा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय।

श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय।

श्री मुरलीधर मोहोल सहकारिता मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय।

श्री जॉर्ज कुरियन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय।

श्री पबित्रा मार्गेरिटा विदेश मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय।

स्रोत : - india.gov.in

●

उत्तर प्रदेश से लोक सभा के सदस्य

(दिनांक जनवरी, 2026 की स्थिति के अनुसार)

नाम	नि ाा न क्षेत्र
ी न्दन ौहान	बिजनौर
ी कंवर सिंह तंवर	अमरोहा
ीमती ि वीरा	मुरादाबाद
ी मोहि बु लाह	रामपुर
ी जिया र रहमान	स ाल
ी अतुल गग	गाजियाबाद
ी नीरज मौय	आंवला
ी पाल सिंह गंगवार	बरेली
ी जितिन प्रसाद	पीली ीत
ी अ ण कुमार सागर	ाहजहापुर
ी त्का ा वमा म ुर	ीरी
डा विनोद कुमार बिंद	ादोही
ी राके ा राठौर	सीतापुर
ी अ ोक कुमार रावत	मि ि ा
ी जय प्रका ा	हरदो
ी राजना ा सिंह	ल ान
ी आर के ौ ारी	मोहनलालगंज
डा वामी साक्षी जी महाराज	न्नाव
ी राहुल गां ाी	रायबरेली
डा ि ाव पाल सिंह प ेल	प्रतापगढ़
ी कि ाोरी लाल	अमेठी
ी राम ुआल नि ाद	सु तानपुर
ी देवेन्द्र सिंह ोले सिंह	अकबरपुर
ी अव ो ा प्रसाद	ैजाबाद अयो या
ी तनुज पनिया	बाराबंकी
ी करण ा ाण सिंह	कैसरगंज
ी राजकुमार ाहर	तेहपुर सीकरी
डा आनंद कुमार गोंड	बहरा
ी कीति व ान सिंह	गोण्डा
ी राम प्रसाद ौ ारी	ब ती
ी जगद बिका पाल	डुमरियागंज
डवोके न्द्र ो ार	नगीना
ी कमले ा पासवान	बांसगांव
ी पंकज ौ ारी	महाराजगंज
डा महे ा ामा	गौतमबु नगर
ी रमा ांकर वि ा ाी राज ार	सलेमपुर
ी ा ांक मणि	देवरिया
ी सनातन पाण्डेय	बलिया
ी राजीव राय	ोसी
ी ामेन्द्र यादव	आजमगढ़
ी दरोगा प्रसाद सरोज	लालगंज
डवोके प्रिया सरोज	म ली ाहर
ी बाब सिंह कु ावाहा	जौनपुर
ी लाल जी वमा	अ बेडकरनगर
ी अ जाल अंसारी	गाजीपुर
ी वीरेन्द्र सिंह	न्दौली
ी नरेन्द्र मोदी	वाराणसी
ी ो ेलाल	राब सगंज
ीमती अनुप्रिया प ेल	मिजापुर
ी ज्ज्वल रमण सिंह	प्रयागराज लाहाबाद
ी लक्ष्मीकान्त नि ाद प प	संत कबीरनगर
ी नरे ा न्द्र ाम प ेल	तेहपुर
ीमती कृ णा देवी ि ाव ांकर प ेल	बादा
ी अजेन्द्र सिंह लो ाी	हमीरपुर
ी अनुराग ामा	ांसी
ी नारायण दास अहिरवार	जालौन
ी आनन्द ादौरिया	ौरहरा
ी राम ि ारोमणि वमा	ाव ती
ी रमे ा अव ाी	कानपुर
ी जितेन्द्र दोहरे	ावा
ी अ ि ाले ा यादव	कन्नौज
ी मुके ा राजपत	ाबाद
ीमती डि पल यादव	मैनपुरी
ी विजय कुमार दबे	कु ाीनगर
ी देवे ा ा ाा य	ा
ी अक्षय यादव	ि रोजाबाद
ीमती हेमा मालिनी	म ुरा
प्रो स पी सिंह ब ोल	आगरा
ी अनप प्र ाान वा मीकि	हा ारस
ी सती ा कुमार गौतम	अलीगढ़
ी आदित्य यादव	बदाय
डा ोला सिंह	बुलन्द ाहर
ी अ ण गोविल	मेरठ
ी पु पेन्द्र सरोज	कौ ाा बी
डा राजकुमार सांगवान	बागपत
ी हरेन्द्र सिंह मलिक	मुज रनगर
सु ी करा ौ ारी	कैराना
ी मरान मसद	सहारनपुर
ी प्रवीण प ेल	लपुर
ी रवीन्द्र ु ला रवि कि ान	गोर ापुर

ो ा sansad.in/ls/hi/members

उत्तर प्रदेश से राज्य सभा के सदस्य

(दिनांक जनवरी, 2026 की स्थिति के अनुसार)

कायकाल 25 नवम्बर 202 ाक

1. श्री ब्रजलाल
2. ीमती गीता न्द्रप्र ाा
3. श्री हरदीप सिंह पुरी
4. श्री रामजी
5. श्रीमती सीमा ि वेदी
6. श्री नीरज ो ार
7. श्री अ ण सिंह
8. श्री बी ल वमा
9. प्रो राम गोपाल यादव

कायकाल 04 जुला 2028 ाक

10. श्री जयंत ौारी
11. ी जावेद अली ाान
12. ीमती द ाना सिंह
13. ी बाब राम नि ााद
14. ी मि ाले ा कुमार
15. डा रा ाा मोहन दास अग्रवाल
16. डा के लक्ष्मण
17. डा लक्ष्मीकांत बाजपेयी
18. ी सुरेन्द्र सिंह नागर
19. ीमती संगीता यादव
20. ी कपिल सि बल

कायकाल 10 सितम्बर 2029 ाक

21. डा दिने ा ामा

कायकाल 02 अ ौल 2030 ाक

22. श्रीमती जया अमिता ा बच्चन
23. ी संजय सेठ
24. ी नवीन जैन
25. ीमती सा ाना सिंह
26. डा संगीता बलवंत
27. ी रतनजीत प्रताप नारायण सिंह
28. ी तेजवीर सिंह
29. डा सु ाां ा ु ि वेदी
30. ी अमर पाल मौय
31. ी रामजी लाल सुमन

ाो ा sansad.in/rs/hi/members

●

उत्तर प्रदेश मंत्रिमण ल

नाम	विभाग

योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री

नियुक्ति, कार्मिक, गृह, सतर्कता, आवास एवं शहरी नियोजन, राजस्व, खाद्य एवं रसद, नागरिक आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, भूतत्व एवं खनिकर्म, अर्थ एवं सख्या, राज्य कर एवं निबन्धन, सामान्य प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, गोपन, सूचना, निर्वाचन, संस्थागत वित्त, नियोजन, राज्य सम्पत्ति, उ.प्र. पुनर्गठन समन्वय, प्रशासनिक सुधार, कार्यक्रम कार्यान्वयन, अवस्थापना, भाषा, अभाव सहायता एवं पुनर्वास, लोक सेवा प्रबन्धन, किराया नियंत्रण, प्रोटोकॉल, सैनिक कल्याण, प्रान्तीय रक्षक दल, नागरिक उड्डयन, न्याय एवं विधायी विभाग, धर्मार्थ कार्य, लोक निर्माण विभाग।

श्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री

ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास, ग्रामीण अभियंत्रण, खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर एवं सार्वजनिक उद्यम तथा राष्ट्रीय एकीकरण।

श्री ब्रजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री

चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण।

कैबिनेट मंत्री

नाम	विभाग
श्री सुरेश कुमार खन्ना	वित्त, संसदीय कार्य
श्री सूर्य प्रताप शाही	कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान
श्री स्वतंत्र देव सिंह	जल शक्ति तथा बाढ़ नियंत्रण
श्रीमती बेबी रानी मौर्य	महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार
श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी	गन्ना विकास एवं चीनी मिलें
श्री जयवीर सिंह	पर्यटन एवं संस्कृति
श्री धर्मपाल सिंह	पशुधन एवं दुग्ध विकास, राजनैतिक पेंशन
श्री नन्द गोपाल गुप्ता ''नन्दी''	औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, एन.आर.आई. तथा निवेश प्रोत्साहन
श्री अनिल राजभर	श्रम एवं सेवायोजन, समन्वय
श्री राकेश सचान	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग
श्री अरविन्द कुमार शर्मा	नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत
श्री योगेन्द्र उपाध्याय'	उच्च शिक्षा
श्री आशीष पटेल	प्राविधिक शिक्षा, उपभोक्ता संरक्षण एवं बाँट माप
श्री संजय निषाद	मत्स्य
श्री ओम प्रकाश राजभर	पंचायती राज, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज
श्री दारा सिंह चौहान	कारागार
श्री सुनील कुमार शर्मा	इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी
श्री अनिल कुमार	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

नाम	विभाग
श्री नितिन अग्रवाल	आबकारी एवं मद्य निषेध
श्री कपिल देव अग्रवाल	व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास
श्री रवीन्द्र जायसवाल	स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन
श्री संदीप सिंह	बेसिक शिक्षा
श्रीमती गुलाब देवी	माध्यमिक शिक्षा
श्री गिरीश चन्द्र यादव	खेल एवं युवा कल्याण
श्री धर्मवीर प्रजापति	होमगार्ड्स, नागरिक सुरक्षा
श्री असीम अरुण	समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण
श्री जयेन्द्र प्रताप सिंह राठौर	सहकारिता
श्री दयाशंकर सिंह	परिवहन
श्री नरेन्द्र कुमार कश्यप	पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण
श्री दिनेश प्रताप सिंह	उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार तथा कृषि निर्यात
श्री अरुण कुमार सक्सेना	वन एवं पर्यावरण, जन्तु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन
श्री दयाशंकर मिश्र ''दयालु''	आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एम.ओ.एस.)

राज्य मंत्री

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण

श्री दिनेश खटीक जल शक्ति

श्री संजीव गोंड समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण

श्री बलदेव सिंह ओलख कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान

श्री अजीत पाल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी

श्री जसवन्त सिंह सैनी संसदीय कार्य तथा औद्योगिक विकास

श्री रामकेश निषाद जल शक्ति

श्री मनोहर लाल मन्नू कोरी श्रम एवं सेवायोजन

श्री संजय सिंह गंगवार गन्ना विकास एवं चीनी मिलें

श्री बृजेश सिंह लोक निर्माण

श्री के.पी. मलिक वन, पर्यावरण, जन्तु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन

श्री सुरेश राही कारागार

श्री सोमेन्द्र तोमर ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा

श्रीमती प्रतिभा शुक्ला महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार

श्री राकेश राठौर गुरु नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन

श्रीमती रजनी तिवारी उच्च शिक्षा

श्री सतीश चन्द्र शर्मा खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति

श्री दानिश आजाद अंसारी अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज

श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम्य विकास तथा ग्रामीण अभियंत्रण

स्रोतः upcm.up.nic.in (23.01.2026 तक संशोधित)

उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्य

(20 नवम्बर, 2025 की स्थिति के अनुसार)

सदस्य

क्र.सं.	विधान सभा	निर्वाचित सदस्य
	भारतीय जनता पार्टी (258 सदस्य)	
1.	खलीलाबाद	श्री अंकुर तिवारी
2.	कर्नलगंज	श्री अजय
3.	हर्रैया	श्री अजय सिंह
4.	मुरादनगर	श्री अजीत पाल त्यागी
5.	सिकन्दरा	श्री अजीत सिंह पाल
6.	रायबरेली	श्रीमती अदिति सिंह
7.	हाथरस	श्रीमती अंजुला सिंह माहौर
8.	बहराइच	श्रीमती अनुपमा जायसवाल
9.	चुनार	श्री अनुराग सिंह
10.	शिकारपुर	श्री अनिल कुमार
11.	घोरावल	डॉ. अनिल कुमार मौर्य
12.	पुरवा	श्री अनिल कुमार सिंह
13.	कोल	श्री अनिल पाराशर
14.	शिवपुर	श्री अनिल राजभर
15.	बिठूर	श्री अभिजीत सिंह 'सांगा'
16.	गोला गोकरननाथ	श्री अमन गिरि
17.	मोहनलालगंज	श्री अमरेश कुमार
18.	मेरठ कैन्टोनमेंट	श्री अमित अग्रवाल
19.	बीकापुर	डॉ. अमित सिंह चौहान
20.	छिबरामऊ	श्रीमती अर्चना पाण्डेय
21.	बरेली	डॉ. अरुण कुमार
22.	ददरौल	श्री अरविन्द कुमार सिंह
23.	सन्डीला	श्रीमती अलका सिंह 'अर्कवंशी'
24.	पिन्ड्रा	डॉ. अवधेश सिंह
25.	सलोन	श्री अशोक कुमार
26.	धामपुर	श्री अशोक कुमार राणा
27.	कन्नौज	श्री असीम अरुण
28.	तमकुही राज	डॉ. असीम कुमार
29.	रामपुर	श्री आकाश सक्सेना (हनी)
30.	गोरखपुर शहर	योगी आदित्यनाथ
31.	भगवन्त नगर	श्री आशुतोष शुक्ल
32.	महमूदाबाद	श्रीमती आशा मौर्य
33.	बिलग्राम-मल्लांवा	श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू'
34.	नवाबगंज	श्री एम.पी. आर्य
35.	लखनऊ पूर्व	श्री ओपी श्रीवास्तव

क्र.सं.	विधान सभा	निर्वाचित सदस्य
36.	नहटौर	श्री ओम कुमार
37.	नरैनी	श्रीमती ओममणि वर्मा
38.	बांसडीह	श्रीमती केतकी सिंह
39.	मुजफ्फरनगर	श्री कपिल देव अग्रवाल
40.	चकिया	श्री कैलाश
41.	तुलसीपुर	श्री कैलाश नाथ
42.	तिर्वा	श्री कैलाश राजपूत
43.	बड़ौत	श्री कृष्णपाल मलिक
44.	खागा	श्रीमती कृष्णा पासवान
45.	गंगोह	श्री किरत सिंह
46.	औरैया	श्रीमती गुड़िया कठेरिया
47.	धनघटा	श्री गणेश चन्द्र
48.	फाफामउ	श्री गुरु प्रसाद मौर्य
49.	चंदौसी	श्रीमती गुलाब देवी
50.	जौनपुर	श्री गिरीश चन्द्र यादव
51.	उरई	श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी)
52.	पुवायाँ	श्री चेतराम
53.	डिबाई	श्री चन्द्रपाल सिंह
54.	फतेहाबाद	श्री छोटे लाल वर्मा
55.	सेवता	श्री ज्ञान तिवारी
56.	पनियरा	श्री ज्ञानेन्द्र सिंह
57.	मलिहाबाद	श्रीमती जय देवी
58.	बांसी	श्री जय प्रताप सिंह
59.	बड़खेरा	श्री जयद्रथ उर्फ प्रवक्तानन्द
60.	रुद्रपुर	श्री जयप्रकाश निषाद
61.	महराजगंज	श्री जयमंगल
62.	मैनपुरी	श्री जयवीर सिंह
63.	बरौली	ठाकुर जयवीर सिंह
64.	गरौठा	श्री जवाहर लाल राजपूत
65.	आगरा कैन्टोनमेंट	डॉ. जी.एस. धर्मेश
66.	मीरगंज	डॉ. डी.सी.वर्मा
67.	दादरी	श्री तेजपाल सिंह नागर
68.	अजगरा	श्री त्रिभुवन राम
69.	बलिया नगर	श्री दया शंकर सिंह
70.	रामपुर मनिहारन	श्री देवेन्द्र कुमार निम
71.	कासगंज	श्री देवेन्द्र सिंह
72.	स्याना	श्री देवेन्द्र सिंह लोधी

73. हस्तिनापुर श्री दिनेश कुमार
74. हैदरगढ़ श्री दिनेश रावत
75. औराई श्री दीनानाथ भाष्कर
76. बरहज श्री दीपक कुमार मिश्र 'शाका'
77. फूलपुर श्री दीपक पटेल
78. एत्मादपुर डॉ. धर्मपाल सिंह
79. आंवला श्री धर्मपाल सिंह
80. कटेहरी श्री धर्मराज निषाद
81. धौलाना श्री धर्मेश सिंह तोमर
82. जेवर श्री धीरेन्द्र सिंह
83. लोनी श्री नन्द किशोर गुर्जर
84. प्रयागराज (दक्षिण) श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'
85. भोजपुर श्री नागेन्द्र सिंह राठौर
86. हरदोई श्री नितिन अग्रवाल
87. बिसवां श्री निर्मल वर्मा
88. लखनऊ (उत्तर) डॉ. नीरज बोरा
89. सेवापुरी श्री नील रतन सिंह
90. वाराणसी (दक्षिण) डॉ. नीलकण्ठ तिवारी
91. कल्याणपुर श्रीमती नीलिमा कटियार
92. उन्नाव श्री पंकज गुप्ता
93. नोएडा श्री पंकज सिंह
94. कुशीनगर श्री पंचानन्द पाठक (पी.एन.पाठक)
95. रसूलाबाद श्रीमती पूनम संखवार
96. बांदा श्री प्रकाश द्विवेदी
97. अकबरपुर-रनिया श्रीमती प्रतिभा शुक्ला
98. गोण्डा श्री प्रतीक भूषण सिंह
99. बुलन्दशहर श्री प्रदीप कुमार चौधरी
100. सहजनवा श्री प्रदीप शुक्ला
101. बलदेव श्री पूरन प्रकाश
102. गौरा श्री प्रभात कुमार वर्मा
103. सांडी श्री प्रभाष कुमार
104. तरबगंज श्री प्रेम नारायन पाण्डेय
105. टुण्डला श्री प्रेम पाल सिंह धनगर
106. सिसवा श्री प्रेमसागर पटेल
107. आगरा (उत्तर) श्री पुरुषोत्तम खण्डेलवाल
108. बलरामपुर श्री पल्टूराम
109. करछना श्री पीयूष रंजन निषाद
110. कैम्पियर गंज श्री फतेह बहादुर
111. मोहान श्री बृजेश कुमार
112. आगरा ग्रामीण श्रीमती बेबी रानी मौर्य
113. सफीपुर श्री बम्बा लाल
114. चरखारी श्री ब्रजभूषण राजपूत
115. लखनऊ कैन्टोनमेंट श्री ब्रजेश पाठक
116. देवबन्द श्री ब्रिजेश
117. बिलासपुर श्री बल्देव सिंह औलख
118. पूरनपुर श्री बाबूराम
119. फतेहपुर सीकरी श्री बाबूलाल
120. कटरा बाजार श्री बावन सिंह
121. सिकन्दरा राऊ श्री बीरेन्द्र सिंह राणा
122. खैरागढ़ श्री भगवान सिंह कुशवाहा
123. राबर्ट्सगंज श्री भूपेश चौबे
124. अलीगढ़ श्रीमती मुक्ता संजीव राजा
125. नकुड़ श्री मुकेश चौधरी
126. गोवर्धन श्री मेघश्याम
127. श्रीनगर श्रीमती मंजू त्यागी
128. मोदीनगर डॉ. मन्जू शिवाच
129. फिरोजाबाद श्री मनीष असीजा
130. पडरौना श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू
131. सिधौली श्री मनीष रावत
132. राठ श्रीमती मनीषा
133. हमीरपुर डॉ. मनोज कुमार प्रजापति
134. महरौनी श्री मनोहर लाल
135. तिलोई श्री मयंकेश्वर शरण सिंह
136. माधौगढ़ श्री मूल चन्द्र सिंह
137. पिपराइच श्री महेन्द्र पाल सिंह
138. हसनपुर श्री महेन्द्र सिंह खड़गवंशी
139. किदवई नगर श्री महेश त्रिवेदी
140. बदायूँ श्री महेश चन्द्र गुप्ता
141. सवाइजपुर श्री माधवेन्द्र प्रताप सिंह
142. खुरजा श्रीमती मीनाक्षी सिंह
143. हाटा श्री मोहन वर्मा
144. बिल्हौर श्री मोहित सोनकर 'राहुल बच्चा'
145. आगरा (दक्षिण) श्री योगेन्द्र उपाध्याय
146. बागपत श्री योगेश धामा
147. लखीमपुर श्री योगेश वर्मा
148. बख्शी का तालाब श्री योगेश शुक्ला
149. शाहाबाद श्रीमती रजनी तिवारी
150. मिर्जापुर श्री रत्नाकर मिश्रा
151. बदलापुर श्री रमेश चन्द्र मिश्र
152. मुगलसराय श्री रमेश जायसवाल
153. मड़िहान श्री रमा शंकर सिंह
154. मनकापुर श्री रमापति शास्त्री
155. छर्रा श्री रवेन्द्र पाल सिंह
156. झाँसी नगर श्री रवि शर्मा
157. वाराणसी (उत्तर) श्री रवीन्द्र जायसवाल
158. महोबा श्री राकेश कुमार गोस्वामी
159. सीतापुर श्री राकेश राठौर
160. भोगनीपुर श्री राकेश सचान

161. बिथरी चैनपुर डॉ. राघवेन्द्र शर्मा
162. सदर श्री राज प्रसाद उपाध्याय
163. इगलास श्री राजकुमार सहयोगी
164. प्रतापगढ़ श्री राजेन्द्र कुमार मौर्य
165. जहानाबाद श्री राजेन्द्र सिंह पटेल
166. मिलक श्रीमती राजबाला सिंह
167. कोरांव श्री राजमणि
168. कादीपुर श्री राजेश कुमार गौतम
169. चिल्लूपार श्री राजेश त्रिपाठी
170. मांट श्री राजेश पाल सिंह उर्फ राजेश चौधरी
171. सरोजनी नगर डॉ. राजेश्वर सिंह
172. सहारनपुर नगर श्री राजीव गुम्बर
173. धनौरा श्री राजीव तरारा
174. बबीना श्री राजीव सिंह 'पारीछा'
175. दातागंज श्रीराजीव सिंह उर्फ बब्बू भईया
176. बाह श्रीमती रानी पक्षालिका सिंह
177. श्रावस्ती श्री राम फेरन पाण्डेय
178. मधुबन श्री राम बिलाश चौहान
179. तिन्दवारी श्री रामकेश निषाद
180. मिश्रिख श्री रामकृष्ण भार्गव
181. रूदौली श्री रामचन्द्र यादव
182. भोगाँव श्री रामनरेश अग्निहोत्री
183. उतरौला श्री रामप्रताप वर्मा उर्फ शशिकान्त वर्मा
184. बालामऊ श्री रामपाल वर्मा
185. ललितपुर श्री रामरतन कुशवाहा
186. कुन्दरकी श्री रामवीर सिंह
187. मुरादाबाद नगर श्री रितेश कुमार गुप्ता
188. छाता श्री लक्ष्मी नारायण
189. सिकन्दराबाद श्री लक्ष्मीराज सिंह
190. मोहम्मदी श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह
191. अयोध्या श्री वेद प्रकाश गुप्ता
192. अयाह शाह श्री विकास गुप्ता
193. हापुड़ श्री विजयपाल (आढ़ती)
194. सलेमपुर श्रीमती विजयलक्ष्मी गौतम
195. मेहनौन श्री विनय कुमार द्विवेदी
196. रामकोला श्री विनय प्रकाश गोंड
197. धौरहरा श्री विनोद शंकर अवस्थी
198. सुल्तानपुर श्री विनोद सिंह
199. एटा श्री विपिन कुमार डेविड
200. गोरखपुर ग्रामीण श्री विपिन सिंह
201. बांसगांव डॉ. विमलेश पासवान
202. बीसलपुर श्री विवेक कुमार वर्मा
203. कटरा डॉ. वीर विक्रम सिंह 'प्रिंस'
204. मारहरा श्री वीरेन्द्र सिंह लोधी
205. मझवां श्रीमती शुचिस्मिता मौर्या
206. गोपामऊ श्री श्याम प्रकाश
207. फरीदपुर प्रो. श्याम बिहारी लाल
208. कपिलवस्तु श्री श्यामधनी राही
209. बांगरमऊ श्री श्रीकांत कटियार
210. मथुरा श्री श्रीकांत शर्मा
211. खज़नी श्री श्रीराम चौहान
212. देवरिया श्री शलभ मणि त्रिपाठी
213. महोली श्री शशांक त्रिवेदी
214. निघासन श्री शशांक वर्मा
215. बिजनौर श्रीमती सुचि
216. अनूपशहर श्री संजय कुमार शर्मा
217. पीलीभीत श्री संजय सिंह गंगवार
218. बरेली कैन्टोनमेंट श्री संजीव अग्रवाल
210. ओबरा श्री संजीव कुमार गोंड
220. जलेसर श्री संजीव कुमार दिवाकर
221. गाजियाबाद श्री संजीव शर्मा
222. अलीगंज श्री सत्यपाल सिंह राठौर
223. दरियाबाद श्री सतीश चन्द्र शर्मा
224. महराजपुर श्री सतीश महाना
225. अतरौली श्री संदीप कुमार सिंह
226. साहिबाबाद श्री सुनील कुमार शर्मा
227. फर्रूखाबाद मेजर सुनील दत्त द्विवेदी
228. भाटपार रानी श्री सभाकुंवर
229. प्यागपुर श्री सुभाष त्रिपाठी
230. फाजिलनगर श्री सुरेन्द्र कुमार कुशवाहा
231. रामपुर कारखाना श्री सुरेन्द्र चौरसिया
232. खैर श्री सुरेन्दर दिलेर
233. गोविन्दनगर श्री सुरेन्द्र मैथानी
234. पथरदेवा श्री सूर्य प्रताप शाही
235. चौरी-चौरा इंजी. सरवन कुमार निषाद
236. जगदीशपुर श्री सुरेश कुमार
237. शाहजहाँपुर श्री सुरेश कुमार खन्ना
238. हरगांव श्री सुरेश राही
239. महसी श्री सुरेश्वर सिंह
240. इटावा श्रीमती सरिता भदौरिया
241. बलहा श्रीमती सरोज सोनकर
242. तिलहर श्रीमती सलोना कुशवाहा
243. बढ़ापुर कुंवर सुशांत सिंह
244. अमृतपुर श्री सुशील कुमार शाक्य
245. सैयदराजा श्री सुशील सिंह
246. कुर्सी श्री साकेन्द्र प्रताप वर्मा
247. प्रयागराज (पश्चिम) श्री सिद्धार्थनाथ सिंह
248. लम्भुआ श्री सीताराम वर्मा

249. मेरठ (दक्षिण) डॉ. सोमेन्द्र सिंह तोमर
250. वाराणसी कैन्टोनमेंट श्री सौरभ श्रीवास्तव
251. कस्ता श्री सौरभ सिंह सोनू
252. गढ़मुक्तेश्वर श्री हरेन्द्र सिंह
253. पलिया श्री हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी
254. प्रयागराज (उत्तर) श्री हर्षवर्धन बाजपेयी
255. जलालाबाद श्री हरि प्रकाश वर्मा
256. अमाँपुर श्री हरिओम
257. बिल्सी श्री हरीश चन्द
258. मिल्कीपुर श्री चन्द्रभानु पासवान

समाजवादी पार्टी (103 सदस्य)

1. सैदपुर श्री अंकित भारती
2. मुबारकपुर श्री अखिलेश
3. सरधना श्री अतुल प्रधान
4. बहेड़ी श्री अताउर रहमान
5. लहरपुर श्री अनिल कुमार वर्मा
6. चित्रकूट श्री अनिल प्रधान
7. मुरादाबाद (ग्रामीण) श्री हाजी नासिर कुरैशी
8. आर्य नगर श्री अमिताभ वाजपेयी
9. लखनऊ (पश्चिम) श्री अरमान खान
10. कैसरगंज श्री आनन्द कुमार यादव
11. निजामाबाद श्री आलम बदी
12. सहारनपुर श्री आशु मलिक
13. बिसौली श्री आशुतोष मौर्य उर्फ राजू
14. सम्भल श्री इकबाल महमूद
15. मंझनपुर श्री इन्द्रजीत सरोज
16. भिनगा श्रीमती इन्द्राणी देवी
17. बेहट श्री उमर अली खान
18. हुसैनगंज श्रीमती ऊषा मौर्या
19. जमानियां श्री ओम प्रकाश
20. दीदारगंज श्री कमलाकांत राजभर उर्फ पप्पू
21. कांठ श्री कमाल अख्तर
22. कप्तानगंज श्री कविन्द्र चौधरी
23. सोरांव श्रीमती गीता शास्त्री (पासी)
24. ज़ैदपुर श्री गौरव कुमार
25. फतेहपुर श्री चन्द्र प्रकाश लोधी (एडवोकेट)
26. गाजीपुर श्री जै किशन साहू
27. बैरिया श्री जय प्रकाश अंचल
28. भदोही श्री जाहीद
29. सिकन्दरपुर श्री जियाउद्दीन रिजवी
30. करहल श्री तेज प्रताप सिंह
31. केराकत श्री तुफानी सरोज
32. आलापुर श्री त्रिभुवन दत्त
33. नजीबाबाद श्री तसलीम अहमद
34. इसौली मो. ताहिर खान
35. आजमगढ़ श्री दुर्गा प्रसाद यादव
36. सरेनी श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह
37. बाराबंकी श्री धर्मराज सिंह यादव
38. गोपालपुर श्री नफीस अहमद
39. ठाकुरद्वारा श्री नवाब जान
40. सीसामऊ श्रीमती नसीम सोलंकी
41. चमरव्वा श्री नसीर अहमद खां
42. पटियाली श्रीमती नादिरा सुल्तान उर्फ बिटिया
43. कैराना श्री नाहिद हसन
44. चरथावल श्री पंकज मलिक
45. मुंगरा बादशाहपुर श्री पंकज पटेल
46. मेहनगर श्रीमती पूजा
47. चायल श्रीमती पूजा पाल
48. दिबियापुर श्री प्रदीप कुमार यादव
49. सकलडीह श्री प्रभूनारायण सिंह यादव
50. सिराथू डॉ. पल्लवी पटेल
51. असमोली श्रीमती पिंकी सिंह
52. रामनगर श्री फरीद महफूज किदवई
53. बिलारी मौहम्मद फहीम इरफान
54. लालगंज श्री बेचई सरोज
55. किशनी इंजी. बृजेश कठेरिया
56. सहसवान श्री ब्रजेश यादव
57. शिकोहाबाद डॉ. मुकेश चन्द्र वर्मा (मल्लाह)
58. नगीना श्री मनोज कुमार पारस
59. बस्ती सदर श्री महेन्द्र नाथ यादव
60. अमरोहा श्री महबूब अली
61. अमेठी श्रीमती महाराजी प्रजापति
62. इटवा श्री माता प्रसाद पाण्डेय
63. मटेरा श्रीमती मारिया अली
64. कानपुर कैन्टोनमेंट श्री मोहम्मद हसन (रूमी)
65. बिधुना श्रीमती रेखा वर्मा
66. मेरठ श्री रफीक अंसारी
67. फूलपुर-पवई श्री रमाकांत यादव
68. लखनऊ मध्य श्री रविदास मेहरोत्रा
69. गैंसड़ी श्री राकेश कुमार यादव
70. रानीगंज डॉ. राकेश कुमार वर्मा उर्फ डॉ. आर.के. वर्मा
71. जलालपुर श्री राकेश पाण्डेय
72. मछलीशहर डॉ. रागिनी
73. भरथना श्री राघवेन्द्र कमार सिंह
74. मुहम्मदाबाद गोहना श्री राजेन्द्र कुमार
75. रूधौली श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी

76.	अकबरपुर	श्री राम अचल राजभर
77.	टांडा	श्री राम मूर्ति वर्मा
78.	पट्टी	श्री राम सिंह पटेल
79.	नूरपुर	श्री राम अवतार सिंह सैनी
80.	गुन्नौर	श्री रामखिलाड़ी सिंह
81.	हरचंदपुर	श्री राहुल राजपूत उर्फ राहुल लोधी
82.	मल्हनी	श्री लकी यादव
83.	प्रतापपुर	श्रीमती विजमा यादव
84.	दुद्धी	श्री विजय सिंह
85.	कालपी	श्री विनोद चतुर्वेदी
86.	बबेरू	श्री विशम्भर सिंह यादव
87.	जंगीपुर	डॉ. वीरेन्द्र कुमार यादव
88.	बछरावां	श्री श्याम सुन्दर
89.	भोजीपुरा	श्री शहजिल इस्लाम अंसारी
90.	किठौर	श्री शाहिद मंजूर
91.	जसवंतनगर	श्री शिवपाल सिंह यादव
92.	अतरौलिया	डॉ. संग्राम यादव
93.	फेफना	श्री संग्राम सिंह
94.	जसराना	इंजी. सचिन यादव उर्फ जखई
95.	मेजा	श्री संदीप सिंह
96.	नौगांव सादात	श्री समरपाल सिंह
97.	डुमरियागंज	श्रीमती सैय्यदा खातून
98.	सिरसागंज	श्री सर्वेश सिंह
99.	चांदपुर	श्री स्वामी ओउमवेश
100.	मोहम्मदाबाद	श्री सुहेब उर्फ मन्नु अंसारी
101.	सगड़ी	डॉ. हृदय नारायण सिंह पटेल
102.	हण्डिया	श्री हाकिम लाल बिन्द
103.	शेखुपुर	श्री हिमांशु यादव

अपना दल (सोनेलाल)-13

1.	मानिकपुर	श्री अविनाश चन्द्र द्विवेदी
2.	मड़ियाहूं	डॉ. आर.के. पटेल
3.	बिन्दकी	श्री जय कुमार सिंह जैकी
4.	बिश्वनाथगंज	श्री जीत लाल पटेल
5.	मऊरानीपुर	डॉ. रश्मि आर्य
6.	नानपारा	श्री राम निवास वर्मा
7.	छानबे	श्रीमती रिंकी कोल
8.	बारा	श्री वाचस्पति
9.	शोहरतगढ़	श्री विनय वर्मा
10.	स्वार	श्री शफीक अहमद अंसारी
11.	रोहनिया	डॉ. सुनील पटेल
12.	कायमगंज	डॉ. सुरभी
13.	घाटमपुर	श्रीमती सरोज कुरील

राष्ट्रीय लोकदल-09

1.	छपरौली	डॉ. अजय कुमार
2.	पुरकाजी	श्री अनिल कुमार
3.	थानाभवन	श्री अशरफ अली खान
4.	सिवालखास	श्री गुलाम मौहम्मद
5.	सादाबाद	श्री प्रदीप कुमार सिंह उर्फ गुड्डू चौधरी
6.	शामली	श्री प्रसन्न कुमार
7.	खतौली	श्री मदन भैया
8.	मीरापुर	श्रीमती मिथिलेश पाल
9.	बुढ़ाना	श्री राजपाल सिंह बालियान

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी-06

1.	मऊ	श्री अब्बास अंसारी
2.	जहूराबाद	श्री ओम प्रकाश राजभर
3.	जफराबाद	श्री जगदीश नारायण
4.	महादेवा	श्री दूधराम
5.	जखनिया	श्री बेदी
6.	बेलथरा रोड	श्री हंसु राम

निर्बल इण्डियन शोषित हमारा आमदल-05

1.	मेंहदावल	श्री अनिल कुमार त्रिपाठी
2.	नौतनवां	श्री ऋषि त्रिपाठी
3.	शाहगंज	श्री रमेश सिंह
4.	ज्ञानपुर	श्री विपुल दुबे
5.	खड्डा	श्री विवेकानन्द पाण्डेय

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस-02

1.	रामपुर खास	श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'
2.	फरेन्दा	श्री वीरेन्द्र चौधरी

जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी-02

1.	कुण्डा	श्री रघुराज प्रताप सिंह
2.	बाबागंज	श्री विनोद सरोज

बहुजन समाज पार्टी-01

1.	रसड़ा	श्री उमाशंकर सिंह

असम्बद्ध-03

1.	अयोध्या	श्री अभय सिंह
2.	रायबरेली	श्री मनोज कुमार पाण्डेय
3.	अमेठी	श्री राकेश प्रताप सिंह

◆ रिक्त-1 घोसी (जनपद-मऊ)

Source : uplegisassembly.gov.in

●

उत्तर प्रदेश से ि ाान ारि ाद के सदस्य

कायकाल 0 ि स र, 202 ाक

1. ी आ ुतो ा सिन्हा
2. डा मान सिंह यादव
3. ी लाल बिहारी यादव
4. ंजी अवनी ा कुमार सिंह
5. डा मानवेन्द्र प्रताप सिंह गु जी
6. ी दिने ा कुमार गोयल
7. डा हरी सिंह ढि लो
8. श्री मे ा ि वेदी
9. ी ाुव कुमार ि पाठी
10. ी ी न्द्र ामा
11. डा आका ा अग्रवाल

कायकाल 30 न री, 202 ाक

12. ी अरविन्द कुमार ामा
13. ी अ विनी त्यागी
14. ी गोविन्द नारायण ु ल
15. ी ामवीर प्रजापति
16. ी कुंवर मानवेन्द्र सिंह
17. ी राजेन्द्र ौ ारी
18. ी वतं देव
19. ी सलिल वि नो
20. डा. ामेन्द्र सिंह
21. ी सुरेन्द्र ौ ारी
22. ी दारा सिंह ौहान
23. ी पदमसेन ौ ारी

कायकाल 2 सि र, 202 ाक

24. ी संजय कुमार नि ााद
25. ी वीरेन्द्र सिंह
26. ी राम गोपाल गोपाल अंजान

कायकाल 12 ल, 2028 ाक

27. ी सत्यपाल सिंह
28. ी कुवर महाराज सिंह
29. ी वागी ा पाठक
30. डा सु ाीर गु ता
31. ी अ ाोक अग्रवाल
32. ी अनप कुमार गु ता
33. ी पवन कुमार सिंह
34. ी राम न्द्र प्र ाान
35. ी दिने ा प्रताप सिंह
36. ी अक्षय प्रताप सिंह
37. ी ौलेन्द्र प्रताप सिंह
38. ी अंगद कुमार सिंह
39. ीमती प्र ा ि पाठी
40. ी अव ो ा कुमार सिंह मंज सिंह
41. ी हरि ओम पाण्डेय
42. ी सु ाा ा यदुवं ा
43. ी सी पी न्द
44. डा रतन पाल सिंह
45. ी विक्रान्त सिंह रि ु
46. ी रवि ांकर सिंह प प ौया
47. ी वि ााल सिंह ं ल
48. ी बृजे ा कुमार सिंह प्रिन्स
49. ीमती अन्नपणा सिंह पनम सिंह
50. ी याम नरायन सिंह
51. डा के पी ीवा तव
52. ी जितेन्द्र सिंह सेंगर
53. ीमती रमा निरंजन
54. ी अविना ा सिंह ौहान
55. ी प्रां ु दत्त ि वेदी
56. ी विजय ि विहरे
57. ी अ ाी ा कुमार यादव
58. ी ओम प्रका ा सिंह
59. ी ािपाल सिंह

60. ी नरेन्द्र सिंह ाा ी
61. ी ामेन्द्र कुमार ाार ाज
62. ीमती वन्दना वमा

कायकाल 0 जुला , 2028 ाक

63. ी के ाव प्रसाद मौय
64. ी ापेन्द्र सिंह
ी जयेन्द्र प्रताप सिंह राठौर
66. ी जसवन्त सिंह सैनी
67. ी दया ांकर
68. ी नरेन्द्र कुमार क यप
69. ी मुकुल यादव
70. ी मुके ा ामा
71. ी मुह मद दानि ा
72. ी ााहनवाज ाान
73. ी मोह मद जासमीर अंसारी
74. ी मानवेन्द्र सिंह
75. ी बहोरन लाल मौय

कायकाल फर री

76. ी देवेन्द्र प्रताप सिंह
77. ी अ ण पाठक
78. डा जयपाल सिंह य त
79. डा बाब लाल तिवारी
80. ी राजबहादुर सिंह न्देल

कायकाल ल

81. ी रजनीकांत महे वरी
82. ी साकेत मि ा
83. डा लालजी प्रसाद निमल
84. ी तारिक मंसर
85. ी राम सरत राज ार
86. ी हंसराज वि वकमा

कायकाल 05 मइ 2030 ाक

87. श्री अशोक कटारिया
88. श्री आशी ा पटेल
89. ी किरण पाल क यप
90. ी राय ामेन्द्र सिंह
91. ी बलराम यादव
92. डा महेन्द्र कुमार सिंह
93. ी मोहित बेनीवाल
94. ी राम ती ा सिं ाल
95. श्री विजय बहादुर
96. ी ााह आलम
97. ी संतो ा सिंह
98. ी योगे ा ारी
99. ी वि े लाल राम

रि त

स्रोत www.upvidhanparishad.nic.in/sadsya address.htm

भार ा र न से सम्मानि ा यक्ति

नाम	(जन्म-म यु)	वर्ष
1. श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी	(1878-1972)	1954
2. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन	(1888-1975)	1954
3. डॉ. चंद्रशेखर वेंकटरमन	(1888-1970)	1954
4. डॉ. भगवान दास	(1869-1958)	1955
5. डॉ. मोक्षागुंडम विश्वेश्वरैया	(1861-1962)	1955
6. पं. जवाहरलाल नेहरू	(1889-1964)	1955
7. पं. गोविंद बल्लभ पंत	(1887-1961)	1957
8. डॉ. धोंडो केशव कर्वे	(1858-1962)	1958
9. डॉ. बिधानचंद्र रॉय	(1882-1962)	1961
10. श्री पुरुषोत्तम दास टंडन	(1882-1962)	1961
11. डॉ. राजेंद्र प्रसाद	(1884-1963)	1962
12. डॉ. ज़ाकिर हुसैन	(1897-1969)	1963
13. डॉ. पांडुरंग वामन काणे	(1880-1972)	1963
14. श्री लाल बहादुर शास्त्री (मरणोपरांत)	(1904-1966)	1966
15. श्रीमती इंदिरा गांधी	(1917-1984)	1971
16. श्री वराहगिरि वेंकट गिरि	(1894-1980)	1975
17. श्री कुमारास्वामी कामराज (मरणोपरांत)	(1903-1975)	1976
18. मदर मेरी टेरेसा (मदर टेरेसा)	(1910-1997)	1980
19. आचार्य विनोबा भावे (मरणोपरांत)	(1895-1982)	1983
20. खान अब्दुल गफ़्फार खाँ	(1890-1988)	1987
21. श्री मरुदुर गोपालन रामचंद्रन (मरणोपरांत)	(1917-1987)	1988
22. डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर (मरणोपरांत)	(1891-1956)	1990
23. डॉ. नेल्सन रोलिहलाहला मंडेला	(1918-2013)	1990
24. श्री राजीव गांधी (मरणोपरांत)	(1944-1991)	1991

नाम	(जन्म-म यु)	वर्ष
25. सरदार वल्लभभाई पटेल (मरणोपरांत)	(1875-1950)	1991
26. श्री मोरारजी रणछोड़जी देसाई	(1896-1995)	1991
27. मौलाना अबुल कलाम आजाद (मरणोपरांत)	(1888-1958)	1992
28. श्री जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा	(1904-1993)	1992
29. श्री सत्यजीत राय (मरणोपरांत)	(1922-1992)	1992
30. श्री गुलजारी लाल नंदा (मरणोपरांत)	(1898-1998)	1997
31. श्रीमती अरुणा आसफ अली (मरणोपरांत)	(1909-1996)	1997
32. डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम	(1931-2015)	1997
33. श्रीमती मदुरई शनमुखवादिवु सुब्बुलक्ष्मी	(1916-2005)	1998
34. श्री चिदम्बरम सुब्रमण्यम	(1910-2000)	1998
35. लोकनायक श्री जयप्रकाश नारायण (मरणोपरांत)	(1902-1979)	1999
36. प्रोफेसर अमर्त्य सेन	(जन्म 1933)	1999
37. लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई (मरणोपरांत)	(1890-1950)	1999
38. पंडित रविशंकर	(1920-2012)	1999
39. सुश्री लता दीनानाथ मंगेशकर	(1929-2022)	2001
40. उस्ताद बिस्मिल्लाह खां	(1916-2006)	2001
41. पं. भीमसेन गुरुराज जोशी	(1922-2011)	2009
42. प्रो. सी.एन.आर. राव	(जन्म 1934)	2014
43. श्री सचिन रमेश तेंदुलकर	(जन्म 1973)	2014
44. पं. मदन मोहन मालवीय (मरणोपरांत)	(1861-1946)	2015
45. श्री अटल बिहारी वाजपेयी	(1924-2018)	2015
46. श्री नानाजी देशमुख (मरणोपरांत)	(1916-2010)	2019
47. डॉ० भूपेन हजारिका (मरणोपरांत)	(1926-2011)	2019
48. श्री प्रणब मुखर्जी	(1935-2020)	2019
49. श्री कर्पूरी ठाकुर (मरणोपरान्त)	(1924-1988)	2024
50. श्री पी.बी. नरसिंह राव (मरणोपरान्त)	(1921-2004)	2024
51. श्री चौधरी चरण सिंह (मरणोपरान्त)	(1902-1987)	2024
52. श्री एम.एस. स्वामीनाथन (मरणोपरान्त)	(1925-2023)	2024
53. श्री लालकृष्ण आडवाणी	(जन्म 1927)	2024

स्रोत : भारत- 2025

नो ेल ुरस्कार ाजे ा (भार ीय)

रवींद्रनाथ ठाकुर (18 1-1941)

रवींद्रनाथ ठाकुर, साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। 'गुरुदेव' के नाम से प्रसिद्ध रवींद्रनाथ ठाकुर का जन्म 7 मई, 1861 को कोलकाता में हुआ। उन्हें उनकी कविताओं की पुस्तक *'गीतांजलि'* के लिए सन् 1913 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। रवींद्रनाथ ठाकुर ने अनेक प्रेमगीत भी लिखे हैं। *गीतांजलि* और *साधना* उनकी महत्त्वपूर्ण कृतियाँ हैं। महान कवि, नाटककार और उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध 'गुरुदेव' ने भारत के राष्ट्र गान की भी रचना की। सन् 1901 में उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की, जो बाद में विश्वभारती विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

चंद्रशेखर वेंकटरमन (1888-19 0)

भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय डॉ0 चंद्रशेखर वेंकटरमन थे। उन्हें वर्ष 1930 में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। रमन का जन्म तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के पास तिरुवाइक्कावल में हुआ था। उन्होंने चेन्नई के प्रेसीडेंसी कालेज में शिक्षा प्राप्त की। बाद में वह कोलकाता विश्वविद्यालय में भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर बने। चंद्रशेखर वेंकटरमन ने अनेक पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए। उन्हें 'सर' की उपाधि ा से भी सम्मानित किया गया और प्रकाशिकी के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण अनुसंधान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने अपने अनुसंधान में इस बात का पता लगाया कि किस तरह अपसरित प्रकाश में अन्य तरंग, लंबाई की किरणें भी मौजूद रहती हैं। उनकी खोज को रमन प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। सन् 1928 में की गई इस खोज से पारदर्शी माध्यम से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणों में आवृत्ति परिवर्तन की व्याख्या की गई है।

हरगोबिंद खुराना (1922-2011)

हरगोबिन्द खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए वर्ष 1968 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। भारतीय मूल के डॉ0 खुराना का जन्म पंजाब में रायपुर (जो अब पाकिस्तान में है) में हुआ था। उन्होंने लिवरपूल विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री ली। सन् 1960 में वह विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय में प्रा यापक बने। उन्होंने अपनी खोज से आनुवांशिक कोड की व्याख्या की और प्रोटीन संश्लेषण में इसकी भूमिका का पता लगाया। इसके लिए उन्हें नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

मदर टेरेसा (1910-199)

मदर टेरेसा को वर्ष 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। मदर का जन्म अलबानिया में स्कोपजे नामक स्थान पर हुआ था, जो अब यूगोस्लाविया में है। उनका बचपन का नाम एग्नस गोंक्सहा बोजाक्सिऊ था। सन् 1928 में वह डाब्लिन में आयरलैंड की संस्था 'सिस्टर्स ऑफ लोरेटो' में शामिल हुईं और मिशनरी बनकर सन् 1929 में कोलकाता आ गईं। उन्होंने बेसहारा और बेघर लोगों के दुःख दूर करने का महान व्रत लिया। नि ानों और बीमारों की सेवा के लिए उन्होंने 'मिशनरीज ऑफ चैरिटी' नाम की संस्था बनाई और भारतीय नागरिक बनकर कुष्ठ रोगियों, नशीले पदार्थों की लत के शिकार लोगों तथा दीन-दुखियों के लिए 'निर्मल हृदय' नाम की संस्था बनाई। यह संस्था उनकी गतिविधियों का केंद्र बनी। उन्होंने पूरी निष्ठा से न सिर्फ बेसहारा लोगों की निःस्वार्थ सेवा की, बल्कि विश्व शांति के लिए भी प्रयास जारी रखे। उन्हीं की बदौलत भारत शांति के लिए अपने एक नागरिक द्वारा शान्ति के लिए पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने का गौरव प्राप्त कर सका है।

सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर (1910-1995)

भारत में जन्मे इस खगोल भौतिकी विज्ञानी को वर्ष 1983 में भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार

से सम्मानित किया गया। चेन्नई के प्रेसीडेंसी कालेज में पढ़े सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर नोबेल पुरस्कार विजेता सर सी.वी. रमन के भतीजे थे। बाद में चंद्रशेखर अमेरिका चले गए, जहाँ उन्होंने खगोल भौतिक शास्त्र तथा सौरमंडल से संबंधित विषयों पर अनेक पुस्तकें लिखीं। उन्होंने 'व्हाइट ड्वार्फ' यानी श्वेत बौने नाम के नक्षत्रों के बारे में सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन नक्षत्रों के लिए उन्होंने जो सीमा निर्धारित की है, उसे चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। उनके सिद्धांत से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में अनेक रहस्यों का पता चला।

अमर्त्य सेन (जन्म 1933)

प्रोफेसर अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वे यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले एशियाई हैं। शांति निकेतन में जन्में यह अर्थशास्त्री लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र में पारंगत हैं। उन्होंने कल्याण और विकास के पक्षों पर कई पुस्तकें तथा शोध-पत्र लिखे हैं। एक अलग प्रकार के अर्थशास्त्री के रूप में वह मानवतावादी अर्थशास्त्री माने जाते हैं। उन्होंने भुखमरी, गरीबी, लोकतंत्र, लिंग और सामाजिक समस्याओं पर उत्कृष्ट लेखन से अपनी पहचान बनाई। पहले केनेथ ऐरो नाम के अर्थशास्त्री ने असंभाव्यता सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था और कहा था कि पूर्ण निजी विकल्पों को संपूर्ण समाज के लिए संतोषजनक पसंद बना पाना संभव नहीं है। प्रोफेसर सेन ने दिखाया कि गणितीय आधार पर समाज के कमजोर परिणामों को समाप्त करने के उपाय ढूंढ़े जा सकते हैं।

वेंकटरमण रामकृष्णन (जन्म 1952)

वेंकटरमण रामकृष्णन को वर्ष 2009 में रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें यह पुरस्कार कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण करने वाले राइबोसोम की कार्यप्रणाली व संरचना के उत्कृष्ट अध्ययन के लिए दिया गया है। वेंकटरमण तमिलनाडु के चिदंबरम में पैदा हुए थे। उन्होंने वर्ष 1971 में बड़ौदा के एम.एस. विश्वविद्यालय से भौतिकी में स्नातक तक की पढ़ाई पूरी की। उन्हें ओहियो विश्वविद्यालय से वर्ष 1971 में पीएच.डी. की डिग्री प्राप्त हुई। उनका झुकाव भौतिकी से जीव विज्ञान की ओर हुआ और उन्होंने वर्ष 1976 से 1978 तक कैलीफोर्निया विश्वविद्यालय में जीव विज्ञान स्नातक विद्यार्थी के रूप में रोडोस्पीन नामक अणु का अध्ययन किया।

कैलाश सत्यार्थी (जन्म 1954)

कैलाश सत्यार्थी को बच्चों और युवाओं के दमन के विरुद्ध तथा सभी बच्चों की शिक्षा के अधिकार की लड़ाई के लिए वर्ष 2014 का नोबल शांति पुरस्कार दिया गया। उनका जन्म मध्य प्रदेश के विदिशा में हुआ। उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री तथा हाई वोल्टेज इन्जीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की। वर्ष 1980 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के कैरियर को तिलांजलि देते हुए 'बचपन बचाओ' आन्दोलन की शुरुआत की। उन्होंने बाल श्रम के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व भी किया। यह सभी बच्चों के अधिकारों और प्रोत्साहन के लिए एकजुटता का विश्वस्तरीय अभियान था।

अभिजीत विनायक बनर्जी (जन्म 19 1)

मुम्बई में जन्मे अर्थशास्त्री अभिजीत विनायक बनर्जी ने 2019 में अर्थशास्त्र का नोबल पुरस्कार जीता था। श्री बनर्जी आधे बंगाली और आधे कोंकणी है और कैंब्रिज स्थित मेस्साचुसेट इंस्टिटयूट ऑफ टेक्नोलॉजी में फोर्ड फाउंडेशन इंटरनेशनल में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। उन्होंने अपना आरंभिक जीवन पश्चिम बंगाल में बिताया तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। तत्पश्चात 1983 में दिल्ली स्थित जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि ली। उसके बाद वे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गये और 1988 में अर्थशास्त्र में पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त की। वैश्विक दरिद्रता उन्मूलन में उनके प्रायोगिक दृष्टिकोण के लिए उन्हें प्रतिष्ठित वैश्विक पुरस्कार संयुक्त रूप से उनकी अर्थशास्त्री पत्नी ईशर डफ्लो और एक अन्य अमेरिका स्थित अर्थशास्त्री माइकल क्रेमर के साथ दिया गया।

स्रोत : भारत- 2025

●

उत्तर प्रदेश राज्य मि ला आयोग के सदस्य

विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ मानव अधिकार भवन, तृतीय तल, टी.सी.-34
बी-1, इन्दिरा गाँधी प्रतिष्ठान के सामने विभूतिखण्ड, गोमतीनगर

π सं	ादा ाकारियों का नाम	ाद नाम
1.	श्रीमती बबीता चौहान	अध्यक्ष
2.	श्रीमती अपर्णा यादव	उपाध्यक्ष
3.	श्रीमती चारू चौधरी	उपाध्यक्ष
4.	डॉ. श्रीमती हिमानी अग्रवाल	सदस्य
5.	श्रीमती सुनीता श्रीवास्तव	सदस्य
6.	श्रीमती अंजु प्रजापति	सदस्य
7.	श्रीमती पूनम द्विवेदी	सदस्य
8.	श्रीमती अनीता गुप्ता	सदस्य
9.	श्रीमती अनुपमा सिंह लोधी	सदस्य
10.	श्रीमती सुजीता कुमारी	सदस्य
11.	श्रीमती मीना कुमारी	सदस्य
12.	श्रीमती नीलम प्रभात	सदस्य
13.	श्रीमती गीता बिन्द	सदस्य
14.	श्रीमती गीता विश्वकर्मा	सदस्य
15.	श्रीमती पुष्पा पाण्डेय	सदस्य
16.	डॉ. श्रीमती प्रियंका मौर्या	सदस्य
17.	श्रीमती मीनाक्षी भराला	सदस्य
18.	श्रीमती ऋतु शाही	सदस्य
19.	श्रीमती सुनीता सैनी	सदस्य
20.	श्रीमती एकता सिंह	सदस्य
21.	श्रीमती अर्चना पटेल	सदस्य
22.	श्रीमती जनक नंदिनी	सदस्य
23.	श्रीमती प्रतिभा कुशवाला	सदस्य
24.	श्रीमती रेनू गौर	सदस्य
25.	श्रीमती मनीषा अहलावत	सदस्य
26.	श्रीमती अवनी सिंह	सदस्य
27.	श्रीमती सपना कश्यप	सदस्य
28.	श्रीमती संगीता जैन	सदस्य

प्रमुख रा ीय ा ा ां अनारा ीय दि ास

दिनांक	दिवस का नाम
जनवरी 10	विश्व हास्य दिवस
जनवरी 12	राष्ट्रीय युवा दिवस
जनवरी 15	थल सेना दिवस
जनवरी 24	उ०प्र० दिवस
जनवरी 26	गणतंत्र दिवस
जनवरी 30	शहीद दिवस
फरवरी 24	सेंट्रल एक्साइज दिवस
फरवरी 28	राष्ट्रीय विज्ञान दिवस
मार्च 8	अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस
मार्च 15	विश्व विकलांग दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस
मार्च 18	आर्डनेंस फैक्ट्री डे (भारत)
मार्च 21	विश्व वन्य दिवस
मार्च 21	विश्व रंगभेद समाप्ति के लिये दिवस
मार्च 22	विश्व जल दिवस
अप्रैल 5	नेशनल मैरिटाइम डे
अप्रैल 17	वर्ल्ड हीमोफीलिया डे
अप्रैल 18	वर्ल्ड हेरिटेज डे
	आजाद हिन्द फौज स्थापना दिवस
अप्रैल 21	सेक्रेट्रीज डे
अप्रैल 22	पृथ्वी दिवस
मई 1	श्रमिक दिवस
मई 3	अन्तर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस
मई का द्वितीय रविवार	माँ दिवस
मई 8	विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड रेड क्रास डे
मई 9	वर्ल्ड थैलेसीमिया डे
मई 11	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस
मई 13	इंटर्नेशनल नर्स डे
मई 15	अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस
मई 17	विश्व दूरसंचार दिवस
मई 24	कामनवेल्थ डे
मई 30	पत्रकारिता दिवस
मई 31	एंटी टोबैको डे
जून 4	अबोध बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस
जून 5	विश्व पर्यावरण दिवस
जून 20	पिता दिवस
जून 21	अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस
जून 26	इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग
जुलाई 11	विश्व जनसंख्या दिवस
जुलाई 22	राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस
जुलाई 28	वन महोत्सव दिवस
अगस्त 1	विश्व स्तन पान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस
अगस्त 6	हिरोशिमा दिवस (विश्व शान्ति दिवस)
अगस्त 9	भारत छोड़ो दिवस, नागासाकी दिवस
अगस्त 15	स्वतंत्रता दिवस
अगस्त 29	राष्ट्रीय खेल दिवस
सितम्बर 2	कोकोनट डे
सितम्बर 5	शिक्षक दिवस, संस्कृत दिवस
सितम्बर 8	विश्व साक्षरता दिवस
सितम्बर 14	हिन्दी दिवस
सितम्बर 16	वर्ल्ड ओजोन डे
सितम्बर 21	अल्जीमर डे, इंजीनियर्स डे
सितम्बर 22	रोज डे, कैंसर मरीज कल्याण दिवस
सितम्बर 27	विश्व पर्यटन दिवस
अक्टूबर 1	अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस
अक्टूबर 2	अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस एवं गांधी जयंती
अक्टूबर 3	वर्ल्ड हैबिटेट डे
अक्टूबर 4	विश्व जंतु कल्याण दिवस
अक्टूबर 9	वर्ल्ड पोस्ट आफिस डे
अक्टूबर 10	राष्ट्रीय डाक दिवस
अक्टूबर 14	वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे
अक्टूबर 15	दृष्टिहीनों का मार्ग दर्शन दिवस
अक्टूबर 16	विश्व खाद्य दिवस
अक्टूबर 24	संयुक्त राष्ट्र दिवस, विश्व विकास सूचना दिवस
अक्टूबर 30	विश्व मितव्ययता दिवस
नवंबर 9	लीगल सर्विस डे
नवंबर 14	बाल दिवस
दिसंबर 1	विश्व एड्स दिवस
दिसंबर 4	जलसेना दिवस, विश्व विकलांग दिवस
दिसंबर 10	मानव अधिकार दिवस
दिसंबर 18	अल्पसंख्यक अधिकार दिवस (भारत)
दिसंबर 23	किसान दिवस
दिसंबर 25	क्रिसमस डे

स्रोत : मनोरमा इयर बुक

उ प्र ि ा ानसभा की स्थायी समि ाया

Øe l0	lfefr dk uke
1.	प्राक्कलन समिति
2.	लोक लेखा समिति
3.	प्रतिनिहित विधायन समिति
4.	याचिका समिति
5	विशेषाधिकार समिति
6.	सरकारी आश्वासन संबंधी समिति
7.	प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति
8.	नियम समिति
9.	कार्य मंत्रणा समिति
10.	आचार समिति
11	प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा–परीक्षा प्रतिवेदनों की जाँच सम्बन्धी समिति
12.	विधान पुस्तकालय समिति
13.	संसदीय शोध संदर्भ एवं अध्ययन समिति
14.	पंचायती राज समिति
15.	संसदीय अनुश्रवण समिति

l;qDr lfefr;k¡

16.	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति
17.	सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति
18.	आवास संबंधी संयुक्त समिति
19.	महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति

●

ान ी ुरस्कार से अलंक ा
उत्तर प्रदेश के ामुख र ानाकार

क्रस	र ानाकारों के नाम
1.	सुमित्रा नंदन पंत
2.	र ुपति सहाय फिराक गोरखपुरी
3.	सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन अ ोय
4.	महादेवी वर्मा
5.	नरेश मेहता
6.	अली सरदार जाफरी
7.	कुँवर नारायण
8.	सत्यव्रत शा ी
9.	अख़लाक मुहम्मद ख़ान शहरयार
10.	अमरकांत
11.	श्री लाल शुक्ल
12.	केदारनाथ सिंह
13.	वामी राम ाद्रा ाय

●

यश भार ी सम्मान

उ प्र के यश भार ी सम्मान से सम्मानि ा म ानुभा ों का ि ारण

क्र स	म ानुभा ों का नाम	सम्मानि ा ा	ि ा ा
1.	डा. हरिवंश राय बच्चन	1994-95	(कवि एवं साहित्यकार)
2.	डा. गोपाल दास नीरज		(कवि)
3.	स्व. कैफी आज़मी		(शायर)
4.	श्री मुजफ्फर अली		(फिल्म निदशन)
5.	स्व. उस्ताद विस्मिल्ला खां		(शहनाई)
6.	सुश्री गिरिजा देवी		(गायन)
7.	पं. बिरजू महाराज		(कथक)
8.	प्रो. राज बिसारिया		(नाट्य निदशन)
9.	स्व. गुलाब बाई		(नौटंकी)
10.	स्व. सितारा देवी		(कथक)
11.	स्व. श्री बी. एम. शाह		(नाट्य निदशन)
12.	स्व. श्री फिदा हुसैन नरसी		(फारसी रंगमंच)
13.	स्व. श्री मोहन उप्रेती		(लोक संगीत)
14.	स्व. श्री अवतार सिंह पवार		(मूर्तिकला)
15.	स्व. श्री सतीश चन्द्रा		(चित्रकला)
16.	पं. हरि प्रसाद चौरसिया		(बांसुरी)
17.	स्व. श्री शेख शमशउद्दीन		(जरी कसीदाकारी)
18.	सुश्री ना बनजा		(ामीण महिला उत्थान)
19.	श्री अभिताभ बच्चन		(फिल्म अभिनय)
20.	श्रीमती जया बच्चन		(फिल्म अभिनय)
21.	मो. शाहिद		(हाकी)
22.	सुश्री ब ेन्द्री पाल		(पर्वतारोहण)
23.	मो. ज़फर इकबाल		(हाकी)
24.	श्री जसपाल राणा		(शूटिंग)
25.	श्री राज बब्बर		(फिल्म अभिनय)
26.	श्रीमती नादिरा राज बब्बर	1994-95	(नाट्य निर्देशन)
27.	श्री विशम्भर सिंह		(कुश्ती)
28.	श्री पन्ने लाल यादव		(कुश्ती)
29.	श्री रामाश्रय यादव		(कुश्ती)
30.	स्व. श्री जनार्दन सिंह		(कुश्ती)
31.	स्व. श्री बालेश्वर		(भोजपुरी लोक गायन)

32.	श्रीमती शबाना आज़मी		(फिल्म अभिनय)
33.	श्री मलखान सिंह		(कुश्ती)
34.	श्री सुरेन्द्र पाल		(अभिनय)
35.	सुश्री मिलन सिंह (भदौरिया)		(गायन)
36.	सुश्री वन्दना बाजपेई		(गायन)
37.	श्री शकी अहमद		(हाकी)
38.	श्री रनवीर सिंह		(वालीबाल)
39.	स्व. श्री लाल शुक्ल	2005-06	(साहित्य)
40.	पं. मुरारी लाल शर्मा		(लोकनत्य लोकगीत)
41.	श्री सुभा ा वर्मा		(पहलवानी)
42.	सुश्री काव्या गुप्ता		(तैराकी)
43.	श्री देवेश चौहान		(हाकी)
44.	स्व. गोपाल प्रसाद व्यास		(साहित्य)
45.	स्व. ाान चन्द्र जैन		(पत्रकारिता)
46.	श्री अच्युतानंद मिश्र		(पत्रकारिता)
47.	सुश्री मालिनी अवस्थी		(गायन)
48.	श्री राज कुमार		(पर्वतारोहण)
49.	श्री कुलदीप नैयर		(पत्रकारिता)
50.	श्री सोम ठाकुर		(कवि)
51.	स्व. बिली अर्जन सिंह		(वन्य जीव संरक्षण)
52.	श्री राजपाल यादव		(अभिनय)
53.	श्री जनार्दन सिंह यादव		(कुश्ती)
54.	श्री हनुमान प्रसाद शर्मा		(साहित्य)
55.	श्री चन्द्र विजय सिंह		(कुश्ती)
56.	श्री उदय प्रताप सिंह	2006-07	(कवि)
57.	श्री अभि ोक बच्चन		(फिल्म अभिनय)
58.	श्री शीतला सिंह		(पत्रकारिता)
59.	श्री विजय कुमार		(पत्रकारिता साहित्यकार)
60.	डा. विवेकी राय		(साहित्यकार)
61.	डा. योगेश प्रवीन		(साहित्यकार)
62.	स्व. श्री तालुकेदार यादव		(पहलवान)
63.	श्री राजीव तोमर		(पहलवान)
64.	श्री जगदीश कालीरमन	2006-07	(कुश्ती)
65.	श्री शौकिन्द्र तोमर		(पहलवान)
66.	मोहम्मद कैफ		(खेल)
67.	स्व. कमलेश्वर		(कवि साहित्यकार)
68.	स्व. डा. बजेन्द्र अवस्थी		(कवि साहित्यकार)

69.	स्व. कैलाश गौतम		(कवि साहित्यकार)
70.	स्व. डा. उर्मिलेश		(कवि)
71.	पं. न्नू लाल मिश्र	2012-13	(गायन)
72.	श्री अंशू तोमर		(कुश्ती)
73.	श्री विवेक गुप्ता		(हाकी)
74.	सुश्री डा. सरिता शर्मा		(साहित्यकार)
75.	श्री सुरेश रैना		(क्रिकेट)
76.	श्री नरसिंह यादव		(कुश्ती)
77.	प्रो. सत्यमित्र दुबे		(शिक्षा)
78.	श्री आमिर राजा हुसैन		(शायर)
79.	डा. राम क ण राजपूत		(साहित्यकार)
80.	स्व. श्री राजेन्द्र यादव		(साहित्यकार)
81.	श्री अभिजीत भट्टाचार्य		(गायन)
82.	श्री मेवालाल यादव		(कुश्ती)
83.	मो. जावेद अली		(गायन)
84.	स्व. श्री मस्तराम कपूर		(साहित्यकार)
85.	श्री जाहिद हसन वसीम बरेलवी		(शायर)
86.	ोधी मो. शफी खां	2013-14	(साहित्य)
87.	श्री हीरा लाल यादव		(लोक गायन)
88.	डा. जगदीश गांधी		(शिक्षा)
89.	श्री देवी प्रसाद पाण्डेय अडिग		(साहित्य)
90.	प्रो. माता प्रसाद त्रिपाठी		(साहित्य)
91.	श्री अशोक कुमार सिंह		(हाकी)
92.	श्री वंश गोपाल यादव		(आल्हा)
93.	श्री अनूप जलोटा		(गायन)
94.	पं. राजन मिश्र एवं साजन मिश्र (संयुक्त)		(शा ीय गायन)
95.	श्री रमेश भइया		(समाज सेवा)
96.	पं. विकास महाराज		(सरोद)
97.	श्री शीतला पाण्डेय उर्फ समीर		(फिल्म गीतकार)
98.	श्री लाल बचन यादव		(कुश्ती)
99.	श्री मुनव्वर अंजार		(जूडो)
100.	सुश्री रेखा भार ाज		(सुगम संगीत)
101.	श्री धमन्द्र यादव		(मुक्केबाजी)
102.	श्री भगत सिंह	2013-14	(कुश्ती)
103.	श्री योगेन्द्र सिंह यादव		(सैन्य सेवा)
104.	श्री विजय पाल यादव		(कुश्ती)
105.	श्री राजेश कुमार यादव		(नौकायन)

106. श्री अभि ोक यादव		(मार्शलआर्ट)
107. सुश्री श्वेता प्रियदर्शनी		(शतरंज)
108. मो. हमीदुल्लाह (हामिद हिन्दी)	2014-15	(साहित्य)
109. प्रो. रीता गांगुली		(उपशा ीय गायन)
110. श्री दर्शन सिंह यादव		(समाज सेवा)
111. प्रो. भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी वागीश शास्त्री		(शिक्षा)
112. प्रो. हकीम सैय्यद जिल्लुर्रहमान		(यूनानी चिकित्सा)
113. श्री जयक ण अ ावाल		(ललित कला)
114. श्री विनोद मेहता		(पत्रकारिता)
115. डा. उर्मिल कुमार थपलियाल		(लोक रंगमंच साहित्य)
116. श्री रवीन्द्र जैन		(संगीतकार)
117. श्री योगेश गौड़		(गीतकार)
118. श्री टी. पी. त्रिवेदी		(ज्योति ा वि ान)
119. श्री गिरधर लाल मिश्र		(समाज सेवा)
120. श्री राज कुमार वर्मा		(चित्रकार माइक्रो पेन्टिंग)
121. डा. ान चतुवदी		(साहित्य)
122. श्री बुद्धि प्रकाश		(योग एवं प्राकतिक चिकित्सा)
123. श्री वि णु यादव		(बिरहा गायन)
124. डा. कुमकुम धर		(कथक)
125. श्री वि णु सक्सेना		(साहित्य)
126. सुश्री शुभा मुदगल		(शास्त्रीय गायन)
127. श्रीक ण कन्हाई व श्री गोविन्द कन्हाई		(स्वर्ण चित्रकार)
128. डा. (प्रो.) सी. एस. यादव		(चिकित्सा)
129. श्री राजकुमार		(कुश्ती)
130. डा. आर. पी. सिंह		(हाकी एवं फुटबाल)
131. डा. राकेश यादव		(चिकित्सा)
132. श्री इफ्तेखार नदीम खान		(कास्ट कला)
133. श्री जसजीत सिंह गिल जिम्मी शेरगिल		(अभिनेता)
134. श्री कैलाश खेर		(सूफी गायन)
135. श्री राहत अली खान साबरी		(गज़ल गीत एवं सूफी गायन)
136. श्री नवाजुद्दीन सिद्दीकी		(अभिनेता)
137. श्री अवनीश कुमार यादव		(वालीबाल)
138. श्रीमती अलका तोमर		(महिला कुश्ती)
139. सुश्री पूनम यादव		(भारोतोलन)
140. सुश्री गीतांजलि शर्मा	2014-15	(नत्य)
141. श्री खुशबीर सिंह शाद		(शायर)
142. उस्ताद गुलशन भारती	2015-16	(गायन)

143. श्री वजीर अहमद खान		(शतरंज)
144. सुश्री मनु कुमारी पाल		(खेल)
145. मेजर अशोक कुमार सिंह		(नौकायन)
146. श्री नरेन्द्र सिंह राणा		(खेल)
147. श्री चक्रेश कुमार जैन		(हस्तशिल्पी)
148. प्रो. कमला श्रीवास्तव		(लोक संगीत)
149. सुश्री सुधा सिंह		(एथलेटिक्स)
150. डा. नवाज देवबन्दी		(शिक्षा)
151. श्रीमती कुमकुम आदर्श		(कथक नत्य)
152. प्रोफेसर गिरिजा शंकर		(साहित्य)
153. अलीम उल्लाह सिद्दीकी		(चित्रकार)
154. डा. सुभा । गुप्ता		(चिकित्सा)
155. श्री अभिन्न श्याम गुप्ता		(खेल)
156. श्री गोपाल चतुवदी		(साहित्य)
157. श्री इकबाल अहमद सिद्दीकी		(ग़ज़ल गायन)
158. डा. (ब्रिगे.) टी. प्रभाकर		(चिकित्सा)
159. श्री सवश यादव		(निशानेबाजी)
160. सुश्री स्थवी अस्थाना		(ुड़सवारी)
161. श्री सुनील कुमार राणा		(खेल)
162. श्री सुधीर मिश्रा		(फिल्म निदशन)
163. श्री राजू श्रीवास्तव		(हास्य कलाकार)
164. श्री जगबीर सिंह		(हाकी)
165. सुश्री अ णिमा सिन्हा		(पर्वतारोहण)
166. सुश्री सुरभि रंजन		(गायन)
167. प्रो. रवि कान्त		(चिकित्सा)
168. श्री लाल जी यादव		(कुश्ती)
169. श्री दिनेश लाल यादव निरहुआ		(अभिनय)
170. श्री अनुज चौधरी		(खेल)
171. श्री अनुराग कश्यप		(फिल्म निदशन एवं निर्माण)
172. श्री विजय सिंह चौहान		(एथलेटिक्स)
173. सुश्री नाहिद आबिदी		(साहित्य)
174. उस्ताद गुलाम मुस्तफा खाँ		(गायन)
175. श्रीमती सीमा पुनिया		(एथलेटिक्स)
176. श्री मधुकर त्रिवेदी		(पत्रकारिता साहित्य)
177. श्री अंकित तिवारी		(गायन)
178. मोहम्मद इमरान खान	2015-16	(कवि शायर)
179. श्री द्र प्रताप सिंह		(क्रिकेट)

180. श्री विशाल भार ाज		(फिल्म निदशन, निर्माण एवं संगीत निदशन)
181. श्री अनवर अहमद (अनवर जलालपुरी)		(साहित्य)
182. श्री हेमन्त शर्मा		(पत्रकारिता)
183. श्रीमती अपर्णा कुमार		(पर्वतारोहण)
184. डा. सुनील जोगी		(साहित्य)
185. प्रो. अशोक चक्रधर		(साहित्य)
186. डा. नरेश त्रेहन		(चिकित्सा)
187. प्रो. इरफान हबीब		(शिक्षा)
188. बेगम हमीदा हबीबुल्लाह	2016-17	(समाज सेवा)
189. श्रीमती स्व प कुमारी बक्शी		(साहित्य)
190. सुश्री कमर रहमान		(वि ाान)
191. डा. (श्रीमती) सबीहा अनवर		(साहित्य)
192. सुश्री पद्मा गिडवानी		(गायन)
193. श्री संतो ा आनन्द		(फिल्म गीतकार)
194. उस्ताद गुलफाम अहमद		(रबाब वादन)
195. डा. अनिल कुमार रस्तोगी		(अभिनय)
196. श्री केवल कुमार		(संगीत निदशन एवं गायन)
197. पं. विश्वनाथ		(शा ाीय संगीत)
198. ले. जनरल अनिल चैत		(सैन्य सेवा)
199. डा. सैय्यद मुहम्मद हस्सान		(यूनानी चिकित्सा एवं अनुसंधान)
200. श्री राजक ण मिश्र		(साहित्य)
201. श्री सौरभ शुक्ला		(फिल्म निदशन अभिनय)
202. श्री अनुभव सिन्हा		(फिल्म निदशन)
203. नवाब जाफर मीर अब्दुल्लाह		(हस्त शिल्पकला एवं संस्कति)
204. डा. रतीश चन्द्र अ ावाल		(चिकित्सा)
205. श्री राजेन्द्र सिंह		(जल संरक्षण)
206. सुश्री सुमोना चक्रवता		(अभिनय)
207. सुश्री अनुपमा राग		(संगीत निदशन गायन)
208. सुश्री सोनी चौरसिया		(कथक नत्य)
209. श्री ाानेन्द्र पाण्डेय		(क्रिकेट)
210. श्री प्रवीन कुमार		(क्रिकेट)
211. श्री पियू ा चावला		(क्रिकेट)
212. श्री भुवनेश्वर कुमार		(क्रिकेट)
213. श्री मनोज मुन्तशिर		(फिल्म गीतकार एवं पटकथा लेखन)
214. प्रो. (डा.) गौरदास चौधरी		(चिकित्सा)
215. प्रो. राकेश कपूर	2016-17	(चिकित्सा)

216. डा. दीपक कुमार अ ावाल (चिकित्सा)
217. डा. राम रतन बनजा (चिकित्सा)
218. डा. आलोक पारीक (होम्योपैथी चिकित्सक)
219. शेफ गुलाम मोइनुद्दीन कुरैशी (पाकशास्त्र)
220. श्री गुलाम शर्फुद्दीन अंसारी उर्फ गुलामन (निर्यातक एवं उ ोगपति)
221. प्रो. (डा.) राम मोहन पाठक (पत्रकारिता एवं शिक्षण)
222. साबरी बन्धु (आफताब-हाशिम) (कव्वाली गायन)
223. श्री मोहम्मद असलम वारसी (सूफी गायन)
224. श्री ओमा उपाध्याय (ज्योति ा)
225. श्री दीपराज राणा (फिल्म अभिनय)
226. श्री फा क अहमद (समाज सेवा)
227. श्री योगेश मिश्र (पत्रकारिता)
228. श्री काशीनाथ यादव (भोजपुरी लोक गायन)
229. श्री वेंकट चंगावली (समाज सेवा)
230. सुश्री सुमन यादव (खेल)
231. श्री अर्जुन वाजपेई (पर्वतारोहण)
232. सुश्री गागा यादव (कुश्ती)
233. श्री राम मिलन यादव (कुश्ती)
234. डा. रमाकान्त यादव (चिकित्सा)
235. श्री अशोक निगम
236. श्री आत्म प्रकाश मिश्र (दूरदर्शन)
237. पं. हरि प्रसाद मिश्र (ज्योति ा विशे ा ा एवं राज पुरोहित)
238. डा. शादाब दौलवी (शायर)
239. श्री सवश कुमार अस्थाना (साहित्य)
240. श्री रवि कपूर (फोटो ाफी)
241. डा. शिवानी मातनहेलिया (शास्त्रीय संगीत)
242. पं. राम कुमार मिश्र (शास्त्रीय संगीत)
243. श्री कमाल खान (गायन)
244. श्री विजय शेखर शर्मा (मोबाइल बकिंग)
245. श्री माहेश्वर तिवारी (साहित्य)
246. श्री नूर अलस्सबा (चित्रकला)
247. उस्ताद नाजिर हुसैन (शास्त्रीय संगीत)
248. डा. सैय्यद मोहम्मद बशीर बद्र (शायरी)
249. श्री मरिन्दर कुमार मिश्रा (लेखन)
250. श्री व ण सिंह भाटी (पैरा एथलेटिक्स)
251. लेफ्टिनेन्ट जनरल ए. के. सिंह (सैन्य सेवा)
252. डा. मन्सूर हसन (चिकित्सा)

253. श्री रामेश्वर नाथ मिश्र	2016-17	(समाज सेवा)
254. श्री अतुल तिवारी		(फिल्म नाट्य लेखन एवं अभिनय के क्षेत्र में)
255. श्री दीन मुहम्मद दीन		(साहित्य)
256. श्री प्रमोद कुमार सिंह चौधरी		(समाज सेवा)
257. सुश्री रचना गोविल		(खेल-शूटिंग)
258. श्री सुहास एल. वाई.		(खेल-बैडमिन्टन)
259. श्री अब्बास रज़ा नैय्यर		(साहित्य)
260. सुश्री अर्चना सतीश		(कला)
261. श्री मुराद अली खान		(खेल-निशानेबाजी)
262. सुश्री शिखा		(दूरदर्शन)
263. श्री ब्रायन साइलस		(पियानो वादन)
264. श्री गौरव खन्ना		(खेल-बैडमिन्टन)
265. सुश्री त्र चा जोशी		(लोक गायन)
266. मो. वसी खान अहमद		(शारीरिक सौ व)
267. मास्टर दविन्दर सिंह		(संगीत)
268. श्री आनन्देश्वर पाण्डेय		(खेल)
269. डा. राम सिंह यादव		(लेखन और पत्रकारिता)

●

निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ.प्र.

Ø-l- uke		dk;dky
1.	जयकरन नाथ उग्रा	21.11.1946–23.08.1947
2.	मिदहत कामिल किदवाई	24.08.1947–09.04.1948
3.	कश्यप कृष्ण शर्मा	10.04.1948–30.04.1949
4.	अमोलख चन्द	01.05.1949–28.02.1951
5.	पदम नाभ जोशी	01.03.1951–12.08.1951
6.	इन्द्र देव नारायण साही	13.08.1951–31.04.1952
7.	त्रयम्बक लाल महेन्द्र –	
8.	विन्देश्वरी प्रसाद जोशी–	
9.	गोविन्द नारायण	01.07.1954–04.05.1955
10.	भगवती शरण सिंह	05.05.1955–10.11.1960
11.	अपराजिता प्रसाद सिंह	11.11.1960–07.08.1961
12.	अमिय भूषण मलिक	08.08.1961–17.01.1964
13.	कुशल पाल सिंह	18.01.1964–15.06.1964
14.	गिरिजा किशोर जोशी	16.06.1964–29.04.1966
15.	रमेश चन्द्र पंत	29.04.1966–15.10.1966
16.	शशि कांत भटनागर	16.10.1966–15.06.1967
17.	शिवेन्द्र सिंह सिद्धु	16.06.1967–26.07.1967
18.	अब्दुल रऊफ सिद्दीकी	27.07.1967–14.07.1968
19.	महेश प्रसाद	15.07.1968–04.04.1970
20.	पूरन चन्द्र पाण्डे	05.04.1970–19.05.1970
21.	शिव प्रसाद पाण्डे	20.05.1970–25.05.1970
22.	जनार्दन प्रसाद सिंह	26.05.1970–15.07.1970

23.	शिव प्रसाद पाण्डे	16.07.1970—06.08.1970
24.	शिरोमणि शर्मा	07.08.1970—10.05.1974
25.	कृष्ण चन्द्र जोशी	11.05.1974—24.05.1974
26.	सत्य प्रकाश भटनागर	25.05.1974—30.11.1974
27.	कु. सरला साहनी	01.12.1974—02.12.1975
28.	रवि मोहन सेठी	06.12.1975—28.07.1976
29.	योगेन्द्र नारायण	29.07.1976—29.10.1976
30.	रमेश चन्द्र पन्त	30.10.1976—23.01.1977
31.	बाल कृष्ण चतुर्वेदी	24.01.1977—18.09.1978
32.	एन.एम. मजूमदार	19.09.1978—06.10.1978
33.	हेमेन्द्र कुमार	07.10.1978—05.11.1980
34.	श्री लाल शुक्ल	06.11.1980—07.03.1981
35.	ठाकुर प्रसाद सिंह	08.03.1981—26.05.1982
36.	बाल कृष्ण चतुर्वेदी	27.05.1982—15.07.1982
37.	राजीव रत्न शाह	16.07.1982—31.07.1982
38.	गंगाधर प्रसाद शुक्ल	01.08.1982—26.06.1984
39.	भवानी शंकर शुक्ल	27.06.1984—21.06.1985
40.	प्रशान्त कुमार मिश्र	22.06.1985—05.06.1986
41.	अशोक प्रियदर्शी	20.06.1986—31.05.1990
42.	शैलेश कृष्ण	01.06.1990—10.07.1991
43.	अनिल स्वरूप	11.07.1991—21.07.1993
44.	लव वर्मा	24.07.1993—14.02.1994
45.	अतुल बगाई	14.02.1994—05.06.1995
46.	रोहित नन्दन	06.06.1995—22.10.1996
47.	डॉ. अनूप चन्द्र पाण्डेय	23.10.1996—20.03.1997
48.	रोहित नन्दन	20.03.1997—25.06.1997
49.	रोहित नन्दन (सचिव)	26.06.1997—22.09.1997
50.	अनिल स्वरूप	22.09.1997—09.10.1997
51.	डॉ. अनूप चन्द्र पाण्डे	09.10.1997—14.05.1999

52.	संजय भूसरेड्डी	14.05.1999—19.12.1999
53.	महेश कुमार गुप्ता	19.12.1999—11.07.2000
54.	उमेश सिन्हा	11.07.2000—01.09.2001
55.	यू.के.एस. चौहान	01.09.2001—04.05.2002
56.	रोहित नन्दन (सचिव)	04.05.2002—17.09.2003
57.	संजय भाटिया	17.09.2003—08.11.2005
58.	संजय भाटिया (सचिव)	09.11.2005—05.04.2006
59.	नितिन रमेश गोकर्ण (सचिव)	05.04.2006—14.05.2007
60.	दिवाकर त्रिपाठी (सचिव)	14.05.2007—07.02.2008
61.	मधुकर द्विवेदी	08.02.2008—04.04.2008
62.	दिवाकर त्रिपाठी (सचिव)	04.04.2008—05.05.2008
63.	सुनील कुमार (सचिव)	05.05.2008—28.02.2009
64.	अजय कुमार उपाध्याय	01.03.2009—22.03.2010
65.	बादल चटर्जी	23.03.2010—18.06.2010
66.	अजय कुमार उपाध्याय	18.06.2010—16.04.2011
67.	बादल चटर्जी	16.04.2011—29.03.2012
68.	प्रशान्त त्रिवेदी	29.03.2012—08.04.2012
69.	प्रभात मित्तल	09.04.2012—01.06.2012
70.	अमृत अभिजात	01.06.2012—01.10.2012
71.	प्रभात मित्तल	12.10.2012—31.05.2014
72.	डॉ. रूपेश कुमार	31.05.2014—18.11.2014
73.	आशुतोष निरंजन	18.11.2014—29.03.2016
74.	सुधेश कुमार ओझा	22.04.2016—22.05.2017
75.	अनुज कुमार झा	02.06.2017—13.04.2018
76.	डॉ. उज्जवल कुमार	15.04.2018—15.11.2018
77.	शिशिर	15.11.2018—23.04.2025
78.	विशाल सिंह	23.04.2025—वर्तमान।

उत्तर प्रदेश सरकार से सम्‍ ानि ा ा ो ासा स

Raj Bhawan U.P. (राज भवन उत्तर प्रदेश) //
Chief Minister Office (मुख्यमंत्री कार्यालय) //
उत्तर प्रदेश सरकार की नोडल वेबसाइट //
Vidhan Sabha (विधान सभा) //
Vidhan Parishad (विधान परिषद) //
NEDA (अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत) //
Administrative Reforms (प्रशासनिक सुधार) //
Agriculture (कृषि) //
Appointments & Personnel (कार्मिक) //
Animal Husbandary (पशुधन) //
Board of Revenue (राजस्व परिषद) //
Cane Development (गन्ना विकास) //
Commercial Tax (वाणिज्य कर) //
Cooperative (सहकारिता) //
Court Cases Monitoring System (न्यायालय विभाग एवं अनुश्रवण) //
Culture (संस्कृति) //
Dairy Development (दुग्ध विकास) //
Dharmarth (धर्मार्थ कार्य) //
Election:off.of Chief Electoral officer (निर्वाचनः मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्या.) //
Entertainment Tax (मनोरंजन कर) //
Environment Information System (पर्यावरण सूचना प्रणाली) //
Estate (राज्य सम्पत्ति) // -
Excise (आबकारी) //
U.P. Electronics Corp. Ltd. (यू.पी. इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लि.) //
Fisheries (मत्स्य) //
Food & Civil Supplies (खाद्य एवं रसद) // /
Forest (वन) //
Geology & Mining Directorate (भूतत्व एवं खनिकर्म) // / /
Ground Water (भू-जल) //
Handicapped Welfare (विकलांग कल्याण) //
High Court, Allahabad, U.P. (उच्च न्या०, इलाहाबाद, उ०प्र०) //

Home (गृह) //
Home Guards (होम गार्ड्स) //
Horticulture (उद्यान) //
Housing (आवास विकास विभाग) //
Information & Public Relation (सूचना एवं जनसंपर्क) //
Information Technology & Electronic (सूचना प्रौद्योगिकी) //
Infrastructure & Industrial Development (अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास) //
Integrated Child Development (समन्वित बाल विकास) //
Irrigation & Flood Control (सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण) //
Jail Administration (कारागार) //
Khadi & Village Industries (खादी एवं ग्रामोद्योग) //
Labour (श्रम) //
LandDevelopment & Water Resources (भूमि विकास एवं जल संसाधन) //
LandRecords (भू-अभिलेख) //
Law (न्याय) //
Legislative (विधायी) //
Lok Ayukta U.P. (लोक आयुक्त उ०प्र०) //
Mandi Parishad (मण्डी परिषद) //
Medical Education (चिकित्सा एवं शिक्षा) //
Medical Health (चिकित्सा स्वास्थ्य) // - / /
Minor Irrigation (लघु सिंचाई) //
Minority Welfare (अल्पसंख्यक कल्याण) //
Nivesh Mitra (निवेश मित्र) // /
Panchayati Raj (पंचायती राज) //
Parliamentary Affairs (संसदीय कार्य) //
Political Pension (राजनैतिक पेंशन) //
Program Implementation (कार्यक्रम क्रियान्वयन) //
Protocol (प्रोटोकाल)
Public Enterprise (सार्वजनिक उद्यम) //
Public Work Development (लोक निर्माण विभाग) //
Revenue (राजस्व) //
Rural Development (ग्राम्य विकास) //
Rural Engineering Services (ग्रामीण अभियंत्रण सेवा) //
Sarva Shiksha Abhiyan (सर्व शिक्षा अभियान) //
Science & Technology (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) //
Secretariat Administration (सचिवालय प्रशासन) //

Social Welfare (समाज कल्याण) // /
Sports (खेल) //
Stamp & Registration (स्टाम्प एवं पंजीयन) //
State Election Commission U.P. (राज्य निर्वाचन आयोग) //
Uttar pradesh State Information Commission (राज्य सूचना आयोग) //
Tourism (पर्यटन) //
Trade Tax Tribunal (व्यापार कर) //
Transport (परिवहन) //
Treasuries (कोषागार) //
Uttar Pradesh Budget (उ.प्र. बजट) //
Uttar Pradesh Police (उ.प्र. पुलिस) //
Uttar Pradesh State Law Commission, Vidhai (विधायी) // /
Vidyut Suraksha (विद्युत सुरक्षा) // /
Women Welfare (महिला कल्याण) //
Uttar Pradesh Rera (उ.प्र. रेरा) -
Jansunwai Portal (जनसुनवाई पोर्टल) //
DefExpo (डेफएक्सपो) //

●